सुनन इब्ने माजह

(कामिल)

سنن ابن ماجه

इमाम अबु अब्दुल्ला मोहम्मद बिन माजह

तर्जुमा

मौलाना अब्दुल गफ्फार सलफी

एहतिमाम तख़रीज व तहक़ीक़

मौलाना जमशेद आलम सलफी

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

मरकज़ी अंजुमन खुद्दामुल कुरान जोधपुर

प्रकाशक

शोबा नश्र व इशाअत

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राजस्थान)

بسم الله الرحمن الرحيم

سنن ابن ماجه

सुनन इब्ने माजह

(कामील)

तालीफ (अ़रबी)

इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद इब्ने माजह (रह.)

उर्दू तर्जुमा

मौलाना हाफ़िज अ़ब्दुल ग़फ़्फ़ार सल्फ़ी (रह.)

इहतिमामे तख़रीज

मौलाना जमशेद आ़लम सल्फ़ी

ज़ेरे एहतिमाम

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

मरकज़ी अन्जुमन खुद्दामुल कुरान जोधपुर

प्रकाशक : **शोबा नश्रो इशाअ़त**

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर व राजस्थान

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	**सुनन इब्ने माजह (कामिल)**
मुरत्तिब (अरबी)	इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद इब्ने माजह (रह.)
उर्दू तर्जुमा	मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल ग़फ़्फ़ार सल्फ़ी (रह.)
हिन्दी तर्जुमा	दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
इहतिमामे तख़रीज व प्रुफ चेकिंग	मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी
मार्केटिंग एक्जिक्युटिव	अली हम्जा, 82338-55857
लेज़र टाइपसेटिंग	इकरा प्रिण्टिंग आर्ट, जोधपुर (राज.) 096679-80093
कवर डिजाइनिंग	कमाल डीटीपी, जोधपुर (राज.) 096807-91786
प्रिण्टिंग	अनमोल प्रिण्टस, जोधपुर (राज.)
तादाद पेज	672 पेज
प्रकाशन (द्वितीय संस्करण)	रमजान 1438 (जून 2017 इस्वी)
तादाद (द्वितीय संस्करण)	500 कॉपी
क़ीमत	500 रुपये

प्रकाशक

مرکزی انجمن خدام القرآن جودھپور

मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरान जोधपुर

जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

Sole Distributor
Office: **Popular Book Store**
O/S MERTI GATE ASHRAF MANZIL
JODHPUR-342001 (RAJASTHAN)
Phone: +91 94607 68990

अल किताब इन्टरनेशनल
जामिया नगर, नई दिल्ली-25,
फोन : 011-6986973

मकतबा अल फहीम
रेहान मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, धोबिया इमली रोड़, सदर चौक
मऊनाथ भन्जन (यू.पी.) 275101 फोन : 0547-2222013

अल हीरा पब्लिकेशन
उर्दू बाजार, मटिया महल, जामा मस्जिद
दिल्ली मो.: 090153-82970

फ़ेहरिस्ते-मज़ामीन

मज़मून	सफ़ा नम्बर
हर्फ़े-आग़ाज़ (पेश लफ़्ज़)	25
तआरुफ़े किताब	27
किताबुस्सुन्नह	
इत्तेबाअ-ए-सुन्नत का बयान	33
हदीसे नबवी की अज़्मत व उस पर ऐतराज़ करने वाले की बुराई का बयान	34
हदीस की मुहाफ़िज़त और उसमें एहतियात करने का बयान	36
नबी (ﷺ) की तरफ़ जानबूझकर झूठी बात निस्बत करने की बुराई का बयान	37
उस शख़्स का बयान जो झूठ समझते हुए हदीस बनाकर नक़ल करे	38
खुल्फ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करने का बयान	38
बिदअत के कामों से परहेज़ करने का बयान	39
राय और क़यास से बचने का बयान	40
तक़दीर का बयान	44
हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	47
हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	48
हज़रत उस्मान ग़नी के फ़ज़ाइल	49
हज़रत अली कर्रमुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	50
हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	51
हज़रत तल्हा इब्ने उबैदुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	51
हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	51
अशरा-ए-मुबश्शरा की फ़ज़ीलत	52
हज़रत उबैदा इब्ने जर्राह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	52
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	53
हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	53
इमाम हसन और इमाम हुसैन (रज़ि.)की फ़ज़ीलत	53
हज़रत अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	54
हज़रत सलमान, हज़रत अबूज़र और हज़रत मिक़्दार (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	54
हज़रत बिलाल (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	55
हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	55
आठ सहाबा किराम (रज़ि.) के फ़ज़ाइल	55
हज़रत अबू ज़र की फ़ज़ीलत	55
हज़रत सअद इब्ने मुआज़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	55
हज़रत जुबैर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	56
बद्र में शरीक सहाबा की फ़ज़ीलत	56
हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की फ़ज़ीलत	57
ख़ारजियों का बयान	57
उन बातों का बयान, जिनका फ़िर्क़ा-ए-जहमिया इन्कार करते हैं	58
अच्छा और बुरा तरीक़ा जारी करने वाले का बयान	63
मुर्दा सुन्नत को ज़िन्दा करने वाले का बयान	64
कुर्आन सीखने और सिखानेकी फ़ज़ीलत	64
उलमा की फ़ज़ीलत और इल्म की तर्ग़ीब देने का बयान	65
इल्म की तब्लीग़ करने वालों का बयान	67
नेकी फैलाने वालों का बयान	68
नेक काम की तालीम देने वालों का बयान	68
साथियों को अपने पीछे-पीछे चलाना मना है	68
तालिबाने इल्म के लिये वसिय्यत करना	69
इल्म से नफ़ा उठाने और उस पर अमल करने का बयान	69
इल्म को छुपाने की बुराई	71
किताबुत्तहारत	
वुज़ू और गुस्ल का बयान	72
बिना पाकीज़गी नमाज़ कुबूल नहीं होती	72
वुज़ू/तहारत नमाज़ की कुंजी है	73
वुज़ू की हिफ़ाज़त करने का बयान	73
वुज़ू ईमान का जुज़ है	73
वुज़ू करने का सवाब	73
मिस्वाक का बयान	74
फ़ितरी बातों का बयान	75
पाख़ाने में जाते वक़्त की दुआ	75
बैतुलख़ला से निकलने की दुआ	76
बैतुलख़ला में अल्लाह का ज़िक्र करने का बयान	76
गुस्लखाने में पेशाब करने की कराहत का बयान	76
खड़े होकर पेशाब करने का बयान	76
बैठकर पेशाब करने का बयान	76
दाहिने हाथ से शर्मगाह छूने का बयान	77
गोबर-लीद वग़ैरह से इस्तिन्जा करना मना है	77
पेशाब-पाख़ाना के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना मना है	77
मैदान के अलावा पाख़ानों में क़िब्ला रुख़ होने की इजाज़त है	78

मज़मून	सफ़ा नम्बर
पेशाब के बाद शर्मगाह को साफ़ करने का बयान	79
उस शख़्स का बयान जो पेशाब के बाद पानी का इस्तेमाल न करे	79
रास्ते में क़ज़ा-ए-हाजत करने की मुमानिअत का बयान	79
मैदान में क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त दूर जाने का बयान	79
पेशाब और पाख़ाने के वक़्त पर्दा करने का बयान	80
दो लोगों को एक साथ बैठकर पाख़ाना और पेशाब करना और बातें करना मना है	81
ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है	81
पेशाब के वक़्त सख़्ती से पर्दा करने का बयान	81
पेशाब करते हुए सलाम करना कैसा है	81
पानी से इस्तिन्जा करने का बयान	82
इस्तिन्जा के बाद ज़मीन से हाथ साफ़ करने का बयान	82
बर्तन को ढंककर रखने का बयान	83
कुत्ते के मुँह डाले हुए बर्तन को धोने का बयान	83
बिल्ली के झूठे पानी से वुज़ू करने की इजाज़त	83
औरत के बचे हुए पानी से वुज़ू करने की इजाज़त	84
औरत के बचे हुए पानी से वुज़ू करने की मुमानिअत	84
मर्द और औरत एक बर्तन से ग़ुस्ल कर सकते हैं	84
मर्द और औरत का एक बर्तन से वुज़ू करने का बयान	85
खजूर के शीरे से वुज़ू करने का बयान	85
दरिया के पानी से वुज़ू करने का बयान	85
दूसरे को वुज़ू कराने का बयान	86
नींद से उठने के बाद हाथ धोने का बयान	86
वुज़ू की शुरूआत में बिस्मिल्लाह पढ़ने का बयान	87
वुज़ू में दाहिनी तरफ़ से शुरू करने का बयान	87
एक चुल्लू से नाक में पानी डालने और कुल्ली करने का बयान	87
वुज़ू में एक-एक मर्तबा हर अंग धोने का बयान	88
तीन मर्तबा वुज़ू करने का बयान	88
वो अहादीस जिनमें वुज़ू के अंग दो-दो मर्तबा और तीन-तीन मर्तबा धोने का बयान है	89
वुज़ू में इरादा करने और मुक़र्रर तरीक़े में ज़्यादती करने की कराहत का बयान	89
उन अहादीस का ज़िक्र जिनमें पूरे तौर पर वुज़ू करने का बयान है	90
वुज़ू करते वक़्त दाढ़ी में ख़िलाल करना	90
सर के मसह का बयान	90
कानों के मसह का बयान	91
कान सर में शामिल होने का बयान	91
अंगुलियों में ख़िलाल करने का बयान	91
पाँव के गट्टों को धोने का बयान	92
क़दमों को धोने का बयान	92
अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ वुज़ू करने का बयान	93
वुज़ू के बाद पायजामे पर पानी के छींटे मारने का बयान	93
वुज़ू और ग़ुस्ल के बाद रूमाल इस्तेमाल करने का बयान	93
वुज़ू के बाद कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये?	94
पीतल के बर्तन से वुज़ू करने का बयान	94
सोने के बाद वुज़ू करने का बयान	94
शर्मगाह को छूकर वुज़ू करने का बयान	94
शर्मगाह को छूने की इजाज़त का बयान	95
आग से पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू टूटने का बयान	95
आग से पकी हुई चीज़ खाने की इजाज़त का बयान	95
वो अहादीस जिनमें ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू करने का बयान है	96
दूध पीकर कुल्ली करने का बयान	97
बोसा लेकर वुज़ू करने का बयान	97
मज़ी (धात) के ख़ारिज होने से वुज़ू करने का बयान	97
सोकर उठने पर वुज़ू करने का बयान	98
हर नमाज़ के लिये वुज़ू करना और एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ने का बयान	98
वुज़ू पर वुज़ू करने का बयान	98
वुज़ू उसी वक़्त करना चाहिये जब वुज़ू न हो	98
नापाक न होने वाले पानी की मिक़्दार का बयान	99
हौज़ों का बयान	99
उस बच्चे के पेशाब का बयान जो दूध पीता हो	99
जिस ज़मीन पर पेशाब हो उसको किस तरह धोना चाहिये	100
ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की नापाकी को दूर कर देता है	101
ग़ुस्ल के हाजतमंद से मुसाफ़ा करने का बयान	101
कपड़ों पर मनी लग जाये तो क्या करना चाहिये	101
मनी को हाथ से मलकर कपड़ा साफ़ करने का बयान	102
उस कपड़े में नमाज़ अदा करने का बयान, जिसमें सुहबत की जाये	102
मौज़ों पर मसह करने का बयान	102
उन अहादीस का बयान जिनमें मुसाफ़िर और मुक़ीम के मसह की मुद्दत का तक़र्रुर है	104
वो अहादीस जिनमें मसह की मुद्दत का कोई तक़र्रुर नहीं	104
पाताबों और जूतों पर मसह करने का बयान	105
अमामा पर मसह करने का बयान	105
तयम्मुम का बयान	105
तयम्मुम में एक मर्तबा ज़मीन पर हाथ मारना चाहिये	106

मज़मून	सफ़ा नम्बर
तयम्मुम में दो मर्तबा हाथ मारना चाहिये	106
उस शख़्स का बयान जिसको गुस्ल की ज़रूरत हो और ख़ौफ़ की वजह से गुस्ल न करे	106
गुस्ले जनाबत का बयान	107
नापाकी की हालत में गुस्ल का बयान	107
गुस्ल के बाद वुज़ू करने का बयान	107
मर्द का अपनी बीवी से जनाबत की हालत में गर्मी हासिल करने का बयान	108
जनाबत की हालत में सोने का बयान	108
जुनुबी को चाहिये कि नमाज़ की तरह वुज़ू करके सोये	108
उस शख़्स का बयान जो कई मर्तबा सुहबत करना चाहे	108
उस शख़्स का बयान जो तमाम बीवियों से सुहबत करके एक ही मर्तबा गुस्ल करे	108
हर बीवी से सुहबत करने के बाद अलग-अलग गुस्ल करने का बयान	109
उस शख़्स का बयान जिसको गुस्ल की ज़रूरत हो, क्या उसको खाने-पीने की इजाज़त है?	109
जुनुबी को जब खाने की ज़रूरत हो तो सिर्फ़ हाथ धोना ही काफ़ी है	109
बग़ैर वुज़ू क़ुर्आन पढ़ना जायज़ है या नहीं?	109
हर बाल के नीचे नापाकी का बयान	109
औरत का मर्द की तरह ख़्वाब देखने का बयान	110
औरतों के गुस्ले जनाबत के बयान में	110
जुनुबी को ठहरे हुए पानी में गोता लगाना काफ़ी है या नहीं?	111
गुस्ल मनी निकलने से वाजिब होता है	111
जब मर्द और औरत की शर्मगाहें मिल जाये तो गुस्ल वाजिब होता है	111
उस शख़्स का बयान, जिसको एहतलाम हो और मनी न निकले	112
गुस्ल के वक़्त पर्दा करने का बयान	112
पेशाब-पाख़ाना की हाजत हो तो नमाज़ न पढ़ना मना है	112
उस औरत का बयान जिसने अपने हैज़ के दिन पूरे कर लिये हों, लेकिन उसके बाद भी ख़ून जारी रहे	112
उस औरत का बयान जिसे हैज़ और इस्तेहाज़ा के ख़ून का अंदाज़ा न हो	113
उस कुँआरी औरत का बयान जिसको शुरू से ही इस्तेहाज़ा हो या हैज़ के दिन भूल जाये	114
कपड़ों पर हैज़ का ख़ून लग जाये तो क्या करना चाहिये	114
हाइज़ा औरत को हैज़ के दिनों की नमाज़ क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं	114
क्या हाइज़ा औरत मस्जिद से कोई चीज़ लाकर दे सकती है?	114
जब औरत का हैज़ आता हो तो मर्द को क्या करना चाहिये?	115
हाइज़ा औरत से सुहबत करने की मुमानिअत का बयान	115
जो शख़्स हाइज़ा औरत से सुहबत कर ले, उसको क्या कफ़्फ़ारा देना चाहिये?	115
हैज़ वाली औरत को किस तरह गुस्ल करना चाहिये	116
हाइज़ा औरत के साथ खाने-पीने का बयान	116
हाइज़ा औरत को मस्जिद में आने से परहेज़ करना चाहिये	116
जब औरत हैज़ के बाद ज़र्द या गदले रंग का पानी देखे तो क्या करे?	116
निफ़ास वाली औरत कितने दिन बाद पाक होगी	117
जो शख़्स हैज़ की हालत में अपनी बीवी से सुहबत करे, उसका क्या हुक्म है?	117
हाइज़ा औरत के साथ खाने का बयान	117
हाइज़ा औरत के कपड़ों में नमाज़ पढ़ने का बयान	117
बग़ैर चादर ओढ़े औरत की नमाज़ नहीं हो सकती	117
क्या हाइज़ा औरत मेहंदी लगा सकती है?	118
ज़ख़्म की पट्टियों पर मसह करने का बयान	118
मुँह का थूक कपड़ों पर लग जाये तो क्या हुक्म है?	118
पानी में थूक गिरने का बयान	118
शर्मगाह देखने की मुमानिअत का बयान	118
उस शख़्स का बयान जिसकी गुस्ले जनाबत के वक़्त कोई जगह ख़ुश्क रह गई	118
वुज़ू में किसी अंग के ख़ुश्क रह जाने का बयान	119

किताबुस्सलात

मज़मून	सफ़ा नम्बर
नमाज़ के औक़ात का बयान	120
फ़ज्र की नमाज़ का कौनसा वक़्त है?	121
ज़ुहर के वक़्त का बयान	121
गर्मी में ज़ुहर की नमाज़ ठण्डे वक़्त में अदा करनी चाहिये	121
अस्र की नमाज़ का बयान	122
नमाज़े अस्र की हिफ़ाज़त करना	122
मग़्रिब की नमाज़ का बयान	122
इशा के वक़्त का बयान	123
बादलों में नमाज़ के औक़ात का बयान	123
जो शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाये या सो जाये तो क्या करना चाहिये?	123
उज़्र और ज़रूरत के वक़्त नमाज़ के औक़ात का बयान	124

मज़मून	सफ़ा नम्बर
इशा की नमाज़ से पहले सोने और नमाज़ के बाद बातचीत करना मना है	124
इशा की नमाज़ को अतमा कहकर पुकारना मना है	125
अज़ान और सुन्नत का बयान	125
अज़ान में कलिम-ए-शहादत को दो बार कहने का बयान	126
अज़ान देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है?	127
जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो दूसरे शख़्स को क्या कहना चाहिये?	128
अज़ान की फ़ज़ीलत और मुअज़्ज़िन के सवाब का बयान	128
इक़ामत में हर कलिमे को एक मर्तबा कहने का बयान	129
जब तुम मस्जिदे में हो और अज़ान सुनो तो (बग़ैर नमाज़ पढ़े) बाहर न जाओ	129
मसाजिद और जमाअतों का बयान	129
मसाजिद को मुज़य्यन करने का बयान	130
मस्जिद कहाँ बननी चाहिये?	130
उन मक़ामात का बयान जहाँ नमाज़ पढ़ना मना है	130
मसाजिद में जो काम मकरूह है, उनका बयान	131
सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई	131
मकान में मस्जिद बनाने का बयान	131
मस्जिदों में पाकीज़गी और सफ़ाई करने का बयान	132
मस्जिदों में कफ़ थूकने का बयान	132
गुमशुदा चीज़ों को मस्जिद में तलाशना	133
ऊँट बाँधने की जगह पर नमाज़ पढ़ने का बयान	133
मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त दुआ पढ़ने का बयान	133
नमाज़ के लिये जाने के सवाब बयान	134
जो शख़्स मस्जिद से ज़्यादा दूर होगा, उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा	135
बाज़माअत नमाज़ की फ़ज़ीलत	136
जमाअत में शिरकत न करने की बुराई का बयान	136
फ़ज्र और इशा की नमाज़ बाजमाअत पढ़ने का बयान	137
मस्जिद में नमाज़ के इन्तज़ार में बैठे रहना	137
इक़ामते नमाज़ और नमाज़ की सुन्नतों का बयान	138
नमाज़ में अऊज़ुबिल्लाह पढ़ने का बयान	138
नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ पर रखने का बयान	138
नमाज़ में क़िरअत कहाँ से शुरू की जाये	139
फ़ज्र की नमाज़ में क़िरअत पढ़ने का बयान	139
जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ में तिलावत का अंदाज़ा	140
ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में क़ुर्आन की तिलावत करने का अंदाज़ा	140
ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में कभी-कभी किसी आयत का बिल जहर सुनाई देने का बयान	141
मग़्रिब की नमाज़ में क़िरअत का अंदाज़ा करने का बयान	141
इशा की नमाज़ में क़ुर्आन पढ़ने का अंदाज़ा	141
इमाम के पीछे क़ुर्आन पढ़ने का बयान	141
नमाज़ में इमाम के ख़ामोश रहने के मक़ामात का बयान	142
जब इमाम पढ़े तो उस वक़्त ख़ामोश रहना चाहिये	142
जहर के साथ आमीन कहने का बयान	143
रफ़अ-उल-यदैन का बयान	144
नमाज़ में किस तरह रुकूअ करना चाहिये	145
नमाज़ में घुटनों पर हाथ रखने का बयान	145
रुकूअ से सर उठाने के बाद क्या कहना चाहिये?	145
सज्दों का बयान	146
रुकूअ और सज्दों की तस्बीहात का बयान	147
सज्दे में कमर बराबर रखनी चाहिये	147
क़अदह का बयान	147
दोनों सज्दों के बीच क्या पढ़ना चाहिये	148
तशह्हुद में क्या पढ़ना चाहिये	148
हुज़ूर (ﷺ) पर दुरूद पढ़ने का तरीक़ा	149
तशह्हुद और दुरूद के बाद क्या पढ़ना चाहिये	151
तशह्हुद में अंगुली से इशारा करने का बयान	151
सलाम का बयान	151
एक सलाम फेरने का बयान	151
इमाम को सलाम का जवाब देना चाहिये	152
इमाम को चाहिये कि दुआ में सिर्फ़ अपने लिये ही न माँगे	152
सलाम के बाद क्या पढ़ना चाहिये	152
नमाज़ के बाद किस तरफ़ मुँह करना चाहिये	153
जब नमाज़ का वक़्त आ जाये और खाना भी मौजूद हो तो क्या करना चाहिये?	153
अंधेरी रात में नमाज़ पढ़ने का बयान	154
नमाज़ी के सामने सुतरा का बयान	154
नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़रने का बयान	155
उन कामों का बयान जो नमाज़ को फ़ासिद कर देते हैं	155
जहाँ तक मुम्किन हो नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को रोका जाये	156
नमाज़ी और क़िब्ला के बीच कोई चीज़ आड़ न हो	156
रुकूअ और सज्दा इमाम से पहले करना मना है	156
मक्रूहाते नमाज़ का बयान	157
जिस शख़्स को लोग बुरा समझते हों, वो उनका इमाम बने तो नाजाइज़ है	157
दो शख़्स भी जमाअत के हुक्म में है	157
उन लोगों का बयान जो इमाम के क़ुर्ब को अच्छा समझते हों	158

मज़मून	सफ़ा नम्बर
इमामत के क़ाबिल कौन लोग हैं?	158
इमाम को कौनसे उमूर इख़्तियार करने चाहिये	158
जो शख़्स इमामत करे, उसको चाहिये कि नमाज़ हल्की करे	159
अगर कोई नया हादसा पेश आ जाये तो इमाम नमाज़ छोटी कर दे	160
सफ़ों को दुरुस्त करने का बयान	160
पहली सफ़ की फ़ज़ीलत का बयान	160
औरतों की सफ़ों का बयान	161
खम्भों के बीच में सफ़बन्दी करने की मुमानिअत का बयान	161
सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ने का बयान	161
सफ़ की दाहिनी जानिब की फ़ज़ीलत का बयान	161
क़िब्ला का बयान	162
जो भी शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो तो दो रकअत पढ़ने से पहले न बैठे	162
प्याज़-लहसुन खाकर मस्जिद में न जाये	163
जो शख़्स नमाज़ पढ़ रहा हो वो सलाम का जवाब किस तरह दे	163
उस शख़्स का बयान जो नमाज़ पढ़ रहा हो, लेकिन उसको क़िब्ला मालूम न हो	163
नमाज़ी किस तरह थूके	163
नमाज़ में कंकरियों को हाथ से अलग करने का बयान	164
कपड़े या चटाई के टुकड़े पर नमाज़ पढ़ने का बयान	164
गर्मी और सर्दी के मौसम में कपड़े पर नमाज़ पढ़ने का बयान	164
किसी काम की तरफ़ इशारा करने के लिये मर्द को तस्बीह कहना चाहिये और औरत को ताली बजाना चाहिये	165
जूते पहने हुए नमाज़ पढ़ने का हुक्म	165
नमाज़ में बालों को दुरुस्त करने और कपड़ों को सम्भालने का बयान	165
नमाज़ में ख़ुशुअ करना चाहिये	166
सिर्फ़ एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का हुक्म	166
क़ुर्आन मजीद के सज्दों का बयान	167
कलामे पाक के सज्दों का शुमार	167
नमाज़ के कामिल होने का बयान	168
सफ़र में नमाज़ क़स्र करने का बयान	169
सफ़र में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने का बयान	169
सफ़र में नफ़्ल पढ़ने का बयान	170
जब मुसाफ़िर किसी शहर में ठहर जाये तो कितना अर्सा तक नमाज़ें क़स्र करे	170
नमाज़ छोड़ने वाले का बयान	171
फ़र्ज़िय्यते जुम्आ का बयान	171
जुम्आ की फ़ज़ीलत का बयान	172
जुम्आ के ग़ुस्ल का बयान	172
जुम्आ की नमाज़ के लिये सबसे पहले आने की फ़ज़ीलत का बयान	173
जुम्अे के दिन निय्यत करने का बयान	173
जुम्आ के वक़्त का बयान	174
जुम्आ के ख़ुत्बे का बयान	174
ख़ुत्बे के वक़्त ख़ामोश रहकर ख़ुत्बा सुनना चाहिये	175
अगर इमाम ख़ुत्बा करता हो और कोई शख़्स उस वक़्त मस्जिद में आये तो उसे क्या करना चाहिये?	175
जुम्आ के दिल लोगों के सरों को न फलाँगे	175
जब इमाम मिम्बर से उतर जाये तो उस वक़्त कलाम करना चाहिये या नहीं?	176
जुम्आ की नमाज़ की क़िरअत का बयान	176
उस शख़्स का बयान जिसको जुम्आ की एक रकअत मिले	176
जुम्आ में लोग कहाँ-कहाँ से आकर जमा होते थे	176
उस शख़्स का बयान जो जुम्आ की नमाज़ बिना उज़्र के छोड़ दे	176
नमाज़े जुम्आ से पहले कितनी रकअत पढ़नी चाहिये	177
नमाज़े जुम्आ के बाद कितनी रकअत पढ़नी चाहिये	177
जुम्आ की नमाज़ से पहले हजामत बनवाने और उकड़ू बैठने का बयान	177
जुम्आ की अज़ान का बयान	177
जब इमाम ख़ुत्बा कहता हो तो लोग उसकी तरफ़ मुतवज्जह हों	178
जुम्आ के दिन उस घड़ी का बयान जिसमें हर दुआ क़ुबूल होती है	178
बारह रकअत सुन्नत पढ़ने का बयान	178
उन हदीसों का बयान जिनमें फ़ज्र की सुन्नतों की फ़ज़ीलत है	179
फ़ज्र की सुन्नतों में हुज़ूर (ﷺ) कौनसी सूरतें तिलावत फ़र्माते थे	179
जब इक़ामत हो रही हो तो सिवाय फ़र्ज़ के कोई नमाज़ नहीं	179
अगर फ़ज्र की सुन्नतें क़ज़ा हो जाये तो उनको किस वक़्त पढ़ना चाहिये	180
नमाज़े ज़ुहर से पहले चार रकअत	180
जिस शख़्स की ज़ुहर से पहले की चार रकअतें क़ज़ा हो गईं उनको किस वक़्त पढ़ना चाहिये?	180
जिस शख़्स की ज़ुहर के बाद वाली सुन्नतें छूट जायें, उसे क्या करना चाहिये?	180
ज़ुहर से पहले और ज़ुहर के बाद चार-चार रकअत पढ़ने चाहिये	181
दिन में कितने नफ़्ल पढ़ने मुस्तहब है	181
मग़्रिब से पहले दो रकअत पढ़ने का बयान	181
मग़्रिब के बाद दो रकअत सुन्नत का बयान	181
मग़्रिब की सुन्नतों में क्या पढ़ना चाहिये?	182
मग़्रिब के बाद कुछ रकअतें पढ़ने का बयान	182

मज़मून	सफ़ा नम्बर
वित्रों का बयान	182
वित्रों में क्या पढ़ना चाहिये?	182
एक रकअ़त वित्र का बयान	183
वित्र में दुआ-ए-क़ुनूत पढ़ने का बयान	183
दुआ-ए-क़ुनूत में हाथ ऊपर न उठाने का बयान	184
हाथ उठाकर कर दुआ करना और दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना	184
वित्र में दुआ-ए-क़ुनूत रुकूअ़ से पहले पढ़नी चाहिये या रुकूअ़ के बाद पढ़नी चाहिये	184
आख़िरी रात में वित्र पढ़ने का बयान	184
उस शख़्स का बयान जो वित्र पढ़ना भूल जाये	185
वित्र के तीन, पाँच, सात या नौ रकअ़तों का बयान	185
सफ़र में वित्र पढ़ने का बयान	185
उन नवाफ़िल का बयान जो वित्र के बाद बैठकर पढ़े जाते हैं	185
वित्र के बाद और फ़ज्र की सुन्नतों के बाद आराम करने का बयान	186
सवारी पर वित्र पढ़ने का बयान	186
शुरू रात में वित्र पढ़ने का बयान	186
नमाज़ के सज्द-ए-सह्व का बयान	186
भूलकर ज़ुहर की पाँच रकअ़तें पढ़ने वाले का बयान	187
उस शख़्स का बयान जो भूलकर दो रकअ़तों के बाद क़अ़दह न करे	187
उस शख़्स का बयान जिसको अपनी नमाज़ में शक पैदा हो जाये और फिर यक़ीन करके अपनी नमाज़ को पूरा कर ले	187
जिस शख़्स को नमाज़ में शक हो जाये तो अक़्ल दौड़ाकर सही तरीक़ा इख़्तियार कर ले	188
उस शख़्स का बयान जो भूलकर दो रकअ़तों या तीन रकअ़तों पर सलाम फेर दे	188
सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करने का बयान	189
सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व करने का बयान	189
जहाँ से नमाज़ छोड़ी हो वहीं से शुरू करके ख़त्म करने का बयान	189
अगर नमाज़ में वुज़ू टूट जाये तो किस तरह अलग हो	190
मरीज़ की नमाज़ का बयान	190
नफ़्ल नमाज़ को बैठकर पढ़ने का बयान	190
खड़े होकर नमाज़ पढ़ने और बैठकर नमाज़ पढ़ने में फ़र्क़	190
हुज़ूरे अकरम का (ﷺ) का मर्ज़ुल वफ़ात में नमाज़ पढ़ने का बयान	191
हुज़ूर (ﷺ) का अपने उम्मती के पीछे नमाज़ पढ़ना	192
इमाम इसलिये मुक़र्रर किया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाये	193
फ़ज्र में दुआ-ए-क़ुनूत पढ़ने का बयान	193
साँप और बिच्छू को नमाज़ में क़त्ल करने का बयान	194
अस्र और फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज़ के बाद नमाज़ पढ़ने की मुमानिअ़त का बयान	194
उन वक़्तों का बयान जिनमें नमाज़ पढ़ना मकरूह है	194
मक्का में हर वक़्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त का बयान	195
नमाज़ को उसके वक़्त से ताख़ीर करके पढ़ने का बयान	195
सलातुल ख़ौफ़ का बयान	196
कुसूफ़ की नमाज़ का बयान	196
नमाज़े इस्तिस्क़ाअ का बयान	197
इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ में दुआ करने का बयान	198
ईदैन की नमाज़ का बयान	199
ईदैन की नमाज़ में कितनी तकबीरें हैं	199
ईदैन की नमाज़ में क़ुर्आन की तिलावत का बयान	200
ईदैन के ख़ुत्बे का बयान	200
नमाज़ के बाद ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरने का बयान	201
ईद की नमाज़ से पहले या ईद की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ न पढ़े	201
ईद की नमाज़ के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत का बयान	201
ईद की नमाज़ के लिये एक रास्ते से जाने और दूसरे रास्ते से वापस आने का बयान	201
ईद के दिन गाने-बजाने का बयान	202
ईद के दिन नेज़े का सुतरा क़ायम करने का बयान	202
ईद की नमाज़ के लिये औरतों के जाने का बयान	202
एक दिन में दो ईदें जमा होने का बयान	202
बारिश के दिन ईद की नमाज़ को मस्जिद में पढ़ने का बयान	203
ईद के दिन हथियारबन्दी का बयान	203
ईद के दिन ग़ुस्ल का बयान	203
ईद की नमाज़ के वक़्त का बयान	203
रात की दो-दो रकअ़तें अदा करना चाहिये	203
दिन और रात हर नमाज़ दो-दो रकअ़त पढ़ना चाहिये	204
रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का बयान	204
रात में नमाज़ अदा करने का बयान	205
रात को अपने घरवालों को नमाज़ के लिये बेदार करने का बयान	205
क़ुर्आन को ख़ुश आवाज़ी से पढ़ने का बयान	206
वज़ीफ़ा भूलकर रात को सो जाने का बयान	206
क़ुर्आन मुकम्मल करने का मुस्तहब तरीक़ा क्या है?	207
रात की नमाज़ में क़ुर्आन तिलावत करने का बयान	207
रात में कितनी रकअ़त पढ़नी चाहिये?	209
रात की कौनसी घड़ी अफ़ज़ल है?	210
उन कामों का बयान जो क़यामुल्लैल के बजाये काफ़ी हों	210
जब नमाज़ पढ़ने वाले को ऊँघ आये तो क्या करे?	211
मग़रिब और इशा के बीच नमाज़ का बयान	211
मकान में नफ़्ल पढ़ने का बयान	211
चाश्त की नमाज़ का बयान	212
इस्तिख़ारा की नमाज़ का बयान	212
नमाज़े हाजत का बयान	213

मज़मून	सफ़ा नम्बर
सलातुत तस्बीह का बयान	213
पन्द्रहवीं शाबान की रात की फ़ज़ीलत का बयान	214
नमाज़े शुक्र और सज्द-ए-शुक्र का बयान	215
नमाज़ गुनाहों का कफ़्फ़ारा है	215
पाँचों वक़्तों के फ़राइज़ और उनकी मुहाफ़िज़त का बयान	216
मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का बयान	217
बैतुल मक़्दिस में नमाज़ अदा करने का बयान	217
मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ अदा करने का बयान	218
जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करने का बयान	218
मिम्बर किस वक़्त बनाया गया	218
नमाज़ में क़याम लम्बा करने की फ़ज़ीलत	219
करसते सुजूद का बयान	220
सबसे पहले बन्दे से नमाज़ का हिसाब होगा	220
फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की जगह पर नवाफ़िल पढ़ने का बयान	221
मसाजिद में ज़मीन पर पलास्टर करने की मुमानिअत	221
जूते पाँव से उतार कर किस मक़ाम पर रखना चाहिये	221

किताबुल जनाइज़

जनाज़े के अहकामो मसाइल	222
बीमार की बीमारपुर्सी का सवाब	223
मय्यित को कलिम-ए-तय्यिबा की तल्क़ीन करने का बयान	223
बीमार के पास अच्छी बातें करने का बयान	223
हालते नज़अ की तक्लीफ़ से नज़अ वाले शख़्स को सवाब अता होता है	224
मय्यित की आँखें बन्द करने का बयान	224
मय्यित को बोसा देने का बयान	225
मय्यित को गुस्ल देने का बयान	225
शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है	225
नबी करीम (ﷺ) को गुस्ल देने का बयान	226
हुज़ूर (ﷺ) के कफ़न का बयान	226
कौनसे कपड़े में कफ़न देना मुस्तहब है	226
मय्यित को कफ़न में दाख़िल करते वक़्त देखने का बयान	227
मय्यित की ख़बर देने के लिये गलियों में आवाज़ देकर ऐलान करने की मुमानिअत का बयान	227
जनाज़े की शिरकत का बयान	227
जनाज़े के साथ कपड़े उतार कर चलने का बयान	228
जब जनाज़ा तैयार हो जाये तो उसकी (नमाज़ में) ताख़ीर नहीं करनी चाहिये और उसके साथ कोई आवाज़ देने वाला न हो	228
उस मय्यित के बयान में जिसकी नमाज़ मुसलमानों की जमाअत अदा करे	228
मय्यित के हक़ में दुआ करने का बयान	229

मज़मून	सफ़ा नम्बर
जब इमाम जनाज़ें की नमाज़ पढ़ाने खड़ा हो तो कहाँ हो?	229
जनाज़े की नमाज़ में क़िरअत पढ़ने का बयान	229
जनाज़े की नमाज़ में मय्यित के लिये दुआ करने का बयान	229
जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीरें हैं	230
जनाज़े की नमाज़ में पाँच तकबीरें कहने का बयान	231
बच्चे की जनाज़े की नमाज़ का बयान	231
नबी करीम (ﷺ) के साहबज़ादे की वफ़ात और जनाज़े की नमाज़ का बयान	231
शहीदों की नमाज़ और उनके दफ़न करने का बयान	232
मस्जिद में जनाज़े की नमाज़ अदा करने का बयान	232
उन वक़्तों का बयान जिनमें न मय्यित की नमाज़ हो न मय्यित को दफ़न किया जाये	232
अहले क़िब्ला पर नमाज़ पढ़ने का बयान	233
क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने का बयान	233
हज़रत नज्जाशी के जनाज़े का बयान	234
जनाज़े की नमाज़ पढ़ने वाले और उसके दफ़न का इन्तेज़ार करने वाले का सवाब	235
जनाज़े के लिये खड़े होने का बयान	235
क़ब्रिस्तान में पढ़ने की दुआ	236
क़ब्रिस्तान में बैठने का बयान	236
क़ब्र में मय्यित रखने का बयान	236
लहद का बयान	237
क़ब्र बनाने का बयान	237
क़ब्र खोदने का बयान	237
क़ब्र पर अलामत रखने का बयान	238
क़ब्रों पर अलामत बनाने और पुख़्ता करने और लिखने की मुमानिअत का बयान	238
क़ब्र पर मिट्टी डालने का बयान	238
क़ब्रों पर बैठने और चलने की मुमानिअत का बयान	238
क़ब्रिस्तान में जूते उतारकर चलने का बयान	239
ज़ियारते क़ुबूर का बयान	239
मुश्रिकीन की क़ब्रों पर जाने का बयान	239
औरतों को क़ब्रों की ज़ियारत से मुमानिअत का बयान	240
औरतों को जनाज़े की शिरकत करनी चाहिये या नहीं?	240
नोहा करने की मुमानिअत	240
(मय्यित के लिये) गिरहबान चाक करने, रुख़सारों पर चपत लगाने की मुमानिअत	241
मय्यित पर रोने का बयान	241
मय्यित पर नोहा करने से मय्यित को अज़ाब होता है	242
मुसीबत में सब्र करना चाहिये	242
जो शख़्स मुसीबत में सब्र दिलाये, उसके सवाब का बयान	243

मज़मून	सफ़ा नम्बर

जिस शख़्स को औलाद की तक्लीफ़ पहुँचे उसको सब्र करना चाहिये 243
जिस शख़्स को हमल साक़ित होने से ग़म हुआ हो, उसके सवाब का बयान 244
उस खाने का बयान जो मय्यित के रिश्तेदारों को दिया जाता है 244
अहले मय्यित के पास जमा होने और उनके लिये खाना तैयार करने की मुमानिअत 244
सफ़र की हालत में फ़ौत होने वाले का बयान 245
मर्ज़ की हालत में मरने वाले का बयान 245
मय्यित की हड्डी तोड़ने का बयान 245
हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के मर्ज़े वफ़ात का बयान 245
हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की वफ़ात और मदफ़ून होने का बयान 247

किताबुस्सौम

रोज़ों के अहकामो मसाइल 250
माहे रमज़ान की फ़ज़ीलत का बयान 250
यौमे-शक में रोज़ा रखने का बयान 251
शअबान के रोज़े, रमज़ान के रोज़ों के साथ मिलाने का बयान 251
रमज़ान से एक दिन पहले रोज़ा रखने की मुमानिअत है, अलबत्ता वो शख़्स रख सकता है जो पहले से रखता चला आया हो 251
चाँद देखने की गवाही देने का बयान 252
चाँद देखकर रोज़ा रखना चाहिये और चाँद देखकर इफ़्तार करना चाहिये 252
ईद का बयान 252
सफ़र में रोज़े किस तरह रखने चाहिये 253
सफ़र में रोज़ा नहीं रखना चाहिये, इफ़्तार करना चाहिये 253
हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा न रखना चाहिये 253
रमज़ान के छूटे हुए रोज़े रखने का हुक्म 254
रमज़ान का कोई रोज़ा छोड़ने का कफ़्फ़ारा 254
भूलकर रोज़ा तोड़ देने का बयान 254
रोज़े की हालत में क़ै (उल्टी) करने का बयान 254
रोज़ेदार को मिस्वाक करना और सुरमा लगाना चाहिये 255
रोज़े की हालत में पछना इस्तेमाल करने का बयान 255
रोज़ेदार के बोसा लेने की कैफ़ियत का बयान 255
रोज़ेदार की मुबाशरत का बयान 256
रोज़ेदार को ग़ीबत और सुहबत से परहेज़ करना चाहिये 256
सहरी का बयान 256
सहरी में ताख़ीर करने का बयान 256
रोज़ा इफ़्तार में जल्दी करना चाहिये 257
कौनसी चीज़ से इफ़्तार करना मुनासिब है 257
रोज़े की निय्यत रात ही से करनी चाहिये 257

मज़मून	सफ़ा नम्बर

इंसान को रात को एहतलाम हो और सुबह रोज़ा रखे तो क्या हुक्म है? 257
हमेशा रोज़ा रखने का बयान 258
हर महीने तीन रोज़े रखने का बयान 258
हुज़ूर (ﷺ) के रोज़े रखने का बयान 258
हज़रत दाऊद (अलै.) के रोज़े रखने का बयान 259
हज़रत नूह (अलै.) के रोज़ों का बयान 259
शव्वाल के छः रोज़ों का बयान 259
अल्लाह के लिये एक दिन का रोज़ा रखना 259
अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा रखने की मनाही 260
ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखना मना है 260
जुम्आ के दिन रोज़ा रखने का बयान 260
सनीचर के दिन रोज़ा रखने का बयान 260
अश्र-ए-ज़िल्हिज्जह के रोज़ों का बयान 260
यौमे-अरफ़ा का रोज़ा रखने का बयान 261
यौमे-आशूरा के रोज़े का बयान 261
सोमवार और जुमेरात के रोज़े का बयान 262
हुर्मत वाले महीनों के रोज़ों का बयान 262
रोज़ा जिस्म की ज़कात है 262
रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब 263
रोज़ेदार के सामने खाया जाये और (रोज़ेदार देखता रहे) 263
रोज़ेदार को खाने के लिये बुलाया जाये (तो उसको क्या करना चाहिये) 263
रोज़ेदार की दुआ वापस नहीं होती 263
ईदुल फ़ित्र के लिये जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिये 264
जिस पर रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हो और उसका इन्तेक़ाल हो जाये तो क्या करे 264
जिस पर नज़्र के माने हुए रोज़े क़ज़ा हों और उसका इन्तेक़ाल हो जाये तो क्या करना चाहिये 264
जो शख़्स रमज़ान में इस्लाम लाये उसका बयान 264
औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा नहीं रख सकती है 265
अगर कोई शख़्स किसी के यहाँ ठहरा हो तो उसको उन लोगों की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा नहीं रखना चाहिये 265
खाने पर शुक्र करने वाला रोज़े पर सब्र करने वाले के बराबर है 265
लैलतुलक़द्र का बयान 265
रमज़ान के आख़िरी अश्रे की फ़ज़ीलत 265
ऐतिकाफ़ का बयान 265
ऐतिकाफ़ में किस वक़्त बैठना चाहिये और ऐतिकाफ़ की क़ज़ा है या नहीं? 266
एक दिन-रात के ऐतकाफ़ का बयान 266
मुअतकिफ़ मस्जिद में अपने लिये अलग मक़ाम मुक़र्रर करे 266
मस्जिद में आप (ﷺ) के लिये ख़ेमा क़ायम करने का बयान 266

मज़मून	सफ़ा नम्बर

मुअतकिफ़ का मरीज़ की इयादत और जनाज़े में शिरकत का बयान 266
मुअतकिफ़ अपने सर को धो सकता है, बालों में कंघी कर सकता है 267
मस्जिद में मुअतकिफ़ के घरवाले मुलाक़ात के लिये जा सकते हैं 267
इस्तिहाज़ा वाली औरत ऐतकाफ़ कर सकती है 267
ऐतकाफ़ के सवाब का बयान 267
जो शख़्स ईदैन की रात में नमाज़ पढ़े, उसके सवाब का बयान 267

किताबुज़्ज़कात

ज़कात के अहकामो-मसाइल 268
ज़कात देने से मना करने का बयान 268
जिसकी ज़कात अदा कर दी गई, वो ख़ज़ाना मम्नूआ के हुक्म में नहीं है 269
सोने-चाँदी की ज़कात का बयान 269
जिसको नया माल हासिल हो, उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं? 269
कौनसे माल में ज़कात वाजिब होती है 270
ज़कात वाजिब होने से पहले ज़कात अदा करने का बयान 270
ऊँटों की ज़कात का बयान 270
जब सदक़ा देने वाला वजूबी सदक़ा से कम उम्र या ज़्यादा उम्र वाला जानवर दे तो क्या हुक्म है? 271
सदक़ा लेने वाला ऊँटा का सदक़ा किस तरह ले? 271
गायों के सदक़े का बयान 271
बकरियों की ज़कात का बयान 272
आमिलीने-सदक़ा पर कौनसे उमूर की रिआयत वाजिब है? 272
घोड़े और गुलामों के दरम्यान सदक़ा का बयान 273
कौन-कौनसे मालों में सदक़ा वाजिब है 273
खेती और फलों की ज़कात का बयान 273
खजूरों और अंगूरों के अंदाज़ा करने का बयान 274
सदक़ा में रद्दी माल देने की मुमानिअत 274
शहद की ज़कात का बयान 274
सदक़-ए-फ़ितर का बयान 275
उश्र और ख़िराज का बयान 275
साठ साअ का एक वस्क़ होता है 276
रिश्तेदारों को सदक़े का माल देने का बयान 276
किसी से कुछ माँगना मकरूह है 276
जो शख़्स मालदार हो उसको सवाल नहीं करना चाहिये 276
सदक़ा किन लोगों के लिये हलाल है? 277
सदक़े की फ़ज़ीलत का बयान 277

किताबुन्निकाह

निकाह के अहकामो मसाइल 278
तर्के-निकाह की मुमानिअत 278
औरतों का हक़ मर्द पर (क्या है?) 279
शौहर का हक़ बीवी पर (क्या है?) 279
अफ़ज़ल औरत का बयान 280
दीनदार औरत से निकाह का बयान 280
कुँवारी औरत का बयान 280
आज़ाद औरतों से निकाह करना 281
औरत को निकाह से पहले देखने का बयान 281
पैग़ाम पर पैग़ाम भेजना जाइज़ नहीं 281
कुँवारी और सय्यिबा औरत से शादी में इजाज़त लेना 282
लड़की का जबरन निकाह करना 282
छोटी बच्चियों के निकाह का बयान 283
उन छोटी लड़कियों का बयान जिनकी शादी वाल्दैन के अलावा दूसरे लोग किसी रिश्तेदार से कर दे 283
वली की मौजूदगी के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता 283
निकाहे-शिग़ार की मुमानिअत का बयान 284
औरतों के महर का बयान 284
आदमी निकाह करे और उसका कोई महर मुक़र्रर न हो, उसी हालत में फ़ौत हो जाये तो क्या हुक्म है? 285
निकाह के ख़ुत्बे का बयान 285
निकाह के इज़्हार करने का बयान 286
गाने और दफ़ बजाने का बयान 286
मुख़न्नस (हिजड़े) का बयान 287
निकाह की मुबारकबाद 287
वलीमे का बयान 288
दावत करने वाले की दावत को क़ुबूल करना चाहिये 288
कुँवारी और शादीशुदा के पास ठहरने की कैफ़ियत 289
जब दुल्हन लेकर आये तो क्या पढ़े? 289
जिमाअ के वक़्त पर्दा रखना 289
औरतों के दुबुर में जिमाअ करने की मुमानिअत 290
अज़्ल का बयान 290
फूफी निकाह में हो तो भतीजी से (उसकी ज़िन्दगी में) निकाह न करे और अगर ख़ाला निकाह में हो तो उसकी भांजी से निकाह न करे 290
अगर आदमी अपनी औरत को तीन तलाक़ दे दे फिर ये औरत दूसरे शख़्स से शादी कर ले और वो सुहबत करने से पहले उस औरत को तलाक़ दे दे तो ये औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है या नहीं? 291
हलाला करने वाले और जिसके लिये किया जाये दोनों की कैफ़ियत 291
दूध पिलाने से वही हुर्मत होती है जो नसब से होती है 291
एक या दो बार दूध पिलाने से हुर्मत नहीं होती 292
बड़े आदमी के दूध पीने की कैफ़ियत 292

मज़मून	सफ़ा नम्बर
दूध छूटने के बाद रज़ाअत नहीं होती	293
दूध मर्द की तरफ़ से है	293
आदमी इस्लाम लाये और उसके निकाह में दो बहनें हों तो क्या करे?	293
आदमी इस्लाम लाये और उसकी चार से ज़्यादा बीवियाँ मौजूद हों तो क्या करे?	294
निकाह में शर्त लगाने का बयान	294
मर्द अपनी लौण्डी को आज़ाद करे और फिर उससे निकाह करे	294
गुलाम का निकाह अपने मालिक की बग़ैर इजाज़त (नाजाइज़ है)	295
निकाहे-मुत्आ की मुमानिअत	295
एहराम वाला शख़्स एहराम की हालत में निकाह कर सकता है?	296
कुफ़्व का बयान	296
औरतों में (हुक़ूक़ की) बराबरी का बयान	296
एक औरत अपनी दूसरी सौकन को अपनी बारी दे सकती है	296
निकाह में सिफ़ारिश करना	297
औरतों से मुहब्बत के साथ ज़िन्दगी बसर करना	297
बालों में (दूसरे बालों को जोड़ने वाली) औरतों और गोदकर नील वग़ैरह के निशान लगाने वाली औरतों की कैफ़ियत	299
औरतों से किन दिनों में सुहबत करना अच्छा है?	299
मर्द अपनी बीवी को कुछ देने से पहले सुहबत करे	299
मन्हूस व मुबारक कौनसी चीज़ होती है?	300
एक-दूसरे पर रश्क करने का बयान	300
उस औरत का बयान जिसने अपने नफ़्स को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के वास्ते हिबा कर दिया	301
आदमी अपनी औलाद में शक (न) करे	301
बच्चा हमेशा शौहर का होता है और ज़िना करने वाले के लिये पत्थर हैं	302
मियाँ-बीवी में से कोई पहले मुसलमान हो (तो उनके निकाह का क्या हुक्म है?)	302
दूध पिलाने वाली औरत से सुहबत करना	302
जो औरत अपने शौहर को तकलीफ़ दे, उसका बयान	303
हराम, हलाल को हराम नहीं करता	303

किताबुत्तलाक़

मज़मून	सफ़ा नम्बर
तलाक़ का बयान	304
सुन्नत तलाक़ का बयान	304
हामिला औरत को तलाक़ किस तरह दी जाये?	305
एक ही मर्तबा तीन तलाक़ें देने का बयान	305
हामिल औरत को तलाक़ दी जाये तो बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है (और शौहर रुजूअ नहीं कर सकता)	305
जिस हामिला औरत का शौहर फ़ौत हो गया, उसक इद्दत बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो जायेगी	305
जिस औरत का शौहर फ़ौत हो गया वो इद्दत कहाँ गुज़ारे?	306
क्या औरत इद्दत के ज़माने में घर से बाहर जा सकती है?	306
जिस औरत को तीन तलाक़ें हो तो उसके लिये नफ़्क़ा और सकूनत होगी या नहीं?	307
तलाक़ के वक़्त (बतौर बख़्शिश) औरत को कुछ कपड़ा देना	307
मर्द तलाक़ देने से इंकार करे (और औरत दावा करे)	307
हंसी मज़ाक़ में निकाह कर लेना या तलाक़ देना या रुजूअ कर लेना	308
जिसने दिल में तलाक़ दी और ज़ुबान से ख़ामोश रहा	308
दीवाना, नाबालिग़ और सोये हुए की तलाक़ का बयान	308
ज़बरदस्ती या भूल से तलाक़ देने का बयान	308
निकाह से पहले तलाक़ नहीं होती	308
कौनसे कलिमों से तलाक़ हो जाती है?	309
तलाक़े बाइना का बयान	309
तलाक़ में अपनी औरत को इख़्तियार देना	309
औरतों के लिये ख़ुलअ की कराहत	310
शौहर ने जो औरत को दे दिया है वो ख़ुलअ में वापस ले सकता है	310
ख़ुलअ वाली औरत की इद्दत का बयान	310
ईला का बयान	310
जिहार का बयान	311
जिहार करने वाला कफ़्फ़ारा देने से पहले जिमाअ कर सकता है	312
लिआन का बयान	312
औरत को अपने ऊपर हराम कर लेने का बयान	313
बाँदी की तलाक़ और इद्दत का बयान	314
गुलाम के तलाक़ देने का बयान	315
जो शख़्स बाँदी को तलाक़ दे और फिर उसको ख़रीद ले	315
उम्मे वलद की इद्दत का बयान	315
जिस औरत का शौहर मर गया हो तो ज़ीनत न करे	316
क्या औरत अपने शौहर के अलावा दूसरे का सोग कर सकती है?	316
अगर बाप-बेटे को तलाक़ का हुक्म दे तो उसको मानना चाहिये	316

किताबुल कफ़्फ़ारा

मज़मून	सफ़ा नम्बर
क़समों के कफ़्फ़ारे का बयान	317
ग़ैरुल्लाह की क़सम खाने की मुमानिअत	317
इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन में जाने की मुमानिअत	318
जो शख़्स क़सम खा ले उससे राज़ी हो जाना चाहिये	318
क़सम में इंशाअल्लाह कहने का बयान	318
बुरी बातों का बयान	319
क़सम के कफ़्फ़ारे में कितना खाना खिलाया जाये?	319
कफ़्फ़ारे का खाना औसत दर्जे का हो जो अपने घरवालों को खिलाया जाता है	320
क़सम पर इसरार करने और कफ़्फ़ारा न देने की मुमानिअत	320

मज़मून	सफ़ा नम्बर
अगर कोई क़सम दे तो उसको पूरा करना चाहिये	320
जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो कहने की मुमानिअत का बयान	320
क़सम में तौरिया करना	321
नज़्र की मुमानिअत का बयान	321
गुनाह की बात में नज़्र मानने का बयान	322
किसी शख़्स ने नज़्र मानी लेकिन उसका यक़ीन नहीं किया	322
नज़्र के पूरा करने का बयान	322
कोई फ़ौत हो जाये और उस पर नज़्र हो	323
ऐसी नज़्र मानना जिसमें नेकी और गुनाह दोनों शामिल हों	323

किताबुत्तिजारत

तिजारत के अहकामो मसाइल	324
रोज़ी हासिल करने में मियाना रवी इख़्तियार करना	324
तिजारत में एहतियात का बयान	325
जब इंसान को अल्लाह तआला रोज़ी का कोई ज़रिया दे तो उसको छोड़े नहीं	325
पेशों और हरफ़तों का बयान	325
ज़ख़ीराअंदोज़ी और कालाबाज़ारी करना	326
दम करने की उज्रत लेना	326
क़ुर्आन पढ़ाने की उज्रत वसूल करना	326
कुत्ते की क़ीमत, तवायफ़ की उज्रत, काहिन का नज़राना और नर को मादा पर चढ़ाने की उज्रत लेना सब मना है	327
हज्जाम की उज्रत की कैफ़ियत	327
जिन चीज़ों को बेचना हराम है	327
बैअे मुनाबज़ा और मुलामसा की मुमानिअत	328
कोई शख़्स अपने भाई की बैअ पर बैअ या सौदे पर सौदा न करे	328
बैअे नज्श की मुमानिअत	328
शहरी, देहाती के लिये बैअ न करे	329
बाहर से सामान लाने वाले ताजिरों को (शहर में पहुँचने से पहले) जाकर मिलने की मुमानिअत का बयान	329
ख़रीदो-फ़रोख़्त करने वाले जब तक जुदा न हों उनको इख़्तियार है	329
इख़्तियार की बैअ का बयान	330
बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच इख़्तिलाफ़ हो जाये तो?	330
जो चीज़ पास न हो उसे बेचना मना है और जिसके नुक़्सान की ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर नहीं, उसका नफ़ा लेना मना है	330
जब दो शख़्सों ने किसी चीज़ को ख़रीदा तो वो चीज़ पहले वाले की होगी	330
बैअुल उरबान की मुमानिअत	331
बैअुल हसात और बैअुल ग़रर की मुमानिअत	331
जो चीज़ जानवरों के पेट में है या उनके थनों में हैं, ऐसी चीज़ की और ग़ौताखोर की बैअ की मुमानिअत का बयान	331

मज़मून	सफ़ा नम्बर
नीलामी का बयान	332
बैअ के फ़स्ख़ करने का बयान	332
नर्ख़ (सरकारी तौर पर क़ीमतें) मुक़र्रर करना मना है	332
ख़रीद व फ़रोख़्त में नर्मी से काम लेने का बयान	333
किसी चीज़ का सौदा करना	333
ख़रीद व फ़रोख़्त में क़सम खाने की मुमानिअत	333
खजूर के कलमी दरख़्त के बेचने और मालदार गुलाम के फ़रोख़्त करने का बयान	334
फलों की ख़ूबी ज़ाहिर होने से पहले बैअ की मुमानिअत	334
आइन्दा सालों की फ़स्ल फ़रोख़्त करने का बयान और फ़सल पर आफ़त का आ जाना	335
तोलने में झुकता हुआ तोलना	335
नाप-तोल में पूरा देना	335
धोखा देने की मुमानिअत का बयान	336
अनाज पर क़ब्ज़ा करने से पहले अनाज का फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं	336
ढेर लगाकर फ़रोख़्त करना	336
नापने में बरकत हासिल हुआ करती है	336
बाज़ारों में जाने की कैफ़ियत	337
सुबह के वक़्त में बरकत की उम्मीद की जाती है	337
उस बकरी का बयान जिसके थनों में कई रोज़ का दूध रुका हो	337
फ़ायदा उसी को मिलेगा जो नुक़्सान बर्दाश्त करने का ज़िम्मेदार है	338
लौण्डी, गुलाम के बैअ में वापसी का कब तक इख़्तियार होगा	338
ऐबदार चीज़ को फ़रोख़्त करे तो उसका ऐब बयान कर दे	338
क़ैदियों को अलग करके फ़रोख़्त करने की मुमानिअत	338
गुलाम और लौण्डी ख़रीदने का बयान	339
बैअ सर्फ़ और उन चीज़ों को बैअ जिनमें कमी-ज़्यादती करके बेचना नाजाइज़ है	339
उन लोगों का बयान जो कहते हैं कि मियाद मुअय्यन करके फ़रोख़्त करने में सूद होता है	340
सोने को चाँदी के बदले फ़रोख़्त करने का बयान	340
सोने के बदले चाँदी ख़रीदना और चाँदी के बदले सोना ख़रीदना	341
रुपया, अशर्फ़ियाँ तोड़ने की मुमानिअत	341
तर खजूर को ख़ुश्क खजूर के बदले में फ़रोख़्त करना	341
बैअे मुज़ाबना और बैअे मुहाक़ला का बयान	341
बैअुल अरिय्या यानी अंदाजे से खजूर फ़रोख़्त करने का बयान	341
एक जानवर को दूसरे जानवर के बदले उधार देने की हालत	342
एक जानवर को दो या दो से ज़्यादा के बदले में नक़द बेचने का बयान	342
सूद का गुनाह बहुत बड़ा है	342
मुअय्यन नाप-तोल में एक मुअय्यन मुद्दत के वास्ते बैअ करना	343
जिस चीज़ में सलम करे उसकी जगह दूसरी चीज़ न बदले	343

मज़मून	सफ़ा नम्बर
एक ख़ास दरख़्त की सलम की गई लेकिन उसमें उस साल फल ही न आया तो क्या होगा?	343
जानवर में बैअ सलम करने का बयान	344
शिरकत और मुजारबत का बयान	344
आदमी को अपनी औलाद के माल से क्या लेना जाइज़ है?	344
औरत अपने शौहर के कितने माल में तसर्रुफ़ कर सकती है	345
गुलाम को क्या देना चाहिये और क्या सदक़ा करना चाहिये	345
अगर कोई शख़्स जानवरों के ग़ल्ले पर या बाग़ पर से गुज़रे तो दूध वग़ैरह लेकर खा सकता है या नहीं?	345
मालिक की इजाज़त के बग़ैर जानवरों का दूध लेना मना है	346
मवेशी पालना कैसा है?	347

किताबुल अहकाम

मज़मून	सफ़ा नम्बर
फ़ैसला करने के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल	348
जुल्म करने और रिश्वत लेने की सज़ा	348
जो हाकिम इज्तिहाद करे और फिर हक़ तक पहुँचे (उसके सवाब का बयान)	349
हाकिम को गुस्से की हालत में हुक्म नहीं देना चाहिये	349
पराये माल को झगड़ कर लेने की कैफ़ियत	349
गवाह मुद्दई पर और क़सम मुद्दआ अलैह के ज़िम्मे है	350
उस शख़्स का बयान जो झूठी क़सम खाकर किसी का माल हड़प करे	350
कौनसे हुक़ूक़ पर क़सम खानी चाहिये	350
यहूद व नसारा से किस तरह क़सम ली जाये	351
दो आदमी एक चीज़ का दावा करे और गवाह किसी के पास न हों तो?	351
किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई और फिर उस शख़्स के पास मिली जिसने उसको ख़रीदा हो	351
जानवर जो माल ख़राब कर दें उसका क्या हुक्म है?	351
जो किसी की चीज़ तोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है?	352
अपने पड़ौसी की दीवार में लकड़ियाँ गाड़े तो क्या हुक्म है?	352
अगर लोग रास्ते के नाप-तोल में झगड़ा करे तो (क्या करें)?	353
अपनी ज़मीन में ऐसी इमारत बनाना जिससे पड़ौसी को तकलीफ़ हो	353
जब दो आदमी एक झोंपड़ी का दावा करे	353
क़ब्ज़ा दिलवाने की शर्त लगाना	353
कुर्आ डालकर फ़ैसला करने का बयान	353
क़याफ़ा शनासी का बयान	354
बच्चे को इख़्तियार देना कि माँ-बाप में से जिसको चाहे पसन्द कर ले	354
सुलह का बयान	355
नादान पर माली पाबन्दी लगाना	355
मुफ़्लिस आदमी को दिवालिया क़रार देकर उसका माल बेचकर क़र्ज़ माँगने वालों को अदायगी करना	355
जिसे दिवालिये के पास अपनी चीज़ ज्यों की त्यों मिल जाये (उसका क्या हुक्म है?)	356

किताबुश्शहादात

मज़मून	सफ़ा नम्बर
गवाही के मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल	357
अगर आदमी के पास ऐसी गवाही मौजूद हो जिसका मुतअल्लिक़ा फ़र्द को इल्म न हो	357
क़र्ज़ पर गवाह बनाना	357
उन लोगों का बयान जिनकी गवाही जाइज़ नहीं	358
गवाह और क़सम पर फ़ैसला करने की कैफ़ियत	358
झूठी गवाही का बयान	358

किताबुल हिबा

मज़मून	सफ़ा नम्बर
हिबा के मुताल्लिक अहकामो मसाइल	359
किसी ने अपनी औलाद को कुछ दिया और फिर वापस ले लिया	359
उम्रा का बयान	360
रुक़्बा का बयान	360
हिबा करके वापस लेना	360
वापस तोहफ़ा मिलने की उम्मीद में तोहफ़ा देना	361
औरत का ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अतिय्या देना	361

किताबुस्सदक़ात

मज़मून	सफ़ा नम्बर
सदक़ा व ख़ैरात से मुताल्लिक़ अहकाम	362
सदक़ा की हुई चीज़ बिक रही हो तो क्या सदक़ा देने वाला उसे ख़रीद सकता है?	362
सदक़े में दी हुई चीज़ विरासत में मिल जाये तो क्या हुक्म है?	362
उस शख़्स का बयान जिसने वक़्फ़ किया हो	363
आरियत का बयान	363
अमानत का बयान	363
अमानत की रक़म से तिजारत करके नफ़ा कमाना कैसा है?	363
क़र्ज़ख़्वाह को किसी और से रक़म वसूल करने को कहना	364
ज़मानत का बयान	364
जो शख़्स क़र्ज़ ले और उसकी निय्यत अदा करने की हो	365
जो शख़्स क़र्ज़ ले और अदा करने की निय्यत न हो तो क्या हुक्म है?	365
क़र्ज़ में सख़्ती करने का बयान	365
जो शख़्स क़र्ज़ या छोटे बच्चे छोड़ जाये तो वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे है	365
क़र्ज़दार को मुहताजी की हालत में मुहलत देनी चाहिये	366
मुतालबे में नर्मी इख़्तियार करना और हक़ वसूल करने में	

मज़मून	सफ़ा नम्बर

बुरे कामों से बचना 366
क़र्ज़ अच्छे तरीक़े से अदा करना चाहिये 366
क़र्ज़ख़्वाह को सख़्त बात कहने का हक़ है 367
क़र्ज़ की वजह से क़ैद करना और पीछा करना 367
क़र्ज़ देने का सवाब 368
मय्यित की तरफ़ से क़र्ज़ अदा करने का बयान 368
तीन कामों के लिये क़र्ज़ लेने वाले का क़र्ज़ अल्लाह अदा फ़र्मायेगा 369

किताबुर्रूहून

रहन (गिरवी) रखने के मुताल्लिक़ अहकाम 370
रहन के जानवर पर सवारी करना और उसका दूध पीना 370
रहन रखी हुई चीज़ क़र्ज़ माँगने वाले की मिल्कियत नहीं बन सकती 370
मज़दूरों की मज़दूरी का बयान 370
सिर्फ़ रोटी खिलाने के ऐवज़ में मज़दूर रखना 371
आदमी एक खजूर के बदले एक डोल निकाले और उम्दा खजूर की शर्त लगाये 371
तिहाई या चौथाई पैदावार की ऐवज़ पर खेती करना 372
ज़मीन किराये पर देना 372
ख़ाली ज़मीन को किराये पर रुपयों के बदले में देने की इजाज़त 372
जो खेती करना मकरूह है, उसका बयान 373
तिहाई या चौथाई पैदावार पर बटाई करने की इजाज़त 373
ग़ल्ले के बदले ज़मीन किराये पर देना 374
जो शख़्स दूसरे की ज़मीन में उसकी बग़ैर इजाज़त खेती करे, उसका क्या हुक्म है? 374
अंगूर और खजूर के मामले का बयान 374
दरख़्त में क़लम लगाना 374
तीन चीज़ों में तमाम मुसलमान शरीक हैं 375
नदियाँ और चश्में जागीर के तौर पर देना 375
पानी बेचने की मुमानिअ़त 375
घास बचाने के लिये ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोकने की मुमानिअ़त 376
खेत और बाग़ में पानी लेने का बयान 377
पानी की तक़्सीम का बयान 377
कुओं से मुताल्लिक़ रक़्बा 377
दरख़्त का अहाता कितना होगा? 377
जो शख़्स ज़मीन, बाग़ या मकान बेच दे और दूसरी ज़मीन या मकान न ख़रीदे 377

किताबुश्शुफ़्आ

पड़ौस की वजह से शुफ़्आ का बयान 378
जब ज़मीन के हुदूद मुअय्यन हो जायें तो शुफ़्आ नहीं हो सकता है 378
शुफ़्आ की तलब का बयान 379

मज़मून	सफ़ा नम्बर

किताबुल लुक़्तह

गुमशुदा चीज़ से मुताल्लिक़ अहकाम 380
गिरी पड़ी चीज़ का बयान 380
चूहा जो कुछ बिल से निकाले उसका उठा लेना जाइज़ है 381
जिसे ज़मीन में दफ़न ख़ज़ाना मिले (वो क्या करे?) 381

किताबुल इत्क़

गुलाम आज़ाद करने से मुताल्लिक़ अहकाम 383
उस लौण्डी का बयान जिसके मालिक से औलाद पैदा हो गई हो 383
गुलाम से आज़ादी के मुआहिदे का बयान 384
आज़ाद करने का बयान 384
क़रीबी रिश्ता रखने वाला गुलाम मिल्कियत में आते ही आज़ाद हो जायेगा 385
गुलाम को आज़ाद करते हुए ख़िदमत की शर्त लगाना 385
एक गुलाम चन्द शख़्सों में मुश्तरक हो और एक शख़्स अपना हिस्सा आज़ाद करे 385
जो शख़्स गुलाम आज़ाद करे और उस गुलाम के पास माल हो तो उसका क्या हुक्म है? 385
ज़िनाकार की औलाद की आज़ादी का बयान 386
जो शख़्स मियाँ-बीवी दोनों को आज़ाद करना चाहे 386

किताबुल हुदूद

शरई सज़ाओं से मुताल्लिक़ अहकाम 387
इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाने वाला 387
हदें जारी करना 387
किस पर हद लगना वाजिब नहीं 388
मोमिन की ग़लती पर पर्दा डालना और शक का फ़ायदा देकर हद से बरी कर देना 388
हद से बचाव के लिये सिफ़ारिश करना 389
ज़िना की हद का बयान 389
उस शख़्स का बयान जो अपनी बीवी की बाँदी से सुहबत करे 390
रजम (संगसार) करने का बयान 390
एक यहूदी मर्द और औरत की संगसारी का बयान 391
जो जाहिरी तौर पर बदकार मालूम हो लेकिन जुर्म साबित न हो 391
जो शख़्स क़ौमे लूत वाला अमल करे तो उसकी सज़ा 391
मरहम औरत से नाजाइज़ ताल्लुक़ात क़ायम करने और जानवर से बदकारी करने की सज़ा 392
बाँदियों पर हद क़ायम करना 392
बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाने की सज़ा 392
शराब पीने वाले की सज़ा 393
कई बार शराब पीने की सज़ा 393

मज़मून	सफ़ा नम्बर

बूढ़े और बीमार आदमी पर हद वाजिब हो जाये तो क्या किया जाये? 393
जो किसी मुसलमान पर हथियार उठाये उसका क्या हुक्म है? 394
बग़ावत और फ़साद फैलाने की सज़ा 394
जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में मारा जाये वो शहीद है 394
चोरी की हद का बयान 394
चोर के हाथ काटकर गर्दन में लटका देना 395
चोर के इक़रार का बयान 395
गुलाम अगर चोरी करे तो उसका क्या हुक्म है? 395
ख़यानत करने वाले, लूटमार करने वाले और जेबकतरे का बयान 395
फल या खजूर का गूदा चुराने पर हाथ नहीं काटा जायेगा 396
निगहबानी होते हुए चोरी करना 396
चोर को (जुर्म से इंकार करने की) तल्क़ीन करना 396
उस शख़्स का बयान जिससे कोई काम जबरन करवाया जाये 396
मस्जिद में हद क़ायम करना मना है 397
सज़ा का बयान 397
हद लगाना गुनाह का कफ़्फ़ारा है 397
मर्द अपनी औरत के पास अजनबी मर्द को देखे तो क्या करे? 397
बाप की वफ़ात के बाद सौतेली माँ से निकाह करने वाले की सज़ा 398
अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ़ निस्बत करना या अपने आज़ाद करने वाले के अलावा किसी और को मौला क़रार देना 398
उस शख़्स का बयान जो किसी को उसके क़बीले से बाहर निकाले 399
हिज्ड़ों का बयान 399

किताबुद दिय्यात

दियतों के मुताल्लिक़ अहकाम 400
क्या मोमिन के क़ातिल की तौबा क़ुबूल हो सकती है? 400
मक़्तूल के वारिसों को तीन में से एक चीज़ इख़्तियार करने का हक़ है 401
एक शख़्स अमदन (जानबूझ कर) क़त्ल किया गया और उसके वारिस दियत लेने पर रज़ामन्द हो 402
क़त्ले शिब्हे अमद में दियत देने की कैफ़ियत 402
क़त्ले ख़ता की दियत का बयान 403
क़ातिल की दियत क़बीले वालों पर है, अगर क़बीला न हो तो बैयतुलमाल पर है 403
जो शख़्स मक़्तूल के वारिसों को क़िसास या दियत न लेने दे उसका गुनाह 404
उन उमूर का बयान जिनमें दियत वाजिब नहीं 404
अगर ज़ख़्मी करने वाला क़िसास के बजाय फ़िद्या दे दे 404
पेट के बच्चे की दियत 404
दियत में विरासत जारी होगी 405
काफ़िर की दियत का बयान 405
क़ातिल वारिस नहीं होता 405
औरत की दियत उसके बाप के क़बीले पर वाजिब होगी और मीरास उसकी औलाद को मिलेगी 406
दाँत के क़िसास का बयान 406
दाँतों की दियत का बयान 406
अंगुलियों की दियत का बयान 406
जिस ज़ख़्म से हड्डी जाहिर हो जाये 407
अगर एक शख़्स ने दूसरे को दाँत से काटा और उसके हाथ खींचने पर काटने वाले के दाँत उखड़ जाएँ तो क्या हुक्म है? 407
मुसलमान काफ़िर के बदले क़त्ल नहीं होगा 407
औलाद के क़िसास में बाप को क़त्ल नहीं किया जायेगा 407
आज़ाद शख़्स किसी गुलाम के क़िसास में क़त्ल किया जायेगा या नहीं 408
जिस तरह क़ातिल ने क़त्ल किया उसी तरह से क़िसास लिया जाये 408
तलवार के अलावा किसी और चीज़ से क़िसास न लिया जाये 408
कोई किसी के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं होगा 408
जिन चीज़ों में दियत नहीं 409
क़सामत का बयान 409
कोई शख़्स अपने गुलाम के जिस्म का कोई हिस्सा काटेगा वो गुलाम आज़ाद हो जायेगा 410
सब क़ातिलों में उम्दा लोग वे हैं जो अहले ईमान हैं 410
मुसलमानों के ख़ून बराबर हैं 411
ज़िम्मी काफ़िर के क़त्ल का गुनाह 411
किसी को अमान देकर क़त्ल करने वाले का बयान 411
क़ातिल को माफ़ करने का बयान 411
क़िसास की माफ़ी का बयान 412
हामिला औरत के क़िसास का बयान 412

किताबुल वसाया

वसिय्यत के मुताल्लिक़ अहकाम 413
वसिय्यत करने की तर्ग़ीब 413
वसिय्यत में ज़ुल्म करना कैसा है? 414
ज़िन्दगी में बुख़्ल और मरते वक़्त फ़िज़ूलख़र्ची करने की मुमानिअत 414
तिहाई माल में वसिय्यत करना 415
वारिस के लिये वसिय्यत जाइज़ है 415
जो शख़्स मर जाये और वसिय्यत न करे तो उसकी तरफ़ से सदक़ा करना कैसा है? 416
अल्लाह तआला के इस फ़र्मान का बयान, और जो मुह्ताज हो जाये वो जाइज़ हद तक खा ले 416

किताबुल फ़राइज़

विरासत के मुताल्लिक़ अहकाम 418

मज़मून	सफ़ा नम्बर

औलाद के हिस्सों का बयान 418
दादा के हिस्से का बयान 419
दादी और नानी का बयान 419
कलाला का बयान 419
मुसलमान मुश्रिकों के वारिस नहीं 420
विलाअ की मीरास का बयान 420
क़ातिल की मीरास का बयान 421
ज़विल अरहाम का बयान 421
अम्बात की मीरास का बयान 422
जिसका कोई वारिस न हो 422
औरत तीन शख़्सों का तर्का ले सकती है 422
उस शख़्स का बयान जो इंकार करे कि ये मेरा बच्चा नहीं है 422
बच्चे का दावा करना 423
हक़्क़े विलाअ के बेचने और हिबा करने की मुमानिअत का बयान 423
तर्कों का बांटना 423
जब बच्चा पैदा होकर आवाज़ करे तो उसकी मीरास तक़्सीम की जायेगी जो उसके वारिस लेंगे 423
एक शख़्स दूसरे के हाथ पर मुसलमान हो, उसकी कैफ़ियत 424

किताबुल जिहाद

जिहाद के मुताल्लिक अहकामो मसाइल 425
अल्लाह के रास्ते में सुबह व शाम सफ़र करने का बयान 425
मुजाहिद को सामाने जिहाद मुहैया कराना 426
अल्लाह की राह में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत 426
जिहाद छोड़ने की बुराई 426
जो शख़्स उज़्र की वजह से जिहाद में शरीक न हो सके 427
जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मोर्चाबन्दी करने की फ़ज़ीलत 427
अल्लाह की राह में पहरेदारी और तक्बीर की फ़ज़ीलत 427
जब कूच का हुक्म हो उस वक़्त निकलना चाहिये 428
दरिया के जिहाद की फ़ज़ीलत 428
मुक़ामे दैलम और क़ज़्वीन का बयान 429
माँ-बाप के ज़िन्दा होते हुए जिहाद करना 429
लड़ाई की निय्यत का बयान 430
अल्लाह की राह में घोड़े पालने का सवाब 430
जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब 431
अल्लाह की राह में शहीद होने की फ़ज़ीलत 432
कौन-कौन सी मौत से शहादत का दर्जा मिलने की उम्मीद है 433
हथियार बाँधने का बयान 433
अल्लाह तआला के रास्ते में मदद करने की कैफ़ियत 434
झण्डों का बयान 435
जंग में हरीर और दीबाज़ रेशमी कपड़ों का पहनना कैसा है? 435
लड़ाई में अमामा बाँधने का बयान 435
जिहाद में ख़रीद व फ़रोख़्त करने का बयान 435
मुजाहिदीन को रुख़सत करने के लिये उनके साथ जाना 436
छोटे लश्करों की कैफ़ियत 436
मुश्रिकों के बर्तन में खाना कैसा है? 436
जंग में मुश्रिकों से मदद लेना कैसा है? 437
लड़ाई में धोखा देना दुरुस्त है 437
(जंग के शुरू में) इंफ़िरादी मुक़ाबला और मक़्तूल का ज़ाती सामान 437
शबख़ून और औरतों व बच्चों को क़त्ल करने का बयान 437
दुश्मन के मुल्क में आग लगाने का बयान 438
क़ैदियों को फ़िद्या के तौर पर देना 438
काफ़िरों के क़ब्ज़े में कोई चीज़ पहुँचे फिर उस पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा हो जाये तो क्या हुक्म है? 439
ग़नीमत में चोरी का बयान 439
(तक़्सीम के बाद) अतिया के तौर पर देने का बयान 439
ग़नीमत की तक़्सीम का बयान 440
इमाम (ख़लीफ़ा) का (फ़ौज रवाना करते वक़्त) वसिय्यत करना 440
इमाम की इताअत का बयान 441
अल्लाह की नाफ़र्मानी में इताअत नहीं करनी चाहिये 441
बैअत का बयान 442
बैअत का पूरा करना ज़रूरी है 443
औरतों की बैअत का बयान 443
घुड़दौड़ का बयान 444
दुश्मन के मुल्क में क़ुर्आन ले जाने की मुमानिअत 444
ख़ुमुस की तक़्सीम का बयान 444

किताबुल मनासिक

हज्ज व उमरह के अहकामो मसाइल 445
हज्ज की फ़र्ज़ियत का बयान 445
हज्ज व उमरह की फ़ज़ीलत 446
कजावे पर सवार होकर हज्ज करना 446
हाजी की दुआ की फ़ज़ीलत 446
हज्ज कब फ़र्ज़ होता है? 447
बग़ैर महरम के औरत का हज्ज 447
औरतों का जिहाद हज्ज है 448
मय्यित की तरफ़ से हज्ज करने का बयान 448
ज़िन्दा आदमी की तरफ़ से हज्जे बदल करना जब उसे ख़ुद (हज्ज करने की) ताक़त न हो 448
बच्चे के हज्ज करने का बयान 449
निफ़ास और हैज़ वाली औरत का एहरामे-हज्ज 449
आफ़ाक़ी लोगों के मीक़ात 449

मज़मून	सफ़ा नम्बर
एहराम का बयान	450
लब्बैक कहने की कैफ़ियत	450
बुलन्द आवाज़ से तल्बिया कहने का बयान	451
सुबह से शाम तक तल्बिया ज़ुबान पर जारी रखना	451
एहराम बाँधते वक़्त ख़ुश्बू लगाना	451
मुहरिम को तहबन्द या जूती न मिले तो पायजामा और मौज़े पहन सकता है	451
हालते एहराम में कौनसी बातों से परहेज़ करना चाहिये	452
मुहरिम एहराम की हालत में अपना सर धो सकता है	452
एहराम वाली औरत चेहरे पर कपड़ा लटका सकती है या नहीं?	452
हज्ज में शर्त लगाना जाइज़ है	453
हरम शरीफ़ में दाख़िल होने का बयान	453
हज्रे अस्वद को बोसा देने का बयान	453
छड़ी के साथ हज्रे अस्वद का इस्तलाम करना	454
तवाफ़ में रमल करने का बयान	454
दायाँ कंधा नंगा रखकर एहराम की चादर ओढ़ना	455
हतीम का तवाफ़	455
तवाफ़ की फ़ज़ीलत का बयान	455
तवाफ़े कअ़बा के बाद दो रकअ़त नमाज़ अदा करना	456
मरीज़ सवारी पर सवार होकर तवाफ़ कर सकता है	456
मुल्तज़िम का बयान	457
हाइज़ा औरत तवाफ़ के अ़लावा हज्ज के तमाम अरकान अदा कर सकती है	457
हज्जे-मुफ़रद अदा करना	457
हज्ज और उ़मरह को मिलाकर (एक एहराम के साथ) अदा करना	458
हज्जे-क़िरान वाले के तवाफ़ का बयान	458
हज्जे-तमत्तोअ़ का बयान	459
हज्ज की निय्यत तोड़कर (उ़मरह की निय्यत करना)	459
क्या हज्ज की निय्यत तोड़ने का हुक्म सिर्फ़ सहाबा के लिये था?	460
सफ़ा व मरवा में दौड़ने का बयान	460
उ़मरह का बयान	461
माहे रमज़ान में उ़मरह की फ़ज़ीलत	461
ज़ी क़अ़दह के महीने में उ़मरह करने का बयान	462
रजब के महीने में उ़मरह करने का बयान	462
तन्ईम से उ़मरह का एहराम बाँधने का बयान	462
उस शख़्स का बयान जो बैतुल मक़्दिस से उ़मरह का एहराम बाँधे	463
हुज़ूरे-अकरम (ﷺ) ने कितने उ़मरह किये?	463
मिना जाने का बयान	463
सुबह होते ही मिना से अ़रफ़ात जाने का बयान	463
अ़रफ़ात में ठहरने की जगह	464
अ़रफ़ात में दुआ़ करने का बयान	464
जो शख़्स अ़रफ़ात में दस तारीख़ की सुबह से पहले आये	465
अ़रफ़ात से वापसी का बयान	465
जिस शख़्स को ज़रूरत पेश आये, वो अ़रफ़ात और मुज़दलिफ़ा के बीच रुक सकता है	466
दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ने का बयान	466
मुज़दलिफ़ा में ठहरने का बयान	466
जम्रात की रमी के लिये लोगों से पहले मुज़दलिफ़ा से मिना चले आना	467
जम्रात पर कितनी बड़ी कंकरियाँ मारनी चाहिये	467
जम्र-ए-उ़क़्बा पर कंकरियाँ कहाँ खड़े होकर मारनी चाहिये?	467
जम्र-ए-उ़क़्बा को कंकरियाँ मारकर वहाँ नहीं ठहरना चाहिये	468
उ़ज़्र की वजह से कंकरियाँ मारने में देर हो जाना	468
बच्चों की तरफ़ से कंकरियाँ मारने का बयान	468
हाजी लब्बैक पुकारना कब बन्द करे?	468
जम्र-ए-उ़क़्बा की रमी के बाद आदमी के लिये क्या हलाल हो जाता है?	469
सर मुँडवाने का बयान	469
क़ुर्बानी के जानवर ज़िब्ह करना	470
हज्ज के अरकान भूलकर आगे-पीछे अदा हो जाये तो?	470
अय्यामे तश्रीक़ में जम्रात को रमी करना	470
हज्जतुल विदाअ़ के ख़ुत्बे का बयान	470
तवाफ़े ज़ियारत का बयान	472
ज़मज़म का पानी पीने का बयान	472
कअ़बा के अन्दर जाने का बयान	472
मिना की रातों में मक्का के अन्दर रहने का बयान	473
वादी-ए-मुहस्सब में ठहरना	473
तवाफ़े-विदाअ़ (रुख़्सत होते वक़्त आख़िरी तवाफ़)	473
हैज़ वाली औरत तवाफ़े विदाअ़ से पहले जा सकती है	473
हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के हज्ज का बयान	474
जो किसी उ़ज़्र की वजह से हज्ज से रह जाये वो क्या करे?	477
हज्ज से रह जाने वाले का फ़िद्या	478
एहराम की हालत में पछने लगवाना जाइज़ है	478
एहराम वाला कौनसा तेल लगा सकता है?	478
एहराम वाला फ़ौत हो जाये तो?	478
एहराम की हालत में शिकार करने का कफ़्फ़ारा	479
एहराम वाले को कौनसे जानवर क़त्ल करने की इजाज़त है	479
एहराम वाले को कौनसा शिकार करना मना है?	479
एहराम वाला शिकार का गोश्त तब खा सकता है जब उसके लिये शिकार न किया गया हो	479
क़ुर्बानी के जानवरों को क़लादे पहनाना	480
बकरियों की गर्दनों में पट्टे डालने का बयान	480

मज़मून	सफ़ा नम्बर

ऊँटों के शआर करने का बयान 480
क़ुर्बानी के ऊँटों पर झोल डालना 480
क़ुर्बानी का जानवर नर या मादा (दोनों) जाइज़ है 481
हदिय का जानवर मीक़ात के क़रीबतर मुक़ाम से लेकर जाना 481
हदिय के जानवर पर सवारी करना 481
अगर क़ुर्बानी का जानवर थक जाये (और हरम तक सफ़र के क़ाबिल न रहे) 481
मक्का मुअज़्ज़मा के मकान किराये पर देना 481
मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ीलत 482
मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ीलत 482
कअ़बा के माल का बयान 483
मक्का मुकर्रमा में रमज़ान के रोज़े रखना 483
बारिश में तवाफ़ करना 483
पैदल चल कर हज्ज करना 483

किताबुल अज़ाही

क़ुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल 484
क़ुर्बानी करना वाजिब है या नहीं? 484
क़ुर्बानी का सवाब 485
कौनसे जानवर की क़ुर्बानी मुस्तहब है? 485
ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ़ से काफ़ी हो सकते हैं? 486
एक ऊँट कितनी बकरियों के बराबर होता है? 486
किस उम्र के जानवर की क़ुर्बानी दुरुस्त है? 486
किस जानवर की क़ुर्बानी मकरूह है? 487
क़ुर्बानी के जानवर में ख़रीदने के बाद ऐब पैदा हो जाये तो? 487
तमाम घरवालों की तरफ़ से एक बकरी की क़ुर्बानी काफ़ी है 488
जो क़ुर्बानी का इरादा रखता हो उसे (ज़िल्हिज्जह के पहले) दस दिनों में बाल और नाख़ून नहीं काटने चाहिये 488
नमाज़े ईद से पहले क़ुर्बानी करना मना है 488
क़ुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िब्ह करना बेहतर है 489
क़ुर्बानी की खालों का बयान 489
क़ुर्बानियों के गोश्त में से खाने का बयान 489
क़ुर्बानी का गोश्त जमा करने का बयान 489
ईदगाह में जानवर ज़िब्ह करना 489

किताबुज़्ज़बाइह

अक़ीक़ा का बयान 490
फ़रआ़ और अतीरा का बयान 490
जब ज़िब्ह करे तो अच्छे अंदाज़ से ज़िब्ह करे 491
किस-किस चीज़ से ज़िब्ह करना जाइज़ है 491
खाल उतारना 492

मज़मून	सफ़ा नम्बर

दूध वाले जानवर ज़िब्ह करने की मुमानिअ़त 492
औरत का ज़बीहा खाने में कोई हर्ज नहीं 492
भाग निकलने वाले जानवर को ज़िब्ह करने का तरीक़ा 493
जानवर को बाँधकर क़त्ल करने और उनकी शक्ल बिगाड़ने की मुमानिअ़त का बयान 493
गन्दगी खाने वाले जानवर का गोश्त खाने की मुमानिअ़त का बयान 493
घोड़ों के गोश्त का बयान 493
शहरी गधों का गोश्त खाना कैसा है? 493
खच्चर के गोश्त का बयान 494
पेट के बच्चे का ज़िब्ह होना उसकी माँ का ज़िब्ह होना है 494

किताबुस्सैद

शिकार के मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल 495
खेत या मवेशियों की हिफ़ाज़त करने वाले शिकारी कुत्तों के अलावा दूसरे कुत्ते रखने मना है 495
कुत्ते का किया हुआ शिकार 496
मजूसी के कुत्ते का किया हुआ शिकार और बिल्कुल काले कुत्ते का हुक्म 496
तीर व कमान से शिकार करना 496
अगर शिकार एक रात के बाद मिले तो क्या हुक्म है? 497
मिअ़राज़ से शिकार करना 497
ज़िन्दा जानवर के जिस्म से काटे हुए गोश्त का हुक्म 497
मछली और टिड्डी के शिकार का बयान 497
कौनसे जानवरों का मारना मना है? 498
कंकरियाँ फेंकने की मुमानिअ़त 498
गिरगिट के क़त्ल करने का बयान 499
फाड़ने वाले दरिन्दे का खाना मना है 499
भेड़िये और लोमड़ी का बयान 499
लकड़भगे का बयान 500
साण्डे का बयान 500
खरगोश का बयान 501
समन्दर का शिकार मरकर पानी पर तैर आये तो क्या हुक्म है? 501
कौए का बयान 501
बिल्ली का बयान 502

किताबुत्तआ़म

खानों के मुताल्लिक अहकामो मसाइल 503
एक शख़्स का खाना दो के लिये काफ़ी हो जाता है 503
मोमिन एक आँत में और काफ़िर सात आँतों में खाता है 504
खाने में ऐब निकालना मना है 504
खाना खाते वक़्त वुज़ू करना 504

मज़मून	सफ़ा नम्बर
तकिया लगाकर खाना खाने की मुमानिअ़त	504
खाना खाते वक़्त बिस्मिल्लाह कहने का बयान	504
दाहिने हाथ से खाना खाना चाहिये	505
खाना खाने के बाद अंगुलियाँ चाटने का बयान	505
खाना खाकर बर्तन को साफ़ करना	505
खाना अपने सामने से खाना चाहिये	506
सरीद के ऊपर (दरम्यान) से खाना मना है	506
अगर निवाला हाथ से गिर जाये तो क्या करे?	506
सरीद की फ़ज़ीलत का बयान	507
खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करना	507
जब खाना खाकर फ़ारिग़ हो जाये तो क्या पढ़े?	5[illegible]
एक साथ बैठकर खाना खाने का बयान	507
खाने में फूंकने का बयान	508
जब ख़ादिम खाना पकाकर लाये तो उसमें से थोड़ा उसको भी दे देना चाहिये	508
मेज या दस्तरख़्वान पर खाना खाने का बयान	508
खाना उठाये जाने से पहले उठना और लोगों के फ़ारिग़ होने से पहले हाथ रोक लेने की मुमानिअ़त का बयान	508
हाथ में (खाने की) चिकनाई की बू हो तो (बग़ैर हाथ धोये) सो जाना मना है	509
खाना खाने की पेशकश करना	509
मस्जिद में खाना खाने का बयान	509
खड़े होकर खाने का बयान	509
कद्दू का बयान	509
गोश्त का बयान	510
सबसे उ़म्दा गोश्त	510
सुखाये हुए गोश्त का बयान	511
कलेजी और तिल्ली खाने का बयान	511
नमक का बयान	511
सिरके से रोटी खाना	511
ज़ैतून का तेल	511
दूध का बयान	512
मीठी चीज़ का बयान	512
ककड़ी और ताज़ा खजूर मिलाकर खाना	512
खजूर का बयान	512
फ़सल के पहले फल का बयान	513
ताज़ा पकी हुई खजूर सूखी खजूर के साथ खाना	513
साथियों की मौजूदगी में दो खजूरें मिलाकर खाना मना है	513
खजूरें तल[illegible] करके खाना	513
मक्खन के साथ खजूरें खाना	513
मैदे का बयान	513
पतली चपाती का बयान	514
फ़ालूदा का बयान	514
पराठों का बयान	514
गेंहू की रोटी	515
जौ की रोटी	515
खाने में सादगी इख़्तियार करना और पेट भरकर खाने की मुमानिअ़त का बयान	515
नफ़्स जिस चीज़ की ख़्वाहिश करे उस चीज़ का खाना भी फ़िज़ूलख़र्ची है	516
खाना फेंकने की मुमानिअ़त	516
भूख से पनाह माँगना	516
रात का खाना छोड़ देना	516
मेहमान नवाज़ी का बयान	516
जब मेहमान मेजबान के यहाँ कोई ख़िलाफ़े शरअ़ काम देखे तो (खान[illegible] खाये बग़ैर) वापस लौट जाये	517
गोश्त और घी मिलाकर खाना	517
जब कोई गोश्त पकाये त[illegible] शोरबा ज़्यादा करे	517
प्याज़, लहसुन वग़ैरह खाने का बयान	517
पनीर और घी का बयान	518
फल खाने का बयान	518
लेटकर खाने की मुमानिअ़त का बयान	518

किताबुल अश्रिबह

मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल	519
शराब हर बुराई की जड़ है	519
जो शख़्स दुनिया में शराब पीयेगा वो आख़िरत में (जन्नत की) शराब न पी सकेगा	519
हमेशा शराब पीने वाला	519
शराबी की नमाज़ नहीं होती	520
शराब किस चीज़ से बनती है?	520
शराब में दस तरह पर लअ़नत है	520
शराब की तिजारत का बयान	520
आख़िरी ज़माने में शराब का दूसरा नाम रख लिया जायेगा	521
हर नशे वाली चीज़ हराम है	521
जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार से नशा आये, उसकी थोड़ी मिक़्दार भी हराम है	521
दो चीज़ें मिलाकर बनाई हुई नबीज़ की मुमानिअ़त	521
नबीज़ बनाने और पीने की कैफ़ियत	522
शराब के बर्तनों में नबीज़ बनाने की मुमानिअ़त का बयान	522
इन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त	522
मटके में बनी हुई नबीज़	523

मज़मून	सफ़ा नम्बर
बर्तन को ढंक कर रखना चाहिये	523
चाँदी के बर्तन में पीने का बयान	523
तीन साँस में पानी पीना	524
मश्कों का मुँह उलट कर पानी पीना	524
मश्क से मुँह लगाकर पानी पीने का बयान	524
खड़े होकर पानी पीने का बयान	524
पानी (या कोई और चीज़) पीकर अपने दायीं तरफ़ वाले को दे	525
पानी के बर्तन में साँस लेने का बयान	525
पानी में फूंकने का बयान	525
चुल्लू से पीना और मुँह लगाकर पीना	525
जो शख़्स दूसरों को पिलाये उसको ख़ुद सबसे आख़िर में पीना चाहिये	526
गिलास में पीने का बयान	526

किताबुत-तिब्ब

मज़मून	सफ़ा नम्बर
इलाज के मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल	527
अगर बीमार किसी चीज़ की ख़्वाहिश करे	527
परहेज़ का बयान	528
बीमार को खाना खाने पर मजबूर न करें	528
तल्बीना का बयान	528
काला दाना (कलौंजी)	529
शहद का बयान	529
खुम्बी और अज्वा खजूर	529
सोनामुखी और सन्नूत	530
नमाज़ शिफ़ा है	530
नापाक और ख़बीस दवाओं से इलाज का बयान	530
क़ब्ज़ तोड़ने वाली दवा का इस्तेमाल जाइज़ है	530
गला पड़ने का इलाज और (अंगुली) से दबाने की मुमानिअत	530
अनक़ुन्निसा का इलाज	531
ज़ख़्म का बयान	531
जो शख़्स इलाज करना न जानता हो और वो किसी का इलाज करे?	531
ज़ातिल जनब का इलाज	531
बुख़ार का बयान	532
बुख़ार जहन्नम की भाप है, उसको पानी से ठण्डा किया करो	532
पछना लगाने का बयान	532
जिस्म के किस हिस्से पर पछने लगवाने चाहिये	533
कौनसे दिनों में पछने लगवाने चाहिये	533
दाग़ने का बयान	534
जो लोग दाग़ देना जाइज़ समझते हैं, उनकी दलील	534
इस्मिद सुरमे का इस्तेमाल	535
ताक़ अदद में सुरमा लगाने का बयान	535
शराब से इलाज करने की मुमानिअत	535
क़ुर्आन से इलाज करने का बयान	535
मेहन्दी का बयान	535
ऊँट के पेशाब का बयान	535
अगर बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो क्या हुक्म है?	536
नज़र का बयान	536
नज़र का दम कराना	536
जो दम जाइज़ है	537
साँप और बिच्छू का दम	537
नबी करीम (ﷺ) ने जो दम किया और जो दम आप पर किया गया	537
बुख़ार का दम	538
दुआ पढ़कर फूंक मारना	539
तावीज़ लटकाना कैसा है?	539
आसेब (और जिन्न) के असर का इलाज	540
क़ुर्आन मजीद से शिफ़ा हासिल करना	540
दो धारी वाला साँप मार डालना चाहिये	540
नेक फ़ाल लेना अच्छा है और बदफ़ाली लेने की मुमानिअत है	540
कोढ़ का मर्ज़	541
जादू का बयान	541
घबराहट और नींद के उचाट होने का बयान और उसकी दुआ	542

किताबुल लिबास

मज़मून	सफ़ा नम्बर
लिबास के मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल	543
जब कोई नया लिबास पहले तो क्या कहे?	544
जो लिबास (शरअन) मना है	544
ऊन का लिबास पहनना	544
सफ़ेद कपड़ों का बयान	545
तकब्बुर की वजह से कपड़े लटकाना	545
पाजामा कहाँ तक होना चाहिये	545
क़मीस पहनने का बयान	546
क़मीस कितनी लम्बी होनी चाहिये	546
क़मीस की आस्तीन कितनी लम्बी होनी चाहिये	546
क़मीस के बटन खुले रखना	546
पाजामा पहनने का बयान	546
औरतों का दामन कितना लम्बा होना चाहिये	547
काले अमामे का बयान	547
अमामे का शम्ला दोनों कंधों के दरम्यान पीठ पर होना चाहिये	547
रेशमी कपड़े पहनने की मुमानिअत का बयान	547
किस शख़्स को रेशम पहनने की इजाज़त है	548
अगर रेशम की गोट लगी हो तो इजाज़त है	548
औरतों का सोना और रेशम पहनने की इजाज़त का बयान	548

मज़मून	सफ़ा नम्बर
मर्दों के लिये सुर्ख़ लिबास पहनना जाइज़ है	549
मर्दों के लिये कुसुम से रंगा कपड़ा पहनना मकरूह है	549
मर्दों के लिये ज़र्द रंग कैसा है?	549
हर वो लिबास पहन सकते हैं जिसमें फ़िज़लूख़र्ची और तकब्बुर न हो	549
शोहरत व नामवरी के लिये कपड़े पहनना	550
मरे हुए जानवर की रंगी हुई खाल पहनना	550
उन लोगों की दलील जो मुर्दार की खाल और पुट्ठे से फ़ायदा उठाने से मना करते हैं	550
हुज़ूर (ﷺ) के नअलैन मुबारक	550
जूते पहनने और उतारने का बयान	551
एक पाँव में जूता पहनकर चलने का बयान	551
खड़े होकर जूता पहनना	551
काले मोज़े पहनना कैसा है?	551
मेहन्दी का ख़िज़ाब करना कैसा है?	551
काले रंग का ख़िज़ाब करने की कैफ़ियत	551
ज़र्द रंग का ख़िज़ाब करने का बयान	552
ख़िज़ाब तर्क करना (जाइज़ है)	552
लम्बे बाल रखना और चोटियाँ बनाना	552
ज़्यादा लम्बे बाल रखना मकरूह है	553
क़ज़अ की मुमानिअत का बयान	553
अंगूठी का नक़्श	553
सोने की अंगूठी की मुमानिअत	554
पहनने के वक़्त अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ रखना	554
दाहिने हाथ में अंगूठी पहनना	554
अंगूठे में अंगूठी पहनना	554
घर में तस्वीर लगाना	554
पाँवों के नीचे अपने वाले कपड़े में तस्वीरें हो तो क्या हुक्म है?	555
सुर्ख़ ज़ीनपोश	555
चीते की खाल पर सवार होना	555

किताबुल अदब

मज़मून	सफ़ा नम्बर
अख़्लाक़ और आदाब का बयान	556
वाल्दैन के क़राबतदारों से सिलह रहमी का बयान	557
वाल्दैन का औलाद से भलाई करने का बयान	557
पड़ौसी का हक़	558
मेहमान का हक़	558
यतीम का हक़	558
रास्ते से तक्लीफ़देह चीज़ को हटाना	559
पानी के सदक़े की फ़ज़ीलत	559
नर्मी करने का बयान	560
लौण्डी गुलामों के साथ एहसान करने वाला	560
सलाम को आम करने का हुक्म	560
सलाम का जवाब देना	561
ज़िम्मी काफ़िरों के सलाम का जवाब	561
बच्चों और औरतों को सलाम करने का बयान	561
मुसाफ़ा करने का बयान	561
एक आदमी का दूसरे आदमी के हाथ को बोसा देने का बयान	562
अन्दर जाने से पहले इजाज़त माँगना	562
आदमी का मिजाज़पुर्सी का बयान	562
जब तुम्हारे पास किसी क़ौम का इज़्ज़त आदमी आये तो उसकी इज़्ज़त करो	563
जिसे छींक आये, उसे दुआ देना	563
हम मज्लिस की इज़्ज़त करना	563
मज्लिस से उठकर जाने वाला वापस आकर उसी जगह पर बैठने का ज़्यादा हक़ रखता है	563
मुअज़रत करने का बयान	564
मज़ाक़ का बयान	564
सफ़ेद बाल उखाड़ना कैसा है?	564
कुछ साये और कुछ धूप में बैठने का बयान	564
मुँह के बल लेटने की मुमानिअत का बयान	565
इल्मे नुजूम सीखना कैसा है?	565
हवा को बुरा कहने की मुमानिअत	565
अल्लाह तआला को कौनसे नाम पसन्द हैं?	565
कौनसे नाम रखना मक्रूह हैं?	565
नाम तब्दील करना	566
हुज़ूर (ﷺ) का नाम और कुन्नियत दोनों रखना	566
औलाद होने से पहले कुन्नियत रखना	566
बुरे नाम रखना	566
ख़ुशामद करने का बयान	567
जिससे मश्वरा लिया जाये वो शख़्स अमानतदारी से काम लें	567
हम्माम में जाने का बयान	567
बाल सफ़ा पाउडर लगाना	568
वअज के तौर पर वाक़िआत बयान करना	568
शेअरो-शायरी का बयान	568
ख़िलाफ़े शरअ अश्आर का बयान	568
चौसर खेलने का बयान	569
कबूतरबाज़ी का बयान	569
तन्हाई की मज़म्मत	569
सोते वक़्त आग बुझा देना चाहिये	569
रास्ते पर पड़ाव डालने की मुमानिअत	570
जानवर पर तीन आदमियों का सवार होना	570
ख़त लिखकर उस पर मिट्टी डालना	570

मज़मून	सफ़ा नम्बर

दो आदमी तीसरे को छोड़कर कानाफूसी न करें 570
जिसके पास तीर हो उसे चाहिये कि उसका फल पकड़कर रखे 570
क़ुर्आन मजीद पढ़ने का बयान 570
अल्लाह के ज़िक्र की फ़ज़ीलत 572
ला इलाह इल्लल्लाह की फ़ज़ीलत 572
अल्लाह की तारीफ़ करने वालों की फ़ज़ीलत 574
सुब्हानल्लाह कहने की फ़ज़ीलत 575
इस्तिग़फ़ार करना 576
नेक अ़मल की फ़ज़ीलत 576
ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह की फ़ज़ीलत 577

किताबुद्दुआ

दुआ से मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल 578
रसूलुल्लाह (ﷺ) की दुआओं का बयान 578
रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिन चीज़ों से पनाह माँगी 580
जामेअ़ दुआओं का बयान 581
माफ़ी और आफ़ियत की दुआ 582
दुआ माँगते वक़्त पहले अपने लिये दुआ करे 583
बन्दे की दुआ क़ुबूल होती है जब जल्दबाजी न करे 583
ये कहना जाइज़ नहीं कि ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे बख़्श दे 583
अल्लाह तआ़ला के अ़ज़ीम तरीन नाम (इस्मे आ़ज़म) का बयान 583
अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल के नामों का बयान 585
माँ-बाप और मज़्लूम की दुआ का बयान 586
दुआ में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिये 586
दुआ के लिये हाथ उठाना 586
सुबह-शाम आदमी को क्या दुआ करनी चाहिये 587
बिस्तर पर (सोने के लिये) जाते वक़्त की दुआ 588
रात को आँख खुले तो क्या दुआ पढ़े 589
सख़्ती और तक्लीफ़ के वक़्त की दुआ 590
घर से निकलते वक़्त पढ़ने की दुआ 590
घर में जाते वक़्त क्या दुआ पढ़े 591
बादल और बारिश देखकर कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये 591
किसी मुसीबतज़दा शख़्स को देखकर कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये 591

किताबुत्तअ़बीर

ख़्वाबों की तअ़बीर का बयान 593
ख़्वाब में नबी (ﷺ) को देखना 594
ख़्वाब तीन तरह का होता है 594
जो शख़्स बुरा ख़्वाब देखे 594
शैतान जिससे ख़्वाब में शरारत करे उसे चाहिये कि वो ख़्वाब लोगों से न बताएँ 595
ख़्वाब की जैसी ताबीर की जाये वो वाक़ेअ़ हो जाती है 595
ख़्वाब की ताबीर किस तरह देनी चाहिये? 595
झूठे ख़्वाब का बयान 595
आदमी जितना सच्चा होगा, उसका ख़्वाब भी उतना ही सच्चा होगा 596
ख़्वाबों की तअ़बीर 596

किताबुल फ़ितन

फ़ित्ना व आज़माइश से मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल 599
मोमिन की जान व माल की हुर्मत का बयान 600
लूटने की मुमानिअ़त का बयान 601
मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ और क़त्ल करना कुफ़्र है 601
हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे बाद आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफ़िर न हो जाना 601
मुसलमान अल्लाह की पनाह में है 602
अस्बिय्यत का बयान 602
बड़ी जमाअ़त की इत्तिबाअ़ करने का बयान 602
मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होने वाले फ़ित्नों का बयान 602
फ़ित्नों के वक़्त साबित क़दम रहना 604
दो मुसलमानों का तलवार लेकर एक दूसरे के मुक़ाबले में आ जाना 606
फ़ित्ने में ज़बान बन्द रखना 606
शक वाला काम करने से रुक जाना 609
इस्लाम शुरू में अजनबी था 609
किस शख़्स को फ़ित्नों से अलग रहने की उम्मीद है 610
उम्मतों का फ़िर्क़ों में तक़्सीम हो जाना 610
माल का फ़ित्ना 610
औरतों के फ़ित्ने का बयान 611
नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना 612
फ़र्माने इलाही, मोमिनों! अपनी जानें बचाओ! का मतलब 614
सज़ाओं का बयान 615
मुसीबत पर सब्र करना 616
ज़माने की सख़्ती का बयान 618
क़यामत की निशानियों का बयान 619
क़ुर्आन व इल्म का उठ जाना 620
दयानतदारी का ख़त्म हो जाना 621
(क़यामत की बड़ी) निशानियाँ 622
ज़मीन में धँस जाने के वाक़िआत 622
मक़ामे बैदाअ का लश्कर 623
दाब्बतुल अ़र्ज़ का बयान 623
सूरज का मग़्रिब से तुलूअ़ होने का बयान 624
दज्जाल का फ़ित्ना, हज़रत ईसा (अ़लैहि.) का नुज़ूल

मज़मून	सफ़ा नम्बर
और याजूज व माजूज का ज़ुहूर	624
इमाम मेहदी (अलैहि.) का ज़ुहूर	631
बड़ी-बड़ी जंगों का बयान	632
तुर्कों का बयान	633
किताबुज़्ज़ुहद	
ज़ुह्द से मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल	634
दुनिया की फ़िक्र करना	635
दुनिया की मिसाल	635
जिस शख़्स को अहमिय्यत नहीं दी जाती	636
नादारों के मक़ामो मर्तबे का बयान	637
तंगदस्ती की फ़ज़ीलत	637
ग़रीबों के साथ बैठना	638
दौलतमंदों का बयान	639
क़नाअत का बयान	640
आले मुहम्मद (ﷺ) की मईशत का बयान	641
आले मुहम्मद (ﷺ) के घरवालों के बिस्तर	642
नबी करीम (ﷺ) के सहाबा की मईशत का बयान	642
इमारतों का बनाना कैसा है?	543
तवक्कल और यक़ीन का बयान	644
हिक्मत का बयान	644
तकब्बुर छोड़ने और तवाज़ोअ इख़्तियार करने का बयान	645
हया का बयान	646

मज़मून	सफ़ा नम्बर
तहम्मुल का बयान	646
ग़म और रोने का बयान	647
आमाल को (ग़ैर मक़्बूल होने से) महफ़ूज़ करना	648
दिखावे और शोहरत का बयान	648
हसद का बयान	649
ज़ुल्म व ज़्यादती का बयान	649
तक़्वा और परहेज़गारी का बयान	650
लोगों की तारीफ़ करना कैसा है?	650
निय्यत का बयान	651
इंसान की आरज़ू और उम्र का बयान	652
नेक अमल पर हमेशगी इख़्तियार करने का बयान	653
गुनाहों का बयान	653
तौबा का बयान	654
मौत की याद और उसके लिये तैयारी	656
क़ब्र और जिस्म के सड़-गल जाने का बयान	657
हश्र का बयान	658
उम्मते मुहम्मदी की सिफ़ात	660
क़यामत के दिन अल्लाह तआला की रहमत की उम्मीद	661
हौज़े कौसर का बयान	663
शफ़ाअत का बयान	664
जहन्नम का बयान	666
जन्नत का बयान	668
मुनाज़ात (दुआएँ)	671

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

हर्फ़े-आग़ाज़
(पेश लफ़्ज़)

दीने इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए-हयात है, ज़िन्दगी के तमाम शोअ़बों में हमारी रहनुमाई करता है और उसकी दो असल और दो बुनियादें जो मस्दर शरीअ़त और दीन का सर चश्मा है, एक किताबुल्लाह और दूसरी सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ)। यही मुस्तक़िल हुज्जत और तशरीई असल हैं और यही हमारे लिये मश्अ़ले राह हैं। इन दोनों सरचश्मों से फ़ैज़याब न होना ज़लालत व जहालत के मुतरादिफ़ है। क़ुर्आन मजीद में इताअ़ते रसूल को इताअ़ते अल्लाह क़रार दिया गया है और रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुख़ालिफ़त करने वालों को मल्ऊन व मग़्ज़ूब क़रार दिया है। इसलिये हमारे लिये ये निहायत ज़रूरी है कि ऊलुल-अज़्मी और साबित क़दमी के साथ सिराते मुस्तक़ीम को अपनायें और रसूले गिरामी के इर्शादात और फ़र्मूदात को हिरज़े जाँ बनायें।

इसलिये मुहद्दिसीने किराम ने अहादीसे रसूल (ﷺ) को निहायत तहक़ीक़ व तदक़ीक़ और इन्तिहाई एहतियात से मुख़्तलिफ़ किताबों में मुदव्वन किया और हर दौर में ऐसे मुख़्लिस लोग मौजूद रहें जिन्होंने हदीस के क़ीमती जवाहिरात सीनों से लगाया और उम्र अ़ज़ीज़ के क़ीमती लम्हात ख़िदमते-हदीस के लिये वक़्फ़ कर दिये।

इन्हीं मुख़्लिसीन में **हाफ़िज़ अबू अ़ब्दुल्लाह मुहम्मद बिन यज़ीद इब्ने माजह** का भी नाम है जिन्होंने चार हज़ार 4000 हदीसों की एक सुनन जमा की जो डेढ़ हज़ार अबवाब पर मुश्तमिल और 32 किताबों से मुरक्कब है। आपने इसका नाम **सुनन इब्ने माजह** रखा। आपके बारे में अ़ल्लामा इब्ने ख़लकान ने अपनी किताब **वफ़यातु अलयान** में फ़र्माया, वो फन्ने-हदीस में इमाम का दर्जा रखते हैं और उलूमे-हदीस और मुताल्लिक़ाते हदीस के आ़लिम थे। इब्ने माजह हदीस की उन छः मशहूर किताबों में से है जिनको सिहाहे सित्तह के नाम से जाना जाता है और ये किताब अपने अंदर एक ऐसी अहम ख़ूबी रखती है जिससे दूसरी किताबें ख़ाली हैं। वो ये कि इस किताब में ऐसी अहादीस मौजूद हैं जिनसे सिहाहे सित्तह की दूसरी किताबें यकसर ख़ाली हैं। इस बिना पर इसकी इफ़ादियत उन किताबों से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। **सहाबा किराम में हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) का ये मामूल था कि वो आम तौर पर ऐसी हदीसें बयान करते जो औरों को मालूम न होती थीं।** (इब्ने माजा बाबुनही अन अल्ख़लाई अ़ला क़ारिअ़तुत्तरीक़) गोया साहिबे इब्ने माजह (रह.) का ये तर्ज़े अ़मल हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) की इत्तिबाअ़ पर मबनी है। ये इमाम मौसूफ़ का ख़ुलूस ही है कि जब से ये किताब मंज़रे आ़म पर आई उस ज़माने से आज तक बिला तफ़रीक़ यकसाँ मक़्बूल रही और सभी ने अपनी किताब में इसको शामिल किया और

ताक़यामत इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। हक़ तो ये है कि सिहाहे-सित्तह जब से मन्ज़रे-आम पर आईं, उसी दिन से यक्साँ मक़बूल रहीं और तमाम मकातिबे-फ़िक्र ने इन तमाम किताबों को अपने-अपने निसाब में दाख़िल किया और आज तक दाख़िल है। जहाँ तक सहीहैन की बात है, इनकी तमाम अहादीस सनद के ऐतबार से बिल्कुल सही है और इस पर तमाम उलम-ए-उम्मत का इत्तेफ़ाक़ है। अगर किसी की तरफ़ से इन्फ़िरादी ऐतराज़ भी हुआ तो उसका तसल्लीबख़्श जवाब भी दिया जा चुका है। फ़लिल्लाहिल्हम्द! रही सुनने अरबाअ, तो उनकी भी मक़बूलियत मुसल्लम है और ये तमाम कुतुबे-अहादीस मराजेअ की हैसियत रखती हैं। और उनकी मक़बूलियत यक्साँ ख़ास व आम हैं। रही उनकी ज़ईफ़ अहादीस तो अक्सर लोगों ने उनकी वजअ-ए-ज़ुअफ़ को वाज़ेह कर दिया है। फिर ये कोई ऐब नहीं जिसकी वजह से तमाम ख़ूबियों का इन्कार किया जा सके।

सुनन इब्ने माजह मुख़्तसर किताब होने के बावजूद इबादात मामलात, अहकामात वग़ैरह के मसाइल पर पूरी मुहीत है। इसकी इफ़ादियत मुसल्लम होने की वजह से जमाअत के ज़िम्मेदारान ने इसके हिन्दी तर्जुमे का बेड़ा उठाया और अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये काम पूरा भी हो गया। **अल्हम्दुलिल्लाह! सिहाहे सित्ता के सिलसिले की पहली किताब सहीह बुख़ारी हिन्दी तर्जुमा मअ तशरीह आठ जिल्दों में शाए होकर मन्ज़रे आम पर आ चुकी है। अब सिहाहे सित्ता के सुनहरे सिलसिले की आख़िरी कड़ी सुनन इब्ने माजह कामिल (हिन्दी) आपके हाथों मे है।** ये किताब ऊर्दू में आज से 40 साल पहले जोधपुर से शाए हुई थी। इसका आसान ऊर्दू तर्जुमा मशहूर आलिमे दीन **मौलाना हाफ़िज़ अब्दुल ग़फ़्फ़ार सल्फ़ी (रह.)** ने किया था। इसी तर्जुमे को हिन्दी ज़बान के मुताबिक़ ही ढाला गया है और अहादीस की तख़रीज का काम **मौलाना जमशेद सल्फ़ी** ने इन्तिहाई मेहनत व मशक़्क़त से अंजाम दिया है। मौलाना मौसूफ़ ने दारुल उलम सल्फ़िया बनारस से तख़रीज के मौज़ूअ पर अहम मक़ाला सुपुर्द करके फ़ज़ीलत की डिग्री हासिल की थी। मौलाना जमशेद ने ये मक़ाला शैख़ अब्दुल्लाह मक्की की निगरानी में तैयार किया था।

ये किताब बाज़ौक़ क़ारेईन के लिये एक अनमोल और बेशबहा तौहफ़ा है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर बेहतरीन रहनुमा है। इसलिये साहिबे ख़ैर हज़रात इसके इशाअती फण्ड पर ख़ुसूसी तवज्जह दें और हक़ हलाल की गाढ़ी कमाई का नज़्राना पेश करके अपना बेहतरीन सदक़-ए-जारिया बनायें। और इस किताब की इशाअत में जिन अहबाब ने अपनी ख़िदमात पेश की है हम अल्लाह तआला से उम्मीद रखते हैं और दुआ गौ भी है कि ख़िदमते हदीस के सिले में उन्हें उन लोगों में शामिल फ़र्माये जिनके बारे में नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, **अल्लाह तआला उस आदमी को तरो ताज़ा व शादाब रखे जिसने मेरे फ़र्मान को सुना फिर उसे याद किया और इसी तरह आगे बयान कर दिया।** (सुनन अबी दाऊद : 3660/सुनन तिर्मिज़ी 2656)

और इसी तरह उन अहबाब का साया सेहत व सलामती के साथ जमाअत पर क़ायम व दायम रखे जिनकी रहनुमाई से ये काम अंजाम पा रहा है। अल्लाह हमारी नेक ख़्वाहिशात को पूरा करे और इस किताब को मुफ़ीदे आम बनाये। अल्लाह हम सब के लिये ज़ख़ीर-ए-आख़िरत बनायें। आमीन!

ख़ैर अंदेश :

अबुल कलाम सनाउल्लाह फ़ैज़ी

उस्ताद दारुल उलूम अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

तआरुफ़े-किताब

तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं जिसने क़ुर्आन करीम नाज़िल फ़र्माकर सारी इन्सानियत पर एहसान किया और क़यामत के दिन तक सीनों और किताबों में इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया और सय्यदुल मुरसलीन (ﷺ) की सुन्नत (अहादीस की हिफ़ाज़त) का भी इंतिज़ाम फ़र्माया। दरूद व सलाम हो हमारे आक़ा और हमारे नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर कि आपने क़ुर्आन हकीम को वाज़ेह और रोशन उस्लूब के साथ अपने अफ़आल व अक़वाल और तक़रीरात के ज़रिये बयान फ़र्माया। हम राज़ी हैं और अल्लाह तआला राज़ी हो उन सहाबा किराम (रज़ि.) से जिन्होंने नबी करीम (ﷺ) से अहादीसे नबवियह को हासिल किया, उन्हें महफ़ूज़ किया और तहरीफ़ व तब्दीली के ऐबों से पाक उन अहादीस को उसी तरह बयान किया जैसे सुना था। अल्लाह तआला की मेहरबानी और बख़्शिश हो उन सलफ़े-सालिहीन के लिये जिन्होंने सुन्नते मुतह्हर (अहादीसे मुतह्हरा) को नस्ल दर नस्ल, ज़माना-दर ज़माना, गिरोह दर गिरोह नक़ल किया और अहादीस को तहरीफ़ से महफ़ूज़ रखने और उसकी नक़ल व रिवायत को सलामत रखने के लिये उम्दा और मुस्तनद क़वाइद व ज़वाबित बनाये।

किताबते हदीस की इब्तिदा :

किताबते हदीस का अमल (काम) रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर में शुरू हो चुका था और फिर सहाबा (रज़ि.) ने आपके अमल और फ़र्मूदात को कमाल ज़िम्मेदारी के साथ दूसरों के सामने बयान किया। तीसरी सदी हिजरी में उन तमाम रिवायात को कमाले तंक़ीह (छान पटक) के साथ मौज़ूआती (मज़ामीन) तर्तीब में महफ़ूज़ कर दिया गया। बेशुमार कुतुबे हदीस के मज्मूए मुरत्तब हुए। उनमें से छः किताबों को उम्मत में क़ुबूले आम हासिल हुआ। उनको कुतुबे सिहाहे सित्ता (यानी छः सहीह किताबों) के नाम से शोहरत मिली।

1. सहीह बुख़ारी 2. सहीह मुस्लिम 3. सुनन अबू दाऊद
4. जामेअ तिर्मिज़ी 5. सुनन नसाई 6. सुनन इब्ने माजह

सुनन इब्ने माजह का शुमार इन छः किताबों में होता है। इस किताब की अज़मत और अहमियत की वजह से हर ज़माने में इसको क़ाबिले हुज्जत ख़याल किया गया। इस किताब की ख़ुसूसियात पर बेशुमार फ़ने-हदीस के उलमा और अइम्मा ने ख़िराजे-तहसीन पेश किया है और इसकी इफ़ादियत का एतराफ़ किया है। **इन्ही बातों के पेशे नज़र इस किताब का हिन्दी तर्जुमा पहली मर्तबा जमीअत अहले हदीस, जोधपुर व राजस्थान की**

जानिब से पेश किया जा रहा है, जो जो अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज आपके हाथों में है।

इमाम इब्ने माजह का मक़ामे पैदाइश :

ख़ुरासान एशिया का बहुत क़दीम इलाक़ा है जो दरया-ए-आमू के जुनूब मग़्रिब में वाक़ेअ है। इसमें मश्हूर शहर नीशापूर, हिरात, बलख़ और मर्व वग़ैरह वाक़ेअ है। अब ये इलाक़ा अफ़ग़ानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में बँटकर टुकड़े-टुकड़े हो चुका है। ख़ुरासान ही का एक शहर क़ज़्वीन है जो बहरे-क़ज़्वीन के जुनूब में अल्बर्ज़ पहाड़ की चोटी पर वाक़ेअ है। **इस मरदुमख़ेज़ शहर में इमाम इब्ने माजह सन् 209 हिजरी में पैदा हुए। आपका नाम मुहम्मद और कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है और इब्ने माजह के लक़ब से मश्हूर है।**

तहक़ीक़ लफ़्ज़ इब्ने माजह : माजह के मुताल्लिक़ इख़्तिलाफ़ है। कुछ इसको दादा का नाम समझते हैं, जो सहीह नहीं है। कुछ का क़ौल है ये आपकी वालिदा माजिदा का नाम है।

शाह अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने भी बुस्ताने मुहद्दिसीन में इसको सहीह क़रार दिया है। लेकिन ख़ुद इमाम इब्ने माजह (रह.) के मश्हूर शागिर्द हाफ़िज़ अबुल हसन बिन अलक़त्तान का बयान मौजूद है जिसमें वो निहायत यक़ीन और ऐतमाद के साथ तस्रीह करते हैं कि माजह आपके वालिद का लक़ब था दादा का नहीं और यही सहीहतरीन बयान तस्लीम किया गया है। हाफ़िज़ इब्ने हजर ने भी इसको इख़्तियार किया है। इमाम नववी (रह.) ने '**तहज़ीबुल अस्मा वल्लुग़ात**' में और अल्लामा अबुल हसन सिंधी ने शरह इब्ने माजह में साफ़ लिखा है कि माजह आपके वालिद का लक़ब था।

हालाते ज़िंदगी इमाम इब्ने माजह :

इमाम इब्ने माजह के बचपन के हालात ज़्यादातर मालूम नहीं है। आपके शागिर्द जाफ़र बिन इदरीस ने अपनी तारीख़ में नक़ल किया है कि आपकी विलादत 209 हिजरी में हुई। आपका ज़माना उलूम व फ़ुनून के लिये बाग़ो बहार का ज़माना था। आपने आम दस्तूर के मुताबिक़ इब्तिदाई तालीम क़ुर्आन पाक से शुरू की। आपका पैदाइशी शहर क़ज़्वीन, इल्मे-हदीस का गहवारा बन चुका था और बड़े-बड़े उलमा यहाँ मस्नदे-दर्स और इफ़्ता पर जलवागर थे। इमाम इब्ने माजह ने इब्तिदाई तालीम के बाद इल्मे-हदीस की तरफ़ रुजूअ किया। इमाम माजह ने अपनी सुनन में शहर क़ज़्वीन के कई शेख़ों से अहादीस रिवायत की हैं, उन शुयूख़ (शेख़ों) से इल्मे-हदीस हासिल करने के बाद उसकी तकमील के लिये बिलादे-इस्लामिया की तरफ़ रहलते-सफ़र इख़्तियार किया। आपने ख़ुरासान, इराक़, हिजाज़, मिस्र, शाम के शहरों के सफ़र किये और तलबे हदीस के लिये अपने दौर के तमाम इल्मी मर्कज़ों तक रसाई हासिल की और तदवीने हदीस में अहम किरदार अदा किया।

इमाम इब्ने माजह हदीस, तफ़्सीर और तारीख़ के बहुत बड़े आलिम थे ख़ुसूसन इल्मे हदीस में तो आप हाफ़िज़ और माहिरे-फ़न गिने जाते थे। आपकी उम्र अज़ीज की एक अच्छी ख़ासी मुद्दत इस मुबारक सफ़र में गुज़री और हाफ़िज़े हदीस होकर वतने मालूफ़ की तरफ़ वापस लौटे।

वफ़ात : इमाम इब्ने माजह का इंतक़ाल 22 रमज़ानुल मुबारक 273 हिजरी में हुआ। उस वक़्त आपकी उम्र 64 साल थी। आपके भाई अब्दुल्लाह ने आपकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और आपके दोनों भाइयों अबू बकर, अबू अब्दुल्लाह और आपके लड़के अब्दुल्लाह ने आपको क़ब्र में उतारा और दफ़न किया। कई शाइरों ने आपकी वफ़ात पर निहायत दर्दनाक मर्सिये लिखे।

इमाम इब्ने माजह (रह.) की ज़िंदगी के अहम नुक़ात :

* **इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.)** का इन्तेक़ाल सन् 241 हिजरी में हुआ, उस वक़्त इमाम इब्ने माजह (रह.) की उम्र 32 साल थी।
* **इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (रह.)** का इन्तेक़ाल सन् 256 हिजरी में हुआ, उस वक़्त इमाम इब्ने माजह (रह.) की उम्र 47 साल थी।
* **इमाम मुस्लिम (रह.)** का इन्तेक़ाल सन् 261 हिजरी में हुआ, उस वक़्त इमाम इब्ने माजह (रह.) की उम्र 52 साल थी।
* **इमाम अबू दाऊद (रह.)** की पैदाइश इमाम इब्ने माजह (रह.) से सात साल पहले हुई और इन्तेक़ाल दो साल बाद सन् 275 हिजरी में हुआ।
* **इमाम अबू ईसा तिर्मिज़ी (रह.)** की वफ़ात 279 हिजरी में आपके छः साल बाद हुई।
* **इमाम नसाई (रह.)** आपसे उम्र में छः साल छोटे थे और आपसे तीस साल बाद सन् 303 हिजरी में इन्तेक़ाल हुआ।

इमाम इब्ने माजह (रह.) की इल्मी ख़िदमात :

1. अत्तफ़्सीर : इस तफ़्सीर का ज़िक्र मशहूर मुफ़स्सिर इब्ने कसीर (रह.) ने अल-बिदाया वन्निहाया में किया है। ये एक जख़ीम तालीफ़ है। इसमें इब्ने माजह (रह.) ने कुर्आन पाक की तफ़्सीर के सिलसिले में जिस क़द्र अहादीस और सहाबा और ताबेईन के अक़वाल मिल सके हैं, उन सबको सनद के साथ रिवायत किया है।

हाफ़िज़ जमालुद्दीन मज़ी (रह.) ने **'तहज़ीबुल कमाल'** में इमाम इब्ने माजह (रह.) की सुनन और तफ़्सीर दोनों की सनदों में जिन रावियों के नाम आते हैं उन सबके हालात लिखे हैं। इमाम जलालुद्दीन सियूती (रह.) ने **'तफ़्सीर तबरी'** के बाद **'तफ़्सीर इब्ने अबी हातिम'** और **'तफ़्सीर इब्ने माजह'** को बड़ी तफ़ासीर में शुमार किया है।

2. अत्तारीख़ : ये वही तारीख़ है जिसका तआरुफ़ मशहूर मुअर्रिख़ **इब्ने ख़ल्कान** ने **'तारीख़े मलीह'** और मुहद्दिस इब्ने कसीर ने **'तारीख़े कामिल'** के अल्फ़ाज़ से कराया है। ये सहाबा से लेकर मुसन्निफ़ इमाम इब्ने माजह के ज़माने तक की तारीख़ है। जिसमें बिलादे-इस्लामिया (इस्लामी मुल्क) और रावियाने हदीस के हालात हैं। **हाफ़िज़ इब्ने ताहिर मुक़द्दसी** (वफ़ात-507 हिजरी) ने क़ज़्वीन में इसका नुस्ख़ा देखा था जिसके ख़ात्मे पर इमाम इब्ने माजह (रह.) के शार्गिद **जाफ़र बिन इदरीस** के क़लम की तहरीर भी मौजूद थी। अफ़सोस है कि आज इमाम मौसूफ़ की तफ़्सीर और तारीख़ दोनों नापैद (ग़ायब) हैं और न मुतदाविल (उपलब्ध) किताबों में उनके हवाले मिलते हैं।

अस्सुनन इब्ने माजह : ये इमाम साहब की वो मायानाज़ और शोहर-ए-आफ़ाक़ तस्नीफ़ है जिसकी वजह से आपका शुमार रुऊसुल मुहद्दिसीन, किबारे- उलम-ए-हदीस में होता है। यह किताब हर दौर में और आज भी मश्रिक़ो-मग़्रिब की हर दर्सगाह (मदरसे) के निसाबे तालीम में दाख़िल है।

इमाम ज़हबी (रह.) ने **'तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़'** में ख़ुद इमाम इब्ने माजह की ज़बानी नक़ल किया है कि **जब आपने इस सुनन को इमाम अबू ज़ुरअह के सामने पेश किया तो बेसाख़्ता फ़र्माने लगे, 'मैं समझता**

हूँ कि जिन लोगों के हाथों में ये किताब पहुँचेगी वो कई किताबों और तस्नीफ़ात से बेनियाज़ हो जायेंगे।'

सुनन इब्ने माजह की शुरूहात :

सुनन इब्ने माजह पर बड़े-बड़े हुफ़्फ़ाज़े हदीस और अहले फ़न ने कई शरहें मुरत्तब कीं, तालीफ़ात और हवाशी लिखे। यहाँ एक मुख़्तसर फ़ेहरिस्त नक़ल की जा रही है जिससे मालूम होगा कि इस किताब की कितनी इल्मी ख़िदमात अंजाम दी गई है।

01. **इमाम हाफ़िज़ अलाउद्दीन मुग़लताई रह.** (वफ़ात-762 हिजरी) ने इसकी शरह लिखनी शुरू की। ये सबसे पहली और सबसे जामेअ शरह है जो सुनन इब्ने माजह पर लिखी गई। अफ़सोस है कि ये शरह तमाम न हो सकी और सिर्फ़ पाँच जिल्दों तक काम हो सका था। **इस शरह का क़लमी नुस्ख़ा रियासते-टोंक (राजस्थान) के कुतुब ख़ाने में मौजूद है।**

02. **इब्ने रजब ज़ुबैरी (रह.)** की इस शरह का ज़िक्र अबुल हसन सिंधी ने अपने हवाशी में किया है।

03. **शैख़ सिराजुद्दीन उमर बिन अली (रह.)** मश्हूर मुसन्निफ़ हैं उन्होंने सिर्फ़ जवाइद इब्ने माजह की शरह लिखी यानी उन रिवायात की शरह जो कुतुबे खम्सा (हदीस की दूसरी पाँच किताबों) में मौजूद नहीं है, ये शरह आठ जिल्दों में है।

04. **शैख़ कमालुद्दीन मुहम्मद बिन मूसा (रह.)** की तालीफ़ **'अल दीबाचा फ़ी सुनन इब्ने माजह'** है। ये शरह पाँच जिल्दों में है।

05. **शरह सुनन इब्ने माजह** ये **हाफ़िज़ बुरहानुद्दीन बिन इब्राहीम बिन मुहम्मद हल्बी (रह.)** की मुख़्तसर तालीक़ है। **इमाम शौकानी (रह.)** ने इस तालीक़ की बहुत तारीफ़ की है।

06. **इमाम जलालुद्दीन सियूती रह.** (वफ़ात 911 हिजरी) ये भी एक मुख़्तसर हाशिया लिखा है और ये मिस्र में छप चुका है।

07. **मुहद्दिस अबुल हसन मुहम्मद बिन अब्दुल हादी सिंधी (रह.)** 12 वीं सदी हिजरी के आलिम हैं। इनकी शरह इमाम जलालुद्दीन सियूती (रह.) की शरह से ज़्यादा जामेअ है।

08. **हाफ़िज़ ज़हबी (रह.)** ने इब्ने माजह की उन रावियों पर जिनसे सहीहैन में कोई रिवायत दर्ज नहीं है, एक मुस्तक़िल किताब लिखी है। इस किताब का क़लमी नुस्ख़ा दमिश्क़ के कुतुबख़ाना ज़ाहिरिया में मौजूद है।

09. **इन्जाज़ुल हाजह शरह इब्ने माजह** ये शरह पाकिस्तान के नामवर सल्फ़ी आलिमे दीन शैख़ुल हदीस **मुहम्मद अली जाँबाज़** ने अरबी में लिखी है ये शरह 2007 में बारह जिल्दों में मुकम्मल हुई और शैख़ का इंतक़ाल 14 दिसम्बर 2008 में हो गया। ये इन्तिहाई मुफ़ीद और मुफ़स्सल शरह है।

10. **मौलाना अबू सईद शरफ़ुद्दीन देहलवी रह.** (वफ़ात : 1381 हिजरी) ने मौलाना शम्सुलहक़ अज़ीमाबादी (रह.) की तहक़ीक़ पर अरबी में सुनन इब्ने माजह की शरह लिखी थी, लेकिन ये शरह छप न सकी। मालूम होता है कि 1947 के फ़सादात में इसका मुसव्वदा **(Hard Copy)** बर्बाद हो गया था।

11. **मौलाना अब्दुस्सलाम बस्तवी रह.** (वफ़ात : 1394 हिजरी) ने सुनन इब्ने माजह की शरह लिखी। ये शरह भी छप नहीं सकी और 1947 के फ़साद ही में जाएअ हो गई।

12. **मौलाना मुहम्मद बिन यूसुफ़ सूरती** (वफ़ात : 1391 हिजरी) ने भी शरह इब्ने माजह लिखी।

13. **मौलाना वहीदुज्जमाँ हैदराबादी रह.** (वफ़ात : 1338 हिजरी) ने सुनन इब्ने माजह की शरह उर्दू ज़बान में लिखी जो कि छप चुकी है।

इमाम इब्ने माजह (रह.) अहले इल्म की नज़र में :

* **इमाम ज़हबी (रह.)** फ़र्माते हैं, 'इमाम इब्ने माजह हाफ़िज़े हदीस, नाक़िदे-फ़न, रास्तबाज़ और वसीअ इल्म रखने वाले थे। अहले क़ज़्वीन में से मुहद्दिस व मुफ़स्सिर थे।'

* **इमाम अबू यअला उक़ैली (रह.)** फ़र्माते हैं, 'आप बहुत सिक़ह (मोतबर व क़ाबिले ऐतमाद) क़ाबिले हुज्जत और इल्मे हदीस की मअरिफ़त रखने वाले हैं। उनकी जलालतो-क़द्र पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। उनका क़ौल हुज्जत है, हिफ़्ज़े हदीस, उसकी सेहत व ज़ुअफ़ और इल्लतों की मअरिफ़त में बुलंद मक़ाम पर फ़ायज़ हैं।'

* **अल्लामा अबुल हसन सिंधी (रह.)** फ़र्माते हैं, 'आप अइम्म-ए-मुस्लिमीन में बुलंद मर्तबा, परहेज़गार और इत्तिफ़ाक़े राय से सिक़ह (मोअतबर) इमाम थे।'

सुनन इब्ने माजह के बारे में अकाबिरे-फ़न की राय :

* **हाफ़िज़ इब्ने हजर (रह.)** का बयान है कि ये निहायत उम्दा और जामेअ किताब है।

* **अल्लामा इब्ने कसीर (रह.)** ने सुनन इब्ने माजह को सुनन व अहकाम की हैसियत से बहुत अच्छी और जामेअ किताब क़रार दिया है।

* **शाह अब्दुल अज़ीज़ (रह.)** अपनी किताब 'बुस्तानुल्-मुहद्दिसीन' में फ़र्माते हैं, 'हक़ीक़त में तर्तीब की ख़ूबी और बग़ैर किसी तकरार (दुहराने) के हदीसों को ले आना और मुख़्तसर तरीक़ा जो ये किताब रखती है कोई किताब नहीं रखती।'

* **शाह अब्दुल हक़ देहलवी (रह.)** लिखते हैं कि सुनन इब्ने माजह का शुमार हदीस की अहमतरीन किताबों में होता है जिनको उसूले सित्ता, कुतुबे सित्ता और सिहाहे सित्ता कहा जाता है।

इस अज़ीम किताब के बारे में अकाबिरे फ़न की जो रायें पेश की गई उससे आपने इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लिया होगा। ये किताब दो हैसियतों के ऐतबार से सिहाहे सित्ता में मुम्ताज़ है, पहली हुस्ने तर्तीब; यानी जिस ख़ूबी और उम्दगी के साथ अहादीस को बाब वार बग़ैर किसी तकरार के इस किताब में बयान किया गया है, दूसरी किताबों में नहीं बयान किया गया और यही इसकी ख़ूबी है।

शैख़ हाफ़िज़ अबू ज़रआ की ज़बान से जो बेसाख़्ता अल्फ़ाज़ निकले थे कि 'जिन लोगों के हाथों में ये किताब पहुँचेगी वो कई किताब से बेनियाज़ हो जायेंगे।' हर्फ़-ब-हर्फ़ सच्चे साबित हुए और आज हम देख रहे हैं कि हदीस की बहुत सी किताबें, जो सिहते इस्नाद और जूदते-रिवायत के ऐतबार से इससे बढ़-चढ़ कर हैं, वो क़ुबूले आम हासिल नहीं कर सकीं जो सुनन इब्ने माजह को हासिल हुआ, जैसे इब्ने हिब्बान वग़ैरह। इन किताबों को वो फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ जो सुनन इब्ने माजह को हुआ। ख़ुद सिहाहे सित्ता में सुनन नसाई पर जो इब्ने माजह से सेहत में कहीं फ़ाइक़ है इतना काम नहीं हुआ और उसकी इतनी शुरूह व हवाशी नहीं लिखी गई जितनी इब्ने माजह के लिखे गये हैं। इस किताब की एक नुमायाँ ख़ुसूसियत ये भी है कि ये बहुत सी उन हदीसों पर मुश्तमिल है जिनसे

सिहाहे सित्ता की दूसरी किताबें ख़ाली है इस वजह से इसकी इफ़ादियत बढ़ गई है।

सलासियाते सुनन इब्ने माजह :

सलासी रिवायत उन हदीसों को कहा जाता है, जिनको साहिबे किताब ने ख़ुद तबअ-ताबेईन से सुना और तबअ़ ताबेईन ने ताबेईन से सुना और ताबेईन ने सहाबा किराम (रज़ि.) से रिवायत की। (यानी ऐसी हदीसें जो तीसरी कड़ी में रसूलुल्लाह (ﷺ) से जा मिलती है) मुसन्निफ़ीने- सिहाहे सित्ता में से इमाम बुख़ारी (रह.) इमाम इब्ने माजह (रह.), इमाम अबू दाऊद (रह.) और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने बाज़ तबअ़ ताबेईन को देखा और उनसे हदीसें रिवायत कीं।

सलासियात की तादाद कुतुबे सिहाहे सित्ता में :

1. सहीह बुख़ारी	**: 22**	**2. सुनन इब्ने माजह**	**: 5**
3. सुनन अबू दाऊद	**: 1**	**4. जामेअ़ तिर्मिज़ी**	**: 1**

इमाम मुस्लिम और इमाम नसाई को तबअ़ ताबेईन से कोई रिवायत न मिल सकी।

इमाम इब्ने माजह (रह.) के असातिज़ा किराम :

इमाम इब्ने माजह (रह.) को अपने ज़माने के अज़ीम मुहद्दिसीन से शार्गिदी का शर्फ़ हासिल रहा। जिनमें मक्की, मदनी, क़ज़्वीनी (मक़ामी) मुहद्दिस भी शामिल हैं।

मदीना मुनव्वरा में आपके असातिज़ा (उस्तादों) में **हाफ़िज़ इब्ने मुसअ़ब अल ज़ुबैरी, अहमद बिन अबू बकर अलऔफ़ी** और **इब्राहीम बिन मुन्ज़िर** शामिल है।

मक्का मुअज्जमा में आपने **हाफ़िज़ जलवानी , अबू मुहम्मद हसन बिन अली, हाफ़िज़ क़ाज़ी ज़ुबैर बिन बुकार, हाफ़िज़ सलमा बिन शबीब** वग़ैरह से इस्तिफ़ादा किया।

अहले क़ज़वीन में से **अम्र बिन राफ़ेअ, इस्माईल बिन तौबा** और **मुहम्मद बिन अबू ख़ालिद** क़ाबिले ज़िक्र हैं। इनके अलावा **अबू बकर बिन अबी शैबा, नस्र बिन अली मुहम्मद बिन यहया नीशापुरी, अबू बकर बिन ख़ल्लाद बाहिली, मुहम्मद बिन बश्शार, अली बिन मुन्ज़िर** क़ाबिले ज़िक्र उस्ताज़ हैं।

इमाम इब्ने माजह के शार्गिद :

इमाम इब्ने माजह (रह.) से फ़ैज़ हासिल करने वालों की एक तवील फ़ेहरिस्त है। आपके शागिर्द न सिर्फ़ क़ज़्वीन में थे बल्कि हमदान, असफ़हान, बग़दाद और दूसरे इल्मी मर्कज़ों तक फैले हुए थे उनमें **अली बिन सईद, इब्राहीम बिन दीनार, अहमद बिन इब्राहीम, हाफ़िज़ अबू यअ़ला** वग़ैरह मशहूर हैं।

आपके वो ख़ास शागिर्द जिन्हें इब्ने माजह रिवायत करने का शर्फ़ हासिल हुआ :

1. अबुल हसन अलक़त्तान	**2. सुलैमान बिन यज़ीद**
3. अबू जाफ़र मुहम्मद बिन ईसा	**4. अबू बकर हामिद**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुस्सुन्नह

इत्तेबाअ-ए-सुन्नत का बयान

01. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस काम का मैं तुमको हुक्म दूँ उसकी इत्तेबाअ करो और जिस काम से मना करूँ उससे रुक जाओ। **(मुस्नद अहमद)**

02. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि जिस काम का मैं तुम्हारे सामने इज़हार करूँ, तुम उसको उसी तरह रहने दो और उसके मुताल्लिक़ ज़्यादा सवाल मत करो। पिछली उम्मतें ज़्यादा सवाल करने और नबी के क़ौल में इख़्तिलाफ़ करने की वजह से हलाक हो गई। इसलिए मैं तुमको किसी चीज़ के करने का हुक्म दूँ तो जहाँ तक हो सके उसकी इत्तेबाअ करो और जिस काम से मैं तुमको मना कर दूँ उससे परहेज़ करो। **(बुख़ारी-7288, मुस्लिम-1337/2357)**

03. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी नाफ़र्मानी करना अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी करना है। **(बुख़ारी-2957, मुस्लिम-1835, मुस्नद अहमद)**

04. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) से कोई हदीस सुनते तो न उसमें ज़्यादती करते न उसमें किसी क़िस्म की कमी करते (बल्कि मुकम्मल तौर पर आपकी इत्तेबाअ करते)। **(मुस्नद अहमद)**

05. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हम लोग आपस में फ़क़र (तंगदस्ती) का ज़िक्र कर रहे थे और उसकी तक्लीफ़ के ख़्याल से ख़ौफ़ज़दा हो रहे थे कि (इतने में) हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ले आए। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्या तुम लोगों को फ़क़र से ख़ौफ़ मालूम होता है? उस ज़ाते-मुक़द्दस की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि (दुनिया का) माल तुम्हारे पास इस क़दर होगा कि किसी शख़्स का दिल दुनिया की तरफ़ माइल न होगा। वल्लाह! मैं तुमको ऐसी हालत और ज़माने में छोड़ जाऊँगा कि जिसके दिन और रात चमक और रोशनी में बराबर होंगे। अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह तआला की क़सम! हुज़ूर (ﷺ) ने सही फ़र्माया, आपने हमको ऐसे ज़माने में छोड़ा कि जिसके दिन और रात चमक और रोशनी में बराबर हैं। **(अस्सुन्नह-47)**

06. हज़रत मुआविया इब्ने कुर्रा (रज़ि.) अपने वालिद की हदीस नक़ल करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा अपने मुख़ालिफ़ीन पर ग़ालिब रहेगा, कोई भी शख़्स उनको नुक़्सान पहुँचाना चाहेगा, तो नहीं पहुँचा सकेगा, यहाँ तक कि क़यामत क़ायम हो जाएगी। **(तिर्मिज़ी-2192, इब्ने हिब्बान-1851)**

07. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में से एक गिरोह हमेशा अल्लाह तआला के फ़र्मान पर क़ायम रहेगा जो शख़्स भी उसकी मुख़ालिफ़त करेगा, उसको नुक़्सान न पहुँचा सकेगा बल्कि वो नुक़्सान उसकी तरफ़ वापस होगा। **(मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान-1851)**

08. हज़रत अबू उतैबा अलख़ौलानी कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला इस दीन में हमेशा एक ऐसी जमाअत पैदा करता रहेगा जो उसकी फ़र्माबरदारी में आती रहेगी। **(मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान-88)**

09. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक रोज़ हज़रत मुआविया (रज़ि.) ख़ुत्बा के लिए खड़े हुए और फ़र्माने लगे, तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने रसूले करीम (ﷺ) से सुना है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत तक मेरी उम्मत का एक फ़िर्क़ा अपने मुख़ालिफ़ीन पर ग़ालिब रहेगा। जो लोग उनकी मदद करने वाले होंगे या न होंगे, उनको उन लोगों से किसी क़िस्म का नुक़्सान या नफ़ा न पहुँचेगा।
(बुख़ारी-3641, मुस्लिम 1037/1923)

10. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में से एक जमाअत हमेशा अपने मुख़ालिफ़ीन पर ग़ालिब रहेगी, जो भी उनको नुक़्सान पहुँचाने का इरादा करेगा, उनको किसी क़िस्म का नुक़्सान न पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि क़यामत इसी हालत में आ जाएगी। **(मुस्लिम-1920)**

11. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हम हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारका में हाज़िर हुए, हुज़ूर (ﷺ) ने एक सीधी लकीर खींची और उसके दाएँ-बाएँ दो लकीरें खींची और ये आयते करीमा तिलावत फ़र्मायी, **वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीम** (ये अल्लाह तआला का रास्ता है यानी सीधा और दरम्याना) लिहाज़ा तुम इसी रास्ते पर चलते रहो, दूसरे रास्तों को इख़्तियार न करो, क्योंकि वो तुमको राहे-मुस्तक़ीम से अलग कर देंगे। **(मुस्नद अहमद, अल्मुस्तदरक-597, इब्ने हिब्बान-1741, अल्हाकिम-318)**

हदीसे नबवी की अज़्मत
और उस पर ऐतराज़ करने वाले की बुराई का बयान

12. हज़रत मिक़्दाद इब्ने मअदी करब (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ऐसा ज़माना अनक़रीब आने वाला है कि जब किसी शख़्स के सामने मेरी हदीस बयान की जाएगी तो वो उसके जवाब में कहेगा कि हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, किताबुल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है। किताबुल्लाह में जो हराम होगा उसको हराम समझेंगे और जो हलाल होगा उसको हलाल ख़याल करेंगे, लेकिन तुम होशियार रहो, अल्लाह का रसूल (ﷺ) जिसको हराम ठहरा दे वो ऐसा ही है जैसे अल्लाह तआला ने हराम ठहराया है। **(तिर्मिज़ी-2664, अल्हाकिम-109)**

13. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू राफ़ेअ (रज़ि.) अपने वालिद की हदीस बयान करते हुए कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, आइन्दा तुमको ऐसे मुस्तग़नी (बेपरवाह) मिज़ाज के लोग मिलेंगे कि जब उनके सामने

मेरी अवामिर (हुक्मों) या नवाही (मना किये कामों) का बयान किया जाएगा तो वो कहेंगे (भाई किताबुल्लाह में जो कुछ होगा हम उसकी इत्तेबाअ करेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे)।

(अबू दाऊद-4605, तिर्मिज़ी-2663, इब्ने हिब्बान-13, हाकिम-108/109)

14. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया हमारे इस दीन में जो कोई नया काम पैदा करेगा जो इसमें न हो, वो मर्दूद है। **(बुख़ारी-2697, मुस्लिम-1718)**

15. हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं, मेरा एक अन्सारी शख़्स से खेतों में पानी देने के बारे में झगड़ा हो गया, अन्सारी ने मुझसे कहा कि तुम पानी बिल्कुल छोड़े रखो। मैंने इन्कार कर दिया, ग़र्ज़ ये क़िस्सा बहुत तूल पकड़ता गया और फ़ैसले के लिए दोनों हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने (तमाम क़िस्सा सुनने के बाद) फ़र्माया, ज़ुबैर! अपनी खेती को पानी देने के बाद पानी अपने पड़ौसी के लिए छोड़ दिया करो। ये सुनकर अन्सारी को सख़्त गुस्सा आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (इस रिआयत की वजह ये है कि) ये आपके रिश्तेदार हैं। अन्सारी की बात से हुज़ूर (ﷺ) के चेहरे का रंग बदलने लगा और फ़र्माया, ज़ुबैर! तुम खेती को पानी देकर रोक लिया करो, जब तक पानी मुंडेरों तक न पहुँच जाए, उस वक़्त तक न छोड़ो। हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि ये आयत, **आपके रब की क़सम! ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि अपने आपस के इख़्तिलाफ़ में आपको मुन्सिफ़ (फ़ैसला करने वाला) न मान ले, फिर आपके फ़ैसले पर दिल में कोई नागवारी भी महसूस न करे और (उसे) पूरी तरह तस्लीम कर ले.** (सूरह निसा : 65)। मेरे ही मुताल्लिक़ नाज़िल हुई। **(बुख़ारी-2359/2360, मुस्लिम-2357)**

16. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने बयान किया, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि औरतों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से ना रोको। इब्ने उमर (रज़ि.) के साहबज़ादे बोले कि हम तो मना करेंगे। ये सुनकर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) को सख़्त गुस्सा आया और फ़र्माने लगे कि मैं तेरे सामने नबी (ﷺ) की हदीसे मुबारक बयान करता हूँ और तू (उससे मुख़ालिफ़त करते हुए) कहता है कि हम तो रोकेंगे। **(बुख़ारी-873, मुस्लिम-442/135)**

17. अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) अपने भतीजे के पास बैठे हुए थे। आपके भतीजे ने बैठे-बैठे एक कंकरी ली और उठाकर फेंकी। आपने उनसे फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस काम से मना फ़र्माया है, क्योंकि न इससे शिकार हो सकता है और न दुश्मन को शिकस्त दी जा सकती है, बल्कि या तो किसी का दाँत या किसी की आँख फोड़ देगी। भतीजे ने फिर वही काम दोहराया; इब्ने मुग़फ़्फ़ल ने फ़र्माया, मैंने तुझे कहा था कि हुज़ूर (ﷺ) ने इससे मना किया है और तूने फिर वही काम किया? अगर अब किया तो मैं तुझसे कलाम नहीं करूँगा। **(मुस्लिम-1954)**

18. हज़रत उबादा बिन सामित अन्सारी (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) के नक़ीब ने हज़रत मुआविया (रज़ि.) के साथ रूम की जंग में शिरकत की। वहाँ देखा कि लोग अशर्फ़ियों के एवज़ सोने के टुकड़े और रुपयों से चाँदी के टुकड़े खरीद रहे हैं। हज़रत उबादा (रज़ि.) ने कहा, लोगों! (सुनो ये) बैअ नहीं है, बल्कि तुम सूद खा रहे हो। क्योंकि हज़ूर (ﷺ) ने ये फ़र्माया है, सोने को सोने के एवज़ और चाँदी को चाँदी के एवज़ बिल्कुल बराबर, हाथों-हाथ खरीदो। इसमें ज़्यादती और मुहलत जायज़ नहीं। हज़रत मुआविया (रज़ि.) कहने लगे, अबूल वलीद! मुझे तो इसमें सूदख़ोरी मालूम नहीं होती; अलबत्ता अगर ताजिर के साथ होती तो सूद था। उबादा बिन सामित (रज़ि.) ने कहा, मैंने तुमसे रसूले मक़्बूल (ﷺ) की हदीस बयान की और तुम अपनी राय को दख़ल देते हो? अल्लाह की क़सम! जब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा तो जिस ज़मीन में तुम्हारी हुकूमत होगी, मैं वहाँ नहीं रहूँगा। अल्ग़र्ज़ जब आप उस जंग से वापस हुए

तो मदीना चले आए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, अबूल वलीद! तुम यहाँ क्यों चले आए? उबादा (रज़ि.) ने तमाम क़िस्सा हज़रत उमर (रज़ि.) को सुनाया और वहाँ नहीं रहने के मुताल्लिक़ अपना जो कुछ ऐतराज़ था, बयान किया। हज़रत उमर (रजि.) ने फ़र्माया, अबूल वलीद! तुम वहीं वापस चले जाओ, क्योंकि जिस ज़मीन में तुम्हारे जैसे लोग नहीं होंगे वहाँ अल्लाह तआला बुराई नाज़िल फ़र्माएगा और हज़रत मुआविया (रज़ि.) को लिखा कि तुम्हारी हुकूमत इन (हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि.) पर नहीं है। जो कुछ इन्होंने फ़र्माया है, लोगों को उसी की इत्तेबाअ का हुक्म दो।

19. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, जब मैं तुमसे कोई हदीस; हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की जानिब से नक़ल करूँ तो तुम लोग हुज़ूर (ﷺ) की परहेज़गारी और हिदायत का लिहाज़ करते हुए कुबूल करो (यानी आपकी नुबुव्वत और ज़ुहद पर ख़याल करते हुए उसको लाज़िम तरीक़े से इख़्तियार करो और उसके बारे में किसी क़िस्म की बदगुमानी मत करो, जो कुफ़्र तक पहुँचाने वाली हो और न अपनी राय को इसमें दख़ल दो)। **(मुस्नद अहमद)**

20. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, जब मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की कोई हदीस तुम्हारे सामने बयान करूँ तो तुम उसका मज़्मून और मतलब हुज़ूर (ﷺ) की शाने तक़्वा, शाने हिदायत और ज़ुहद के मुताबिक़ समझा करो। **(मुस्नद अहमद)**

21. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको ऐसे लोगों की ख़बर देता हूँ कि जब मेरी कोई हदीस उनके रूबरू बयान की जाएगी तो वो मिज़ाज की बेपरवाही और इस्तग़ना की वजह से कहेंगे, हमारे सामने तो कुर्आन पढ़ो। (देखो!) जो कोई उम्दा बात तुम्हारे सामने नक़ल की जाए तो समझ लो कि उसका नाक़िल मैं ही हूँ। **(मुस्नद अहमद)**

22. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने एक शख़्स से कहा, बिरादर जब तुमसे कोई हुज़ूर (ﷺ) की हदीस नक़ल करे तो तुम उसके मुताल्लिक़ चूँ-चरा न किया करो और अपनी राय को दख़ल न दिया करो।

हदीस की मुहाफ़िज़त और उसमें एहतियात करने का बयान

23. हज़रत अम्र बिन मैमून (रज़ि.) कहते हैं, मैं अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हर जुमेरात को बिला नाग़ा जाया करता था। एक रोज़ जो मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो चूँकि उन्होंने कभी हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हुए मुझसे हदीस न बयान की थी, इस रोज़ आपने एक हदीस बयान करते हुए हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की तरफ़ उसको मन्सूब किया और फ़ौरन ही सर झुका लिया। मैंने जो ग़ौर से उनकी तरफ़ देखा, तो क्या देखता हूँ कि कुर्ते के बटन खुले हुए है और निहायत हैरत की हालत में घबराते हुए देख रहे हैं। **(मुस्नद अहमद)**

24. हज़रत मुहम्मद इब्ने सीरीन (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) जब कोई हदीस बयान फ़र्माकर फ़ारिग़ होते (तो अदब की वजह से) फ़र्माया करते, जैसा कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया। **(मुस्नद अहमद)**

25. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रज़ि.) कहते हैं, कि हमने ज़ैद इब्ने अरक़म (रज़ि.) से कहा कोई हदीसे रसूल (ﷺ) हमसे बयान फ़र्माएँ। उन्होंने जवाब दिया, हम बूढ़े हो गए हैं और भूलने की बीमारी भी पैदा हो गई है, इसलिए हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हुए हदीस नक़ल करना बहुत मुश्किल काम है। **(मुस्नद अहमद)**

26. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सफ़र (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत शअबी (रज़ि.) ने बयान किया, हज़रत इब्ने उमर

(रज़ि.) की ख़िदमत में एक साल तक रहा हूँ लेकिन उन्होंने कभी हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हुए हदीस बयान नहीं की। **(बुख़ारी-7267, मुस्लिम-1944, मुस्नद अहमद)**

27. हज़रत ताऊस (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हुए कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, हम लोग हुज़ूर (ﷺ) की हदीस को निहायत हिफ़ाज़त से महफ़ूज़ किया करते थे, अब अगर लोग बिना तहक़ीक़ और तदक़ीक़ के उस पर सवार हो जाएँ तो निहायत अफ़सोस का मक़ाम है। **(मुस्लिम-7)**

28. हज़रत कुरज़ा बिन मालिक (रह.) कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर (रज़ि.) ने हमको मदीना रवाना फ़र्माया। (चलते वक़्त) आप भी हमारे साथ मक़ामे हर्रा तक आए और वहाँ पर पहुँच कर हमसे इर्शाद फ़र्माया, तुम को मालूम है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ तक किस वजह से आया हूँ? हमने अर्ज़ किया, शायद ये वजह है कि आपको नबी (ﷺ) से तर्बियत हासिल हुई है, आप हुज़ूर (ﷺ) की सुहबत में रहे हैं। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं! ये बात नहीं है। बल्कि मेरा मक़सद तुम्हारे सामने एक बात कहना है। तुम लोगों को चाहिए कि मेरे साथ का ख़्याल करते हुए मेरी इस बात की मुहाफ़िज़त करो। (देखो!) तुम्हारी मुलाक़ात ऐसे लोगों से होगी, जिनके सीनों में क़ुर्आन के लिए ऐसी आवाज़ होगी जैसे हाँडी में से आवाज़ पैदा होती है। वो लोग जब तुम को देखेंगे तो कहेंगे ये अस्हाबे रसूल (ﷺ) हैं। तुमको चाहिए कि तुम उन लोगों से हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हुए बहुत कम हदीस नक़ल करना। ऐसी हालत में ऐसा करोगे तो मैं भी तुम्हारा शरीक होऊँगा। **(मुस्तदरक-102)**

29. हज़रत साइब इब्ने यज़ीद (रज़ि.) कहते हैं, मैं मदीना से लेकर मक्का तक सअद इब्ने मालिक (रज़ि.) के साथ रहा। लेकिन इस सफ़र के दौरान मैंने कभी भी हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करके हदीस को बयान करते हुए न सुना। (बुख़ारी-4062/2824)

नबी (ﷺ) की तरफ़ जानबूझकर झूठी बात निस्बत करने की बुराई का बयान

30. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) अपने वालिद से नक़ल करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने जानबूझ कर मेरी तरफ़ झूठ की निस्बत की, उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। **(तिर्मिज़ी-2257)**

31. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी न कही हुई बात को हदीस बनाकर बयान न किया करो। क्योंकि ये काम जहन्नम में ले जाने वाला है। **(बुख़ारी-106, मुस्लिम-1)**

32. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है, जो शख़्स झूठ बनाकर मेरी तरफ़ निस्बत करे उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। **(तिर्मिज़ी-2661)**

33. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मेरी न कही बात को हदीस बनाकर बयान किया उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

34. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) का इर्शाद है, जो मेरी न कही हुई बात को मेरी जानिब से बयान करे, उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

35. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को मिम्बर पर फ़र्माते हुए सुना कि मेरी अहादीस को ज़्यादा नक़ल करने से निहायत परहेज़ करो। अगर किसी को नक़ल ही करना हो तो सच्चाई और सिदक के साथ बयान करे वरना अगर मेरी तरफ़ झूठे काम की निस्बत करके बयान कर देगा तो उसको अपना ठिकाना

जहन्नम में बना लेना चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

36. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने अपने वालिद हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) से कहा जिस तरह फलाँ-फलाँ लोग हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की अहादीस नक़ल करते हैं, उस तरह आपको कभी रिवायत करते हुए नहीं सुना? (इसकी क्या वजह है?) हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने जवाब दिया कि जब से मैं इस्लाम लाया कभी हुज़ूर (ﷺ) से जुदा न हुआ। लेकिन मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना था कि जिसने झूठ को मेरी हदीस बनाकर बयान किया उसको अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना लेना चाहिए। **(बुख़ारी-107)**

37. हज़रत सईद (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मेरी तरफ़ से झूठ बनाकर बोला तो क़यामत के दिन उसको अपना ठिकाना दोज़ख़ में बना लेना चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

उस शख़्स की हालत का बयान जो झूठ समझते हुए हदीस बनाकर नक़ल करे

38. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़मार्या, जिसने मेरी तरफ़ मन्सूब करके कोई क़ौल बयान किया और वो जानता है कि ये झूठ है, तो झूठों में से एक झूठा ये भी है। जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह तआला फ़र्माता है, **लअ़नतुल्लाहि अलल काज़िबीन।** **(इब्ने अबी शैबा-595/8 : 2570)**

39. हज़रत समुरह बिन अबू जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हदीस नक़ल करने वाला अगर जानता हो कि ये हदीस झूठी है और फिर भी वो उसको बयान करे तो वो भी झूठों में से एक झूठा है। **(मुस्लिम)**

40. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हदीस नक़ल करे और वो ये समझता हो कि ये झूठ है तो वो भी झूठों में से एक झूठा है। **(ज़वाइदुल मुस्नद 112/1 : 903)**

41. हज़रत मुग़ीरह इब्ने शुअ़बा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, झूठ समझते हुए जो शख़्स मेरी तरफ़ हदीस नक़ल करे वो भी एक झूठा है। **(मुस्लिम)**

ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन की सुन्नत की पैरवी करने का बयान

42. हज़रत यह्या इब्ने अबुल मुताअ़ (रह.) का बयान है कि हज़रत इरबाज़ इब्ने सारिया (रज़ि.) ने कहा कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने एक बहुत लम्बी तक़रीर फ़र्माई, जिसकी वजह से हर एक के दिल पर ख़ौफ़ तारी हो गया और आँखों से आँसूओं के दरिया जारी हो गए। लोगों ने (इसी तक़रीर के बारे में) अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने हमको ऐसी नसीहत फ़र्मा दी जो अमानत रखने के क़ाबिल है। लेकिन हमसे कोई अहद भी ले लीजिए (तो बेहतर है)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला से हर वक़्त डरते रहना अगर हब्शी ग़ुलाम भी तुम पर अमीर हो तो उसकी इताअ़त करना, तुमको मेरे बाद बहुत इख़्तिलाफ़ नज़र आएँगे, तुम पर लाज़िम है कि मेरे और मेरे ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन के तरीक़े पर साबित क़दम रहना और उस तरीक़े को दाँतों से पकड़े रहना। बिदअ़त से बचना, क्योंकि हर बिदअ़त गुमराही है। **(अत्तबरानी फ़िल्कबीर 248/18 : 622, हाकिम 97/1)**

43. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उमर अस्लमी (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत इरबाज़ इब्ने सारिया (रज़ि.) ने बयान किया एक रोज़ रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हम लोगों के सामने इस तरीक़े से वअ़ज़ फ़र्माया कि दिलों पर हैबत तारी हो गई, आँखों से आँसू जारी हो गए। हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! आपकी ये तक़रीर तो हमारे लिए क़ाबिले अमानत है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। लेकिन आप हमको कोई ख़ुसूसी नसीहत कीजिए कि हम उस पर अ़मल करें। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (देखो!) मैंने तुमको ऐसे दीन पर छोड़ा है, जिसके शबो-रोज़ रोशनी और चमक में बराबर हैं। इस दीन से वही ऐराज़ करेगा जिसके नसीब में सिवाय हलाकत के दूसरी चीज़ न होगी। अगर तुम मेरे बाद ज़िन्दा रहोगे तो तरह-तरह के इख़्तिलाफ़ तुमको नज़र आएँगे। उस वक़्त तुम पर ज़रूरी है कि मेरा और मेरे ख़ुल्फ़ा-ए-राशिदीन का तरीक़ा इख़्तियार करे और उस तरीक़े को दाँतों से पकड़े रहो और ये भी लाज़िम है कि (अगर तुम पर) हब्शी ग़ुलाम भी हाकिम हो तो उसकी इताअ़त और फ़र्माबरदारी करो क्योंकि मोमिन उस ऊँट की तरह है कि जिसके हाथ में उसकी नकेल हो, उसका ताबेअ़ हो जाता है। **(अबू दाऊद-4607, तिर्मिज़ी-2676, मुस्नद अहमद, इब्ने हिब्बान-102)**

44. हज़रत इरबाज़ बिन सारिया (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सुबह की नमाज़ पढ़ाई, फिर चेहर-ए-मुबारक हमारी तरफ़ फेर लिया और एक असरदार वअ़ज़ फ़र्माया। उसके बाद रावी ने पूरी हदीस बयान की। **(अबू दाऊद-4608)**

बिदअ़त के कामों से परहेज़ करने का बयान

45. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) जिस वक़्त वअ़ज़ फ़र्माते तो आपकी चश्मे मुबारक (आँखें) सुर्ख़ हो जातीं। आवाज़ में बुलन्दी पैदा हो जाती, ग़ुस्से में शिद्दत ज़ाहिर होती, मालूम होता कि किसी बड़े लश्कर से ख़ौफ़ दिला रहे हैं। फ़र्माया करते, सुबह और शाम, मैं और क़यामत इन दोनों अंगुलियों की तरह साथ-साथ भेजे गए हैं। फिर फ़र्माया करते, तमाम किताबों से बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, तमाम हिदायतों से बेहतर मुहम्मद (ﷺ) की हिदायत है। दीन में पैदा की गई बातें बदतरीन बातें हैं, हर बिदअ़त गुमराही है। जो शख़्स माल छोड़े वो और जो शख़्स बेकस मुतअ़ल्लिक़ीन (लावारिस) छोड़कर मरे, उनकी सरपरस्ती मेरे ज़िम्मे है। माल उसके घरवालों के लिए है। **(मुस्लिम-867)**

46. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तमाम कलामों से बेहतर किताबुल्लाह है और तमाम हिदायतों से बेहतर मुहम्मद (ﷺ) की हिदायत है। (देखो!) नए पैदा किए कामों से बचो, क्योंकि ये बिदअ़त है और हर बिदअ़त गुमराही है। देखो! तुम लोगों में तूल का ख़्याल न पैदा हो जाए, इस ख़्याल से तुम्हारे दिल सख़्त हो जाएँगे। जो चीज़ आने वाली है उसको बहुत क़रीब समझो, जो गुज़र चुकी है उसको अपने आप से दूर समझो। बदबख़्त माँ के पेट से ही बदबख़्त पैदा होता है। सईद (नेकबख़्त) वो शख़्स है जो ग़ैर को देखकर नसीहत क़ुबूल करे। मोमिन से लड़ना कुफ़्र है, उसको गाली देना फ़िस्क़ है। किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने किसी भाई को नाराज़गी की वजह से छोड़ दे। झूठ से निहायत परहेज़ करो क्योंकि उससे न तो कोई कामयाबी हो सकती है न लग़्व बात दूर हो सकती है। किसी शख़्स को ये भी न चाहिए कि बच्चे से किसी काम का वादा करे और फिर उसको पूरा न करे। झूठ से फ़ुजूर पैदा होता है और फ़ुजूर से इन्सान दोज़ख़ की तरफ़ जाता है अलबत्ता सच्चाई हिदायत है और जो चीज़ हिदायत होती है, जन्नत की तरफ़ ले जाती है। सच्चे को कहते हैं कि उसने सच कहा, बड़ा सादिक़ है, नेक है। झूठे को कहते हैं कि उसने झूठ बोला, ये शरीर और झूठा है। बन्दा झूठ बोलते-बोलते अल्लाह तआ़ला के यहाँ झूठों में लिख लिया जाता है। **(अस्सुन्नह-25)**

47. हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ये आयते शरीफ़ा तिलावत फ़र्माई, **वही है जिसने आप पर किताब नाज़िल की, उसकी कुछ आयात मुहकम (वाज़ेह) हैं, जो किताब की अस्ल हैं और कुछ दूसरी मुतशाबिहात (ग़ैरवाज़ेह) हैं, तो जिनके दिलों में कजी (टेढ़ापन) है, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़े रहते हैं। जो मुतशाबेह उनका मक़सद महज फ़ित्ने और तावील की तलाश होता है, हालाँकि उनकी असल हक़ीक़त से अल्लाह के सिवा कोई वाक़िफ़ नहीं और इल्म में पुख़्तगी रखने वाले कहते हैं, हमारा उन (मुतशाबिहात) पर ईमान है, ये सब हमारे रबी की तरफ़ से है और नसीहत तो अक़्लमन्द ही हासिल करते हैं.** (सूरह आले इमरान : 7)। फिर फ़र्माया, आइशा! इसमें झगड़ा करने वाले लोग तुमको नज़र आएँ तो तुम समझ लेना कि इस आयत के मिस्दाक वही लोग हैं। लिहाज़ा ऐसे लोगों से तुमको बचना चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

48. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे बाद हिदायत याफ़्ता लोग उस वक़्त गुमराह हो जाएँगे, जब उनमें जंगो-जिदाल शुरू हो जाएगा। फिर आप (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **बल्कि यही लोग झगड़ालू हैं.** (सूरह हुजुरात : 57)। **(तिर्मिज़ी-3253)**

49. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बिदअती का रोज़ा, नमाज़, ज़कात, उमरा, जिहाद, सदक़ा, फ़िद्या कुछ भी अल्लाह तआला क़ुबूल नहीं करता, बल्कि वो इस्लाम से ऐसा बाहर हो जाता है, जैसे आटे से बाल निकाला जाता है।

50. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला बिदअती के आमाल की क़ुबूलियत से इन्कार फ़र्माता है, यहाँ तक कि वह बिदअत छोड़ दे। **(अस्सुन्नह-39)**

51. हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हक़ीक़ी झूठ को बातिल समझकर छोड़ देता है, उसके लिए जन्नत के अतराफ़ में महल तैयार किया जाता है और जो शख़्स रियाकारी को सच्चे दिल से छोड़ेगा उसके लिए जन्नत में महल तैयार किया जाएगा और जो शख़्स हुस्ने अख़्लाक़ को इख़्तियार करेगा उसके लिए जन्नत के आला हिस्से में महल तैयार किया जाएगा। **(तिर्मिज़ी-1993, अबूदाऊद-4800)**

राय और क़यास से बचने का बयान

52. हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला इल्म को इस तरह से नहीं उठाएगा कि लोगों के दिलों से उसको खुरच दे और छीन ले बल्कि उलमा और अहले मग्फ़िरत को उठा लेगा। उस वक़्त लोग अपना हाकिम और रहनुमा जाहिलों को बना लेंगे। ये लोग अपनी जहालत से फ़त्वा देंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। **(बुख़ारी-100, मुस्लिम-2673,7307)**

53. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बग़ैर इल्म के फ़त्वा देगा, उसका गुनाह फ़त्वा चाहने वाले पर (भी) होगा। **(अबू दाऊद-3657)**

54. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (जो इल्म हासिल करने के क़ाबिल हैं) वो तीन इल्म हैं, उनके अलावा तमाम इल्म ग़ैर ज़रूरी हैं। पहला किताबुल्लाह, दूसरा सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) और तीसरा वरसा (विरासत) के अहकाम। **(अबू दाऊद-2885, मुस्तदरक हाकिम)**

55. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) का बयान है, जब मुझे रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने यमन की तरफ़ रवाना

किया तब फ़र्माया था, जिस काम का तुमको इल्म हो उसके मुताल्लिक़ फ़ैसला और हुक्म देना और जिस काम का तुमको इल्म न हो उसमे ख़ामोशी इख़्तियार करना। जब तक तुम्हारे सामने बयान न कर दी जाए या तुमको लिखकर न भेज दी जाए।

56. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन आस (रज़ि.) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल में जब तक ग़ैर लोगों के नुत्फ़े से औलाद न हुई उस वक़्त तक उनके सारे काम सही तरीक़े पर रहे। लेकिन जब उन लोगों में दूसरे लोगों की औलाद पैदा हो गई तो उन्होंने अपनी राय से फ़त्वा देना शुरू किया। लिहाज़ा खुद भी गुमराह हुए और दूसरों को भी गुमराह किया। **(तबरानी)**

57. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ईमान के साठ या सत्तर से ज़्यादा दर्जे हैं, उसमें से अदना दर्जा ये है कि रास्ते में तक्लीफ़देह चीज़ को हटा दिया जाए और आला दर्जा कलिम-ए-शहादत ला इलाह इलल्लाह है और हया भी ईमान का एक जुज़ (हिस्सा) है। **(बुख़ारी-9, मुस्लिम-35)**

58. हज़रत सालिम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि एक शख़्स अपने भाई को हया के मुताल्लिक़ कुछ नसीहत कर रहा था (कि तुम इतने क्यों शर्माते हो?) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हया ईमान का एक हिस्सा है। **(मुस्लिम-36, बुख़ारी-24)**

59. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के दिल में ज़र्रा बराबर फ़ख़्र व तकब्बुर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा और जिस के दिल में ज़र्रा बराबर ईमान होगा वो दोज़ख़ से नजात पाएगा। **(मुस्लिम-91)**

60. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआला क़यामत के रोज़ मोमिनों को नजात अता फ़र्माएगा तो उस वक़्त ये लोग अपने दोज़ख़ी भाईयों के लिए अल्लाह तआला से ऐसा झगड़ा करेंगे कि दुनिया में तुम से किसी ने किसी अपने के लिए भी न किया होगा। अर्ज़ करेंगे, ऐ परवरदिगार! हमारे दोज़ख़ी भाई हमारे साथ नमाज़ पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हज करते थे और तूने उनको दोज़ख़ में दाख़िल फ़र्मा दिया। इर्शाद होगा, अच्छा तुम जिनको पहचानते हो उसको बाहर निकाल लाओ। ये लोग चलेंगे तो कुछ लोगों की सूरतें देखकर उनको पहचानेंगे। क्योंकि जहन्नम की आग ने उनके चेहरों को न जलाया होगा बल्कि कोई पिण्डलियों तक जला होगा, कोई टखनों तक जला होगा। अलग़र्ज़ ये लोग उनको उसमें से निकाल लेंगे और अर्ज़ करेंगे ऐ हमारे रब! जिनका तूने हमको हुक्म दिया था उनको हमने निकाल लिया। फ़र्मान होगा, अच्छा जिनके दिलों में दीनार के वज़न के बराबर ईमान हो उनको भी निकाल लाओ। फिर हुक्म होगा, जिनके दिल में आधा दीनार के बराबर ईमान हो उसको भी निकाल लो। फिर हुक्म होगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो उसको भी निकाल लो। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, जिस शख़्स को इसमें शुब्हा हो वो इस आयत को पढ़कर तस्दीक़ कर ले, **बेशक अल्लाह तआला ज़र्रा बराबर भी ज़ुल्म नहीं करता और अगर (किसी की) कोई नेकी होगी तो उसे कई गुना बढ़ा देगा और अपने पास से अज्रे अज़ीम अता फ़र्मायेगा.** (सूरह निसा : 40)। **(नसाई-13)**

61. हज़रत जुन्दुब इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, हम नौउम्री के ज़माने में हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत मे हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने हमको कुर्आन से पहले ईमान की तालीम दी उसके बाद आपने कुर्आन की तालीम दी, जिसकी वजह से हमारा ईमान मज़बूत हो गया। **(अत्तब्रानी फिल्कबीर-1678)**

62. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस उम्मत में दो लोगों के लिए इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है, पहला फ़िर्क़ा-ए-मुर्जिया और दूसरा फ़िर्क़ा-ए-कदरिया। **(तिर्मिज़ी-2149)**

63. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हम हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। काले बालों वाला एक शख़्स जिसके सफेद कपड़े पहने हुए थे, हुज़ूर (ﷺ) की जानू से जानू मिलाकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ आपके जानूओं पर पर रखकर कहने लगा, या मुहम्मद (ﷺ)! इस्लाम क्या चीज़ है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, कलिम-ए-शहादत ला इलाह इलल्लाह का पढ़ना और मेरी तस्दीक़ करना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना (अगर ताक़त हो तो) बैयतुल्लाह का हज करना। (ये सुनकर उसने कहा) आपने सच फ़र्माया। हमको उसके इस कलाम से निहायत ताज्जुब हुआ कि खुद ही सवाल करता है और खुद ही हुज़ूर (ﷺ) की तस्दीक़ करता है। फिर उसने दरयाफ़्त किया, या मुहम्मद (ﷺ)! एहसान किसे कहते हैं? रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की इस तरह इबादत करना कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, अगर ये न हो सके तो कम से कम यही ख़्याल कर लेना कि तू अल्लाह को नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तुझको देख रहा है। उसने अर्ज़ किया कि क़यामत कब आएगी? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसके बारे में मुझे सवाल करने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं है। उसने अर्ज़ किया, (क़यामत उस वक़्त आएगी) जबकि बान्दी के पेट से उसका आक़ा पैदा होने लगे। हज़रत वकीअ इस मक़ाम पर कहते हैं, बान्दी के पेट से उसका आक़ा पैदा होने का मतलब है कि अजमियों से अरब पैदा होंगे। (और उसने कहा कि) जब नंगे जिस्म और नंगे पैर बकरियाँ चराने वाले लोग बड़े-बड़े महल तैयार करना शुरू कर देंगे। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि (इस वाकिअे के) तीन दिन बाद हुज़ूर (ﷺ) मुझको रास्ते में मिले। मुझसे फ़र्माया, ऐ उमर! तुमको मालूम है कि वो शख़्स कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। फ़र्माया कि वो जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) थे, जो तुमको शआइरे दीन की तालीम करने के लिए आए थे। **(मुस्लिम-8)**

64. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) लोगों के बीच तशरीफ़ फ़र्मा थे, इतने में एक शख़्स ख़िदमते मुबारका में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ईमान क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह और उसकी नाज़िल की हुई किताबों पर, उसके रसूलों पर और फ़रिश्तों पर और क़यामत में अल्लाह के दीदार होने पर और ख़ुद क़यामत पर ईमान लाना। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस्लाम के मअनी क्या हैं? फ़र्माया, अल्लाह तआला की इबादत करना और उसका शरीक न करना। नमाज़ क़ायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एहसान के मअनी क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की इस तरह इबादत करना कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है, अगर ये ख़्याल न पैदा हो सके तो ये ख़्याल पैदा कर लेना कि अल्लाह मुझे देख रहा है। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़यामत कब होगी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके मुताल्लिक़ मैं सवाल पूछने वाले से ज़्यादा इल्म नहीं रखता। अलबत्ता मैं उसकी अलामत ज़रूर बता सकता हूँ। उसकी अलामत ये है कि बान्दी से बान्दी का आक़ा पैदा होगा और बकरियाँ चराने वाले (ज़लील क़ौम वाले) बड़े-बड़े महल बनाएँगे। क़यामत उन पाँच चीज़ों में से है कि जिनका इल्म मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। फिर आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई, **क़यामत का इल्म अल्लाह ही के पास है, वो बारिश नाज़िल करता है और वही जानता है कि (माँओ के) पेट में क्या है और किसी को मालूम नहीं कि वो कल क्या कमायेगा और किसी को मालूम नहीं कि उसको किस ज़मीन पर मौत आयेगी, यक़ीनन अल्लाह तआला इल्म रखने वाला बाख़बर है.** (सूरह लुक़्मान : 34)। **(बुख़ारी-50, मुस्लिम-9)**

65. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दिली मअरिफ़त रखना, ज़बान से इक़रार करना और अरकाने दीन पर अमल करना ईमान है।

(इब्नुल जौज़ी फिल्मौज़ूआत, अल्फ़वाइदुल मज्मूआ लिश्शौकानी-103)

66. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारा ईमान उस वक़्त क़ाबिले कुबूल होगा जब तुम अपने भाई के लिए वही काम पसन्द करो जो अपनी ज़ात के लिए तुमको पसन्द हो।

(बुख़ारी-13, मुस्लिम-45)

67. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारा ईमान उस वक़्त मुकम्मल होगा जब मैं तुमको तुम्हारी जानों और मालों और औलाद से ज़्यादा अज़ीज़ हो जाऊँगा।

(बुख़ारी-15, मुस्लिम-44)

68. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जब तक तुम लोग ईमान न लाओगे उस वक़्त तक तुम जन्नत में दाख़िल नहीं हो सकोगे और ईमान क़ाबिले कुबूल तब होगा जब तुम आपस में मुहब्बत रखोगे। तुमको एक ऐसी बात बतलाऊँ जिसके ज़रिये तुम्हारे दरम्यान मुहब्बत पैदा हो, वो ये कि हर जानने और न जानने वाले (मुसलमान) को सलाम करो। **(मुस्लिम-54)**

69. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुस्लिम को गाली देना फ़िस्क़ में दाख़िल है और उससे जंग करना कुफ़्र है। **(बुख़ारी-48, मुस्लिम-64)**

70. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला के एक होने का इक़रार करते हुए इख़्लास के साथ इबादत करते हुए दुनिया से जुदा हो तो उसके मरने के बाद अल्लाह तआला उससे राज़ी होकर मुलाक़ात करेगा बशर्ते कि वो नमाज़ और ज़कात पर पाबन्द रहा हो। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि ये अल्लाह तआला का वो दीन है जिसको इख़्तिलाते आरा (राय और कयास की मिलावट) और इख़्तिलाफ़े ख़्वाहिशात से पहले रसूले पाक (ﷺ) अल्लाह तआला की तरफ़ से लेकर आए और उसकी तब्लीग़ फ़र्माई। बाद में (सच्ची झूठी) बातें ख़लत-मलत हो गई और तरह-तरह की मनमर्ज़ी की बातें सामने आ गईं। इसकी तस्दीक़ अल्लाह तआला की किताब में भी मौजूद है। अल्लाह तआला ख़ुद फ़र्माता है, पस अगर वो तौबा करे। हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, यानी बुतों की परस्तिश छोड़ दें और उनकी इबादत करना छोड़ दे। दूसरी आयत में अल्लाह फ़र्माता है, **और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें.** (सूरह तौबा : 5) आगे अल्लाह फ़र्माता है, **अगर वो नमाज़ क़ायम करें, ज़कात अदा करें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं.** (सूरह तौबा : 11)। **(अत्तबरी)**

71. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको जिहाद का उस वक़्त तक हुक्म दिया गया है, जब तक लोग कलिम-ए-शहादत न पढ़े और नमाज़-ज़कात न अदा करें।

72. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको जिहाद का उस वक़्त तक हुक्म है जब तक लोग अश्हदुअल्ला इलाह इलल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह के क़ायल न हो जाएँ और नमाज़ पाबन्दी से न पढ़ें और ज़कात अदा न करें।

73. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मेरी उम्मत के दोनों फ़िर्क़ों, मुर्जिया और क़दरिया का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। **(इब्ने अबी आसिम फिस्सुन्नह-948)**

74. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और **हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.)** कहते हैं, ईमान में ज़्यादती और कमी दोनों होती है।

75. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि ईमान में ज़्यादती और कमी दोनों होती रहती है।

तक़दीर का बयान

76. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब नुत्फ़ा क़रार पाता है तो चालीस दिन तक उसका माद्दा वालिदा के पेट में जमा रहता है, उसके बाद गाढ़ा पानी बन जाता है और चालीस दिन तक उसी हालत में रहकर जमा हुआ टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को उसकी क़िस्मत तहरीर करने के लिए रवाना फ़र्माता है और उसको चार बातों की तरहरीर का हुक्म दिया जाता है। पहला उसके अमल लिखे, दूसरा उम्र लिखे, तीसरा रिज़्क़ लिखे, चौथा बदबख़्त या नेकबख़्त होना तहरीर करे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है। तुम में से लोग अहले जन्नत के से अमल करते रहते हैं और उस हद तक करते रहते हैं कि उनमें और जन्नत में सिर्फ़ एक बालिश्त का फ़ासला रह जाता है। लेकिन उसका मुक़द्दर फ़ौरन उसके आगे बढ़कर कोई ऐसा काम करवा देता है जो आख़िर उसको दोज़ख़ में दाख़िल कर देता है और बाज़ लोग जहन्नमियों के से अमल करते रहते हैं यहाँ तक कि दोज़ख़ के और उनके दरम्यान एक हाथ का फ़ासला रह जाता है। लेकिन उसका मुक़द्दर बिलआख़िर ग़ालिब आकर उसको जन्नती बना देता है। **(बुख़ारी-4947, मुस्लिम-2647)**

77. हज़रत इब्ने दैलमी (रह.) कहते हैं कि मेरे दिल में तक़दीर के मुताल्लिक़ इस क़द्र शुब्हात गुज़रते थे कि मुझको अपने दीन के फ़ासिद होने का ख़ौफ़ हो गया था। इस वजह से इब्ने उबय इब्ने कअब (रज़ि.) की ख़िदमत में आया और अर्ज़ किया कि तक़दीर के मुताल्लिक़ मेरे दिल में कुछ ऐसे वस्वसे पैदा होते हैं कि जिनसे मुझको अपने दीनी कामों में ख़राबी का ख़्याल है। आप मेहरबानी फ़र्माकर कोई ऐसी हदीस बयान फ़र्माएँ जिससे मुझको कुछ फ़ायदा हो, शायद अल्लाह तआला अता फ़र्मा दे। हज़रत इब्ने अबी कअब (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर अल्लाह तआला अपनी मख़्लूक़ को अज़ाब देना चाहे तो सबको दे सकता है और उस पर उसको कोई ज़ालिम नहीं कह सकता। क्योंकि (सब उसकी मिल्कीयत है) अगर अपनी रहमत करना चाहे तो कर सकता है और मख़्लूक़ के तमाम आमाल से ज़्यादा फ़ायदेमन्द उसकी रहमत होगी। जब तक तुम तक़दीरे ख़ुदावन्दी पर ईमान न लाओगे और उहुद पहाड़ के बराबर सोना या माल ख़र्च कर दोगे तो हर्गिज़ क़ुबूल नहीं होगा। देखो! तुम पर न आने वाली चीज़ कभी नहीं आ सकती और आने वाली ख़ता नहीं कर सकती। इस अक़ीदे (के ख़िलाफ़) अगर तुम फ़ौत हो गए तो दोज़ख़ में जाओगे। मेरे ख़्याल से अगर तुम भाई अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से जाकर इसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करोगे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं होगा। इब्ने दैलमी कहते हैं कि मैं फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और तमाम वाक़िआ सुनाया। इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने भी हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) की तरह बयान किया और कहा कि अगर तुम हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के पास जाओ तो मुनासिब है। चुनाँचे मैं हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उन्होंने भी मेरे सवाल का उन दोनों सहाबियों की तरह जवाब अता किया और फ़र्माया कि अगर ज़ैद इब्ने साबित (रज़ि.) के पास जाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं उनके पास भी गया, उन्होंने फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है, अगर अल्लाह तआला तमाम अहले ज़मीन को अज़ाब देना चाहे तो वो अज़ाब दे सकता है और कोई भी उसको ज़ालिम नहीं कह सकता। अगर उन सब पर रहमत फ़र्माए तो उनके आमाल से ये रहमत उनके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। अगर तुम अल्लाह की लिखी हुई तक़दीर पर ईमान न लाओगे तो उहुद पहाड़ के

बराबर सोना या माल ख़र्च करोगे तो वो तुमको फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा और न ही कुबूल होगा। जो बात तुम पर आने वाली है जा नहीं सकती और जो न आने वाली है नहीं आ सकती। अगर तुम्हारा इस अक़ीदे के ख़िलाफ़ इन्तेक़ाल हुआ तो समझ लो कि दोज़ख़ में जाओगे। **(अबू दाऊद-4699, इब्ने हिब्बान (मवारिद)-1817)**

78. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हम हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) के मुबारक हाथों में छड़ी थी, जिससे आप ज़मीन कुरेद रहे थे। इतने में आप (ﷺ) ने सरे मुबारक उठा कर फ़र्माया, नहीं! तुम अमल करते रहो और बेकार न हों। क्योंकि जो जिसके लिए पैदा किया गया है उसके लिए उसके अमल आसान कर दिये जाएँगे। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्माई, **जिसने (अल्लाह की राह में) दिया और (अपने रब से) डरा और अच्छी बात की तस्दीक़ की तो हम भी उसे आसान रास्ते की तरफ़ सहूलत दे देंगे, लेकिन जिसने बुख़्ल किया और बेपरवाही की और अच्छी बात को झुठलाया तो हम भी उसको तंगी और मुश्किल के अस्बाब मयस्सर कर देंगे.** (सूरह अल्लैल : 5-10)। **(बुख़ारी-4947, मुस्लिम-2647)**

79. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के नज़दीक ताक़तवर मोमिन बेहतर है, कमज़ोर मोमिन अल्लाह को महबूब है। तुझको हर बेहतरीन काम में लालच करना चाहिए, जो काम तेरे लिए मुफ़ीद हो उसको इख़्तियार कर और अल्लाह से मदद का तलबगार हो और आजिज़ न बन, अगर तुझको कोई तक्लीफ़ पहुँचे तो ये न कहा कर कि अगर मैं फलाँ-फलाँ तरीक़े पर करता तो ये काम सही तौर पर पूरा होता। बल्कि यूँ कहा कर कि अल्लाह तआला ने यही मुक़द्दर कर दिया था, वो जो चाहता है करता है। **(मुस्लिम-2664)**

80. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत आदम और हज़रत मूसा (अलैहिमुस्स्लाम) में मुबाहिसा हुआ। मूसा (अलैहि.) कहने लगे, आप हमारे वालिद हैं। आप ही ने हमको गुनाह करके जन्नत से नाकाम निकाला। हज़रत आदम (अलैहि.) ने कहा, तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और कलीमुल्लाह हो, अल्लाह तआला ने तुमको अपने हाथ से तौरात अता फ़र्माई, तो क्या तुम मुझको ऐसे काम पर मलामत करते हो जिसको अल्लाह तआला ने मेरी पैदाइश से चालीस साल पहले मेरी तक़दीर में लिख दिया था। लिहाज़ा हज़रत आदम (अलैहि.) हज़रत मूसा (अलैहि.) पर ग़ालिब आए और यक़ीनन ग़ालिब आए। **(बुख़ारी-6614, मुस्लिम-2652)**

81. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी मोमिन उस वक़्त तक होता है कि जब चार बातों पर ईमान लाए। 01. अल्लाह तआला के एक होने पर कि उसका कोई शरीक नहीं 02. मेरी रिसालत का इक़रार 03. मौत के बाद हश्र का इक़रार और 04. तक़दीर का इक़रार।

(तिर्मिज़ी-2145, मुस्नद तयालिसी-106, अबू यअला-376)

82. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, एक दिन नबी (ﷺ) को एक अन्सारी के बच्चे के जनाज़े में बुलाया गया। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये बच्चे तो जन्नत की चिड़ियाँ हैं, क्योंकि इन्होंने बुराई का अमल ही नहीं किया है और न गुनाह करने का ज़माना ही उनको मिला है। हुज़ूर (ﷺ) ने यह सुनकर इर्शाद फ़र्माया, ऐ आइशा! ये बात नहीं है, बल्कि अल्लाह तआला ने जिस मख़्लूक़ को दोज़ख़ के लिए पैदा किया है वो दोज़ख़ में जाएगी ख़्वाह वो अपने वालिद की पुश्त में ही क्यों न हो और जिनको जन्नत के लिए पैदा किया है वो जन्नत में ही दाख़िल होगी अगरचे वो अपने वालिद की पुश्त में है। **(मुस्लिम-2662)**

83. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मुश्रिकीने क़ुरैश नबी (ﷺ) की ख़िदमत में तक़दीर के मुताल्लिक़

झगड़ा करने के लिए हाज़िर हुए। उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, **जिस दिन उन्हें चेहरे के बल आग में घसीटा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) तुम दोज़ख़ की आग का मज़ा चखो। बेशक हमने हर चीज़ एक अंदाज़े के मुताबिक़ पैदा की है.** (सूरह क़मर : 48-49)। **(मुस्लिम-2656)**

84. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी मुलैया (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि वो हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और उनके सामने तक़दीर के मुताल्लिक़ ज़िक्र छेड़ा। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स तक़दीर के मुताल्लिक़ बातचीत करेगा उससे क़यामत के दिन उसके मुताल्लिक़ पूछगछ की जाएगी और जो शख़्स उसमें ख़ामोश रहा उससे सवाल भी न किया जाएगा।

85. हज़रत अम्र इब्ने अबी शुएब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाए तो अपने सहाबा (रिज़.) को तक़दीर के बारे में बातचीत करते सुना। आपका चेहरा ग़ुस्सा के मारे अनार के दाने की मानिन्द सुर्ख़ हो गया और इर्शाद फ़र्माया, क्या तुमको इसलिए पैदा किया गया है या इस काम काम का हुक्म दिया गया है कि क़ुर्आन की बाज़ आयात को बाज़ की मुख़ालिफ़ और मुतज़ाद बनाओ। (जो काम तुम कर रहे हो) इस काम की वजह से पिछली उम्मतें हलाक हो गईं। रावी कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुझको उस मजलिस में शरीक होने की शर्मिन्दगी इस क़द्र हुई कि किसी मजलिस में हाज़िर होने पर इतनी नदामत न हुई। (इमाम तिर्मिज़ी ने इसी क़िस्म की रिवायत हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत की है) **(मुस्नद अहमद)**

86. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मर्ज़ का उड़कर लग जाना और बदशगुनी लेना कोई हक़ीक़त नहीं रखते। आँहज़रत (ﷺ) के इस फ़र्मान को सुनकर एक देहाती ने खड़े होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर खुजली वाला ऊँट तन्दुरस्त ऊँटों में चला जाए तो खुजली उन पर भी असर कर जाती है और आपने फ़र्माया कि बीमारी उड़कर किसी को नहीं लगती? हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ये मुक़द्दर की बात है (ये समझो कि) आख़िर पहले वाले ऊँट को किसने खुजली वाला किया? **(मुस्नद अहमद)**

87. हज़रत शुअबी (रह.) कहते हैं, जब हज़रत अदी इब्ने हातिम (रज़ि.) कूफ़ा में तशरीफ़ लाए तो हम एक जमाअते फ़ुक़हा के साथ उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ किया, कोई हदीस जो आपने हुज़ूर (ﷺ) से सुनी हो, बयान फ़र्माइये। आप कहने लगे, एक मर्तबा म हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने मुझसे मुख़ातब होकर फ़र्माया, अदी इब्ने हातिम! अगर तुम इस्लाम लाओगे तो सलामत रहोगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस्लाम के मअनी बयान फ़र्माइये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, कलिम-ए-शहादत पढ़कर मेरी रिसालत की गवाही देना और जितनी तक़दीरात हैं, अच्छी हों या बुरी सब पर ईमान लाना। **(इब्ने अबी आसिम फ़िस्सुन्नह-135)**

88. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, (इंसान के) दिल की मिसाल उस पर की तरह है, जिसको हवा जंगलों में इधर-उधर उड़ाती फिरती हो।

(इब्ने अबी आसिम फ़िस्सुन्नह-228)

89. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, एक अन्सारी ने ख़िदमते मुबारका में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपनी बान्दी से अज़्ल करता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (अज़्ल से क्या फ़ायदा) जो उसके लिए (औलाद) मुक़द्दर हो चुकी है वो ज़रूर उसके हमल में आएगी। चन्द दिनों के बाद वो अन्सारी हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, या

रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बान्दी हामिल हो गई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो जिस नफ़्स के लिए मुक़द्दर हो चुका है वो ज़रूर पूरा होकर रहेगा। **(मुस्नद अहमद)**

90. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, उम्र में ज़्यादती का ज़रिया नेकी के अलावा कोई चीज़ नहीं। मुक़द्दर को फेरने वाली चीज़ सिवाए दुआ के कोई चीज़ नहीं। इंसान को रिज़्क़ से महरूम करने वाली चीज़ उसकी बदआमाली है। **(मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी-2139)**

91. हज़रत सुआक़ा इब्ने जअसम (रज़ि.) कहते हैं, मैं एक दिन हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो काम लिखे जा चुके हैं और तक़दीर उनके मुताल्लिक़ जारी हो चुकी है उनमें आइन्दा अमल करना (बिल्कुल बेफ़ायदा है)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (नहीं!) बल्कि जो काम लिखे जा चुके हैं और उनके मुताल्लिक़ तक़दीरे इलाही जारी हो चुकी है, उनका करना इन्सान के लिए आसान कर दिया जाता है।

92. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस उम्मत के मजूस वो लोग हैं जो तक़दीराते इलाही को झुठलाने वाले हैं। अगर ऐसे लोग मरीज़ हो तो उनकी इयादत को न जाओ, अगर मर जाए तो जनाज़े में शरीक न हो और अगर उनसे तुम्हारी मुलाक़ात हो जाए तो सलाम न करो।

हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

93. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं हर दोस्त की दोस्ती से बेपरवाह और मुस्तग़नी हूँ। अगर मुझको दोस्त बनाना होता तो मैं हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को अपना दोस्त बनाता। मैं तुम्हारा सरदार और अल्लाह तआला का ख़लील हूँ। **(मुस्लिम-2383)**

94. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस क़द्र मुझको हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के माल से फ़ायदा हुआ, उस क़द्र मुझको किसी के माल से फ़ायदा न हुआ। ये सुनकर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) रोए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं और मेरा माल कभी इस क़ाबिल हैं कि आपके लिए फ़ायदेमन्द हो सके, मेरी तो कोई हक़ीक़त नहीं। **(नसाइ फिल्कुब्रा-8110, तिर्मिज़ी-3661)**

95. हज़रत अली (रजि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) दरम्यानी उम्र वाले जन्नतियों के सरदार हैं। नबियों और रसूलों के अलावा तमाम अव्वलीन और आख़िरीन इसमें शामिल हैं। लेकिन ऐ अली! उनको उनकी ज़िन्दगी में इस बात की इत्तिला मत देना। **(तिर्मिज़ी-3661)**

96. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में आला दर्जे वालों को कमतर दर्जे वाले इस तरह देखेंगे जैसे आसमान में तारे देखे जाते हैं। अबूबक्र और उमर (रिज़.) भी उन्हीं लोगों में से हैं, बल्कि उनसे भी अफ़ज़ल हैं। **(अबू दाऊद-3987)**

97. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) की तरफ़ इशारा करते हुए फ़र्माया, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम लोगों में कितने ज़माने तक रहूँ? मेरे बाद तुमको चाहिए कि इन दोनों की इक़्तिदा (पैरवी) करो। **(तिर्मिज़ी-3662)**

98. हज़रत इब्ने अबी मुलैका (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माने लगे कि हज़रत उमर (रज़ि.) का जनाज़ा तैयार करके ताबूत पर रखा गया, तो लोगों ने आपके ऊपर हुजूम करके दुआ और नमाज़ शुरू

कर दी। मैं भी उस वक़्त उन लोगों में मौजूद था। इस भीड़भाड़ में मुझको एक शख़्स का धक्का लगा। मैंने घूम कर देखा तो वो हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) थे। उन्होंने हज़रत उमर पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए फ़र्माया, जो लोग आमाल की वजह से अल्लाह से मिले हैं, उनमें आपसे ज़्यादा मुझको कोई महबूब नहीं। मेरा ख़्याल है कि अल्लाह तआला आपको आपके दोनों साथियों (यानी नबी (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र रज़ि) के साथ शामिल फ़र्माएगा। उसकी वजह ये है कि मैं अक्सर हुज़ूर (ﷺ) से ये अल्फ़ाज़ सुना करता था कि मैं और अबूबक्र और उमर आ गये थे। मैं और अबूबक्र व उमर आए थे, मैं और अबूबक्र व उमर निकले थे (गोया हर काम में आप (रज़ि.) अपने साथ शामिल फ़र्माया करते थे) इस वहज से मैं ख़्याल करता हूँ कि आपको अल्लाह तआला आपके दोनों साथियों में शामिल फ़र्माएगा। **(बुख़ारी-3685, मुस्लिम-2389)**

99. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन रसूले अकरम (ﷺ) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) के दरम्यान बाहर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, क़यामत के दिन भी मैं इसी तरह उठूँगा। **(तिर्मिज़ी-3669)**

100. हज़रत अवान इब्ने अबी जुहैफ़ा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र और उमर नबियों और रसूलों के अलावा तमाम अव्वलीन और आख़िरीन के दरम्याना उम्र वाले जन्नतियों के सरदार हैं। **(इब्ने हिब्बान (मवारिद)-2192)**

101. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपको तमाम औरतों में कौन सबसे ज़्यादा महबूब मालूम होती हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा। अर्ज़ किया गया, मर्दों में? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा के वालिद (अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि.)। **(तिर्मिज़ी-3890)**

हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

102. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने शफ़ीक (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा से दरयाफ़्त किया, हुज़ूर (ﷺ) को अपने सहाबा (रज़ि.) में महबूब कौन था? फ़र्माया, हज़रत अबूबक्र। मैंने कहा, उनके बाद? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, उमर (रज़ि.)। मैंने अर्ज़ किया , उनके बाद? आपने फ़र्माया, अबू उबैदा बिन जर्राह (रज़ि.)।
(तिर्मिज़ी-3657)

103. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब हज़रत उमर (रज़ि.) इस्लाम लाए तो जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) नाज़िल हुए और हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया कि तमाम अहले आसमान हज़रत उमर (रज़ि.) के क़ुबूले इस्लाम से ख़ुश हुए।

104. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि .) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिससे पहले हक़ ने मुसाफ़ा किया वो हज़रत उमर हैं, जो शख़्स पहले उनको सलाम करेगा या पहले उनके हाथ को पकड़ेगा वो जन्नती है।

105. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ख़ुसूसियत के साथ ये दुआ फ़र्माई कि इलाही तू उमर (रज़ि.) के ज़रिये से इस्लाम को इज़्ज़त अता फ़र्मा।

106. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलमा (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अली का क़ौल है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के बाद हज़रत अबूबक्र तमाम मख़्लूक़ात से बेहतर हैं और हज़रत अबूबक्र के बाद हज़रत उमर (रज़ि.)।

107. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हम हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। हुज़ूर (ﷺ) ने

फ़र्माया, मैंने ख़्वाब में देखा कि जन्नत में एक मकान के गोशे में एक औरत वुज़ू कर रही है। मैंने उससे दरयाफ़्त किया, ये किसका मकान है? उसने कहा, उ़मर (रज़ि.) का। यह सुनकर मुझे हज़रत उ़मर (रज़ि.) की ग़ैरत याद आई और पीठ फेरकर वहाँ से चला। अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, ये सुनकर हज़रत उ़मर (रज़ि.) रोने लगे और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान! मैं आप पर ग़ैरत कैसे कर सकता हूँ। **(बुख़ारी-3680)**

108. हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने हक़ को उ़मर की ज़बान पर क़ायम कर दिया है, जो कुछ वो कहते हैं (हक़ ही होता है)। **(अबू दाऊद-2962)**

हज़रत उस्मान ग़नी के फ़ज़ाइल

109. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में हर शख़्स का कोई रफ़ीक है और मेरा रफ़ीक उ़स्मान है। **(तिर्मिज़ी-3698)**

110. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) की हज़रत उ़स्मान ग़नी (रज़ि.) से मुलाक़ात हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उ़स्मान! ये जिब्राईल (अ़लैहि.) हैं। (जो मेरे साथ मौजूद हैं) ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से कहते हैं कि अल्लाह तआ़ला ने उम्मे कुलसुम (रज़ि.) के साथ तुम्हारा निकाह फ़र्माया है और हज़रत रुक़य्या (रज़ि.) के मह्र की तरह मह्र मुक़र्रर फ़र्माया गया है।

111. हज़रत कअ़ब बिन उज्रा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) एक दिन फ़र्मा रहे थे कि एक फ़ित्ने के ज़ाहिर होने का वक़्त क़रीब आ गया है। इतने में एक शख़्स अपने सर को झुकाए हुए गुज़रा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस (फ़ित्ने के) वक़्त ये शख़्स हिदायत पर होगा। ये सुनकर मैं दौड़ा और उनके दोनों काँधों पर हाथ रखे तो (मालूम हुआ कि) ये हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) हैं। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये शख़्स है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जी हाँ! यही है। **(मुस्नद अहमद)**

112. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक दिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ उ़स्मान! जिस दिन तुमको ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी सुपुर्द की जाएगी, उस वक़्त मुनाफ़िक़ लोग जो क़मीज़ (ख़िलाफ़त) अल्लाह तआ़ला ने तुमको पहनाई होगी, उतारना चाहेंगे। लेकिन तुम उसको हर्गिज़ न उतारना। हज़रत नोअ़मान (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, फिर आपने लोगों से ये हदीस क्यों न बयान की ताकि उनको इस फ़र्माने नबी (ﷺ) का इल्म हो जाता। आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुझको याद न रही। **(तिर्मिज़ी-3705)**

113. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मर्ज़े वफ़ात में हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये आरज़ू है कि इस वक़्त मेरे पास मेरे सहाबा (रज़ि.) में कोई शख़्स मौजूद होता। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) क्या हज़रत अबूबक्र को बुला लें? आप (ﷺ) ने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हज़रत उ़मर (रज़ि.) को बुला लें? तब भी आप (ﷺ) ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत उ़स्मान को बुला लें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! उनको बुला लो। अल्ग़र्ज़ हज़रत उ़स्मान हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे कुछ बातचीत की, जिससे हज़रत उ़स्मान का चेहरा मुतग़य्यर होता चला गया। हज़रत क़ैस का बयान है, कि मुझसे हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के ग़ुलाम ने बयान कि जिस वक़्त हज़रत उ़स्मान का उनके मकान में घेराव हुआ, तो उस वक़्त उन्होंने फ़र्माया कि मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने एक वादा लिया था, लिहाज़ा उस वादे पर मुस्तक़ीम रह कर सब्र करता हूँ। क़ैस (रज़ि.) कहते हैं कि उस दिन सहाबा (रज़ि.) को उसी हदीस की तरफ़ (हुज़ूर (ﷺ) की हज़रत उ़स्मान से

बातचीत का) ख़्याल हो गया था। **(मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी-3711)**

हज़रत अली कर्रमुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

114. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया था कि मुझसे मुहब्बत करने वाला मोमिन होगा और मुझसे नफ़रत रखने वाला मुनाफ़िक़ होगा। **(मुस्लिम-78)**

115. हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) कहते हैं, मेरे वालिद ने बयान किया, हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत अली से फ़र्माया था कि अली तुमको क्या ये बात पसन्द नहीं है कि अल्लाह तआला ने तुमको मेरे लिए ऐसा बना दिया जैसे हारून (अलैहि.) मूसा (अलैहि.) के लिये मददगार थे। **(बुख़ारी-3706, मुस्लिम-2404)**

116. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, हज्जतुल विदाअ में हम लोग हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ चले, एक मक़ाम पर हुज़ूर (ﷺ) ने क़याम फ़र्माया और नमाज़ के लिये अज़ान दी। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत अली का हाथ पकड़कर फ़र्माया, क्या मैं मोमिनों से उनका क़रीबी ताल्लुक रखने वाला नहीं हूँ? सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बेशक। हुज़ूर (ﷺ) ने दोबारा फिर यही अल्फ़ाज़ फ़र्माए और सहाबा (रज़ि.) ने यही जवाब दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने उस वक़्त हज़रत अली की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, जिसका मैं दोस्त हूँ उसके ये दोस्त हैं। ऐ अल्लाह! जो अली से मुहब्बत रखे तू भी उसको महबूब रखना और जो उसकी दुश्मनी पर कमर बाँधे तू भी उससे दुश्मनी का इंतेक़ाम लेना। **(मुस्नद अहमद)**

117. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे वालिद अबू लैला (रज़ि.) एक मर्तबा हज़रत अली (रज़ि.) के साथ चले जा रहे थे। उन्होंने देखा कि गर्मी में सर्दी के कपड़े और सर्दी में गर्मी के कपड़े आप पहन लेते हैं और कोई तक्लीफ़ महसूस नहीं होती। अर्ज़ किया, अगर मैं आपसे इसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करूँ तो कोई हर्ज न होगा। हज़रत अली ने फ़र्माया, बात यह है कि ख़ैबर के दिन मेरी आँखे दुख रही थी, हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको बुलवाया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी आँखें दुख रही हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने मेरी आँखों पर फूँकते हुए फ़र्माया, **अल्लाहुम्म इज़हब अन्हुल हर्र हल्बर्द.** (ऐ अल्लाह इससे सर्दी और गर्मी दूर कर दे)। हज़रत अली ने फ़र्माया, उस रोज़ से मुझको सर्दी-गर्मी कुछ नहीं मालूम होती है। रावी कहते हैं, ख़ैबर के दिन हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि आज झण्डा मैं ऐसे शख़्स को दूँगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल दोनों मुहब्बत करते हैं और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत रखता है। ये फ़र्मान सुनकर लोगों को बड़ा इश्तियाक़ हुआ। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत अली (रज़ि.) को बुलवाया और झण्डा इनायत फ़र्माया।

118. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हसन और हुसैन (रजि.) दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और उनके वालिद उनसे भी बेहतर और आला हैं। **(हाकिम)**

119. हज़रत हबशी इब्ने जुनादा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अली मुझसे हैं और मैं अली से हूँ। मुझसे मुहब्बत करने वाला अली है। **(तिर्मिज़ी-3719)**

120. अयाज़ इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं अल्लाह का बन्दा और उसके रसूल का भाई हूँ और मैं सिद्दीक़े अकबर हूँ, मैं सिद्दीक़े अकबर हूँ। सिद्दीक़े अकबर के ख़िताब का मेरे बाद कोई झूठा ही दावा करेगा। मैंने नमाज़ फ़र्ज होने से सात साल पहले नमाज़ पढ़ी थी। **(हाकिम)**

121. हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत मुआविया (रज़ि.) किसी हज्ज में आए तो हज़रत सअद (रज़ि.) उनके पास मुलाक़ात को गए। वहाँ हज़रत अली का ज़िक्र कुछ बेअदबी के साथ हुआ। हज़रत सअद (रज़ि.) को सख़्त गुस्सा आया और फ़र्माने लगे, तुम उनको ये शख़्स! ये शख़्स! कहकर पुकारते हो? मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि जिसका मैं मौला हूँ, अली भी उसका मौला है। अली मेरे लिए ऐसे हैं जैसे हारून (अलैहि.) मूसा (अलैहि.) के लिये; अलबत्ता मेरे बाद कोई शख़्स नबी नहीं हो सकता और ख़ैबर के दिन फ़र्माया, मैं आज ऐसे शख़्स को झण्डा दूँगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मुहब्बत रखता है।

हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

122. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, जंगे बनी क़ुरैज़ा के दिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हमको उस क़ौम की ख़बर कौन शख़्स लाकर देगा? हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं लाकर दूँगा। तीन मर्तबा यही सूरत हुई और हर बार हज़रत ज़ुबैर ने ही जवाब दिया। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नबी का हवारी होता है और मेरे हवारी ज़ुबैर (रज़ि.) हैं। **(बुख़ारी-2846, 4113, मुस्लिम-2415)**

123. हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं, जंगे उहुद के दिन हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे लिए फ़र्माया था कि मेरे माँ-बाप तुझ पर क़ुर्बान हो। (उनके अलावा और किसी के हक़ में ये अल्फ़ाज़ अदा नहीं फ़र्माए)। **(बुख़ारी-3720, मुस्लिम-2416)**

124. हज़रत हिशाम इब्ने उर्वा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, उर्वा मेरे और तुम्हारे वालिद उन लोगों में से हैं, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की आवाज़ पर मुसीबत के वक़्त लब्बैक कही है। यानी अबूबक्र और ज़ुबैर (रज़ि.)। **(हाकिम)**

हज़रत तल्हा इब्ने उबैदुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

125. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र हज़रत तल्हा (रज़ि.) के क़रीब से हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये ज़मीन पर चलने वाला (ज़िन्दा) शहीद है। **(तिर्मिज़ी-3739)**

126. हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़्यान (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत तल्हा (रज़ि.) की तरफ़ देखकर फ़र्माया, ये उन लोगों में से है, जो कामयाब हो चुके हैं। **(तिर्मिज़ी-3020, 3203)**

127. हज़रत तल्हा (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हम मुआविया (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे। मुआविया (रज़ि.) कहने लगे, मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था, तल्हा (रज़ि.) ने अपना मक़सद पूरा कर लिया।

128. हज़रत क़ैस (रज़ि.) कहते हैं, मैंने जंगे उहुद के दिन देखा था कि तल्हा (रज़ि.) के दोनों हाथ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की हिफ़ाज़त करते-करते ज़ख़्मी हो गये थे। **(बुख़ारी-4063)**

हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

129. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, मैंने कभी किसी सहाबी को नहीं देखा कि जिस पर हुज़ूर ने अपने वालिदैन को क़ुर्बान किया हो कि तुझ मेरे माँ-बाप क़ुर्बान हो। लेकिन हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से जंगे उहुद

में हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ सअ़द! तुम तीर चलाओ, तुम पर मेरे माँ-बाप कुर्बान हो।

(बुख़ारी-2905, 4058,4059, मुस्लिम-2412)

130. हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत सअ़द इब्ने वक़्क़ास (रज़ि.) ने फ़र्माया, जंगे उहुद के दिन हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, ऐ सअ़द! तुम तीर चलाओ, मेरे माँ-बाप तुम पर कुर्बान हो।

(बुख़ारी-4057, मुस्लिम-2412)

131. हज़रत क़ैस (रज़ि.) कहते हैं, सअ़द बिन अबी वक़्क़ास ने बयान किया कि अ़रब में पहला वो शख़्स जिसने अल्लाह की राह में तीर अन्दाज़ी की वो मैं हूँ। **(बुख़ारी-3728, मुस्लिम-2966)**

132. हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) ने फ़र्माया, जिस दिन मैं ईमान लाया हूँ उस दिन दूसरा कोई और शख़्स ईमान नहीं लाया था। इस्लाम लाने वालों के तीसरे दर्जे में हूँ।

(बुख़ारी-3727)

अशरा-ए-मुबश्शरा की फ़ज़ीलत

133. हज़रत सईद इब्ने ज़ैद इब्ने उ़मर इब्ने नुफ़ैल (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने दस लोगों को शुमार करते हुए जन्नती क़रार फ़र्माया। **01. हज़रत अबूबक्र 02. हज़रत उ़मर 03. हज़रत उ़स्मान 04. हज़रत अ़ली 05. हज़रत तल्हा 06. हज़रत ज़ुबैर 07. हज़रत सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास 08. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़** किसी ने पूछा कि नौ वाँ शख़्स कौन है? तो सईद इब्ने ज़ैद ने फ़र्माया, वो मैं हूँ। **(अबू दाऊद-4650)**

134. हज़रत सईद इब्ने ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने हिरा पहाड़ी को ख़िताब करके फ़र्माया, ऐ कोहे हिरा! (थर्रा नहीं) अपने मक़ाम पर क़ायम रह क्योंकि तुझ पर सिवाय नबी के और सिद्दीक़ और शहीद के चौथा कोई शख़्स नहीं है। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने उन सहाबा (रज़ि.) को शुमार किया। **01. अबूबक्र 02. उ़मर 03. उ़स्मान 04. अ़ली 05. तल्हा 06. ज़ुबैर 07. सअ़द बिन अबी वक़्क़ास 08. अ़ब्दुर्रहमान इब्ने औ़फ़ 09. सईद इब्ने ज़ैद।** **(अबू दाऊद-4648, तिर्मिज़ी-3757)**

*तशरीह : इस हदीस में नौ सहाबा का ज़िक्र है, इनमें दसवें सहाबी **हज़रत उ़बैदा बिन जर्राह (रज़ि.)** हैं। इन दस सहाबियों को अश्रा-ए-मुबश्श्रा कहा जाता है। यानी वो दस सहाबा जिनको हुज़ूर (ﷺ) ने एक साथ जन्नत की बशारत दी। ये दस हज़रात तमाम सहाबा (रज़ि.) से अफ़ज़ल है।*

हज़रत उ़बैदा इब्ने जर्राह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

135. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने अहले नज्रान से फ़र्माया था कि देखो मैं तुम्हारी ख़्वाहिश के मुताबिक़ एक निहायत अमीन शख़्स को रवाना करूँगा। ये फ़र्माकर हुज़ूर (ﷺ) ने उ़बैदा इब्ने जर्राह (रज़ि.) को वहाँ रवाना फ़र्माया। **(बुख़ारी-3745, मुस्लिम-2420)**

136. हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने हज़रत उ़बैदा इब्ने ज़र्राह (रज़ि.) की तरफ़ इशारा करते हुए फ़र्माया, ये इस उम्मत के अमीन हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

137. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर बग़ैर किसी मश्वरे के मैं किसी को ख़लीफ़ा बनाता तो इब्ने उम्मे अ़बैद को बनाता (यानी अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद रज़ि.)। **(तिर्मिज़ी-3808)**

138. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत अ़मर (रज़ि.) ने मुझको ये ख़ुशख़बरी सुनाई थी कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया था, जो शख़्स क़ुर्आन को क़ुर्आनी तरीक़े पर पढ़ना चाहे वो इब्ने उम्मे अ़बैद (रज़ि.) की क़िरअ़त पर पढ़े। (इब्ने उम्मे अ़बैद हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) की कुन्नियत है)। **(मुस्नद अहमद)**

139. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक मैं तुमको मना न कर दूँ उस वक़्त तक तुमको इजाज़त है कि हर वक़्त मेरे पास आ सकते हो। **(मुस्लिम-2169)**

हज़रत अ़ब्बास इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

140. हज़रत अ़ब्बास इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) कहते हैं, जब क़ुरैश आपस में बातचीत करते होते और हम में से कोई शख़्स उस तरफ़ गुज़र जाता तो वो लोग फ़ौरन अपनी बातचीत को बन्द कर देते। ये वाक़िआ मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, यह क्या बात है कि लोग जब मेरे अहले बैत में से किसी शख़्स को देखते हैं तो अपनी बातचीत को फ़ौरन बन्द कर देते हैं। अल्लाह की क़सम! इन्सान उसी वक़्त मोमिन होगा जबकि मेरे अहले बैत से अल्लाह के लिए और मेरी रिश्तेदारी की वजह से मुहब्बत रखे। **(हाकिम)**

141. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़मर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस तरह अल्लाह तआ़ला ने इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) को अपना ख़लील मुक़र्रर फ़र्माया है। उसी तरह मुझको अपना ख़लील बनाया। क़यामत के दिन मैं और हज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) दोनों एक मर्तबे में होंगे और दोनों ख़लीलों के दरम्यान एक मोमिन अ़ब्बास (रज़ि.) होगा।

हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन की फ़ज़ीलत

142. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने हज़रत हसन (रज़ि.) को सीन-ए-मुबारक से चिमटाकर ये दुआ फ़र्माई थी, ऐ अल्लाह! मैं इसको दोस्त और महबूब रखता हूँ, तू भी इसको महबूब फ़र्माना और जो शख़्स इसको महबूब रखे, उसको भी महबूब रखना। **(बुख़ारी-2122, मुस्लिम-2421)**

143. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने हसन और हुसैन (रिज़्वानुल्लाह) से मुहब्बत रखी, उसने मुझसे मुहब्बत रखी और जिसने इन दोनों से दुश्मनी रखी, उसने मुझसे दुश्मनी रखी। **(नसाई फ़िल्कुबरा-8168)**

144. हज़रत यअ़ला इब्ने मुर्रा (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ दावत में गया। रास्ते में हज़रत हुसैन (रज़ि.) से मुलाक़ात हो गई। आप खेल रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) उनको देखकर आगे बढ़कर उनको गोद में लेने के लिए बढ़ाए। हज़रत हुसैन (ﷺ) ने इधर-उधर भागना शुरू किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें पकड़ना और मुस्कुराना शुरू किया, यहाँ तक कि इसी भागदौड़ में हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने उनको पकड़कर एक हाथ ठोडी पर रखा

और एक हाथ गुद्दी के नीचे और उनके चेहरे को बोसा दिया और फ़र्माया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मेरा नवासा है जो शख़्स हुसैन को दोस्त रखेगा, अल्लाह तआला उसको दोस्त रखेगा। **(तिर्मिज़ी-3775, हाकिम)**

145. हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर नबी (ﷺ) ने हज़रत अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन (रज़ि.) से फ़र्माया, जो तुमसे से सुलह रखेगा मैं उससे सुलह रखूँगा। जो तुम से लड़ाई का ख़्वाहिशमन्द होगा उससे मैं लड़ूँगा। **(तिर्मिज़ी-3870)**

हज़रत अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

146. हज़रत अली इब्ने अबू तालिब (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मैं नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था। इतने में अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) ने अन्दर आने की इजाज़त चाही। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस पाक और पाक़िज़ा को अन्दर आने दो। **(तिर्मिज़ी-3798)**

147. हज़रत हानी इब्ने हानी (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हज़रत अली (रज़ि.) के पास हज़रत अम्मार (रज़ि.) आए। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, आइये, आइये! पाक और पाकीज़ा शख़्स ! मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अम्मार ऐड़ी से चोटी तक ईमान से भरे हुए हैं।

148. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अम्मार (रज़ि.) को दो बातों का इख़्तियार दिया जाता है तो उनमें से जो बात ज़्यादा हिदायत की तरफ़ होती है, उसको पसन्द करते हैं। **(तिर्मिज़ी-3799)**

हज़रत सलमान, हज़रत अबू ज़र और हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

149. हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको चार लोगों से मुहब्बत रखने का हुक्म हुआ है। और फ़र्माया गया है कि अल्लाह तआला भी उनको महबूब और दोस्त रखता है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौन लोग हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उनमें से एक अली है। (तीन मर्तबा फ़र्माया सलमान, अबू ज़र और मिक़्दाद रिज़्वानुल्लाह अज्मईन)। **(तिर्मिज़ी-3718)**

150. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, जिन लोगों ने सबसे पहले अपने इस्लाम को ज़ाहिर किया, वो सात शख़्स हैं। मुहम्मद (ﷺ), अबूबक्र, अम्मार और उनकी वालिद सुमय्या, सुहैब, बिलाल और मिक़्दाद (रज़ि.)। हुज़ूर (ﷺ) को अल्लाह तआला ने आपके चचा के ज़रिये से मुश्रिकीन की ईज़ाओं से महफ़ूज़ रखा और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को उनकी क़ौम के ज़रिये से और बाक़ी लोगों को मुश्रिकों ने पकड़ा और उनको लोहे के कुर्ते पहनाए। उनको धूप में जलाया, सो कोई उनमें से ऐसा न था जिसने मुश्रिकों के इरादों की मुवाफ़िकत न की हो, यानी अपने ईमानों को दिल में छुपा कर ऐसा किया। मगर बिलाल (रज़ि.) कि उनका नफ़्स उनकी नज़रों में ज़लील हो गया, अल्लाह की अज़्मत की वजह से और ज़लील हो गए वो अपनी क़ौम के आगे। फिर मुश्रिकों ने हज़रत बिलाल को लड़कों के सुपुर्द कर दिया। वो उनको मक्का की घाटियों में लिए फिरते थे। हज़रत बिलाल यही कहते थे, अहद! अहद! यानी अल्लाह तआला एक है, एक है। फिर आपस में मश्विरा करके हज़रत बिलाल (रज़ि.) के साथ और

सख़्ती की गई। उनको अल्लाह की राह में ज़लील किया गया, उनको पकड़कर गलियों-कूचों में फिराया गया। लड़के उनके पीछे-पीछे रहे। लेकिन उनकी आवाज़ अहद! अहद! ही रही। **(मुस्नद अहमद)**

151. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको अल्लाह तआला के रास्ते में जो-जो तक्लीफ़ें दी गई हैं। ऐसी तक्लीफ़ें किसी को नहीं दी गई और जो ख़ौफ़ मुझको दिलाए गए, किसी को नहीं दिलाए गए। तीन-तीन दिन तक मुझको खाने के लिए इतना ही मुयस्सर हुआ है कि बिलाल (रज़ि.) उसको बग़ल में छिपा लिया करते थे। **(तिर्मिज़ी-2472, इब्ने हिब्बान-2528)**

हज़रत बिलाल (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

152. एक शाइर ने मुअज़्ज़िने रसूल हज़रत बिलाल इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत बयान करते हुए कहा कि अब्दुल्लाह के बेटे बिलाल (रज़ि.) सब बिलालों से अच्छे हैं। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तू झूठा है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के बिलाल सब बिलालों से अच्छे हैं। **(मुस्नद अहमद)**

हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

153. हज़रत अबो लैल (रज़ि.) कहते हैं, ख़ब्बाब (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, क़रीब हो जाओ। इस मज्लिस में हज़रत अम्मार (रज़ि.) के अलावा तुमसे ज़्यादा क़ुर्बत के लायक़ कोई नहीं है। हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.) के क़रीब हो गए और अपनी पीठ के वो निशान दिखाने लगे जो मुश्रिकीन की तरफ़ से उनको पहुँचे थे।

आठ सहाबा-किराम (रज़ि.) के फ़ज़ाइल

154. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे पर ज़्यादा रहम वाले अबूबक्र (रज़ि.) हैं और दीने इस्लाम में सबसे सख़्त उमर (रज़ि.) हैं। सच्ची हया वाले हज़रत उस्मान (रज़ि.) हैं और सबसे उम्दा फ़ैसला देने वाले अली (रज़ि.) हैं और क़ारी-ए-क़ुर्आन उबय इब्ने कअब (रज़ि.) हैं। हलाल-हराम के सबसे ज़्यादा आलिम मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) हैं और इल्मे फ़राइज़ को जानने वाले ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) हैं। देखो! हर उम्मत का एक अमीन होता है, इस उम्मत के अमीन उबैदा इब्ने जर्राह (रज़ि.) हैं। **(तिर्मिज़ी-3791)**

155. हज़रत इमाम इब्ने माजह (रह.) एक दूसरी सनद से ये रिवायत बयान करते हैं, उसमें इसी हदीस में ये अल्फ़ाज़ हैं, इल्मे फ़राइज़ (विरासत के इल्म) में सबसे ज़्यादा आलिम ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) हैं।

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

156. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आसमान और ज़मीन के दरम्यान कोई शख़्स अबू ज़र से ज़्यादा सच्चा नहीं है। **(तिर्मिज़ी-3801)**

हज़रत सअद इब्ने मुआज़ (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

157. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक रेशम का टुकड़ा पेश किया

गया। हाज़िरीन ने इसको लेकर देखना शुरू किया। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये तुमको अच्छा मालूम हो रहा है? लोगों ने अर्ज़ किया, जी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! सअद इब्ने मुआज़ के जन्नती रूमाल इससे भी बेहतर और उम्दा हैं। **(बुख़ारी-6640)**

158. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सअद इब्ने मुआज़ (रज़ि.) की मौत पर रहमान के अर्श में लरज़ा पैदा हो गया। **(बुख़ारी-3803, मुस्लिम-2466)**

हज़रत ज़ुबैर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

159. हज़रत ज़ुबैर इब्ने अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) कहते हैं, जब से मैं इस्लाम लाया, उस वक़्त से लेकर रसूले अकरम (ﷺ) ने मुझसे कभी पर्दा न किया और जिस वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से मुलाक़ात हुई, आप हमेशा मेरे सामने मुस्कुराते रहे। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ये शिकायत की थी कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं घोड़े पर अच्छे तौर से सवार नहीं हो सकता। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मेरे सीने पर हाथ रखकर फ़र्माया, **अल्लाहुम्म सब्बितहू वज़अल्हु हादियम महदिया.** (ऐ अल्लाह! इसको साबित रख और इसको राह बताने वाला और राह पाया हुआ कर दे)। **(बुख़ारी-3035)**

बद्र में शरीक सहाबा की फ़ज़ीलत

160. हज़रत राफ़ेअ इब्ने ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं कि जिब्रईल (अलैहि.) या कोई और फ़रिश्ता नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप उन लोगों के बारे में क्या ख़्याल फ़र्माते हैं जो बद्र में शरीक हुए थे? फ़र्माया, ख़ैरुन्नास! (यानी तमाम लोगों से बेहतर)। उस फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया कि इसी तरह हम भी उन फ़रिश्तों को ख़ैरुलमलक (यानी तमाम फ़रिश्तों से बेहतर) शुमार करते हैं जो बद्र में शरीक हुए थे। **(मुस्नद अहमद)**

161. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे सहाबा को गाली न दो। उस ज़ाते मुक़द्दस की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, तुम में से अगर उहुद के बराबर सोना ख़र्च करेगा तब भी उनके एक पैमाने या आधे पैमाने के बराबर भी सवाब नहीं मिलेगा। **(बुख़ारी-3673, मुस्लिम-2540)**

162. हज़रत नसीर इब्ने ज़ालूक (रज़ि.) कहते हैं, इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुहम्मद (ﷺ) के सहाबा को बुरा न कहो, क्योंकि उनका एक घड़ी का अमल तुम्हारे तमाम उम्र के आमाल से बेहतर है। **(मुस्नद अहमद)**

163. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो अन्सार से मुहब्बत रखेगा अल्लाह तआला उससे मुहब्बत रखेगा। जो अन्सार से दुश्मनी रखेगा, अल्लाह उससे दुश्मनी रखेगा। शुअबा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अदी से दरयाफ़्त किया कि क्या तुमने ये हदीस बराअ इब्ने आज़िब से सुनी है? अदी ने कहा, बराअ ने मुझसे ही बयान की थी। **(बुख़ारी-3783)**

164. हज़रत सहल इब्ने सअद (रज़ि.) अपने दादा की हदीस बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्सार उस कपड़े की तरह हैं जो जिस्म से लगा हुआ हो और दीगर लोग उस कपड़े की तरह हैं जो जिस्म के ऊपरी हिस्से पर हो। अगर लोग अलग रास्ते पर चले और अन्सार अलग रास्ते पर चले तो मैं अन्सार ही का रास्ता इख़्तियार करूँगा। अगर हिजरत न होती तो मैं भी एक अन्सारी शख़्स होता।

165. हज़रत अम्र इब्ने औफ़ (रज़ि.) अपने दादा से रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने अन्सार के लिए ये दुआ फ़र्माई थी, ऐ अल्लाह तू अन्सार और अन्सार के बेटों और पोतों पर रहम फ़र्मा। **(मुस्लिम-2506)**

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की फ़ज़ीलत

166. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) ने मुझको अपने सीन-ए-मुबारक से चिमटा कर यह दुआ फ़र्माई थी, **अल्लाहुम्म अल्लिम्हुल्हिक्मत व तावीलल किताब.** (ऐ अल्लाह! इसको कुर्आन व हदीस की समझ, माअ़ना, मतलब और फ़हम दे)। **(बुख़ारी-3706)**

ख़ारजियों का बयान

167. हज़रत उबैदा (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अली (रज़ि.) ने ख़्वारिज का ज़िक्र करते हुए इर्शाद फ़र्माया, उनमें एक ऐसा शख़्स होगा जिसके हाथ या तो नाक़िस होंगे या कोताह दस्त होगा। (रावी कहते हैं) मैंने हज़रत अली से कहा, क्या आपने यह हदीस ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) से सुनी है? फ़र्माया, हाँ! अल्लाह की क़सम, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ख़ुद सुनी है। **(मुस्लिम-1066)**

168. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, आख़िरी ज़माने में एक क़ौम पैदा होगी जो बिदअ़ती और बैअक़्ल होगी और वो ऐसी-ऐसी उम्दा और भलाई की बातें कहेंगे जो सब नेक लोगों के अकवाल से बेहतर मालूम होंगी। कुर्आन बकसरत पढ़ेंगे, लेकिन दीन से ऐसे बाहर होंगे जैसे तीर निशाने से पार हो जाता है। कुर्आन पढ़ेंगे तो ज़रूर लेकिन उनके हलक़ से नीचे न उतरेगा। ये लोग जिस शख़्स के ज़माने में ज़ाहिर हों, उसको चाहिए कि उनको क़त्ल कर दे। क्योंकि उनके क़त्ल का अल्लाह तआला के यहाँ उसको सवाब अता किया जाएगा। **(तिर्मिज़ी-2188)**

169. हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से कहा, क्या तुमने कभी ख़्वारिज में से क़ौमे हरूरिया के मुताल्लिक़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से कुछ सुना है? उन्होंने कहा, हुज़ूर (ﷺ) ने एक क़ौम का इस तरह ज़िक्र फ़र्माया था कि उनका नमाज़-रोज़ा इस क़द्र होगा कि तुम अपने नमाज़-रोजों को उनके मुकाबले में बिल्कुल हक़ीर समझोगे। लेकिन वो दीन से ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है और फिर आदमी उसकी डंडी को देखे। कोई अलामत शिकार की न पाए। फिर उसके अतराफ़ में देखे वहाँ भी न पाए। फिर उसको नोक में ख़्याल करे तो उसको शक हो कि लगा है या शायद नहीं। **(मुस्नद अहमद)**

170. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे बाद या ये फ़र्माया अनक़रीब मेरे बाद मेरी उम्मत में एक ऐसी क़ौम पैदा होगी जो कुर्आन पढ़ेगी लेकिन उनके हलक़ के नीचे से नहीं उतरेगा। वो ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर निशाने से बाहर जाता है और फिर वापस नहीं होंगे। ये क़ौम तमाम मख़्लूक़ से बदतरीन मख़्लूक़ होगी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, मैंने ये हदीस राफ़ेअ इब्ने उमर (रज़ि.), हकम इब्ने उमर (रज़ि.) के भाई से बयान की तो उन्होंने कहा, मैंने भी हुज़ूर (ﷺ) से ये हदीस सुनी है। **(मुस्लिम-1067)**

171. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में से कुछ लोग कुर्आन को पढ़ेंगे, लेकिन दीन से ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर निशाने से निकल जाता है। **(मुस्नद अहमद)**

172. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मक़ामे जअराना में कुछ चाँदी और दीगर माले ग़नीमत तक़्सीम फ़र्मा रहे थे। उन लोगों में से एक शख़्स कहने लगा, मुहम्मद! इन्साफ़ से काम लो। तुम इन्साफ़ नहीं करते। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़सोस! अल्लाह के बन्दे जब मैं अदल से काम न लूँगा तो दूसरा ऐसा कौन है जो इन्साफ़ से काम लेगा? ये सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह(ﷺ)! अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस मुनाफ़िक़ की गर्दन मार दूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उमर! ये उन लोगों के साथियों में से है जो क़ुर्आन को पढ़ेंगे लेकिन क़ुर्आन उनकी हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। दीन से ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर निशाने से। **(मुस्लिम-1063)**

173. हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि ख़्वारिज दोज़ख़ के कुत्ते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

174. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक जमाअत ऐसी होगी जो क़ुर्आन पढ़ेंगे, मगर उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। लेकिन जितनी मर्तबा शैतान का सींग निकलेगा, उतनी ही मर्तबा काट दिया जाएगा। हज़रत इब्ने उमर बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) से मैंने सुना है कि शैतान का सींग 20 मर्तबा से भी ज़्यादा ज़ाहिर होगा। लेकिन हर मर्तबा काट दिया जाएगा। सबसे आख़िर में दज्जाल ज़ाहिर होगा।

175. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आख़िर ज़माने में एक क़ौम पैदा होगी। वो क़ुर्आन को पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक़ से नीचे नहीं उतरेगा। उनकी अलामत यह है कि सर मुंडे हुए होंगे, तुम में से जो शख़्स उनको देखे या जिस शख़्स से उनकी मुलाक़ात हो उसको चाहिए कि उनको क़त्ल कर दे। **(अबू दाऊद-4766)**

176. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, एक क़ौम ऐसी होगी जो तमाम रूए ज़मीन के मुब्तलीन से शरीर भी होगी और तमाम रूए ज़मीन से बेहतर भी मालूम होगी। ये दोज़ख़ के कुत्ते हैं। पहले मुसलमान होंगे लेकिन फिर काफ़िर हो जाएँगे। इस हदीस के रावी कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अबू उमामा! क्या ये तुम अपनी तरफ़ से बयान करते हो? उन्होंने कहा, नहीं! बल्कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है। **(तिर्मिज़ी-3000)**

उन बातों का बयान जिनका फ़िर्क़ा-ए-जहमिया इन्कार करते हैं

(फ़िर्क़ा-ए-जहमिया अहले सुन्नत वल जमाअत के मुख़ालिफ़ अहले बिदअत में से है, ये फ़िर्क़ा अल्लाह तआला की तमाम सिफ़ात का इन्कार करता है। जहम बिन सफ़्वान की तरफ़ मन्सूब है, जहम बिन सफ़्वान हिशाम बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में क़त्ल हुआ। जहमिया का क़ौल यह भी है कि क़ुर्आन अल्लाह तआला का कलाम नहीं बल्कि मख़्लूक़ है, अल्लाह तआला का इल्म हादिस है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक)।

177. हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि आप (ﷺ) की नज़रें चौहदवीं रात के चाँद पर पड़ गई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस तरह तुम इस चाँद को देख रहे हो, उसी तरह तुमको अपने रब का दीदार होगा और उसको देखने में तुमको कुछ भी रुकावट नहीं होगी। लिहाज़ा जहाँ तक तुमसे हो सके फ़ज्र और अस्र की नमाज़ न क़ज़ा करो। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **तो तस्बीह करो अपने रब की तारीफ़ के साथ, सूरज उगने के वक़्त और सूरज डूबने से पहले.** सूरह : क़ॉफ़ : 39)। **(बुख़ारी-7434, 7435, मुस्लिम-633)**

178. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोगों को चौहदवीं रात का चाँद देखने में किसी क़िस्म की रुकावट होती है? लोगों ने अर्ज़ किया, जी नहीं! हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बस इसी तरह क़यामत के दिन तुमको अल्लाह तआला का दीदार करने में कोई रुकावट नही होगी। **(मुस्लिम-2968)**

179. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम क़यामत में अपने रब को देख सकेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस वक़्त आसमान में बादल न हो, तुमको सूरज या चाँद को देखने में किसी क़िस्म की रुकावट होती है? हमने अर्ज़ किया, जी नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया,बस इसी तरह तुम अल्लाह तआला का दीदार में उतनी ही रुकावट होगी जितना इन दोनों को दखने में होती है। **(मुस्नद अहमद)**

180. हज़रत अबू ज़रीन (रज़ि.) कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम लोग क़यामत के दिन अपने रब को देखेंगे और उसकी शिनाख़्त कर सकेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम चाँद को ख़ल्वत में नहीं देखते हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! देखता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बस इसी तरह अल्लाह तआला बुज़ुर्ग है (नज़र आएगा) यही उसकी मख़्लूक़ में से उसकी पहचान होगी। **(अबू दाऊद-4731)**

181. हज़रत अबू ज़रीन (रज़ि.) की हदीस है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो बन्दे अल्लाह तआला से नाउम्मीदी और ग़ैर से क़ुर्बत चाहते हैं, उन पर अल्लाह तआला हँसता है। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) क्या हमारा रब भी हँसता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ। फिर मैंने अर्ज़ किया, बस तो रब हमसे ख़ुश रहे, हम लोगों के साथ भलाई ही रखेगा। **(मुस्नद अहमद)**

182. हज़रत अबू ज़रीन (रज़ि.) कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मख़्लूक़ की पैदाइश से पहले अल्लाह तआला कहाँ था? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, एक बादल में न उसके ऊपर हवा थी, न उसके नीचे हवा थी और न पानी था। फिर अल्लाह तआला ने अपना अर्श पानी पर पैदा फ़र्माया। **(तिर्मिज़ी-3109)**

183. हज़रत सफ़्वान बिन मुहरिज़ (रज़ि.) कहते हैं कि हम हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ ख़ाना-ए-कअबा का तवाफ़ कर रहे थे कि अचानक एक शख़्स ने आकर सवाल किया, ऐ इब्ने उमर! अल्लाह तआला की बन्दे से जो बातें होंगी उनके मुताल्लिक़ तुमने क्या हदीस सुनी है, ज़रा बयान तो करो। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तआला अपने बन्दे के कन्धे पर हाथ रखकर उसके गुनाहों का इक़रार करवाएगा और इर्शाद होगा कि क्या तूने फलाँ-फलाँ गुनाह किया है। वो इक़रार करता चला जाएगा और जहाँ तक अल्लाह तआला को मन्ज़ूर होगा इक़रार करेगा। तब फ़र्माने इलाही होगा, मैंने दुनिया में तेरी पर्दापोशी की लिहाज़ा तेरे गुनाहों को बख़्शता हूँ। फिर उसके दाहिने हाथ में नजात की किताब इनायत फ़र्माई जाएगी। रहा काफिर और मुनाफ़िक़ तो उसको तमाम मख़्लूक़ के सामने पुकारा जाएगा कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह तआला को झुठलाते थे, देखो! इन ज़ालिमों पर अल्लाह की लअनत है। **(बुख़ारी-4685, मुस्लिम-2768)**

184. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) बयान करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत वाले ऐश व इशरत में होंगे, इतने में अल्लाह तआला का नूर ज़ाहिर होगा। ये लोग अपना सर उठाकर देखेंगे, उस वक़्त अल्लाह तआला फ़र्माएगा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल जन्नह। अल्लाह तआला के इस फ़र्मान, **सला-म क़ौलम मिर्रब्बिर्रहीम** के ही मअनी है। जन्नती लोग अल्लाह तआला की तरफ़ देखते रहेंगे और अल्लाह तआला भी उनकी तरफ़ देखता रहेगा। इस दीदार के वक़्त जन्नत वालों की किसी दूसरी चीज़ की तरफ़ तवज्जोह नहीं होगी। यहाँ तक कि

अल्लाह तआला पर्दे में हो जाएगा और उसकी बरकत व नूर बाक़ी रह जाएगा। (जिससे उनके मकान मुनव्वर होंगे)।

185. हज़रत अदी इब्ने हातिम (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़यामत के दिन) हर शख़्स से अल्लाह तआला बग़ैर तर्जुमान के कलाम फ़र्माएगा। ये बन्दा अपने दाहिनी तरफ़ देखेगा तो सिवाय आमाल के दूसरी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर बाईं तरफ़ देखेगा तो दोज़ख़ नज़र आएगी। लिहाज़ा तुम में से जिस शख़्स को इस दोज़ख़ से बचने की ताक़त हो बचे, भले ही खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही।

(बुख़ारी-6539, 7443, मुस्लिम-1016)

186. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने कैस (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दो जन्नतें चाँदी की हैं और उनके बर्तन वग़ैरह सब चाँदी के हैं। दो जन्नतें सोने की हैं और उनके बर्तन वग़ैरह सब सोने के हैं। जब लोगों को अल्लाह तआला का दीदार होगा तो सिवाए पर्दा-ए-किब्रयाई के कोई चीज़ की आड़ न होगी। ये दीदार जन्नते अदन में होगा। **(बुख़ारी-4878, 4880, 7444, मुस्लिम-180)**

187. हज़रत सुहैब (रज़ि.) कहते हैं नबी करीम (ﷺ) ने ये आयत, **जिन्होंने नेकी की उनके लिये बेहतरीन जज़ा है और मज़ीद ईनाम भी.** (सूरह यूनुस : 26) तिलावत फ़र्माकर इर्शाद फ़र्माया कि जब अहले दोज़ख़, दोज़ख़ में दाख़िल हो जाएँगे और अहले जन्नत, जन्नत में तो उस वक़्त एक आवाज़ दी जाएगी कि ऐ अहले जन्नत! अल्लाह तआला ने तुम से एक वादा किया था, जिसको अब पूरा करना चाहता है। अर्ज़ करेंगे कि इससे ज़्यादा और क्या वादा होगा कि अल्लाह तआला ने हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया, हमारे चेहरों को रोशन कर दिया और जहन्नम से नजात अता फ़र्माकर जन्नत में दाख़िल फ़र्माया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त अल्लाह तआला पर्दा दूर फ़र्माएगा और लोग उसके दीदार से फ़ैज़याब होंगे। अल्लाह की क़सम! इससे ज़्यादा कोई चीज़ उनकी आँखों की ठंडक बनेगी और न कोई उससे ज़्यादा महबूब होगी। **(मुस्लिम-181)**

188. हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हर क़िस्म की हम्दो-सना का हक़दार अल्लाह तआला है जो हर आवाज़ को बख़ूबी सुनता है। मैं अपने मकान के एक कोने में बैठी हुई थी हुज़ूर (ﷺ) के पास एक औरत अपने शौहर का मुक़द्दमा लेकर हाज़िर हुई और आपसे उसकी शिकायत की। तब अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई, **अल्लाह तआला ने उस (औरत) की बात सुन ली जो आपसे अपने ख़ाविन्द के बारे में कर रही थी.** (सूरह मुजादला : 1)। **(नसाई)**

189. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मख़्लूक़ की पैदाइश से पहले अपनी ज़ात के लिए ख़ुद अल्लाह तआला ने यह मुक़र्रर कर लिया था कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर ग़ालिब रहेगी।

(तिर्मिज़ी-3543, मुस्नद अहमद)

190. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने हराम (रज़ि.) जंग में शहीद हो गए तो एक दिन हुज़ूर (ﷺ) से मेरी मुलाक़ात हुई। मुझ से आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाबिर! क्या मैं तुमको यह बतलाऊँ कि तुम्हारे वालिद (अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने हराम रज़ि.) की मुलाक़ात अल्लाह तआला से किस तरह हुई? याह्या की हदीस में आया है कि (जाबिर रज़ि. कहते हैं) मेरे वालिद के शहीद होने के बाद हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको हैरान-परेशान हाल में देखा तो फ़र्माया, जाबिर! जिस तरह तुम्हारे वालिद की मुलाक़ात अल्लाह तआला से हुई है क्या वो हालत मैं तुमको बतलाऊँ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर फ़र्माइये। फिर आप (ﷺ) ने

फ़र्माया, अल्लाह तआला किसी से बेपर्दा होकर कलाम नहीं करता, लेकिन तुम्हारे वालिद से बेहिजाब होकर कलाम फ़र्माया कि अब्दुल्लाह! बतलाओ तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है? तब अब्दुल्लाह ने जनाबे बारी तआला में अर्ज़ किया कि मुझको वापस दुनिया में भेज दे ताकि मैं फिर से तेरे रास्ते में जिहाद करूँ और दोबारा शहीद हो जाऊँ। इर्शादे इलाही हुआ, अब्दुल्लाह! ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके मुताल्लिक़ हम पहले ही मुक़द्दर कर चुके हैं कि फिर दुनिया में वापसी नहीं होगी। उन्होंने अर्ज़ किया कि फिर मेरी ख़बर ही पहुँचा दे। उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, **और उन लोगों को जो अल्लाह के रास्ते में क़त्ल किये गये है, मुर्दा गुमान मत कीजिए, बेशक! वो ज़िन्दा हैं अपने रब के पास रिज़्क़ दिये जाते हैं।** (सूरह आले इमरान : 169)। **(तिर्मिज़ी-3010)**

191. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उन मुर्दों पर हँसता है कि उनमें से एक दूसरे को क़त्ल कर देता है और दोनों ही यानी क़ातिल और मक़्तूल जन्नत में दाख़िल हो जाते हैं। वो इस तरह से कि उनमें से एक अल्लाह के रास्ते में लड़ता है और शहीद हो जाता है। फिर अल्लाह तआला उस शहीद के क़ातिल को तौबा की तौफ़ीक देता है और ये भी मुसलमान हो जाता है और अल्लाह के रास्ते में लड़ता हुआ शहीद होकर जन्नत में चला जाता है। **(मुस्लिम-1890)**

192. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन अल्लाह तआला आसमान और ज़मीन को अपने दाहिने हाथ में लपेट कर फ़र्माएगा, (आज मैं) बादशाह हूँ! वो ज़मीन पर बादशाही का दावा करने वाले कहाँ हैं? **(बुख़ारी-6519, 7382, मुस्लिम-2787)**

193. हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) कहते हैं, मैं एक जमाअत के साथ मक़ामे बत्हा में था। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आप (ﷺ) को एक बादल का टुकड़ा नज़र आया। आप (ﷺ) ने हम लोगों से इर्शाद फ़र्माया, तुम इसको क्या कहते हो? हमने अर्ज़ किया, सिहाब (अब्र, बादल) कहते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मज़न भी कहते हो? हमने अर्ज़ किया, जी हाँ! मज़न भी कहते हैं। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, अनाना भी कहते हो? हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, जी हाँ! अनाना भी कहते हैं। आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, तुमको अपने और आसमान के दरम्यान कितना फ़ासला मालूम होता है? हमने अर्ज़ किया, ये हम नहीं मालूम कर सकते। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस बादल से और तुमसे 71,72 या 73 साल का है और आसमान इससे बहुत ज़्यादा ऊँचा है। इसी तरह हुज़ूर (ﷺ) ने सातों आसमान का अन्दाजा बयान फ़र्माया। फिर फ़र्माया कि सातों आसमान के ऊपर एक दरिया है जिसका एक किनारे से दूसरे किनारे की दूरी इतनी ही है जितनी एक आसमान से दूसरे आसमान की है और इसके ऊपर अल्लाह तआला का अर्शे अज़ीम है। जिसका निचले हिस्से और ऊपरी हिस्से की दूरी भी इतनी है जिनती एक आसमान से दूसरे आसमान की है। इस अर्श पर अल्लाह तआला है। **(अबू दाऊद-4723, तिर्मिज़ी-3320)**

194. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआला आसमान में कोई हुक्म जारी करता है तो उसकी हैबत से फ़रिश्ते अपने पर हिलाते हैं। जिससे आवाज़ निकलती है जैसे साफ़ पत्थर पर जंज़ीर मारने से निकलती है। जब ये ख़ौफ़ और घबराहट दूर हो जाती है तो आपस में कहते हैं, तुम्हारे रब ने क्या हुक्म सादिर फ़र्माया है? फिर दूसरे फ़रिश्ते कहते हैं, उसने हक़ फ़र्माया है, वो आला और कबीर है। फिर उन्हीं बातों में से कोई बात शैतान चुरा लेते हैं यानी सुन लेते हैं। लेकिन कभी तो नीचे उतरने से पहले ही शिहाब उनको जला देते हैं और कभी चले आते हैं। फिर आकर साहिर (जादूगर) और काहिन (ज्योतिषी) के कानों में उसको पहुँचा देते हैं और ये लोग उसके साथ सौ झूठ मिलाकर (लोगों से) बयान करते हैं। जो कलिमा आसमान से सुना होता है वो

सच्चा होता है और बाक़ी सब झूठ होता है। **(बुख़ारी-4800, 7481)**

195. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हमारे सामने पाँच कलिमे फ़र्माए। अल्लाह तआला सोता नहीं है, न उसके लिए सोना मुनासिब है, मीज़ान को कभी बुलन्द करता है और कभी नीचा करता है, दिन-रात के आमाल उसके सामने पेश होते हैं, रात के अमल दिन से पहले और दिन के अमल रात से पहले। अल्लाह तआला का हिजाब नूर है, अगर अपने चेहरे पर से पर्दा हटा दे तो जहाँ तक निगाह पहुँचती है, वहाँ की तमाम चीज़ें फ़ना हो जाए। **(मुस्लिम-179)**

196. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला सोता नहीं है। उसके चेहरे पर नूर के पर्दे हैं अगर पर्दे को हटा दे तो सामने की चीज़ें फ़ना हो जाए। फिर हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **बाबरकत है वो जो उस आग में है और बरकत दिया गया है वो जो उसके आसपास है। और पाक है अल्लाह जो तमाम जहानों का पालने वाला है.** (सूरह नमल : 8)।

197. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह तआला का दाहिना हाथ भरा हुआ है और उसमें कुछ भी कमी नहीं होती, दिन-रात सख़ावत फ़र्माता है। उसके बाएँ हाथ में मीज़ान यानी तराज़ू है जिसको कभी ऊँचा भी कर देता है। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम बतला सकते हो कि जबसे आसमान और ज़मीन पैदा किये, किस क़द्र ख़र्च किया होगा। लेकिन उसके हाथ की चीज़ों में से कुछ भी कम न हुआ है। **(तिर्मिज़ी-3045)**

198. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को मिम्बर पर फ़र्माते हुए सुना है कि अल्लाह तआला (क़यामत के दिन) अपने हाथ की मुट्ठी में आसमान और ज़मीन को लेकर फ़र्माएगा, मैं जब्बार हूँ! जिनका जब्बारी और तकब्बुर का दावा था, वो कहाँ हैं? कभी उन (दोनों को) लपेटेगा भी और खोलेगा भी। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) अपने दाएँ-बाएँ देखते जाते थे। मैंने हुज़ूर (ﷺ) के क़दमों की तरफ़ मिम्बर को देखा तो इस क़द्र काँप रहा था कि मुझको ख़्याल हुआ कि कहीं हुज़ूर को लेकर गिर न जाए। **(मुस्लिम-2788)**

199. हज़रत नवास इब्ने समआन (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हर दिल अल्लाह तआला की दो अंगुलियों के बीच है, जिसको चाहता है क़ायम रखता है और जिसको चाहता है फेर देता है। हुज़ूर (ﷺ) ये दुआ फ़र्माते थे, **या मुसब्बितल कुलूबि सब्बित कुलुबना अला दीनि-क**। ऐ दिलों को साबित रखने वाले! हमारे दिलों को अपने सच्चे दीन पर साबित रख। फिर फ़र्माया कि मीज़ान अल्लाह तआला के हाथ में है, जिसके ज़रिये एक क़ौम को पस्त कर देता है, दूसरी को बाइज़्ज़त और बुलन्द फ़र्माता है। क़यामत तक इसी तरह ही होता रहेगा। **(नसाई फिल्कुब्रा-7738)**

200. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला तीन चीज़ों पर मुस्कुराता है। 01. नमाज़ की सफ़ पर 02. उस शख़्स पर जो आधी रात में नमाज़ (तहज्जुद) अदा करता है और 03. उस शख़्स पर जो लश्कर के भाग जाने पर भी दुश्मनों से जिहाद करता है। **(मुस्नद अहमद)**

201. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) हज्ज के ज़माने में अपने आपको लोगों के सामने पेश फ़र्माकर इर्शाद फ़र्माते कि क़ुरैश ने तो मुझको मेरे रब का कलाम पहुँचाने से मना कर दिया। तुम लोगों में ऐसा कौन ख़ानदान है जो हमारी हमदर्दी करे। **(अबू दाऊद-4734, तिर्मिज़ी-2925)**

202. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने आयत **कुल्ला यौमिन हुव फ़ी शान** की तफ़्सीर करते हुए इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह तआला की शान में से एक शान ये भी है कि गुनाहों को माफ़ करता है, सख़्ती को दूर फ़र्माता है। एक क़ौम को पस्त करता है और दूसरी को बाइज़्ज़त करता है।

अच्छा और बुरा तरीक़ा जारी करने वाले का बयान

203. हज़रत जरीर (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स कोई अच्छा तरीक़ा इख़्तियार करेगा और लोग उस पर अमल करेंगे तो उस शख़्स को उसके जारी करने का सवाब भी मिलेगा और जिन लोगों ने उस पर अमल किया है, उनके आमाल के बराबर भी बग़ैर कमी-बेशी के उसको सवाब अता होगा। और जिस शख़्स ने बुरा तरीक़ा जारी किया तो उसको उसके काम का और जो लोग उस पर अमल करेंगे उनके आमाल का अज़ाब बग़ैर कमी के दिया जाएगा। **(मुस्लिम-1017)**

204. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमते मुबारका में हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों को सदक़ा करने की तर्ग़ीब दी। (क्योंकि ये शख़्स शायद ग़रीब था) रावी कहते हैं कि उस मज्लिस में कोई शख़्स ऐसा न था कि जिसने थोड़ा बहुत सदक़ा न किया हो। (जब सदक़ा) हो चुका तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कोई नेक तरीक़ा जारी करेगा तो उसको उसका पूरा सवाब अता किया जाएगा और जो लोग उस पर अमल करेंगे उनके सवाब में से भी उसको अज्र अता किया जाएगा। जो शख़्स कोई बुरा तरीक़ा जारी करेगा तो उसको उसका पूरा बदला मिलेगा और जो लोग उस पर अमल करेंगे उनके अज़ाब में से भी उसको बग़ैर किसी कमी-बेशी के हिस्सा दिया जाएगा। **(मुस्नद अहमद)**

205. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स गुमराही की तरफ़ लोगों को बुलाएगा और लोग उसकी इताअत करेंगे तो उसको उसकी पैरवी करने वाले तमाम लोगों के गुनाहों के बराबर गुनाह होगा और उसमें कुछ भी कमी-बेशी नहीं होगी और जो शख़्स किसी नेक काम की तरफ़ लोगों को रग़बत दिलाएगा तो उसको अमल करने वालों के तमाम आमाल के बराबर सवाब इनायत किया जाएगा और उसमें कुछ भी कमी-बेशी नहीं होगी।

206. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जिस काम की तरफ़ लोगों को बुलाएगा क़यामत के दिन उसको अपनी पैरवी करने वालों के साथ खड़ा किया जाएगा, चाहे कोई शख़्स हो। **(मुस्लिम-2674)**

207. हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस ने अच्छा तरीक़ा जारी किया, उस पर उसकी वफ़ात के बाद अमल होता रहा तो उसको उसका अपना सवाब भी मिलेगा और उन लोगों के बराबर भी सवाब मिलेगा। अलबत्ता उनके अज्र में कोई कमी नहीं की जायेगी और जिसने बुरा रिवाज निकाला, फिर उसके मरने के बाद उस पर अमल होता रहा तो उसे उसका गुनाह भी होगा और उन लोगों के गुनाह के बराबर गुनाह भी होगा। अलबत्ता उनके गुनाहों में कोई कमी नहीं की जाएगी।

208. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो दावत देने वाला किसी अच्छी या बुरी चीज़ की तरफ़ दावत देता है वो क़यामत के दिन इसी तरह खड़ा किया जायेगा कि वो अपनी दावत के अमल से जुदा नहीं हो सकेगा, जिस चीज़ की तरफ़ भी उसने दावत दी हो। अगरचे किसी आदमी ने एक ही आदमी को दावत दी हो।

मुर्दा सुन्नत को ज़िन्दा करने वाले का बयान

209. हज़रत अम्र इब्ने औफ़ मुज़नी (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मेरी सुन्नतों में से किसी सुन्नत को ज़िन्दा किया और लोगों ने उस पर अमल किया तो उसको तमाम सुन्नत की इत्तिबाअ करने वालों के बराबर सवाब अता किया जाएगा। और जिस शख़्स ने कोई बिदअत जारी की और उस पर लोगों ने अमल किया तो उसको उन तमाम अमल करने वालों के बराबर अज़ाब दिया जाएगा, बिल्कुल कमी नहीं की जाएगी। **(तिर्मिज़ी-2677)**

210. हज़रत कसीर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मेरी सुन्नत मिट रही हो और कोई शख़्स उसको ज़िन्दा करेगा और लोग उस पर अमल करेंगे तो उसको तमाम अमल करने वालों के बराबर बग़ैर कमी किए सवाब अता किया जाएगा। और जिसने ऐसी बिदअत जारी की जिसको अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) नापसन्द रखते हा तो उस पर अमल करने वाले तमाम लोगों के बराबर गुनाह होगा। ज़र्रा बराबर भी उनके अज़ाब में कमी नहीं की जाएगी।

क़ुर्आन को सीखने और सिखाने की फ़ज़ीलत

211. हज़रत उस्मान (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत शुअबा (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से बेहतर वो शख़्स है जो क़ुर्आन सीखे और सिखाए। हज़रत सुफ़्यान (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से अफ़ज़ल वो शख़्स है जो क़ुर्आन सीखे और सिखाए। **(बुख़ारी-5027, 5028)**

212. हज़रत उस्मान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से बेहतर वो शख़्स है, जो क़ुर्आन की तालीम दे और क़ुर्आन की तालीम हासिल करे।

213. हज़रत मुस्अब इब्ने सअद (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से बेहतर और आला वो शख़्स है जो क़ुर्आन सीखे और सिखाए (इस हदीस के एक रावी कहते हैं) मुस्अब इब्ने सअद (रज़ि.) ने मेरा हाथ पकड़कर मुझको मेरे मक़ाम पर बिठाया और फ़र्माया, ये सबसे ज़्यादा क़ारी हैं। **(दारमी)**

214. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मोमिन क़ुर्आन पढ़ता हो उसकी मिसाल तरन्ज की तरह है कि उसकी ख़ुश्बू भी पाकीज़ा और मज़ा (स्वाद) भी पाकीज़ा। और जो मोमिन क़ुर्आन नहीं पढ़ता हो उसकी मिसाल खजूर की तरह है कि उसका मज़ा (स्वाद) तो उम्दा होता है लेकिन ख़ुश्बू नहीं होती। उस मुनाफ़िक़ की मिसाल जो क़ुर्आन पढ़ता हो रैहान की तरह है कि उसकी ख़ुश्बू तो निहायत उम्दा होती है लेकिन स्वाद में कड़वा होता है और उस मुनाफ़िक़ की मिसाल जो क़ुर्आन की तिलावत नहीं करता हन्ज़ल की तरह है, न उसमें ख़ुश्बू और न उसमें अच्छा ज़ायक़ा। **(बुख़ारी-5059, मुस्लिम-797)**

215. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अल्लाह वाला कहा जाता है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! वो कौन लोग हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन की तिलावत करने वालों को अल्लाह वाला और अल्लाह का ख़ास बन्दा कहा जाता है।

(नसाई फिल्कुब्रा-456, हाकिम)

216. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स क़ुर्आन की तिलावत करेगा और उसको हिफ़्ज़ करेगा, अल्लाह तआला उसको जन्नत में दाख़िल फ़र्माएगा और उसके ऐसे दस रिश्तेदारों के हक़ में उसकी शिफ़ारिस क़ुबूल की जाएगी, जिनके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो चुका होगा। **(तिर्मिज़ी-2905)**

217. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन को सीखो और सिखाओ, रातों में जागकर इसको पढ़ो। क़ुर्आन पढ़ने वाले की मिसाल उस थैली की तरह है जिसके अन्दर मुश्क भरा हुआ हो और हर जगह उसकी ख़ुश्बू फैल रही हो। और उस शख़्स की मिसाल जो क़ुर्आन सीखता हो लेकिन रात भर ख़ूब मज़े लेकर सोता हो, उस थैली की तरह है जिसमें मुश्क भरा हुआ हो लेकिन उसका मुँह बाँध दिया गया हो। **(तिर्मिज़ी-2876)**

218. हज़रत नाफ़ेअ इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, जब मेरी मुलाक़ात हज़रत उमर (रज़ि.) से हुई तो चूँकि अमीरुल मोमिनीन ने मुझे असफ़ान का आमिल (गवर्नर) मुक़र्रर फ़र्माया था, इसलिए दरयाफ़्त फ़र्माया, तुमने देहात पर किस शख़्स को हाकिम मुक़र्रर किया है। मैंने अर्ज़ किया, इब्ने ईज़ा को। फ़र्माया, इब्ने ईज़ा कौन शख़्स हैं? मैंने अर्ज़ किया, हमारे ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम है। फ़र्माया, तुमने ग़ुलाम को हाकिम क्यों मुक़र्रर किया है? मैंने अर्ज़ किया, हज़रत! वो क़ुर्आन का क़ारी और इल्मे फ़राइज़ के जानने वाले और क़ाज़ी हैं। (हज़रत उमर ने ये सुनकर फ़र्माया) हाँ! तुम्हारे नबी (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अल्लाह तआला इस किताब (क़ुर्आन) को ही क़ौमों की ज़ात और इज़्ज़त का मेअयार बनाएगा। **(मुस्लिम-817)**

219. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अबू ज़र! कलामुल्लाह की तिलावत करते हुए सुबह करना सौ रकआत पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है और इल्म की तालीम देते हुए सुबह करनी ख़्वाह तुम उस पर अमल करो या न करो, हज़ार रकआत पढ़ने से अफ़ज़ल है।

उलमा की फ़ज़ीलत और इल्म की तर्ग़ीब देने का बयान

220. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला जिसके साथ बेहतरी का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता करता है।

221. हज़रत मुआविया बिन अबी सुफ़्यान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नेकी फ़ितरत में दाख़िल है और बदी नफ़्स की तरफ़ से होती है, अल्लाह तआला जिसके साथ बेहतरी का इरादा करता है उसको दीन की समझ अता फ़र्माता है।

222. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, शैतान पर एक फ़क़ीह (दीनी उलूम का माहिर) हज़ारों आबिदों (इबादत गुज़ार बन्दों) पर भारी है। **(तिर्मिज़ी-2681)**

223. हज़रत कसीर इब्ने कैस (रज़ि.) कहते हैं, मैं दमिश्क की जामा मस्जिद में हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि आपके पास एक शख़्स ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया, अबू दर्दा! मैं तुम्हारे पास मदीना शरीफ़ से हाज़िर हुआ हूँ, उस हदीस को सुनने के लिए जो मुझको मालूम हुई है कि आप उसको हुज़ूर (ﷺ) से नक़ल करते हैं। हज़रत अबू दर्दा ने फ़र्माया, तुम तिजारत वग़ैरह के लिए नहीं आए हो? उसने कहा, नहीं। फ़र्माया, किसी दूसरे काम के लिए? उसने कहा, (सिवाय हदीस सुनने के) दूसरे किसी काम के लिए नहीं आया हूँ। हज़रत अबू दर्दा

(रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना है कि जो शख़्स इल्म की तलब में चलता है, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फ़र्मा देता है और तालिबे इल्म के लिए फ़रिश्ते अपने परों से साया करते हैं। तालिबे इल्म के लिए ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें बख़्शिश की दुआएँ करती हैं। यहाँ तक कि मछलियाँ भी उसके लिए इस्तग़फ़ार करती हैं। आलिम की फ़ज़ीलत आबिद पर ऐसो है जैसी चाँद की फ़ज़ीलत सितारों पर है। उलमा नबियों के वारिस हैं और नबियों की विरासत दीनार व दिरहम नही है बल्कि उनकी विरासत इल्म है। जिसने इल्म हासिल किया उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा हासिल हुआ। **(अबू दाऊद-3641, तिर्मिज़ी-2682)**

224. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन जो इल्म की सलाहियत न रखता हो और इल्म का अहल न हो उसको इल्म सिखाना ऐसा है जैसे सूअर के गले में सोने और मोती-जवाहरात का हार डालना।

225. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की दुनियावी सख़्ती को दूर करेगा, अल्लाह तआला उसकी दुनिया व आख़िरत दोनों की सख़्ती दूर फ़र्माएगा और जो शख़्स किसी मुसलमान की दुनिया में पर्दापोशी करेगा, अल्लाह तआला दुनिया व आख़िरत में उसकी पर्दापोशी फ़र्माएगा। जो किसी तंगदस्त पर नर्मी करेगा और उसको तक्लीफ़ न देगा, अल्लाह तआला दुनिया व आख़िरत दोनों में उस पर रहम और सहूलत फ़र्माएगा। जिस वक़्त तक कोई शख़्स इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता इख़्तियार करेगा, अल्लाह तआला उसकी नुसरत और मदद में रहता है। जो शख़्स इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता इख़्तियार करेगा, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देगा। जो लोग अपने मकान में जमा होकर अल्लाह तआला का ज़िक्र करते हैं, फ़रिश्ते अपने परों से उन पर साया कर देते हैं। उन पर अल्लाह तआला की तरफ़ से सकीनत नाज़िल होती है और उनको अल्लाह तआला की रहमत अपने आगोश में छिपा लेती है। अल्लाह तआला अपने मुकर्रब फ़रिश्तों में उनको याद फ़र्माता है। (देखो!) जिस शख़्स के (आमाले) हस्ना में देर होगी उसका नसब व हसब कोई काम न देगा। **(मुस्लिम-2699)**

226. हज़रत ज़र बिन जैश (रज़ि.) कहते हैं कि मैं सफ़्वान इब्ने अस्साल के पास हाज़िर हुआ। आपने दरयाफ़्त फ़र्माया, आज तुम कैसे तशरीफ़ ले आए? मैंने अर्ज़ किया, इल्म हासिल करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स अपने मकान से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो फ़रिश्ते उसके लिए रास्ते में अपने बाज़ूओं का फ़र्श करते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

227. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मेरी मस्जिद में इल्म सीखने या सिखाने के लिए आए, वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की तरह है। जो इसके अलावा किसी दूसरी ग़र्ज़ के लिए आए वो दूसरे के माल को ताकने वाले की तरह है। **(मुस्नद अहमद)**

228. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इल्म के उठने से पहले इल्म हासिल करो। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने शहादत की अंगुली और बीच वाली अंगुली को मिलाकर फ़र्माया, आलिम और तालिबे इल्म अज्र में दोनों इसी तरह शरीक हैं। इसके अलावा बाक़ी लोगों में बेहतरी नहीं है।

229. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाए और देखा कि एक जमाअत क़ुर्आन की तिलावत में मशग़ूल है। एक जमाअत इल्म सिखने और सिखाने के सिलसिले में मसरूफ़ है। यह

देखकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दोनों जमाअतें ख़ैर पर है। ये कुर्आन पढ़ने में मशग़ूल है अब ये अल्लाह को इख़्तियार है उनको अता करे या न करे। और ये सीखने और सीखाने के सिलसिले में बैठे हैं, चूँकि मुझको मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है इसलिए (इल्म सिखाने और इल्म सिखने के सिलसिले को पसन्द करता हूँ)। फिर हुज़ूर (ﷺ) उनके क़रीब तश्रीफ़ फ़र्मा हो गए।

इल्म की तब्लीग़ करने वालों का बयान

230. हज़रत ज़ैद इब्ने साबित (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उस शख़्स को ख़ुश व ख़ुर्रम रखे जो मेरी हदीस सुनकर दूसरों को पहुँचाए, क्योंकि अक्सर होता है कि आलिमे हदीस में वो समझ नहीं होती जो दूसरे ग़ैर मुहद्दिस में मौजूद होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हदीस नक़ल करने वाले से ज़्यादा समझदार हदीस सुनने वाला होता है। अली इब्ने मुहम्मद ने इस हदीस में इतना इज़ाफ़ा किया है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन चीज़ों में किसी मुसलमान शख़्स को ख़्यानत नहीं करना चाहिए। 01. ख़ुलूस के साथ अमल करने की नसीहत पर 02. मुसलमानों के हाकिमों को नसीहत करने पर 03. मुसलमानों की जमाअत को लाज़िम तौर पर पकड़ लेने पर। **(तब्रानी फिल्कबीर)**

231. हज़रत जाबिर इब्ने मुतइम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि मक़ामे ख़ैफ़ में जो मिना में है, हुज़ूर (ﷺ) ने तक़रीर फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह तआला उस शख़्स को ख़ुश व ख़ुर्रम रखे जो मेरी हदीस को सुनकर दूसरों को पहुँचाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि इन्सान हदीस का आलिम होता है लेकिन फ़क़ीह नहीं होता, बल्कि हदीस नक़ल करने वाले से हदीस सुनने वाला ज़्यादा फ़क़ीह और समझदार होता है। **(तब्रानी फिल्कबीर)**

232. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने वालिद से हदीस बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह उस शख़्स को ख़ुश व ख़ुर्रम रखे जो हमसे सुनकर दूसरों को पहुँचाए, क्योंकि ऐसा होता है कि हदीस को सुनने वाले से ज़्यादा समझदार वो होता है जिस तक हदीस पहुँचाई जाती है। **(तिर्मिज़ी-2657)**

233. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने यौमुन नह्र (क़ुर्बानी के दिन) ख़ुत्बा फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया, हाज़िरीन को चाहिए कि वो मेरी हदीस को उन लोगों तक पहुँचाए जो यहाँ से ग़ायब हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हदीस नक़ल करने वाले से ज़्यादा समझदार और हदीस का मुहाफ़िज़ हदीस सुनने वाला होता है। **(बुख़ारी-1741)**

234. हज़रत इब्ने हाकिम ने अपने दादा मुआविया क़ुशैरी (रज़ि.) की हदीस नक़ल करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हाज़िरीन को चाहिए कि उन लोगों को पहुँचाए जो मौजूद नहीं है। **(मुस्नद अहमद)**

235. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम में से जो लोग हाज़िर हैं, उनको चाहिए कि ग़ायबीन को पहुँचा दें। **(अबू दाऊद-1278, तिर्मिज़ी-419)**

236. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह उस बन्दे को ख़ुश व ख़ुर्रम रखे जो मेरी हदीस को सुनकर दूसरों को पहुँचाए, क्योंकि हो सकता है कि हदीस नक़ल करने वाले से ज़्यादा समझदार और हदीस की मुहाफ़िज़त करने वाला वो शख़्स हो जिसको हदीस सुनाई जाती है। **(मुस्नद अहमद)**

नेकी फैलाने वालों का बयान

237. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो शर की कुँजी है और ख़ैर को बन्द करने वाले ह। उन लोगों के लिए तबाही है जिनके हाथ से शर का वजूद ह।

238. हज़रत सहल इब्ने सअ़द (रज़ि.) कहते हैं, फ़र्माया ख़ैर के ख़ज़ाने हैं और उन ख़ज़ानों की चाबियाँ भी है, पस वो बन्दा निहायत हो ख़ुशक़िस्मत है जिसको अल्लाह तआला ख़ैर की कुँजी और शर की बन्दिश बना दे और वो शख़्स बहुत ही बदक़िस्मत है जिसको अल्लाह तआल शर की कुँजी और ख़ैर की बन्दिश बना दे।

नेक काम की तालीम देने वालों का बयान

239. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नबी (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना, आलिम के लिए आसमान और ज़मीन की हर चीज़ इस्तिग़फ़ार करती है, यहाँ तक कि दरिया की मछलियाँ भी इस्तिग़फ़ार करती है।

240. हज़रत अनस (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स इल्म हासिल करेगा उसको आमिले इल्म का सवाब बिना किसी कमी के अता किया जाएगा।

241. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, आदमी जो ख़ैर अपने बाद (अपने लिये छोड़) जाता है, वो तीन चीज़ें हैं। 01. वो नेक औलाद जो उसके बाद उसके लिए दुआ करे 02. सदक़ा-ए-जारिया जो उसके बाद जारी रहे, उसका अज्र उसको मिलता रहेगा 03. वो इल्म जिस पर लोग अमल करते हैं।

(नसाई फिल्कुब्रा)

242. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन के मरने के बाद उसको जिन नेकियों का सवाब पहुँचता रहता है वो नेकियाँ ये हैं, 01. वो इल्म जिसको हासिल करने के बाद उसने लोगों में उसकी इशाअ़त की हो 02. वो नेक औलाद है जो उसके मरने के बाद उसके लिए दुआ करे 03. वो क़ुर्आन जो उसने किसी को (तिलावत के लिए) दिया हो 04. वो मस्जिद जो उसने दुनिया में बनवाई हो 05. वो मसाफ़िरख़ाना और नहर जो उसने बनवाई हो 06. वो सदक़ा जो उसने अपनी हयात में अपने माल से दिया हो।

243. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतर और अफ़ज़ल सदक़ा यह ह कि इंसान अपने किसी मुसलमान भाई को इल्म की तालीम दे और वो दूसरे मुसलमान भाई को तालीम दे।

साथियों को अपने पीछे-पीछे चलाना मना है

244. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) अपने वालिद से बयान करते हैं कि कभी हुज़ूर (ﷺ) को तकिया लगाकर खाना नोश फ़र्माते हुए नहीं देखा। न कभी आपके पीछे दो शख़्स ख़ादिमों की तरह चले।

(अबू दाऊद-3771)

245. हज़रत उबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ नबी करीम (ﷺ) सख़्त गर्मी के दिनों में बक़ीअे ग़र्कद क़ब्रिस्तान की तरफ़ दोपहर के वक़्त तशरीफ़ ले चले। आपके पीछे कुछ लोग चलने लगे। हुज़ूर (ﷺ) को जब अपने पीछे-पीछे पाँवों की आहट सुनाई दी तो दिल में कोई ख़्याल पैदा हुआ। जिसकी वजह से आप (ﷺ) बैठ गए और

ये लोग आगे बढ़ गए। जिसकी वजह यह मालूम होती है कि हुज़ूर (ﷺ) ने यह ख़्याल फ़र्माया कि लोगों के पीछे चलने से कहीं दिल में तकब्बुर न आ जाए।

246. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) कहीं तशरीफ़ ले जाते तो आप (ﷺ) के सहाबा (रज़ि.) आपके पीछे नहीं चलते बल्कि बराबर चलते। आपकी पीठ को फ़रिश्तों के लिए छोड़ देते।

(मुस्नद अहमद)

तालिबाने इल्म के लिए वसिय्यत करना

247. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जब तुम लोगों पर ऐसा ज़माना आए कि उसमें तुमको दीनी इल्म के तलबा मिले तो उनको मेरी वसिय्यत के मुताबिक़ मरहबा कहना और तालीम देना। **(तिर्मिज़ी-2650)**

248. हज़रत इस्माईल (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग हज़रत हसन (रज़ि.) की एयादत को तशरीफ़ ले गए। लोग इस क़द्र तादाद में थे कि आपका मकान भर गया था। आपने अपने दोनों पाँव समेट लिये। फिर हम हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की एयादत के लिए गये तो वहाँ भी लोग बहुत ज़्यादा थे। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने भी अपने पाँव समेट लिये। फिर हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की एयादत को हाज़िर हुए। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) एक पहलू पर लेटे हुए थे। हमको देखकर आप (ﷺ) ने अपने पाँव समेट लिये और फ़र्माया कि मेरे बाद जब तालिबाने इल्म से तुम्हारी मुलाक़ात हो तो उनकी ताज़ीम करना। (हसन बसरी रह.) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम हमको ऐसे लोग मयस्सर आए कि जिन्होंने बजाए मरहबा कहने के हम पर ज़ुल्म व तशद्दुद इख़्तियार किया।

249. हज़रत अबू हारून ऐदी (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने हमको मरहबा कहते हुए फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) की हमको वसिय्यत थी कि तुम लोगों के मतबूअ हो, लोग तुम्हारे ताबेअ हैं। तुम्हारे पास दुनियाभर से लोग इल्मे दीन हासिल करने के लिए आएँगे। तुम उनको ख़ैर और बेहतरी की नसीहत करना।

इल्म से नफ़ा उठाने और उस पर अमल करने का बयान

250. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हमेशा ये दुआ फ़र्माया करते थे, ऐ अल्लाह! मैं ऐसे इल्म से पनाह चाहता हूँ जो बग़ैर अमल हो। मैं ऐसी दुआ से पनाह चाहता हूँ जो क़ुबूल न हो। मैं सख़्त दिल और लालची नफ़्स से भी पनाह माँगता हूँ। **(नसाई)**

251. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते, ऐ अल्लाह! जो कुछ तूने मुझको इल्म दिया है उससे मुझको फ़ायदा दे और जो इल्म मुझको दे वो बाअमल हो और इल्म की ज़्यादती अता फ़र्मा। अल्लाह तआला हर हाल में तारीफ़ के क़ाबिल है। **(तिर्मिज़ी-3599, हाकिम)**

252. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इल्मे दीन दुनिया कमाने के लिए हासिल करेगा, उस तक जन्नत की ख़ुश्बू भी नहीं पहुँचेगी। **(अबू दाऊद-3664)**

253. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को इल्म हासिल करने के पीछे ये ग़र्ज़ हो कि उसके ज़रिये से जाहिलों पर फ़ख़्र और उलमा से झगड़ा करेगा। लोगों में आलिम के तौर पर

मशहूर होगा, लोग उसकी ताज़ीम करेंगे तो ऐसा शख़्स जहन्नमी है। **(तिर्मिज़ी-2654)**

254. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इल्म इसलिए मत हासिल करो कि उसके ज़रिये उलमा पर फ़ख़्र करो और जाहिलों से झगड़ा करो और मज्लिसों में सद्र बनाए जाओ। जो शख़्स इल्म हासिल इसलिए करेगा, वो जहन्नमी है। **(इब्ने हिब्बान-90, हाकिम)**

255. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि मेरी उम्मत में ऐसे उलमा पैदा होंगे, कुर्आन के कारी भी होंगे लेकिन उनका मक़सद ये होगा कि मालदारों से दुनियावी माल हासिल करें और अपने दीन में उनसे बिल्कुल अलग रहेंगे। मगर उसकी मिसाल ऐसी है कि जिस तरह काँटेदार दरख़्त से फल तोड़ने में काँटे ही हाथ में आए। पस इसी तरह उनके क़रीब से सिवाय गुनाहों के और कोई नतीजा उनको न हासिल होगा। मुहम्मद इब्ने सबाह कहते हैं कि हदीस में लफ़्ज़ (क़रीब से) के बाद कोई लफ़्ज़ ही नहीं लेकिन मुराद यही है कि सिवाय गुनाह के कुछ हासिल न होगा।

256. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुब्बुलहुज़्न (ग़म के कुऐं) से पनाह माँगो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जुब्बुलहुज़्न क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जहन्नम में एक जंगल है, जिससे जहन्नम हर रोज़ चार सौ मर्तबा पनाह माँगती है। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) ये किन लोगों के लिए तैयार की गई है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उन क़ारियों के लिए जो रियाकारी के लिए कुर्आन की तिलावत करते हैं। जो लोग अमीरों के यहाँ जाकर दुनियावी माल की ख़्वाहिश रखते हैं वो अल्लाह तआला के नज़दीक बदतरीन मख़्लूक़ात हैं। अबल हसन कहते हैं, मुआविया नसरी से भी इसी मज़्मून की एक हदीस मन्कूल है। **(तिर्मिज़ी-2383)**

257. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, अगर उलमा इल्म हासिल करके उसकी हिफ़ाज़त करते और जो लोग इल्म के अहल हैं उनको तालीम देते तो तमाम ज़माने पर फ़ोकियत ले जाते। लेकिन चूँकि उन्होंने इसको दुनिया कमाने के लिए हासिल किया और दुनिया के मामलात में इसको ख़र्च किया इस वजह से ज़लील हो गये। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स सिर्फ़ आख़िरत ही के ग़मों को ग़म समझेगा, अल्लाह तआला उसके दुनियावी ग़मों को दूर फ़र्माएगा। और जो शख़्स दुनियावी कामों में परेशान होता रहेगा तो अल्लाह तआला को उसकी कोई परवाह नहीं, भले ही कहीं और किसी भी हालत में मरे। अबूल हसन कहते हैं, हज़रत मुआविया नसरी से जो कि मज़बूत रावी हैं, इसी मज़्मून की एक हदीस मरवी है।

258. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के लिए न इल्म सीखे और न सिखाये उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बना लेना चाहिए। **(तिर्मिज़ी-2655)**

259. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इल्म इसलिए न हासिल करो कि उलमा पर फ़ख़्र करेंगे या जाहिलों से झगड़ेंगे या लोगों में मशहूर होंगे, क्योंकि जो शख़्स इसलिए इल्म हासिल करेगा वो जहन्नमी है।

260. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स इस ग़र्ज़ से इल्म हासिल करेगा कि जाहिलों से लड़े और उलमा पर फ़ख़्र करे या लोगों में मशहूर हो जाए तो अल्लाह तआला उसको जहन्नम में दाख़िल फ़र्माएगा।

इल्म को छुपाने की बुराई

261. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स आलिम होकर अपने इल्म को छुपाएगा, क़यामत के दिन उसके मुँह में आग की लगाम देकर (मैदाने क़यामत) में लाया जाएगा।

(अबू दाऊद-3658, तिर्मिज़ी-2649, हाकिम)

262. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, अगर किताबुल्लाह की दो आयतें न होती तो मैं कभी हुज़ूर (ﷺ) की अहादीस नक़ल नहीं करता। वो दो आयतें ये हैं, **बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी क़ीमत पर बेचते हैं वो अपने पेटों में महज़ आग भर रहे हैं। क़यामत के दिल अल्लाह तआला उनसे कलाम नहीं करेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है। ये लोग हैं जिन्होंने हिदायत के ब दले गुमराही को और बख़्शिश के बदले अज़ाब को ख़रीद लिया है। ये लोग आग का अज़ाब किस क़द्र बर्दाश्त करने वाले हैं**.(सूरह बक़रह : 184-185)। **(बुख़ारी-2350, मुस्लिम-2492)**

263. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इस उम्मत में आख़िर ज़माने वाले लोग पहले वाले लोगों को बुरा कहने लगेंगे। ऐसे वक़्त में जो शख़्स मेरी हदीस को छुपाएगा तो समझ लो कि उसने अल्लाह के नाज़िलशुदा हुक्म को छुपाया और इस आयत के तहत दाख़िल हो गया, **बेशक जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब छुपाते हैं और उसे थोड़ी सी क़ीमत पर बेचते हैं वो अपने पेटों में महज़ आग भर रहे हैं। क़यामत के दिल अल्लाह तआला उनसे कलाम नहीं करेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है। ये लोग हैं जिन्होंने हिदायत के ब दले गुमराही को और बख़्शिश के बदले अज़ाब को ख़रीद लिया है। ये लोग आग का अज़ाब किस क़द्र बर्दाश्त करने वाले हैं**.(सूरह बक़रह : 184-185)।

264. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स आलिम होकर इल्म की इशाअत न करेगा और उसको छुपाएगा, उसके मुँह में आग की लगाम दी जाएगी।

265. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स उस इल्म को छुपाएगा, जिसके ज़रिये से अल्लाह तआला दीन में फ़ायदा अता फ़र्माता है, तो उसके मुँह में क़यामत के दिन आग की लगाम दी जाएगी।

266. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स उस इल्म को छुपाएगा, जिसके ज़रिये से अल्लाह तआला दीन में फ़ायदा अता फ़र्माता है, तो उसके मुँह में क़यामत के दिन आग की लगाम दी जाएगी।

(अबू दाऊद-3658)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुत्तहारत

वुज़ू और गुस्ल का बयान

267. हज़रत सफ़ीना (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) वुज़ू एक मुद पानी से फ़र्माया करते और गुस्ल एक साअ पानी से। **(मुस्लिम-326)**

268. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) एक मुद पानी से वुज़ू और एक साअ पानी से गुस्ल फ़र्माते। **(अबू दाऊद-92)**

269. हज़रत ज़ाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) एक मुद पानी से वुज़ू और एक साअ पानी से गुस्ल फ़र्माते।

270. हज़रत अकील इब्ने अबू तालिब (रज़ि.) बयान करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था, वुज़ू के लिये एक मुद पानी और गुस्ल के लिए एक साअ पानी काफ़ी होता। ये सुनकर एक शख़्स ने कहा कि हमको इतना पानी काफ़ी नहीं हो सकता। अकील ने कहा, जो तुझसे बेहतर थे और उनके बाल भी ज़्यादा थे उनको काफ़ी होता था और तुझको काफ़ी नहीं होगा?

बिना पाकीज़गी नमाज़ कुबूल नहीं होती

271. हज़रत उसामा इब्ने उमैर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह तआला बग़ैर तहारत (पाकीज़गी) के नमाज़ कुबूल नहीं फ़र्माता। मश्कूक माल से सदक़ा कुबूल नहीं फ़र्माता। **(अबू दाऊद-59)**

272. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला बग़ैर तहारत के नमाज़ कुबूल नहीं फ़र्माता और नाजाइज़ माल से सदक़ा कुबूल नहीं फ़र्माता। **(मुस्लिम-224)**

273. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह तआला बग़ैर तहारत के नमाज़ कुबूल नहीं फ़र्माता और हराम माल से सदक़ा कुबूल नहीं फ़र्माता।

274. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला बग़ैर तहारत के नमाज़ कुबूल नहीं फ़र्माता और नाजायज़ माल से सदक़ा कुबूल नहीं फ़र्माता।

वुज़ू/तहारत नमाज़ की कुँजी है

275. हज़रत मुहम्मद इब्ने हनीफ़ा (रज़ि.) अपने वालिद से नक़ल करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू नमाज़ की कुँजी है। तकबीरे तह्रीमा नमाज़ का दरवाज़ा है, सलाम नमाज़ से बाहर आने का रास्ता है। **(अबू दाऊद-61)**

276. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, वुज़ू नमाज़ की कुँजी है। तकबीरे तह्रीमा उसका दरवाज़ा है, सलाम नमाज़ से बाहर आने का रास्ता है। **(तिर्मिज़ी-238)**

वुज़ू की हिफ़ाज़त करने बयान

277. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुम लोग (अम्र व नवाही ख़ुदावन्दी पर) मुस्तक़ीम रहो (अगरचे तुम उसका) अहाता नहीं कर सकते हो। ये भी ख़ूब समझ लो कि तुम्हारे तमाम आमाल से बेहतर नमाज़ है। वुज़ू की वही शख़्स हिफ़ाज़त करेगा जो मोमिन होगा। **(मुस्नद अहमद)**

278. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दीन पर मुस्तक़ीम रहो, अगरचे तुम उसका आहता नहीं कर सकते हो। ये भी ख़ूब समझ लो कि तुम्हारे तमाम आमाल से बेहतर नमाज़ है। वुज़ू की वही शख़्स हिफ़ाज़त करेगा जो मोमिन होगा।

279. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) मर्फ़ूअन हदीस नक़ल करके बयान करते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तुम लोग इस्तिकामत इख़्तियार करो, ये निहायत उम्दा शै है। तुम्हारे तमामा आमाल से बेहतर नमाज़ है, जो शख़्स मोमिन होता है वही वुज़ू की हिफ़ाज़त करता है।

वुज़ू ईमान का जुज़ है

280. हज़रत अबू मालिक अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू मुकम्मल तौर से करना ईमान का एक जुज़ है। कलिमा अलहम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देने वाला है। तस्बीह और तकबीर आसमान और ज़मीन दोनों को भर देते हैं। नमाज़ नूर है, ज़कात बुरहान है, सब्र रोशनी है और क़ुर्आन हुज्जत है। मुख़ालिफ़ीन से तुझको महफ़ूज़ रखने वाला भी है, लेकिन अगर तूने इसको छोड़ दिया तो तेरे लिये अल्लाह का शाहिद भी है। हर इंसान जब सुबह करता है तो वो अपने नफ़्स को बेचता है। पस या तो इसको (नजात के रास्ते में बेचकर) नजात देता है या इसको (हलाकत के रास्ते में डालकर) हलाक कर देता है। **(नसाई-2437, मुस्लिम-223)**

वुज़ू करने का सवाब

281. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जो शख़्स मुकम्मल तौर पर नमाज़ के लिए वुज़ू करके सिर्फ़ इसी ग़र्ज़ से मस्जिद के लिए जाता है तो उसके हर क़दम पर अल्लाह तआला जन्नत में उसका एक दर्जा बुलन्द फ़र्माता है। मस्जिद में दाख़िल होने तक यही हाल रहता है।

282. हज़रत अब्दुल्लाह सनाबिही (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जब आदमी वुज़ू में कुल्ली करता है और नाक में पानी डालता है तो उसके गुनाह उन दोनों अंगों से निकल जाते हैं। फिर जिस वक़्त चेहरा धोता है तो उसके गुनाह चेहरे से यहाँ तक कि आँखों की पलकों से भी झड़ जाते हैं। जिस वक़्त सर का मसह होता है तो उसके

गुनाह सर से साफ़ हो जाते हैं। इसी तरह जब पाँव धोता है तो उसके गुनाह पाँव से झड़ जाते हैं और मस्जिद की तरफ़ जाना उसका नवाफ़िल में शुमार होता है। **(नसाई-103)**

283. हज़रत अम्र इब्ने उयैयना (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस वक़्त आदमी वुज़ू में दोनों हाथों को धोता है तो उसके हाथों से तमाम गुनाह जो उसने किये हों, निकल जाते हैं। और जब वो अपने मुँह को धोता है तो उसके गुनाह उसके मुँह से निकल जाते हैं। और जब वो दोनों कलाइयाँ धोता है या सर का मसह करता है तो सर से और कलाइयों से तमाम गुनाह साफ़ हो जाते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

284. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने अपनी उम्मत के जिन लोगों को नहीं देखा है, उनको (क़यामत के दिन) किस तरह पहचानेंगे? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन उनके अंग वुज़ू करने की वजह से निहायत रोशन होंगे। **(इब्ने हिब्बान-146)**

285. हज़रत इमरान (रज़ि.) हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के गुलाम बयान करते हैं, कि एक दिन हज़रत उस्मान (रजि.) तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आपने वुज़ू के लिए पानी तलब फ़र्माया और वुज़ू करके फ़र्माने लगे, जिस तरह मैंने इस मुकाम पर वुज़ू किया है, उसी तरह हुज़ूर (ﷺ) ने भी इसी मुकाम पर वुज़ू किया था। और जो शख़्स मेरे इस वुज़ू की तरह वुज़ू करेगा अल्लाह तआला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ फ़र्माएगा। लेकिन तुमको इस बशारत पर फ़ख़्र नहीं करना चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

मिस्वाक का बयान

286. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) रात में तहज्जुद की नमाज़ के लिए बेदार होते तो दहने मुबारक में मिस्वाक का इस्तेमाल फ़र्माते। **(बुख़ारी-889, मुस्लिम-255)**

287. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल न होता तो मैं हर वक़्त की नमाज़ के लिये उनको मिस्वाक करने का हुक्म देता। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-3034, 3037)**

288. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) रात में दो-दो रकअतें अदा फ़र्माया करते और मिस्वाक भी किया करते। **(मुस्नद अहमद, हाकिम)**

289. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग मिस्वाक किया करो क्योंकि मिस्वाक से मुँह की सफ़ाई होती है और अल्लाह तआला राज़ी होता है। जितनी बार मेरे पास जिब्रईल (अलैहि.) आए हैं, उतनी बार उन्होंने मिस्वाक करने की वसिय्यत की है। मुझको ये ख़ौफ़ हो गया था कि कहीं मुझे पर और मेरी उम्मत पर मिस्वाक फ़र्ज़ न हो जाए। अगर मुझको मेरी उम्मत की तक्लीफ़ का ख़्याल न होता तो मैं उनके लिए मिस्वाक लाज़िम कर देता। ज़्यादा मिस्वाक करने की वजह से मेरे दाँतों की जड़ें खाली हो गई है। **(तब्रानी फ़िल्कबीर)**

290. हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि शुरैह इब्ने हानी के वालिद ने मुझसे दरयाफ़्त किया कि जब आपके यहाँ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लाते तो शुरू में क्या काम करते। उम्मुल मोमिनीन ने फ़र्माया, सबसे पहले हुज़ूर (ﷺ) मिस्वाक फ़र्माया करते। **(मुस्लिम-253)**

291. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे मुँह क़ुर्आन के रास्ते हैं, उनको मिस्वाक से साफ़ करो।

फ़ितरी बातों का बयान

292. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, पाँच काम फ़ितरत में दाख़िल है। 01. ख़तना करना 02. ज़ेरे नाफ़ के बाल हटाना 03. नाख़ून काटना 04. बग़लों के बाल हटाना 05. मूँछें कतरवाना।

(बुख़ारी-5889, मुस्लिम-257)

293. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, दस बातें फ़ितरत में दाख़िल हैं। मूँछें कतरवाना, दाढ़ी बढ़ाना, मिस्वाक करना, नाक में पानी डालना, नाख़ून कटवाना, अंगुलियों के जोड़ों से मैल साफ़ करना, बग़लों के बाल हटाना, ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करना, इस्तिन्जा करना। ज़करिया रावी कहते हैं, दसवीं बात भूल गया, शायद कुल्ली करना होगा। **(मुस्लिम-261)**

294. हज़रत अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, मिस्वाक करना, मूँछे कतराना, नाख़ून काटना, बग़लों के बाल हटाना, ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करना, अंगुलियों के जोड़ों से मैल धोना, शर्मगाह को धोना, ख़तना कराना इंसान की फ़ितरत में दाख़िल है।

(अबू दाऊद-54)

295. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) से मन्कूल है कि हमारे लिए ज़ेरे नाफ़ के बाल साफ़ करने, मूँछे कतरने, बग़ल के बाल साफ़ करने, नाख़ून कटाने के लिए आख़िरी मुद्दत चालीस दिन तय की गई है। **(मुस्लिम-258)**

पाख़ाना में जाते वक़्त की दुआ

296. हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, पाख़ानों में शयातीन वग़ैरह मौजूद रहते हैं, लिहाज़ा तुम में से जब कोई शख़्स पाख़ाना में जाए तो यह दुआ पढ़े, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल ख़ुबूसि वल ख़बाइस.** (ऐ अल्लाह! मैं पनाह चाहता हूँ तेरे ज़रिये नापाक जिन्नों और जिन्नात से)।

297. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाख़ाना के लिए जाते वक़्त बिस्मिल्लाह कहना इंसान और शैतान के दरम्यान हिजाब है। **(तिर्मिज़ी-606)**

298. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जिस वक़्त रसूले मक़्बूल (ﷺ) बैतुलख़ला में तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ फ़र्माते, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनल ख़ुबूसि वल ख़बाइस.** (ऐ अल्लाह! मैं पनाह चाहता हूँ तेरे ज़रिये नापाक जिन्नों और जिन्नात से)। **(मुस्लिम-375)**

299. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, बैतुलख़ला में जाते वक़्त तुमको यह दुआ हर्गिज़ नहीं भूलनी चाहिए, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनर्रिज्सिन्नजिसल ख़बीसल मुख़बसिश्शैतानिर्रजीम.** (ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ गन्दे, पलीद नापाक गन्दे काम सिखाने वाले मर्दूद शैतान से)। अबूल हसन कहते हैं, अबू मरयम (रज़ि.) ने भी इसी मज़्मून की एक हदीस बयान की है, लेकिन दुआ में इतने अल्फ़ाज़ नहीं है, **अर्रिज्सिन्नजिस**। बल्कि उस में सिर्फ़ इस तरह है, **मिनल ख़ुबुसिश्शैतानिर्रजीम**। **(तबरानी फ़िल्कबीर-7849)**

बैतुलख़ला से निकलने के बाद की दुआ

300. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) जिस वक़्त बैतुलख़ला से बाहर तशरीफ़ लाते, तो उस वक़्त यह दुआ फ़र्माते, **ग़ुफ़्रानक.** **(अबू दाऊद-30, तिर्मिज़ी-7, हाकिम)**

301. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जिस वक़्त रसूले अकरम (ﷺ) बैतुलख़ला से बाहर तशरीफ़ लाते तो उस वक़्त यह दुआ फ़र्माया करते, **अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़्हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी.**

बैतुलख़ला में अल्लाह का ज़िक्र करने का बयान

302. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी (ﷺ) हर वक़्त अल्लाह तआला का ज़िक्र किया करते थे। **(मुस्लिम-302)**

303. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) बैतुलख़ला के लिए तशरीफ़ ले जाते तो उस वक़्त अपनी अंगुठी अलग कर दिया करते थे। **(अबू दाऊद-19)**

ग़ुस्लख़ाने में पेशाब करने की कराहत का बयान

304. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, ग़ुस्ल करने की जगह में पेशाब न किया करो। क्योंकि आमतौर पर इससे (शैतानी) वस्वसे पैदा होते हैं। अबू अब्दुल्लाह इब्ने माजह (रह.) कहते हैं कि अली इब्ने मुहम्मद (रज़ि.) कहते हैं, ये उस वक़्त के लिए था कि जब ग़ुस्लख़ानों की ज़मीन कच्ची होती थी, लेकिन इस वक़्त में ग़ुस्लख़ानों की ज़मीन चूँकि पुख़्ता और सीमेन्ट वग़ैरह से बनी हुई होती है तो इस वजह से अगर कोई शख़्स पेशाब करके पानी से उसको बहा दे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। **(अबू दाऊद-27)**

खड़े होकर पेशाब करने का बयान

305. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने एक क़ौम के कड़े पर खड़े होकर पेशाब किया था। हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) की दूसरी सनद में एक रावी जदीद यानी हज़रत मन्सूर है। उस हदीस का भी यही मज़्मून है। **(बुख़ारी-224, मुस्लिम-273)**

306. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) किसी क़ौम के कूड़ा-करकट फेंकने की जगह पहुँचे और खड़े होकर पेशाब किया। **(मुस्नद अहमद)**

बैठकर पेशाब करने का बयान

307. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जो शख़्स तुझसे ये बयान करे कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने खड़े होकर पेशाब किया है तो उसका कभी न यक़ीन करना। क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को बैठकर ही पेशाब करते देखा है। **(तिर्मिज़ी-12)**

308. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मुझको हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने खड़े होकर पेशाब करते देखकर इर्शाद फ़र्माया कि उमर! खड़े होकर पेशाब न किया करो। **(बैहक़ी)**

309. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने खड़े होकर पेशाब करने से मना फ़र्माया है। अहमद इब्ने अब्दुर्रहमान मख़्ज़ूमी कहते हैं कि हज़रत सुफ़्यान सौरी ने हज़रत आइशा (रज़ि.) की हदीस कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को बैठकर पेशाब करते हुए देखा है, बयान की। एक शख़्स ने (इससे मुराद हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा हैं) कहा कि उसको मैं खूब समझता हूँ। अहमद इब्ने अब्दुर्रहमान कहते हैं कि अरबों की ये आदत थी कि खड़े होकर पेशाब किया करते। बल्कि यह मशहूर था कि जो शख़्स बैठकर पेशाब करता है , उसके बारे में कहते थे, ये औरत की तरह पेशाब करता है।

दाहिने हाथ से शर्मगाह छूने का बयान

310. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबू क़तादा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जो शख़्स पेशाब करे, दाहिने हाथ से शर्मगाह न छुए और न ही दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करे।
(बुख़ारी-154, मुस्लिम-267)

311. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, न मैंने कभी गाना गाया, न कभी झूठ बोला, न मैंने कभी दाहिने हाथ से शर्मगाह को छुआ , जब से मैंने हुज़ूर (ﷺ) की बैअत की है।

312. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जो शख़्स इस्तिन्जा करना चाहे, वो अपने दाहिने हाथ से इस्तिन्जा न करे बल्कि बाएँ हाथ से करे। **(अबू दाऊद-8)**

गोबर-लीद वग़ैरह से इस्तिन्जा करना मना है

313. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूँ जैसे बेटे के लिए बाप होता है। मैं तुमको तालीम देता हूँ, सुनो! जिस वक़्त तुम लोग बैतुलख़ला को जाओ तो न कअबा की तरफ़ पीठ करो और न उसकी तरफ़ मुँह करके बैठो। गोबर और लीद वग़ैरह से इस्तिन्जा न किया करो।

314. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, एक बार रसूले अकरम (ﷺ) ने क़ज़ा-ए-हाजत के लिए मुझसे तीन ढेले तलब फ़र्माये। मैं दो ढेले और गोबर का सूखा हुआ टुकड़ा ले आया। हुज़ूर (ﷺ) ने दोनों ढेले ले लिए और वो गोबर का टुकड़ा फेंककर फ़र्माया, ये नापाक है। **(बुख़ारी-156)**

315. हज़रत ख़ुज़ैमा इब्ने साबित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, पत्थरों से इस्तिन्जा करते वक़्त तीन अदद ढेले लेना चाहिए। लेकिन उनमें नापाक चीज़ न हो। **(अबू दाऊद-41)**

316. हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) से बाज़ मुश्रिकीन ने मज़ाक करते हुए कहा कि तुम्हारा अजीब नबी है, पाख़ाना-पेशाब की भी तालीम देता है? उन्होंने कहा कि बेशक! आप (ﷺ) ने हमको ये तालीम दी है कि क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके न बैठें और न दाहिने हाथ से इस्तिन्जा करें और इस्तिन्जा के लिए कम से कम तीन ढेले लें। लेकिन ढेलों में गोबर और हड्डी वग़ैरह न हो। **(मुस्लिम-262)**

पेशाब-पाख़ाना के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह करना मना है

317. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस (रज़ि.) इब्ने जुरैज़ ज़ुबैदी कहते हैं कि सबसे पहले हुज़ूर (ﷺ) का ये

फ़र्मान मैंने सुना है और मैंने ही लोगों में रिवायत किया है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पेशाब करते वक़्त अपना मुँह क़िब्ला की तरफ़ मत करो। **(मुस्नद अहमद)**

318. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके बैठने से मना फ़र्माया है, बल्कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपना मुँह मश्रिक़ (पूर्व) या मग़रिब (पश्चिम) की तरफ़ कर लो। (ये फ़र्मान मदीना वालों के लिए है) **(बुख़ारी-144, 294, मुस्लिम-264)**

319. हज़रत मुग़फ़्फ़ल बिन अबी मअ्क़ल असदी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने हमको क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त दोनों क़िब्लों की तरफ़ मुतवज्जह होकर बैठने से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-10)**

320. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का फ़र्माने यक़ीनी है कि क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह नहीं करना चाहिए।

321. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की दूसरी रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) ने पेशाब करते वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह करने से और खड़े होकर पानी पीने से मना फ़र्माया है।

मैदान के अलावा पाखानों में क़िब्ला मुंह होने की इजाज़त

322. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, लोग कहते हैं कि क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक मर्तबा अपने मकान की छत पर खड़ा था तो हुज़ूर (ﷺ) को क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त बैतुल मक़दिस की तरफ़ मुँह किये हुए बैठे देखा। ये यज़ीद इब्ने हारून की रिवायत है।

(बुख़ारी-149, मुस्लिम-266)

323. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को आपके पाख़ाना में क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह देखा है। ईसा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने इसका ज़िक्र हज़रत शुअ्बी (रज़ि.) से किया। उन्होंने कहा कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) भी सच्चे हैं और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) वग़ैरह भी सच्चे हैं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने जो मुमानिअ़त नक़ल की है वो खुले मैदानों या जंगलों के मुताल्लिक़ है, वहाँ क़िब्ला की तरफ़ मुँह नहीं करना चाहिए और न पाख़ाना वग़ैरह में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। (क्योंकि वहाँ दीवार आड़ बन जाती है)। **(मुस्नद अहमद)**

324. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने ये ज़िक्र हुआ कि बाज़ लोग क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होना मकरूह ख़्याल करते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा ख़्याल है कि उन्होंने इस पर अमल भी शुरू कर दिया होगा। मैं अपने पाख़ाने में तो क़िब्ला ही को मुतवज्जह होता हूँ। (ऐसे माहौल में मुमानिअ़त की हदीस पर अमल होता है) हज़रत ख़ालिद इब्ने अबी सुल्त (रज़ि.) से भी इसी मज़्मून की एक हदीस मन्क़ूल है। **(मुस्नद अहमद)**

325. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने हमको क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होकर बैठने से मना फ़र्माया। लेकिन मैंने वफ़ात के साल में आप (ﷺ) को बैतुलख़ला में क़िब्ला की जानिब मुँह किये हुए देखा। **(अबू दाऊद-13, तिर्मिज़ी-9)**

पेशाब के बाद शर्मगाह को साफ़ करने का बयान

326. हज़रत ईसा इब्ने यज़दाद (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स पेशाब से फ़ारिग हो तो अपनी शर्मगाह को तीन मर्तबा झाड़ दे। इसी मज़्मून की दूसरी हदीस हज़रत ज़मीआ से भी मन्क़ूल है। **(मुस्नद अहमद)**

उस शख़्स का बयान जो पेशाब के बाद पानी का इस्तेमाल न करे

327. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पेशाब के लिए तशरीफ़ ले गए। हज़रत उमर (रज़ि.) आपके पीछे पानी लेकर हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उमर! ये क्या है? हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! पानी है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको ये हुक्म नहीं दिया गया है कि जब पेशाब करूँ तो वुज़ू भी ज़रूर करूँ। क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो सुन्नत हो जाएगा। **(अबू दाऊद-42)**

रास्ते में क़ज़ा-ए-हाजत करने की मुमानिअत का बयान

328. हज़रत अबू सईद उमैरी (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) की आदत थी कि वो ऐसी हदीसें बयान करते जो बिल्कुल नई हुआ करतीं और दूसरे सहाबा (रज़ि.) से मन्क़ूल न होतीं। बल्कि जो हदीस दूसरों से मन्क़ूल होती उनको आप छोड़ दिया करते। इस वाक़िऐ की ख़बर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) को मालूम हुई और आपकी मन्क़ूल (हदीस भी) आपको मालूम हुई तो आप कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मैंने हुज़ूर (ﷺ) के किसी सहाबी से ये हदीस नहीं सुनी है। बल्कि मुआज़ बैतुलख़ला के मुताल्लिक़ जो हदीसें नक़ल करते हैं, उनसे तुम्हारे फ़ित्नों में पड़ने का मुझको ख़ौफ़ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) के इस कलाम की ख़बर हज़रत मुआज़ को पहुँची। जब दोनों में मुलाक़ात हुई तो हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने कहा, अब्दुल्लाह! सुनो, हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ झूठ बनाकर हदीस नक़ल करना मुनाफ़िक़ का काम है। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है, तीन काम फ़वाहिशात में से है, उनसे परहेज़ करो। लोगों के आम रास्ते में, बीच सड़क और लोगों के आराम करने की जगह क़ज़ा-ए-हाजत करना न करो। **(अबू दाऊद-26)**

329. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, आम रास्तों पर क़ज़ा-ए-हाजत से परहेज़ किया करो। क्योंकि ये दरिन्दों और साँपों की जगह होती है। न ऐसे मक़ाम पर नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये मक़ाम मलाइन में दाख़िल है (यानी लअनत का सबब है)।

330. हज़रत सालिम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, आम रास्तों पर नमाज़ पढ़ने, क़ज़ा-ए-हाजत करने और पेशाब करने से हुज़ूर (ﷺ) ने मना फ़र्माया है।

मैदान में क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त दूर जाने का बयान

331. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त खुले मैदान की तरफ़ तशरीफ़ ले जाते तो बहुत दूर तशरीफ़ ले जाते।

332. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैं एक बार हुज़ूर (ﷺ) के साथ सफ़र में था। आप क़ज़ा-

ए-हाजत के लिए दूर तशरीफ़ ले गए। फिर वहाँ से वापस होकर पानी तलब फ़र्माया और वुज़ू किया।

333. हज़रत यअला इब्ने मुर्रा (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो बहुत दूर जाया करते।

334. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने करांद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नबी (ﷺ) के साथ हज्ज किया। जब क़ज़ा-ए-हाजत के लिए गए तो बहुत दूर तशरीफ़ ले गए। **(नसाई)**

335. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हमने एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) के साथ किसी मक़ाम पर कूच किया, तो हुज़ूर जब कभी क़ज़ा-ए-हाजत के लिए तशरीफ़ ले गये तो इतनी दूर कि इंसान की नज़र से ग़ायब हो गए। **(अबू दाऊद-2)**

336. हज़रत बिलाल इब्ने हारिस मुज़नी (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो बहुत दूर तशरीफ़ ले जाया करते।

पेशाब और पाख़ाने के वक़्त पर्दा करने का बयान

337. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जो शख़्स ढेलों से इस्तिन्जा करे उसको चाहिए कि तीन ढेले लें। जो शख़्स ऐसा करेगा तो बेहतर है वरना कोई गुनाह नहीं। और जो शख़्स ख़िलाल के ज़रिये से दाँतों के ज़रिये से कोई चीज़ निकाल ले तो उसको थूक देना चाहिए। अलबत्ता अगर ज़बान से कोई चीज़ निकाल ली तो उसको खा ले। अगर ऐसा किया तो बेहतर है वरना कोई गुनाह नहीं। और जो शख़्स क़ज़ा-ए-हाजत के लिए जाए तो उसको पर्दा करना चाहिए। अगर उसको रेत का टीला भी मिल जाए तो उसी की आड़ कर ले। क्योंकि शैतान बनी आदम की शर्मगाहों से खेलता है। जो शख़्स ऐसा करेगा (यानी टीले की आड़ कर लेगा) तो बेहतर है वरना अगर टीला न हो तो कोई और आड़ कर ले कोई गुनाह नहीं है। **(अबू दाऊद-35)**

338. हज़रत अब्दुल मलिक इब्ने सबाह (रज़ि.) ने अपनी सनद से जो हदीस बयान की है, उसमें इतने अल्फ़ाज़ ज़्यादा हैं, जो सुरमा लगाने का इरादा करे उसको चाहिए कि ताक़ अदद पर सलाइयाँ लगाएँ। अगर ऐसा करेगा तो बेहतर है वरना कोई गुनाह नहीं। और ज़बान से निकाली हुई चीज़ को निगल लेना चाहिए।

339. हज़रत यअला इब्ने मुर्रा (रज़ि.) अपने वालिद की हदीस बयान करते हैं, एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ सफ़र में था। हुज़ूर (ﷺ) को क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हुई। मुझसे दूर दरख़्तों की तरफ़ (इशारा करते हुए फ़र्माया) उन दोनों को ले आओ। मैं गया और जाकर कहा कि हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान है कि तुम दोनों जमा हो जाओ, वो दोनों मिल गए। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके पर्दे में क़ज़ा-ए-हाजत से फ़राग़त की। फ़ारिग़ होने के बाद फ़र्माया कि इनसे कहो कि अपने मक़ाम पर वापस चले जाएँ। मैंने जाकर आपका फ़र्मान उनके रूबरू नक़ल किया, वो दोनों अपने मक़ाम पर वापस चले गये। **(मुस्नद अहमद)**

340. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र (रजि.) कहते हैं, जो चीज़ हुज़ूर (ﷺ) को क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त पर्दा करने के लिए ज़्यादा महबूब थी, वो या तो टीले थे या दरख़्त वग़ैरह। **(मुस्लिम-342)**

341. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पेशाब के लिए एक पहाड़ की खोह में तशरीफ़ ले गए।

दो लोगों का साथ बैठकर पाखाना करना और बातें करना मना है

342. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त दो शख़्स इस तरीक़े से न बैठें कि एक दूसरे की शर्मगाहों को देखें और आपस में गुफ़्तगू करें। क्योंकि अल्लाह तआला को यह काम पसन्द नहीं। **(अबू दाऊद-15, इब्ने हिब्बान)**

ठहरे हुए पानी में पेशाब करना मना है

343. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-281)**

344. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स ठहरे हुए पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे। **(अबू दाऊद-71)**

345. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ठहरे हुए पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए।

पेशाब के वक़्त सख़्ती से पर्दा वग़ैरह करने का बयान

346. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने हुस्ना (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) मकान से बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक़्त आपके हाथ में एक ढाल थी। आपने अपने सामने रखकर पेशाब किया। हाज़िरीन में से कोई शख़्स कहने लगा कि देखो, औरतों की तरह पेशाब करता है। ये कलाम हुज़ूर (ﷺ) ने भी सुन लिया और फ़र्माया, अफ़सोस! तुझको ये नहीं मालूम कि बनी इस्राईल में से उस शख़्स पर क्या गुज़री जिसने उनसे कहा था कि तुम कैंचियों से उन मक़ामों को न तराशो जहाँ पेशाब लग जाता है। बनी इस्राईल में ये हुक्म था कि जहाँ पलीदी लगे उस मक़ाम को काट द। उस शख़्स को इस मुमानिअत की वजह से क़ब्र में ये अज़ाब दिया गया। **(अबू दाऊद-22)**

347. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र दो ताज़ी क़ब्रों के पास से हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इन दोनों को मामूली बात की वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। इनमें से एक को इस वजह से अज़ाब हो रहा है कि पेशाब से एहतियात नहीं करता था और दूसरे को इस वजह से कि ग़ीबत किया करता था। **(बुख़ारी-1361, मुस्लिम-292)**

348. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पेशाब से एहतियात न करने की वजह से कभी अज़ाबे क़ब्र होता है। **(मुस्नद अहमद)**

349. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन नबी करीम (ﷺ) का गुज़र क़ब्रों के क़रीब से हुआ और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इन दोनों को एक ख़ास वजह से अज़ाब दिया जा रहा है। अगरचे कोई अज़ीमुश्शान सबब नहीं है। एक को पेशाब में एहतियात से काम न लेने पर अज़ाब दिया जा रहा है और दूसरे को ग़ीबत की वजह से। **(मुस्नद अहमद)**

पेशाब करते हुए सलाम करना कैसा है?

350. हज़रत उमर इब्ने जज़आन (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, उस वक़्त

हुज़ूर (ﷺ) पेशाब फ़र्मा रहे थे। मैंने आप (ﷺ) को सलाम किया। आपने जवाब नहीं दिया। वुज़ू से फ़ारिग़ होने के बाद आपने जवाब देकर फ़र्माया, मैंने उस वक़्त इसलिए जवाब नहीं दिया था कि बेवुज़ू था। **(अबू दाऊद-17)**

351. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) पेशाब कर रहे थे कि उधर से एक शख़्स का गुज़रना हुआ। उसने सलाम किया, मगर हुज़ूर (ﷺ) ने जवाब नहीं दिया। जब फ़ारिग़ हो गए तो दीवार पर हाथ मारकर (तयम्मुम किया) और उसको जवाब दिया।

352. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) पेशाब कर रहे थे, एक शख़्स ने आपको सलाम किया। आपने फ़र्माया, जब मुझको ऐसी हालत में देखा करो तो सलाम मत किया करो। अगर तुम सलाम करोगे तो मैं उसका जवाब न दूँगा।

353. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) को पेशाब करने की हालत में सलाम किया, आपने उसके सलाम का जवाब न दिया। **(मुस्लिम-370)**

पानी से इस्तिन्जा करने का बयान

354. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद हमेशा इस्तिन्जा पानी से किया करते, कभी आपने इसके ख़िलाफ़ न किया।

355. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.), जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) और **अनस बिन मालिक (रज़ि.)** कहते हैं कि जब आयत, **इस मस्जिद में ऐसे आदमी नमाज़ पढ़ते हैं जो पाक रहना पसन्द करते हैं और अल्लाह भी पाक रहने वालों को पसन्द करता है.** (सूरह तौबा : 108)। नाज़िल हुई तो हुज़ूर (ﷺ) ने अन्सार से मुख़ातब होकर फ़र्माया, अल्लाह तआला तहारत (पाकीज़गी) में तुम्हारी तारीफ़ फ़र्माता है, बताओ वो कौनसी तहारत है कि तुम क्या करते हो? अन्सार ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग हर नमाज़ के लिए वुज़ू करते हैं, जनाबत के वक़्त ग़ुस्ल करते हैं और क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त पानी से इस्तिन्जा करते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, यही है। तुम लोग लाज़िमी तरीक़े से इसको करो। **(बैहक़ी, हाकिम)**

356. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) पानी से इस्तिन्जा करते वक़्त तीन मर्तबा पानी का इस्तेमाल फ़र्माया करते। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हमने भी यही किया तो उसमें हमको दवा भी महसूस हुई और पाकीज़गी भी हासिल हुई। हज़रत अबूल हसन कहते हैं, हज़रत शुरक (रज़ि.) की रिवायत में भी यही मज़्मून है।

357. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, कुबा वाले चूँकि पानी से इस्तिन्जा किया करते थे, उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई, **इस मस्जिद में ऐसे आदमी नमाज़ पढ़ते हैं जो पाक रहना पसन्द करते हैं और अल्लाह भी पाक रहने वालों को पसन्द करता है.** (सूरह तौबा : 108)। **(अबू दाऊद-44)**

इस्तिन्जा के बाद ज़मीन से हाथ साफ़ करने का बयान

358. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ होने के बाद पानी के बर्तन को लेकर इस्तिन्जा किया। फिर ज़मीन से हाथ को साफ़ किया। अबूल हसन कहते हैं, हज़रत सईद (रज़ि.) की रिवायत में भी यही मज़्मून है। **(अबू दाऊद-45)**

359. हज़रत इब्ने जरीर (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दरख़्तों की झाड़ियों में क़ज़ा-ए-हाजत की। जब आप (ﷺ) फ़ारिग़ हो गए तो जरीर (रज़ि.) एक बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे इस्तिन्जा फ़र्माया और बाद में अपने मुबारक हाथों को ज़मीन से रगड़कर साफ़ किया। **(नसाई-51)**

बर्तन को ढंककर रखने का बयान

360. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हमको हिदायत फ़र्माई थी कि अपनी मश्कों के मुँह बाँध दिया करें और बर्तनों को ढँक कर रखें। **(मुस्लिम-3410, 3771)**

361. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) के लिए रात के वक़्त इस्तेमाल करने लिए तीन बर्तन पानी से भरकर उनको ढँक कर रख दिया करती। एक वुज़ू के लिए, दूसरा मिस्वाक के लिए और तीसरा पीने के लिए।

362. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ख़ुद ही वुज़ू करते और अपने हाथ से ही सदक़ा देते किसी दूसरे को ये काम न सुर्पुद करते।

कुत्ते के मुंह डाले हुए बर्तन को धोने का बयान

363. हज़रत अबू रज़ीन (रज़ि.) कहते हैं मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) को देखा, वो इराक वालों के सामने अपनी पेशानी पर हाथ मारकर (अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए) कह रहे हैं कि इराक वालों! तुम लोग ये ख़्याल करते हो कि मैं हुज़ूर की तरफ़ झूठी बात निस्बत करके हदीस बयान करता हूँ, उससे तुम्हारा मक़सद ये है कि तुमको फ़ायदा हासिल न हो और मैं गुनाहगार हो जाऊँ। मैं अल्लाह की क़सम खाकर कहता हूँ कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस बर्तन में कुत्ता मुँह डालता है उसे सात मर्तबा धोना चाहिए। **(मुस्लिम-279)**

364. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह डाल दे तो उसको सात मर्तबा धोना चाहिए। **(बुख़ारी-172, मुस्लिम-279)**

365. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माय, जब तुम में से किसी के बर्तन में कुत्ता मुँह डालता है तो उसको सात मर्तबा धोना चाहिए और आठवीं मर्तबा मिट्टी से साफ़ करे। **(मुस्लिम-280)**

366. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जक किसी बर्तन में कुत्ता मुँह डाले तो बर्तन को सात मर्तबा धोना चाहिए। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-13357)**

***नोट :** हज़रत इमाम मालिक (रह.) और इमाम अहमद इब्ने हम्बल (रह.) का भी यही मज़हब है कि सात मर्तबा धोना चाहिए, लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का महज़ब इन हदीसों के ख़िलाफ़ है, उनके नज़दीक तीन मर्तबा धोना काफ़ी है।*

बिल्ली के झूठे पानी से वुज़ू करने की इजाज़त

367. हज़रत क़ब्शा बिन्ते कअब (रज़ि.) अपने शौहर अबू क़तादा (रज़ि.) के हाथों पर वुज़ू के लिए पानी डाल रही थीं। इतने में एक बिल्ली पानी पीने के लिए आई और उसने पानी पीना चाहा। अबू क़तादा (रज़ि.) ने बर्तन

को झुका दिया। ये तअज्जुब से देखने लगीं। अबू क़तादा (रज़ि.) ने कहा, मेरे चचा की बेटी! क्या तुमको इस काम से तअज्जुब हुआ? हुज़ूर ((ﷺ) ने फ़र्माया, बिल्ली का झूठा पलीद नहीं होता, क्योंकि ये मकानों में हर वक़्त और कपड़ों में हर घड़ी मिलती-जुलती रहती है। **(अबू दाऊद-75, तिर्मिज़ी-92)**

368. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि बिल्ली के झूठे पानी से मैं और हुज़ूर (ﷺ) वुज़ू किया करते थे।

369. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर बिल्ली (सामने से निकल जाए तो) नमाज़ को ख़राब नहीं करती है क्योंकि ये घर के सामान की तरह है।

औरत के बचे हुए पानी से वुज़ू करने की इजाज़त का बयान

370. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, बाज़ अज़्वाजे मुतह्हरात ने एक बर्तन के पानी से वुज़ू किया, इतने में हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाए, आपको शायद गुस्ल या वुज़ू की ज़रूरत थी। बीवी ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं नापाक थी, इस पानी से मैंने गुस्ल किया है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पानी को कोई चीज़ नापाक नहीं करती है। **(अबू दाऊद-68, तिर्मिज़ी-65)**

371. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) की बीवियों में से किसी बीवी ने गुस्ल किया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उस बाक़ी बचे हुए पानी से गुस्ल या वुज़ू कर लिया।

372. हज़रत मैमूना (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे गुस्ल से बचे हुए पानी से गुस्ल कर लिया था। **(मुस्नद अहमद)**

औरत के बचे हुए पानी से वुज़ू करने की मुमानिअत का बयान

373. हज़रत हकम इब्ने अ़मर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने मर्द को औरत के बचे हुए पानी से वुज़ू करने से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-82, तिर्मिज़ी-64)**

374. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने सरजिस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने मर्द को औरत के झूठे पानी से और औरत को मर्द के झूठे पानी से वुज़ू करने से मना फ़र्माया है, बल्कि ये फ़र्माया है कि एक साथ वुज़ू या गुस्ल करें। हज़रत मुअला इब्ने असद (रज़ि.) की रिवायत का भी यही मज़्मून है। **(दारकुत्नी)**

375. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) और आपके अहले बैत एक बर्तन से इकट्ठे होकर वुज़ू किया करते और एक-दूसरे के बचे हुए पानी से वुज़ू कर लिया करते। **(मुस्नद अहमद)**

मर्द और औरत एक बर्तन से गुस्ल कर सकते हैं

376. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैं और हुज़ूर (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे। **(मुस्लिम-319)**

377. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने कहा, मैं और हुज़ूर (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे। **(मुस्लिम-322)**

378. हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) और हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने आटे के बर्तन से एक साथ वुज़ू किया है। **(नसाई-241)**

379. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) और आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात एक वक़्त में एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे।

380. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, मैं और हुज़ूर (ﷺ) एक बर्तन से गुस्ल किया करते थे। **(बुख़ारी-1929, मुस्लिम-324)**

मर्द और औरत का एक बर्तन से वुज़ू करने का बयान

381. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में मर्द और औरत एक ही बर्तन से वुज़ू किया करते थे। **(बुख़ारी-193)**

382. हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) कहती हैं, अक्सर मेरा और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का वुज़ू करते वक़्त आगे-पीछे हाथ पड़ता था। अबू अ़ब्दुल्लाह इब्ने माजह (रह.) कहते हैं कि मैंने अबू ज़रआ से कहा कि मैंने मुहम्मद से सुना है कि उम्मे हबीबा ख़ौला बिन्ते कैस को कहा जाता है। अबू ज़रआ (रज़ि.) ने कहा कि मुहम्मद सही कहते हैं। **(अबू दाऊद-78)**

383. हज़रत आ़इशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी (ﷺ) और मैं नमाज़ के लिए एक ही बर्तन से वुज़ू किया करते थे।

खजूर के शीरे से वुज़ू करने का बयान

384. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, लैलतुलजिन्न (जिन्नों की रात) में हुज़ूर (ﷺ) ने मुझ से दरयाफ़्त किया तुम्हारे पास पानी है? मैंने अ़र्ज़ किया नहीं, पानी तो नहीं है। अलबत्ता कुछ अ़र्क मौजूद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, खजूर भी उ़म्दा और पाकीज़ा चीज़ है और उसका अ़र्क भी पाकीज़ा है। फिर आप (ﷺ) ने उससे वुज़ू किया। **(अबू दाऊद-84, तिर्मिज़ी-88)**

385. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि लैलतुलजिन्न में हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे दरयाफ़्त किया पानी है? मैंने अ़र्ज़ किया, नहीं पानी तो नहीं है। अलबत्ता खजूर का कुछ अ़र्क मौजूद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, खजूर पाक है और उसका अ़र्क भी पाकीज़ा है, लाओ मेरे हाथों पर डाल दो। मैंने डालना शुरू किया और हुज़ूर (ﷺ) ने उससे वुज़ू फ़र्माया। **(दारकुत्नी)**

दरिया के पानी से वुज़ू करने का बयान

386. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अक्सर होता है कि हम लोग दरिया के सफ़र में होते हैं और हमारे साथ पानी कम होता है। अगर हम उससे वुज़ू करें तो प्यासे मर जाने का ख़ौफ़ है। क्या इस सूरत में हम लोग दरिया के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो पानी निहायत पाक है, उसका मुर्दार भी हलाल है। **(अबू दाऊद-83, तिर्मिज़ी-69)**

387. हज़रत इब्ने फ़रासी (रज़ि.) कहते हैं, मैं शिकार खेला करता था और मेरे पास एक बर्तन था, जिसमें पानी भर लिया करता था लेकिन वुज़ू दरिया के पानी से किया करता था। इसके बारे में हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दरिया का पानी पाकीज़ा है और उसका मुर्दार भी हलाल है।

388. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से दरिया के पानी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसका पानी पाक है और उसका मुर्दार हलाल है। हज़रत जाबिर (रज़ि.) की दूसरी रिवायत का भी यही मज़्मून दर्ज है। **(मुस्नद अहमद)**

दूसरे को वुज़ू कराने का बयान

389. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए, जब आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाए तो मैं पानी का बर्तन लेकर हाज़िर हुआ और आपके हाथों पर पानी डालना शुरू किया। आप (ﷺ) ने पहले दोनों हाथ धोये, फिर चेहरा धोया, उसके बाद कलाइयों को धोने के लिए आस्तीनों को ऊपर करना चाहा, लेकिन आपका जुब्बा शरीफ़ तंग था, इसलिए ऊपर न कर सके बल्कि जुब्बे के नीचे से हाथ निकाल कर दोनों कलाइयों को धोया और मौज़ों पर मसह करके हमको नमाज़ पढ़ाई।

(बुख़ारी-363,388,29185798, मुस्लिम-274)

390. हज़रत रुबैअ बिन्ते मुअव्विज़ (रज़ि.) कहती हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) के लिए वुज़ू का पानी लेकर हाज़िर हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पानी डालो। मैंने पानी डालना शुरू किया, आप (ﷺ) ने चेहरा और हाथ धोने के बाद पानी लेकर पूरे सर का मसह किया। फिर तीन-तीन मर्तबा पाँव धोये। **(अबू दाऊद-126)**

391. हज़रत सफ़्वान इब्ने अस्साल (रज़ि.) कहते हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) के मुबारक हाथों पर सफ़र और हजर दोनों हालतों में वुज़ू के लिए पानी डाला करता था।

392. हज़रत उम्मे अय्याश (रज़ि.) जो हज़रत रुक़य्या (रज़ि.) की बाँदी थीं, बयान करती हैं कि हुज़ूर (ﷺ) बैठे होते और मैं खड़े होकर आप (ﷺ) को वुज़ू कराया करती थी। **(तबरानी फ़िल्कबीर-234)**

नींद से उठने के बाद हाथ धोने का बयान

393. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई रात को सोकर बेदार हो तो पहले हाथों को दो या तीन बार धो लें उसके बाद बर्तन में हाथ डालें। क्योंकि उसको नींद में नहीं मालूम हो सकता कि उसके हाथ कहाँ रहे। **(तिर्मिज़ी-24, मुस्लिम-278)**

394. हज़रत सालिम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से कोई शख़्स सोकर बेदार हो तो धोने से पहले अपने हाथ बर्तन में न डाले।

395. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जब कोई शख़्स बेदार हो और वुज़ू का इरादा करे तो पहले हाथों को धो डाले, क्योंकि उसको नहीं मालूम हो सकता कि रात को उसके हाथ कहाँ है या उसने हाथों को कहाँ रखा। **(दार क़ुत्नी)**

396. हज़रत हारिस (रज़ि.) ने बेदार होने के बाद बर्तन में हाथ डालने से पहले अपने दोनों हाथ धोये और उसके

बाद वुज़ू करके फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को भी इसी तरह करते हुए देखा था।

वुज़ू की शुरूआत में बिस्मिल्लाह पढ़ने का बयान

397. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स वुज़ू से पहले बिस्मिल्लाह न कहे, उसका वुज़ू क़ाबिले ऐतबार नहीं। **(मुस्नद अहमद)**

398. हज़रत सईद इब्ने ज़ैद (रज़ि.) का बयान है कि जो वुज़ू न करे उसकी नमाज़ नहीं और जो वुज़ू की शुरूआत में बिस्मिल्लाह न पढ़े उसका वुज़ू क़ाबिले ऐतबार नहीं। **(तिर्मिज़ी-26)**

399. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि बग़ैर वुज़ू के नमाज़ नहीं होता और बग़ैर बिस्मिल्लाह के वुज़ू नहीं होता। **(अबू दाऊद-101)**

400. हज़रत मुहैमिन इब्ने अब्बास इब्ने सहल इब्ने साएदी (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका वुज़ू नहीं उसकी नमाज़ नहीं और जो वुज़ू की शुरूआत में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता उसका वुज़ू नहीं। जो शख़्स मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता उसकी नमाज़ क़ुबूल नहीं होती इसी तरह जिसके दिल में अन्सार की मुहब्बत नहीं उसकी नमाज़ नहीं क़ुबूल होती। अबूल हसन कहते हैं कि मुहैमिन इब्ने अब्बास की दूसरी हदीस में भी यही मज़्मून मौजूद है।

वुज़ू में दाहिनी तरफ़ से शुरू करने का बयान

401. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब नबी करीम (ﷺ) वुज़ू फ़र्माया करते, दाहिनी तरफ़ से शुरू करने को पसन्द फ़र्माते। इसी तरह जब जूते पहनते और जब बालों में कंघी फ़र्माते तो दाहिनी तरफ़ से शुरू फ़र्माते। **(बुख़ारी-168, मुस्लिम-268)**

402. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोग वुज़ू करो तो दाहिनी तरफ़ से शुरू करो। अबूल हसन कहते हैं, हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) की रिवायत में भी यही मज़्मून है। **(अबू दाऊद-4141)**

एक चुल्लु से कुल्ली करने और नाक में पानी डालने का बयान

403. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला है। **(बुख़ारी-140)**

404. हज़रत अली इब्ने अबू तालिब (रज़ि.) कहते हैं, जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने वुज़ू फ़र्माया तो एक ही चुल्लू से तीन मर्तबा कुल्ली की और तीन मर्तबा नाक में पानी डाला।

405. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने यज़ीद अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में वुज़ू की कैफ़ियत मालूम करने की ग़र्ज़ से हाज़िर हुए। मैं हुज़ूर (ﷺ) के लिए पानी लाया। आप (ﷺ) ने एक चुल्लू से कुल्ली की और नाक में पानी डाला। **(बुख़ारी-191, मुस्लिम-235)**

406. हज़रत सलमा इब्ने कैस (रज़ि.) कहते हैं, मुझ से हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि जब वुज़ू करना तो नाक

साफ़ कर लेना और ढेलों से इस्तिन्जा करना तो ताक़ अदद पर करना। **(तिर्मिज़ी-27)**

407. हज़रत आसिम बिन लकीत इब्ने ज़मीरह (रज़ि.) अपने वालिद की हदीस इस तरह बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ) मुझको वुज़ू की कैफ़ियत बतलाएँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू मुकम्मल तौर पर किया करो। कोई हिस्सा वुज़ू में खुश्क न रह जाए और कुल्ली के वक़्त ग़रारा कर लिया करो। अलबत्ता अगर रोज़ा हो तो ग़रारा न करना चाहिए। **(अबू दाऊद-142)**

408. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू करते वक़्त नाक की सफ़ाई में मुबालग़ा किया करो। दो मर्तबा हो या तीन मर्तबा। **(अबू दाऊद-141)**

409. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो वुज़ू करे, नाक को पानी से साफ़ करले और इस्तिन्जा करे तो मुनासिब ये है कि तीन ढेले इस्तेमाल करे यानी ताक़ अदद ले।
(बुख़ारी-161, मुस्लिम-237)

वुज़ू में एक-एक मर्तबा हर अज़्व (अंग) धोने का बयान

410. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) से अबू जाफ़र (रज़ि.) हदीस नक़ल करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक-एक मर्तबा अअज़ा (अंग) को धोया है। जाफ़र (रज़ि.) ने कहा, दो मर्तबा? हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने कहा, हाँ, दो-दो मर्तबा भी। जाफ़र (रज़ि.) ने दरयाफ़्त किया, तीन-तीन मर्तबा? हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ, तीन मर्तबा भी। **(तिर्मिज़ी-45)**

411. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को वुज़ू में एक-एक चुल्लू से हर अंग को धोते हुए देखा है। **(बुख़ारी-157, अबू दाऊद-138)**

412. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) को मैंने जंगे तबूक में एक-एक मर्तबा अअज़ा को धोते हुए देखा है। **(मुस्नद अहमद)**

तीन मर्तबा वुज़ू करने का बयान

413. हज़रत शकीक (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत अली (रज़ि.) और हज़रत उस्मान (रज़ि.) को तीन-तीन मर्तबा वुज़ू करते और ये कहते हुए सुना है कि हुज़ूर (ﷺ) भी इसी तरह वुज़ू फ़र्माया करते थे।

414. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने तीन-तीन मर्तबा वुज़ू करके उसकी निस्बत हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ की।
(नसाई-81)

415. हज़रत आइशा (रज़ि.) और **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, मैंने नबी (ﷺ) को तीन-तीन मर्तबा वुज़ू करते और एक मर्तबा मसह करते हुए देखा है।

416. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नबी करीम (ﷺ) को तीन-तीन मर्तबा वुज़ू करते और एक मर्तबा मसह करते हुए देखा है।

417. हज़रत अबू मालिक अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) वुज़ू में अअज़ा को तीन-तीन मर्तबा धोया करते।

418. हज़रत रबीअ बिन्ते मुअव्विज़ इब्ने अफ़रा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने वुज़ू में अअज़ा (वुज़ू के अंगो) को तीन-तीन मर्तबा धोया है। **(अबू दाऊद-126)**

वो अहादीस जिसमें वुज़ू के अअज़ा दो मर्तबा और तीन मर्तबा धोने का बयान है

419. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, पहले नबी (ﷺ) ने भी एक मर्तबा वुज़ू के अअज़ा को धोकर फ़र्माया कि ये वो वुज़ू है, जिसके बग़ैर नमाज़ नहीं हो सकती। फिर आपने दूसरी मर्तबा धोकर फ़र्माया कि ये (बीच वाला) तरीक़ा है। फिर तीन मर्तबा धोकर फ़र्माया, ये मुकम्मल वुज़ू है। जो मेरा और इब्राहीम ख़लीलुल्लाह (अलैहिस्सलाम) का वुज़ू है। और जो शख़्स इस तौर पर वुज़ू करके उसके बाद पढ़े, **अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाह व अश्हदुअन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू** (मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं)।

420. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने पहले एक मर्तबा वुज़ू किया और फ़र्माया कि ये वुज़ू वो है जो तुम्हारे लिए मुक़र्रर हो चुका है। या यह फ़र्माया, ये वो वुज़ू है, जिसके बग़ैर नमाज़ नहीं हो सकती। फिर दूसरी मर्तबा वुज़ू करके फ़र्माया, इस तरह करने वाले को दो अज्र मिलेंगे। फिर तीन-तीन मर्तबा हर अज़्व को धोकर फ़र्माया, ये तरीक़ा मेरा और मेरे मुक़ाबिल दूसरे नबियों का है। **(दारकुत्नी)**

वुज़ू में इरादा करने और मुक़र्रर तरीक़े से ज़्यादती करने की कराहत का बयन

421. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू पर एक शैतान मुक़र्रर ह, जिसका नाम वल्हान है। आदमी को चाहिए बहुत एहतियात करे कि वुज़ू करते हुए उसके वस्वसे वाकेअ न हों ।
(तिर्मिज़ी-57)

422. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक देहाती हाज़िर हुआ और वुज़ू की कैफ़ियत दरयाफ़्त की। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको तीन-तीन मर्तबा वुज़ू करके दिखाने के बाद फ़र्माया कि ये वुज़ू का तरीक़ा है जो इसमें ज़्यादती करेगा वो ज़ालिम और नाफ़र्मानी करने वाला होगा।
(अबू दाऊद-135)

423. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक रात मैं अपनी खाला मैमूना (रज़ि.) के यहाँ रहा। रात को हुज़ूर (ﷺ) ने उठकर मश्क के बहुत थोड़े से पानी से वुज़ू किया। मैंने भी इसी तरह वुज़ू किया।
(बुख़ारी-138, मुस्लिम-763)

424. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक शख़्स को वुज़ू करते हुए देखकर फ़र्माया, फ़िज़ूलख़र्ची मत करो।

425. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं एक दिन हुज़ूर (ﷺ) हज़रत सअद (रज़ि.) के क़रीब से

गुज़रे, उस वक़्त सअ़द (रज़ि.) वुज़ू कर रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये फ़िज़ूलख़र्ची क्या है? हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या वुज़ू में फ़िज़ूलख़र्ची होती है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, अगर तुम नहर के किनारे हों तब भी पानी ज़्यादा ख़र्च मत करो। **(मुस्नद अहमद)**

उन अहादीस का ज़िक्र जिनमें पूरे तौर पर वुज़ू करने का बयान है

426. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हमको मुकम्मल तौर पर वुज़ू करने का हुक्म फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-808, तिर्मिज़ी-1701)**

427. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने सहाबा किराम (रज़ि.) को मुख़ातब करके फ़र्माया, क्या मैं तुमको ऐसा अ़मल न बतलाऊँ जिससे गुनाह माफ़ हों और नेकियों की ज़्यादती हो। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर फ़र्माइये। हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 01.मुकम्मल तौर पर वुज़ू करना चाहे कितनी ही तक्लीफ़ का वक़्त हो 02. मस्जिद की तरफ़ नमाज़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाना 03. एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तज़ार करना। **(मुस्नद अहमद)**

428. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सख़्ती और शिद्दत के वक़्त वुज़ू मुकम्मल तौर पर करना, नमाज़ के लिए मस्जिदों की तरफ़ क़दम बढ़ाना गुनाहों का कफ़्फ़ारा है।

वुज़ू करते वक़्त दाढ़ी में ख़िलाल करना

429. हज़रत अ़म्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को दाढ़ी मुबारक में ख़िलाल फ़र्माते हुए देखा है। **(तिर्मिज़ी-29,30)**

430. हज़रत उस्मान (रज़ि.) का बयान है हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू के वक़्त ख़िलाल किया है। **(तिर्मिज़ी-31)**

431. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूर (ﷺ) वुज़ू फ़र्माया करते तो अंगुलियों को दो मर्तबा खोलकर दाढ़ी मुबारक में ख़िलाल फ़र्माया करते।

432. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) जिस वक़्त वुज़ू फ़र्माया करते तो दोनों रुख़्सारों को आहिस्ता-आहिस्ता मलते और दाढ़ी मुबारक में ख़िलाल फ़र्माया करते। इस तरह कि अंगुलियों को नीचे से डाला करते।

433. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) को वुज़ू करते वक़्त दाढ़ी मुबारक में ख़िलाल करते हुए देखा है।

सर के मसह का बयान

434. हज़रत अ़म्र इब्ने यह्या (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) से अ़र्ज़ किया कि आप मुझको वो वुज़ू दिखा सकते हैं जो हुज़ूर (ﷺ) करते थे। अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद ने जवाब दिया हाँ, ज़रूर (देखो) चुनाँचे उन्होंने पानी तलब करके पहले दोनों हाथ दो-दो मर्तबा धोये। फिर तीन-तीन मर्तबा कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर तीन मर्तबा चेहरे को धोया। फिर दोनों हाथों को कोहनियों तक दो-दो

मर्तबा धोया। उसके बाद सर का मसह किया, मसह इस तरीक़े से किया कि पहले दोनों हाथ गुद्दी की तरफ़ ले गए फिर उधर से चेहरे की तरफ़ वापस लाए, फिर दोनों पाँव धोये। **(बुख़ारी-185, मुस्लिम-235)**

435. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नबी करीम (ﷺ) को वुज़ू में एक मर्तबा मसह करते हुए देखा। **(बुख़ारी-192)**

436. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने वुज़ू में सर का मसह एक मर्तबा किया है।

437. हज़रत सलमा बिन अक़्वा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने वुज़ू में सर का मसह एक मर्तबा किया है।

438. हज़रत रबीअ़ बिन्ते मुअव्विज़ इब्ने अफ़रा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू में सर का मसह दो मर्तबा किया है। **(अबू दाऊद-126)**

कानों के मसह का बयान

439. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कानों का मसह फ़र्माया तो कानों के अंदर का मसह शहादत की अंगुली से किया और ऊपर की तरफ़ का अंगूठे से किया।

440. हज़रत रुबैअ़ (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू में कानों का मसह किया है तो अंदर और बाहर दोनों तरफ़ का मसह किया है। **(तबरानी फ़िल्कबीर-683)**

441. हज़रत रुबैअ़ बिन्ते मुअव्विज़ बिन अफ़रा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने कानों के मसह के वक़्त दोनों सुराखों में अंगुलियाँ दाख़िल फ़र्माई हैं। **(अबू दाऊद-131)**

442. हज़रत मिक़्दाद इब्ने मअ़दी कर्ब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू में सर और कानों दोनों का मसह किया है और कानों के अन्दर व बाहर की तरफ़ मसह किया है। **(अबू दाऊद-122, 123)**

__नोट :__ गर्दन का मसह हुज़ूर (ﷺ) और सहाबा किराम (रज़ि.) से साबित नहीं। हदीस की किसी मुअ़तबर किताब में नहीं है इसलिए गर्दन का मसह बिदअ़त है।

कान सर में शामिल होने का बयान

443. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि कान सर में शामिल है।

444. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, कि दोनों कान सर में शामिल है। आप (ﷺ) सर का मसह एक मर्तब फ़र्माया करते और आँखों के दोनों कोनो में अंगुलियाँ फेर लिया करते। **(अबू दाऊद-134)**

445. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दोनों कान सर के हुक्म में दाख़िल हैं।

अंगुलियों में ख़िलाल करने का बयान

446. हज़रत मुस्तवरिद इब्ने शद्दाद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू में हाथ की सबसे छोटी अंगुली से

पाँव की अंगुलियों में ख़िलाल किया है। **(अबू दाऊद-148, तिर्मिज़ी-40)**

447. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोग वुज़ू किया करो तो मुकम्मल तौर पर किया करो और हाथों और पाँवों की अंगुलियों में ख़िलाल किया करो। **(तिर्मिज़ी-39)**

448. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबू राफ़ेअ (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) वुज़ू में अंगुश्तरी को हरकत दिया करते थे।

पाँव के गट्टों के धोने का बयान

450. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि) में कुछ लोगों को हुज़ूर (ﷺ) वुज़ू करते देखा और इर्शाद फ़र्माया कि उनकी ऐड़ियाँ कुछ ख़ुश्क हैं, इनमें तरी नहीं पहुँची है। (ये हालत मुलाहिज़ा फ़र्माया) इर्शाद किया कि वुज़ू मुकम्मल तौर पर किया करो और ऐड़ियाँ ख़ुश्क न रहे वर्ना ऐड़ियाँ दोज़ख़ की आग में जलाई जाएँगी। **(मुस्लिम-241)**

451. हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो ऐड़ियाँ (वुज़ू में ख़ुश्क रह जाएँ) उनके लिए (जहन्नम की आग में जलने की वजह से) तबाही है (या उनको दोज़ख़ के तबके में) में अज़ाब दिया जाएगा जिसका नाम वैल है। **(दारकुत्नी)**

452. हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हज़रत अब्दुर्रहमान (रज़ि.) को वुज़ू करते हुए देखा। फ़र्माने लगीं कि वुज़ू पूरी तवज्जह के साथ करना क्योंकि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है, जो गट्टे वुज़ू में ख़ुश्क रह जाएँ उनके लिए हलाकत है। **(मुस्नद अहमद)**

453. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, वो गट्टे आग में जलेंगे जो वुज़ू में ख़ुश्क रह जाऐंगे। **(मुस्लिम-242)**

454. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, वो गट्टे आग में जलेंगे जो वुज़ू में ख़ुश्क रह जाऐंगे। **(मुस्नद अहमद)**

455. हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.), यज़ीद इब्ने अबू सुफ़्यान (रज़ि.), शरजील इब्ने हस्ना (रज़ि.) और **अम्र इब्ने आस (रज़ि.)** कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू मुकम्मल तौर पर किया करो वर्ना जहन्नम की आग में वो गट्टे जलेंगे जो ख़ुश्क रह जाएँगे।

क़दमों को धोने का बयान

456. हज़रत अबी हैता (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अली (रज़ि.) ने वुज़ू में दोनों क़दमों को धोकर फ़र्माया, मैं तुमको हुज़ूर (ﷺ) का वुज़ू सिखाना चाहता हूँ। **(अबू दाऊद-116)**

457. हज़रत मिक़्दाद इब्ने मअदी कुर्ब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने वुज़ू के वक़्त अपने पैरों को तीन-तीन मर्तबा धोया है। **(तबरानी फ़िल्कबीर-121)**

458. हज़रत रबीअ (रज़ि.) कहती हैं, मेरे पास हज़रत अब्बास (रज़ि.) इस हदीस के बारे में पूछने आए, जो मैं हुज़ूर (ﷺ) के पाँव धोने के मुताल्लिक़ बयान किया करती थीं। (हदीस सुनकर) इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया,

लोग धोते भी हैं लेकिन मुझको किताबुल्लाह में मसह का हुक्म मालूम होता है। (लेकिन जुम्हूर सहाबा पाँव धोया करते थे)।

अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ वुज़ू करने का बयान

459. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक़ मुकम्मल वुज़ू करके नमाज़े फ़राइज़ अदा करेगा ये फ़राइज़ उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा होंगे जो गुनाह इन फ़राइज़ और गुज़िश्ता वक़्त के फ़राइज़ के दरम्यान उससे हो गए थे। **(मुस्लिम-231)**

460. हज़रत रफ़ाआ इब्ने राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि मैं एक दिन हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में बैठा हुआ था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस तरह अल्लाह तआला ने इंसान को वुज़ू का हुक्म दिया है कि पहले चेहरा धोये, फिर हाथ, फिर सर का मसह, फिर दोनों पाँव गट्टों तक। अगर इस तरह इंसान वुज़ू करके नमाज़ अदा करेगा तो हक़ीक़तन ये नमाज़, नमाज़ होगी। (वर्ना) इसके ख़िलाफ़ नमाज़ क़ाबिले ऐतबार नहीं। **(अबू दाऊद-808)**

वुज़ू के बाद पायजामे पर पानी के छींटें मारने का बयान

461. हज़रत हकम इब्ने सुफ़्यान (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने पहले वुज़ू किया उसके बाद बाद रूमाली पर चुल्लू भरकर पानी छिड़का। **(अबू दाऊद-168)**

462. हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने मुझको वुज़ू का तरीक़ा सिखलाने के बाद ये भी फ़र्माया कि रूमाली पर पानी छिड़क लिया करो। (ताकी जो पेशाब का कतरा) बाद में ख़ारिज होता है, पाक हो जाए। **(मुस्नद अहमद)**

463. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू के बाद पाजामा मुबारक की रूमाली पर पानी छिड़का था। **(तिर्मिज़ी-50)**

464. हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया तो अपने सतर पर पानी के छींटे मारे।

वुज़ू और गुस्ल के बाद रूमाल इस्तेमाल करने का बयान

465. हज़रत उम्मे हानी बिनते अबी तालिब (रज़ि.) का बयान है, जब मक्का फ़तह हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) को गुस्ल की ज़रूरत हुई। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने आपके लिए पर्दा किया। उसके बाद आप (ﷺ) एक कपड़े में लिपट कर बाहर तशरीफ़ लाए। **(बुख़ारी-280, मुस्लिम-336)**

466. हज़रत कैस इब्ने ज़रीर (रज़ि.) का बयान है एक दिन हुज़ूर (ﷺ) के लिए हमने पानी तैयार करके रख दिया था। आप तशरीफ़ लाए और गुस्ल करके कस्म का रंगा हुआ एक कपड़ा लपेट लिया। अब तक मेरी आँखों में वो रंग फिर रहा है जो हुज़ूर (ﷺ) के मूँढों पर कस्म की वजह से लग गया था। **(मुस्नद अहमद)**

467. हज़रत मैमूना (रज़ि.) कहती हैं एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने गुस्ले जनाबत किया। मैं हुज़ूर (ﷺ) का बदन पोंछने के लिए कपड़ा लेकर हाज़िर हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको वापस फ़र्मा दिया और मुबारक हाथों से ही पानी सौंत दिया। **(बुख़ारी-259, मुस्लिम-317, 337)**

468. हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू किया। सूती कपड़े के जुब्बे से जो उस वक़्त आप (ﷺ) ने पहना हुआ था, अपने बदन को ख़ुश्क किया।

वुज़ू के बाद कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये

469. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जे शख़्स मुकम्मल वुज़ू करने के बाद ये दुआ तीन मर्तबा पढ़े, अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाह वह्दुहू ला शरीक व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू। तो उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाएँगें। जिस दरवाज़े से जाना चाहे दाख़िल हो जाए। अबूल हसन कहते हैं, अबू नुऐम की हदीस का भी यही मज़्मून है।

470. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मुसलमान मुकम्मल वुज़ू करके कलिम-ए-शहादत **अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाह व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू.** पढ़ेगा उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिये जाएँगे। जिस दरवाज़े से चाहे दाख़िल हो जाए। **(मुस्लिम-234)**

पीतल के बर्तन से वुज़ू करने का बयान

471. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। हमने आपके सामने पीतल के बर्तन में वुज़ू के लिए पानी पेश किया। आप (ﷺ) ने उससे वुज़ू किया। **(बुख़ारी-197, मुस्लिम-236)**

472. उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) कहती हैं, मेरी एक पीतल की कंघी थी, मैं वही हुज़ूर (ﷺ) के बालों में किया करती थी। **(मुस्नद अहमद)**

473. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने पीतल के बर्तन से वुज़ू फ़र्माया।

सोने के बाद वुज़ू करने का बयान

474. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ख़र्राटों के साथ सो जाते और फिर बग़ैर वुज़ू किये हुए नमाज़ अदा फ़र्मा लेते। हज़रत वकीअ (रज़ि.) कहते हैं, ये सोना सज्दे में हुआ करता था। **(मुस्नद अहमद)**

475. हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ख़र्राटे लेकर नींद लेते और फिर उठकर नमाज़ अदा फ़र्मा लेते। **(मुस्नद अहमद)**

476. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) का ये सोना क़ुऊद की हालत में हुआ करता था।

477. हज़रत अ़ली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जागना दोनों सुरीनों का बंधन है, जो शख़्स सो जाए उसको वुज़ू करना चाहिए। **(अबू दाऊद-203)**

478. हज़रत सफ़्वान इब्ने असाल (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हमको बजुज़ हालते जनाबत पेशाब, पाख़ाना, नींद के बावजूद तीन दिन तक मौज़े पहने रखने की इजाज़त देते थे। **(तिर्मिज़ी-96)**

शर्मगाह को छू कर वुज़ू करने का बयान

479. हज़रत बुसरा बिन्ते सफ़्वान (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स शर्मगाह को छुए

उसको दोबारा वुज़ू करना चाहिए। **(तिर्मिज़ी-83)**

480. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स शर्मगाह को छुए उसको वुज़ू करना चाहिए।

481. हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स पेशाब के मक़ाम को छुए उसको वुज़ू करना चाहिए। **(बैहक़ी)**

482. हज़रत अय्यूब (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स शर्मगाह को छुए उसको वुज़ू करना चाहिए। **(तब्रानी)**

शर्मगाह को छूने की इजाज़त का बयान

483. हज़रत क़ैस इब्ने तलक़ हनफ़ी अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, किसी शख़्स ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से शर्मगाह को छूकर वुज़ू करने के मुताल्लिक़ पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस काम से वुज़ू नहीं टूटता क्योंकि वो भी तुम्हारे दीगर अअज़ा (अंगों) की तरह है। **(मुस्नद अहमद)**

484. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) से किसी ने शर्मगाह को छूकर वुज़ू करने के बारे में पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो भी तुम्हारा एक अज़्व (अंग) है।

__तशरीह :__ शर्मगाह को छूने की इजाज़त वाली हदीसें मन्सूख़ हैं, इसलिये क़ाबिले अमल नहीं है। सही मसला यह है कि शर्मगाह छूने से वुज़ू टूट जाता है।

आग से पकी हुई चीज़ खाने से वुज़ू टूटने का बयान

485. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, आग से पकी हुई चीज़ से वुज़ू जाता रहता है। उसको खाकर वुज़ू किया करो। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने यह सुनकर अबू हुरैरह (रज़ि.) से फ़र्माया, गर्म पानी से भी तुम्हारा वुज़ू जाता रहता होगा। अबू हुरैरह (रज़ि.) कहने लगे, भाई! जो हदीस हुज़ूर (ﷺ) की जानिब से तुम्हारे रूबरू पेश की जाए उसमें क़ील-क़ाल न किया करो। **(मुस्नद अहमद)**

486. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चीज़ आग से पकी हो (उसको खाकर) वुज़ू किया करो। **(मुस्लिम-353)**

487. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) अपने कानों पर हाथ रखकर ये फ़र्माया करते कि ये कान बहरे हो जाएँगे अगर हुज़ूर से हदीस न सुनी हो कि आग से पकी हुई चीज़ से वुज़ू जाता रहता है। इसको खाकर वुज़ू किया करे।

आग से पकी हुई चीज़ खाने की इजाज़त

488. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) ने बकरी का पुख़्ता शाना नोश फ़र्माया और बोरे से जो उस वक़्त आप (ﷺ) के नीचे बिछा हुआ था, हाथ साफ़ करके उसी तरह नया वुज़ू किये बग़ैर नमाज़ अदा फ़र्माई। **(अबू दाऊद-189)**

489. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ), हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) ने गोश्त-रोटी वग़ैरह खाई। लेकिन बाद में नया वुज़ू नहीं फ़र्माया। **(मुस्नद अहमद)**

490. हज़रत ज़ुहरी (रज़ि.) कहते हैं, मैं इशा के वक़्त वलीद या अब्दुल मलिक (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया और लोग नमाज़ के लिए तैयार होने लगे। मैंने भी वुज़ू का इरादा किया तो जाफ़र बिन उमर इब्ने उमैया क़सम खाकर अपने वालिद की रिवायत बयान करने लगे कि उन्होंने भी क़सम खाकर कहा था कि हुज़ूर (ﷺ) ने आग में पकी हुई चीज़ खाई मगर उसके बाद वुज़ू नहीं फ़र्माया। ये सुनकर अली इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहने लगे कि मैं भी क़सम खाकर कहता हूँ कि मेरे वालिद ने भी इसी तरह बयान किया था।
(बुख़ारी-490, मुस्लिम-355)

491. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में बकरी का भुना हुआ शाना पेश किया गया। आप (ﷺ) ने उसको नोश फ़र्माया। फिर बग़ैर (नया) वुज़ू किये हुए नमाज़ अदा फ़र्माई। **(नसाई-182)**

492. हज़रत सुवैद इब्ने नोअमान अन्सारी (रज़ि.) का बयान है कि हम हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के साथ ख़ैबर की तरफ़ जा रहे थे। रास्ते में अस्र का वक़्त हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने ठहर कर नमाज़ अदा की और फिर खाना खाने का हुक्म फ़र्माया। आपके सामने सत्तू लाकर रखे गये। आपने उनको नोश फ़र्माया और पानी मँगवाकर कुल्ली फ़र्माई और इसी तरह हमको मग़रिब की नमाज़ पढ़ाई। **(बुख़ारी-209)**

493. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने बकरी का शाना नोश फ़र्माया और फिर कुल्ली करके हाथ साफ़ करके नमाज़ अदा फ़र्माई। **(मुस्नद अहमद)**

तश्रीह : ऊपर ज़िक्र किये गये मसले में आग पर पकी हुई चीज़ खाकर वुज़ू करने का हुक्म लाज़िमी नहीं है बल्कि बेहतर और अफ़ज़ल है।

वो अहादीस जिनमें ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू करने का बयान है

494. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया गया ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू करना चाहिए? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू किया करो।
(अबू दाऊद-184, तिर्मिज़ी-81)

495. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते है, नबी करीम (ﷺ) ने मुझको ये हुक्म दिया है कि ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू किया करें और बकरी का गोश्त खाकर वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं। **(मुस्लिम-360)**

496. हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, बकरी का गोश्त खाकर वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं अलबत्ता ऊँट का गोश्त खाकर वुज़ू करो।

497. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बकरी का गोश्त और दूध खा-पीकर वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं अलबत्ता ऊँट का गोश्त खा कर या दूध पीने के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत है। जिस मक़ाम पर बकरियाँ बाँधी जाती हो वहाँ नमाज़ पढ़ सकते हो, लेकिन जहाँ ऊँट बाँधे जाते हों वहाँ नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए।

दूध पीकर कुल्ली करने का बयान

498. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दूध पी कर कुल्ली करो। क्योंकि दूध में चिकनाहट होती है। **(बुख़ारी-5609, मुस्लिम-358)**

499. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दूध पी कर कुल्ली कर लिया करो, क्योंकि दूध में चिकनाहट होती है। **(तब्रानी फ़िल्कबीर)**

500. हज़रत सहल इब्ने सअ़द साएदी (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दूध पी कर कुल्ली कर लिया करो क्योंकि दूध में चिकनाहट होती है। **(तब्रानी फ़िल्कबीर)**

501. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के लिए बकरी का दूध लाया गया, हुज़ूर (ﷺ) ने उसको पी कर कुल्ली फ़र्माई और इशारा फ़र्माया कि इसमें चिकनाहट होती है।

बोसा लेकर वुज़ू करने का बयान

502. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपनी अज़्वाजे मुत्तह्हरात में से किसी का बोसा लिया और फिर बग़ैर वुज़ू किये हुए आपने नमाज़ पढ़ाई। अ़र्फ़ा इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं (जो इस हदीस के रावी हैं) मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, शायद वो आप ही होंगी। ये सुनकर हज़रत आइशा (रज़ि.) हँसने लगीं। **(अबू दाऊद-179, तिर्मिज़ी-86)**

503. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, पहले नबी करीम (ﷺ) वुज़ू फ़र्माया करते लेकिन बाद में बोसा लेकर वुज़ू न फ़र्माते बल्कि पहले वुज़ू से नमाज़ अदा फ़र्मा लेते। और कभी-कभी मेरे साथ भी हुज़ूर ने ऐसा किया है।

मज़ी (धात) के ख़ारिज होने से वुज़ू करने का बयान

504. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, किसी शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से मज़ी (धात) की वजह से ग़ुस्ल और वुज़ू करने के बारे में पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मज़ी की वजह से वुज़ू करना चाहिए अलबत्ता मनी (वीर्य) के निकलने से ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। **(तिर्मिज़ी-114)**

505. हज़रत मिक़्दाद इब्ने अस्वद (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में फ़त्वा दरयाफ़्त किया जो अपनी जोज़ा से सुहबत करे और किसी चीज़ का इख़राज न हो। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स को ऐसा वाक़िआ पेश आए तो उसको चाहिए कि शर्मगाह को धोकर वुज़ू कर ले। **(अबू दाऊद-207)**

506. हज़रत सहल इब्ने हनीफ़ (रज़ि.) कहते हैं, मुझको बहुत ज़्यादा मज़ी आया करती थी और ग़ुस्ल करते-करते परेशान हो गया तो मैंने इसके मुताल्लिक़ हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको सिर्फ़ वुज़ू करना चाहिए। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) अगर कुछ मेरे कपड़े पर लग जाए तो क्या करूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कपड़े पर लग जाए तो पानी का छींटा मार देना काफ़ी है। **(अबू दाऊद-210, तिर्मिज़ी-115)**

507. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ, हज़रत उबय इब्ने कअ़ब के मकान पर तशरीफ़ लाए। हज़रत उबय् इब्ने कअ़ब (रज़ि.) इन दोनों साहिबान के आने की ख़बर सुनकर बाहर तशरीफ़ लाए। हज़रत

अब्बास (रज़ि.) ने उनसे पूछा, मुझको मज़ी आई तो मैंने शर्मगाह को धोकर वुज़ू कर लिया। ये सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माने लगे, क्या ये काम काफ़ी हो गया? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, हाँ! काफ़ी हो गया। हज़रत उमर ने फ़र्माया, क्या तुमने ये हुज़ूर (ﷺ) से सुना है? इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, जी हाँ! ये हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान है।

सोकर उठने पर वुज़ू करने का बयान

508. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) रात को बेदार हुए और क़ज़ा-ए-हाजत के बाद मुँह धोया और फिर सो गये। **(बुख़ारी-6316, मुस्लिम-763)**

हर नमाज़ के लिये वुज़ू करना और एक वुज़ू से सब नमाज़ें पढ़ने का बयान

509. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) हर नमाज़ के लिए वुज़ू फ़र्माया करते थे और हम एक ही वुज़ू से बहुत सी नमाज़ें अदा किया करते थे। **(बुख़ारी-214)**

510. हज़रत सुलेमान इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, शुरू में हुज़ूर (ﷺ) हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू फ़र्माया करते थे, लेकिन फ़त्हे मक्का के बाद हुज़ूर (ﷺ) ने एक वुज़ू से चन्द नमाज़ें अदा फ़र्माना शुरू कर दिया। **(मुस्लिम-277)**

511. हज़रत फ़ज़ल इब्ने मुबश्शिरा (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत जाबिर (रज़ि.) को एक वुज़ू से तमाम नमाज़ें अदा करते देखा। मैंने कहा, ये क्या काम है? उन्होंने फ़र्माया, मैंने ये काम हुज़ूर (ﷺ) को करते देखा लिहाज़ा उसी की इत्तिबाअ मैं भी करता हूँ।

वुज़ू पर वुज़ू करने का बयान

512. हज़रत अबू अतीफ़ बजली (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) के पास मस्जिद में बैठा हुआ था। इतने में ज़ुहर का वक़्त आ गया। आपने फिर उठकर वुज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, फिर अपने मक़ाम पर बैठ गये। यहाँ तक कि अस्र का वक़्त आ गया तो फिर आपने वुज़ू किया और अस्र की नमाज़ पढ़ी। फिर अपने मक़ाम पर तशरीफ़ लाकर बैठ गये। इतने में मग़्रिब का वक़्त आ गया, आपने फिर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह तआला आप पर रहम फ़र्माये। क्या हर नमाज़ के लिएं वुज़ू करना सुन्नत है या वाजिब है? आपने फ़र्माया, तुम्हारा ख़्याल है कि ये काम ख़ुद अपनी मर्ज़ी से करता हूँ? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, ख़्याल तो यही है। आपने फ़र्माया, नहीं! अगर मेरा वुज़ू फ़ज्र की नमाज़ से इशा की नमाज़ तक रहे तो मैं एक ही वुज़ू से तमाम नमाज़ें पढ़ लूँ। लेकिन मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि हर नमाज़ के वक़्त ताज़ा वुज़ू करने से दस नेकियाँ अता की जाती हैं और मुझको नेकियों की तरक़्क़ी बहुत ज़्यादा पसन्द है। **(अबू दाऊद-62, तिर्मिज़ी-74)**

वुज़ू उसी वक़्त करना चाहिये जब वुज़ू न हो

513. हज़रत उबादा इब्ने तमीम (रज़ि.) अपने चचा की रिवायत बयान करते हैं, एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से शिकायत की कि मुझको नमाज़ में कुछ चीज़ निकलती हुई मालूम होती है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस वक़्त तक आवाज़ या बदबू महसूस न करे, उस वक़्त तक वुज़ू नहीं जाता। **(बुख़ारी-137, मुस्लिम-361)**

514. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, मुझको नमाज़ में वुज़ू के टूट जाने का शुब्हा होता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक आवाज़ या हवा ख़ारिज न हो उस वक़्त तक नमाज़ न तोड़ना चाहिए।

515. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक आवाज़ या बदबू महसूस न हो वुज़ू वाजिब नहीं होता। **(मुस्लिम-362, तिर्मिज़ी-74)**

516. हज़रत मुहम्मद इब्ने अम्र इब्ने अता (रह.) कहते हैं, मैंने साइब इब्ने यज़ीद को कपड़ा सूँघते हुए देखा, वजह पूछी तो उन्होंने फ़र्माया, मैं इस वजह से कपड़ा सूँघता हूँ कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बदबू और आवाज़ से वुज़ू टूटता है।

नापाक न होने वाले पानी की मिक़्दार का बयान

517. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, किसी ने हुज़ूर (ﷺ) से दरिया और उन तालाबों के पानी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, जिन पर दरिन्दे वग़ैरह आते जाते हों। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो मटके पानी होगा तो नापाक नहीं होगा। **(अबू दाऊद-64, इब्ने ख़ुज़ैमा-92)**

518. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो कुल्ले पानी होगा तो उसको कोई चीज़ पलीद नहीं कर सकती।

हौज़ों का बयान

519. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने नबी करीम (ﷺ) से उन हौज़ों के पानी के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, जो मक्का और मदीना के दरम्यान वाकेअ थे। और दरिन्दे, कुत्ते और घोड़े वग़ैरह उससे पानी पिया करते थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो कुछ उन्होंने पी लिया उनका हिस्सा है, जो बाक़ी रहा वो हमारे लिए पाक है।

520. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि किसी रास्ते पर चलते हुए हम एक तालाब के क़रीब पहुँचे, वहाँ देखा कि मरे हुए गधे की लाश पड़ी है। मजबूरन वहाँ से पानी न लिया। इतने में हुज़ूर (ﷺ) भी उस मक़ाम पर तशरीफ़ ले आये और हमको मुलाहिज़ा फ़र्मा कर इर्शाद किया, ये पानी पलीद नहीं है। इस फ़र्मान के बाद हमने पानी पिया और साथ भी ले लिया।

521. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, पानी उस वक़्त नापाक होता है जब उसका रंग, बू और स्वाद बदल जाये, इससे पहले नापाक नहीं होता।

उस बच्चे के पेशाब का बयान जो दूध पीता है

522. हज़रत लुबाबा बिन्ते हारिस (रज़ि.) कहती हैं, एक मर्तबा हज़रत हसन इब्ने अली (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की गोद में पेशाब कर दिया। मैंने अर्ज़ किया, दूसरे कपड़े पहनकर ये मुझको इनायत कर दीजिये, ताकि मैं इसको धो डालूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफ़ी है, लड़की का पेशाब अलबत्ता धोने की ज़रूरत है। **(अबू दाऊद-375)**

523. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक बच्चा हाज़िर किया गया। उसने हुज़ूर (ﷺ) पर पेशाब कर दिया, आपने उस पर सिर्फ़ पानी छिड़क दिया और धोया नहीं। **(मुस्लिम-286)**

524. हज़रत उम्मे कैस बिन्ते मुहसिन कहती हैं, मैं अपने बच्चे को लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई, उस वक़्त मेरा बच्चा खाने लगा था। उसने पेशाब कर दिया, आप (ﷺ) ने उस पर पानी छिड़क दिया।

(बुख़ारी-223, मुस्लिम-287)

525. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, दूध पीते बच्चे के मुताल्लिक़ हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर लड़का हो तो पेशाब पर पानी छिड़कना चाहिए और अगर लड़की हो तो पेशाब को धोना चाहिए। हज़रत अबुल यमान मिस्री हज़रत इमाम शाफ़ेई (रह.) से इस हदीस के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। हज़रत इमाम (रह.) ने फ़र्माया कि लड़के के पेशाब की असल मिट्टी और पानी है और लड़की के पेशाब की असल गोश्त और ख़ून है। समझ गये या नहीं? मैंने कहा, नहीं मेरी समझ में नहीं आया। हज़रत इमाम (रह.) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने हव्वा (अलैहस्सलाम) को आदम (अलैहिस्सलाम) की छोटी पसली से पैदा फ़र्माया, इस वजह से लड़की का पेशाब गोश्त और ख़ून से पैदा होता है और लड़के का मिट्टी और पानी से। अब समझे? मैंने अर्ज़ किया, हाँ, अब समझा। आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला तुमको इस इल्म से नफ़ा इनायत करे। **(अबू दाऊद-378)**

526. हज़रत अबूल फ़सीह (रज़ि.) कहते हैं, मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ करता था। हज़रत हसन या हज़रत हुसैन (रज़ि.) ने एक मर्तबा आपके सीना मुबारक पर पेशाब कर दिया। लोगों ने उसको धोने का इरादा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं, धोने की ज़रूरत नहीं। लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क दिया करो और लड़की के पेशाब को धो डाला करो। **(अबू दाऊद-376)**

527. हज़रत उम्मे क़ुर्ज़ा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, लड़की का पेशाब धोना चाहिए और लड़के के पेशाब पर पानी छिड़क देना काफ़ी है। **(मुस्नद अहमद)**

जिस ज़मीन पर पेशाब हो उसको किस तरह धोना चाहिये

528. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक देहाती ने मस्जिद में पेशाब कर दिया। कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़े। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको कुछ न कहो। फिर आपने पानी का एक डोल मँगवाकर उस पर बहा दिया।

(बुख़ारी-6025, मुस्लिम-6010)

529. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे, एक देहाती आया और कहने लगा, ऐ अल्लाह तआला मुझ पर और मुहम्मद पर रहमत नाज़िल फ़र्मा। और किसी को उसमें मत शरीक कर। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ये सुनकर हँसने लगे और फ़र्माया कि उसने बड़ी वसीअ चीज़ को महदूद कर दिया। इतने में वो देहाती मस्जिद के एक कोने में पहुँचा और पाँव फैलाकर उसने पेशाब करना शुरू कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने ये देखा और उस देहाती से निहायत नर्मी से फ़र्माया, ये मस्जिदें अल्लाह की इबादत नमाज़ वग़ैरह के लिए बनाई गई है इसलिये नहीं कि तुम इसमें पेशाब करो। अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मेरे माँ-बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान हो। न आपने उसको डाँटा न उस पर ख़फ़ा हुए बल्कि बहुत उम्दा तरीक़े से उसको नसीहत फ़र्माई। उसके बाद आप (ﷺ) ने पानी का एक डोल मँगवाकर उस पर बहा दिया। **(मुस्नद अहमद)**

530. हज़रत वासला इब्ने अस्क़अ (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे। इतने में एक देहाती आया और इस तरह दुआ की, ऐ अल्लाह! मुझ पर और मुहम्मद पर रहम फर्मा और हम दोनों के साथ उस रहमत में किसी को न शरीक कर। हुज़ूर (ﷺ) ने कहा, अफ़सोस! उसका बुरा हो। उसने निहायत वसीअ चीज़ को महदूद कर दिया। इतने में उस देहाती ने मस्जिद में पेशाब करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, हाँ-हाँ क्या करता है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, करने दो। उसके बाद पानी का डोल मँगवाकर उस पर बहा दिया।

ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की नापाकी को दूर कर देता है

531. हज़रत इब्राहीम इब्ने अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ (रज़ि.) की वालिदा बयान करती हैं कि मैंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से अर्ज़ किया, मेरे दामन लम्बे होते हैं और बुलन्दी के मक़ाम पर अक्सर मेरा गुज़र होता है। इस सूरत में मुझको क्या करना चाहिए? हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि इस तरह बाद की पाक ज़मीन उस कपड़े को पाक कर देती है। **(अबू दाऊद-383)**

532. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब हम मस्जिद की तरफ़ आएँ तो क्या नापाक रास्ते से अलग होकर आया करें, क्योंकि कपड़े लम्बे होने की वजह से नापाक होने का ख़ौफ़ होता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नापाक ज़मीन की नापाकी को पाक ज़मीन का मस होना पाक कर देता है।

533. बनी अश्हल की एक औरत का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) मेरे मकान और मस्जिद के दरम्यान में जो रास्ता है वो निहायत गंदा है। उससे मेरे कपड़े ख़राब होते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या उस रास्ते के बाद कुछ हिस्सा पाक रास्ते का भी आता है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो ये हिस्सा मुक़ाबिले के हिस्से की नापाकी को पाक कर देगा। **(अबू दाऊद-384)**

गुस्ल के हाजतमंद से मुसाफ़ा करने का बयान

534. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) मदीने के रास्ते में तशरीफ़ लाते हुए मिल गये। अबू हुरैरह (रज़ि.) आपसे छुपकर अलग हो गये। क्योंकि उस वक़्त अबू हुरैरह (रज़ि.) को गुस्ल की हाजत थी। उसके बाद कुछ अर्से के बाद हुज़ूर (ﷺ) से फिर मुलाक़ात हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू हुरैरह! इतने अर्से से तुम कहाँ थे। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मुझको रास्ते में मिले थे, लेकिन चूँकि मुझको उस वक़्त गुस्ल की ज़रूरत थी इस वजह से मैं रास्ते से अलग हो गया। **(बुख़ारी-283, मुस्लिम-283, 285)**

535. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) से रास्ते में मेरी मुलाक़ात हुई। चूँकि मैं जनाबत की हालत में था इसलिये अलग हो गया और गुस्ल करने के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया, क्यों क्या बात थी? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) मुझको गुस्ल की ज़रूरत थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान का जिस्म नापाक नहीं हुआ करता है। **(मुस्लिम-372)**

कपड़े पर मनी लग जाये तो क्या करना चाहिये

536. हज़रत अम्र इब्ने मैमून (रज़ि.) कहते हैं, मैंने सलमान इब्ने यसार (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि अगर हमारे कपड़े को मनी लगे तो सिर्फ़ मनी के मक़ाम को धो डालें या तमाम कपड़े को धोयें। सलमान ने कहा, हज़रत

आइशा (रज़ि.) ने बयान किया था कि जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) के कपड़े को मनी लग जाती तो मैं उसको सिर्फ़ धो दिया करती और तर कपड़े पहने हुए ही हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ को तशरीफ़ ले जाते। यहाँ तक कि कपड़े में पानी का असर बिल्कुल ज़ाहिर मालूम होता। **(बुख़ारी-229-232, मुस्लिम-289)**

मनी को हाथ से मलकर कपड़ा साफ़ करने का बयान

537. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैं कभी हाथ से मलकर हुज़ूर (ﷺ) के कपड़े को साफ़ कर दिया करती थी। **(मुस्लिम-288)**

538. हज़रत हुमाम इब्ने हारिस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ मेहमान आया। आपके पास एक ज़र्द रंग की चादर थी। वो उसके ओढ़ने के लिए दे दी। उस बेचारे को रात में एहतलाम (स्वपनदोष) हो गया। उसको उसी हालत में चादर वापस करते हुए शर्म महसूस हुई। उसने पानी से धोकर हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में कपड़ा वापस किया। आप (रज़ि.) ने उसको देखकर फ़र्माया, उनको कपड़ा ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? सिर्फ़ हाथ से मल देना काफ़ी होता। मैंने अक्सर नबी (ﷺ) के कपड़े से मनी को हाथ से मल कर दूर किया है। **(तिर्मिज़ी-116)**

539. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, अक्सर मैं हुज़ूर (ﷺ) के कपड़े में माद्दा (मनी) लगा देखकर उसको हाथ से मल दिया करती थी और मल कर दूर कर दिया करती थी। **(मुस्लिम-288)**

उस कपड़े में नमाज़ अदा करने का बयान जिसमें सुहबत की जाये

540. हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़्यान (रज़ि.) ने अपनी फूफ़ी हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) जोज़े हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) उस कपड़े में नमाज़ अदा फ़र्मा लिया करते, जिसको पहन कर कुरबत फ़र्माते। उन्होंने कहा, अगर नापाकी वग़ैरह न होती तो उससे नमाज़ अदा फ़र्मा लिया करते। **(अबू दाऊद-366)**

541. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये उस वक़्त आपके सरे मुबारक से पानी टपक रहा था और एक कपड़ा इस तरह ओढ़े हुए थे कि एक सिरा कंधे पर और दूसरा सिरा दूसरे कंधे पर। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने एक ही कपड़े से नमाज़ अदा फ़र्माई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ये दलील है इस काम की कि मैंने इस कपड़े को पहने सुहबत की थी।

542. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सवाल किया कि क्या उस कपड़े में नमाज़ पढ़ सकते हैं, जिसमें अपनी बीवी से सुहबत की हो? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, अगर उसमें नापाकी मौजूद न हो तो नमाज़ अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर नजासत हो तो उसको धो डाले। **(मुस्नद अहमद)**

मौज़ों पर मसह करने का बयान

543. हज़रत हुमाम इब्ने हारिस (रज़ि.) कहते हैं, जरीर इब्ने अब्दुल्लाह ने पेशाब के बाद वुज़ू किया और मौज़ों पर मसह भी किया। क्या किसी ने उनसे कहा, ये क्या करते हो? बोले जब मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को ये काम करते देखा तो फिर मुझको कौन मना करने वाला है। इब्राहीम कहते हैं हज़रत जरीर (रज़ि.) की इस हदीस से लोगों को तअज्जुब होता था। क्योंकि उनका इस्लाम सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद था। **(बुख़ारी-387, मुस्लिम-272)**

544. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स को व ज़ू करने में मौज़ों को धोते देखा। आप (ﷺ) ने हाथ से मना करते हुए फ़र्माया कि मुझको मसह का हुक्म दिया गया है और इशारे से फ़र्माया, इस तरह अंगुलियों से पाँव पर मसह करते हुए पिण्डली की तरफ़ हाथ को खींचो।

545. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, सहाबा ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मौज़ों के मसह की कितनी मुद्दत है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुकीम के लिए एक दिन व एक रात और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन व तीन रातें। **(बुख़ारी-206, मुस्लिम-274)**

546. हज़रत अबू मुस्लिम ज़ैद बिन सोहान (रज़ि.) के ग़ुलाम का बयान है कि मैं हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) के साथ था। एक शख़्स को देखा कि पाँव धोने के लिए मौज़े उतार रहा है। हज़रत सलमान (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुमको मौज़े उतारने की ज़रूरत नहीं बल्कि मौज़ों और अमामा वग़ैरह पर मसह कर लिया करो। क्योंकि मैंने हुज़ूर को इस तरह करते हुए देखा है। **(मुस्नद अहमद)**

547. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन रसूले मक़्बूल (ﷺ) वुज़ू फ़र्मा रहे थे और आपके सरे मुबारक पर कतरी अमामा बँधा हुआ था। आप (ﷺ) ने उसको सर से अलग नहीं फ़र्माया बल्कि थोड़ा उठाकर सरे मुबारक के अगले हिस्से पर मसह फ़र्मा लिया। **(तबरानी फ़िल्कबीर)**

हज़रत उ़क़्बा इब्ने आ़मिर जुहनी (रज़ि.) कहते हैं, मैं मिस्र से सफ़र करके हज़रत उ़मर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने मुझसे दरयाफ़्त किया, तुमने कब से ये मौज़े पाँव से अलग नहीं किये हैं? मैंने अ़र्ज़ किया, एक हफ़्ता हो गया। हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! सुन्नत तरीक़ा यही है।

548. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) का बयान है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को पायताबों और जूतों पर मसह करते हुए देखा। हज़रत मुअ़ल्ला कहते हैं, मेरे इल्म के मुताबिक़ उनकी हदीस में नअ़लैन ही का ज़िक्र है।

हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) को वुज़ू में मैंने मौज़ों पर मसह करते हुए देखा है।

549. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअ़बा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के लिए तशरीफ़ ले गये। मैं भी एक बर्तन में पानी लेकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में चल दिया। जब हुज़ूर क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ हो गये तो मैंने वुज़ू के लिए पानी पेश किया। आप (ﷺ) ने वुज़ू फ़र्माकर मौज़ों पर मसह फ़र्माया। **(अबू दाऊद-155)**

550. हज़रत नाफ़ेअ़ (रज़ि.) कहते हैं, इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने एक दिन सअ़द इब्ने मालिक (रज़ि.) को मौज़ों पर मसह करते हुए देखा, फ़र्माने लगे, तुम ऐसा काम करते हो। अलग़र्ज़ दोनों साहब हज़रत उ़मर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िदमत में पहुँचे। हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने कहा, मुझको मौज़ों के मसह में फ़त्वा दो। हज़रत उ़मर (रज़ि.) फ़र्माया, हम हुज़ूर (ﷺ) के साथ हुआ करते और अपने मौज़ों पर मसह करते। और इस काम से कोई मुज़ायक़ा नहीं होता। इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहने लगे, अगर क़ज़ा-ए-हाजत के लिये तब भी? हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, जी हाँ! तब भी यही सूरत है। **(अबू दाऊद-165)**

हज़रत सहल इब्ने सअ़द साएदी (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने भी मौज़ों पर मसह किया है और हमको भी यही हुक्म करने का हुक्म फ़र्माया है।

551. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ थे,

रास्ते में हुज़ूर (ﷺ) ने पानी मँगवाकर वुज़ू किया और मौज़ों पर मसह फ़र्माया। फिर आगे बढ़कर लश्कर को मुहलत भी फ़र्माई।

हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) के लिए हब्श के बादशाह नज्जाशी ने दो काले रंग के सादा मौज़े भेजे। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको पहना और उन पर वुज़ू के बाद मसह फ़र्माया।

हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअ़बा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मौज़ों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ़ मसह फ़र्माया।

उन अहादीस का बयान जिसमें मुसाफ़िर और मुक़ीम के मसह की मुद्दत का तक़र्रुर है

552. हज़रत शुरैह बिन हानी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से मौज़ों पर मसह करने के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। फ़र्माया, इसके मुताल्लिक़ हज़रत अ़ली (रज़ि.) के पास जाकर दरयाफ़्त करो। क्योंकि उनको इस काम का मुझसे ज़्यादा इल्म है। मैं हज़रत अ़ली (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप से सवाल किया। आपने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) ने हमसे फ़र्माया था कि मुकीम के लिए एक दिन और एक रात की मुद्दत है और मुसाफ़िर के लिए तीन दिन और तीन रात की। **(मुस्लिम-276)**

553. हज़रत ख़ुज़ैमा इब्ने साबित (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसाफ़िर के लिए तीन दिन की मुद्दत मुक़र्रर फ़र्माई है। अगर पूछने वाला और ज़्यादा सवाल करता तो आप पाँच दिन की मुद्दत फ़र्मा देते।
(अबू दाऊद-197, तिर्मिज़ी-95)

554. हज़रत ख़ुज़ैमा इब्ने साबित (रज़ि.) कहते हैं, मेरा ख़याल है कि हुज़ूर (ﷺ) ने तीन दिन तो मुसाफ़िर के मसह के फ़र्माये हैं। लेकिन तीन रातें भी शायद फ़र्माया था।

555. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मौज़े पहन कर वुज़ू का क्या हुक्म है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसाफ़िर के लिये तीन दिन-रात और मुकीम के लिये एक दिन-रात (मसह करना दुरुस्त है)

556. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने मुसाफ़िर को इजाज़त दी है कि जब वो वुज़ू करके मौज़े पहनें, फिर नया वुज़ू करे तो तीन दिन-रात तक मसह करे और मुकीम के लिये एक दिन-रात (मसह करने की इजाज़त दी)।

वो हदीस जिसमें मसह की मुद्दत का कोई तक़र्रुर नही है

557. हज़रत अबी इब्ने अ़म्मारा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) अपने मकान में दोनों क़िब्लों की जानिब नमाज़ अदा फ़र्मा रहे थे। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं मौज़ों पर मसह करता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ। मैंने अ़र्ज़ किया, एक दिन। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दो दिन कर लो। मैंने कहा, बस दो दिन। आप (ﷺ)

ने फ़र्माया, तीन सही। अलग़र्ज़ सात दिन तक नौबत पहुँचने के बाद फ़र्माया। जब तक तुम्हारा दिल चाहे मसह करते रहो। **(अबू दाऊद-158)**

558. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से रिवायत है कि वो मिस्र से हज़रत उमर (रज़ि.) के पास मदीना मुनव्वरा आये। हज़रत उमर (रज़ि.) ने पूछा, तुमने कितनी मुद्दत से मौज़े नहीं उतारे। उन्होंने कहा, जुम्आ से जुम्आ तक। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुमने सुन्नत के मुताबिक़ अमल किया।

पाताबों और जूतों पर मसह करने का बयान

559. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मौज़ों और पाताबों पर मसह फ़र्माया था। **(अबू दाऊद-159, तिर्मिज़ी-99)**

560. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया और जुराबों और जूतियों पर मसह किया। **(बैहक़ी)**

अमामा पर मसह करने का बयान

561. हज़रत बिलाल (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने अमामा और मौज़ों पर मसह फ़र्माया। **(मुस्लिम-275)**

562. हज़रत जाफ़र इब्ने उमर (रज़ि.) अपने वालिद से नक़ल करते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) को मौज़ों और अमामा पर मसह करते हुए देखा था। **(बुख़ारी-205)**

563. हज़रत ज़ैद बिन सोहान (रज़ि.) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम हज़रत अबू सुलैम (रज़ि.) से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि मैं हज़रत सलमान (रज़ि.) के साथ था। उन्होंने एक आदमी को देखा कि वो वुज़ू करने के लिये मौज़े उतार रहा है। सलमान (रज़ि.) ने उससे फ़र्माया, मौज़ों पर, अमामे पर और सर के अगले हिस्से पर मसह कर लो, क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को मौज़ों पर और सर के कपड़े पर मसह करते हुए देखा है।

564. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वुज़ू किया और आप (ﷺ) क़तर का बुना हुआ अमामा पहना हुआ था। आप (ﷺ) ने अमामा के नीचे हाथ डालकर सर के अगले हिस्से का मसह किया और अमामा मुबारक को खोला नहीं। **(अबू दाऊद-147)**

तयम्मुम का बयान

565. हज़रत अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) का बयान है, (एक मर्तबा सफ़र में) हज़रत आइशा (रज़ि.) का हार गुम हो गया। आपको उसके तलाश करने में देर हो गई। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) उनके पास गये और बहुत गुस्सा हुए कि तूने लोगों को मुफ़्त में रोके रखा। इतने में (चूँकि उस मक़ाम पर पानी मौजूद न था) तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई। उस दिन हम लोगों ने मूँढ़ों तक मसह किया था। आयत के नाज़िल होने के बाद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास फिर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, ये तुम्हारी ही बरकत है। **(अबू दाऊद-318)**

566. हज़रत अम्मार (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ हाथों का मसह मूँढ़ों तक किया था। **(नसाई-315)**

567. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मेरे लिए ज़मीन को मस्जिद और पाक मुक़र्रर फ़र्माया है।

568. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हज़रत अस्मा (रज़ि.) से जो हार बतौरे उधार लिया था, वो गुम हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसकी तलाश के लिए लोगों को रवाना फ़र्माया। उसकी तलाश में नमाज़ का वक़्त आ गया। मजबूरन सबको बग़ैर वुज़ू नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत हुई और ये शिकायत लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से की। (इसी गुफ़्तगू में) तयम्मुम की आयत नाज़िल हुई। उसके नाज़िल होते ही हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर (रज़ि.) कहने लगे, अल्लाह तआला तुमको जज़ा-ए-ख़ैर अता फ़र्माये, जब भी कोई तक्लीफ़देह बात सामने आती है तो अल्लाह तआला उसकी आसानी की कोई सूरत आपके ज़रिये से पैदा फ़र्मा देता है और दूसरे मुसलमानों के लिए बाबरकत होता है।
(बुख़ारी-3773, मुस्लिम-367)

तयम्मुम में एक मर्तबा ज़मीन पर हाथ मारना चाहिये

569. हज़रत सईद इब्ने अब्दुर्रहमान (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, हज़रत! मुझको अक्सर ग़ुस्ल की हाजत होती है और ग़ुस्ल के लिये पानी मयस्सर नहीं होता (इस सूरत में मुझको क्या करना चाहिए) हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, नमाज़ न पढ़ा करो। हज़रत अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या अमीरल मोमिनीन! क्या आपको वो वाक़िआ याद नहीं कि एक मर्तबा मैं और आप मुजाहिदीन की जमाअत के साथ सफ़र कर रहे थे और रास्ते में (हम दोनों को) ग़ुस्ल की ज़रूरत हो गई। लिहाज़ा आपने तो बिल्कुल नमाज़ ही अदा नहीं की और मैंने मिट्टी में लौट कर नमाज़ पढ़ ली। इसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में ये वाकिया पेश किया गया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम इस तरह करते तो काफ़ी होता। उस वक़्त आप (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारकर उनको फूँका और चेहरे व हाथों पर मसह किया। **(बुख़ारी-343, मुस्लिम-368)**

570. हज़रत हकम और सलमा इब्ने कुहैल (रह.) ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) से तयम्मुम के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। उन्होंने कहा, नबी (ﷺ) ने इब्ने यासिर को तयम्मुम करने का इस तरह हुक्म दिया था कि एक बार ज़मीन पर हाथ मार कर मुँह पर मसह किया जाये। हकम (रज़ि.) कहने लगे, हाथों पर और सलमा (रज़ि.) ने कहा, कलाइयों पर भी।

तयम्मुम में दो मर्तबा हाथ मारना चाहिये

571. हज़रत अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) कहते हैं, जब लोगों ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ मसह किया, तो ज़मीन पर हाथ मार कर चेहरे पर मसह किया। फिर दोबारा कलाइयों पर मसह किया, लेकिन हाथों में मिट्टी बिल्कुल न ली।

उस शख़्स का बयान जिसको ग़ुस्ल की ज़रूरत हो और ख़ौफ़ की वजह से ग़ुस्ल न करे

572. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में एक शख़्स के सर में ज़ख़्म लगा, किसी ने उसको इसी हालत में ग़ुस्ल के लिये कह दिया। उसने ग़ुस्ल कर लिया और उसका

इन्तेक़ाल हो गया। जब हुज़ूर (ﷺ) को मालूम हुआ तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह उनको मारे, उस शख़्स को मार डाला गया। क्या बीमार के लिए तयम्मुम नहीं? अगर कोई मसला नहीं जानता तो उसको मालूम करे। हज़रत अत्तार (रज़ि.) कहते हैं कि शायद हुज़ूर (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया था कि अगर वो सर के अलावा बाक़ी जिस्म को धो लेता तो उसके लिये काफ़ी था। **(अबू दाऊद-3037)**

गुस्ले जनाबत का बयान

573. हज़रत मैमूना (रज़ि.) फ़र्माती हैं (एक मर्तबा) मैंने हुज़ूर (ﷺ) के गुस्ले जनाबत के लिए पानी रखा। आपने इस तरह गुस्ल फ़र्माया कि पहले बायें हाथ से दाहिने हाथ पर पानी डाला। फिर इस्तिन्जा फ़र्माया, उसके बाद दोनों हाथों को ज़मीन से साफ़ करके वुज़ू किया। यानी कुल्ली की और नाक में पानी डाला, चेहरा वग़ैरह धोया। फिर बाक़ी जिस्म पर तीन मर्तबा पानी डाला और उस मक़ाम से अलग हो गये।

574. हज़रत जमीअ इब्ने उमैर (रज़ि.) कहते हैं, अपनी खाला और चाची के साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उनसे हुज़ूर (ﷺ) के गुस्ले जनाबत का तरीक़ा दरयाफ़्त किया। उन्होंने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) पहले अपने दोनों हाथों को तीन मर्तबा धोते, उसके बाद तीन मर्तबा सरे मुबारक को धोकर बाक़ी जिस्म पर पानी डाल लेते और फिर नमाज़ अदा फ़र्माया करते। हम तो बाल गुथें हुए होने की वजह से अपने सरों को तीन मर्तबा धोया करते हैं। **(अबू दाऊद-241)**

नापाकी की हालत में गुस्ल का बयान

575. हज़रत जुबैर इब्ने मुतइम (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने गुस्ले जनाबत के मुताल्लिक़ हुज़ूर (ﷺ) के सामने इख़्तिलाफ़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो तीन मर्तबा सर पर पानी बहा लिया करता हूँ।
(बुख़ारी-254, मुस्लिम-327)

576. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से किसी शख़्स ने गुस्ले जनाबत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। आपने कहा, तीन मर्तबा पानी डाला करो। उसने कहा कि मेरे सर पर बाल ज़्यादा हैं। आपने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सर मुबारक पर तुझसे ज़्यादा बाल थे और हुज़ूर को तुझसे ज़्यादा पाकीज़गी पसन्द थी। **(मुस्नद अहमद)**

577. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं सर्द मुल्क में रहा करता हूँ। गुस्ले जनाबत किस तरह करना चाहिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो तीन मर्तबा पानी डाल लिया करता हूँ।
(मुस्लिम-329)

578. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से किसी शख़्स ने दरयाफ़्त किया कि गुस्ले-जनाबत किस तरह करना चाहिए? आपने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) तो तीन मर्तबा पानी डाला करते थे। उसने कहा कि मेरे सर पर बाल बहुत ज़्यादा हैं। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) के सरे मुबारक पर तुझसे ज़्यादा बाल थे और तुझसे ज़्यादा पाकीज़गी को पसन्द फ़र्माया करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

गुस्ल के बाद वुज़ू करने का बयान

579. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) गुस्ले जनाबत के बाद वुज़ू नहीं फ़र्माते थे। **(तिर्मिज़ी-107)**

मर्द का अपनी बीवी से जनाबत की हालत में गर्मी हासिल करने का बयान

580. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) गुस्ले जनाबत करने के बाद मुझसे गर्मी हासिल फ़र्मा लिया करते। मैं उस वक़्त तक गुस्ल की हालत में नहीं होती। **(तिर्मिज़ी-123)**

जनाबत की हालत में सोने का बयान

581. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) जनाबत की हालत में बग़ैर पानी इस्तेमाल किये आराम फ़र्मा लिया करते। उसके बाद किसी भी वक़्त उठकर गुस्ल फ़र्मा लिया करते। **(तिर्मिज़ी-118)**

582. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) बीवी से हाजत पूरी फ़र्मा लेते, उसके बाद वैसे ही आराम फ़र्मा लेते और पानी के क़रीब तक भी नहीं जाते।

583. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) जनाबत की हालत ही में आराम फ़र्माते रहते और पानी के क़रीब तक न जाते।

जुनुबी को चाहिये कि नमाज़ की तरह वुज़ू करके सोए, बिना वुज़ू न सोए

584. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) जब जनाबत की हालत में होते तो बग़ैर वुज़ू किये हुए न सोते। **(मुस्लिम-305)**

585. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया, क्या हम में से कोई जनाबत की हालत में सो सकता है? फ़र्माया, अगर वुज़ू करके सो जाए तो क्या हर्ज है? **(मुस्लिम-306)**

586. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि रात को मुझको एहतेलाम हो जाता और मैं सोने का इरादा करता तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वुज़ू करके सो जाओ। **(मुस्नद अहमद)**

उस शख़्स का बयान जो कई मर्तबा सुहबत करना चाहे

587. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स को कई मर्तबा सुहबत करना मकसूद हो तो उसको हर मर्तबा वुज़ू करना चाहिये। **(मुस्लिम-308)**

उस शख़्स के बयान में जो तमाम बीवियों से सुहबत करके एक ही मर्तबा गुस्ल करे

588. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी तमाम अज़्वाजे मुत्तह्हरात से सुहबत करने के बाद एक मर्तबा आख़िर में गुस्ल फ़र्मा लिया करते। **(तिर्मिज़ी-140)**

589. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) के लिये पानी हाज़िर किया। आपने तमाम अज़्वाज से सुहबत करने के बाद एक ही मर्तबा गुस्ल फ़र्माया।

हर बीवी से सुहबत करने के बाद अलग-अलग ग़ुस्ल करने का बयान

590. हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने बीवियों से सुहबत फ़र्माई और हर एक के बाद ग़ुस्ल फ़र्माया। किसी ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) अगर एक ही मर्तबा ग़ुस्ल कर लिया जाये तो क्या मुज़ायक़ा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर्ज तो कुछ नहीं लेकिन ये सूरत ज़्यादा पाकीज़गी और तहारत वाली होती है। **(अबू दाऊद-219)**

उस शख़्स का बयान जिसको ग़ुस्ल की ज़रूरत हो, क्या उसको खाने-पीने की इजाज़त है?

591. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब रसूले अकरम (ﷺ) जनाबत की हालत में खाने का इरादा फ़र्माते तो वुज़ू फ़र्मा लिया करते। **(मुस्लिम-305)**

592. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जनाबत की हालत में इंसान खा-पी सकता है या नहीं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको नमाज़ की तरह वुज़ू करके सारे काम कर लेने चाहिये।

जुनुबी को जब खाने की ज़रूरत हो तो सिर्फ़ हाथ धो लेना काफ़ी है

593. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) को ग़ुस्ल की हाजत होते हुए जब खाने की ज़रूरत होती तो आप (ﷺ) सिर्फ़ हाथ धो लिया करते।

बग़ैर वुज़ू क़ुर्आन पढ़ना जायज़ है या नहीं?

594. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत अली (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आप कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ) क़ज़ा-ए-हाजत के बाद हमारे साथ गोश्त रोटी भी खा लिया करते और क़ुर्आन भी उसी हालत में तिलावत फ़र्मा लिया करते और हज़रत अली (रज़ि.) ये भी फ़र्माया करते थे, कि जनाबत के अलावा कोई काम आपको क़ुर्आन की तिलावत से रोकता नहीं था। **(अबू दाऊद-229, तिर्मिज़ी-146)**

595. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जुनुब और हाइज़ा औरत को क़ुर्आन न पढ़ना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-131)**

596. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जुनुबी और हाइज़ा क़ुर्आन में से कुछ न पढ़े।

हर बाल के नीचे नापाकी का बयान

597. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर बाल के नीचे नापाकी है लिहाज़ा बालों को अच्छी तरह धो लिया करो और जिस्म को ख़ूब साफ़ किया करो। **(अबू दाऊद-248, तिर्मिज़ी-106)**

598. हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँचों नमाज़ों का अदा करना, जुम्आ का लगातार अदा करना, अमानत को पूरे तौर पर अदा करना उन कामों के दरम्यानी वक़्त के गुनाहों का कफ़्फ़ारा है। मैंने अर्ज़ किया, और अमानत का क्या मतलब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, गुस्ले जनाबत में बालों को बख़ूबी साफ़ करके धोना। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-398)**

599. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, गुस्ले जनाबत में जिस शख़्स का एक बाल भी सूखा बाक़ी रह जाएगा। उसके साथ आग से फलाँ-फलाँ काम किया जायेगा। हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं कि इसी वजह से बालों से मैंने दुश्मनी पैदा कर ली है। **(अबू दाऊद-249)**

औरत का मर्द की तरह ख़्वाब देखने का बयान

600. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमते मुबारका में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर औरत को मर्द की तरह ख़्वाब हो जाए तो उसको क्या करना चाहिये? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर पानी निकल जाये तो उसको गुस्ल करना चाहिये। मैं ये सुनकर कहने लगी, औरतों का बुरा हुआ, क्या उनको भी एहतेलाम हुआ करता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बेवक़ूफ़! अगर ऐसा नहीं है तो बच्चा किस वजह से औरत के जैसा पैदा होता है। **(बुख़ारी-180, 22, 3328, 6090, 6121, मुस्लिम-313)**

601. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर औरत को मर्द की तरह ख़्वाब हो जाये तो क्या करना चाहिये? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर पानी निकल आये तो गुस्ल करना चाहिये। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या औरत को भी ये सूरत पेश आती है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, मर्द की मनी ग़लीज़ और सफ़ेद होती ह और औरत की रकीक और ज़र्द होती है। जिसकी मनी ग़ालिब हो जाती है उसकी शक्ल की औलाद पैदा होती है। **(मुस्लिम-311)**

***नोट :** यहाँ ये शुब्हा होता है कि कभी कभार बच्चा माँ की शक्ल पर पैदा होता है न बाप की शक्ल पर हालाँकि हदीस से मालूम होता है कि अगर मर्द की मनी ग़ालिब होगी तो मर्द की शक्ल पर होगा और अगर औरत की ग़ालिब होगी तो औरत की शक्ल पर होगा। मुतर्जिम कहता है कि हदीस में ये ख़ास नहीं किया गया है कि बच्चा सिर्फ़ वाल्दैन ही की शक्ल पर पैदा होता है। अगर औरत की मनी ग़ालिब हो तो आम है कि माँ ही की सूरत हो या ननिहाल में से किसी की सूरत पर हो। जैसे नाना-नानी, मामू वग़ैरह। अगर मर्द की मनी ग़ालिब होगी तो या बच्चा वालिद की सूरत पर होगा या ददीहाल में किसी की सूरत पर होगा। वल्लाहु आलम !*

602. हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (रज़ि.) कहती हैं, मैंने रसूले अकरम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर औरत मर्द की तरह ख़्वाब देखे तो उसके लिये क्या हुक्म है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस तरह मर्द पर इंज़ाल के बाद गुस्ल वाजिब है उसी तरह औरत पर इंज़ाल के बाद गुस्ल वाजिब है। **(मुस्नद अहमद)**

औरतों के गुस्ले जनाबत के बयान में

603. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने बाल बहुत सख़्ती के

साथ गूँध लिया करती हूँ। मुझको ग़ुस्ले जनाबत के वक़्त उन बालों को खोल लेना चाहिये या नहीं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको अपने बालों पर तीन मर्तबा पानी बहा लेना चाहिये। अगर बालों की जड़ों में पानी पहुँच जाये तो बालों को खोलने की ज़रूरत नहीं। पानी का बहा लेना ही काफ़ी होगा और उसी से तुम पाक हो जाओगी। **(मुस्लिम-330)**

604. हज़रत आइशा (रज़ि.) को ये मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) औरतों को ग़ुस्ल के वक़्त बाल खोलने का हुक्म देते हैं। आप फ़र्माने लगीं, अफ़सोस! सर मुँड़वाने का हुक्म क्यों नहीं देते? क्या उनको ये नहीं मालूम कि मैं और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक साथ ग़ुस्ल करते और मैं सिर्फ़ अपने सर पर तीन मर्तबा पानी बहा लिया करती। **(मुस्लिम-331)**

जुनुबी को ठहरे हुए पानी में ग़ोता लगाना काफ़ी है या नहीं?

605. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुनुबी को ठहरे हुए पानी में ग़ोता मारना चाहिये। हिशाम इब्ने ज़ुहरा कहने लगे, हज़रत! फिर क्या करना चाहिये? हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, चुल्लू भर कर पानी डालना चाहिये। **(मुस्लिम-283)**

ग़ुस्ल मनी के निकलने से वाजिब होता है

606. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन रसूले अकरम (ﷺ) का गुज़र एक अन्सारी के मकान के पास से हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको आवाज़ दी, वो बाहर जल्दी में निकल आये तो उनके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद हमने तुमको जल्दी से बुला लिया। उसने अर्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ) सही है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर फिर कभी ऐसा वाक़िआ हो या तुमको इंज़ाल न हो तो उस सूरत में तुम पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा बल्कि वुज़ू कर लेना काफ़ी होगा। **(बुख़ारी-180, मुस्लिम-345)**

607. हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मनी के निकलने से ग़ुस्ल वाजिब हुआ करता है। **(नसाई-199)**

जब मर्द और औरत की शर्मगाहें आपस में मिल जाएँ तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है

608. हज़रत आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हैं, जब दोनों शर्मगाहें मिल जाएँ तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है। मेरे और हुज़ूर (ﷺ) के दरम्यान भी ऐसी सूरत हुई और हम दोनों ने ग़ुस्ल किया। **(तिर्मिज़ी-108)**

609. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) कहते हैं, शुरू में हमको इसकी रुख़सत थी लेकिन उसके बाद हमको फिर ग़ुस्ल का हुक्म दिया गया। **(तिर्मिज़ी-110)**

610. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब औरत से सुहबत करना चाहें और शर्मगाहें आपस में मिल जाएँ तो सिर्फ़ उनके मिलने से ही ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है।

(बुख़ारी-291, मुस्लिम-348)

611. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब

हश्फ़ा (वो हिस्सा जो ख़तना के बाद ज़ाहिर होता है) ग़ायब हो जाये तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है।

उस शख़्स का बयान जिसको एहतेलाम हो और मनी न निकले

612. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब तुम में से कोई शख़्स बेदार हो और उसको कपड़े या जिस्म पर तरी महसूस हो तो उसको ग़ुस्ल करना चाहिये। ख़्वाह उसको एहतेलाम का होना याद न हो और अगर एहतेलाम हो लेकिन मनी न निकले तो ग़ुस्ल की ज़रूरत नहीं। **(अबू दाऊद-236, तिर्मिज़ी-113)**

ग़ुस्ल के वक़्त पर्दा करने का बयान

613. हज़रत अबुस्समह (रज़ि.) कहते हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत किया करता था, जब हुज़ूर (ﷺ) को ग़ुस्ल की ज़रूरत होती तो फ़र्माते पुश्त फेर कर कपड़ा तान लो। मैं इसी तरह कर लिया करता और हुज़ूर (ﷺ) ग़ुस्ल फ़र्मा लिया करते। **(अबू दाऊद-376)**

614. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने नोफ़िल (रज़ि.) कहते हैं, (मैंने बहुत से लोगों से) दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने सफ़र में नवाफ़िल अदा फ़र्माये हैं? लेकिन किसी ने मुझको जवाब न दिया। यहाँ तक कि उम्मे हानी बिन्ते अबी तालिब (रज़ि.) से मैंने दरयाफ़्त किया। उन्होंने कहा कि फ़त्हे मक्का के दिन हुज़ूर (ﷺ) को ग़ुस्ल की ज़रूरत थी। ग़ुस्ल के बाद आपने आठ रकअ़ात अदा फ़र्माई। **(मुस्लिम-336)**

615. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, मैदान या छत वग़ैरह में बग़ैर पर्दे के ग़ुस्ल न करना चाहिये। क्योंकि अगरचे तुम उसको नहीं देख सकते हो लेकिन वो तुमको देखता है।

पेशाब-पाखाना की हाजत हो तो नमाज़ पढ़ना मना है

616. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अरक़म (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी को क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो और जमाअ़त खड़ी हो गई हो तो पहले उसको क़ज़ा-ए-हाजत से फ़ारिग़ होना चाहिये। **(अबू दाऊद-88)**

617. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान को क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत होते हुए नमाज़ न पढ़नी चाहिये। **(मुस्नद अहमद)**

618. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स को क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो तो उसको क़ज़ा-ए-हाजत से पहले नमाज़ न पढ़नी चाहिये।

619. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को क़ज़ा-ए-हाजत की ज़रूरत हो और जमाअ़त खड़ी हो गई हो तो उसको फ़राग़त के बाद नमाज़ पढ़ना चाहिये, जब तक उस बोझ को हल्का न करें नमाज़ में मश्ग़ूल न हों। **(अबू दाऊद-90, तिर्मिज़ी-357)**

उस औरत का बयान जिसने अपने हैज़ के दिन पूरे कर लिये हों लेकिन उसके बाद भी खून जारी हो

620. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते जहश (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अपने ख़ून जारी रहने की

शिकायत करने लगीं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हैज़ के दिनों का अंदाज़ा कर लिया करो, उसके बाद हर नमाज़ के लिए वुज़ू करके नमाज़ पढ़ लिया करो। **(अबू दाऊद-280)**

621. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी जैश (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको इस्तेहाज़ा का ख़ून आता है, क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं, ये शैतानी हरकत है। जब हैज़ के दिन गुज़र जाएँ तो ख़ून को साफ़ करके नमाज़ अदा कर लिया करो। **(मुस्लिम-333)**

622. हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) बिन्ते जहश कहती हैं, मुझको इस्तेहाज़ा का ख़ून बहुत ज़्यादा आता था, मैं उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और तलाश करते-करते हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के घर में आप (ﷺ) से मुलाक़ात हुई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको आपसे एक काम है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कहो, ऐ मुबारक औरत क्या काम है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको ख़ून बहुत ज़्यादा आता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कपड़े की गद्दी रख लिया करो उससे बन्द हो जायेगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो बहुत ज़्यादा आता है, कपड़े की गद्दी से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद पहली हदीस की तरह ज़िक्र किया। **(अबू दाऊद-288)**

623. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको ख़ून बहुत आता रहता है और मैं पाक नहीं होती। क्या मुझको नमाज़ वग़ैरह छोड़ देना चाहिये? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं, नमाज़ न छोड़ो, बल्कि हैज़ के दिनों का अंदाज़ा लगाकर छोड़ दिया करो। उसके बाद कपड़े की गद्दी रख कर नमाज़ बाकायदा पढ़ लिया करो। **(अबू दाऊद-276)**

624. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हज़रत फ़ातिमा बिन्ते अबी जैश (रज़ि.) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको इस्तेहाज़ा का ख़ून बहुत ज़्यादा आता है। क्या मैं नमाज़ को छोड़ दूँ? क्योंकि किसी वक़्त मैं पाक ही नहीं होती हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये ख़ून हैज़ का नहीं बल्कि किसी रग का ख़ून है। जब हैज़ के दिन गुज़र जाया करें तो गुस्ल कर लो। हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू किया करो और नमाज़ पढ़ा करो। फिर तुम्हारी चटाई भी ख़ून से भर जाये तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। **(अबू दाऊद-298)**

625. हज़रत अदी इब्ने साबित (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्तेहाज़ा वाली औरत को हैज़ के दिनों का अंदाज़ा करके नमाज़ छोड़ देनी चाहिये और उसके बाद गुस्ल करके नमाज़ अदा करनी चाहिये और रोज़ा रखना चाहिये। लेकिन हर नमाज़ के लिये ताज़ा वुज़ू करना चाहिये। **(अबू दाऊद-297)**

उस औरत का बयान जिसको हैज़ और इस्तेहाज़ा के ख़ून का अंदाज़ा न हो

626. हज़रत आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं, उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.) को जो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ (रज़ि.) की जोज़ा थीं, सात साल तक इस्तेहाज़ा का ख़ून आया। उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से इसकी शिकायत की। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये हैज़ का ख़ून नहीं होता बल्कि किसी रग का ख़ून है। तुमको चाहिये कि हैज़ के आने व जाने के दिनों का अंदाज़ा कर लिया करो। उसके बाद गुस्ल करो लेकिन हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुज़ू करके नमाज़ अदा करो। लिहाज़ा ये गुस्ल करके नमाज़ अदा किया करती थीं और ये अपनी हमशीरा के तसत में बैठकर गुस्ल किया करती थी तो उसके पानी में ख़ून साफ़ मालूम हुआ करता। **(बुख़ारी-327, मुस्लिम-334)**

उस कुँआरी औरत का बयान जिसको शुरू से ही इस्तेहाज़ा हो या हैज़ के दिन भूल जाये

627. **हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते जहश (रज़ि.)** कहती हैं, मुझको रसूले मक़्बूल (ﷺ) के ज़माना-ए-मुबारक में इस्तेहाज़ा शुरू हुआ। मैंने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको न मालूम तरीक़े पर इस्तेहाज़ा का ख़ून आता रहता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, कपड़े की गद्दी रख लिया करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो इस क़द्र आता है कि बहता रहता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो फिर ये करो कि गद्दी रखकर एक पट्टी भी बाँध लिया करो। उसके बाद हर महीने में छः या सात दिन तक तो हैज़ ख़्याल करो। उसके बाद तेईस या चौबीस रोज़ तक गुस्ल करके नमाज़-रोज़ा अदा करो। और नमाज़ इस तरह अदा किया करो कि ज़ुहर की नमाज़ में ताख़ीर करो और अस्र की नमाज़ में जल्दी और दोनों नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करके अदा करो। फिर मग़्रिब की नमाज़ में देर करो और इशा की नमाज़ में जल्दी और दोनों नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करके अदा करो। मेरे नज़दीक ये तरीक़ा निहायत बेहतर है।

कपड़ों पर हैज़ का ख़ून लग जाये तो क्या करना चाहिये?

628. **हज़रत उम्मे कैस बिन्ते मुहसिन (रज़ि.)** का बयान है, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि अगर कपड़ों पर हैज़ का ख़ून लग जाये तो क्या करना चाहिये? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी चीज़ से रगड़ कर उसे पानी और बेरी के पत्तों से धो डालो। **(अबू दाऊद-363)**

629. **हज़रत अस्मा बिन्ते अबूबक्र (रज़ि.)** का बयान है, किसी ने हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि अगर कपड़े पर हैज़ का ख़ून लग जाये तो क्या करना चाहिये? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको रगड़कर धो डालो और नमाज़ अदा करो। **(बुख़ारी-227, 307 मुस्लिम-291)**

630. **हज़रत आइशा (रज़ि.)** कहती हैं, हम औरतों में से किसी को हैज़ आता हो तो उसको चाहिये कि पाक होने के बाद अगर किसी कपड़े पर हैज़ का ख़ून हो तो उसको साफ़ करके धो डाले और नमाज़ पढ़ ले। **(बुख़ारी-308)**

हाइज़ा औरत को हैज़ के दिनों की नमाज़ क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं

631. **हज़रत आइशा (रज़ि.)** से किसी औरत ने सवाल किया, क्या हाइज़ा औरत को जो नमाज़ें छूट गईं हैं, लौटानी चाहिये? आपने फ़र्माया, क्या तू हरूरिया क़ौम से है? (जो ख़ारजियों का एक फ़िर्क़ा है) हम हुज़ूर की बीवियों में से हैं और हुज़ूर (ﷺ) के सामने हमको हैज़ आता था। जब पाक होते तो आप (ﷺ) क़ज़ा का हुक्म न फ़र्माते। **(बुख़ारी-295, मुस्लिम-299)**

क्या हाइज़ा औरत मस्जिद में से कोई चीज़ लेकर किसी को दे सकती है?

632. **हज़रत आइशा (रज़ि.)** कहती हैं, एक मर्तबा मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा! मस्जिद में से मुझको बोरा या चादर दो। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर (ﷺ)! मुझको (आजकल) हैज़ आ रहा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे हाथ में हैज़ नहीं लगा है। हाथ बढ़ाकर उठा दो अंदर दाख़िल होने की ज़रूरत नहीं है। **(मुस्नद अहमद)**

633. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ऐतिकाफ़ की हालत में होते लेकिन (जब आपका सर धुलाने या कंघी कराने की ज़रूरत होती) आप मस्जिद में से अपना सर मेरी तरफ़ बढ़ा देते। मैं आपके सर को धुला देती और फिर कंघी कर देती। हालाँकि उस वक़्त मैं हाइज़ा होती लेकिन आप किसी क़िस्म का ऐतराज़ न करते।

(बुख़ारी-295, मुस्लिम-299)

634. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मेरे हैज़ के ज़माने में हुज़ूर (ﷺ) मेरी गोद में अपना सरे मुबारक रख देते और क़ुर्आन की तिलावत भी फ़र्माते रहते, कोई ऐतराज़ न फ़र्माते। **(बुख़ारी-297, 7549, मुस्लिम-301)**

जब औरत को हैज़ आता हो तो मर्द को क्या करना चाहिये?

635. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हमको जिस वक़्त हैज़ आया करता तो हुज़ूर (ﷺ) हमको तहबन्द का हुक्म दिया करते। उसके बाद हमसे इख़्तिलात फ़र्माते। लेकिन तुम में से कोई शख़्स ऐसा नहीं जो हुज़ूर (ﷺ) के बराबर अपनी हाजत को रोक सके। यानी जिमाअ (हमबिस्तरी) के सिवा सब काम करते।

(बुख़ारी-302, मुस्लिम-293)

636. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब हम में से किसी को हैज़ आता तो हुज़ूर (ﷺ) उसको तहबन्द बाँधने का हुक्म फ़र्माते। उसके बाद उससे इख़्तिलात फ़र्माते। लेकिन जिमाअ न करते।

(बुख़ारी-300, 2030, 2031, मुस्लिम-293)

637. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, जिस तरह दीगर औरतों को हैज़ आता है, मुझको भी आया करता। अगर मैं हुज़ूर (ﷺ) के लिहाफ़ में होती तो फ़ौरन अलग हो जाती। हुज़ूर (ﷺ) पूछते, क्यों क्या तुमको हैज़ शुरू हो गया है? मैं अर्ज़ करती, जी हाँ। आप (ﷺ) फ़र्माते, हाँ, अल्लाह तआला ने आदम की बेटियों के लिये मुक़द्दर कर दिया है। अलग़र्ज़ जब मैं अपनी हाजत से फ़ारिग़ होकर वापस आती तो आप (ﷺ) फ़र्माते, आओ मेरे पास लेट जाओ। आप (ﷺ) किसी तरह का ऐतराज़ न फ़र्माते। **(मुस्नद अहमद)**

638. हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़्यान (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) की जोज़ा हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, कि जब तुमको हैज़ आता तो नबी करीम (ﷺ) तुम्हारे साथ किस तरह पेश आते? उन्होंने फ़र्माया, जब हम में से किसी को हैज़ आता तो तहबन्द बाँधने का हुक्म होता। लेकिन वो हुज़ूर (ﷺ) के साथ सोने में परहेज़ नहीं करती। **(मुस्नद अहमद)**

हाइज़ा औरत से सुहबत करने की मुमानिअत का बयान

639. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हैज़ की हालत में औरत से सुहबत करेगा या दुबुर (पाख़ाने की जगह) में जिमाअ करेगा या काहिन की बात को सच्ची मानेगा वो दीने मुहम्मदी को झुठलाने वाला होगा। **(अबू दाऊद-3904, तिर्मिज़ी-135)**

जो शख़्स हाइज़ा औरत से सुहबत कर ले उसको क्या कफ़्फ़ारा देना चाहिये

640. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपनी जोज़ा से हैज़ की हालत में सुहबत करे उसको एक दीनार या आधा दीनार का सदक़ा देना चाहिये। **(अबू दाऊद-264)**

हैज़ वाली औरत को किस तरह ग़ुस्ल करना चाहिये

641. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि हैज़ के ग़ुस्ल में मुझसे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने सर के बाल खोल कर ग़ुस्ल करना। हदीस के रावी अली अपनी हदीस में इस तरह बयान करते हैं कि मुझसे फ़र्माया, अपने सर के बालों के बलों को खोल देना।

642. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हज़रत अस्मा (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) से हैज़ के ग़ुस्ल के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब ग़ुस्ल का इरादा हो तो पानी में बेरी की पत्तियाँ मिलाकर उससे अच्छी तरह वुज़ू करो। उसके बाद सर से पानी डालकर जिस्म को ख़ूब मैल से साफ़ करो और बालों को जड़ों तक न छोड़ो। उसके बाद पानी डालो और तुमको एक कपड़े या रुई से शर्मगाह (मक़ामे हैज़) को भी साफ़ कर लेना चाहिये। हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने कहा, ये किस तरह आपने फ़र्माया, वाह! वाह! ख़ुद समझ लो। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, उससे मक़सूद ये था कि नजासत को धो डालो ताकि ख़ून का असर न रहे। फिर हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने ग़ुस्ले जनाबत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसका तरीक़ा भी यही बतलाया कि पहले अच्छी तरह से वुज़ू करो, उसके बाद पानी डालकर जिस्म को मैल से ख़ूब साफ़ करो। यहाँ तक कि सर को भी ख़ूब जोर से मलो। ताकि सर की खाल तक असर पहुँचे। उसके बाद जिस्म पर पानी बहा लो। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अंसार की औरतें क्या अच्छी औरतें थीं, कि उनको दीनी मसाइल के दरयाफ़्त करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती थी। **(मुस्लिम-332)**

हाइज़ा औरत के साथ खाने-पीने का बयान

643. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैं हैज़ की हालत में हड्डी चूसा करती। फिर हुज़ूर (ﷺ) लेकर उसी मक़ाम से उसको चूसा करते और जिस मक़ाम से मैं पानी पिया करती उसी मक़ाम से हुज़ूर (ﷺ) भी पानी नोश फ़र्माया करते थे। कुछ ऐतराज़ न फ़र्माते। **(मुस्लिम-300)**

644. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, यहूदियों में ये दस्तूर था कि हालते हैज़ में औरत के साथ खाना-पीना नहीं करते थे। न उनके साथ उठते-बैठते थे। ये दस्तूर हुज़ूर (ﷺ) के सामने बयान किया गया। हुज़ूर (ﷺ) पर फ़ौरन ये आयत नाज़िल हुई, हैज़ के मुताल्लिक़ वो आपसे पूछते हैं। आप कह दीजिये! वो नापाकी है। इसलिये हालते हैज़ में औरतों से अलग रहो। हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, तमाम कामों में औरतों के साथ वैसे ही बर्ताव करो जिस तरह पाकी के दिनों में करते हो। अलबत्ता सुहबत न करो। **(मुस्लिम-302)**

हाइज़ा औरत को मस्जिद में आने से परहेज़ करना चाहिये

645. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद में दाख़िल हुए और बुलन्द आवाज़ से फ़र्माया, जुनुबी और हाइज़ा औरत को मस्जिद में न आना चाहिये। **(अबू दाऊद-332)**

जब औरत हैज़ के बाद ज़र्द या गदले रंग का पानी देखे तो क्या करे?

646. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने उस औरत के मुताल्लिक़ फ़र्माया कि जो ग़ुस्ले तहारत के बाद गदले या ज़र्द रंग का पानी देखे वो ख़ून है। जो किसी फ़ासिद रंग में से ज़ाहिर होता है। **(अबू दाऊद-293)**

647. हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) कहती हैं, हमने कभी ज़र्द या गदले रंग में कोई मुज़ायक़ा न पाया और उसको हैज़ में शुमार नहीं किया। **(बुख़ारी-326)**

हज़रत उम्मे अतिय्या (रज़ि.) का बयान है कि हम गदले या ज़र्द रंग को हैज़ शुमार कर लिया करते थे।

निफ़ास वाली औरत कितने दिन बाद पाक होगी

648. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) के ज़माना-ए-मुबारक में निफ़ास वाली औरत चालीस दिन तक इंतज़ार किया करती थी, उसके बाद उसको पाक शुमार किया जाता उस वक़्त हम चेहरे पर वर्स का इस्तेमाल किया करते थे। **(अबू दाऊद-311)**

***नोट :** वर्स ज़र्द रंग की घास होती है, जिससे चेहरे का रंग साफ़ हो जाता है।*

649. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, निफ़ास वाली औरत के लिये नबी करीम (ﷺ) ने चालीस दिन मुक़र्रर फ़र्माए थे, अलबत्ता उससे पहले पाकीज़गी के कुछ आसार नज़र आ जाएँ तो मुज़ायक़ा नहीं।

जो शख़्स हैज़ की हालत में अपनी बीवी से सुहबत करे, उसका क्या हुक्म है?

650. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि जब कोई शख़्स अपनी बीवी से हैज़ के दिनों सुहबत में कर लेता तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उसको आधा दीनार सदक़ा देने का हुक्म फ़र्माया करते। **(तिर्मिज़ी-137)**

हाइज़ा औरत के साथ खाने-पीने का बयान

651. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सअद (रज़ि.) का बयान है कि मैंने नबी करीम (ﷺ) से हाइज़ा औरत के साथ खाने के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, खा लिया करो। **(अबू दाऊद-212, तिर्मिज़ी-133)**

हाइज़ा औरत के कपड़ों में नमाज़ पढ़ने का बयान

652. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी-कभार इस तरह नमाज़ अदा फ़र्माते कि मैं हैज़ की हालत में होती और चादर वग़ैरह का कुछ हिस्सा मुझ पर होता और कुछ हिस्सा आपके इस्तेमाल में होता। **(मुस्लिम-514)**

653. हज़रत मैमूना (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने इस तरह भी नमाज़ अदा की है कि कपड़े का कुछ हिस्सा मेरे इस्तेमाल में होता और कुछ हिस्सा आपके इस्तेमाल में होता और मुझको उन दिनों में हैज़ आ रहा होता। **(अबू दाऊद-369)**

बग़ैर चादर ओढ़े औरत की नमाज़ नही हो सकती

654. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरी आज़ादशुदा बाँदी ने आपको देखकर पर्दा कर लिया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या ये बालिग़ हो गई है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हुज़ूर (ﷺ) ने अपना अमामा मुबारक फाड़कर कुछ उसको दिया कि उसको ओढ़ लिया करे।

655. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बालिग़ा औरत की नमाज़ बग़ैर चादर ओढ़े नहीं हो सकती। **(अबू दाऊद-641, तिर्मिज़ी-377)**

क्या हाइज़ा औरत मेंहदी लगा सकती है?

656. हज़रत मुआविया (रज़ि.) कहती हैं, एक औरत ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हाइज़ा औरत मेंहदी लगा सकती है? आपने फ़र्माया, नबी करीम के ज़माना-ए-मुबारक में हम हैज़ की हालत में मेंहदी लगाया करते थे। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने हमको कभी मेंहदी लगाने से मना नहीं फ़र्माया।

ज़ख़्म की पट्टियों पर मसह करने का बयान

657. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं कि मेरी कलाई टूट गई थी। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से इसके मुताल्लिक दरयाफ़्त किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पट्टी पर मसह कर लिया करो।

मुँह का थूक कपड़े पर लग जाए तो उसका क्या हुक्म है?

658. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने देखा कि हुज़ूर (ﷺ) हज़रत हुसैन इब्ने अली (रज़ि.) को गोद में लिये हुए थे और हुज़ूर (ﷺ) के कंधे पर इमाम हुसैन (रज़ि.) के मुँह से लार बह रही थी। **(मुस्नद अहमद)**

पानी में थूक गिरने का बयान

659. हज़रत अब्दुल जब्बार इब्ने वाइल (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, कि एक रोज़ हुज़ूरे अकरम ने पानी का डोल तलब फ़र्माकर उसका कुछ पानी मुँह में लिया और डोल में डाल दिया। जिसकी वजह से उसमें मुश्क बल्कि मुश्क से भी ज़्यादा अच्छी ख़ुश्बू आने लगी और डोल के बाहर तक फैल गई। **(मुस्नद अहमद)**

660. हज़रत महमूद इब्ने रबीअ (रज़ि.) ने उस डोल को रख छोड़ा था, जिससे हुज़ूर (ﷺ) ने उनके यहाँ पानी भरकर पिया था और आपका लुआब (थूक) उसमें लगा था।

शर्मगाह देखने की मुमानिअत का बयान

661. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया कि न औरत को किसी औरत की शर्मगाह देखनी चाहिये न मर्द को किसी मर्द की। **(मुस्लिम-338)**

662. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने कभी रसूले अकरम (ﷺ) की शर्मगाह को नहीं देखा। **(मुस्नद अहमद)**

उस शख़्स का बयान जिसकी ग़ुस्ले जनाबत के वक़्त कोई जगह ख़ुश्क रही हो

663. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक मर्तबा ग़ुस्ले जनाबत फ़र्माया। ग़ुस्ल के बाद आपको जिस्म की कोई जगह ख़ुश्क नज़र आई। आप (ﷺ) ने पानी का एक चुल्लू लेकर उसको तर कर दिया। दूसरी रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने उस पर अपने बाल निचोड़ दिये ताकि तर हो जाये।

664. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने गुस्ले जनाबत किया। उसके बाद फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी। जब कुछ रोशनी हुई तो मैंने देखा कि नाख़ून के बराबर जगह ख़ुश्क है। अब मुझको क्या करना चाहिये? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम उसको हाथ से तर कर लेते तो काफ़ी होता।

वुज़ू में किसी अज़्व (अंग) के ख़ुश्क रह जाने का बयान

665. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स वुज़ू करने के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उसके अअज़ा-ए-वुज़ू में नाख़ून के बराबर एक जगह सुखी रह गई थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ और पूरी तरह से वुज़ू करो। **(अबू दाऊद-173)**

666. हज़रत इमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स वुज़ू करने के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में इस्लाम के लिए हाज़िर हुआ और एक नाख़ून के बराबर जगह सूखी रह गई थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको वुज़ू और नमाज़ दोनों के लौटाने का हुक्म दिया। लिहाज़ा उसने फिर दोबारा हुक्म की तामील की। **(मुस्लिम-243)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुस्सलात

नमाज़ के मुताल्लिक़ अहकामो मसाइल

667. हज़रत सलमान इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और उसने हुज़ूर (ﷺ) से नमाज़ों के औक़ात दरयाफ़्त किये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि दो दिन तक तुम हमारे साथ नमाज़ पढ़ो। अलग़र्ज़ पहले दिन जब ज़वाले आफ़ताब हो गया तो हज़रत बिलाल को हुक्म दिया और उन्होंने अज़ान दी और फिर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने अज़ान के बाद नमाज़ अदा फ़र्माई। उसके बाद सूरज निहायत साफ़ और रोशन था कि आपने अ़स्र की नमाज़ अदा फ़र्माई और सूरज के ग़ुरूब होते ही मग़्रिब की नमाज़ अदा फ़र्माई और जैसे ही मग़्रिब के बाद शफ़क़ ग़ायब हुई, फ़ौरन आपने इशा की नमाज़ अदा फ़र्माई। उसके बाद जब दूसरा दिन हुआ तो आपने ज़ुहर को ठण्डे वक़्त में अदा फ़र्माया और अ़स्र की नमाज़ पहले दिन के निस्बत कुछ देर से अदा फ़र्माई और मग़्रिब की नमाज़ शफ़क़ गायब होने से पहले ही ख़त्म कर दी और इशा की नमाज़ जब रात का तीसरा हिस्सा गुज़र चुका तो अदा फ़र्माई। फ़ज्र की नमाज़ रोशनी होने पर अदा फ़र्माई। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो नमाज़ के औक़ात दरयाफ़्त करने वाला शख़्स कहाँ है। उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं हाज़िर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इन औक़ात के दरम्यान तुम्हारी नमाज़ों का वक़्त है। **(मुस्लिम-338)**

668. हज़रत इब्ने शिहाब (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत उ़मर इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के ज़माना-ए-ख़िलाफ़त में एक दिन मैं और उ़र्वा इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) हज़रत उ़मर इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ के पास एक रेशमी ग़लीचे पर बैठे हुए थे। उस दिन हज़रत उ़मर इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ ने अ़स्र की नमाज़ कुछ ताख़ीर से पढ़ी। हज़रत उ़र्वा ने ऐतराज़न उनसे हदीस बयान की कि एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की इमामत हज़रत जिब्रईल अ़लैहिस्सलाम ने आकर फ़र्माई। हज़रत उ़मर इब्ने अ़ब्दुल अ़ज़ीज़ फ़र्माने लगे, उ़र्वा ज़रा समझकर हदीस बयान करो तुम क्या कहते हो? उ़र्वा ने फ़र्माया, अपनी तरफ़ से बयान नहीं करता बल्कि मुझसे ये हदीस बशीर इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) ने हज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) से दरयाफ़्त करके बयान की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, एक दिन जिब्रईल ने इमामत की और मैंने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर पढ़ी, फिर पढ़ी इसी तरह आपने अंगुलियों पर शुमार करके पाँच नमाज़ें बतलाईं। **(बुख़ारी-3221, मुस्लिम-610)**

फ़ज्र की नमाज़ का कौनसा वक़्त है

669. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हम चन्द औरतों के साथ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ फ़ज्र की नमाज़ को पढ़ा करते। जब नमाज़ से फ़ारिग़ होकर आते तो अंधेरे की वजह से हमको कोई शख़्स पहचान न सकता।

(मुस्लिम-645)

670. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने आयत **व क़ुर्आनल फ़ज्रि इन्ना क़ुर्आनल फज्रि काना मश्हूदा.** (सूरह बनी इस्राईल : 78) तिलावत फ़र्माकर इर्शाद फ़र्माया कि फ़ज्र में दिन व रात के फ़रिश्तों की मुलाक़ात हुआ करती है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इस आयत की तफ़्सीर इस तरह फ़र्माई है।

(मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी-3135)

671. हज़रत मुग़ीस इब्ने मुसम्मा (रह.) का बयान है, एक दिन फ़ज्र की नमाज़ मैं अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर के साथ पढ़ी तो उस दिन उन्होंने निहायत अंधेरे में नमाज़ अदा फ़र्माई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुआ तो मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) के पास उठकर आया और उनसे कहने लगा कि ये कैसी नमाज़ थी? इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, भाई! हमने हुज़ूर (ﷺ), अबूबक्र (रज़ि.) और उमर (रज़ि.) के साथ इसी तरीक़े से नमाज़ अदा की है। लेकिन उसके बाद जब हज़रत उमर को ज़ख़्मी किया गया (उन पर क़ातिलाना हमला किया गया) तो हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में ख़ूब रोशनी करके पढ़ना शुरू कर दिया था। **(बैहक़ी)**

672. हज़रत राफ़ेअ इब्ने ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, सुबह की नमाज़ रोशनी में पढ़ा करो और उसमें ताख़ीर करो। क्योंकि उससे तुमको ज़्यादा अज्र मिलेगा। (गर्मियों में)

(अबू दाऊद-424, नसाई-548)

ज़ुहर के वक़्त का बयान

673. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते हैं, जब सूरज का ज़वाल होता था तो नबी करीम (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ अदा फ़र्माया करते थे। **(मुस्लिम-618)**

674. हज़रत अबू बर्ज़ह अस्लमी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) दोपहर की नमाज़ जिसे तुम लोग ज़ुहर कहते हो, उस वक़्त अदा फ़र्माया करते थे, जब सूरज ढल जाता। **(बुख़ारी-599, मुस्लिम-647)**

675. हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) कहते हैं कि हमने ज़ुहर की नमाज़ में गर्मी होने की रसूलुल्लाह (ﷺ) से शिकायत की लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने हमारी शिकायत की तरफ़ ग़ौर न फ़र्माया। **(मुस्लिम-619)**

676. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि हमने हुज़ूर (ﷺ) से शिकायत की, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस वक़्त (ज़ुहर के वक़्त) निहायत गर्मी होती है लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने उस शिकायत की तरफ़ कुछ तवज्जोह न फ़र्माई और हमारी बात का जवाब न फ़र्माया।

गर्मी में ज़ुहर की नमाज़ ठण्डे वक़्त में अदा करनी चाहिये

677. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का बयान है कि जब सख़्त गर्मी का ज़माना हो तो

ज़ुहर की नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो। क्योंकि ये गर्मी जहन्नम की भाप है, उससे बचा करो। **(मोता इमाम मालिक)**

678. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब गर्मी शदीद हो तो ज़ुहर की नमाज़ ठण्डी कर लो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की भाप है। **(मुस्लिम-615)**

679. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सख़्त गर्मी में ज़ुहर की नमाज़ ठण्डे वक़्त में अदा करो। क्योंकि ये सख़्ती जहन्नम की भाप होती है। **(बुख़ारी-3259)**

680. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) का बयान है, हम लोग दोपहर में हुज़ूर (ﷺ) के साथ ज़ुहर की नमाज़ अदा किया करते थे। एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये नमाज़ ताख़ीर से पढ़ा करो, क्योंकि ये गर्मी जहन्नम की भाप है। **(मुस्नद अहमद)**

681. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि ज़ुहर की नमाज़ ठण्डे वक़्त में पढ़ना चाहिये।

अस्र की नमाज़ का बयान

682. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) अस्र की नमाज़ ऐसे वक़्त में अदा फ़र्माया करते कि अगर कोई शख़्स मक़ामे अवाली को भी जाता तब भी सूरज आसमान पर बुलन्द नज़र आता। **(मुस्लिम-621)**

683. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ऐसे वक़्त में नमाज़े अस्र अदा फ़र्माते कि सूरज की किरणें मेरे हुज्रे में मौजूद होती और दीवारों का साया पड़ता रहता। **(बुख़ारी-546, मुस्लिम-611)**

नमाज़े अस्र की हिफ़ाज़त का बयान

684. हज़रत अली इब्ने तालिब (रज़ि.) कहते हैं, जब ख़न्दक के दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की नमाज़े अस्र क़ज़ा हो गई तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उनके घरों और क़ब्रों को आग से भर दे। उन्होंने हमारी नमाज़े वुस्ता क़ज़ा करवा दी।

685. हज़रत सालिम इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स की अस्र की नमाज़ क़ज़ा हुई तो समझो कि उसके अहलो-माल (घर-बार) सब बर्बाद हो गये। **(मुस्लिम-626)**

686. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, जब मुश्रिकों की वजह से हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़े अस्र क़ज़ा हो गई और सूरज ग़ुरूब हो गया तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह उनके घरों को और क़ब्रों को आग से भर दे कि उन्होंने हमारी नमाज़े वुस्ता क़ज़ा करवाई। **(मुस्लिम-628)**

मग़्रिब की नमाज़ का बयान

687. हज़रत राफ़ेअ इब्ने ख़दीज (रज़ि.) का बयान है कि हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में मग़्रिब की नमाज़ ऐसे वक़्त पढ़ा करते थे कि नमाज़ के बाद अगर कोई तीर मारकर अपने तीर लगने के मक़ाम को देखता तो वहाँ तक उसकी नज़र पहुँच सकती थी और साफ़ मालूम होता था। **(बुख़ारी-637)**

688. हज़रत सलमा इब्ने अक्वा (रज़ि.) का बयान है कि मैं नबी करीम (ﷺ) के साथ सूरज डूबते ही नमाज़े मग़रिब अदा किया करता था। **(बुख़ारी-561, मुस्लिम-636)**

689. हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया जब तक तारों के रोशन होने से पहले मेरी उम्मत नमाज़ अदा करती रहेगी, उस वक़्त तक अपने हक़ीक़ी तरीक़े पर क़ायम रहेगी। हज़रत अबू अब्दुल्लाह इब्ने माजह (रह.) कहते हैं, लोगों को इस हदीस में शोरगुल हुआ। इसलिये मैं और अबूबक्र अवाम इब्ने उबादा (रज़ि.) के पास गये। वो बाहर तशरीफ़ लाये और अपने वालिद की असल किताब दिखाई। उसमें ये हदीस मौजूद थी। **(बैहक़ी)**

इशा के वक़्त का बयान

690. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता तो मैं उनको ये हुक्म देता कि इशा की नमाज़ ताख़ीर करके अदा करे। **(मुस्लिम-252)**

691. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मेरी उम्मत पर भारी न होता तो मैं उनको ये हुक्म देता कि इशा की नमाज़ आधी रात या तिहाई रात में अदा किया करें। **(तिर्मिज़ी-167)**

692. हज़रत हुमैद (रज़ि.) कहते हैं, किसी शख़्स ने हज़रत अनस (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, क्या हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपने लिये अंगूठी तैयार करवाई थी? हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने इशा की नमाज़ आधी रात को ताख़ीर से अदा फ़र्माई और लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होकर फ़र्माया, और लोग तो अपनी नमाज़ें पढ़ कर सो गये मगर तुम लोग इस वक़्त तक इंतेज़ार में रहे। लेकिन ये समझ लो कि जब तक तुमने इंतेज़ार किया उस वक़्त तक तुम नमाज़ ही में शुमार किये गये। इस बातचीत के वक़्त आपकी अंगुठी पर मेरी नज़र पड़ी। गोया इस वक़्त तक वो मेरी नज़रों के सामने है। **(नसाई-540)**

693. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मग़रिब की नमाज़ अदा फ़र्माकर चले गये। फिर आपने इशा की नमाज़ रात का एक हिस्सा गुज़र जाने के बाद अदा फ़र्माई। और नमाज़ के बाद इर्शाद फ़र्माया कि जब तक तुम नमाज़ के इंतज़ार में रहे, तब तक तुम नमाज़ ही में शुमार किये गये। अगरचे इस वक़्त लोग अपनी नमाज़ें पढ़कर आराम कर रहे हैं लेकिन उस सवाब से महरूम रहेंगे। अगर मुझको ज़ईफ़ और बीमारों का ख़्याल न होता तो यही हुक्म देता कि आधी रात तक ताख़ीर करके इशा की नमाज़ पढ़ो। **(अबू दाऊद-422)**

बादलों में नमाज़ के औक़ात का बयान

694. हज़रत बुरैदा अस्लमी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हम रसूले मकबूल (ﷺ) के साथ सफ़र में थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस दिन बादल छाये हुए हों, उस दिन नमाज़ में जल्दी किया करो इसलिये कि जिस शख़्स की नमाज़े अस्र फ़ौत हो जाती है। उसके तमाम आमाल बेकार हो जाते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

जो शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाये या सो जाये तो क्या करना चाहिये

695. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) से किसी ने दरयाफ़्त किया कि अगर कोई शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाये या वक़्त क़ज़ा होने के बाद नींद से जागे तो उसको क्या करना चाहिये? हुज़ूर (ﷺ) ने

फ़र्माया, जिस वक़्त उसको याद आ जाये, फ़ौरन अदा करे। (मुस्लिम-684)

696. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स नमाज़ पढ़ना भूल जाये या सो जाये तो जिस वक़्त उसको याद आए फ़ौरन अदा करे।

697. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) जंगे ख़ैबर से वापस आये और रास्ते में आख़िरी रात में लोगों को नींद आने लगी तो हुज़ूर (ﷺ) ने क़याम करने का हुक्म दिया और हज़रत बिलाल (रज़ि.) को बुलाकर फ़र्माया, हम लोग सोते हैं, तुम जागते रहो! सुबह की नमाज़ के लिये हमको जगा देना। अलग़र्ज़ सब लोग सो गये और हज़रत बिलाल (रज़ि.) मश्रिक़ की तरफ़ मुँह करके अपने सामान से तकिया लगा कर इंतज़ार में बैठ गये। बैठे-बैठे आपकी आँखें भी बन्द हो गई और सो गये। जब सूरज उगा तो सबसे पहले हुज़ूर (ﷺ) की आँख खुली। आपने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को आवाज़ दी और फ़र्माया, बिलाल! ये क्या किया? हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) जिस अल्लाह ने आपको सुला दिया उसने मेरे नफ़्स को भी कब्ज़ कर लिया था। इसमें मेरा क्या कुसूर है? हुज़ूर (ﷺ) ने जब ये उज़्र सुना तो हुक्म दिया कि सामान बाँधकर यहाँ से चलो। अलग़र्ज़ वहाँ से कुछ दूर चलकर आपने क़याम फ़र्माया और वुज़ू करके हज़रत बिलाल को इक़ामत का हुक्म दिया और सहाबा के साथ नमाज़ क़ज़ा पढ़ी। नमाज़ के बाद लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, जब कोई शख़्स नमाज़ भूल जाये या सो जाये तो जिस वक़्त उसको याद आये फ़ौरन लौटा ले। क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरी याद के लिये नमाज़ पढ़ो। (मुस्लिम-680)

698. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है, कि सहाबा (रिज़.) ने आपस में सोने की ज़्यादती ज़िक्र किया कि (ये बहुत बुरी चीज़ है क्योंकि नमाज़ों को क़ज़ा करा देती है) क्योंकि लोग सूरज उगने तक सोते रहते थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सोने में ज़्यादती नहीं, ज़्यादती ये है कि इंसान जागता हो और नमाज़ क़ज़ा हो जाये। तुम लोगों में अगर कोई शख़्स भूल जाये या सो जाये तो जिस वक़्त उसको याद आये फ़ौरन नमाज़ क़ज़ा पढ़ ले। ख़्वाह दूसरे दिन जिस वक़्त की नमाज़ हो उस वक़्त में क़ज़ा करें। (अबू दाऊद-437)

उज़्र और ज़रूरत के वक़्त नमाज़ के औक़ात का बयान

699. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज डूबने से पहले जिसने नमाज़े अस्र की एक रकअत अदा की और फिर सूरज डूब गया तो उसकी नमाज़ मुकम्मल हो गई और जिस शख़्स को सूरज के उगने से पहले एक रकअत फ़ज्र की मिल गई तो उसको पूरी नमाज़ मिल गई। (बुख़ारी-579)

700. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज डूबने से पहले जिसको एक रकअत अस्र की मिल गई उसको पूरी नमाज़ मिल गई। इसी तरह जिसको फ़ज्र की नमाज़ की एक रकअत सूरज उगने से पहले मिल गई तो समझ लो कि उसको पूरी नमाज़ मिल गई। (मुस्लिम-609)

इशा की नमाज़ से पहले सोने और नमाज़ के बाद बातचीत करना मना है

701. हज़रत अबू बुरैदा अस्लमी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को ये बहुत पसन्द था कि इशा की नमाज़ ताख़ीर से अदा की जाये। इशा की नमाज़ से पहले सोने को और नमाज़ के बाद बातचीत करने को आप (ﷺ) मकरूह ख़्याल फ़र्माते। (बुख़ारी-568)

702. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, न कभी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) इशा की नमाज़ से पहले सोये और न कभी आपने इशा के बाद बातचीत की। **(मुस्नद अहमद)**

703. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, इशा की नमाज़ के बाद बातचीत करने से हुज़ूर (ﷺ) ने हमको मना फ़र्माया है और उसको मकरूह ख़्याल किया है। **(मुस्नद अहमद)**

इशा की नमाज़ को अतमा की नमाज़ से पुकारना मना है

704. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि कहीं ऐसा न हो कि देहाती लोग बजाय इशा के अतमा कहने लग जाये। (तुमको इसकी हिफ़ाज़त करनी चाहिये कि इशा की नमाज़ को इशा की कहा जाये) क्योंकि ये देहाती लोग अतमा में अपने ऊँटनियों को दूहते हैं। (अतमा शाम के वक़्त को कहते हैं) **(मुस्लिम-644)**

705. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि इशा की नमाज़ पर लफ़्ज़ अतमा कहीं ग़ालिब न हो जाये और देहाती लोग इस लफ़्ज़ के इस्तेमाल से इसके नाम में तग़य्युर (बदलाव) न पैदा कर दे। (तुमको इस नाम की निहायत हिफ़ाज़त करनी चाहिये) देहाती लोग तारों में रोशनी पैदा हो जाने के बाद अपनी ऊँटनियों को दूहते हैं और इस वक़्त का नाम अतमा रखते है। **(मुस्नद अहमद)**

अज़ान और सुन्नत का बयान

706. हज़रत मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) को नमाज़ के लिये कोई अलामत मुक़र्रर करने की जुस्तजू थी। कभी नाक़ूस की राय होती तो कभी बक़ की जुस्तजू होती। हुज़ूर (ﷺ) ने नाक़ूस का हुक्म दिया था। उस रात मैंने एक शख़्स को हरे कपड़े पहने हाथ में नाक़ूस लिये देखा। मैंने उससे कहा, ये नाक़ूस मुझे बेचते हो? उसने कहा, अब्दुल्लाह इसका क्या करोगे? मैंने कहा की नमाज़ की तैयारी के ऐलान के लिये ज़रूरत है। उसने कहा, मैं उससे भी अच्छा तरीक़ा तुमको बतलाता हूँ। मैंने कहा, कहो। उसने कहा इस तरह अज़ान दी जाये, **अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह-अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह, अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह-अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह-हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह.** अलग़र्ज़ मैं ये ख़्वाब देखकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़्वाब में एक शख़्स को हरे कपड़ों में देखा और ये वाक़िआ पेश आया। हुज़ूर (ﷺ) ने जब ये ख़्वाब सुना तो सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, तुम्हारे साथी ने ये ख़्वाब देखा है। अच्छा जाओ और बिलाल को सिखा दो। वो अज़ान देंगे। क्योंकि उनकी आवाज़ तुमसे ज़्यादा (बुलन्द) है। अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं कि मैं हज़रत बिलाल के साथ चला जाकर उनको सिखाता गया और वो अज़ान कहते गये। रावी कहते हैं कि ये आवाज़ हज़रत उमर (रज़ि.) तक पहुँची तो वे दौड़ते हुए हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने भी ऐसा ही ख़्वाब देखा है जैसा उन्होंने देखा। अबू उबैदा (रज़ि.) कहते हैं, अबूबक्र हुकमी ने बयान किया कि अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) इसी वाकिये के मुताल्लिक़ ये अश्आर कहते हैं, **अल्हम्दुलिल्लाहि ज़ुल्जलालि वल्इकराम हम्दन अलल्अज़ानि इज़ा तानी बिहिल बशीरू मिनल्लाहि फ़करिम लदय्या फ़ी लयाली वल्लाइ बिहिन्ना सलासुन कुल्लहा जादनी तौकीरा.** (मुझको अज़ान सिखाई मेरे रब ज़ुल्जलाल ने,

एहसान हुआ ख़ास रब्बे क़दीर का। भेजा सिखाने अपने फ़रिश्ते को तीन रात, राब्ता बढ़ाये उस अपने बशीर का। वो तीन रात आकर सिखाता रहा मुझे, ऐज़ाज़ यूँ बढ़ता रहा तेरे फ़क़ीर का)। **(अबू दाऊद-499)**

707. हज़रत सालिम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों को नमाज़ के लिये जमा करने के मुताल्लिक़ मश्वरा किया। पहले बूक की राय पेश की गई। लेकिन ये यहूद का आला होने की वजह से मकरूह समझा गया। फिर नाक़ूस की राय हुई लेकिन वो भी नहीं मानी गई क्योंकि ये नसारा का तरीक़ा था। अलग़र्ज़ उसी रात एक अन्सारी शख़्स जिसका नाम अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद (रज़ि.) था, उनको ख़्वाब में अज़ान का तरीक़ा दिखलाया गया और हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) ने भी देखा। ये अन्सारी शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये और अपना ख़्वाब अर्ज़ किया। आपने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया और उन्होंने अज़ान कही। ज़ुहरी (रज़ि.) कहते हैं कि सुबह की अज़ान म हज़रत बिलाल ने ख़ुद इतना ज़्यादा कर दिया था, **अस्सलातु ख़ैरुम्म मिनन नौम**। हुज़ूर (ﷺ) ने इसको बरक़रार रखा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने भी यही ख़्वाब देखा था लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद मुझसे पहले आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो गये। **(बुख़ारी-603,604,377,378)**

अज़ान में कलिम-ए-शहादत को दो बार कहने का बयान

708. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुहैरीज़ जो अबी महज़ूरा इब्ने मुग़ीरा की परवरिश में थे। अबू महज़ूरा ने उनके लिये मुल्के शाम (सीरिया) के सफ़र की तैयारी कराइ तो अबी महज़ूरा से कहने लगे, चचा मैं शाम (सीरिया) जा रहा हूँ लिहाज़ा मुझको अपनी अज़ान का क़िस्सा सुनाइये। अबू महज़ूरा ने कहा कि एक मर्तबा हम कुछ लोगों के साथ हुज़ूर (ﷺ) के साथ सफ़र के लिये निकले। जब कुछ रास्ता तय कर लिया तो आपके मुअज़्ज़िन ने अज़ान देना शुरू किया। क्योंकि हम नये मुसलमान थे, जब हमको अज़ान की आवाज़ पहुँची तो बेइख़्तियार हँसी आई और मुअज़्ज़िन की नक़ल बनाने लगे। ये ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को हुई। आपने किसी शख़्स को रवाना फ़र्माकर हमको बुलाया। हम सब आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये और आपके सामने बैठ गये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुअज़्ज़िन की आवाज़ तुम में से किसी शख़्स ने सुनकर बुलन्द आवाज़ से नक़ल बनाई थी। सब लोगों ने मेरी तरफ़ इशारा किया। मुझको आगे करके सब घेरा बाँधकर बैठ गये। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, उठकर अज़ान दो। वल्लाह! उस वक़्त मुझको हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्मान से ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ नहीं मालूम होती थी। लेकिन मजबूरन हुक्म बजा लाना पड़ा। आप (ﷺ) ने ख़ुद मुझको अज़ान की तालीम दी। इस तरह फ़र्माया **अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह-अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह, अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह-अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह-हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह.** अलग़र्ज़ जब अज़ान ख़त्म हो गई तो हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको एक थैली इनायत फ़र्माई। उसमें चाँदी थी और फ़र्माया, बारकल्लाहु लक व अलैक और मेरे सर से लेकर नाफ़ तक हाथ फेरा। अबू महज़ूरा कहते हैं कि आपके हाथ फेरने से जो कुछ मेरे दिल में हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ से कराहत व बुराई थी सब दफ़ाअ हो गई। उसके बाद मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं मक्का में जाकर अज़ान दिया करूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ तुम अज़ान दिया करो। जब मैं मक्का में पहुँचा तो अताब इब्ने अस्वद के साथ जो उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ से मक्का के आमिल थे। मैंने अज़ान देना शुरू कर दी। **(नसाई-633)**

709. हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको अज़ान के 19 कलिमात सिखाये और इक़ामत के 17 कलिमात। अज़ान इस तरह सिखाई, **अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु**

अकबर, अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह-अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह, अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह-अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह-हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह. और इक़ामत इस तरह, **अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह-अश्हदुअल्लाइलाह इल्लल्लाह, अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह-अश्हदुअन्ना मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह-हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्या अलल फ़लाह, कदकामतिस्सलातु-कदककामतिस्सलात, अल्लाहु अकबर-अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह।** **(मुस्लिम-379)**

अज़ान देने का सुन्नत तरीक़ा क्या है?

710. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अस्अद बिन अम्मार इब्ने सअद (रज़ि.) अपने दादा सअद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को अज़ान देने का ये तरीक़ा बतलाया, कानों में अंगुलियाँ देकर बुलन्द आवाज़ से अज़ान कहिये।

711. हज़रत अवान इब्ने अबी हुज़ैफ़ा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि मैं मक़ामे बत्हा में हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) सुर्ख़ रंग के कबा में तशरीफ़ रखते थे। हज़रत बिलाल ने अज़ान दी और अज़ान देते वक़्त दोनों तरफ़ मुँह को फिराया और कानों में अंगुलियाँ डालकर अज़ान कही।

712. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमानों के मुअज़्ज़िनों की दो ख़स्लतें (पहचान) नमाज़ और रोज़ा उनके कानों में लटके होते हैं।

713. हज़रत ज़ाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत बिलाल कभी अज़ान के वक़्त में ताख़ीर नहीं करते अलबत्ता इक़ामत में कुछ ताख़ीर फ़र्माते।

714. हज़रत उस्मान इब्ने अबूल आस (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने जो आख़िरी अहद हमसे लिया था, वो ये था कि ऐसा मुअज़्ज़िन न मुक़र्रर करो जो अज़ान कहने पर उज्रत ले। **(तिर्मिज़ी-209)**

715. हज़रत बिलाल (रज़ि.) कहते हैं, मुझको हुज़ूर (ﷺ) ने ये हुक्म दिया था कि फ़ज्र की अज़ान में **अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम** कहा जाए और इशा की नमाज़ में ये कहने की ज़रूरत नहीं। **(तिर्मिज़ी-198)**

716. हज़रत बिलाल (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन फ़ज्र के वक़्त नमाज़ के लिये मैं रसूले मक़्बूल (ﷺ) को बुलाने के लिये गया। मालूम हुआ कि आप (ﷺ) सो रहे हैं। हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने इस वजह से अज़ान में कहा, **अस्सलातु ख़ैरुम मिनन नौम** कहा। उस दिन से फ़ज्र की अज़ान में ये अल्फ़ाज़ बढ़ा दिये गये।

717. हज़रत ज़ियाद इब्ने हारिस सुद्दाई का बयान है, एक मर्तबा हम लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ सफ़र में थे कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे अज़ान देने के लिये इर्शाद फ़र्माया। मैंने अज़ान दी, फिर जब इक़ामत का वक़्त आया तो हज़रत बिलाल ने इक़ामत कहना चाही। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आज ज़ियाद ने अज़ान दी है वही इक़ामत भी कहेंगे, जो शख़्स अज़ान कहे वही इक़ामत भी कहे। **(अबू दाऊद-514, तिर्मिज़ी-199)**

जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो दूसरे शख़्स को क्या कहना चाहिये

718. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे तो सुनने वाले को उसी तरह उसका जवाब देना चाहिये।

719. हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) रात को या दिन को मेरे यहाँ तशरीफ़ फ़र्माते और मुअज़्ज़िन अज़ान देता तो आप भी मुअज़्ज़िन की तरह कहते। जिस तरह वो कहता उसी तरह आप भी फ़र्माते। **(मुस्नद अहमद)**

720. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है, जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहे तो तुम भी उसी तरह कहते जाओ। **(बुख़ारी-611, मुस्लिम-383)**

721. हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुअज़्ज़िन के **अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाह** (मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं) कहते वक़्त ये दुआ पढ़ेगा, **व अना अश्हदु अल्लाह इलाह इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल्इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन नबिय्यन.** (और मैं भी गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) उसके बन्दे और रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने पर राज़ी हूँ) तो उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाएँगे। **(मुस्लिम-386)**

722. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ी, **अल्लाहुम्मा रब्बा हाजिहिद्अवतित्ताम्मा वस्सलातिल्क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसील-त वल्फ़ज़ील-त वबअस्हू मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअत्ता.** (ऐ अल्लाह! ऐ इस कामिल पुकार और क़ायम होने वाली नमाज़ के रब! मुहम्मद (ﷺ) को वसीला और फ़ज़ीलत अता फ़र्मा और उन्हें उस मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ फ़र्मा, जिसका तूने उनसे वादा फ़र्माया है) तो उस शख़्स के लिए क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअ़त ज़रूर होगी। **(बुख़ारी-614)**

अज़ान की फ़ज़ीलत और मुअज़्ज़िन के सवाब का बयान

723. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्दुर्रहमान इब्ने सअ़सअ़ (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि मेरे वालिद हज़रत अबू सग़ीर की ज़ेरे परवरिश हज़रत अबू सईद ने कहा कि जब तुम जंगल में हुआ करो तो बुलन्द आवाज़ से अज़ान कहा करो, क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ये सुना है कि जो जिन्नात और इंसान, पेड़-पौधे और पत्थर मुअज़्ज़िन की अज़ान को सुनते हैं, उसके लिए गवाही देते हैं। **(बुख़ारी-609)**

724. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) के मुँह से ये सुना है कि जहाँ तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ जाती है, उस दूरी के बराबर उसके गुनाह माफ़ किये जाते हैं। और हर तर और सूखे उसके लिये इस्तिग़फ़ार करता है और जो शख़्स नमाज़ के लिये आता है उसके लिये पच्चीस नेकियाँ तहरीर की जाती है और वो दोनों नमाज़ों के बीच जितने गुनाह करता है, माफ़ होते हैं। इससे सग़ीरा गुनाह मुराद है। **(अबू दाऊद-515)**

725. हज़रत मुआविया इब्ने अबू सुफ़्यान (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन मुअज़्ज़िन की गर्दन सबसे ज़्यादा बुलन्द होगी। **(मुस्लिम-387)**

726. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जो बेहतर हो वो मुअज़्ज़िन बने और जो तुम में से कारी हो वो इमाम बने। **(अबू दाऊद-590)**

727. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सवाब का ख़्याल करके सात साल तक अज़ान देगा उसके लिये दोज़ख़ से छुटकारे की तहरीर लिखी जाएगी।

728. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बारह साल अज़ान देगा, उसके लिये उसकी अज़ान की एवज़ में हर दिन साठ नेकियाँ लिखी जाएगी और हर इक़ामत की एवज़ में साठ नेकियाँ लिखी जाएगी।

इक़ामत में हर कलिमे को एक मर्तबा कहने का बयान

729. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, लोग नमाज़ के लिये तरीक़ा तलाश करते फिरते, यहाँ तक कि हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुक्म दिया अज़ान के अन्दर हर कलिमा दो मर्तबा कहा जाये और इक़ामत में एक-एक मर्तबा। **(बुख़ारी-603, मुस्लिम-378)**

730. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत बिलाल (रज़ि.) को अज़ान के कलिमे दो बार कहने का हुक्म था और इक़ामत में एक-एक बार।

731. हज़रत सअद इब्ने अम्मार इब्ने सअद (रज़ि.) रसूले अकरम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि हज़रत बिलाल (रज़ि.) की अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा होते और इक़ामत एक-एक मर्तबा होती।

732. हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत बिलाल (रज़ि.) को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के दौर में अज़ान के कलिमात दो-दो मर्तबा और इक़ामत के कलिमात एक-एक मर्तबा कहते देखा।

जब तुम अज़ान सुनो और मस्जिद में हो तो (बग़ैर नमाज़ पढ़े) बाहर न जाओ

733. हज़रत अबू शअशा (रह.) कहते हैं, एक दिन हम अबू हुरैरह (रज़ि.) की ख़िदमत में मस्जिद में बैठे हुए थे इतने में मुअज़्ज़िन ने अज़ान दी। एक शख़्स अज़ान ख़त्म होने के बाद उठकर चला। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) उसको दखने लगे जब वो मस्जिद से बाहर चला तो फ़र्माने लगे, उस शख़्स ने अबूल क़ासिम (ﷺ) के हुक्म के ख़िलाफ़ किया। (क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि अज़ान के बाद बग़ैर नमाज़ पढ़े हुए बाहर न जाना चाहिये) **(मुस्लिम-734)**

734. हज़रत उस्मान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मस्जिद में अज़ान होने के बाद कोई शख़्स मस्जिद से किसी ज़रूरत के लिये निकले और फिर वापस आने का इरादा न हो ते ये मुनाफ़िक़ शख़्स है।

मसाजिद और जमाअतों का बयान

735. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के ज़िक्र के लिये मस्जिद बनाएगा उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार किया जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

736. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के लिये मस्जिद बनाता है उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार किया जाता है। **(मुस्लिम-533)**

737. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के लिये मस्जिद तैयार कराएगा अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में मकान तैयार कराएगा।

738. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने छोटी मस्जिद जिससे हाजतरवाई बख़ूबी हो सकती हो, बनाई तो अल्लाह तआला उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार फ़र्माएगा।

मसाजिद को मुज़य्यन (सजावट) करने का बयान

739. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त आयेगी जब लोग अपनी-अपनी मसाजिद के मुज़य्यन और कुशादा होने में फ़ख़्र करेंगे। **(अबू दाऊद-449)**

740. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने (एक दिन) इर्शाद फ़र्माया, मैं तुमको ख़बर देता हूँ कि मेरे बाद तुम लोग अपनी-अपनी मस्जिदें इतनी बुलन्द बनाया करोगे, जिस तरह यहूद और नसारा के इबादतख़ाने तैयार होते हैं।

741. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ौम तमाम अमलों में से बुरा अमल है कि अपनी मस्जिद को सोने-चाँदी के नक़्शो-निगार से मुज़य्यन (सजावट) करें।

मस्जिद कहाँ बननी चाहिये

742. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने मस्जिद के लिये (मुहल्ला) बनू नज्जार में ज़मीन पसन्द फ़र्माई थी। उन लोगों से आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़मीन मुझको बेच दो। उन्होंने अर्ज़ किया, हम कभी इस ज़मीन की क़ीमत आपसे नहीं लेंगे। अलग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने उस ज़मीन पर मस्जिद की बुनियाद डाली, जिसकी तैयारी में ख़ुद आप (ﷺ) भी शरीक थे और इस तरह दुआ फ़र्माई, ख़बरदार होकर सुनो! ऐश तो आख़िरत का ऐश है। ऐ अल्लाह! तू अन्सार और मुहाजिरीन को बख़्श दे। और जब किसी नमाज़ का वक़्त आता, इसी मक़ाम पर नमाज़ अदा फ़र्माते।
(बुख़ारी-428, 1868, मुस्लिम-524)

743. हज़रत उस्मान इब्ने आस (रज़ि.) कहते हैं कि मुझको हुज़ूर (ﷺ) ने ताइफ़ वालों के लिये उसी मक़ाम पर मस्जिद बनाने का हुक्म दिया था कि जहाँ पर बुत रखे जाते थे। **(अबू दाऊद-450)**

744. हज़रत नाफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से किसी ने दरयाफ़्त किया कि जहाँ कूड़ा करकट डाला जाता हो और नजासतें पड़ी हुई हों उस मक़ाम पर नमाज़ पढ़नी चाहिये या नहीं? इब्ने उमर (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ निस्बत करते हुए बयान किया कि अगर उस मक़ाम पर कई मर्तबा पानी जारी हो गया तो नमाज़ पढ़ने में कोई हर्ज नहीं।

उन मक़ामात का बयान जहाँ नमाज़ पढ़ना मना है

745. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ब्रिस्तान और हम्माम (गुस्लख़ाने) के अलावा हर मक़ाम पर नमाज़ पढ़ना जायज़ है। **(अबू दाऊद-492)**

746. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सात जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया है, कूड़ा करकट डालने के मक़ाम में, ऊँट को ज़िब्ह करने के मक़ाम पर, मकबरे (दरगाह वग़ैरह) में, आम रास्ते पर, गुस्लख़ाने

में, ऊँट बाँधने के मक़ाम पर और कअबा के ऊपर। (तिर्मिज़ी-346)

747. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने सात जगहों पर नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया, बैतुल्लाह की छत पर, मकबरे में, कूड़ा करकट डालने का जगह में, ऊँटों को ज़िब्ह करने के मक़ाम पर, गुस्लख़ाने में, ऊँट बाँधने के मक़ाम पर और आम रास्तों पर।

मसाजिद में जो काम मकरूह हैं, उनका बयान

748. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चन्द काम ऐसे हैं जो मस्जिद में करना मुनासिब नहीं। मस्जिद में (आम) रास्ता न होना चाहिये, न उनमें हथियार वग़ैरह ज़ाहिर होना चाहिये, न नेज़ा वग़ैरह ले जाना चाहिये, न कमान ले जाना चाहिये और न कच्चा गोश्त, न उनमें नोहा करना चाहिये और न उनमें किसी का क़िसास लेना चाहिये और न ख़रीदो-फ़रोख़्त करना चाहिये।

749. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मस्जिदों में ख़रीदो-फ़रोख़्त करने और अश्आर पढ़ने से मना फ़र्माया है। (अबू दाऊद-1079)

750. हज़रत वासला बिन अस्कअ (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़र्मान है कि अपनी मस्जिदों को बच्चों और दीवानों, ख़रीदो-फ़रोख़्त केमुक़द्दमात से बचाओ। (इसी तरह) चीख़ने-चिल्लाने, हुदूदे शरईया जारी करने और तलवारों को नंगा करने से महफ़ूज़ रखो। मस्जिदों के क़रीब वुज़ू वग़ैरह की जगह तैयार करो। जुम्आ के दिन मसाजिद को ख़ुश्बूदार बनाया करो।

751. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने-ए-मुबारक में हम लोग मस्जिद में सोया करते थे। (मुस्नद अहमद)

752. हज़रत यईश इब्ने कैस इब्ने तुहफ़ा अपने वालिद जो अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से हैं, नक़ल करते हैं कि (एक मर्तबा) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारी रज़ा हो तो मैं आराम कर लूँ। अगर तुम्हारी तबीयत चाहे तो मस्जिद में चले जाओ। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम मस्जिद में चले जाते हैं। (अबू दाऊद-5040)

सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई

753. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई है? आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मस्जिदे हराम। मैंने अर्ज़ किया, उसके बाद? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मस्जिदे अक़्सा। मैंने अर्ज़ किया, उन दोनों मस्जिदों के बनाने के दरम्यान कितने वक़्त का फ़ासला होगा? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, चालीस साल का। लेकिन जहाँ नमाज़ का वक़्त हो जाये वही नमाज़ की जगह है।

(बुख़ारी-3366, 3425, मुस्लिम-520)

मकान में मस्जिद बनाने का बयान

754. हज़रत महमूद इब्ने रबीअ अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं कि (हज़रत अत्बान) जो अपनी क़ौम बनू सालिम के इमाम थे और हुज़ूर (ﷺ) के साथ जंगे बद्र में शरीक भी थे, कहते हैं कि मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारका में हाज़िर

हुआ। आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूँकि मेरी बिनाई में फ़र्क है इस वजह से जब रास्ते में पाई वग़ैरह ज़्यादा होती है तो मुझको नमाज़ के लिये आना दुश्वार होता है। अगर मुनासिब हो तो मेरे मकान के किसी मक़ाम में नमाज़ पढ़ने की जगह मुअय्यन (तय) फ़र्मा दीजिये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई हर्ज़ नहीं। अलग़र्ज़ दूसरे दिन धूप निकलने पर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के साथ आप (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और आवाज़ दी। मैं आप(ﷺ) को अन्दर ले गया। हुज़ूर बैठने से पहले ही मुझसे फ़र्माया, तुम कौनसे मक़ाम पर मस्जिद मुक़र्रर करना चाहते हो? मैंने उस मक़ाम की तरफ़ इशारा किया। हुज़ूर (ﷺ) उस मक़ाम पर इमामत के लिये तशरीफ़ फ़र्मा हो गये। मैंने और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आपके पीछे इक़्तिदा की। हुज़ूर (ﷺ) ने दो रकअ़त अदा फ़र्माई, उसके बाद मैंने आपके लिये हरीरा तैयार कर रखा था, वो आपके सामने पेश किया। **(बुख़ारी-189, मुस्लिम-33)**

755. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक अन्सारी सहाबी ने हुज़ूर (ﷺ) के पास कासिद रवाना करके यह कहलवाया कि मेरे ग़रीबख़ाने पर तशरीफ़ लाकर नमाज़ के लिये एक मक़ाम मुअय्यन फ़र्मा दीजिये। क्योंकि ये शख़्स नाबीना हो गये थे। हुज़ूर (ﷺ) का जब ये ख़बर मालूम हुई तो आप तशरीफ़ ले गये और उनके लिये एक मक़ाम तय कर दिया।

756. हज़रत इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मेरी फूफ़ियों में से किसी ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की दावत की। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी तबीयत चाहती है कि आप मेरे मकान पर तशरीफ़ ले चलें और वहाँ नमाज़ पढ़कर नमाज़ के लिये कोई जगह मुअय्यन फ़र्मा दीजिये। अलग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये। मकान के एक कोने में खजूर की चटाई बिछी हुई थी। आप (ﷺ) उस मक़ाम पर तशरीफ़ लाये और वहाँ से कचरा साफ़ करवाकर पानी छिड़का। उसके बाद वहाँ आप (ﷺ) ने नमाज़ अदा फ़र्माई। **(मुस्नद अहमद)**

मस्जिदों में पाकीज़गी और साफ़-सफ़ाई करने का बयान

757. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मस्जिदों की सफ़ाई करेगा अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार करेगा।

758. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मकानों में मस्जिदें मुक़र्रर की जाये लेकिन उनकी साफ़ सफ़ाई रखी जाये।

759. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मकानों में मस्जिदें मुक़र्रर की जाये और उनको पाक साफ़ रखा जाये। **(अबू दाऊद-455)**

760. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, जिस शख़्स ने पहले मस्जिद की सफ़ाई और उसमें फ़र्श की बुनियाद डाली है वो तमीम दारी हैं।

मस्जिदों में कफ़ थूकने का बयान

761. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन मस्जिद की दीवार पर हुज़ूर (ﷺ) ने कफ़ लगा हुआ देखा। आप (ﷺ) ने एक कंकरी लेकर उसको खुरच दिया। उसके बाद फ़र्माया, जिस शख़्स को थूकना हो तो उसको चाहिये कि सामने की जानिब न थूके या तो बायें पाँव के क़रीब थूके या बायें पाँव के नीचे थूके। **(बुख़ारी-408,409, मुस्लिम-548)**

762. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने मस्जिद के क़िब्ला रुख़ दीवार पर कफ़ लगा हुआ देखा। उसको देखकर ग़ुस्से की वजह से आपका चेहरा-ए-मुबारक सुर्ख़ हो गया। इतने में एक अन्सारी औरत उठी और उसको साफ़ करके उस मक़ाम पर ख़ुश्बू लगा दी। आप (ﷺ) ख़ुश हो गये और फ़र्माया, क्या अच्छा काम किया है। **(नसाई-729)**

763. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे। आपकी नज़र मस्जिद के क़िब्ला रुख़ दीवार पर गई तो आपने उस पर कफ़ लगा हुआ देखा। नमाज़ से फ़ारिग़ होकर फ़र्माया, तुम में से जिस शख़्स से बग़ैर थूके न रहा जाये तो उसको चाहिये कि क़िब्ला की जानिब न थूके, क्योंकि क़िब्ला की तरफ़ अल्लाह तआला होता है। **(बुख़ारी-753, मुस्लिम-547)**

764. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मस्जिद की क़िब्ला रुख दीवार से कफ़ को दूर फ़र्माया था। **(मुस्नद अहमद, मुस्लिम-549)**

गुमशुदा चीज़ों को मस्जिद में तलाश करना

765. हज़रत सुलेमान इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक मर्तबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ा रहे थे कि एक शख़्स ने आकर कहा कि (मेरा ऊँट गुम हो गया है) किसी ने उसको देखा है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह करे तू न पाये। मस्जिदें तो जिस काम के लिये बनी हैं, उसी के लिये बनी हैं। **(मुस्लिम-569)**

766. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, गुमशुदा चीज़ को मस्जिद में तलाश करने से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़र्माया है।

767. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तुमको गुमशुदा जानवर मस्जिद में तलाश करता हुआ दिखाई दे, तुम उससे कहो, अल्लाह करे न मिले ये मस्जिद इसलिये नहीं बनाई गई है। **(मुस्लिम-568)**

ऊँट बाँधने की जगह पर नमाज़ पढ़ने का बयान

768. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुमको बकरियाँ बाँधने या ऊँट बाँधने की जगह के अलावा दूसरी जगह नमाज़ के लिये न मिले तो तुमको चाहिये कि बकरियाँ बाँधने की जगह पर नमाज़ अदा करो और ऊँट बाँधने की जगह पर नमाज़ मत पढ़ो। **(तिर्मिज़ी-348)**

769. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बकरियाँ बाँधने की जगह पर नमाज़ पढ़ सकते हो और ऊँट बाँधने की जगह पर नमाज़ न पढ़ो। क्योंकि ये ऊँट शैतानों से पैदा किये हुए हैं। **(नसाई-736)**

770. हज़रत अब्दुल मलिक इब्ने रबीअ इब्ने सबुरह इब्ने मुर्रह जुहनी (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऊँट बाँधे जाने के मक़ाम पर नमाज़ मत पढ़ो। अलबत्ता बकरियाँ बाँधने की जगह पर नमाज़ पढ़ सकते हो। **(मुस्नद अहमद)**

मस्जिद में दाख़िल होते वक़्त दुआ पढ़ने का बयान

771. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) का बयान है, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मस्जिद में दाख़िल होते, तो ये

दुआ पढ़ते, **बिस्मिल्लाहि अस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मग़्फ़िरली ज़ुनुबी वफ़्तहलि अब्वाब रहमतिक** (अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद में दाख़िल होता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलामती हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे लिये अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे) और जब बाहर तशरीफ़ लाते तो फ़र्माते, **बिस्मिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अल्लाहुम्मग़्फ़िरली ज़ुनुबी वफ़्तहलि अब्वाब फ़ज़्लिक** (अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद से बाहर होता हूँ और अल्लाह के रसूल पर सलामती हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह बख़्श दे और मेरे लिये अपने फ़ज़्ल के दरवाज़े खोल दे)। **(तिर्मिज़ी-314)**

772. हज़रत हुमैद साएदी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई मस्जिद में दाख़िल हो तो पहले नबी (ﷺ) पर सलाम भेजे, उसके बाद ये दुआ पढ़े, **अल्लाहुम्मफ़्तहलि अब्वाब रहमति-क.** (ऐ अल्लाह! मेरे लिये रहमत के दरवाज़े खोल दे) और जिस वक़्त मस्जिद से बाहर निकले तो ये पढ़े, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक मिन फ़ज़्लिक** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे तेरे फ़ज़्ल का सवाल करता हूँ)। **(मुस्लिम-713)**

773. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो तो पहले नबी (ﷺ) पर सलाम भेजे, उसके बाद कहे **अल्लाहुम्मफ़्तहलि अब्वाब रहमति-क.** और जब बाहर निकले तो सलाम के बाद ये कहे, **अल्लाहुम्म अऊज़ुबिक मिनश्शैतानिर्रजीम**।

नमाज़ के लिये जाने के सवाब का बयान

774. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से कोई शख़्स अच्छे तरीक़े से वुज़ू करके नमाज़ के लिये सिर्फ़ नमाज़ ही के ख़्याल से मस्जिद की तरफ़ जाता है तो उसके हर क़दम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक दर्जा जन्नत में बुलन्द किया जाता है। यहाँ तक कि मस्जिद में पहुँच जाये और जब तक मस्जिद की वजह से रहेगा उस वक़्त तक नमाज़ ही में उसका शुमार होगा।

775. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम नमाज़ के लिये आओ और जमाअत खड़ी हुई देखो तो दौड़ो नहीं बल्कि निहायत आराम के साथ जैसे तुम्हारे चलने की आदत है उसी तरीक़े से चलो। जो रकअत मिल जाये पढ़ लो और जो छूट जाए उसको बाद में पूरा करो। **(मुस्लिम-602)**

776. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको ऐसी बात बतलाता हूँ, जिससे गुनाह माफ़ हो और नेकियाँ ज़्यादा हो। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़र्माइये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मजबूरियों के होते हुए भी कामिल तौर पर वुज़ू करना। जो मस्जिद दूर हो उसमें नमाज़ के लिये जाना, एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इन्तज़ार करना। **(मुस्नद अहमद)**

777. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, जिस शख़्स को ये आरज़ू है कि कल इस्लाम और ईमान की हालत में अल्लाह तआला से उसकी मुलाक़ात हो तो उसको पाँचों नमाज़ों की निहायत हिफ़ाज़त करना चाहिये। जहाँ अज़ान सुने वहीं पहुँचे। ये तरीक़ा सुनने हुदा से है और अल्लाह तआला ने तुम्हारे नबी के लिये सुनने हुदा को मुक़र्रर फ़र्माया है। और मेरी ज़िन्दगी की क़सम! अगर तुम में से हर एक शख़्स अपने-अपने मकानों में नमाज़ पढ़ने लगे तो वो अपने नबी की सुन्नत को छोड़ने वाला होगा और जो नबी की सुन्नत को तर्क करने वाला होगा वो गुमराह होगा और हमको ये मालूम हो गया है कि नमाज़ से वही शख़्स पीछे रह जाता है जिसका निफ़ाक़ ज़ाहिर हो। मैंने ऐसे शख़्स को जमाअत के लिये देखा

है जो दो शख़्सों के कंधों पर हाथ रखे हुए काँपता हुआ आता था। जो शख़्स अच्छे तरीक़े से वुज़ू करके नमाज़ के लिये जाता है उसके हर क़दम के एवज़ एक गुनाह मिटा दिया जाता है और एक नेकी लिखी जाती है। **(मुस्नद अहमद)**

778. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मकान से नमाज़ के लिये ये दुआ पढ़ता हुआ निकलेगा, **अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक बिहक़्क़िसाइलीन अलैक व अस्अलुक बिहक़्क़िन ममशाय हाज़ा फ़इन्नी लम अख़रुज अशरन व ला बतरन व ला रियाअन वला सुमअतन व खरज्तुत्तिक़ाअ सुख़्तिक वब्तिगाअ मरजातिक फस्अलु-क अन तुईजनी मिनन्नार व अनतग़्फ़िर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्ता अक़्बलल्लाहु बिवज्हिही वस्तग़्फ़र लहू सब्अ मलकिन.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ, माँगने वाले के तुझ पर हक़ की वजह से, और मैं (नमाज़ के लिये) अपने इस चलने के वसीले से तुझसे सवाल करता हूँ, मैं न फ़ख़्र के लिये, न शोहरत के लिये, मैं तो तेरी नाराज़ी से बचने के लिये और तेरी रज़ामन्दी हासिल करने के लिये निकलता हूँ, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मुझे जहन्नम से पनाह दे दे और मेरे गुनाह माफ़ फ़र्मा दे, तेरे सिवा गुनाहों को यक़ीनन कोई नहीं बख़्श सकता)। अल्लाह तआला उसकी तरफ़ तवज्जोह फ़र्माएगा और सत्तर हज़ार फ़रिश्ते उसके लिये इस्तिग़्फ़ार करेंगे।

779. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो लोग अंधेरी रात में मस्जिद के लिये जाते हैं, वो अल्लाह की रहमत में ग़ोता लगाते हैं।

780. हज़रत सहल इब्ने सअद अस्साएदी (रज़ि.) कहते हैं, जो लोग अंधेरी रात में मस्जिदों की तरफ़ जाते हैं उनको ख़ुश होना चाहिये क्योंकि क़यामत के दिन उनको कामिल नूर अता किया जायेगा।

781. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो लोग अंधेरे में मस्जिदों के लिये जाते हैं, उनको ये ख़ुशख़बरी सुना दो कि क़यामत के दिन उनको कामिल नूर इनायत किया जायेगा।

जो शख़्स मस्जिद से ज़्यादा दूर होगा उसको उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा

782. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जो शख़्स मस्जिद से जितना ज़्यादा दूर होगा उसको उतना ही सवाब अता किया जायेगा। **(अबू दाऊद-556)**

783. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) कहते हैं, एक अन्सारी शख़्स का मकान मस्जिदे नबवी से बहुत दूर था क्योंकि मदीने के अतराफ़ में रहा करता था। लेकिन उसकी नमाज़ें जमाअत हुज़ूर (ﷺ) के साथ क़ज़ा न होतीं। मुझको उस शख़्स पर गर्मी और धूप वग़ैरह की शिद्दत की वजह से रहम आया। मैंने कहा, अगर तुम एक खच्चर ख़रीद लेते तो बेहतर होता। क्योंकि उन तमाम तक्लीफ़ों से तुमको पनाह मिल जाती. उसने कहा, अल्लाह की क़सम! मुझको इससे ज़्यादा महबूब कोई बात नहीं है कि मेरा मकान हुज़ूर (ﷺ) के क़रीब में हो। लेकिन मुझको इतनी दूर आने-जाने से सवाब की ज़्यादती मकसूद है। अलग़र्ज़ मैं उनको लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से वाक़िआ अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको बुलाकर वाक़िआ दरयाफ़्त किया। उसने पूरा सबकुछ बयान कर दिया और अर्ज़ किया कि मुझको इतनी दूर आने से सवाब की ज़्यादती मकसूद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ अगर तुम्हारा ऐसा ख़याल है तो उसके मुताबिक़ ही होगा। इंशाअल्लाह! **(मुस्लिम-663)**

784. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, बनू सलमा ने ये ख़याल किया कि क़रीब में आकर रहने

लगें और मकानात को जो मस्जिद से दूर हैं उनको छोड़ दें। जब ये ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को मालूम हुई तो उस पर नाराज़गी का इज़हार फ़र्माते हुए बनू सलमा से फ़र्माया, क्या इतनी दूर आने से जो तुमको सवाब मिलता है उसकी तुमको आरज़ू नहीं है? ये सुनकर उन लोगों ने वहीं रहना मन्ज़ूर कर लिया। **(बुख़ारी-655, 656, 18)**

785. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि अंसार के मकानात मस्जिदे नबवी से बहुत दूर थे। अन्सार का ये इरादा हुआ कि मस्जिद के क़रीब मकानों में आकर रहने लगें। उसके मुताल्लिक़ ये आयत नाज़िल हुई, **जो कुछ उन्होंने आगे भेजा, हम वो भी लिख लेते हैं और उनके निशानात भी लिखते हैं.** इस आयत के नाज़िल होने पर उन लोगों ने अपना इरादा बदल दिया और अपने मकानों में ही रहने लगे।

बाजमाअत नमाज़ की फ़ज़ीलत

786. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तन्हा नमाज़ पढ़ने से ख़्वाह मकान हो या बाज़ार में जमाअत की नमाज़ पच्चीस मर्तबा ज़्यादा फ़ज़ीलत रखती है। **(बुख़ारी-477, मुस्लिम-649)**

787. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, तन्हा नमाज़ से जमाअत की नमाज़ में पच्चीस दर्जा ज़्यादा फ़ज़ीलत हासिल होती है। **(बुख़ारी-4717, मुस्लिम-649)**

788. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअत की नमाज़ में तन्हा नमाज़ से पच्चीस हिस्सा ज़्यादा सवाब होता है। **(अबू दाऊद-560)**

789. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने में तन्हा नमाज़ पढ़ने से सत्ताईस हिस्सा ज़्यादा फ़ज़ीलत होती है। **(मुस्लिम-650)**

790. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जमाअत के साथ नमाज़ में तन्हा नमाज़ से चौबीस या पच्चीस हिस्सा ज़्यादा सवाब है। **(अबू दाऊद-554)**

जमाअत में शिरकत न करने की बुराई

791. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा ख़्याल ये हुआ है कि मैं एक शख़्स को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ और ख़ुद कुछ लोगों को साथ लेकर जिनके हाथों में लकड़ियाँ हों, उनके मकानों को आग लगा दूँ जो नमाज़ में शिरकत नहीं करते हैं। **(अबू दाऊद-548, मुस्लिम-751)**

792. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूँकि मैं ज़ईफ़, बूढ़ा और नाबीना आदमी हूँ। कोई शख़्स ऐसा नहीं जो मुझको मस्जिद तक पहुँचाया करे। इस वजह से अगर आपकी इजाज़त हो तो अपने मकान में ही नमाज़ पढ़ लिया करूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये बतलाओ कि अज़ान की आवाज़ तुम्हारे कानों तक आती है या नहीं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, आती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो तुम्हारे लिये मकान में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। **(अबू दाऊद-552)**

793. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अज़ान सुने और और फिर नमाज़ के लिये मस्जिद में न आये उसकी नमाज़ ही नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई (शरई) उज़्र मौजूद हो तो इजाज़त है। **(इब्ने हिब्बान-426)**

794. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लोग जमाअत को छोड़ने से बाज़ रहें तो अच्छा है वरना अल्लाह तआला उनके दिलों पर मुहर लगा देगा। और बिल्कुल (उमूरे दीन से) ग़ाफ़िल हो जाएँगे और ग़ाफ़िलीन में उनका शुमार होगा। **(मुस्लिम-865)**

795. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग जमाअत छोड़ने से बाज़ रहें, वरना मैं उनके मकानों को आग लगा दूँगा।

फ़ज्र और इशा की नमाज़ बाजमाअत पढ़ने का बयान

796. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया अगर लोगों को इशा की नमाज़ का सवाब और फ़ज़ीलत मालूम हो जाये तो घुटनों के बल घिसटते हुए भी नमाज़ के लिये आएँगे।

797. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, तमाम नमाज़ों से ज़्यादा जो नमाज़ें मुनाफ़िक़ीन पर भारी होती है वो इशा और फ़ज्र की नमाज़ें हैं। लेकिन अगर इन दोनों की फ़ज़ीलत मालूम हो तो घुटनों के बल घिसट कर भी नमाज़ के लिये आएँ। **(मुस्लिम-651)**

798. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर इंसान चालीस दिन तक फ़ज्र से इशा तक की पाँचों नमाज़ें जमाअत के साथ इस तरह पढ़े कि उसकी तकबीरे तहरीमा फ़ौत न हो तो उसके लिये अल्लाह तआला दोज़ख़ की आग से आज़ादी तहरीर फ़र्मा देता है। **(बुख़ारी-477)**

मस्जिद में नमाज़ का इंतज़ार करते हुए बैठे रहना

799. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई शख़्स मस्जिद में जाता है तो जब तक नमाज़ का इंतज़ार करता है उस वक़्त तक उसको नमाज़ों में शुमार किया जाता है और जब तक नमाज़ के बाद उसी मक़ाम पर बैठा रहता है, फ़रिश्ते उसके लिये तौबा, इस्तिग़फ़ार और रहमत की दुआएँ करते हैं और अर्ज़ करते हैं, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरलहु अल्लाहुम्मरहम्हू अल्लाहुम्मा तुब अलैहि.** (ऐ अल्लाह! इसकी मग़्फ़िरत फ़र्मा, ऐ अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा, ऐ अल्लाह! इसकी तौबा क़ुबूल फ़र्मा)। बशर्ते कि उस मक़ाम पर बातचीत न करे और किसी को ज़बान से तक्लीफ़ न पहुँचाये।

800. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक बन्दा मस्जिद में रहकर अल्लाह को याद करता रहता है उस वक़्त तक अल्लाह तआला उसकी इज़्ज़त करता है और उसको अपने साथ मानूस करता रहता है, जिस तरह कोई एक लम्बी मुद्दत के बाद आये और उसके रिश्तेदार उससे ख़ुश होकर उसकी तअज़ीम और तकरीम करते हैं।

801. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा की और नमाज़ के बाद जो लोग बाहर आने वाले थे आ गये जो बैठने वाले थे बैठे रहे। कुछ देर के बाद हुज़ूर (ﷺ) इस जल्दी के साथ घबराये हुए उठे कि मजबूरन घुटनों के बल बैठ गये और फ़र्मायाँ, देखो! इस वक़्त तुम्हारे रब ने आसमान का दरवाज़ा खोला है और फ़रिश्ते तुम पर फ़ख़्र कर रहे हैं और अल्लाह तआला फ़र्माता है कि देखो मेरे उन बन्दों को एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। **(मुस्नद अहमद)**

802. हज़रत **अबू सईद (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम किसी शख़्स को देखो कि मस्जिद को आबाद करता है तो उसके ईमान की गवाही के लिये तैयार हो जाओ क्योंकि अल्लाह तआला फ़र्माता है कि अल्लाह की मस्जिदों को वही आबाद करेगा जो अल्लाह तआला पर ईमान लायेगा। **(तिर्मिज़ी-3093)**

इक़ामते नमाज़ और नमाज़ की सुन्नतों का बयान

803. हज़रत अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब नमाज़ शुरू करो तो **अल्लाहु अकबर** कहा करो और क़िब्ला की तरफ़ रुख़ कर लो। **(बैहक़ी, इब्ने हिब्बान-442)**

804. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ की इब्तिदा में ये पढ़ें, **सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाह ग़ैरुक। (अबू दाऊद-775)**

805. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, तकबीरे तहरीमा के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) कुछ देर ख़ामोश रहा करते। एक दिन मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान हों। मैं देखता हूँ कि तकबीर के बाद आप कुछ देर ख़ामोश रहते हैं। उस वक़्त आप क्या पढ़ते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ पढ़ता हूँ, **अल्लाहुम्म बाइद बयनि व बयना ख़तायाय कमा बअद्त बयनल मश्रिकी वल्मग़्रिबि अल्लाहुम्म नक़्क़िनी मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़स सौबुल्अब्यज़ु मिनद्दनस. अल्लाहुमग़्सिल ख़तायाय बिल्माइ वस्सल्जि वल्बरद.**
(बुख़ारी-744, मुस्लिम-598)

806. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब रसूले अकरम (ﷺ) नमाज़ शुरू करते तो ये दुआ पढ़ते, **सुब्हानकल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारकस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाह ग़ैरुक. (तिर्मिज़ी-243)**

नमाज़ में अऊज़ुबिल्लाह पढ़ने का बयान

807. हज़रत इब्ने जुबैर इब्ने मुत्इम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को देखा कि आप (ﷺ) ने नमाज़ शुरू फ़र्माई तो तीन मर्तबा पढ़ा, **अल्लाहु अकबर** फिर तीन मर्तबा **अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा** फिर तीन मर्तबा **सुब्हानल्लाहि बुक्रतवं व असीला**। इसके बाद ये दुआ पढ़ी, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनश्शैतानिर्रजीम वहम्ज़िहि व नफ़्ख़िही व नफ़्सिह**। (रावी कहते हैं) हम्ज़ह से मुराद मौत है नफ़्स से मुराद ख़िलाफ़े शरअ शऊर है और नफ़्ख़ से मुराद तकब्बुर है। **(अबू दाऊद-764)**

808. हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माया करते, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिक मिनश्शैतानिर्रजीम वहम्ज़िहि व नफ़्ख़िही व नफ़्सिह**। (रावी कहते हैं) हम्ज़ह से मुराद मौत है नफ़्स से मुराद ख़िलाफ़े शरअ शऊर है और नफ़्ख़ से मुराद तकब्बुर है।

नमाज़ में दाहिने हाथ को बायें हाथ पर रखने का बयान

809. हज़रत क़ुबैसा इब्ने हुल्ब (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) हमारी इमामत फ़र्माया करते और नमाज़ में दाहिने हाथ से बायें हाथ को पकड़ लिया करते थे। **(तिर्मिज़ी-252)**

810. हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को नमाज़ पढ़ते

देखा, आपने दाहिने हाथ से बाएँ हाथ को पकड़ लिया। **(अबू दाऊद-726, तिर्मिज़ी-292)**

811. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मैं नमाज़ में मशगूल था। उधर से नबी करीम (ﷺ) का गुज़रना हुआ तो आपने देखा कि मैं बायें हाथ को दाहिने हाथ पर रखे हुए हूँ तो हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे दाहिने हाथ को पकड़कर बायें हाथ के ऊपर रख दिया। **(अबू दाऊद-755)**

नमाज़ में क़िरअत कहाँ से शुरू की जाये

812. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ में **अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन** से इब्तिदा फ़र्माया करते। **(मुस्लिम-498)**

813. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ में **अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन** से क़िरअत शुरू फ़र्माया करते थे।
(बुख़ारी-743, मुस्लिम-399)

814. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान था कि नबी करीम (ﷺ) **अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन** से क़िरअत की इब्तिदा फ़र्माया करते।

815. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं, इस्लाम में नई बात पैदा करने वाले को बुरा जानने वाला मेरे वालिद से ज़्यादा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मैं नमाज़ में **बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम** पढ़ रहा था। उन्होंने सुनकर फ़र्माया, मेरे बेटे! इस्लाम में नई बात पैदा करने से निहायत परहेज़ करो। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ), हज़रत अबूबक्र (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.) व उस्मान (रज़ि.) के साथ नमाज़ पढ़ी, लेकिन किसी को नमाज़ में बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करते हुए न सुना। लिहाज़ा जब तुम क़िरअत शुरू किया करो तो **अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन** पढ़ा करो।
(तिर्मिज़ी-244, मुस्नद अहमद)

फ़ज्र की नमाज़ में क़िरअत पढ़ने का बयान

816. हज़रत कुतैबा इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़बूल (ﷺ) को फज्र की नमाज़ में ये पढ़ते हुए सुना, **वन्नख्लु बासिकातिल लहा तल्उन नज़ीद**। **(मुस्लिम-457)**

817. हज़रत उमर इब्ने हुरैस (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को फ़ज्र की नमाज़ में ये सूरत पढ़ते हुए सुना, **फ़ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद.** आपकी आवाज़ अब तक मेरे कानों में गूँज रही है। **(अबू दाऊद-817)**

818. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ में साठ आयतों वाली सूरत से लेकर सौ आयतों वाली सूरत तक तिलावत फ़र्माया करते थे। **(मुस्लिम-461)**

819. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा की। फ़ज्र की नमाज़ में आपने पहली रकअत को लम्बी की और दूसरी रकअत को छोटा करके पढ़ा। इसी तरह आपने ज़ुहर की नमाज़ में किया।
(मुस्लिम-451)

820. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने साइब (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ में सूरह मोमिन पढ़ी,

जब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का ज़िक्र आया तो आपको खाँसी उठी, वहीं आपने रुकूअ़ फ़र्मा लिया।

जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ में तिलावत करने का अंदाज़ा

821. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि जुम्आ के दिन सुबह की नमाज़ में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) **अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील** और **हल अता अ़लल इंसान** तिलावत फ़र्माया करते। **(मुस्लिम-879)**

822. हज़रत मुस्अ़ब इब्ने सअ़द (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ में **अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील** और **हल अता अ़लल इंसान** तिलावत फ़र्माया करते।

823. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) जुम्आ के दिन फ़ज्र की नमाज़ में **अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील** और **हल अता अ़लल इंसान** तिलावत फ़र्माया करते। **(बुख़ारी-891)**

824. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन सुबह की नमाज़ में **अलिफ़ लाम मीम तन्ज़ील** और **हल अता अ़लल इंसान** तिलावत फ़र्माया करते थे।

जुहर और अ़स्र की नमाज़ में क़ुर्आन की तिलावत करने का अंदाज़ा

825. हज़रत क़ुरैज़ा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़ की कैफ़ियत दरयाफ़्त की। आप कहने लगे कि उससे तुमको कुछ फ़ायदा नहीं, सवाल करने से क्या नतीजा है। मैंने कहा, मेहरबानी फ़र्माकर आप बयान कीजिये, अल्लाह तआ़ला आप पर रहम फ़र्माए। अबू सईद (रज़ि.) कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ) की जुहर की नमाज़ इस तरह होती कि अगर हम में से कोई (मक़ामे) बक़ीअ़ को क़ज़ा-ए-हाजत के लिये जाता और फ़राग़त के बाद वुज़ू करके शरीक होता तो आपकी पहली ही रकअ़त होती। **(मुस्लिम-454)**

826. हज़रत अबू मअ़मर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि तुम लोग जुहर और अ़स्र की नमाज़ में हुज़ूर (ﷺ) की क़िरअत का अंदाज़ा किस तरह कर लिया करते थे। क्योंकि इन नमाज़ों में क़ुर्आन बिल जहर तिलावत नहीं किया जाता है। उन्होंने फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) की दाढ़ी मुबारक की हरकत से मालूम हो जाता। **(बुख़ारी-746, 760,761)**

827. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने फ़लाँ शख़्स से ज़्यादा किसी की नमाज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की नमाज़ से इतनी मुशाबा (मिलती-जुलती) नहीं देखी। हज़रत सलमान बिन यसार (रह.) फ़र्माते हैं, वो साहब जुहर की पहली दो रकअ़तों में लम्बी क़िरअत करते और आख़िरी दो रकअ़तों में मुख़्तसर क़िरअत करते और अ़स्र की नमाज़ (जुहर के मुक़ाबले में) हल्की पढ़ाते थे। **(नसाई-983)**

828. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, तीन बद्री शख़्स इकट्ठे होकर आपस में कहने लगे कि आओ! आपस में हुज़ूर (ﷺ) की क़िरअत का अंदाज़ा लगाएँ। उनमें से किसी में भी इख़्तिलाफ़ नहीं हुआ (और उन्होंने बिलइत्तिफ़ाक़ फ़ैसला दिया) उनका अंदाज़ा ये था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िरअत जुहर की पहली रकअ़त में तीन आयतों के बराबर होती थी और दूसरी रकअ़त में उससे आधी और अ़स्र की नमाज़ के बारे में उनका अंदाज़ा ये था कि वो जुहर की आख़िरी रकअ़तों से आधी होती थी।

ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में कभी-कभी किसी आयत का बिल जहर सुनाई देने का बयान

829. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबू क़तादा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि अक्सर मर्तबा हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी। उसमें कभी-कभी हमको कोई आयत बिल जहर सुनाई दिया करती थी। **(बुख़ारी-762, 779)**

830. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) का बयान है, हमको हुज़ूर (ﷺ) के साथ ज़ुहर की नमाज़ में अक्सर सूरह लुक़मान और सूरह ज़ारियात की कुछ-कुछ आयतें सुनाई दिया करती थी। **(नसाई-972)**

मग़रिब की नमाज़ में क़िरअत का अंदाज़ा करने का बयान

831. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) अपनी वालिदा हज़रत लुबाबा (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को मग़रिब की नमाज़ में **वल मुर्सलाति अरफ़ा** पढ़ते सुना है। **(बुख़ारी-763, 4429)**

832. हज़रत जुबैर इब्ने मुत्इम (रज़ि.) से रिवायत है, मैंने नबी करीम (ﷺ) को मग़रिब की नमाज़ में सूरह तूर पढ़ते हुए सुना। जुबैर (रज़ि.) इस हदीस के अलावा दूसरी हदीस में बयान करते हैं, जब मैंने हुज़ूर (ﷺ) को आयत **अम ख़ुलिक़ु मिन ग़ैरि शैइन अम हुमुल ख़ालिक़ून** पढ़ते हुए सुना तो क़रीब था कि मेरा दिल निकल जाये। **(बुख़ारी-4854)**

833. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) मग़रिब की नमाज़ में सूरह काफ़िरून और सूरह इख़्लास तिलावत फ़र्माया करते थे।

इशा की नमाज़ में कुर्आन पढ़ने का अंदाज़ा

834. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) के साथ इशा की नमाज़ पढ़ी तो आपने **वत्तीन वज़्ज़ैतून** पढ़ी। **(बुख़ारी)**

835. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) की इस हदीस का भी यही मज़्मून है, सिर्फ़ इतना फ़र्क़ है कि आपसे ज़्यादा ख़ुश आवाज़ आज तक मैंने किसी को न पाया। **(बुख़ारी-744, मुस्लिम-598)**

836. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) ने अपनी क़ौम को इशा की नमाज़ में लम्बी सूरतें पढ़ाई। हुज़ूर (ﷺ) को मालूम हुआ तो आपने फ़र्माया, **सब्बिहिस्म रब्बिकल आला** और **वल्लैल इज़ा यग़शा** और **इक़रा बिस्मिरब्बिक** सूरतें पढ़ा करो। **(तिर्मिज़ी-243)**

इमाम के पीछे कुर्आन पढ़ने का बयान

837. हज़रत उबैदा इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सूरह फ़ातिहा न पढ़ेगा उसकी नमाज़ ही न होगी। **(अबू दाऊद-764)**

898. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ेगा

उसकी नमाज़ कामिल न होगी बल्कि नाक़िस होगी। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से बाद के रावी कहते हैं, मैंने अबू हुरैरह (रज़ि.) से कहा कि जब हम इमाम के पीछे हों तो? हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा कि दिल में पढ़ा करो।

839. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हर रकअत में सूरह फ़ातिहा फ़र्ज़ या ग़ैर फ़र्ज़ और दूसरी सूरत उसके साथ मिलाकर नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज़ न होगी।

840. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वो नाक़िस है। **(मुस्नद अहमद)**

841. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाएगी वो नाक़िस है, नाक़िस है। **(मुस्नद अहमद)**

842. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) से किसी शख़्स ने दरयाफ़्त किया, जब इमाम पढ़ता हो तो मैं भी पढ़ूँ? उन्होंने कहा कि एक शख़्स ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से सवाल किया कि हर नमाज़ में क़ुर्आन पढ़ना चाहिये? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें से किसी ने हुज़ूर का फ़र्मान सुनकर कहा कि ये वाजिब हो गई। **(बैहक़ी)**

843. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हम ज़ुहर और अस्र की नमाज़ में इमाम के पीछे पहली रकअतों में फ़ातिहा और सूरह दोनों पढ़ा करते और दूसरी रकअतों में सिर्फ़ सूरह फ़ातिहा पढ़ा करते। **(बैहक़ी)**

नमाज़ में इमाम के ख़ामोश रहने के मक़ामात का बयान

844. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) का दो मक़ामों पर ख़ामोश रहना मुझको याद है। लेकिन हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) ने सुनकर उसका इंकार किया। इस वजह से इस हदीस को मदीना को हज़रत उबय इब्ने कअब की ख़िदमत में तहरीर करके रवाना किया। उन्होंने तहरीर फ़र्माया कि हाँ समुरह ने सही याद रखा है। अलग़र्ज़ हज़रत सईद (रज़ि.) ने क़तादा से दरयाफ़्त किया। वो कौनसे मक़ाम हैं? उन्होंने कहा कि नमाज़ शुरू करने के बाद (कुछ अर्सा ख़ामोशी फ़र्माते) और जब **ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन** ख़त्म करते। रावी कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) के सकूत के बाद क़िरअत से लोगों को निहायत तअज्जुब हुआ करता। हुज़ूर (ﷺ) इस ख़ामोशी में साँस को मुज्तमा फ़र्मा लिया करते। **(अबू दाऊद-799, 780, तिर्मिज़ी-251)**

845. हज़रत हसन बयान करते हैं कि हज़रत समुरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, नमाज़ में दो मक़ाम पर ख़ामोश रहना मैंने याद किया है, एक क़िरअत से पहले और दूसरे रुकूअ के बाद लेकिन इमरान इब्ने हुसैन ने इस पर ऐतराज़ किया। लिहाज़ा ये हदीस मदीना में हज़रत उबय इब्ने कअब की ख़िदमत में तहरीर करके रवाना की तो उन्होंने हज़रत समुरह (रज़ि.) की तस्दीक़ की।

जब इमाम पढ़े तो उस वक़्त ख़ामोश रहना चाहिये

846. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम इसलिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी इक़्तिदा की जाये। जब इमाम तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो और जब वो पढ़े तो तुम चुप रहो, जब वो कहे, **ग़ैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ॉल्लीन** तो तुम कहो, आमीन। जब वो रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो। जब वो कहे **समिअ अल्लाहुलिमन हमीदह** तो तुम कहो, **रब्बना लकल हम्द**। वो सज्दा करे तो तुम सज्दा करो और जब

वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। **(अबू दाऊद-604)**

847. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इमाम पढ़े तो तुम ख़ामोशी के साथ सुनो। जब क़अदह का वक़्त हो तो तशह्हुद से शुरू करो। **(मुस्लिम-404)**

848. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने सुबह की नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ के बाद इर्शाद फ़र्माया, क्या तुम में किसी ने मेरे पीछे क़ुर्आन पढ़ा है? एक शख़्स ने अर्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने पढ़ा था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जब ही मैं कह रहा था कि क्या वजह है कि मुझको पढ़ने में ग़लती हो रही है। **(अबू दाऊद-826, तिर्मिज़ी-312)**

849. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) दूसरी हदीस भी ऐसी ही नक़ल करते हैं लेकिन इसमें इतना ज़्यादा बयान किया है कि जिस वक़्त इमाम जहर के साथ पढ़े तो ख़ामोश रहकर सुनो।

850. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ में जिस का इमाम है तो इमाम की क़िरअत ही उसकी क़िरअत है। **(दार कुत्नी)**

जहर के साथ आमीन कहने का बयान

851. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब क़ारी आमीन कहे तो तुम भी उसकी मुवाफ़िक़त के लिये आमीन कहो। क्योंकि उस वक़्त फ़रिश्ते भी आमीन कहते हैं और जिस शख़्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन की तरह हो जायेगी उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जायेंगे। **(बुख़ारी-6402)**

852. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। जिस शख़्स की आमीन फ़रिश्तों की आमीन के साथ होगी, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। **(बुख़ारी-780, मुस्लिम-410)**

853. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने आमीन बिल जहर को छोड़ दिया है। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) जिस वक़्त **वलज़्ज़ॉल्लीन** फ़र्माकर आमीन कहते तो आख़िरी सफ़ तक के लोग सुनते और तमाम मुक़्तदियों की आवाज़ से मस्जिद गूँज जाती। **(अबू दाऊद-934)**

854. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) **वलज़्ज़ॉल्लीन** कहते तो उसके बाद आमीन फ़र्माया करते।

855. हज़रत अब्दुल जब्बार इब्ने वाइल अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) के साथ हमने भी नमाज़ पढ़ी। जब आप (ﷺ) **वलज़्ज़ॉल्लीन** कह चुके तो उसके बाद आमीन इतनी आवाज़ से फ़र्माई कि हमने बख़ूबी सुनी।

856. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूदियों को जितना तुम्हारे सलाम और आमीन पर रश्क व हसद होता है, इतना किसी और चीज़ पर हसद नहीं होता। **(बुख़ारी-988)**

857. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क्योंकि यहूदियों को तुम्हारी आमीन कहने से बहुत हसद होता है, लिहाज़ा जहाँ तक तुमसे हो सके आमीन कसरत से कहा करो।

रफ़अ-उल-यदैन का बयान

858. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने देखा कि जब नबी करीम (ﷺ) तकबीरे तहरीमा फ़र्माते तो कानों तक हाथ ले जाते और जब रुकूअ में तशरीफ़ ले जाते तो कानों तक हाथ उठाते। इस तरह से रुकूअ से उठते वक़्त करते। **(मुस्लिम-390)**

859. हज़रत मालिक इब्ने हुवैरिस (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) तक्बीरे तहरीमा फ़र्माते तो कानों तक हाथ उठाते और जब रुकूअ में तशरीफ़ ले जाते तो कानों तक हाथ उठाते। इसी तरह रुकूअ से उठते वक़्त करते। **(मुस्लिम-390)**

860. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को तकबीरे तहरीमा के वक़्त और रुकूअ और सज्दे के वक़्त तकबीरों में हाथ उठाते देखा है।

861. हज़रत अम्र बिन क़तादा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, रसूलुल्लाह फ़र्ज़ नमाज़ में हर तक्बीर के साथ रफ़ैअ-उल-यदैन करते थे।

862. हज़रत अबू हुमैद सनाअदी (रज़ि.) ने तक़रीबन दस सहाबा में जिनमें अबू कदाता, इब्ने रबीअ भी मौजूद थे, बयान किया कि मैं तुम सबसे ज़्यादा हुज़ूर (ﷺ) की कैफ़ियत जानने वाला हूँ। जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े होते तो बिल्कुल सीधे खड़े होते और तकबीरे तहरीमा में मूँढों तक हाथ उठाते और तकबीर फ़र्माते। फिर रुकूअ फ़र्माते तो दोनों हाथ उठाते। इसी तरह समिअ अल्लाहुलिमन हमिदह कह कर खड़े होते तो मूँढों तक हाथ ले जाते। फिर जब तीसरी रकअत के लिये खड़े होते तो मूँढों तक हाथ ले जाते, जैसा कि नमाज़ के शुरू करते वक़्त करते थे।

863. हज़रत अब्बास इब्ने सहल साएदी (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन अबू हुमैद, अबू सईद साएदी, सहल इब्ने सअद और मुहम्मद इब्ने सलमा इकट्ठा हुए। आपस में हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़ का ज़िक्र आया। अबू हुमैद कहने लगे मैं तुम सबसे ज़्यादा हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़ का जानने वाला हूँ। जिस वक़्त आप (ﷺ) तकबीरे तहरीमा फ़र्माते तो हाथ मुबारक उठाते। फिर जब रुकूअ में तशरीफ़ ले जाते तब भी उठाते और फिर रुकूअ से खड़े होते उस वक़्त भी उठाते और बिल्कुल सीधे होते। इस तरह की जिस्म का हर हिस्सा अपने मक़ाम पर दुरुस्त हो जाता। **(अबू दाऊद-734)**

864. हज़रत अली इब्ने अबू तालिब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ उठाते, उसके बाद रुकूअ में जाते वक़्त, फिर रुकूअ से उठते वक़्त। इसके बाद सज्दों से उठते वक़्त। **(अबू दाऊद-744)**

865. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हर रुकूअ और सज्दों की तकबीर के वक़्त हाथ उठाते।

866. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, जिस वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) नमाज़ शुरू फ़र्माते, उस वक़्त हाथ उठाते और जिस वक़्त रुकूअ करते उस वक़्त भी उठाते। यानी रफ़अउल यदैन करते।

867. हज़रत वाइल इब्ने हुज्र (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा मैंने अपने दिल से कहा कि मैं हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़ ज़रूर देखूँगा कि आप (ﷺ) किस तरह से नमाज़ अदा फ़र्माते हैं। अलग़र्ज़ जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के लिये क़िब्ला की तरफ़ रुख करके खड़े हुए तो तकबीरे तहरीमा कहते हुए आपने हाथ मुबारक उठाये, उसके बाद रुकूअ में जाते वक़्त और रुकूअ से सर उठाते वक़्त आपने रफ़अ-उल-यदैन किया। **(अबू दाऊद-726)**

868. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) तकबीरे तहरीमा और रुकूअ में जाते वक़्त और रुकूअ से उठते वक़्त हाथों को उठाया करते और ये फ़र्माया करते कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को भी इसी तरह करते देखा है। इस हदीस के रावी इब्राहीम

इब्ने तहमान ने अपने कानों तक हाथ उठाकर तरीक़ा बतलाया।

नमाज़ में किस तरह रुकूअ करना चाहिये

869. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) रुकूअ के वक़्त न अपना सर ज़्यादा पस्त करते न ज़्यादा ऊपर उठाते बल्कि बराबर रखते।

870. हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, वो नमाज़ सहीह तौर पर नहीं जिसमें आदमी रुकूअ और सज्दे के वक़्त अपनी कमर को बराबर न रखे। **(अबू दाऊद-855)**

871. हज़रत अली इब्ने शैबान (रज़ि.) कहते हैं कि जब हम मदीना पहुँचे और हमने हुज़ूर (ﷺ) से बैअत की तो आपके साथ नमाज़ पढ़ी। हुज़ूर (ﷺ) ने किन आँखों से एक शख़्स को देखा कि नमाज़ में अपनी कमर बराबर नहीं रखता था। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद फ़र्माया, मुसलमानों! जो शख़्स रुकूअ और सज्दे में अपनी कमर को बराबर नहीं रखता उसकी सही तौर पर नमाज़ नहीं होती। **(मुस्नद अहमद)**

872. हज़रत वाबसा इब्ने मुअीद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) रुकूअ में अपनी कमर मुबारक इस तरह सीधी रखते कि अगर पानी डाला जाये तो ठहर जाये।

नमाज़ में घुटनों पर हाथ रखने का बयान

873. हज़रत मुस्अब इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा मैं अपने वालिद के पास नमाज़ पढ़ रहा था। रुकूअ में मैंने अपने हाथों की तत्बीक की (यानी दोनों हाथों को आपस में मिलाकर घुटनों के दरम्यान में रखा) मेरे वालिद ने ये देखकर मेरे हाथों को झिड़क कर अलग करके फ़र्माया, हम लोग पहले यही करते थे लेकिन बाद में हाथों को घुटनों पर रखने का हुक्म हो गया था। **(बुख़ारी-790, मुस्लिम-535)**

874. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब हुज़ूर रुकूअ में तशरीफ़ ले जाते तो दोनों हाथों को घुटनों और बाज़ूओं को बग़लों से अलग रखते।

रुकूअ से सर उठाने के बाद क्या कहना चाहिये

875. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जब रुकूअ से सर उठाकर नबी करीम (ﷺ) **समिअ अल्लाहुलिमन हमिदह** फ़र्माते तो हम कहते, **रब्बना लकलहम्द**।

876. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) का फ़र्मान है कि जब इमाम **समिअ अल्लाहुलिमन हमिदह** कहे तो मुक़्तदी कहे, **रब्बना लकलहम्द**। **(बुख़ारी-805, मुस्लिम-411)**

877. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इमाम कहे **समिअ अल्लाहुलिमन हमिदह** तो तुम कहो, **रब्बना लकलहम्द**।

878. हज़रत इब्ने अबू औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ में रुकूअ से सर मुबारक उठाते तो यह फ़र्माते, **समिअल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द मलउस्समावाति वल्अर्ज़ि व मलअ मा शिअत मिन शैइन बअद.** (अल्लाह ने सुन ली जिसने भी उसकी तारीफ़ की, ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये सब तारीफ़ें हैं,

आसमानों और ज़मीन के भराव के बराबर और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू उसके बाद चाहे)।

(मुस्लिम-476)

879. हज़रत अबू हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्मा रहे थे। लोगों में सरवत और मालदारी का ज़िक्र होने लगा। एक ने कहा, फ़लाँ के पास ऊँट बहुत से हैं। दूसरे ने कहा, फ़लाँ के पास घोड़े बहुत ज़्यादा है। तीसरे ने कहा कि फ़लाँ के पास बकरियाँ बहुत ज़्यादा है। किसी ने कहा कि फ़लाँ के पास गुलाम बहुत है। जब हुज़ूर (ﷺ) तीन रकअतें अदा फ़र्मा चुके और आख़िरी रकअत के रुकूअ से खड़े हुए तो फ़र्माया, **अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मलउस्समावाति व मलउल अर्ज़ि व मिल्अ मा शिअत मिन शैइन बअद अल्लाहुम्मा ला मानिअ मिला आतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत वला यन्फ़उ ज़ल जद्दि मिन्कल जद्दु.** (अल्लाह ने सुन ली जिसने भी उसकी तारीफ़ की, ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरे ही लिये सब तारीफ़ें हैं, आसमानों और ज़मीन के भराव के बराबर और हर उस चीज़ के भराव के बराबर जो तू उसके बाद चाहे, ऐ अल्लाह! जो कुछ तू इनायत फ़र्माये, उसे कोई रोक नहीं सकता और जो कुछ तू रोक ले (और न देना चाहे) वो चीज़ कोई दे नहीं सकता और किसी मालदार की मालदारी उसे तुझसे (बचाने में) काम नहीं आ सकती)। आप (ﷺ) ने आख़िरी जुम्ला बुलन्द आवाज़ से कहा, ताकि लोग ख़ूब समझ लें कि जिस तरह उनका ख़्याल है ये सूरत नहीं। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-355)**

सज्दों का बयान

880. हज़रत मैमूना (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूर (ﷺ) सज्दे में तशरीफ़ ले जाते तो अपने हाथों को इस तरह कुशादा रखते कि अगर बकरी का बच्चा निकलना चाहता तो निकल जाता। **(मुस्लिम-496)**

881. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अरक़म ख़ुज़ाई (रज़ि.) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, एक मर्तबा हम मक़ामे नम्रा के ऊँचे मक़ाम पर अपने वालिद के साथ थे। इतने में एक काफ़िले ने आकर रास्ते की एक तरफ़ क़याम किया। मेरे वालिद ने मुझसे फ़र्माया, तू अपनी बकरी के बच्चे की हिफ़ाज़त कर मैं जाकर देखूँ कि ये कौन लोग हैं? अलग़र्ज़ वो चले गये और कहने लगे कि जब मैं क़रीब गया तो देखता हूँ कि हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ रखते हैं। अलग़र्ज़ नमाज़ का वक़्त क़रीब था। मैंने हुज़ूर (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा की। और हर रकअत में सज्दे के वक़्त देखा कि आपकी बग़लें नज़र आती थीं। अबूबक्र इब्ने शैबा (रज़ि.) कहते हैं कि बाज़ लोगों ने रावी का नाम इस तरह लिया है, उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह। **(तिर्मिज़ी-274)**

882. हज़रत वाइल इब्ने हुज्र (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को नमाज़ में देखा कि जब आप सज्दे में तशरीफ़ ले जाते तो हाथों से पहले घुटनों को ज़मीन पर रखते और जब सज्दे से उठते तो पहले हाथ उठा लेते।

(अबू दाऊद-838, तिर्मिज़ी-268)

883. हज़रत ताऊस (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने बयान किया, हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि मुझको सात अंगों पर सज्दा करने का हुक्म दिया गया है। **(बुख़ारी-815, 816, मुस्लिम-490)**

884. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको ये हुक्म है कि सात अंगों पर सज्दा करूँ और सज्दे में बालों को या कपड़ों को हाथ से न सम्भालो। इस हदीस के रावी हज़रत ताऊस (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे वालिद ने उन सात अंगों को इस तरह बयान किया है, दोनों हाथ, दोनों पाँव, दोनों घुटने और नाक व पेशानी (पेशानी नाक के साथ एक ही अंग में शुमार की जाती है) **(बुख़ारी-812, मुस्लिम-490)**

885. हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, जब इंसान सज्दा करता है तो उसके साथ सात अंग भी सज्दा करते हैं। चेहरा, दोनों हाथ, दोनों घुटने और पाँव। **(मुस्लिम-491)**

886. हज़रत अहमद (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूर (ﷺ) सज्दे में तशरीफ़ ले जाते तो हाथों को अपने पहलुओं से इतना दूर रखते कि हमको हुज़ूर की तक्लीफ़ का ख़्याल होता। **(अबू दाऊद-900)**

रुकूअ और सज्दों की तस्बीहात का बयान

887. हज़रत उक्बा इब्ने आमिर (रज़ि.) का बयान है कि जब **सब्बिहिस्म रब्बिकल अज़ीम** नाज़िल हुई तो रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग रुकूअ में भी पढ़ा करो। उसके बाद **सब्बिहिस्म रब्बिकल आला** नाज़िल हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये सज्दे में पढ़ा करो। **(अबू दाऊद-869)**

888. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) कहते हैं, जब रसूले करीम (ﷺ) रुकूअ फ़र्माते तो तीन मर्तबा **सुब्हान रब्बियल अज़ीम** पढ़ते और जब सज्दे में जाते तो तीन मर्तबा **सुब्हान रब्बियल आला** फ़र्माते।

889. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) रुकूअ और सज्दों में ये फ़र्माया करते, **सुब्हानकल्लाहुम्म वबिहम्दिक अल्लाहुम्मग़्फ़िरलि।** **(बुख़ारी-4968, मुस्लिम-484)**

890. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) फ़र्माते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से कोई शख़्स रुकूअ करे तो तीन मर्तबा **सुब्हान रब्बियल अज़ीम** (पाक है मेरा रब अज़्मतों वाला) कहे। जब तीन मर्तबा कह लिया तो उसका रुकूअ पूरा हो गया। और जब सज्दा करे तो तीन मर्तबा **सुब्हान रब्बियल आला** (पाक है मेरा रब सबसे बुलन्द) कहें। जब तीन मर्तबा उसने कह लिया तो बस उसका सज्दा पूरा हो गया और ये कम-से-कम मिक़्दार है। **(अबू दाऊद-886)**

सज्दे में कमर बराबर रखनी चाहिये

891. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सज्दे में बराबर रहना चाहिये। कुत्ते की तरह कलाइयाँ न बिछाएँ। **(तिर्मिज़ी-275)**

892. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सज्दे में ऐतदार से रहा करो, कुत्ते की तरह कलाइयाँ न बिछाया करो।

क़अदह का बयान

893. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब नबी करीम (ﷺ) रुकूअ से सीधे खड़े हो जाते तो सज्दे में तशरीफ़ ले जाते और इसी तरह जब दूसरे सज्दे में तशरीफ़ ले जाते तो ठीक बैठ जाते तब सज्दे में तशरीफ़ ले जाते और क़अदह में बायाँ पाँव बिछा लिया करते।

894. हज़रत अली (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मुझसे रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अली! दोनों सज्दों के दरम्यान कुत्ते की तरह न बैठा करो। **(तिर्मिज़ी-282)**

895. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अली! क़अदह में कुत्ते की तरह न बैठा करो।

896. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, मुझसे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अनस! जब सज्दे से उठकर बैठा करो तो कुत्ते की तरह न बैठा करो। बल्कि दोनों कुल्हों को दोनों पाँवों पर रखा करो और पाँव को ज़मीन से चिमटा लिया करो।

दोनों सज्दों के बीच में क्या पढ़ना चाहिये

897. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) दोनों सज्दों के दरम्यान में क़अदह करके ये फ़र्माया करते, **रब्बिग़्फ़िरलि! रब्बिग़्फ़िरलि** (ऐ मेरे रब! मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा, ऐ मेरे रब! मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा)।

(मुस्लिम-772)

898. हज़रत अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) रात की नमाज़ के क़अदह ऊला (पहले क़अदे में) ये फ़र्माया करते, **रब्बिग़्फ़िर्लि वरहम्नि वज्बुर्नी वर्ज़ुक्नी व अर्फ़अनी.** (ऐ मेरे रब! मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा, मुझ पर रहम कर, मेरे नुक़्स दूर फ़र्मा, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे बुलन्दी अता फ़र्मा)। **(अबू दाऊद-850)**

तशह्हुद में क्या पढ़ना चाहिये

899. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि जब हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा करते तो तशह्हुद में इस तरह कहा करते, बन्दों की तरफ़ से अल्लाह को सलाम, जिब्रईल को सलाम, फ़रिश्तों को सलाम, फ़लाँ-फ़लाँ फ़रिश्तों को सलाम। ये दुआ हुज़ूर (ﷺ) ने सुनी, आपने फ़र्माया, **अस्सलामु अलल्लाहि** (सलामती हो अल्लाह पर) न कहा करो, क्योंकि अल्लाह तआला ख़ुद ही सलाम है बल्कि इस तरह पढ़ा करो, **अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन.** (तमाम आदाब व तस्लीमात अल्लाह ही के लिये हैं और तमाम नमाज़ें और पाकीज़ा आमाल भी उसी के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी)। जब तुम ये कहोगे तो हर एक बन्दा जो आसमान और ज़मीन में है, हर एक पर ये सलाम पहुँच जायेगा। फिर ये कहो, **अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु.** (मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं)। **(बुख़ारी-831, 835, 6230)**

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने एक दूसरी रिवायत में भी ऊपर ज़िक्र हुई हदीस की मानिन्द बयान की है।

900. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) हमको तशह्हुद इस तरह तालीम फ़र्माते थे जिस तरह कुर्आन की कोई सूरह सिखाते थे। आप फ़र्माया करते, इस तरह कहा करो, **अत्तहिय्यातुल् मुबारकातुस्सलवातु त्तय्यिबातु लिल्लाहि. अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन. अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु.** (बरकतों वाले आदाब और पाकीज़ा इबादतें अल्लाह ही के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं)।

(मुस्लिम-403)

901. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा दिया और हमारे लिये हमारी सुन्नतें बयान फ़र्माईं और हमें नमाज़ की तालीम दी। (इसी दौरान में फ़र्माया) जब नमाज़ पढ़ो और क़अदह तक पहुँच जाओ तो तुम में से हर किसी को सबसे पहले यूँ कहना चाहिये, **अत्तहिय्यातुत्तय्यिबातुस्सलवातु लिल्लाहि. अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन. अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु.** (पाकीज़ा आदाब और इबादतें अल्लाह ही के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं)। ये साल जुम्ले नमाज़ का तहिय्या (अत्तहिय्यात) है।

902. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) हमको तशह्हुद इस तरह तालीम फ़र्माते, जिस तरह कुर्आन की आयत तालीम फ़र्माया करते। फ़र्माते, **बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन. अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु. अस्अलुल्लाहल्जन्न-त व अऊज़ुबिल्लाहि मिनन्नार.** (अल्लाह के नाम से, अल्लाह की तौफ़ीक़ से, ज़बानी इबादतें अल्लाह ही के लिये हैं, बदनी इबादतें और माली इबादतें अल्लाह ही के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी. मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं. मैं अल्लाह तआला से जन्नत का सवाल करता हूँ और जहन्नम से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ)। **(नसाई-1176)**

हुज़ूर (ﷺ) पर दुरूद पढ़ने का तरीक़ा

903. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, कि हमने अर्ज़ किया, या रसूल्लाह (ﷺ) आप पर सलाम भेजने का तरीक़ा तो हमको मालूम हो गया। लेकिन दुरूद किस तरह पढ़ा करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस तरह पढ़ा करो, **अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दि-क व रसूलि-क कमा सल्लै-त अला इब्राही-म व बारिक अला मुहम्मदिन (व अला आलि मुहम्मदिन) कमा बारक-त अला इब्राहीम.** (ऐ अल्लाह! अपने बन्दे और रसूल मुहम्मद (ﷺ) पर रहमत नाज़िल फ़र्मा जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर रहमत नाज़िल फ़र्माई। और मुहम्मद (ﷺ) पर और मुहम्मद (ﷺ) की आल पर बरकत नाज़िल फ़र्मा, जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर बरकत नाज़िल फ़र्माई। **(बुख़ारी-4797, 6358)**

904. हज़रत इब्ने अबू लैला (रह.) कहते हैं कि एक दिन कअब इब्ने अजज़ह (रज़ि.) से मेरी मुलाक़ात हुई तो उन्होंने फ़र्माया, क्या मैं तुम्हें एक तोहफ़ा न दूँ? (वो यह है कि) एक दिन हुज़ूर (ﷺ) बाहर लोगों में तशरीफ़ लाये। हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप पर सलाम भेजने का तरीक़ा तो हमको मालूम हो चुका लेकिन दुरूद किस तरह पढ़ा करें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिवँ व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला इब्राहीम इन्न-क हमीदुम् मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिवँ व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला इब्राहीम इन्न-क हमीदुम मजीद.** (ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर और मुहम्मद (ﷺ) की

आल पर रहमत नाज़िल फ़र्मा, जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर रहमत नाज़िल फ़र्माई, बेशक तू क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गियों वाला है. ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर और मुहम्मद (ﷺ) की आल पर बरकत नाज़िल फ़र्मा, जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर बरकत नाज़िल फ़र्माई, बेशक तू क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गियों वाला है)।

(बुख़ारी-6357, मुस्लिम-406)

905. हज़रत अबू हुमैद साएदी (रज़ि.) का बयान है, हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमको आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म है। तो किस तरीक़े से दरूद पढ़ा करें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया इस तरह पढ़ा करो, **अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिवँ व अज़्वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि कमा सल्लै-त अला इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिवँ व अज़्वाजिहि व ज़ुर्रियतिहि कमा बारक-त अला आले इब्राहीम फ़िल्आलमीन इन्न-क हमीदुम मजीद** (ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर, आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात पर और आपकी औलाद पर रहमत नाज़िल फ़र्मा जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर रहमत नाज़िल फ़र्माई और मुहम्मद (ﷺ) पर, आपकी अज़्वाजे मुतह्हरात पर और आपकी औलाद पर बरकत नाज़िल फ़र्मा जिस तरह तूने जहानों में इब्राहीम (अलैहि.) की आल पर बरकत नाज़िल फ़र्माई, बेशक तू क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गियों वाला है)। **(बुख़ारी-3369, मुस्लिम-407)**

906. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, तुम लोग नबी करीम (ﷺ) पर दरूद पढ़ो तो तुमको चाहिये कि उम्दा तौर पर दरूद पढ़ा करो। तुमको क्या मालूम है कि शायद वो हुज़ूर (ﷺ) के रूबरू पेश किया जाता हो। लोगों ने अर्ज़ किया, आप ही फ़र्माएँ कि किस तरीक़े से पढ़ा करें। हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि इस तरह पढ़ा करो, **अल्लाहुम्मज्अल सलात-क व रह्मत-क व बरकाति-क अला सय्यिदिल मुर्सलीन व इमामिल मुत्तक़ीन व ख़ातमिन्नबिय्यीन मुहम्मदिन अब्दि-क व रसूलिर्रह्मति इमामिल ख़ैरि व क़ाइदिल ख़ैरि व रसूलिर्रह्मति. अल्लाहुम्मा बअस्हु मक़ामम् महमूदन यग़्बितुहु बिहिल् अव्वलून वल्आख़िरून. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिवँ व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लै-त अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्न-क हमीदुम् मजीद. अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिवँ व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक-त अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्न-क हमीदुम मजीद.** (ऐ अल्लाह! अपने दुरूद, रहमत और बरकात नाज़िल फ़र्मा, रसूलों के सरदार, मुत्तक़ियों के इमाम, अम्बिया के ख़ातम हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर जो तेरे बन्दे, तेरे रसूल हैं, नेकी के इमाम, नेकी के रहबर और रहमत के रसूल हैं। ऐ अल्लाह उन्हें मक़ामे महमूद पर फ़ाइज़ फ़र्मा जहाँ पर पहले और पिछले (तमाम जिन्न और इन्सान) रश्क करेंगे। ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर और मुहम्मद (ﷺ) की आल पर रहमत नाज़िल फ़र्मा, जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर रहमत नाज़िल फ़र्माई, बेशक तू क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गियों वाला है. ऐ अल्लाह! मुहम्मद (ﷺ) पर और मुहम्मद (ﷺ) की आल पर बरकत नाज़िल फ़र्मा, जिस तरह तूने इब्राहीम (अलैहि.) पर बरकत नाज़िल फ़र्माई, बेशक तू क़ाबिले तारीफ़ और बुज़ुर्गियों वाला है)।

907. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने रबीआ (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुझ पर दरूद भेजता है। जो कुछ वो दरूद में कहता है वही फ़रिश्ते उस पर भेजते हैं। अब ये इंसान को इख़्तियार है कि मुझ पर दरूद कम पढ़े या ज़्यादा पढ़े।

908. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुझ पर दरूद पढ़ेगा वो जन्नत का रास्ता न भूलेगा। **(बैहक़ी)**

तशह्हुद और दुरूद के बाद क्या कहना चाहिये

909. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब आख़िरी क़अदह में तशह्हुद ख़त्म कर चुको तो चार चीज़ों से पनाह माँगो। अज़ाबे जहन्नम से, अज़ाबे क़ब्र से, मौत और हयात के फ़ित्ने से और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से। **(मुस्लिम-588)**

910. हज़रत अबू हरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दरयाफ़्त किया, तुम नमाज़ में क़अदह के वक़्त क्या पढ़ते हो? उसने अर्ज़ किया, तशह्हुद के बाद अल्लाह से जन्नत की ख़्वाहिश करता हूँ और अज़ाबे जहन्नम से पनाह माँगता हूँ। लेकिन अल्लाह की क़सम! आपके और हज़रत मुआज़ के गुनगुनाने को मैं क़त्अन समझ नहीं पाता। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हम भी अपनी गुनगुनाहट में यही कुछ कहते हैं। **(अबू दाऊद-792)**

तशह्हुद में अंगुली से इशारा करने का बयान

911. हज़रत ख़ुज़ाअी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को देखा है कि अपने दाहिने हाथ को दाहिनी जाँघ पर रखे हुए थे और अंगुली से इशारा फ़र्मा रहे थे। **(अबू दाऊद-991)**

912. हज़रत वाइल इब्ने हुज्र (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने देखा कि नबी करीम (ﷺ) ने तशह्हुद में अंगूठे से मिलाकर बीच वाली अंगुली का हल्का बनाया और शहादत की अंगुली से इशारा फ़र्माया।

913. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है जब रसूले करीम (ﷺ) नमाज़ में क़अदह फ़र्माते तो दोनों हाथ दोनों जाँघों पर रखते और सीधे हाथ की शहादत की अंगुली को उठाकर इशारा फ़र्माते और बायाँ हाथ वैसे ही बिछा रहता। **(मुस्लिम-580)**

सलाम का बयान

914. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) **अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह** फ़र्माकर दोनों जानिब इस तरह सलाम फेरते कि आपके रुख़सार मुबारक बिल्कुल साफ़ नज़र आते। **(अबू दाऊद-996)**

915. हज़रत सअद (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) दाएँ-बायें दोनों तरफ़ सलाम फेरा करते थे। **(मुस्लिम-582)**

916. हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) **अस्सलामु अलैयकुम व रहमतुल्लाह** कह कर दोनों तरफ़ इस तरह सलाम फेरा करते कि आपके दोनों रुख़सारों की सफेदी नज़र आती।

917. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, जंगे जमल के दिन हज़रत अली (रज़ि.) ने हमको नमाज़ पढ़ाई, तो हमको हज़रत अली (रज़ि.) की नमाज़ से हुज़ूर (ﷺ) की याद आ गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमको वो तरीक़ा मालूम न था या भूल गये थे। क्योंकि हज़रत अली (रज़ि.) ने दोनों तरफ़ सलाम फेरा।

एक सलाम फेरने का बयान

918. हज़रत सहल इब्ने सअद साइदी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सिर्फ़ एक ही सलाम

सामने को मुँह किये हुए फेरा। (तबरानी फ़िल्कबीर-5703)

919. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) सामने की तरफ़ चेहरा किये हुए सिर्फ़ एक ही सलाम फेरा करते थे। **(तिर्मिज़ी-296)**

920. हज़रत सलमा इब्ने अक्वा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले अकरम (ﷺ) को सिर्फ़ एक ही सलाम फेरते हुए देखा है।

इमाम को सलाम का जवाब देने का बयान

921. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमको फ़र्माया, इमाम सलाम फेरे तो उसका जवाब दो।

922. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, कि हमको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया था कि आपस में एक-दूसरे को सलाम करो और इमाम को भी सलाम करो। **(अबू दाऊद-1001)**

इमाम को चाहिये कि दुआ में सिर्फ़ अपने लिये ही न माँगे

923. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया जो आदमी इमाम बने उसको चाहिये कि सिर्फ़ अपने नफ़्स के लिये दुआ न करे। अगर वो ऐसा करेगा तो ख़्यानत करने वाला शुमार किया जायेगा।

सलाम के बाद क्या पढ़ना चाहिये

924. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) सलाम फेरने के बाद इतना पढ़ा करते, **अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम** (ऐ अल्लाह! तू सलामती वाला है और तुझ ही से सलामती (हासिल होती) है, ऐ अज़्मत व बुज़ुर्गी वाले! तू बहुत बरकतों वाला है)। **(मुस्लिम-592)**

925. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, जब सुबह की नमाज़ से हुज़ूर (ﷺ) सलाम फेरते तो ये दुआ पढ़ा करते, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अम्लन मुतक़ब्बलन.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे नफ़ाबख़्श इल्म, पाकी रिज़्क़ और क़ुबूल होने वाले अमल का सवाल करता हूँ)। **(मुस्नद अहमद)**

926. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मुसलमान में दो ख़स्लतें होंगी जन्नत में दाख़िल होगा। कुछ मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। अमल के ऐतबार से थोड़ी है। उसको चाहिये कि हर नमाज़ के बाद दस मर्तबा **सुब्हानल्लाह** कहें और दस मर्तबा **अल्लाहु अकबर** और दस मर्तबा **अल्हम्दुलिल्लाह**। रावी कहते हैं, उसके बाद में मैंने देखा कि हुज़ूर (ﷺ) ने अंगुलियों पर शुमार करके फ़र्माया कि ये पढ़ने में एक सौ पचास है और मीज़ान में एक हज़ार पाँच सौ है। और जो शख़्स बिस्तर पर सोते वक़्त सौ मर्तबा **सुब्हानल्लाह** और **अल्हम्दुलिल्लाह** और **अल्लाहु अकबर** पढ़ेगा तो ज़बान पर ये सौ मर्तबा होगा लेकिन मीज़ान में एक हज़ार मर्तबा होगा। लिहाज़ा तुम में से कौन ऐसा शख़्स होगा जो हर रोज़ इससे ज़्यादा गुनाह करता होगा और माफ़ी से बाक़ी रह जाता होगा। यह सुनकर हुज़ूर (ﷺ) के सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इतने आसान काम को भला हम क्यों तर्क कर सकेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी वजह ये है कि जब इंसान नमाज़ में खड़ा होता है तो शैतान आकर कहता है कि फलाँ-फलाँ काम

याद करो और नमाज़ भुला देता है। इसी तरह जब सोने का इरादा करता है तो आकर उसको सुला देता है और ये बातें याद नहीं रह सकतीं। **(अबू दाऊद-5065, तिर्मिज़ी-3410)**

927. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) का बयान है किसी शख़्स ने या हज़रत सुफ़ियान ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) मालदार और ग़नी लोग हमसे सबकत ले जाते हैं। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं ये सबकुछ करते हैं। लेकिन उनके पास माल भी है, जिसको वो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं जो हम ख़र्च करें। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको ऐसी बात बतलाता हूँ जिससे फ़ौतशुदा सवाब भी तुमको हासिल हो और उन लोगों से सबकत ले जाओ। तुमको चाहिये कि हर नमाज़ के बाद 33 मर्तबा **सुब्हानल्लाह**, 33 मर्तबा **अल्हम्दुलिल्लाह** और 34 मर्तबा **अल्लाहु अकबर** पढ़ा करो। हज़रत सुफ़ियान कहते हैं कि मुझको ये मालूम नहीं कि 34 मर्तबा कौन से कलिमे के मुताल्लिक़ फ़र्माया है।

928. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाते तो तीन मर्तबा इस्तिग़फ़ार पढ़कर ये दुआ पढ़ा करते, **अल्लाहुम्म अन्तस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलालि वल इकराम.** (ऐ अल्लाह! तू सलामती वाला है और तुझ ही से सलामती (हासिल होती) है, ऐ अज़्मत व बुज़ुर्गी वाले! तू बहुत बरकतों वाला है)। **(मुस्लिम-591)**

इमाम को नमाज़ के बाद किस तरफ़ मुँह करना चाहिये

929. हज़रत हुल्ब ताई (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) दोनों तरफ़ मुँह फेरा करते। कभी दाहिनी जानिब मुतवज्जह होकर तशरीफ़ रखते और कभी बायें जानिब मुतवज्जह होकर। **(अबू दाऊद-1041)**

930. हज़रत अस्वद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि कोई शख़्स ये ख़्याल करके मुझको दाहिनी जानिब ही मुँह करके बैठना ज़रूरी है। अपने नफ़्स में शैतान का हिस्सा न मुक़र्रर करें। क्योंकि मैंने अक्सर हुज़ूर (ﷺ) को बायीं जानिब मुँह करके तशरीफ़ रखते देखा है। **(बुख़ारी-852, मुस्लिम-707)**

931. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद दोनों तरफ़ मुतवज्जह होकर तशरीफ़ रखा करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

932. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) नमाज़ का सलाम फेर देते तो औरतें उठकर चली जातीं और आप (ﷺ) कुछ देर तक उसी मक़ाम पर तशरीफ़ फ़र्माए रहते। **(बुख़ारी-837, 849, 870)**

जब नमाज़ का वक़्त आ जाये और खाना भी मौजूद हो तो क्या करना चाहिये

933. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब शाम का खाना तैयार हो और नमाज़ भी तैयार हो तो पहले खा लिया करो। **(मुस्लिम-557)**

934. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब शाम के वक़्त खाना भी तैयार हो और नमाज़ भी तैयार हो तो पहले खाना खा लो। लिहाज़ा हज़रत इब्ने उमर ने एक रात खाना खाया उस वक़्त आपके कानों में इक़ामत की आवाज़ आ रही थी। **(बुख़ारी-5463, 5464, मुस्लिम-559)**

935. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जब रात का खाना तैयार हो और नमाज़

भी तैयार हो तो पहले खाना खा लो। (बुख़ारी-5465, मुस्लिम-558)

अंधेरी रात में नमाज़ पढ़ने का बयान

936. हज़रत अबूल मलीह (रज़ि.) का बयान है कि एक रात निहायत गहरा बादल आसमान पर छाया हुआ था। मैं इशा की नमाज़ के लिये गया, जब वापस आया तो मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मेरे वालिद ने अंदर से आवाज़ दी, कौन है? मैंने कहा, अबूल मलीह। अलग़र्ज़ जब मैं घर में पहुँचा तो कहने लगे कि एक मर्तबा जंगे हुदैबिया के दिन बारिश आ गई लेकिन बारिश में ज़ोर न था। यकायक मैंने मुनादी की आवाज़ सुनी कि हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान पहुँचा है कि अपने मक़ामों पर नमाज़ अदा कर लेना, तक्लीफ़ उठाने की ज़रूरत नहीं। **(अबू दाऊद-1059)**

937. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, अंधेरी रात में या बरसात की रात में बारिश हो रही थी। हुज़ूर (ﷺ) ने आवाज़ दिलवा दी कि अपने-अपने मकानों में नमाज़ अदा कर लेना।
(अबू दाऊद-1060,1061, मुस्लिम-697)

938. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने बारिश वाले दिन जुम्आ के दिन फ़र्माया, घरों में नमाज़ पढ़ लो। **(इब्ने ख़ुज़ैमा-1866)**

939. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने नौफ़िल (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक मर्तबा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने जुम्आ के दिन मुअज़्ज़िन से अज़ान कहलवाई। उसके बाद फिर एक शख़्स ने सबको आवाज़ दी कि सब लोग अपने-अपने मकानों में नमाज़ पढ़े क्योंकि आज बारिश हो रही है। मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से कहा कि आपने ये क्या किया कि अज़ान भी दिलवा दी और लोगों को मना भी कर दिया? हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि ये मैंने ही नहीं किया बल्कि जो तमाम आलम से अफ़ज़ल थे (यानी रसूलुल्लाह ﷺ) उन्होंने भी यही किया था। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं लोगों के कपड़े कीचड़ में लथपथ करवा दूँ और वो घुटनों-घुटनों कीचड़ में भर जाए। **(बुख़ारी-616, मुस्लिम-699)**

नमाज़ी के सामने सुतरा का बयान

940. हज़रत मूसा इब्ने तल्हा (रज़ि.) से रिवायत है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और चौपाये हमारे सामने से गुज़रते हैं। उनकी ये बात हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ की गई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारे सामने पालान की लकड़ी के बराबर सुतरा हो तो सामने से गुज़रने वाली कोई चीज़ तुमको नुक़्सान नहीं पहुँचा सकती। **(बुख़ारी-499)**

941. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि सफ़र में हुज़ूर (ﷺ) के सामने नेज़ा गाड़ दिया जाता। आप (ﷺ) उसकी तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ते। **(बुख़ारी-494, मुस्लिम-501)**

942. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के पास एक चटाई थी। दिन को आप उसको बिछा लेते और रात को उसकी एक गठरी सी बना लेते। **(बुख़ारी-730, मुस्लिम-782)**

943. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़े तो अपने मुँह के सामने कोई चीज़ रख ले। अगर कोई चीज़ न मिले तो अपनी लाठी खड़ी करे अगर वो भी न मिले तो अंगुली से एक लकीर ज़मीन पर खींच ले। क्योंकि इस तरह सामने से गुज़रने वाली कोई चीज़ उसको नुक़्सान नहीं पहुँचा सकती। (नमाज़ को ख़राब नहीं कर सकती) **(अबू दाऊद-689, 690)**

नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़रने का बयान

944. हज़रत बसीर इब्ने सईद (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने मुझको ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) के पास इस ग़र्ज़ से रवाना किया कि जाकर उनसे दरयाफ़्त करूँ कि नमाज़ पढ़ने वाले के सामने से गुज़रने का क्या हुक्म है? ज़ैद (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है, अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को उसके गुज़रने का अज़ाब मालूम हो जाये तो चालीस साल तक खड़ा रहना पसन्द करे और सामने से न गुज़रे। लेकिन अब मैंये नहीं कह सकता कि आपने चालीस साल की तादाद से क्या मुराद लिया। चालीस साल या चालीस महीने या चालीस दिन या चालीस घण्टे?

945. हज़रत बसीर इब्ने सईद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत ज़ैद इब्ने ख़ालिद (रज़ि.) ने हज़रत जहम अंसारी (रज़ि.) के पास एक शख़्स को ये दरयाफ़्त करने के लिये रवाना किया कि नमाज़ी के सामने से गुज़रने का क्या हुक्म है? और आपने उसके मुताल्लिक़ हुज़ूर (ﷺ) से क्या सुना है। अबू जहम (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि अगर मुसल्ली के सामने से गुज़रने वाले को उसका अज़ाब मालूम हो जाये तो चालीस साल तक खड़ा रहना पसन्द करे। रावी कहते हैं, मुझको ये मालूम नहीं कि चालीस फ़र्माया या चालीस महीने या चालीस दिन। **(बुख़ारी-510, मुस्लिम-507)**

946. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को उसका अज़ाब मालूम हो जाये तो एक क़दम आगे बढ़ने से सौ साल तक खड़ा रहना उसको पसन्द हो।

उन कामों का बयान जो नमाज़ को फ़ासिद कर देते हैं

947. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) अरफ़ात में नमाज़ अदा कर रहे थे। मैं और हज़रत फ़ज़्ल (रज़ि.) गधी पर सवार थे। सफ़ के सामने से गुज़रे और सफ़ में शरीक हो गये।

(बुख़ारी-76, 493, 861, 1857, 4412, मुस्लिम-504)

948. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ नमाज़ अदा फ़र्मा रहे थे। आप (ﷺ) के सामने अब्दुल्लाह या अम्र इब्ने सलमा (रज़ि.) गुज़रे। हुज़ूर (ﷺ) ने हाथ के इशारे से मना फ़र्माया, वापस लौट गये। उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिन्त उम्मे सलमा (रज़ि.) गुज़रने लगी, हुज़ूर (ﷺ) ने उनको भी हाथ के इशारे से मना फ़र्माया। लेकिन वो न समझीं और सामने से गुज़र गई। नमाज़ के बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बेवकूफ़ औरतें मर्दों पर ग़ालिब हैं। **(मुस्नद अहमद)**

949. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर काला कुत्ता और हाइज़ा औरत नमाज़ी के सामने से गुज़र जाएँगे तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। **(अबू दाऊद-703)**

950. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुत्ता और औरत नमाज़ को फ़ासिद कर देते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

951. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर नमाज़ी के सामने सुतरा न हो और उसके सामने से काला कुत्ता या औरत या गधा गुज़र जायेगा तो नमाज़ फ़ासिद हो जायेगी। अब्दुल्लाह इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! काले कुत्ते और लाल कुत्ते में क्या फ़र्क़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया काला कुत्ता शैतान होता है। **(मुस्नद अहमद)**

952. हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जब आदमी के सामने कजावे की पिछली लकड़ी जैसी कोई चीज़ सुतरा के तौर पर मौजूद न हो तो औरत, गधा और काला कुत्ता नमाज़ तोड़ देते हैं। **(मुस्लिम-510)**

जहाँ तक मुम्किन हो नमाज़ी के सामने से गुज़रने वाले को रोका जाये

953. हज़रत हसन अरफ़ी (रह.) कहते हैं, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के सामने ज़िक्र हुआ कि जिस चीज़ का नमाज़ के सामने से गुज़रना मुफ़्सिदे नमाज़ है उसमें कुत्ता और गधा भी शामिल है। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे थे और जानवर आपके सामने से गुज़रा, आपने तेज़ी से उसको भगाने की कोशिश की।

954. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने उबई (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जब कोई शख़्स नमाज़ के लिये खड़ा हो तो अपने सामने सुतरा क़ायम करे और उसके क़रीब होकर खड़ा हो जाये। दरम्यान में गुज़रने की जगह न छोड़ें। इसके बाद भी कोई शख़्स गुज़रने का इरादा करे तो उसको भगा दें। अगर न मानें तो उससे लड़ें, क्योंकि वो शैतान है। **(मुस्लिम-505)**

955. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोगों में से कोई शख़्स नमाज़ पढ़ता हो तो अपने सामने से गुज़रने वाले को पहले तो मना करे, अगर न मानें तो उससे लड़ें, क्योंकि उसके साथ उसका साथी शैतान है। **(मुस्लिम-506)**

नमाज़ी और क़िब्ला के बीच कोई चीज़ आड़ न हो

956. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब रात को हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्माते तो मैं हुज़ूर (ﷺ) के सामने ऐसे लेटी होती जैसे जनाज़ा रखा होता है। **(मुस्लिम-512)**

957. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि मेरा बिस्तर हुज़ूर (ﷺ) के नमाज़ पढ़ने के मक़ाम के बिल्कुल सामने था। **(अबू दाऊद-4148)**

958. हज़रत मैमूना (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) नमाज़ पढ़ते रहते और मैं आपके सामने होती। कई बार आपका कपड़ा सज्दे में सोते वक़्त मेरे क़रीब आ जाता। **(बुख़ारी-333, 379, 381, 517, मुस्लिम-513)**

959. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सोने वाले और बातें करने वाले के पीछे नमाज़ न पढ़ना चाहिये। **(अबू दाऊद-694)**

रुकूअ और सज्दा इमाम से पहले करना मना है

960. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने हमको ये तालीम फ़र्माई कि इमाम से पहले रुकूअ और सज्दा न करें। बल्कि जब इमाम तकबीर कहे तो हम भी कहें। जब वो रुकूअ करे तो हम भी करें, जब वो सज्दा करे तो हम भी करें। **(मुस्नद अहमद)**

961. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इमाम से पहले सर उठाता है, क्या वो इससे नहीं डरता कि कहीं अल्लाह तआला उसका सर गधे की तरह न कर दे। **(मुस्लिम-427)**

962. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं रुकूअ करूँ तो तुम रुकूअ करो और जब मैं उठूँ तो तुम भी उठो। जब मैं सज्दा करूँ तो तुम भी सज्दा करो। आइन्दा तुमको रुकूअ-सज्दा में सबकत करता हुआ न देखूँ।

963. हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग मुझसे रुकूअ और सज्दे में सबकत न किया करो, कभी ऐसा होता है कि मैं तुमसे पहले रुकूअ करता हूँ लेकिन (उसका बदला ये होता है) जब मैं उठता हूँ तो तुम उसका ऐवज़ पूरा कर लेते हो इसी तरह सज्दे में तुमसे सबकत करता हूँ फिर तुम मुझको पकड़ लेते हो, क्योंकि मैं भारी जिस्म का हो गया हूँ। **(अबू दाऊद-619)**

मकरूहाते नमाज़ का बयान

964. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये बड़ी बेजा बात है कि आदमी नमाज़ में हर मर्तबा पेशानी को हाथ से साफ़ करता जाये। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद ऐसा करना चाहिये।

965. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ में अंगुलियाँ चटकाना मकरूह है।

966. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ में मुँह न छिपाना चाहिये। **(अबू दाऊद-643)**

967. हज़रत कअब इब्ने अज्रा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक शख़्स को नमाज़ में हाथों का पंजा डालते देखकर उसके हाथों को अलग-अलग कर दिया। **(इब्ने ख़ुज़ैमा-444)**

968. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया कि जब किसी शख़्स को नमाज़ में जम्हाई (उबासी) आ जाये तो मुँह पर हाथ रख ले। मुँह न खोले, क्योंकि शैतान उस काम पर हँसता है।

969. हज़रत अदी इब्ने साबित (रज़ि.) से रिवायत है, कफ़ थूकना और नमाज़ में हैज़ का शुरू होना या खाँसी आ जाना शैतानी हरकत है। यही हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया। **(तिर्मिज़ी-156)**

जिस शख़्स को लोग बुरा समझते हों, वो उनका इमाम बने तो नाजाइज़ है

970. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्सों की नमाज़ क़ुबूल नहीं होती। 01. उस शख़्स की जिसको मुक़्तदी बुरा समझते हों, लेकिन वो फिर भी उनको नमाज़ पढ़ाये 02. वो शख़्स कि जो नमाज़ का वक़्त जाने पर ही पढ़े 03. वो शख़्स जो किसी आज़ाद को गुलाम बना ले। **(अबू दाऊद-593)**

971. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्सों की नमाज़ सर से बालिश्त भर भी ऊँची नहीं जाती यानी क़ुबूल नहीं होती। 01. उसकी जिसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ना भी मकरूह ख़्याल करते हों 02. वो औरत जिससे उसका शौहर नाराज़ हो 03. वो भाई जो आपस में लड़ते हों। **(तबरानी फ़िल्कबीर-12275)**

दो शख़्स भी जमाअत के हुक्म में है

972. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो और दो से ज़्यादा जमाअत में शुमार किये जाते हैं। **(बैहक़ी-269)**

973. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक दिन मैं अपनी ख़ाला मैमूना के यहाँ गया। रात को हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के लिये बेदार हुए। जब आप नमाज़ के लिये खड़े हो गये तो मैं भी आपके बाएँ जानिब खड़ा हो गया। आपने मुझे दाहिने जानिब कर दिया। **(बुख़ारी-728)**

974. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) मग़रिब की नमाज़ अदा फ़र्मा रहे थे। मैं आकर आपकी बाईं जानिब खड़ा हो गया, आपने मुझको दाहिनी जानिब कर दिया।

975. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले मक़्बूल के साथ मैंने और हुज़ूर (ﷺ) की किसी बीवी ने नमाज़ पढ़ी मैं दाहिनी जानिब खड़ा हुआ और आप (ﷺ) की बीवी ने आपके पीछे नमाज़ पढ़ी। **(मुस्लिम-660)**

उन लोगों का बयान जो इमाम के क़ुर्ब को अच्छा समझते हों

976. हज़रत अबी मस्ऊद अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, नमाज के वक़्त रसूले मक़्बूल (ﷺ) हमारे मूँढों को पकड़-पकड़ कर फ़र्माया करते कि ख़ूब मिलकर खड़े हो और सफ़ों में खाली जगह न छोड़ा करो। वरना अल्लाह तआला तुम्हारे दिलों में इख़्तिलाफ़ पैदा कर देगा और मेरे क़रीब वो लोग खड़े हुआ करें जो साहिबे अक़्ल और दानिशवर हों। फिर वो जो लोग उनके बराबर के मर्तबे वाले हों। **(मुस्लिम-432)**

977. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) मुहाजिरीन और अन्सार के क़ुर्ब को पसन्द फ़र्माया करते थे ताकि ये लोग आपसे तालीम हासिल करें।

978. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूल (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) को पीछे हटे हुए देखा। फ़र्माया कि तुम लोग मुझसे मिले हुए रहा करो, पीछे न हटो। जो क़ौम पीछे हटती है अल्लाह तआला भी उसको पीछे कर देता है। इसी तरह जो लोग तुम्हारे बाद आने वाले हैं, उनको चाहिये कि मेरे तरीक़े से पीछे न हटें। **(मुस्लिम-438)**

इमामत के क़ाबिल कौन लोग हैं?

979. हज़रत मालिक इब्ने हुवैरिस (रज़ि.) कहते हैं, मैं और मेरे एक दोस्त हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर हुए। कुछ देर बैठने के बाद हम दोनों आप (ﷺ) से रुख़्सत होने लगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माय, जब नमाज़ का वक़्त आया करे तो तुम लोग पहले अज़ान दिया करो और जो शख़्स तुम में से बुज़ुर्ग हो वो इमामत किया करे।

(बुख़ारी-658, मुस्लिम-674)

980. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ौम का इमाम वो शख़्स बने जो क़ारी-ए-क़ुर्आन हो। अगर क़ुर्आन पढ़ने में सब बराबर हों तो जो सबसे पहले हिजरत किया हुआ हो। अगर हिजरत में भी सब बराबर हों तो जो उम्र में बड़ा हो वो इमाम बने। और कोई शख़्स बग़ैर इजाज़त किसी शख़्स की इमामत उसके घरवालों में न करे, न उसके मक़ाम पर न उसके मुसल्ले (जाए नमाज़) पर। **(मुस्लिम-673)**

इमाम को कौनसे उमूर इख़्तियार करने चाहिये

981. हज़रत अबू हाज़िम (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत सहल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) जो अपनी क़ौम के नौउम्र लोगों को इमाम बनाया करते थे। लोगों ने उनसे कहा कि क्या बात है? आप पहले ईमान लाए हैं इसके बावजूद आप नौउम्र

लोगों को इमाम बनाते हैं। उन्होंने फ़र्माया कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि इमाम ज़ामिन हुआ करता है। अगर उसने नमाज़ सही तौर से पढ़ाई तो ये भी सवाब का मुस्तहिक़ है और मुक़्तदी भी। अगर कोई नुक़्सान पैदा कर दिया तो ये भी गुनाहगार है और मुक़्तदी उससे बरीउज़्ज़िम्मा।

982. हज़रत सलामा बिन्ते हराफ़त ख़र्सा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने रसूले मक़्बूल से सुना है कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आने वाला है कि वो इमाम की तलाश करेंगे लेकिन उनको कोई इमामत करने वाला मयस्सर न होगा। **(अबू दाऊद-581)**

983. हज़रत अबू अली हमदानी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हम कश्ती में जा रहे थे। उसमें हज़रत उक़्बा इब्ने आमिर जुहनी (रज़ि.) भी तशरीफ़ रखते थे। नमाज़ का वक़्त आया तो उन्होंने हमसे कहा कि कोई शख़्स इमाम बने। मैंने कहा, आप सहाबा-ए-रसूल (ﷺ) में से हैं, हमसे ज़्यादा इमामत के मुस्तहिक़ आप हैं। फ़र्माने लगे, मैं इमाम नहीं बनूँगा क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि इमाम ज़ामिन होता है, अगर उम्दा तरीक़े से नमाज़ पढ़ाई तो वो भी सवाब का मुस्तहिक़ हो गया और मुक़्तदी उससे बरी रहेंगे। **(अबू दाऊद-580)**

जो शख़्स इमामत करे तो उसको चाहिये की नमाज़ हल्की करे

984. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह (ﷺ) फलाँ शख़्स चुँकि नमाज़ लम्बी पढ़ाते हैं, उनकी वजह से मैं जमाअत की नमाज़ नहीं पढ़ता हूँ और जमाअत से रह जाता हूँ। हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, जितना उस दिन मैंने हुज़ूर (ﷺ) को नसीहत करते वक़्त ग़ज़बनाक पाया। किसी और दिन इतना ग़ज़बनाक नहीं देखा। आपने फ़र्माया, लोगों! तुम में ऐसे लोग भी हैं कि लोगों को नमाज़ से दूर करते हैं। (देखो) तुम में से जो शख़्स इमाम बने उसको चाहिये कि नमाज़ हल्की पढ़ाये। क्योंकि मुक़्तदियों में ज़ईफ़ भी होते हैं, हाजतमन्द भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। **(बुख़ारी-90, 702, 704, 6110, मुस्लिम-466)**

985. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) बहुत इख़्तिसार के साथ नमाज़ पढ़ा करते, जिससे किसी क़िस्म की तक्लीफ़ न होती। **(मुस्लिम-469)**

986. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) अपनी क़ौम के सरदार थे और उनको नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा उन्होंने बहुत लम्बी सूरत पढ़ी। हम मुक़्तदियों में से एक शख़्स सलाम फेरकर चला गया। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद इसकी इत्तिला हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को की गई। हज़रत मुआज़ फ़र्माने लगे, ये शख़्स मुनाफ़िक़ था। ये क़ौल उस शख़्स को मालूम हुआ। उसने हज़रत मुआज़ (रज़ि.) का ये क़ौल बतौर शिकायत हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में जाकर अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने जिस वक़्त हज़रत मुआज़ (रज़ि.) आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए तो फ़र्माया, मुआज़! तुम फ़ित्ना अंगेज़ बनना चाहते हो? नमाज़ में **वश्शम्सु वज्जुहा** और **सब्बिहिस्म रब्बिकल आला** और **वल्लैलि इज़ा यग़्शा** और **इक़रा बिस्मि रब्बिक** पढ़ा करो। **(मुस्लिम-465)**

987. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने शजर (रज़ि.) कहते हैं, कि हज़रत उस्मान इब्ने अबूल आस (रज़ि.) ने फ़र्माया, ताइफ़ भेजते वक़्त जो आख़िरी अहद मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने लिया था, वो ये था कि उस्मान नमाज़ छोटी पढ़ाना और ज़ईफ़ों वग़ैरह का ख़्याल करना। क्योंकि नमाज़ में हर क़िस्म का आदमी होता है। ज़ईफ़, बूढ़ा, हाजतमन्द और दूर दराज़ मक़ाम वाला। **(अबू दाऊद-531)**

988. हज़रत उस्मान इब्ने अबूल आस (रज़ि.) कहते हैं, आख़िरी नसीहत हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझको ये फ़र्माई थी कि जब तुम किसी क़ौम के इमाम बनो तो नमाज़ छोटी पढ़ाया करो। **(मुस्लिम-468)**

अगर कोई नया हादसा पेश आ जाये तो इमाम नमाज़ छोटी कर दे

989. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मुझको नमाज़ में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो मैं नमाज़ को हल्की कर देता हूँ इस ख़्याल से कि उस बच्चे की माँ परेशान हो रही होगी। **(बुख़ारी-709, 710, मुस्लिम-470)**

990. हज़रत उस्मान इब्ने अबी आस (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मैं नमाज़ में किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ तो नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ कर देता हूँ।

991. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने क़तादा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब नमाज़ को तवील (लम्बी) करने के ख़्याल से नमाज़ शुरू करता हूँ और मुझको किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो उसकी माँ पर परेशानी का ख़्याल करके नमाज़ में तख़्फ़ीफ़ कर देता हूँ। **(बुख़ारी-707, 868)**

सफ़ों को दुरुस्त करने का बयान

992. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि तुम लोग उस तरह सफ़ें क्यों नहीं बनाते जिस तरह फ़रिश्ते अपने रब के सामने सफ़ ब सफ़ खड़े होते हैं। हम लोगों ने अर्ज़ किया, (या रसूलल्लाह ﷺ) फ़रिश्तों की सफ़बन्दी किस तरह होती है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पहली सफ़ को पूरा करने के बाद (दूसरी सफ़बन्दी करते हैं) सफ़ों में खाली जगह नहीं छोड़ते। **(मुस्लिम-430)**

993. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि सफ़ों की दुरुस्ती का बहुत लिहाज़ रखो, क्योंकि सफ़ों की दुरुस्ती इत्मामे नमाज़ का सबब है। **(बुख़ारी-723, मुस्लिम-433)**

994. हज़रत नोअमान इब्ने बशीर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे करीम (ﷺ) सफ़ों को इस क़द्र सीधा फ़र्माया करते कि नेज़े और तीर की तरह नज़र आते। एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स को सफ़ से कुछ बाहर निकला हुआ देखा तो फ़र्माया, सफ़ों को बराबर रखो वरना अल्लाह तआला तुम्हारे चेहरों को मस्ख़ कर देगा। **(मुस्लिम-436)**

995. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब लोग सफ़ों को दुरुस्त रखते हैं तो अल्लाह तआला उन पर रहमत नाज़िल फ़र्माता है और फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआ करते हैं। और जो शख़्स सफ़ में खाली जगह देखकर भर देता है, अल्लाह तआला उसके लिए जन्नत में एक दर्जा बुलन्द फ़र्माता है।

पहली सफ़ की फ़ज़ीलत का बयान

996. हज़रत इरबाज़ इब्ने सारह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पहली सफ़ के लिये तीन मर्तबा दुआ फ़र्माया करते और दूसरी सफ़ के लिए सिर्फ़ एक मर्तबा। **(मुस्नद अहमद, नसाई-818)**

997. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला पहली सफ़ों पर रहमत नाज़िल फ़र्माता है और फ़रिश्ते पहली सफ़ वालों के लिये इस्तिग़फ़ार करते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

998. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लोगों को पहली सफ़ की फ़ज़ीलत मालूमल हो जाये तो आपस में कुर्आ डालना शुरू कर दे। **(मुस्लिम-439)**

999. हज़रत अब्दुर्रह्मान इब्ने औफ़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला और फ़रिश्ते पहली सफ़ वालों पर रहमत नाज़िल करते हैं।

औरतों की सफ़ों का बयान

1000. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों की सफ़ों में बेहतर वो सफ़ है जो सबसे आख़िर में हो और सबसे बुरी सफ़ वो है जो अव्वल में हो। मर्दों की सफ़ों में पहली सफ़ बहुत अफ़ज़ल है और आख़िरी सफ़ बहुत बुरी है। **(मुस्लिम-440)**

1001. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों की आख़िरी सफ़ बेहतर और पहली सफ़ शर से भरी हुई है और मर्दों की पहली सफ़ बेहतर और आख़िरी सफ़ बुरी है। **(मुस्नद अहमद)**

खम्भों के बीच में सफ़बन्दी की मुमानिअत का बयान

1002. हज़रत मुआविया इब्ने कुर्रह (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में हमको सुतूनों (खम्भों) के दरम्यान सफ़बन्दी करने की मुमानिअत थी और हमको इस काम से रोका जाता था। **(अबू दाऊद-673)**

सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ने का बयान

1003. हज़रत अली इब्ने शैबान (रज़ि.) का बयान है कि हम लोग हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और बैअत करने के बाद आपके साथ नमाज़ पढ़ी। उसके बाद एक और नमाज़ अदा की। जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो एक शख़्स को जमाअत से अलग तन्हा नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप (ﷺ) उसके फ़ारिग़ होने तक उसके पास ठहरे रहे। जब उसने सलाम फेरा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम फिर से नमाज़ पढ़ो क्योंकि जमाअत होते हुए अलग से नमाज़ नहीं होती। **(मुस्नद अहमद, इब्ने ख़ुज़ैमा-1569)**

1004. हज़रत हिलाल इब्ने यसाफ़ (रह.) कहते हैं कि ज़ियाद इब्ने अल्अज़्द ने एक मर्तबा मेरा हाथ पकड़कर एक बूढ़े शख़्स के सामने जिनका नाम वाबिस इब्ने मअबद (रज़ि.) था, खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि एक शख़्स ने सफ़ के पीछे अकेले नमाज़ पढ़ी तो हुज़ूर (ﷺ) ने उसको नमाज़ दोहराने का हुक्म दिया। **(मुस्नद अहमद)**

सफ़ की दाहिनी जानिब की फ़ज़ीलत का बयान

1005. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि सफ़ की दाहिनी तरफ़ वालों पर अल्लाह और फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं। **(अबू दाऊद-676)**

1006. हज़रत बराअ का बयान है कि जब हम हुज़ूर (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ते तो दाहिनी तरफ़ खड़े होने को पसन्द करते थे। **(मुस्लिम-709)**

1007. **हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.)** कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया गया कि मस्जिद की दाहिनी जानिब बिल्कुल खाली कर दी गई है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इस जानिब को आबाद करेगा, उसके लिये दोहरा अज्र है।

क़िब्ला का बयान

1008. **हज़रत जाबिर (रज़ि.)** कहते हैं जब रसूले अकरम (ﷺ) तवाफ़े बैतुल्लाह से फ़ारिग़ हुए तो मक़ामे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) में तशरीफ़ लाए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये मक़ाम हमारे वालिद (दादा) हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) का है, जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह तआला का इर्शाद है, **वत्तख़िज़ु मिम्मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला.** (तुम मक़ामे इब्राहीम को नमाज़ की जगह मुक़र्रर कर लो)। हज़रत वलीद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मालिक से दरयाफ़्त किया, उन्होंने इस तरह पढ़ा था, **वत्तख़िज़ु मिम्मक़ामिम**। हज़रत मालिक (रज़ि.) ने फ़र्माया, इसी तरह पढ़ा था। **(अबू दाऊद-3969)**

1009. **हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.)** का बयान है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मक़ामे इब्राहीम को आप नमाज़ का मुसल्ला क़रार दें तो (बेहतर है) उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, **वत्तख़िज़ु मिम्मकामि इब्राहीम मुसल्ला।** **(बुख़ारी-402)**

1010. **हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.)** कहते हैं कि बैतुल मक़दिस की तरफ़, हुज़ूर (ﷺ) के साथ हमने पाँच माह तक नमाज़ अदा की और हिजरते मदीना के दो माह बाद कअबा की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म आया। हुज़ूर (ﷺ) का ये कायदा कि नमाज़ में आप आसमान की तरफ़ मुँह रखा करते, इस उम्मीद के साथ कि कअबा की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो जाये। और अल्लाह तआला अपने रसूल की निय्यत से बख़ूबी वाकिफ़ था। एक मर्तबा हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) आसमान की तरफ़ से आये और हुज़ूर (ﷺ) की नज़र उनकी तरफ़ लगी हुई थी कि देखें क्या हुक्म लेकर नाज़िल होते हैं। उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, **हम आपके चेहरे को बार-बार आसमान की तरफ़ उठते हुए देखते हैं.** (सूरह बक़रह : 144) और कअबा की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ गया। उस वक़्त हम नमाज़ की दो रकअतें अदा कर चुके थे कि एक शख़्स ने आकर हमको ख़बर दी कि कअबा की तरफ़ नमाज़ पढ़ने का हुक्म हो गया है। हम फ़ौरन ही कअबा की तरफ़ मुतवज्जह हो गये। अलग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) से फ़र्माया, जिब्रईल! हमने बैतुल मुक़द्दस की तरफ़ जो इतने अर्से तक नमाज़ अदा की है, उसका क्या हुक्म होगा। उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, **अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान (तुम्हारी नमाज़ें) बर्बाद नहीं करेगा.** (सूरह बक़रह : 143)।

1011. **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, कअबा मश्रिक और मग़रिब के बीच में है। **(तिर्मिज़ी-342, 343)**

जो भी शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो तो दो रकअत पढ़ने से पहले न बैठे

1012. **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जो शख़्स मस्जिद में दाख़िल हो फ़ौरन बैठने से पहले दो रकअत अदा कर ले।

1013. **हज़रत क़तादा (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मस्जिद में इंसान दाख़िल हो तो बैठने से पहले दो रकअत अदा कर लेना चाहिये। **(बुख़ारी-444, मुस्लिम-714)**

प्याज़-लहसुन खाकर मस्जिद में न जाये

1014. हज़रत मअ़दान इब्ने अबी तल्हा (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने जुम्आ के रोज़ ख़ुत्बा पढ़ते हुए हम्दो-सना के बाद फ़र्माया, लोगों! मैं देखता हूँ कि तुम लोग ये दरख़्त प्याज़ और लहसुन बहुत खाते हो, लेकिन हुज़ूर (ﷺ) के ज़माने में अगर किसी शख़्स के मुँह से इसकी बदबू आती तो हुज़ूर (ﷺ) .... मुबारक पर हाथ रखकर बक़ीअ़ की तरफ़ चले जाते। लिहाज़ा तुमको चाहिये कि अगर ऐसी सूरत हो तो इन दोनों को भून कर इस्तेमाल करो। **(मुस्लिम-567)**

1015. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग हमको प्याज़ का इस्तेमाल करने के बाद मस्जिद में आकर तक्लीफ़ न दो। **(मुस्लिम-563)**

1016. हज़रत उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन दो दरख़्तों (प्याज़-लहसुन) को खाकर कोई मस्जिदों में न आए। **(बुख़ारी-853, मुस्लिम-561)**

जो शख़्स नमाज़ पढ़ रहा हो वो सलाम का जवाब किस तरह दे

1017. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) मस्जिदे क़ुबा में तशरीफ़ लाकर नमाज़ अदा फ़र्माया करते तो अन्सार हाज़िर होकर आप (ﷺ) को सलाम करते। हज़रत सुहैब (रज़ि.) ने दरयाफ़्त किया, फिर हुज़ूर (ﷺ) उनको किस तरह जवाब दिया करते? इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माया, दस्ते मुबारक से इशारा फ़र्माकर दिया करते। **(नसाई-1188)**

1018. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि मुझको नबी (ﷺ) ने किसी काम के लिये रवाना किया। जब मैं वापस आया तो आप (ﷺ) उस वक़्त नमाज़ अदा फ़र्मा रहे थे। मैंने सलाम अ़र्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने हाथ से इशारा किया और नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद फ़र्माया, जाबिर! मैं नमाज़ में था और तुमने मुझको सलाम किया। **(मुस्लिम-540)**

1019. हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग नमाज़ में सलाम किया करते थे, लेकिन हमसे कहा गया कि नमाज़ भी एक शग़ल (काम) है। **(बुख़ारी-1199, मुस्लिम-538)**

उस शख़्स का बयान जो नमाज़ पढ़ रहा हो लेकिन उसको क़िब्ला मालूम न हो

1020. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन आ़मिर रबीआ़ (रज़ि.) कहते हैं कि (मेरे) वालिद ने बयान किया, एक मर्तबा हम लोग हुज़ूर (ﷺ) के साथ सफ़र में थे, यकायक बारिश आ गई और ख़ूब अंधेरा छा गया। नमाज़ के वक़्त हमको क़िब्ला की सिम्त न मालूम हो सकी और अंदाज़े से नमाज़ पढ़ ली। उसके बाद जब सूरज निकला तो मालूम हुआ कि हमने दूसरी तरफ़ नमाज़ पढ़ ली है। इसका ज़िक्र हुज़ूर (ﷺ) से किया गया तब अल्लाह तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़र्माई। **(तिर्मिज़ी-345)**

नमाज़ी किस तरह थूके

1021. हज़रत फ़ारूक़ इब्ने अ़ब्दुल्लाह मुहारबी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि

नमाज़ में न सामने थूको और न दाहिनी तरफ़ बल्कि या तो बायीं तरफ़ थूको या क़दमों के नीचे।

(अबू दाऊद-478, तिर्मिज़ी-571)

1022. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं एक दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस्जिद की क़िब्ला रुख़ दीवार पर कफ़ लगा हुआ देखा। लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, तुम लोग ये क्या करते हो कि क़िब्ला की तरफ़ थूका करते हो? हालाँकि अपने रब की तरफ़ मुतवज्जह होते हो। क्या अगर तुम किसी के सामने हो और वो तुम्हारे मुँह पर थूके तो तुमको अच्छा मालूम होगा? तुमको चाहिये कि बायीं जानिब थूक दो। अपने कपड़ों में थूकों और उसको अपने हाथ से मल दो।

(मुस्लिम-550)

1023. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा उन्होंने शीश इब्ने रबीअ (रज़ि.) को देखा कि नमाज़ में उन्होंने क़िब्ला की तरफ़ थूका। फ़र्माया, शीश तुम सामने की तरफ़ न थूका करो, क्योंकि जब इंसान नमाज़ में होता है तो अल्लाह तआला उसके सामने होता है, जब तक नमाज़ से फ़ारिग़ न हो जाये या कोई मकरूह काम न कर बैठे।

(इब्ने ख़ुज़ैमा-924)

1024. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में कपड़े में थूका और उसको हाथ से मल डाला।

नमाज़ में कंकरियों को हाथ से अलग करने का बयान

1025. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं रसूले मकबूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स नमाज़ में कंकरियों को हाथ से उठायेगा, बेहूदा का काम करेगा। **(मुस्लिम-857)**

1026. हज़रत मुअयक़िब (रज़ि.) कहते हैं नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ में बग़ैर कंकरियाँ अलग किये न रह सके तो, सिर्फ़ एक मर्तबा हाथ से अलग कर दे। **(बुख़ारी-1207, मुस्लिम-546)**

1027. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब आदमी नमाज़ में होता है तो रहमत मुतवज्जह होती है, उसको हाथ से कंकरियाँ न उठानी चाहिये। **(अबू दाऊद-945)**

कपड़े या चटाई के टुकड़े पर नमाज़ पढ़ने का बयान

1028. उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) छोटी चटाई पर नमाज़ अदा फ़र्माते थे। **(बुख़ारी-381)**

1029. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने चटाई के एक टुकड़े पर (जो सिर्फ़ सज्दे के मक़ाम पर होता है) नमाज़ अदा की। **(मुस्लिम-519)**

1030. हज़रत अम्र बिन दीनार (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्श पर नमाज़ अदा की। उसके बाद अपने साथ वालों से फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने बिस्तर पर नमाज़ अदा फ़र्माई है।

गर्मी और सर्दी के मौसम में कपड़े पर नमाज़ पढ़ने का बयान

1031. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं कि हमारे पास हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये और बनी

अब्दुल अशहल की मस्जिद में नमाज़ अदा की। उस वक़्त आप एक चादर जिस्म पर लपेटे हुए थे। उस चादर को गर्मी की वजह से सज्दे के मक़ाम पर रख लेते। **(मुस्नद अहमद)**

1032. हज़रत हारिस बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कबील-ए-अब्दे सहल के मुहल्ले की मस्जिद में नमाज़ अदा फ़र्माई और आप ने एक चादर ओढ़ रखी थी, कंकरियों की ठण्डक से बचने के लिये (सज्दा करते वक़्त) उस पर हाथ रख लेते थे।

1033. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) के साथ गर्मियों में नमाज़ अदा किया करते, जब गर्मी की शिद्दत से किसी को ज़मीन पर सज्दा करने की ताक़त न रहती तो वो अपना कपड़ा बिछाकर सज्दा कर लिया करता। **(बुख़ारी-385, 1208, मुस्लिम-620)**

किसी काम की तरफ़ इशारा करने के लिये मर्द को तस्बीह कहना चाहिये और औरत को ताली बजाना चाहिये

1034. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मर्दों को (नमाज़ में) तस्बीह कहना चाहिये और औरतों को ताली बजाना चाहिये। **(बुख़ारी-1203, मुस्लिम-422)**

1035. हज़रत सहल बिन सअद साएदी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह कहना मर्दों का काम है और ताली बजाना औरतों का काम है।

(बुख़ारी-684, 1201, 1204, 1218, मुस्लिम-421)

1036. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने अगर नमाज़ में किसी काम की तरफ़ इशारा करना मकसूद हो तो मर्दों के लिये तस्बीह कहने का हुक्म दिया और औरतों के लिये ताली बजाने का।

जूते पहने हुए नमाज़ पढ़ने का हुक्म

1037. हज़रत इब्ने अबी औस (रज़ि.) कहते हैं, मेरे दादा हज़रत औस (रज़ि.) कभी-कभी इशारा फ़र्माकर जूते तलब किया करते थे, मैं आपको जूते लाकर देता। आप फ़र्माया करते थे कि हुज़ूर (ﷺ) को नअलैन मुबारक (जूते मुबारक) पहने हुए नमाज़ अदा करते देखा है। **(मुस्नद अहमद)**

1038. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते है कि उन्होंने फ़र्माया, मैंने अक्सर मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) को नअलैन मुबारक पहने हुए नमाज़ पढ़ते देखा है। **(मुस्नद अहमद)**

1039. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हमने (भी) हुज़ूर (ﷺ) को अक्सर जूते और मौज़े पहने हुए नमाज़ पढ़ते देखा है।

नमाज़ में बालों को दुरुस्त करने और कपड़े को सम्भालने का बयान

1040. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया था कि नमाज़ में बालों को और कपड़ों को हाथ से न सम्भाला करूँ।

1041. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हमें रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने यह हुक्म दिया था कि नमाज़ में बालों को (गिरने से) न रोकना चाहिये। और अगर किसी पलीदी वग़ैरह में पाँव ख़राब हो जाये तो वुज़ू दोहराने की ज़रूरत नहीं बल्कि पाँव ही धो लेना काफ़ी है। **(अबू दाऊद-204)**

1042. अबू सईद अहले मदीना में से किसी शख़्स की रिवायत बयान करते हैं कि एक मर्तबा अबू राफ़ेअ (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) के आज़ादशुदा गुलाम ने हज़रत हसन इब्ने अली (रज़ि.) को बाल गूँधे हुए नमाज़ पढ़ते दखा तो उन्होंने उनको खोलकर अर्ज़ किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने गूँधे हुए बालों से नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया है। **(मुस्नद अहमद)**

नमाज़ में ख़ुशूअ करना चाहिये

1043. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ में आसमान की तरफ़ नज़र उठाकर न देखा करो, कहीं ऐसा न हो कि अंधे कर दिये जाओ।

1044. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने सहाबा किराम के साथ नमाज़ अदा फ़र्माने के बाद लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, ये क्या हरकत है, लोग नमाज़ में आसमान की तरफ़ आँख उठाकर देखने लगते हैं, इस तरीक़े को छोड़ दो। वरना अल्लाह तआला तुम्हारी आँखों का नूर छीन लेगा। **(बुख़ारी-750)**

1045. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते हैं, हमारे नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग नमाज़ में आसमान की तरफ़ मुँह उठाकर देखना छोड़ दो, वरना अल्लाह तआला उनके नूर को उनकी आँखों से उठा लेगा। **(मुस्लिम-428)**

1046. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में एक औरत निहायत हसीन और ख़ूबसूरत थी। वो आपके साथ नमाज़ पढ़ा करती थी। बाज़ लोग तो ऐसे थे कि वो इस वजह से पहली सफ़ में शरीक होने की कोशिश करते कि उस औरत पर नज़र न पड़े और बाज़ लोग ऐसे थे कि बिल्कुल आख़िरी सफ़ में शरीक होते और सज्दे में बग़लों की तरफ़ से उसको देखा करते। इसके मुताल्लिक़ अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, **तुम में से जो लोग आगे बढ़ने वाले हैं, हम उन्हें भी जानते हैं और जो पीछे रहने वाले हैं वो भी हमें मालूम हैं.** (सूरह हिज्र : 24)। **(तिर्मिज़ी-3122)**

सिर्फ़ एक कपड़े में नमाज़ पढ़ने का हुक्म

1047. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम में से बाज़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ़ एक कपड़े में नमाज़ अदा किया करते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या सबके पास दो ही कपड़े होते हैं? (जिसके पास सिर्फ़ एक कपड़ा हो तो क्या मुज़ायक़ा है) **(बुख़ारी-358, मुस्लिम-515)**

1048. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा मैं हुज़ूर (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। मैंने देखा कि आप (ﷺ) सिर्फ़ एक कपड़ा बाँधे हुए नमाज़ अदा फ़र्मा रहे थे।

1049. हज़रत उमर इब्ने सलमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ पढ़ते देखा, कपड़े के दोनों किनारे काँधों पर डाले हुए थे। **(बुख़ारी-354, 356, मुस्लिम-517)**

1050. हज़रत इब्ने कैसान (रज़ि.) कहते हैं कि उनके वालिद ने बयान किया कि मक़ामे बीरे उलेय्या में मैंने हुज़ूर (ﷺ) को एक कपड़े में नमाज़ अदा करते हुए देखा है। **(तबरानी फ़िल्कबीर-437)**

1051. हज़रत इब्ने कैसान (रज़ि.) कहते हैं, मेरे वालिद ने बयान किया कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ज़ुहर और अ़स्र की नमाज़ एक कपड़ा पहन कर मेरे सामने अदा की।

क़ुर्आन मजीद के सज्दों का बयान

1052. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इब्ने आदम क़ुर्आन का सज्दा पढ़कर सज्दा करता है तो शैतान रोता हुआ भागता है और कहता हुआ जाता है कि अफ़सोस! इब्ने आदम को सज्दे का हुक्म दिया गया। उसने सज्दा किया और जन्नत का मुस्तहिक़ हो गया। लेकिन मुझको सज्दे का हुक्म हुआ तो मैं इन्कार करके जहन्नम का मुस्तहिक़ हो गया। **(मुस्लिम-81)**

1053. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सुबह मैंने नींद में जिस तरह लोग ख़्वाब देखा करते हैं, एक ख़्वाब देखा कि मैं एक दरख़्त की जड़ में नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैंने सज्दे की आयत पढ़ी और सज्दा किया तो उस दरख़्त ने भी सज्दा किया। उसके बाद मैंने सुना तो उस दरख़्त से ये आवाज़ आ रही थी, **अल्लाहुम्मह्तुत् अ़न्नी बिहा विज़्रन वक्तुब्ली बिहा अज्रन वज्अल्हा ली इन्दि-क ज़ुख़रन.** (ऐ अल्लाह! इस सज्दे की वजह से मेरे गुनाहों का बोझ उतार दे और मेरे लिये इसका सवाब लिख दे और इसे अपने पास मेरे लिये ज़ख़ीरा बना दे)। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने देखा कि हुज़ूर (ﷺ) ने आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा किया और यही दुआ सज्दे में तिलावत की। **(तिर्मिज़ी-579)**

1054. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं कि जिस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) सज्दा किया करते थे तो फ़र्माया करते, **अल्लाहुम्मा लक सजत्तु व बिक आमन्तु व लक अस्लम्तु अन्त रब्बी सजद वज्हिय लिल्लज़ी शक़्क़ सम्अ़ व बसरहू तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन.** (ऐ अल्लाह! मैंने तेरे लिये सज्दा किया, तुझ पर ईमान लाया, तेरी इताअ़त क़ुबूल की, तू मेरा मालिक है। मेरे चेहरे ने उसके लिये सज्दा किया जिसने उसके कान और उसकी आँखें बनाईं। अल्लाह बहुत बरकतों वाला है, बेहतरीन पैदा करने वाला है)। **(मुस्लिम-771)**

कलामे पाक के सज्दों का शुमार

1055. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) के साथ ग्यारह सज्दे किये हैं। उनमें से एक सज्दा अन्नज्म में है। **(तिर्मिज़ी-568)**

1056. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) के साथ ग्यारह सज्दे किये हैं, यानी सज्द-ए-अअ़राफ़, सज्द-ए-सूरह रअ़द, सज्द-ए-नह्ल, सज्द-ए-बनी इस्राईल, सज्द-ए-मरयम, सज्द-ए-हज्ज, सज्द-ए-सूरह सुलेमान, सज्द-ए-अलफ़ुर्क़ान, सज्द-ए-सॉद और सज्द-ए-हॉम्मीम। इनमें से कोई मुफ़स्सल में नहीं है।

1057. हज़रत अ़म्र इब्ने आ़स (रज़ि.) कहते हैं कि मुझको हुज़ूर (ﷺ) ने क़ुर्आन में पन्द्रह सज्दे पढ़ाए हैं, उनमें से तीन मुफ़स्सल में हैं और दो सूरह हज्ज में। **(अबू दाऊद-1401)**

1058. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हमने हुज़ूर (ﷺ) के साथ **इज़स्समाउन शक़्क़त** और **इक़रा बिस्मिरब्बिक** में भी सज्दे किये हैं। **(मुस्लिम-578)**

1059. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने **इज़स्समाउन शक़्क़त** में भी सज्दा किया है।

नमाज़ के कामिल होने का बयान

1060. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद के एक कोने में तशरीफ़ फ़र्मा थे। एक शख़्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ के बाद हुज़ूर (ﷺ) को सलाम किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई, फिर जाकर नमाज़ अदा करो। वो गया और फिर वापस आया और सलाम किया। आप (ﷺ) ने फिर यही फ़र्माया कि जाकर नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ अदा नहीं हुई। अलग़र्ज़ तीसरी मर्तबा में उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मुझको बतलाएँ मैं नमाज़ किस तरह पढ़ूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब नमाज़ का इरादा हो तो कामिल तौर पर वुज़ू करो। उसके बाद क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होकर तकबीर कहो और जो क़ुर्आन की सूरत तुमको आसान मालूम होती हो, उसको पढ़ो। उसके बाद जब रुकूअ करो तो निहायत इत्मिनान के साथ, उसके बाद रुकूअ से उठो तो इत्मिनान के साथ खड़े हो, सज्दे में जाओ तो इत्मिनान और आहिस्तगी के साथ सज्दा पूरा करो। फिर जब क़अदह करो तो इत्मिनान के साथ बैठ जाओ। इस तरह तमाम नमाज़ को पूरा करो।

(बुख़ारी-6251, मुस्लिम-397)

1061. हज़रत मुहम्मद इब्ने अम्र इब्ने अता (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा अबू हमीद सअदी (रज़ि.) ने दस सहाबिये-रसूल (ﷺ) के रूबरू, जिनमें हज़रत अबू क़तादा भी मौजूद थे, कहा कि मैं तुम सबसे से ज़्यादा हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़ की कैफ़ियत जानता हूँ। उन सबने फ़र्माया, ये कैसे? अल्लाह की क़सम! न तो तुम हम सबसे ज़्यादा इब्तिदा में रहे हो और न हमसे ज़्यादा तुमको हुज़ूर (ﷺ) की सुहबत रही है। उन्होंने कहा, यह सबकुछ सही (लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त है) उन सहाबियों ने कहा, अच्छा बतलाओ और दिखाओ, ताकि हम समझ लें। अबू हमीद (रज़ि.) कहने लगे, जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के लिये खड़े होते तो पहले तकबीर फ़र्माया करते और दोनों हाथों को कानों तक उठाते और आपका हर अंग अपने-अपने मक़ाम पर बरक़रार रहता। उसके बाद आप (ﷺ) क़िरअत पढ़ते, फिर तकबीर कहकर हाथों को कानों तक उठाते हुए रुकूअ के लिये तशरीफ़ ले जाते और दोनों हथेलियों को दोनों घुटनों पर रखकर घुटनों पर बख़ूबी सहारा दे लेते। रुकूअ में कमर न ज़्यादा पस्त रखते और न ज़्यादा बुलन्द बल्कि बराबर रखते। उसके बाद उठते हुए समिअ अल्लाहुलिमन हमीदह कहकर दोनों हाथ कानों तक उठाया करते और बिल्कुल सीधे इत्मिनान के साथ खड़े हो जाते। यहाँ तक कि आपका हर अंग अपने मक़ाम पर क़ायम हो जाता। फिर सज्दे के लिये ज़मीन की तरफ़ झुकते और सज्दे में दोनों हाथों को अपनी बग़लों से बिल्कुल अलग रखते और सज्दे से सर मुबारक उठाकर बायाँ पाँव बिछाते और दाहिना खड़ा करके उस पर बैठ जाते। सज्दे में हुआ करते तो दोनों पाँवों की अंगुलियों को कुशादा रखते। फिर सज्दा करते और उसके बाद जब तकबीर फ़र्माकर उठते तो बायें पाँव को बिछाकर निहायत इत्मिनान से बैठ जाते। यहाँ तक कि आपका हर अंग अपने मक़ाम पर पहुँच जाता। फिर दीगर रकअत के लिये उसी तरह खड़े होकर फ़र्माया करते। जब दो रकअतें अदा फ़र्मा लेते तो फिर अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर तकबीर फ़र्माते। जिस तरह तकबीरे तहरीमा के वक़्त किया करते। उसके बाद बक़िया नमाज़ अदा फ़र्माते और जब आख़िरी सज्दा हो जाता और सलाम का वक़्त आता तो एक पाँव अलग करके बायें तरफ़ (ज़मीन पर) बैठ जाते। जब यह बयान कर चुके तो सब सहाबा ने कहा, बेशक! तुमने सही कहा, हुज़ूर (ﷺ) इसी तरह नमाज़ अदा फ़र्माया करते थे।

1062. हज़रत अम्रह (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर (ﷺ) किस तरह नमाज़ अदा फ़र्माया करते? उम्मुल मोमिनीन ने फ़र्माया, जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ का इरादा फ़र्माते तो पहले बिस्मिल्लाह कहकर बर्तन में से पानी लेकर कामिल तौर पर वुज़ू फ़र्माया करते। उसके बाद क़िब्ला की तरफ़ रुख़ करके तकबीरे तहरीमा

कहकर कंधों तक हाथ मुबारक उठाया करते। फिर जब रुकूअ फ़र्माते तो दोनों हाथ घुटनों पर रखते और बाज़ुओं को पहलुओं से अलग रखते। और सर उठाकर बिल्कुल सीधे क़ायम हो जाते और आपका यह क़याम तुम्हारे नमाज़ के क़याम से कुछ ज़्यादा हुआ करता। उसके बाद सज्दे में तशरीफ़ ले जाते और दोनों हाथ क़िब्ला रुख करके रखते और अपने दोनों बाज़ुओं को जहाँ तक हो सकता बग़लों से अलग रखते। उसके बाद सज्दे से सर मुबारक उठाकर बायें पाँव को बिछाकर उस पर क़अदह करते और दाहिने पाँव को खड़ा फ़र्मा लेते और बायें तरफ़ ज़मीन पर बैठ जाने को मकरूह ख़्याल फ़र्माते।

सफ़र में नमाज़ के क़स्र करने का बयान

1063. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) की शरीअत में सफ़र में नमाज़ की दो-दो रकअतें हैं और जुम्आ की भी दो रकअतें हैं, ईदैन की भी दो रकअतें हैं और ये नमाज़ सफ़र में कामिल शुमार होगी, नाक़िस नहीं शुमार की जाएगी। **(नसाई-1421)**

1064. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि मुहम्मद (ﷺ) की शरीअत में सफ़र में नमाज़ की दो रकअतें हैं, जुम्आ में, ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा में भी दो रकअतें हैं। ये दो रकअतें सफ़र की कामिल नमाज़ है, इसको नाक़िस (न ख़्याल करना चाहिये)

1065. हज़रत यअला इब्ने उमैया (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा मैंने अर्ज़ किया, नमाज़ के क़स्र करने के मुताल्लिक़ (अल्लाह तआला का ये इर्शाद है) **तुम पर नमाज़ों के क़स्र करने में कोई गुनाह नहीं, अगर तुम्हें डर हो कि काफ़िर तुम्हें सताएंगे.** (सूरह निसा : 101)। लेकिन अब ज़माना अम्न का है, लोग बिल्कुल अम्न के साथ हैं (क़स्र की क्या ज़रूरत रही) हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, जिस अम्र से तुमको तअज्जुब हुआ है, मुझको भी हुआ था, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से भी अर्ज़ किया था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि यह अल्लाह तआला का तुम पर एहसान है, तुमको चाहिये कि इसको रद्द न करो बल्कि क़ुबूल करो। **(मुस्लिम-686)**

1066. हज़रत उमैया इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने ख़ालिद (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से अर्ज़ किया कि सलातुल ख़ौफ़ और नमाज़े इक़ामत का ज़िक्र तो क़ुर्आन में हमको मिलता है लेकिन सफ़र की नमाज़ का कहीं ज़िक्र नहीं है। इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, हम कुछ भी नहीं जानते, लेकिन अल्लाह तआला ने हम लोगों में अपने नबी (ﷺ) को नाज़िल फ़र्माया, लिहाज़ा जिस तरह हमने हुज़ूर (ﷺ) को करते देखा हम भी करते हैं। **(नसाई-1435)**

1067. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मदीना से किसी सफ़र के लिये तशरीफ़ ले जाते तो दो रकअतें अदा फ़र्माते रहते, जब तक मदीना वापस न आ जाते।

1068. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह तआला ने इक़ामत की हालत में चार रकअतें अपने नबी (ﷺ) के ज़रिये से तुम लोगों पर फ़र्ज़ की है और सफ़र में दो रकअतें। **(मुस्लिम-687)**

सफ़र में दो नमाज़ें जमा करके पढ़ने का बयान

1069. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) सफ़र में बग़ैर किसी उज़्र और ख़ौफ़ के दो वक़्त की नमाज़ जमा करके अदा फ़र्मा लिया करते थे।

1070. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) का बयान है कि ग़ज़्व-ए-तबूक के सफ़र में नबी करीम (ﷺ) ने ज़ुहर और अस्र, मग़्रिब और इशा की नमाज़ जमा करके अदा की है। **(मुस्लिम-706)**

सफ़र में नफ़्ल पढ़ने का बयान

1071. हज़रत ईसा इब्ने हफ़्स इब्ने आसिम इब्ने उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हम हज़रत उमर (रज़ि.) के साथ थे। नमाज़ का वक़्त आया तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) वहाँ से चले। पीछे मुड़कर देखा कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। इब्ने उमर (रज़ि.) ने मुझसे कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, नवाफ़िल पढ़ रहे हैं। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माने लगे, अगर नफ़्ल पढ़ने होते तो मैं ख़ुद ही अपनी नमाज़ पूरी क्यों न पढ़ता। अल्लाह की क़सम! भाई मैं हुज़ूर (ﷺ) की सुहबत में रहा, लेकिन आप (ﷺ) ने अपनी वफ़ात तक सफ़र में कभी दो रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ी। उसके बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की ख़िदमत में रहा, लेकिन उन्होंने भी सिवाय दो रकअतों के और नमाज़ भी नहीं पढ़ी। उसके बाद हज़रत उस्मान (रज़ि.) की सुहबत मयस्सर हुई, उन्होंने भी कभी दो रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ी। और ये सबके सब वफ़ात पा गये। अल्लाह तआला फ़र्माता है, **लकद काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हस्ना।** **(बुख़ारी-1102)**

1072. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने इक़ामत और सफ़र में हम पर नमाज़ फ़र्ज़ की, लेकिन हम जिस तरह इक़ामत में फ़र्ज़ों के अव्वल और आख़िर नमाज़ पढ़ते थे उसी तरह सफ़र में पढ़ते थे। **(मुस्नद अहमद)**

जब मुसाफ़िर किसी शहर में ठहर जाए तो कितना अर्सा नमाज़ें क़स्र करे

1073. हज़रत ज़ुहरी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत साइब इब्ने यज़ीद (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि साकिनाने मदीना के मुताल्लिक़ नबी करीम (ﷺ) का क्या इर्शाद है? उन्होंने कहा कि हज़रत अला हज़रमी (रज़ि.) ने बयान किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था, मुहाजिर के लिये तवाफ़े क़दूम बाद तीन दिन तक क़स्र करना चाहिये। **(बुख़ारी-3933, मुस्लिम-1352)**

1074. हज़रत अता (रज़ि.) कहते हैं, मुझसे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने बयान किया कि ज़िलहिज्जह की चार तारीख़ को रसूले मक़्बूल (ﷺ) मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल हुए थे। **(बुख़ारी-2505, 2056, मुस्लिम-1216)**

1075. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने 9 ज़िलहिज्जह तक इक़ामत फ़र्माई और क़स्र की दो-दो रकअतें अदा फ़र्माते रहे। इसी तरह हम लोग भी 9 ज़िलहिज्जह तक क़स्र करते हैं और इसके बाद पूरी चार रकअतें पढ़ते हैं। **(बुख़ारी-1080, 4298, 4299)**

1076. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) मक्का में 15 दिनों तक रहे और आप (ﷺ) ने क़स्र से नमाज़ अदा की। **(अबू दाऊद-1231)**

1077. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हम मदीना से रसूले मक़्बूल के साथ मक्का रवाना हुए। आप (ﷺ) ने दो-दो रकअतें मदीना वापस आने तक अदा की। (रावी यह्या रज़ि.) कहते हैं कि मैंने दरयाफ़्त किया, हुज़ूर (ﷺ) कितने दिनों तक मक्का में मुकीम रहे? हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, दस दिनों तक। **(बुख़ारी-1081, 4297, मुस्लिम-693)**

नमाज़ छोड़ने वाले का बयान

1078. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान और काफ़िर के दरम्यान में नमाज़ से फ़र्क होता है। **(अबू दाऊद-4678, मुस्लिम-82)**

1079. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रजि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे और उन लोगों के दरम्यान नमाज़ का अहद है। जिस शख़्स ने नमाज़ को तर्क किया उसने कुफ़्र किया। **(तिर्मिज़ी-2621)**

1080. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, शिर्क और इस्लाम में सिर्फ़ नमाज़ का फ़र्क है, लिहाज़ा जिस शख़्स ने नमाज़ को छोड़ दिया उसने शिर्क किया।

फ़र्ज़िय्यते जुम्आ का बयान

1081. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया, लोगों! मरने से पहले अल्लाह से तौबा करो और आख़िरत की तरफ़ जाने से पहले आमाले सालेहा जल्दी से जल्दी करो। कसरते ज़िक्र से अल्लाह तआला से क़ुर्ब पैदा करो और ज़ाहिर व पोशीदा तौर पर सदक़ा दो। अल्लाह तआला तुमको रिज़्क़ अता फ़र्मायेगा और तुम्हारी मदद फ़र्मायेगा, तुम्हारे नुक़्सान की भरपाई फ़र्मायेगा। सुनों! अल्लाह तआला ने तुम पर इस जगह में इस दिन से इस महीने तक, इस साल से क़यामत तक के लिये जुम्आ फ़र्ज़ कर दिया है। लिहाज़ा जिस शख़्स ने मेरी ज़िन्दगी में या मेरे बाद बावजूद इमामे ज़ालिम या आदिल होने के इस जुम्आ को हक़ीर समझकर छोड़ दिया, इसका इन्कार करते हुए इसको तर्क कर दिया तो अल्लाह तआला उसके काम को टुकड़े-टुकड़े कर देगा और उसमें कभी बरकत न फ़र्मायेगा। ग़ौर से सुनों! कि न उसकी नमाज़ क़ुबूल होगी न सदक़ा, न ज़कात, न हज्ज, न रोज़ा और न कोई नेकी। जब तक अल्लाह से तौबा न कर ले। देखो! औरत, मर्द की और अ राबी, मुहाजिर की और फ़ाज़िर, मोमिन की इमामत न करे। अलबत्ता अगर कोई सुल्तान का हुक्म हो और उसके ज़ुल्म का ख़ौफ़ हो, यानी क़त्ल होने या कोड़े लगने का तो माज़ूरी है। **(बैहक़ी)**

1082. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने कअब इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जब मेरे वालिद की नज़र जाती रही तो जुम्आ के दिन मैं उनको मस्जिद की तरफ़ ले जाता और बहुत ज़माने से ये देखा करता कि जब जुम्आ की अज़ान सुनते तो हज़रत अबी उमामा सअद इब्ने ज़ुरारह के लिये मग़फ़िरत और दुआ फ़र्माया करते। जब सुनते-सुनते एक अर्सा गुज़र गया तो एक दिन मैंने अपने दिल में कहा, ये [illegible]ायत ही बेवकूफ़ी है कि इतने अर्से से सुन रहा हूँ, लेकिन अब तक उसका सबब दरयाफ़्त नहीं किया। अबकी मर्तबा ऐसा हुआ तो ज़रूर दरयाफ़्त करूँगा। अलग़र्ज़ जब जुम्आ का दिन हुआ और मैं आदत के मुताबिक़ उनको ले चला और जुम्आ की अज़ान हुई और उन्होंने आदत के मुताबिक़ दुआ माँगी। मैंने अर्ज़ किया, वालिद साहब! जब आप जुम्आ की अज़ान सुनते हैं तो हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) के लिये दुआ फ़र्माया करते हैं। इसकी क्या वजह है? वो फ़र्माने लगे, बेटा! इसकी वजह ये है कि सबसे पहले जिसने हमको यह नमाज़ पढ़ाई है, यही हज़रत है। उन्होंने मक़ामे बकीअ में जो कबील-ए-बनी बयाज़ा के मक़ामे ख़ुर्रम में वाकेअ है, हमको जुम्आ की नमाज़ पढ़ाई थी। मैंने अर्ज़ किया, उस वक़्त आप लोग कितने थे? उन्होंने फ़र्माया, चालीस आदमी थे। **(अबू दाऊद-1069)**

1083. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने पहली उम्मतों को जुम्आ का दिन हासिल करने से नावाकिफ़ रखा। यहूद ने यौमुल सब्त (सनीचर) मुक़र्रर कर लिया और नसारा ने यौमुल अहद (इतवार)। सही तरीक़े से कोई शख़्स इस दिन तक न पहुँच सका। लिहाज़ा क़यामत तक के लिये ये लोग हमारे ताबेदार

रहेंगे। भले ही हम दुनिया में आख़िरी उम्मत हैं लेकिन क़यामत के दिन हिसाब के ऐतबार से उन सबसे आगे होंगे।

(मुस्लिम-856)

जुम्आ की फ़ज़ीलत का बयान

1084. हज़रत अबू लुबाबा इब्ने अब्दुल मुन्ज़िर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के नज़दीक सब दिनों का सरदार और सबसे अफ़ज़ल, बल्कि ईदुल फ़ितर और ईदुल अज़्हा से भी ज़्यादा अफ़ज़ल जुम्आ का दिन है। इसमें पाँच बातें निहायत बुज़ुर्ग हैं। इसी दिन अल्लाह तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फ़र्माया, इसी दिन ज़मीन पर उतारा गया, इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। इस दिन में एक ऐसी साअत (घड़ी) कि उसमें हराम काम के अलावा बन्दा जो कुछ भी तलब करता है, अल्लाह तआला उसे अता फ़र्माता है, इसी दिन क़यामत होगी। जब जुम्आ का दिन आता है तो तमाम फ़रिश्ते, ज़मीन व आसमान, हवा, पहाड़ और दरिया ख़ौफ़ज़दा हो जाते हैं कि कहीं क़यामत न आ जाये। **(मुस्नद अहमद)**

1085. हज़रत शद्दाद इब्ने उवैस (रज़ि.) कहते हैं, कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तमाम दिनों में अफ़ज़ल जुम्आ का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किये गये, इसी दिन सूर फूँका जायेगा, इसी दिन क़यामत आयेगी, तुमको चाहिये कि जुम्आ के दिन मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जायेगा। किसी शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारा दुरूद आपके सामने कैसे पेश किया जायेगा? हालाँकि आपकी हड्डियाँ बिल्कुल बोसीदा हो चुकी होंगी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने नबियों के जिस्म को ज़मीन पर हराम कर दिया है।

1086. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, एक जुम्आ से लेकर दूसरे जुम्आ के दरम्यान इंसान जितने गुनाह करता है, जुम्आ की नमाज़ से वो सब माफ़ हो जाते हैं। **(मुस्लिम-233)**

जुम्आ के गुस्ल का बयान

1087. हज़रत उवैस इब्ने उवैस सक़फ़ी (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने जुम्आ के दिन गुस्ल किया और कराया और सबसे पहले जुम्आ की नमाज़ के लिये हाज़िर हुआ और इमाम के क़रीब होकर बैठा। कान लगा कर उसकी नसीहत सुनी, बेहूदगी न की, जुम्आ की नमाज़ के लिये पैदल गया और सवारी को छोड़ दिया तो उसके हर क़दम के बदले में एक साल के रोज़ों और नमाज़ का सवाब अता किया जायेगा। **(अबू दाऊद-345)**

1088. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को मिम्बर पर फ़र्माते हुए सुना, जो शख़्स जुम्आ की नमाज़ के लिये आये तो उसे गुस्ल कर लेना चाहिये। **(मुस्नद अहमद)**

1089. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्आ का गुस्ल हर बालिग़ पर वाजिब है। **(बुख़ारी-858)**

1090. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स उम्दा तौर पर वुज़ू करके जुम्आ की नमाज़ के लिये आया और फिर इमाम के क़रीब बैठा ताकि ख़ुत्बा ग़ौर से सुने और ख़ुत्बे के वक़्त बिल्कुल ख़ामोश रहे तो एक जुम्आ से लेकर दूसरे जुम्आ तक उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे बल्कि तीन दिन ज़्यादा

के भी और जिसने नमाज़ में कंकरियाँ अलग की, उसने बेहूदगी का काम किया।

1091. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जुम्आ के दिन सिर्फ़ वुज़ू कर ले तो ये भी अच्छा है और उसके फ़र्ज अदा हो जायेंगे, लेकिन जो शख़्स ग़ुस्ल करेगा तो यह ज़्यादा अफ़ज़ल होगा।

जुम्आ की नमाज़ के लिये सबसे पहले आने की फ़ज़ीलत का बयान

1092. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब जुम्आ का दिन होता है तो मस्जिद के दरवाज़े पर फ़रिश्ते जमा होकर नमाज़ियों को लिखते रहते हैं। जो पहले आता है उसको पहले, जो उसके बाद आये उसको बाद में अलग़र्ज़ इसी तरह ख़ुत्बा शुरू होने तक लिखते रहते हैं। जब इमाम ख़ुत्बे के लिये खड़ा हो जाता है तो ये अपने सफ़े तह करके ख़ुत्बा सुनने में मशग़ूल हो जाते हैं। सबसे पहले आने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे ऊँट क़ुर्बानी करने वाले की और उसके बाद आने वाले की गाय जिब्ह करने वाले की तरह हैं। उसके बाद वाला ऐसा है जैसे मेंढा जिब्ह करने वाला। यहाँ तक कि मुर्ग़ा और अण्डे का सदक़ा देने वाले की तरह तक नौबत आती है। हज़रत सहल (रज़ि.) कहते हैं, उसके बाद आपने फ़र्माया कि सिर्फ़ नमाज का सवाब मिलता है। **(मुस्लिम-850)**

1093. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने जुम्अे के रोज़ तकबीर तक आने वाले कि मिसाल इसी तरह बयान कि जैसे ऊँट जिब्ह करने वाला, फिर गाय जिब्ह करने वाला, उसके बाद बकरी जिब्ह करने वाला। यहाँ तक कि आप मुर्गी जिब्ह करने वाले तक पहुँचें। **(तब्रानी फिल्कबीर-6880)**

1094. हज़रत अल्कमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) के साथ जुम्अे कि नमाज के लिये गया तो मस्जिद मे तीन को देखा, चौथे हज़रत अब्दुल्लाह थे। आप फ़र्माने लगे कि ख़ैर चौथी मर्तबा ही सही, क्योंकि चौथी मर्तबा में आने वाला बईद नहीं हुआ करता है। मैंने रसूले अकरम से सुना है कि क़यामत के रोज़ लोग अल्लाह तआला से क़रीब होकर इस तर्तीब पर बैठेंगे, जिस तरतीब से जुम्अे को आते हैं। पहले अव्वल आने वाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथी मर्तबा में आने वाला भी बईद नहीं हैं।

जुम्अे के दिन निय्यत करने का बयान

1095. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) जुम्अे के रोज़ ख़ुत्बा में फ़र्माया करते कि अगर तुम लोग जुम्अे के रोज़ कामकाज के लिबास के अलावा और लिबास पहन लिया करो तो क्या नुक़्सान है। **(अबू दाऊद-1078)**

1096. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि एक मर्तबा जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों को जुम्अे के रोज़ वही कामकाज के कपड़े पहने देखा तो फ़र्माया कि जो लोग ताक़त रखते हैं अगर वो अपने कामकाज के कपड़ों के अलावा दूसरे कपड़े पहन लें तो उनका क्या नुक़्सान है।

1097. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स जुम्अे के रोज़ ग़ुस्ल करे और कामिल तौर पर ग़ुस्ल करे, फिर वुज़ू करे और कामिल तौर पर करे और उसके बाद जो उम्दा कपड़े हों वो पहन कर जो ख़ुश्बू मयस्सर हो मलकर जुम्अे के लिये हाज़िर हो तो ये एक जुम्अे से लेकर दुसरे जुम्अे तक के गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगा। **(मुस्नद अहमद)**

1098. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जुम्अे का दिन मुसलमानों की ईद का दिन है, जो शख़्स जुम्अे के लिये आये तो गुस्ल करे, अगर कोई खुश्बू हो तो उसको इस्तेमाल करे और मिस्वाक ज़रूर करे।

जुम्आ के वक़्त का बयान

1099. हज़रत अयास इब्ने सलमा इब्ने अक़्वा (रज़ि.) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ जुम्अे की नमाज पढ़ कर वापस होते तो उस वक़्त हमको दीवारों का साया ना मालूम होता था।

(बुख़ारी-939, मुस्लिम-859)

1100. हज़रत सहल इब्ने सअ़द (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग जुम्अे की नमाज़ के बाद कैलुला किया करते और उसके बाद खाना खाया करते थे। **(बुख़ारी-4168, मुस्लिम-860)**

1101. हज़रत अ़ब्दुर्रह्मान इब्ने अम्मार इब्ने सअ़द (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि मैं जुम्आ की अज़ान उस वक़्त दिया करता जबकि साया एक तस्मा के बराबर हुआ करता।

1102. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि जुम्आ पढ़ने के बाद हम लोग वापस जाकर कैलुला किया करते थे।

(बुख़ारी-905, 940)

जुम्आ के ख़ुत्बे का बयान

1103. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) जुम्अे के दिन दो ख़ुत्बे फ़र्माया करते। उन दोनों के दरम्यान में जलसा फ़र्माया करते। बशरी (रज़ि.) कहते हैं कि आप (ﷺ) ख़ुत्बा खड़े होकर पढ़ा करते।

(बुख़ारी-928, मुस्लिम-861)

1104. हज़रत उमर इब्ने हरीस (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को मिम्बर पर स्याह अमामा बाँधे ख़ुत्बा पढ़ते देखा। **(मुस्लिम-1359)**

1105. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्माया करते, उसके बाद बैठते और फिर खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्माया करते। **(मुस्लिम-862)**

1106. हज़रत जाबिर इब्ने समुरह (रज़ि) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्माया करते। उसके बाद बैठते और फिर खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्माते। किताबुल्लाह की कुछ आयात और अल्लाह का ज़िक्र फ़र्माते। हुज़ूर (ﷺ) की नमाज़ और ख़ुत्बा दोनों दरम्यानी तरीक़े पर होते थे। न ज़्यादा लम्बा और न बहुत मुख़्तसर। **(मुस्लिम-1101)**

1107. हज़रत अ़ब्दुर्रह्मान इब्ने सअ़द (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) जंग में ख़ुत्बा फ़र्माते तो कमान हाथ में होती और जब शहर में ख़ुत्बा फ़र्माते तो आपके हाथ मुबारक में लाठी होती। **(बैहक़ी)**

1108. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) से सवाल किया गया, रसूले अकरम (ﷺ) जुम्अे के दिन ख़ुत्बा खड़े होकर फ़र्माया करते या बैठकर? अ़ब्दुल्लाह ने फ़र्माया, क्या क़ुर्आन में यह आयत नहीं पढ़ते हो, **व तरकू-क क़ाइमा** (वो आपको खड़ा छोड़ जाते हैं)। (अबू अ़ब्दुल्लाह इब्ने माजह) कहते हैं कि यह हदीस ग़रीब है।

1109. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्माते वक़्त सलाम किया करते। **(बैहक़ी-330)**

ख़ुत्बे के वक़्त ख़ामोश रहकर ख़ुत्बा सुनना चाहिये

1110. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर इमाम ख़ुत्बा पढ़ता हो और एक शख़्स दूसरे से कहे कि ख़ामोश रहो तो उसने भी एक लग़्व (फ़िज़ूल) काम किया। **(बुख़ारी-934, मुस्लिम-851)**

1111. हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा जुम्आ को रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सूरह मुल्क पढ़ी। हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) और अबू ज़र (रज़ि.) मेरे क़रीब बैठे हुए थे। उन्होंने इशारे से दरयाफ़्त फ़र्माया कि ये आयत कब नाज़िल हुई? हमने तो अभी तक नहीं सुनी थी। मैंने उनसे कहा, ख़ामोश रहो। अलग़र्ज़ जब नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो मुझसे रास्ते में कहने लगे कि मैंने आपसे दरयाफ़्त किया कि ये आयत कब नाज़िल हुई हमने तो अभी तक नहीं सुनी थी। आपने फ़र्माया, ख़ामोश रहो! यह क्या बात है? मैंने कहा, इस नमाज़ में तुमने एक बेहूदा काम किया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में तशरीफ़ ले गये और हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) की बात बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उबय (रज़ि.) ने बिल्कुल सही कहा है।

अगर इमाम ख़ुत्बा कहता हो और कोई शख़्स उस वक़्त मस्जिद में आये तो क्या करे?

1112. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत सुलैक ग़त्फ़ानी (रज़ि.) मस्जिद में आये उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे। आप (ﷺ) ने उससे दरयाफ़्त फ़र्माया कि क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली? उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दो रकअ़त पढ़ लो। **(बुख़ारी-930, 931, 1166, मुस्लिम-875)**

1113. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स मस्जिद में आया। उस वक़्त रसूले मक़्बूल ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे दरयाफ़्त किया, क्या तुमने नमाज़ पढ़ ली है? उसने अ़र्ज़ किया, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दो रकअ़त पढ़ लो। **(तिर्मिज़ी-511)**

1114. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे और हज़रत सुलैक ग़त्फ़ानी (रज़ि.) मस्जिद में दाख़िल हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, क्या तुमने आने से पहले दो रकअ़तें पढ़ ली है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, जी नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मुख़्तसर तौर पर दो रकअ़त अदा कर लो।

जुम्आ के दिन लोगों के सरों को न फ़लाँगे

1115. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे। एक शख़्स लोगों की गर्दनों पर कूदता-फाँदता आगे बढ़ा चला आ रहा था। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, बैठ जाओ! देर करके आये हो और लोगों को तक्लीफ़ देते हो।

1116. हज़रत सहल इब्ने अनस (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स लोगों की गर्दनों पर फलाँगता हुआ आगे बढ़ा उसने अपने लिये दोज़ख़ तक पहुँचने के लिये पुल तैयार किया। **(तिर्मिज़ी-513)**

जब इमाम मिम्बर से उतर आये तो उस वक़्त कलाम करना चाहिये या नहीं

1117. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, अगर कोई ज़रूरत दरपेश आई तो हुज़ूर (ﷺ) ने मिम्बर से उतरने के बाद उसके मुताल्लिक़ बातचीत फ़र्माया करते। **(अबू दाऊद-1120)**

जुम्आ की नमाज़ की क़िरअत का बयान

1118. हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अबी राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि मरवान (रज़ि.) ने हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को मदीना का हाकिम मुक़र्रर किया। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने हमको जुम्आ की नमाज़ पढ़ाई। पहली रकअत में सूरह जुम्आ पढ़ी और दूसरी रकअत में इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून पढ़ी। उबैदुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि जब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) वापस हुए तो मैंने उनसे कहा कि आपने जुम्आ में वो सूरतें पढ़ी जो हज़रत अली (रज़ि.) कूफ़ा में पढ़ा करते थे। उन्होंने फ़र्माया, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को भी जुम्आ की नमाज़ में यही दो सूरतें पढ़ते सुना है। **(मुस्लिम-877)**

1119. हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, ज़िहाक बिन कैस (रज़ि.) ने हज़रत नोअमान इब्ने बशीर (रज़ि.) को लिखा कि हमको यह तहरीर फ़र्मायें कि जुम्आ के दिन सूरह जुम्आ के साथ दूसरी कौनसी सूरत हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तिलावत फ़र्माया करते। हज़रत नोअमान (रज़ि.) ने फ़र्माया कि हल अताक हदीसुल ग़ाशियह तिलावत फ़र्माया करते थे। **(मुस्लिम-878)**

1120. हज़रत अबी उनैयया ख़ौलानी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जुम्आ के दिन **सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला** और **हल अताक हदीसुल ग़ाशियह** तिलावत फ़र्माया करते।

उस शख़्स का बयान जिसको जुम्आ की एक रकअत मिले

1121. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को जुम्आ की एक रकअत मिली, उसको उसके साथ दूसरी मिलाकर पूरा कर लेना चाहिये।

1122. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को जुम्आ की एक रकअत भी मिल गई उसको पूरी नमाज़ मिल गई। **(बुख़ारी-580, मुस्लिम-607)**

1123. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने जुम्आ या दीगर नमाज़ों की एक रकअत हासिल कर ली उसने गोया पूरी नमाज़ का सवाब हासिल कर लिया। बाक़ी रकअतें मिलाकर नमाज़ को पूरा कर ले।

जुम्आ मे लोग कहाँ-कहाँ से आकर जमा होते थे

1124. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि जुम्आ के दिन रसूले अकरम (ﷺ) के पास तमाम अहले कुबा जमा हो जाया करते थे। **(अबू दाऊद-1052)**

उस शख़्स का बयान जो जुम्आ की नमाज़ बिना उज़्र के छोड़ दे

1125. हज़रत अबी जअद ज़मरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जो शख़्स लगातार तीन

जुम्आ छोड़ देता है, अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा देता है।

1126. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बग़ैर उ़ज़्र के तीन जुम्आ की नमाज़ छोड़ देगा, अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा देगा।

1127. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम में से कोई शख़्स एक या दो मील के मैदान में तमाम बकरियाँ जमा करले और वहाँ घास न रहे, तो उसकी तलाश में कोसों दूर निकल जायेगा, लेकिन जुम्आ की नमाज़ तुम पर भारी है। एक मर्तबा छोड़ देता है, दूसरी मर्तबा छोड़ देता है, तीसरी मर्तबा छोड़ देता है यहाँ तक कि अल्लाह तआला उसके दिल पर ग़फ़लत की मुहर लगा देता है।

1128. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जुम्आ की नमाज़ तर्क करे उसको एक दीनार का सदक़ा देना चाहिये। अगर एक दीनार मयस्सर न आये तो आधा दीनार ही सही।

नमाज़े जुम्आ के पहले कितनी रकअत पढ़नी चाहिये

1129. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) जुम्आ की नमाज़ से पहले चार रकअतें पढ़ा करते थे। चारों मज्मूई तरीक़े पर अदा फ़र्माया करते।

नमाज़े जुम्आ के बाद कितनी रकअत पढ़नी चाहिये

1130. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) जुम्आ की नमाज़ के बाद मकान पर दो रकअतें अदा फ़र्माया करते। हुज़ूर (ﷺ) ने ये आदत जारी फ़र्माई थी। **(मुस्लिम-882)**

1131. हज़रत सालिम (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे वालिद (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले अकरम (ﷺ) जुम्आ की नमाज़ के बाद दो रकअतें अदा फ़र्माया करते थे।

1132. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसको जुम्आ के बाद नमाज़ अदा करनी हो उसको चार रकअतें पढ़नी चाहिये। **(मुस्लिम-881)**

जुम्आ की नमाज़ से पहले हजामत बनवाने और उकडू बैठने का बयान

1133. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्आ की नमाज़ से पहले मस्जिद में बैठकर हजामत न बनवाई जाये।

1134. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने जुम्आ के दिन जिस वक़्त इमाम ख़ुत्बा पढ़ता हो, उस वक़्त इस तरह उकडू बैठने से मना फ़र्माया कि दोनों घुटने खड़े कर ले और उनको चादर से लेकर कमर की तरफ़ बाँध ले।

जुम्आ की अज़ान का बयान

1135. हज़रत साइब इब्ने यज़ीद (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक ही मुअज़्ज़िन था। एक अज़ान ख़ुत्बे से पहले हुआ करती और एक अज़ान नमाज़ के लिये हुआ करती। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और

हज़रत उमर (रज़ि.) के ज़माने में भी यही हालत रही। इसके बाद हज़रत उस्मान (रज़ि.) के ज़माने में दूसरी अज़ान की ज़्यादती की गई। क्योंकि इस ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा हो गये। यह अज़ान मक़ामे ज़ोरा में जो बाज़ार में वाकेअ था, हुआ करती। (अबू दाऊद-1088)

जब इमाम ख़ुत्बा कहता हो तो लोग उसकी तरफ़ मुतवज्जोह हो

1136. **हज़रत अदी इब्ने साबित (रज़ि.)** अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि जब रसूले करीम (ﷺ) ख़ुत्बा के लिये मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा होते सहाबा (रज़ि.) आपकी तरफ़ मुतवज्जह हुआ करते थे।

जुम्आ के दिन उस घड़ी का बयान जिसमें हर दुआ क़ुबूल होती है

1137. **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्आ में एक साअत (घड़ी) ऐसी है कि अगर इंसान नमाज़ पढ़ते हुए अल्लाह तआला से कुछ सवाल करे तो अल्लाह तआला उसको इनायत फ़र्मायेगा। (बुख़ारी-6400)

1138. **हज़रत कसीर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने औफ़ मुज़नी (रज़ि.)** अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जुम्आ के दिन एक साअत (घड़ी) ऐसी है कि इसमें जो अल्लाह तआला से सवाल करता है, अल्लाह तआला उसको इनायत फ़र्माता है। किसी ने दरयाफ़्त किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौनसी घड़ी है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ के शुरू होने से नमाज़ के ख़त्म होने तक। (तिर्मिज़ी-490)

1139. **हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम (रज़ि.)** कहते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमको किताबुल्लाह में जुम्आ के दिन एक ऐसी साअत मिलती है कि अगर बन्दा इसमें अल्लाह तआला से कोई दुआ करे तो अल्लाह तआला उसको फ़ौरन क़ुबूल फ़र्मा ले। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! एक साअत नहीं बल्कि एक साअत का कुछ हिस्सा है। मैंने अर्ज़ किया, जी सही है। बाज़ ही हिस्सा है लेकिन वो कौनसा है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दिन का आख़िरी हिस्सा है। मैंने अर्ज़ किया, शायद वो नमाज़ का वक़्त होगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! जब कोई शख़्स नमाज़ पढ़ कर नमाज़ के इन्तज़ार में बैठा रहता है तो उस वक़्त नमाज़ ही में शुमार किया जाता है। (मुस्नद अहमद)

बारह रकअत सुन्नत पढ़ने का बयान

1140. **हज़रत आइशा (रज़ि.)** कहती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बारह रकअत सुन्नत हमेशा अदा करता रहेगा, उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार कराया जायेगा। चार रकअत नमाज़ ज़ुहर से पहले और इसके बाद, दो रकअत मग़्रिब के बाद, दो रकअत इशा के बाद और दो रकअत फ़ज्र से पहले। (तिर्मिज़ी-414)

1141. **हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.)** कहती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दिन-रात में हमेशा बारह रकअत सुन्नतों को अदा करता रहेगा, उसके लिये जन्नत में मकान तैयार करवाया जायेगा। (तिर्मिज़ी-415)

1142. **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने दिन में बारह रकअत सुन्नत अदा किये, उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार होगा। दो रकअत फ़ज्र से पहले, दो ज़ुहर से पहले और ज़ुहर के बाद और मेरा ख़्याल है कि दो रकअत अस्र से पहले फ़र्माये और दो रकअत मग़्रिब के बाद और मेरा ख़्याल है कि दो इशा के बाद फ़र्माये।

उन हदीसों का बयान जिनमें फ़ज्र की सुन्नतों की फ़ज़ीलत है

1143. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि फ़ज्र के तुलूअ होते ही हुज़ूरे अकरम (ﷺ) दो रकअत सुन्नत अदा फ़र्माया करते थे।

1144. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) अज़ाने फ़ज्र होते ही सुन्नतें अदा करते थे।
(बुख़ारी-995, मुस्लिम-749)

1145. हज़रत हफ़्शा (रज़ि.) कहती हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) को फ़ज्र की अज़ान सुनाई देती तो आप (ﷺ) दो रकअत मुख़्तसर तौर पर पढ़कर नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते। **(बुख़ारी-618, 1173, 1181, मुस्लिम-723)**

1146. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि पहले हुज़ूरे अकरम (ﷺ) वुज़ू करके दो रकअत अदा फ़र्माते, उसके बाद फ़र्ज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते।

1147. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) इक़ामत के वक़्त फ़ज्र की सुन्नतें अदा फ़र्मा रहे होते।

फ़ज्र की सुन्नतों में हुज़ूर (ﷺ) कौनसी सूरतें तिलावत फ़र्माया करते

1148. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों में सूरह काफ़िरून और सूरह इख़्लास पढ़ते थे। **(मुस्लिम-726)**

1149. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने एक ज़माने तक हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को फ़ज्र की सुन्नतों में **कुल या अय्युहल काफ़िरून** और **कुल हुवल्लाहु अहद** पढ़ते देखा। **(तिर्मिज़ी-417)**

1150. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले करीम (ﷺ) फ़ज्र से पहले दो रकअत सुन्नतें अदा फ़र्माते और दोनों रकअतों में **कुल या अय्युहल काफ़िरून** और **कुल हुवल्लाहु अहद** पढ़कर फ़र्माया करते, क्या उम्दा सूरतें हैं।
(मुस्नद अहमद)

जब इक़ामत हो रही हो उस वक़्त सिवाय फ़र्ज़ के कोई नमाज़ नहीं होती

1151. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इक़ामत हो रही हो तो उस वक़्त सिवाय फ़र्ज़ के कोई नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिये। **(मुस्लिम-710)**

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर नमाज़ की इक़ामत होती हो तो सिवाय फ़र्ज़ों के दूसरी नमाज़ नहीं होती।

1152. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सरजिस (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा सुबह की नमाज़ के वक़्त रसूले मक़्बूल (ﷺ) नमाज़ में मशग़ूल थे। मैं नमाज़ के बाद एक और नमाज़ पढ़ने लगा था। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी कौनसी नमाज़ का ऐतबार किया जाये। (पहली थी या दूसरी) **(मुस्लिम-712)**

1153. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि सुबह की नमाज़ की इक़ामत हो रही थी, हुज़ूर (ﷺ) जब तशरीफ़ लाए तो आपका गुज़र एक शख़्स के क़रीब से हुआ और वो नमाज़ में मशग़ूल था। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे

आहिस्ता-आहिस्ता कुछ बातें की। मैं उन बातों को न सुन सका। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो हम लोगों ने उस शख़्स को घेरकर दरयाफ़्त किया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तुमसे क्या बातें कर रहे थे? उन्होंने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम में से बाज़ लोग फ़ज्र की चार रकअतें पढ़ने लगे हैं। (बुख़ारी-663, मुस्लिम-711)

अगर फ़ज्र की सुन्नतें क़ज़ा हो जाये तो उनको किस वक़्त पढ़ना चाहिये

1154. हज़रत कैस इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि फ़ज्र की नमाज़ के बाद एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा था। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या सुबह की नमाज़ दो मर्तबा पढ़ी जाती है? उस शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने सुन्नतें अदा नहीं की थी, उनको पढ़ रहा हूँ। यह सुनकर रसूले करीम (ﷺ) ने ख़ामोशी इख़्तियार फ़र्माई।

(अबू दाऊद-1267, तिर्मिज़ी-422)

1155. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की सुन्नते फ़ज्र क़ज़ा हो गई थी तो हुज़ूर (ﷺ) ने उसको सूरज उगने के बाद क़ज़ा किया था।

नमाज़े ज़ुहर से पहले चार रकअत का बयान

1156. हज़रत काबूस (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझको हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में रवाना किया ताकि ये दरयाफ़्त करूँ कि हुज़ूरे करीम (ﷺ) को कौनसी नमाज़ ज़्यादा महबूब थी। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) ज़ुहर से पहले हमेशा चार रकअतें अदा किया करते। उनमें क़याम बहुत लम्बा अदा फ़र्माया करते। रुकूअ और सज्दों को अच्छी तरह किया करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

1157. हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) का बयान है कि सूरज के ज़वाल होने के बाद रसूले करीम (ﷺ) ज़ुहर से पहले चार रकअतें एक सलाम से अदा फ़र्माया करते और फ़र्माया करते इस वक़्त आसमानों के दरवाज़े खोले जाते हैं।

(अबू दाऊद-1270)

जिस शख़्स की ज़ुहर के पहले की चार रकअतें क़ज़ा हो जाये उनको किस वक़्त पढ़ना चाहिये?

1158. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़ुहर से पहले की चार रकअते छूट जाती तो आप (ﷺ) उनको ज़ुहर की दो रकअत बाद वाली सुन्नत के बाद अदा फ़र्मा लिया करते। **(तिर्मिज़ी-426)**

जिस शख़्स की ज़ुहर के बाद की दो रकअत सुन्नत छूट जाये उसको क्या करना चाहिये?

1159. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने एक शख़्स को हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास रवाना किया। मैं भी उस क़ासिद के साथ रवाना हो गया। उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से कुछ सवाल किया। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहने लगीं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) मेरे यहाँ ज़ुहर की नमाज़ के लिये वुज़ू कर रहे थे कि एक शख़्स दौड़ता हुआ आया और दरवाज़ा खटखटाया। क्योंकि मुहाजिरीन मस्जिद में बहुत ज़्यादा

जमा हो गये थे और आप (ﷺ) का इंतज़ार कर रहे थे। आपको बुलाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आप (ﷺ) उस जल्दी में उसके साथ चले गये और जाकर नमाज़ अदा फ़र्माई। उसके बाद माले ग़नीमत तक़्सीम करने में मश्ग़ूल हो गये। उस तक़्सीम के दौरान में अ़स्र का वक़्त आ गया। आप (ﷺ) ने अ़स्र की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मकान पर तशरीफ़ लाये और दो रकअ़त मकान पर अदा की और फ़र्माया, उस शख़्स ने जल्दी करके मेरी आख़िर की दो सुन्नतें ज़ुहर की क़ज़ा करवा दी इस वजह से मैंने उनको इस वक़्त अदा कर लिया।

ज़ुहर से पहले और ज़ुहर के बाद चार-चार रकअ़तें पढ़ने का बयान

1160. हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ज़ुहर से पहले और ज़ुहर के बाद चार रकअ़तें अदा करेगा उस पर दोज़ख़ की आग हराम हो जायेगी। **(तिर्मिज़ी-427)**

दिन में कितने नफ़्ल पढ़ने मुस्तहब हैं

1161. हज़रत आसिम इब्ने ज़मुरह सलूली (रज़ि.) का बयान है, हमने हज़रत अ़ली (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि रसूले अकरम (ﷺ) दिन में कितने नवाफ़िल अदा फ़र्माया करते थे। आपने कहा, तुम हुज़ूर (ﷺ) की तरह नहीं कर सकते। मैंने अ़र्ज़ किया, आप बयान फ़र्मायें, जितना हमसे हो सकेगा, उतना करेंगे। हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने फ़र्माया, जब आप (ﷺ) फ़ज्र की नमाज़ अदा फ़र्मा लेते तो कुछ अर्से के बाद सूरज तुलूअ होकर आसमान पर बख़ूबी बुलन्द होता तो आप (ﷺ) दो रकअ़तें अदा फ़र्माया करते। फिर उसके बाद जब सूरज इस क़द्र बुलन्द हो जाता कि जितना ज़ुहर के वक़्त मग़रिब के ऐतबार से हो जाता है तो फिर चार रकअ़तें अदा फ़र्माते। फिर सूरज ढ़लने के बाद ज़ुहर से पहले चार रकअ़तें और ज़ुहर के बाद दो रकअ़तें। फिर अ़स्र से पहले चार रकअ़तें पढ़ते और हर रकअ़त में नज़दीकी रिश्तेदारों, अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और तमाम मुसलमानों के लिये दुआ फ़र्माया करते। लेकिन आप (ﷺ) ने उन पर कलाम बहुत कम किया है। हज़रत वकीअ़ (रज़ि.) कहते हैं कि उबय (रज़ि.) ने इतना ज़्यादा बयान किया है कि हबीब इब्ने साबित (रज़ि.) ने कहा कि अबू इस्हाक (रज़ि.) अगर तुम्हारी मस्जिद सोने से भरी हो तो भी मुझको इस हदीस से ज़्यादा महबूब नहीं। **(तिर्मिज़ी-598, 599)**

मग़रिब से पहले दो रकअ़तें पढ़ने का बयान

1162. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नमाज़ के वक़्त की अज़ान और इक़ामत के दरम्यान नमाज़ पढ़ना चाहिये। अलबत्ता तीसरे वक़्त की अज़ान और इक़ामत में इख़्तियार है। **(बुख़ारी-627, मुस्लिम-838)**

1163. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में जब मुअज़्ज़िन मग़रिब की अज़ान देता तो लोग इतनी ज़्यादा तादाद में नमाज़ पढ़ते होते कि देखने वालों को ख़्याल होता कि शायद ये अज़ान नहीं हुई है बल्कि इक़ामत थी और अब जमाअ़त हो रही है। **(मुस्नद अहमद)**

मग़रिब के बाद दो रकअ़त सुन्नत का बयान

1164. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मग़रिब की नमाज़ के बाद फिर हुज़ूर (ﷺ) मकान

पर तशरीफ़ लाकर दो रकअ़त अदा फ़र्माया करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

1165. हज़रत राफ़ेअ इब्ने ख़दीज़ (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) बनी अ़ब्दुल अशहल की मस्जिद में तशरीफ़ लाये। मग़रिब की नमाज़ आप (ﷺ) ने वहीं पढ़ी, उसके बाद फ़र्माया कि ये दो रकअ़त सुन्नत तुम लोग अपने-अपने मकानों में अदा किया करो। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-4290)**

मग़रिब की सुन्नतों में क्या पढ़ना चाहिये

1166. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) मग़रिब की सुन्नतों में **कुल या अय्युहल काफ़िरून** और कल **हुवल्लाहु अहद** तिलावत फ़र्माया करते। **(तिर्मिज़ी-431)**

मग़रिब के बाद कुछ रकअ़तें पढ़ने का बयान

1167. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मग़रिब की नमाज़ के बाद कुछ रकअ़तें इस तरह अदा करेगा कि उनके दरम्यान कोई फ़हश कलाम न किया तो ये उसकी कुछ रकअ़तें बारह साल की इबादत के बराबर होगी। **(तिर्मिज़ी-435)**

वित्रों का बयान

1168. हज़रत ख़ारजा इब्ने हुज़ैफ़ा अ़बदी (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और हमसे इर्शाद फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये एक और नमाज़ ज़्यादा की है। जो तुम्हारे लिये सुर्ख़ ऊँटों से भी ज़्यादा बेहतर और उ़म्दा है, यानी वित्र। उनका वक़्त इशा की नमाज़ से लेकर फ़ज्र तक है। **(अबू दाऊद-1418)**

1169. हज़रत आसिम इब्ने ज़मुरह (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अ़ली (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि वित्र ज़रूरी नहीं और न तुम्हारे फ़र्ज़ों की तरह तुम पर लाज़िम है। अलबत्ता हुज़ूर (ﷺ) ने उनको पढ़ा है और फ़र्माया है कि ऐ हाफ़िज़े क़ुर्आन! वित्र पढ़ा करो। क्यों कि अल्लाह तआ़ला वाहिद है, वहदत को पसन्द फ़र्माता है। **(अबू दाऊद-1416)**

1170. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अहले क़ुर्आन! अल्लाह तआ़ला वाहिद है, वहदत को पसन्द फ़र्माता है, तुम लोग वित्र पढ़ा करो। एक देहाती ने सुनकर कहा, हुज़ूर (ﷺ) क्या फ़र्मा रहे हैं? हमने उससे कहा कि तुम्हारे और तुम्हारे जैसों के लिये ये हुक्म नहीं है। **(अबू दाऊद-1417)**

वित्र में क्या पढ़ना चाहिये

1171. हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) वित्रों की पहली रकअ़त में **सब्बिहिस्सम रब्बिकल अअ़ला** तिलावत फ़र्माते और दूसरी रकअ़त में **कुल या अय्युलहल काफ़िरून** और तीसरी में कल **हुवल्लाहु अहद** तिलावत फ़र्माया करते। **(अबू दाऊद-1423)**

1172. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) वित्रों की पहली रकअ़त में **सब्बिहिस्सम रब्बिकल अअ़ला** तिलावत फ़र्माते और दूसरी रकअ़त में कल **या अय्युलहल काफ़िरून** और तीसरी में कल **हुवल्लाहु अहद** तिलावत फ़र्माया करते। **(तिर्मिज़ी-462)**

1173. हज़रत अब्दुल अज़ीज़ इब्ने जरीअ (रज़ि.) कहते हैं, हमने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर (ﷺ) वित्रों में कौनसी सूरतें तिलावत फ़र्माया करते थे। आपने फ़र्माया, पहली रकअत में **सब्बिहिस्सम रब्बिकल अअला** तिलावत फ़र्माते और दूसरी रकअत में **कल या अय्युलहल काफ़िरून** और तीसरी में **कल हुवल्लाहु अहद** और **कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक** और **कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास** तिलावत फ़र्माया करते।
(अबू दाऊद-1424, तिर्मिज़ी-463)

एक रकअत वित्र का बयान

1174. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रात की नमाज़ की दो-दो रकअतें हैं और वित्र की एक रकअत है।

1175. हज़रत अबी मुजलिज़ (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा, अगर मैं सो जाऊँ या मेरी आँखों पर नींद ग़ालिब हो जाये तो क्या करूँ। इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा, अगर मैं सो जाऊँ या मेरी आँखों पर नींद ग़ालिब हो जाये तो क्या करूँ? ये सवाल करने की जगह नहीं। हुज़ूर (ﷺ) ने यही फ़र्माया है कि रात में दो-दो रकअतें पढ़नी चाहिये और वित्र की एक रकअत इंसान सुबह तक पढ़ सकता है। **(मुस्लिम-752)**

1176. हज़रत मुत्तलिब इब्ने अब्दुल अज़ीज़ (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स ने इब्ने उमर (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, मैं वित्र किस तरह पढ़ा करूँ? फ़र्माया कि एक रकअत अदा किया करो। उसने कहा, मुझे ये ख़ौफ़ है कि कहीं लोग दुम कटा न कहे। आपने फ़र्माया, ये एक रकअत अल्लाह तआला और उसके रसूल की सुन्नत है।

1177. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) दो-दो रकअतें अदा फ़र्माते रहे। फिर एक रकअत पढ़कर सबको वित्र बना लिया करते। **(मुस्लिम-736)**

वित्र में दुआ-ए-कुनूत पढ़ने का बयान

1178. हज़रत हसन इब्ने अली (रज़ि.) कहते हैं, मेरे नाना रसूले करीम (ﷺ) ने वित्र में कुनूत पढ़ने के लिये ये दुआ तालीम फ़र्माई थी, **अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लनी फ़ीमत तवल्लैत वहदिनी फ़ीमन हदैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत व बारिक ली फ़ीमा आतैत इन्नक तक़्ज़ी वला युक्ज़ा अलैक इन्नहू ला यज़िल्लु मव्वालैत सुब्हान-क रब्बना तबारकत व तआलैत.** (ऐ अल्लाह! तू जिन्हें आफ़ियत बख़्शता है, मुझे भी उनमें (शामिल करके) आफ़ियत बख़्श और जिनसे तू मुहब्बत रखता है, उनमें (शामिल करके) मुझसे मुहब्बत रख और जिन्हें तूने हिदायत दी, उनमें (शामिल करके) मुझे भी हिदायत दे और तूने जो भी फ़ैसला किया है उसके शर से मुझे महफ़ूज़ फ़र्मा और जो कुछ तूने मुझे दिया है उसमें बरकत अता फ़र्मा, यक़ीनन तू ही फ़ैसले करता है, तेरे मुक़ाबले में कोई फ़ैसला नहीं होता और जिसे तू दोस्त रखे वो कहीं ज़लील नहीं हो सकता, ऐ हमारे रब! तू पाक है तू बरकतों वाला और बुलन्दियों वाला है)। **(अबू दाऊद-1425, 1426, तिर्मिज़ी-464)**

1179. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) वित्रों की आख़िरी रकअत में फ़र्माया करते, **अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरज़ाक मिन सख़ितक व अऊज़ु बिमुआफ़ातिक मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिक मिन्क ला उहसी सनाअन अलैक अन्ता कमा अस्नैत अला नफ़्सिक.** (ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से बचते हुए तेरी ख़ुशनूदी की पनाह में आता हूँ और तेरी सज़ा से बचते हुए तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ और

मैं तुझसे (तेरे ग़ैज़ व ग़ज़ब से) तेरी (रहमत की) अमान चाहता हूँ, मैं तेरी तारीफ़ें शुमार नहीं कर सकता, तू वैसा ही है जैसे तेने ख़ुद अपनी सिफ़ात बयान फ़र्माई है)। **(अबू दाऊद-1427, तिर्मिज़ी-3566)**

दुआ-ए-कुनूत में हाथ ऊपर न उठाने का बयान

1180. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) सिवाय दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ के और किसी दुआ के वक़्त हाथ बुलन्द नहीं फ़र्माया करते थे। दुआ-ए-इस्तिस्क़ाअ में हाथ मुबारक इस क़दर बुलन्द फ़र्माते कि आपके बग़लों की सफ़ेदी नज़र आ या करती। फिर दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लिया करते।

(बुख़ारी-3565, मुस्लिम-896)

हाथ उठाकर दुआ करना और दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना

1181. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तू अल्लाह तआला से दुआ करे तो हाथों के अन्दरूनी हिस्सों को उठा, पुश्त की तरफ़ से हाथों को न उठा। इसके बाद दोनों हाथों को चेहरे पर फेर लिया कर।

वित्र में दुआ-ए-कुनूत रुकूअ से पहले पढ़नी चाहिये या रुकूअ के बाद पढ़नी चाहिये

1182. हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) वित्रों में रुकूअ से पहले दुआ-ए-कुनूत पढ़ा करते थे। **(नसाई-1700)**

1183. हज़रत अनस (रज़ि.) से किसी ने वित्र में कुनूत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया, आपने फ़र्माया, हम सुबह की नमाज़ में रुकूअ से पहले भी कुनूत पढ़ा करते थे और रुकूअ के बाद भी।

1184. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) से किसी ने दरयाफ़्त किया, रसूले मक़्बूल (ﷺ) दुआ-ए-कुनूत किस वक़्त पढ़ा करते थे? हज़रत अनस (रज़ि.) ने कहा, रुकूअ के बाद। **(बुख़ारी-1001, मुस्लिम-677)**

आख़िरी रात में वित्र पढ़ने का बयान

1185. हज़रत मसरूक़ (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के वित्रों के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। उम्मुल मोमिनीन ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) वित्र में पूरी रात को घेरा है। कभी शुरू रात में पढ़ा है, कभी आधी रात में यहाँ तक कि वफ़ात के वक़्त आप सहर के क़रीब पढ़ा करते थे। (मालूम हुआ कि हर वक़्त वित्र रात में जायज़ है) **(मुस्लिम-745)**

1186. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने रात के हर हिस्से में वित्र अदा किये हैं, कभी शुरू रात में, कभी आधी रात में और कभी आख़िर रात में। **(मुस्नद अहमद)**

1187. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो ये यक़ीन कर सकता हो कि आख़िर रात में बेदार हो सकेगा उसको आख़िर रात में वित्र पढ़ना चाहिये, क्योंकि ये अफ़ज़ल वक़्त है। और जिसको आख़िर रात में बेदार होने का यक़ीन न हो उसको शुरू रात में पढ़ लेना चाहिये। **(मुस्लिम-755)**

उस शख़्स का बयान जो वित्र पढ़ना भूल जाये

1188. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सो जाये या उसको वित्र याद न रहे तो सुबह को या जिस वक़्त याद आ जाये क़ज़ा करे। **(अबू दाऊद-1431)**

1189. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सुबह से पहले वित्र अदा कर लिया करो। **(मुस्लिम-754)**

वित्र के तीन, पाँच, सात या नौ रकअतों का बयान

1190. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़े वित्र हक़ है, जिसकी मर्ज़ी हो तीन रकअतें पढ़े, चाहे पाँच रकअतें पढ़े और अगर चाहे तो एक रकअत ही पढ़े। **(अबू दाऊद)**

1191. हज़रत सअद इब्ने हिशाम (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से अर्ज़ किया कि हुज़ूर (ﷺ) के वित्रों के बारे में बयान फ़र्मायें। आपने कहा, हम हुज़ूर (ﷺ) के लिये वुज़ू का पानी और मिस्वाक बाक़ायदा रख दिया करते। रात के वक़्त जब अल्लाह की मर्ज़ी होती आप (ﷺ) बेदार होकर मिस्वाक करते और वुज़ू करके इकट्ठा 9 रकअत अदा फ़र्माते। आठवीं रकअत में क़अदह करके जो मुनासिब होता दुआ करते। अल्लाह की हम्दो-सना करते। फिर नौवीं रकअत के लिये बग़ैर सलाम फेरे उठ खड़े होते और एक के बाद फिर क़अदह में हम्दो-सना करते, दुआ फ़र्माते और सलाम फेर देते फिर इसके बाद दो रकअतें और अदा फ़र्माते। कुल ग्यारह रकअतें हुईं। लेकिन जब हुज़ूर (ﷺ) का जिस्म मुबारक भारी हो गया तो बजाय नौ रकअतों के सात रकअतें अदा फ़र्माया करते और उसके बाद दो रकअतें पढ़ा करते। **(नसाई-1721)**

1192. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले करीम (ﷺ) कभी पाँच रकअतें पढ़ा करते और कभी सात। उनके दरम्यान में सलाम नहीं फेरा करते थे, न किसी क़िस्म का कलाम फ़र्माया करते। **(नसाई-1715, 1716)**

सफ़र में वित्र पढ़ने का बयान

1193. हज़रत सालिम (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) सफ़र में दो रकअतों से ज़्यादा नहीं पढ़ा करते थे और रात के वक़्त तहज्जुद भी अदा फ़र्माया करते। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर (ﷺ) वित्र भी पढ़ा करते थे? सालिम (रज़ि.) ने कहा, हाँ! वित्र भी अदा फ़र्माते।

1194. हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सफ़र में फ़र्ज़ों की दो रकअतें मुक़र्रर फ़र्मा दी है। ये सफ़र की कामिल नमाज़ समझना चाहिये और सफ़र में वित्रों को सुन्नत क़रार दिया है।

उन नवाफ़िल का बयान जो वित्र के बाद बैठकर अदा किये जाते हैं

1195. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) वित्रों के बाद दो रकअतें बैठकर अदा फ़र्माया करते थे। ये दोनों रकअतें ख़फ़ीफ़ (हल्की) हुआ करती। **(तिर्मिज़ी-471)**

1196. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) वित्र एक रकअत अदा करने के बाद दो रकअत बैठकर फ़र्माया करते। लेकिन जब रुकूअ का वक़्त क़रीब आता तो खड़े हो जाया करते। **(मुस्लिम-738)**

वित्र के बाद और फ़ज्र की सुन्नतों के बाद आराम करने का बयान

1197. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हमेशा हुज़ूर (ﷺ) को आख़िरी रात में अपने पास सोता हुआ देखा है। हज़रत वकीअ (रज़ि.) कहते हैं, मतलब ये है कि वित्रों के बाद कुछ देर आप आराम फ़र्मा लिया करते।

(बुख़ारी-1133, मुस्लिम-742)

1198. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों के बाद कुछ देर आराम फ़र्मा लिया करते थे।

(मुस्नद अहमद)

1199. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) फ़ज्र की सुन्नतों के बाद कुछ देर के लिये आराम फ़र्मा लिया करते थे।

सवारी पर वित्र पढ़ने का बयान

1200. हज़रत सईद इब्ने यसार (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा मैं हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ सफ़र कर रहा था, वित्र पढ़ने के लिये ठहर गया। उसके बाद जब मैं उनके पास पहुँचा तो मुझसे फ़र्माया, पीछे क्यों रह गये थे। मैंने अर्ज़ किया, वित्रों की वजह से रुकना पड़ा। फ़र्माया, क्या तुमको हुज़ूर अकरम (ﷺ) के उस्वा-ए-हस्ना की इत्तिबाअ पसन्द नहीं? मैंने कहा, क्यों नहीं। उन्होंने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) तो सवारी पर ही वित्र अदा फ़र्मा लिया करते थे।

(बुख़ारी-999, मुस्लिम-700)

1201. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) सवारी पर वित्र अदा फ़र्मा लिया करते थे।

शुरू रात में वित्र पढ़ने का बयान

1202. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन रसूले करीम (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, तुम वित्र किस वक़्त अदा करते हो। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, इशा की नमाज़ के बाद शुरू रात में। आप (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं आख़िरी रात में पढ़ा करता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र! तुमने यक़ीनी वक़्त इख़्तियार किया है और उमर! तुमने अपनी कुव्वत पर ऐतबार किया है।

(मुस्नद अहमद)

हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) से हुज़ूर (ﷺ) ने यही फ़र्माया था जो पहले मज़्कूर हो चुका है।

नमाज़ के सज्द-ए-सह्व का बयान

1203. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने नमाज़ में कमी व बेशी कर दी। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ में कुछ ज़्यादती कर दी गई है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ। जिस तरह तुम में से किसी से ग़लती हो जाती है, उसी तरह मुझसे भी हो जाती है। अगर किसी शख़्स से नमाज़ में भी भूल हो जाये तो उसको सज्द-ए-सह्व कर लेना चाहिये। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने सज्द-ए-सह्व अदा किया।

(मुस्लिम-572)

1204. **हज़रत अयाज़ (रज़ि.)** कहते हैं, मैंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से अर्ज़ किया, हम में से बाज़ लोग इस क़द्र भूल जाते हैं कि उनको नमाज़ में ये ख़्याल नहीं रहता कि हमने किस क़द्र नमाज़ पढ़ी है। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये? हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, अगर तुम में से कोई शख़्स भूल जाये और उसको याद न रहे कि कितनी नमाज़ पढ़ी तो उसको बैठकर दो सज्द-ए-सह्व कर लेना चाहिये। **(अबू दाऊद-1036)**

भूलकर ज़ुहर की पाँच रकअतें पढ़ने वाले का बयान

1205. **हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.)** कहते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हमको ज़ुहर की पाँच रकअतें पढ़ाई। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ में ज़्यादती कर दी गई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्यों कैसे मालूम हुआ? अर्ज़ किया गया, आपने हमको पाँच रकअतें पढ़ाई। आप (ﷺ) ने फ़ौरन पाँव बिछाकर सज्द-ए-सह्व कर लिया। **(बुख़ारी-404, मुस्लिम-572)**

उस शख़्स का बयान जो भूलकर दो रकअतों के बाद क़अदह न करे

1206. **हज़रत इब्ने उयैयना (रज़ि.)** का बयान है कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। मेरा ख़्याल है कि ये अस्र की नमाज़ थी। दूसरी रकअत के बाद आप (ﷺ) ने क़अदह न किया। चौथी रकअत के बाद सलाम से पहले आप (ﷺ) ने दो सज्दे सह्व के कर लिये और उसके बाद सलाम फेर लिया। **(बुख़ारी-829, मुस्लिम-570)**

1207. **हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अअरज (रज़ि.)** कहते हैं, मुझसे इब्ने उयैयना (रज़ि.) ने बयान किया कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ में क़अदह अव्वल को भूल गये। जब आख़िरी क़अदह फ़र्माया तो सलाम से पहले आप (ﷺ) ने दो सज्दे सह्व के किये और उसके बाद आपने सलाम फेर दिया।

1208. **हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर कोई शख़्स दूसरी रकअत के बाद खड़ा होने लगे तो अगर बिल्कुल सीधा खड़ा न हुआ हो तो क़अदह कर ले और अगर सीधा खड़ा हो गया हो तो आख़िर में दो सज्दे सह्व के कर ले। **(अबू दाऊद-1036)**

उस शख़्स का बयान जिसको अपनी नमाज़ में शक पैदा हो जाये फिर यक़ीन करके अपनी नमाज़ को पूरा कर ले

1209. **हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ (रज़ि.)** का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स को एक रकअत और दो रकअत में शक हो जाये तो उसको चाहिये कि एक रकअत क़रार दे और अगर दो और तीन रकअतों में शक हो जाये तो दो रकअत क़रार दे और अगर तीन और चार रकअतों में शक हो जाये तो तीन क़रार दे। यहाँ तक कि उसको ज़्यादती का ख़्याल पैदा होने लगे। फिर आख़िर में सज्द-ए-सह्व सलाम से पहले करे। **(तिर्मिज़ी-398)**

1210. **हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुमसे किसी शख़्स की नमाज़ में शक हो जाये तो शक को छोड़कर गुमाने ग़ालिब का दर्जा ले। जब गुमाने ग़ालिब के तौर पर नमाज़ पूरी कर ले तो आख़िर में दो सज्द-ए-सह्व कर ले। पस अगर नमाज़ उसकी पूरी हो गई होगी तो ये रकअत उसके लिये नफ़्ल हो जायेगी और अगर नमाज़ नाक़िस रही होगी तो ये रकअत उसकी कमी को पूरा कर देगी और दोनों सज्दे शैतान की ज़िल्लत की वजह बन जायेंगे। **(मुस्लिम-571)**

जिस शख़्स को नमाज़ में शक हो जाये तो अक़्ल दौड़ाकर सही तरीक़ा इख़्तियार कर ले

1211. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ में भूल गये। नहीं मालूम आपने ज़्यादा पढ़ी या कम। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ौरन जिस तरह सज्दे में पाँव बिछाते हैं, बिछाकर सज्द-ए-सह्व करके सलाम फेरा और फ़र्माया, अगर नमाज़ में किसी क़िस्म की कमी या बेशी होती तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम जैसा बशर हूँ, जिस तरह तुमको भूल हो जाती है, उसी तरह मैं भी भूल जाता हूँ। लिहाज़ा अगर फिर कभी ऐसा वाक़िआ हो तो मुझको आगाह कर दिया करो, ये मुझ पर ही मुन्हसिर नहीं बल्कि तुम में से जिस शख़्स के साथ ऐसा वाक़िआ पेश आये तो उसको भी यही करना चाहिये कि अक़्ल के ज़ोर से यक़ीन का दर्जा हासिल करे और उस दर्जे पर नमाज़ को पूरा करके सज्द-ए-सह्व करके सलाम फेरे। **(बुख़ारी-401, मुस्लिम-572)**

1212. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स को नमाज़ में शक हो जाये तो वो अक़्ल के ज़रिये से यक़ीन हासिल करे। जितनी रकअतों पर उसकी अक़्ल यक़ीन करने को कहती हो, उतनी मुक़र्रर करके नमाज़ पूरी करले और आख़िर में दो सज्द-ए-सह्व करके सलाम फेर दे। हज़रत तनाफ़सी (रज़ि.) कहते हैं ये एक ऐसा कायदा है जिसको कोई शख़्स रद्द नहीं सकता है।

उस शख़्स का बयान जो भूलकर दो रकअतों या तीन रकअतों पर सलाम फेर दे

1213. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) ने भूलकर दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। ज़ुलयदैन (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! या तो नमाज़ में कमी हो गई या आप भूल गये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, न इसमें कमी की गई न मैं भूला हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। आप (ﷺ) ने लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, क्या जिस तरह ज़ुलयदैन कह रहे हैं, यही बात है? सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! सही है। आप (ﷺ) फ़ौरन अपने मक़ाम पर वापस चले गये और दो रकअतें पढ़कर सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व फ़र्माया। **(अबू दाऊद-1017)**

1214. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इशा की नमाज़ पढ़ाई और दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। इसके बाद लकड़ी के खम्भे से टेक लगाकर खड़े हो गये। लोगों में बहुत शोरगुल हुआ। आपस में कहने लगे कि या तो नमाज़ कम हो गई या हुज़ूर (ﷺ) भूल गये। उन लोगों में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) भी थे। लेकिन आपसे कहने की हिम्मत किसी की न हुई। एक शख़्स था, जिसका लकब ज़ुलयदैन था, क्योंकि उसके हाथ बहुत लम्बे थे। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या नमाज़ में कमी कर दी गई है या आप भूल गये हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, न नमाज़ में कमी हुई है और न मैं भूला हूँ। उसने अर्ज़ किया, आपने दो रकअतें पढ़ी हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, क्या ज़ुलयदैन सच कह रहे हैं? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सही है। यह सुनकर हुज़ूर (ﷺ) फ़ौरन अपने मक़ाम पर वापस तशरीफ़ लाये और दो रकअतें पढ़ने के बाद सलाम फेरकर दो सज्द-ए-सह्व किये और फिर इख़्तितामे नमाज़ का सलाम फेरा। **(बुख़ारी-482, मुस्लिम-573)**

1215. हज़रत इमरान इब्ने हसीन (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ अस्र की नमाज़ में तीन रकअतों पर रसूले अकरम (ﷺ) ने सलाम फेर लिया और हुजरे में तशरीफ़ ले गये। एक शख़्स जिसका नाम खरबाक था, उसके हाथ बहुत लम्बे थे। उसने जाकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नमाज़ में कमी हो गई या आप भूल गये। ये कलाम सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) निहायत ग़ज़ब की हालत में बाहर तशरीफ़ लाये और दरयाफ़्त किया, क्या बात है? उसने वाक़िआ अर्ज़ किया। आप (ﷺ) ने आकर एक रकअत पूरी करके सलाम फेरा और दो सज्द-ए-सह्व किये। उसके बाद इख़्तितामे नमाज़ का सलाम फेरा। **(मुस्लिम-574)**

सलाम से पहले सज्द-ए-सह्व करने का बयान

1216. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोगों में से बाज़ लोगों के पास शैतान नमाज़ के वक़्त आकर दिल में ख़तरात डालता है और इस क़द्र वस्वसे डालता है कि इंसान को ये याद नहीं रहता कि कितनी नमाज़ पढ़ी, कम या ज़्यादा। अगर ऐसा वाक़िआ पेश आ जाये तो आख़िर में सलाम से पहले दो सज्द-ए-सह्व कर लिया करो, उसके बाद सलाम फेरा करो। **(अबू दाऊद-1032)**

1217. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, शैतान इब्ने आदम के दिल में नमाज़ के वक़्त इस क़द्र वस्वसे डालता है कि इंसान को याद नहीं रहता कि उसने किस क़द्र नमाज़ पढ़ी। ज़्यादा पढ़ी या कम; लिहाज़ा किसी शख़्स को ऐसा वाक़िआ पेश आ जाये तो उसको चाहिये कि आख़िर में सलाम से पहले दो सज्द-ए-सह्व कर ले। **(मुस्नद अहमद)**

सलाम के बाद सज्द-ए-सह्व करने का बयान

1218. हज़रत अल्कमा (रज़ि.) कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) सलाम के बाद दो सज्द-ए-सह्व करके फ़र्माया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

1219. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस नमाज़ में भूल हो जाये उसमें सज्द-ए-सह्व सलाम के बाद कर लेने चाहिये। **(अबू दाऊद-1038)**

जहाँ से नमाज़ छोड़ी हो वहीं से शुरू करके ख़त्म करने का बयान

1220. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिये तशरीफ़ लाये और इक़ामत के बाद आपने तकबीर कही। लेकिन उसके बाद लोगों से इशारा किया कि उसी तरह खड़े रहो और आप ख़ुद अंदर तशरीफ़ ले गये और गुस्ल करके वापस आये। उस वक़्त सरे मुबारक से पानी टपक रहा था। अलग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद फ़र्माया कि मैं जनाबत की हालत में था, मुझको गुस्ल याद नहीं रहा था। इस वजह से तुमसे कहा कि थोड़ी देर ठहरो यहाँ तक कि मैंने तुमको आकर नमाज़ पढ़ाई।

1221. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को नमाज़ में नक्सीर जारी हो जाये या कैअ (उल्टी) आ जाये या खाना हलक़ में वापस लौट जाये या हवा निकल जाये तो उसको चाहिये कि वहाँ से हटकर वुज़ू कर ले और जहाँ नमाज़ को छोड़ा था, वहीं से शुरू कर दे। लेकिन इस दरम्यान में कलाम न करे।

अगर नमाज़ में वुज़ू टूट जाये तो किस तरह अलग हों

1222. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये तो अपनी नाक पकड़कर उस मक़ाम से अलग हो जाये।

मरीज़ की नमाज़ का बयान

1223. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) कहते हैं, मेरे नासूर था; मैंने हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि नमाज़ कैसे पढ़ूँ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, खड़े होकर पढ़ो। अगर खड़े होने की ताक़त न हो तो बैठकर पढ़ो और अगर बैठने की भी ताक़त न हो तो करवट के बल लेटकर पढ़ो। **(अबू दाऊद-952, बुख़ारी-1117)**

1224. हज़रत वाइल इब्ने हुज्र (रज़ि.) कहते हैं कि मर्ज़ की हालत में मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को करवट के बल नमाज़ पढ़ते हुए देखा।

नफ़्ल नमाज़ को बैठकर पढ़ने का बयान

1225. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, उस ज़ात की क़सम! जिसने रसूले करीम की रूह मुबारक कब्ज़ फ़र्माई। हुज़ूर (ﷺ) अपने मर्ज़ुल वफ़ात में बैठकर नमाज़ पढ़ते रहे और आपको वो अमल ज़्यादा पसन्द था जो कि हमेशगीके तरीक़े पर किया जाये भले ही वो थोड़ा ही क्यों न हो। **(नसाई-1655, 1656)**

1226. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) बैठकर नमाज़ अदा फ़र्माया करते, जब रुकूअ का वक़्त आता तो उस वक़्त खड़े हो जाया करते और चालीस आयतों के अंदाज़े से फिर तिलावते क़ुर्आन फ़र्माया करते। **(मुस्लिम-731)**

1227. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने रात में हमेशा नबी करीम (ﷺ) को खड़े होकर नमाज़ पढ़ते देखा लेकिन जब आपका जिस्म मुबारक भारी हो गया था तो आप (ﷺ) बैठकर नमाज़ अदा फ़र्माया करते और जब तीस-चालीस आयतों के अंदाज़े पर क़ुर्आन बाक़ी रह जाता तो आप खड़े हो जाते और उनको पढ़कर रुकूअ व सज्दे फ़र्माते। **(बुख़ारी-1118, मुस्लिम-731)**

1228. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने शक़ीक़ अक़ीली (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से हुज़ूर (ﷺ) की सलातुल-लैल (रात की नमाज़) के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) ने फ़र्माया, रात के अक्सर हिस्से में खड़े होकर नमाज़ अदा फ़र्माया करते और अक्सर हिस्से में बैठकर; लेकिन अगर नमाज़ खड़े होकर पढ़ते तो रुकूअ वग़ैरह भी खड़े होकर करते और अगर बैठकर पढ़ते तो इख़्तितामे नमाज़ भी बैठकर ही फ़र्माते। **(मुस्लिम-730)**

खड़े होकर नमाज़ पढ़ने और बैठकर नमाज़ पढ़ने में फ़र्क़

1229. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा मैं बैठकर नमाज़ पढ़ रहा था, मेरे क़रीब से रसूले अकरम (ﷺ) का गुज़रना हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बैठकर नमाज़ पढ़ने वाले को खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वालों से आधा सवाब मिलता है।

1230. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये। लोगों को बैठकर

नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो फ़र्माया, खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वालों के मुकाबले बैठकर नमाज़ पढ़ने में आधा सवाब है।
(मुस्नद अहमद)

1231. हज़रत इमरान (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में दरयाफ़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बैठकर नमाज़ पढ़ने में खड़े होकर पढ़ने से आधा सवाब है और नींद की हालत में नमाज़ पढ़ने का बैठकर पढ़ने से आधा सवाब है। **(बुख़ारी-1115, 1116)**

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का मर्ज़ुल वफ़ात में नमाज़ पढ़ने का बयान

1232. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि हुज़ूर (ﷺ) मर्ज़ुल वफ़ात में मुब्तला हुए तो हज़रत बिलाल (रज़ि.) आपको बुलाने के लिये हाज़िर हुए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अबूबक्र (रज़ि.) से कहो, वो लोगों को नमाज़ पढ़ाये। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) निहायत ही नर्मदिल आदमी है। अगर आप (ﷺ) के मक़ाम पर खड़े होंगे तो उनको रोना आयेगा। बेहतर ये है कि हज़रत उमर (रज़ि.) को हुक्म फ़र्माइये कि वो इमामत करे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, झगड़ा करने में तुम यूसुफ़ (अलैहिस्सलाम) के साथ वाली औरतों की तरह हो। अबूबक्र ही से कहो कि वो नमाज़ पढ़ाये। अलग़र्ज़ हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को इत्तिला दी गई। उन्होंने लोगों को नमाज़ पढ़ाना शुरू किया। उस अर्से में हुज़ूर (ﷺ) को कुछ राहत मालूम हुई, आप (ﷺ) दो शख़्सों के कंधों पर हाथ रखकर लड़ख़ड़ाते हुए नमाज़ के लिये बाहर तशरीफ़ लाये। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने जो आपकी आहट पाई तो पीछे हटना चाहा। हुज़ूर (ﷺ) ने इशारे से फ़र्माया कि अपने मक़ाम पर ठहरे रहो। फिर हुज़ूर (ﷺ) हज़रत अबूबक्र की एक तरफ़ तशरीफ़ फ़र्मा हो गये। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की इक़्तिदा की और लोगों ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की।
(बुख़ारी-664, 712, 713, मुस्लिम-418)

1233. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मर्ज़ुल वफ़ात में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को इत्तिला की कि लोगों को नमाज़ पढ़ाये। लेकिन फिर कुछ अर्से के बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को कुछ आफ़ियत मालूम हुई। आप (ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले चले। उस वक़्त हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा रहे थे, आप (ﷺ) को देखकर अलग होने का इरादा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने इशारे से फ़र्माया, अपने मक़ाम पर खड़े रहो। फिर आप (ﷺ) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के आगे एक तरफ़ तशरीफ़ फ़र्मा हो गये। तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की इक़्तिदा की और लोगों ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की। **(बुख़ारी-683)**

1234. हज़रत सालिम इब्ने उबैद (रज़ि.) कहते हैं, मर्ज़ुल वफ़ात में शिद्दते मर्ज़ से हुज़ूर (ﷺ) बेहोश थे। जब आपको कुछ राहत मालूम हुई तो फ़र्माया, क्या नमाज़ तैयार है? अर्ज़ किया, जी हाँ! नमाज़ बिल्कुल तैयार है। बिलाल से कहो कि वो अज़ान दे और अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाये। ये कहकर आप (ﷺ) फिर बेहोश हो गये। कुछ देर के बाद आराम हुआ तो फ़र्माया, क्या नमाज़ तैयार है? अर्ज़ किया गया, जी हाँ! नमाज़ तैयार है। फ़र्माया, बिलाल से कहो अज़ान कहे और अबूबक्र से नमाज़ पढ़ाये और आप (ﷺ) फिर बेहोश गये। कुछ अर्से के बाद आप (ﷺ) को फिर आराम हुआ। दरयाफ़्त किया, क्या नमाज़ तैयार है? अर्ज़ किया गया, जी हाँ! तैयार है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बिलाल से कहो अज़ान दे और अबूबक्र को इत्तिला दो कि वो इमामत करे। उस वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबूबक्र (रज़ि.) नर्मदिल है, आपके मक़ाम पर खड़े होकर उनको रोना आयेगा और वो सब्र न कर सकेंगे। अगर किसी दूसरे को हुक्म दें तो ज़्यादा मुनासिब है। इतना कह पाई थी कि हुज़ूर (ﷺ) फिर बेहोश हो गये। आराम हुआ तो फ़र्माया

कि तुम यूसुफ़ के साथवाली औरतों की तरह हो। बिलाल से कहो कि वो इक़ामत करे और अबूबक्र से कहो कि इमामत करे। अलग़र्ज़ हज़रत बिलाल (रज़ि.) को इत्तिला दी गई, उन्होंने इक़ामत कही और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने लगे। उसी वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को कुछ आराम मालूम हुआ। आपने फ़र्माया, किसी ऐसे शख़्स को बुलाओ कि मैं उससे सहारा लगाकर नमाज़ के लिये चला जाऊँ। तब हज़रत बरीरा (रज़ि.) और एक और शख़्स हाज़िर हुए। आप (ﷺ) उन दोनों से सहारा लगा कर नमाज़ के लिये चले। हज़रत अबूबक्र (रजि.) ने जब आप (ﷺ) को तशरीफ़ लाते हुए देखा तो अपने मक़ाम से अलग होने का इरादा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने इशारे से फ़र्माया, अपने मक़ाम पर खड़े रहो और हुज़ूर (ﷺ) उनके पहलू की तरफ़ रौनक फ़र्मा हो गये। फिर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने आपके पीछे नमाज़ अदा की। इसी मर्ज़ में हुज़ूर (ﷺ) ने वफ़ात पाई। (अबू अब्दुल्लाह इमाम इब्ने माजह) कहते हैं, यह हदीस ग़रीब है सिवाय नसरान अली (रज़ि.) के और किसी रावी से मन्क़ूल नहीं। **(तिर्मिज़ी-397)**

1235. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) बीमार हुए तो आप उस वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) के मकान में थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अली को बुला लो। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को भी बुला लें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! उनको भी। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज़रत उमर (रज़ि.) को भी? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! उनको भी। हज़रत उम्मे फ़ज़ल कहने लगीं, हज़रत अब्बास (रज़ि.) को भी बुला लें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बुला लो। जब ये सब लोग जमा हो गये तो हुज़ूर (ﷺ) ने सबको सरे मुबारक उठाकर देखा, लेकिन कोई गुफ़्तगू न की। हज़रत उमर (रज़ि.) ने और लोगों से कहा कि हुज़ूर (ﷺ) को इस वक़्त तन्हा रहने दो। ये सुनकर सब सहाबा वहाँ से अलग हो गये। इतने में हज़रत बिलाल (रज़ि.) आप (ﷺ) को नमाज़ की इत्तिला देने के लिये हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र से कहो कि लोगों को नमाज़ पढ़ा दें। बिलाल (रज़ि.) ये फ़र्मान सुनकर चले गये। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूँकि अबूबक्र बहुत नर्मदिल हैं इस वजह से अगर मुनासिब हो तो हज़रत उमर (रज़ि.) से फ़र्मायें कि वो इमामत करे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! अबूबक्र से कहो, नमाज़ पढ़ाये। अलग़र्ज़ अबूबक्र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ाने के लिये तशरीफ़ लाये और नमाज़ शुरू की। इतने में हुज़ूर (ﷺ) को कुछ आराम मालूम हुआ और आप (ﷺ) दो शख़्सों से सहारा लगाकर नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये। लोगों ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को देखा, तस्बीह पढ़कर हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को हुज़ूर (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी से आगाह किया। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने चाहा कि पीछे हट जायें, लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने हाथ से इशारा किया कि अपने मक़ाम पर रहो और ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) की दाहिनी जानिब आकर बैठ गये। लिहाज़ा हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की इक़्तिदा की और सहाबा (रज़ि.) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा की। हज़रत वकीअ (रज़ि.) कहते हैं कि यही सुन्नत तरीक़ा है, इसी मर्ज़ में हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात हुई।

(मुस्नद अहमद)

हुज़ूर (ﷺ) का अपने किसी उम्मती के पीछे नमाज़ पढ़ना

1236. हज़रत हम्ज़ा इब्ने मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) को नमाज़ के लिये आने में कुछ देर हो गई। जब हम लोग हुज़ूर (ﷺ) के साथ मस्जिद में पहुँचे तो देखा कि अब्दुर्रह्मान बिन औफ़ (रज़ि.) ने नमाज़ की एक रकअत पढ़ाई है। वो हुज़ूर (ﷺ) को देखकर अलग होने लगे। हुज़ूर (ﷺ) ने इशारे से फ़र्माया, नमाज़ पूरी करो, अलग होने की ज़रूरत नहीं। तुमने बहुत अच्छा किया, पूरा करो। **(मुस्लिम-274)**

इमाम इसलिये मुक़र्रर किया जाता है कि उसकी इक़्तिदा की जाये

1237. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) बीमार हो गये। सहाबा किराम (रज़ि.) आपकी इयादत के लिये तशरीफ़ लाये। नमाज़ का वक़्त क़रीब था, हुज़ूर ने बैठकर नमाज़ पढ़ी। लोग खड़े होकर इक़्तिदा करने लगे। आप (ﷺ) ने इशारे से फ़र्माया बैठ जाओ। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम इसलिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी हर अम्र में इक़्तिदा की जाये। जब इमाम रुकूअ करे तो तुम भी रुकूअ करो, जब वो उठे तो तुम भी उठो और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो।

(बुख़ारी-688, 1113, 1236, मुस्लिम-412)

1238. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) घोड़े से नीचे उतर रहे थे तो आपका एक पहलू ज़ख़्मी हो गया। सहाबा किराम (रज़ि.) आपकी इयादत के लिये हाज़िर हुए। नमाज़ का वक़्त था, हुज़ूर (ﷺ) ने बैठकर इमामत कराई और हमने भी बैठकर नमाज़ अदा की। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम इसलिये मुक़र्रर किया गया है कि तुम उसकी इक़्तिदा करो। जिस वक़्त वो तकबीर कहे तुम भी कहो, जब वो रुकूअ करे तुम भी करो। जब वो समिअ अल्लाहुलिमन हमीदह कहे तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। जब वो सज्दा करे तो तुम भी सज्दे में जाओ और जब वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। **(बुख़ारी-805, मुस्लिम-411)**

1239. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम इसलिये मुक़र्रर किया गया है कि उसकी इक़्तिदा की जाये। जब इमाम तकबीर कहे तुम भी कहो। जब इमाम रुकूअ करे तुम भी रुकूअ करो, इमाम कहे समिअ अल्लाहुलिमन हमीदह तो तुम कहो, रब्बना लकल हम्द। इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, अगर वो बैठकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। **(मुस्नद अहमद)**

1240. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) को कुछ मर्ज़ की तक्लीफ़ थी। हम इयादत के लिये हाज़िर हुए। आप (ﷺ) ने बैठकर नमाज़ पढ़ाई। हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने तकबीर ज़ोर से कही, ताकि लोग सुन लें। नमाज़ में हुज़ूर (ﷺ) ने हमको आँखों के किनारों से खड़े हुए देखकर बैठ जाने का इशारा किया। हम लोग बैठ गये और बैठकर नमाज़ पढ़ी। जब नमाज़ ख़त्म हो गई तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इमाम का तक़र्रुर इसलिये है कि उसकी इक़्तिदा की जाये और क़रीब था कि तुम जहमियों की तरह करने लगते कि इमाम बैठा हुआ हो और बाक़ी लोग खड़े हों। तुम लोग हर्गिज़ ऐसा न करो। अगर तुम्हारे इमाम खड़े होकर नमाज़ पढ़े तो तुम भी खड़े होकर नमाज़ पढ़ो, अगर तुम्हारे इमाम बैठकर नमाज़ पढ़ेतो तुम सब लोग भी बैठकर नमाज़ पढ़ो। **(मुस्लिम-413)**

फ़ज्र में दुआ-ए-कुनूत पढ़ने का बयान

1241. हज़रत अबी मालिक अश्जई (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अपने वालिद से कहा कि क्या आपने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.), हज़रत उस्मान (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) के पीछे नमाज़ पढ़ी है, क्या ये लोग फ़ज्र की नमाज़ में दुआ-ए-कुनूत पढ़ा करते थे? वालिद ने फ़र्माया, बेटे! ये बिल्कुल नई बात है, ये भला इस वक़्त कहाँ से आई? **(तिर्मिज़ी-402)**

1242. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़ज्र की नमाज़ में दुआ-ए-कुनूत पढ़ने से मना फ़र्माया है।

1243. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि मैं सुबह की नमाज़ में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक कबीले के लिये दुआ-ए-कुनूत एक महीने तक पढ़ी। उसके बाद पढ़ना छोड़ दिया। **(बुख़ारी-4089, मुस्लिम-677)**

1244. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने जब सुबह की नमाज़ से सर उठाया तो ये दुआ पढ़ी, **अल्लाहुम्मा अन्ज़िल वलीद इब्ने वलीद व सलमत इब्नि हिशाम व अय्याश इब्नि रबीआ वल्मुस्तजअफ़ीन बिमक्कत अल्लाहुम्मा उश्दुद वल्अतक अला मुज़र वज्अल्हा अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ़.** (ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद, सलमा बिन हिशाम, अय्याश बिन रबीआ (रज़ि.) और मक्का के (दूसरे) कमज़ोर अफ़राद को (मुश्रिकों से) नजात दे। ऐ अल्लाह! क़बील-ए-मुज़र (के काफ़िरों) पर गिरफ़्त को शदीदतर कर दे और उन पर यूसुफ़ (अलैहि.) के ज़माने के जैसा (क़हत और सख़्ती) मुसल्लत फ़र्मा दे)। **(बुख़ारी-6200, मुस्लिम-675)**

साँप और बिच्छू को नमाज़ में क़त्ल करने का हुक्म

1245. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नमाज़ में साँप और बिच्छू के मारने का हुक्म फ़र्मा दिया है। **(अबू दाऊद-390)**

1246. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि एक मर्तबा बिच्छू ने नमाज़ में नबी करीम (ﷺ) को काट लिया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह बिच्छू का बुरा करे, न नमाज़ी को देखे न ग़ैरनमाज़ी को, काटने से मतलब। इसको जहाँ पाओ हरम हो या ग़ैर हरम, हर जगह क़त्ल कर दिया करो।

1247. हज़रत मुन्दिल (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अरक़म (ﷺ) ने नमाज़ में बिच्छू को मारा था।

अस्र और फ़ज्र की फ़र्ज़ नमाज़ के बाद नमाज़ पढने की मुमानिअत का बयान

1248. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़ज्र के बाद सूरज उगने तक और अस्र के बाद सूरज डूबने तक नमाज़ पढ़ने से मना किया है। **(बुख़ारी-584, मुस्लिम-1511)**

1249. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़ज्र की नमाज़ के बाद सूरज उगने तक और अस्र की नमाज़ के बाद सूरज डूबने तक कोई नमाज़ न पढ़नी चाहिये। **(बुख़ारी-1995)**

1250. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं मेरे सामने पन्द्रह लोगों ने, जिनमें हज़रत उमर (रज़ि.) भी थे, और ये तो मेरे नज़दीक बहुत ही बरगुज़िदा लोगों में से थे, गवाही देते हुए बयान किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ज्र के बाद सूरज उगने तक और अस्र के बाद सूरज डूबने तक नमाज़ पढ़ने से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-581, मुस्लिम-826)**

उन वक़्तों का बयान जिनमें नमाज़ पढ़ना मकरूह है

1251. हज़रत अम्र बिन उतैबा (रज़ि.) कहते हैं, मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला के नज़दीक कौनसी साअत (घड़ी) दूसरी साअत से ज़्यादा महबूब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आधी रात से सुबह तक जितनी चाहो नमाज़ पढ़ सकते हो। उसके बाद सूरज उगने तक नाजायज़ है, जब तक कि सूरज अच्छी तरह बुलन्द न हो जाये। जब बुलन्द हो जाये तो निस्फ़ुन नहार तक जो कुछ चाहो पढ़ो, उसके

बाद ज़वाल तक रुको। क्योंकि ये वक़्त जहन्नम की तेज़ी का होता है। ज़वाल के बाद अस्र तक जो चाहो पढ़ो। लेकिन अस्र के बाद सूरज डूबने तक कुछ मत पढ़ो। क्योंकि सूरज का उगना और गुरूब होना, दोनों शैतान के दो सींगों के बीच हुआ करते हैं। (तशरीह : यानी इन वक़्तों में शैतान की इबादत करने वाले इबादत करते हैं) **(नसाई-585)**

1252. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, सफ़वान इब्ने मुअत्तल (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपके सामने एक अर्ज़ रखता हूँ क्योंकि आप इसके आलिम हैं और मैं उससे जाहिल हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो कौनसी नई बात है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दिन और रात में वो कौनसी घड़ी है जिसमें नमाज़ पढ़ना मकरूह हो? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा बतलाता हूँ, देखो! फ़ज्र की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ न पढ़ा करो, जब तक सूरज तुलूअ होकर बुलन्द न हो जाये। जब सूरज बुलन्द हो जाये तो नमाज़ का वक़्त है शौक से निस्फुन्नहार तक पढ़ो। उस वक़्त तुम्हारी नमाज़ कुबूल होगी। लेकिन जब सूरज बीच आसमान में नेज़े की तरह क़ायम हो जाये तो ठहर जाओ, क्योंकि उस वक़्त जहन्नम की आग को तेज़ किया जाता है और सूरज शैतान के दो सींगों के बीच होता है। जब ज़वाल हो जाये और सीधी कनपटी की तरफ़ आ जाये तो नमाज़ का वक़्त मुबाह हो जाता है और नमाज़ क़ाबिले कुबूल होती है। यहाँ तक कि अस्र का वक़्त आ जाये, फिर अस्र के बाद सूरज डूबने तक नमाज़ न पढ़ो। **(बैहक़ी)**

1253. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरज शैतान के दो सींगों के दरम्यान होता है, जब सूरज उगता है तो नमाज़ के क़रीब न जाओ। या फ़र्माया कि सूरज उगने के साथ शैतान के दो सींग भी उगते हैं फिर जब सूरज बीच आसमान पर होता है तो नमाज़ के क़रीब न जाओ। जब ज़वाल हो जाये तो नमाज़ पढ़ो। फिर जब सूरज गुरूब के क़रीब हो तो नमाज़ न पढ़ो। सूरज डूबने के बाद मग़्रिब की नमाज़ पढ़कर जो चाहो पढ़ो। लिहाज़ा इन तीन वक़्तों में नमाज़ अदा न करो। **(नसाई-560)**

मक्का में हर वक़्त नमाज़ पढ़ने की इजाज़त का बयान

1254. हज़रत जुबैर इब्ने मुतईम (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि बनी अब्दे मुनाफ़! तुम लोगों को तवाफ़े बैतुल्लाह से और उसमें नमाज़ अदा करने से मत रोको। दिन और रात की जो भी घड़ियाँ हैं उनमें जो ये उमूर करना चाहें, उन्हें करने दो। **(अबू दाऊद-1864, तिर्मिज़ी-868)**

नमाज़ को उसके वक़्त से ताख़ीर करके पढ़ने का बयान

1255. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आइन्दा तुमको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि नमाज़ों को ताख़ीर से अदा करेंगे। तुमको चाहिये कि अपनी पहचान के मुताबिक़ अपने मकानों में नमाज़ पढ़ लो। **(नसाई-780)**

1256. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ को नमाज़ के वक़्त में अदा करो। फिर अगर तुमको जमाअत इमाम के साथ मिल जाये तो पढ़ लो, भले ही तुम अलग नमाज़ पढ़ चुके हो। तो ये तुम्हारे लिये नफ़्ल हो जायेगी। **(मुस्लिम-648)**

1257. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के हुक्काम ऐसे लोग होने वाले हैं कि दुनियवी काम-काज में मशग़ूल होने की वजह से नमाज़ ताख़ीर के साथ पढ़ा करेंगे। तुम उनके साथ अपनी नमाज़ बतौरे नफ़्ल पढ़ लिया करो। **(अबू दाऊद-433)**

सलातुल ख़ौफ़ का बयान

1258. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सलातुल ख़ौफ़ का तरीक़ा ये है कि लश्कर की सफ़ इमाम के साथ एक रकअत करले और दूसरी दुश्मन के मुकाबले में रहे। फिर ये सफ़ जिसने एक रकअत पढ़ ली, उस दूसरी के मक़ाम पर चली जाये और वो उसके मक़ाम पर आकर एक रकअत अदा कर ले। अब इमाम अलग हो जाये क्योंकि पहले उसकी नमाज़ पूरी हो चुकी और ये लोग अपनी-अपनी एक रकअत अलग-अलग अदा कर ले। अगर ये भी न हो सके तो फिर जिस हालत में जैसे हो, चाहे सवारी पर या पैदल अदा कर ले।

1259. हज़रत सहल इब्ने हश्मा (रज़ि.) ने सलातुल ख़ौफ़ को इस तरह बयान किया कि इमाम एक गिरोह के साथ क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होकर नमाज़ की एक रकअत अदा कर ले। उसके बाद इमाम खड़ा रहे और ये लोग अपनी दूसरी रकअत मअ रुकूअ और सज्दों के पूरी कर ले। और उस गिरोह के मक़ाम पर चले जो दुश्मन की तरफ़ मुँह किये दुश्मन के मुकाबले में है। और वो सफ़ इमाम के पीछे आये, इमाम दूसरी रकअत उनको पढ़ाये। अब इमाम की दो रकअतें पूरी हो गई और उस दूसरी सफ़ की एक रकअत हुई। ये लोग अपनी दूसरी रकअत पूरी कर लें। हज़रत यह्या इब्ने सईद (रज़ि.) कहते हैं कि हदीस मर्फ़ूअ है। **(बुख़ारी-4131, मुस्लिम-842)**

1260. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सलातुल ख़ौफ इस तरह अदा फ़र्माई कि जब आप रुकूअ के लिये तशरीफ़ ले गये तो सबके सब रुकूअ में हुज़ूर (ﷺ) के साथ हो गये। लेकिन सज्दे के वक़्त जो सफ़ हुज़ूर (ﷺ) के क़रीब थी, वो हुज़ूर (ﷺ) के साथ सज्दे में गई और पिछली सफ़ खड़ी रही। जब ये लोग सज्दे से उठ खड़े हुए तो दूसरी सफ़ ने अपना सज्दा किया। इसके बाद पिछली सफ़ के मक़ाम पर आई और पहली सफ़ आख़िर के मक़ाम पर आ गई। हुज़ूर (ﷺ) ने रुकूअ किया तो जो सफ़ हुज़ूर (ﷺ) के क़रीब थी और जो बईद थी। सबने हुज़ूर (ﷺ) के साथ रुकूअ किया लेकिन सज्दे में जाते वक़्त पहली सफ़ ने सज्दा किया और पिछली सफ़ खड़ी रही। जब उन लोगों ने सज्दे से फ़रागत हासिल की तो उन्होंने सज्दा किया। लिहाज़ा रुकूअ में सब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ शरीक रहे। उस वक़्त दुश्मन क़िब्ला की तरफ़ थे। **(मुस्लिम-840)**

कुसूफ़ की नमाज़ का बयान

1261. हज़रत अबी मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चाँद या सूरज किसी के मरने या जीने से ग्रहण में नहीं आते। अगर तुम लोग उनको ग्रहण होते हुए देखा करो तो नमाज़ पढ़ा करो।
(बुख़ारी-1041, 1058, 3204, मुस्लिम-911)

1262. हज़रत नोअमान इब्ने बशीर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में सूरज ग्रहण हुआ। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) घबराये हुए बाहर तशरीफ़ लाये और नमाज़ शुरू कर दी। जब तक सूरज ग्रहण पूरा नहीं हुआ हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्माते रहे। उसके बाद फ़र्माया, लोग ख़्याल करते हैं कि सूरज या चाँद किसी अज़ीम आदमी की मौत की वजह से ग्रहण में आते हैं। लेकिन उनका ये ख़्याल बिल्कुल ग़लत है। न किसी के मरने से ग्रहण होता है और न किसी के पैदा होने से बल्कि अल्लाह तआला अपनी किसी मख़्लूक़ पर तजल्ली फ़र्माता है तो वो उसके सामने आज़िज़ी का इज़हार करते हैं। **(नसाई-1486)**

1263. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की हयाते मुबारका में एक मर्तबा सूरज ग्रहण हुआ। हुज़ूर

(ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये और तकबीर कहकर नमाज़ शुरू कर दी। लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) के पीछे सफ़बन्दी की। आप (ﷺ) ने बहुत लम्बी सूरत पढ़ी और तकबीर कहरकर रुकूअ में चले गये। रुकूअ भी बहुत लम्बा किया। उसके बाद खड़े होकर फ़र्माया, **समिअल्लाहुलिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द** और फिर क़ुर्आन की तिलावत शुरू की। लेकिन पहली मर्तबा से कम अंदाज़े पर। उसके बाद आप (ﷺ) ने रुकूअ किया और ये भी पहले रुकूअ से छोटा किया और खड़े होकर फ़र्माया, **समिअल्लाहुलिमन हमिदह रब्बना वलकल हम्द**। इसी तरह आपने दूसरी रकअत में किया। गोया आपने दो रकअतों में चार रुकूअ अदा फ़र्माये और चार सज्दे किये। जिस वक़्त आप (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए, सूरज साफ़ हो गया था। आप (ﷺ) ने लोगों को नसीहत फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया, सूरज और चाँद अल्लाह तआला की दो निशानियाँ हैं। न किसी की मौत पर ग्रहण होते हैं न किसी के पैदा होने पर। तुम लोग जब इनको ग्रहण होते हुए देखो तो घबराकर नमाज़ की तरफ़ दौड़ो। **(बुख़ारी-1046, 1212, मुस्लिम-901)**

1264. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़े कुसूफ़ अदा की। लेकिन हमको हुज़ूर (ﷺ) की क़िरअत की आवाज़ न सुनाई दी। **(अबू दाऊद-1184)**

1265. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने कुसूफ़ की नमाज़ इस तरह अदा फ़र्माई कि पहले बहुत देर तक क़याम फ़र्माया। इसके बाद बहुत लम्बा रुकूअ किया। फिर रुकूअ से खड़े होकर निहायत लम्बा क़याम किया और फिर रुकूअ किया। फिर उठे और सज्दे में तशरीफ़ ले गये लेकिन ये सज्दा भी निहायत लम्बा था। उसके बाद उठकर दूसरा सज्दा भी लम्बा किया। फिर सज्दे से उठकर दूसरी रकअत क़याम फ़र्माया और बहुत लम्बा क़याम फ़र्माकर रुकूअ किया। और रुकूअ से उठकर फिर लम्बा क़याम फ़र्माया। फिर रुकूअ किया और फिर उठकर सज्दे में तशरीफ़ ले गये और बहुत लम्बा सज्दा किया। उसके बाद दूसरा सज्दा भी उसी तरह लम्बा किया। उसके बाद जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो फ़र्माया, मेरे सामने जन्नत पेश की गई, अगर मैं चाहता तुमको उसके अंगूरों का खोशा तोड़कर दिखा देता। फिर मेरे सामने दोज़ख़ पेश की गई, उसको देखकर मैंने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब! मैं लोगों में मौजूद हूँ। हालाँकि तूने फ़र्मा दिया है, **मा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अन्त फ़ीहिम.** हज़रत नाफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, मेरा ख़्याल है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने उसमें एक औरत को देखा जिसको एक बिल्ली अपने पंजों से ज़ख़्मी कर रही थी। मैंने उसकी हालत दरयाफ़्त की। कहा गया कि उस औरत ने उस बिल्ली को पाल रखा था। न उसको खाने के लिये देती थी न छोड़ती थी कि ज़मीन के कीड़े-मकौड़े खा लेती। उसी तरह भूख के मारे मर गई। **(बुख़ारी-745, 2364)**

नमाज़े इस्तिस्क़ाअ का बयान

1266. हज़रत हिशाम इब्ने इस्हाक इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने किनाना अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि मुझको किसी अमीर ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में इस्तिस्काअ की नमाज़ की कैफ़ियत मालूम करने के लिये रवाना किया। तो हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, उनको ख़ुद दरयाफ़्त करने से किस अम्र ने मना किया? ख़ुद मेरे पास क्यों न आये? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इस्तिस्काअ की नमाज़ इस तरह पढ़ी है कि आप निहायत इज्ज़ और इन्किसारी से ख़ुशुअ व ख़ुज़ुअ के साथ नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले चले और ईद की तरह दो रकअतें अदा फ़र्माई। अलबत्ता उनमें ख़ुत्बा नहीं पढ़ा, जिस तरह तुम ख़ुत्बा पढ़ते हो। **(अबू दाऊद-1165)**

1267. हज़रत उबादा इब्ने तमीम (रज़ि.) अपने चाचा की रिवायत बयान करते हैं कि इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ के

लिये ईदगाह तशरीफ़ ले गये और क़िब्ला रुख होकर दो रकअतें अदा फ़र्माकर चादर को उलटा किया।

(बुख़ारी-1012, मुस्लिम-894)

हज़रत उबादा इब्ने तमीम (रज़ि.) की इस रिवायत का भी यही मज़्मून है। सुफ़्यान (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मस्ऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मैंने अबूबक्र इब्ने मुहम्मद इब्ने उमर से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने चादर को उलट दिया, ऊपर के हिस्से को नीचे किया था या दाहिनी तरफ़ के हिस्से को बायीं तरफ़? उन्होंने कहा, नहीं बल्कि दाहिनी तरफ़ के किनारे को बायीं तरफ़ और बायीं तरफ़ के किनारे को दाहिनी तरफ़ किया था।

1268. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हम लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) के साथ इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ अदा की। हुज़ूर (ﷺ) ने बग़ैर अज़ान और इक़ामत के दो रकअतें पढ़ी। उसके बाद आप (ﷺ) ने दुआ के लिये हाथ उठाये और ख़ुत्बा भी पढ़ा। फिर क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह होकर चादर को इस तरह उलटा किया कि चादर के दाहिनी किनारे को बायें कंधे पर और बायें किनारे को दाहिने कंधे पर डाल दिया।

इस्तिस्क़ाअ की नमाज़ में दुआ करने का बयान

1269. हज़रत शुरहबील बिन सिम्त (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत कअब (रज़ि.) से कहा कि हमको हुज़ूर (ﷺ) की कोई हदीस सुनायें ताकि हमको नसीहत हासिल हो। हज़रत कअब (रज़ि.) कहने लगे, हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारका में एक शख़्स हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बारिश के लिये दुआ फ़र्माएँ। आप (ﷺ) ने हाथ उठाकर ये दुआ फ़र्माई, **अल्लाहुम्मस्क़िना ग़ैसम मुग़ीसन मरीअन तबक़न मरीअन गदक़न आजिलन ग़ैर राइसिन. नाफ़िअन ग़ैर ज़ार्रिन.** (ऐ अल्लाह! हम पर बारिश नाज़िल फ़र्मा जो ख़ुशगवार हो, (बरकात और रिज़्क़ में) इज़ाफ़ा कर देने वाली हो, हर जगह बरसने वाली हो, जल्दी नाज़िल होने वाली हो, ताख़ीर करने वाली न हो, फ़ायदा देने वाली हो, नुक़्सानदेह न हो)। रावी कहते हैं कि जुम्आ की नमाज़ नहीं हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। (बारिश मुसलसल होती रही यहाँ तक कि) इतनी बारिश हुई कि लोगों ने आकर हुज़ूर (ﷺ) से शिकायत शुरू की और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे मकान गिर रहे हैं। आप हाथ उठाकर दुआ फ़र्माएँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, **अल्लाहुम्मा हवालैना ला अलैना.** (ऐ अल्लाह! हमारे इर्दगिर्द (बारिश बरसा) हम पर न बरसा)। इस दुआ के करते ही फ़ौरन बादल इधर-उधर छँट गये। **(मुस्नद अहमद)**

1270. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स आकर अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ऐसी क़ौम की तरफ़ से आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ हूँ कि शिद्दते कहत की वजह से उनको चरवाहों की निगेहबानी की तरफ़ तवज्जोह न रही और मवेशी कमज़ोरी की वजह से हरकत नहीं कर सकते। आप (ﷺ) ये बात सुनकर मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और हम्द के बाद दुआ फ़र्माई, **अल्लाहुम्मस्क़िना ग़ैसम मुग़ीसन मरीअन तबक़न मरीअन गदक़न आजिलन ग़ैर राइसिन.** (ऐ अल्लाह! हम पर बारिश नाज़िल फ़र्मा जो ख़ुशगवार हो, (बरकात और रिज़्क़ में) इज़ाफ़ा कर देने वाली हो, हर जगह बरसने वाली हो, जल्दी नाज़िल होने वाली हो, ताख़ीर करने वाली न हो)। उसके बाद आप (ﷺ) मिम्बर से नीचे रौनक अफ़ज़ाँ हो गये। इतने में जो शख़्स आपके पास जिस तरफ़ से आता बारिश होने का ही तज़्किरा करता।

1271. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने इस्तिस्क़ाअ के लिये मुबारक हाथ उठाकर दुआ फ़र्माई, यहाँ तक कि मैंने आपकी बग़लों की सफ़ेदी देखी। या कहा कि आपके बग़लों की सफ़ेदी नज़र आने लगी। **(मुस्नद अहमद)**

1272. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि मैं अक्सर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के रू-ब-रू शाइर का क़ौल पेश किया करता और आपके चेहरे मुबारक की तरफ़ नज़र रखता। आप (ﷺ) मिम्बर पर रौनक अफ़ज़ाँ होते और जब तक मदीना के परनालों में पानी जारी न हो जाता, आप नीचे तशरीफ़ न लाते। मैं शाइर का क़ौल इस तरह सुनाता, वो सफ़ेद फ़ाम शख़्सियत जिसके चेहरे के वसीले से बादल से बारिश माँगी जाती है, यमीमों का निगेहबान और बेवाओं का मुहाफ़िज़। ये आपके चचा अबू तालिब का शअ़र है। **(बुख़ारी-1009)**

ईदैन की नमाज़ का बयान

1273. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैं क़सम खाकर कहता हूँ कि हुज़ूर (ﷺ) ने ईद की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले पढ़ी, उसके बाद ख़ुत्बा पढ़ा। आपको ख़्याल हुआ कि शायद औ़रतों को कलाम सुनाई नहीं दिया तो आप (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ ले गये, उनको वअ़ज़ो-नसीहत की, सदके पर बहुत जोश दिलाया तो औ़रतों ने देना शुरू किया। हज़रत बिलाल (रज़ि.) लेते जाते और औ़रतें देती जातीं। कोई अंगुठी देती, कोई छल्ला, हाथ की चुड़ी वग़ैरह-वग़ैरह। **(बुख़ारी-98, 1449, मुस्लिम-884)**

1274. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने ईद की नमाज़ बग़ैर इक़ामत और अज़ान के अदा फ़र्माई है। **(बुख़ारी-692)**

1275. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, मरवान ने ईद के दिन मिम्बर पर खड़े होकर पहले ख़ुत्बा शुरू किया तो एक शख़्स अहले मज्लिस में से उठकर कहने लगा, मरवान! तुमने दो अम्र ख़िलाफ़े सुन्नत किये। पहला ये कि मिम्बर निकाल कर रखा, क्योंकि इस दिन मिम्बर की ज़रूरत नहीं। दूसरा ये कि नमाज़ से पहले तुमने ख़ुत्बा पढ़ा। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं कि उस शख़्स ने उस हदीस के मुताबिक़ काम किया, जो मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुनी थी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, अगर कोई शख़्स किसी नाजायज़ काम को देखे तो उसको हाथ से दूर करे, अगर ये न हो सके तो ज़बान और अगर ज़बान से भी न हो सके तो दिल से उसको बुरा समझे। लेकिन ये ईमान का अदना दर्जा है। **(मुस्लिम-49)**

1276. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उ़मर (रज़ि.) ईद की नमाज़ ख़ुत्बे से पहले अदा किया करते थे। **(बुख़ारी-693, मुस्लिम-888)**

ईदैन की नमाज़ में कितनी तकबीरें हैं

1277. हज़रत अ़ब्दुर्रह्मान इब्ने सअ़द इब्ने अ़म्मार इब्ने सअ़द (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) के मुअज़्ज़िन अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने ईद की नमाज़ की पहली रकअ़त में सात तकबीरें कहीं और दूसरी रकअ़त में पाँच तकबीरं और दोनों क़िरअत से पहले कही थी।

1278. हज़रत अ़म्र इब्ने शुऐ़ब (रज़ि.) कहते हैं, मेरे दादा ने बयान किया कि नबी करीम (ﷺ) ने ईदैन की नमाज़ में सात पहली रकअ़त में कही और दूसरी रकअ़त में पाँच तकबीरें कही। **(अबू दाऊद-1151)**

1279. हज़रत अ़म्र इब्ने औ़फ़ (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने ईदैन की पहली रकअ़त में सात तकबीरें कही और दूसरी रकअ़त में पाँच तकबीरें कही। **(तिर्मिज़ी-536)**

1280. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ईदुल फित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ में

पहली रकअत में सात तकबीरें और दूसरी रकअत में पाँच तकबीरें रुकूअ और सज्दों के अलावा कही थीं।

(अबू दाऊद-1149)

ईदैन की नमाज़ में कुर्आन की तिलावत का बयान

1281. हज़रत **नोअमान इब्ने बशीर (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ईदैन की पहली रकअत में **सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला** और दूसरी रकअत में **हल अताक हदीसुल ग़ाशिया** तिलावत फ़र्माया करते थे।

1282. हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, ईद के दिन हज़रत उमर (रज़ि.) नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले चले। मेरे वालिद हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) पास एक शख़्स रवाना किया ताकि ये दरयाफ़्त करे कि हुज़ूर (ﷺ) ईद के दिन कौनसी सूरतें तिलावत फ़र्माया करते थे। उन्होंने फ़र्माया, सूरह कॉफ़ और सूरह इक़्तरिब तिलावत फ़र्माया करते थे। **(मुस्लिम-891)**

1283. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ईदैन की नमाज़ म **सब्बिहिस्म रब्बिकल अअला** और **हल अताक हदीसुल ग़ाशिया** तिलावत फ़र्माया करते थे।

ईदैन के ख़ुत्बे का बयान

1284. हज़रत इस्माईल इब्ने अबी ख़ालिद (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अबू काहिल सहाबी ने नक़ल किया कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को एक ऊँटनी पर सवार ख़ुत्बा फ़र्माते हुए देखा। एक हब्शी आपके ऊँट की रस्सी हाथ में पकड़े हुए था।

(नसाई-1574, मुस्नद अहमद)

1285. हज़रत कैस इब्ने आयद जिनका नाम अबू काहिल है, बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को देखा कि आप (ﷺ) एक ख़ूबसूरत ऊँटनी पर सवार थे और ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे। एक हब्शी आपकी ऊँटनी की रस्सी पकड़े हुए था।

1286. हज़रत सलमा बिन नबीत अपने वालिद नबीत बिन शुरैत से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज्ज किया और फ़र्माया कि मैंने नबी करीम (ﷺ) को ऊँटनी पर सवार होकर ख़ुत्बा देते हुए देखा है।

(नसाई-3010, 3011, अबू दाऊद-1916)

1287. हज़रत अब्दुर्रह्मान इब्ने सलूल इब्ने अम्मार इब्ने सअद (रज़ि.) अपने दादा से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ईदैन के ख़ुत्बे के दरम्यान में तकबीर फ़र्माया करते और निहायत कसरत से तकबीरें कहते।

1288. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, ईद के दिन नबी करीम (ﷺ) लोगों के साथ ईदगाह तशरीफ़ ले जाकर दो रकअत नमाज़ अदा फ़र्माया करते। उसके बाद लोगों की तरफ़ मुतवज्जह होकर सदके का हुक्म देते। फ़र्माते तुम लोग सदक़ा दो ! सदक़ा दो। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा सदक़ा देने वाली औरतें होती। कोई कान की बाली उतारकर देती, कोई हाथ की चूड़ी, कोई अंगूठी वग़ैरह। फिर अगर आप (ﷺ) को किसी मक़ाम पर कोई लश्कर रवाना करना होता तो उसके लिये लोगों को आगाह कर देते और वापस तशरीफ़ ले आते।

(बुख़ारी-304, 956, मुस्लिम-889)

1289. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्माया। कुछ देर क़अदह करके दोबारा ख़ुत्बा पढ़ा।

नमाज़ के बाद ख़ुत्बा सुनने के लिये ठहरने का बयान

1290. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने साइब (रज़ि.) कहते हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) के साथ ईद की नमाज़ के लिये गया। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसकी मर्ज़ी हो तो ख़ुत्बे के लिये ठहरे। अगर किसी को कोई ज़रूरत पेश न हो तो ख़ुत्बा के लिये ठहरे। अगर किसी को कोई ज़रूरत पेश हो तो चला जाये, न ठहरे। **(अबू दाऊद-1155)**

ईद की नमाज़ से पहले या ईद की नमाज़ के बाद कोई नमाज़ न पढ़ें

1291. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ईद की नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये। लेकिन आप (ﷺ) ने न उससे पहले कोई नमाज़ अदा की न उसके बाद। **(बुख़ारी-964, मुस्लिम-884)**

1292. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने ईद की नमाज़ से पहले या उसके बाद कोई नमाज़ नहीं पढ़ी। अलबत्ता जब वापस होकर मकान पर तशरीफ़ लाये तो दो रकअतें अदा फ़र्माई।

ईद की नमाज़ के लिये पैदल जाने की फ़ज़ीलत का बयान

1294. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ईद की नमाज़ के लिये पैदल ही तशरीफ़ लाते और पैदल ही तशरीफ़ ले जाते।

1295. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ईद की नमाज़ के लिये पैदल तशरीफ़ ले जाते और पैदल ही तशरीफ़ लाते।

1296. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं कि सुन्नत तरीक़ा ये है कि ईद की नमाज़ के लिये पैदल जाये।

1297. हज़रत मुहम्मद इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने अबी राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे दादा ने बयान किया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ईद की नमाज़ के लिये पैदल तशरीफ़ ले जाते थे।

ईद की नमाज़ के लिये एक रास्ते से जाने और दूसरे रास्ते से वापस आने का बयान

1298. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने सअद इब्ने अम्मार इब्ने सअद (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि जब हुज़ूर (ﷺ) ईद की नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते तो सईद इब्ने अबी अलआस (रज़ि.) के मकान के पास से गुज़रते हुए ख़ेमे वालों की तरफ़ से तशरीफ़ ले जाते और जब वहाँ से वापस आते बनी ज़ुरैक़ के रास्ते से होते हुए अम्मार इब्ने यासिर (रज़ि.) के मकान पर होते हुए हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के मकान से गुज़रते हुए मक़ामे बलात पर तशरीफ़ लाते। फिर वहाँ से क़यामगाह पर पहुँचते।

1299. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ईद की नमाज़ के लिये जिस रास्ते से तशरीफ़ ले जाते उस रास्ते से वापस नहीं आते बल्कि दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाते। उनका क़ौल था कि हुज़ूर (ﷺ) इसी तरह करते थे। **(अबू दाऊद-1156)**

1300. हज़रत मुहम्मद इब्ने उबैदुल्लाह इब्ने राफ़ेअ (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ईद की नमाज़ के लिये पैदल तशरीफ़ ले जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते।

1301. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) जब ईद की नमाज़ के लिये बाहर तशरीफ़ ले जाते तो जिस रास्ते से जाते उसके सिवा दूसरे रास्ते से वापस आते थे। **(बुख़ारी-986)**

ईद के दिन गाने-बजाने का बयान

1302. हज़रत आमिर (रह.) कहते हैं, अयाज़ अश्अरी (रज़ि.) ने एक ईद अन्बार में मनाई तो फ़र्माया, तुम लोग क्यों नहीं गाते बजाते जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) के सामने किया करते थे। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-1017)**

1303. हज़रत कैस इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नबी करीम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक की हर बात को देखा है सिवाय एक काम के, वो कि ईदुल फ़ित्र के दिन हुज़ूर (ﷺ) के सामने गाया बजाया जाता था। लेकिन इस ज़माने में ये सूरत नहीं। उनकी दूसरी रिवायत का भी यही मज़्मून है। **(मुस्नद अहमद)**

ईद के दिन नेज़े का सुतरा क़ायम करने का बयान

1304. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ईद के दिन सुबह ईदगाह तश्रीफ़ ले जाते। आप (ﷺ) के साथ एक नेज़ा भी ले जाया जाता। जब आप (ﷺ) वहाँ पहुँचते तो नेज़ा आपके सामने गाड़ दिया जाता और आप लोगों के साथ उसकी तरफ़ नमाज़ अदा फ़र्माया करते। क्योंकि उस वक़्त में ईदगाह एक साफ़ मैदान था और ऐसी कोई चीज़ वहाँ न थी जिसकी आड़ ली जाये। **(बुख़ारी-973)**

1305. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) जब ईदगाह पहुँचते तो आपके सामने एक छोटा सा नेज़ा क़ायम कर दिया जाता। उसकी तरफ़ आप (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्माया करते और लोग आपकी इक़्तिदा में होते। हज़रत नाफ़ेअ कहते हैं कि इसी वजह से उमरा का ये तरीक़ा हो गया है। **(बुख़ारी-494, मुस्लिम-501)**

1306. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, ईद के दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के रू-ब-रू सुतरा के लिये एक नेज़ा क़ायम कर दिया जाता था।

ईद की नमाज़ के लिये औरतों के जाने का बयान

1307. हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) कहती हैं, हमको हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा की नमाज़ के लिये जाने की इजाज़त फ़र्माई। उम्मे अतिया (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया कि अगर हम में से किसी के पास ओढ़नी न हो तो क्या करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी किसी बहन से माँग ले। **(मुस्लिम-890)**

1308. हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि लड़कियों और पर्देवाली औरतों को इजाज़त दो ताकि वो ईदैन की नमाज़ में और मुसलमानों की दुआओं में शिरकत किया करे। **(बुख़ारी-974)**

1309. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) अपनी अज़्वाज और साहबज़ादियों को नमाज़ के लिये ईदगाह ले जाया करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

एक दिन में दो ईदें जमा होने का बयान

1310. हज़रत अय्याश इब्ने अबी रमला शामी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने एक शख़्स को ज़ैद इब्ने अरक़म (रज़ि.) से

ये सवाल करते हुए सुना कि तुमने हुज़ूर (ﷺ) के साथ ऐसा मौका भी पाया है कि एक दिन दो ईदें जमा हुई हो? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! ऐसा मौका भी आया है। उसने कहा, फिर हुज़ूर (ﷺ) ने क्या किया? कहने लगे कि फिर हुज़ूर (ﷺ) ने ईद की नमाज़ पढ़कर जुम्आ की नमाज़ की रुख़्सत दे दी। जिसकी तबियत चाहे अदा करे या न करे। **(अबू दाऊद- 1070)**

1311. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस दिन में तुम्हारी दो ईदें जमा हैं। तुम में से जिस शख़्स को ख़्वाहिश हो तो सिर्फ़ एक ही ईद की नमाज़ को जुम्आ का क़ायम मुकाम बना ले। लेकिन हम जुम्आ की नमाज़ भी अदा करेंगे। **(अबू दाऊद- 1073)**

1312. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में दो ईदें जमा हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने ईद की नमाज़ पढ़कर फ़र्माया, जिसकी ख़ुशी हो जुम्आ की नमाज़ के लिये आ जाये और जिसकी तबियत चाहे न आये।

बारिश के दिन ईद की नमाज़ को मस्जिद में पढ़ने का बयान

1313. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा ईद के दिन बारिश होने लगी तो नबी करीम (ﷺ) ने ईद की नमाज़ मस्जिद ही में अदा फ़र्माई। **(अबू दाऊद- 1160)**

ईद के दिन हथियारबन्दी का बयान

1314. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि इस्लामी शहरों में ईद के दिन नबी करीम (ﷺ) हथियार नहीं लगाया करते थे। अलबत्ता अगर दुश्मन का मुकाबला होता तो हथियारबन्द होते थे।

ईद के दिन ग़ुस्ल करने का बयान

1315. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन ग़ुस्ल फ़र्माया करते थे। **(बैहक़ी)**

1316. हज़रत ख़ालिद इब्ने सअद सहाबी (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) तीन दिन ज़रूर ग़ुस्ल फ़र्माया करते थे, ईदुल फ़ित्र, यौमुल अरफ़ा और ईदुल अज़्हा। हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) भी अपने घरवालों को इन दिनों में ग़ुस्ल करने का हुक्म फ़र्माया करते थे।

ईद की नमाज़ के वक़्त का बयान

1317. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बशीर (रज़ि.) एक मर्तबा लोगों के साथ ईदगाह तशरीफ़ ले गये। इमाम को कुछ देर हुई तो आप कहने लगे कि इमाम ने बहुत देर कर दी। हालाँकि हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में हम इस वक़्त तक फ़ारिग़ हो जाया करते और वापसी का वक़्त होता था। यानी चाश्त की नमाज़ भी अदा कर लेते थे। **(अबू दाऊद- 1135)**

रात की नमाज़ को दो-दो रकअतें अदा करना चाहिये

1318. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रात में नमाज़ दो-दो रकअत करके पढ़ना चाहिये।

1319. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रात में नमाज़ दो-दो रकअत करके पढ़ना चाहिये। **(बुख़ारी-990, मुस्लिम-749)**

1320. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) से रात में नमाज़ पढ़ने की कैफ़ियत का सवाल किया गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दो-दो रकअतों की नियत बाँधे। अगर सुबह सादिक़ के तुलूअ का ख़ौफ़ हो तो एक रकअत पढ़कर वित्र करे। **(बुख़ारी-1137, मुस्लिम-749)**

1321. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रात में हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ दो-दो रकअतें करके अदा फ़र्माया करते।

दिन और रात हर नमाज़ दो-दो रकअत पढ़ना चाहिये

1322. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दिन और रात दोनों की नमाज़ दो-दो रकअत करके पढ़ना चाहिये। **(अबू दाऊद-1295)**

1323. हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) बिन्ते अबी तालिब कहती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने चाश्त की नमाज़ की आठ रकअत पढ़ीं। लेकिन दो-दो रकअतों पर सलाम फेरा। **(अबू दाऊद-1290)**

1324. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो रकअतों के बाद सलाम फेरना चाहिये।

1325. हज़रत मुत्तलिब यानी इब्ने अबी वदाआ कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रात की नमाज़ दो-दो रकअत करके पढ़ना चाहिये और हर दो रकअत के बाद तशह्हुद पढ़ना चाहिये। आजिज़ी और सुकून से काम लो और कनाअत इख़्तियार करो और ये दुआ माँगो, **अल्लाहुम्मग़्फ़िर्ली** (ऐ अल्लाह! मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा)। जो शख़्स ये नहीं करेगा उसकी नमाज़ नाक़िस होगी। **(अबू दाऊद-1296)**

रमज़ान में नमाज़ पढ़ने का बयान

1326. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रमज़ान में रोज़े रखेगा और इमान के साथ सवाब का ख़्याल करके रात की नमाज़ अदा करता रहेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। **(तिर्मिज़ी-683)**

1327. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, हम लोगों ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में रोज़े रखे तो हुज़ूर (ﷺ) ने सात रात तक कोई नमाज़ अदा नहीं की। लेकिन सातवीं रात को आपने तिहाई रात तक हमारे साथ नमाज़ अदा फ़र्माई। लेकिन जब उसके बाद वाली रात आई तो उस दिन फिर आपने कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन फिर पाँचवी रात को आप (ﷺ) ने आधी रात तक नमाज़ अदा फ़र्माई। उस रात मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर बकिया रात भी हम नफ़्ल पढ़ा करें तो ज़्यादा बेहतर है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने इमाम के साथ जमाअत की नमाज़ अदा की तो वह क़यामुललैल है। अलग़र्ज़ फिर उसके बाद दूसरे दिन हुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ नहीं पढ़ी। लेकिन उसके तीसरे दिन आप (ﷺ) ने अपने अहलो-अयाल को जमा फ़र्माया और बहुत लोग जमा हो गये। आप (ﷺ) ने नमाज़ शुरू की और इस क़द्र पढ़ी कि हमको ख़ौफ़ हुआ कि कहीं हमारी सहरी न फ़ौत हो जाये। अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने बक़िया महीना नमाज़ अदा नहीं फ़र्माई। **(अबू दाऊद-1375)**

1328. हज़रत नज़्र इब्ने शैबान (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन अबू सलमा इब्ने अब्दुर्रहमान (रज़ि.) से मेरी मुलाक़ात हुई। मैंने उनसे कहा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की हदीस बयान फ़र्माएँ जिसमें रमज़ान का कुछ तज़्किरा हो। उन्होंने कहा, हाँ! मेरे वालिद का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने रमज़ान का तज़्किरा करते हुए फ़र्माया, अल्लाह तआला ने तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किये हैं और मैंने तुम्हारे लिये नमाज़ सुन्नत कर दी है। जो शख़्स इन उमूर को ईमान और सवाब की उम्मीद पर बजा लायेगा वो गुनाहों से ऐसा साफ़ हो जायेगा जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ था।

(नसाई-2210, 2212)

रात में नमाज़ अदा करने का बयान

1329. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इंसान सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर तीन गाँठे लगा देता है। जब ये शख़्स रात को बेदार होकर अल्लाह का नाम लेता है तो एक गाँठ खुल जाती है। फिर जब वो उठकर नमाज़ के लिये वुज़ू करता है तो दूसरी गाँठ खुल जाती है। फिर जब नमाज़ में मश्ग़ूल हो जाता है तो तीसरी गाँठ खुल जाती है और सुबह को निहायत ख़ुशी और सुरूरे नफ़्स के साथ बेदार होता है और अगर ऐसा नहीं करता तो बहुत सुस्ती और ख़बासते नफ़्स के साथ बेदार होता है। कोई बेहतरी हासिल नहीं कर सकता। **(मुस्नद अहमद)**

1330. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के रू-ब-रू ऐसे शख़्स का ज़िक्र किया गया जो शाम को सोया तो सुबह ही को जागा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया था। **(बुख़ारी-3270, मुस्लिम-774)**

1331. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम फलाँ शख़्स की तरह न हों कि उसने पहले क़याम शुरू किया, लेकिन उसके बाद छोड़ दिया। **(बुख़ारी-5199, मुस्लिम-1159)**

1332. हज़रत जाबिर (रज़ि.) एक मर्तबा हज़रत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनसे कहा कि बेटे रात को ज़्यादा न सोया करो। क्योंकि रात को ज़्यादा सोने से आदमी क़यामत के दिन फ़क़ीर होकर उठेगा।

1333. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रात को नमाज़ अदा करता है, सुबह उसका चेहरा ख़ूबसूरत होता है।

1334. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो लोग जल्दी-जल्दी हुज़ूर (ﷺ) के इस्तकबाल के लिये जाने लगे और कहने लगे, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ ले आये तो मैं भी दिल में ये ख़्याल करके चला कि चलो! हम भी देख आएँ। जब मैंने देखा तो आप (ﷺ) के चेहरे से फ़ौरन पहचान लिया कि ये मुँह झूठे शख़्स का नहीं है और जो बात आपने पहले फ़र्माई वो ये थी कि लोगों! आपस में सलाम को फैलाओ, लोगों को खाना खिलाओ, जिस वक़्त लोग सोते हों तुम नमाज़ अदा करो। जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल होंगे। **(तिर्मिज़ी-2485)**

रात को अपने घरवालों को नमाज़ के लिये बेदार करने का बयान

1335. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) और हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रात के वक़्त बेदार होकर अपनी बीवी को नमाज़ के लिये उठाये फिर ये दोनों नमाज़ की दो-दो रकअतें पढ़ें तो अल्लाह तआला के यहाँ ज़िक्र करने वालों में उनका शुमार किया जाता है। **(अबू दाऊद-1309)**

1336. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उस शख़्स पर भी रहम फ़र्माये जो रात को बेदार होकर अपनी बीवी को भी नमाज़ के लिये जगाये। अगर वो न उठे तो उसके मुँह पर पानी के छींटे दे और अल्लाह तआला उस औरत पर भी रहम फ़र्माये जो रात को बेदार होकर अपने शौहर को उठाती हो। अगर वो सुस्ती करता हो तो ये उसके चेहरे पर पानी छिड़क देती हो। **(अबू दाऊद-1308)**

क़ुर्आन को ख़ुश आवाज़ी से पढ़ने का बयान

1337. हज़रत अब्दुर्रह्मान इब्ने साइब (रज़ि.) कहते हैं, हमारे पास हज़रत सअद इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) तशरीफ़ लाये। आपकी नज़र जाती रही थी, मैंने आपको सलाम किया। फ़र्माया, तुम कौन हो? मैंने अपना नाम बतलाया। आपने फ़र्माया, शाबाश भतीजे शाबाश! मैंने सुना है कि तू क़ुर्आन निहायत ख़ुश आवाज़ी से पढ़ते हो। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि क़ुर्आन हुज़्न के साथ नाज़िल हुआ है। जिस वक़्त क़ुर्आन को पढ़ो तो रोया करो। अगर रोना न आता हो तो रोने जैसे मुँह बना लो और ख़ुश आवाज़ी के साथ पढ़ा करो, जो ख़ुश आवाज़ी के साथ क़ुर्आन को नहीं पढ़ेगा, वो हम में दाख़िल नहीं।

1338. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में एक बार इशा के बाद मुझको वापस आने में कुछ देर हो गई। जब मैं आई तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम कहाँ थी? मैंने कहा, आपके सहाबा (रज़ि.) में से एक शख़्स का क़ुर्आन पढ़ना सुन रही थी। आज तक ऐसा ख़ुश आवाज़ पढ़ने वाला मैंने नहीं देखा। यह सुनकर आप (ﷺ) तशरीफ़ ले चले। मैं भी हुज़ूर (ﷺ) के साथ हुई। आप (ﷺ) ने जाकर कान लगाकर सुना। फिर फ़र्माने लगे, ये सालिम इब्ने हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के गुलाम हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी उम्मत में ऐसे-ऐसे अफ़राद पैदा किये। **(मुस्नद अहमद)**

1339. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को तुम ख़ुश आवाज़ी के साथ क़ुर्आन पढ़ते सुनो तो समझ लो कि ये अल्लाह तआला से डरता है।

1340. हज़रत फ़ुज़ाला इब्ने उबैद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, गाने वाली औरत अपने गाने की तरफ़ इतनी तवज्जोह नहीं रखती, जितनी अल्लाह तआला ख़ुश आवाज़ी से क़ुर्आन पढ़ने वाले की तरफ़ तवज्जोह फ़र्माता है और आदमी शौक़-ज़ौक़ में बुलन्द आवाज़ के साथ तिलावत करता है। **(मुस्नद अहमद)**

1341. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये। एक शख़्स को क़ुर्आन तिलावत करते हुए सुना। फ़र्माया, ये कौन है? अर्ज़ किया गया, अब्दुल्लाह इब्ने कैस (रज़ि.)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस शख़्स को हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) के मज़ामीर में से कुछ हिस्सा इनायत किया गया है।

1342. हज़रत बराअ (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन को ख़ुश आवाज़ी के साथ तिलावत किया करो। **(अबू दाऊद-1468)**

वज़ीफ़ा भूलकर रात को सो जाने का बयान

1343. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने बयान फ़र्माया, जो शख़्स भी अपना वज़ीफ़ा भूलकर सो जाये तो अगर वो फ़ज्र और ज़ुहर के दरम्यानी वक़्त में अदा करेगा। वो ऐसा शुमार होगा जैसे उसने रात ही में उसको पूरा किया है। **(मुस्लिम-747)**

1344. **हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ये ख़्याल करके सोया कि मैं रात को उठकर नमाज़ पढ़ूँगा और वो सोता रह गया तो उसको उसकी निय्यत के मुताबिक़ लिखा जायेगा। और ये सोना अल्लाह की तरफ़ से उसके लिये सदक़ा होगा। **(नसाई-1788)**

क़ुर्आन मुकम्मल करने का मुस्तहब तरीक़ा क्या है?

1345. **हज़रत औस इब्ने हुज़ैफ़ा (रज़ि.)** कहते हैं, हम बनी सक़ीफ़ के वफ़्द में शामिल होकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आप (ﷺ) ने बनी सक़ीफ़ के लोगों को मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) के यहाँ ठहराया और ख़ुद बनी मालिक के क़बीले में ठहरे। लेकिन हर रात इशा के बाद आप (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाया करते और बहुत देर तक खड़े होकर गुफ़्तगू फ़र्माया करते। यहाँ तक कि कभी एक पाँव पर ज़ोर देते तो कभी दूसरे पाँव पर। लेकिन जो बातें आप हमसे फ़र्माया करते वो अपने क़ौम की शिकायत थी, जो कुछ आपको उनसे तक्लीफ़ पहुँची उन सबको यहाँ बयान फ़र्माया करते। फ़र्माते, ये कोई बुराई नहीं क्योंकि हम उस वक़्त में ज़ईफ़ और कमज़ोर थे लेकिन जब हम लोग हिजरत करके मदीना चले आये तो हमारे और उनके दरम्यान लड़ाई बराबर होने लगी। कभी हम पर वो ग़ालिब आ जाते और कभी हम उन पर ग़ालिब आ जाते। एक दिन हुज़ूर (ﷺ) को हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये कुछ देर हो गया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज आपको बहुत देर हो गई। फ़र्माया, हाँ! मेरे क़ुर्आन का कुछ वज़ीफ़ा बाक़ी रह गया था। मैंने यह ख़्याल किया कि मैं इसको पूरा कर लूँ तो बेहतर है। हज़रत औस (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि आप लोग क़ुर्आन किस तरह तिलावत फ़र्माया करते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कभी तीन दिन में, कभी पाँच दिन, कभी सात दिन में, कभी नौ दिन में, कभी ग्यारह दिन में और कभी तेरह दिनों में मुकम्मल करते हैं। **(अबू दाऊद-1393)**

1346. **हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.)** कहते हैं, मैंने क़ुर्आन को हिफ़्ज़ कर लिया तो मैं एक पूरा क़ुर्आन रात में तिलावत कर लिया करता। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे दरयाफ़्त फ़र्माया कि तुम पर एक ऐसा ज़माना आने वाला ह कि जिसमें तुम ये न कर सकोगे और तुम्हारे जिस्म में कमज़ोरी पैदा हो जायेगी, एक माह में मुकम्मल किया करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कुव्वत और शबाब से फ़ायदा उठाने दीजिये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा, दस दिन में मुकम्मल किया करो। मैंने फिर वही अर्ज़ किया कि मुझको अपने शबाब और कुव्वत से फ़ायदा उठाने दीजिये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा सात दिन में मुकम्मल किया करो। मैंने फिर वही अर्ज़ किया तो आप (ﷺ) ने इस मर्तबा कुबूल नहीं फ़र्माया। **(मुस्नद अहमद)**

1347. **हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.)** कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तीन दिन से कम में क़ुर्आन को पढ़ेगा, वो उसे नहीं समझेगा। **(अबू दाऊद-1394)**

1348. **हज़रत आइशा (रज़ि.)** कहती हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को कभी तमाम रात तक क़ुर्आन शरीफ़ की तिलावत करते हुए नहीं देखा। **(नसाई-1642)**

रात की नमाज़ में क़ुर्आन तिलावत करने का बयान

1349. **हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबू तालिब (रज़ि.)** कहती हैं, मैं रात को अपने तख़्त पर लेटी होती और रात को हुज़ूर (ﷺ) की तिलावते क़ुर्आन सुनती रहती। **(नसाई-1014)**

1350. **हज़रत अबू ज़र (रज़ि.)** कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) रात के वक़्त बेदार हुए। मैंने आप को सुबह

तक बार-बार यही आयत तिलावत करते सुना, **अगर तू उनको सज़ा दे तो बेशक वो तेरे ही बन्दे हैं और अगर तू माफ़ फ़र्मा दे तो बेशक तू ही ग़ालिब और बड़ी हिक्मत वाला ह**. (सूरह माइदा : 118) ।

(नसाई-1011, मुस्नद अहमद)

1351. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि .) बयान है, जब हुज़ूर (ﷺ) रहमत की आयत पर पहुँचते तो रहमत का सवाल करते और अगर अज़ाब की आयत पर पहुँचते तो अज़ाब से पनाह माँगते और जब ऐसी आयत पर पहुँचते कि जिसमें अल्लाह तआला की पाकी का बयान होता तो तस्बीह फ़र्माया करते।

1352. हज़रत अबू लैला (रज़ि.) कहते हैं, एक रात मैं नफ़्ल में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ शरीक था। आप नफ़्ल अदा फ़र्मा रहे थे। जब अज़ाब की आयत आई तो आप ने ये दुआ फ़र्माई, **अऊज़ुबिल्लाहि मिनन्नारि व वैलुल लिअहलिन्नार** (मैं जहन्नम से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ और जहन्नमियों के लिये हलाकत है)। **(अबू दाऊद-881)**

1353. हज़रत खफ़ीफ़ इब्ने हारिस (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, हुज़ूर (ﷺ) क़ुर्आन बुलन्द आवाज़ के साथ तिलावत फ़र्माया करते या आहिस्ता? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, कभी बुलन्द आवाज़ के साथ और कभी आहिस्ता तिलावत फ़र्माया करते। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तआला ने इस में भी आसानी रखी है। **(बुख़ारी-5045)**

1354. हज़रत क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़िरअत के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। उन्होंने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) बुलन्द आवाज़ के साथ तिलावत फ़र्माया करते थे।

(अबू दाऊद-226)

1355. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते तो ये दुआ फ़र्माते, **अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अन्त नूरुस्समावाति वल्अर्ज़ि वमन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अन्त क़य्यामुस्समावाति वल्अर्ज़ि वमन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अन्त मालिकिस्समावाति वल्अर्ज़ि वमन फ़ीहिन्न व लकल हम्दु अन्तल्हक़्क़ु व वअ़दु-क हक़्क़ु व लिक़ाउक हक़्क़ु व क़ौलु-क हक़्क़ु वल्जन्नतु हक़्क़ु वन्नारु हक़्क़ु वस्साअतु हक़्क़ु वन्नबिय्यून हक़्क़ु मुहम्मदुन हक़्क़ु अल्लाहुम्मा लक अस्लम्तु वबिक आमन्तु व अलैक तवक्कल्तु व इलैक अनब्तु वबिक ख़ासम्तु व इलैक हाकम्तु फ़ग़्फ़िर्ली मा क़द्दतु वमा अख़्ख़रतु वमा अस्ररतु वमा अअलन्तु अन्तल् मुक़द्दमु व अन्तल् मुअख़्ख़रु ला इलाह इल्ला अन्त वला इलाह ग़ैरुक वला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह.** (ऐ अल्लाह! तेरे ही लिये तारीफ़ हैं, तू आसमानों का, ज़मीन का और जो काई इनके दरम्यान है, उनका नूर है। और तेरे ही लिये तारीफ़ है कि तू आसमानों को, ज़मीन को और जो कोई इनके दरम्यान है, उनको क़ायम रखने वाला है। और तेरे ही लिये तारीफ़ है कि तू आसमानों का, ज़मीन का और जो कोई इनके दरम्यान में हैं, उनका मालिक है। और तेरे ही लिये तारीफ़ है, तू हक़ है, तेरा वादा हक़ है, तेरी मुलाक़ात हक़ है, तेरा फ़र्मान हक़ है, तेरी जन्नत हक़ है, जहन्नम हक़ है, क़यामत हक़ है, (तमाम) अम्बिया हक़ हैं, और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) हक़ हैं। ऐ अल्लाह! मैं तेरा मुतीअ फ़र्माबरदार हूँ, तुझ पर ईमान लाता हूँ, मेरा ऐतक़ाद भी तुझ ही पर है, मैं तेरी ही तरफ़ रुजूअ करने वाला हूँ, (मुख़ालिफ़ीने हक़ से) मैं तेरी ही मदद से बहस व तकरार करता हूँ, तुझ ही को अपना फ़ैसल बनाता हूँ, मेरे सब गुनाह माफ़ फ़र्मा दे जो मैंने पहले किये, बाद में किये, छुपकर किये और जो ऐलानिया किये। तू ही आगे बढ़ाने वाला है और तू ही पीछे हटाने वाला है, सिर्फ़ तू ही मअबूद है, तेरे सिवा कोई मअबूद (बरहक़) नहीं, और तेरी तौफ़ीक़ के बग़ैर न (गुनाहों से) बचाव है और न (नेकी करने की) ताक़त)। **(बुख़ारी-1120, मुस्लिम-769)**

1356. हज़रत आसिम इब्ने हुमैद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से अर्ज़ किया, रात के वक़्त जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ के लिये बेदार होते तो किस अम्र से इब्तिदा फ़र्माते। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम ने मुझसे ऐसी दरयाफ़्त की है जो आजतक तुमसे पहले किसी ने नहीं दरयाफ़्त की। हुज़ूर (ﷺ) दस मर्तबा तकबीर फ़र्माया करते और दस मर्तबा **अलहम्दुलिल्लाह** और दस मर्तबा **सुब्हानल्लाह** और दस मर्तबा **अस्तग़फ़िरुल्लाह** कहते। उसके बाद फ़र्माया करते थे, **अल्लाहुम्मग़्फ़िर्ली वह्दिनी वर्ज़ुक़्नि व आफ़िनी.** (ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे, मुझे हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ दे और मुझे आराम व राहत अता फ़र्मा)। **(अबू दाऊद-766)**

1357. हज़रत अबू सलमा इब्ने अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सवाल किया कि जब हुज़ूर (ﷺ) रात के वक़्त नमाज़ अदा फ़र्माते तो किस चीज़ से इब्तिदा फ़र्माते। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने जवाब दिया, हुज़ूर (ﷺ) ये फ़र्माया करते थे, **अल्लाहुम्मा रब्बि जिब्रई-ल व मीकाई-ल व इस्राफ़ी-ल फ़ातिरिस् समावाति वल्अर्ज़ि आलिमल्ग़ैबि वश्शहादति अन्त तह्कुमु बैन इबादि-क फ़ीमा कानू फ़ीहि यख़्तलिफ़ून. इह्दिनी लिमख़्तुलिफ़ फ़ीहि मिनल्हक़्क़ि बिइज़्नि-क इन्नक लतह्दी इला सिरातिम् मुस्तक़ीम.** (ऐ अल्लाह! ऐ जिब्रई, मीकाईल व इस्राफ़ील के मालिक! ऐ आसमानों और ज़मीन के ख़ालिक़! ऐ पोशीदा और ज़ाहिर (सब चीज़ों का) इल्म रखने वाले! अपने बन्दों में तू ही फ़ैसला करेगा, जिस-जिस चीज़ में वो इख़्तिलाफ़ करते थे। हक़ के जिन मसाइल में इख़्तिलाफ़ किया गया है, उनमें मुझे अपने हुक्म से हिदायत नसीब फ़र्मा, बेशक तू ही सीधी राह की तरफ़ हिदायत देता है)। **(मुस्लिम-770)**

रात में कितनी रकअत पढ़नी चाहिये

1358. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, (ये हज़रत अबूबक्र रावी की हदीस है) इशा के बाद हुज़ूर (ﷺ) ग्यारह रकअत इस तरह अदा फ़र्माया करते थे कि हर दो रकअतों के बाद सलाम फेरा करते। फिर एक रकअत पढ़कर वित्र बना दिया करते। इन रकअतों में इतना लम्बा सज्दा फ़र्माया करते कि तुम इतनी देर में पचास आयतें अदा कर लोगे। जब फ़ज्र की अज़ान से भी मुअज़्ज़िन फ़ारिग़ हो जाता तो उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) हल्की दो रकअतें पढ़कर नमाज़ ख़त्म कर देते। **(अबू दाऊद-1336, मुस्लिम-736)**

1359. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) रात में तेरह रकअतें अदा फ़र्माया करते थे। **(मुस्लिम-737)**

1360. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) रात को नौ रकअत पढ़ते थे। **(तिर्मिज़ी-443, मुस्लिम-730)**

1361. हज़रत आमिर शअबी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से हुज़ूर (ﷺ) की रात की नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा। उन्होंने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) तेरह रकअत अदा फ़र्माया करते थे। आठ नफ़्ल और तीन वित्र और दो रकअत की सुन्नत।

1362. हज़रत ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) का बयान है कि मैंने अपने दिल में कहा कि आज मैं हुज़ूर (ﷺ) की रात की नमाज़ देखूँगा कि आप किस तरह अदा फ़र्माते हैं। चुनाँचे मैं दरवाज़े की लकड़ी वग़ैरह से तकिया लगाकर बैठ गया। हुज़ूर (ﷺ) रात में बेदार हुए तो पहले आपने मुख़्तसर सी दो रकअतें अदा फ़र्माई, उसके बाद दो रकअतें लम्बी अदा फ़र्माई। उनके बाद उन दो से कुछ छोटी पढ़ी और उसके बाद उन दो से कुछ छोटी और उनके बाद उनसे कुछ छोटी

औ.. उसके बाद उनसे कुछ छोटी। फिर और दो उसके बाद वित्र कुल तेरह रकअतें हुई। **(मुस्लिम-765)**

1363. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा मैं अपनी खाला हज़रत मैमूना (रज़ि.) के यहाँ रात को रह गया। बिस्तर की चौड़ाई पर तो मैं लेट गया और उसकी लम्बाई में हुज़ूर (ﷺ) अपनी बीवी के साथ आधी रात तक सोते रहे। जब आधी रात हुई या उससे कुछ पहले या उसके कुछ बाद हुज़ूर (ﷺ) हाथों से आँखें मलते हुए बेदार हुए और सूरह आले इमरान की दस आयतें तिलावत फ़र्माई और पानी के लटके मश्कीज़ों को लेकर आपने कामिल तौर पर वुज़ू फ़र्माया और नमाज़ के लिये खड़े हो गये। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मैंने भी हुज़ूर (ﷺ) की तरह वुज़ू किया और आपके पहलू में जा खड़ा हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने अपना दाहिना हाथ मेरे सर पर रखा और फिर मेरे दाहिने कान को हाथ से मल दिया और दो रकअतें पढ़ी। फिर और दो रकअतें उसके बाद और दो और फिर दो और उसके बाद तीन वित्र पढ़े। इतने में मुअज़्ज़िन ने फ़ज्र की अज़ान दी। हुज़ूर (ﷺ) ने मुख़्तसर सी दो रकअतें अदा की और फ़ज्र की नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले गये। **(बुख़ारी-183, मुस्लिम-763)**

रात की कौनसी घड़ी अफ़ज़ल है

1364. हज़रत अम्र इब्ने अब्सा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं हुज़ूर (ﷺ) के पास आया। आप (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि आपके साथ कौन-कौन ईमान लाया है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, गुलाम भी और आज़ाद भी। मैंने अर्ज़ किया कि रात को कौनसी घड़ी अफ़ज़ल है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आधी रात।

1365. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे मक़्बूल (ﷺ) पहली रात में ही आराम फ़र्माया करते और आख़िर रात में बेदार रहा करते थे। **(बुख़ारी-1146, मुस्लिम-739)**

1366. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आख़िरी तिहाई रात में ही अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पर रौनक अफ़रोज़ होता है और फ़र्माता है, कोई ऐसा है? कि मुझसे माँगे और मैं उसको अता करूँ। कोई ऐसा है? कि वो मुझसे दुआ करे और मैं उसकी दुआ कुबूल करूँ। कोई है कि मुझसे बख़्शिश चाहे और मैं उसको बख़्श दूँ। यहाँ तक कि फ़ज्र हो जाती है। यही वजह है कि हुज़ूर (ﷺ) आख़िर रात की बेदारी को महबूब रखा करते थे। **(बुख़ारी-1145, मुस्लिम-758)**

1367. हज़रत रफ़ाआत अज्जुहनी (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माय, आधी रात या आख़िरी तिहाई हिस्से में अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पर रौनक अफ़रोज़ होकर इर्शाद फ़र्माता रहता है कि मेरे बन्दे मेरे ग़ैर से न माँगे, मुझसे माँगे। मैं उनको अता करूँगा। मुझसे दुआ करे, मैं दुआ कुबूल करूँगा। मुझसे बख़्शिश चाहे, मैं बख़्श दूँगा। **(मुस्नद अहमद)**

उन कामों का बयान जो क़यामुल्लैल के बजाये काफ़ी हो

1368. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सूरह बक़रह की आख़िरी दो आयतें पढ़ लेगा वो उसकी तमाम रात की इबादत के लिये काफ़ी होगी। अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) से तवाफ़ करते हुए मेरी मुलाक़ात हुई। मैंने इस हदीस के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। आपने मेरे सामने भी यही नक़ल की। **(बुख़ारी-4008, 5040, मुस्लिम-808)**

1369. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरह बक़रह की आख़िरी दो आयतें जो

शख़्स पढ़ लेगा, उसको तमाम रात की इबादत के लिये काफ़ी होगी।

जब नमाज़ पढ़ने वाले को ऊँघ आये तो क्या करे?

1370. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स को नींद आ रही हो तो उसको चाहिये कि थोड़ी देर के लिये सो जाये। फिर बेदार होकर नमाज़ पढ़ ले क्योंकि उस हालत में मुम्किन है कि ये अपने लिये बख़्शिश चाहता हो और ज़बान से अपने आपको गालियाँ देना शुरू कर दे।

(मुस्लिम-786, बुख़ारी-212)

1371. हज़रत इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो आपने मस्जिद के दो खम्भों के दरम्यान एक रस्सी बँधी हुई देखी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये क्या है? अर्ज़ किया गया कि हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) नमाज़ पढ़ रही हैं। जब सुस्ती आती है तो उसको पकड़ लेती है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसको खोलकर अलग कर दो। इंसान को जितनी ताक़त हो, दिल चाहता हो उतना करे और जब ऊँघ आने लगे तो उसको छोड़ देना चाहिये। **(बुख़ारी-1150, मुस्लिम-784)**

1372. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स रात में क़ुर्आन पढ़े लेकिन उसको ये न मालूम हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ तो उसको सो जाना चाहिये।

मग़्रिब और इशा के बीच नमाज़ का बयान

1373. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मग़्रिब और इशा के दरम्यान बीस रकअतें अदा की उसके लिये जन्नत में एक मकान तैयार कराया जायेगा।

1374. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मग़्रिब के बाद छः रकअतें अदा की गोया उसने छः साल तक इबादत की।

मकान में नफ़्ल पढ़ने का बयान

1375. हज़रत आसिम इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि इराक के कुछ लोग हज़रत उमर फ़ारूक (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आपने उनसे फ़र्माया, तुम कौन लोग हो? उन्होंने अर्ज़ किया, इराक के रहने वाले हैं। आपने फ़र्माया, इजाज़त लेकर आये हो? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। फिर उन लोगों ने घर में नवाफ़िल पढ़ने के मुताल्लिक़ हज़रत उमर (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने भी हुज़ूर (ﷺ) से इसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया था तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि ये नूर है अपने मकानों को उससे मुनव्वर करो।

1376. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से कोई शख़्स मस्जिद में नमाज़ पढ़ चुके तो घर के लिये भी कुछ हिस्सा रख छोड़े। क्यों कि अल्लाह तआला उसके मकान में उसकी नमाज़ से बेहतरी अता फ़र्मायेगा। **(मुस्लिम-778)**

1377. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मकानों को कब्रें न बनाओ। यानी उनमें नमाज़ अदा किया करो। बग़ैर नमाज़ के न छोड़ो। **(बुख़ारी-432, मुस्लिम-777)**

1378. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सअ़द (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा मकान में नमाज़ पढ़ना बेहतर है या मस्जिद में? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम नहीं देखते कि मेरा मकान मस्जिद के कितना क़रीब है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझको ये ज़्यादा अच्छा मालूम होता है कि मैं अपने मकान ही में पढ़ूँ। अलबत्ता फ़र्ज़ नमाज़ों के लिये मस्जिद मुक़र्रर की गई है। **(मुस्नद अहमद)**

चाश्त की नमाज़ का बयान

1379. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत उ़स्मान इब्ने अ़फ़्फ़ान (रज़ि.) के ज़माने में बहुत से लोग जमा थे। मैंने चाश्त की नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। लेकिन किसी ने मुझको उसकी हालत से आगाही न दी कि हुज़ूर (ﷺ) ने पढ़ी या न पढ़ी? अलबत्ता हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) ने बयान किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने चाश्त की आठ रकअ़तें अदा फ़र्माई थी।

1380. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) ख़ादिमुन्नबी (ﷺ) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चाश्त के वक़्त बारह रकअ़तें अदा फ़र्मायेगा, अल्लाह तआ़ला उसके लिये जन्नत में सोने का महल तैयार करवायेगा। **(तिर्मिज़ी-473)**

1381. हज़रत मुआजह अदविया (रह.) कहती हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि नबी करीम (ﷺ) चाश्त की नमाज़ अदा फ़र्माया करते थे? आप (रज़ि.) ने फ़र्माया, चार रकअ़तें अदा फ़र्माते और कभी ज़्यादा भी जितनी अल्लाह की मर्ज़ी होती। **(मुस्लिम-719)**

1382. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने चाश्त की दो रकअ़तें अदा की। अल्लाह तआ़ला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देगा। अगर दरिया के झाग के बराबर भी होंगे तब भी माफ़ होंगे। **(तिर्मिज़ी-476)**

इस्तिख़ारा की नमाज़ का बयान

1383. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हमको हुज़ूर (ﷺ) इस्तिख़ारे की तालीम इस तरह फ़र्माया करते जिस तरह कुर्आन की सूरत तालीम फ़र्माते। आप (ﷺ) फ़र्माते कि जब तुम में से किसी को कोई मुश्किल पेश आये तो फ़र्ज़ों के अ़लावा दो रकअ़तें पढ़े और उन में ये दुआ़ पढ़े, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्तख़ीरु-क बिइल्मिक व अस्तक़्दिरु-क बिक़ुदरति-क व अस्अलु-क मिन फ़ज़्लिकल्अ़ज़ीम फ़इन्न-क तक़्दिरु वला अक़्दिरु व तअ़लमु वला अअ़लमु व अन्त अ़ल्लामुल ग़ुयूब. अल्लाहुम्म इन कुन्त तअ़लमु हाज़ल अम्र फ़युसम्मैहि मा कान मिन शैइन ख़ैरल्ली फ़ी दीनी व मआ़शी व आ़क़िबति अम्री औ ख़ैरल्ली फ़ी आ़जिली अम्रि व आजिलिहि फ़क़्दुरहुली व यस्सिरहुली व बारिक ली फ़ीहि व इन कुन्त तअ़लमु यक़ूलु मिस्ल मा क़ाल फ़िल्मर्रतिल ऊला व इन कान शर्रल्ली फ़स्रिफ़हु अ़न्नी वस्रिफ़नी अ़न्हु वक़्दुरलियल ख़ैर हैसुमा कान सुम्म रज़्ज़िनी बिहि.** (ऐ अल्लाह! मैं तेरे इल्म के वसीले से तुझसे भलाई तलब करता हूँ और तेरी क़ुदरत से वास्ते से (हुसूले ख़ैर की) ताक़त माँगता हूँ और तुझसे तेरे अ़ज़ीम फ़ज़्ल का सवाल करता हूँ। बेकश तू हर चीज़ पर क़ुदरत रखता है और किसी चीज़ पर क़ुदरत नहीं रखता, तू ग़ैब जानता है, मैं नहीं जानता। तू (तमाम) पोशीदा उमूर से बाख़बर है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिये मेरी दुनिया, मेरी मआ़श और मेरे अंजाम में बेहतर हैं (या फ़र्माया) मेरे फ़ौरी मामलात में या बाद के मामलात में बेहतर हैं तो इसे मेरे लिये मुक़द्दर कर दे, इसे मेरे लिये आसान फ़र्मा और मेरे लिये

इसमें बरकत अता फ़र्मा। और अगर तेरे इल्म में ये काम मेरे लिये बुरा है, मेरी दुनिया में, मेरे मआश में और मेरे अंजाम में या मेरे फ़ौरी मामलात में या बाद के मामलात में तो इस काम को मुझसे दूर रख और मुझे इससे (बेहतर काम की तरफ़) फेर दे और मेरे लिये ख़ैर मुक़द्दर कर दे जहाँ कहीं भी हो, फिर मुझे उस पर राज़ी और मुतमईन कर दे)। **(बुख़ारी-1162)**

नमाज़े हाजत का बयान

1384. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा अस्लमी (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये और फ़र्माया, जिस किसी को अल्लाह तआला या किसी बन्दे से कोई हाजत पेश हो तो उसको वुज़ू करके दो रकअतें पढ़नी चाहिये और उनमें ये दुआ पढ़े, **ला इलाह इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल् अर्शिल अज़ीम. अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिलआलमीन. अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु-क मूजिबाति रह्मतिक व अज़ाइम मग़्फ़िरति-क वल्ग़नीम-त मिन कुल्लि बिर्रिन् वस्सलाम-त मिल कुल्लि इस्मिन् अस्अलु-क अल्ला तदअली ज़म्बन इल्ला ग़फ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजत्तहु वला हाजतन् हिय लक रिज़न् इल्ला क़ज़ैतहा ली.** (अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, जो हिल्म वाला और करम वाला है। पाक है अल्लाह जो अर्शे अज़ीम का मालिक है. तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं जो जहानों का पालने वाला है। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे वो चीज़ें (आमाल व ख़स्लतें) माँगता हूँ जो तेरी रहमत का सबब हैं और तेरी बख़्शिश का बाइस बनने वाले (आमाल) और हर नेकी में हिस्सा और हर गुनाह से सलामती का सवाल करता हूँ। मैं तुझसे ये दरख़्वास्त करता हूँ कि मेरा कोई गुनाह माफ़ किये बग़ैर, कोई ग़म ख़त्म किये बग़ैर और कोई हाजत जो तेरी रज़ा के मुताबिक़ हो, पूरी किये बग़ैर न छोड़)। उसके बाद दुनिया या आख़िरत जो उसका मक़सद हो, अल्लाह तआला से तलब करे। **(तिर्मिज़ी-479)**

1385. हज़रत उस्मान बिन हनीफ़ (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स जिसकी नज़र में फ़र्क आ गया था। हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी आफ़ियत के लिये अल्लाह तआला से दुआ फ़र्माएँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम चाहो तो इसको आख़िरत के लिये रहने दो और ये तुम्हारे लिये बेहतर होगा और अगर तुम चाहो तो मैं दुआ करूँ। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप दुआ फ़र्माएँ। आपने उससे फ़र्माया कि वुज़ू कर ले और दो रकअत नमाज़ पढ़ और उसमें ये दुआ कर, **अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु-क व अतवज्जहु इलैक बि मुहम्मदिन नबिय्यिर्रह्मति या मुहम्मदु इन्नी क़द तवज्जह्तु बिक इला रब्बि फ़ी हाजति हाज़िहि लितुक़्ज़ा अल्लाहुम्मा फ़शफ़्फ़अहु फ़िय्य.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ और नबी-ए-रहमत हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के ज़रिये से तेरी तरफ़ तवज्जह करता हूँ। ऐ मुहम्मद! मैं आपके ज़रिये से अपनी इस हाजत के सिलसिले में अपने रब की तरफ़ तवज्जह करता हूँ ताकि वो हाजत पूरी हो जाये। ऐ अल्लाह! नबी (ﷺ) की शफ़ाअत मेरे हक़ में क़ुबूल फ़र्मा)। अबू इस्हाक़ (रह.) कहते हैं कि यह हदीस सहीह है। **(तिर्मिज़ी-3578)**

तशरीह : *इस रिवायत की सदन सहीह है और इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस हदीस पर हसन-सहीह, ग़रीब का हुक्म लगाया है। उलमा ने इसकी तौजीह ये की है कि नबी (ﷺ) के मुअजज़ात में से है और कुछ लोगों ने इस हदीस को दलाइलुन्नुबुव्वह में भी नक़ल किया है, जैसे इमाम बैहक़ी वग़ैरह। बहरहाल इस हदीस से दुआ-ए रजुलुस्सालेह (नेक आदमी से दुआ कराने) का सबूत फ़राहिम होता है।*

सलातुत-तस्बीह का बयान

1386. हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चचा अब्बास (रज़ि.)! क्या मैं मुहब्बत का

हक़ अदा करूँ? क्या आपके साथ सिलारहमी करूँ? क्या आपको फ़ायदा पहुँचाने वाली बात बतलाऊँ? उन्होंने अ़र्ज़ किया, फ़र्माएँ या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम चार रकअतें पढ़ो इस तरीक़े से कि हर रकअत में फ़ातिहतुल किताब और उसके साथ एक सूरत पढ़ो। जब क़िरअत से फ़ारिग़ हो जाओ तो ये पढ़ो, **सुब्हानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर** पन्द्रह मर्तबा रुकूअ से पहले, उसके बाद रुकूअ करो और रुकूअ में दस मर्तबा यही पढ़ो। जब रुकूअ से सर उठाओ तो दस मर्तबा यही पढ़ो। फिर जब सज्दा करो तो दस मर्तबा पढ़ो। जब सज्दे से सर उठाओ तो दस मर्तबा पढ़ो। जब दूसरा सज्दा करो तो दस मर्तबा पढ़ो। फिर जब दूसरे सज्दे से सर उठाओ तो दस मर्तबा पढ़ो, खड़े होने से पहले। पस ये हर रकअत में 75 मर्तबा होगा। और चारों रकअतों में तीन सौ मर्तबा होगा। अगर तुम्हारे गुनाह झाग के मानिन्द होंगे तो वो भी बख़्श दिये जायेंगे। हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो इसको हर रोज़ न पढ़ सके वो क्या करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हफ़्ते में एक बार पढ़ लिया करो और अगर हफ़्ते में भी न हो सके तो महीने एक बार पढ़ लिया करो। अगर महीने में भी न हो सके तो साल में एक बार पढ़ लिया करो। **(तिर्मिज़ी-482)**

1387. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने अपने चचा हज़रत अ़ब्बास इब्ने अ़ब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) से फ़र्माया, ऐ चचा! क्या मैं तुम पर अ़तिया न करूँ? क्या तुम्हारे साथ सिलारहमी न करूँ? क्या तुमको कुछ अ़ता न करूँ? क्या तुमको दस कलिमे न बतलाऊँ? कि जिनके पढ़ने से अल्लाह तआ़ला तुम्हारे तमाम अगले और पिछले, ज़ाहिर व बातिन, नये व पुराने, इरादी और ग़ैर इरादी, छोटे व बड़े तमाम गुनाह माफ़ फ़र्मा दे। वो दस कलिमात ये हैं कि तुम चार रकअतों की निय्यत करो। हर रकअत में सूरह फ़ातिहा और उसके साथ कोई सूरत पढ़ो। क़िरअत के बाद ये कलिमात पन्द्रह मर्तबा कहो, **सुब्हानल्लाहि वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर**। फिर रुकूअ में दस मर्तबा कहो, फिर रुकूअ से सर उठाने के बाद दस मर्तबा, उसके बाद सज्दे को जाओ और सज्दे में दस मर्तबा कहो। उसके बाद जब सज्दे से उठो तो दस मर्तबा कहो, फिर दूसरे सज्दे में दस मर्तबा कहो, फिर दूसरे सज्दे से उठते हुए दस मर्तबा कहो। पस ये हर रकअत में 75 मर्तबा होगा। ये चार रकअतें अगर तुम से हर रोज़ हो सके तो पढ़ो। अगर हर दिन न पढ़ सको तो हर हफ़्ते में पढ़ लिया करो, अगर हर हफ़्ते में न हो सके तो हर महीने में पढ़ लिया करो। अगर ये भी न हो सके तो तमाम उम्र में एक मर्तबा तो अदा कर लो। **(अबू दाऊद-1297)**

पन्द्रवीं शाबान की रात की फ़ज़ीलत का बयान

1388. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पन्द्रहवीं शाबान की रात को नमाज़ अदा करो और दिन को रोज़ा रखो। क्योंकि सूरज डूबने के बाद अल्लाह तआ़ला आसमाने दुनिया पर रौनक अफ़रोज़ होकर फ़र्माता है, कोई बख़्शिश चाहने वाला है तो मुझसे बख़्शिश तलब करे कि मैं उसको बख़्श दूँ? कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है कि मैं उसको रिज़्क़ अ़ता फ़र्माऊँ? क्या कोई मुसीबतज़दा है जिसको मैं नजात व आ़फ़ियत अ़ता करूँ? क्या फलाँ-फलाँ काम वाला है? इस तरह सुबह तक ये इर्शाद होता रहता है।

तश्रीह : इस हदीस को अ़ल्लामा अलबानी (रह.) ने ज़ईफ़ ही नहीं बल्कि मौज़ूअ कहा है।

1389. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक रात मैंने हुज़ूर (ﷺ) को बिस्तर पर न पाया। मैं आपकी तलाश में निकली तो आपको बक़ीअ़ में देखा। आप (ﷺ) आसमान की तरफ़ सर मुबारक उठाये हुए थे। मुझसे फ़र्माया, ऐ आइशा! क्या तुमको ख़याल होगा कि अल्लाह तआ़ला और रसूल तुम पर ज़ुल्म करेंगे? मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह(ﷺ)! मेरा ख़याल ये था कि आप अपनी अज़वाज में से किसी बीवी के यहाँ तशरीफ़ ले गये होंगे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पन्द्रहवीं

शाबान की रात को अल्लाह तआला आसमाने दुनिया पर रौनक अफ़रोज़ होता है। बनी कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की बख़्शिश फ़र्माता है। **(तिर्मिज़ी-739)**

तशरीह : *अल्लामा नौसेरी (रह.) ने कहा है कि इस रिवायत की सनद ज़ईफ़ है क्योंकि इसके रिवाह में एक रावी इब्ने अबी सैरह है जिसका पूरा नाम अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अबी सैरह है वो ज़ईफ़ है और इमाम अहमद (रह.) और इमाम इब्ने मुईन (रह.) ने इसके बारे में कहा है, वो रिवायात वज़अ करना था यानी मनघढ़त बातों को हदीस के नाम से बयान करता था।*

1390. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला पन्द्रहवीं शाबान की रात में (अपने बन्दों पर) नज़र फ़र्माता है। फिर मुश्रिक और (मुसलमान भाई से) दुश्मनी रखने वाले के सिवा तमाम मख़्लूक़ की बख़्शिश फ़र्माता है।

तशरीह : *01. इसकी सनद में वलीद बिन मुस्लिम मुदलस हैं और एक रावी अब्दुर्रहमान अरज़ब है जो मज्हूलुल हाल है, लिहाज़ा ये रिवायत ज़ईफ़ है। (मुहक़्क़िक़ मुहम्मद फ़व्वाद अब्दुल बाक़ी) 02. इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने फ़र्माया मैंने इमाम बुख़ारी से सुना है कि वो इस रिवायत को ज़ईफ़ क़रार देते हैं और कहा कि दो जगह अल्क़िताअ है।*

नमाज़े शुक्र और सज्द-ए-शुक्र का बयान

1391. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी अदना (रज़ि.) कहते हैं, जिस दिन हुज़ूर (ﷺ) को अबू जहल के क़त्ल की ख़बर मिली, उस दिन आप (ﷺ) ने दो रकअतें शुक्राने की अदा फ़र्माई।

1392. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) को किसी हाजत के पूरा होने की ख़ुशख़बरी सुनाई गई। हुज़ूर (ﷺ) फ़ौरन सज्दे में चले गये।

1393. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने कअब इब्ने मालिक (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, जब कभी अल्लाह तआला ने हुज़ूर (ﷺ) पर अपनी रहमत मुतवज्जह फ़र्माई, आप (ﷺ) ने सज्द-ए-शुक्र अदा फ़र्माया। **(बुख़ारी-4418)**

1394. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) को कोई दिल ख़ुश करने वाली बात मालूम हो जाती और आपको ख़ुशी हासिल होती तो आप (ﷺ) सज्द-ए-शुक्र अदा फ़र्माया करते।

(अबू दाऊद-2774, तिर्मिज़ी-1578)

नमाज़ गुनाहों का कफ़्फ़ारा है

1395. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं कि जब मैं हुज़ूर (ﷺ) की कोई हदीस सुना करता तो अल्लाह तआला जो कुछ मेरे नसीब में होता, मुझको उससे नफ़ा अता फ़र्माया करता और जब कोई शख़्स मुझसे हुज़ूर (ﷺ) की हदीस नक़ल किया करता तो मैं उसको क़सम देकर उसकी तस्दीक़ कर लिया करता। जब वो क़सम खा लिया करता तो मैं उसकी तस्दीक़ कर लिया करता। मुझसे हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने एक हदीस बयान की और आप तो सच्चे ही थे। हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान है, जो मुसलमान गुनाह करे फिर उम्दा तौर पर वुज़ू करके दो रकअतें पढ़कर इस्तिग़फ़ार

करे तो अल्लाह तआला उसको बख़्शश देता है। **(अबू दाऊद-1521, तिर्मिज़ी-406)**

1396. हज़रत आसिम इब्ने सुफ़्यान शक़फ़ी (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग ग़ज़्व-ए-सलासिल के लिये चले। मगर हम वक़्त पर न पहुँच सके। हमारा जिहाद जाता रहा। अलग़र्ज़ हमने घोड़े बाँध दिये और हज़रत मुआविया (रज़ि.) कपास आये। उस वक़्त उनके पास अबू अय्यूब (रज़ि.) और उक़्बा इब्ने आमिर (रज़ि.) तशरीफ़ रखे हुए थे। मैंने कहा, मुआविया! हमारा इस साल का जिहाद फ़ौत हो गया और हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है, जो शख़्स चार मस्जिदों में नमाज़ अदा करेगा, उसके गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। उन्होंने कहा, भतीजे! मैं तुमको इससे भी आसान काम बतलाऊँ? हुज़ूर (ﷺ) से मैंने सुना है कि जो शख़्स जिस तरह उसको नमाज़ पढ़ने का हुक्म है, बाकायदा वुज़ू करके नमाज़ अदा करेगा, उसके पिछले तमाम गनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। क्यों उक़्बा यही बात है या नहीं? उक़्बा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ सही है। **(नसाई-144)**

1397. हज़रत उस्मान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमसे दरयाफ़्त करता हूँ कि अगर किसी मकान के सामने नहर जारी हो और वो उसमें दिन में पाँच मर्तबा ग़ुस्ल करे तो क्या उसके जिस्म पर कुछ मैल बाक़ी रहेगा? अर्ज़ किया गया, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस नमाज़ इसी तरह गुनाहों को धो देती है, जिस तरह पानी मैल को। **(मुस्नद अहमद)**

1398. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स ने ज़िना के अलावा किसी औरत से नाजायज़ तौर पर दस्तदराज़ी की। वो हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर (ﷺ) से ये वाक़िआ अर्ज़ किया। तो अल्लाह तआला की तरफ़ से ये आयत नाज़िल हुई, **दिन के किनारों में भी नमाज़ क़ायम कीजिये और रात की घड़ियों में भी, यक़ीनन नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती है, ये नसीहत है नसीहत क़ुबूल करने वालों के लिये.** (सूरह हूद : 114)। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ये इसी शख़्स के लिये है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स भी करेगा उस शख़्स के लिये यही हुक्म है। **(बुख़ारी-526, 4687, मुस्लिम-2763)**

पाँचों वक़्त के फ़राइज़ और उनकी मुहाफ़िज़त का बयान

1399. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत पर पचास नमाज़ें फ़र्ज़ की है। वापस होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो उन्होंने मुझसे दरयाफ़्त किया कि अल्लाह तआला ने तुम्हारी उम्मत पर क्या फ़र्ज़ किया है? मैंने कहा, पचास वक़्त की नमाज़ें। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्मत में इतनी ताक़त नहीं, वापस जाकर माफ़ कराओ। मैं अपने रब की तरफ़ फिर वापस गया, अल्लाह तआला ने कुछ हिस्सा माफ़ कर दिया। मैं फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ़ वापस होकर आया और उनसे कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर वापस चले जाइये, आपकी उम्मत में इसकी भी ताक़त नहीं। मैं फिर वापस गया। यहाँ तक कि फ़र्मान हुआ, अच्छा पाँच नमाज़ें हैं जिनमें पचास का सवाब तुमको इनायत किया जायेगा। मेरी मुक़र्रर की हुई बात मुतग़य्यर नहीं होती। जब मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया तो मूसा (अलैहि.) ने कहा, तुम्हारी उम्मत में इसकी भी ताक़त नहीं। फिर वापस चले जाओ। मैंने कहा, अब मुझको अपने रब के सामने जाते हुए शर्म आती है। **(बुख़ारी-349, 1636, मुस्लिम-163)**

1400. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, तुम्हारे नबी करीम (ﷺ) को पचास नमाज़ों का हुक्म दिया गया था लेकिन कमी की दरख़्वास्त पर पाँच नमाज़ें मुक़र्रर की गई। **(मुस्नद अहमद)**

1401. हज़रत उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह ने पाँच नमाज़ें फ़र्ज़

की है। जो शख़्स उन नमाज़ों के हुकूक में किसी क़िस्म की कमी नहीं करेगा, बाकायदा उनके वक़्त में उनको अदा करेगा तो अल्लाह तआला ने क़यामत के दिन के लिये ये वादा मुक़र्रर किया है कि उसको जन्नत अता फ़र्माये और जिसने उनके हुकूक की हिफ़ाज़त न की उससे अल्लाह का कोई वादा नहीं। चाहे उसको अज़ाब दे, चाहे माफ़ कर दे। **(अबू दाऊद- 1420)**

1402. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हम मस्जिद में बैठे हुए थे कि एक शख़्स ऊँट पर सवार मस्जिद में आया और वहीं ऊँट को बाँधकर कहने लगा, तुम में अल्लाह का रसूल मुहम्मद (ﷺ) कौन सा है? उस वक़्त नबी करीम (ﷺ) सब लोगों के रू-ब-रू तकिया लगाये तशरीफ़ फ़र्मा थे। लोगों ने कहा, ये साहब हैं, जो सफ़ेद रंग का तकिया लगाये तशरीफ़ फ़र्मा हैं। उसने हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ मुख़ातिब होकर कहा, इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मैं सुन रहा हूँ। उसने कहा मुहम्मद (ﷺ)! मैं तुमसे एक सवाल करके तक्लीफ़ देना चाहता हूँ। अगर आपको बुरा न लगे तो अर्ज़ करूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो तुमको कहना हो कहो। उसने कहा, मैं आपको आपके व तमाम अम्बिया-ए-साबिक़ीन के रब की क़सम देकर कहता हूँ कि क्या आपको अल्लाह तआला ही ने रसूल बनाकर मबऊस फ़र्माया है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! अल्लाह गवाह है। (उसी ने मुझको मबऊस फ़र्माया है) उसने अर्ज़ किया मैं आपको क़सम देकर दरयाफ़्त करता हूँ कि क्या अल्लाह तआला ने आपको दिन-रात में पाँच नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! अल्लाह गवाह है। (उसी ने मुझको हुक्म फ़र्माया है) उस शख़्स ने फिर कहा, मैं आपको क़सम देता हूँ, ये बतलायें कि क्या एक साल में उस महीने के रोज़े रखने का हुक्म अल्लाह तआला ने ही दिया है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला गवाह है। (उसी ने मुझको इसका हुक्म दिया है) उसने कहा, मैं आपको क़सम देता हूँ कि क्या अल्लाह तआला ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हमारे मालदारों से सदक़ा लेकर ग़रीबों में तक़्सीम फ़र्मा दें। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह जानता है। (उसी ने मुझको हुक्म दिया है) तब उसने कहा, जो कुछ आप लेकर आये हैं मैं उस पर ईमान लाता हूँ और मैं अपनी क़ौम का क़ासिद हूँ। आपकी ख़िदमत में उनकी तरफ़ से हाज़िर हुआ था, मेरा नाम ज़माम इब्ने सअलबा है जो बनी असद इब्ने अबीबक्र के भाई हैं। **(बुख़ारी-63)**

1403. हज़रत अबू क़तादा इब्ने अबी रबीअ (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद हुआ कि तुम्हारी उम्मत पर पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की है। जो उनकी पाबन्दी करेगा तो मेरा उससे वादा है कि मैं उसको जन्नत अता फ़र्माऊँगा और जो शख़्स उनकी हिफ़ाज़त नहीं करेगा, उससे मेरा कोई वादा नहीं। (ख़्वाह उसको बख़्श दूँ या अज़ाब दूँ) **(अबू दाऊद-430)**

मस्जिदे हराम और मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने का बयान

1404. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मस्जिदे हराम के अलावा और मस्जिदों से मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ना हज़ार नमाज़ों के बराबर है। **(बुख़ारी- 1190)**

1405. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) का इर्शाद है कि मेरी मस्जिद में एक नमाज़ अदा करना दूसरी मस्जिदों की एक हज़ार नमाज़ों से फ़ज़ीलत रखता है, मस्जिदे हराम के अलावा। **(मुस्लिम- 1394)**

1406. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से एक हज़ार नमाज़ों का सवाब मिलता है, दूसरी मस्जिदों के मुकाबले में। **(मुस्नद अहमद)**

बैतुल मक़्दिस की मस्जिद में नमाज़ अदा करने का बयान

1407. हज़रत मैमूना (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बैतुल मुक़द्दस के

मुताल्लिक़ कुछ फ़र्माईये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मस्जिदे बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ना एक हज़ार नमाज़ों के बराबर है और यही ज़मीन महशर है। इसमें जाकर नमाज़ अदा करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई शख़्स वहाँ जाने की ताक़त न रखता हो तो क्या करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको चाहिये कि वहाँ जाने के लिये ज़ैतून का तेल ही रवाना कर दे, ताकि वहाँ चराग़ रोशन किया जाये। चराग़ रोशन होना ऐसा है जैसे नमाज़ का अदा कर लेना। **(मुस्नद अहमद)**

1408. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिमुस्सलाम बैतुल मुक़द्दस के बनाने से फ़ारिग़ हो गये तो आपने अल्लाह तआला से तीन दुआएँ की, पहली ये कि उनका इंसाफ़ अल्लाह तआला के हुक्म के मुवाफ़िक हो। दूसरी यह कि उनको ऐसी हुकूमत अता फ़र्माई जाये जो मख़्लूक़ में से किसी को न अता की गई हो। तीसरी यह कि जो शख़्स बैतुल मुक़द्दस में ख़ालिस नमाज़ की निय्यत से आये तो उसको गुनाह से ऐसा पाक साफ़ कर दे जैसे उसकी माँ ने उसको उसी दिन जना है। अल्लाह तआला ने दो दुआएँ मुल्क और इंसाफ़ के मुताल्लिक़ क़ुबूल फ़र्मा ली और उम्मीद है कि तीसरी दुआ भी मक़्बूल हो गई होगी।

1409. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, (अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की निय्यत से) सिवाय मस्जिदे हराम और मेरी इस मस्जिद और बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद के और किसी मस्जिद की तरफ़ न सफ़र करना चाहिये। **(बुख़ारी-1189, मुस्लिम-1397)**

1410. हज़रत उमर (रज़ि.) और **हज़रत इब्ने आस (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन मस्जिदों के अलावा और किसी मस्जिद की तरफ़ (अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने की निय्यत से) सफ़र नहीं करना चाहिये। **(बुख़ारी-1197, मुस्लिम-827)**

मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ अदा करने का बयान

1411. हज़रत उसैद इब्ने हुज़ैर अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) का फ़र्माने मुबारक है कि मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ अदा कर लेना ऐसा है जैसे उमरा कर लेना। **(तिर्मिज़ी-324)**

1412. हज़रत सहल इब्ने हनीफ़ (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने मकान से तहारत करके मस्जिदे क़ुबा में नमाज़ के लिये आयेगा, उसको एक उमरा का सवाब इनायत किया जायेगा। **(नसाई-700)**

जामा मस्जिद में नमाज़ अदा करने का बयान

1413. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, आदमी का अपने मकान में नमाज़ पढ़ना एक नमाज़ के बराबर है और अपने मुहल्ले में पच्चीस नमाज़ों के बराबर है और जामा मस्जिद में अदा करना पाँच सौ नमाज़ों के बराबर है और मस्जिदे अक़्सा में नमाज़ अदा करना पचास हज़ार नमाज़ों के बराबर है और मस्जिदे हराम में अदा करना एक लाख नमाज़ों के बराबर है।

मिम्बर किस वक़्त बनाया गया

1414. हज़रत तुफ़ैल इब्ने अबी कअ़ब (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, जब मस्जिदों की छतें तैयार न थीं तो उस वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक लकड़ी से पुश्त लगाकर ख़ुत्बा फ़र्माया करते और उसी की तरफ़ रुख करके नमाज़ अदा फ़र्माते। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, अगर इजाज़त हो तो आपके लिये एक मिम्बर बना दिया जाये,

जिस पर आप जुम्आ के दिन खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्मायें। (इस सूरत में) तमाम हाज़िरीन हुज़ूर (ﷺ) को देख सकेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा है। तब आपके लिये तीन दर्जों का मिम्बर बनाया गया। (मालूम हुआ कि हुज़ूर (ﷺ) का) इस तरह का मिम्बर था (जिसके तीन दर्जे थे) जब वो मिम्बर उस मक़ाम पर रखा गया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उस पर तशरीफ़ रखने के लिये एक तने से गुज़रे जिससे हुज़ूर (ﷺ) सहारा लगा कर पहले ख़ुत्बा फ़र्माया करते थे तो उस तने से रोने की आवाज़ आई और दरम्यान में से फट गया। ये सूरत मुलाहिज़ा फ़र्माकर हुज़ूर (ﷺ) मिम्बर से नीचे तशरीफ़ लाये और उसका रोना-धोना देखकर आपने उस पर शफ़क़त से हाथ मुबारक फेरा जिससे उसकी वो हालत दफ़ा हो गई। लेकिन जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्माते तो उस तने की तरफ़ अदा फ़र्माते। जब दोबारा मस्जिद बनाई गई और उन चीज़ों को अलग किया गया तो उस तने को हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) अपने मकान में ले आये थे और वो आप ही के पास रहा, यहाँ तक कि उसको दीमक ने खा लिया और गल कर मिट्टी हो गया। **(मुस्नद अहमद)**

तशरीह : *दूसरी हदीस में इस तरह आया है कि हुज़ूर (ﷺ) ने एक सहाबी से फ़र्माया था कि तुम अपने गुलाम से जो लकड़ी का काम जानता है, मेरे लिये एक मिम्बर तैयार करवाओ ताकि मैं उस पर खड़े होकर ख़ुत्बा पढ़ा करूँ और इस हदीस में है कि सहाबी ने अ़र्ज़ किया था। लेकिन इस तरह तत्बीक़ की जाती है कि जिस गुलाम को मिम्बर बनाने का हुक्म दिया ये सहाबी वही थे। जिन्होंने मज़ीद ताकीद के लिये ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त किया था।*

1415. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, शुरू में हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद के खम्भों से सहारा लगाकर ख़ुत्बा फ़र्माया करते थे। जब आपके लिये मिम्बर तैयार हो गया तो आप उस पर तशरीफ़ ले गये। वो खम्भा रोने लगा, आप (ﷺ) ने उसको तसल्ली दी, उसका रोना बन्द हो गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मैं इसको तसल्ली न देता तो क़यामत तक इसमें से रोने की आवाज़ आती रहती। **(मुस्नद अहमद)**

1416. हज़रत अबी हाज़िम (रज़ि.) कहते हैं, लोगों में इस काम का बहुत इख़्तिलाफ़ हुआ कि हुज़ूर (ﷺ) का मिम्बर किस चीज़ का बना हुआ था। आख़िर में ये लोग सहल बिन सअ़द (रज़ि.) के पास आये और उनसे दरयाफ़्त किया। सहल (रज़ि.) ने फ़र्माया, उसकी हालत (शायद मुझसे) ज़्यादा किसी को मालूम न होगी। ये मिम्बर ग़ाबा दरख़्त की जड़ से फ़लाँ शख़्स के गुलाम फ़लाँ ने हुज़ूर (ﷺ) के लिये तैयार किया था। ये बढ़ई का काम किया करता था। जब मिम्बर तैयार हो गया और आप (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर हाज़िर हुआ और उसको रखा गया तो आप (ﷺ) ने क़िब्ला रुख़ होकर खड़े हो गये। लोगों ने आपके पीछे सफ़बन्दी की, आप (ﷺ) ने मिम्बर पर खड़े होकर क़िरअत और रुकूअ़ अदा फ़र्माया। जब सज्दे का वक़्त आया तो हुज़ूर (ﷺ) नीचे उतर गये और ज़मीन पर सज्दा किया। **(बुख़ारी-377, मुस्लिम-544)**

1417. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, इब्तिदा में हुज़ूर (ﷺ) एक खम्भे से टेक लगाकर ख़ुत्बा फ़र्माया करते थे। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) के लिये मिम्बर तैयार कर लिया गया। तो उस खम्भे से रोने की आवाज़ आने लगी जिसको मस्जिद में मौजूद तमाम लोगों ने सुनी। हुज़ूर (ﷺ) ने तशरीफ़ लाकर उस पर अपना हाथ मुबारक फेरा, जिससे उसमें सुकून पैदा हो गया। बाज़ हाज़िरीन कहने लगे कि उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ न लाते तो ये क़यामत तक रोता रहता। **(मुस्नद अहमद)**

नमाज़ में क़याम लम्बा करने की फ़ज़ीलत

1418. हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक रात मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने इतना

लम्बा क़याम किया कि मेरा इरादा बुरा हो गया। (रावी कहते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह (रज़ि.) से) कहा आपने क्या इरादा किया था? उन्होंने फ़र्माया, ये इरादा किया था कि क़याम छोड़कर बैठ जाऊँ। **(बुख़ारी-1135, मुस्लिम-773)**

1419. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) इस क़द्र क़याम फ़र्माया करते कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ गया था। हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके तमाम अगले-पिछले गुनाह माफ़ हो गये हैं, आपको इस क़द्र तक्लीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं शुक्रगुज़ार न बनूँ? **(बुख़ारी-4836, मुस्लिम-2819)**

1420. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) इस क़द्र नमाज़ अदा फ़र्माया करते कि आपके पाँव मुबारक पर वरम आ गया था। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला ने आपके तमाम अगले-पिछले गुनाह माफ़ कर दिये हैं। फिर हुज़ूर (ﷺ) क्यों इस क़द्र मशक़्क़त गवारा फ़र्माते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, क्या मैं शुक्रगुज़ार बन्दा न बनूँ?

1421. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) से अर्ज़ किया गया कि कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका क़याम लम्बा हो। **(मुस्लिम-726)**

कसरते सुजूद का बयान

1422. हज़रत अबू फ़ातिमा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई ऐसा अमल तालीम फ़र्माएँ, जिस पर मैं साबित क़दम रहूँ और उस पर कारबन्द रहूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सज्दे (कसरत से) किया करो। तुम सज्दा करोगे उसके ऐवज़ में तुम्हारा एक दर्जा जन्नत में बुलन्द किया जायेगा और एक गुनाह माफ़ किया जायेगा। **(तबरानी फ़िल्कबीर-809)**

1423. हज़रत सअद इब्ने अबी तल्हा (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मेरी मुलाक़ात हज़रत सौबान (रज़ि.) से हुई। मैंने अर्ज़ किया, मुझसे कोई हदीस बयान फ़र्मायें, शायद अल्लाह तआला उसके ज़रिये मुझको हिदायत नसीब करे। ये सुनकर आप ख़ामोश हो गये। मैंने फिर अर्ज़ किया लेकिन आप फिर भी ख़ामोश रहे। अलग़र्ज़ मैंने तीन मर्तबा अर्ज़ किया लेकिन आप ख़ामोश रहे। (चौथी मर्तबा में फ़र्माया) तुम सज्दा कसरत से किया करो। क्योंकि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुना है, जो शख़्स सज्दा करेगा, अल्लाह तआला हर सज्दे के ऐवज़ में उसका जन्नत में एक दर्जा बुलन्द फ़र्मायेगा और उसका एक गुनाह माफ़ फ़र्मायेगा। रावी कहते हैं, उसके बाद मेरी मुलाक़ात हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) से हुई। मैंने आपसे भी दरयाफ़्त किया, आपने भी यही फ़र्माया। **(मुस्लिम-488)**

1424. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना, जो बन्दा भी अल्लाह के लिये एक सज्दा करता है, अल्लाह तआला उसके बदले में उसके लिये एक नेकी लिखता है और उस सज्दे की वजह से उसका एक गुनाह माफ़ करता है और उसके सज्दे की वजह से उसका एक दर्जा बुलन्द करता है इसलिये सज्दे कसरत से करो।

सबसे पहले बन्दे से नमाज़ का हिसाब होगा

1425. हज़रत अनस इब्ने हकीम (रज़ि.) कहते हैं, मुझसे हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया कि जब तुम मिस्र

जाओ तो मिस्र वालों से ये हदीस बयान कर देना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है कि क़यामत के दिन सबसे पहले बन्दे से जिस चीज़ का हिसाब लिया जायेगा वो नमाज़ है। अगर उसके फ़राइज़ पूरे निकले तो ठीक वरना हुक्म होगा, इसके नवाफ़िल में ग़ौर करो। लिहाज़ा अगर उसके कुछ नवाफ़िल होंगे तो उनसे फ़राइज़ को पूरा किया जायेगा। इस तरह बाक़ी फ़राइज़ का अंजाम वही होगा। **(अबू दाऊद-864)**

1426. हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) और **अबू हुरैरह (रज़ि.)** बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन बन्दे से तमाम कामों से पहले नमाज़ का हिसाब लिया जायेगा। अगर उसके फ़राइज़ पूरे निकले तो उनको वैसे ही तहरीर किया जायेगा। अगर उनमें कमी की तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसके नवाफ़िल देखो और उनसे फ़र्ज़ों को पूरा करो। उसके बाद फिर दूसरे आमाल का इसी तरह हिसाब होगा। **(अबू दाऊद-866)**

फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की जगह पर नवाफ़िल पढ़ने का बयान

1427. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़र्ज़ अदा करने के बाद क्या इतने से काम से तुमको तक्लीफ़ होती है कि उन फ़र्ज़ों के मक़ाम से आगे आ जाओ या पीछे हो जाओ या दाहिनी हो जाओ या बायें तरफ़ हो जाओ। **(अबू दाऊद-1006)**

1428. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम ने फ़र्माया, इमाम फ़र्ज़ों से फ़ारिग़ होने के बाद उस मक़ाम से अलग हो जाये जहाँ उसने फ़र्ज़ अदा किये हैं। उस मक़ाम पर और नमाज़ अदा नहीं करे।

(अबू दाऊद-616)

मसाजिद में ज़मीन पर पलास्तर करने की मुमानिअत

1429. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने शुबल (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने तीन कामों से मना फ़र्माया है, कौओ की तरह ठोंगे मारने से। यानी इस तरह रुकूअ व सज्दे न करे जैसे कौआ किसी चीज़ उठाने के लिये ठोंगे मारता है और कुत्तों की तरह अअज़ा बिछाने से और मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के मक़ाम पर पलास्तर करने से जिस तरह ऊँट के लिये गबरी की जाती है। **(अबू दाऊद-862)**

1430. हज़रत सलमा इब्ने अक़्वा (रज़ि.) कहते हैं, मैं चाश्त की नमाज़ के लिये जब मस्जिद में आता तो सफ़ों से अलग होकर एक खम्भे के क़रीब नमाज़ पढ़ा करता था। किसी ने मुझसे कहा कि यहाँ क्यों नहीं अदा किया करते हो? मैंने कहा मैंने हुज़ूर (ﷺ) को भी इस मक़ाम पर नमाज़ अदा करते देखा है। **(बुख़ारी-502, मुस्लिम-509)**

जूते पाँव से उतार कर किस मक़ाम पर रखना चाहिये

1431. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने साइब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़त्हे मक्का के दिन नमाज़ के वक़्त अपने नअलैन मुबारक बायीं तरफ़ रख दिये थे। **(अबू दाऊद-648)**

1432. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने जूते पहने रहे और अगर पाँव से अलग करो तो दोनों पैरों के दरम्यान रख लो, न दाहिनी तरफ़ न बायीं तरफ़ और न पीछे। क्योंकि पीछे रखने से पीछे वाले नमाज़ी को तक्लीफ़ होगी।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुल जनाइज़

जनाज़े के अहकामो-मसाइल

1433. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छः हुकूक हैं। 01. जब किसी से मुलाक़ात हो उससे सलाम करे 02. दअ़वत दी जाये तो क़ुबूल करे 03. छींक आये तो यरहमुकल्लाह कहे 04. कोई मरीज़ हो तो उसकी इयादत करे 05. जब कोई फ़ौत हो जाये तो उसके जनाज़े के साथ जाये 06. जो काम अपने लिये पसन्द करता है, दूसरों के लिये भी वही अच्छा समझे। **(तिर्मिज़ी-2736)**

1434. हज़रत अबी मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल ने फ़र्माया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छः हुकूक हैं, जिस वक़्त वो छीकें तो यरहमुकल्लाह कहे, जब दअ़वत करे तो क़ुबूल करे, कोई फ़ौत हो जाये तो उसके जनाज़े में शिरकत करे, मरीज़ हो तो इयादत के लिये जाये। **(मुस्नद अहमद)**

1435. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर छः हक़ हैं। सलाम का जवाब देना, दअ़वत क़ुबूल करना, मरीज़ होने पर इयादत करना और जनाज़े में शरीक होना और जब छींकने पर अलहम्दुलिल्लाह कहे तो यरहमुकल्लाह कहना। **(मुस्नद अहमद)**

1436. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मैं बनी सलमा में बीमार हो गया था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) मेरी इयादत के लिये पैदल तश्रीफ़ लाये। **(बुख़ारी-5651, मुस्लिम-1616)**

1437. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) तीन दिन के बाद मरीज़ की इयादत फ़र्माया करते थे।

1438. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम किसी मरीज़ की इयादत के लिये जाओ तो उसकी लम्बी उम्र की दुआ करो। अगरचे इससे उसकी उम्र बढ़ नहीं सकती लेकिन उसका दिल ज़रूर ख़ुश हो जायेगा। **(तिर्मिज़ी-2087)**

1439. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स की इयादत के लिये तश्रीफ़ ले गये। आपने उससे दरयाफ़्त फ़र्माया, तुम्हारी किसी चीज़ के लिये तबियत चाहती है? उसने अ़र्ज़ किया,

गेहूँ की रोटी की। आपने लोगों से मुख़ातिब होकर फ़र्माया, तुम में से जिसके पास गेहूँ की रोटी हो पहुँचा दो। और याद रखो तुम में से जब किसी मरीज़ को किसी चीज़ की तबियत चाहे तो उसको खिला दिया करो।

1440. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन रसूले मक़्बूल (ﷺ) एक शख़्स की इयादत के लिये तशरीफ़ ले गये। आपने उससे फ़र्माया, तुम्हें किस चीज़ को तबियत ख़्वाहिश करती है? उसने अर्ज़ किया, फ़ारसी रोटी को तबियत चाहती है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ौरन तलाश करा दिया।

1441. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी मरीज़ की इयादत के लिये जाओ तो उससे दुआ कराओ। क्योंकि उसकी दुआ फ़रिश्तों की दुआ की तरह होती है।

बीमार की बीमारपुर्सी का सवाब

1442. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स किसी मरीज़ की इयादत के लिये जाता है तो गोया जन्नत के फल तोड़ता जाता है (या ये कि जन्नत के रास्ते पर चल रहा है) जब जाकर बैठ जाता है तो उसको रहमत छुपा लेती है। अगर ये शाम का वक़्त है तो सत्तर हज़ार फ़रिश्ते सुबह तक उस पर रहमत भेजते रहते हैं और अगर सुबह का वक़्त है तो शाम तक सत्तर हज़ार फ़रिश्ते रहमत भेजते हैं। **(अबू दाऊद-3098)**

1443. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इयादत के लिये जाता है तो एक फ़रिश्ता आवाज़ देकर कहता है कि तेरा चलना निहायत मुबारक और क़ाबिले तारीफ़ है। तूने जन्नत में अपने लिये एक मकान तैयार कर लिया। **(तिर्मिज़ी-2008)**

मय्यित को कलिम-ए-तय्यिबा की तल्क़ीन करने का बयान

1444. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी मय्यितों को **ला इलाह इल्लल्लाह** की तल्कीन किया करो। **(मुस्लिम-917)**

1445. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी मय्यितों को ला इलाह इल्लल्लाह की तल्कीन किया करो। **(मुस्लिम-916)**

1446. हज़रत इस्हाक इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने मुर्दों को तालीम दिया करो, **ला इलाह इल्लल्लाहु अल्हमीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन.** (अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं जो हलीम व करीम है, पाक है अल्लाह अर्शे अज़ीम का मालिक है। सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है)। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़िन्दों के लिये (इसका पढ़ना कैसा है) फ़र्माया, अच्छा और निहायत अच्छा है।

बीमार के पास अच्छी बातें करने का बयान

1447. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम मरीज़ के पास जाओ या फ़र्माया, मरने वाले के पास जाओ तो नेक कलाम करो। क्योंकि तुम्हारी बातों पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। जब हज़रत अबू सलमा का इन्तेक़ाल हो गया तो हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई।

आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबू सलमा का इन्तेक़ाल हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ करो, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरली व लहू व आक़िब्नी मिन्हु उक़्बा हसनतन.** (ऐ अल्लाह! मुझे और उसे बख़्श दे और मुझे उसका अच्छा बदल अता फ़र्मा)। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने (हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्माने के मुताबिक़ पढ़ा) अल्लाह तआला ने मुझको उनसे बेहतर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ज़ाते मुबारक अता फ़र्माई। **(मुस्लिम-919)**

1448. हज़रत मअक़ल इब्ने यसार (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यितों के नज़दीक सूरह यासीन पढ़ा करो। **(अबू दाऊद-3121)**

1449. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने कअब इब्ने मालिक (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, जब हज़रत कअब (रज़ि.) की वफ़ात का वक़्त आया तो उम्मे बशीर बिन्ते बरा इब्ने मअरूर (रज़ि.) उनके पास आईं और कहने लगीं, अबू अब्दुर्रहमान आपकी फ़लाँ शख़्स से मुलाक़ात हो तो मेरी तरफ़ से उनको सलाम कह देना। कअब (रज़ि.) कहने लगे, उम्मे बशीर! अल्लाह तुम्हारा भला करे, हमको इतनी फ़ुर्सत कहाँ है? उम्मे बशीर कहने लगीं, अबू अब्दुर्रहमान! क्या तुमने ये सुना नहीं कि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है, मोमिनीन की रूहें जन्नत के सरसब्ज़ ताक़ों में जन्नत के दरख़्तों पर रहती हैं। कअब (रज़ि.) ने कहा, हाँ, ये इर्शाद है तो सही। उम्मे बशीर ने कहा, बस मेरा तो यही मक़सद है। **(तबरानी फ़िल्कबीर-122)**

1450. हज़रत मुहम्मद इब्ने मुन्कदिर (रज़ि.) कहते हैं, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) की वफ़ात के वक़्त मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से मेरा सलाम कहना। **(मुस्नद अहमद)**

हालते नज़अ की तक्लीफ़ से नज़अ वाले शख़्स को सवाब अता होता है

1451. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक मर्तबा मेरे किसी रिश्तेदार की हालते नअज़ थी और साँस निकलने में निहायत तक्लीफ़ हो रही थी। इतने में हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और मुझसे दरयाफ़्त फ़र्माया, आइशा इनको रन्ज न दो क्योंकि इस हालत से इनके हसनात की (तरक़्क़ी होती है)।

1452. हज़रत इब्ने बुरैदा अस्लमी (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन की वफ़ात के वक़्त उसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। **(तिर्मिज़ी-982)**

1453. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (नज़अ के वक़्त) आदमियों को पहचानना किस वक़्त बन्द हो जाता है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस वक़्त उस (मल्कूत) का मुशाहिदा होता है।

मय्यित की आँखें बन्द करने का बयान

1454. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, अबू सलमा की वफ़ात के वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी नज़र को ऊपर चढ़ाये हुए देखकर फ़र्माया, जब रूह जिस्म से निकल कर आसमान की तरफ़ चढ़ती है तो नज़र उसका पीछा करती है। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी आँखों को हाथ मुबारक से बन्द कर दिया। **(मुस्लिम-920)**

1455. हज़रत शद्दाद इब्ने औस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जब क़रीबुल मर्ग आदमी

के पास तुम जाओ तो उसकी आँखों को बन्द कर दो। क्योंकि रूह के आसमान की तरफ़ चढ़ते वक़्त नज़र उसके पीछे जाती है और नेक बातें करो क्योंकि तुम्हारी गुफ़्तगू पर फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

मय्यित को बोसा देने का बयान

1456. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने उस्मान इब्ने मज़ऊन (रज़ि.) की मय्यित को रोते हुए बोसा दिया था और अश्क मुबारक उनके चेहरे पर जारी थे। **(अबू दाऊद-3163)**

1457. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और **हज़रत आइशा (रज़ि.)** कहती हैं कि हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की मय्यित मुबारक का बोसा लिया था। **(बुख़ारी-4455, 4457)**

मय्यित को ग़ुस्ल देने का बयान

1458. हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) कहती हैं, हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की साहबज़ादी उम्मे कुलसुम (रज़ि.) को ग़ुस्ल दे रहे थे। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़र्माया कि उनको बेरी के पानी से तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा ग़ुस्ल देना और अगर इससे ज़्यादा की ज़रूरत देखो तो इससे ज़्यादा कर देना। उसके बाद काफ़ूर का इस्तेमाल करना। जब ये काम पूरा कर चुको तो मुझको इत्तिला देना। अलग़र्ज़ जब हम ग़ुस्ल से फ़ारिग़ हो गये तो हुज़ूर (ﷺ) को इसकी इत्तिला की। हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी क़मीज़ इनायत फ़र्माई और इर्शाद फ़र्माया, ये उनके जिस्म से चिपका कर रखना (ताकि तबर्रुक हासिल होता रहे)। **(बुख़ारी-1254, मुस्लिम-939)**

1459. हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) की इस हदीस का मज़्मून भी पहले वाली हदीस की तरह है। लेकिन हफ़्सा (रज़ि.) की हदीस में इस तरह मज़्कूर है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ताक़ अदद पर उनको ग़ुस्ल देना। यूँ भी आया है कि तीन मर्तबा या पाँच मर्तबा ग़ुस्ल देना और उसमें ये भी है कि दाहिनी जानिब से शुरू करना और वुज़ू के अंग भी शामिल रहे। फिर उम्मे अतिया (रज़ि.) ने कंघी करके उनके बालों के तीन हिस्से कर दिये थे।

1460. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी रान को न खुला छोड़ा करो और न किसी ज़िन्दा या मुर्दा की रान को देखा करो। **(अबू दाऊद-4015)**

1461. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित को वो शख़्स ग़ुस्ल दे जो अमानदार हो (यानी लोगों में मय्यित के हालात न बयान करे)।

1462. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मय्यित को ग़ुस्ल दिया और उसके बाद कफ़न पहनाकर तैयार कर दिया और ख़ुश्बू वग़ैरह लगा दी और उसको कंधे पर उठाया। उसके ऐब न ज़ाहिर किये जो उसको ग़ुस्ल देते वक़्त नज़र आये थे, तो ये शख़्स गुनाहों से ऐसा साफ़ हो जायेगा, जैसे उसी दिन उसकी माँ ने जना है।

1463. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मय्यित को ग़ुस्ल दे उसको ख़ुद भी ग़ुस्ल करना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-993)**

शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को ग़ुस्ल दे सकती है

1464. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जो काम मुझको बाद में मालूम हुआ है अगर पहले से मालूम होता तो

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की अज़वाज के अलावा कोई हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को गुस्ल न दे सकता था।

(अबू दाऊद-3141, मुस्नद अहमद)

1465. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) बकीअ से मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक़्त मेरे सर में निहायत दर्द था और आह-आह कर रही थी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आयशा! तुम ग़म न करो, तुमसे पहले मैं दुनिया से कूच करूँगा। अगर तुम मेरे सामने फ़ौत होती तो मैं ख़ुद तुमको गुस्ल देता, ख़ुद ही कफ़न पहनाता और ख़ुद ही नमाज़ पढ़कर अपने हाथ से तुमको दफ़न करता। **(मुस्नद अहमद)**

नबी करीम (ﷺ) को गुस्ल देने का बयान

1466. हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, जब लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) को गुस्ल देना शुरू किया तो एक आवाज़ आई, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का कुर्ता जिस्मे मुबारक से अलग न किया जाये।

1467. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को गुस्ल दिया जाने लगा तो आपके शिकम मुबारक (पेट) को मला गया। (ताकि नजासत बाहर निकल जाये) लेकिन कुछ नहीं ज़ाहिर हुआ, तो हज़रत अली (रज़ि.) ने कहा, इस पाक हस्ती पर मेरे माँ-बाप निसार हो, आप हयात में भी पाक थे। वफ़ात के बाद भी आप पाक रहे। **(बैहक़ी)**

1468. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्मा दिया था कि जब मुझको गुस्ल दिया जाये तो मुझको बीरे ग़र्स के सात मश्कीज़ों से गुस्ल देना।

हुज़ूर (ﷺ) के कफ़न का बयान

1469. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को यमन के सफ़ेद कपड़े का कफ़न दिया गया था। आपको तीन कपड़े पहनाये गये। उनमें अमामा और कुर्ता न था। किसी शख़्स ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा कि लोग कहते हैं, आपको धारीवाले कपड़े का कफ़न दिया गया था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि लोग लाये तो ज़रूर थे लेकिन आपको कफ़न नहीं दिया गया। **(बुख़ारी-1264, 1271, 1273, मुस्लिम-941)**

1470. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) को तीन कपड़ों में दफ़न किया गया, जो सहूल गाँव के बारीक सूती कपड़े का था।

1471. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) को तीन कपड़ों में कफ़न दिया गया था। एक तो वही कुर्ता था जिसमें हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की वफ़ात हुई थी और नज्रान का हुल्ला था।

कौन से कपड़े में कफ़न देना मुस्तहब है

1472. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तमाम कपड़ों से बेहतर सफ़ेद कपड़ा है। तुम लोग अपनी मय्यितों को उसी का कफ़न दिया करो। **(अबू दाऊद-4061, तिर्मिज़ी-994)**

1473. हज़रत उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कफ़न के लिये बेहतर कपड़ा हुल्ला है। **(अबू दाऊद-3156)**

1474. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स अपने (भाई के काम का) मुतवल्ली हो तो उसको चाहिये अपने भाई को उम्दा कफ़न दे। **(तिर्मिज़ी-995)**

मय्यित को कफ़न में दाख़िल करते वक़्त देखने का बयान

1475. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) की वफ़ात हुई तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक मैं उनको न देख लूँ। उस वक़्त तक कफ़न में दाख़िल न करना। अलग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये और उन पर झुक कर रोये।

मय्यित की ख़बर देने के लिये गलियों में आवाज़ देकर ऐलान करने की मुमानिअत का बयान

1476. हज़रत बिलाल इब्ने यह्या (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के यहाँ जब कोई मय्यित हो जाती तो आप फ़र्माया करते कि लोगों को (पुकार-पुकार कर) आवाज़ न दो। क्योंकि मुझको ये ख़ौफ़ है कि कहीं नोहा करने वालो में न दाख़िल हो जाऊँ। क्योंकि मेरे इन दोनों कानों ने हुज़ूर (ﷺ) से पुकार कर ख़बर देने की मुमानिअत सुनी है। **(तिर्मिज़ी-986)**

जनाज़े की शिरकत का बयान

1477. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित को जल्दी लेकर चला करो। क्योंकि अगर वो नेक है तो उसको (नेकी की) तरफ़ जल्दी पहुँचाने वाले होंगे और अगर वो इसके ख़िलाफ़ है तो शर से अपने कंधों से जल्दी अलग करने वाले होंगे। **(बुख़ारी-1315, मुस्लिम-944)**

1478. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, जो शख़्स जनाज़े के साथ जाये, उसको चाहिये कि चारों तरफ़ का कंधा लगाये। क्योंकि ये सुन्नत है। उसके बाद अगर ख़्वाहिश हो तो फिर कंधा लगाता रहे और अगर तबियत चाहे तो अलग हो जाये।

1479. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने देखा कि एक जनाज़े को लोग जल्दी-जल्दी ले जा रहे हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आराम के साथ चलो। **(मुस्नद अहमद)**

1480. हज़रत सौबान (रज़ि.) रसूले अकरम (ﷺ) के गुलाम कहते हैं, एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) ने लोगों को देखा कि घोड़ों पर सवार जनाज़े के साथ जा रहे हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि अल्लाह तआला के फ़रिश्ते पैदल जा रहे हैं और तुम लोग सवार हो? **(तिर्मिज़ी-1012)**

1481. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सवार हो वो जनाज़े के पीछे चले और जो पैदल हो वो जहाँ चाहे। **(तिर्मिज़ी-1031)**

1482. हज़रत सालिम (रज़ि.) कहते हैं, मेरे वालिद ने बयान किया कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) वग़ैरह को मैंने जनाज़े के आगे चलते हुए देखा। **(अबू दाऊद-3179)**

1483. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ), अबूबक्र (रज़ि.), उमर (रज़ि.), उस्मान

(रज़ि.) और अली (रज़ि.) जनाज़े के आगे तशरीफ़ ले जाया करते थे। (तिर्मिज़ी-1010)

1484. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जनाज़ा मतबूअ है, ताबेअ नहीं है। जो शख़्स जनाज़े से आगे चलेगा वो जनाज़े के साथ शुमार नहीं किया जायेगा।

(अबू दाऊद-3184, तिर्मिज़ी-1011)

जनाज़े के साथ कपड़े उतारकर चलना मना है

1485. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) और **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) के साथ हम लोग एक जनाज़े में गये। आपने कुछ लोगों को देखा कि कपड़े अलग किये हुए और कुर्ते पहने हुए जनाज़े के साथ जा रहे हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने जाहिलिय्यत का काम इख़्तियार किया है और ज़मान-ए-जाहिलिय्यत की मुशाबिहत की है। मेरा इरादा ये था कि तुम जैसे लोगों के लिये बददुआ करूँ कि तुम्हारी सूरतें मस्ख़ हो जाये। रावी कहते हैं कि उन लोगों ने फ़ौरन अपनी चादरें ओढ़ ली और उसके बाद कभी ऐसा काम नहीं किया।

जब जनाज़ा तैयार हो जाये तो उसकी (नमाज़ में) ताख़ीर न करनी चाहिये और उसके साथ कोई आवाज़ देने वाला न हो

1486. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब जनाज़ा तैयार हो जाये तो उसमें ताख़ीर न करना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-171, 1075)**

1487. हज़रत अबू बुर्दा (रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) की वफ़ात का वक़्त आया तो उन्होंने ये वसिय्यत की कि मेरे जनाज़ के साथ लोबानदानी वग़ैरह जिसमें आग रोशन हो, न ले जाना। लोगों ने कहा, इसके मुताल्लिक़ तुमने कुछ सुना है? उन्होंने कहा, हाँ सुना है। **(मुस्नद अहमद)**

उस मय्यित का बयान जिसकी नमाज़ मुसलमानों की जमाअत अदा करे

1488. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स पर सौ मुसलमान नमाज़ पढ़ेंगे उसको बख़्श दिया जायेगा।

1489. हज़रत कुरैब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) के गुलाम बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के एक साहबज़ादे का इन्तेक़ाल हुआ। हज़रत ने मुझसे फ़र्माया, कुरैब! देखो, मेरे लड़के के जनाज़े में कुछ लोग जमा हो गये हैं। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ। हज़रत इब्ने अब्बास ने फ़र्माया, कितने चालीस आदमी के क़रीब हो गये होंगे? मैंने अर्ज़ किया, नहीं हज़रत इससे ज़्यादा हैं। उन्होंने फ़र्माया, अच्छा इस लड़के को ले चलो, क्योंकि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुना है कि जिस मोमिन के लिये चालीस मोमिन दुआ करके शफ़ाअत चाहेंगे, अल्लाह तआला उनकी शफ़ाअत कुबूल फ़र्मायेगा। **(तबरानी फ़िल्कबीर-12158, मुस्लिम-948)**

1490. हज़रत मालिक इब्ने हुमैरा (रज़ि.) के रू-ब-रू जब कोई जनाज़ा लाया जाता तो आप उन लोगों की जो जनाज़े के साथ होते तीन सफ़ें मुक़र्रर फ़र्माया करते और कहा करते, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, जिस शख़्स पर मुसलमानों की तीन सफ़ें नमाज़ अदा करेगी, उसके लिये जन्नत वाजिब हो जायेगी। **(अबू दाऊद-3166)**

मय्यित के हक़ में दुआ करने का बयान

1491. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने से एक जनाज़ा गुज़रा, लोग उसकी तारीफ़ करते जा रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके लिये वाजिब हो गई। फिर हुज़ूर के सामने से दूसरा जनाज़ा गुज़रा, लोग उसकी बुराई करते जा रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके लिये वाजिब हो गई। सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने पहले के हक़ में फ़र्माया, वाजिब हो गई, फिर आपने दूसरे के हक़ में भी यही फ़र्माया कि वाजिब हो गई। इसका क्या मतलब है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (वाजिब हो गई) क़ौम की शहादत, क्योंकि इंसान अल्लाह के गवाह है (यानी जिसके साथी उसकी बुराई कर रहे थे उसके लिये बुराई लाज़िम हो गई और जिसके साथी अच्छाई कर रहे थे उसके लिये अच्छाई लाज़िम हो गई)। **(बुख़ारी-2642)**

1492. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने से एक जनाज़ा गुज़रा। लोग उसकी अच्छाईयों की तारीफ़ करते जा रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वाजिब हो गई। फिर दूसरा जनाज़ा गुज़रा, लोग उसके साथ उसकी बुराई बयान करते जा रहे थे। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वाजिब हो गई। क्योंकि तुम लोग अल्लाह तआला की ज़मीन पर नक़्क़ारची हो (मख़्लूक़ की ज़बान नक़्क़ारे ख़ुदा है)। **(मुस्नद अहमद)**

जब इमाम जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने खड़ा हो तो कहाँ हो

1493. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, एक औरत की जो निफ़ास की हालत में फ़ौत हो गई थी, नमाज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने पढ़ाई तो आप उसके बीच में खड़े हुए। **(बुख़ारी-332, 1331, 1332, मुस्लिम-964)**

1494. हज़रत अबू ग़ालिब (रज़ि.) कहते हैं, अनस बिन मालिक ने मर्द के जनाज़े की नमाज़ पढ़ाई तो सर के क़रीब खड़े हुए। फिर आपके सामने औरत का जनाज़ा लाया गया और आपसे कहा गया, अबू हम्ज़ा (रज़ि.)! जनाज़े की नमाज़ पढ़ा दीजिये तो आप उसके बीच में खड़े हुए। हज़रत अला इब्ने ज़ियाद ने अर्ज़ किया, अबू हम्ज़ा! क्या आपने भी हुज़ूर (ﷺ) को इसी तरह करते देखा है कि मर्द के सर के क़रीब खड़े होते और औरत के बीच में। अबू हम्ज़ा ने कहा, हाँ! इसको याद रखो। **(अबू दाऊद-3194)**

जनाज़े की नमाज़ में क़िरअत पढ़ने का बयान

1495. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने जनाज़े की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा तिलावत फ़र्माई। **(तिर्मिज़ी-1026)**

1496. हज़रत उम्मे शरीक अन्सारिया (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हमको जनाज़े की नमाज़ में सूरह फ़ातिहा पढ़ने का हुक्म दिया है। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-252)**

जनाज़े की नमाज़ में मय्यित के लिये दुआ करने का बयान

1497. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित पर नमाज़ पढ़ते वक़्त उसके लिये ख़ुलूस के साथ दुआ किया करो। **(अबू दाऊद-3199)**

1498. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ अदा फ़र्माते तो ये दुआ पढ़ा करते, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व ग़ाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अह्ययतहु मिन्ना फ़अह्यिहि अलल इस्लामि व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान. अल्लाहुम्मा ला तहरिम्ना अज्रहु वला तुज़िल्लना बअदह.** (ऐ अल्लाह! हमारे ज़िन्दों को, मुर्दों को, हाज़िरीन को, ग़ायबीन को, छोटों को, बड़ों को, मर्दों को, औरतों को (सबको) बख़्श दे। ऐ अल्लाह! हम में से जिसे तू ज़िन्दा रखे, इस्लाम पर ज़िन्दा रखना और जिसे मौत दे तो उसका ख़ात्मा ईमान पर करना। ऐ अल्लाह! इस (जाने वाले) के अज्र से हमें महरूम न करना और इसके बाद हमें गुमराह न करना)। **(बैहक़ी)**

1499. हज़रत वासला इब्ने अस्अक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुसलमानों में से एक शख़्स के जनाज़े की नमाज़ अदा फ़र्माई तो आपने ये दुआ पढ़ी, **अल्लाहुम्मा इन्ना फुलानब्न फुलानिन् ज़िम्मतिक व हब्लि जिवारि-क फ़क़िहि मिन् फ़ित्नतिल् क़ब्रि व अज़ाबिन्नारि व अन्ता अह्लुल्वफ़ाइ वल्हक़्क़ि फ़ग़्फ़िर लहु वरहम्हु इन्नक अन्तल् ग़फ़ूर्रुहीम.** (ऐ अल्लाह! फ़लाँ का बेटा फ़लाँ तेरे सुपुर्द और तेरी हिफ़ाज़त में है, इसे क़ब्र की आज़माइश और आग के अज़ाब से महफ़ूज़ रखना, तू वफ़ा और हक़ वाला है, इसकी बख़्शिश फ़र्मा दे और इस पर रहमत फ़र्मा, बेशक तू बख़्शने वाला रहम करने वाला है)। **(अबू दाऊद-3202)**

1500. हज़रत औफ़ इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैं एक अन्सारी शख़्स के जनाज़े में रसूले अकरम (ﷺ) के साथ शरीक था मैंने देखा कि आपने ये दुआ तिलावत फ़र्माई, **अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि वग़्फ़िरलहु वरहम्हु व आफ़िहि वअफ़ु अन्हु वग़्सिल्हु बिमाइवँ वस्सल्जिवँ वबरदिवँ वन्नक़्क़िहि मिनज़्ज़ुनुबि वल्ख़ताया कमा युनक़्क़स्सौबुल अब्यज़ु मिनद्दनस. वअब्दिल्हु बिदारिहि ख़ैरम् मिन दारिहि व अह्लन ख़ैरम् मिन अह्लिहि वक़िहि फ़ित्नतिल्क़ब्रि व अज़ाबन्नार.** (ऐ अल्लाह! इस पर रहमत फ़र्मा, इसकी मग़्फ़िरत फ़र्मा, इस पर रहम कर, इसे आफ़ियत दे, इसे माफ़ कर दे, इसे पानी, बर्फ़ और ओलों से धो डाल, इसे गुनाहों से इस तरह पाक कर दे, जैसे सफ़ेद कपड़े को मैल-कुचैल से साफ़ किया जाता है। इसे इसके घर के बदले इसके घर से बेहतर घर और इसके कुन्बे से बेहतर कुन्बा अता फ़र्मा और इसे क़ब्र की आज़माइश और आग के अज़ाब से महफ़ूज़ फ़र्मा)। हज़रत औफ़ (रज़ि.) कहते हैं कि ये दुआ सुनकर मुझको ये आरज़ू होने लगी कि इस मय्यित की जगह मैं ख़ुद होता। **(मुस्लिम-693)**

1501. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) ने जो बात हमारे जनाज़े की नमाज़ के लिये जाइज़ रखी है वो किसी नमाज़ के लिये जाइज़ नहीं रखी। यानी मय्यित की नमाज़ का कोई वक़्त मुक़र्रर नहीं किया।

जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीरें हैं

1502. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन (रज़ि.) की जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीरें पढ़ी थी।

1503. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा अस्लमी (रज़ि.) अपनी लड़की के जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीरें कहकर कुछ देर तक ख़ामोश रहे। (रावी कहते हैं कि) मैंने देखा कि (इस ख़ामोशी को देखकर) लोगों ने इधर-उधर की सफ़ों में से सुब्हानल्लाह-सुब्हानल्लाह कहना शुरू कर दिया। जब आपने सलाम फेरा तो कहने लगे कि क्या तुम लोगों को ये ख़याल था कि मैं पाँचवी तकबीर कहूँगा। लोगों ने कहा, हाँ! हमको ख़ौफ़ इसी बात का हुआ था। आप कहने

लगे, नहीं! ये मैं कभी नहीं कर सकता। अलबत्ता मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को चार तकबीरों के बाद कुछ देर तक ख़ामोशी इख़्तियार करते देखा था, इसलिये मैं ख़ामोश रहा। **(मुस्नद अहमद)**

1504. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) जनाज़े की नमाज़ में चार तकबीरें फ़र्माया करते थे। **(बैहक़ी)**

जनाज़े की नमाज़ में पाँच तकबीरें कहने का बयान

1505. हज़रत अ़ब्दुर्रह्मान इब्ने अबी लैला (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म (रज़ि.) हमारे जनाज़ों की नमाज़ में चार तकबीरें फ़र्माया करते थे और बाज़ मर्तबा पाँच तकबीरें फ़र्माया करते थे। मैंने उनसे दरयाफ़्त किया तो कहने लगे कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने भी इसी तरह किया था। **(मुस्लिम-957)**

1506. हज़रत कसीर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने जनाज़े की नमाज़ में पाँच तकबीरें कही थी।

बच्चे की जनाज़े की नमाज़ का बयान

1507. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअ़बा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले अकरम (ﷺ) से सुना है कि बच्चे पर नमाज़ पढ़ना चाहिये।

1508. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब बच्चा आवाज़ देकर फ़ौत हो जाये तो उस पर भी नमाज़ पढ़ना चाहिये और क़ाबिले विरासत भी बनेगा।

1509. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने बच्चों पर नमाज़ पढ़ा करो, क्योंकि (वो क़यामत के लिये) तुम्हारा ज़ख़ीरा है।

नबी करीम (ﷺ) के सहाबज़ादे की वफ़ात और जनाज़े की नमाज़ का बयान

1510. हज़रत इस्माईल इब्ने अबी ख़ालिद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) से मैंने कहा, क्या तुमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साहबज़ादे इब्राहीम (रज़ि.) को देखा था? उन्होंने कहा, उनका छोटी उम्र में इन्तेक़ाल हो गया था। अगर हुज़ूर (ﷺ) के बाद किसी शख़्स के नबी होने का हुक्म होता तो वो नबी होते। (लेकिन चूँकि नुबुव्वत का दरवाज़ा बन्द हो चुका था इस वजह से ज़िन्दगी नहीं इनायत फ़र्माई गई। **(बुख़ारी-6194)**

1511. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साहबज़ादे इब्राहीम (रज़ि.) का इन्तेक़ाल हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) ने उनकी नमाज़ पढ़ाने के बाद फ़र्माया कि उनके लिये जन्नत में दूध पीना मुक़र्रर की गई और अगर ये ज़िन्दा रहते तो सिद्दीक़ नबी होते और उनके तमाम ननिहाल वाले उनकी अ़ज़्मत की वजह से आज़ाद हो जाते और आइन्दा कोई गुलाम न होता।

1512. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते हुसैन अपने वालिद हज़रत इमाम हुसैन इब्ने अ़ली (रज़ि.) की रिवायत बयान करती है, जब हज़रत क़ासिम इब्ने रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात हुई तो हज़रत ख़दीजा कहने लगी, या रसूलल्लाह(ﷺ)! (हज़रत) क़ासिम का दूध बहुत कसरत से उतर आया। अगर अल्लाह तआ़ला उनको उस वक़्त तक ज़िन्दा रखता कि

उनकी रज़ाअत ख़त्म हो जाती तो (क्या अच्छा होता) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अब उनकी रज़ाअत का ज़माना जन्नत में पूरा होगा। हज़रत ख़दीज़ा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मुझको इस बात का इल्म हो जाता तो एक तरह की तस्कीन हासिल हो जाती। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारी ख़ुशी हो तो मैं अल्लाह तआला से दुआ करूँ ताकि तुम उसकी आवाज़ सुन लो। हज़रत ख़दीज़ा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सच्चा है।

शहीदों की नमाज़ और उनके दफ़न करने का बयान

1513. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, उहुद के दिन शहीदों को लाया जा रहा था और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) दस-दस शहीदों की नमाज़ अदा फ़र्माते जाते थे। हज़रत हम्ज़ा (रज़ि.) जिस हालत में थे, उसी हालत में उनको उठा लिया गया था। वो एक तरफ़ रखे हुए थे।

1514. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, उहुद के मक़्तूलीन में से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक-एक कपड़े में दो-दो, तीन-तीन आदमियों को जमा करते जाते और फ़र्माते, इनमें से क़ुर्आन ज़्यादा तिलावत करने वाला कौन सा है? जिस तरफ़ इशारा कर देते आप (ﷺ) उसको लहद में आगे कर देते और इर्शाद फ़र्माते कि क़यामत के दिन मैं इनका गवाह रहूँगा। फिर आप उनको बग़ैर नमाज़ और ग़ुस्ल के दफ़न करने का हुक्म फ़र्मा देते। **(बुख़ारी-1343)**

1515. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने शुहदाए-जंगे उहुद के बारे में ये हुक्म दिया था कि उनकी ज़िरह वग़ैरह अलग करके उन्हें ख़ून आलूद कपड़ों में दफ़न कर दिया जाये। **(अबू दाऊद-3134)**

1516. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, जंगे उहुद के शहीदों में से बाज़ सहाबा को (लोग) मदीना ले आये थे। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको हुक्म दिया था कि उनको उनके मक़्तल ही में पहुँचा दिया जाये। **(अबू दाऊद-3165)**

मस्जिद में जनाज़े की नमाज़ अदा करने का बयान

1517. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जनाज़े की नमाज़ मस्जिद में पढ़ेगा, उसके लिये कुछ नहीं। (यानी उस पर कोई गुनाह नहीं) **(अबू दाऊद-3191)**

1518. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अल्लाह की क़सम! हज़रत सहल इब्ने बैज़ा की नमाज़ मस्जिद ही में अदा फ़र्माई थी। इमाम इब्ने माजह कहते हैं, ये हदीस क़वी है। **(अबू दाऊद-3189)**

उन वक़्तों का बयान जिनमें न मय्यित की नमाज़ हो न मय्यित को दफ़न किया जाये

1519. हज़रत उक़्बा इब्ने आमिर (रज़ि.) कहते हैं, हमको हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने तीन वक़्तों में जनाज़े की नमाज़ पढ़ने और दफ़न करने से मना फ़र्माया है। 01. सूरज उगते वक़्त 02. जिस वक़्त सूरज बीच आसमान पर हो 03. जब सूरज डूबने के क़रीब हो। **(मुस्लिम-831)**

1520. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने एक शख़्स को रात को दफ़न किया था और उसकी क़ब्र पर चराग़ जलाया था। **(तिर्मिज़ी-1057)**

1521. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी मय्यितों को रात में न दफ़न किया करो सिवाय इसके कि तुम्हें कोई मजबूर हो।

1522. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने रात और दिन दोनों में जनाज़े की नमाज़ पढ़ाने की इजाज़त दी है। **(बैहक़ी)**

अहले क़िब्ला पर नमाज़ पढ़ने का बयान

1523. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, जब अब्दुल्लाह इब्ने उबई का इन्तेक़ाल हो गया तो उसका लड़का हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा, या रसूलल्लाह(ﷺ)! मुझको अपना कुर्ता इनायत फ़र्माइये ताकि मैं इनको इसमें कफ़न दूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको उनकी नमाज़ की इत्तिला देना। जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ पढ़ाने के लिये आगे बढ़े तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप ये क्या करते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको इख़्तियार है कि मैं इनकी नमाज़ पढ़ाऊँ या न पढ़ाऊँ। (क्योंकि अल्लाह तआला ने फ़र्माया है) **आप उनके लिये बख़्शिश माँगे या न माँगे (बराबर है)।** अलग़र्ज़ आपने नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद ये आयत नाज़िल हुई, **(ऐ नबी)! उनमें से जो मर जाये, आप उसकी नमाज़ (जनाज़ा) हर्गिज़ न पढ़े और न कभी उसकी क़ब्र पर खड़े हों.** (सूरह तौबा : 84)। **(बुख़ारी-1269, मुस्लिम-2774)**

1524. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, मुनाफ़िक़ीन के सरदार का मदीना में इन्तेक़ाल हो गया। उसने ये वसिय्यत की कि मेरे जनाज़े की नमाज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) पढ़ायें और आप ही के कुर्ते में मुझको कफ़न दिया जाये। अलग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने उसके जनाज़े की नमाज़ भी पढ़ाई, उसकी क़ब्र पर भी खड़े हुए। उस वक़्त ये आयत नाज़िल हुई, **(ऐ नबी)! उनमें से जो मर जाये, आप उसकी नमाज़ (जनाज़ा) हर्गिज़ न पढ़े और न कभी उसकी क़ब्र पर खड़े हों.** (सूरह तौबा : 84)।

1525. हज़रत वासला इब्ने अस्क़अ (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मय्यित पर नमाज़ पढ़ो और हर अमीर के साथ जिहाद करो।

1526. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, अस्हाबे रसूल में से एक शख़्स के ज़ख़्म लग गया। उसे ज़ख़्म की तक्लीफ़ न उठाई जा सकी, उसने तीर के फल से अपने आपको हलाक कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ी। (इसका मक़सद ये था कि आइन्दा कोई दूसरा शख़्स ये हरकत न करे)
(मुस्लिम-978, तिर्मिज़ी-1068)

क़ब्र पर नमाज़ पढ़ने का बयान

1527. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक काली औरत मस्जिद के (क़रीब) रहा करती थी। चन्द रोज़ तक हुज़ूर (ﷺ) ने उसको न देखकर लोगों से उसके मुताल्लिक़ पूछा। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह(ﷺ)! उसका इन्तेक़ाल हो गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने मुझको इत्तिला क्यों नहीं की? लिहाज़ा हुज़ूर (ﷺ) उसकी क़ब्र पर तशरीफ़ लाये और उसकी नमाज़ अदा फ़र्माई। **(बुख़ारी-458, मुस्लिम-956)**

1528. हज़रत ज़ैद इब्ने साबित (रज़ि.) कहते हैं, ये हज़रत ज़ैद (इब्ने साबित से उम्र में) बूढ़े थे कि एक मर्तबा हुज़ूरे

अकरम (ﷺ) के साथ हम बकीअ (क़ब्रिस्तान) में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने वहाँ एक नई क़ब्र देखकर फ़र्माया, ये किसकी क़ब्र है? लोगों ने अर्ज़ किया, फ़लाँ औरत की। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको पहचान लिया और फ़र्माया, तुमने मुझको इत्तिला क्यों नहीं की। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (उस रोज़) आपका रोज़ा था। आप कैलुला फ़र्मा रहे थे। आपको तक्लीफ़ देना हम लोगों को नागवार हुआ, इसलिये हमने आपको इत्तिला न दी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा न किया करो। जब तक मैं तुम लोगों में मौजूद हूँ मुझको हर शख़्स के वफ़ात की इत्तिला होनी चाहिये, क्योंकि मेरी नमाज़ उनके लिये रहमत है। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने उस क़ब्र पर नमाज़ का इरादा फ़र्माया। हम लोगों ने आपके पीछे सफ़बन्दी की और आप (ﷺ) ने चार तकबीरों के साथ नमाज़ अदा फ़र्माई। **(नसाई-2024)**

1529. हज़रत आमिर इब्ने रबीआ (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, एक काली औरत का इन्तेक़ाल हो गया। लोगों ने उसकी इत्तिला नहीं की। दफ़न होने के बाद आप (ﷺ) को इत्तिला हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोगों ने मुझको इत्तिला क्यों नहीं की। उसके बाद फ़र्माया, सफ़ बाँधो। हमने आपके पीछे सफ़बन्दी की और आप (ﷺ) ने नमाज़ अदा फ़र्माई। **(मुस्नद अहमद)**

1530. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) एक शख़्स की इयादत के लिये तशरीफ़ ले जाया करते, उसका इन्तेक़ाल हो गया। रात ही में उसको दफ़न कर दिया गया और हुज़ूर (ﷺ) को उसकी इत्तिला नहीं की गई। सुबह आपको इत्तिला हुई तो आपने फ़र्माया, तुमने मुझको इत्तिला क्यों नहीं की। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूँकि रात का वक़्त आ गया था और अंधेरा ज़्यादा था इसलिये हमने आपको तक्लीफ़ देना मुनासिब न समझा। आप (ﷺ) उस क़ब्र पर तशरीफ़ लाये और नमाज़ अदा की। **(बुख़ारी-1247)**

1531. हज़रत बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने एक मय्यित की नमाज़ दफ़न होने के बाद अदा फ़र्माई थी। **(मुस्लिम-955)**

1532. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स के दफ़न होने के बाद नमाज़ अदा फ़र्माई थी।

1533. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, एक काली औरत मस्जिद के क़रीब रहा करती थी। उसका रात में इन्तेक़ाल हो गया और रात ही में उसको दफ़न कर दिया गया। सुबह हुज़ूर (ﷺ) को इत्तिला की गई। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने मुझको रात ही में इत्तिला क्यों नहीं की। फिर आप (ﷺ) उस क़ब्र पर तशरीफ़ ले गये और नमाज़ पढ़कर उसके लिये दुआ फ़र्माई। लोगों ने आपके पीछे सफ़बन्दी कर ली थी।

हज़रत नज्जाशी के जनाज़े का बयान

1534. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, नज्जाशी का इन्तेक़ाल हो गया और फिर आप [illegible] अ की तरफ़ तशरीफ़ ले चले। हम लोग आपके साथ गये। वहाँ पहुँचकर आप (ﷺ) आगे बढ़े और हमने आपके पीछे सफ़बन्दी की। आपने चार तक्बीरें कह कर नमाज़ अदा फ़र्माई। **(बुख़ारी-1318, मुस्लिम-951)**

1535. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे भाई नज्जाशी का इन्तेक़ाल हो गया है। उसकी नमाज़ अदा करो। रावी कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) आगे खड़े हुए और हमने आपके पीछे सफ़बन्द की। मैं दूसरी सफ़ में था। लिहाज़ा दो सफ़ों ने (हज़रत नज्जाशी की) नमाज़ अदा की। **(मुस्लिम-953)**

1536. हज़रत मजमअ इब्ने जारिया (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारा भाई नज्जाशी फ़ौत हो गया। उसकी नमाज़ पढ़ो, लिहाज़ा आपने इमामत की और हम लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बाँधी।

1537. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने उसैद (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये और फ़र्माया, तुम्हारा एक भाई दूसरे मक़ाम पर मर गया है। उसके जनाज़े की नमाज़ (यहाँ अदा करो) लोगों ने अर्ज़ किया, वो कौन शख़्स है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नज्जाशी। **(मुस्नद अहमद)**

1538. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने नज्जाशी की नमाज़ की चार तकबीरें अदा फ़र्माईं।

जनाज़े की नमाज़ पढ़ने वाले और उसके दफ़न का इन्तेज़ार करने वाले का सवाब

1539. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जनाज़े की नमाज़ अदा करेगा उसको एक क़िरात मिलेगा और जो शख़्स नमाज़ पढ़कर जनाज़ा दफ़न होने तक इन्तेज़ार करेगा उसको दो क़िरात मिलेंगे। किसी ने अर्ज़ किया, क़िरात क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, दो पहाड़ के बराबर।

(बुख़ारी-47, 1325, मुस्लिम-945)

1540. हज़रत सौबान (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जनाज़े की नमाज़ में शिरकत करेगा उसको एक क़िरात सवाब मिलेगा और जो दफ़न होने तक शरीक रहेगा, उसको दो क़िरात मिलेगा। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़िरात किसे कहते हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक क़िरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा।

(मुस्लिम-946)

1541. हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जनाज़े की नमाज़ में शिरकत करेगा उसको एक क़िरात के बराबर सवाब मिलेगा और जो शख़्स दफ़न होने तक शरीक रहेगा उसको दो क़िरात सवाब मिलेगा। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (ﷺ) की जान है, एक क़िरात उहुद पहाड़ से बड़ा होगा।

जनाज़े के लिये खड़े होने का बयान

1542. हज़रत आमिर इब्ने रबीआ (रज़ि.) कहते हैं , हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब जनाज़ा आते हुए देखो तो खड़े हो जाओ, यहाँ तक कि वो तुम्हारे सामने से गुज़र जाये या कन्धों से उतारकर रख दिया जाये।

(बुख़ारी-1307, 1308, मुस्लिम-958)

1543. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के सामने से एक जनाज़े का गुज़र हुआ। आप (ﷺ) खड़े हो गये और लोगों से फ़र्माया, खड़े हो जाओ क्योंकि जनाज़े का गुज़रना मुसीबत का वक़्त है।

(मुस्नद अहमद)

1544. हज़रत अली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कर्रमल्लाहु वज्हहू का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) जनाज़े की (ताज़ीम) के लिये खड़े हुए थे, हम भी खड़े हुए थे। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने खड़े होना छोड़ दिया और हमने भी छोड़ दिया।

(मुस्लिम-962)

1545. हज़रत उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं कि जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) किसी जनाज़े के साथ तशरीफ़ ले जाते तो जब तक जनाज़ा लहद में न रख दिया जाता, उस वक़्त तक नहीं बैठते थे। एक दिन यहूदी आलिम का गुज़र हुआ तो उसने कहा, मुहम्मद (ﷺ) हम भी यही किया करते हैं। हुज़ूर (ﷺ) फ़ौरन बैठ गये और फ़र्माया, बैठ जाओ! यहूद की मुख़ालिफ़त करो। **(अबू दाऊद-3176)**

क़ब्रिस्तान में पढ़ने की दुआ

1546. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक मर्तबा (रात को) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) घर से ग़ायब हो गये। आपकी तलाश में चली तो देखा कि आप मक़ामे बक़ीअ (क़ब्रिस्तान) में पहुँचे और फ़र्माया, **अस्सलामु अलैकुम् दारक़ौमिम् मुमिनीन अन्तुम लना फ़रतुव्वँ इन्ना बिकुम लाहिक़ून. अल्लाहुम्मा ला तहरिम्ना अज्रहुम व ला तफ़तिन्ना बअ़दहुम.** (ऐ मोमिन लोगों की बस्ती वालों! तुम पर सलामती हो, तुम हमारे पेशवा हो और हम भी तुमसे आ मिलने वाले हैं। ऐ अल्लाह! हमें इन (पर सब्र) के सवाब से महरूम न रखना और इन (की वफ़ात) के बाद हमें आज़माइश में मुब्तिला न करना)। **(मुस्नद अहमद)**

1547. हज़रत सुलेमान इब्ने बुरैदा (रज़ि.) बयान करते हैं। जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) जब क़ब्रिस्तान जाया करते थे तो लोगों को ये तालीम फ़र्माया करते। (चुनाँचे) उनमें से जो शख़्स (क़ब्रिस्तान जाता) वो यूँ दुआ करता, **अस्सलामु अलैकुम् अहलद्दियारि मिनल् मुमिनीन वल्मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिक़ून. नस्अलुल्लाह लना वलकुमुल्आफ़ियति.** (तुम पर सलामती हो, ऐ मोमिन और मुसलमानों की बस्ती वालों! हम भी इंशाअल्लाह तुमसे आ मिलने वाले हैं। हम अल्लाह से अपने लिये और तुम्हारे लिये आफ़ियत का सवाल करते हैं)। **(मुस्लिम-975)**

क़ब्रिस्तान में बैठने का बयान

1548. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, हम हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के साथ एक जनाज़े में गये। आप (ﷺ) क़ब्रिस्तान में क़िब्ला की तरफ़ मुतवज्जह हो गये। **(अबू दाऊद-3212)**

1549. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, हम रसूले मक़्बूल (ﷺ) के साथ क़ब्रिस्तान को गये। आप (ﷺ) एक क़ब्र के क़रीब पहुँचकर बैठ गये। हम लोग भी बैठ गये। लेकिन ऐसे ख़ामोश कि हमको अपने सरों पर तायरों के उतरने से (परों की सनसनाहट की आवाज़ आ रही थी और बस)।

क़ब्र में मय्यित रखने का बयान

1550. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) मय्यित को क़ब्र में दाख़िल करते वक़्त फ़र्माया करते, बिस्मिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाह। अबू ख़ालिद (रज़ि.) कहते हैं, कभी मय्यित को रखते वक़्त ये भी फ़र्माया करते, बिस्मिल्लाहि अला सुन्नति रसूलिल्लाह। इब्ने हिशाम ने अपनी हदीस में बयान किया, **बिस्मिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि वअ़ला मिल्लति रसूलिल्लाह।** **(तिर्मिज़ी-1046)**

1551. हज़रत अबू राफ़ेअ कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हज़रत सअद को क़ब्र की पाँती की तरफ़ से दाख़िल फ़र्माया था और उनकी क़ब्र पर पानी छिड़का था।

1552. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) को क़िब्ला की तरफ़ से क़ब्र में रखा गया।

1553. हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब (रह.) का बयान है कि मैं हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ जनाज़े में शरीक हुआ। जब जनाज़े को क़ब्र में रखा गया तो उन्होंने पढ़ा, **बिस्मिल्लाहि व फ़ी सबीलिल्लाहि वअ़ला मिल्लति रसूलिल्लाह.** (अल्लाह के नाम से और अल्लाह की राह में और अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मिल्लत पर)। इब्ने उमर ने इसके बाद जब क़ब्र में मिट्टी डालनी शुरू की तो फ़र्माया, **अल्लाहुम्मा अजिरहा मिनश्शैतानि व मिन् अ़ज़ाबिल्क़ब्रि. अल्लाहुम्मा जाफ़िल्अर्ज़ अन् जम्बैहा वसअ़द रूहहा व लक़्क़हा मिन्क रिज़्वाना.** (ऐ अल्लाह! इसे शैतान से और क़ब्र के अ़ज़ाब से पनाह दे। ऐ अल्लाह! इसके पहलुओं से (क़ब्र की) ज़मीन को दूर रख, इसकी रूह को बुलन्द कर और अपनी ख़ुश्नूदी नसीब फ़र्मा)। मैंने कहा, इब्ने उमर! क्या आपने इसके बारे में कुछ रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना भी है? या अपनी तरफ़ से ये दुआ पढ़ी है? उन्होंने फ़र्माया, मैं तो और कुछ ज़्यादा भी दुआ कर सकता था, लेकिन ये मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ही सुनी थी। **(बैहक़ी)**

लहद का बयान

1554. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लहद हमारी है और सादी क़ब्र दूसरों की है। **(अबू दाऊद-3208)**

1555. हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बग़ली क़ब्र हमारे लिये है और सन्दूकी क़ब्र दूसरों के लिये है।

1556. हज़रत सअ़द (रज़ि.) ने फ़र्माया था कि मेरे लिये लहद वाली क़ब्र तैयार करना और निशानी के लिये क़ब्र पर ईंट खड़ी कर देना, जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) की क़ब्रे मुबारक तैयार की गई है। **(मुस्लिम-566)**

क़ब्र बनाने का बयान

1557. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की वफ़ात हो गई तो लोगों ने आपस में कहा, मदीना में दो शख़्स क़ब्र खोदते हैं, एक लहद वाली और दूसरी बग़ैर लहद वाली। हम इस्तिख़ारा डालते हैं, दोनों को ख़बर कर दो, इनमें से जो पहले आ जाये वही क़ब्र तैयार करे। अलग़र्ज़ दोनों को इत्तिला की गई। लहद तैयार करने वाला पहले आ गया और आपके लिये लहद वाली क़ब्र तैयार की गई। **(मुस्नद अहमद)**

1558. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की वफ़ात हो गई तो आपकी क़ब्र के मुताल्लिक़ लोगों में बहुत झगड़ा होने लगा और बड़ा शोरगुल हुआ। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) की ज़िन्दगी और मौत दोनों में शोर करने की मुमानिअत है, शोर मत करो। लहद खोदने वाले और सादी क़ब्र खोदने वाले दोनों को इत्तिला कर दो। लेकिन लहद खोदने वाला पहले आ गया। हुज़ूर (ﷺ) के लिये लहद तैयार कराई गई और उसमें आपको दफ़न किया गया।

क़ब्र खोदने का बयान

1559. हज़रत अदरअ सुल्मी (रज़ि.) कहते हैं, एक बार रात के वक़्त मैं हुज़ूर (ﷺ) की पहरेदारी के लिये आया तो देखा कि एक आदमी बाआवाज़े बुलन्द क़ुर्आन की तिलावत कर रहा है। इतने में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) भी तशरीफ़ ले

आये। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये शख़्स रियाकार मालूम होता है। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने कुछ जवाब नहीं दिया। इत्तिफ़ाकन उस शख़्स का मदीने में इन्तेक़ाल हो गया। जब उसको गुस्ल व कफ़न दे चुके तो दफ़न करने के लिये ले चले। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसके साथ मेहरबानी करो, अल्लाह तआला इसके साथ मेहरबानी से पेश आयेगा। उसकी क़ब्र खोदी हुई तैयार थी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, और कुशादा करो। अल्लाह तआला इसके साथ कुशादगी करेगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपको इसके मरने का निहायत ग़म हुआ है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शख़्स अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से मुहब्बत रखता था।

1560. हज़रत हिशाम इब्ने आमिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ब्र ख़ूबसूरत और कुशादा रखा करो। **(तिर्मिज़ी-1713)**

क़ब्र पर अलामत रखने का बयान

1561. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत उस्मान इब्ने मज़ऊन (रज़ि.) की क़ब्र पर पत्थर की अलामत रख दी थी।

क़ब्रों पर अलामत बनाने और पुख़्ता करने और लिखने की मुमानिअत का बयान

1562. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने क़ब्रों को पुख़्ता करने की मुमानिअत फ़र्माई है। **(मुस्लिम-970)**

1563. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने क़ब्रों पर लिखने की मुमानिअत फ़र्माई है। **(अबू दाऊद-3226)**

1564. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने क़ब्रों पर इमारत बनाने की मुमानिअत फ़र्माई है।

क़ब्र पर मिट्टी डालने का बयान

1565. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने एक जनाज़े की नमाज़ पढ़ी और क़ब्र तक शरीक रहे। दफ़न होने के बाद सर की तरफ़ से हुज़ूर (ﷺ) ने तीन मर्तबा मिट्टी डाली।

क़ब्रों पर बैठने और चलने की मुमानिअत का बयान

1566. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम ने फ़र्माया, तुम्हारे लिये क़ब्र पर बैठने से बेहतर है कि आग की चिंगारी पर बैठकर जल जाओ। **(मुस्लिम-971)**

1567. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको आग की चिंगारी पर चलना या तलवार पर चलना या पाँव में जूती का सी लेना ज़्यादा अच्छा मालूम होता है, इससे कि मैं किसी मुसलमान की क़ब्र पर चलूँ। और क़ब्रों में क़ज़ा-ए-हाजत करने या सरे बाज़ार में करने में मुझको कोई फ़र्क़ मालूम नहीं होता।

क़ब्रिस्तान में जूते उतारकर चलने का बयान

1568. हज़रत बशीर इब्ने ख़सासिया (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ जा रहा था। आपने मुझसे (रास्ते में) फ़र्माया, इब्ने ख़सासिया! तुमको अल्लाह तआला से क्या बात बुरी मालूम होती है? हालाँकि तुम उसके रसूल के साथ चल रहे हो। हालाँकि तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा अच्छाई और क्या होगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अल्लाह तआला की तरफ़ से बिल्कुल रंज़ीदा नहीं हूँ। क्योंकि जो बेहतरी हो सकती थी उसने मुझको अता फ़र्मा दी। (इस दौरान) मुसलमानों के क़ब्रिस्तान से आपका गुज़रना हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत भलाई इन लोगों ने हासिल कर ली। फिर मुश्रिकीन के क़ब्रिस्तान से आपका गुज़रना हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इन लोगों के हाथ से बेहतरी पहले ही निकल गई। (इसी दौरान) आपने एक शख़्स को जूते पहने क़ब्रिस्तान में चलते देखा। उससे (मुख़ातब होकर) फ़र्माया, जूते वाले! जूते उतार दे। **(अबू दाऊद-323)**

हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने महदी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने उस्मान (रज़ि.) निहायत उम्दा हदीस बयान फ़र्माया करते और बहुत सिक़ह आदमी थे।

ज़ियारते क़ुबूर का बयान

1569. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ब्रों की ज़ियारत किया करो क्योंकि उनकी ज़ियारत से आख़िरत की याददहानी होती है। **(मुस्लिम-976)**

1570. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने ज़ियारते क़ुबूर की इजाज़त फ़र्माई है। **(बैहक़ी)**

1571. हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले मैंने तुमको क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था। मगर अब तुमको क़ब्रों की ज़ियारत की इजाज़त देता हूँ, ज़ियारत किया करो, क्योंकि उनकी ज़ियारत से तक़्वा पैदा होता है और आख़िरत की याददहानी होती है। **(बैहक़ी, मुस्नद अहमद)**

मुश्रिकीन की क़ब्रों पर जाने का बयान

1572. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) अपनी वालिदा की क़ब्र पर तशरीफ़ ले गये और वहाँ रोये। जो लोग आपके इर्दगिर्द थे वो भी रोये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला से मैंने उनकी बख़्शिश तलब करने की इल्तिजा की लेकिन उसने मुझको इजाज़त नहीं दी। तब मैंने ज़ियारते क़ब्र के लिये इजाज़त माँगी तो मुझको इजाज़त फ़र्माई गई। लिहाज़ा तुम लोग क़ब्रों पर जाया क्योंकि इससे मौत की याद आती है।

1573. हज़रत सालिम अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि एक देहाती नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालदैन सिलारहमी बहुत किया करते थे, फ़लाँ-फ़लाँ नेक काम किया करते थे, क्या वो (जन्नत में है) या दोज़ख़ में? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ में। हुज़ूर (ﷺ) के इस फ़र्मान से उसके दिल में कुछ रंज पैदा हुआ। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके वालिद कहाँ है? (हुज़ूर (ﷺ) ने उसका रंज दूर करने के लिये) फ़र्माया, जिस मुश्रिक की क़ब्र पर से तुम्हारा गुज़र हो उसको दोज़ख़ में जाने की ख़बर सुना दो। वो देहाती (इस बातचीत के बाद) इस्लाम ले आया और कहने लगा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझको इस बात का हुक्म दिया कि जिस मुश्रिक की क़ब्र पर से मेरा गुज़र हो उसको दोज़ख़ की बशारत दे दूँ।

औरतों को क़ब्रों की ज़ियारत से मुमानिअत का बयान

1574. हज़रत हस्सान इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लअ़नत फ़र्माई है। **(मुस्नद अहमद)**

1575. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने क़ब्रों पर जाने वाली औरतों पर लअ़नत फ़र्माई है। **(अबू दाऊद-3236, तिर्मिज़ी-320)**

1576. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने क़ब्रों पर जाने वाली औरतों पर लअ़नत फ़माई है। **(तिर्मिज़ी-1056)**

औरतों को जनाज़े की शिरकत करनी चाहिये या नहीं

1577. हज़रत उम्मे अ़तिया (रज़ि.) कहती हैं, एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने हमको जनाज़े के साथ जाने से मना किया, अगरचे उसके मुताल्लिक़ ताकीद नहीं फ़र्माई। **(बुख़ारी-313, मुस्लिम-938, 1578)**

1578. हज़रत अ़ली इब्ने अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लाये, औरतों को बैठे हुए देखा तो फ़र्माया, क्यों बैठी हुई हो? उन्होंने अ़र्ज़ किया, जनाज़े का इन्तेज़ार कर रहे हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या गुस्ल दोगी। उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं। आप (ﷺ) ने फिर इर्शाद फ़र्माया, क्या उठाकर ले चलोगी? उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या क़ब्र में दाख़िल करने वालों के साथ क़ब्र में दाख़िल कर दोगी? उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया (बस तो) तुम सब जाओ, सिवाय गुनाह के तुमको किसी क़िस्म का सवाब नहीं मिलेगा। **(बैहक़ी)**

नोहा करने की मुमानिअत

1579. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से आयत, **ला यअ़सीयनक फ़ी मअ़रूफ़** की तफ़्सीर नक़ल करती हैं कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, इससे मुराद नोहा है। **(तिर्मिज़ी-3307)**

1580. हज़रत जरीर (रज़ि.) हज़रत मुआ़विया के गुलाम, बयान करते हैं कि मुआ़विया (रज़ि.) ने हिम्स के ख़ुत्बे में ये बयान किया कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने नोहा करने से मना फ़र्माया है। **(तबरानी फ़िल्कबीर-876)**

1581. हज़रत अबू मालिक अश्अ़री (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नोहा करना जाहिलिय्यत का तरीक़ा है। जो औरतें नोहा करती हैं, बग़ैर तौबा के मर जायेगी उनको अल्लाह तआ़ला कतरान का कुर्ता और भड़कती हुई आग की ज़िरह पहनाएगा।

1582. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नोहा जाहिलिय्यत का तरीक़ा है। जो नोहा करने वाली औरत बग़ैर तौबा के मर जायेगी उसको क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला गन्धक का कुर्ता और भड़कती हुई आग की ज़िरह पहनायेगा।

1583. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने ऐसे जनाज़े के साथ जाने से मना फ़र्माया है जिसके साथ नोहा करने वाली औरत हो।

(मय्यित के लिये) गिरेहबान चाक करने, रुख़सारों पर चपत लगाने की मुमानिअत

1584. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो गिरेहबान चाक करे, (सर) और मुँह पीटे, जाहिलिय्यत का तरीक़ा इख़्तियार करे, वो हम में से नहीं। **(बुख़ारी-1294, मुस्लिम-103)**

1585. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने गिरेहबान चाक करने वाली औरत, मुँह नोचने वाली औरत और वावेला करने वाली औरत पर लअनत की है।

1586. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने यज़ीद (रज़ि.) और **अबी बुर्दा (रज़ि.)** का बयान है, जब हज़रत मूसा बीमार हुए तो उनकी ज़ौजा उम्मे अब्दुल्लाह ने चीख़ मारकर रोना शुरू किया। (हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) बेहोश थे) जब आपको होश आया तो अपनी बीवी से फ़र्माया, तुझको मालूम नहीं है कि जिस शख़्स से हुज़ूर (ﷺ) ने बेज़ारी ज़ाहिर फ़र्माई है, मैं भी उससे बेज़ार हूँ। आप अपनी बीवी को ये हदीस सुना चुके थे कि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है, जो औरत सोग में बाल मुँडवाये या वावेला करके सर पीटे और कपड़े चाक करे, मैं उससे बेज़ार हूँ। **(मुस्लिम-104)**

मय्यित पर रोने का बयान

1587. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) एक जनाज़े में शरीक हुए। हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक औरत को रोते देखा। आप उसको डाँटने लगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उमर! रहने दो, ये मुसीबत का वक़्त है, सब्र करना मुश्किल है। **(नसाई-1859)**

1588. हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) का बयान है। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की साहबज़ादी के बच्चे की वफ़ात हो रही थी। उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) को क़ासिद के साथ बुलवाया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उनसे कहना कि अल्लाह की दी हुई चीज़ है, जब चाहे ले ले। उसके पास हर चीज़ का एक वक़्त मुक़र्रर है। तुमको चाहिये कि सवाब की निय्यत से सब्र इख़्तियार करो। (लेकिन) फिर दोबारा क़सम देकर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में आदमी रवाना किया। (तब हुज़ूर) तशरीफ़ लाये। मैं भी आप (ﷺ) के साथ हो गया। उस वक़्त आपके साथ हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.), हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) और उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) भी थे। अलग़र्ज़ जब हम वहाँ पहुँचे तो रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बच्चे को गोद में लिया। उस वक़्त उसकी साँस फूल रही थी और सीना ऐसा उठा हुआ था जैसे मश्क होती है। ये हालत देखकर हुज़ूर (ﷺ) के आँसू जारी हो गये। उबादा बिन सामित (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये क्या? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये वो रहम है जो अल्लाह तआला ने बनी आदमी में पैदा किया है और अल्लाह तआला अपने बन्दों पर रहम करता है जो रहम वाले होते हैं। **(बुख़ारी-923)**

1589. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) कहती हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम (रज़ि.) का इन्तेक़ाल हुआ तो रसूले मकबूल (ﷺ) की मुबारक आँखों से आँसू जारी हो गये। ताज़ियत करने वालों में से या तो हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) या हज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला के हुक्म पर आप सब्र करने के ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आँसू आँखों से जारी है, ग़म दिल पर छाया हुआ है। हम ऐसी बात नहीं कहते जिससे अल्लाह तआला नाराज़ हो। अगर (मौत) सच्चा वादा न होता और आख़िरत

का दिन जो तमाम लोगों को जमा करने वाला है, वो न आने वाला होता तो ऐ इब्राहीम! तेरी वजह से हमको वो ग़म होता जिसकी इंतिहा न थी। ऐ इब्राहीम! तेरी वजह से हम ग़मगीन हैं। **(तबरानी फ़िल्कबीर-432, 433)**

1590. हज़रत हम्ना बिन्ते जहश (रज़ि.) कहती हैं कि मुझको मुख़बिर ने आकर ख़बर दी कि तुम्हारे भाई शहीद हो गये। उस वक़्त मेरे मुँह से निकला, अल्लाह तआला उन पर रहम फ़र्माये। इन्नालिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके बाद ख़बर आई कि तुम्हारे शौहर भी शहीद हो गये। तो फ़ौरन मेरे मुँह से निकला, अफ़सोस! हाय मेरा ग़म! (जब ये ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को मालूम हुई) तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत के दिल में शौहर की मुहब्बत ऐसी शाख़ होती है जो दूसरों के लिये नहीं हो सकती।

1591. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान करते हैं, एक दिन बनी अब्दुल अशहल के कबीले की औरतों के पास से हुज़ूर (ﷺ) का गुज़रना हुआ। तो उनके जो लोग जंगे उहुद में शहीद हो गये थे, उन पर वो नोहाख़्वानी कर रही थीं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (अफ़सोस) हज़रत हम्ज़ा पर कोई रोने वाला नहीं। इतने में अन्सार की औरतें आईं और वो हज़रत हम्ज़ा के लिये रोने लगीं। हुज़ूर (ﷺ) उस वक़्त आराम फ़र्मा रहे थे, आपकी आँख खुल गई और फ़र्माया, अफ़सोस! अब उनको रोने के लिये किसने कहा था। उनसे कहो आज के बाद किसी मक़्तूल पर न रोएँ। **(मुस्नद अहमद)**

1592. हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) रसूले अक़्दस (ﷺ) ने मर्सिया कहने से मना फ़र्माया है। **(मुस्नद अहमद)**

मय्यित पर नोहा करने से मय्यित को अज़ाब होता है

1593. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित पर नोहा करने से अज़ाब होता है। **(बुख़ारी-1292, मुस्लिम-927)**

1594. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि कबीले की औरतों के नोहा की वजह से मय्यित को अज़ाब होता है। जब वो इस तरह कहती हैं, हाय! बाज़ू टूट गये, कोई सहारा न रहा। हाय! कोई मददगार न रहा! वग़ैरह-वग़ैरह बेहूदा गोइयाँ होती हैं तो मय्यित स कहा जाता है, तू ऐसा था, तू ऐसा था। हज़रत उसैद (रज़ि.) फ़र्माते हैं, वाह! अल्लाह तआला तो फ़र्माता है, **ला तज़िरू वाज़िरतुंव्विज़्र उख़रा** (कोई किसी का गुनाह नहीं उठाता तो उनके चीखने से मय्यित को क्यों अज़ाब होता है) वो कहने लगे कि मैंने तुमसे कहा कि अबू मूसा (रज़ि.) रिवायत करते हैं, क्या तुमको ये ख़्याल है कि वो हुज़ूर (ﷺ) पर झूठ का धब्बा लगाएंगे। **(तिर्मिज़ी-1003, मुस्नद अहमद)**

1595. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक यहूदी औरत का इन्तेक़ाल हो गया था। उसके रिश्तेदार रो रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये लोग रो रहे हैं और इस औरत पर अज़ाब हो रहा है। **(मुस्नद अहमद)**

मुसीबत में सब्र करना चाहिये

1596. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसीबत की इब्तिदा में सब्र होता है। (अगर इब्तिदा में चीखना पुकारना शुरू कर दिया और आख़िर में सब्र इख़्तियार कर लिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं)। **(तिर्मिज़ी-987)**

1597. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला फ़र्माता है, इब्ने आदम अगर तू सदमे की इब्तिदा के वक़्त सवाब का ख़्याल करके सब्र इख़्तियार करेगा तो मैं तेरे लिये सिवाय जन्नत

के और कोई सवाब पसन्द नहीं करता। **(मुस्नद अहमद)**

1598. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) की रिवायत बयान करती है। रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो बन्दा मुसीबत के वक़्त इन अल्फ़ाज़ को जो उनके लिये मुक़र्रर हो चुके हैं, कहता है, **इन्नालिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा इन्दक हतसब्तु मुसीबती फअजुर्नी फ़ीहा व अव्विज़्नी मिन्हा.** (हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ़ वापस जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अपनी मुसीबत (पर सब्र) का सवाब चाहता हूँ, मुझे इसका सवाब अता फ़र्मा और इसका बदल अता फ़र्मा)। तो अल्लाह तआला ज़रूर उसकी मुसीबत दूर फ़र्माकर उससे बेहतर ऐवज़ इनायत फ़र्माता है। उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि जब हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) का इन्तेक़ाल हो गया तो मुझको ये कलिमात याद आये। मैंने पढ़े, **इन्नालिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा इन्दक हतसब्तु मुसीबती हाज़िहि फ़अजुर्नी अलैहा.** (हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ़ वापस जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह! मैं तुझसे अपनी मुसीबत (पर सब्र) का सवाब चाहता हूँ, मुझे इसका अज्रो-सवाब अता फ़र्मा)। लेकिन जब मैं ये अल्फ़ाज़ कहती, **अव्विज़्नी ख़ैरम् मिन्हा.** (मुझे इसका बेहतर बदल अता फ़र्मा) तो उसके साथ ही दिल में ये ख़याल करती कि अबू सलमा (रज़ि.) से बेहतर इनायत फ़र्मा। लिहाज़ा अल्लाह तआला ने मुझको अबू सलमा (रज़ि.) के ऐवज़ में उनसे बेहतर मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह (ﷺ) को इनायत फ़र्माया और मेरी मुसीबत का मुझको ये अज्र इनायत फ़र्माया।
(तिर्मिज़ी-3011)

1599. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, (मर्ज़े वफ़ात में) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मस्जिद की तरफ़ का दरवाज़ा खोलकर या पर्दा उठाकर मुलाहिज़ा फ़र्माया कि लोग हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पीछे नमाज़ अदा कर रहे हैं। आपको ये देखकर निहायत खुशी हुई और अल्लाह की हम्द करते हुए फ़र्माया, लोगों! जिस मोमिन को मुसीबत पहुँचे तो उसको मेरी मुसीबत का लिहाज़ करके अपनी मुसीबत पर सब्र करना चाहिये।

1600. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते हुसैन (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने अपनी पुरानी मुसीबत को याद करके इन्नालिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया तो अल्लाह तआला उस मुसीबत के दिन से लेकर (कदीम ज़माने तक का) अज्र इनायत फ़र्मायेगा।

जो शख़्स मुसीबत में सब्र दिलाये, उसके सवाब का बयान

1601. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबीबक्र इब्ने अम्र इब्ने हज़म (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने किसी भाई की मुसीबत में उसकी ताज़ियत करता है (और उसको तसल्ली देता है) उसको क़यामत के दिन करामत का लिबास पहनायेगा। **(बैहक़ी)**

1602. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने मुसीबतज़दा भाई को तसल्ली देता है, उसको उसी जैसा अज्र इनायत किया जाता है। **(तिर्मिज़ी-1073)**

जिस शख़्स को औलाद की तक्लीफ़ पहुँचे उसको सब्र करना चाहिये

1603. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के तीन बच्चे फ़ौत हो जायेंगे, वो सिर्फ़ क़सम पूरी होने के लिये दोज़ख़ के क़रीब जायेंगे। **(बुख़ारी-1251, मुस्लिम-2633)**

1604. हज़रत उत्बा इब्ने अब्द सुल्मी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के नाबालिग़ बच्चे मर जाते हैं, क़यामत के दिन उसको जन्नत के दरवाज़े पर मिलेंगे और जिस दरवाज़े से वो चाहेगा, जन्नत में दाख़िल करेंगे। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-309)**

1605. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मोमिन के नाबालिग़ बच्चे फ़ौत हो जाते हैं, अल्लाह तआला उस शख़्स को अपनी रहमत से जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा। **(बुख़ारी-1248)**

1606. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के तीन नाबालिग़ बच्चे फ़ौत हो जायेंगे, तो वो उसको दोज़ख़ से महफ़ूज़ रखने के लिये निहायत मज़बूत किला हो जायेंगे। ये सुनकर हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जिसके दो बच्चे फ़ौत हो गये हों? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ जिसके दो बच्चे फ़ौत हो गये हो। हज़रत उबय इब्ने कअब (रज़ि.) अर्ज़ करने लगे, जिसका एक बच्चा फ़ौत हुआ हो? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका एक बच्चा फ़ौत हुआ हो, उसका भी यही हुक्म है। **(तिर्मिज़ी-1061)**

जिस शख़्स को हमल साक़ित होने से ग़म हुआ हो, उसके सवाब का बयान

1607. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको साकितशुदा बच्चा अपने आगे रवाना करना उस बच्चे से ज़्यादा अज़ीज़ है जो सवार होकर फिरता है। (यानी दुनिया में ज़िन्दा रहता है)

1608. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन हमल से साकितशुदा बच्चे के बाप को दोज़ख़ में दाख़िल किया जायेगा तो वो अल्लाह तआला से अपने बाप के लिये लड़ेगा। हुक्म होगा, लड़ने वाले जा अपने बाप को जन्नत में ले जा। वो अपनी नाल से बाप को दोज़ख़ से घसीटकर जन्नत में ले जायेगा।

1609. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ाते पाक की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है। अगर हमल साकित होने को उसकी माँ सवाब समझकर (सब्र करेगी) तो वो बच्चा क़यामत के दिन अपनी नाल से उसको पकड़कर जन्नत में ले जायेगा।

उस खाने का बयान जो मय्यित के रिश्तेदारों को दिया जाता है

1610. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र (रज़ि.) कहते हैं, कि जब हज़रत जाफ़र (रज़ि.) की वफ़ात की ख़बर रसूले मक़्बूल (ﷺ) को मालूम हुई तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जाफ़र के घरवालों के लिये खाने की तैयारी करो, क्योंकि उनको ऐसी ख़बर मालूम हुई है जिसकी वजह से वो ख़ुद ग़मगीन हैं। **(अबू दाऊद-3132)**

1611. हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) का बयान है जब हज़रत जाफ़र (रज़ि.) फ़ौत हो गये तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अपने मकान पर तशरीफ़ लाये और फ़र्माया, चूँकि जाफ़र के घरवाले अपनी मय्यित के ग़म में मश्ग़ूल हैं, तुम उनके लिये खाना तैयार करो। अब्दुल्लाह कहते हैं, ये तरीक़ा इब्तिदा में सुन्नत था फिर (इस वजह से) बिदअत हो गया कि (लोग इसमें फ़ख़्र व मुबाहात और ऐवज़ ख़्याल करने लगे) इस वजह से इसको छोड़ दिया गया। **(मुस्नद अहमद)**

अहले मय्यित के पास जमा होने और खाना तैयार करने की मुमानिअत

1612. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, हम अहले मय्यित के पास इज्तिमाअ और उनके लिये खाना तैयार

करने को नोहा की शाख़ शुमार किया करते थे। (मुस्नद अहमद)

सफ़र की हालत में फ़ौत होने वाले का बयान

1613. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़र की मौत शहादत है।

1614. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स जिसकी विलादत मदीना में हुई थी। मदीना में ही उसका इन्तेक़ाल हुआ। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसकी जनाज़े की नमाज़ अदा फ़र्माने के बाद फ़र्माया, अफ़सोस! अगर ये मदीना से कहीं दूर मक़ाम पर फ़ौत होता तो बेहतर होता। लोगों में से एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये किस लिये? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सफ़र में फ़ौत होता है तो उसके लिये सफ़र के मक़ाम से लेकर वतन तक की ज़मीन का अंदाज़ा जन्नत में मुक़र्रर किया जाता है। **(नसाई-1833)**

मर्ज़ की हालत में मरने का बयान

1615. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मरीज़ होकर मरता है उसको शहादत का मर्तबा हासिल होता है और सुबह व शाम उसको जन्नत से खाना इनायत किया जाता है।

मय्यित की हड्डी तोड़ने का बयान

1616. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित की हड्डी तोड़ना ऐसा ही है, जिस तरह ज़िन्दा आदमी की हड्डी तोड़ना। **(अबू दाऊद-3207)**

1617. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि मय्यित की हड्डी तोड़ने का गुनाह ज़िन्दा की हड्डी तोड़ने के बराबर है।

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के मर्ज़े वफ़ात का बयान

1618. हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से अर्ज़ किया, अम्मा! कुछ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के मर्ज़ की कैफ़ियत इर्शाद फ़र्मायें। आप (रज़ि.) फ़र्माने लगीं, जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) को मर्ज़ शुरू हुआ तो आपने ऐसी साँस लेना शुरू की जिस तरह किशमिश खाने वाले को साँस लेता देखते हैं और इस हालत में भी हुज़ूर (ﷺ) अपनी बीवियों के पास दौरा करते रहते। लेकिन जब हुज़ूर (ﷺ) को उससे तक्लीफ़ होने लगी तो अज़्वाज से इसकी इजाज़त माँगी कि मैं आइशा के यहाँ ही मुक़ीम रहूँ और तमाम अज़वाज वहाँ आती-जाती रहें। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब आपकी अज़वाज ने मन्ज़ूर कर लिया तो हुज़ूर (ﷺ) मेरे यहाँ दो शख़्सों का सहारा लेकर तशरीफ़ लाये। पाँव मुबारक ज़मीन पर काँपते थे। उन दो में से एक शख़्स अब्बास हैं। रावी कहते हैं, मैंने ये हदीस आइशा (रज़ि.) को बयान की। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, जिस दूसरे शख़्स का नाम हज़रत आइशा (रज़ि.) ने तुमको नहीं बतलाया वो मालूम है कौन था? वो हज़रत अली थे। **(बुख़ारी-198, मुस्लिम-418)**

1619. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं रसूले मक़्बूल (ﷺ) मर्ज़ की हालत म ये दुआ पढ़ा करते थे। **अज़हिबिल बा-स रब्बन नासि वश्फ़ि अन्तश्शाफ़ि ला शिफ़ाअन इल्ला शिफ़ाउक ला युग़ादिरु सुक़्मा-म.** (ऐ इन्सानों के रब! बीमारी दूर कर दे और शिफ़ा दे दे, तू ही शिफ़ा देन वाला है, तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा अता फ़र्मा जो बीमारी को बिल्कुल बाक़ी न छोड़े)। लेकिन जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) का मर्ज़ वफ़ात बढ़ गया तो मैं इन

कलिमात को पढ़कर और आपके हाथों को अपने हाथ में लेकर (थूकतीं) और फिर आपके जिस्म मुबारक पर फेर दिया करती। लेकिन आपने (एक मर्तबा) अपना हाथ मेरे हाथ से अलग कर दिया और फ़र्माया, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरली व अल्हिक्नी बिर्रफ़ीक़िल आला** (ऐ अल्लाह! मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा और मुझे बुलन्द मर्तबा साथियों से मिला दे)। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, बस आपका आख़िरी कलाम मैंने यही (अपने कानों से) सुना है।

(बुख़ारी-5675, 5743, मुस्लिम-2191)

1620. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, मैं नबी करीम (ﷺ) से सुना करती थी कि हर नबी को वफ़ात के वक़्त दुनिया और आख़िरत की पसन्दगी का इख़्तियार दिया जाता है। जब हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया और आप पर तक्लीफ़ ज़्यादा हो गई तो मैंने ज़बाने मुबारक से ये फ़र्माते हुए सुना, **मअल्लज़ीन अन्अमल्लाहु अलैहिम मिन् नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन वश्शुह्दाइ वस्सालिहीन.** (उन लोगों के साथ जिन पर अल्लाह ने ईनाम नाज़िल किये हैं, नबियों, सिद्दीक़ीन, शुहदा और नेक लोगों में से)। इससे मैंने फ़ौरन समझ लिया कि आपको अब इख़्तियार दिया गया है। **(बुख़ारी-4586, मुस्लिम-2444)**

1621. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मर्ज़े वफ़ात में हुज़ूर (ﷺ) के पास तमाम अज़्वाजे मुतह्हिरात जमा हुईं, कोई बाक़ी न रहीं। इतने में हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) तशरीफ़ लाईं, उनकी चाल बिल्कुल हुज़ूर (ﷺ) की चाल की तरह थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको देखकर फ़र्माया, आओ बेटी, मरहबा। ये फ़र्माकर आपने उनको अपनी बायीं तरफ़ बैठा लिया। कुछ आहिस्ता-आहिस्ता बातें कहीं, जिस वजह से वो रोने लगीं। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने आहिस्ता से क्या कहा कि वो सुनकर ख़ुश हुईं। (अलग होने के बाद) हमने दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने तुमसे क्या फ़र्माया था। वो कहने लगीं, मैं हुज़ूर (ﷺ) का राज़ फ़ाश नहीं कर सकती। (मैंने अपने दिल में कहा) ये अज़ीब बात है कि ग़म के इतने क़रीब ख़ुशी (आदमी को हासिल हो जाये) हमने कभी ऐसा नहीं देखा। जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की वफ़ात का वक़्त क़रीब आया तो मैंने ख़्याल किया कि (उस वक़्त मैंने) दरयाफ़्त किया तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं हुज़ूर (ﷺ) का राज़ फ़ाश नहीं कर सकती। इस वक़्त दरयाफ़्त करना चाहिये। (लिहाज़ा मैंने उनसे दरयाफ़्त किया और उनसे कहा) आपसे हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ासतौर पर एक राज़ की बात कही थी, जिसकी हमको बिल्कुल ख़बर नहीं (बराए मेहरबानी) आप बतायें। वो कहने लगीं, हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे कहा था कि हर साल जिब्रईल अलैहिस्सलाम मुझसे एक मर्तबा क़ुर्आन सुना करते थे, लेकिन इस मर्तबा दो बार दौर किया। इससे मुझको मालूम होता है कि मेरा वक़्त क़रीब आ गया है और मेरे घरवालों में से पहली मुलाक़ात मुझसे तुम्हारी ही होगी। वो शख़्स बहुत ख़ुशनसीब है कि सबसे पहले जिसकी मुलाक़ात मुझसे हो। ये सुनकर मैं रोने लगी। उसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हारे लिये ये ख़ुशी की बात नहीं कि तुम तमाम मोमिन या तमाम उम्मत की औरतों की जन्नत में सरदार बनोगी। ये सुनकर मैं हंस पड़ी। **(बुख़ारी-3623, 3624, मुस्लिम-2450)**

1622. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) के दर्द की तरह तक्लीफ़ मैंने किसी शख़्स पर नहीं देखी। **(बुख़ारी-5646, मुस्लिम-2570)**

1623. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की नज़अ के वक़्त मैंने देखा कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के क़रीब एक पानी का बर्तन रखा हुआ था। आप उसमे हाथ डाल-डाल कर अपने चेहर-ए-मुबारक पर फिराते जाते और फ़र्माते, **अल्लाहुम्मा अइन्नी अला सकरातिल मौत.** (ऐ अल्लाह! मौत की सख़्तियों पर मेरी मदद फ़र्मा)।

(तिर्मिज़ी-978)

1624. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैंने आख़िरी मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) को उस वक़्त देखा जिस

वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ने पर्दा अलग करके लोगों को हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ते देखा। मैंने ख़्याल किया तो आपका चेहरा (ख़ुशनुमाई) में मुस्हफ़ मालूम होता था। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अपने मक़ाम से अलग होने का इरादा किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने हाथ के इशारे से फ़र्माया। अपने मक़ाम पर खड़े रहो उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने पर्दा छोड़ दिया और दिन के आख़िर में आपकी वफ़ात हुई। **(बुख़ारी-680, मुस्लिम-419)**

1625. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हालते नज़अ में मैंने सुना कि हुज़ूर बार-बार यही फ़र्माते, **अस्सलात, वमा मलकत अयमानुकुम.** (नमाज़ और जिन चीज़ों के तुम मालिक हो) बस इतना ही फ़र्माते, आपकी ज़बान में लकनत पैदा हो गई। **(मुस्नद अहमद)**

1626. हज़रत अस्वद (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने हज़रत आइशा (रज़ि.) के सामने हज़रत अली (रज़ि.) के वसी होने का ज़िक्र किया। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहने लगीं, हुज़ूर (ﷺ) ने किस वक़्त वसिय्यत की। मैं तो वफ़ात तक आपके पास अलग नहीं हुई। हुज़ूर (ﷺ) का सरे मुबारक मेरी गोद में था और पानी लेकर अपने जिस्म पर छिड़का था। उसके बाद मेरी गोद ही की तरफ़ झुक गया। इसी हालत में हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात हो गई। लेकिन इसमें मुझको नहीं मालूम हुज़ूर (ﷺ) ने किस वक़्त हज़रत अली को वसिय्यत की। **(बुख़ारी-2741, मुस्लिम-1636)**

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की वफ़ात और मदफ़ून होने का बयान

1627. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की वफ़ात हो चुकी तो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) उस वक़्त मक़ामे अवाली में अपनी अहलिया बिन्ते ख़ारजा के यहाँ थे और यहाँ लोगों ने आपस में कहा कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने वफ़ात नहीं पाई है। बल्कि आप पर वह्य की हालत तारी हो गई है, जिस तरह होती रहती है। इतने में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) तशरीफ़ लाये और आपके चेहरे मुबारक से चादर हटाकर पेशानी मबारक को बोसा देते हुए फ़र्माया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप पर अल्लाह तआला दो मौतें वारिद नहीं फ़र्मायेगा। आप अल्लाह तआला के नज़दीक निहायत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं। मस्जिद के एक गोशे में हज़रत उमर (रज़ि.) भी मौजूद थे, उनको जब ये ख़बर पहुँची तो फ़र्माने लगे कि हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात नहीं हुई। बल्कि आप अब मुनाफ़िक़ीन के हाथ-पाँव तोड़ने के लिये तशरीफ़ लायेंगे। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) फ़ौरन मिम्बर पर रौनक अफ़रोज़ हुए और ख़िताब फ़र्माया, लोगों! (सुनों) अगर (तुम) मुहम्मद (ﷺ) की इबादत किया करते थे, तो हुज़ूर (ﷺ) का इन्तेक़ाल हो गया। अगर तुम अल्लाह तआला की इबादत करते तो अल्लाह तआला ज़िन्दा और क़ायम है। क्योंकि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल थे, आपसे पहले बहुत से अम्बिया आये और गुज़र चुके। क्या अगर हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात हो जाये या शहीद हो जायें तो तुम अपने दीन से फिर जाओगे? अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह को कोई नुक़्सान नहीं पहुँचा सकोगे। अल्लाह तआला शुक्र करने वालों को जज़ा-ए-ख़ैर अता फ़र्मायेगा। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने इस ख़ुत्बे को सुना तो कहने लगे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आयत मैंने आज ही सुनी है।

1628. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) के लिये क़ब्र तैयार करने की ज़रूरत हुई तो एक शख़्स अबू उबैदा के पास रवाना किया गया। ये अहले मक्का के तरीक़े पर सादी कब्रें खोदा करते थे और दूसरे शख़्स के ज़रिये अबू तल्हा (रज़ि.) को इत्तिला दी गई। आप अहले मदीना के लिये लहद वाली क़ब्र खोदा करते थे। लोगों ने उस वक़्त कहा, ऐ अल्लाह! अपने रसूल की हिफ़ाज़त करना। अलग़र्ज़ अबू उबैदा उस वक़्त मौजूद न थे लिहाज़ा आपके लिये लहद तैयार की गई। जब हुज़ूर (ﷺ) को ग़ुस्ल और कफ़न देकर फ़ारिग़ हो गये तो आपको अपने मकान में तख़्त

पर रखवाया गया और लोग गिरोह-गिरोह होकर नमाज़ अदा करते और चले जाते। उसके बाद औरतों ने आपकी नमाज़ अदा की। उसके बाद बच्चों ने। लेकिन आपके जनाज़े की नमाज़ जमाअत से नहीं हुई और किसी ने इमामत नहीं की। अलग-अलग नमाज़ पढ़कर लोग चले जाते थे। हुज़ूरे अक़्दस की नमाज़े जनाज़ा का कोई इमाम न था। इसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की क़ब्र मुबारक के मक़ाम में लोगों को इख़्तिलाफ़ होने लगा। बाज़ लोगों ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) को मस्जिद में दफ़न किया जाये। बाज़ लोगों ने कहा, सहाबा के मक़ाम पर दफ़न किया जाये। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहने लगे, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि नबी जहाँ फ़ौत होता है उसी जगह दफ़न किया जाता है। तब लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) का वो फ़र्श जिस पर आपकी वफ़ात हुई थी, अलग किया और आपके लिये क़ब्र तैयार की गई और बुध की रात में हुज़ूर (ﷺ) को रोज़ा-ए-मुबारक में दफ़न किया गया। आप (ﷺ) को क़ब्र मुबारक में चार शख़्सों ने दाख़िल किया। हज़रत अ़ली (रज़ि.), हज़रत फ़ज़ल बिन अ़ब्बास (रज़ि.), हज़रत क़ुसम और हज़रत सकरान (रज़ि.)। नबी करीम (ﷺ) के आज़ादकर्दा ग़ुलाम हज़रत उवैस इब्ने ख़ौला (रज़ि.) हज़रत अ़ली (रज़ि.) से कहने लगे कि हमारा भी हुज़ूर (ﷺ) में कुछ हिस्सा है। उन्होंने फ़र्माया, अच्छा तुम नीचे उतर जाओ। हज़रत सकरान (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की चादर ले ली थी लेकिन ये कहकर उस चादर को हुज़ूर (ﷺ) के साथ ही दफ़न कर दी कि अल्लाह की क़सम आपके बाद इसको कोई नहीं ओढ़ सकता।

(मुस्नद अहमद)

1629. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) पर हालते नज़्अ़ की तक्लीफ़ पहुँची, जितनी पहुँचने वाली थी। तो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा, अफ़सोस! मेरे वालिद की तक्लीफ़। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे वालिद को अब क़यामत तक कोई तक्लीफ़ नहीं पहुँचेगी। तुम्हारे वालिद को इतनी तक्लीफ़ हुई है कि क़यामत तक अब किसी को इतनी तक्लीफ़ नहीं दी जायेगी।

1630. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मुझसे हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा, अनस तुमने कितनी हिम्मत दिखाई कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) पर मिट्टी डाल दी। दूसरी रिवायत में है कि जब हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात हो गई तो सय्यिदा फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा, ऐ वालिदे बुज़ुर्गवार! मैं जिब्रईल को ख़बर करती हूँ, मेरे वालिद आप अपने रब से किस क़द्र क़रीब हैं। ऐ मेरे वालिद! जन्नत हमेशा के लिये आपका मक़ाम हो गया। ऐ मेरे वालिद! आपने अपने रब की दअ़वत को क़ुबूल कर लिया। हज़रत हम्माद (रज़ि.) कहते हैं, जब ये हदीस हज़रत साबित (रज़ि.) से बयान की गई तो आप इस क़द्र रोये की आपकी पसलियाँ ऊपर चढ़-चढ़ जाती थीं। **(बुख़ारी-4462)**

1631. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये थे, पूरा मदीना आपसे मुनव्वर हो गया था और जिस वक़्त आप (ﷺ) की वफ़ात हुई तो पूरे मदीने में अंधेरा छा गया। और अभी हमने हाथ नहीं झाड़े थे कि इससे पहले ही हमारे दिलों पर ग़म तारी हो गया था। **(तिर्मिज़ी-3618)**

1632. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, (हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की हयात में हम लोग) अपनी औरतों से गुफ़्तगू से ख़ौफ़ खाते कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे मुताल्लिक़ क़ुर्आन नाज़िल हो जाये, लेकिन आपकी वफ़ात के बाद हमने आपस में गुफ़्तगू करना शुरू कर दिया था। **(बुख़ारी-5187)**

1633. हज़रत अबी इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की हयात में हमारा चेहरा एक ही तरफ़ मुतवज्जह था। लेकिन आप (ﷺ) की वफ़ात के बाद हम हैरान होकर इधर-उधर देखते थे कि क्या करें?

1634. हज़रत उम्मे सलमा बिन्ते अबी उमैया (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की हयाते मुबारक में

नमाज़ पढ़ने वाले की नज़र क़दमों से आगे नहीं बढ़ सकती थी। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) के बाद (हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के दौर में) पेशानी के मक़ाम तक नज़र जाने लगी और उससे आगे नहीं जाती थी। लेकिन हज़रत उ़मर (रज़ि.) का ज़माना आ गया तो लोगों की नज़रें क़िब्ला की जानिब जा सकतीं लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ी। और हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) के ज़माने में फ़ित्ना शुरू हो गया। उस वक़्त लोगों ने दायें-बायें भी देखना शुरू कर दिया।

1635. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) की वफ़ात के बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने हज़रत उ़मर (रज़ि.) से कहा, चलो! जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) उम्मे ऐमन (रज़ि.) की मुलाक़ात के लिये तशरीफ़ ले जाया करते थे, हम भी चलें। जब ये दोनों साहब उनके यहाँ पहुँचे तो इनको देखकर रोने लगीं। उन्होंने फ़र्माया, क्या अल्लाह के पास अपने रसूल के लिये कोई ख़ैर नहीं? उन्होंने कहा, मैं इसलिये नहीं रोती कि हुज़ूर (ﷺ) के लिये कोई ख़ैर नहीं है, बल्कि मुझको इसका अफ़सोस है कि आसमानी वह्य का सिलसिला बन्द हो गया। रावी कहते हैं कि उम्मे ऐमन के इस कलाम ने इन दोनों साहबों को भी रुला दिया और ये भी मिलकर उनके साथ रोने लगे। **(मुस्लिम-2454)**

1636. हज़रत औस इब्ने औस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे तमाम अय्याम से अफ़ज़ल और सरदार जुम्आ है। इसी में हज़रत आदम पैदा हुए, इसी दिन सूर फूँका जायेगा, इसी में सअ़का होगा। इस दिन तुम लोग दुरूद कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि इस दिन तुम्हारा दुरूद मेरे सामने पेश किया जाता है। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपका जिस्म तो बोसीदा हो गया होगा, फिर हमारा दुरूद आपके सामने कैसे पेश किया जायेगा। हज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नबियों के जिस्मों को अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है। **(अबू दाऊद-1047)**

1637. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम ने फ़र्माया, जुम्आ के दिन मुझ पर दुरूद कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि फ़रिश्ते इस दिन दुरूद पेश करते हैं। जब तक वो पढ़ता है, उस वक़्त तक वो पेश करते रहते हैं। अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपकी वफ़ात के बाद भी? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मेरी वफ़ात के बाद भी। अल्लाह तआ़ला ने नबियों के जिस्मों को ज़मीन पर हराम कर दिया है। अल्लाह तआ़ला के नबी ज़िन्दा रहते हैं, उनको रिज़्क़ इनायत होता है।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुस्सौम

रोज़ों के अहकामो-मसाइल

1638. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद है, बनी आदम को हर नेक अमल में दस से लेकर सात सौ गुना तक सवाब दिया जाता है। मगर रोज़ा ऐसी चीज़ है कि ये मेरे लिये है और मैं ही इसका अज्र इनायत करूँगा। रोज़ेदार मेरी वजह से अपना खाना (पीना), ख़्वाहिशाते नफ़्सानी तर्क करता है। रोज़ेदार के लिये दो ख़ुशियाँ हैं, एक ख़ुशी इफ़्तार के वक़्त और दूसरी ख़ुशी अल्लाह तआला के दीदार के वक़्त। रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह तआला के नज़दीक मुश्क की ख़ुश्बू से भी ज़्यादा अच्छी है। **(बुख़ारी-7492, मुस्लिम-1151)**

1639. हज़रत उस्मान अबुल आस (रज़ि.) ने हज़रत मुतर्रिफ़ के लिये दूध मँगवाया। मुतर्रिफ़ ने कहा कि मेरा रोज़ा है। उस्मान (रज़ि.) कहने लगे, रसूले मक़्बूल (ﷺ) से मैंने सुना है कि तुम से किसी शख़्स का रोज़ा दोज़ख़ से बचाने की ढाल है। जिस तरह जंग में (तलवार के लिये चमड़े की) ढाल होती है। **(नसाई-2232)**

1640. हज़रत सहल इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में एक दरवाज़ा है। जिसका नाम रय्यान है, (इससे रोज़ेदार को क़यामत के दिन) आवाज़ दी जायेगी कि रोज़ेदार कहाँ हैं? जो शख़्स इससे दाख़िल होगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। **(तिर्मिज़ी-765)**

माहे रमज़ान की फ़ज़ीलत का बयान

1641. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सवाब समझकर रमज़ान में रोज़े रखेगा, अल्लाह तआला उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। **(बुख़ारी-38, मुस्लिम-760)**

1642. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब रमज़ान की पहली रात आती है तो शैतान और सरकश जिन्नों को कैद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं और इसका कोई दरवाज़ा नहीं खुलता। जन्नत के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं। एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है, ऐ गुनाह करने वाले! अपने शर में कमी कर। ऐ नेकी करने वाले! नेकी में ज़्यादती कर। इसकी हर रात में अल्लाह तआला बहुत सारे जहन्नमियों को दोज़ख़ से रिहा फ़र्माता है। **(तिर्मिज़ी-682)**

1643. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर इफ़्तार के वक़्त अल्लाह तआला अपने बन्दों को अज़ाब से रिहा फ़र्माता है और हर रात यही होता रहता है।

1644. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, (एक मर्तबा) रमज़ानुल मुबारक आया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये महीना तुम्हारे सामने आ गया। इसमें एक ऐसी रात है जो हज़ार रातों से बेहतर है। जो शख़्स इस रात में इबादत से महरूम रहा गोया तमाम बेहतरियों से महरूम रहा। इसकी बेहतरी से वही महरूम रहेगा जिसकी क़िस्मत में महरूमी है।

यौमे-शक में रोज़ा रखने का बयान

1645. हज़रत सिला इब्ने ज़ुफ़र (रज़ि.) बयान कहते हैं, हम शक के दिन हज़रत अम्मार (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे। एक भुनी हुई बकरी लाई गई। कुछ लोग उस जगह से अलग होने लगे। अम्मार (रज़ि.) ने फ़र्माया, जिसने इस दिन रोज़ा रखा, उसने अबुल क़ासिम (ﷺ) की नाफ़र्मानी की। **(अबू दाऊद-2334)**

1646. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने चाँद देखने से एक दिन पहले रोज़ा रखने से मना फ़र्माया है।

1647. हज़रत मुआविया इब्ने अबू सुफ़्यान (रज़ि.) ने मिम्बर पर चढ़कर बयान किया कि रमज़ान से पहले हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़लाँ-फ़लाँ दिन के रोज़े हैं, लेकिन हम पहले रखेंगे जिसकी तबीयत चाहे पहले रखे और जिसकी तबीयत चाहे मुअख़्ख़र करे। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-880)**

शअबान के रोज़े, रमज़ान के रोज़ों के साथ मिलाने का बयान

1648. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) शअबान के रोज़ों को रमज़ान के रोज़ों के साथ मिलाया करते थे। **(तिर्मिज़ी-736)**

1649. हज़रत रबीआ इब्ने आज़िब (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) किस तरह रोज़े रखा करते थे। उन्होंने फ़र्माया, आप (ﷺ) पूरे शअबान के रोज़े रखते और रमज़ान के साथ मिला दिया करते थे। **(तिर्मिज़ी-745)**

रमज़ान से एक दिन पहले रोज़ा रखने की मुमानिअत अलबत्ता वो शख़्स रख सकता है जो पहले से रखता चला आया हो

1650. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान के एक दिन पहले या दो दिन पहले रोज़ा न रखना चाहिये। अलबत्ता वो शख़्स रख सकता है जो पहले ही से रखता चला आया हो।

(बुख़ारी-1914, मुस्लिम-1082)

1651. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पन्द्रह शअबान जब हो जाये तो रोज़े नहीं रखने चाहिये जब तक रमज़ान न आये। **(अबू दाऊद-2337)**

रूयते हिलाल (चाँद देखने) की गवाही देने का बयान

1652. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक देहाती आकर कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने आज राज (रमज़ान का) चाँद देखा है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तू इसकी गवाही देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के बन्दे हैं। उसने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप (ﷺ) ने हज़रत बिलाल से फ़र्माया, लोगों में ऐलान करवा दो कि कल रोज़ा होगा। अबू अली (रज़ि.) कहते हैं, वलीद इब्ने सौर (रज़ि.) और हसन इब्ने अली (रज़ि.) की रिवायत में भी यही मज़्मून है लेकिन उसमें इब्ने अब्बास का ज़िक्र नहीं है और इसी तरह बयान किया है कि उन्होंने आवाज़ दी कि लोग रोज़ा रखें और नमाज़ की तैयारी करें। **(अबू दाऊद-2340)**

1653. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि मेरी फूफी ने किसी अन्सारी सहाबी की रिवायत से नक़ल किया है कि एक मर्तबा हमको शव्वाल का चाँद नज़र नहीं आया। हमने दूसरे दिन रोज़ा रख लिया। आख़िर दिन म एक काफ़िला आया और उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) के पास आकर गवाही दी कि कल हमने शव्वाल का चाँद देख लिया है। हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा इफ़्तार कर लें और कल सुबह ईद की नमाज़ होगी। **(अबू दाऊद-1157)**

चाँद देखकर रोज़ा रखना चाहिये और चाँद देखकर इफ़्तार करना चाहिये

1654. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग चाँद देखकर रोज़ा रखा करो और चाँद देखकर इफ़्तार करो। अगर चाँद नज़र न आये तो तीस दिन पूरे करो। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) एक दिन पहले रोज़ा रखा करते थे। **(बुख़ारी-1900, मुस्लिम-1081)**

1655. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, चाँद देखकर रोज़ा रखो और चाँद देखकर इफ़्तार करो, अगर चाँद दिखाई न दे तो तीस दिन पूरे करो।

1656. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है (एक मर्तबा) रसूले करीम (ﷺ) ने हमसे दरयाफ़्त किया कि महीने के कितने दिन गुज़र गये? हमने अर्ज़ किया, बाईस दिन गुज़र गये, आठ दिन बाक़ी है। हुज़ूर (ﷺ) ने तमाम अंगुलियाँ तीन मर्तबा उठाकर फ़र्माया, महीना इतने दिनों का भी होता है। और उनमें से तीसरी मर्तबा एक अंगुली बन्द कर ली। **(मुस्नद अहमद)**

1657. हज़रत मुहम्मद इब्ने सअद इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) रिवायत करते हैं। नबी करीम (ﷺ) ने अंगुलियाँ तीन मर्तबा उठाईं और तीसरी मर्तबा एक अंगुली बन्द करके फ़र्माया, एक महीना इतने दिनों का भी होता है। (यानी 29 दिनों का) **(मुस्लिम-1086)**

1658. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में उनतीस दिन के महीने के रोज़े भी रखे हैं लेकिन अक्सर तीस दिन के रखे।

ईद का बयान

1659. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने अबीबक्र (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दोनों ईदों के महीने यानी रमज़ान और ज़िलहिज्ज के महीने में कमी नहीं करते हैं। (यानी दोनों शुमार में कमी हो जाये तो तुम अपने दिल में किसी क़िस्म का शक न लाओ, क्योंकि सवाब में किसी क़िस्म की कमी नहीं होती)
(बुख़ारी-1912, मुस्लिम-1089)

1660. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस दिन तुम इफ़्तार करते हो, वो ईदुल फ़ित्र है और जिस दिन तुम कुर्बानी करते हो वो ईदुल अज़्हा है।

सफ़र में रोज़े किस तरह रखने चाहिये

1661. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने सफ़र में रोज़े भी रखे हैं और इफ़्तार भी किया है। (यानी रोज़ नहीं रखा है) **(नसाई-2292, बुख़ारी-1948)**

1662. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि हम्ज़ा अस्लमी (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं रोज़े रखा करता हूँ, क्या सफ़र में भी रोज़े रख सकता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जी चाहे तो रोज़े रखो, न चाहे तो मत रखो। (तुमको इख़्तियार है) **(बुख़ारी-1942, 1943, मुस्लिम-1121)**

1663. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, तुमको याद है कि किसी सफ़र में सख़्त गर्मी का ज़माना था। यहाँ तक कि लोग गर्मी की शिद्दत से अपने-अपने सरों पर हाथ रखते थे। उन लोगों में सिवाय रसूलुल्लाह (ﷺ) और अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा के कोई तीसरा शख़्स रोज़े से न था। **(मुस्लिम-1122)**

सफ़र में रोज़ा नहीं रखना चाहिये, इफ़्तार करना चाहिये

1664. हज़रत कअब इब्ने आसिम (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़र में रोज़ा रखना अच्छी बात नहीं। **(नसाई-2257, मुस्लिम-1115)**

1665. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़र में रोज़ा रखना अच्छा नहीं है।

1666. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान के महीने में सफ़र में रोज़ा रखना ऐसा है जैसे हज़र में इफ़्तार करना। अबू इस्हाक कहते हैं ये हदीस क़ाबिले ऐतबार नहीं।

हामिला और दूध पिलाने वाली औरत को रोज़ा न रखना चाहिये

1667. हज़रत अली इब्ने मुहम्मद जो बनी अब्दुल्लाह इब्ने कअब में से हैं, ये कहते हैं रसूले अकरम (ﷺ) के लश्कर ने हम पर चढ़ाई की। मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप उस वक़्त सुबह का खाना खा रहे थे। मुझसे फ़र्माया, आओ! खाना खा लो। मैंने अर्ज़ किया, मेरा रोज़ा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आओ बैठ जाओ! मैं तुम्हें कुछ रोज़े के अहकाम बतलाऊँ। अल्लाह तआला ने सफ़र में मुसाफ़िर से नमाज़ का कुछ हिस्सा माफ़ कर दिया है और इसी तरह मुसाफ़िर और दूध पिलाने वाली और हामिला औरत से रोज़ा माफ़ कर दिया है। अल्लाह की क़सम! हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे ये दोनों बातें फ़र्माईं या उन में से एक। मुझको बड़ा अफ़सोस है कि (उस दिन मेरा रोज़ा क्यों था) मैंने हुज़ूर (ﷺ) के साथ खाना क्यों नहीं खाया। **(अबू दाऊद-2408, तिर्मिज़ी-715)**

1668. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उस हामिला औरत को जो अपनी हलाकत का ख़ौफ़ करती हो, रोज़ा इफ़्तार करने का हुक्म दिया है। (इसी तरह) उस दूध पिलाने वाली औरत को जो बच्चे की तक्लीफ़ का ख़ौफ़ करती हो, रोज़ा न रखने का हुक्म दिया है।

रमज़ान के छूटे हुए रोज़े रखने का हुक्म

1669. हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुना है, आप फ़र्माती थीं कि अगर मेरे ऊपर रमज़ान के रोज़े हों तो मैं शअबान से पहले-पहले क़ज़ा कर लूँगी। **(बुख़ारी-1950, मुस्लिम-1146)**

1670. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में हमको हैज़ आया करता, आप (ﷺ) रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा करने का हुक्म फ़र्माया करते। **(तिर्मिज़ी-787)**

रमज़ान को कोई रोज़ा छोड़ने का कफ़्फ़ारा

1671. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, (रमज़ान के महीने में) एक शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मैं मर गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुझको किस चीज़ ने मारा है? उसने अर्ज़ किया, रमज़ान में मैंने (रोज़े की हालत में) अपनी बीवी से जिमाअ कर लिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, एक गुलाम आज़ाद कर दो। उसने अर्ज़ किया, मेरे पास गुलाम कहाँ है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दो महीने के लगातार रोज़े रखो। उसने फिर अर्ज़ किया, मुझमें इसकी भी ताक़त नहीं है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उसने कहा, मुझमें इसकी भी ताक़त नहीं है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा बैठ जाओ। वो बैठ गया। इतने में एक बोरी खजूर भरी हुई आई। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, इसको ले जाओ और सदक़ा कर दो। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मदीना में मेरे घरवालों से ज़्यादा इन खजूरों का हाजतमन्द और कोई शख़्स न होगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा जाओ, अपने घरवालों को ही खिला दो। **(बुख़ारी-6709, मुस्लिम-1111)**

1672. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) भी इसी मज़्मून को बयान करते हैं (लेकिन इसमें इतना ज़्यादा मज़्कूर है कि) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इस रोज़े की बजाय एक रोज़ा और रख लेना। **(अबू दाऊद-2396, तिर्मिज़ी-723)**

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम ने फ़र्माया, जिसने बग़ैर उज़्र के रमज़ान का एक रोज़ा भी छोड़ दिया। अगर वो पूरे साल रोज़े रखे तब भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता।

भूलकर रोज़ा तोड़ देने का बयान

1673. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रोज़े की हालत में भूल से खा ले तो उसको (शाम तक अपना रोज़ा) पूरा करना चाहिये, क्योंकि ये अल्लाह की मेहरबानी थी उसको खिला-पिला दिया गया। **(बुख़ारी-6669, मुस्लिम-1155)**

1674. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक दिन बादल था (हमने गुरूबे आफ़ताब) के ख़्याल से रोज़ा इफ़्तार कर लिया। इतने में सूरज निकल आया। मैंने हिशाम से कहा कि इस रोज़े की क़ज़ा का हुक्म होगा? उन्होंने कहा, ये माफ़ है। **(बुख़ारी-1959)**

रोज़े की हालत में क़ै (उल्टी) करने का बयान

1675. हज़रत फ़ज़ाला इब्ने अबी उबैद अन्सारी का बयान है कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये। ये दिन आपके रोज़ा रखने का था, आपने पानी मंगाकर नोश फ़र्माया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज के दिन

तो आपका रोज़ा हुआ करता था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! लेकिन आज मुझको कै (उल्टी) हो गई। (इस वजह से रोज़ा टूट गया) **(मुस्नद अहमद)**

1676. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसको बेइख़्तियार कै (उल्टी) आ जाये, उस पर क़ज़ा नहीं है और ख़ुद ज़बरदस्ती कै करे तो उस पर क़ज़ा लाज़िम आती है। **(अबू दाऊद-2380)**

रोज़ेदार को मिस्वाक करना और सुरमा लगाना चाहिये

1677. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़ेदार के बेहतरीन कामों में मिस्वाक करना है।

1678. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने रोज़े की हालत में सुरमा लगाया है।

रोज़े की हालत में पछना इस्तेमाल करने का बयान

1679. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पछने लगाने वाला और पछने लगवाने वाला दोनों इफ़्तार कर लें। (यानी दोनों का रोज़ा जाता रहता है)

1680. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पछने लगाने वाला और पछने लगवाने वाला दोनों इफ़्तार कर लें। **(अबू दाऊद-2367)**

1681. हज़रत अबू कलाया से रिवायत है कि एक दिन शद्दाद इब्ने औस (रज़ि.), नबी करीम (ﷺ) के साथ बक़ीअ क़ब्रिस्तान जा रहे थे, आप (ﷺ) ने एक शख़्स को देखा कि रोज़े की हालत में पछने लगवा रहा है और ये महीने की बारह तारीख़ थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको देखकर फ़र्माया, पछने लगवाने वाला और लगाने वाला दोनों रोज़ा इफ़्तार कर लें। (उन दोनों का रोज़ा नहीं रहा) **(अबू दाऊद-2368)**

1682. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने रोज़े की हालत में पछने लगवाये हैं। **(अबू दाऊद-2373)**

रोज़ेदार के बोसा लेने की कैफ़ियत का बयान

1683. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) रमज़ानुल मुबारक में बोसा ले लिया करते थे। **(मुस्लिम-1106)**

1684. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल रमज़ानुल मुबारक के महीने में बोसा लिया करते थे (लेकिन) हुज़ूर (ﷺ) के मुकाबले में अपनी हाजत पर ज़ब्त करने वाला तुम में से कोई नहीं है। **(मुस्लिम-1106)**

1685. हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) रोज़े की हालत में बोसा लिया करते थे। **(मुस्लिम-1107)**

1686. हज़रत मैमूना (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया, अगर कोई शख़्स बोसा ले ले और (शौहर-बीवी दोनों) रोज़ेदार हों तो (इसका क्या हुक्म है) फ़र्माया, दोनों का रोज़ा जाता रहेगा।

रोज़ेदार की मुबाशरत का बयान

1687. हज़रत इब्राहीम का बयान है कि (एक मर्तबा) हज़रत अस्वद (रज़ि.) और मस्रूक (रज़ि.), हज़रत आइशा (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, रसूलल्लाह (ﷺ) रोज़े की हालत में इख़्तिलात फ़र्माया करते थे? आपने फ़र्माया, हाँ! (लेकिन) आप (ﷺ) अपने नफ़्स पर तुम लोगों से ज़्यादा कादिर और मालिक थे। **(मुस्लिम-1106)**

1688. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, बूढ़े रोज़ेदार को इख़्तिलात की इजाज़त है लेकिन जवान शख़्स को (जो अपने नफ़्स पर काबू न रख सकता हो) इख़्तिलात की इजाज़त नहीं है।

रोज़ेदार को ग़ीबत और सुहबत से परहेज़ करना चाहिये

1689. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जिमाअ और जहालत की बातें करना न छोड़े तो अल्लाह तआला को इसकी ज़रूरत नहीं कि वो (ख़्वाह मख़्वाह) अपना खाना-पीना छोड़े। (ऐसे रोज़े से कोई नतीजा नहीं) (बुख़ारी की हदीस में जिमाअ और जहालत के बजाय, झूठ बोलना और बुरे काम करने के अल्फ़ाज़ हैं) **(बुख़ारी-1903)**

1690. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत से रोज़ेदार ऐसे होते हैं, जिनको भूखे रहने के सिवाय कुछ नतीजा हासिल नहीं होता और बहुत से रात को नमाज़ पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि सिवाय जागने के उनको कोई नतीजा नहीं मिलता है।

1691. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया है, जब रोज़े का दिन हो तो बेहूदागोई और जहालत को छोड़ दो। अगर कोई शख़्स जहालत से भी पेश आये तो उससे कहो कि (भाई) मेरा रोज़ा है। **(मुस्नद अहमद)**

सहरी का बयान

1692. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। **(बुख़ारी-1923, मुस्लिम-1095)**

1693. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, सहरी खाया करो, रोज़े की मदद करो और दिन में कैलूला करके क़यामुल लैल के लिये तैयार हो जाओ।

सहरी में ताख़ीर करने का बयान

1694. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, ज़ैद इब्ने साबित (रज़ि.) ने बयान किया है कि हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ सहरी खाई और उसके कुछ अर्से बाद फ़ज्र की नमाज़ के लिये खड़े हो गये। मैंने ज़ैद से कहा कि (सहरी और नमाज़ में) कितने वक़्त का फ़र्क होगा? कहने लगे, पचास आयतों की तिलावत के अंदाज़े के बराबर। **(बुख़ारी-1921, मुस्लिम-1097)**

1695. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के साथ सहरी खाई। लेकिन वो ऐसा वक़्त था कि दिन मालूम होता था, सिर्फ़ इतनी बात थी कि सूरज नहीं तुलूअ हुआ था।

1696. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बिलाल (रज़ि.) की अज़ान से तुम धोखा मत खाया करो क्योंकि उनकी अज़ान इसलिये होती है कि सोने वाले ग़फ़लत में न रहें। बेदार हो जायें और नमाज़ पढ़ने वाले नमाज़ के लिये तेज़ी से काम लें। वो फ़ज्र का वक़्त नहीं होता जबकि (सफ़ेदी आसमान के एक किनारे में नमूदार होती है) बल्कि फ़ज्र का वो वक़्त होता है कि जब (सफ़ेदी इस तरह हो कि आसमान में चारों तरफ़ फैल जाये)। **(बुख़ारी-621, मुस्लिम-1093)**

रोज़ा इफ़्तार में जल्दी करना चाहिये

1697. हज़रत सहल इब्ने सअ़द (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक लोग इफ़्तार जल्दी करते रहेंगे, उस वक़्त तक उनमें ख़ैरियत रहेगी। **(बुख़ारी-1957, मुस्लिम-1098)**

1698. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक लोग इफ़्तार में जल्दी से काम लेते रहेंगे उस वक़्त तक खैरियत रहेगी। तुमको चाहिये कि इफ़्तार में ताख़ीर न किया करो। क्योंकि यहूद ताख़ीर से इफ़्तार करते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

कौनसी चीज़ से इफ़्तार करना मुनासिब है

1699. हज़रत सलमान इब्ने आ़मिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़ा खजूरों से इफ़्तार करना अफ़ज़ल है। अगर किसी को खजूर मयस्सर न हो तो पानी से इफ़्तार करे। क्योंकि पानी निहायत पाकीज़ा चीज़ है। **(अबू दाऊद-2355)**

रोज़े की निय्यत रात ही से करनी चाहिये

1700. हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रात से रोज़े की निय्यत नहीं करेगा, उस का रोज़ा नही होगा। **(अबू दाऊद-2454)**

1701. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाते और फ़र्माते, क्या तुम लोगों के पास कोई (ख़ाने की चीज़ है) हम कहते कुछ नहीं। आप (ﷺ) फ़र्माते कि अच्छा तो कल हमारा रोज़ा होगा। उस के बाद अगर कभी कोई चीज़ हमारे पास तोहफ़े में आ जाती तो आप (ﷺ) रोज़ा तोड़ देते और कभी ऐसा होता कि रोज़ा पूरा कर लेते। शाम को बाकायदा इफ़्तार कर लेते। मैं हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया करती, ये क्या मामला है? आप (ﷺ) फ़र्माया करते, ये ऐसा है जैसे कोई सदक़ा करे और कुछ देऔर कुछ हिस्सा रख ले। **(नसाई-2325)**

इंसान को रात को एहतलाम हो और सुबह रोज़ा रखे तो क्या हुक्म है

1702. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह की क़सम! मैं नहीं कहता हूँ कि जनाबत की हालत में सुबह होगी तो रोज़ा नहीं होगा। बल्कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है। **(मुस्नद अहमद)**

1703. हज़रत आ़इशा (रज़ि.) कहती हैं, मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ हालते जनाबत में रात गुज़ारा करती और जब सुबह के वक़्त हज़रत बिलाल (रज़ि.) आपको नमाज़ के लिये बुलाने आते तो आप ग़ुस्ल फ़र्माकर नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते और मैं देखती कि आपके सरे मुबारक से पानी टपकता जाता और उसके बाद आपकी आवाज़ मुझको

(मस्जिद से) सुनाई देती। हज़रत मतरूफ़ कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, ये रमज़ान का वाक़िआ है या ग़ैर रमज़ान का? (हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा कि) रमज़ान और ग़ैर रमज़ान सब एक जैसे हैं। **(मुस्नद अहमद)**

1704. हज़रत नाफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि अगर आदमी रात में नापाक हो जाये और सुबह रोज़ा हो तो (उसको क्या करना चाहिये)। फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) जनाबत की हालत में सुबह तक रहते और आपकी ये जनाबत एहतलाम की वजह से नहीं होती बल्कि जिमाअ की वजह से होती। (और सुबह उठकर गुस्ल फ़र्माते) और अपना रोज़ा पूरा करते। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-642)**

हमेशा रोज़ा रखने का बयान

1705. हज़रत मतरूफ़ इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने शिख़्ख़ीर (रज़ि.) रिवायत करते हैं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हमेशा रोज़ा रखे, न उसका रोज़ा न उसकी इफ़्तार। **(नसाई-2383)**

1706. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने हमेशा रोज़ा रखा, उसने रोज़ा ही नहीं रखा। **(बुख़ारी-1979, मुस्लिम-1159)**

हर महीने तीन रोज़े रखने का बयान

1707. हज़रत अब्दुल मलिक इब्ने मिन्हाल (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अय्यामे बीज़ के रोज़ों की तफ़्सील की, ये रोज़े 13, 14 व 15 तारीख़ के रोज़े होते हैं। फिर फ़र्माया कि ये रोज़े रखना (ऐसा है) जैसे पूरे ज़माने के रोज़े रखना। **(अबू दाऊद-2449)**

1708. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हर महीने में तीन रोज़े रखेगा वो साइमुद्दहर (हमेशा रोज़े रखने वाला) ख़्याल किया जायेगा। इसकी तस्दीक़ अल्लाह तआला ने अपनी किताब में फ़र्माई है, **मन ज़ाअ बिल्हसनति फ़लहू अश्रु अम्सालिहा.** (जो शख़्स नेकी लेकर हाज़िर हुआ, उसके लिये उसका दस गुना (सवाब) है-सूरह अन्आम : 160)। लिहाज़ा एक दिन का रोज़ा दस दिन के बराबर होगा। **(तिर्मिज़ी-762)**

1709. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) हर महीने में तीन रोज़े रखा करते थे। (हज़रत मुआज़ह ये कहती हैं) मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि वो कौनसे रोज़े हैं? फ़र्माया, मुझे इससे ग़र्ज़ नहीं कि कौन से हैं (कौन से नहीं)। **(मुस्लिम-1160)**

हुज़ूर (ﷺ) के रोज़े रखने का बयान

1710. हज़रत अबी सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के रोज़ों की कैफ़ियत बयान फ़र्मायें। आप फ़र्माने लगीं, कि (कभी) हुज़ूर (ﷺ) इतने रोज़े रखते कि हमें ख़्याल होता कि अब आप नहीं छोड़ेंगे। और (कभी) ऐसे छोड़ते कि हमको ख़्याल होता कि कभी नहीं रखेंगे। लेकिन मैंने शअबान में जितने रोज़े आपको रखते देखे, उतने किसी महीने में नहीं देखे। कभी तो आप पूरे शअबान के रखते और कभी कुछ कमी के साथ। **(मुस्लिम-1156)**

1711. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) कभी इतने रोज़े रखते कि हम ख़्याल करते कि

अब आप नहीं छोड़ेंगे और कभी इतने अर्से तक छोड़ते कि हमको ख़याल होता कि अब आप बिल्कुल रोज़े नहीं रखेंगे। लेकिन पूरे महीने के रोज़े आप (ﷺ) ने सिवाय रमज़ान के कभी नहीं रखे। जबसे आप (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये।

(बुख़ारी-1971, मुस्लिम-1157)

हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े रखने का बयान

1712. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते थे। रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे बेहतर रोज़ा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का है। वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बग़ैर रोज़े के रहते थे और सब नमाज़ों से बेहतर नमाज़ अल्लाह तआला के नज़दीक दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज़ है। वो आधी रात सोया करते और तिहाई रात नमाज़ अदा किया करते थे और फिर छठे हिस्से में नमाज़ अदा फ़र्माया करते।

(बुख़ारी-1131, 3240, मुस्लिम-1160)

1713. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, (एक दिन) हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो रोज़ा कैसा है कि दो दिन रोज़ा रखे और एक दिन न रखे? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या किसी शख़्स में इतनी ताक़त भी है? हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ये कैसा है कि एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन इफ़्तार करे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, ये कैसा है कि दो दिन इफ़्तार करे और एक दिन रोज़ा रखे? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसकी ताक़त मुझमें है। **(मुस्लिम-1162)**

हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रोज़ों का बयान

1714. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नूह अलैहिस्सलाम ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के अलावा हमेशा रोज़ा रखा करते थे।

शव्वाल के छः रोज़ों का बयान

1715. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रमज़ान के बाद शव्वाल के छः रोज़े रखेगा, गोया हमेशा रोज़े रखने वाला होगा। जो शख़्स एक नेकी करता है, उसको दस गुना सवाब अता किया जाता है।

(मुस्नद अहमद)

1716. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रमज़ान के बाद शव्वाल के रोज़े रखेगा वो हमेशा रोज़े रखने वाला शुमार किया जायेगा। **(मुस्लिम-1164)**

अल्लाह के लिये एक दिन का रोज़ा रखना

1717. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के लिये एक रोज़ा रखेगा अल्लाह तआला उसको उस दिन से लेकर दोज़ख़ से सत्तर साल की राह पर दूर कर देगा।

(बुख़ारी-3840, मुस्लिम-1153)

1718. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के लिये एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह तआला उसकी ज़ात को दोज़ख़ से 70 साल की मुसाफ़त पर दूर करेगा।

अय्यामे तशरीक़ में रोज़ा रखने की मनाही

1719. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मिना के अय्याम (अय्यामे तशरीक, ईदुल अज़्हा, 11-12-13 तारीख़) खाने पीने के हैं।

1720. हज़रत बशरी इब्ने सहीम (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने अय्यामे तशरीक में ख़ुत्बा फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया कि जन्नत में वही शख़्स जो मुसलमान होगा और अय्यामे तशरीक खाने-पीने के दिन हैं। **(मुस्नद अहमद)**

ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखना मना है

1721. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़ा रखने से मना फ़र्माया। **(बुख़ारी-1995, मुस्लिम-827, 140)**

1722. हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) के साथ ईद की नमाज़ के लिये गया। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ पढ़ाई और फ़र्माया, नबी करीम (ﷺ) ने ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़्हा के दिन रोज़े रखने से मना फ़र्माया है। ईदुल फ़ित्र का दिन रोज़ा (के इख़्तिताम) पर इफ़्तार का दिन है और ईदुल अज़्हा क़ुर्बानी का गोश्त खाने का दिन है। **(बुख़ारी-1990, 5571, मुस्लिम-827, 1137)**

जुम्आ के दिन रोज़ा रखने का बयान

1723. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने (सिर्फ़) जुम्आ के दिन रोज़ा रखने से मना फ़र्माया। मगर (इस सूरत में) कि इसके एक दिन पहले रोज़ा रखे या एक दिन बाद में। **(बुख़ारी-1985, मुस्लिम-1144)**

1724. हज़रत मुहम्मद इब्ने उबादा इब्ने ज़ाफ़र (रज़ि.) का बयान है कि मैं कअबा का तवाफ़ कर रहा था, इसी हालत में जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, क्या हुज़ूर (ﷺ) ने जुम्आ के दिन रोज़ा रखने से मना फ़र्माया है? उन्होंने कहा, हाँ! इस बैतुल्लाह की क़सम! (मना फ़र्माया है)। **(बुख़ारी-1984, मुस्लिम-1143)**

1725. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) को जुम्आ के दिन इफ़्तार की हालत में बहुत कम देखा है। (यानी आपका जुम्आ के दिन अक्सर रोज़ा होता)। **(अबू दाऊद-2450)**

सनीचर के दिन रोज़ा रखने का बयान

1726. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बसीर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सनीचर के दिन रोज़ा न रखा करो। अलबत्ता फ़र्ज़ रोज़े के अय्याम में (मजबूरी है) अगर (तुमको खाने के लिये कुछ न मिले तो) अंगूर की लकड़ी या किसी दरख़्त की छाल ही चूस लिया करो। **(अबू दाऊद-2421, तिर्मिज़ी-744)**

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बसीर (रज़ि.) की हमशीरा से भी इसी मज़्मून की रिवायत है।

अशर-ए-ज़िल्हिज्ज के रोज़ों का बयान

1727. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उन अय्यामे अशरह में रोज़ों से

ज़्यादा अल्लाह तआ़ला को कोई अ़मल महबूब नहीं है। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जिहाद भी नहीं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिहाद भी नहीं, अलबत्ता वो मुजाहिद इसके सवाब को पहुँच सकता है जो अपने माल व नफ़्स के साथ जिहाद के लिये गया लेकिन वापस कुछ नहीं लाया। **(बुख़ारी-969)**

1728. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया के अय्याम में जितनी अय्यामे अ़शरह में इबादत अल्लाह तआ़ला को पसन्द है, उतनी किसी दिन की इबादत पसन्दीदा नहीं। एक दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर है, इसमें एक रात लैलतुल क़द्र की फ़ज़ीलत रखती है। **(तिर्मिज़ी-758)**

1729. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को (ईदुल अज़्हा) के दस अय्याम में कभी रोज़ा रखते नहीं देखा। **(मुस्लिम-1176)**

यौमे अ़रफ़ा का रोज़ा रखने का बयान

1730. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अ़रफ़ा के दिन के रोज़े से मुझको उम्मीद है कि अल्लाह एक साल गुजिश्ता और एक साल आइन्दा के गुनाह माफ़ कर देगा।

1731. अबू क़तादा इब्ने नोअ़मान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अ़रफ़ा का रोज़ा रखेगा, अल्लाह तआ़ला उसके एक साल अगले और एक साल पिछले के गुनाह माफ़ फ़र्मा देगा। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-8)**

1732. हज़रत इकरमा (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के मकान पर गया। उनसे अ़रफ़ात में अ़रफ़ा के रोज़े के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। आप कहने लगे, अ़रफ़ात में अ़रफ़ा का रोज़ा रखने से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-2440)**

यौमे आ़शूरा के रोज़े का बयान

1733. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) आ़शूरा के दिन खुद भी रोज़ा रखा करते और दूसरों को भी रोज़े का हुक्म फ़र्माया करते। **(बुख़ारी-2001)**

1734. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो उस रोज़ यहूद का रोज़ा था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये कैसा रोज़ा है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, इस दिन अल्लाह तआ़ला ने फ़िरऔ़न को ग़र्क़ करके मूसा अ़लैहिस्सलाम को नजात अ़ता फ़र्माई थी। मूसा अ़लैहिस्सलाम ने उसके शुक्राने में रोज़ा रखा था, ये वो रोज़ा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि हम तुमसे ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं कि मूसा अ़लैहिस्सलाम की मुवाफ़िक़त करके रोज़ा रखें। लिहाज़ा आप (ﷺ) ने रोज़ा रखा और दूसरों को भी रोज़े का हुक्म दिया। **(बुख़ारी-2004, मुस्लिम-1130)**

1735. हज़रत मुहम्मद इब्ने सफ़ी (रज़ि.) कहते हैं, हमसे आ़शूरा के दिन नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से किसी ने आज खाया है या नहीं? हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बाज़ लोगों ने खा लिया है और बाज़ लोगों ने कुछ नहीं खाया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो खा चुके हैं वो और जिन्होंने नहीं खाया, बक़िया दिन वैसे ही रहें। (यानी रोज़ा ख़याल करें) और मदीना के आसपास रहने वालों को भी इसकी इत्तिला करो। **(नसाई-2322, मुस्नद अहमद)**

1736. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मैं आइन्दा साल ज़िन्दा रहा तो इंशाअल्लाह नौ तारीख़ का भी रोज़ा रखूँगा। **(मुस्लिम-1134)**

1737. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने यौमे आशूरा के रोज़े का ज़िक्र किया गया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये रोज़ा अय्यामे जाहिलिय्यत में कुफ़्फ़ार रखा करते थे। तुम लोगों की ख़ुशी पर है कि चाहो तो रखो और चाहो तो न रखो। **(मुस्लिम-1126)**

1738. हज़रत क़तादा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, यौमे आशूरा के रोज़े से मुझको उम्मीद है कि अल्लाह तआला गुजिश्ता साल के गुनाह माफ़ कर दे।

सोमवार और जुमेरात के रोज़े का बयान

1739. हज़रत रबीआ इब्ने अलआज़ (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से नबी करीम (ﷺ) के रोज़ों के बारे में दरयाफ़्त किया। उन्होंने फ़र्माया, आप (ﷺ) सोमवार और जुमेरात के रोज़े का अक्सर इरादा फ़र्माया करते।

1740. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं। नबी करीम (ﷺ) सोमवार व जुमेरात का रोज़ा रखा करते। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप सोमवार और जुमेरात का रोज़ा रखा करते हैं (इसकी क्या फ़ज़ीलत है)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इन दिनों में अल्लाह तआला हर मुसलमान की बख़्शिश फ़र्माया करता है। अलबत्ता आपस में लड़ने वालों की मग़्फ़िरत उस वक़्त तक नहीं होती जब तक कि वो आपस में सुलह न कर लें। **(तिर्मिज़ी-747)**

हुर्मत वाले महीनों के रोज़ों का बयान

1741. हज़रत अबू मुजीबा अल बाहिली (रज़ि.) अपने चचा की रिवायत बयान करते हैं। मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं खाना एक वक़्त खाया करता हूँ। सुबह खाता हूँ तो शाम को नहीं खाता और शाम को खाता हूँ तो सुबह नहीं खाता। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी जान पर इतना ज़ुल्म क्यों करते हो? मैंने अर्ज़ किया, इसलिये कि मैं बहुत ताक़तवर हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान के अलावा एक रोज़ा (हर महीने का रख लिया करो)। मैंने अर्ज़ किया, मैं इससे भी ज़्यादा ताक़तवर हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तो रमज़ान के अलावा दो रोज़े (हर महीने के रख लिया करो)। मैंने अर्ज़ किया, मुझमें इससे भी ज़्यादा ताक़त मौजूद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, माहे रमज़ान के अलावा तीन रोज़े (हर महीने में) रखा करो और फिर हुर्मत वाले महीनों में रखा करो। **(अबू दाऊद-2428)**

1742. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! रमज़ान के बाद अल्लाह तआला के नज़दीक कौनसे रोज़े अफ़ज़ल हैं? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का महीना, जिसको तुम मुहर्रम कहते हो। **(मुस्लिम-1163)**

1743. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने रजब के रोज़ों से मना फ़र्माया है।

(तबरानी फ़िल्कबीर-10681)

1744. हज़रत मुहम्मद इब्ने इब्राहीम (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) हुर्मत वाले महीनों में रोज़े रखा करते थे। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, शव्वाल के रोज़े रखा करो। तबसे उन्होंने वफ़ात तक शव्वाल ही के रोज़े रखे और हुर्मत वाले महीनों के रोज़े छोड़ दिये।

रोज़ा जिस्म की ज़कात है

1745. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हर चीज़ की ज़कात हुआ करती है। (इसी

तरह जिस्म की ज़कात भी है) और वो रोज़ा है। हज़रत मुहरिज़ रावी अपनी हदीस में इतना ज़्यादा बयान करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़ा आधा सब्र है।

रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार कराने का सवाब

1746. **हज़रत ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुहनी (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ़्तार करायेगा, उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब अता किया जायेगा और रोज़ेदार के सवाब में बिल्कुल कमी नहीं होगी। **(तिर्मिज़ी-807)**

1747. **हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.)** कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर ने हज़रत मुआविया (रज़ि.) के यहाँ रोज़ा इफ़्तार किया और फ़र्माया कि तुम्हारे यहाँ रोज़ादारों ने आज रोज़ा इफ़्तार किया है, नेक लोगों ने तुम्हारा खाना खाया है, फ़रिश्ते तुम पर रहमत नाज़िल फ़र्माते हैं।

रोज़ेदार के सामने खाया जाये (और रोज़ेदार देखता रहे)

1748. **हज़रत उम्मे अम्मारा (रज़ि.)** कहती हैं (एक मर्तबा) रसूले मक़्बूल (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये। हमने आपके सामने खाना हाज़िर किया। उस वक़्त हाज़िरीन में से कुछ लोग रोज़ेदार भी थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़ेदार के सामने जब खाना खाया जाता है तो फ़रिश्ते उस (रोज़ेदार) पर रहमत भेजते हैं। **(तिर्मिज़ी-785, 786)**

1749. **हज़रत सुलेमान इब्ने बुरैदा (रज़ि.)** अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से फ़र्माया, आओ बिलाल! सुबह का खाना खा लो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा रोज़ा है। आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, हम लोग खाना खा रहे हैं और बिलाल का हिस्सा जन्नत में मौजूद है, बिलाल! तुमको मालूम है, जब रोज़ेदार के सामने खाना खाया जाता है तो उसकी तमाम हड्डियाँ तस्बीह पढ़ती हैं और फ़रिश्ते उसके लिये रहमत की दुआएँ करते हैं।

रोज़ेदार को खाने के लिये बुलाया जाये (तो उसको क्या करना चाहिये)

1750. **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से कोई शख़्स खाने के लिये बुलाया जाये और उसका रोज़ा हो कह दे कि मेरा रोज़ा है। **(मुस्लिम-1150)**

1751. **हज़रत जाबिर (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रोज़ेदार हो और उसको खाने के लिये बुलाया जाये तो चला जाये। फिर उसकी ख़ुशी है चाहे खाये या न खाये। **(मुस्लिम-1430)**

रोज़ेदार की दुआ वापस नहीं होती

1752. **हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्सों की दुआ रद्द नहीं होती। 01. इमामे आदिल की 02. रोज़ेदार की जब तक रोज़े की हालत में हो 03. मज़लूम की। अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसको बादल से ज़्यादा ऊँचा उठा लेगा। इस दुआ के लिये आसमानों के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं और अल्लाह तआला फ़र्माता है, मुझको मेरी इज़्ज़त की क़सम, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे ताख़ीर के साथ क्यों न क़ुबूल करूँ (मगर करूँगा ज़रूर)। **(तिर्मिज़ी-3598)**

1753. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) व इब्ने आस (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रोज़ेदार की आरज़ू इफ़्तार के वक़्त रद्द नहीं की जाती है। हज़रत इब्ने अबी मुलैयका (रज़ि.) कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) इफ़्तार के वक़्त ये दुआ फ़र्माया करते थे, ऐ अल्लाह! मैं तेरी रहमत के तुफ़ैल तेरी बख़्शिश का तलबगार हूँ, जिसने हर चीज़ को घेर रखा है।

ईदुल फ़ित्र के लिये जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिये

1754. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ईदुल फ़ित्र की नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते तो पहले कुछ खजूरें खा लिया करते। **(बुख़ारी-953)**

1755. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ईदुल फ़ित्र के दिन सुबह ही से (ईदगाह) तशरीफ़ नहीं ले जाते (जब तक) आप (ﷺ) के सहाबा सदक़ा-ए-फ़ित्र सुब[illegible] तो अदा नहीं फ़र्मा देते।

जिस पर रमज़ान के रोज़े क़ज़ा हों और उसका इन्तक़ाल हो जाये तो क्या करें

1756. हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) कहते हैं, मेरे वालिद ने बयान किया, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स पर किसी महीने के रोज़े हों और उसका इन्तेक़ाल हो जाये तो हर दिन के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-542)**

1757. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फ़र्माया, जो शख़्स इस हाल में फ़ौत हो जाये कि उसके ज़िम्मे माहे रमज़ान के रोज़े हों तो उसकी तरफ़ से हर दिन के रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया जाये। **(तिर्मिज़ी-718)**

जिस पर नज़्र के माने हुए रोज़े क़ज़ा हों और वो मर जाये तो क्या करना चाहिये

1758. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बहन पर लगातार दो महीने के रोज़े (क़ज़ा) थे, उनका इन्तेक़ाल हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तेरी बहन पर कर्ज़ होता तो तू उसको अदा करती या नहीं। उसने अर्ज़ किया, जी हुज़ूर! ज़रूर अदा करती। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस अल्लाह का हक़ ज़्यादा अदा करने का हक़दार है। **(बुख़ारी-1953)**

1759. हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि एक औरत हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा पर रोज़े (लाज़िम थे) लेकिन उनका इन्तेक़ाल हो गया। क्या मैं उनकी तरफ़ से रोज़े रख सकती हूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ क्या मुज़ायका है? **(मुस्लिम-1149)**

जो शख़्स रमज़ान में इस्लाम लाये उसका बयान

1760. हज़रत अतिया इब्ने सुफ़्यान बिन अब्दुल्लाह इब्ने रबीआ (रज़ि.) कहते हैं कि हमारे वफ़्द ने जो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ था, बनी सकीफ़ का क़िस्सा बयान किया कि ये लोग रमज़ान में हाज़िर हुए, उनके लिये मस्जिद में ख़ेमा लगाया गया। जब वो लोग इस्लाम लाये तो जितने रोज़े बाक़ी रह गये थे, वो उन लोगों ने पूरे किये। **(तबरानी फ़िल्कबीर-448)**

औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा नहीं रख सकती है

1761. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस औरत का शौहर मौजूद हो तो उसको रमज़ान के अलावा शौहर की बग़ैर इजाज़त रोज़ा नहीं रखना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-782)**

1762. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने औरत को शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा रखने से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-2459)**

अगर कोई शख़्स किसी के यहाँ ठहरा हो तो उसको उन लोगों की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा नहीं रखना चाहिये

1763. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स किसी के यहाँ ठहरे तो उसको उन लोगों की बग़ैर इजाज़त रोज़ा नहीं रखना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-789)**

खाने पर शुक्र करने वाला रोज़े पर सब्र करने वाले के बराबर है

1764. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया कि खाना खाकर शुक्र करने वाला रोज़ा रखकर सब्र करने वाले की तरह है। **(तिर्मिज़ी-2486)**

1765. हज़रत सिनान इब्ने सन्नह अस्लमी (रज़ि.) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सहाबी बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शुक्र के साथ खाने वाले को साबिर रोज़ेदार का सवाब अता किया जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

लैलतुलक़द्र का बयान

1766. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ बीच रमज़ान में ऐतिकाफ़ किया, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने (कशफ़ में) लैलतुलक़द्र देखी थी लेकिन अब याद नहीं रही। इसलिये तुम लोग रमज़ान के आख़िरी अश्रे में तलाश करो। उन तारीख़ों में तलाश करो जो ताक़ हो। **(बुख़ारी-2016)**

रमज़ान के आख़िरी अश्रे की फ़ज़ीलत

1767. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अश्रे में जितनी रियाज़त फ़र्माया करते, उतनी किसी और अश्रे में तक्लीफ़ न उठाते। **(मुस्लिम-1175)**

1768. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि जब रमज़ान का आख़िरी अश्रा आता तो हुज़ूर (ﷺ) पूरी रात बेदार रहते और तहबन्द मज़बूती के साथ बाँध लेते। अपने तमाम घरवालों को भी पूरी रात जगाया करते। **(बुख़ारी-2024)**

ऐतिकाफ़ का बयान

1769. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) हर साल दस दिन का ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते। लेकिन वफ़ात के साल बीस दिन ऐतिकाफ़ फ़र्माया और हर साल क़ुर्आन का एक मर्तबा दौरा हुआ करता लेकिन वफ़ात के साल दो मर्तबा हुआ। **(बुख़ारी-2044, 4998)**

1770. हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) हर साल दस दिन ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते, एक मर्तबा आप (ﷺ) को सफ़र में जाना पड़ा तो दूसरे साल बीस दिन का ऐतिकाफ़ फ़र्माया। **(अबू दाऊद-2463)**

ऐतकाफ़ में किस वक़्त बैठना चाहिये और ऐतकाफ़ की क़ज़ा है या नहीं?

1771. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) ऐतिकाफ़ का इरादा फ़र्माते तो सुबह की नमाज़ के बाद उस मक़ाम में दाख़िल होते जो आपके ऐतिकाफ़ के लिये तैयार किया जाता। (एक मर्तबा) हुज़ूर (ﷺ) ने आख़िरी अ़श्रे में ऐतिकाफ़ का इरादा फ़र्माया, आप (ﷺ) के लिये एक ख़ेमा तैयार कर दिया गया। ये देखकर हज़रत आइशा (रज़ि.) ने भी अपने लिये ऐतिकाफ़ के इंतेज़ाम का हुक्म फ़र्माया। आपके लिये भी एक ख़ेमा लगा दिया गया। फिर हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने भी अपने लिये हुक्म दिया, उनके लिये भी एक ख़ेमा तैयार कर दिया गया। हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने देखा तो उन्होंने भी अपना ख़ेमा खड़ा कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने यह देखा तो इर्शाद फ़र्माया कि क्या इससे बेहतरी की ख़्वाहिश की गई है। ऐसी देखादेखी से सवाब कुछ नहीं हो सकता। उन सब अज़्वाज ने उस वक़्त ऐतिकाफ़ नहीं किया बल्कि शव्वाल के अ़श्रे में उसकी बजाय ऐतिकाफ़ किया। **(बुख़ारी-2033, 2034)**

एक दिन-रात के ऐतकाफ़ का बयान

1772. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) पर ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का नज़्र किया हुआ एक दिन का ऐतिकाफ़ था। उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) से उसके मुताल्लिक़ दरयाफ़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको ऐतिकाफ़ करने की इजाज़त अ़ता फ़र्माई। **(बुख़ारी-2042, 2043, मुस्लिम-1656)**

मुअ़तकिफ़ मस्जिद में अपने लिये अलग मक़ाम मुक़र्रर करे

1773. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने बयान किया कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) रमज़ान के आख़िरी अ़श्रे में ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते थे। नाफ़ेअ़ (रज़ि.) कहते हैं, इसके बाद इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने मुझको वो मक़ाम मस्जिद में दिखलाया, जहाँ हुज़ूर (ﷺ) ऐतिकाफ़ फ़र्माया करते थे। **(बुख़ारी-2025)**

1774. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, जब रसूले अकरम (ﷺ) का ऐतिकाफ़ का इरादा होता तो हुज़ूर (ﷺ) के लिये सुतूने तौबा के क़रीब तख़्त बिछाकर उस पर आपका फ़र्श कर दिया जाता।

मस्जिद में आप (ﷺ) के लिये ख़ेमा क़ायम करने का बयान

1775. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक तुर्की क़ुबे में ऐतिकाफ़ फ़र्माया। उस क़ुबे में जो खिड़की रखी गई थी। उसको चटाई से बन्द कर दिया गया था। एक दिन हुज़ूर (ﷺ) ने उसको अलग फ़र्माकर चेहरा मुबारक बाहर निकालकर लोगों से गुफ़्तगू फ़र्माई। **(मुस्लिम-1167, 215)**

मुअ़तकिफ़ का मरीज़ की इयादत और जनाज़े में शिरकत का बयान

1776. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, अगर मैं किसी हाजत या मरीज़ की इयादत के लिये जाऊँ तो सिर्फ़ इतना ठहरूँ कि चलते-चलते उनसे दरयाफ़्त कर लूँ। हुज़ूर (ﷺ) मकान में सिर्फ़ क़ज़ा-ए-हाजत के लिये तशरीफ़

ले जाते ये ऐतिकाफ़ के वक़्त का बयान है। (बुख़ारी-2029, मुस्लिम-297)

1777. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुअतकिफ़ को मरीज़ की इयादत और जनाज़े की नमाज़ में शिरकत करनी चाहिये।

मुअतकिफ़ अपने सर को धो सकता है, बालों में कंघी कर सकता है

1778. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैं अपने हुज्रे में होती और अय्याम का ज़माना होता। हुज़ूर (ﷺ) मस्जिद में ऐतिकाफ़ फ़र्मा होते और सरे मुबारक मेरे क़रीब फ़र्मा देते, मैं उसको धोकर कंघी कर दिया करती।

मस्जिद में मुअतकिफ़ के घरवाले मुलाक़ात के लिये जा सकते हैं

1779. हज़रत सफ़िया बिन्ते हय्य (रज़ि.) का बयान है कि मैं हुज़ूर (ﷺ) की ज़ियारत के लिये हाज़िर हुई, हुज़ूर उस वक़्त रमज़ान के आख़िरी अश्रे में मुअतकिफ़ थे। मैं देर तक बैठकर हुज़ूर (ﷺ) से बातें करती रही यानी इशा तक। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) से रुख़्सत होकर वापस हुई। आप (ﷺ) मुझे रुख़्सत करने के लिये मस्जिद के दरवाज़े तक आये जो उम्मे सलमा के हुज्रे की तरफ़ था। उधर से दो शख़्स जा रहे थे, उन दोनों ने आप (ﷺ) को सलाम किया और आगे चलने लगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, देखो! देखो! ये सफ़िया बिन्ते हय्य (रज़ि.) है। उन्होंने अर्ज़ किया, सुब्हानल्लाह! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने ये क्या फ़र्माया? हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, बात ये है कि शैतान इंसान के जिस्म में ख़ून की तरह रवाँ है। मुझको ये ख़्याल हुआ कि शायद तुम्हारे दिल में कोई बुरा ख़्याल न डाल दे। (बुख़ारी-2035, मुस्लिम-2175)

इस्तिहाज़ा वाली औरत ऐतकाफ़ कर सकती है

1780. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) की किसी बीवी ने हुज़ूर (ﷺ) के साथ ऐतिकाफ़ किया और उस ज़माने में उनको गदला पानी आ रहा था। कभी लाल रंग का पानी आता था, कभी उनके लिये तश्त भी रख दिया जाता। (बुख़ारी-310)

ऐतिकाफ़ के सवाब का बयान

1781. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने मुअतकिफ़ के बारे में फ़र्माया कि ऐतिकाफ़ उसको गुनाहों से रोक देता है, उसके लिये नेकियाँ लिखी जाती है, जिस तरह और नेकी करने वाले के लिये लिखी जाती है।

जो शख़्स ईदैन की रात में नमाज़ पढ़े, उसके सवाब का बयान

1782. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ईदैन की रात में सवाब का ख़्याल करके नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह तआला जिस दिन तमाम जानदार मर जायेंगे उस दिन उसका दिल ज़िन्दा रखेगा, उसको नहीं मरने देगा।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

किताबुज़्ज़कात

ज़कात के अहकामो-मसाइल

1783. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को यमन की तरफ़ रवाना किया तो उनसे फ़र्माया, तुम अहले किताब के पास जब पहुँचो तो पहले उनको कलिम-ए-शहादत की तरफ़ बुलाना। अगर इसमें वो तुम्हारी इताअत इख़्तियार करे तो उनको ये तालीम देना कि अल्लाह तआला ने उन पर पाँच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ की है जो अपने मुक़र्ररह अवकात पर पढ़ी जाती है। (यानी फज्र, ज़ुहर, अस्र, मग़रिब और इशा) जब वो लोग इसको भी मान ले तो ये बतलाना कि अल्लाह तआला ने उनके मालों में से सदक़ा देना मुक़र्रर किया है कि मालदारों से लेकर फ़क़ीरों को अदा किया जाये। जब इसको तस्लीम कर ले तो तुम पर लाज़िम है कि उनके उम्दा माल से परहेज़ करो और मज़लूम की बद्-दुआ से बचो। क्योंकि मज़लूम की बद्-दुआ और अल्लाह तआला के दरम्यान कोई पर्दा हाइल नहीं होता। **(बुख़ारी-2448, मुस्लिम-19)**

ज़कात देने से मना करने का बयान

1784. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने माल की ज़कात अदा नहीं करेगा क़यामत के दिन वो माल उसके गले में साँप बनकर बतौरे तौक़ डाल दिया जायेगा। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने इसकी तस्दीक़ के लिये हम लोगों को ये आयत तिलावत फ़र्माकर सुनाई, **जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से कुछ दिया है, वो उसमें अपनी कंजूसी को बेहतर ख़याल न करें बल्कि वो उनके लिये इन्तिहाई बुरा है। अन्क़रीब क़यामत के दिन उन्हें उनकी कंजूसी की चीज़ के तौक़ डाले जायेंगे.** (सूरह आले इमरान : 180)। **(तिर्मिज़ी-3012)**

1785. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो बकरियों वाला, ऊँटों वाला या गायों वाला उनकी ज़कात अदा न करेगा, क़यामत के दिन ये चीज़ ज़्यादा मोटी ताज़ी होकर उसको अपने सींगो और खुरों से रौंदेगी। उनकी ये जमाअत ख़त्म हो जायेगी, दूसरी जमाअत रौंदना शुरू कर देगी। यहाँ तक कि लोगों का फ़ैसला कामिल तौर पर हो जायेगा। **(बुख़ारी-1460, 6638, मुस्लिम-990)**

1786. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन जिन ऊँटों की ज़कात न दी गई होगी वो अपने पाँवों से अपने मालिकों को रौंदेंगे और गायें अपने मालिकों को सींगों से मारेगी, पाँव से रौंदेगी और वो ख़जाना (जिसकी ज़कात न दी होगी) एक गंजे साँप की शक्ल में उसके सामने आयेगा, ये उसके सामने से भागेगा लेकिन वो फिर उसकी (दूसरी तरफ़ से उसके सामने आयेगा)। ये उधर से भी भागेगा तीसरी मर्तबा वो फिर उसके सामने आ जायेगा तो आदमी उससे कहेगा, तू क्यों मेरा पीछा कर रहा है? वो कहेगा मैं तेरा ख़ज़ाना हूँ। ये उसको हाथ से हटायेगा लेकिन ये उसको खा लेगा।

जिसकी ज़कात अदा कर दी गई, वो ख़ज़ाना मम्नूआ के हुक्म में नहीं है

1787. हज़रत ख़ालिद इब्ने असलम उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ जा रहा था। रास्ते में एक देहाती से मुलाक़ात हो गई। उसने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के सामने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **जो लोग सोना-चाँदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में उसको ख़र्च नहीं करते, उनको दर्दनाक अज़ाबों की ख़ुशख़बरी दे दीजिये.** (सूरह तौबा : 34)। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने उससे फ़र्माया, जिस शख़्स ने माल को जमा किया और उसकी ज़कात अदा नहीं की उसके लिये तबाही है। ये ज़कात के नाज़िल होने से पहले था। लेकिन जब आयते ज़कात नाज़िल हुई तो अल्लाह तआला ने ज़कात को माल के लिये पाकीज़गी बना दिया। उसके बाद हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर मेरे पास उहुद के बराबर सोना हो और मैं उसका शुमार भी कर सकता हूँ तो मुझे कुछ परवाह न होगी। मैं उसको पाक करके इससे अल्लाह की रज़ामन्दी का काम करूँगा।

(बुख़ारी-1404, 4661)

1788. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम अपने माल की ज़कात दे दो तो जो हक़ तुम पर था वो तुमने पूरा कर दिया। **(तिर्मिज़ी-618)**

1789. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना कि माल में से सिवा ज़कात के और कोई हक़ नहीं है। **(तिर्मिज़ी-659, 660)**

सोने-चाँदी की ज़कात का बयान

1790. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तुम पर से घोड़ों और गुलामों से ज़कात माफ़ कर दी है। तुम हर चालीस दिरहम की क़ीमत वाली चीज़ में से एक दिरहम अदा किया करो।

(अबू दाऊद-1574)

1791. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) और हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) बीस और बीस से ज़्यादा अशर्फ़ियों में आधा दीनार लिया करते और चालीस में एक दीनार लिया करते।

जिसको नया माल हासिल हो, उस पर ज़कात वाजिब है या नहीं?

1792. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, जिस माल पर एक साल पूरा न गुज़र जाये उसमें ज़कात नहीं है।

कौनसे माल में ज़कात वाजिब होती है

1793. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच वस्क़ से कम खजूरों में और पाँच औक़िया से कम चाँदी-सोने में और पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है। **(नसाई-2477)**

1794. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं और न पाँच वस्क़ खजूरों से कम में और न पाँच औक़िया सोने-चाँदी से कम में। **(मुस्नद अहमद)**

ज़कात वाजिब होने से पहले ज़कात अदा करने का बयान

1795. हज़रत अली बिन अबू तालिब (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने वाजिब होने से पहले जल्दी करते हुए ज़कात अदा करने की इजाज़त माँगी तो हुज़ूर (ﷺ) ने उन्हें इजाज़त दे दी।

1796. हज़रत अली इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि जब हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में कोई शख़्स अपने माल का सदक़ा लेकर हाज़िर होता तो हुज़ूर (ﷺ) उसके लिये दुआ-ए-रहमत फ़र्माया करते। एक मर्तबा मैं हुज़ूर (ﷺ) के सामने ज़कात लेकर हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने मेरे लिये यह दुआ फ़र्माई, ऐ अल्लाह! अबू औफ़ा के ख़ानदान पर रहमत नाज़िल फ़र्मा। **(बुख़ारी-1497, मुस्लिम-1078)**

1797. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोग ज़कात दो तो ये पढ़ा करो, **अल्लाहुम्मज्अल मग़नमवँ वला तज्अल्हा मग़रमा.** (ऐ अल्लाह! इसे फ़ायदे की चीज़ बना और बोझ न बनाना)।

ऊँटों की ज़कात का बयान

1798. हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) रिवायत करते हैं, मैंने वो मक्तूब पढ़ा जो हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी हयात में ज़कात के मुताल्लिक़ लिखवाया था। मैंने उसमें लिखा हुआ देखा कि पाँच ऊँटों में एक बकरी लाज़िम है, दस ऊँटों में दो बकरियाँ, पन्द्रह ऊँटों में तीन बकरियाँ, बीस में चार बकरियाँ, पच्चीस में एक साल की ऊँटनी। पैंतीस तक अगर किसी को एक साल की ऊँटनी न मयस्सर हो तो उसको दो साला बच्चा देना चाहिये। जब पैंतीस से ज़्यादा हो जाये तो पैंतालीस तक दो साला ऊँटनी देनी चाहिये। जब पैंतालीस से आगे बढ़े तो साठ तक एक हिक़्क़ा यानी तीन साल का बच्चा लाज़िम होगा। जब इकसठ हो तो पचहत्तर तक जवान बच्चा देना होगा यानी चार साला बच्चा। जब पचहत्तर से ज़्यादा हो जाये तो नब्बे तक दो दो साल की दो ऊँटनियाँ देनी होगी। जब इक्यानवे हो जाये तो एक सौ बीस तक दो हिक़्क़ा यानी तीन-तीन साल के दो बच्चे देने होंगे। जब इससे भी ज़्यादा हो जाये तो हर चालीस पर दो साला ऊँटनी और हर पचास पर हिक़्क़ा बढ़ता रहेगा। **(बैहक़ी)**

1799. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच से कम यानी चार ऊँटों में ज़कात नहीं है। जब पाँच हों तो नौ तक एक बकरी (लाज़िम होगी), जब दस हो जाये तो चौदह तक दो बकरियाँ होंगी। जब पन्द्रह हो तो उन्नीस तक तीन बकरियाँ होंगी। जब बीस हों तो चौबीस तक चार बकरियाँ होंगी। जब पच्चीस हो जाये तो पैंतीस तक एक साला ऊँटनी देनी होगी। अगर एक साला ऊँटनी नहीं हो तो दो साला मुज़क्कर बच्चा देना होगा। जब छत्तीस हो जाये तो पैंतालीस तक दो साला कामिल ऊँटनी देनी होगी। जब छियालिस हो जाये तो साठ तक हिक़्क़ा देना होगा और इकसठ से लेकर पचहत्तर तक जिज़्आ देना होगा और छहत्तर से नब्बे तक दो दो साल की दो ऊँटनियाँ देनी होगी। फिर

इक्यानवे से लेकर एक सौ बीस तक दो हिक़्के देने होंगे। फिर हर पचास पर हिक़्क़ा और हर चालीस पर दो साला ऊँटनी देनी होगी। (बुख़ारी)

जब सदक़ा देने वाला वजूबी सदक़ा से कम उम्र या ज़्यादा उम्र वाला जानवर दे तो क्या हुक्म है?

1800. हजरत अनस इब्ने मालिक (रज़ि .) का बयान है कि मुझको हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) सिद्दीक़ ने लिखा ये वो तहरीर है जिसमें हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उस ज़कात को बयान किया है जो अल्लाह तआला ने अपने रसूल के ज़रिये से मुसलमानों पर फ़र्ज़ की थी। जिसमें ऊँट और बकरियों के सदक़ा का ज़िक्र है। जिस शख़्स पर ऊँटों में जिज़्आ का सदक़ा वाजिब हो लेकिन उसके पास जिज़्आ मौजूद न हो बल्कि हिक़्क़ा हो तो उसकी बजाय एक हिक़्क़ा और दो बकरियाँ अगर मुम्किन हो तो लेना चाहिए। अगर बकरियाँ न दे सके तो बीस दिरहम दे दे और जिस पर ज़कात का हिक़्क़ा वाजिब हो और उसके पास हिक़्क़ा मौजूद न हो बल्कि बिन्ते लबून हो तो उसको बिन्ते लबून और दो बकरियाँ अगर मुम्किन हो तो दे दे, वरना बीस दिरहम दे दे। और जिस पर बिन्ते लबून वाजिब हो लेकिन उसके पास हिक़्क़ा हो तो सदक़ा लेने वाला हिक़्क़ा ले ले। और दो बकरियाँ या बीस दिरहम सदक़ा देने वाले को दे दे और जिसपर सदक़ा बिन्ते लबून का वाजिब हो लेकिन सदक़ा देने वाले के पास बिन्ते मख़ाज़ है तो बिन्ते मखाज़ लेना चाहिए और इसके बदले दो बकरियाँ या बीस दिरहम वापिस कर दे और जिस पर बिन्ते मख़ाज़ का सदक़ा वाजिब हो लेकिन उसके पास बिन्ते मख़ाज़ न हो बल्कि लबून हो तो सदक़ा लेने वाला बिन्ते लबून लेने और दो बकरियाँ या बीस दिरहम वापिस दे दे। और जिसके पास बिन्ते लबून जैसी होना चाहिए न हो बल्कि इब्ने लबून यानी मुज़क्कर बच्चा हो तो वही ले ले और उसमें किसी क़िस्म की ज़्यादती नहीं है। (बुख़ारी- 1405)

सदक़ा लेने वाला ऊँट का सदक़ा किस तरह ले?

1801. हज़रत सुवैद इब्ने ग़फ़्ला (रज़ि .) कहते हैं, हमारे पास हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की तरफ़ से ज़कात वसूल करने वाला शख़्स आया। मैंने तहरीर लेकर पढ़ी, उसमें लिखा था कि सदक़ा लेने की वजह से अलग-अलग माल इकट्ठा नहीं किया जाए (और सदक़ा देने के डर से जिस माल में सदक़ा वाजिब हो) उसको अलग-अलग न किया जाए (ताकि ज़कात न देना पड़े) उसके बाद एक शख़्स ज़कात में एक निहायत क़वी उम्दा ऊँट लेकर हाज़िर हुआ। उन्होंने वो क़ुबूल न किया और कहने लगे कि जब मैं ये ले लूँगा तो हुज़ूर (ﷺ) के सामने कौनसे आसमान और ज़मीन में रहकर (अपना) चेहरा ले जाऊँगा (क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) ने इस काम से मना फ़र्माया है) तब वो उससे कम दर्जे का ऊँट लेकर हाज़िर हुआ, वो उन्होंने ले लिया। (अबू दाऊद-1580)

1802. हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, सदक़ा वसूल करने वाला राज़ी होकर वापिस हो। (तब्रानी फ़िल्कबीर-2367)

गायों के सदक़े का बयान

1803. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) का बयान है, जब मुझको रसूल (ﷺ) ने यमन की तरफ़ रवाना किया तो इर्शाद फ़र्माया कि चालीस गायों में (कामिल दो साला बच्चा जो तीसरे साल में शुरू हो ज़कात में) लिया जाए और

तीस गायों में एक तबीआ (एक साला) बच्चा जो दूसरे साल में शुरू हुआ हो लेना चाहिए। **(अबू दाऊद-1578)**

1804. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तीस गायों में (एक साला बच्चा जो दूसरे साल में शुरू हो लिया जाए) और चालीस में दो साला (जो तीसरे साल मे शुरू हो लिया जाए)। **(तिर्मिज़ी-622)**

बकरियों की ज़कात का बयान

1805. हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने वालिद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, मैंने वो तहरीर पढ़ी जिसमें हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने वफ़ात से पहले ज़कात की फ़र्ज़ियत की तफ़्सील तहरीर फ़र्माई थी। मैंने उसमें लिखा देखा कि चालीस बकरियों से लेकर एक सौ बीस तक एक बकरी है और जब उससे एक बकरी ज़ाइद हो जाये तो दो सौ तक दो बकरियाँ हैं और जब उस पर एक भी ज़ाइद हो तो तीन बकरियाँ हैं। उसके बाद हर सैकड़ा पर एक बकरी लाज़िम होगी। उसमें मैंने ये भी तहरीर पाया कि मुतफ़र्रिक माल में (सदक़ा देने की वजह से) इज्तिमाअ नहीं किया जाए और मुज्तमअ माल को मुतफर्रिक न किया जाए (ताकि ज़कात न वाजिब हो) उसमें ये भी तहरीर था कि ज़कात में बकरा और बूढ़ी और ऐबदार बकरी न ली जाए।

1806. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमानों (के मवेशियों का सदक़ा) उस मुक़ाम पर लिया जाए जहाँ इकट्ठे होकर मवेशी चरते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

1807. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, चालीस बकरियों से लेकर एक सौ बीस तक एक बकरी लाज़िम है। जब इससे एक बकरी ज़ाइद हो तो दो सौ तक दो बकरियाँ हैं और जब इससे भी ज़ाइद हो तो तीन बकरियाँ और जब इससे भी ज़ाइद हों तो हर सैकड़ा पर एक बकरी होगी और सदक़ा, न मिलने के डर से मुतफ़र्रिक बकरियों को जमा न किया जाए और न मुज्तमअ को मुतफ़र्रिक किया जाए (ताकि ज़कात न देनी पड़े) और दो शरीकों मे से हर एक बिल्कुल बराबर तक़्सीम करेंगे और सदक़ा लेने वाले को बूढ़ी या ऐबदार बकरी या बकरा न देना चाहिए। अल्बत्ता अगर सदक़ा लेने वाले को ज़रूरत हो तो (कोई हर्ज नहीं)।

आमिलीने-सदक़ा पर कौनसे उमूर की रिआयत वाजिब है

1808. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, सदक़ा में ज़ुल्म करने वाला ऐसा है जैसे सदक़ा को रोकने वाला। **(अबू दाऊद-1585, तिर्मिज़ी-646)**

1809. हज़रत राफ़ेअ बिन खदीज (रज़ि.) कहते हैं नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, अमानतदारी के साथ सदक़ा वसूल करने वाला जब तक ज़कात की वसूलयाबी में रहता है। ऐसा है जैसे अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाला। **(अबू दाऊद-2936, तिर्मिज़ी-645)**

1810. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उनैस (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन मैं और हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) ज़कात का तज़्किरा करने लगे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्या तुमने हुज़ूर (ﷺ) से ये नहीं सुना है कि जो शख़्स सदक़ा में खयानत करेगा अगर ऊँट लिया होगा तो क़यामत के रोज़ उसकी गर्दन पर बोलता हुआ सवार होगा। अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैंने सुना है। **(मुस्नद अहमद)**

1811. हज़रत इब्राहीम इब्ने अता (रज़ि.) हज़रत इमरान (रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम की रिवायत बयान करते

हैं कि हज़रत इमरान इब्नुल हुसैन को सदक़ा की वसूलयाबी पर रवाना किया गया और ये वापिस होकर आए तो उनसे कहा गया कि माल कहाँ है? उन्होंने फ़र्माया मुझको माल के लिये रवाना किया गया था मैंने जिन लोगों से लेना चाहिए था लिया और जहाँ देना चाहिए था दे दिया। **(अबू दाऊद-1625)**

घोड़े और ग़ुलामों के दरम्यान सदक़ा का बयान

1812. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान के घोड़े और ग़ुलाम में सदक़ा वाजिब नहीं। **(बुख़ारी-1463, मुस्लिम-982)**

1813. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैंने तुम्हारे घोड़ों और ग़ुलामों का सदक़ा माफ़ कर दिया है।

कौन-कौनसे मालों में सदक़ा वाजिब है

1814. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझको यमन की तरफ़ रवाना किया तो फ़र्माया, ग़ल्ला की क़िस्म में ज़कात में से दाने लिए जाएँ और बकरियों की ज़कात में बकरी और ऊँटों की ज़कात में ऊँट और गायों की ज़कात में गायें। **(अबू दाऊद-1599)**

1815. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने पाँच चीज़ों में ज़कात मुक़र्रर फ़र्माई है, गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश और दूसरी क़िस्म का ग़ल्ला।

खेती और फलों की ज़कात का बयान

1816. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चीज़ें बारिश के पानी से पैदा हों या चश्मों के पानी से सैराब की जाएँ, उनमें ज़कात पैदावार का दसवाँ हिस्सा है, और जो चीज़ें आबपाशी के ज़रिये पैदा हों, उनमें पैदावार का बीसवाँ हिस्सा है। **(तिर्मिज़ी-639)**

1817. हज़रत सालिम अपने वालिद (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि जो चीज़ें बारिश या नहरों या चश्मों के पानी से उगे, उनमें उ़श्र (दसवाँ हिस्सा) है या जो चीज़ खुदरू हो वो भी ऐसी ही है और जो चीज़ आबपाशी के ज़रिये से पैदा हो उसमें बीसवाँ हिस्सा है। **(बुख़ारी-1483)**

1818. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझको यमन की तरफ़ रवाना किया और ये हुक्म दिया कि जो चीज़ बारिश के पानी से पैदा हों, उसकी जड़ें ज़मीन में रह गईं फिर पानी के क़ुर्ब से खुद पैदा हो गई हों, उ़श्र (दसवाँ हिस्सा) लेना और जिस ज़मीन को ड़ोलों के ज़रिये से पानी दिया जाता है उसकी पैदावार में से आधा उ़श्र, हज़रत यहया इब्ने आदम कहते हैं, अ़ज़ा वो ज़मीन है जिसमें बारिश के पानी से (पैदावार हुई हो) और अ़शरा वो ज़मीन है जिसमें बारिश पड़ी हो और उससे पैदावार हुई हो और बअ़ल वो पैदावार है कि जिसकी जड़ें ज़मीन में बाक़ी रह गई हों उससे पैदावार होती रहती हो। पानी देने की उसमें ज़रूरत पाँच साल तक न हो या छः साल तक न हो और सेल उस पानी को कहते हैं कि जो जंगलों में बहकर आता हो और ईल सैलाब से कम होता है। **(नसाई-2269)**

खजूरों और अंगूरों के अंदाज़ा करने का बयान

1819. हज़रत सईद इब्नुल मुसय्यब (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अत्ताब बिन असीद (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) लोगों के अंगूर और खजूरों का अंदाज़ा करने के लिये आदमियों को रवाना फ़र्माया करते।
(अबू दाऊद-1604, तिर्मिज़ी-644)

1820. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने खैबर फ़तह कर लिया तो अहले ख़ैबर के लिये ये शर्त कर दिया कि ज़मीन और सोना और चाँदी सब उनके हैं। अहले ख़ैबर ने अर्ज़ किया, चूँकि यहाँ की ज़मीन से हमको वाकफ़ियत है। अगर हमको इस शर्त पर दे दी जाए कि आधा फल आपके और आधा फल हमारे तो बेहतर होगा। तमाम काम हम ख़ुद करेंगे (रावी का ख्याल है) कि हुज़ूर (ﷺ) ने उनको इस तौर पर अता कर दिया था जब फल टूटने का ज़माना हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) इब्ने रवाहा को फलों का अंदाज़ा लगाने के लिये रवाना कर दिया करते। उसका नाम अहले मदीना खर्स रखते हैं। ये हज़रत उन लोगों को बतलाया करते कि इस दरख़्त में इतने हैं और इसमें इतने। लोग कहते, इब्ने रवाहा तुम हम पर ज़्यादती करते हो। इब्ने रवाहा कहा करते, मैं फलों का अंदाज़ा करता हूँ जो मैंने (तुम्हारे लिये) कहा है (अगर कम मालूम हो) वो मुझको दे दो और मेरा तुम ले लो। लोग कहते कि हाँ! यही इंसाफ़ है कि जिससे आसमान और ज़मीन क़ायम हैं जो आपने मुक़र्रर किया है हम उसी पर राज़ी हैं। **(अबू दाऊद-3410)**

सदक़ा में रद्दी माल देने की मुमानिअत

1821. हज़रत औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक दिन बाहर तशरीफ़ लाए किसी शख़्स ने खजूरों का खोशा लटका दिया था। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) के दस्ते मुबारक में छड़ी थी। आपने उसमें मार-मारकर खटखटाना शुरू किया और फ़र्माया, अगर इस सदक़ा का देने वाला चाहता तो इससे अच्छा दे सकता था। उसको क़यामत के दिन रद्दी मिलेगा।
(अबू दाऊद-1608)

1822. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) इस आयत, **वमिम्मा अख़रज्ना लकुम मिनल अर्ज़ि वला तयम्मुल ख़बीस मिन्हू तुन्फ़िक़ून** (और जो चीज़ें हमने तुम्हारे लिये ज़मीन से निकाली हैं, उनमें से (अल्लाह की राह में ख़र्च करो) और रद्दी चीज़ें ख़र्च करने का इरादा न करो-सूरह बक़रह : 267) की तफ़्सीर करते हुए बयान करते हैं कि ये आयत अंसार के हक़ में नाज़िल हुई है क्योंकि जब उनके दरख़्तों में खजूरें आतीं तो ये लोग गदर खजूरों के खौशे मस्जिदे नबवी के एक सतून से बज़रिये रस्सी के लटका दिया करते। फ़ुक़रा और मुहाजिरीन इनको उम्दा ख़्याल करके खाया करते क्योंकि वो ऊपर से उम्दा मालूम होतीं। उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई, और रद्दी चीज़ें ख़र्च करने का इरादा न करो। और तुम ख़ुद उन्हें नहीं लेते सिवाय इसके कि चश्मपोशी कर लो। यानी अगर वो खजूरें तुम्हें तोहफ़े के तौर पर दी जायें तो तुम भी उन्हें क़ुबूल नहीं करोगे सिवाय इसके कि देने वाले की शर्म से क़ुबूल कर लो। तुम्हें ये नाराज़ी महसूस होगी कि उसने तुम्हें (तोहफ़े में) वो चीज़ भेजी है जो तुम्हारे काम की नहीं। (इसलिये) तुम्हें मालूम होना चाहिये कि अल्लाह तआला तुम्हारे सदक़ात से बेनियाज़ है।

शहद की ज़कात का बयान

1823. हज़रत अबू सय्यारह मुत्ई (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ) (मेरी ज़मीन में) शहद का छत्ता है। आपने फ़र्माया, उसका दसवाँ हिस्सा अदा करो। उन्होंने अर्ज़ किया उसको मेरे लिये (बाद अदाये उश्र)

खास कर दीजिए। आपने मेरे लिये खास फ़र्मा दिया। **(तब्रानी फ़िल्कबीर, बैहक़ी)**

1824. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने शहद में उश्र लिया है। **(अबू दाऊद- 1602)**

सदक़-ए-फ़ितर का बयान

1825. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने एक साअ खजूर या एक साअ जौ सदक़-ए-फ़ितर की मिक़्दार मुक़र्रर की है। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने उसके बराबर दो मुद्द गैहूँ का अंदाज़ा किया है। **(बुख़ारी- 1507, मुस्लिम-984)**

1826. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने सदक़-ए-फ़ितर में एक साअ खजूरें मुक़र्रर की हैं। चाहे वो सदक़ा देने वाला गुलाम हो या आज़ाद हो या औरत हो। सबके लिये एक ही हुक्म है। **(बुख़ारी- 1504, मुस्लिम-984)**

1827. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने रोज़ेदार पर सदक़-ए-फ़ितर वाजिब किया है ताकि रोज़ों की हालतों में उसने जो कुछ बेहूदागोई या ग़ीबत वग़ैरह की हो उसका कफ़्फ़ारा हो जाए। अगर ये शख़्स नमाज़ से पहले सदक़ा अदा करेगा तो ये उसके लिये निहायत सवाब और ज़कात की तरह होगा। और अगर नमाज़ के बाद अदा करेगा तो और सदक़ों की तरह यह भी एक सदक़ा है। **(अबू दाऊद- 1609)**

1828. हज़रत कैस इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं , रसूलल्लाह (ﷺ) ने ज़कात के फ़र्ज़ होने से पहले हमको सदक़ा देने का हुक्म फ़र्माया था। लेकिन जब ज़कात की फ़र्ज़ियत हुई तो हुज़ूर (ﷺ) न उसके देने से मना फ़र्माया न उसका हुक्म दिया बल्कि उसके बारे में ख़ामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन हम लोग देते रहे। **(नसाई-2509)**

1829. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, जब तक रसूले मक़्बूल (ﷺ) हम लोगों में मौजूद थे, उस वक़्त तक हम सदक़-ए-फ़ितर में या तो एक साअ खाना दिया करते या एक साअ खजूर या एक साअ जौ, या एक साअ सत्तू या एक साअ किशमिश। अलगर्ज़ हमारा ये तरीक़ा हज़रत मुआविया (रज़ि.) के मदीना आने तक रहा। लेकिन जब हज़रत मुआविया (रज़ि.) मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने लोगों से बयान किया कि शामी गैहूँ के दो मुद्द एक साअ के बराबर होते हैं। उस रोज़ से लोगों ने गैहूँ देना शुरू कर दिये। अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं मैं जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में दिया करता था, अपनी ज़िंदगी तक वैसे ही देता चला आ रहा हूँ। **(बुख़ारी- 1505, मुस्लिम-985)**

1830. हज़रत अम्मार बिन सअद (रज़ि.) रसूले मक़्बूल (ﷺ) के मुअज़्ज़िन अपने वालिद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सदक़-ए-फ़ितर में खजूर का एक साअ मुक़र्रर फ़र्माया था।

उश्र और ख़िराज का बयान

1831. हज़रत अलाअ हज़रमी (रज़ि.) कहते हैं, मुझको रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बहरीन या मुकामे हिज्र की तरफ़ रवाना किया। मैं उस बाग़ में जिसमे दो भाई एक मुसलमान और एक मुश्रिक शरीक होते, मुसलमान से उश्र लेता और मुश्रिक से ख़िराज लेता। **(मुस्नद अहमद)**

साठ साअ का एक वस्क़ होता है

1832. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, साठ साअ का एक वस्क़ होता है। **(अबू दाऊद- 1559)**

1833. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया साठ साअ एक वस्क़ होता है।

रिश्तेदारों को सदक़े का माल देने का बयान

1834. हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) की बीवी कहती हैं कि मैंने रसूल (ﷺ) से पूछा कि क्या अगर मैं अपने शौहर और उन यतीमों को सदक़ा दूँ जो मेरे ज़ेरे परवरिश हैं (तो मुझको उसका कुछ सवाब मिलेगा) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसके लिये दो अज्र हैं, एक सदक़े का दूसरा क़राबत का। **(बुख़ारी- 1466, मुस्लिम- 1000)**

1835. उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, हमको रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सदक़ा करने का हुक्म दिया। हज़रत ज़ैनब अब्दुल्लाह (रज़ि.) की बीवी अर्ज करने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं अपने शौहर और उन यतीमों को जो मेरी परवरिश में हैं, सदक़ा दूँ तो क्या हर्ज है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (हाँ- हाँ करो) हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) दस्तकार थीं।

किसी से कुछ माँगना मकरूह है

1836. हज़रत हिशाम बिन उर्वा (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया कि आदमी का जंगल में जाकर रस्सी में लकड़ियों का बोझ बाँधकर लाना और उसको फ़रोख़्त करना, जिससे उसको (सवाल से इस्तिग़्ना हासिल हो) लोगों से सवाल करने से बेहतर है कि लोग उसको दें या मना कर दें। **(बुख़ारी-2070)**

1837. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मेरी एक बात क़ुबूल करेगा मैं उसके लिये जन्नत की ज़मानत देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, मैं क़ुबूल करूँगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों से सवाल न किया करो। उसके बाद से हज़रत सौबान (रज़ि.) की ये हालत थी कि अगर घोड़े पर सवार होते और हाथ का कोड़ा गिर जाता तो किसी से ये नहीं कहते कि मुझको उठा कर दो बल्कि खुद उतरकर उसको उठा लेते। **(नसाई-2591)**

जो शख़्स मालदार हो उसको सवाल नहीं करना चाहिये

1838. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने माल की ज़्यादती के लिये सवाल किया वो अपने पेट में दोज़ख के अंगारे भरता है। अब उसको इख़्तियार हासिल है चाहे उसको कम हासिल करे या ज़्यादा। **(मुस्लिम- 1041)**

1839. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदार को सवाल न करना चाहिए और न उस शख़्स को जो कमाई के क़ाबिल और हट्टा-कट्टा व तंदुरस्त हो। **(नसाई-2597)**

1840. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स मालदार होने के बावजूद सवाल करेगा। क़यामत के दिन उसके चेहरे पर ज़ख़्म होंगे (और उस सूरत से) उसको लाया जायेगा। किसी

ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसके पास कितना माल होना चाहिए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पचास दिरहम या उतनी क़ीमत का सोना। **(अबू दाऊद-1626, तिर्मिज़ी-650)**

सदक़ा किन लोगों के लिये हलाल है?

1841. हज़रत अबूसईद खुदरी (रज़ि.) का बयान है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच शख़्सों के अलावा किसी ग़नी के लिये सदक़ा जाइज़ नहीं। एक सदक़ा की वसूलयाबी करने वाला, दूसरा मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, तीसरा वो ग़नी जिसने सदक़े की चीज़ को अपने माल से खरीदा हो, चौथा कोई फ़कीर किसी ग़नी को तोहफ़े में पेश करे, पाँचवाँ कर्ज़दार। **(अबू दाऊद-1636)**

सदक़े की फ़ज़ीलत का बयान

1842. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला पाक चीज़ को क़ुबूल फ़र्माता है जब कोई पाक माल में से सदक़ा करता है तो रहमान उसको अपने दाहिने हाथ में लेता है और उसकी तर्बियत फ़र्माता है। हत्ता कि वो पहाड़ से बड़ा हो जाता है और उसको उसी तरह पालता रहता है जिस तरह तुममें से कोई शख़्स अपने बच्चे को या ऊँट के बच्चे को पालता है। **(मुस्लिम-1014)**

1843. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर शख़्स के साथ अल्लाह तआला कलाम फ़र्माएगा और बन्दा औरअल्लाह तआला के बीच मे कोई तर्जुमान नहीं होगा। बन्दा अपने सामने देखेगा तो आग नज़र आएगी। फिर अपनी दाहिनी जानिब देखेगा तो वही चीज़ नज़र आएगी जो उसने सामने देखी होगी। फिर अपनी जानिब देखेगा तो वही चीज़ नज़र आएगी जो सामने देखी होगी। जिस शख़्स को आग से महफ़ूज़ रहना मक़्सूद है, उसको चाहिए कि सदक़ा दे ख़्वाह खजूर का एक टुकड़ा ही हो।

1844. हज़रत सलमान इब्ने आमिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मिस्कीन को सदक़ा देना सदक़ा है और रिश्तेदारों को देने मे दो सदक़े हैं, एक सदक़ा दूसरे क़राबतदारी का।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुन्निकाह

निकाह के अहकामो-मसाइल

1845. हज़रत अलकमा इब्ने कैस (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) के साथ मिना में था। आपकी हज़रत उस्मान (रज़ि.) से अकेले में कुछ (बातें होने लगीं) मैं भी एक तरफ़ उनके साथ बैठ गया। हज़रत उस्मान (रज़ि.) कहने लगे, अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो मैं एक कुँवारी औरत के साथ तुम्हारी शादी कर दूँ ताकि उसके ज़रिये तुम्हारा दिल लगा रहे और पिछली तमाम तकलीफ़ें भूल जाओ। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने उसकी ज़रूरत अपने आप में नहीं देखी तो मुझको हाथ के इशारे से बुलाया। उस वक़्त आप ये कह रहे थे कि मेरा ये क़ौल नहीं है बल्कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जवानों! तुममें से जिस शख़्स को निकाह की कुव्वत हो, उसको निकाह करना चाहिए क्योंकि ये काम आँखों को नीचे करने वाला, शर्मगाह का मुहाफ़िज़ है और जिस शख़्स में इसकी ताक़त न हो तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। ये उसके लिये गोया ख़स्सी होना है (यानी रोज़ा शह्वत को दूर करने वाला है)। **(बुख़ारी-1905, मुस्लिम-1400)**

1846. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, निकाह मेरी सुन्नत है जो शख़्स मेरी सुन्नत पर अमल न करेगा वो मेरे तरीक़े पर नहीं। तुमको निकाह करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फ़ख़्र करूँगा। जिस शख़्स में ताक़त हो उसको निकाह करना चाहिए और जिसमें निकाह करने की ताक़त न हो उसको रोज़ा रखना चाहिए क्योंकि ये उसके लिये खस्सी होने की तरह है। (रोज़ा उसकी शह्वत को मार देगा)

1847. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मुहब्बत में इज़ाफ़े का ज़रिया निकाह से बढ़कर कोई नहीं। **(बैहक़ी)**

तर्के-निकाह की मुमानिअत

1848. हज़रत सअद (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने उस्मान इब्ने मज़ऊन (रज़ि.) के (सवाल) तर्के निकाह को रद्द फ़र्मा दिया था। अगर हुज़ूर (ﷺ) इसकी इजाज़त अता फ़र्मा देते तो हम खस्सी हो जाते।

(बुख़ारी-5073, मुस्लिम-1402)

1849. हज़रत समुरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने तर्के निकाह से मुमानिअत फ़र्माई है। ज़ैद इब्ने हज़्म (रज़ि.) ने अपनी रिवायत मे इतना ज़ाइद बयान किया है कि क़तादा (रज़ि.) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **और यक़ीनन हमने आपसे पहले रसूल भेजे और उनको बीवी बच्चों वाला बनाया।** (सूरह रअद : 38)।

(तिर्मिज़ी-1082)

औरत का हक़ मर्द पर (क्या है?)

1850. हज़रत हकीम इब्ने मुआविया (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) से बयान किया कि औरत का मर्द पर क्या हक़ है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो खुद पहने उसको भी पहनाए, जो खुद खाए उसको भी खिलाए अपने मकान के अलावा कहीं तन्हा न छोड़े। **(अबू दाऊद-2142)**

1851. हज़रत सुलेमान इब्ने अम्र इब्ने अहवस (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि वो हुज़ूर (ﷺ) के साथ हज्जतुल विदाअ में हाज़िर हुए थे। हुज़ूर (ﷺ) ने हम्दो सना के बाद वअज़ फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया कि तुमको औरतों के बारे ये नेक नसीहत सुनना चाहिए, औरतें तुम्हारे पास कैदियों की तरह हैं, सिवाए उसके (सुहबत के) और तुम्हारा उन पर कोई हक़ नहीं है। अल्बत्ता अगर कोई इंतिहाई ग़द्दारी और बेहयाई का काम कर ले तो तुम उसके पास जाना छोड़ दो या मारो। लेकिन ऐसा न कि जो तक्लीफ़देह हो। जब औरतें इताअत करें तो तुम उनसे कुछ न कहो (उन पर ज़्यादती न करो) तुम्हारा हक़ औरतों पर है और औरतों का हक़ तुम पर है। तुम्हारा हक़ औरतों पर ये है कि जिन लोगों से बात करने को बुरा समझते हो। तुम्हारी इजाज़त के बग़ैर उसे मकान में आने की इजाज़त न दें। खूब सुन लो उनका हक़ तुम पर ये है कि उनके खाने और लिबास में उनका ख्याल करो। **(तिर्मिज़ी-1163)**

शौहर का हक़ बीवी पर (क्या है?)

1852. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी को सज्दे का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्दा करें। अगर मर्द अपनी बीवी से कहे कि उस सुर्ख पहाड़ से स्याह पहाड़ तक और स्याह पहाड़ से सुर्ख पहाड़ तक दौड़ लगाए तो औरत पर उसकी तअमील ज़रूरी है। **(मुस्नद अहमद)**

1853. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) का बयान है, जब हज़रत मुआज़ (रज़ि.) शाम से वापिस आए तो उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को सज्दा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुआज़ (रज़ि.) ये क्या किया। हज़रत मुआज़ (रजि.) कहने लगे (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) शाम से वापिस आ रहा हूँ। मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि अपने सरदारों और हाकिमों और बहादुरों को सज्दा करते हैं तो मैंने अपने दिल में कहा आप इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। (ये सुनकर) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा हर्गिज़ मत करो। क्योंकि (अल्लाह तआला के सिवाए) अगर किसी दूसरे को सज्दा जाइज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्दा करे। उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है, जब तक औरत अपने शौहर की इताअत नहीं करेगी अपने रब की फ़र्मांबरदार नहीं हो सकती। अगर वो पालान पर हो और मर्द उससे ख़्वाहिश करे तो उसको मना न करे। **(बैहक़ी, मुस्नद अहमद)**

1854. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माया करते, जो औरत फ़ौत हो गई और उसका शौहर उससे राज़ी हो वो जन्नत में दाख़िल होगी। **(तिर्मिज़ी-1161)**

अफ़ज़ल औरत का बयान

1855. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया सामान का नाम है और दुनिया के सामानों में से अफ़ज़ल सालिहा औरत है। उसके सिवाए कोई चीज़ अफ़ज़ल नहीं। **(मुस्लिम-1469)**

1856. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, जब चाँदी-सोने की मुमानिअत में आयत नाज़िल हो चुकी (कि उनको जमा न किया जाए) तो हम लोगों ने कहा, फिर कौनसा माल जमा करें। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, देखो मैं अभी तुम लोगों के लिये मालूम करता हूँ। आप (फ़ौरन) अपने ऊँट पर सवार होकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में चले और रास्ते में आपको पा लिया। मैं भी उनके पीछे लगा हुआ था। हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम किस माल को जमा कर सकते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारा दिल शुक्रिया करने वाला हो, ज़ुबान ज़िक्र करने वाली हो, ईमानदार बीवी हो जिसकी वजह से आख़िरत के (कामों) में इमदाद मिले। **(तिर्मिज़ी-3094)**

1857. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, मोमिन अल्लाह के डर के बाद जो बेहतरी अपने लिये तलब करता है उन सबसे बेहतर वो नेक बीवी है कि जब उसको (किसी काम का हुक्म दे) फ़ौरन उसको बजा लाए, अगर उसको देखे तो ख़ुशी हासिल हो। अगर (उसके किसी काम पर क़सम खा ले कि ये काम करे) तो उसको उससे आज़ाद करा दे (कफ़्फ़ारा उसको न देना पड़े ऐसा काम करे) और शौहर अगर कहीं चला जाए तो उसकी ग़ैर मौजूदगी में अपनी ज़ात और माल की हिफ़ाज़त करे। **(हदीस नं. 228 में देखें)**

दीनदार औरत से निकाह का बयान

1858. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत से चार उमूर की वजह से निकाह किया जाता है, हसब व नसब की वजह से, ख़ूबसूरती की वजह से, दीनदारी की वजह से, लिहाज़ा भले आदमी हो तो दीनदार औरत की तलाश करो। **(बुख़ारी-5090, मुस्लिम-1466)**

1859. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों से माल की वजह से मत निकाह करो क्योंकि उनके माल बिल्कुल फ़ना होने वाली चीज़ है, बल्कि दीनदारी की वजह से निकाह करो जो औरत कि चपटी काली हो लेकिन दीनदार हो वो अफ़जल है (दीगर तमाम औरतों से)। **(बैहक़ी)**

कुँवारी औरतों का बयान

1860. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक औरत से निकाह कर लिया और वो औरत सय्यिबा यानी बेवा थी। और मेरे वालिद ने इंतिक़ाल के बाद कई लड़कियाँ छोड़ी थीं। जब हुज़ूर (ﷺ) से मेरी मुलाक़ात हुई तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जाबिर! क्या तुमने शादी कर ली? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, हुज़ूर (ﷺ)! आप (ﷺ) ने फ़र्माया कुँवारी औरत से या बेवा औरत से? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बेवा औरत से। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने कुँवारी से क्यूँ न की ताकि तुम उससे दिल्लगी करते और वो तुमसे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बहनें थीं, मुझको ये डर हुआ कि कहीं वो मेरे और उनके बीच मुदाख़लत न करे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तब तो अच्छा किया। **(मुस्लिम-715)**

1861. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने सालिम इब्ने उत्बा इब्ने उवैम इब्ने साअदा अंसारी अपने दादा की रिवायत

बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम पर लाज़िम है कि कुँवारी औरतों से निकाह किया करो क्योंकि वो शीरीं दहन, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली और थोड़े पर ख़ुश हो जाने वाली होती हैं। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-351)**

आज़ाद औरतों से निकाह करना

1862. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला से पाकीज़ा होकर मुलाक़ात करने की तमन्ना रखता है उसको चाहिए कि बांदियों से अक़्द न करे बल्कि आज़ाद औरतों से करे।

1863. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग निकाह किया करो, क्योंकि मुझको तुम्हारी कसरत मक़्सूद है। **(अबू दाऊद-2050)**

औरत को निकाह से पहले देखने का बयान

1864. हज़रत मुहम्मद बिन सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने एक औरत को निकाह का पैग़ाम भेजा और मैं उसके बाग़ में छुप जाया करता था कि उसको देख लूँ। किसी ने कहा, तुम रसूल के सहाबी होते हुए ये क्या हरकत कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि जिस औरत के साथ रिश्ता हो रहा हो, उसको देखना जाइज़ है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। **(मुस्नद अहमद)**

1865. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) ने निकाह करने का इरादा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस औरत को देख लो क्योंकि उससे शायद (अल्लाह तआला) तुम्हारे दिल में मुहब्बत पैदा कर दे। उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में अपनी मुवाफ़िक़त का इज़्हार किया। **(बैहक़ी)**

1866. हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) कहते हैं, मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और एक औरत से शादी करने का ज़िक्र किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस औरत को देख लो क्योंकि उससे तुम्हारे दिलों में तअल्लुक़ पैदा होगा। चुनाँचे मैं उस लड़की के वाल्दैन के पास इस बातचीत के लिये गया और उनसे हुज़ूर (ﷺ) का फ़र्मान कहा। लेकिन उन्होंने उस काम को कुछ अच्छा न ख़्याल किया। मुग़ीरह कहते हैं, उस लड़की को मैंने सुना कि अपने पर्दा में कह रही थी, अगर हुज़ूर (ﷺ) ने ऐसा फ़र्माया है तो क्या मुज़ायक़ा है? देख लें और अगर अपनी तरफ़ से ऐसा कहा है तो बहुत मकरूह बात है। अल्ग़र्ज़ मैंने उसको देख लिया और उसके बाद शादी कर ली। फिर मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अपनी मुवाफ़िक़त का ज़िक्र किया। (कि हम दोनों में अच्छे तौर पर मुवाफ़िक़त है) **(तिर्मिज़ी-1087)**

पैग़ाम पर पैग़ाम भेजना जाइज़ नहीं

1867. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने भाई की पैग़ाम पर पैग़ान नही भेजना चाहिए। **(बुख़ारी-2140, मुस्लिम-1413)**

1868. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने भाई के पैग़ाम पर बातचीत डालना जाइज़ नहीं है। **(मुस्लिम-1412)**

1869. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) का बयान है, नबी (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि जब तुम्हारी इद्दत पूरी हो जाए तो मुझको ख़बर देना जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मैंने उसकी ख़बर हुज़ूर (ﷺ) को की। (मेरे) पास तीन शख़्सों ने) पैग़ाम भेजा। मुआविया (रज़ि.) ने, अबुल जहम इब्ने सुख़ैर ने और उसामा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) ने। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुआविया (रज़ि.) तो एक फ़कीर आदमी हैं और अबू जहम औरतों को खूब मारता है लेकिन उसामा (बेहतरीन हैं) हज़रत फ़ातिमा कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने हाथ का इस तरह इशारा करते हुए फ़र्माया कि उसामा (रज़ि.) तो उसामा ही हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, तुमको अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए। ये तुम्हारे लिये बेहतर है (हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्माने की वजह से मैंने) उनसे निकाह कर लिया और (उनकी अच्छाई से) मुझ पर (लोग) हसद करने लगे। **(मुस्लिम-1413)**

कुँवारी और सय्यिबा औरत से शादी में इजाज़त लेना

1870. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि सय्यिबा (बेवा या तलाक़शुदा) लड़की (अपने निकाह में) मुख़्तार है, अपने सर परस्त से ज़्यादा अपने नफ़्स की मुस्तहिक़ है और कुँवारी लड़की से इजाज़त लेना चाहिए। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! कुँवारी लड़की तो शर्माती है, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसका चुप रहना ही उसकी रज़ामन्दी है। **(मुस्लिम-1421)**

1871. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं, अगर औरत सय्यिबा हो तो उसका निकाह भी बग़ैर उसकी इजाज़त न किया जाए और जो कुँवारी हो उसकी इजाज़त की भी ज़रूरत है, उसकी इजाज़त उसका सकूत है यानि खामोशी। **(मुस्लिम-1419)**

1872. हज़रत अदी इब्ने अदी कुन्दी (रजि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेवा या तलाक़शुदा औरत शादी के लिये खुद इज़हार करे और कुँवारी का चुप रहना (शादी की) इजाज़त होगी। **(मुस्नद अहमद)**

लड़की का जबरन निकाह करना

1873. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद (रज़ि.) और **मुज्मअ इब्ने ज़ैद अंसारी (रज़ि.)** बयान करते हैं कि ख़ुद्दाम नामी एक शख़्स ने अपनी लड़की की शादी (उसकी बग़ैर इजाज़त) कर दी। उस लड़की को अपने बाप का निकाह नापसन्द हुआ। इस वजह से ये रसूलल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके बाप का निकाह मन्सूख करा दिया। लिहाज़ा उसने अबू लुबाबा इब्ने मुंज़िर (रज़ि.) के साथ निकाह कर लिया। यहया (रज़ि.) कहते हैं, ये लड़की सय्यिबा थी। **(बुख़ारी-5139)**

1874. हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, एक जवान लड़की नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज करने लगी, मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से करा दिया है ताकि मेरे वसीले से अपना फ़क़र दूर करे। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको निकाह में इख़्तियार दिया कि (अगर वो चाहे तो फ़स्ख करा सकती है) उसने अर्ज़ किया (ख़ैर जो मेरे वालिद ने किया है) मैं उस पर राज़ी हूँ। लेकिन यहाँ हाज़िर होने से मेरा मक़सद ये है कि हुज़ूर (ﷺ) औरतों में उसका इज़्हार फ़र्मा दें कि लड़कियों के वाल्दैन को (शादी के) मामले में कोई हक़ नहीं है।

1875. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक कुँवारी लड़की रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर

होकर अ़र्ज़ करने लगी, मेरे वालिद ने मेरी शादी (अपनी मर्जी से कर दी है) और मुझको शादी मंज़ूर नहीं। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको इख़्तियार अ़ता फ़र्मा दिया। **(अबू दाऊद-2096)**

छोटी बच्चियों का निकाह का बयान

1876. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूर (ﷺ) से मेरा अ़क़्द हुआ है तो मैं उस वक़्त छः साल की थी। जब हम मदीना में आकर बनी हारिस इब्ने खज़रज में मुकीम हुए तो मुझको वहाँ बुख़ार आने लगा, जिसके असर से मेरे बाल गिरने लगे। यहाँ तक कि खोपड़ी साफ़ होने लगी। यकायक मेरी वालिदा मेरे पास तशरीफ़ लाईं। उस वक़्त मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। उन्होंने आवाज़ देकर मुझे बुला लिया। मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुई लेकिन मैं ये नहीं समझी कि आज उन्होंने मुझको क्यूँ इस तरह से बुलाया है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और लेकर मकान के दरवाज़े के क़रीब ला खड़ा किया। उस वक़्त तक्लीफ़ में मेरी सांस चढ़ी हुई थी। जब मेरी घबराहट कुछ दूर हुई तो उन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरा सर और चेहरा धुलाया। उसके बाद मुझको मकान में ले गईं। वहाँ बहुत सी अंसार की औ़रतें बैठी हुई थीं। वो मुझको देखकर कहने लगीं, अल्लाह बरकत दे, बेहतरी अता फ़र्माए और अच्छा नसीब हो। मेरी वालिदा ने मुझको उन औ़रतों के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने मेरा तमाम हाल दुरुस्त किया (यानी दुल्हन बनाया) मुझको उस वक़्त डर लगा। जिस वक़्त (हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाए) उन सबने मुझको हुज़ूर (ﷺ) के सुपुर्द कर दिया। उस वक़्त मेरी उ़म्र 9 साल की थी। **(बुख़ारी-3894, मुस्लिम-1422)**

1877. हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि जब रसूले करीम (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से अ़क़्द किया, उस वक़्त वो सात साल की थीं और जिस वक़्त शबे-ज़िफ़ाफ़ हुई तो उस वक़्त उनकी उ़म्र 9 साल की थी और हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र 18 साल की थी।

उन छोटी लड़कियों का बयान जिनकी शादी वाल्दैन के अलावा दूसरे लोग किसी रिश्तेदार से कर दें

1878. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, जब हज़रत उ़स्मान इब्ने मज़्ऊन (रज़ि.) का इंतिकाल हो गया तो उनके एक लड़की बाक़ी रही। इब्ने उ़मर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, उसका निकाह मेरे मामूँ क़ुदामा (रज़ि.) ने मेरे साथ करा दिया था। क़ुदामा(रज़ि.) उस लड़की के चचा थे और उस लड़की से उन्होंने मश्विरा नहीं लिया (ये उसके वालिद की वफ़ात के बाद का क़िस्सा है) अल्ग़र्ज़ ये निकाह उस लड़की को नापसन्द हुआ और उसकी ये ख़्वाहिश हुई कि उसका निकाह मुग़ीरह बिन शुअ़बा (रज़ि.) के साथ किया जाता। इसलिए उसका निकाह हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) से कर दिया गया।

वली की मौजूदगी के बग़ैर निकाह नहीं हो सकता

1879. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो औ़रत अपने वली की बग़ैर इजाज़त निकाह करेगी उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। पस अगर शौहर तसर्रुफ़ करे तो उसको उसका पूरा मह्र देना होगा और अगर आपस में झगड़ा हो और औ़रत का वली न हो तो उसका वली हाकिमे वक़्त है। **(अबू दाऊद-2083)**

1880. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, बग़ैर वली के निकाह नहीं होता और हज़रत

आइशा (रज़ि.) की हदीस में है कि जिसका वली नहीं है उसके लिये हाकिम वली है।

1881. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, बग़ैर वली के निकाह नहीं होता है।
(अबू दाऊद-3085)

1882. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, एक औरत दूसरी का निकाह न कराये न औरत ख़ुद अपना निकाह करे जो औरत ऐसा करेगी वो ज़ानिया होगी। **(बैहक़ी-1676)**

निकाहे-शिग़ार की मुमानिअत का बयान

1883. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने शिग़ार से मना फ़र्माया है और (निकाहे) शिग़ार (की ये सूरत है कि) एक शख़्स दूसरे से कहे कि अगर तुम अपनी लड़की या बहन का मेरे साथ निकाह कर दो तो मैं अपनी बहन या बेटी के साथ तुम्हारा निकाह कर दूँगा और मह्र वग़ैरह कुछ नहीं (बस यही बदला मह्र समझा जायेगा)।
(बुख़ारी-5112, मुस्लिम-1415)

1884. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने (निकाहे) शिग़ार से मना किया है।
(मुस्लिम-1416)

1885. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया (निकाहे) शिग़ार का (तरीक़ा) इस्लामी (तरीक़ा नहीं) है। **(मुस्नद अहमद)**

औरतों के मह्र का बयान

1886. हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा, रसूले मक़्बूल (ﷺ) की बीवियों का क्या मह्र हुआ करता। आपने फ़र्माया, बारह औक़िया और एक नश। तुमको मालूम है कि नश किसे कहते हैं? आधा औक़िया का एक नश होता है। सबकी कीमत पाँच सौ दिरहम होती है। **(मुस्लिम-1426)**

1887. हज़रत अबुल अज्फ़ाअ अस्लमी (रह.) का बयान है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया, औरतों के मह्र में ज़्यादती न करो क्योंकि अगर ये मह्र की ज़्यादती क़ाबिले फ़ख्र होती या अल्लाह के नज़दीक तक़्वा की बात होती तो सबसे ज़्यादा उसके मुस्तहिक़ रसूले करीम (ﷺ) थे। हुज़ूर (ﷺ) की किसी बीवी मुकर्रमा या किसी साहबज़ादी का मह्र बारह औक़िया से ज़ाइद न था। एक शख़्स ने अपनी बीवी का मह्र ज़ाइद मुक़र्रर कर लिया। उसकी ज़्यादती की वजह से (बजाए उल्फ़त व मुहब्बत के) उन दोनों में अदावत पैदा हो गई।
(अबू दाऊद-2106, तिर्मिज़ी-1114)

1888. हज़रत आमिर बिन रबीआ (रज़ि.) का बयान है कि मेरे वालिद ने बयान किया, बनी फ़ुरारह के एक शख़्स ने मह्र में सिर्फ़ जूतियों का एक जोड़ा दिया था। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको जाइज़ रखा था। **(तिर्मिज़ी-1113)**

1889. हज़रत सहल बिन सअद (रज़ि.) कहते हैं, एक औरत आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस औरत के साथ कौन निकाह करना चाहता है ? एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं करूँगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसका मह्र मुक़र्रर करो भले ही एक लोहे की अंगूठी हो। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मेरे पास कुछ भी नहीं है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो जो क़ुर्आन की सूरत तुमको आती है

उसके बदले में हम तुम्हारा निकाह करा देते हैं। **(बुख़ारी-5150, मुस्लिम-1425)**

1890. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से घर के सामान पर अक्द किया जिसकी पाँच दिरहम कीमत थी।

आदमी निकाह करे और उसका कोई मह्र मुक़र्रर न हो, उसी हालत में फ़ौत हो जाये तो क्या हुक्म है?

1891. हज़रत मसरूक (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) से किसी ने उस शख़्स के बारे में पूछा, जिसने बग़ैर मह्र मुक़र्रर किये निकाह किया और कुरबत करने से पहले इंतिकाल हो गया। आपने फ़र्माया, उस शख़्स पर मह्र वाजिब होगा और उस औरत के लिये मीरास होगी। उसको इद्दत पूरी करनी होगी (ये सुनकर) मअक़ल बिन सिनान अश्जई (रज़ि .) कहने लगे, मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में मौजूद था। हुज़ूर (ﷺ) ने बरदअ बिन्ते वाशिक के बारे में भी यही फ़ैसला किया था। **(अबू दाऊद-2114)**

निकाह के ख़ुत्बे का बयान

1892. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) को फ़साहते कामिला इनायत फ़र्माई गई थी। हुज़ूर (ﷺ) ने हमको एक नमाज़ का ख़ुत्बा तअलीम फ़र्माया था और एक हाजत का ख़ुत्बा। नमाज़ का ख़ुत्बा तो ये है, **अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैक अय्युहन्नबिय्यु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस्सालिहीन. अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु.** (तमाम आदाब व तस्लीमात अल्लाह ही के लिये हैं और तमाम नमाज़ें और पाकीज़ा आमाल भी उसी के लिये हैं। ऐ नबी! आप पर सलामती हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हों। हम पर भी सलामती हो और अल्लाह के नेक बन्दों पर भी। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं)। और ख़ुत्ब-ए-हाजत ये है, **अल्हम्दुलिल्लाहि नह्मदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़्फ़िरुहु व नऊज़ुबिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अअ्मालिना मय्यह्दिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मंय्युज़्लिल फ़ला हादिय लहु व अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु.** (तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मदद माँगते हैं, उससे बख़्शिश माँगते हैं, हम अपने नफ़्सों की शरारतों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं)। उसके बाद ख़ुत्बे के साथ कुर्आन की तीन आयतें भी पढ़ीं, **या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून.** (ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो, जैसे उससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत न आये मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो)। **या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम् मिन् नफ़्सिवँ वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिज़ालन कसीरवँ व निसाअ. वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिहि वल्अरहाम. इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा** (ऐ लोगों! अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा

करके बहुत सारे मर्द और औरतें फैला दिये। और उस अल्लाह से डरो जिसके नाम से तुम एक दूसरे से माँगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से बचो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है)। **या अय्युहल्लज़ीन आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन् सदीदह. युस्लिह लकुम् अअ़मालकुम् वयग़्फ़िर लकुम् ज़ुनूबकुम् व मंय्युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द् फ़ाज़ा फ़ौज़न् अज़ीमा.** (ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो और सीधी सच्ची बात कहो, वो (अल्लाह) तुम्हारे काम सँवार देगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअ़त करे तो यक़ीनन उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली)। **(अबू दाऊद-2118, तिर्मिज़ी-1105)**

1893. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं रसूलुल्लाह (ﷺ) ने निकाह के ख़ुत्बे में ये पढ़ा, **अल्हम्दुलिल्लाहि नह्मदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़्फ़िरुहु व नऊज़ुबिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फ़ुसिना व मिन सय्यिआति अअ़मालिना मय्यह्दिहिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मंय्युज़्लिल फ़ला हादिय लहु व अश्हदुअल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहु व रसूलहु.** (तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं, हम उसकी तारीफ़ करते हैं, उससे मदद माँगते हैं, उससे बख़्शिश माँगते हैं, हम अपने नफ़्सों की शरारतों और अपने आमाल की बुराइयों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे, उसे कोई गुमराह करने वाला नहीं और जिसे अल्लाह गुमराह रहने दे, उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के बन्दे व रसूल हैं)। **अम्मा बअ़द.** **(मुस्लिम-868)**

1894. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो नेक काम बिस्मिल्लाह से शुरू न किया जाये वो नाक़िस है। **(अबू दाऊद-484)**

निकाह के इज़्हार करने का बयान

1895. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, निकाह का ऐलान किया करो। **(बैहक़ी-760)**

1896. हज़रत मुहम्मद बिन हातिब का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि हलाल व हराम में, दफ़ और आवाज़ों में फ़र्क होता है। निकाह में ऐलान होना चाहिए। **(तिर्मिज़ी-1088)**

गाने और दफ़ बजाने का बयान

1897. हज़रत खालिद मदनी (रज़ि.) कहते हैं, हम मदीना में आशूरा के रोज़ मौजूद थे। लड़कियाँ दफ़ बजा-बजाकर गा रही थीं। हम रबीअ़ बिन्ते मुअ़व्वज़ (रज़ि.) के पास आए और ये वाक़िया बयान किया। उन्होंने कहा मेरे निकाह के रोज़ रसूले मक़्बूल (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। उस वक़्त मेरे पास कुछ लड़कियाँ बैठी हुई गा रही थीं और बद्र के मक़्तूलों का ज़िक्र (अपने अश्आर में) कर रही थीं। (उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) को देखकर) कहना शुरू कर दिया कि हम में ऐसा नबी मौजूद है कि जो कल की बात जानता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फर्माया, उन बातों को छोड़ो, ऐसा न कहो। कल की बात सिवाए अल्लाह के कोई नहीं जानता। **(बुख़ारी-4001)**

1898. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक बार मेरे यहाँ चंद लड़कियाँ जंगे बुआस के अश्आर गा रही थीं। इतने में हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) तशरीफ लाए और ये देखकर कहने लगे कि नबी के घर में और ये शैतानी मज़ामीरा। ये ईद का दिन था। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि (अगर हक़ीक़तन देखा जाए तो वो उनका) गाना नहीं शुमार किया जायेगा। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) (का ये कलाम सुनकर) रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र! हर

क़ौम की ईद हुआ करती है और ये दिन हमारी ईद का है। **(बुख़ारी-952, मुस्लिम-892)**

1899. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं (एक रोज़) रसूले मक़्बूल (ﷺ) का गुज़र मदीना की एक गली में से हुआ। वहाँ लड़कियाँ दफ़ बजाकर गा रही थीं।

नह्नु जवारिम् मिम् बनी नज्जार या हब्बज़म् मुहम्मदम् मिन् जार

(हम अंसारी लड़कियाँ) कैसी खुशनसीब हैं कि मुहम्मद (ﷺ) हमारे हमसाया हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया, इसको अल्लाह जानता है कि मैं तुमको कितना अज़ीज़ रखता हूँ।

1900. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत आइशा (रज़ि.) ने किसी अंसारी औरत की शादी कराई। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) बाहर से तशरीफ़ लाए और हज़रत आइशा (रज़ि.) से फ़र्माया, तुमने उस लड़की को रुख़सत किया या नहीं। उन्होंने अर्ज़ किया, जी हुज़ूर (ﷺ)! (कर दिया) फ़र्माया, उनके साथ कोई गाने वाली भी गई या नहीं। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया (गाने वाली तो कोई न थी) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अंसारी लोग गाने को बहुत पसन्द करते हैं। अगर तुम उनके साथ एक गाने वाली औरत को कर देतीं और कहती जाती (हम तुम्हारे पास आये हैं। हम तुम्हारे पास आये हैं। अल्लाह तआला तुमको और हमको सलामत और बाक़ी रखे) तो बहुत अच्छा होता। **(मुस्नद अहमद)**

1901. हज़रत मुजाहिद (रज़ि.) कहते हैं, मैं एक मर्तबा इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ था। रास्ते में कहीं से तबले की आवाज़ (उनके कानों में आई) आप फ़ौरन अपने कानों में उँगलियाँ देकर दूसरी तरफ़ हो लिये। इसी तरह तीन बार किया और मुझसे फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) ने भी यही किया है। **(हदीस नं. 208 में देखें)**

मुख़न्नस (हिजड़े) का बयान

1902. हज़रत सलमा (रज़ि.) कहती हैं, (एक मर्तबा) मेरे यहाँ नबी करीम (ﷺ) तशरीफ लाए। एक मुखन्नस बैठा हुआ अब्दुल्लाह इब्ने उबई (रज़ि.) से कह रहा था कि अगर कल अल्लाह तआला ताइफ़ फ़तह करा दे तो मैं तुमको एक औरत के बारे में बतलाता हूँ, जिसका बदन ख़ूबसूरत और गुदाज़ है। हुज़ूर (ﷺ) ने ये कलाम सुना तो फ़र्माया इसको अपने घर से निकाल दो। **(बुख़ारी-4324, मुस्लिम-2180)**

1903. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, उस मर्द पर जो औरत बने और उस औरत पर जो मर्द बने, लअनत है। **(बुख़ारी-5885)**

1904. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबिहत करते हों और उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबिहत करती हों, लअन्नत फ़र्माई है। **(बुख़ारी-5885)**

निकाह की मुबारकबाद

1905. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) को जब किसी शादी में मदऊ किया जाता तो हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माया करते, **बारकल्लाहु लकुम व बारक अलैकुम व जम्अ बयनकुमा बिख़ैर.** (अल्लाह तुम्हें बरकत दे और तुम पर बरकत नाज़िल फ़र्माये और तुम दोनों को ख़ैर में इकट्ठा कर दे) । **(अबू दाऊद-2130, तिर्मिज़ी-1091)**

1906. हज़रत अकील बिन अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, मैंने बनी जशम की एक लड़की के साथ शादी की (तो लोग ये कहकर मुबारकबाद देने लगे) **बिर्रिफ़ाई वल्बनीन** (तुम्हारी आपस में मुवाफ़िक़त हो, बेटे नसीब हो)।

मैंने कहा ऐसा मत कहो, बल्कि इस तरह कहो जिस तरह रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माया करते, **अल्लाहुम्मा बारिक लहुम व बारिक अलैहिम.** (ऐ अल्लाह! इन्हें बरकत दे और इन पर बरकत नाज़िल फ़र्मा)। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-516)**

वलीमे का बयान

1907. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) के चेहरे पर ज़र्द खुश्बू के आसार देखे तो फ़र्माया, अब्दुर्रहमान ये क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक औरत से शादी कर ली है और एक गुठली के बराबर सोने का मह्र मुक़र्रर किया है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला तुमको बरकत अता फ़र्माये, वलीमा करो चाहे एक बकरी का ही क्यों न हो।

(बुख़ारी-5155, मुस्लिम-1427)

1908. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, जिस तरह मैंने हुज़ूर (ﷺ) को हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) का वलीमा करते देखा, उस तरह किसी बीवी का वलीमा करते नहीं देखा। (उनके वलीमे में हुज़ूर (ﷺ) ने) बकरी ज़िब्ह फ़र्माई थी। **(बुख़ारी-5168, मुस्लिम-1428)**

1909. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हज़रत सफ़िया (रज़ि.) का वलीमा सत्तू और खजूरों का किया था। **(अबू दाऊद-3744, तिर्मिज़ी-1095)**

1910. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के उस वलीमे में मौजूद था, जिसमें गोश्त और रोटी वग़ैरह मौजूद नहीं थी। इब्ने माजह (रह.) कहते हैं, इस हदीस को इब्ने उयैनया ने बयान किया है।

(मुस्नद अहमद)

1911. हज़रत आइशा (रज़ि.) और **उम्मे सलमा (रज़ि.)** का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हमको ये हुक्म दिया था कि हज़रत अली (रज़ि.) के पास ले जाने के लिये फ़ातिमा (रज़ि.) का तमाम मकान वग़ैरह दुरुस्त कर दें। हमने बतहा की नर्म मिट्टी से मकान में गीरी कर दी। उसके बाद तकियों में खजूर के रेशे भरकर और उनको झाड़कर रख दिया। उसके बाद एक सतून खड़ा कर दिया ताकि उसमें मशकीज़ा और कपड़े लटकाये जा सकें और खजूर व किशमिश और मीठे पानी को मिलाकर खाना तैयार किया। जैसी ये शादी हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की हुई, ऐसी हमने कोई शादी नहीं देखी।

1912. हज़रत सहल बिन साअद (रज़ि.) का बयान है कि अबू उसैद साएदी (रज़ि.) ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) को अपनी शादी में बुलाया। उनकी ख़िदमत करने वाली उनकी दुलहन ही थीं। वो कहती हैं, तुमको मालूम है मैंने हुज़ूर (ﷺ) को क्या पिलाया था? मैंने रात को खजूरें पानी में भिगो दीं थी। सुबह उनको साफ़ करके हुज़ूर (ﷺ) को पिला दिया था।

(बुख़ारी-5176, मुस्लिम-2006)

दावत करने वाले की दावत को क़ुबूल करना चाहिये

1913. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, उस वलीमे का खाना बदतरीन खाना है, जिसमें फ़क़ीर छोड़ दिये जाते हैं और मालदार लोग बुलाये जाते हैं और जो शख़्स (वलीमे की दावत) क़ुबूल नहीं करेगा वो सुन्नते रसूल का मुख़ालिफ़ और अल्लाह तआला का नाफ़र्मान होगा। **(बुख़ारी-5177, मुस्लिम-1432)**

1914. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स वलीमा की दावत में बुलाया

जाये उसको दावत कुबूल करना चाहिए। **(मुस्लिम-1429)**

1915. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले रोज़ वलीमा करना हक़ है, दूसरे रोज़ मशहूर के मुवाफ़िक, तीसरे रोज़ रियाकारी और दिखावा है। **(अबू दाऊद-3745)**

कुँवारी और शादीशुदा के पास ठहरने की कैफ़ियत

1916. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सय्यिबा के पास तीन रोज़ तक रहना चाहिए और कुँवारी के पास सात रोज़ तक। **(बुख़ारी-5214, मुस्लिम-1461)**

1917. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने जब मेरे साथ अक़्द किया तो तीन रोज़ तक रहे। उसके बाद फ़र्माया, तुम्हारे रिश्तेदारों को अफ़सोस न होना चाहिए (अगर उनको अफ़सोस हो) तो मैं तुम्हारे पास सात रोज़ रहूँ, फिर बाक़ी बीवियों के पास भी मुझको सात रोज़ रहना होगा। **(मुस्लिम-1460)**

जब दुल्हन लेकर आये तो क्या पढ़े?

1918. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से किसी को गुलाम या घोड़ा हासिल हो या शादी करके औरत लाए तो उसकी पेशानी पर हाथ रखकर ये पढ़े, **अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुक मिन ख़ैरिहा व ख़ैर मा जुबिलत अलैहि व अऊज़ुबिक मिन् शर्रिहा व शर्रिमा जुबिलत अलैहि.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इसकी भलाई और इसकी पैदाइशी आदतों की भलाई माँगता हूँ और इसके शर से और इसकी पैदाइशी आदतों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ)। **(अबू दाऊद-2160)**

1919. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई शख़्स औरत के पास जाये तो ये पढ़े, **अल्लाहुम्म जन्निबनिश्शैतानि व जन्निबिश्शैतान मा रज़क़तनि.** (ऐ अल्लाह! मुझको शैतान से दूर रख और तू मुझे जो औलाद दे, उसे भी शैतान से दूर रख)। फिर उनके यहाँ औलाद पैदा होगी तो अल्लाह तआला उनको शैतान से महफ़ूज़ रखेगा। **(बुख़ारी-141, मुस्लिम-1461)**

जिमाअ के वक़्त पर्दा रखना

1920. हज़रत बहज़ा बिन हकीम (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारी शर्मगाहों में हमको किस काम की इजाज़त है और किस काम की मुमानिअत है? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी शर्मगाहों को सिवाए बीवी और बांदी के सबसे पोशिदा रखो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर लोग बैठे हों (ख़लासी नामुम्किन हो) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर वहाँ ये मुम्किन हो कि कोई दूसरा न देख सके तो यही करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर इंसान तन्हा हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त इंसान से ज़्यादा अल्लाह इस बात का मुस्तहिक़ है कि उससे शर्म की जाए। **(अबू दाऊद-4017, तिर्मिज़ी-2769)**

1921. हज़रत उत्बा बिन सलमा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई अपनी बीवी से जिमाअ करे तो कपड़ा ओढ़ ले। गधों की तरह नंगा जिमाअ न करे।

नोट : *ये मुमानिअत तन्ज़ीही है क्योंकि इससे पहले वाली हदीस में यह गुज़र चुका है कि आदमी का अपनी औरत या बाँदी के साथ बरहना होना जाइज़ है।*

1922. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने रसूलल्लाह (ﷺ) की शर्मगाह को कभी नहीं देखा।

औरतों के दुबुर (पीछे वाली शर्मगाह) में जिमाअ करने की मुमानिअत

1923. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपनी औरत से पीछे वाली शर्मगाह में जिमाअ करेगा। अल्लाह तआला उसकी तरफ़ नज़रे रहमत नहीं करेगा। **(अबू दाऊद-2162)**

1924. हज़रत ख़ुज़ैमा इब्ने साबित (रज़ि.) कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने तीन मर्तबा फ़र्माया, अल्लाह तआला हक़ बात के फ़र्माने में शर्म नहीं करता। औरतों से पीछे वाली शर्मगाह में जिमाअ न किया करो।

1925. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, यहूद का ये ऐतक़ाद था कि जो शख़्स औरत से पीछे की तरफ़ से आगे वाली शर्मगाह में जिमाअ करेगा उसका बच्चा भैंगा पैदा होगा। इसकी तर्दीद में ये आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई, **निसाउकुम हरसुल्लकुम् फातू हरसकुम् अन्ना शिअतुम.** (तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ है, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहे आओ)। **(बुख़ारी-4528, मुस्लिम-1435)**

अज़्ल का बयान

1926. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से रिवायत है, किसी शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से अज़्ल के बारे में पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम ऐसा करते हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, लेकिन अल्लाह तआला ने जिस रूह का पैदा होना मुक़द्दर कर दिया है वो पैदा होकर रहेगी। **(नसाई, मुस्नद अहमद)**

1927. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में हम लोग अज़्ल किया करते थे और क़ुर्आन भी नाज़िल होता रहता था (तो अगर अज़्ल मना होता तो अल्लाह तआला इसकी मुमानिअत ज़रूर क़ुर्आन में नाज़िल करता)। **(बुख़ारी-5208, मुस्लिम-1440)**

1928. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने आज़ाद औरत की बिला इजाज़त अज़्ल करने से मना फ़र्माया है। **(मुस्नद अहमद)**

__नोट:__ अल्बत्ता लौण्डी से उसकी बग़ैर इजाज़त अज़्ल करना जाइज़ है (कुछ हदीसों में अज़्ल की मुमानिअत है लेकिन एहतिमाल है कि उन हज़रात को अज़्ल की ख़बर नहीं हुई हो)

फूफी निकाह में हो तो भतीजी से (उसकी ज़िन्दगी में) निकाह न करे और अगर खाला निकाह में हो तो उसकी भाँजी से निकाह न करे

1929. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) का फ़र्मान है कि फूफी के होते हुए भतीजी से निकाह न करे और खाला के होते हुए भांजी से निकाह न करे (इसी तरह भतीजी के होते हुए फूफी से व भांजी के होते हुए खाला से निकाह जाइज़ नहीं है) **(मुस्लिम-1408)**

1930. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने दो निकाहों से मना फ़र्माया है, फूफी-भतीजी को जमा करने से और खाला-भांजी को जमा करने से। **(मुस्नद अहमद)**

1931. हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी औरत से निकाह उसकी फूफी पर और उसकी ख़ाला पर न करना चाहिए। **(हदीस नं- 740 में देखें)**

अगर आदमी अपनी औरत को तीन तलाक़ दे दे फिर ये औरत दूसरे शख़्स से शादी कर ले और वो सुहबत करने से पहले उस औरत को तलाक़ दे दे तो ये औरत पहले शौहर से निकाह कर सकती है या नहीं?

1932. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती है, हज़रत रफ़ाआ कुरज़ी की बीवी रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत मुबारक में हाज़िर हुई और अर्ज़ करने लगी, (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) पहले मैं रफ़ाआ के निकाह में थी। उन्होंने मुझको तीन तलाक़ें दे दीं तब मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर (रज़ि.) से अक़्द कर लिया। लेकिन वो नामर्द है (उसमें कुव्वते-मर्दानगी नहीं) हुज़ूर (ﷺ) ने ये सुनकर तबस्सुम फ़र्माया और फ़र्माया, क्या तुम्हारा ये मक़्सूद है कि तुम फिर रफ़ाआ की तरफ़ वापिस हो जाओ। ये हर्गिज़ नहीं हो सकता, जब तक तुम अब्दुर्रहमान का मज़ा न चखो और अब्दुर्रहमान तुम्हारा मज़ा न चख ले। **(बुख़ारी-2639, मुस्लिम-1433)**

1933. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि (मैंने हुज़ूर (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा, कि जिसने अपनी औरत को (तीन) तलाक़ें दें दीं। उस औरत ने दूसरे से निकाह कर लिया। उसके बाद बग़ैर सुहबत किये हुए तलाक़ दे दी। क्या ये फिर शौहरे अव्वल से निकाह कर सकती है? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, हर्गिज़ नहीं! जब तक दूसरा शौहर उससे जिमाअ न करे। **(नसाई-3443)**

हलाला करने वाले और जिसके लिये किया जाये दोनों की कैफ़ियत

1934. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हलाला करने वाला और कराने वाला दोनों मल्ऊन (क़ाबिले लअनत) हैं। **(मुस्नद अहमद)**

1935. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, हलाला करने वाला और अपने लिये कराने वाले दोनों पर लअनत है। **(अबू दाऊद-2076, मुस्नद अहमद)**

1936. हज़रत उत्बा बिन आमिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुम लोगों को मांगा हुआ बकरा बतलाऊँ? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर बतलाईये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो हलाला करने वाला है। अल्लाह तआला हलाला करने वाले और कराने वाले दोनों पर लअनत फ़र्माये। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-825)**

नोट : शैख़ुल इस्लाम इब्ने क़य्यिम (रह.) कहते हैं कि हलाला का निकाह किसी भी वक़्त में जाइज़ नहीं था और किसी सहाबी ने नहीं किया और न इसका फ़त्वा दिया।

दूध पिलाने से वही हुर्मत होती है जो नसब से होती है

1937. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, रिश्ते से जो औरतें (वग़ैरह हराम) होती हैं वही दूध पिलाने से हराम होती हैं। **(मुस्लिम-1445)**

1938. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, किसी शख़्स ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को हज़रत हम्ज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) की बेटी से निकाह करने की सलाह दी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो तो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है और रज़ाअत से वही औरतें हराम हैं जो नसब से हराम हैं। **(बुख़ारी-2645, मुस्लिम-1447)**

1939. हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने रसूलल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया, मेरी बहन से आप निकाह कर लीजिए। आपने फ़र्माया, तुमको ये अच्छा मालूम होता है ? उन्होंने अर्ज़ किया, क्यूँ नहीं। मैं अकेली तो हुज़ूर (ﷺ) के निकाह में नहीं हूँ (कि सोकन का होना पसन्द न हो बल्कि आपकी बहुत सी बीवियाँ हैं) तो अगर मेरे साथ बहन मेरी सोकन होने में शरीक हो तो बहुत ही अच्छा है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ये मेरे लिए जाइज़ नहीं (क्योंकि एक निकाह में दो बहनों का जमा करना मना है) उम्मे हबीबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम ये बातें कर रहे थे कि आप दुर्रह बिन्ते अबी सलमा (रज़ि.) से अक़्द करेंगे। आपने फ़र्माया, कौन दुर्रह उम्मे सलमा की बेटी? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर वो मेरी ज़ेरे परवरिश भी न होती तब भी मेरे लिए उससे निकाह जाइज़ न होता। इसलिए कि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। क्योंकि मुझे और उसके बाप को सोयेबा ने दूध पिलाया है। लिहाज़ा मेरे सामने अपनी बहनों और बेटियों को पेश न किया करो। **(बुख़ारी-5101, मुस्लिम-1449)**

एक या दो बार दूध पीने से हुर्मत नहीं होती

1940. हज़रत उम्मुल फ़ज़ल कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक बार दूध पीना या दो बार पीना एक चुस्की लेना या दो चुस्की लेना हुर्मत नहीं पैदा करता है। **(मुस्लिम-1451)**

1941. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक चुस्की या दो चुस्कियों से हुर्मत साबित नहीं होती। **(मुस्लिम-1451)**

1942. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि पहले क़ुर्आन मजीद में ये आयत थी, उसके बाद तिलावत मन्सूख़ हो गई। दस बार या पाँच बार से कम दूध पीना हुर्मत पैदा नहीं होता।

बड़े आदमी के दूध पीने की कैफ़ियत

1943. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, सह्ला बिन्ते सहल रसूले मक़्बूल (ﷺ) की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अपने शौहर अबू हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के चेहरे पर (कुछ) गुस्से के आसार देखती हूँ, क्योंकि सालिम मेरे पास आते रहते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम सालिम को दूध पिला दो। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं इतने बड़े आदमी को दूध कैसे पिलाऊँ? ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने तबस्सुम फ़र्माया और इर्शाद फ़र्माया, कि मुझको भी मालूम है कि वो बड़ा है। अल्ग़र्ज़ उन्होंने ऐसा ही किया। उसके बाद फिर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया, कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको अबू हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के चेहरे पर ऐसा कोई असर मालूम नहीं होता जिसमें मैं कराहत महसूस कर सकूँ। **(मुस्लिम-1453)**

1944. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि आयते रजम और बड़े आदमी की रज़ाअत की आयत जब नाज़िल हुई तो वो एक पर्चे पर लिखी हुई मेरे तख़्त के नीचे रखी हुई थी। जब हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात हुई तो एक बकरी आई और काग़ज़ खा गई, क्योंकि हम हुज़ूर (ﷺ) की (वफ़ात की घबराहट में) मशग़ूल थे। **(मुस्नद अहमद)**

दूध छूटने के बाद रजाअत नहीं होती

1945. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे पास उस वक़्त एक शख़्स बैठे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया, ये मेरा भाई है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, देखकर (बुलाया करो) क्योंकि रज़ाअत उस वक़्त होती है, जिस वक़्त दूध ही गिज़ा हो। **(बुख़ारी-2647, मुस्लिम-1455)**

1946. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, रजाअत उस वक़्त साबित होती है कि दूध ही गिज़ा हो (यानी बिल्कुल बचपने) में ऐसा होता है।

1947. हज़रत ज़ैनब बिन्ते सलमा (रज़ि.) रिवायत करती हैं, मसल-ए-रज़ाअत में अज़्वाजे मुत्तह्हरात ने आइशा (रज़ि.) की मुख़ालिफ़त की और इंकार किया कि सालिम की तरह रज़ाअत करके उनके पास कोई शख़्स आये जाये और कहने लगे। हमें क्या मालूम कि ये हज़रत सालिम (रज़ि.) ही के लिये खास है। **(मुस्लिम-1454)**

दूध मर्द की तरफ़ से है

1948. हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि मेरे रजाई चचा अफ़्लह इब्ने अबी क़ैस (रज़ि.) मेरे पास आए और अंदर आने की इजाज़त चाही। ये उस वक़्त का वाकिया है जबकि आयते हिजाब नाज़िल हो चुकी थी। (इस वजह) से मैंने उनको इजाज़त देने से इंकार किया। इतने में रसूल (ﷺ) तशरीफ ले आये और फ़र्माया, तुमने इनको आने की इजाज़त दे दी होती, वो तुम्हारे चचा हैं। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने औरत का दूध पिया है, मर्द का नहीं पिया। हुज़ूर (ﷺ) ने फर्माया, तेरे हाथ ख़ाक़ आलूद हों या फ़र्माया, तेरा दाहिना हाथ ख़ाक़ आलूद हो। **(मुस्लिम-1445)**

1949. हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मेरे पास मेरे रजाई चचा आकर अंदर आने की इजाज़त चाहने लगे । मैंने उनको इजाज़त न दी (जब हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो) फ़र्माया, वो तुम्हारे चचा हैं, उनको इजाज़त देनी चाहिए थी। मैंने अर्ज़ किया, मैंने दूध औरत का पिया है न कि मर्द का। आप (ﷺ) ने फ़र्माया वो तुम्हारे चचा हैं, उनको इजाज़त दो। **(मुस्लिम-1445, बुख़ारी-5239)**

आदमी इस्लाम लाए और उसके निकाह में दो बहनें हों तो क्या करे?

1950. हज़रत दैलमी (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं जनाब रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर हुआ और ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में मैंने दो बहनों से अक़्द कर लिया था। मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम घर को वापिस जाओ तो उनमें से एक को तलाक़ दे देना।

1951. हज़रत ज़िहाक इब्ने फ़ीरोज दैलमी अपने वालिद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं मुसलमान हो गया हूँ। लेकिन मेरे (निकाह में) दो बहनें हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उन दोनों में जिसको चाहो, तलाक़ दे दो (दोनों को अपने अक़्द में न रखो)। **(अबू दाऊद-2243, तिर्मिज़ी-1130)**

कोई आदमी इस्लाम लाए और उसकी चार से ज़्यादा बीवी मौजूद हो तो क्या करे?

1952. हज़रत क़ैस इब्ने हारिस (रज़ि.) का बयान है, मैं मुसलमान हुआ तो उस वक़्त मेरे अक़्द में आठ औरतें थीं। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उनमें से चार औरतों को पसन्द करके रख लो, बाक़ी को छोड़ दो। **(अबू दाऊद-2241)**

1953. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, (जब) ग़ीलान इब्ने सलमा (रज़ि.) ईमान लाए (तो उस वक़्त) उनके निकाह में दस औरतें थीं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उनमें से चार औरतों को रखो। **(तिर्मिज़ी-1128)**

निकाह में शर्त लगाने का बयान

1954. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिन शर्तों को पूरा करना लाज़मी हैं, वो शर्तें हैं जिससे तुमने (अपनी बीवियों की) शर्मगाहों को अपने लिये हलाल किया है। **(बुख़ारी-2741, मुस्लिम-1418)**

नोट : *यानी निकाह के वक़्त शौहर ने जो शर्तें मुक़र्रर की हों उनका पूरा करना लाज़मी है।*

1955. हज़रत अम्र व इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र व इब्ने आस (रज़ि.)की रिवायत बयान करते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, निकाह से पहले जो शर्त मह्र या कुछ देने या हिबा करने की हो वो औरत का हक़ है और जो निकाह बँधने के बाद हो वो उसका हक़ है जिसको दिया जाए या अता किया जाए और मर्द के लिये सलूक किये जाने का मौका अपनी बहन या बेटी की वजह से है। **(अबू दाऊद-2129)**

मर्द अपनी लौण्डी को आज़ाद करे और फिर उससे निकाह करे

1956. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का बयान है हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के पास लौण्डी हो तो उसको चाहिए कि उसको अच्छी तरह अदब सिखला दे और अच्छे तौर पर तअलीम दे। उसके बाद उसको आज़ाद करके उससे अक़्द करे। ऐसे शख़्स को दो अज्र मिलेंगे और जो अहले किताब अपने नबी पर ईमान लाकर फिर हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान लायेगा, उसके लिये भी दो अज्र हैं। (रावी) हज़रत शअबी (रज़ि.) ने हज़रत सालेह से कहा हमने तुमको ये हदीस मुफ़्त सुना दी वरना आदमी इसे हासिल करने के लिये मदीना को सवार होकर जाया करता था। **(बुख़ारी-97, मुस्लिम-154)**

नोट : *शअबी (रज़ि.) कूफ़ा में रहा करते थे। कूफ़ा से मदीना तक दो माह का रास्ता है।*

1957. हज़रत इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत सफ़िया (रज़ि.) पहले हज़रत दहिया (रज़ि.) के हिस्से में आई थीं। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) के हिस्से में आईं। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे निकाह कर लिया और उनकी आज़ादी ही उनका मह्र मुक़र्रर हुई। हज़रत हम्माद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ ने साबित से पूछा, अबू मुहम्मद! तुमने अनस (रज़ि.) से ये भी पूछा कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सफ़िया (रज़ि.) का क्या मह्र मुक़र्रर किया था? उन्होंने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) ने उनका मह्र उन्हीं के नफ़्स को मुक़र्रर किया था। **(बुख़ारी-947, मुस्लिम-1365)**

1958. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, हज़रत सफ़िया (रज़ि.) को आँहज़रत (ﷺ) ने आज़ाद करके निकाह किया और यही आज़ादी उनका मह्र क़रार दिया।

गुलाम का निकाह अपने मालिक की बग़ैर इजाज़त (नाजाइज़ है)

1959. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर गुलाम अपने मालिक की बग़ैर इजाज़त के निकाह करेगा तो ज़ानी शुमार किया जायेगा। **(हाकिम)**

1960. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो भी गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर निकाह करेगा, वो बदकार है। **(हदीस नं. 1247 में देखें)**

निकाहे-मुत्आ की मुमानिअत

नोट : *निकाहे मुत्आ ये है कि किसी तयशुदा मुद्दत के लिये निकाह किया जाये, मसलन एक हफ़्ता या दो हफ़्ता, एक साल या दो साल वग़ैरह। ये निकाह इब्तिदाए इस्लाम मे जाइज़ था। उसके बाद इसकी मुमानिअत हो गई और क़यामत तक के लिये नाजाइज़ कर दिया गया। कुछ लोगों को इसकी मुमानिअत मालूम नहीं हुई थी, इसलिए वो इसके जवाज़ के क़ाइल रहे।*

1961. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, जंगे ख़ैबर के रोज़ रसूलल्लाह (ﷺ) ने औरतों से निकाहे मुत्आ करने की और बस्ती के गधे का गोश्त खाने की मुमानिअत कर दी थी। **(बुख़ारी-4216, मुस्लिम-1407)**

1962. हज़रत रबीअ इब्ने सबुरह (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) के साथ हम लोग हज्जतुल विदाअ में चले। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोगों को बग़ैर औरतों के बहुत तक्लीफ़ होती है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो उन औरतों से मुत्आ कर लो। हम लोग उनके पास गये तो औरतों ने इंकार किया और कहा कि हमसे एक मुअय्यन मुद्दत के लिये निकाह करते हो तो कर लो। लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो अपने और उनके बीच एक मुद्दत मुक़र्रर कर लो। (इसमें क्या मुज़ायक़ा है) अल्गर्ज़ मैं और मेरा चचाज़ाद भाई चले। हम दोनों के पास एक-एक चादर थी, लेकिन मेरे भाई की चादर मेरी चादर से ज़रा उम्दा थी। लेकिन मैं उसकी निस्बत ख़ूबसूरत (और क़वी) जवान था। फिर हम दोनों एक औरत के पास आये। पहले तो वो मेरे भाई की चादर देखकर उसकी तरफ़ माइल हुई। उसके बाद मेरी ख़ूबसूरती और जवानी को देखकर कहने लगी, चादर-चादर सब बराबर है (गोया ये उसने मुझे देखकर उज़्र किया, क्योंकि शर्म से ये बात तो न कह सकी कि मुझको तेरी जवानी अच्छा मालूम होती है) अल्गर्ज़ मैंने उससे निकाहे मुत्आ कर लिया। रात को मैं उसके पास रहा, लेकिन सुबह जब मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप रुक्न और बाब के बीच में खड़े हुए फ़र्मा रहे थे कि लोगों ! मैंने तुमको मुत्आ की इजाज़त दी थी लेकिन अब सुन लो कि अल्लाह तआला ने क़यामत तक के लिए मुत्आ को हराम कर दिया है। लिहाज़ा जिसके पास औरतों में से कोई औरत हो उसको छोड़ देना चाहिए और दी हुई चीज़ वापिस न लेना चाहिए। **(मुस्लिम-1406)**

1963. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, जब हज़रत उमर (रज़ि.) खलीफ़ा हुए तो आपने लोगों के सामने खुत्बा पढ़ा, उसमें फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) ने हमको तीन बार इर्शाद फ़र्माकर मुत्आ की इजाज़त फ़र्माई थी लेकिन उसके बाद अल्लाह तआला ने इसको हराम क़रार दिया है। लिहाज़ा अब अगर मैं किसी को मुत्आ करते सुनूँगा तो अगर मुहसिन हो

तो उसको रजम करूँगा। अल्बत्ता अगर उसने उस पर चार गवाह क़ायम कर दिये कि उसके बाद फिर मुत्आ को हलाल किया था तो (छोड़ दिया जायेगा)।

एहराम वाला शख़्स एहराम की हालत में निकाह कर सकता है?

1964. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने एहराम की हालत में निकाह किया है। **(मुस्लिम-1411)**

1965. हज़रत यज़ीद बिन आसिम (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुझसे निकाह हुज़ूर (ﷺ) ने हलाल होने की हालत में किया। यज़ीद (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन मैमूना मेरी और इब्ने अब्बास (रज़ि.) की खाला थीं। **(बुख़ारी-5114)**

1966. हज़रत उस्मान बिन अफ़ फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एहराम वाले को न अपना निकाह करना चाहिए, न किसी दूसरे का, न एहराम की हालत में कहीं पैग़ाम भेजे। **(मुस्लिम-1410)**

कुफ़्व का बयान

1967. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) का फ़र्मान है, अगर तुम्हारे पास ऐसा शख़्स शादी की बातचीत लेकर आये जिसके दीन और अख़्लाक़ को तुम अच्छा ख्याल करते हो (तो बिला चूँ-चरा) उससे निकाह कर दो। अगर तुम लोग ऐसा न करोगे तो मुल्क में एक बड़ी खराबी और फसादे अज़ीम पैदा होगा। **(तिर्मिज़ी-1024)**

1968. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने नुत्फ़ों के लिये औरतें पसन्द कर लिया करो और जो अपने कुफ़्व हों उन हम कुफ़्व मर्दों से निकाह कर लिया करो। **(दारकुत्नी)**

औरतों में (हुक़ूक़ की) बराबरी का बयान

1969. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स की दो बीवियाँ होंगी। अगर वो उनमें से एक की तरफ़ ज़्यादा माइल होगा। क़यामत के रोज़ जिस वक़्त (मैदान में) आयेगा तो उसका आधा धड़ गिरा हुआ होगा। **(अबू दाऊद-2133)**

1970. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाया करते तो अपनी बीवियों में कुरआ डाला करते। **(बुख़ारी-2593, मुस्लिम-2770)**

1971. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों में बिल्कुल बराबरी फ़र्माया करते और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया करते, ऐ अल्लाह! ये मेरा काम है उन चीज़ों में जिनका मैं मालिक हूँ और जिन चीज़ों का मैं मालिक नहीं हूँ, उनमें तू मुझसे मुआख़ज़ा पूछगछ न फ़र्माना। **(अबू दाऊद-2134)**

एक औरत अपनी दूसरी सौकन को अपनी बारी दे सकती है

1972. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.) बूढ़ी हो गईं तो उन्होंने अपनी बारी हज़रत आइशा (रज़ि.) को दे दी थी। लिहाज़ा हुज़ूर (ﷺ) हज़रत सौदा (रज़ि.) के यहाँ रहने की बारी में हज़रत आइशा

(रज़ि.) के यहाँ रहा करते थे। **(मुस्लिम- 1463)**

1973. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) हज़रत सफ़िया बिन्ते हुय्य (रज़ि.) से किसी बात पर नाराज़ हो गये। वो मुझसे कहने लगीं कि आइशा (रज़ि.)! क्या तुम हुज़ूर (ﷺ) को मुझसे राज़ी कर सकती हो? मैं अपनी बारी तुमको देती हूँ। मैंने उनसे कहा, हाँ! (मैं राजी कर दूँगी) उसके बाद हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अपनी रंगी हुई ओढ़नी ली और उस पर पानी छिड़क दिया ताकि उसमें ख़ुश्बू फूटे और (जब रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाए तो आप पहलू में जा बैठीं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा (रज़ि.) मेरे पास से अलग हो जाओ। आज तुम्हारी बारी नहीं है। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, ये अल्लाह का फ़ज़्ल है जिसको चाहता है इनायत करता है। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) से तमाम वाक़िया बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) उनसे राज़ी हो गये। **(मुस्नद अहमद)**

1974. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, ये आयत, और सुलह बेहतर है, एक शख़्स के बारे में नाज़िल हुई है जिसके निकाह में एक औरत थी। उसके कई औलादें भी हो चुकी थीं। उसने ये इरादा किया कि उस औरत को तलाक़ दे दे और दूसरी शादी कर ले। उसने अपने मर्द को इस बात पर राज़ी कर लिया कि मुझको तलाक़ न दो, मेरी बारी मौकूफ़ कर दो। **(हाकिम)**

निकाह कराने में सिफ़ारिश करना

1975. हज़रत अबू दिरहम का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़ज़ल सिफ़ारिश ये है कि आदमी मर्द और औरत के बीच में निकाह कराने की सिफ़ारिश करे।

1976. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद का पैर चौखट पर फिसल गया और वो गिर पड़े। उनके सर में ज़ख्म हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, फुज्ला वग़ैरह दूर कर दो। मैंने साफ़ कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके ज़ख़्म से ख़ून साफ़ करना शुरू किया और फ़र्माने लगे अगर उसामा (रज़ि.) लड़की होता तो मैं उसको ज़ेवर पहनाता और कपड़े पहनाता और उसकी शादी कर देता। **(मुस्नद अहमद)**

नोट : *इस हदीस से मालूम हुआ कि औरतों को शादी के ज़ेवर पहनाकर आरास्ता करना दुरुस्त है।*

औरतों से मुहब्बत के साथ ज़िन्दगी बसर करना

1977. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से बेहतर वो शख़्स है जो अपनी बीवी के लिये अच्छा हो। लेकिन मैं तुम सब में अपनी बीवियों के लिये अच्छा हूँ। (मेरी मुआशिरत की तरह तुम नहीं कर सकते)। **(हाकिम)**

1978. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपनी औरतों के लिये बेहतर हों।

1979. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, दौड़ो मैंने आपसे दौड़ लगाई और मैं हुज़ूर (ﷺ) से आगे निकल गई। **(मुस्नद अहमद)**

1980. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है (जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) ख़ैबर से लौटकर वापिस आये तो उस वक़्त) आप (ﷺ) सफ़िया (रज़ि.) के अक़्द में दूल्हा बने हुए थे। अंसार की औरतें मेरे पास आईं

और उन्होंने सफ़िया की हालत बयान की। मैंने नक़ाब चेहरे पर डाली और देखने के लिये चली। जब वहाँ पहुँची तो हुज़ूर (ﷺ) ने मेरी आँख देखकर मुझको पहचान लिया तो मैं वहाँ से वापिस होकर भागी। आप (ﷺ) मेरे पीछे दौड़े, रास्ते में मुझको पकड़ लिया और गोद में उठाकर फ़र्माया, तुमने क्या देखा। मैंने अ़र्ज़ किया (बस) मुझे छोड़ दीजिए। ये तो एक यहूदन औ़रत है।

1981. हज़रत अ़र्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) कहने लगीं, एक रोज़ मैं हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) के यहाँ उनके बग़ैर इजाज़त चली गई। उस वक़्त हज़रत ज़ैनब बड़े ग़ुस्से में थीं (जब मैं गई तो वो हुज़ूर (ﷺ) से ये शिकायत कर रही थीं) कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर अबूबक्र (रज़ि.) की लड़की अपनी बाँहें खोल दे या अपना कुर्ता उठा दे तो आपको यही काफ़ी (हो जाता है) लेकिन आपको अपनी किसी दूसरी बीवी की तरफ़ तवज्जोह नहीं। उसके बाद वो मेरी तरफ़ मुतवज्जह हुईं (और मुझसे बातचीत) करने लगीं। लेकिन मैंने उनकी तरफ़ से चेहरा फेर लिया और उनको कोई जवाब न दिया। यहाँ तक कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम भी कुछ जवाब देकर अपने ऊपर से ये ऐतराज दूर करो। तब मैंने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनका थूक ख़ुश्क हो गया। (और कोई बात बनकर न आई) फिर मैंने हुज़ूर (ﷺ) को देखा तो आपका चेहरा जगमगा रहा था। **(मुस्नद अहमद)**

1982. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मैं हुज़ूर (ﷺ) के यहाँ भी दूसरी लड़कियों के साथ गुड़िया खेला करती। आप उन लड़कियों को (मना नहीं करते) बल्कि उनको (खेलने के लिये) छोड़ दिया करते।
(बुख़ारी-6130, मुस्लिम-2440)

1983. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़म्आ (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ुत्बा पढ़ा और उसमें औ़रतों के लिये कुछ नसीहत फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया कि तुम लोग कहाँ तक औ़रतों को बाँदियों की तरह मारते रहोगे? तुम उसी दिन उनको मारो और फिर उनको अपने पास सुलाओ (ये बड़े शर्म की बात है)। **(बुख़ारी-4942)**

1984. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने न कभी अपने किसी ख़ादिम को मारा न अपनी किसी बीवी को मारा। बल्कि कभी किसी चीज़ को अपने दस्ते मुबारक से नहीं मारा। **(मुस्लिम-2328)**

1985. हज़रत अयास अ़ब्दुल्लाह इब्ने अबी ज़ुबाब कहते हैं (एक रोज़) नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की बंदियों को (तुम लोग) न मारा करो। उसके बाद हज़रत उ़मर (रज़ि.) आपकी ख़िदमत में हाजिर होकर अ़र्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (आपके इस फ़र्मान से) औ़रतों ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया है (और बहुत ज़ुबान-दराज़ियाँ करने लगी हैं) आपने फिर मारने की इजाज़त फ़र्मा दी। इस वजह से फिर उन पर मार पड़ने लगी (इसकी शिकायत के लिये बहुत औ़रतें हुज़ूर (ﷺ) के मकान पर हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगीं। जब सुबह हुई तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, आज रात आ़ले मुहम्मद (ﷺ) के पास सत्तर के क़रीब औ़रतें अपने शौहरों की शिकायत लेकर आई थीं। ऐसे लोग अच्छे नहीं होते (जो औ़रतों को मारें)। **(अबू दाऊद-2146)**

1986. हज़रत अश्अ़त इब्ने कैस (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मैं हज़रत उ़मर (रज़ि.) का मेहमान रहा। रात के वक़्त (किसी बात पर) उठकर उन्होंने अपनी बीवी को मारा। मैंने दोनों के बीच बचाव किया। जब वो अपने बिस्तर पर लेटने लगे तो मुझसे फर्माया, अश्अ़स मेरी एक बात याद रखना, मैंने ये जनाब रसूले करीम (ﷺ) से सुना है अगर मर्द अपनी औ़रत को किसी हक बात पर मारेगा तो उसके बारे में उससे सवाल न किया जायेगा और बग़ैर वित्र पढ़े हुए न सोया करो और तीसरी बात उन्होंने मुझको बतलाई थी जो याद न रही। **(अबू दाऊद-2147)**

बालों में (दूसरे बालों को जोड़ने वाली) औरतों और गोदकर नील वग़ैरह के निशान लगाने वाली औरतों की कैफ़ियत

1987. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने बालों में जोड़ लगाने वाली और लगवाने वाली और गोदने वाली और गुदवाने वाली औरतों पर लअनत की है। **(मुस्लिम-2124)**

1988. हज़रत अस्मा (रज़ि.) कहती हैं, एक औरत रसूलल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी कि (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) मेरी लड़की इस वक़्त नई दुल्हन है उसके चेचक निकली, जिसकी वजह से उसके सर से बाल झड़ गये। अगर आप फ़र्माएँ तो मैं उसके बालों में जोड़ लगाऊँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जोड़ लगाने वाली और लगवाने वाली औरतों पर लअनत है। **(बुख़ारी-5936, मुस्लिम-2122)**

1989. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ूबसूरती के लिये गोदने और गुदवाने वाली औरत पर और चेहरे से रौंगटे निकालने वाली और दांतों को खूबसूरत करने वाली पर लअनत फ़र्माई है क्योंकि ये अल्लाह की ख़िल्कत को बदलने वाली हैं। ये हदीस बनी असद की एक औरत को मालूम हुई जिसका नाम उम्मे यअकूब था। वो हज़रत अब्दुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी कि मुझको मालूम हुआ है कि तुमने फ़लाँ-फ़लाँ बातें कही हैं। हज़रत अब्दुल्लाह फ़र्माने लगे, जिस पर आँहज़रत (ﷺ) ने लअनत की है मैं उस पर क्यूँ न लअनत करूँ। उसके अलावा ये मसला किताबुल्लाह में मौजूद है। वो कहने लगी मैं किताबुल्लाह हमेशा पढ़ती रहती हूँ लेकिन मैंने उसमें ये मसला नहीं देखा। हज़रत अब्दुल्लाह ने फ़र्माया, अगर तू क़ुर्आन (ग़ौर के साथ) तिलावत करती तो तुझको ज़रूर मिल जाता। क्या तूने ये आयत नहीं पढ़ी है, **रसूल तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो और जिस चीज़ से मना करे, उससे रुक जाओ.** (सूरह हश्र : 7) उसने अर्ज़ किया, जी हाँ! ये तो पढ़ी है। आपने फ़र्माया, बस तो हुज़ूर (ﷺ) ने इस काम से मना फ़र्माया है। वो कहने लगी, मुझको मालूम है कि तुम्हारी अहलिया भी ये काम करती है। आपने फ़र्माया, जाओ देखो। वो गई और जाकर देखा तो अपनी कही हुई बात को ज़र्रा बराबर भी उनमें न पाया। वापस आकर कहने लगी, उनमें बिल्कुल नहीं है। हज़रत अब्दुल्लाह कहने लगे कि अगर वो हुज़ूर (ﷺ) के मम्नूआत से परहेज़ न करती तो हमारे पास न रह सकती। **(बुख़ारी-5948, मुस्लिम-2125)**

औरतों से किन दिनों में सुहबत करना अच्छा है?

1990. हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुझसे अक़्द भी शव्वाल के महीने में किया और सुहबत भी शव्वाल के महीने में की। लिहाज़ा (देख लो कि मुझसे) ज़्यादा हुज़ूर (ﷺ) को कोई दूसरी बीवी महबूब थी (हज़रत आइशा रज़ि. का इस हदीस से अपना ज़ाती ख़्याल जाहिर करना) मक़्सूद था कि मेरे नज़दीक बेहतर ये है कि शौहर अपनी बीवियों के पास शव्वाल के महीने में जाएँ। **(मुस्लिम-1423)**

1991. हज़रत हारिस इब्ने हिशाम (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने हज़रत उम्मे सलमा से अक़्द भी शव्वाल के महीने में किया और ज़िफ़ाफ़ भी शव्वाल के महीने में हुआ। **(तबरानी फ़िल्कबीर-1209)**

मर्द अपनी बीवी को कुछ देने से पहले सुहबत करे

1992. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूलल्लाह (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, औरत को इससे

पहले कि उसका शौहर उसको कुछ (मह्र का हिस्सा दे) उसके पास रवाना कर दो (यानी उसके लेने के लिये न रोको) **(अबू दाऊद-2128)**

मन्हूस व मुबारक कौनसी चीज़ें होती हैं?

1993. हज़रत मुख्मर इब्ने मुआविया (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ)ने फ़र्माया, नहूसत तो कोई चीज़ नहीं अल्बत्ता मुबारक तीन चीज़ें होती हैं, औरत, घोड़ा, घर। **(तबरानी फ़िल्कबीर-796)**

1994. हज़रत सहल इब्ने सअद (रज़ि.) का बयान है कि नहूसत कोई चीज़ नहीं है (यानी महज़ बेअसल चीज़ है अगर नहूसत किसी चीज़ में होती तो इन चीज़ों में होती) औरत, घोड़ा, घर। **(बुख़ारी-5095, मुस्लिम-2226)**

1995. हज़रत सालिम (रज़ि.) अपने वालिद बुज़ुर्गवार की रिवायत बयान करते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, नहूसत तीन चीज़ों में होती है, औरत, घोड़ा, मकान (मतलब इस हदीस का भी पहली हदीसों के मुवाफ़िक होगा। अगरचे इबारत वैसी नहीं है) हज़रत ज़ुह्री कहते हैं कि मुझसे अबू उबेदह (रज़ि.) इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने ज़म्आ (रज़ि.) ने बयान किया कि यह हदीस मेरी दादी ने हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से नक़ल की है। ये भी उन ही तीन चीज़ों का शुमार करती थीं, एक तलवार को ज़ाइद बयान किया है। **(बुख़ारी-5753, मुस्लिम-2225)**

एक-दूसरे पर रश्क करने का बयान

1996. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ग़ैरत अल्लाह तआला को पसन्द है और एक नापसन्द है। जो पसन्द है वो ये है कि तोह्मत के मुक़ाम पर ग़ैरत की जाए और जो नापसन्द है वो ये है कि बग़ैर तोह्मत के बेफ़ायदा ग़ैरत की जाए। **(अबू दाऊद-2659)**

1997. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मुझको हुज़ूर (ﷺ) की किसी बीवी पर सिवाए हज़रत खदीजा (रज़ि.) के कभी रश्क न हुआ। अल्बत्ता उन पर मुझको रश्क हुआ करता क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) अक्सर उनका ज़िक्र किया करते और अल्लाह तआला ने हुज़ूर (ﷺ) को हुक्म दिया था कि उनको ये खुशख़बरी सुना दें कि उनके लिये जन्नत में सोने का मकान तैयार किया गया है। **(बुख़ारी-3818, 3817, मुस्लिम-2435)**

1998. हज़रत मिस्वर बिन मखरमा (रज़ि .) कहते हैं, मिम्बर पर हुज़ूर (ﷺ) ने तशरीफ़ फ़र्माकर फ़र्माया, हिशाम इब्ने मुग़ीरह ने मुझसे ये इजाज़त चाही थी कि अपनी लड़की का निकाह हज़रत अली (रज़ि.) से कर दें। लेकिन (मेरी तरफ़ से) उनको इजाज़त नहीं, फिर नहीं और फिर नहीं। हाँ! यह हो सकता है कि मेरी बेटी को तलाक़ दे दें और उनकी बेटी से निकाह कर लें। क्योंकि फ़ातिमा (रज़ि.) मेरा एक टुकड़ा है जो बात उसको बुरी मालूम होती है, वो मुझको बुरी मालूम होती है और जो उसको तक्लीफ़देह है वो मुझको तक्लीफ़देह है। **(बुख़ारी-5230, मुस्लिम-2449)**

1999. हज़रत मिस्वर बिन मखरमा का बयान है कि हज़रत अली (रज़ि.) ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैग़ाम दिया। हालाँकि उनके निकाह में हज़रत फ़ातिमा ज़ौहरा (रज़ि.) थीं। ये खबर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को हुई। आप नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अर्ज़ किया कि लोग कहते हैं कि आपको अपनी बेटियों के बारे में किसी पर गुस्सा नहीं आता है। इस वजह से अब हज़रत अली (रज़ि.) ने अबू जहल की लड़की को निकाह का पैग़ाम भेजा है। ये सुनकर हज़रत (ﷺ) ने खड़े होकर तशह्हुद पढ़ते हुए फ़र्माया, मैंने (अपनी बेटी ज़ैनब (रज़ि.) का निकाह) अबुल आस

इब्ने रबीअ से किया था और उन्होंने जो बात मुझसे कही वो सहीह कर दिखाई और फ़ातिमा (रज़ि.) मुहम्मद (ﷺ) की बेटी मेरा एक टुकड़ा है। मुझको ये अच्छा नहीं मालूम होता कि लोग उसको गुनाह में फंसा दें। क्योंकि अगर उन पर सोकन लाई गई और इसकी वजह से कोई शौहर की नाफ़र्मानी कर बैठीं तो लामहाला गुनाह की मुर्तकिब होंगी और अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला के रसूल (ﷺ) की बेटी और एक काफ़िर की बेटी एक शख़्स के निकाह में जमा नहीं हो सकतीं।

(बुख़ारी-3729, मुस्लिम-2449)

उस औरत का बयान जिसने अपने नफ़्स को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के वास्ते हिबा कर दिया

2000. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती थीं कि क्या उस औरत को शर्म नहीं आती है जो अपने नफ़्स को हुज़ूर (ﷺ) के लिये हिबा कर देती है। उसी के बारे में ये आयत नाज़िल हुई, **जिसको तुम चाहो अपनी औरतों में से अलग कर दो और जिसको चाहो अपने पास रखो.** (सूरह अहज़ाब : 51) हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) अल्लाह तआला आपकी ख़्वाहिश पूरी करने में (आपसे भी) सबक़त फ़र्माता है।

(बुख़ारी-2000, मुस्लिम-1464)

2001. हज़रत साबित (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हम हज़रत अनस (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे और उनकी साहबज़ादी भी वहाँ मौजूद थी। आप कहने लगे कि एक रोज़ एक औरत हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में आकर अपने नफ़्स को पेश करने लगी और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपको मेरी ज़रूरत है। (हज़रत अनस (रज़ि.) यहीं तक कहने पाए थे कि) उनकी साहबजादी कहने लगीं कि वो औरत कैसी बेहया थी। हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, वो हमसे बेहतर और अफ़ज़ल थी क्योंकि उसने अल्लाह के रसूल (ﷺ) को लालच के साथ लेना चाहा। **(बुख़ारी-5120)**

आदमी अपनी औलाद में शक (न) करे

2002. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) की ख़िदमत में बनी फ़ुराज़ा का एक शख़्स आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी औरत ने एक काले रंग का बच्चा जना है (यानी मुझको अपना बच्चा होने में शक है) हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, तेरे पास ऊँट भी हैं। उसने अर्ज़ किया जी हाँ! आपने फ़र्माया, किस रंग के हैं? उसने अर्ज़ किया सुर्ख़ रंग के हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उनमें से कोई बच्चा चितकबरे रंग का भी है। उसने अर्ज़ किया जी है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो कहाँ से आया? (सुर्ख़ में चितकबरा कहाँ से हो गया?) कहने लगा शायद किसी रग ने ये असर खींच लिया होगा। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो ये भी इसीलिए काला है कि किसी रंग का असर इसमें आ गया होगा।

(मुस्लिम-1500, बुख़ारी-5305)

2003. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) की ख़िदमत में एक गांव का आदमी आकर कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे यहाँ काले रंग का बच्चा पैदा हुआ है। हालाँकि मेरे घराने में कोई काला नहीं था (मुझको इस बच्चे में शक है)। आँहज़रत (ﷺ) ने उससे फ़र्माया क्या तुम्हारे पास ऊँट भी हैं? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ, है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, किस रंग के हैं? उसने कहा, सुर्ख़ रंग के हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उनमें कोई चितकबरा भी है? उसने अर्ज़ किया, जी चितकबरा भी है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो कहाँ से आया? उसने अर्ज़ किया, किसी रग ने खींच लिया होगा। आपने फ़र्माया, बस तो तेरे बच्चे का भी किसी रग ने रंग खींच लिया होगा।

बच्चा हमेशा शौहर का होता है और ज़िना करने वाले के लिये पत्थर हैं

2004. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, ज़म्आ की बांदी के बच्चे में हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) और अब्दुल्लाह बिन ज़म्आ का झगड़ा हो गया (ये दोनो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए) और सअद (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे भाई (उत्बा इब्ने अबी वक़्क़ास) ने मरते वक़्त मुझको ये वसिय्यत की थी कि जब मक्का जाओ तो ज़म्आ की लौण्डी का बच्चा ले लेना क्योंकि वो मेरा है। अब्दुल्लाह बिन ज़म्आ ने कहा कि वो मेरा भाई है, मेरे बाप की लौण्डी का बेटा है, मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने अब्दुल्लाह बिन ज़म्आ से फ़र्माया, इसके हक़दार तुम हो क्योंकि बच्चा शौहर की तरफ़ मन्सूब होता है और ज़ानी के लिये पत्थर हैं। सौदा (रज़ि.) तुम इससे पर्दा किया करो। **(बुख़ारी-2421, मुस्लिम-1457)**

2005. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने बच्चे का फ़ैसला शौहर के लिये किया है। **(मुस्नद अहमद)**

2006. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, बच्चा शौहर (या मालिक या माँ) का है और ज़ानी के लिये पत्थर हैं। **(मुस्लिम-1458)**

2007. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप (ﷺ) फ़र्मा रहे थे, लड़का बिस्तर वाले का है और ज़ानी के लिये पत्थर है। **(मुस्नद अहमद)**

मियाँ-बीवी में से कोई पहले मुसलमान हो (तो उनके निकाह का क्या हुक्म है?)

2008. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक औरत नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर मुसलमान हो गई और फिर उसने एक मुसलमान के साथ अपना निकाह कर लिया। (चंद दिनों के बाद) उसका शौहर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपनी बीवी के साथ मुसलमान हुआ और मेरा मुसलमान होना इसको मालूम था (ये सुनकर) हुज़ूर (ﷺ) ने उसको दूसरे शौहर से लेकर पहले शौहर को दे दिया। **(अबू दाऊद-2238, 2239)**

2009. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी साहबज़ादी हज़रत ज़ैनब को दो बरस के बाद अबुल आस इब्ने रबीआ के पास मुसलमान होने के बाद पहले ही निकाह पर रवाना कर दिया था। **(अबू दाऊद-2239)**

2010. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) को अबुल आस इब्ने रबीआ के पास दोबारा निकाह करके भेजा था। **(तिर्मिज़ी-1142)**

दूध पिलाने वाली औरत से सुहबत करना

2011. हज़रत जुज़ामा बिन्ते वहब अस्दिया (रज़ि.) का बयान है, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को फ़र्माते सुना कि मेरा इरादा था कि लोगों को दूध पिलाने की हालत में जिमाअ करने से मना कर दूँ क्योंकि उस वक़्त जिमाअ करना बच्चा को नुक़सान पहुँचाना है। लेकिन जब मैंने फ़ारस और रोम को जिमाअ करते देखा तो अपने इरादे को मन्सूख़ कर दिया। लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से पूछा (या रसूलल्लाह (ﷺ)! अज़्ल क्या है?) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अज़्ल ज़िन्दा दफ़न

करने की एक दूसरी शक्ल है। (मुस्लिम-1442)

2012. हज़रत अस्मा बिन्ते यजीद इबने सकन (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी औलाद को पोशिदा तौर पर क़त्ल न करो। **(अबू दाऊद-3881)**

जो औरत अपने शौहर को तकलीफ़ दे, उसका बयान

2013. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) का बयान है (एक रोज़) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक औरत आई। एक बच्चा उसकी गोद में था और एक की उँगली पकड़े हुए थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको देखकर फ़र्माया, ये औरतें बच्चों को गोद में लेने वाली और जनने वाली अपने बच्चों पर शफ़क़त करने वाली हैं, अगर अपने शौहरों को तक्लीफ़ न देतीं तो नमाज़ अदा करने पर जन्नत में दाख़िल हो जातीं। **(हाकिम)**

2014. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई औरत अपने शौहर को सताती है तो जन्नत की हूर कहती है, अल्लाह तुझे तबाह करे इसको मत सता क्योंकि ये तेरे पास चन्द रोज़ के लिये आया है और अन्क़रीब हमारे पास आने वाला है। **(तिर्मिज़ी-1174)**

हराम चीज़ हलाल को हराम नहीं करता

2015. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हराम हलाल को हराम नहीं करता है। **(बैहक़ी)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुत्तलाक़

तलाक़ का बयान

2016. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) को तलाक़ दे दी थी। लेकिन फिर रुजूअ कर लिया। **(अबू दाऊद-2283)**

2017. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग अल्लाह की हुदूद के साथ खेल करते हैं। कभी कहते हैं, हमने तलाक़ दे दी, कभी रुजूअ कर लिया, कभी तलाक़ दे दी। यानी सैंकड़ों मर्तबा तलाक़ और रुजूअ होता है। **(बैहक़ी)**

2018. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा अल्लाह तआला के नज़दीक तलाक़ है। **(अबू दाऊद-2176)**

नोट : *यानी भले ये काम जाइज़ है लेकिन अल्लाह तआला को नापसन्द है। बिला ज़रूरत क़ज़ा-ए-शह्वत के लिये देना नाजाइज़ है।*

सुन्नत तलाक़ का बयान

2019. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी। उस वक़्त उनके अय्यामे हैज़ का ज़माना था। ये वाक़िया हज़रत उमर (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उससे कहो कि रुजूअ करे, जब हैज़ से पाक हो जाए, फिर एक और हैज़ आए, फिर पाक हो जाये तो तलाक़ दे दे। मगर जिमाअ न करे और अगर चाहे तो रहने दे। यही उसकी इद्दत होगी, जिसका अल्लाह ने हुक्म किया है। **(मुस्लिम-5251)**

2020. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है कि सुन्नत तलाक़ की ये सूरत है कि तुहर (पाकीज़गी) की हालत में तलाक़ दे और उस तुहर में सुहबत न करे। **(नसाई-3424)**

2021. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि सुन्नत तलाक़ की ये सूरत है कि तुहर की हालत में तलाक़ दे और आख़िर में एक तलाक़ दे दे। उसके बाद का हैज़ ख़त्मे इद्दत होगा।

2022. हज़रत यूनुस इब्ने जुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा कि एक मर्द ने अपनी औरत को हैज़ की हालत में तलाक़ दी उसका क्या हुक्म है? फ़र्माया, क्या तुम वाकिफ़ हो कि इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपनी औरत को हैज़ की हालत में तलाक़ दी। हज़रत उमर (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर उनसे ये वाक़िया बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, कि उनसे कहो कि रुजूअ कर ले। मैंने इब्ने उमर (रज़ि.) से अर्ज़ किया, ये तलाक़ शुमार में आयेगी या नहीं? इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर वो हिमाकत से काम ले या आजिज़ हो तो तेरी अक़्ल क्या कहती है? **(बुख़ारी-5333, मुस्लिम-1471)**

हामिला औरत को तलाक़ किस तरह दी जाये?

2023. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि मैंने अपनी बीवी को हालते हैज़ में तलाक़ दे दी। इस वाक़िये को हुज़ूर (ﷺ)से हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उनसे कहो अब रुजूअ कर लें और तुहर में तलाक़ दें या हामिला होने की हालत में दे दें। **(मुस्लिम-1471)**

एक ही मर्तबा तीन तलाक़ें देने का बयान

2024. हज़रत आमिर शअबी (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) से कहा कि तुम अपनी तलाक़ का वाक़िया बयान करो। उन्होंने कहा कि जब मेरा शौहर यमन जाने लगा तो उसने मुझको तीन तलाकें दे दीं और हुज़ूर (ﷺ) ने उसको जाइज़ रखा। **(मुस्लिम-1480)**

2025. हज़रत मुतर्रिफ़ इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने शुख़ैर (रज़ि.) कहते हैं, किसी शख़्स ने हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) से पूछा कि एक औरत को उसके शौहर ने तलाक़ दे दी और फिर उससे सुहबत कर ली। न उसने तलाक़ पर किसी को गवाह बनाया न रज्अत पर, उसका क्या हुक्म था? उन्होंने फ़र्माया, कि तूने तलाक़ भी सुन्नत के ख़िलाफ़ दी और रज्अत भी सुन्नत के खिलाफ़ की। तुमको तलाक़ और रज्अत दोनों पर गवाह बनाना चाहिए। **(अबू दाऊद-2186)**

हामिला औरत को तलाक़ दी जाये तो बच्चा पैदा होते ही उसकी इद्दत ख़त्म हो जाती है (और शौहर रुजूअ नहीं कर सकता)

2026. हज़रत ज़ुबैर इब्ने अवाम (रज़ि.) का बयान है कि मेरे निकाह में उम्मे कुल्सूम बिन्ते उक़्बा थीं। एक रोज़ बतौरे खुशतब्ई के मुझसे कहने लगीं कि मुझको एक तलाक़ दे दो। मैंने भी ख़्याल किया कि एक तलाक़ से क्या होता है? फिर रुजूअ कर लूँगा। मैंने उसको एक तलाक़ दे दी। जब नमाज़ से वापिस आया तो क्या देखता हूँ कि उसके बच्चा पैदा हो चुका है। मैंने कहा, अल्लाह इसका बुरा करे इसने मेरे साथ धोखा किया। फिर मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया। तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि किताबुल्लाह की मियाद के मुताबिक़ इसकी इद्दत पूरी हो गई। अब रज्अत का तुमको कोई हक़ नहीं। अल्बत्ता अगर तुम्हारी मर्ज़ी हो तो फिर निकाह का पैग़ाम भेज दो।

जिस हामिला औरत का शौहर फ़ौत हो गया, उसकी इद्दत बच्चा पैदा होते ही ख़त्म हो जायेगी

2027. हज़रत अबुस्साइल (रज़ि.) से रिवायत है कि सबीआ अस्लमिया बिन्ते हारिस के अपने शौहर की वफ़ात

के बीस दिन से कुछ ज़्यादा के बाद बच्चा पैदा हुआ। जब वो निफ़ास से पाक हो गई तो दूसरे निकाह की ग़र्ज़ से उसने उम्दा कपड़े पहनना शुरू किये। लोगों ने उसको मअ़यूब (ऐबदार) ख़्याल करके हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से उसकी हालत बयान की। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बेशक वो सिंगार कर सकती है क्योंकि उसकी इद्दत खत्म हो गई है। **(तिर्मिज़ी-1193)**

2028. हज़रत मसरूक और **उक़्बा** का बयान है कि उन दोनों ने सबीआ बिन्ते हारिस (रज़ि.) को लिखा कि अपनी इद्दत का हाल लिखो। उन्होंने तहरीर किया कि मरे शौहर की वफ़ात के 25 दिन बाद बच्चा पैदा हुआ। तो मैंने दूसरे निकाह की तैयारी की। एक रोज़ अबू शाबिल (रज़ि.) का मेरे पास से गुज़र हुआ। कहने लगे, तुमने इद्दत गुज़ारने में जल्दी की। दोनों मियादों में जो बईदतरीन मियाद हो उसकी तुमको इद्दत करनी चाहिए (यानी चार माह दस रोज़) मैं ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मेरे लिये दुआ फ़र्माईये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या हुआ? मैंने वो वाक़िया अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुमको कोई नेक शख़्स मिल जाए तो फ़ौरन निकाह कर लेना। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-745)**

2029. हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने सबीआ अस्लमिया को ये हुक्म दिया था कि जब वो निफ़ास से पाक हो जाएँ तो दूसरा निकाह कर लें। **(बुख़ारी-5320, मुस्लिम-1485)**

2030. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) का बयान है कि आयते शरीफ़ा **अरबअ़त अश्हुरिंव् व अश्रन्** के बाद सूरह निसा नाज़िल हुई है, जिसका जी चाहे हमसे इसके बारे मे बतौरे लिआन क़सम ले ले। **(अबू दाऊद-2307)**

जिस औरत का शौहर फ़ौत हो गया वो इद्दत कहाँ गुज़ारे?

2031. हज़रत ज़ैनब बिन्ते कअ़ब इब्ने उज्रह (रज़ि.) कहती हैं, (आप हज़रत अबू सईद रज़ि. के निकाह में थीं) कि मेरी बहन करीआ बिन्ते कअ़ब (रज़ि.) ने अपना वाक़िया बयान किया कि मेरा शौहर अपने अज्मी गुलामों की तलाश मे निकला और मदीना से छः मील के फ़ासले पर मुक़ामे क़ुदूम में उनको जा पकड़ा। लेकिन गुलामों ने उसको मार डाला। जब मुझको मेरे शौहर के मरने की ख़ बर पहुँची तो मैं उस वक़्त एक अंसारी के घर मे थी जो मेरे कुम्बे वालों के घर से फ़ासले पर था। मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे शौहर के फ़ौत होने की ख़बर आई है और मैं जिस घर मे रहती हूँ वो मेरे रिश्तेदारों से फ़ासले पर है और मेरे शौहर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है कि जिसकी मैं ही वारिस हूँ और अपना उससे गुज़ारा कर सकूँ। न अपना ज़ाती कोई मकान छोड़ा है। अगर हुज़ूर (ﷺ) इजाज़त दें तो मैं अपने भाईयों वग़ैरह के यहाँ चली जाऊँ। वहाँ मेरे तमाम काम सहूलत से निकल जायेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने यह सुनकर फ़र्माया, अगर तुमको ये अच्छा मालूम होता है तो बेहतर है चली जाओ, मैं यह सुनकर निहायत ख़ुशी के साथ वापिस चली आई। मस्जिद के सहन तक पहुँची थी कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको बुलाकर फ़र्माया, तुमने क्या कहा था? (फिर बयान करो) या मैं किसी हुजरे तक पहुँची थी कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको वापिस बुलाकर यही फ़र्माया। मैंने वो क़िस्सा फिर दोहरा दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मकान में तुमको अपन शौहर के फ़ौत होने की ख़बर मिली है वहीं चार महीने दस दिन तक इद्दत गुज़ारो। ताकि किताबुल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए। **(अबू दाऊद-2300, तिर्मिज़ी-1204)**

क्या औरत इद्दत के ज़माने में घर से बाहर जा सकती है?

2032. हिशाम बिन उर्वा (रज़ि.) कहते हैं, मेरे वालिद (रज़ि.) ने बयान किया कि मैं मरवान के पास गया और उनसे कहा तुम्हारे क़बीले की एक औरत को तलाक़ हो गई है। इत्तिफ़ाक से मेरा उधर से गुज़र हुआ तो वो तमाम में

चलती–फिरती नज़र आई। और उसने मुझसे कहा कि फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) ने हमसे बयान किया था कि आँहज़रत (ﷺ) ने हमको मकान बदलने की इजाज़त दी थी। मरवान कहने लगे कि हाँ! बेशक फ़ातिमा (रज़ि.) को यह हुक्म दिया था। उ़र्वा ने कहा कि अल्लाह की क़सम! हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़ातिमा (रज़ि.) की हदीस पर ऐतराज़ किया था और उन्होंने फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को इसलिए इजाज़त दी थी कि उनको उस मकान में डर हो गया था। **(अबू दाऊद-2292)**

2033. हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि फ़ातिमा बिन्ते कैस (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जिसके मकान में मैं हूँ। उसमें मुझको डर है कि कहीं कोई घुस न आए तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने वहाँ से उठ जाने की इजाज़त अता फ़र्माई। **(मुस्लिम-3577)**

2034. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, मेरी एक खाला को तलाक़ हो गई। वो इद्दत में खजूर काटने के लिये निकलीं। एक शख़्स ने उनको इस तरह निकलने पर डांटा। वो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! तुम शौक से खजूरें काटो। क्योंकि उसमें से सदक़ा वग़ैरह देकर नेक काम करोगी। **(मुस्लिम)**

जिस औरत को तीन तलाक़ें हो तो उसके लिये नफ़क़ा और सकूनत होगी या नहीं?

2035. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) कहती हैं कि मेरे शौहर ने मुझको तीन तलाकें दी थीं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनको सकूनत का तो हुक्म दिया था लेकिन नफ़्का का हुक्म नहीं फ़र्माया।

2036. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) कहती हैं, मेरे शौहर ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में मुझको तीन तलाकें दीं। रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुझको हुक्म दिया कि तुम्हारे लिये न सकूनत का हक़ है, न नफ़्का का हक़ है। **(मुस्लिम-1480)**

तलाक़ के वक़्त (बतौरे बख़्शिश) औरत को कुछ कपड़ा देना

2037. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब अम्रा बिन्ते जौन नबी करीम (ﷺ) के पास तंहाई में पहुँचाई गई तो उसने बेसमझी से कहा, अऊज़ुबिल्लाह मिन्क (मैं तुझसे अल्लाह की पनाह चाहती हूँ) हुज़ूर (ﷺ) ने ये सुनकर उससे फ़र्माया, कि तूने ऐसी ज़ात की पनाह मांगी है कि जिससे पनाह मांगी जाती है। और उसको तलाक़ देकर उसामा (रज़ि.) को कत्तान के तीन कपड़े देने का हुक्म दिया। **(बुख़ारी-5254)**

मर्द तलाक़ देने से इंकार करे (और औरत दावा करे)

2038. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब औरत ये दावा करे कि मेरे शौहर ने मुझको तलाक़ दे दी है और उस पर एक गवाहे आ़दिल भी पेश करे। और दूसरा गवाह न हो ऐसी सूरत में उसके शौहर को क़सम दी जायेगी। अगर उसने क़सम खा ली कि मैंने तलाक़ नहीं दी तो उस गवाह की गवाही बातिल हो जायेगी और जो उसने क़सम खाने से इंकार किया तो ये इंकार दूसरे गवाह के क़ायम मुक़ाम हो जायेगा और औरत को तलाक़ हो जायेगी। **(दारक़ुत्नी)**

हंसी मज़ाक़ में निकाह कर लेना या तलाक़ देना या रुजूअ कर लेना

2039. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका मज़ाक़ भी सच्चा होता है और सच तो फिर सच ही है। निकाह, तलाक़ और रज्अत। **(अबू दाऊद-2194, तिर्मिज़ी-1184)**

जिसने दिल में तलाक़ दी और ज़ुबान से ख़ामोश रहा

2040. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की दिल की बात को माफ़ कर दिया है, जब तक वो उस काम को न कर ले। यानी वो काम अंजाम न पा जाये।
(बुख़ारी-2528, मुस्लिम-127)

दीवाना, नाबालिग़ और सोये हुए की तलाक़ का बयान

2041. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्सों से अल्लाह तआला ने क़लम उठा लिया है (यानी माफ़ कर दिया है) सोने वाला जब तक जागे नहीं, बच्चा जब तक बालिग़ न हो जाए, मजनूँ जब तक होश में न आए। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की रिवायत में है कि बीमार जब तक अच्छा न हो। **(अबू दाऊद-4398)**

2042. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है नबी (ﷺ) ने फ़र्माया है कि दीवाना और नाबालिग़ और सोने वाले से माफ़ी है यानी उस हालत में उनसे जो काम अंजाम हों, वो माफ़ हैं उनका ऐतबार न होगा।

ज़बरदस्ती या भूल से तलाक़ देने का बयान

2043. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत से तो भूलचूक ज़बरदस्ती व इकराह के काम अल्लाह तआला ने माफ़ कर दिये हैं।

2044. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत से दिली ख़्यालों पर मुआखिज़ा करने को माफ़ कर दिया है जबतक कि वो उस पर अमल न करें या ज़ुबान से न कह लें। इसी तरह ज़बरदस्ती के काम को उनसे माफ़ कर दिया है। **(बैहक़ी)**

2045. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत के ख़ता और निस्यान (भूलचूक) को माफ़ कर दिया है। इसी तरह ज़बरदस्ती के काम को माफ़ कर दिया है। **(अबू दाऊद)**

2046. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि ज़बरदस्ती की न तलाक़ है न एअताक (गुलाम की आज़ादी) है। **(अबू दाऊद-2193, मुस्नद अहमद)**

निकाह से पहले तलाक़ नहीं होती

2047. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मिल्कियत से पहले तलाक़ नहीं होती। **(तिर्मिज़ी-2047)**

2048. हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.) का बयान है, रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, निकाह से पहले तलाक़ नहीं और मिल्कियत से पहले आज़ादी नहीं।

2049. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, निकाह से पहले तलाक़ नहीं हुआ करती।

कौनसे कलिमों से तलाक़ हो जाती है?

2050. हज़रत औज़ाई (रह.) का बयान है, मैंने हज़रत ज़ुह्री (रह.) से पूछा कि हुज़ूर (ﷺ) की कौनसी बीवी ने हुज़ूर (ﷺ) से पनाह मांगी थी? उन्होंने कहा कि उर्वा (रज़ि.) ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से सुनकर मुझसे बयान किया कि जब रसूलल्लाह (ﷺ) के पास (अम्रह) बिन्ते जौन गई और हुज़ूर (ﷺ) उससे क़रीब हुए तो उस वक़्त उसने कहा, अऊज़ुबिल्लाह। हुज़ूर (ﷺ) ने ये सुनकर उससे फ़र्माया, तूने बड़ी ज़ात से पनाह मांगी है जा तू अपने अहल में चली जा (यानी) अपने रिश्तेदारों से मिल जा (ये तलाक़ बिल कनाया है यानी इशारतन तलाक़ है)। **(बुख़ारी-5254)**

तलाक़े बाइना का बयान

2051. हज़रत रकाना (रज़ि.) का बयान है कि मैंने अपनी बीवी को बत्तह तलाक़ दे दी। वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, बत्तह से तुमने क्या मुराद लिया। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक तलाक़ मुराद ली थी। आपने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! तूने एक ही तलाक़ मुराद ली थी। मैंने कहा, जी हाँ! अल्लाह की क़सम! एक ही मुराद ली थी। तब हुज़ूर (ﷺ) ने मेरी बीवी को मेरे पास वापिस कर दिया। मुहम्मद बिन माजह कहते हैं इस हदीस को मैंने हज़रत अबू अहसन इब्ने मुहम्मद तनाफ़िसी (रह.) को बयान करते सुना।

(अबू दाऊद-2208)

तलाक़ में अपनी औरत को इख़्तियार देना

2052. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने हमको इख़्तियार दे दिया लेकिन हमने हुज़ूर (ﷺ) ही को इख़्तियार किया। **(बुख़ारी-5262, मुस्लिम-1477)**

2053. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, **अगर तुम अल्लाह की, उसके रसूल की, और आख़िरत के घर की तलबगार हो तो अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालों के लिये अज्रे अज़ीम तैयार कर रखा है.** (सूरह अहज़ाब : 29)। तो हुज़ूर (ﷺ) मेरे पास आए और फ़र्माया, आइशा! मैं तुझसे एक बात कहता हूँ और उसमें कोई क़बाहत नहीं है। जब तक अपने वाल्दैन से मश्विरा न ले लेना उस वक़्त तक जल्दी न करना। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! ये आप भी जानते हैं कि मुझको मेरे वाल्दैन आपको छोड़ने पर भी मश्विरा न देंगे। अल्ग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह दो कि अगर तुम हयाते दुनिया और उसकी ज़ीनत पसन्द करती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ माल देकर अच्छे तरीक़े से रुख़सत कर दूँ और अगर तुम अल्लाह की, उसके रसूल की, और आख़िरत के घर की तलबगार हो तो अल्लाह ने तुम में से नेकी करने वालों के लिये अज्रे अज़ीम तैयार कर रखा है.** (सूरह अहज़ाब : 28-29) अल्लाह तआला ने नेकों के लिये बहुत बड़ा सवाब मुक़र्रर फ़र्माया है) हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इस काम में वाल्दैन से इजाज़त लूँ। मैंने अल्लाह और रसूल को पसन्द किया।

(बुख़ारी-4786, मुस्लिम-1475)

औरत के लिये ख़ुलअ की कराहत

2054. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत को चाहिए कि बग़ैर इंतिहाई मजबूरी के अपने शौहर से तलाक़ की ख़्वाहिश न करे (क्या वो बिला उज़्र ख़ुल्अ की ख़्वाहिश करके) जन्नत की ख़ुश्बू पा सकती है? हालाँकि जन्नत की ख़ुश्बू चालीस साल की राह से आती है।

2055. हज़रत सौबान (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जो औरत बिला वजह अपने शौहर से तलाक़ की ख़्वाहिश करेगी उस पर जन्नत की ख़ुश्बू भी हराम है। **(अबू दाऊद-2226, तिर्मिज़ी-1187)**

शौहर ने जो औरत को दे दिया है वो ख़ुलअ में वापस ले सकता है

2056. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि जमीला बिन्ते सलूल, रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी या रसूलल्लाह! मैं अल्लाह की क़सम खाकर कहती हूँ कि मैंने ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) से किसी आदत या दीन की वजह से नाराज़ नहीं हूँ बस सिर्फ़ इतना डर है कि मुसलमान होते हुए मैं ऐसे शौहर की नाफ़र्मानी करूँ। मैं (हर चन्द अपने दिल को समझाती हूँ, लेकिन) वो अच्छे नहीं मालूम होते। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम उनको दिया हुआ बाग़ वापिस कर सकती हो? उसने अर्ज़ किया जी हाँ! मैं वापिस कर दूँगी। हुज़ूर (ﷺ) ने ज़ैद (रज़ि.) से फ़र्माया कि अच्छा तुम अपना दिया हुआ बाग़ वापिस लेकर (इसको तलाक़ दे दो) और ज़ाइद कुछ न लेना। **(बैहक़ी)**

2057. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि हबीबा (रज़ि.) बिन्ते सहल साबित इब्ने क़ैस इब्ने शिमास (रज़ि.) के निकाह में थीं। वो बदसूरत आदमी थे (एक रोज़ हबीबा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! अगर अल्लाह का डर न होता तो जिस वक़्त साबित मेरे पास आते हैं मैं उनके चेहरे पर थूक देती। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो उनका दिया हुआ बाग़ वापिस कर सकती हो। वो बोलीं, जी हाँ! अल्ग़र्ज़ उसने हज़रत साबित का दिया हुआ बाग़ उनको वापिस कर दिया। और हुज़ूर (ﷺ) ने दोनों के दरम्यान में जुदाई कर दी। **(मुस्नद अहमद)**

ख़ुलअ वाली औरत की इद्दत का बयान

2058. हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) का बयान है कि मैंने रबीअ बिन्ते मुअव्वज़ इब्ने अफ़राअ (रज़ि.) से अर्ज़ किया कि तुम मुझसे अपनी हदीस तो बयान करो। उन्होंने बयान किया कि जब मैंने अपने शौहर से ख़ुल्अ किया तो मैं हज़रत उस्मान (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपसे अर्ज़ किया मेरी कितनी इद्दत है आपने फ़र्माया, तुम्हारी कुछ इद्दत नहीं। अल्बत्ता अगर तुम्हारा नया ज़माना है तो उनके पास एक हैज़ गुज़रने तक रहो (फिर रबीअ कहने लगीं) कि इसमें हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) की पैरवी की जो हुज़ूर (ﷺ) ने क़ैस इब्ने साबित (रज़ि.) की बीवी मरयम के हक़ में किया था और उनसे ख़ुल्अ हुआ था। **(नसाई-3528)**

ईला का बयान

तश्रीह : ईला के ये मअनी हैं कि शौहर अपनी बीवी से सुहबत न करने की क़सम खा ले कि मैं इससे सुहबत नहीं करूँगा। अगर चार माह से कम क़सम खाई है तो उस सूरत में अपनी क़सम पूरी करे या कफ़्फ़ारा देकर

सुहबत करे और अगर चार माह से ज़ाइद क़सम खाई है तो इतना ज़माना गुज़रने के बाद रुजूअ करके सुहबत करे या उसको तलाक़ दे दे।

2059. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम खाई कि अपनी बीवियों से एक महीने तक सुहबत नहीं करेंगे। आप 29 रोज़ तक तो ठहरे रहे। जब तीसवें दिन की शाम हुई तो आप मेरे पास आए। मैंने अर्ज़ किया कि आपने तो एक माह की क़सम खाई थी। हुज़ूर (ﷺ) ने तीन बार अपनी उँगलियाँ दिखाकर फ़र्माया कि महीना इतने दिनों का भी होता है और फिर तीन तीन बार उँगलियाँ उठाईं और तीसरी मर्तबा मे एक उँगली बन्द करके फ़र्माया कि इतने दिनों का भी होता है। (यानी तीस रोज़ का भी होता है और उनत्तीस रोज़ का भी होता है) **(मुस्नद अहमद)**

2060. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने अपनी बीवियों से इस लिये ईला कर लिया था कि हज़रत ज़ैनब (रज़ि.) ने अपना हिस्सा वापिस कर दिया था। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उस वक़्त फ़र्माया कि ज़ैनब (रज़ि.) ने अपना हिस्सा फेरकर अपने आपको ज़लील कर लिया। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) को और भी गुस्सा आया और आपने उनसे ईला कर लिया। **(हदीस नं. 56 में देखें)**

2061. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि नबी (ﷺ) ने अपने कुछ अज़्वाज से एक महीना का ईला किया। जब उनत्तीस दिन हुए तो आप उनके यहाँ तशरीफ़ ले गये। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! अभी तो उनत्तीस दिन गुज़रे हैं। फ़र्माया महीना उनत्तीस रोज़ का भी होता है। **(बुख़ारी-1910, मुस्लिम-1085)**

जिहार का बयान

***तश्रीह :** जिहार के ये मअनी हैं कि मर्द अपनी बीवी से कहे कि तू मेरे लिए मेरी माँ की पीठ की तरह है या यूँ कहे कि मैंने तुझसे जिहार कर लिया।*

2062. हज़रत सलमा इब्ने सखर (रज़ि.) का बयान है कि मैं औरतों से बहुत मुहब्बत रखता था और जितनी औरतों से सुहबत किया करता उतनी कोई शख़्स सुहबत न किया करता। अल्ग़र्ज़ जब रमज़ान आया तो मैंने अपनी औरत से पूरे रमज़ान के लिये जिहार कर लिया। एक रात का वाक़िया है कि वो मुझसे बातें कर रही थी उसमें उसकी रान खुल गई, मैं फ़ौरन (बेइख़्तियार होकर) उस पर मुसल्लत हो गया और उससे सुहबत कर ली। जब सुबह हुई तो मैं अपने अहबाब में गया और उनसे ये वाक़िया बयान करते हुए कहा कि तुम लोग मेरे लिए आँहज़रत (ﷺ) से ये मसला पूछो। उन्होंने कहा हम तो नहीं पूछेंगे। कहीं ऐसा न हो कि हमारे बारे में कुर्आन नाज़िल हो जाए (और मुफ़्त में मुब्तला हो जाएँ) या हुज़ूर (ﷺ) हम लोगों के बारे में कुछ फ़र्मा दें (तो शर्मिन्दगी उठानी पड़े)। लेकिन हाँ, तेरे कुसूर के बदले में हम तुझी को रवाना करते हैं। लिहाज़ा तू जा और आँहज़रत (ﷺ) से अपना हाल बयान कर। सलमा कहते हैं ये सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे हाल अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये काम तुमने ख़ुद किया है ? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह! मैंने ही किया है और अब मैं हाज़िर हूँ। जो अल्लाह का हुक्म मेरे लिये हो उसको उठाने के लिये तैयार हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम एक गुलाम आज़ाद कर दो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस ज़ात की क़सम! जिसने आप (ﷺ) को बरहक़ रसूल बनाकर भेजा है, मैं सिर्फ़ अपनी जान का मालिक हूँ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा तो दो माह तक लगातार रोज़े रखो। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये बला जो मेरे ऊपर आई है तो रोज़े ही की वजह से तो आई है। आपने फ़र्माया, साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ। मैंने अर्ज़ किया उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको रसूल बनाकर भेजा है, हम तो इस रात को भी फ़ाक़े से थे रात का खाना भी मौजूद नहीं। तो (फिर

फ़क़ीरों को किस तरह खिलाऊँ?)। आपने फ़र्माया, बनी ज़ुरैक़ का सदक़ा जो तुम वसूल करने जाया करते हो उनके पास जाओ। वो तुमको कुछ माल देंगे। उसमें से साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ और जो बाक़ी रहे वो अपने काम में लाओ।

(अबू दाऊद-2213, तिर्मिज़ी-1200)

2063. हज़रत उर्वा इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) कहने लगीं, वो ज़ात बहुत बड़ी है जो हर चीज़ को सुनती है। मैं ख़ौला बिन्ते सअलबा की बात को सुनती थी लेकिन कुछ कलिमात साफ़ समझ में नहीं आए। आँहज़रत (ﷺ) से अपने शौहर की शिकायत कर रही थी और कह रही थी या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा शौहर जवानी खा गया। मेरा पेट भी उसके लिये ज़र्फ़ रहा (यानी मुझसे उसकी औलाद भी हुई) लेकिन जब मैं बूढ़ी हुई और औलाद होना बन्द हो गई तो उसने मुझसे जिहार कर लिया। या अल्लाह! मैं तुझसे अपना शिकवा करती हूँ और वो यही कहती रही कि इतने में जिब्रईल अलैहिस्सलाम ये आयतें लेकर उतरे, **यक़ीनन अल्लाह तआला ने उस औरत की बात सुन ली जो अपने शौहर की शिकायत अल्लाह तआला की तरफ़ कर रही थी.** (सूरह मुजादला : 1)

जिहार करने वाला कफ़्फ़ारा देने से पहले जिमाअ कर सकता है

2064. हज़रत सलमा इब्ने सख़र बयाज़ी (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिहार करने वाला अगर कफ़्फ़ारा से पहले सुहबत करेगा तो उसको एक ही कफ़्फ़ारा देना पड़ेगा।

2065. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने अपनी औरत से जिहार किया और कफ़्फ़ारा देने से पहले उससे सुहबत कर ली। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, तूने ये क्यूँ किया? उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! चाँदनी में उसकी पाज़ेब की सफ़ेदी देखकर मैं बेइख़्तियार हो गया और उससे सुहबत कर ली। हुज़ूर (ﷺ) ये सुनकर हंसे और उससे फ़र्माया कि ऐसा मत करना, जब तक कफ़्फ़ारा न देना। **(अबू दाऊद-2225, तिर्मिज़ी-1199)**

लिआन का बयान

तशरीह : *यानी मर्द अपनी औरत पर ज़िना की तोह्मत लगाये तो उसकी क्या सूरत है?*

2066. हज़रत सहल बिन सअद साएदी (रज़ि.) का बयान है उवेमिर अज्लानी आसिम इब्ने अदी (रज़ि.) के पास आकर कहने लगा कि आँहज़रत (ﷺ) से मेरे लिये ये मसला पूछ लो (तो बेहतर है) अगर कोई मर्द अपनी औरत के साथ किसी ग़ैर को पाये और उसको मार डाले तो क्या उसके बदले में उसको भी क़त्ल किया जायेगा या क्या सूरत होगी? अल्ग़र्ज़ आसिम (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से ये मसला पूछा। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) को इसका पूछना नागवार हुआ। उसके (कुछ दिनों के बाद) उवेमिर (रज़ि.) की मुलाक़ात आसिम (रज़ि.) से हुई। उन्होंने पूछा कि तुमने इस मसले के बारे में हुक्म पूछा या क्या किया। आसिम (रज़ि.) कहने लगे मैंने जो कुछ किया, वो किया। लेकिन तुमसे मुझको भलाई न हासिल हुई। हुज़ूर (ﷺ) से जब मैंने ये मसला पूछा तो हुज़ूर (ﷺ) ने इन सवालों को मकरूह ख़्याल फ़र्माया। उवेमिर (रज़ि.) कहने लगे, अल्लाह की क़सम! मैं तो रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में जाकर इसको पूछ करके (हल करूँगा) जब वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो देखा हुज़ूर (ﷺ) पर वह्य नाज़िल होकर ख़त्म हुई है, जो ऐसे ही मर्द और औरत के हक़ में है। अल्ग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने उनका आपस में लिआन कराया। उसके बाद उवेमिर कहने लगे कि अल्लाह की क़सम! अगर मैं इसको अपने साथ ले जाऊँ तो गोया मैंने इस पर तोह्मत लगाई। अल्ग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्माने

से पहले ही उवेमिर (रज़ि.) ने अपनी औरत को छोड़ दिया। इस (वाक़िया) के लिआन करने वालों की यही सुन्नत जारी हो गई (कि बाद लिआन दोनों को अलग कर दिया जाए) उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर इस औरत के काले रंग काली आँखों, मोटे सुरीन वाला बच्चा पैदा हुआ तो उवेमिर को मैं सच्चा ख़्याल करूँगा और अगर इसके सुर्ख रंग का बच्चा पैदा हुआ तो मैं समझ जाऊँगा कि उसने झूठी तोह्मत लगाई है। **(बुख़ारी-5259, मुस्लिम-1492)**

2067. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि हिलाल इब्ने उमय्या ने अपनी बीवी पर हुज़ूर अक़्दस (ﷺ) के सामने शुरैक इब्ने सम्हा के साथ ज़िना की तोह्मत लगाई। आँहज़रत (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, तू गवाह ला। वरना अपनी पुश्त को हद्दे कज़्फ़ के लिये तैयार कर ले। हिलाल (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस किया है, मैं अपनी बात में सच्चा हूँ। अल्लाह तआला मेरे बारे में कोई हुक्म नाज़िल फ़र्माकर मेरी पुश्त कोड़ों से महफ़ूज़ रखेगा। (उसके बाद अल्लाह तआला ने) ये आयत नाज़िल फ़र्माई, **जो लोग अपनी बीवियों पर तोह्मत लगाते हैं और उनके पास कोई गवाह उनके नफ़्सों के अलावा मौजूद न हो तो उनमें से एक की शहादत इस तरह होगी कि चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि बेशक वो सच्चों में से हैं और पाँचवी बार ये कहे कि अगर वो झूठों में से हो तो उस पर अल्लाह की लअनत हो। और औरतों से तब सज़ा टलती है कि वो चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि बिलाशुब्हा वो (उसका ख़ाविन्द) झूठों में से है और पाँचवी बार ये कहे कि अगर वो (उसका ख़ाविन्द) सच्चों में से है तो उस (औरत) पर अल्लाह की लअनत हो.** (सूरह नूर : 6-9)। हुज़ूर (ﷺ) वापिस आये और हिलाल की बीवी को तलब किया और फिर हिलाल ने खड़े शहादतें (बहुक्मे क़ुर्आन देना) शुरू कीं। हुज़ूर (ﷺ) उसके साथ-साथ फ़र्माते जाते कि अल्लाह खूब जानता है कि तुम दोनों में से एक झूठा है। क्या तुममें से कोई तौबा नहीं करता। उसके बाद उसकी औरत खड़ी हुई और उसने भी चार गवाहियाँ दीं। जब पाँचवीं गवाही का वक़्त आया (जिसमें कहा जाता है कि) अगर मर्द सच्चा हो तो उस औरत पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो तो लोगों ने कहा कि ये गवाही ज़रूर (दोज़ख और अल्लाह का ग़ज़ब) वाजिब कर देगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं ये सुनकर वो औरत ज़रा झिझकी और लौटना चाहा। जिससे हमको ये ख़्याल हुआ कि अब ये अपने कलाम से लौट जायेगी और ज़िना का इक़रार कर लेगी) लेकिन उसने (एक लम्हे के बाद कहा) कि अल्लाह की क़सम! मैं अपने क़बीले को हमेशा के लिये रुस्वा न करूँगी। (बिलआखिर उसने क़सम खा ली) हुज़ूर (ﷺ) ने लिआन के बाद फ़र्माया, देखो इस औरत के स्याह रंग, मोटे सूरीन, भरी पिण्डलियों वाला बच्चा पैदा हो तो समझ लो कि वो शुरैक इब्ने सम्हा का है। अल्ग़र्ज़ जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो उसी सूरते मज़्कूरा का था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, चूँकि लिआन के बारे में हुक्म नाज़िल हो चुका है, अगर उसके बारे में कोई हुक्म नाज़िल न होता तो मैं इस औरत के साथ कुछ (न कुछ) करता (यानी संगसार करता)। **(बुख़ारी-2671, अबू दाऊद-2254)**

2068. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन जुम्आ की शब में हम मस्जिद में मौजूद थे। एक शख़्स आकर कहने लगा कि अगर कोई शख़्स अपनी औरत के साथ किसी ग़ैर मर्द को देखे और उसको मार डाले तो क्या तुम उसको क़त्ल कर दोगे या अगर ज़ुबान से उस पर ज़िना की तोह्मत लगाए तो उस पर हद जारी करोगे। अल्लाह की क़सम! इस वाक़िया को मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ करूँगा। अल्ग़र्ज़ वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ किया। उस वक़्त लिआन की आयतें नाज़िल हुईं और वो शख़्स अपनी बीवी को लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने दोनों में लिआन कराया और फ़र्माया, मेरा ख़्याल है उस औरत के स्याह रंग का बच्चा पैदा होगा। चुनाँचे वैसा ही हुआ कि उसके स्याह रंग घूँघराले बाल वाला बच्चा पैदा हुआ। **(मुस्लिम-1495)**

2069. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने उन दोनों में लिआन करके जुदाई करा दी।
(बुख़ारी-5315, 6748, मुस्लिम-1494)

2070. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक अंसारी शख़्स ने (क़बीला) अज्लान की लड़की से निकाह किया। रात को उससे सुहबत की, रात भर उसके पास रहा। सुबह कहने लगा कि उसको मैंने कुँवारी नहीं पाया। उस पर आपस में झगड़ा हुआ। अल्ग़र्ज़ दोनों अपना मुक़द्दमा लेकर आहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आपने लड़की को तलब फ़र्माकर उससे पूछा। उसने अर्ज़ किया, मैं कुँवारी थी। आख़िरकार हुज़ूर (ﷺ) ने दोनों को लिआन का हुक्म दिया। दोनों ने लिआन किया और हुज़ूर (ﷺ) ने उसका मह्र दिलवाकर (उसको जुदा कर दिया)। **(मुस्नद अहमद)**

2071. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि चार क़िस्म की औरतों में लिआन नहीं जारी हो सकता है। पहली नसरानिया जो मुसलमान के निकाह में हो, दूसरी यहूदन जो मुसलमान के निकाह में हों, तीसरी आज़ाद औरत जो गुलाम के निकाह मे हो और चौथी वो लौण्डी जो किसी आज़ाद मर्द के निकाह में हों। **(दारक़ुत्नी)**

औरत को अपने ऊपर हराम कर लेने का बयान

2072. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी बीवियों से ईला किया (ईला के मअनी आगे बयान हो चुके हैं) और आपने हलाल चीज़ (मारिया क़िब्तिया या शहद) को अपने ऊपर हराम कर लिया था। इस क़सम में आपने कफ़्फ़ारा दिया था। **(तिर्मिज़ी-1201)**

2073. हज़रत सईद बिन जुबैर का बयान है, हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, कि हराम करना क़सम है (जिसमें कफ़्फ़ारा होगा) तुमको रसूलल्लाह (ﷺ) की पैरवी करनी चाहिए। **(बुख़ारी-4911, मुस्लिम-1473)**

2074. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब उन्होंने बरीरा (लौण्डी को) आज़ाद किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने उसके शौहर के बारे में इख़्तियार अता कर दिया था (चाहे उसको पसन्द करे या उसको छोड़ दे) उसका शौहर आज़ाद शख़्स था। **(अबू दाऊद-2235)**

2075. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, बरीरा (रज़ि.) का शौहर गुलाम था, उसका नाम मुग़ीस था। इस वक़्त वो मेरी नज़र के सामने ऐसा है (जैसे) मैं उनको देख रहा हूँ। वो बरीरा की मुहब्बत में उसके पीछे-पीछे रोते फिर रहे थे और उनके आंसू गालों पर जारी नज़र आते। एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ)) ने हज़रत अब्बास (रज़ि.) से फ़र्माया, अब्बास (रज़ि.) तुम मुग़ीस की हालत पर तअज्जुब नहीं करते? (देखो) उसको बरीरा से कितनी मुहब्बत है और बरीरा (रज़ि.) को उससे कितनी नफ़रत है। यहाँ तक कि हुज़ूर (ﷺ) ने बरीरा से फ़र्माया, काश! तुम उसकी तरफ़ वापिस हो जातीं (तो क्या अच्छा होता) उसका तुझसे बच्चा भी है। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप मुझको हुक्म फ़र्माते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! बतौरे सिफ़ारिश कह रहा हूँ (वरना शरीअत के लिहाज़ से तुझको इख़्तियार है)। उसने अर्ज़ किया (बस तो या रसूलल्लाह (ﷺ)!) मुझको मुग़ीस की ज़रूरत नहीं। **(बुख़ारी-5283)**

2076. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया कि हज़रत बरीरा (रज़ि.) की वजह से तीन सुन्नतें क़ायम हुईं। एक यह कि जब वो आज़ाद हुई तो उन्हें इख़्तियार दिया गया और उनका ख़ाविन्द गुलाम था। दूसरी यह कि लोग उन्हें सदक़ा देते थे, वो उससे कुछ नबी (ﷺ) को हदिया दे देती थी। नबी करीम (ﷺ) फ़र्माते थे, ये उसके लिये

सदक़ा है, हमारे लिये हदिया है। तीसरी ये कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, विलाअ उसी का है, जो आज़ाद करे।
(मुस्नद अहमद)

2077. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, (जब बरीरा (रज़ि.) अपने शौहर से जुदा हुई) है तो उसको पूरे तीन हैज़ गुज़ारने का हुक्म दिया गया था।

2078. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलल्लाह (ﷺ) ने बरीरा को (उसके शौहर से जुदा होने का) इख़्तियार दिया था। **(बुख़ारी-5284)**

बाँदी की तलाक़ और इद्दत का बयान

2079. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बांदी के लिये दो तलाक़ें हैं और उसके लिये दो हैज़ हैं। **(दारक़ुत्नी)**

2080. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान हे रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बांदी के लिये दो तलाक़ें हैं और इद्दत के दो हैज़ हैं। अबू आसिम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने मुजाहिद से कहा कि मुझसे भी यह हदीस इस तरह बयान कीजिए जिस तरह आपने इब्ने जुरैज (रज़ि.) से बयान की है। वो कहने लगे, मुझसे क़ासिम ने हज़रत आइशा (रज़ि.) से ये रिवायत नक़ल की थी कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बांदी के लिये दो तलाक़ें हैं और इद्दत के दो हैज़ हैं। **(अबू दाऊद-2189, तिर्मिज़ी-1182)**

ग़ुलाम के तलाक़ देने का बयान

2081. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे मालिक ने अपनी बांदी से मेरा निकाह कर दिया था। अब वो चाहता है कि मेरी बीवी और मुझमें) जुदाई करा दे। यह सुनकर हुज़ूर (ﷺ) मिम्बर पर रौनक अफ़रोज़ हुए और फ़र्माया, लोगों! ये क्या वाक़िया है कि पहले तो तुम लोग तुममें से अपनी बांदी के साथ निकाह करा देते हैं और फिर ये चाहते हैं कि उन दोनों में जुदाई करा दें। तलाक़ तो उस शख़्स के इख़्तियार में है, जो पिण्डली को थामे (यानी शौहर के इख्तियार में है)। **(तब्रानी-11800)**

जो शख़्स बाँदी को तलाक़ दे और फिर उसको ख़रीद ले

2082. अबुल हसन बनी नौफ़िल के मौला बयान करते हैं, किसी ने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा, अगर ग़ुलाम अपनी बीवी को दो तलाक़ें दे दे और फिर दोनों आज़ाद हो जाएँ तो क्या आज़ादी के बाद आपस में उनका निकाह हो सकता है। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, हाँ! (हो सकता है) उनसे कहा गया कि ये फ़ैसला किसने दिया था? फ़र्माने लगे, आँहज़रत (ﷺ) ने। अब्दुर्रज़ाक जो इस हदीस के रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक ने फ़र्माया, अबुल हसन ने ये हदीस क्या रिवायत की है कि एक बड़े पत्थर का बोझ अपनी गर्दन पर लिया है। **(अबू दाऊद-2187)**

उम्मे वलद की इद्दत का बयान

2083. हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) कहते हैं, हम पर हमारे नबी (ﷺ) की सुन्नत को बदलो। उम्मे वलद की इद्दत चार माह दस दिन है। **(अबू दाऊद-2308)**

जिस औरत का शौहर मर गया हो तो ज़ीनत न करे

2084. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) और **उम्मे हबीबा (रज़ि.)** का बयान है, एक रोज़ एक औरत नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) मेरी बेटी एक शख़्स के निकाह में थी। उसके शौहर का इंतिक़ाल हो गया है और लड़की की आँख दुख रही है, क्या सूरमा लगा सकती है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम (अय्यामे-जाहिलिय्यत में तो) एक साल तक ऊँट की मींगनियाँ फेंका करती थीं और अब तो इद्दत फ़क़त चार माह दस दिन की है। **(बुख़ारी-5336, मुस्लिम-1488, 1486)**

क्या औरत अपने शौहर के अलावा दूसरे का सोग कर सकती है?

2085. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी औरत के लिये तीन दिन से ज़्यादा सोग जाइज़ नहीं। अल्बत्ता अपने शौहर के लिये चार माह दस दिन तक कर सकती है। **(मुस्लिम-1491)**

2086. हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) कहती हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो औरत क़यामत और अल्लाह पर ईमान रखती है उसको तीन दिन से ज़्यादा किसी का सोग न करना चाहिए। अलावा शौहर के (उसका चार माह दस दिन तक कर सकती है) **(मुस्लिम-1490)**

2087. हज़रत उम्मे अतिया (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न किया जाए। रंगा हुआ कपड़ा न पहने, रंगी हुई चादर ओढ़ सकती है, सुर्मा और ख़ुश्बू का इस्तेमाल न करे, अल्बत्ता जब हैज़ से पाकी का ज़माना हो तो थोड़ा सा ऊदे हिन्दी और अज़्फ़ार लगा ले।
(बुख़ारी-5342, मुस्लिम-938, 1491)

अगर बाप-बेटे को तलाक़ का हुक्म दे तो उसको मानना चाहिये

2088. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि मेरे अक़्द में एक औरत थी तो मैं उससे मुहब्बत करता था लेकिन मेरे वालिद उसको बुरा जानते थे। उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको बुलाकर फ़र्माया, इसको तलाक़ दे दे। मैंने आपके फ़र्माने के मुताबिक़ उसको तलाक़ दे दी। **(अबू दाऊद-5138)**

2089. हज़रत अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, एक शख़्स के माँ या बाप (ये रावी का शक है) ने उसको हुक्म दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक़ दे दे। उसने ये नज़्र मान ली कि अगर वो अपनी बीवी को तलाक़ दे तो उस पर सौ गुलाम आज़ाद करना लाज़मी होंगे। ये शख़्स अबू दर्दा के पास आया। उस वक़्त ये चाश्त की नमाज़ में मशग़ूल थे और ज़ुहर व अ़सर के दरमयान का वक़्त था। अल्ग़र्ज़ उसने हज़रत अबू दर्दा से सवाल किया। उन्होंने फ़र्माया, अपनी नज़्र को पूरा करके अपने वालदेन की इताअ़त करो। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि माँ-बाप जन्नत के अंदर जाने का निहायत उ़म्दा दरवाज़ा है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है चाहे उनका ख़याल रखो या न रखो (रखोगे तो जन्नत में जगह मिलेगी न रखोगे तो दोज़ख़ मिलेगी)। **(तिर्मिज़ी-2900)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

किताबुल कफ़्फ़ारह

कफ़्फ़ारे से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2090. हज़रत रिफ़ाआ बिन अराबा जुहनी (रज़ि.) का बयान है, जब नबी करीम (ﷺ) क़सम खाया करते तो इस तरह खाते, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद (ﷺ) की जान है। **(मुस्नद अहमद)**

2091. हज़रत रिफ़ाआ इब्ने अराबा जुहनी (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब क़सम खाते तो इस तरह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह की या फ़र्माते, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है।

2092. हज़रत सालिम (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की अक्सर क़सम इस तौर पर हुआ करती, दिलों के फेरने वाले की क़सम। **(नसाई-3793)**

2093. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की क़सम इस तरह होती, अस्तग़्फ़िरुल्लाह (मैं अल्लाह से इस्तिग़्फ़ार करता हूँ) **(अबू दाऊद-3265)**

ग़ैरुल्लाह की क़सम खाने की मुमानिअत

2094. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत है कि आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को वालिद की क़सम खाते सुना तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने तुमको अपने बापों की क़सम खाने से मना फ़र्माया है। हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं कि जबसे मैंने कभी भूल कर (या क़सदन बाप की क़सम नहीं खाई) और दूसरे की नक़ल करके भी बाप की क़सम नहीं खाई। **(बुख़ारी-6647, मुस्लिम-1647)**

2095. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने समुरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने बापों और बुतों की क़सम न खाया करो। **(मुस्लिम-1948)**

2096. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर किसी शख़्स ने ये कहकर क़सम खाई कि लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम (लात व उ़ज़्ज़ा जाहिलियत के बुत हैं) तो उसको फ़ौरन उसके बाद कलिमा **ला इलाहा इल्लल्लाह** पढ़ लेना चाहिए। **(बुख़ारी-6107, मुस्लिम-1647)**

2097. हज़रत सअ़द (रज़ि.) कहते हैं, (एक मर्तबा मेरी ज़ुबान से) लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम (निकल गई)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ला इलाहा इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू कहो और तीन मर्तबा बाईं जानिब फूँक मारो और आइन्दा ऐसा न करना (बहुत एहतियात से काम लेना)। **(नसाई-3808)**

इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन में जाने की मुमानिअ़त

2098. हज़रत साबित बिन जह्हाक (रज़ि.) का बयान है कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन मे जाने की क़सम क़सदन झूठी खाई तो वो अपने कहने के मुताबिक़ ही होगा। (यानी काफिर होगा)। **(बुख़ारी-1363, मुस्लिम-110)**

2099. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को कहते हुए सुना कि (अगर ऐसा हो तो मैं) इस वक़्त यहूदी हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने सुनकर फ़र्माया, उसने (अपने लिये दोज़ख) वाजिब कर ली।

2100. हज़रत बुरैदा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर झूठी क़सम खाने में कहा कि मैं इस्लाम से बरी हूँ तो वो अपने कहने के मुताबिक़ है और अगर सच्चा होगा तो भी इस्लाम सलामती के साथ उसकी तरफ़ वापिस न होगा। **(अबू दाऊद-3258)**

जो शख़्स क़सम खा ले उससे राज़ी हो जाना चाहिये

2101. हज़रत इ़मर (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक शख़्स को बाप की क़सम खाते सुना। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, बाप दादों की क़सम न खाओ (अगर खाओ तो अल्लाह की) मगर अल्लाह की क़सम भी सच्ची बात पर होनी चाहिए। जिस शख़्स के लिये दूसरा क़सम खा ले उससे राज़ी हो जाना चाहिए और जो शख़्स इस क़सम का ऐतबार नहीं करेगा, राज़ी न होगा उसको अल्लाह तआ़ला से कोई तअ़ल्लुक़ नहीं। **(बैहक़ी)**

2102. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक मर्तबा ईसा अ़लैहिस्सलाम ने किसी शख़्स को चोरी करते देखा। आप (अ़लैहि.) ने उससे फ़र्माया, क्या तूने चोरी की है। उसने अ़र्ज़ किया, नहीं! या रसूलल्लाह! उसकी क़सम जिसके सिवा कोई मअ़बूद नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम ने फ़र्माया, मेरा अल्लाह पर ईमान है, मैं अपनी नज़र को झूठा बना लेता हूँ।

2103. हज़रत इब्ने इ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम खाना तो शर्मिन्दा होना है या हानिस होना। यानी इन बातों में से खाली नहीं होगी या तो तोड़ना पड़ेगा या शर्मिन्दगी उठानी होगी। **(अबू यअ़ला-5587)**

क़सम में इंशाअल्लाह कहने का बयान

2104. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) का इर्शाद है, जो शख़्स क़सम के साथ इंशाअल्लाह कह देगा तो ये शर्त उसको फ़ायदा देगी। **(तिर्मिज़ी-1532)**

2105. हज़रत इब्ने इ़मर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़सम खाकर उसमें इंशाअल्लाह कह देगा तो उसको इख़्तियार है चाहे क़सम के खिलाफ़ करे या उसके मुवाफ़िक करे, क़सम तोड़ने वाला शुमार न होगा। **(अबू दाऊद-3262)**

2106. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की रिवायत है कि जिस शख़्स ने क़सम खाई और इंशाअल्लाह कहा, उसकी क़सम टूटेगी नहीं।

2107. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, चन्द अश्अरी लोगों के साथ मैं सवारी तलब करने के लिये हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैं तुमको सवारी नहीं दूँगा। मेरे पास सवारी मौजूद नहीं। ये सुनकर हम मुक़ीम रहे जब तक अल्लाह की मर्ज़ी हुई। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में सदक़े के ऊँट हाज़िर किये गये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनमें से तीन ऊँट सफ़ेद कोहान वालों का हमारे लिये हुक्म फ़र्माया। जब (उनको लेकर) हम चलने लगे तो हममें से एक शख़्स ने आपस में कहा, हम हुज़ूर (ﷺ) के पास सवारी की तलब में हाज़िर हुए थे और आप (ﷺ) ने न देने पर क़सम खाई थी। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने हमको सवारी इनायत कर दी। (शायद हुज़ूर (ﷺ) अपनी क़सम को भूल गये होंगे। (कहीं ऐसा न हो कि इसका गुनाह हम पर हो) चलो वापस चलकर हुज़ूर (ﷺ) को इसकी ख़बर दे दो। अल्ग़र्ज़ हम फिर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम आपके पास सवारी की उम्मीद में हाज़िर हुए थे। आपने सवारी न देने की क़सम खाई थी, लेकिन फिर हुज़ूर (ﷺ) ने हमको सवारी अता की। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको सवारी देने से मैं क़सम तोड़ने वाला नहीं हुआ बल्कि ये सवारी तुमको अल्लाह तआला ने अता फ़र्माई है। अल्लाह की क़सम! मैं जो क़सम खाता हूँ और इस क़सम के ख़िलाफ़ में बेहतरी देखता हूँ तो क़सम को तोड़कर कफ़्फ़ारा अदा कर देना पसन्द करता हूँ और उस काम को कर लेता हूँ या यूँ फ़र्माया, जो काम बेहतर होता है उसको कर लेता हूँ और क़सम का कफ़्फ़ारा देता हूँ। **(बुख़ारी-6623, 6718, मुस्लिम-1649)**

2108. हज़रत अदी इब्ने हातिम (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़सम खा ले और क़सम के ख़िलाफ़ के काम को बेहतर देखे तो उसको चाहिए कि क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे और उसके ख़िलाफ़ काम को कर ले।
(मुस्लिम-1651)

2109. हज़रत अबुल अहवसि औफ़ इब्ने मालिक (रज़ि.) जुशमी का बयान है मेरे वालिद ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे चचाज़ाद भाई मेरे घर आता रहता है और मैंने क़सम खाई है कि उसको कुछ न दूँगा और उसके साथ कोई सुलूक न करूँगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम तोड़कर कफ़्फ़ारा दे दो (उसके साथ सुलूक करो) **(नसाई-3819)**

बुरी बातों का कफ़्फ़ारा

2110. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने रिश्तेदारी तोड़ने या और किसी फ़िज़ूल काम पर क़सम खाई तो उसका कफ़्फ़ारा ये है कि उसको तोड़कर नेक काम इख़्तियार करे।
(तब्रानी फ़िल्औसत-4818)

2111. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स ने किसी काम पर क़सम खा ली हो और उसके ख़िलाफ़ काम में उसको अच्छाई मालूम हो तो उसको चाहिए कि क़सम को तोड़ दे, यही उसका कफ़्फ़ारा है। **(अबू दाऊद-3274)**

क़सम के कफ़्फ़ारे में कितना खाना खिलाया जाये?

2112. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़सम के कफ़्फ़ारे में खजूर का एक साअ दिया

था। अगर कोई शख़्स क़सम का कफ़्फ़ारा दे तो यही करे अगर उसके पास खजूरें न हों तो गेहूँ का आधा साअ दे दे।

कफ़्फ़ारे का खाना औसत दर्जे का हो जो अपनी घरवालों को खिलाया जाता है

2113. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि (अपनी अयाल को खाना देने में लोग मुख़्तलिफ़ में कुछ वस्अत के साथ देते हैं। कुछ तंगी के साथ इस लिये (क़सम के कफ्फ़ारा में अल्लाह तआला की ये आयत) नाज़िल हुई, **मिस्कीनों को कफ़्फ़ारा में वो खाना दो जो अपनी अयाल को औसत दर्जे में खिलाते हो (न बहुत आला न बहुत अदना)**. (सूरह माइदा : 89)

क़सम पर इसरार करने और उसके कफ़्फ़ारा न देने की मुमानिअत

2114. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तुममें से अपनी क़सम पर इसरार करता रहा और उसमें लोगों का नुक़्सान हुआ तो वो अल्लाह तआला के नज़दीक गुनाहगार होगा। उस कफ़्फ़ारे की वजह से जिसका अल्लाह तआला ने उसको हुक्म दिया है क्योंकि उसको चाहिए था कि अपनी क़सम पर इसरार न करता, बल्कि उसको तोड़कर कफ़्फ़ारा अदा करता। **(बुख़ारी-6625)**

अगर कोई क़सम दे तो उसको पूरा करना चाहिये

2115. हज़रत बरा बिन आज़िब (रज़ि.) का बयान है कि हमको नबी करीम (ﷺ) ने ये हुक्म दिया था कि अगर कोई शख़्स क़सम दे तो उसको पूरा करना चाहिए। **(बुख़ारी-1239, 2445, मुस्लिम-2066)**

2116. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने सफ़्वान या सफ़्वान इब्ने अब्दुर्रहमान का बयान है कि फ़तहे मक्का के रोज़ अपने वालिद को लेकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद को भी हिजरत का हिस्सा दिलवाईये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अब हिजरत नहीं रहीं। मैं उनको लेकर हज़रत अब्बास (रज़ि.) की ख़िदमत में गया और उनसे कहा कि आपने मुझको पहचाना? आपने फ़र्माया, हाँ! पहचान लिया। मैंने कहा तो बस आप मेरे वालिद को हिजरत का कुछ हिस्सा दिलवाईये। हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने कहा, अच्छा! आप कुर्ता पहने बग़ैर, चादर ओढ़े हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप तो जानते ही हैं कि मेरे और फ़लाँ शख़्स के बीच में मुहब्बत और दोस्ती थी, लिहाज़ा वो अपने वालिद को लेकर मेरे पास आया ताकि आप हिजरत पर उससे बैअत लें। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि अब हिजरत तो ख़त्म हो चुकी है। हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि आपको क़सम देता हूँ कि (आप इनसे हिजरत पर) बैअत ले लीजिए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उस शख़्स के वालिद का हाथ छू लिया और फ़र्माया, मैंने अपने चचा की क़सम पूरी कर दी, अगरचे हिजरत नहीं रही। **(मुस्नद अहमद)**

हज़रत यज़ीद इब्ने ज़ियाद भी अपनी इस्नाद में यही मज़्मून रिवायत करते हैं और कहते हैं हिजरत नहीं रही का मतलब ये है कि इस मुकाम पर सब मुसलमान हो गये हैं। यहाँ से हिजरत नहीं हो सकती।

जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो कहने की मुमानिअत का बयान

2117. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम (लोगों में) कोई क़सम

खाए तो इस तरह न कहे जो अल्लाह चाहे और तुम चाहो। बल्कि यूँ कहे कि अगर अल्लाह तआला ने चाहा। फिर तुमने चाहा (तो ऐसा होगा या न होगा) **(नसाई-988)**

2118. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) का बयान है कि एक मुसलमान ने ख़्वाब में देखा कि किसी अहले किताब से उसकी मुलाक़ात हुई, वो उनसे कहता है कि अगर तुम शिर्क न करते तो तुम बहुत अच्छे लोगों में से होते क्योंकि तुम लोग कहते हो, जब अल्लाह चाहे और मुहम्मद चाहे। उसने ये वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैं भी इस बात को ख़्याल करता (कि ये कलिमा बुरा है) यूँ कहा करो, अल्लाह चाहे फिर मुहम्मद (ﷺ) चाहे। **(मुस्नद अहमद)**

क़सम में तौरिया करना

2119. हज़रत सुवैद इब्ने हंजला (रज़ि.) कहते हैं कि मैं और वाइल इब्ने हुज्र (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) की क़दमबोसी के लिये चले। (रास्ते) में वाइल (रज़ि.) के एक दुश्मन ने उनको पकड़ लिया। लोगों ने झूठी क़सम खाना मकरूह ख़्याल किया। लेकिन मैंने क़सम खाई (कि अल्लाह की क़सम! ये मेरा) भाई है (लेकिन उससे मुराद दीनी भाई ले लिया) उसने उनको छोड़ दिया। फिर हम हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ किया कि और लोगों ने तो क़सम खाने में पसोपेश किया लेकिन मैंने क़सम खा ली कि ये मेरा भाई है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (ये क़सम सच्ची है) तुमने सच्ची क़सम खाई, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे का भाई हुआ करता है। **(अबू दाऊद-3256)**

2120. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़सम हमेशा क़सम दिलाने वाले के मतलब पर हुआ करती है। **(मुस्लिम-1653)**

__तश्रीह :__ यानि क़सम खाने वाला अगरचे दूसरे मतलब को मुराद ले ले। लेकिन उसका मतलब वही समझा जायेगा जो क़सम दिलाने वाले ने मुराद लिया है और ये उसका दूसरा मअनी मुराद लेना उसको मुफ़ीद न होगा बल्कि उसको झूठा ही ख़्याल किया जायेगा। बज़ाहिर पहले वाली हदीस और इसमें टकराव मालूम होता है लेकिन दरहक़ीक़त टकराव नहीं है। अगर कोई शख़्स किसी के माल को इस तरह की क़सम से दबाना चाहता हो या दीगर कोई ज़ुल्म का काम करना चाहता हो तो दूसरी हदीस के मिस्दाक़ में दाख़िल है और अगर कोई शख़्स किसी मुसलमान को ज़ुल्म से बचाने के लिये ऐसा करता है तो पहली हदीस के मिस्दाक़ में दाख़िल होगा।

2121. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी क़सम उस मतलब पर महमूल होगी जो तुम्हारा मुक़ाबिल (मुराद लेगा) और उसकी तस्दीक़ करेगा। **(मुस्लिम-1653)**

नज़्र की मुमानिअत का बयान

2122. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने नज़्र मानने से मना फ़र्माया है और फ़र्माया, नज़्र बख़ील के दिल से माल निकालने वाली चीज़ है। **(बुख़ारी-6608, मुस्लिम-1639)**

2123. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नज़्र से इंसानों को वही

मिलेगा जो उसके मुक़द्दर में है (और उससे कोई फ़ायदा नहीं) और तक़्दीर नज़्र पर ग़ालिब है और जो तक़्दीर में है वही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अल्बत्ता ये बात ज़रूर है कि बख़ील के दिल से माल निकाल लिया करती है और उस पर एक बात जो पहले आसान न थी वो आसान हो जाया करती है।

(बुख़ारी-6694)

गुनाह की बात में नज़्र मानने का बयान

2124. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, (दो बातों में) नज़्र नहीं होती है। एक गुनाह में दूसरी जो इंसान के इख़्तियार मे न हो (मसलन कहे अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं फ़लाँ का गुलाम आज़ाद कर दूँगा या फ़लाँ दोस्त का माल सदक़ा में दूँगा) **(मुस्लिम-1641)**

2125. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, गुनाह के काम में कोई नज़्र नहीं बल्कि उसमें क़सम की तरह कफ़्फ़ारा देना होगा। **(अबू दाऊद-3291)**

2126. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह की नाफ़र्मानी की नज़्र माने तो उसको नाफ़र्मानी न करना चाहिए और अगर उसकी फ़र्मांबरदारी की नज़्र माने तो उसको पूरा करना चाहिए और उसकी फ़र्मांबरदारी कर ले। **(बुख़ारी-6696)**

किसी शख़्स ने नज़्र मानी लेकिन उसका यक़ीन नहीं किया

2127. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने कोई नज़्र मानी और उसका यक़ीन न किया तो उसको क़सम का सा कफ़्फ़ारा अदा करना चाहिए।

2128. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स नज़्र माने और उसका यक़ीन न करे तो उसको क़सम का सा कफ़्फ़ारा देना चाहिए और अगर उसने ऐसी नज़्र मानी है जिसको पूरा करने की उसमें ताक़त नहीं तो उसमें ऐसे ही कफ़्फ़ारा देना चाहिए और अगर उसके करने की ताक़त है तो उसको पूरा करे।

(अबू दाऊद-3322)

नज़्र के पूरा करने का बयान

2129. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि मैंने जाहिलिय्यत के ज़माने में नज़्र मानी थी। मुसलमान होने के बाद मैंने उसके बारे में हुज़ूर (ﷺ) से पूछा। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको पूरा करो।

2130. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह! मैंने ये नज़्र मानी थी कि मुक़ामे-बवाना में (ऊँट) ज़िब्ह करूँगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे दिल में जाहिलिय्यत का कोई अक़ीदा तो नहीं है? (दूसरी रिवायत में है कि वहाँ कोई बुत तो नहीं है?) उसने अर्ज़ किया नहीं! हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो तुम अपनी नज़्र को पूरा करो। **(तबरानी फ़िल्कबीर-12356)**

2131. हज़रत मैमूना बिन्ते करदम यसारिया (रज़ि.) कहती हैं कि मैं अपने वालिद के साथ ऊँट पर सवार थी। वो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने मक़ामे-बवाना में

ज़बीहा की नज़्र मानी थी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वहाँ कोई बुत तो नहीं? उन्होंने अ़र्ज़ किया, जी कोई नहीं। फ़र्माया, अच्छा अपनी नज़्र पूरी करो। **(मुस्नद अहमद)**

कोई फ़ौत हो जाये और उस पर नज़्र हो

2132. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि सअ़द इब्ने उ़बादह (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में अ़र्ज़ किया (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) मेरी वालिदा पर नज़्र थी। उनका नज़्र को पूरा करने से पहले इंतिकाल हो गया (अब क्या करना चाहिए) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उनकी जानिब से उसको तुम पूरा कर दो। **(बुख़ारी-2761, मुस्लिम-1638)**

2133. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक औरत आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा पर रोज़ों की नज़्र थी। वो उस नज़्र के पूरा करने से पहले इंतिकाल कर गईं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उनकी जानिब से उनका वली उस नज़्र को पूरा करे।

2134. हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (रज़ि.) का बयान है कि मेरी बहन ने ये नज़्र मानी की हज्ज के लिये नगें पैर और नंगे सर पैदल जाऊँगी। ये ख़बर हुज़ूरे अक़दस (ﷺ) को मालूम हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उससे कहो कि सवारी पर सर को छुपाये हुए जाए और (कफ़्फ़ारा के) तीन रोज़े रख ले। **(अबू दाऊद-3293)**

2135. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने एक बूढ़े शख़्स को देखा कि अपने दो बेटों पर सहारा दिये हुए (चला जा रहा है) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्यूँ क्या बात है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इन्होंने ये नज़्र मानी थी कि पैदल बैतुल्लाह का हज्ज करेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बुज़ुर्ग शख़्स! सवार हो जाईये। अल्लाह तआ़ला को न तुम्हारी परवाह है न तुम्हारी नज़्र की परवाह है। **(मुस्लिम-1643)**

ऐसी नज़्र मानना जिसमें नेकी और गुनाह दोनों शामिल हों

2136. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मक्का में हुज़ूर (ﷺ) का एक शख़्स के पास से गुज़र हुआ। आपने देखा कि वो धूप में खड़ा हुआ था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये क्या बात है? लोगों ने अ़र्ज़ किया, इसने नज़्र मानी थी कि रोज़ा रखेगा और शाम तक छाँव में नहीं रहेगा, न बैठेगा और न किसी से कोई बात करेगा। फ़र्माया, इससे कहो कि बातचीत करे, साया में जाकर बैठे, अपना रोज़ा पूरा करे। **(बुख़ारी-6704)**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुत्तिजारत

तिजारत के अहकामो-मसाइल

2137. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे अच्छा (हलाल) खाना आदमी के लिये ये है कि अपनी कमाई का खाये और औलाद भी इंसान की कमाई है। **(नसाई-4456)**

2138. हज़रत मिक़्दाम इब्ने मअदी कुर्ब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी की कोई कमाई उससे अच्छी नहीं कि ख़ुद कमाकर खाये। और जो कुछ अपनी ज़ात या अपनी औलाद पर या घरवालों या ख़ादिमों पर इंसान ख़र्च करता है उसका सवाब बतौरे सदक़ा के उसको दिया जाता है। **(मुस्नद अहमद)**

2139. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सच्चा अमानतदार ताजिर (व्यापारी) क़यामत के दिन शहीदों के साथ होगा। **(तिर्मिज़ी-1209)**

2140. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो बेवाओं और मिस्कीनों के लिये मेहनत करेगा, उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसा अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले या पूरी रात नमाज़ पढ़ने वाले और दिन को रोज़ा रखने वाले को अता किया जाता है। **(बुख़ारी-5353, मुस्लिम-2982)**

2141. हज़रत मुआज बिन अब्दुल्लाह (रह.) अपने वालिद अब्दुल्लाह इब्ने ख़ुबैब और अपने चचा हज़रत उबैद (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, एक दिन किसी मज्लिस में हम लोग बैठे हुए थे, इतने में हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) तशरीफ़ ले आये। उस वक़्त आपके सर पर पानी की (नमी) नमूदार थी। हमने अर्ज़ किया, हम आज आपको ख़ुश देखते हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्हम्दुलिल्लाह! (मैं आज खुश हूँ) उसके बाद कुछ मालदारी का ज़िक्र होने लगा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तक़्वे के साथ मालदारी हो तो कोई हर्ज नहीं और मुत्तक़ी के लिये सेहत दौलत से बेहतर है और दिल का ख़ुश होना भी अल्लाह की नेअमत है। **(मुस्नद अहमद)**

रोज़ी हासिल करने में मियाना रवी इख़्तियार करना

2142. हज़रत अबी हुमैद साएदी (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया हासिल करने में अच्छा तरीक़ा इख़्तियार करो, हर इंसान के लिये वो काम आसान हो जाता है, जिसके लिये वो पैदा किया गया है। **(बैहक़ी)**

2143. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे बड़ा रंज उस मुसलमान को होता है जिसको दुनिया की फ़िक्र भी हो और दीन की भी। इमाम इब्ने माजह (रह.) कहते हैं, ये हदीस ग़रीब है इसको सिर्फ़ इस्माईल ही ने बयान किया है।

2144. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है , नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों! रोज़ी हासिल करने में बीच का तरीक़ा इख़्तियार करो। क्योंकि जब तक आदमी अपनी मुक़द्दर (तक़्दीर में लिखी) रोज़ी पूरी नहीं करेगा। उस वक़्त तक नहीं मरेगा अगरचे उसमें देर लगाये। लिहाज़ा अल्लाह से डरो और उम्दा तौर पर रोज़ी हासिल किया करो। जो हलाल हो उसको हासिल करो और हराम को छोड़ दो।

तिजारत में एहतियात का बयान

2145. हज़रत क़ैस बिन अबू ग़रज़ह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में हम लोगों को समासिरा (दलाल) कहा जाता था। हुज़ूर (ﷺ) ने हमारा उससे भी अच्छा नाम रखा। एक रोज़ हमारे पास से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का गुज़र हुआ। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ताजिर लोगों (देखो!) तिजारत में बेकार बातें भी कहनी होती हैं और क़सम भी खानी होती है। (कभी झूठ बात भी ज़ुबान से निकल जाती है) लिहाज़ा इसके साथ-साथ सदक़ा भी करते रहा करो। **(अबू दाऊद-3326, तिर्मिज़ी-1208)**

2146. हज़रत रिफ़ाआ (रज़ि.) का बयान है, एक दिन हम हुज़ूर (ﷺ) के साथ (बाज़ार की तरफ़) जा रहे थे। (रास्ते में) हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों को एक ऊँट की क़ीमत लगाते देखा। आप (ﷺ) ने उनसे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, ऐ ताजिर लोगों! हश्र के रोज़ ताजिरों को फ़ासिक़ीन (के गिरोह में) उठाया जायेगा, अल्बत्ता जो ताजिर तक़्वे से काम लेगा वो (बचा रहेगा) और जो सिदक़ (सच्चाई) से काम लेगा (वो भी नजात पायेगा)। **(तिर्मिज़ी-1210)**

जब इंसान को अल्लाह तआला रोज़ी का कोई ज़रिया दे तो उसको छोड़े नहीं

2147. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी को (रोज़ी का) ज़रिया मिल जाये तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए।

2148. हज़रत नाफ़ेअ (रह.) कहते हैं, मैं शाम और मिस्र की तरफ़ तिजारत किया करता था। एक बार मैंने इराक़ की तैयारी की और हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मैं पहले शाम की तरफ़ सामाने तिजारत रवाना किया करता और अब मैं इराक़ की तरफ़ रवाना कर रहा हूँ। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, ऐसा न करो, अपनी हमेशगी वाली तिजारत क्यूँ नहीं करते (दूसरा तरीक़ा क्यूँ अपनाते हो) मैंने जनाब रसूले करीम (ﷺ) से सुना है, आप (ﷺ) फ़र्माया करते, जब तुममें से किसी के लिये अल्लाह तआला रिज़्क़ का कोई सबब पैदा कर दे तो उसको उस वक़्त तक न छोड़े जब तक उसमें तग़य्युर (बदलाव) न पैदा हो या खराबी न पैदा हो। **(मुस्नद अहमद)**

पेशों और हिरफ़तों का बयान

2149. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने कोई नबी ऐसा मबऊस नहीं फ़र्माया, जिसने बकरियाँ न चराई हों। सहाबा किराम (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने? फ़र्माया, मैंने भी कुरैश की बकरियाँ क़ीरातों की मज़दूरी पर चराई हैं। इमाम इब्ने माजह (रह.) के उस्ताज़ हज़रत सुवैद

(रह.) कहते हैं कि हर बकरी के बदले में एक क़ीरात आपको दिया जाता। **(बुख़ारी-2262)**

2150. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बढ़ई थे। **(मुस्लिम-2379)**

2151. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तस्वीर बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब देकर कहा जायेगा कि जो कुछ तुमने बनाया है उसमें जान डालो। **(बुख़ारी-7557)**

2152. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सब लोगों से ज़्यादा झूठे रंगरेज़ और सुनार होते हैं। **(अबू दाऊद-1781)**

ज़ख़ीराअंदोज़ी और कालाबाज़ारी करना

2153. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, बाज़ार में माल लाने वाले को रिज़्क़ मिलता है और ज़ख़ीराअंदोज़ी करने वाले पर लअनत है। **(दारमी-2547)**

2154. हज़रत मअमर बिन अब्दुल्लाह इब्ने नज्ला (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) का फ़र्मान है कि ज़ख़ीराअंदोज़ी वही करता है जो गुनाहगार होता है। **(तिर्मिज़ी-1267)**

2155. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल(ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुसलमानों से खाने-पीने की चीज़ों की ज़ख़ीराअंदोज़ी करेगा (इसलिये कि उनकी कमी होने के वक़्त मुसलमानों को ज़्यादा क़ीमत पर बेचेगा) तो अल्लाह तआला उसको इफ़्लास व जुज़ाम में मुब्तला करेगा। **(मुस्नद अहमद)**

दम करने की उज्रत लेना

2156. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि हमको रसूले मक़्बूल(ﷺ) ने एक लश्कर में जिहाद के लिये रवाना किया। एक मुक़ाम पर हम ठहरे, वहाँ की क़ौम से अपनी मेहमानदारी की दरख़्वास्त की। उन्होंने हमको मेहमान रखने से इंकार किया। इत्तिफ़ाक ऐसा हुआ कि उनके सरदार को बिच्छू ने काट लिया। वो लोग हमारे पास आये और कहने लगे कि तुम लोगों में कोई बिच्छू का दम कर सकता है? मैंने कहा, हाँ! मैं जानता हूँ मगर उस वक़्त तक नहीं पढ़ूँगा जब तक उसके बदले में कुछ बकरियाँ न दोगे। उन्होंने कहा, हम तुमको तीस बकरियाँ देंगे। अल्ग़र्ज मैंने सात बार उस पर सूरह फ़ातिहा पढ़कर फूँकी वो अच्छा हो गया। हमने उससे बकरियाँ ले लीं। लेकिन फिर हमको उस माल में शुब्हा हुआ (कि जाइज़ है या नहीं) आखिर ये तय हुआ कि जब तक हुज़ूर (ﷺ) के पास न पहुँचे उस वक़्त तक उनको न खायें। जब वापिस होकर हज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में पहुँचे तो ये वाक़िया बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको नहीं मालूम कि सूरह फ़ातिह[illegible]म है (इसलिए इसका नाम सूरह शिफ़ा भी है) उन बकरियों को आपस में बांट लो। बल्कि अपने साथ मेरा भी हिस्सा मुक़र्रर करो। हज़रत अबू सईद (रज़ि.) की दूसरी हदीस का भी यही मज़्मून है। **(तिर्मिज़ी-2063)**

क़ुर्आन पढ़ाने की उज्रत वसूल करना

2157. हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) का बयान है कि अहले सुफ़्फ़ा में से कुछ लोगों को मैंने क़ुर्आन पढ़ना और लिखना सिखाया। उनमें से किसी ने मेरे लिये तोहफ़े के तौर पर कमान भेजी। मैंने (दिल में कहा कि) ये कोई माल

तो है नहीं (इसके लेने में क्या नुक़्सान है) ये ख़्याल करके उसको ले लिया और (दिल में कहा कि) मैं इसे जिहाद में काम लूँगा। उसके बाद मैंने आँहज़रत (ﷺ) से उसके बारे में पूछा तो आपने फ़र्माया, अगर तुझको आग का तौक़ पहनना अच्छा मालूम होता है तो इसको क़ुबूल कर ले। **(अबू दाऊद-3416)**

2158. हज़रत उबय इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं, मैंने एक शख़्स को क़ुर्आन सिखलाया था। उसने मेरे लिये कमान भेजी। मैंने उसका ज़िक्र हुज़ूर (ﷺ) से किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तूने इसको क़ुबूल किया तो गोया तूने दोजख़ की एक कमान ली। मैंने (ये सुनकर) उसको वापिस कर दिया। **(बैहक़ी)**

कुत्ते की क़ीमत, तवायफ़ की उज्रत, काहिन का नज़राना और नर को मादा पर चढ़ाने की उज्रत लेना सब मना है

2159. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने ज़ानिया की कमाई, कुत्ते की क़ीमत और नुजूमी की उज्रत खाने से मना किया है। **(बुख़ारी-5346, मुस्लिम-1567)**

2160. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने नर को मादा पर चढ़ाने की उज्रत और कुत्ते की क़ीमत लेने से मना फ़र्माया है। **(तिर्मिज़ी-1279)**

2161. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने बिल्ली की क़ीमत लेने से भी मना फ़र्माया है। **(नसाई-4300)**

हज्जाम की उज्रत की कैफ़ियत

2162. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल(ﷺ) ने हज्जाम से पछने लगवाकर उसको उज्रत अ़ता फ़र्माई थी। इब्ने माजह कहते हैं कि इब्ने अबी अ़म्र ने अकेले ही (इस हदीस को बयान किया है)। **(बुख़ारी-2278, मुस्लिम-2208)**

2163. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक हज्जाम से पछने लगवाये और मुझको उसकी उज्रत देने का हुक्म फ़र्माया। मैंने उसकी उज्रत अदा कर दी।

2164. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी करीम (ﷺ) पछने लगवाये और पछने लगवाने वाले की उज्रत अ़ता फ़र्माई।

2165. हज़रत अबू मसऊ़द उ़क़्बा बिन अ़म्र (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज्जाम की उज्रत से मना फ़र्माया है। **(नसाई-4677)**

2166. हज़रत हराम बिन मुहैसा (रज़ि.) का बयान है कि मेरे वालिद कहते थे कि मैंने हुज़ूरे अक़्दस से हज्जाम की उज्रत के बारे में पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे मना फ़र्माया, मैंने उसके हाजतमन्द (और मुफ़्लिस) होने का ज़िक्र किया। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसका अपने ऊँटों को चारा खिला दो। **(अबू दाऊद-3422, तिर्मिज़ी-1277)**

जिन चीज़ों का बेचना हराम है

2167. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि फ़त्हे मक्का के साल हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मक्का

में मौजूद थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मुर्दार और शराब और सूअर और बुतों की ख़रीद व फ़रोख़्त करने से मना फ़र्माया है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुर्दार की चर्बी से लोग कश्तियों को चिकना करते हैं, खालों को दुरुस्त करते हैं, मकानों में उससे चिराग़ जलाते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! (ये भी जाइज़ नहीं) ये सब चीज़ें हराम हैं फिर फ़र्माने लगे, अल्लाह तआला यहूद को फ़ना करे कि अल्लाह तआला ने जब उन पर चर्बियाँ हराम कर दीं, तो उन्होंने उनको पकाकर फ़रोख़्त करना शुरू कर दिया और उनके दामों को खाया। **(बुख़ारी-4296, मुस्लिम-1581)**

2168. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने गाने वाली औरतों के बेचने और ख़रीदने से, उनकी कमाई खाने से और उनकी क़ीमत खाने से मना फ़र्माया है। **(तिर्मिज़ी-1282)**

बैअे मुनाबज़ा और मुलामसा की मुमानिअत

तश्रीह: बैअे मुनाबज़ा ये है कि ख़रीदने वाला, बेचने वाले की तरफ़ अपना कपड़ा फैंके और बेचने वाला फ़ौरन अपना कपड़ा उसके बदले में ख़रीदने वाले की तरफ़ फैंके। इसके मअनी हैं कि कपड़ा फैंकने से बैअ लाज़िम हो जाये। देखने दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं और बैअ मुलामसा ये है कि छूने ही से चीज़ का लेना जरूरी हो जाये। फिर उसको छोड़ने का इख़्तियार न रहे।

2169. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दो क़िस्म बैअ से मना फ़र्माया है। बैअ मुनाबज़ा और बैअ मुलामसा।

2170. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने बैअ मुनाबज़ा और बैअ मुलामसा से मना फ़र्माया है। सहल (रज़ि.) इतना ज़ाइद बयान करते हैं कि सुफ़ियान ने फ़र्माया, मुलामसा ये है कि आदमी हाथ से किसी चीज़ को छू ले और बैअ हो जाये, देखने की ज़रूरत नहीं। और मुनाबज़ा ये है कहे कि तुम अपनी चीज़ मेरी तरफ़ फैंको और मैं अपनी चीज़ तुम्हारी तरफ़ फैंकता हूँ। **(बुख़ारी-6284)**

कोई शख़्स अपने भाई की बैअ पर बैअ या सौदे पर सौदा न करे

2171. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक की बैअ पर दूसरा बैअ न करे। **(बुख़ारी-2139, मुस्लिम-1412)**

2172. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स अपने भाई की बैअ पर बैअ न करे, न उसके सौदे पर सौदा करे।

बैअे नज्श की मुमानिअत

तश्रीह: बैअे नज्श का मतलब ये है कि जो शख़्स माल ख़रीदने का इरादा नहीं रखता, वो बोली में हिस्सा ले और जितनी क़ीमत पहले पेश की जा चुकी है, उससे ज़्यादा पेश करे ताकि ज़रूरतमन्द ख़रीदार उसे ज़्यादा क़ीमत देने पर आमादा हो जाये।

2173. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बैअे नज्श से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-2142, मुस्लिम-1412)**

2174. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बैअे नज्श न करो।

शहरी, देहाती के लिये बैअ न करे

2175. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शहरी आदमी देहाती की तरफ़ से बैअ न करे। **(मुस्लिम-1522)**

2176. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शहरी आदमी देहाती के लिये फ़रोख़्त करे, लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाह तआला एक को दूसरे से रोज़ी पहुँचाता है। **(मुस्लिम-1522)**

2177. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, शहरी शख़्स के लिए जाइज़ नहीं कि बाहर वाले के लिये फ़रोख़्त करे। इसका क्या मतलब है? फ़र्माया कि बाहर वाले का दलाल न बने। **(बुख़ारी-2158, मुस्लिम-1521)**

बाहर से सामान लाने वाले ताजिरों को (शहर में पहुँचने से पहले) जाकर मिलने की मुमानिअत का बयान

2178. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, शहर से बाहर जाकर रसद लाने वालों से ख़रीद व फ़रोख़्त न करो। अगर किसी ने ख़रीद लिया तो शहर में आकर माल वाले को इख़्तियार होगा (चाहे बैअ क़ायम रखे चाहे फ़स्ख़ कर दे। **(मुस्लिम-1519)**

2179. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले करीम (ﷺ) ने सामान लाने वालों को आगे जाकर मिलने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1517)**

2180. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने शहर से बाहर जाकर बैअ करने वालों की मुलाक़ात से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-2149, मुस्लिम-1518)**

ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले जब तक जुदा न हों उनको इख़्तियार है

2181. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले जुदा न हों। उस वक़्त तक उनको इख़्तियार है या उनमें से एक-दूसरे को इख़्तियार दे दे। अगर इख़्तियार दे दिया और उसने बैअ को पसन्द कर लिया तो उस सूरत में बैअ ज़रूरी हो जायेगी और उसी तरह अगर आपस में एक-दूसरे से जुदा हो गये और किसी ने बैअ को रद्द न किया तो भी लाज़िम हो जायेगी। **(बुख़ारी-2112, मुस्लिम-1531)**

2182. हज़रत अबू बर्ज़ा असलमी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीद व फ़रोख़्त करने वाले जब तक जुदा न हों, उस वक़्त तक उनको इख़्तियार है। **(अबू दाऊद-3457)**

2183. हज़रत समुरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीदने वाले और बेचने वाले को इख़्तियार है, जब तक वो एक-दूसरे से जुदा न हो। **(नसाई-4486)**

इख़्तियार की बैअ का बयान

2184. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने एक गांव वाले से घास की गठरी ख़रीदी। आपने उससे फ़र्माया, अब तुझको इख़्तियार है, चाहे तू बैअ को पसन्द करे या इसको रद्द कर दे। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह तआला आपको लम्बी उम्र दे, मैंने बैअ को बरक़रार रखा। **(तिर्मिज़ी-1249)**

2185. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, बैअ रज़ामन्दी के साथ होती है। (अगर ख़रीदने वाले या फ़रोख़्त करने वाले में एक भी नाराज़ हो तो बैअ न होगी) **(बैहक़ी)**

बेचने वाले और ख़रीदने वाले के बीच इख़्तिलाफ़ हो जाये तो?

2186. हज़रत क़ासिम इब्ने अब्दुर्रहमान (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने इमारत के गुलामों में से अश्अस बिन क़ैस (रज़ि.) के हाथ एक गुलाम फ़रोख़्त किया। उसके बाद आपस में क़ीमत के अंदर इख़्तिलाफ़ हो गया। हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर तुम कहो तो मैं हुज़ूर (ﷺ) की एक हदीस सुनाऊँ जो मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुनी है। अश्अस ने कहा, बयान कीजिए। आपने फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना था जब बेचने वाले और ख़रीदने वाले में इख़्तिलाफ़ हो और गवाह किसी के पास मौजूद न हों तो उस सूरत में बेचने वाले का क़ौल मुअतबर होगा या यह कि आपस में बैअ को फ़स्ख़ कर डालें। अश्अस कहने लगे, अच्छा। तो मैं ये चाहता हूँ बैअ को फ़स्ख़ कर दूँ। अब्दुल्लाह ने बैअ को तोड़ दिया। **(अबू दाऊद-3512)**

जो चीज़ पास न हो उसे बेचना मना है और जिसके नुक़्सान की ज़िम्मेदारी बेचने वाले पर नहीं, उसका नफ़ा लेना मना है

2187. हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक शख़्स मुझसे एक चीज़ ख़रीदना चाहता है और मेरे पास वो चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं उसके हाथ फ़रोख़्त करूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चीज़ तुम्हारे पास न हो उसको न बेचा करो। **(अबू दाऊद-3503, तिर्मिज़ी-1232)**

2188. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो चीज़ तुम्हारे पास मौजूद न हो उसकी बैअ नहीं। जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में न हो उसका नफ़ा दुरुस्त नहीं।
(अबू दाऊद-3504, तिर्मिज़ी-1234)

2189. हज़रत अत्ताब बिन उसैद (रज़ि.) का बयान है, जब मुझको रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मक्का की तरफ़ रवाना किया तो मुझको उस चीज़ का नफ़ा लेने से मना किया जो अपने क़ब्ज़े में न हो।

जब दो शख़्सों ने किसी चीज़ को ख़रीदा तो वो चीज़ पहले वाले की होगी

2190. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) और **समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो साहिबे इख़्तियार एक चीज़ को ख़रीदें तो वो चीज़ उसी की होगी जिसने पहले ख़रीदा है।
(अबू दाऊद-2088, तिर्मिज़ी-1110)

2191. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो शख़्स किसी चीज़ को ख़रीदें तो वो चीज़ उसकी होगी जिसने पहले ख़रीदी है।

बैअुल उरबान की मुमानिअत

तशरीह : बैअ उरबान उसे कहते हैं कि कोई शख़्स किसी चीज़ को ख़रीदने के लिये बैआना (एडवान्स) के तौर पर कुछ रक़म दे और ये कहे कि अगर मैंने ये चीज़ न ख़रीदी तो ये एडवान्स की रक़म तेरी हो जायेगी। (अभी हमारे मुस्लिम मुआशरे में भी इस तरह की बैअ धड़ल्ले से की जाती है। मसलन, एक शख़्स ने किसी मकान को ख़रीदने के लिये रक़म एडवान्स दी, अगर उसने मकान का सौदा रद्द कर दिया तो वो रक़म डूब जायेगी और अगर बेचने वाले ने उस मकान को बेचने से मना कर दिया तो एडवान्स रक़म देने वाला उससे दोगुनी रक़म वसूल करता है, शरीअत में ऐसी बैअ की मुमानिअत है। —मुतर्जिम)

2192. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने बैअुल उरबान से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-3502)**

2193. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने बैअुल उरबान से मना फ़र्माया है। अबू अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि उरबान के मअनी ये हैं कि आदमी एक जानवर सौ दीनार का ख़रीदे और दो दीनार बैआना के तौर पर देकर कहे कि अगर मैं ये जानवर न ख़रीदूँ तो ये दोनों दीनार तुम्हारे हैं।

बैअुल हसात और बैअुल ग़रर की मुमानिअत

तशरीह : बैअुल हसात ये है कि आदमी कंकरी फेंके और जिस चीज़ पर वो कंकरी जा गिरे उसकी बैअ क़ायम हो जाये और बैअ ग़रर ये है कि जिस चीज़ के मिलने का अंदाज़ा हो, लेकिन यक़ीन न हो। उसकी बैअ करे, जैसे तालाब में मछलियों की या हवा में परिन्दों की।

2194. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने बैअुल ग़रर और बैअुल हसात से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1513)**

2195. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बैअुल ग़रर से मना फ़र्माया है। **(दारक़ुत्नी)**

जो चीज़ जानवरों के पेट में है या उनके थनों में हैं, ऐसी चीज़ की और ग़ौताखोर की बैअ की मुमानिअत का बयान

2196. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने जानवरों के पेटों में बच्चों की ख़रीद से और उनके थनों में दूध ख़रीदने से और ग़ौताखोर का एक ग़ौता ख़रीदने से मना फ़र्माया है। इसी तरह सदक़ों के ख़रीद से मना फ़र्माया है। **(तिर्मिज़ी-1563)**

2197. हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमल के फ़रोख़्त करने से मना फ़र्माया है। **(नसाई-4627)**

नीलामी का बयान

2198. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आपसे सवाल करने लगा। आपने उससे फ़र्माया, तेरे घर मे कोई चीज़ है? उसने अर्ज़ किया, जी हाँ! मेरे यहाँ एक कम्बल है जिसमें से कुछ ओढ़ लेता हूँ और कुछ बिछा लेता हूँ और एक प्याला है जिसमें हम पीते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जा उसको ले आ। वो गया और उन दोनों को लेकर आया और हुज़ूर (ﷺ) के सामने पेश किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उन दोनों को दस्ते मुबारक में लेकर फ़र्माया। इन दोनों को कौन शख़्स मोल लेता है? एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इन दोनों को मैं एक दिरहम में मोल लेता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने दोबारा फ़र्माया, और कौन लेता है ? दूसरे ने कहा, या रसूलल्लाह! मैं इन दोनों को दो दिरहम में लेता हूँ। आपने उन दोनों को (दो दिरहम में) उसके हाथ बेच दिया और दो दिरहम लेकर उस शख़्स को देते हुए फ़र्माया, एक दिरहम का अनाज ख़रीदकर घरवालों को दे दे और दूसरे दिरहम की एक कुल्हाड़ी ख़रीदकर मेरे पास ले आ, उसने ऐसा किया। आपने उसको लेकर अपने दस्ते मुबारक से उसमें दस्ता लगाया। और उससे फ़र्माया कि जा (जंगल से) लकड़ियाँ लाया कर (और उसे बेचकर कर अपनी ज़रूरियात पूरी किया कर) और पन्द्रह दिन तक मेरे पास न आना। उसने लकड़ियाँ लाकर बेचना शुरू कीं। (पन्द्रह दिन के बाद वो) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त उसके पास दस दिरहम मौजूद थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसमें से चन्द दिरहम का ग़ल्ला ले लो और चन्द दिरहम का कपड़ा। फिर फ़र्माया, ये तेरे लिये उससे बेहतर है कि तू माँगने की वजह से क़यामत के दिन अपने चेहरे पर दाग़ लेकर आये। माँगना उसके लिये (जाइज़) है जो निहायत मुहताज है या कर्ज़दार है, या क़त्ल के गुनाह में गिरफ़्तार है।(उसको दियत की रक़म अदा करने के लिये माल की ज़रूरत है)

(अबू दाऊद-1641, तिर्मिज़ी-1218)

बैअ के फ़स्ख़ करने का बयान

2199. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी मुसलमान की बैअ के फ़स्ख़ करने पर राज़ी हो जायेगा (यानी बेची हुई चीज़ वापस करेगा) तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके गुनाह माफ़ फ़र्माएगा। **(अबू दाऊद-346)**

नख़ (सरकारी तौर पर क़ीमतें) मुक़र्रर करना मना है

2200. हज़रत अनस (रज़ि .) का बयान है कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में (कुछ चीज़ों का) भाव बढ़ गया। लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (चीज़ों के) भाव बढ़ गये हैं, अगर आप (चीज़ों के) भाव मुक़र्रर कर देते तो बेहतर होता। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, भाव मुक़र्रर करने वाला अल्लाह तआला है, वही तंगी करता है वही फ़राख़ी करता है और राज़िक़ है। मुझको उम्मीद है कि अल्लाह तआला से जब मेरी मुलाक़ात होगी तो कोई शख़्स जान व माल पर ज़ुल्म की बिना पर मुझ पर दावा नहीं करेगा। **(अबू दाऊद-3451, तिर्मिज़ी-1218)**

2201. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में भाव चढ़ गये तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! काश अगर आप भाव मुक़र्रर कर दें तो निहायत बेहतर हो। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं चाहता हूँ कि जब मेरी मुलाक़ात अल्लाह तआला से हो तो तुममें से कोई मुझसे उस वक़्त किसी ज़ुल्म का मुतालबा करने वाला न निकले। **(मुस्नद अहमद)**

ख़रीद व फ़रोख़्त में नर्मी से काम लेने का बयान

2202. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उस शख़्स को जन्नत में दाख़िल करेगा जो ख़रीद व फ़रोख़्त में नर्मी करे। **(नसाई-3700)**

2203. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला उस शख़्स पर रहम करे जो बेचते वक़्त भी नर्मी से काम लेता है और जब ख़रीदता है तब भी नर्मी से पेश आता है, मामला भी नर्मी के साथ करता है। **(बुख़ारी-2076)**

किसी चीज़ का सौदा करना

2204. हज़रत क़ैला उम्मे बनी अन्मार (रज़ि.) कहती हैं, मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप उस वक़्त उमरह में मरवा पहाड़ के पास थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ख़रीद व फ़रोख़्त किया करती हूँ और उसमें ये करती हूँ कि मुझको जितने में कोई चीज़ ख़रीदना होती है उससे कम दाम लगाती हूँ और फिर बढ़ाते-बढ़ाते अपने दिली मोल तक आ जाती हूँ। इसी तरह जब कोई चीज़ बेचती हूँ तो जितने को बेचना मक़्सूद होती है उससे ज़ाइद दाम कहती हूँ और फिर कम करते करते अपने मक़्सूद पर आ जाती हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ैला ये अच्छा काम नहीं जो चीज़ जितने को बेचो उतने ही दाम कह दो लेने वाले को ख़ुशी होगी ले लेगा वरना नहीं और जो चीज़ ख़रीदो उसकी एक क़ीमत कह दो, ख़रीदार ले या न ले। **(तब्रानी फ़िल्कबीर)**

2205. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) के साथ किसी जिहाद में (जा रहा) था। हुज़ूर (ﷺ) मुझसे फ़र्माने लगे, (जाबिर रज़ि.) तुम अपने पानी पिलाने का ऊँट मुझे एक दीनार में बेचते हो? मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब मैं मदीना पहुँच जाऊँ तो वो (वैसे ही आपका) है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तुमको बख़्शे। अच्छा दो दीनार को फ़रोख़्त कर डालो। मैंने फिर वही कहा। अल्ग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) एक-एक दीनार बढ़ाते रहे और हर मर्तबा फ़र्माया, अल्लाह तेरी मग़्फ़िरत करे। यहाँ तक कि बीस दीनार तक उसकी क़ीमत पहुँच गई। अल्ग़र्ज़ तब मैं मदीना वापिस आया तो ऊँट की महार थामकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में लाया। हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से फ़र्माया कि बिलाल, जाबिर (रज़ि.) को इस थैली में से बीस दीनार दे दो और मुझसे फ़र्माया, अपना ऊँट भी अपने घर वालों के पास ले जा। **(मुस्लिम-2718)**

2206. हज़रत अली करमुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सूरज निकलने से पहले भाव लगाने से और दूध वाली गाय या बकरी को ज़िब्ह करने से मना फ़र्माया है।

ख़रीद व फ़रोख़्त में क़सम खाने की मुमानिअत

2207. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला तीन शख़्सों की तरफ़ न देखेगा न उनसे बात करेगा, न उनको पाक करेगा और उनको तक्लीफ़ की मार होगी। पहला वो शख़्स, जिसके पास सह्रा (रेगिस्तान) में पानी, उसकी ज़रूरत से ज़्यादा हो और वो मुसाफ़िरों को इस्तेमाल करने से मना करे। दूसरा वो शख़्स, जो अस्र के बाद क़सम खाकर माल बेचे और कहे कि अल्लाह की क़सम! मैंने ये माल इतने में ख़रीदा था और लेने वाला उसको सच्चा मान ले लेकिन वो झूठा हो। तीसरा वो शख़्स कि जिसने इमाम की बैअत दुनिया

क लालच से की हो अगर इमाम ने उसको माल व दौलत दिया तो वो बैअत करने पर तैयार रहा, वरना बैअत को तोड़ दिया।
(मुस्लिम-108)

2208. हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला तीन शख़्सों की तरफ़ न देखेगा, न उनसे बात करेगा, न उनको (गुनाहों से) पाक करेगा बल्कि उनके लिये सख़्त अज़ाब होगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौन लोग हैं? ये तो बड़े नुक़्सान और तबाही में रहे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, टखनों से नीची इज़ार लटकाने वाला, कोई चीज़ देकर एहसान जतलाने वाला और झूठी क़सम खाकर अपने माल को फ़रोख़्त करने वाला। **(मुस्लिम-106)**

2209. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़रीद व फ़रोख़्त में क़सम खाने से निहायत परहेज़ किया करो। पहले तो उससे माल फ़रोख़्त हो जाता है लेकिन बाद मे बरकत जाती रहती है।
(मुस्नद अहमद)

खजूर के कलमी दरख़्त के बेचने और मालदार गुलाम के फ़रोख़्त करने का बयान

2210. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कलम लगा हुआ दरख़्त फ़रोख़्त करे उसका फल बेचने ही वाले का होगा। अल्बत्ता अगर ख़रीदने वाला उसके होने की शर्त करे तो ख़रीदने वाले का होगा।
(बुख़ारी-2204, मुस्लिम-1543)

2211. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स कलम लगा हुआ दरख़्त फ़रोख़्त करे तो उसका फल फ़रोख़्त करने वाले का होगा। अल्बत्ता अगर ख़रीदने वाला अपने लिये होने की शर्त कर लेगा (तो उसका हो जायेगा) और जो शख़्स मालदार गुलाम को फ़रोख़्त करे तो उस गुलाम का माल फ़रोख़्त करने वाले का होगा। मगर इस सूरत में कि ख़रीदने वाला इसकी शर्त तै करे कि (ये माल भी मेरा होगा तो ले सकता है)।
(बुख़ारी-2379, मुस्लिम-1543)

2212. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स खजूर के दरख़्त बेचे और गुलाम बेचे.....। नाफ़ेअ (रह.) ने इब्ने उमर (रज़ि.) से दोनों जुम्ले इकट्ठे (एक जुम्ले की सूरत में) रिवायत किये। **(मुस्नद अहमद)**

2213. हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने कलम लगे हुए दरख़्त को फ़रोख़्त करने वाले को उसका फल दिलाया। अल्बत्ता अगर ख़रीदने वाला इसकी शर्त कर ले तो ले सकता है। गुलाम का माल गुलाम वाले का होगा। अगर ख़रीदने वाला शर्त कर ले, तो वो ले सकता है।

फलों की ख़ूबी ज़ाहिर होने से पहले बैअ की मुमानिअत

2214. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने ख़रीदने वाले और फ़रोख़्त करने वाले दोनों को फल पुख़्ता होने से पहले ख़रीदो-फ़रोख़्त करने से मना फ़र्माया है। **(नसाई-4523)**

2215. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक फल पुख़्ता होने के क़रीब न हो जाए उस वक़्त तक उसकी बैअ़ न किया करो। **(मुस्लिम-1538)**

2216. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फल को पुख़्ता होने से पहले फ़रोख़्त करने की मुमानिअ़त फ़र्माई है। **(बुख़ारी-2189)**

2217. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फल के ज़र्द या सुर्ख होने से पहले फ़रोख़्त करने को और अंगूर को स्याह होने से पहले और ग़ल्ला को सख़्त होने से पहले फ़रोख़्त करने से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-3371, तिर्मिज़ी-1228)**

आइन्दा सालों की फ़स्ल फ़रोख़्त करने का बयान और फ़सल पर आफ़त का आ जाना

2218. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने कई साल के लिये फलों की बैअ़ करने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1554)**

2219. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने फल बेचा फिर उस पर आफ़त आ गई तो (फल बेचने वाले को चाहिए) कि अपने भाई का ज़रा सा माल भी न ले (बल्कि लिया हुआ वापिस कर दे) आदमी अपने भाई का माल ऐसी सूरत में किस तरह ले सकता है। **(मुस्लिम-1554)**

तोलने में झुकता हुआ तोलना

2220. हज़रत सुवैद बिन क़ैस का बयान है कि मैं और मख़रफ़ा अ़ब्दी मुक़ामे हिज्र से कपड़ा लेकर आये और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये और एक पाजामा ख़रीदा। हमारे पास एक तोलने वाला नौकर था, जो उज्रत पर तोलता था। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, ऐ तोलने वाले! इसको तोल लेकिन झुकता हुआ तोलना। **(अबू दाऊद-3336)**

2221. हज़रत मालिक बिन अबू सफ़्वान इब्ने उ़मैर (रज़ि.) का बयान है, हिज्रत से पहले मैंने नबी करीम (ﷺ) के हाथ एक पाजामा फ़रोख़्त किया। हुज़ूर (ﷺ) ने (उसकी क़ीमत) तोल कर अ़ता फ़र्माई और झुकता हुआ तोला। **(अबू दाऊद-3337)**

2222. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तोला करो तो झुकता हुआ तोला करो।

नाप-तोल में पूरा देना

2223. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है, जब रसूले अकरम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो उस वक़्त मदीने वाले तोल में बहुत दग़ाबाज़ी करते थे। उनके लिये अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, **वयलुल् लिल् मुतफ़्फ़िफ़ीन** (नाप तोल में कमी करने वालों के लिये हलाकत है)। इस आयत के नाज़िल होने के बाद लोगों ने सही तौर पर तोलना शुरू किया। **(हाकिम)**

धोखा देने की मुमानिअत का बयान

2224. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र एक अनाज के तोलने वाले के पास से हुआ और आपने उसमें हाथ डालकर देखा तो वो अंदर से गीला था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, धोखेबाज़ आदमी का हमसे कोई तअल्लुक़ नहीं। वो हममें दाखिल नहीं (हमसे उसको कोई रिश्ता नहीं)। **(अबू दाऊद-3452)**

2225. हज़रत अबू हमज़ा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) का गुज़र एक अनाज वाले के क़रीब से हुआ। आप (ﷺ) ने उसके अनाज के बर्तन में हाथ डालकर देखा और उससे फ़र्माया, शायद तुमने इसका ऐब छुपाने के लिये ये सूरत निकाली है, जो शख़्स धोखा करे वो हममें से नहीं (हमसे उसका कोई रिश्ता नहीं)।

अनाज पर क़ब्ज़ा करने से पहले अनाज का फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं

2226. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अनाज ख़रीदे तो अपने क़ब्ज़े में करने से पहले उसका सौदा न करे। **(बुख़ारी-2126, मुस्लिम-1526)**

2227. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इंसान अनाज ख़रीदे तो क़ब्ज़ा करने से पहले उसकी बैअ न करे। अबू अवाना अपनी रिवायत में बयान करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं हर चीज़ को अनाज की तरह ख़्याल करता हूँ। **(बुख़ारी-2135, मुस्लिम-1525)**

2228. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त तक अनाज को न फ़रोख़्त किया जाये जब तक कि ख़रीदने और फ़रोख़्त करने वाले अपनेअपने पैमाने से उसको नाप न लें। **(दारक़ुत्नी)**

ढेर लगाकर फ़रोख़्त करना

2229. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, जब काफ़िला वालों से तआम के ढेर ख़रीद लिये जाएँ तो वहाँ से जब तक उठा न लें उसकी बैअ करने से हुज़ूर (ﷺ) ने हमको मना फ़र्माया था। **(मुस्लिम-1529)**

2230. हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) का बयान है कि मैं बाज़ार में खजूरों के गट्ठे फ़रोख़्त किया करता और ख़रीददार से कह दिया करता कि इस गट्ठे में इतनी-इतनी खजूरें नाप लीं हैं। लिहाज़ा उसके हिसाब से जितनी ज़ाइद होतीं वो निकाल लिया करता लेकिन एक बार मेरे दिल में कुछ कराहत मालूम हुई। मैंने इसका ज़िक्र हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम ये कहो कि इसमें इतने किलो हैं तो उसको नाप लिया करो। **(मुस्नद अहमद)**

नापने में बरकत हासिल हुआ करती है

2231. हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र माज़िनी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अपना अनाज नाप लिया करो इसमें बरकत हासिल हुआ करती है।

2232. हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अनाज को नाप लिया करो, इससे बरकत होती है। **(मुस्नद अहमद)**

बाज़ारों में जाने की कैफ़ियत

2233. हज़रत अबू उसैद (रज़ि.) का बयान है, (एक बार) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) सौकुन-नबीत में (बाज़ार का नाम है) तशरीफ़ ले गये। उसको देखकर फ़र्माया, ये तुम्हारा बाज़ार नहीं (इसमें ख़रीद व फ़रोख़्त न किया करो)। उसके बाद दूसरे बाज़ार में तशरीफ़ ले गये और उसको देखकर फ़र्माया, ये भी तुम्हारे क़ाबिल नहीं। फिर यहाँ से वापिस उस बाज़ार में तशरीफ़ ले गये। फ़र्माया, ये बाज़ार तुम्हारे क़ाबिल है इसमें (ख़रीद व फ़रोख़्त कर लिया करो) तुमको इसमें कम नहीं मिलेगा और न कोई खिलाफ़े-शरअ तुम पर ख़िराज (टैक्स) होगा।

2234. हज़रत सलमान (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है, जो शख़्स सुबह उठकर फ़ज्र की नमाज़ के लिये गया, वो ईमान का झण्डा लेकर गया और जो शख़्स सुबह-सुबह उठकर बाज़ार गया, वो शैतान का झण्डा लेकर गया। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-6146)**

2235. हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बाज़ार में दाख़िल होते वक़्त ये दुआ पढ़ेगा, **ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्कु वलहुल् हम्दु युह्यि व युमीतु वहुव हय्युल् ला यमूतु बियदिहिल् खैरि वहुव अला कुल्लि शैइन् कदीर.** तो अल्लाह तआला उसके लिये हज़ारों नेकियाँ तहरीर फ़र्मायेगा। हज़ार-हजार गुनाह उसके माफ़ करके उसको जन्नत में एक मकान अता फ़र्माएगा। **(तिर्मिज़ी-3429)**

सुबह के वक़्त में बरकत की उम्मीद की जाती है

2236. हज़रत सख़र ग़ामिदी (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने सुबह के वक़्त में मेरी उम्मत को बरकत अता फ़र्माई है और जब आप कभी लश्कर को रवाना करते तो सुबह के वक़्त में रवाना करते (इस हदीस के रावी) हज़रत सखर (रज़ि.) सौदागर थे। अपना माले-तिजारत सुबह ही के वक़्त में रवाना किया करते। अल्लाह तआला ने उनको मालदार व दौलतमंद बना दिया। **(अबू दाऊद-2606)**

2237. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिये जुमेरात की सुबह में बरकत अता फ़र्मा दे।

2238. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! मेरी उम्मत के लिये सुबह के वक़्त में बरकत अता फ़र्मा।

उस बकरी का बयान जिसके थनों में कई रोज़ का दूध रुका हो

2239. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कई दिन के रुके हुए दूध की बकरी ख़रीदे उसको तीन दिन तक इख़्तियार है। अगर उसको वापिस करेगा तो उसके साथ एक साअ खजूरों का भी देना चाहिए, गैहूँ का साअ देने की जरूरत नहीं। **(मुस्लिम-1524)**

2240. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ऐसी बकरी ख़रीदे जिसके **थनों में कई दिनों का दूध रुका** हो तो उसको तीन दिन तक इख़्तियार है। अगर तीन रोज़ के बाद वापिस करेगा तो उसको खजूरों का एक साअ देना होगा। **(अबू दाऊद-3446)**

2241. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, मैं गवाही देकर कहता हूँ कि अबुल क़ासिम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसे जानवरों को जिसके थनों में कई दिनों का दूध रुका हुआ हो, फ़रोख़्त करना धोखा है और मुसलमान को धोखा देना जाइज़ नहीं। **(मुस्नद अहमद)**

फ़ायदा उसी को मिलेगा जो नुक़्सान बर्दाश्त करने का ज़िम्मेदार है

2242. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, गुलाम का माल वही शख़्स लेगा जो ज़मानतदार होगा। **(अबू दाऊद-3508, तिर्मिज़ी-1285)**

2243. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स ने किसी से गुलाम ख़रीदा और उससे ख़रीदने के बाद मज़दूरी कराई। उसके बाद उसमें ऐब निकल आया। उसने वो गुलाम फिर वापिस कर दिया। बेचने वाले ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसने मेरा गुलाम ख़रीदा और इससे मज़दूरी कराई (उसकी कमाई भी इसने ही ले ली, लिहाज़ा वो मुझे दिलवाई जाये) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये फ़ायदा उसी का होगा। क्योंकि फ़ायदा (नुक़्सान की) ज़िम्मेदारी के साथ है। **(अबू दाऊद-3510)**

लौण्डी, गुलाम के बैअ में वापसी का कब तक इख़्तियार होगा

2244. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, गुलाम के अंदर तीन दिन का इख़्तियार होगा। **(तबरानी फ़िल्कबीर-6874)**

2245. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, चार दिन के बाद (गुलाम की) कोई ज़िम्मेदारी नहीं। **(अबू दाऊद-3506)**

ऐबदार चीज़ को फ़रोख़्त करे तो उसका ऐब बयान कर दे

2246. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी मुसलमान के लिये ये जाइज़ नहीं कि किसी मुसलमान के हाथ ऐबदार चीज़ बग़ैर बयान किये फ़रोख़्त करे। **(मुस्लिम-1414)**

2247. हज़रत वासिला इब्ने अस्फ़अ (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कोई ऐबदार चीज़ फ़रोख़्त करेगा और उसका ऐब न बयान करेगा। उस पर अल्लाह तआला का हमेशा ग़ज़ब रहेगा। और हमेशा फ़रिश्ते उस पर लअनत करते रहेंगे। **(तबरानी फ़िल्कबीर-129)**

क़ैदियों को अलग करके फ़रोख़्त करने की मुमानिअत

2248. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का बयान है, जब नबी करीम (ﷺ) के सामने क़ैदी लाये जाते तो अगर वो (आपस में रिश्तेदार होते) तो आप उनमें जुदाई न करवाते। सबको जमा करके एक शख़्स को अता कर देते।

2249. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने मुझको दो गुलाम जो भाई-भाई थे, अता किये। मैंने उनमें से एक को फ़रोख़्त कर दिया। एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे पूछा, वो गुलाम क्या किये हैं? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनमें से एक को मैंने बेच दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको वापिस ले लो। **(मुस्नद अहमद)**

2250. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने उस शख़्स पर लअ़नत फ़र्माई है जो माँ और उसके बच्चे में जुदाई कराये या भाई-भाई में तफ़रीक़ कर डाले। **(बैहक़ी)**

गुलाम और लौण्डी खरीदने का बयान

2251. हज़रत अ़ब्दुल मजीद इब्ने वहब (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हज़रत खालिद बिन हौज़ह (रज़ि.) कहने लगे, क्या मैं तुमको वो किताब सुनाऊँ जो आँहज़रत (ﷺ) ने मेरे लिये तहरीर फ़र्माई थी। मैंने कहा कि ज़रूर सुनाओ। उन्होंने एक तहरीर निकाली। मैंने जो उसको देखा तो लिखा हुआ था कि ये (तहरीर है जो बतौरे सनद के) खालिद इब्ने हौज़ह (रज़ि.) को दी गई है। उसने मुहम्मद अल्लाह के रसूल से एक गुलाम या एक बांदी ख़रीदी है जिसमें कोई ऐब या बीमारी नहीं है, न वो चोरी का माल है न हराम का। मुसलमान की ख़रीददारी मुसलमान से हुई है। **(तिर्मिज़ी-1216)**

2252. हज़रत अ़म्र इब्ने शुऐ़ब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स बांदी ख़रीदे तो ये दुआ पढ़े **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक ख़ैरहा व ख़ैरमा जबल्तहा अ़लैहि व अऊ़ज़ुबिक मिन शर्रिहा व शर्रिमा जबल्तहा अ़लैहि.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इसकी भलाई माँगता हूँ, और जिन आ़दतों पर तूने इसको पैदा किया है उनकी भलाई माँगता हूँ और इसके शर से तेरी पनाह माँगता हूँ और जिन आ़दतों पर तूने इसको पैदा किया, उसके शर से तेरी पनाह में आता हूँ)। उसके बाद बरकत की दुआ करे और जब तुममें से कोई शख़्स ऊँट ख़रीदे तो उसके कोहान का ऊँचा हिस्सा पकड़कर यही दुआ करे और बरकत का तलबगार हो।

बैअ़ सर्फ़ और उन चीज़ों की बैअ़ जिनमें कमी-ज़्यादती करके बेचना नाजाइज़ है

2253. हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सोना-सोने के बदले हाथों-हाथ फ़रोख़्त करना चाहिए। इसी तरह गेंहू को गेंहू के बदले, जौ को जौ के बदले और खजूर को खजूर के बदले में हाथों-हाथ फ़रोख़्त करना चाहिये, अगर हाथों-हाथ न फ़रोख़्त किया गया तो सूद हो जायेगा। **(बुख़ारी-2134, मुस्लिम-1586)**

2254. हज़रत मुहम्मद इब्ने सीरीन (रज़ि.) कहते हैं कि मुस्लिम इब्ने यसार और अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़बैद (रज़ि.) ने बयान किया कि उ़बादा इब्ने सामित (रज़ि.) और हज़रत मुआ़विया (रज़ि.) की यहूद या नसारा के किसी गिरजा में मुलाक़ात हुई। हज़रत उ़बादा (रज़ि.) ने मुआ़विया (रज़ि.) से हदीस बयान की कि नबी करीम (ﷺ) ने हमको चाँदी के बदले में चाँदी की, सोने के बदले में सोने की, गेंहू के बदले में गेंहू की, जौ के बदले में जौ की और खजूर के बदले में खजूर की, एक रिवायत के मुताबिक़ नमक के बदले में नमक की ख़रीदो-फ़रोख़्त करने से मना फ़र्माया। और हमें जौ के बदले गेंहू या गेंहू के बदले में जौ की हाथों-हाथ बैअ़ करने का हुक्म दिया, जैसे हम चाहें (मिक़्दार की कमी-बेशी के साथ)। **(नसाई-4564)**

2255. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, चाँदी को चाँदी के बदले में, सोने को सोने के बदले में, जौ को जौ के बदले में, गेंहू को गेंहू के बदले में बराबर-बराबर फ़रोख़्त करो (कम व बेश न हो)। **(मुस्लिम-1595)**

2256. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) हमको अदना क़िस्म की खजूरें खाने

के लिये दिया करते। हम उनको उ़म्दा खजूरों से ज़्यादा करके बदल लेते। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, खजूर के एक साअ़ के बदले दो साअ़ फ़रोख़्त करना जाइज़ नहीं। इसी तरह एक दिरहम के बदले दो दिरहम और एक दीनार के बदले में दो दीनार न फ़रोख़्त करो। अगर फ़रोख़्त करो तो बिल्कुल बराबर हों, कम व बेश न हों (वरना सूद हो जायेगा)। **(बुख़ारी-2080, मुस्लिम-1595)**

उनका बयान जो कहते हैं कि मियाद मुअय्यन करके फ़रोख़्त करने में सूद होता है

2257. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहा करते दिरहम को दिरहम के बदले, दीनार को दीनार के बदले बराबर फ़रोख़्त करना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि (भाई) मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) को और कुछ फ़र्माते सुना है। अबू सईद (रज़ि.) ने कहा कि मैंने इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मुलाक़ात की थी और उनसे कहा था कि बैअ़ सर्फ़ के बारे में जो कुछ आप बयान करते हैं वो बयान कीजिए (ताकि मैं भी सुनूँ) क्या तुमने हुज़ूर (ﷺ) से इसके बारे में सुना है या अल्लाह तआ़ला की किताब में कोई हुक्म देखा है? उन्होंने फ़र्माया, कि न मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है न अल्लाह की किताब में देखा है। लेकिन उसामा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया था कि सूद (मीयादी तौर पर) फ़रोख़्त करने से ही होता है। **(बुख़ारी-2178, मुस्लिम-1596)**

2258. हज़रत अबु जौज़ा का बयान है कि मुझको मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बैअ़ सर्फ़ के जवाज़ का हुक्म देते हैं और (उसकी हिल्लत में) हदीस रिवायत करते हैं। उसके बाद मुझको मालूम हुआ कि उन्होंने उस क़ौल से रुजूअ़ कर लिया है तो मैं उनसे मुलाक़ात के लिये गया और उनसे कहा कि मुझको मालूम हुआ है कि आपने अपने साबिक़ा क़ौल से रुजूअ़ कर लिया। फ़र्माने लगे कि हाँ! वो क़ौल मेरी राय से था लेकिन उसके बाद मुझको अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) की हदीस मालूम हुई कि नबी करीम (ﷺ) ने बैअ़ सर्फ़ से बसूरत कमीबेशी मना फ़र्माया है (लिहाज़ा मैंने इस क़ौल से रुजूअ़ कर लिया)। **(मुस्नद अहमद)**

सोने को चाँदी के बदले फ़रोख़्त करने का बयान

2259. हज़रत उ़मर (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सोने को चाँदी के बदले में नकद फ़रोख़्त करना चाहिए उसके अ़लावा सूद है। हज़रत अबूबक्र इब्ने अबी शैबा (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत सुफ़ियान (रज़ि.) ने कहा, सोने को चाँदी के बदले में फ़रोख़्त करते वक़्त हिफ़ाजत किया करो।

2260. हज़रत मालिक इब्ने औस इब्ने हदसान का बयान है, एक बार मैं ये कहता हुआ आया कि बैअ़ सर्फ़ कौन करता है (ज़रा मैं भी उसको देखूँ) हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) जो उस वक़्त हजरत उ़मर (रज़ि.) बिन ख़त्ताब के पास बैठे हुए थे, कहने लगे कि मुझको अपना सोना दे जाओ, थोड़ी देर के बाद जब हमारा खजान्ची आ जाये तो हम तुमको उसकी क़ीमत दे देंगे। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, नहीं! अल्लाह की क़सम! (ये नहीं हो सकता) या तो उसकी क़ीमत (अभी अदा कर दो) या उसका सोना वापिस कर दो। क्योंकि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया है कि सोने को चाँदी के बदले फ़रोख़्त करने में अगर नकद न होगा तो सूद हो जायेगा। **(हदीस नं. 2253 में देखें)**

2261. हज़रत अ़ली (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दीनार को दीनार के बदले में या दिरहम को दिरहम के बदले में फ़रोख़्त करो तो बिलकुल बराबर हों। और जिस शख़्स को चाँदी की ज़रूरत हो तो सोने के बदले और सोने की जरूरत हो तो चाँदी के बदले में नकद लेना चाहिए। **(तब्रानी फ़िल्औसत-6343)**

सोने के बदले चाँदी खरीदना और चाँदी के बदले सोना खरीदना

2262. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि मैं ऊँट की तिजारत किया करता था और फिर चाँदी के बदले सोना ख़रीद लिया करता और इसी तरह सोने के बदले चाँदी ख़रीद लिया करता और रुपयों के बदले अशरफियाँ और अशरफियों के बदले रुपये ले लिया करता। इसके बारे में हुज़ूर (ﷺ) से पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम दूसरे को कुछ दो और उससे लो तो मामला ख़त्म होने तक उससे अलग न हो। **(अबू दाऊद-3354)**

रुपया, अशर्फियाँ तोड़ने की मुमानिअत

2263. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुसलमानों का राइज सिक्का तोड़ने से मना फ़र्माया है। (मजबूरी की हालत में जाइज़ है) **(अबू दाऊद-3449)**

तर खजूर को ख़ुश्क खजूर के बदले में फ़रोख़्त करना

2264. हज़रत ज़ैद अबू अयाश बनी ज़ुहरा के आज़ादशुदा गुलाम ने हज़रत सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) से पूछा कि सफेद गेंहू जौ के बदले में कैसा है? सअ़द कहने लगे, दोनों में से कौन अफ़ज़ल है। मैंने कहा कि सफेद गेंहू। उन्होंने कहा कि नाजाइज़ है क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि किसी ने आपसे पूछा, तर खजूर सूखी के बदले में फ़रोख़्त करना कैसा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या सूखी हुई खजूर में कमी हो जाती है। लोगों ने अर्ज़ किया जी हाँ! हुज़ूर (ﷺ) ने उसकी बैअ़ से मना फ़र्मा दिया। **(अबू दाऊद-3359, तिर्मिज़ी-1225)**

बैअ़े मुज़ाबना और बैअ़े मुहाक़ला का बयान

2265. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बैअ़ मुज़ाबना से मना फ़र्माया है। मुज़ाबना ये है कि कटे हुए फलों के बदले में दरख़्त के फलों को फ़रोख़्त किया जाये। अगर अंगूर हो तो उसको दरख़्त पर किशमिश के बदले में फ़रोख़्त करना। खेती हो तो उसको कटे हुए अनाज के बदले में फ़रोख़्त करना। ये सब नाजाइज़ है। **(बुख़ारी-2205, मुस्लिम-1542)**

2266. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बैअ़े मुज़ाबना और बैअ़े मुहाक़ला से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1536)**

2267. हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-3400)**

बैअ़ुल अरिय्या यानी अंदाजे से खजूर फ़रोख़्त करने का बयान

2268. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने फ़र्माया, मुझे हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने बताया, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने बैअ़ुल अरिय्या की इजाज़त फ़र्माई है। **(बुख़ारी-2184, मुस्लिम-1539)**

2269. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) का बयान है, उन्होंने फ़र्माया, मुझे हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) ने बताया कि रसूले करीम (ﷺ) ने बैअ़ुल अरिय्या की इजाज़त फ़र्माई है। यानी अंदाज़ा के साथ बैअ़ करने में।

हज़रत यहया (रज़ि.) का बयान है, बैअुल अरिय्या ये है कि आदमी खजूर के चन्द दरख़्तों का ताज़ा फल अंदाज़े के साथ अपने घर की खुश्क खजूरों के बदले ख़रीद ले। (बुख़ारी-2380, मुस्लिम-1539)

एक जानवर को दूसरे जानवर के बदले में उधार देने की हालत

2270. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक हैवान की दूसरे हैवान के बदले में उधार बैअ करने से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-3356, तिर्मिज़ी-1237)**

2271. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने एक जानवर को दो जानवरों के बदले में फ़रोख़्त करने को जाइज़ रखा है मगर नकद, उधार न हो। **(तिर्मिज़ी-1238)**

एक जानवर को दो या दो से ज़्यादा के बदले में नकद बेचने का बयान

2272. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िया (रज़ि.) को सात गुलाम देकर ख़रीदा था। अब्दुर्रहमान (रह.) कहते हैं, दहिया कल्बी से ख़रीदा था। **(अबू दाऊद-2997)**

सूद का गुनाह बहुत बड़ा है

2273. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस रात मुझको मेअराज हुई, तो कुछ आदमी नजर आये जिनके पेट मकानों की तरह थे। उनमें सांप बाहर से नज़र आते थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राईल (अलैहि.)! ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, ये सूदखोर (मआज़ल्लाह सूद खाना कितनी बुरी चीज़ है। अल्लाह हर मुसलमान को इससे महफ़ूज़ रखे)। **(मुस्नद अहमद)**

2274. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूद सत्तर गुनाहों का मज्मूआ है, जिसमें से छोटा गुनाह ये है कि इंसान अपनी माँ से निकाह करे।

2275. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) नें फ़र्माया, सूद के 73 दरवाजे हैं। **(हाकिम)**

2276. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, (सूद) की आयत आख़िर में नाज़िल हुई है। हुज़ूर (ﷺ) वफ़ात पा गये और आपने इसकी तफ़्सील नहीं बयान की। लिहाज़ा सूद से और सूद का शक पैदा करने वाले उमूर से परहेज़ करो। **(मुस्नद अहमद)**

2277. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूद पर गवाह होने वाले, लिखने वाले पर लअनत फ़र्माई है। **(अबू दाऊद-3333, तिर्मिज़ी-1206)**

2278. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ज़माना लोगों का ऐसा आने वाला है कि उस ज़माने मे कोई ऐसा न होगा, जिसने सूद न खाया हो और जो न खायेगा (कम-से-कम) उसको भी सूद का गुबार लग जायेगा। **(अबू दाऊद-3331)**

2279. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सूद के ज़रिये से माल में इज़ाफ़ा करेगा, उसका अंजाम माल की क़िल्लत होगा। **(हाकिम)**

मुअय्यन नाप-तोल में एक मुअय्यन मुद्दत के वास्ते बैअ करना

तशरीह : बैअ सलम के ये मअनी हैं कि कोई शख़्स किसी से कोई चीज़ ख़रीदे और उसके दाम दे दे लेकिन उसके लेने की एक मीआद मुअय्यन कर दे कि इतने ज़माने के बाद ये फ़लाँ मुक़ाम पर लूँगा।

2280. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब रसूले करीम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो मदीना वाले बैअ सलफ़ (सलम) किया करते थे। कभी दो साल के लिये, कभी तीन साल के लिये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बैअ सलम करे तो मुअय्यन नाप, मुअय्यन तौल और मुअय्यन वक़्त तक करे। **(बुख़ारी-2240, 2241, मुस्लिम-1604)**

2281. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा कि फ़लाँ क़ौम मुसलमान हो गई है, उनका तअल्लुक़ यहूद से है। लेकिन वो भूख में मुब्तला हैं (खाने को नहीं मिलता है) लिहाज़ा मुझे डर है कि कहीं वो इस्लाम से न फिर जाएँ (क्योंकि मरता क्या न करता) हुज़ूर (ﷺ) ने ये सुनकर फ़र्माया, कि अगर किसी के पास कुछ हो तो हमसे बैअ सलम करे एक मुअय्यन मीआद तक के लिये, जब हमारे पास कुछ आयेगा तो हम उसको दे देंगे। एक यहूदी कहने लगा कि मेरे पास फ़लाँ चीज़ है मेरा ख़्याल है कि उसने कहा कि मेरे पास तीन सौ दीनार हैं। मैं इस भाव पर फ़लाँ मुक़ाम के फ़लाँ बाग़ में या खेत में आपसे ग़ल्ला ले लूँगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, भाव (का मुक़र्रर करना तो) मंजूर है लेकिन मुक़ाम का तअय्युन मंज़ूर नहीं। **(अबू दाऊद-7496)**

2282. हज़रत अबुल मुजालिद (रज़ि.) का बयान है कि अब्दुल्लाह बिन शद्दाद और अबू बुर्दा (रज़ि.) का बैअ सलम में झगड़ा हो गया। उन दोनों साहिबों ने मुझको अब्दुल्लाह इब्ने अबी औफ़ा (रज़ि.) के पास रवाना किया। मैंने (बैअ सलम के बारे में) उनसे पूछा, उन्होंने फ़र्माया, कि हम हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में गेंहू, जौ, अंगूर वग़ैरह में ऐसे लोगों से सलम किया करते थे जिनके पास उस वक़्त माल मौजूद न होता। उसके बाद मैंने इब्ने अबी अब्ज़ा से पूछा तो उन्होंने भी यही बयान किया। **(अबू दाऊद-3465)**

जिस चीज़ में सलम करे उसकी जगह दूसरी चीज़ न बदले

2283. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम किसी चीज़ में बैअ सलफ़ करो तो उसकी जगह दूसरी चीज़ न बदलना। **(अबू दाऊद-3468)**

एक ख़ास दरख़्त की सलम की गई लेकिन उसमें उस साल फल ही न आया तो क्या होगा?

2284. हज़रत नज़रानी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से अर्ज़ किया कि मैं दरख़्त में खजूर आने से पहले उसकी बैअ सलम कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, क्यूँ? उन्होंने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक शख़्स ने एक बाग़ के दरख़्तों पर फल निकलने से पहले बैअ सलम की थी (इत्तिफ़ाक़ से ऐसा हुआ कि) उस साल दरख़्त में फल ही न आया। ख़रीदने वाले ने कहा, ये बाग़ मेरे ही क़ब्ज़े में रहेगा, जब तक इसमें फल न आये और मैं अपनी चीज़ न लूँ। फ़रोख़्त करने वाले ने कहा कि (भाई) मैंने तो फ़क़त इस साल के लिये ही तुमसे बैअ सलम की थी (अब फल न आया तो ये तुम्हारी क़िस्मत रही) आख़िर दोनों में झगड़ा हो गया और ये मुक़द्दमा हुज़ूर (ﷺ) तक पहुँचा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़रोख़्त करने वाले से फ़र्माया, ख़रीददार ने उसमें से कुछ फल लिया है? उसने कहा, नहीं! कुछ (भी नहीं) तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया,

तो फिर तुम इसका माल हलाल किस तरह कहते हो जो तुमने इससे लिया है वो वापिस कर दो और खजूर के दरख़्तों से बैअ सलम न किया करो जब तक उनकी खूबी और सलाहियत न मालूम हो जाये। **(अबू दाऊद-3467)**

जानवर में बैअ सलम करने का बयान

2285. हज़रत अबू राफ़ेअ का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने एक शख़्स से ऊँट में बैअ सलम की और उससे फ़र्माया कि जब हमारे पास सदक़े के ऊँट आयेंगे तो हम तुमको दे देंगे। जब हुज़ूर (ﷺ) के पास सदक़े के ऊँट आये तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू राफ़ेअ! इस शख़्स का ऊँट अदा कर दो। मैंने तलाश किया तो उसके ऊँट जैसा उन ऊँटों में नहीं निकला (बल्कि उसके ऊँट से अफ़ज़ल) चार दांतों वाला ऊँट था। मैंने आँहज़रत (ﷺ) से बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वही दे दो। क्योंकि जो लोग कर्ज़ को उम्दा तौर पर अदा करते हैं वो अच्छे लोग होते हैं। **(मुस्लिम-1600)**

2286. हज़रत अरबाज इब्ने सारिया (रज़ि.) कहते हैं, मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि इतने में एक गांव का शख़्स आकर अर्ज़ करने लगा, मुझे मेरा ऊँट अदा कर दीजिए। आप (ﷺ) ने उस उम्दा जवान ऊँट दे दिया। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये ऊँट तो मेरे ऊँट से अच्छा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उम्दा तौर पर कर्ज़ अदा करने वाले उम्दा होते हैं। **(नसाई-4623)**

शिरकत और मुजारबत का बयान

तशरीह : *मुज़ारिबत के मआनी है कि आदमी दूसरे को अपना रुपया दे और दूसरा मेहनत करे नफ़ा और नुक़्सान में दोनों शरीक हों।*

2287. हज़रत साइब (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ किया, (या रसूलल्लाह!) आप ज़मान-ए-जाहिलियत में मेरे शरीक थे तो निहायत अच्छे शरीक थे (क्योंकि) न आपने कभी मुझसे मुक़ाबला किया न कभी झगड़ा किया। **(अबू दाऊद-4836)**

2288. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि मैं और सअद (रज़ि.) और अम्मार (रज़ि.) तीनों साहब बद्र के रोज़ ग़नीमत के माल में शरीक हुए। लिहाज़ा मुझको और अम्मार (रज़ि.) को तो कुछ न मिला, लेकिन हज़रत सअद काफ़िरों को पकड़ लाये। **(अबू दाऊद-3388)**

2289. हज़रत सुहैब (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन चीज़ों में बरकत हुआ करती है। एक मीआद तक के लिये फ़रोख़्त करने में, दूसरा मुजारिबत में, तीसरा घर के अनाज में गेंहू और जौ मिला देने में।

आदमी को अपनी औलाद के माल से क्या लेना जाइज़ है

2290. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो तुम खाते हो उसमें से (हलाल) और उम्दा खाना तुम्हारी कमाई का है और औलाद भी तुम्हारी कमाई में दाखिल है। **(तिर्मिज़ी-1358)**

2291. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! मेरे पास माल है और मेरे बच्चे भी हैं। मेरे वालिद ये चाहते हैं कि मेरा सब माल फ़ना कर दें। आँहज़रत (ﷺ)

ने ये सुनकर फ़र्माया, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं (जो कुछ चाहें करने दे)।

2292. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद ने मेरा माल तबाह कर दिया। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, लिहाज़ा उनका माल खाओ। **(मुस्नद अहमद)**

औरत अपने शौहर के कितने माल में तसर्रुफ़ कर सकती है

2293. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि अबू सुफ़ियान की बीवी हिन्दा हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा शौहर सुफ़ियान निहायत ही कंजूस और बख़ील आदमी है। मुझको पूरे तौर पर ख़र्चा नहीं देता है कि अपना और अपनी औलाद का गुज़ारा कर सकूँ। अल्बत्ता अगर मैं उससे कुछ माल छुपा लूँ (तब गुज़ारा हो सकता है)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम उसके माल में से इतना ले सकती हो जितना तुमको और तुम्हारी औलाद को काफ़ी हो। **(मुस्लिम- 1714)**

2294. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर औरत शौहर के माल में से नफ़्क़ा में कुछ खर्च करेगी बशर्ते कि बुराई की नज़र न हो तो उसको ख़र्च करने का सवाब दिया जायेगा और शौहर को उसका (माल) और कमाई होने की वजह से और ख़ज़ान्ची को भी उतना ही सवाब मिलेगा और किसी के सवाब में कोई कमी न होगी। **(बुख़ारी- 1437, मुस्लिम- 1024)**

2295. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि .) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत अपने शौहर की बग़ैर इजाज़त घर का माल न सर्फ़ करे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! खाना भी न दे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, खाना तो हमारे उम्दा मालों में से है (लिहाज़ा उसमें इजाज़त लेना तो ज़रूरी है)। **(तिर्मिज़ी-670)**

गुलाम को क्या देना चाहिये और क्या सदक़ा करना चाहिये

2296. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) गुलाम की दअवत भी क़ुबूल कर लिया करते थे। **(तिर्मिज़ी- 1017)**

2297. हज़रत उमैर अबुल लहम के गुलाम से रिवायत है कि मेरा मालिक मुझको कोई चीज़ देता तो मैं उसमें से औरों को खिलाता। मेरे मालिक ने मुझको इससे मना किया और मुझको इस पर मारा। मैंने आँहज़रत (ﷺ) से पूछा, या मेरे मालिक ही ने खुद पूछा। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, मुझसे तो ये न हो सकेगा कि मैं मिस्कीन को खाना न खिलाऊँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम दोनों को सवाब होगा। **(मुस्लिम- 1025)**

अगर कोई शख़्स जानवरों के ग़ल्ले पर या बाग़ पर से गुज़रे तो दूध वग़ैरह लेकर खा सकता है या नहीं?

2298. हज़रत उबादह इब्ने शुरहबील (रज़ि.) का बयान है कि एक साल क़हत (अकाल) पड़ा। मैं मदीना की तरफ़ चला। मेरा (रास्ते) में एक बाग़ से गुज़रना हुआ। मैंने वहाँ से अनाज की बालियाँ लेकर उनको मलकर खा लिया। कुछ

ले कर अपने कम्बल में रख लीं। इतने में बाग़ का मालिक आ पहुँचा और उसने मुझको पकड़ लिया और मेरा कपड़ा छीन लिया और मुझको मारा। मैंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने बाग़ वाले से फ़र्माया, जब ये शख़्स भूखा था तो तुमको इसको खाना खिलाना चाहिए था और इस बात की तअलीम देना चाहिए थी कि (ग़ैर का माल हलाल नहीं है) गो इसको मालूम न था (तो बतला देना चाहिए था) उसके बाद बाग़ वाले को (मेरा कपड़ा वापिस करने का हुक्म दिया। उसने मेरा कपड़ा वापिस कर दिया और आपने मुझे एक वस्क खजूरों का हुक्म दिया या शायद आधी वस्क का हुक्म फ़र्माया। **(अबू दाऊद-2621)**

2299. हज़रत राफ़ेअ इब्ने अम्र गिफ़ारी का बयान है कि मैंने और एक लड़के ने अंसार के खजूर के दरख़्तों पर पत्थर मारे, (हमको पकड़कर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में) हाज़िर किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ लड़के! या फ़र्माया, बेटा तू खजूरों को पत्थर क्यूँ मारता है। मैंने अर्ज़ किया, (फल) खाने के लिये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पत्थर न मारा करो जो मेवा दरख़्त के नीचे गिरा हो उसको उठा लिया करो और खा लिया करो। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने मेरे सर पर दस्ते मुबारक रखकर फ़र्माया, ऐ अल्लाह तआला! इसका पेट भर दे। **(अबू दाऊद-2622, तिर्मिज़ी-1288)**

2300. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि .) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तू किसी चरवाहे के (रेवड़ के) पास से गुज़रे तो उसके चरवाहे को तीन बार आवाज़ दे ले। अगर आ जाये तो ठीक है (उसकी इजाज़त लेकर दूध पी ले) वरना अपनी हाजत के मुवाफ़िक दूध ले ले, ज़्यादा मत खराब कर। इसी तरह अगर किसी बाग़ से तेरा गुज़रना हो तो बाग़ वाले को तीन बार आवाज़ दे ले। अगर वो इजाज़त दे तो ठीक वरना अपनी हाजत के मुवाफ़िक मेवा तोड़ ले और ज़्यादा मत खराब कर। **(मुस्नद अहमद)**

2301. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स किसी बाग़ के पास से गुज़रे तो उसमें से खा सकता है, लेकिन कपड़ों में छुपाकर न ले जाए। **(तिर्मिज़ी-1287)**

मालिक की इजाज़त के बग़ैर जानवरों का दूध लेना मना है

2302. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कोई शख़्स तुममें से किसी दूसरे के जानवर का दूध उसकी बग़ैर इजाज़त न दूहे। क्या तुममें से किसी को ये बात अच्छी मालूम होती है कि किसी के अनाज की कोठरी का कोई शख़्स ताला तोड़कर उसका अनाज ले ले? इसी तरह जानवरों के थन उनके मालिकों के खज़ाने हैं, मालिकों की बग़ैर इजाज़त उनका दूध न लेना चाहिए। **(मुस्लिम-1736)**

2303. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि (एक बार) हम रसूले मक़्बूल (ﷺ) के साथ सफ़र में जा रहे थे (रास्ते में) हमने खारदार दरख़्तों में ऊँटों को देखा जिनके थनों में दूध भरा हुआ था। ये देखकर हम उनके दूध पीने के लिये लपके। हुज़ूर (ﷺ) ने हमको आवाज़ दी। हम आपकी ख़िदमत में वापिस आये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये ऊँट एक मुसलमान घराने के हैं, उनकी इसमें रोज़ी है। अल्लाह तआला के बाद उनकी मिल्कियत में हैं। क्या तुमको ये अच्छा मालूम होता है कि जब तुम अपने तौशा दानों के पास वापिस आओ तो उनको खाली पाओ। हमने अर्ज़ किया, नहीं! हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो ये भी ऐसा ही है (ये थन उन लोगों के तौशादान हैं। उनमें उनका खाना भरा हुआ है) हमने अर्ज़ किया, अगर हमको इसकी ज़रूरत हो तो (उस सूरत में हमको क्या करना चाहिए) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उस सूरत में खा लो लेकिन साथ लेने की इजाज़त नहीं। **(मुस्नद अहमद)**

मवेशी पालना कैसा है?

2304. हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम घर में बकरियाँ पालो इससे बरकत होती है। **(मुस्नद अहमद)**

2305. हज़रत उर्वा बिन जअ़द बारिक़ी का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऊँट अपने मालिकों के लिये क़ुव्वत का बाइस है और बकरियाँ पालने से बरकत पैदा होती है और घोड़ों की पेशानियों से तो क़यामत तक के लिये ख़ैर वाबस्ता है। **(बुख़ारी-2850)**

2306. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बकरी जन्नत के जानवरों में से है।

2307. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने मालदार लोगों को बकरियाँ पालने का हुक्म दिया और मुहताज लोगों को मुर्ग़ियाँ पालने का हुक्म दिया। जब मालदार लोग मुर्ग़ियाँ पालते हैं तो अल्लाह तआ़ला उस शहर की तबाही का हुक्म सादिर फ़र्मा देता है।

***नोट :** ऊपर की दोनों हदीसें 2306 व 2307 मौज़ूअ (गढ़ी हुई) है।*

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल अहकाम

फ़ैसला करने के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2308. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को लोगों का क़ाज़ी बना दिया (तो समझ लो) कि बग़ैर छुरी ज़िब्ह कर दिया गया। **(अबू दाऊद-3572)**

2309. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़ाज़ी होने की आरज़ू करता है, उसको उसके नफ़्स के सुपुर्द कर दिया जाता है (और अल्लाह तआला की तरफ़ से उसकी इमदाद नहीं होती है) और जिसको जबरन क़ाज़ी बनाया जायेगा उस पर अल्लाह तआला की तरफ़ से एक फ़रिश्ता नाज़िल होगा जो उसकी इमदाद करेगा। **(अबू दाऊद-3578, तिर्मिज़ी-1323)**

2310. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुझको यमन का (हाकिम बनाकर) रवाना फ़र्माया। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मुझको (हाकिम बनाकर) यमन रवाना फ़र्माते हैं, चूँकि मैं जवान हूँ मुझको ये नहीं मालूम कि लोगों में फ़ैसला किस तरह किया जाता है। (मैं फ़ैसला किस तरह करूँगा) ये सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मेरे सीने पर दस्ते मुबारक मारकर फ़र्माया, ऐ अल्लाह तआला! इसके दिल को मज़बूत कर दे और इसकी ज़ुबान को (हक़ पर) क़ायम कर दे। हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, उस रोज़ से मुझको दो आदमियों के बीच फ़ैसला करने से तरद्दुद न हुआ। **(अबू दाऊद-3582)**

ज़ुल्म करने और रिश्वत लेने की सज़ा

2311. हज़रत अब्दुल्लाह का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर हाकिम को क़यामत के रोज़ एक फ़रिश्ता गर्दन पकड़कर लायेगा। हाकिम सर ऊपर उठाकर देखेगा (कि अल्लाह तआला उसके बारे में क्या हुक्म देता है)। अगर उसके फेंक देने का हुक्म होगा तो वो फ़रिश्ता उसको एक खंदक में फेंक देगा जिसमें चालीस साल तक ये गिरता रहेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2312. हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफ़ा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस वक़्त तक क़ाज़ी ज़ुल्म नहीं करता उस वक़्त तक अल्लाह तआला उसके साथ होता है और जब क़ाज़ी ज़ुल्म करता है तो अल्लाह तआला उसको

छोड़ देता है और उसके नफ़्स के सुपुर्द कर देता है। **(हाकिम)**

2313. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले दोनों पर अल्लाह लअ़नत फ़र्माता है। **(अबू दाऊद-3580, तिर्मिज़ी-1337)**

जो हाकिम इज्तिहाद करे और फिर हक़ तक पहुँचे (उसके सवाब का बयान)

2314. हज़रत अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, हाकिम हुक्म के लिये जब इज्तिहाद करता है और ठीक तौर पर करता है तो उसको दोहरा सवाब अ़ता किया जाता है और अगर उसका इज्तिहाद ग़लत होता है तो एक अज्र मिलता है। हज़रत यज़ीद इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं जब ये हदीस मैंने अबूबक्र इब्ने अ़म्र इब्ने हज़्म से बयान की तो उन्होंने कहा कि अबू सलमा (रज़ि.) ने मुझसे अबू हुरैरह (रज़ि.) की हदीस भी इसी तरह बयान की थी। **(बुख़ारी-7352, मुस्लिम-1716)**

2315. हज़रत अबू हाशिम (रह.) का बयान है कि अगर अबू हुरैरह (रज़ि.) की ये हदीस न मन्कूल होती कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है, क़ाज़ी तीन क़िस्म के होते हैं, दो दोज़खी एक जन्नती। जिस (क़ाज़ी) ने हक़ को समझा और हक़ के साथ फ़ैसला किया तो वो जन्नती है और जिसने जहालत के साथ फ़ैसला किया या जिस (क़ाज़ी) ने ज़ुल्म किया और हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया (बावजूद ये कि उसको हक़ का इल्म था) तो ये दोनों दोजखी हैं, तो हम ये फ़ैसला कर देते कि हर क़ाज़ी जन्नती है। **(अबू दाऊद-3573)**

हाकिम को गुस्से की हालत में हुक्म नहीं देना चाहिये

2316. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ाज़ी को गुस्से की हालत में फैसला न करना चाहिए। हज़रत हिशाम अपनी हदीस में बयान करते हैं कि हाकिम को गुस्से की हालत में दो शख़्सों में फ़ैसला करना मुनासिब नहीं। **(बुख़ारी-7158, मुस्लिम-1717)**

2317. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग मेरे पास मुक़द्दमात लेकर आते हो और मैं भी इंसान ही हूँ और तुममें से कुछ आदमी अपनी दलील दूसरे के मुक़ाबले बेहतर तरीक़े से बयान कर सकते हो और मैं तो जो कुछ फ़रीक़ैन से सुनता हूँ, उसके मुताबिक़ फ़ैसला करता हूँ। लिहाज़ा जिसको मैं उसके भाई के हक़ में से कोई चीज़ दे दूँ तो वो उसे न ले। मैं तो उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ, क़यामत के दिन वो उसे लेकर हाज़िर होगा। **(बुख़ारी-2680, 7967, मुस्लिम-1713)**

2318. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तो महज़ इंसान हूँ। कुछ लोग अपनी दलील बयान करने में ज़ुबान आवर (बोलने में तेज़ तर्रार) होते हैं तो अगर मैं उसकी तेज़ तर्रारी की वजह से किसी दूसरे का हक़ दिला दूँ तो (ये समझ लो) कि मैं उसको आग का एक टुकड़ा दिलवा रहा हूँ। **(मुस्नद अहमद)**

पराये माल को झगड़ कर लेने की कैफ़ियत

2319. हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ऐसे माल का दावा करे जो उसका नहीं है और उसको ले ले वो हममें दाखिल नहीं और वो अपना मुकाम दोज़ख़ में तैयार कर ले। **(मुस्लिम-61)**

2320. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी ज़ुल्म के मुक़द्दमे पर मदद करेगा या किसी ज़ालिम की इमदाद करेगा। वो उस वक़्त तक अल्लाह के ग़ज़ब में रहेगा यहाँ तक कि वह (उस गुनाह से) बाज़ आ जाये। **(अबू दाऊद-3598)**

गवाह मुदई पर और क़सम मुदआ अलैह के ज़िम्मे है

2321. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लोगों को उनके दावों के मुताबिक़ मिल जाया करता तो लोग दूसरों की जान और माल सबका दावा कर देते लेकिन मुद्दआ अलैहि को (चाहिए कि) क़मम खाये। **(बुख़ारी-4552, मुस्लिम-1711)**

2322. हज़रत अश्अस इब्ने कैस (रज़ि.) का बयान है कि मेरे और एक यहूदी के बीच एक ज़मीन मुश्तरका थी (उसने) मेरे हिस्से से इंकार कर दिया। मैं उसको लेकर हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, तुम्हारे गवाह हैं? मैंने अर्ज़ किया, गवाह तो नहीं हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, तू क़सम खा ले। मैंने अर्ज़ किया, इसका क्या है, क़सम खाकर मेरा माल हजम कर लेगा। तब अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई **इन्नल् लज़ीना यश्तरून बिअह्दिल्लाहि व अयमानिहिम समनन् क़लीलन.......** (बेशक जो लोग अल्लाह तआला के अहद और अपनी क़समों को थोड़ी क़ीमत पर बेच डालते हैं, उसके लिये आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं, अल्लाह तआला न तो उनसे बातचीत करेगा, न उनकी तरफ़ क़यामत के दिन देखेगा, न उन्हें पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अजाब है-सूरह आले इमरान : 77)। **(बुख़ारी-2356, 2357, मुस्लिम-138)**

उस शख़्स का बयान जो झूठी क़सम खाकर किसी का माल हड़प करे

2323. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़सम खाये और वो जानता हो कि ये क़सम झूठी है। उससे दूसरे का माल मार रहा हो तो क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला से जब उसकी मुलाक़ात होगी तो अल्लाह उस पर ग़ज़बनाक होगा।

2324. हज़रत अबू उमामा हारिसी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी मुसलमान का हक़ मार लेगा तो अल्लाह तआला उस पर जन्नत हराम कर देगा और दोज़ख़ को उसके लिये वाजिब कर देगा। लोगों में से एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर थोड़ी सी चीज़ हो तो फ़र्माया, अगर पीलू दरख़्त का एक मिस्वाक होगा तब भी यही सूरत है। **(मुस्लिम-137)**

कौनसे हुक़ूक़ पर क़सम खानी चाहिये

2325. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मेरे इस मिम्बर के पास झूठी क़सम खायेगा ख्वाह मिस्वाक की हरी डाली लेने के लिये ही खाये वो अपने लिये दोज़ख़ में अपना मुक़ाम तैयार कर ले। **(अबू दाऊद-3246)**

2326. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस लौण्डी या ग़ुलाम ने मेरे मिम्बर के पास झूठी क़सम खाई ख्वाह वो मिस्वाक की ताज़ा लकड़ी के लिये ही क्यूँ न खाई हो, उसको दोज़ख़ के लिये तैयार हो जाना चाहिए (क्योंकि उसके लिये दोज़ख़ वाजिब हो जाती है)। **(मुस्नद अहमद)**

यहूद व नसारा से किस तरह क़सम ली जाये

2327. हज़रत बरा इब्ने आजिब (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) ने एक यहूदी आलिम को बुलाया और हुज़ूर (ﷺ) ने उसको इस तौर पर क़सम दी, मैं तुझको उस अल्लाह की क़सम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फ़र्माई है। **(मुस्लिम-1700)**

2328. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि .) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने दो यहूदियों को इस तरह क़सम दी कि मैं तुम दोनों को अल्लाह तआला की क़सम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल फ़र्माई। **(अबू दाऊद-4452)**

दो आदमी एक चीज़ का दावा करे और गवाह किसी के पास न हों तो?

2329. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि दो शख़्सों ने एक जानवर का दावा किया और गवाह किसी के पास मौजूद न थे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने दोनों में कुर्आ डालने का हुक्म दिया कि जिसके नाम कुर्आ निकले वो क़सम खाकर वो जानवर ले ले। **(अबू दाऊद-3616)**

2330. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) के पास दो शख़्स एक जानवर का मुक़द्दमा लेकर हाजिर हुए और किसी के पास गवाह मौजूद न थे। हुज़ूर (ﷺ) ने उन दोनों के दरम्यान में उस जानवर को बांट दिया। **(अबू दाऊद-3613)**

किसी की कोई चीज़ चोरी हो गई और फिर उस शख़्स के पास मिली जिसने उसको ख़रीदा हो

2331. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी की कोई चीज़ गुम हो जाये या चोरी हो जाये और फिर उसे वो किसी को फ़रोख़्त करते पाये तो ये शख़्स (मालिक) उसका ज़्यादा हक़दार है और अगर किसी ने उसको ख़रीद लिया हो तो फ़रोख्त करने वाले से उसके दाम वापिस ले ले और मालिक को उसकी चीज़ पहुँचा दे। **(बैहक़ी)**

जानवर जो माल ख़राब कर दें उसका क्या हुक्म है?

2332. हज़रत हराम बिन सअद बिन मुहैसा अंसारी (रह.) से रिवायत है, हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) की एक ऊँटनी लोगों के बाग़ में चली गई और उनका बाग़ खराब किया। फिर उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से इसका ज़िक्र किया। आपने ये फ़ैसला किया कि दिन को अपने मालों की (जैसे बाग़ या खेत है) हिफ़ाजत मालदारों के ज़िम्मे है (अगर दिन को जानवर नुक़्सान कर दे तो जानवर वाले से मुवाखिज़ न होगा) लेकिन रात को जो जानवर नुक़्सान करें वो जानवर वालों को देना होगा। इसलिए कि रात को जानवर वालों को चाहिए कि अपने जानवर बाँधकर रखें। जब उन्होंने छोड़ दिया और किसी का नुक़्सान किया तो नुक़्सान उनको भरना पड़ेगा। **(अबू दाऊद-3570)**

जो किसी की चीज़ तोड़ दे तो उसका क्या हुक्म है?

2333. बनी सुवाह के एक शख़्स बयान करते हैं कि मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि नबी करीम (ﷺ) के अख़्लाक़ का कुछ ज़िक्र सुनाईये। उन्होंने फ़र्माया, क्या तुम क़ुर्आन नहीं पढ़ते हो उसमें तुमने ये नहीं पढ़ा, **व इन्नक लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम.** (ऐ रसूल! तू बड़े अज़ीम अख़्लाक़ वाला है) फिर कहने लगीं कि एक मर्तबा मैंने आँहज़रत (ﷺ) के लिये खाना तैयार किया और हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने भी तैयार किया। हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) मुझसे पहले खाना लेकर हाज़िर हो गईं। मैंने अपनी बांदी से कहा कि जा तू जाकर खाने का प्याला उल्टा कर दे। वो जो गई तो उसने प्याला उलटना चाहा लेकिन वो कुछ ऐसे तरीक़े से गिरा कि प्याला टूट गया और खाना फैल गया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उस खाने को इकट्ठा किया और खाना सब ज़मीन पर जमा करके दस्तरख़्वान पर रखा। उसके बाद मैंने अपने खाने का प्याला रवाना किया। हुज़ूर (ﷺ) ने वो प्याला हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) के यहाँ रवाना फ़र्मा दिया और फ़र्माया, ये प्याला तुम्हारे प्याले के बदले में है और ये खाना तुम खा लो। हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि उसके बाद से मैंने इस बात का कुछ असर भी हुज़ूर (ﷺ) के चेहरे पर न देखा।

2334. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) अपनी बीवियों में से किसी बीवी के यहाँ तशरीफ़ फ़र्मा थे। दूसरी बीवी ने हुज़ूर (ﷺ) के लिये एक प्याला में खाना रवाना किया। पहली बीवी ने गुस्से में खाना लाने वाले के हाथ पर इस तरह मारा कि प्याला गिरकर टूट गया। हुज़ूर (ﷺ) ने दोनों टुकड़े उठाकर उनको जोड़ा और जो खाना ज़मीन पर गिर गया था उसको जमा करके फ़र्माया, तुम्हारी माँ को रश्क हुआ। फिर (सहाबा से) फ़र्माया, खाओ! उसके बाद पहली बीवी ने प्याले में खाना रवाना किया। आपने वो टूटा हुआ प्याला (यहीं रहने दिया और साबुत प्याला उस बीवी के घर रवाना किया जिसका प्याला टूट गया था। **(अबू दाऊद-3567, नसाई-3407)**

अपने पड़ौसी की दीवार में लकड़ियाँ गाड़े तो क्या हुक्म है?

2335. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स का पड़ौसी तुममें से किसी की दीवार पर लकड़ियाँ रखने की इजाज़त मांगे तो उसको मना न करना चाहिए। जब हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये हदीस बयान की तो लोगों ने सर नीचे कर लिये। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्यूँ क्या हुआ। मुझे मालूम होता है कि तुम इस हदीस से मुँह फेरते हो, लेकिन अल्लाह की क़सम! मैं तो इस हदीस को तुम्हारे कंधों पर मारूँगा।

(बुख़ारी-2463, मुस्लिम-1609)

2336. हज़रत इक्रिमा इब्ने सलमा (रज़ि.) का बयान है कि बनी मुग़ीरह में से दो भाईयों में बहस हुई (एक भाई) ने कहा कि अगर तू मेरी दीवार में लकड़ियाँ रख दे तो मेरा गुलाम आज़ाद है। उसके बाद बहुत से अंसारी और मज्मअ इब्ने यज़ीद उन लोगों के यहाँ आये। उनसे ये हदीस बयान की कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि कोई शख़्स अपने पड़ौसी को दीवार पर लकड़ी रखने से मना नहीं करे। ये सुनकर ये बहस करने वाला कहने लगा कि भाई शरीअत का फ़ैसला तेरे मुताबिक़ निकल आया। लेकिन मैंने ये क़सम खाई (है कि अगर तुम मेरी दीवार पर लकड़ियाँ रखो तो मेरा गुलाम आज़ाद है) इसलिए तुम मेरी दीवार के क़रीब एक सतून खड़ा करके उस पर लकड़ियाँ रख दो ताकि तुम्हारा भी काम निकल जाये और मेरा भी कोई नुक़्सान न हो। **(मुस्नद अहमद)**

2337. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से कोई शख़्स अपने

पड़ौसी को दीवार पर लकड़ियाँ वग़ैरह रखने से मना न करे। (मुस्नद अहमद)

अगर लोग रास्ते के नाप-तोल में झगड़ा करे तो (क्या करें)?

2338. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अक्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, रास्ता सात हाथ रखना चाहिए। **(अबू दाऊद-3633, तिर्मिज़ी-1356)**

2339. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम रास्ते में इख्तिलाफ़ करो तो उसको सात हाथ कर दो। **(मुस्नद अहमद)**

अपनी ज़मीन में ऐसी इमारत बनाना जिससे पड़ौसी को तकलीफ़ हो

2340. हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया न (पहले पहल) किसी को नुक़्सान पहुँचाना और तक्लीफ़ देना जाइज़ है और न बदले के तौर पर तक्लीफ़ देना और नुक़्सान पहुँचाना।

2341. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, न (पहले पहल) किसी को नुक़्सान पहुँचाना और तक्लीफ़ देना जाइज़ है और न बदले के तौर पर नुक़्सान पहुँचाना और तक्लीफ़ देना। **(मुस्नद अहमद)**

2342. हज़रत अबू सिरमा (मालिक बिन क़ैस अन्सारी रज़ि.) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी को ज़रर (नुक़्सान) पहुँचायेगा और उस पर सख़्ती करेगा तो अल्लाह उस पर सख़्ती करेगा। **(अबू दाऊद-3635, तिर्मिज़ी-1940)**

जब दो आदमी एक झोंपड़ी पर दावा करे

2343. हज़रत निमरान इब्ने जारिया अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में कुछ लोग एक झोंपड़े का मुक़द्दमा लेकर हाज़िर हुए जो उनके बीच मुश्तरका थी। हुज़ूर (ﷺ) ने हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) को उनके बीच फ़ैसला करने के लिये रवाना फ़र्माया। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने फ़ैसला किया कि ये झोंपड़ी उसकी है जिसकी रस्सी से बंधी हुई है। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर ये वाक़िया अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने ठीक किया। **(तब्रानी फ़िल्कबीर)**

क़ब्ज़ा दिलवाने की शर्त लगाना

2344. हजरत समुरह बिन जुन्दुब का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो शख़्सों के हाथ माल फ़रोख्त किया जाये तो वो माल उस शख़्स का होगा जिसने उसको पहले खरीदा। अबुल वलीद (जो इस हदीस के रावी हैं) कहते हैं, इस हदीस **से (दूसरे** ख़रीदार की तरफ़ से) क़ब्ज़ा दिलवाने की शर्त नाजाइज़ साबित होती है।

क़ुर्आ डालकर फ़ैसला करने का बयान

2345. इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स के पास छः गुलाम थे उन गुलामों के अलावा उसके पास कोई माल न था। उसने मरते वक़्त उन सब गुलामों को आज़ाद कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने उनमें क़ुर्आ डाला तो दो

आज़ाद निकले बाक़ी गुलाम के गुलाम रहे। (मुस्लिम-1668)

2346. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि (एक बार) दो शख़्सों का एक चीज़ की ख़रीदारी में झगड़ा हुआ (एक ने कहा, मैंने खरीदी, दूसरे ने कहा कि मैंने खरीदी है) उन दोनों में गवाह किसी के पास न थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उन दोनों में कुर्आ डाला जाये, जिसके नाम कुर्आ निकले वही क़सम खाकर उस चीज़ को ले ले ख़्वाह दूसरा राजी हो या नाराज़।

2347. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूर (ﷺ) जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते तो अपनी बीवियों में कुर्आअंदाजी करते (जिसका कुर्आ निकलता वही हुज़ूर (ﷺ) के साथ जाती)।

2348. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) का बयान है, यमन मे हज़रत अली कर्रमल्लाह वज्हहू (रज़ि.) के सामने तीन शख़्सों का मुक़द्दमा पेश किया गया। तीनों ने एक तुहर में एक औरत से जिमाअ किया था और उसके हमल रहकर बच्चा पैदा हुआ था (और तीनों उस लड़के के दावेदार थे) हज़रत अली (रज़ि.) ने उनमें से दो शख़्सों से पूछा, कि क्या तुम ये इक़रार करते हो कि ये इस तीसरे शख़्स का बच्चा है?) उन्होंने अर्ज़ किया नहीं (हमारा है) फिर हज़रत अली (रज़ि.) ने दो को अलग करके पूछा कि क्या तुम इसका इक़रार करते हो कि ये बच्चा उस तीसरे का है। उन्होंने कहा, नहीं! इसी तौर पर हज़रत अली (रज़ि.) ने मुख़्तलिफ़ करके उन दो-दो से पूछा कि तुम इक़रार करते हो कि ये बच्चा तीसरे का है, लेकिन वो इंकार करते रहे। आख़िर में हज़रत अली (रज़ि.) ने उनके नाम कुर्आ डाला और जिसके नाम पर कुर्आ निकला वो बच्चा उसी का मुक़र्रर हुआ और उस पर दो तिहाई दियत क़रार दी। उस फ़ैसले का ज़िक्र नबी करीम (ﷺ) के सामने हुआ। हुज़ूर (ﷺ) को उससे इतनी हंसी आई कि आपके दंदाने मुबारक ज़ाहिर हो गये। **(अबू दाऊद-2270)**

क़याफ़ा शनासी का बयान

तशरीह : *क़फ़ाया शनासी उन्हें कहते हैं जो चेहरे मुहरे और ज़ाहिरी जिस्मानी कैफ़ियात से बाज़ चीज़ों का अंदाज़ा लगाते हैं, ख़ास तौर दो अफ़राद के बीच नसबी तअल्लुक़ के बारे में अपनी राय का इज़्हार करते हैं।*

2349. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) मेरे पास बहुत खुश-खुश तशरीफ़ लाये और फ़र्माया, आइशा (रज़ि.)! तुमने नहीं सुना? आज मुजज़्ज़िम मुदलिजी मेरे पास आया तो उसने उसामा और ज़ैद इब्ने हारिसा (रज़ि.) को देखा कि वो चादर ओढ़े लेटे हुए थे। उन्होंने अपने सर छुपा रखे थे। (मुजज़्ज़िम ने) कहा, ये पाँव एक-दूसरे से मिलते हैं। **(बुख़ारी-6771, मुस्लिम-1459)**

2350. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि क़ुरैश एक काहिना के पास गये और उससे कहा ये बताओ कि हम लोगों मे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा मुशाबेह कौन है? उसने कहा कि पहले तुम एक कम्बल से ज़मीन को बराबर करो और फिर उस पर चलो, तब मैं बतलाऊँगी। इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा, उन लोगों ने उसके कहने के मुताबिक़ ज़मीन पर कम्बल घसी ताकि ज़मीन बराबर हो जाये) और फिर उस पर (बारी-बारी) से चले। उस औरत ने आँहज़रत (ﷺ) के पाये मुबारक देखकर कहा कि ये शख़्स हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ज़्यादा मुशाबेह हैं। उसके बाद तक़रीबन बीस बरस बाद अल्लाह तआला ने हुज़ूर (ﷺ) को नबुव्वत अता फ़र्माई। **(मुस्नद अहमद)**

बच्चे को इख़्तियार देना कि माँ-बाप में से जिसको चाहे पसन्द कर ले

2351. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक बच्चे को उसके माँ और बाप के बीच

में इख़्तियार दिया कि (चाहे माँ के पास रहे और चाहे बाप के पास रहे) और उससे फ़र्माया, कि लड़के ये तेरा बाप है और ये तेरी माँ है। (तू जिसके साथ चाहे, चला जा) **(तिर्मिज़ी-1357)**

2352. हज़रत अब्दुल हमीद इब्ने सलमा (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि मेरे वालदेन ने रसूले अकरम (ﷺ) के सामने झगड़ा किया। उनमें एक काफ़िर था और दूसरा मुसलमान। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको इख़्तियार दिया कि उनमें से एक को पसंद कर लूँ। मैं काफ़िर की तरफ़ माइल हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इसको हिदायत दे। मैं फ़ौरन ही मुसलमान की तरफ़ माइल हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसी के हक़ में फ़ैसला फ़र्मा दिया। **(नसाई-3525)**

सुलह का बयान

2353. हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरान बिन औफ़ (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सुलह मुसलमानों में जाइज़ है लेकिन वो सुलह (जाइज़ नहीं) जो हलाल को हराम कर दे या हराम को हलाल कर दे। **(तिर्मिज़ी-1352)**

नादान पर माली पाबन्दी लगाना

2354. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक शख़्स था जिसकी अक़्ल में कमज़ोरी थी। वो ख़रीद व फ़रोख़्त किया करता। लोग उसको ठग लेते। उसके घर वाले हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप उसके लिये बंदिश फ़र्मा दीजिए। हुज़ूर (ﷺ) ने उस शख़्स को बुलाकर ख़रीद व फ़रोख़्त से मना फ़र्माया। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये मुझसे नहीं हो सकता कि ख़रीद व फ़रोख़्त छोड़ दूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! तो ख़रीद व फ़रोख़्त करते वक़्त ये कह दिया करो कि भाई धोखाबाज़ी नहीं करना। **(तिर्मिज़ी-1250)**

2355. हज़रत मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान (रज़ि.) से रिवायत है कि मेरे परदादा मुनक़िज़ इब्ने अम्र के सर में ज़ख्म था जिसकी वजह से उनकी ज़ुबान में ख़राबी वाकेअ हो गई थी उस पर भी वो तिजारत को नहीं छोड़ते थे और उनसे हमेशा धोखा हो जाता था। आख़िरकार वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाजिर हुए और आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम कोई चीज़ फ़रोख़्त किया करो तो यूँ कहा करो कि (भाई) फ़रेब की बात नहीं है। और अगर कोई चीज़ ख़रीदो तो तुमको तीन रोज़ तक इख़्तियार है (लोगों को दिखा लो पसंद करा लो) अगर राज़ी हो तो ले लो वरना वापिस कर दो।

मुफ़्लिस आदमी को दिवालिया क़रार देकर उसका माल बेचकर क़र्ज़ माँगने वालों को अदायगी करना

2356. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक शख़्स ने [मे]वा लिया था उसमें उसको नुक़्सान हुआ और वो बहुत मक़रूज़ हो गया। हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया कि इसे [स]दक़ा दो, लोगों ने सदक़ा दिया। लेकिन उस पर भी उसका क़र्ज़ पूरा न हुआ तो आँहज़रत (ﷺ) ने क़र्ज़ख्वाहों से [फ़]र्माया, बस जो कुछ तुमको मिल गया है और अब कुछ नहीं मिलेगा। **(मुस्लिम-1556)**

2357. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने पहले तो हज़रत मुआज़ (रज़ि.) को उनके क़र्ज़ख्वाहों से छुटकारा दिलवाया फिर उसके बाद उनको यमन का हाकिम मुक़र्रर फ़र्माकर रवाना फ़र्माया। हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने कहा कि देखो! पहले नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मेरा पीछा क़र्ज़ख्वाहों से छुड़ाया और फिर मुझको हाकिम बनाया।

जिसे दिवालिये के पास अपनी चीज़ ज्यों की त्यों मिल जाये (उसका क्या हुक्म है?)

2358. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स अपना माल किसी मुफ़्लिस के पास ज्यों का त्यों देखे तो (उसके लेने के लिये) ये शख़्स ग़ैरों से ज़्यादा हक़दार है।

(बुख़ारी-2402, मुस्लिम-1559)

2359. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स ने किसी के हाथ कुछ माल फ़रोख़्त किया फिर उस सामान को खरीदने वाले के पास ज्यों का त्यों देखा तो अगर खरीदने वाला मुफ़्लिस हो गया है और फ़रोख़्त करने वाले ने उस सामान की क़ीमत वसूल नहीं की थी तो ये बायेअ उस सामान को ले लेगा और अगर कुछ क़ीमत वसूल कर चुका है तो उस सूरत में दूसरे क़र्ज़ख्वाहों की तरह हिस्से में बराबर होगा।

2360. हज़रत उमर बिन खुल्दह ज़रकी (रह.) से रिवायत है, और वो मदीना मुनव्वरा के क़ाज़ी थे। उन्होंने फ़र्माया, हमारा एक साथी दिवालिया हो गया, हम उसके मामले में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो उन्होंने फ़र्माया, ऐसे ही एक शख़्स के बारे में नबी (ﷺ) ने ये फ़ैसला फ़र्माया है, जो शख़्स फ़ौत हो जाये या दिवालिया हो जाये तो सामान का मालिक अपने सामान का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, जब वो उसके पास ज्यों का त्यों मिल जाये।

(अबू दाऊद-3523)

2361. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, ऐसे शख़्स के बारे में नबी करीम (ﷺ) का ये हुक्म था कि अगर कोई शख़्स मुफ़्लिस हो जाये या मर जाये तो अस्बाब का मालिक उसका ज़्यादा हकदार है बशर्ते कि वो चीज़ ज्यों का त्यों मौजूद हो (माल में कोई बदलाव न हुआ हो) तो अगर उस शख़्स ने उसकी पूरी क़ीमत वसूल पाई हो या कुछ वसूल की हो हर सूरत में चीज़ वाला उस चीज़ का ज़्यादा मुस्तहिक़ है। **(दारक़ुत्नी)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुश्शहादात

गवाही के मुताल्लिक़ अह्कामो-मसाइल

2362. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) का बयान है कि किसी शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौन से ज़माने के लोग बेहतर हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे ज़माने के लोग, उसके बाद वो लोग जो इस ज़माने के क़रीब हों, उसके बाद वो लोग जो उनके ज़माने के क़रीब हों। उसके बाद ऐसे लोग पैदा होंगे जिनकी क़सम गवाही से पहले होगी और उनकी गवाही क़सम से पहले होगी।

(बुख़ारी-2652, 3651, मुस्लिम-2533)

2363. हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने मुक़ामे जाबिया में खड़े होकर हमको खुत्बा सुनाते हुए फ़र्माया कि मैं (आज तुम्हारे सामने इस तरह खड़ा हूँ जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) खड़े हुए थे और फ़र्माया था मेरे सहाबा का निहायत ख़्याल रखना (उनकी इज़्ज़त करना, उनको ईज़ा न देना) फिर उन लोगों का ख़्याल रखना जो उसके बाद हों, फिर उन लोगों का जो उसके बाद हों। उनके बाद दुनिया में इस क़द्र झूठ की कसरत होगी कि आदमी बग़ैर गवाह बनाये गवाही देने पर तैयार होगा और बग़ैर क़सम देने के क़सम खाने पर तैयार होगा। **(मुस्नद अहमद)**

अगर आदमी के पास ऐसी गवाही मौजूद हो जिसका मुतअल्लिक़ फ़र्द को इल्म न हो

2364. हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहरत वो गवाह है कि (अगर उसको वाक़िया का इल्म हो) तो बग़ैर गवाह बनाये शहादत दे। **(मुस्लिम-1719)**

क़र्ज़ पर गवाह बनाना

2365. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा तदायन्तुम् बिदैनिन् इला अजलिम् मुसम्मा** (ऐ ईमान वालों! जब तुम एक मुक़र्ररह मुद्दत तक क़र्ज़ लो या दो..) यहाँ तक कि आप इस आयत पर पहुँचे, **फ़इन अमिना बअ़्ज़ुकुम बअ़्ज़न्** (अगर तुम आपस में मुतमईन हो)(तो

जिसे अमानत दी गई है वो उसे अदा करे) और फ़र्माने लगे कि इस आयत ने पहले वाली आयत को मन्सूख़ कर दिया।

उन लोगों का बयान जिनकी गवाही जाइज़ नहीं

2366. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़यानत करने वाले मर्द और औरत की गवाही क़ाबिले क़ुबूल नहीं और न उसकी जिसे इस्लाम (लाने के बाद किसी जुर्म की सज़ा) में हद लगाई गई हो और न अपने भाई से अदावत रखने वाले की गवाही क़ाबिले क़ुबूल है। **(मुस्नद अहमद)**

2367. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, शहरी पर देहाती की गवाही जाइज़ नहीं। **(अबू दाऊद-3602)**

गवाह और क़सम पर फ़ैसला करने की कैफ़ियत

2368. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक गवाह और क़सम पर फ़ैसला फ़र्माया था। **(तिर्मिज़ी-1343)**

2369. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक गवाह और क़सम पर फ़ैसला फ़र्माया था। **(तिर्मिज़ी-1344)**

2370. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक गवाह और क़सम पर फ़ैसला फ़र्माया था। **(मुस्लिम-1712)**

2371. हज़रत मसरूक का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक मर्द की शहादत मुद्दई की क़सम के साथ जाइज़ रखी है। **(तब्रानी-6717)**

झूठी गवाही का बयान

2372. हज़रत खुज़ैम बिन फ़ातिक असदी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) सुबह की नमाज़ पढ़कर खड़े हुए और फ़र्माया कि झूठी गवाही अल्लाह तआला के साथ शरीक करने के बराबर है (ये हुज़ूर (ﷺ) ने तीन बार फ़र्माया) उसके बाद ये आयत तिलावत फ़र्माई, **वज्तनिबू क़ौलज़्ज़ूरि हुनफ़ाआ लिल्लाहि ग़ैर मुश्रिकीन बिहि.** (और झूठी बात से परहेज़ करो, अल्लाह की तौहीद को मानते हुए, उसके साथ किसी को शरीक न करते हुए। **(अबू दाऊद-3599)**

2373. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़यामत के दिन) झूठे गवाह के पैर हरकत नहीं कर सकेंगे यहाँ तक कि अल्लाह तआला जहन्नम को उसके ऊपर वाजिब कर देगा। **(अबू यअ़ला-5672)**

2374. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने अहले किताब की गवाही को एक-दूसरे के बारे में मोअ़तबर क़रार दिया। **(बैहक़ी)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल-हिबा

हिबा के मुताल्लिक़ बयान

2375. हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि .) का बयान है कि मेरे वालिद मुझको नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में लेकर हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप गवाह रहिये कि मैंने अपने माल में से फ़लाँ-फ़लाँ चीज़ नोअमान को दे दी है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस तरह तुमने नोअमान को जो चीज़ें दी हैं उसी तरह और बेटों को भी दी हैं? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं! (दूसरो को तो नहीं दी हैं) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे अलावा किसी दूसरे को गवाह बनाओ (ऐसे ज़ुल्म पर मैं नहीं गवाह बनता हूँ) क्या तुमको ये नहीं अच्छा मालूम होता कि तुम्हारे सब बेटे तुम्हारे साथ हुस्ने सलूक करने में बराबर हों? उन्होंने कहा कि क्यूँ नहीं! मैं तो यही चाहता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो ऐसा न करो (कि एक को दो और दूसरों को महरूम रखो)। **(बुख़ारी-2587, 2650, मुस्लिम-1623)**

2376. हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) का बयान है कि मेरे वालिद ने मुझको एक गुलाम दिया उसके बाद नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए ताकि उस पर आपको गवाह बनाएँ। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे दरयाफ़्त किया, क्या तुमने अपनी सब औलाद को ऐसा ही दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, जी नहीं! (सबको नहीं दिया है) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तो ये भी वापिस ले लो। **(बुख़ारी-2586, मुस्लिम-1623)**

किसी ने अपनी औलाद को कुछ दिया और फिर वापस ले लिया

2377. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और **हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.)** का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स को ये जाइज़ नहीं कि किसी को कुछ दे और फिर वापस ले ले। अल्बत्ता वालिद ऐसा कर सकता है कि वो जो कुछ अपनी औलाद को दे वो वापस ले सकता है। **(तिर्मिज़ी-1299, 2132)**

2378. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रह.) अपने दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान अपनी दी हुई चीज़ को वापिस न ले। मगर वालिद अपनी औलाद से वापिस ले सकता है। **(नसाई-3719)**

उम्रा का बयान

2379. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उ़मरा कोई चीज़ नहीं। अगर कोई शख़्स किसी को तमाम उ़म्र के लिये कोई चीज़ दे तो वो उसकी मिल्कियत में दाख़िल हो जायेगी। **(नसाई)**

2380. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने किसी को उ़म्रा के तरीक़े पर कुछ दिया तो वो उसी का हो जायेगा और उसके बाद उसके वारिसों का होगा (क्योंकि तमाम उ़म्र के लिये देने से उसने अपना हक़ मुन्क़तअ़ कर लिया। जब तक ये ज़िन्दा रहेगा वो चीज़ उसकी होगी और उसके बाद उसके वारिसों की होगी) **(बुख़ारी-2625, मुस्लिम-1625)**

2381. हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने उ़म्रा वारिसों को दिला दिया था। **(अबू दाऊद-3559)**

रुक़्बा का बयान

तशरीह : रुक़्बा के ये मअ़नी हैं कि कोई शख़्स किसी को मकान दे और उससे ये कहे कि अगर पहले मैं मर गया तो ये मकान तेरा है और अगर पहले तू मर गया तो ये मकान मेरा है जिस तरह था।

2382. हज़रत उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, रुक़्बा कोई चीज़ नहीं है अगर किसी ने रुक़्बा किया भी तो वो हमेशा मौत और ज़िंदगी में उसी शख़्स का हो जायेगा जिसके वास्ते रुक़्बा किया गया है। रावी कहते हैं कि रुक़्बा के ये मअ़नी हैं कि दूसरे से कहे कि घोड़ा और मकान वग़ैरह हम दोनों में से उसका है जो बाद में फ़ौत हो। **(नसाई-3763)**

2383. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उ़म्रा उस शख़्स के हक़ में जारी होगा जिसे उ़म्रा के तौर पर दिया गया और रुक़्बा उस शख़्स के हक़ में जारी होगा जिसे रुक़्बा के तौर पर दिया गया। **(अबू दाऊद-3558)**

हिबा करके वापस लेना

2384. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपना अ़तिय्या वापस लेता है, वो कुत्ते की तरह है जो खाता रहता है, जब पेट भर जाता है तो क़ै (उल्टी) कर देता है और फिर अपनी क़ै को दोबारा खाने लग जाता है। **(मुस्नद अहमद)**

2385. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हिबा करके वापस लेने वाला अपनी क़ै को वापस पेट में डालने वाले (कुत्ते) की तरह है। **(बुख़ारी-1490, 2623, मुस्लिम-1620)**

2386. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अपना हिबा वापस लेने वाला उस कुत्ते की तरह है जो अपनी क़ै को दोबारा खाता है।

वापस तोहफ़ा मिलने की उम्मीद में तोहफ़ा देना

2387. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी अपने हिबा (तोहफ़े) का ज़्यादा हक़ रखता है, जब तक उसका बदला (जवाबी तोहफ़ा) न दिया जाये।

औरत का ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अतिय्या देना

2388. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ख़ुत्बे में इर्शाद फ़र्माया, औरत को ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अपने माल में से ख़र्च करना जाइज़ नहीं, जबकि वो उसकी इस्मत का मालिक हो (जब तक निकाह क़ायम हो)। **(अबू दाऊद-3546)**

2389. हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) की अहलिया हज़रत ख़ैरह (रज़ि.) अपना ज़ेवर लेकर रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया, मैं ये सदक़ा करती हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत के लिये ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अपने माल में तसर्रुफ़ करना दुरुस्त नहीं। क्या तुमने कअब से इजाज़त ली है? उन्होंने कहा, हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनके ख़ाविद कअब बिन मालिक (रज़ि.) के पास पैग़ाम भेजकर दरयाफ़्त फ़र्माया, क्या तुमने ख़ैरह को इजाज़त दी है कि वो अपना ज़ेवर सदक़ा कर दे? उन्होंने कहा, जी हाँ। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनसे सदक़ा क़ुबूल फ़र्माया।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

किताबुस-सदक़ात

सदक़ा व ख़ैरात से मुताल्लिक़ अहकाम

2390. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने सदक़े से रुजूअ न करो। यानी किसी को सदक़ा देकर वापस न लो। **(बुख़ारी-1490, 2623, मुस्लिम-1620)**

2391. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सदक़ा देकर अपना सदक़ा वापस ले लेता है, उसकी मिसाल कुत्ते की सी है जो क़ै करता है, फिर पलट कर अपनी क़ै खा लेता है।

सदक़ा की हुई चीज़ बिक रही हो तो क्या सदक़ा देने वाला उसे ख़रीद सकता है?

2392. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है, मैंने किसी को सदक़े में घोड़ा दिया। कुछ दिनों के बाद देखा तो वो शख़्स उस घोड़े को कम दामों में फ़रोख़्त कर रहा था। चुनाँचे मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! अपना दिया हुआ सदक़ा वापस न ख़रीदो।

2393. हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम (रज़ि.) ने एक घोड़ा, जिसका नाम ग़म्रा था अल्लाह की राह में सदक़ा किया (कुछ दिनों के बाद) उन्होंने देखा कि उसकी नस्ल का बच्चा बछरी या बछरा फ़रोख़्त हो रहा है। (ज़ुबैर (रज़ि.) ने उसको ख़रीदना चाहा लेकिन) हुज़ूर (ﷺ) उनको उसके ख़रीदने से मना कर दिया। **(मुस्नद अहमद)**

सदक़े में दी हुई चीज़ विरासत में मिल जाये तो क्या हुक्म है?

2394. हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदह (रज़ि.) अपने वालिदा की रिवायत बयान करते हैं कि एक औरत नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपनी वालिदा को एक बांदी सदक़े में दी थी, अब मेरी वालिदा इंतिकाल हो गया है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुझको अल्लाह तआला ने सवाब भी दिया और जो तूने दिया था वो फिर वापस भी फ़र्मा दिया।

2395. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) के दादा का बयान है कि एक शख़्स ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह(ﷺ)! मैंने अपनी वालिदा को सदक़े में एक बाग़ दिया था, अब उनका

इंतिकाल हो गया। मेरे सिवा उनका कोई वारिस नहीं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुझको सदक़े का सवाब भी मिल गया और तेरा बाग़ भी तेरे पास वापस आ गया। **(मुस्नद अहमद)**

उस शख़्स का बयान जिसने वक़्फ़ किया हो

2396. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को ख़ैबर में कुछ ज़मीन मिली। वो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए (ताकि उसके बारे में कुछ मश्विरा करें) आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ख़ैबर में ऐसा माल मुयस्सर हुआ है कि उससे ज़्यादा अच्छा मुझको कभी न मिला था। अब आप उसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारी ख़ुशी हो तो ऐसा करो कि उसकी असल ज़मीन को तो वक़्फ़ कर दो और उसके नफ़े का सदक़ा कर दो। रावी कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने ऐसा ही किया कि असल ज़मीन न फ़रोख़्त की जाये और न हिबा की जाये, न तरके में आये बल्कि उसके (नफ़े) का सदक़ा फ़क़ीरों और रिश्तेदारों और ग़ुलामों को आज़ाद कराने और मुजाहिदीन के सामान दुरुस्त करने और मुसाफ़िरों और मेहमानों के लिये सर्फ़ किया जाये और जो उस ज़मीन का मुतवल्ली हो, वो दस्तूर के मुवाफ़िक़ उसमें से खाये और दूसरों को भी खिलाये, लेकिन जमा करने की इजाजत नहीं है। **(बुख़ारी-2737, 2772, मुस्लिम-1632)**

2397. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने रसूले अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़ैबर में मुझको सौ हिस्से मिले हैं। ऐसा माल मुझको तमाम उम्र में कभी मुयस्सर न आया। मैं चाहता हूँ कि उसका सदक़ा कर दूँ। लिहाज़ा आपकी इसमें क्या राय है? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, असल का तो रहने दो और उसका मेवा वक़्फ़ कर दो। **(नसाई)**

आरियत का बयान

2398. हज़रत शुरहबील इब्ने मुस्लिम (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मांगी हुई चीज़ को वापस करना चाहिए और जो जानवर दूध पीने के लिये दिया जाये, वो वापस ले लिया जाये। **(तिर्मिज़ी-1265)**

2399. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आरियत वापस कर देना चाहिए और जो जानवर दूध पीने के लिये दिया गया हो वो वापस कर देना चाहिए।

2400. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी पर वाजिब है कि जिस हाथ से जो चीज़ ले उसी हाथ से वापस भी कर दे। **(तिर्मिज़ी-1266)**

अमानत का बयान

2401. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने किसी के पास अमानत रखी (अगर अमानत जाती रही) तो तावान नहीं होगा। **(बैहक़ी)**

अमानत की रक़म से तिजारत करके नफ़ा कमाना कैसा है?

2402. हज़रत अर्वा इब्ने अबू जअद बारिक़ी (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे करीम (ﷺ) ने मुझको एक दीनार बकरी ख़रीदने के लिये अता फ़र्माया। मैंने जाकर दो बकरियाँ ख़रीदीं। फिर एक बकरी एक दीनार में बेच दी और एक

दीनार और एक बकरी लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) मुझसे निहायत ही खुश हुए और मेरे लिये बरकत की दुआ की। रावी कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) की दुआ की बरकत से (उ़र्वा का ये हाल था कि) अगर वो मिट्टी भी ख़रीदते तो उसमें भी फ़ायदा होता। **(बुख़ारी-3642)**

हज़रत उ़र्वा इब्ने अबू जअ़द बारिक़ी (रज़ि.) का बयान है कि बाहर से जानवर आये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको एक दीनार जानवर ख़रीदने के लिये अ़ता किया उसके बाद पूरा वाक़िया बयान फ़र्माया।

क़र्ज़ख़्वाह को किसी और से रक़म वसूल करने को कहना

2403. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदार को क़र्ज़ अदा करने में देर करना जुल्म है, लेकिन जब तुममें से किसी को मालदार का हवाला दिया जाये तो उसको क़ुबूल कर ले।(यानी अगर किसी का किसी पर क़र्ज़ हो और मक़रूज़ क़र्ज़ख़्वाह से कहे कि तुम फ़लाँ मालदार से वसूल कर लेना, मैं उनसे कह दूँगा तो क़ुबूल करना चाहिए)। **(बुख़ारी-2287, मुस्लिम-1564)**

2404. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदार आदमी को क़र्ज़ अदा करने में टाल-मटोल करना जुल्म है और अगर तुझे किसी मालदार आदमी का हवाला दिया जाये तो क़ुबूल कर। **(मुस्नद अहमद)**

ज़मानत का बयान

2405. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़मानत देने वाला ज़िम्मेदार होगा और क़र्ज़ अदा करना होगा।

2406. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में एक शख़्स पर दूसरे के दस दीनार का क़र्ज़ था। वो शख़्स हर वक़्त क़र्ज़दार के साथ रहने लगा। क़र्ज़दार ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं तुझको दूँ। क़र्ज़ख़्वाह ने कहा कि अल्लाह की क़सम! जब तक तू मेरा क़र्ज़ नहीं अदा कर देगा या किसी की ज़मानत न देगा उस वक़्त तक मैं तुझको नहीं छोड़ूँगा। आख़िर वो उसको पकड़कर आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमते मुबारक में ले गया। हुज़ूर (ﷺ) ने क़र्ज़ख़्वाह से फ़र्माया, तू उसको कितनी मुह्लत दे सकता है? उसने कहा, एक महीने की। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा (तो मुह्लत दे दे) मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। जब एक महीना पूरा हुआ तो वो क़र्ज़दार क़र्ज़ लेकर हुज़ूरे करीम (ﷺ) की ख़िदमत मे हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, ये तेरे पास कहाँ से आये? उसने अ़र्ज किया कि एक ख़ज़ाने में से मुझको मिले हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ज़ाने में बेहतरी नहीं (हो सकता है कि किसी दूसरे का माल हो) फिर हुज़ूर (ﷺ) ने क़र्ज़ख़्वाह का क़र्ज़ अदा कर दिया। **(अबू दाऊद-3328)**

2407. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है कि एक जनाज़ा हुज़ूर (ﷺ) के सामने लाया गया ताकि आप उसकी नमाज़ पढ़ाएँ। हुज़ूर (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया, अपने साथी की नमाज़ तुम लोग खुद पढ़ाओ (मैं नहीं पढ़ाऊँगा) क्योंकि इस पर क़र्ज़ है। अबू क़तादा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप नमाज़ पढ़ाएँ। इसके क़र्ज़ की ज़मानत देता हूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम पूरा क़र्ज़ अदा कर दोगे? मैंने अ़र्ज़ किया, हाँ! मैं पूरा क़र्ज़ अदा कर दूँगा। उस शख़्स पर अठारह या उन्नीस दिरहम का क़र्ज़ था। **(तिर्मिज़ी-1069)**

जो शख़्स क़र्ज़ ले और उसकी निय्यत अदा करने की हो

2408. उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रज़ि.) बयान करती हैं कि वो क़र्ज़ लिया करती थीं। उनके घरवालों में से किसी फ़र्द ने नामुनासिब समझते हुए आपको क़र्ज़ लेने से मना किया। उम्मुल मोमिनीन को उनका मना करना नागवार मालूम हुआ और फ़र्माने लगीं, क्यों न लूँ? मैंने नबी और अपने महबूब हुज़ूर (ﷺ) से ये फ़र्मान सुना है कि जो मुसलमान अदायगी की निय्यत से क़र्ज़ लेता है और अल्लाह तआला उसकी निय्यत को जानता है तो उसको ज़रूर अदा करा देता है। **(नसाई-4690)**

2409. हज़रत अब्दुल्लाह बिन जअफ़र (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक क़र्ज़दार अपना क़र्ज़ अदा करता है उस वक़्त तक अल्लाह तआला उसके साथ रहता है बशर्ते किसी नाजाइज़ काम में ये क़र्ज़ न हो। रावी कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जअफ़र (रज़ि.) अपने ख़ज़ान्ची से फ़र्माया करते कि जा और मेरे लिये क़र्ज़ ले आ। क्योंकि ये मुझको अच्छा नहीं मालूम होता कि एक रात भी अल्लाह तआला मुझसे अलग हो। जबसे मैंने ये हदीस आँहज़रत (ﷺ) से सुनी है, उस रोज़ से (मुझको ये अच्छा मालूम होता है कि कर्ज़दार रहूँ)। **(हाकिम)**

जो शख़्स क़र्ज़ ले और अदा करने की निय्यत न हो उसका क्या हुक्म है?

2410. हज़रत सुहैब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी से ये निय्यत करके क़र्ज़ ले कि अदा नहीं करूँगा तो क़यामत के दिन चोर बनकर अल्लाह तआला से उसकी मुलाक़ात होगी।

2411. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स लोगों का माल बर्बाद करने की निय्यत से लेगा। अल्लाह तआला उस शख़्स को बर्बाद कर देगा। **(बुख़ारी-2387)**

क़र्ज़ में सख़्ती करने का बयान

2412. हज़रत सौबान (रज़ि.) रसूले करीम (ﷺ) के मौला (गुलाम) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) का इर्शाद है कि जिस शख़्स की रूह तीन चीज़ों से पाक निकलेगी वो जन्नत में दाख़िल होगा। पहली तकब्बुर, दूसरी चोरी, तीसरी क़र्ज़। **(तिर्मिज़ी-1573)**

2413. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन की रूह उसके क़र्ज़ में मुअल्लक़ (लटकी) रहती है। जब तक उसका क़र्ज़ अदा न किया जाये। **(तिर्मिज़ी-1079)**

2414. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दीनार व दिरहम का क़र्ज़दार होकर मरा तो उसकी नेकियाँ उनके बदले क़र्ज़ख्वाहों को दी जाएँगी, वहाँ दीनार व दिरहम नहीं हैं। **(मुस्नद अहमद)**

जो शख़्स क़र्ज़ या छोटे बच्चे छोड़ जाये तो वो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िम्मे है

2415. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अक़्दस (ﷺ) के अहदे मुबारक में कोई शख़्स मर जाता तो आँहज़रत (ﷺ) उसके जनाज़े की नमाज़ के वक़्त लोगों से पूछा करते कि उसने इतना माल छोड़ा है जो उसके क़र्ज़ को काफी हो? अगर लोग कहते कि माल छोड़ा है तो हुज़ूरे करीम (ﷺ) उसकी नमाज़ अदा कर लेते वरना सहाबा (रज़ि.)

से फ़र्मा देते कि तुम इसकी नमाज़ पढ़ लो। लेकिन जब अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) को फ़तह इनायत की तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिनीन के नफ़्सों से ज़्यादा मैं मोमिनीन को चाहता हूँ। इसलिए उन पर जो क़र्ज़ हो वो मेरे ज़िम्मे हैं और जो माल छोड़ जायें वो उनके वारिसों का है। **(मुस्लिम-1619)**

2416. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स माल छोड़ जाये तो वो उसके वारिसों का है और जो कोई क़र्ज़ या छोटे बच्चे छोड़ जाये तो उसकी अदायगी और उनकी निगरानी मेरे ज़िम्मे है और मैं मोमिनों से सबसे ज़्यादा तअल्लुक़ रखने वाला हूँ (या उनका ज़्यादा ज़िम्मेदार हूँ)। **(अबू दाऊद-2954, मुस्लिम-867)**

क़र्ज़दार को मुहताजी की हालत में मुहलत देनी चाहिये

2417. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने किसी तंगदस्त पर आसानी की तो अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसे आसानी अता फ़र्मायेगा। **(मुस्लिम-2699)**

2418. हज़रत बुरैदह बिन हसीब अस्लमी (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुह्ताज क़र्ज़दार को मुह्लत देगा उसको हर रोज़ एक सदक़े का सवाब मिलेगा और जो शख़्स मुह्लत गुज़रने के बाद भी मुह्लत देता रहेगा उसको हर रोज़ कुल क़र्ज़ के सदक़े का सवाब होता रहेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2419. हज़रत अबुल युस्र (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ये चाहता हो कि अल्लाह तआला उसको हर वक़्त अपने साये में रखे तो उसको चाहिए कि मुहताज क़र्ज़दार को मुह्लत दे या उसका क़र्ज़ माफ़ कर दे। **(मुस्नद अहमद)**

2420. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स का इंतिकाल हो गया। उससे पूछा गया, तूने क्या अमल किया? उस शख़्स ने थोड़ी देर सोचा या अल्लाह तआला की तरफ़ से उसको याद दिलाया गया तो उसने कहा कि मैं सिक्के और नक़दी में चश्मपोशी किया करता था और जो शख़्स मुह्ताज होता उसको मुह्लत दिया करता। अल्लाह तआला ने उसे बख़्श दिया और हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) का बयान है कि मैंने भी इस हदीस को हुज़ूरे करीम (ﷺ) से सुना है। **(बुख़ारी-2391)**

मुतालबे में नर्मी इख़्तियार करना और हक़ वसूल करने में बुरे कामों से बचना

2421. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) और **हज़रत आइशा (रज़ि.)** का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपना हक़ तलब करे तो उसमें दरगुज़र से काम ले चाहे उसका पूरा हक़ मिले या न मिले। **(बैहक़ी-1163)**

2422. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने साहिबे हक़ से फ़र्माया, अपना हक़ शराफ़त (नर्मी) के साथ ले चाहे पूरा हो या पूरा न हो। **(हाकिम)**

क़र्ज़ अच्छे तरीक़े से अदा करना चाहिये

2423. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से बेहतर या फ़र्माया लोगों में से बेहतर वो शख़्स है, जो अपना क़र्ज़ उम्दा तौर पर अदा करे। **(बुख़ारी-2306, मुस्लिम-1601)**

2424. हज़रत इस्माईल बिन इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन रबीआ मख़्ज़ूमी (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत

बयान करते हैं कि जब आँहज़रत (ﷺ) ने हुनैन का जिहाद किया तो मुझसे तीस हज़ार या चालीस हज़ार क़र्ज़ लिया। फिर जब वहाँ से वापस लौटे तो हुज़ूर (ﷺ) ने वो अदा किये और फ़र्माया, अल्लाह तआला तेरे माल और तेरी औलाद में बरकत अता करे। क़र्ज़ का ये बदला है कि पूरे तौर पर अदा करे और क़र्ज़ देने वाले की तअरीफ़ करे। **(नसाई-4687)**

क़र्ज़ख़्वाह को सख़्त बात कहने का हक़ है

2425. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स अपना क़र्ज़ या अपना हक़ तलब करने के लिये हुज़ूरे करीम (ﷺ) की ख़िदमत में आया और उसने हुज़ूर (ﷺ) को कोई सख़्त बात कह दी। सहाबा (रज़ि.) ने उसको सज़ा देना चाही। हुज़ूरे करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ठहरो! जिसका क़र्ज़ हो उसको हक़ है जो कहे कह सकता है। जब तक अपना हक़ न ले ले।

2426. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) का बयान है कि एक गांव वाला, जिसका हुज़ूर (ﷺ) पर कुछ क़र्ज़ बाक़ी था। हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में आकर अपने क़र्ज़ का मुतालबा करने लगा और सख़्त अल्फ़ाज़ कहे कि अगर आप मेरा क़र्ज़ न देंगे तो मैं आपके साथ सख़्त रवैया इख़्तियार करूँगा। ये सुनकर सहाबा किराम (रज़ि.) ने उसको झिड़का और उससे कहा, तुझ पर अफ़सोस! तू ये नहीं जानता कि ये बातें किससे कर रहा है? वो कहने लगा, मैं अपना हक़ तलब कर रहा हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग क़र्ज़ख़्वाहों की तरफ़दारी क्यूँ नहीं करते हो? उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने किसी को ख़ौला बिन्ते क़ैस (रज़ि.) के पास भेजा और कहला भेजा कि अगर तुम्हारे पास खजूरें हों तो मुझे क़र्ज़ दे दो। जब हमारे पास खजूरें आयेंगी तो तुम्हारी खजूरें अदा कर देंगे। ख़ौला कहने लगीं, हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर फ़िदा हों। मेरे पास खजूरें मौजूद हैं। अल्ग़र्ज़ ख़ौला (रज़ि.) ने वो खजूरें हुज़ूरे करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पेश कीं। हुज़ूर ने वो खजूरें लेकर उस शख़्स का क़र्ज़ अदा किया और उसको खाना खिलाया। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने मेरा हक़ पूरा दिया, अल्लाह तआला आपको पूरा दे। हुज़ूर करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों में अफ़ज़ल लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। वो क़ौम कभी पाक न होगी जिसमे कमज़ोर शख़्स अपना क़र्ज़ न ले सके। **(मुस्नद अहमद)**

क़र्ज़ की वजह से क़ैद करना और पीछा करना

2427. हज़रत अम्र बिन शरीद (रज़ि.) का बयान है, मेरे वालिद ने बयान किया रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को क़र्ज़ अदा करने की ताक़त हो और वो क़र्ज़ अदा करने में देर लगाये तो उसकी बेइज़्ज़ती करना और उसको तक्लीफ़ देना जाइज़ है। तनाफ़िसी (रह.) का बयान है कि बेइज़्ज़ती से ये मुराद है कि क़र्ज़ख़्वाह को उसकी शिकायत करना हलाल हो गई और तक्लीफ़ जाइज़ होने का ये मतलब है कि उसको क़ैद करना दुरुस्त हो गया। **(अबू दाऊद-3628)**

2428. हज़रत हरमास बिन हबीब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि मैं एक क़र्ज़दार को लेकर नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (ये जहाँ कहीं जाये) उसके साथ रहो। फिर हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र मेरे पास से हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, ऐ बनी तमीम के भाई! तुम्हारे क़ैदी का क्या हुआ? **(अबू दाऊद-3229)**

2429. हज़रत क़अब बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत बयान है कि मस्जिदे नबवी के सेहन में मैंने अब्दुल्लाह बिन अबू हदरद (रज़ि.) से अपने क़र्ज़ का तक़ाज़ा किया और उसमें इस क़द्र आवाज़ बुलंद हुई कि हुज़ूर (ﷺ) उस वक़्त मकान में तशरीफ़ फ़र्मा थे, आवाज़ आपके कानों तक पहुँची। हुज़ूर (ﷺ) फ़ौरन बाहर तशरीफ़ लाये और मुझसे फ़र्माया,

कअ़ब। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने हाथ के इशारे से फ़र्माया, इतना (यानी आधा) क़र्ज़ माफ कर दो। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने माफ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने अबू हदरद से फ़र्माया, जाओ! इनका क़र्ज़ अदा करो। **(बुख़ारी-457, मुस्लिम-1558)**

क़र्ज़ देने का सवाब

2430. हज़रत क़ैस बिन रूमी (रह.) का बयान है कि हज़रत सुलेमान इब्ने अज़नान (रह.) ने हज़रत अल्क़मा (रह.) को एक हज़ार दिरहम तनख़्वाह मिलने तक की मुद्दत के वादे पर क़र्ज़ दिये। जब उनकी तनख़्वाह मिली तो सुलेमान (रह.) ने तक़ाज़ा किया और तक़ाज़ा भी बहुत सख़्त किया।(मजबूरन) अल्क़मा (रह.) को उनका क़र्ज़ अदा करना पड़ा। फिर कई महीने के बाद अल्क़मा (रह.) को फिर क़र्ज़ लेने की ज़रूरत पेश आई और ये सुलेमान (रह.) के पास आये। उनसे कहा कि मुझको तनख़्वाह मिलने तक एक हज़ार दिरहम क़र्ज़ दे दो। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा! अभी देता हूँ और अपनी बीवी को आवाज़ दी, उम्मे उ़त्बा! वो थैली जो मुहर लगी हुई रखी है मेरे पास उठा लाओ। वो उठाकर ले आई तो उन्होंने अल्क़मा (रह.) को दिखाकर कहा कि देखो! ये वही थैली है जो आपने मुझको क़र्ज़ में अदा की थी। मैंने अब तक उसको खोला तक नहीं है। अल्क़मा (रह.) ने कहा, अल्लाह तआ़ला आपका भला करे (लेकिन ये बतलाओ) कि जब आपको ज़रूरत न थी तो फिर आपने मुझ पर इतनी सख़्ती क्यूँ की? हज़रत सुलेमान (रह.) ने कहा, मैंने आप ही से एक हदीस सुनी थी, उसकी वजह से तक़ाज़ा किया। उन्होंने कहा, वो कौनसी हदीस है जो आपने मुझसे सुनी थी? कहने लगे, आपने हज़रत इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) की हदीस इस तरह बयान की थी कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) का इर्शाद है, जो शख़्स अपने किसी मुसलमान भाई को दो मर्तबा क़र्ज़ देगा। उसको (हर एक) मर्तबा उतने ही माल के सदक़ा करने का सवाब अ़ता किया जायेगा। **(बैहक़ी)**

2431. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस रात को मुझको मेअ़राज हुई, तो मैंने जन्नत के दरवाज़े पर लिखा देखा कि सदक़े में दस गुना सवाब है और क़र्ज़ देने में अठारह गुना सवाब है। मैंने हज़रत जिब्रईल से इसकी वजह पूछी, जिब्रईल! ये क्या बात है कि सदक़े से क़र्ज़ का सवाब ज़्यादा है। जिब्रईल ने कहा, इसलिये कि सवाल करने वाला कभी-कभी ऐसे वक़्त में सवाल कर जाता है, हालाँकि उसके पास उसकी ज़रूरत का माल मौजूद होता है, जबकि क़र्ज़ लेने वाला ज़रूरत और मजबूरी की हालत में क़र्ज़ लेता है, क्योंकि क़र्ज़ की वापसी तो ज़रूरी है इसलिये मजबूरी के वक़्त ही लिया जाता है। **(बैहक़ी)**

2432. हज़रत यहया इब्ने अबी इस्हाक़ हुनाई (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से ये मसला पूछा कि हममें से कुछ आदमी किसी मुसलमान भाई को क़र्ज़ दे देते हैं। फिर क़र्ज़ लेने वाला क़र्ज़ देने वाले के पास कुछ तौहफ़ा रवाना करता है (तो उसका क्या हुक्म है?)। उन्होंने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि अगर कोई शख़्स किसी को क़र्ज़ दे और ये क़र्ज़ लेने वाला उसके लिये कोई तौहफा रवाना कर दे या उसको सवारी पर सवार कराये तो उसको सवार न होना चाहिए अल्बत्ता अगर पहले ही से ये मामलात आपस में जारी हों तो कोई मुजायक़ा नहीं। **(बैहक़ी)**

मय्यित की तरफ़ से क़र्ज़ अदा करने का बयान

2433. हज़रत सअ़द इब्ने अतवल (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे भाई का इंतिकाल हो गया। उन्होंने तीन दिरहम और अपने बच्चे छोड़े। मेरा ख़्याल हुआ कि उन रुपयों को उन बच्चों में सर्फ़ कर दूँ लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, तेरा

भाई अपने क़र्ज़ में क़ैद था, तुझको चाहिए कि उसका क़र्ज़ अदा कर दे। मैंने अ़र्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने उनका तमाम क़र्ज़ अदा कर दिया। अल्बत्ता दो दीनार जिनका एक औ़रत ने दावा किया था, वो नहीं दिये हैं क्योंकि उसके गवाह मौजूद न थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको भी दे दो क्योंकि वो औ़रत सच्ची है। **(मुस्नद अहमद)**

2434. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि जब मेरे वालिद का इंतिकाल हुआ तो उनके ऊपर एक यहूदी का तीस वस्क़ खजूर का क़र्ज़ था। मैंने उस यहूदी से मुह्लत मांगी तो उसने इंकार किया और मुह्लत न दी। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया ताकि हुज़ूरे करीम (ﷺ) उस यहूदी से सिफ़ारिश करें। हुज़ूर (ﷺ) उस यहूदी के पास तशरीफ़ ले गये और उससे फ़र्माया कि अपने क़र्ज़ के बदले में जाबिर के दरख़्तों में जो खजूरें मौजूद हैं वो ले ले लेकिन वो नहीं माना। तब हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया कि जाबिर (रज़ि.) को मुह्लत दे दे तो उसने मुह्लत देने से भी इंकार कर दिया। तो आँहज़रत (ﷺ) मेरे खजूर के दरख़्तों के नीचे से निकल गये और फिर फ़र्माया, दरख़्तों में से खजूरें तोड़कर उसका क़र्ज़ अदा कर दो। जब खजूरें काटी गईं तो तीस वस्क़ तोल लेने के बाद बारह वस्क़ ज़्यादा उतरीं (ये हुज़ूरे करीम (ﷺ) की बरकत थी) जब मैंने ये वाक़िया देखा और हुज़ूर (ﷺ) के पास ख़बर देने के लिये गया तो आपको वहाँ नहीं पाया। जब उस काम से फ़राग़त हासिल हो गयी, तब हुज़ूरे करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और बताया कि हुज़ूर (ﷺ) मैंने उस यहूदी का क़र्ज़ अदा कर दिया और जो मिक़्दार बच गई थी वो भी बताई। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ! ये वाक़िया हज़रत उ़मर (रज़ि.) से बयान करो। मैं गया और जाकर बयान किया। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने कहा, जिस वक़्त नबी करीम (ﷺ) उन दरख़्तों के नीचे तशरीफ ले गये थे, मैं उसी वक़्त समझ गया था कि अल्लाह तआ़ला उनमें बरकत अ़ता फ़र्मायेगा। **(बुख़ारी-2396)**

तीन कामों के लिये क़र्ज़ लेने वाले का क़र्ज़ अल्लाह अदा फ़र्मायेगा

2435. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ क़र्ज़दार से बदला लिया जायेगा (उसकी नेकियाँ लेकर क़र्ज़ख्वाह को दी जायेंगी क्योंकि वो क़र्ज़दार होगा) अल्बत्ता अगर तीन बातों में क़र्ज़दार होगा तो कोई बदला नहीं, एक वो शख़्स जो अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा हो और फिर कमज़ोर हो जाये और फिर क़र्ज़ लेकर अपनी कुव्वत बढ़ाये और उसकी ये निय्यत हो कि अल्लाह के दुश्मन का मुक़ाबला कर सके। दूसरा वो शख़्स कि उसके यहाँ कोई मुसलमान मर जाये और उसके यहाँ कफ़न-दफ़न के लिये कुछ न हो वो क़र्ज़ ले। तीसरा वो शख़्स जो (कुवाँरा रहने से) अपने दीन का डर खाता हो कि अगर शादी नहीं करेगा ज़िना में मुब्तला हो जायेगा) तो ये अपनी शादी के लिये कर्ज़ ले। पस इन (तीनों सूरतों में अल्लाह तआ़ला क़यामत के दिन उसका क़र्ज़ अदा फ़र्मायेगा)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुर्रूहून

रहन (गिरवी) रखने से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2436. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने एक यहूदी से ग़ल्ला उधार ख़रीदा और उसके पास अपनी ज़िरह रहन रखी। **(बुख़ारी-2200, मुस्लिम-1603)**

2437. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक यहूदी के पास मदीना में अपनी ज़िरह रहन रखकर घरवालों के लिये अनाज ख़रीदा था। **(बुख़ारी-2096)**

2438. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) का बयान है, जब नबी करीम (ﷺ) की वफ़ात हुई तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के पास तीन साअ़ खजूर पर रहन रखी हुई थी। **(मुस्नद अहमद)**

2439. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने वफ़ात पाई तो आपकी ज़िरह एक यहूदी के पास तीन साअ़ जौ पर रहन रखी हुई थी।

रहन के जानवर पर सवारी करना और उसका दूध पीना

2440. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी के पास जानवर रहन हो तो वो उस पर सवार हो सकता है। अगर दूध वाला जानवर हो तो उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उन सूरतों में जानवर का ख़र्च सवारी करने और दूध पीने वाले पर होगा। **(बुख़ारी-2511)**

रहन रखी हुई चीज़ क़र्ज़ माँगने वाले की मिल्कियत नहीं बन सकती

2441. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रहन रखी हुई चीज़ (मुस्तक़िल तौर पर) क़र्ज़ख़्वाह के पास नहीं रहेगी। **(दारक़ुत्नी)**

मज़दूरों की मज़दूरी का बयान

2442. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन मैं तीन शख़्सों का मुद्दई होऊँगा और जिसका मैं मुद्दई होऊँगा, क़यामत के दिन मैं उस पर ग़ालिब रहूँगा। पहला वो शख़्स, जो अल्लाह

का नाम लेकर अहद करे और फिर उसमें दग़ा करे। दूसरा वो शख़्स, जो आज़ाद शख़्स को गुलाम बनाकर फ़रोख़्त करे और उसकी क़ीमत खाये और तीसरा वो शख़्स, जो किसी से मज़दूरी कराये और उसकी मज़दूरी पूरी न दे।

(बुख़ारी-2227)

2443. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी अदा कर दो।

सिर्फ़ रोटी खिलाने के ऐवज़ में मज़दूर रखना

2444. हज़रत उत्बा इब्ने नुद्दर (रज़ि.) कहते हैं कि एक दिन हम लोग आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। हुज़ूर (ﷺ) ने सूरह ता सीम मीम (सूरह क़सस) तिलावत फ़र्माना शुरू की। जब मूसा (अलैहिस्सलाम) के ज़िक्र पर पहुँचे तो फ़र्माया, मूसा (अलैहि.) ने आठ या दस बरस तक मज़दूरी की जिसकी उज्रत ये मुक़र्रर थी कि पेटभर रोटी मिलेगी और अपनी शर्मगाह को रोके रखेंगे। **(तबरानी फ़िल्कबीर-333)**

2445. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने यतीमी की हालत में परवरिश पाई और मुफ़्लिसी की हालत में हिज्रत की और मैं सिर्फ़ रोटी और (सफ़र के दौरान) अपनी बारी पर ऊँट पर चढ़ने की शर्त पर ग़ज़्वान की बेटी का नौकर था। (सफ़र के दौरान) जब ये लोग उतरे तो मैं उनके लिये लकड़ियाँ जमा करता और जब सवार होते तो जानवरों को गाकर चलाता। लिहाज़ा मैं उस अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि जिसने दीन को मज़बूत किया और अबू हुरैरह (रज़ि.) को दीन का इमाम (पेशवा) बनाया। **(बैहक़ी)**

आदमी एक खजूर के बदले एक डोल निकाले और उम्दा खजूर की शर्त लगाये

2446. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को भूख लगी और खाने के लिये कुछ मौजूद न था। ये ख़बर हज़रत अली (रज़ि.) को मालूम हुई तो वो किसी काम की तलाश में निकले ताकि कुछ कमाकर हुज़ूर (ﷺ) को खाना खिला सकें। आख़िरकार हज़रत अली एक यहूदी के बाग़ में आये और उसके यहाँ मज़दूरी की। आपने हर डोल के बदले एक उम्दा खजूर की शर्त पर सत्तर डोल निकाले। हज़रत अली (रज़ि.) उन खजूरों को लेकर हुज़ूर (ﷺ) के पास हाज़िर हुए और आपको वो खजूरें खिलाईं। **(बैहक़ी)**

2447. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि मैं एक खजूर के बदले एक डोल निकाल लिया करता और ये शर्त कर लेता कि उम्दा और अच्छी खजूर लूँगा।

2448. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक अंसारी शख़्स एक बार हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या बात है कि मुझको आपके चेहर-ए-मुबारक का रंग कुछ बदला हुआ मालूम होता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, भूख की वजह से बदला हुआ है। (ये सुनकर वो) अंसारी (अपनी मज़दूरी के) ठिकाने गया लेकिन वहाँ कुछ हासिल न होता देखकर कुछ और काम की तलाश में निकला तो क्या देखा कि एक यहूदी अपने बाग़ को पानी दे रहा है। उसने उससे कहा कि तेरे बाग़ को मैं पानी दे दूँ। लेकिन उज्रत में मैं निहायत उम्दा काली खजूरें लूँगा, सूखी हुई ख़राब खजूरें मैं नहीं लूँगा। आख़िर उसने बाग़ को पानी दिया और दो साअ के क़रीब खजूरें लेकर आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ।

तिहाई या चौथाई पैदावार की ऐवज़ पर खेती करना

2449. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने बैअे मुहाक़ला और मुज़ाबना से मना फ़र्माया है और फ़र्माया, तीन तरह के लोग खेती कर सकते हैं। पहला वो, जिसकी अपनी ज़मीन हो। दूसरा वो, जिसको हिबा में जमीन दी जाये या मुस्तआर दी जाये। तीसरा वो, जिसने सोने चाँदी के बदले ज़मीन किराये पर ली हो। **(अबू दाऊद-3400)**

2450. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हम मुख़ाबरा किया करते और उसमें कोई बुराई हमारे ख़्याल में न थी लेकिन जब हम को राफ़ेअ इब्ने ख़दीज (रज़ि.) की ये हदीस मालूम हुई कि हुज़ूर (ﷺ) ने इससे मना फ़र्माया है तो हमने उसको छोड़ दिया। **(मुस्लिम-1547)**

2451. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि हममें से कुछ आदमियों के पास बेकार ज़मीन पड़ी हुई थी, हम उसको बटाई पर दे दिया करते (यानी तिहाई या चौथाई पैदावार पर) जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को मालूम हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके पास खाली और बेकार ज़मीन हो या तो वो उसमें खेती करे या अपने भाई को वैसे ही खेती के लिये दे दे। **(बुख़ारी-2340, 2632, मुस्लिम-1536)**

2452. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके पास ज़मीन हो तो वो या तो उसमें खुद खेती करे या अपने भाई को मुफ़्त दे दे वरना खाली रहने दे। **(बुख़ारी-2341, मुस्लिम-1544)**

ज़मीन किराये पर देना

2453. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) अपनी ज़मीन खेती के लिये किराये पर दे दिया करते। एक मर्तबा उनके पास एक शख़्स आया और उसने हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज की हदीस बयान की कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने खेतों को किराये पर देने से मना किया। ये सुनकर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) के पास आये और उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने खेतों को किराये पर देने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-2286)**

2454. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, एक बार रसूले अकरम (ﷺ) ने खुत्बा देते हुए इर्शाद फ़र्माया, जिसके पास ज़मीन हो वो या तो खुद उसमें खेती करे या किसी को खेती करने के लिये दे दे लेकिन ज़मीन को किराये पर न चलाये। **(मुस्लिम-1536)**

2455. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने ज़मीन के मुहाक़ले से मना फ़र्माया है और मुहाक़ला के ये मअनी हैं कि ज़मीन को किराये पर दे दे। **(बुख़ारी-2186, मुस्लिम-1546)**

खाली ज़मीन को किराये पर रुपयों के बदले में देने की इजाज़त

2456. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, जब लोगों में ज़मीन को किराये पर देने के बहुत चर्चे होने लगे तो मैंने कहा, सुब्हानल्लाह! रसूलुल्लाह (ﷺ) तो यूँ फ़र्माया करते कि तुम लोगों में अपने भाई को खेती के लिये मुफ़्त में ज़मीन क्यूँ नहीं दी जाती लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने किराया पर देने से मुमानिअत नहीं फ़र्माई। (जिस तरह कि लोग ख़्याल किये हुए हैं)। **(बुख़ारी-2330, 2342, मुस्लिम-1550)**

2457. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी का अपने भाई को (खेती

के लिये बिना मुआवज़ा) अपनी ज़मीन दे देना इस बात से बेहतर है कि उस पर इतनी-इतनी चीज़ यानी मुक़र्ररह मिक़्दार वसूल करे। **(मुस्लिम-1550)**

2458. हज़रत हंजला इब्ने क़ैस (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत राफेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) से (खेती के बारे में) पूछा। उन्होंने कहा कि हम लोग ज़मीन को इस सूरत से किराये पर दिया करते कि जो उस मुक़ाम पर पैदा हो वो हमारा है और उसके अलावा तुम्हारा है लेकिन फिर हमको इससे मना कर दिया गया। अल्बत्ता हमको सोने-चाँदी के बदले में किराये पर देने की मुमानिअ़त नहीं की गई। **(बुख़ारी-2332, मुस्लिम-1547)**

जो खेती करना मकरूह है, उसका बयान

2459. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) अपने चचा हज़रत (ﷺ) ज़ुहैर की रिवायत बयान करते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने हमको ऐसे काम से मना फ़र्माया, जो हमारे लिये मुफ़ीद था। मैंने उनसे कहा कि जो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया है वही सहीह है। उन्होंने कहा कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने खेतों को क्या करते हो। मैंने अ़र्ज़ किया कि हम तिहाई या चौथाई पैदावार किराये पर दे देते हैं या चन्द वस्क़ गन्दुम या जौ के बदले। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा मत करो या खुद खेती किया करो या दूसरे को खेती करने को मुफ़्त दो। **(बुख़ारी-2339, मुस्लिम-1548)**

2460. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं कि जब हममें से कोई शख़्स अपनी ज़मीन बेकार ख़्याल करता तो उसको तिहाई या चौथाई पैदावार पर या आधे पर दे दिया करता और तीन नालियों की शर्त कर लेता कि (यहाँ पैदावार मेरी है) और भुस भी मेरा होगा और जो रबीअ़ के पानी से उगेगा वो भी मेरा होगा और उस वक़्त में लोगों की गुज़र-बसर मुश्किल से हुआ करती लेकिन वो लोग उसमें हल के ज़रिये से निहायत मेहनत किया करते और जिस तरह अल्लाह तआला को मंज़ूर होता उसमें फ़ायदा हासिल करते। एक रोज़ राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) हमारे पास आये और कहा कि अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने तुमको ऐसी बात से मना फ़र्माया है जिसमें तुम्हारा फ़ायदा था लेकिन अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इताअ़त में तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा है। हुज़ूर (ﷺ) ने तुम्हें मुहाक़ला से मना फ़र्माया है कि अपनी ज़मीन में या तो खुद खेती करो या अपने भाई को मुफ़्त खेती करने के लिये दो या खाली पड़ी रहने दो। **(अबू दाऊद-3398)**

2461. हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) कहने लगे कि अल्लाह राफ़ेअ़ बिन ख़दीज (रज़ि.) को बख़्शे, वो जो हदीस बयान करते हैं उनसे ज़्यादा मैं इस हदीस का आ़लिम हूँ। वाक़िया ये है कि एक रोज़ दो शख़्स जिनका आपस में झगड़ा हो गया था। हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, कि जब तुम लोग आपस में लड़ते हो तो जमीन को किराये पर न दिया करो। लेकिन हज़रत राफ़ेअ़ (रज़ि.) ने सिर्फ़ आख़िरी जुम्ला सुन लिया कि ज़मीन को किराये पर न दिया करो। **(अबू दाऊद-3390)**

तिहाई या चौथाई पैदावार पर बटाई करने की इजाज़त

2462. हज़रत अ़म्र बिन दीनार (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत ताऊस से कहा कि अबू अ़ब्दुर्रहमान तुम इस बटाई को छोड़ दो तो क्या अच्छा हो। क्योंकि लोग कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने इससे मना फ़र्माया है। उन्होंने कहा कि मैं इससे लोगों की इमदाद करता हूँ और उनको देता हूँ। इसके अलावा हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़ि.) जो कि बड़े आ़लिम थे उन्होंने हमारे सामने ये मामला किया और हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) जो सहाबा में बहुत बड़े मशहूर आ़लिम थे। उन्होंने बयान किया कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुत्लकन मना नहीं फ़र्माया। बल्कि यूँ फ़र्माया था कि अगर तुममें से कोई शख़्स अपने भाई को मुफ़्त ज़मीन दे तो ये उससे अच्छा है कि उसको ज़मीन का एक मुअ़य्यन किराया लेकर दे।

2463. हज़रत ताऊस (रह.) का बयान है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में और इसी तरह हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत उस्मान (रज़ि.) के अहदे मुबारक में ज़मीन को तिहाई या चौथाई पैदावार के बदले में दिया और उसके बाद यही अमल जारी रहा।

2464. हज़रत ताऊस (रह.) का बयान है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया था तुममें से अगर कोई शख़्स अपने भाई को ज़मीन बिना मुआवज़े के दे तो ये काम उसके लिये मुक़र्ररकर्दा ठेका लेने से बेहतर है।

ग़ल्ले के बदले ज़मीन किराये पर देना

2465. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में हम लोग मुहाक़ला के बदले ज़मीन किराये पर दिया करते। उसके बाद हमारे चचाओं में से कोई चचा आकर कहने लगे कि हुज़ूर (ﷺ) ने अनाज के बदले ज़मीन किराये पर दिये जाने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1548)**

जो शख़्स दूसरे की ज़मीन में उसकी बग़ैर इजाज़त खेती करे उसका क्या हुक्म है?

2466. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दूसरे की ज़मीन में उसकी बग़ैर इजाज़त खेती करेगा तो उसके लिये उसका अनाज वग़ैरह कुछ नहीं (वो सब मालिक का होगा) और खेती करने वाले को उसका खर्चा और मेहनताना दिया जायेगा। **(अबू दाऊद-3403)**

अंगूर और खजूर के मामले का बयान

2467. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ख़ैबर वालों से आधा मेवे या अनाज की ऐवज़ पर मामला किया था। **(बुख़ारी-2329, मुस्लिम-1551)**

2468. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ख़ैबरवालों से खजूर व अनाज की निस्फ़ पैदावार की ऐवज़ पर ज़मीन इनायत फ़र्माई थी। **(मुस्नद अहमद)**

2469. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ख़ैबर फ़तह किया तो उसकी ज़मीन आधी पैदावार के बदले में उन लोगों को दे दी थी।

दरख़्त में क़लम लगाना

2470. हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) की रिवायत है कि मैं आँहज़रत (ﷺ) के साथ खजूर के एक बाग़ में से गुज़रा। हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों को क़लम लगाते देखा तो पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? मैंने अर्ज़ किया, मादा में नर का जोड़ लगा रहे हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं मालूम होता। ये सुनकर लोगों ने क़लम लगाना छोड़ दिया। अब जो दरख़्तों में फल आए तो कमी के साथ आये। ये खबर हुज़ूर (ﷺ) को मालूम हुई तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि ये बात मैंने अपनी राय से कही थी (अल्लाह का हुक्म नहीं था) मैं भी तुम जैसा एक आदमी हूँ, जब कोई बात राय से कही जाती है तो वो कभी सहीह होती है और कभी ग़लत भी होती है। लेकिन अगर मैं तुमसे कोई बात ये कहकर कहूँ कि ये अल्लाह का हुक्म है तो वो बिल्कुल सहीह होगी। इसलिए कि मैं अल्लाह

तआला पर कभी झूठ नहीं बोलूँगा। (मुस्लिम-2361)

2471. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने कुछ शोरगुल की आवाज़ें सुनी तो फ़र्माया, ये कैसा शोर ह? लोगों ने अर्ज़ किया, खजूरों में क़लम लगाया जा रहा है। आपने फ़र्माया, कि ये नहीं किया जाये तो बेहतर है। लोगों ने उस साल क़लम न लगवाया। लिहाज़ा उस साल की खजूरें खराब हो गईं। ये वाक़िया लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, तुम्हारा दुनिया का काम तुम जानो आख़िरत का मेरे मुतअल्लिक है। **(मुस्लिम-2363)**

तीन चीज़ों में तमाम मुसलमान शरीक हैं

2472. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तमाम मुसलमान तीन चीज़ों में शरीक हैं, पानी, घ ı, आग। उनका रोकना और मुसलमान को न देना हराम है और नाजाइज़ है। **(नसाई)**

2473. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन चीज़ों के लिये मना नहीं करना चाहिए, पानी, आग, घास। **(अबू दाऊद-3477)**

2474. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! पानी को तो हम समझ गये लेकिन नमक और आग का मना करना क्यूँ नाजाइज़ है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हुमैरा! जिसने आग दी तो गोया उसने जो चीज़ उस आग से पकाई जायेगी। सब सदक़े में दी और जिसने किसी मुसलमान को पानी का एक घूँट पिलाया उसने गोया एक गुलाम आज़ाद किया (ये वहाँ जहाँ पानी मिलता न हो और जहाँ पानी की कमी हो) और जहाँ नहीं मिलता (वहाँ पानी दिया) तो गोया उसको ज़िन्दा कर दिया।

नदियाँ और चश्में जागीर के तौर पर देना

2475. हज़रत अब्यज़ इब्ने हम्माल (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने नमक की जागीर तलब की, जिसे सद्दे मआरिब का नमक कहा जाता है, तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वो उन्हें अता फ़र्मा दी। उसके बाद हज़रत अक़्राअ बिन हाबिस तमीमी (रज़ि.) ने हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में नमक का वो ज़ख़ीरा देखा है, वो ऐसे इलाक़े में है जहाँ (पीने का) पानी नहीं पाया जाता। जो शख़्स वहाँ जाता है (ज़रूरत के मुताबिक़) नमक ले लेता है। वो मुसलसल हासिल होने वाले पानी की तरह है। चुनाँचे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अब्यज़ बिन हम्माल (रज़ि.) से नमक की वो जागीर वापस ले ली। उन्होंने कहा, मैं इसे इस शर्त पर वापस करता हूँ कि आप इसे मेरी तरफ़ से सदक़ा क़रार दें। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, वो तेरी तरफ़ से सदक़ा है। वो मुसलसल हासिल होने वाले पानी की तरह ह, जो वहाँ जायेगा उसमें से ले लेगा। हज़रत फ़रज बिन सईद (रह.) कहते हैं, वो आज तक इसी तरह है, जो कोई वहाँ जाता है (हस्बे ज़रूरत नमक) ले लेता है। इस हदीस के रावी कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने जब उनसे नमक की जागीर वापस ली तो उसके बदले में उन्हें जुर्फ़ मुदार नामी इलाक़े में ज़मीन का एक टुकड़ा और खजूर का बाग़ अता फ़र्माया। **(अबू दाऊद-3066)**

पानी बेचने की मुमानिअत

2476. हज़रत इयास बिन अब्द मुज़नी (रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कुछ लोगों को पानी बेचते हुए देखा तो फ़र्माया, पानी मत बेचो, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को पानी बेचने से मना करते सुना है।

(अबू दाऊद-3478, तिर्मिज़ी-1271)

2477. हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (ज़रूरत पूरी करने के बाद) बचा हुआ पानी बेचने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1565)**

घास बचाने के लिये ज़रूरत से ज़्यादा पानी रोकने की मुमानिअत

2478. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से किसी को ज़ाइद पानी से मना नहीं करना चाहिये ताकि उसके ज़रिये से घास रोक ले। **(बुख़ारी-2353, मुस्लिम-1566)**

2479. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ाइद पानी न रोका जाये और कुओं के पानी से मना न किया जाये। **(बैहक़ी)**

खेत और बाग़ में पानी लेने का बयान

2480. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि एक अंसारी और हज़रत ज़ुबैर का एक नहर से जो हर्रा में जारी थी, पानी देने में झगड़ा हो गया। अंसारी ने हज़रत ज़ुबैर से कहा कि पानी छोड़े रखो ताकि (हर वक़्त) जारी रहे और हज़रत ज़ुबैर ने इसको कुबूल न किया। इस पर दोनों का झगड़ा हो गया और दोनों साहब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ुबैर (रज़ि.) पानी रोककर पहले अपने दरख़्तों को दे लो उसके बाद अपने पड़ौसी के लिये छोड़ दिया करो। ये सुनकर अंसारी को गुस्सा आ आया और कह उठा कि हाँ, ज़ुबैर तो आपकी फूफी के बेटे थे (इसलिए आपने उनको रियायत की) ये सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के चेहरे का रंग बदल गया और फ़र्माया, ज़ुबैर (रज़ि.) पहले अपनी खेती को पानी दो और उस वक़्त तक रोके रहो कि मेंढों तक पानी भर जाये। उसके बाद पानी को छोड़ दो (क्योंकि पहले तो हमने अंसारी पर रहम व करम करके हुक्म दिया था और अब क़ायदों का फ़ैसला है) हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं कि अल्लाह की क़सम! मैं समझता हूँ कि ये आयत इसी वाक़िये के बारे में नाज़िल हुई है, (तर्जुमा) **चुनाँचे ऐ नबी (ﷺ)! आपके रब की क़सम ! वो ईमानवाले नहीं हो सकते जब तक आपस के इख़्तिलाफ़ में आपको हाकिम न मान लें और जो फ़ैसला आप उनमें कर दें, उससे अपने दिलों में किसी तरह की तंगी और नाख़ुशी महसूस न करें और वो उसे दिलो-जान से मान लें।** (सूरह निसा : 65)

2481. हज़रत सअल्बा इब्ने अबी मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने वादी-ए-महज़ूर के बरसाती नाले के बारे में ये हुक्म दिया था कि जिसका खेत ऊँचा है वो पहले अपना खेत भरे। फिर पानी को छोड़े उसकी तरफ़ जिसका खेत उससे नीचा है। **(अबू दाऊद-3638)**

2482. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने महज़ूर के बरसाती नाले के बारे में ये फ़ैसला दिया था कि अपने खेत में हर शख़्स टख़्नों तक पानी भरे उसके बाद छोड़ दे।

(अबू दाऊद-3639)

2483. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने सैलाब के पानी से खजूरों के बाग़ को सींचने के बारे में ये फ़ैसला दिया कि पहले ऊपर के बाग़ वाला टख़्नों तक पानी भर ले, फिर उसके बाद नीचे के बाग़ वाले के लिए जो उसके मिला हुआ है, छोड़ दे और ये भी इसी तरह तरीक़े से भर ले। और फिर इसी तरह होता चला जाये यहाँ तक कि बाग़ ख़त्म हो जायें या पानी ख़त्म हो जाये।

पानी की तक़्सीम का बयान

2484. हज़रत अम्र बिन औफ़ मुज़नी (रह.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, पानी पिलाने के दिन पहले घोड़े को पिलाया जाये (यानी ऊँटों और बकरियों से पहले घोड़ों को पानी पिलाया जाये)।

2485. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो तक़्सीम ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में हो चुकी है वो इस्लाम में बदस्तूर रहेगी और जो तक़्सीम उस वक़्त में नहीं थी अब वो इस्लामी क़ायदे के मुवाफ़िक़ ही होगी। **(अबू दाऊद-2914)**

कुओं से मुताल्लिक़ रक़बा

2486. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कुआँ खोदेगा उसको कुएँ के आसपास की ज़मीन चालीस हाथ तक मिलेगी ताकि उसमें अपने जानवर को पानी पिलाये और बैठाये। **(दारमी)**

2487. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुएँ का हरीम (आसपास का रक़बा) भी उतना ही मुक़र्रर होगा जितनी उसके अंदर रस्सी है (यानी अगर कुएँ में दस हाथ रस्सी जायेगी तो उसका हरीम भी उतना ही मुक़र्रर होगा। अगर बीस हाथ की रस्सी जायेगी तो उसके अंदाज़े पर होगा)।

दरख़्त का अहाता कितना होगा?

2488. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है कि अगर खजूरों के बाग़ में एक, दो या तीन दरख़्त किसी दूसरे के हों और उनमें इख़्तिलाफ़ हो जाये (कि किसकी कितनी ज़मीन है) तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये फ़ैसला दिया कि हर दरख़्त की जड़ से लेकर जहाँ तक उसकी शाखें पहुँचती हैं, वो उस दरख़्त का रक़बा है। **(अबू दाऊद-3640)**

2489. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जहाँ तक खजूर की शाखें फैलती हैं वहाँ तक की ज़मीन दरख़्त के अहाते में शामिल होगी।

जो शख़्स ज़मीन, बाग़ या मकान बेच दे और दूसरी ज़मीन या मकान न खरीदे

2490. हज़रत सईद इब्ने हुरैस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ज़मीन या मकान बेचे और उसकी क़ीमत से दूसरा मकान या ज़मीन न ख़रीदे वो इस क़ाबिल है कि उसको बरकत न अता की जाये। **(मुस्नद अहमद)**

2491. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मकान बेच दिया और फिर दूसरा मकान न ख़रीदा उसको बरकत नहीं होगी।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुश्शुफ़आ

शुफ़आ से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2492. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के पास खजूर के दरख़्त या ज़मीन हो और वो उसको फ़रोख्त करे तो पहले अपने शरीक (या पड़ौसी को) ख़बर कर दे। उसके बाद दूसरे के हाथ फ़रोख्त करे। **(नसाई-4704)**

2493. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसके पास ज़मीन हो और वो उसको बेचना चाहे तो पहले अपने पड़ौसी को ख़बर कर दे।

पड़ौसी की वजह से शुफ़आ का बयान

2494. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक पड़ौसी अपने दूसरे पड़ौसी के शुफ़आ का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, अगर दोनों का रास्ता एक ही हो। अगर शुफ़आ करने वाला पड़ौसी मौजूद न हो तो उसका इंतिज़ार किया जायेगा। **(अबू दाऊद-3518)**

2495. हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पड़ौसी अपनी नज़दीकी की वजह से अपने शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है। **(बुख़ारी-6977)**

2496. हज़रत शुरैद इब्ने सुवैद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक ज़मीन ऐसी है कि जिसमें न तो किसी का हिस्सा है और न उसमें कोई शरीक है, सिर्फ़ एक पड़ौसी हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पड़ौसी को उसकी ज़मीन के शुफ़आ का बहुत बड़ा हक़ हासिल है। **(नसाई-4707)**

जब ज़मीन के हुदूद मुअय्यन हो जायें तो शुफ़आ नही हो सकता है

2497. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने उस ज़मीन में शुफ़आ का हक़ साबित किया है जिसमें तक़्सीम न हुई हो और जब तक़्सीम होकर हुदूद तय हो गई तो उनका हक़ नहीं रहता। **(बैहक़ी)**

इमाम इब्ने माजह (रह.) ने अपने दूसरे उस्ताज़ हज़रत मुहम्मद बिन हम्माद तहरानी के वास्ते से भी ये रिवायत नबी (ﷺ) से इस तरह बयान की है, (हदीस के रावी) अबू आसिम (रह.) ने कहा, सईद बिन मुसय्यब की हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत मुर्सल है और अबू सलमा की हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मुत्तसिल है।

2498. हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शरीक अपनी नज़दीकी की वजह से शुफ़आ का ज़्यादा मुस्तहिक़ है ख्वाह कोई चीज़ हो। **(बुख़ारी-2495)**

2499. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर ज़ायदाद में शुफ़आ मुक़र्रर है लेकिन जब रास्ता अलग हो जाये और तक़्सीम होकर हुदूद मुक़र्रर हो जायें तो शुफ़आ का हक़ मुक़र्रर नहीं रहता। **(बुख़ारी-2213, 2214)**

शुफ़आ की तलब का बयान

2500. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शुफ़आ ऊँट की रस्सी खोलने की तरह है। (यानी जिस तरह रस्सी खोलने से फ़ौरन आज़ाद हो जाता है, इसी तरह शुफ़आ का दावा फ़ौरी तौर पर क़ाबिले क़ुबूल है। ज्यों ही ज़मीन या मकान बेचने की ख़बर मिले तो दावा करे, बाद में ये दावा क़ाबिले क़ुबूल नहीं है) **(बैहक़ी)**

2501. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब एक शरीक पहले ख़रीद चुका हो तो दूसरा अब शुफ़आ नहीं कर सकता और न कमसिन नाबालिग़ को शुफ़आ का हक है, न ग़ैर हाज़िर को। **(इब्ने अदी)**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल लुक़्तह

गुमशुदा चीज़ से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2502. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने शुख़ैर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान की गुमशुदा चीज़ दोज़ख़ की आग का शोला है। **(मुस्नद अहमद)**

2503. हज़रत मुन्ज़िर बिन जरीर (रह.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया कि मैं मक़ामे बिलवाज़ीज पर अपने वालिद (हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह बख़्ली रज़ि.) के साथ था कि मेरे वालिद के क़रीब से एक गाय निकली। उनको वो गाय अजनबी लगी तो उन्होंने दरयाफ़्त किया कि ये कैसी गाय है? हाज़िरीन ने कहा, किसी की गाय हमारी गायों के साथ आ गई है। उन्होंने उसे निकालने का हुक्म दिया, चुनाँचे उसको निकाला गया यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गई। फिर फ़र्माने लगे, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि गुमशुदा चीज़ को वही जगह देगा जो गुमराह होगा। **(मुस्लिम-1725)**

2504. हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुह्नी (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से गुमशुदा ऊँट के बारे में पूछा गया कि (उसको पकड़ लेना चाहिए या नहीं)। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) के रुख़सार गुस्से के मारे लाल हो गये और फ़र्माया, तुझको ऐसे ऊँट के पकड़ने की क्या ज़रूरत है? उसके पास उसके जूते भी हैं और (पानी की) मश्क (पेट) भी है (जिसमें) कई दिन के लिये पानी भर लेता है। जंगलों में चरता फिरता है यहाँ तक कि उसका मालिक उसको पकड़ ले। फिर आपसे गुमशुदा बकरी के बारे मे पूछा गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि उसको पकड़ लेना चाहिए क्योंकि वो या तो तेरी है वरना तेरे किसी और भाई या भेड़िये के पल्ले पड़ेगी (यानी अगर उसकी हिफ़ाज़त न की जायेगी तो जाये होने का अंदेशा है) फिर आपसे पड़ी हुई चीज़ के बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया, उसकी थैली और बंधन की पहचान कर लो और एक साल तक लोगों में जहाँ वो जमा होते हैं ख़्वाह मस्जिद हो या बाज़ार आवाज़ दिया करो अगर उसका मालिक मिल जाये तो उसको दे दिया करो वरना अपने माल में शरीक कर लो। **(बुख़ारी-5292, मुस्लिम-1722)**

गिरी पड़ी चीज़ का बयान

2505. हज़रत अयाज इब्ने हिमार (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स गुमशुदा चीज़ पाये तो उस पर दो नेक शख़्सों को गवाह बना ले न उसको पोशिदा करे न उसको बदले। पस अगर उसका मालिक आ जाये

तो उसके हवाले कर दे वरना वो चीज़ अल्लाह की चीज़ है जिसको चाहता है दिलवाता है। (अबू दाऊद- 1709)

2506. हज़रत सुवैद इब्ने ग़फ़्ला (रज़ि.) कहते हैं कि मैं ज़ैद इब्ने सौहान (रज़ि.) और सलमान इब्ने रबीआ (रज़ि.) के साथ सफ़र के लिये रवाना हुआ। जब हम मुक़ामे उ़ज़ैब में पहुँचे तो वहाँ मैंने एक कोड़ा पाया। उन दोनों साहिबों ने कहा कि इसको यहीं डाल दें लेकिन मैं नहीं माना (उसको ले लिया) उसके बाद जब मैं मदीना आया तो उबई बिन कअ़ब (रज़ि.) के पास जाकर ये वाक़िया बयान किया। उन्होंने कहा, नबी करीम (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में मैंने एक बार सौ अशर्फ़ियाँ पाईं। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया। आपने फ़र्माया कि लोगों में इसका आ़म ऐलान कर दो। मैंने ऐलान कर दिया लेकिन कोई शख़्स उसको न पहचान सका। आख़िर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी थैली और बंधन की शिनाख़्त कर लो और एक साल तक उसका ऐलान करते रहो अगर उसका मालिक आ जाये तो ठीक वरना वो तेरे माल की तरह है। (बुख़ारी-2426, 2437, मुस्लिम-1723)

2507. हज़रत ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुह्नी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) से पड़ी हुई चीज़ के बारे में पूछा गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, एक साल तक उसका ऐलान करो। अगर मालिक मिल जाये तो ठीक वरना उसकी थैली और बंधन की शिनाख़्त करके ख़र्च कर ले जब मालिक मिल जाये तो उसको वापिस कर देना। (मुस्लिम-1722)

चूहा जो कुछ बिल से निकाले उसे लेना जाइज़ है

2508. हज़रत मिक़्दाद इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि वो एक दिन पाख़ाना के लिए बक़ीअ़ के क़ब्रिस्तान की तरफ़ गये। (उस ज़माने में) लोग दो-दो, तीन-तीन दिन के बाद पाख़ाना के लिये जाया करते। (क्योंकि उस ज़माने में लोग ग़िज़ा कम खाते और गिज़ा खुश्क भी होती, इस वजह से) पाखाना भी ऊँट की मिंगनियों की तरह सख़्त आया करता। आख़िर वो एक वीराने में पाख़ाना के लिये चले गये। वो वहाँ पाख़ाना के लिये बैठे हुए थे कि क्या देखते हैं कि एक सूराख में से चूहा निकला और उसने अशर्फ़ी निकाली और उसको बाहर छोड़कर वापस घुस गया और एक और निकाली, फिर इसी तरह सत्रह अशर्फ़ियाँ निकालीं। उसके बाद एक कपड़े का सुर्ख रंग का टुकड़ा लेकर निकला। उसको मैंने उठा लिया तो उसमें भी अशर्फ़ी मौजूद थी। अल्ग़र्ज़ कुल अठारह अशर्फ़ियाँ हुईं। मैं उनको लेकर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और वाक़िया बयान करके आपसे अ़र्ज़ किया कि आप इसमें से ज़कात लीजिए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम ही ले जाओ अल्लाह तुम्हें मुबारक करे इसमें ज़कात नहीं। फिर फ़र्माया, शायद तुमने उस सूराख़ में हाथ डाला होगा। उन्होंने अ़र्ज़ किया, नहीं (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको बरहक़ बनाकर मबऊ़स फ़र्माया। (मैंने उसमे हाथ नहीं डाला) रावी हदीस कहते हैं, जब हज़रत मिक़्दाद (रज़ि.) की वफ़ात हुई तो उसमें का एक दीनार उस वक़्त बाक़ी रह गया था। (अबू दाऊद-3087)

जिसे ज़मीन में दफ़न ख़ज़ाना मिले (वो क्या करे?)

2509. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मदफ़ून ख़ज़ाने में से पाँचवा हिस्सा (ज़कात फ़र्ज़) है। (मुस्लिम-1710)

2510. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मदफ़ून ख़ज़ाने में से पाँचवाँ हिस्सा (ज़कात) देना होगा। (मुस्नद अहमद)

2511. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले ज़माने में एक शख़्स ने दूसरे के हाथ ज़मीन फ़रोख़्त की। उसमें सोने का भरा हुआ घड़ा निकल आया। ख़रीदने वाले ने फ़रोख़्त करने वाले से कहा कि मैंने तुमसे ज़मीन मोल ली है। ये घड़ा मोल नहीं लिया है। लिहाज़ा आप ये घड़ा ले लीजिए। फ़रोख़्त करने वाले ने कहा कि मैंने ज़मीन और जो कुछ इसमें था वो सब कुछ आपके हाथ बेच डाला। ये घड़ा तुम्हारा ही है तुम ही ले लो। अल्ग़र्ज़ इसमें झगड़ा पड़ गया। ये दोनों एक शख़्स के पास (फ़ैसले के लिये) आये। उसने कहा कि तुम दोनों की औलाद है? दोनों में से एक ने कहा कि मेरा लड़का है। दूसरे ने कहा मेरी लड़की है। उस शख़्स ने कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी औलाद का आपस में निकाह कर दो और ये दोनों को दे दो वो इसको ख़र्च करें और इसमें से सदक़ा भी दें। (निहायत उम्दा ख़्याल के लोग थे और फ़ैसला भी निहायत अच्छा था।)

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

किताबुल इत्क़

गुलाम आज़ाद करने से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2512. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने मुदब्बर (गुलाम) को बेचा है। **(बुख़ारी-2230)**

2513. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हम लोगों में एक शख़्स ने गुलाम को मुदब्बर कर दिया। उस शख़्स के पास एक गुलाम के अलावा कोई चीज़ नहीं थी। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को मालूम हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) ने उसको बेच दिया और बनी अदी के एक इब्ने नम्माम ने उसको खरीदा। **(बुख़ारी-2231, मुस्लिम-997)**

2514. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुदब्बर मय्यित के तिहाई माल के हिसाब से आज़ाद होगा। इब्ने माजह (रह.) कहते हैं, मैंने उस्मान इब्ने शैबा (रज़ि.) से सुना कि वो कहते थे कि ये हदीस सहीह नहीं मालूम होती है। अबू अब्दुल्लाह इब्ने माजह (रह.) कहते हैं कि इस हदीस की असल नहीं है। **(बैहक़ी)**

उस लौण्डी का बयान जिसके मालिक से औलाद पैदा हो गई हो

2515. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस लौण्डी से उसके मालिक से औलाद पैदा हो गई हो वो मालिक के मरने के बाद आज़ाद हो जायेगी।

2516. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम (हुज़ूर के साहबजादे) की वालिदा का ज़िक्र आया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इब्राहीम ने उनको आज़ाद करवा दिया। **(बैहक़ी)**

2517. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हम अपनी लौण्डियों को और उन बांदियों को जिनसे हमारी औलाद पैदा हो जाती, फ़रोख्त करते और हुज़ूर (ﷺ) हम लोगो में मौजूद थे लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने इसमें कोई क़बाहत न महसूस की। **(मुस्नद अहमद)**

गुलाम से आज़ादी के मुआहिदे का बयान

2518. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्सों को अल्लाह तआला लाज़िमी तरीक़े से मदद फ़र्माता है। पहला वो शख़्स जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है, दूसरा वो गुलाम जो अपने आज़ाद होने के बदले में माल की कोशिश में हो और तीसरा वो शख़्स जो अपने आपको ज़िना से महफ़ूज़ करने के लिए निकाह करता हो। **(तिर्मिज़ी-1655)**

2519. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन आस (रज़ि.) यानी अम्र इब्ने शुऐब (रज़ि.) के दादा कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो गुलाम मकातब (आज़ादी के बदले) माल अदा करे और उसके सौ औक़िया में से एक औक़िया भी बाक़ी रहे तो वो फिर गुलाम का गुलाम रहेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2520. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से किसी के पास मकातब (गुलाम) हो और उस (गुलाम) के पास इतना माल हो जो उसकी (आज़ादी) को काफ़ी हो तो ऐसे गुलाम से पर्दा करना चाहिए। **(अबू दाऊद-3928)**

2521. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, बरीरा बांदी जिसको उसके आक़ाओं ने नौ औक़िया के बदले में आज़ाद कर दिया था, उनके पास आई। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उससे फ़र्माया, अगर तेरे मालिक वलाअ (विरासत) मेरे लिए मुक़र्रर कर दें तो मैं तेरी आज़ादी की रक़म अदा कर दूँ। बरीरा अपने मालिकों के पास आई और उनसे कहा। उन्होंने उसको मंजूर नहीं किया कि विरासत किसी दूसरे को दें अल्बत्ता अगर विरासत उन्हीं की मिल्कियत रहे तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। (बरीरा रज़ि. ने आकर हज़रत आइशा रज़ि. से अर्ज़ किया) उन्होंने जनाब रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम उसकी आज़ादी की रकम इसी शर्त पर कि वलाअ उनकी होगी, अदा कर दो क्योंकि इस शर्त से होता ही क्या है। वलाअ उसी शख़्स की होती है जो गुलाम-लौण्डी को आज़ाद कराये। (लिहाज़ा वलाअ बहर सूरत तुम्हारा ही हक़ होगा) हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने मिम्बर पर चढ़कर फ़र्माया कि ये क्या हालत है कि लोग ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताबुल्लाह में मौजूद नहीं। जो शर्त अल्लाह की किताब में मौजूद न हो वो बातिल है। ख़्वाह कोई ऐसी सौ शर्तें ही क्यूँ न लगायें। अल्लाह तआला की किताब पर अमल करना ज़रूरी है। वलाअ उसी की है जो (गुलाम या लौण्डी को) आज़ाद करेगा। **(मुस्लिम-1504)**

आज़ाद करने का बयान

2522. हज़रत शुरहबील इब्ने हस्ना (रज़ि.) कहते हैं, मैंने कअब इब्ने मुर्रह (रज़ि.) से कहा आप नबी करीम (ﷺ) की कोई हदीस बयान कीजिए, लेकिन एहतियात से काम लेना। उन्होंने कहा, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी मुसलमान गुलाम को आज़ाद करेगा वो गुलाम उस शख़्स का दोज़ख़ से फ़िद्या होगा। उसकी हड्डी आक़ा की हड्डी का फिद्या होगी (उसके आक़ा के बालों का फ़िद्या होंगे) और जो शख़्स दो मुसलमान औरतों को आज़ाद कर देगा तो वो दोनों उसके लिये दोज़ख़ का फ़िद्या होंगी। उन दोनों की दो हड्डियाँ उसकी एक हड्डी की फ़िद्या होगी (क्योंकि दो औरतें एक मर्द के बराबर होती हैं)। **(नसाई-3146)**

2523. हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा गुलाम आज़ाद करना

अफ़ज़ल है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो गुलाम उसके मालिकों को ज़्यादा पसन्द हो और जिसकी क़ीमत ज़्यादा महँगी हो (उसका आज़ाद करना अफ़ज़ल है)। **(बुख़ारी-2492, मुस्लिम-1503)**

क़रीबी रिश्ता रखने वाला गुलाम मिल्कियत में आते ही आज़ाद हो जायेगा

2524. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, जो शख़्स अपने महरम रिश्तेदार का मालिक होगा तो वो गुलाम आज़ाद हो जायेगा। **(तिर्मिज़ी-1365)**

2525. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने महरम रिश्तेदार का मालिक होगा और (वो रिश्तेदार उसकी गुलामी में आ जाये) तो उस रिश्ते की वजह से वो आज़ाद हो जायेगा। **(तिर्मिज़ी-1365)**

गुलाम को आज़ाद करते हुए ख़िदमत की शर्त लगाना

2526. हज़रत सफ़ीना इब्ने अबी अब्दुर्रहमान (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने मुझको इस शर्त पर आज़ाद किया कि जब तक नबी करीम (ﷺ) ज़िन्दा हैं, उनकी ख़िदमत करता रहूँ। **(अबू दाऊद-3932)**

एक गुलाम चन्द शख़्सों मे मुश्तरक हो और एक शख़्स अपना हिस्सा आज़ाद करे

2527. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपना हिस्सा आज़ाद करे अगर वो मालदार हो तो उसको बाक़ी हिस्सों की क़ीमत दूसरे शरीकों को देकर गुलाम बिल्कुल आज़ाद करना होगा और अगर ये शख़्स ग़रीब है तो उस गुलाम से मज़दूरी उसकी ताक़त के मुवाफ़िक़ (दूसरे शरीकों के लिये) कराई जायेगी और उस पर उसकी ताक़त से ज़्यादा बोझ न डाला जायेगा। **(बुख़ारी-2492, मुस्लिम-1503)**

2528. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपना हिस्सा आज़ाद करे तो (पूरे गुलाम की) क़ीमत एक आदिल शख़्स से कराई जायेगी और अगर वो शख़्स मालदार होगा तो वो कुल क़ीमत अदा कर देगा और पूरा गुलाम उसकी तरफ़ से आज़ाद होगा। वरना जितना उसने आज़ाद किया है उतना आज़ाद हो जायेगा बाक़ी हिस्सेदारों के लिये गुलाम से मेहनत कराई जायेगी। **(बुख़ारी-2522, मुस्लिम-1501)**

जो शख़्स गुलाम आज़ाद करे और उस गुलाम के पास माल हो उसका क्या हुक्म है?

2529. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स गुलाम आज़ाद करे और उस गुलाम के पास माल हो तो वो माल गुलाम ही का होगा अल्बत्ता अगर मालिक उस माल की शर्त लगाये कि मेरा है तो माल उसका हो जाएगा। **इब्ने अबी लहीआ (हदीस के रावी)** कहते हैं कि अगर मालिक माल की शर्त लगा दे तो मालिक का होगा। **(अबू दाऊद-3692)**

2530. हज़रत इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) के गुलाम उमैर (रज़ि.) कहते हैं, मुझसे (मेरे मालिक) इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने फ़र्माया, उमैर! मैं तुझको राहत व आराम के साथ आज़ाद करना चाहता हूँ लेकिन तू मुझको इतना बता दे कि तेरे पास क्या माल है ? क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि जिस शख़्स ने गुलाम आज़ाद किया और माल का कुछ ज़िक्र नहीं आया तो वो माल गुलाम ही का होगा।

ज़िनाकार की औलाद की आज़ादी का बयान

2531. हज़रत मैमूना (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) से किसी ने ज़िनाकार की औलाद की आज़ादी के बारे में पूछा, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो दो जूतियाँ जो मैं जिहाद में पहनकर जाता हूँ वो वलदुज़्ज़िना (ज़िनाकार की औलाद) की आज़ादी से आला और अफ़ज़ल है। **(हाकिम)**

जो शख़्स मियाँ-बीवी दोनों को आज़ाद करना चाहे

2532. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मेरे पास एक गुलाम और एक बांदी थी। वो दोनों आपस में मियाँ-बीवी थे। मैंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इन दोनों को आज़ाद करना चाहती हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारा आज़ाद करने का इरादा है तो पहले शौहर को आज़ाद करो और उसके बाद बीवी को। **(अबू दाऊद-2237)**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुल हुदूद

शरई सज़ाओं से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2533. हज़रत अबी उमामा (रज़ि.) कहते हैं, जब हजरत उस्मान (रज़ि.) को बाग़ियों ने घेर लिया तो आप छत पर तशरीफ़ लाए और फ़र्माया, ये लोग मुझको क़त्ल की धमकी देकर क़त्ल करना चाहते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि मुझको क्यूँ क़त्ल करना चाहते हैं। हालाँकि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी मुसलमान का ख़ून तीन बातों के अलावा जाइज़ नहीं है। एक तो उस शख़्स को जो शादीशुदा होकर ज़िना करे। दूसरा वो जो किसी का नाहक़ ख़ून करे। तीसरा वो जो इस्लाम लाकर फिर मुर्तद हो जाये। लिहाज़ा अल्लाह की क़सम! मैंने न कभी ज़िना किया, न जाहिलिय्यत में न इस्लाम में और न मैंने किसी मुसलमान को मारा है, और न ही मैं इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हुआ हूँ। **(अबू दाऊद-4502)**

2534. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कलिमा **अश्हदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वअश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू** पढ़ता हो उसका ख़ून करना जाइज़ नहीं अल्बत्ता तीन बातों में क़त्ल करना जाइज़ है। एक क़िसास में, दूसरा शादीशुदा ज़िनाकार और तीसरा वो शख़्स जो मुसलमान होने के बाद दीन से मुर्तद हो जाये। **(बुख़ारी-6878, मुस्लिम-1676)**

इस्लाम छोड़कर मुर्तद हो जाने वाला

2535. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकमर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने दीन से फिर जाये तो उसको क़त्ल कर देना चाहिए। **(बुख़ारी-3017)**

2536. हज़र बह्ज़ा बिन हकीम (रह.) अपने दादा हज़रत हकीम बिन मुआविया (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इस्लाम लाकर फिर मुश्रिक हो जाये तो अल्लाह तआला उसका कोई अमल क़ुबूल नहीं करता। जब तक वो फिर मुसलमानों की जमाअत में दाख़िल न हो जाये। **(नसाई-2569)**

हदें जारी करना

2537. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस ज़मीन में अल्लाह तआला

के हुदूद क़ायम किये जाएँ वह उस ज़मीन से बेहतर है जिसमें चालीस रोज़ तक बारिश हो।

2538. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस ज़मीन में अल्लाह तआला के हुदूद क़ायम किये जायें वो ज़मीन उससे बेहतर है जिसमें चालीस दिन तक बारिश हो। **(नसाई-4908)**

2539. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़ुर्आन की एक आयत का इंकार करे उसकी गर्दन मारना जाइज़ है और जो शख़्स **अश्हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू** कहे उसके क़त्ल करने का कोई रास्ता नहीं रहता अल्बत्ता अगर क़ाबिले हद काम करे तो उस पर हद क़ायम की जायेगी। **(इब्ने अदी)**

2540. हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह की हदें सब पर क़ायम करो। ख़्वाह क़रीबी रिश्तेदार हो या दूर का और हुदूद क़ायम करने में तुम्हें किसी मलामत करने वाले की मलामत रुकावट न बने। **(बैहक़ी)**

किस पर हद लगाना वाजिब नहीं?

2541. हज़रत अतिया क़ुरज़ी (रज़ि.) कहते हैं कि जंगे बनी क़ुरैज़ा के रोज़ हमको नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो जिन लोगों के ज़ेरे नाफ़ बाल आ गये थे उनको क़त्ल कर दिया गया और जो नाबालिग़ थे उनको छोड़ दिया गया। मैं भी उन लोगों में मौजूद था जो नाबालिग़ थे लिहाज़ा मुझे भी छोड़ दिया गया। **(तिर्मिज़ी-1584)**

2542. हज़रत अतिया क़ुरज़ी (रज़ि.) कहते हैं कि मैं अब तुम लोगों में मौजूद हूँ। मुझ पर हद नहीं क़ायम की गई, बल्कि छोड़ दिया गया। **(नसाई-3460)**

2543. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि जंगे उहुद के रोज़ मुझको नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सामने पेश किया गया तो मैं चौदह बरस का था। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझे (जंग में शरीक होने की) इजाज़त नहीं दी। उसके बाद जंगे खंदक के रोज़ पेश किया गया तो उस वक़्त मैं पन्द्रह बरस का था उस वक़्त आपने मुझको इजाज़त दे दी। हज़रत नाफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफ़ा थे तो मैंने उनसे ये हदीस बयान की। उन्होंने फ़र्माया, बस यही हद बालिग़ और नाबालिग़ होने की है। **(बुख़ारी-2664, मुस्लिम-1868)**

मोमिन की ग़लती पर पर्दा डालना और शक का फ़ायदा देकर हद से बरी कर देना

2544. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने मुसलमानों के उयूब (ग़लतियों) पर पर्दा डालेगा, अल्लाह तआला दुनिया और आख़िरत में उसका पर्दा रखेगा। **(मुस्लिम-2699)**

2545. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जहाँ तक हद लगाने से बचाव की गुंजाइश मिले, हद लगाने से बचो। **(अबू यअला-6618)**

2546. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने मुसलमान भाई की शर्म की बात छुपायेगा तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी शर्म की बात छुपायेगा और जो शख़्स अपने

मुसलमान भाई का पर्दाफ़ाश करेगा तो अल्लाह तआला उसका पर्दाफ़ाश करेगा, यहाँ तक कि उसके घर के अन्दर रुस्वा कर देगा।

हद से बचाव के लिये सिफ़ारिश करना

2547. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती है कि एक मख़्ज़ूमिया औरत ने चोरी की। क़ुरैश को उसकी वजह से बहुत फिक्रमंद हो गये। (उनका मक़्सद ये था कि हुज़ूर (ﷺ) उसका हाथ न काटें उसे छोड़ दें ,आपस में ये मश्विरा हुआ कि) हुज़ूर (ﷺ) से इसके बारे में कौन सिफ़ारिश करे। लोगों ने कहा कि सिवाए उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) के इसकी सिफ़ारिश कोई नहीं कर सकता। इतनी ताक़त किसी में नहीं है। आखिरकार हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) से बात की। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला की हुदूद में तू सिफ़ारिश करता है? ये फ़र्माकर हुज़ूर (ﷺ) मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा हुए और ख़ुत्बा देते हुए इर्शाद फ़र्माया कि पहले लोग तो इसी वजह से तबाह हुए कि अगर उनमें कोई मुअज़्ज़ज़ (अमीर) चोरी करता तो उस पर हद जारी न करते और कोई ग़रीब आदमी चोरी करता तो उस पर हद जारी कर देते। अल्लाह की क़सम! अगर मेरी बेटी फ़ातिमा (रज़ि.) भी ऐसी हरकत करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। मुहम्मद इब्ने रमह (हदीस के रावी) ने कहा, मैंने इमाम लैस बिन सअद (रह.) को फ़र्माते हुए सुना, अल्लाह तआला ने उन्हें (हज़रत फ़ातिमा रज़ि.को) चोरी (जैसी नाज़ेबा हरकत) से महफ़ूज़ फ़र्माया था और हर मुसलमान को यही कहना चाहिये (कि हज़रत फ़ातिमा रज़ि. से इस क़िस्म की ग़लती का इर्तिकाब मुम्किन नहीं लेकिन क़ानून आला और अदना सबके लिये बराबर है)। **(बुख़ारी-3475, मुस्लिम-1688)**

2548. हजरत मसऊद इब्ने अस्वद (रज़ि.) से रिवायत है कि जब उस औरत ने हुज़ूर (ﷺ) के घर से चादर चुराई तो हमको उस मुक़द्दमे की बड़ी फिक्र हुई (इस वजह से हम) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और हमने हुज़ूर (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह! हम उस औरत के हाथ के बदले चालीस औक़िया चाँदी (यानी एक हज़ार छः सौ दिरहम) देते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उस औरत का इस गुनाह से बज़रिये हद पाक हो जाना बेहतर है। जब हमने हुज़ूर (ﷺ) को नर्म देखा तो हम उसामा बिन ज़ैद के पास आये और उनसे सिफ़ारिश करने को कहा। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने देखा कि उसामा इसकी सिफ़ारिश करते हैं तो आप खुत्बा देने के लिये मिम्बर पर तशरीफ़ लाये और इर्शाद फ़र्माया कि तुम लोगों का क्या हालत है कि अल्लाह की हदों में से एक हद जो अल्लाह तआला की लौण्डी पर क़ायम की जायेगी, उसमें सिफ़ारिश करते हो। अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद (ﷺ) की बेटी फ़ातिमा ये काम करती तो उसका हाथ भी काट देता। **(हाकिम)**

ज़िना की हद का बयान

2549. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और **ज़ैद बिन खालिद और शिब्ल (रज़ि.)** कहते हैं कि हम एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। इतने में एक शख़्स आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह! आप हमारा अल्लाह की किताब के मुवाफ़िक़ फ़ैसला कर दीजिए। उसका मुक़ाबिल कहने लगा या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं बयान करूँ। आँहज़रत (ﷺ) न फ़र्माया, अच्छा! बयान करो। वो बोला, मेरा लड़का इसके पास नौकर था। उसने इसकी औरत के साथ ज़िना किया मैंने इसके फिदये में सौ बकरियाँ और एक गुलाम दिया। उसके बाद आलिमों से पूछा तो उन्होंने मेरे बेटे के वास्ते सौ कोड़े और ज़िलावतनी का हुक्म दिया और उसकी औरत के लिये संगसारी का। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की

क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है। मैं तुम्हारा फैसला किताबुल्लाह के मुवाफ़िक़ कर दूँगा। अच्छा तो अपनी बकरियाँ और गुलाम वापिस ले लो। तेरे बेटे पर सौ कोड़े लगेंगे और एक साल के लिये ज़िला वतनी की जायेगी और ऐ अनस! सुबह को तुम उस औरत के पास जाओ अगर वो इक़रार करे तो उसको संगसार कर देना। सुबह होते ही अनस उस औरत के पास आये और उससे पूछा। उसने ज़िना का इक़रार किया। उन्होंने उसको संगसार कर दिया (चूँकि ये औरत शादीशुदा थी। संगसार की गई और वो लड़का ग़ैर शादीशुदा था इस वास्ते उसको कोड़े लगाये गये)।
(बुख़ारी-6828, 6860, मुस्लिम-1698)

2550. हज़रत उबादह इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझसे तुम लोग दीन का इल्म हासिल कर लो। अल्लाह तआला ने औरतों के लिये ये हुक्म फ़र्माया है कि अगर कुँवारा शख़्स कुँवारी औरत के साथ ज़िना करे तो सौ कोड़े मारो और एक साल के लिये ज़िला वतन और अगर शादीशुदा के साथ ज़िना करे तो उनको संगसार कर दिया जाये। **(मुस्लिम-1690)**

उस शख़्स का बयान जो अपनी बीवी की बाँदी से सुह्बत करे

2551. हज़रत हबीब बिन सालिम (रह.) कहते हैं कि नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) के पास एक शख़्स लाया गया जिसने अपनी बीवी की बांदी से ज़िना किया था। उन्होंने कहा अल्लाह की क़सम! मैं इसका वही फ़ैसला करूँगा जो आँहज़रत (ﷺ) का फ़ैसला है। फिर आपने फ़र्माया, अगर औरत ने इस बांदी को मर्द के वास्ते हलाल कर दिया था तो कोड़े मारूँगा वरना संगसार कर दूँगा। **(तिर्मिज़ी-1451)**

2552. हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स लाया गया जिसने अपनी बीवी की बांदी से ज़िना किया था। हुज़ूर (ﷺ) ने उस पर हद जरी नहीं फ़र्माई। **(अबू दाऊद-4460)**

रजम (संगसार) करने का बयान

2553. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है (एक दिन) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुझको ये डर है कि कहीं ज़्यादा ज़माना गुज़रने पर कोई शख़्स ये भी कहेगा कि मुझे किताबुल्लाह में संगसार का हुक्म नहीं मिलता। इस तरह लोग अल्लाह का फ़र्ज तर्क करने की वजह से गुमराह हो जायेंगे। याद रखो! रजम हक़ है जब मर्द शादीशुदा हो उस पर गवाह क़ायम हो जायें या हमल हो या इक़रार करे और मैंने रजम की आयत को पढ़ा है, (तर्जुमा) **बड़ी उम्र का मर्द या बड़ी उम्र की औरत जब बदकारी करे तो उन्हें ज़रूर रजम करो।** और आँहज़रत (ﷺ) ने रजम किया है, हमने भी रजम किया है। **(बुख़ारी-6829, मुस्लिम-1691)**

2554. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत माइज़ बिन मालिक हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ज़िना किया है। आँहज़रत (ﷺ) ने उधर से चेहरा फेर लिया। उन्होंने दूसरी तरफ़ से आकर यही अर्ज़ किया, आपने फिर चेहरा फेर लिया। अल्गर्ज़ उन्होंने चार मर्तबा ज़िना का इक़रार किया। तब हुज़ूर (ﷺ) ने उनके लिये संगसार का हुक्म फ़र्माया, जब संगसार करने के वक़्त उनको पत्थरों की चोट से तक्लीफ़ पहुँची तो वो वहाँ से भागे (और इतने तेज़ कि मारने वाले उनको न पकड़ सके) सामने से एक शख़्स आ रहा था जिसके हाथ में ऊँट की हड्डी थी। उसने वो हड्डी उठाकर मारी और गिरा दिया। ये वाक़िया हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया गया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब वो भागे थे तो तुमने उनको छोड़ क्यूँ न दिया। **(तिर्मिज़ी-1437)**

2555. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) कहते हैं, एक औरत ने नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर ज़िना का इक़रार किया। हुज़ूर (ﷺ) ने कपड़ों के साथ उसको संगसार करने का हुक्म दिया। (ताकि उसका सतर न खुले) जब संगसार कर दी गई तो उसके जनाज़े की नमाज़ हुज़ूर (ﷺ) ने अदा फ़र्माई (और दफ़न कर दिया)। **(नसाई-7188)**

एक यहूदी मर्द और औरत की संगसारी का बयान

2556. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने दो यहूदियों को संगसार किया। संगसार करने वालों में मैं भी था जब औरत के पत्थर लगाये जाते तो वो मर्द आड़ होकर उसको पत्थरों से बचाता। **(मुस्लिम-1699)**

2557. हज़रत जाबिर बिन समुरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक यहूदी मर्द और एक यहूदी औरत को संगसार फ़र्माया था। **(तिर्मिज़ी-1437)**

2558. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) का बयान है (एक बार) रसूले अकरम (ﷺ) एक यहूदी मर्द के पास से गुज़रे, जिसका चेहरा काला करके उस पर कोड़े लगाये गये थे। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उन यहूदियों को बुलाकर पूछा तुम अपनी किताब (तौरात) में ज़ानी की हद भी पाते हो? उन लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ! फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनके यहाँ के दो आलिमों को बुलाकर फ़र्माया, मैं तुमको अल्लाह की क़सम देकर पूछता हूँ जिसने मूसा (अलैहिस्सलाम) पर तौरात नाज़िल फ़र्माई है। तुम्हारी किताब में ज़ानी की हद भी है? वो कहने लगे है, अगर आप हमको क़सम न देते तो आपसे कभी ये इक़रार न करते कि हमारे यहाँ संगसारी का हुक्म है। लेकिन जब हमारे यहाँ अमीर लोगों में ज़िना की कसरत हो गई तो ये तरीक़ा जारी हो गया कि अमीर को तो छोड़ दिया जाता और अगर कोई ग़रीब ज़िना करता तो उसको संगसार कर दिया जाता। आख़िर हमने आपस में ये मश्विरा किया कि आओ हम एक ऐसा क़ानून मुक़र्रर कर लें जो हर ख़ास व आम पर जारी हो सके तो ये क़ानून मुक़र्रर हुआ कि अमीर और ग़रीब सबका चेहरा काला करके कोड़े लगायें जायें और संगसारी जो कि अल्लाह तआला का हुक्म था मौक़ूफ़ कर दिया गया। (ये सुनकर) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! जिस हुक्म को इन्होंने मार डाला था सबसे पहले मैं उस हुक्म को ज़िन्दा करता हूँ ये फ़र्माकर हुज़ूर (ﷺ) ने उनको उस यहूदी के संगसार करने का हुक्म दिया (चुनाँचे वो संगसार कर दिया गया)।

जो जाहिरी बदकार मालूम हो लेकिन जुर्म साबित न हो

2559. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मैं किसी शख़्स को बग़ैर गवाहों के संगसार करता तो फ़लाँ औरत को संगसार करता क्यों कि उसकी बातचीत और चाल-चलन और उसके पास जो लोग आते-जाते हैं, उनको देखकर उसका फ़ाहिशा होना जाहिर है।

2560. हज़रत क़ासिम इब्ने मुहम्मद कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने दो लिआन का ज़िक्र किया। इब्ने शद्दाद कहने लगे कि ये वही औरत थी जिसके बारे में हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि अगर बग़ैर गवाहों के मैं किसी को रजम करता तो फ़लाँ औरत को संगसार करता। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, ये औरत तो ऐलानिया फ़वाहिश (बदकारी) करती थी। **(बुख़ारी-6855, मुस्लिम-1497)**

जो शख़्स क़ौमे लूत वाला अमल करे तो उसकी सज़ा

*तशरीह : आमतौर पर लोग इस क़िस्म की बदकारी को **लवातत** का नाम देते हैं, जो बहुत ही ग़लत है और*

क़ाबिले मज़म्मत है। क्योंकि ये लफ़्ज़ हज़रत लूत (अलैहिस्सलाम) जैसे पाकबाज़ नबी के नाम से बनाया गया है। हालाँकि हज़रत लूत (अलैहिस्सलाम) ख़ुद अपनी क़ौम को इस गन्दी और बुरी हरकत से दूर रहने के लिये तब्लीग़ किया करते थे और इससे बड़ी सख़्ती से मना करते थे।

2561. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम किसी को हज़रत लूत (अलैहिस्सलाम) की उम्मत वाला अमल (मर्द का मर्द से जिन्सी ख़्वाहिश पूरी) करते देखो तो दोनों को क़त्ल कर दो। **(अबू दाऊद-4462)**

2562. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जो शख़्स क़ौमे लूत वाला अमल करे तो उसके बारे में हुज़ूर (ﷺ) ने ये हुक्म दिया है कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों शख़्सों को मार डालो। **(तिर्मिज़ी-1456)**

2563. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको तुम लोगों पर जिस चीज़ का ज़्यादा डर है वो क़ौमे लूत के अमल (में मुब्तिला होने) का है। **(तिर्मिज़ी-1457)**

महरम औरत से नाजाइज़ ताल्लुक़ात क़ायम करने और जानवर से बदकारी करने की सज़ा

2564. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स महरम औरत से सुहबत कर बैठे उसको क़त्ल कर दो या जो चौपाये से जिमाअ करे तो उसको भी क़त्ल कर दो और उस चौपाये को भी मार डालो। **(तिर्मिज़ी-1462)**

बांदियों पर हद क़ायम करना

2565. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और ज़ैद इब्ने खालिद और हज़रत शिब्ल (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ ये हज़रात नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर थे। एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) से उस लौण्डी के बारे में पूछा जो ज़िना करे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पहली बार ज़िना करने पर उसको कोड़े मारो। फिर ज़िना करे तो फिर मारो फिर करे तो फिर मारो और अगर चौथी बार करे तो उसको फ़रोख़्त कर डालो। ख़्वाह एक बालों की रस्सी के ही बदले क्यूँ न बेचना पड़े। **(बुख़ारी-2555)**

2566. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, अगर बांदी ज़िना करे तो उसके कोड़े मारो, अगर फिर करे तो फिर मारो, फिर करे तो फिर मारो। उसके बाद उसको फ़रोख़्त कर डालो। ख़्वाह एक ही बालों के रस्सी के बदले ही क्यूँ न फ़रोख़्त हो। **(नसाई-7264)**

बदकारी का झूठा इल्ज़ाम लगाने की सज़ा

2567. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि जब मेरी बराअत की आयत नाज़िल हुई तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा होकर वो आयतें तिलावत फ़र्माईं। उसके बाद नीचे उतरकर दो मर्द और एक औरत पर हद जारी करने का हुक्म फ़र्माया। लिहाज़ा आपके हुक्म के मुताबिक़ उन पर हद जारी कर दी गई।

(अबू दाऊद-4474, तिर्मिज़ी-3181)

2568. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब एक शख़्स दूसरे को कहे, ऐ मुखन्नस! तो उसको बीस कोड़े मारो और अगर कहे, ऐ लूती! तो भी उसको बीस कोड़े लगाओ। **(तिर्मिज़ी-1462)**

शराब पीने वाले की सज़ा

2569. हज़रत उमैर इब्ने सईद (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, जिस पर मैं शरई हद क़ायम करूँ और वो उससे मर जाये तो उसकी दियत मुझ पर नहीं और अगर शराबी पर मैं हद क़ायम करूँ और वो उससे मर जाये तो उसकी दियत मुझको देनी होगी। क्योंकि शराबी की हद हुज़ूर (ﷺ) ने कोई नहीं मुक़र्रर फ़र्माई थी। ये हद हमने अपनी तरफ़ से मुक़र्रर की है। **(बुख़ारी-6778, मुस्लिम-1708)**

2570. हजरत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) शराब पीने में जूतों और (दरख्तों) की डालियों से (हद) मारते। **(बुख़ारी-6773, मुस्लिम-1706)**

2571. हज़रत हुसैन इब्ने मुंज़िर (रज़ि.) कहते हैं कि जब वलीद इब्ने उक़्बा को हज़रत उस्मान (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर किया गया तो उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) से फ़र्माया, उठिये और अपने चचाज़ाद भाई पर शराब की हद क़ायम कीजिए (क्योंकि उन्होंने शराब पी ली थी) हज़रत अली (रज़ि.) ने उनको चालीस कोड़े मारे थे और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने भी। लेकिन हज़रत उमर (रज़ि.) ने अस्सी कोड़े मारे थे, ये सब सज़ाएँ सुन्नत है। **(मुस्लिम-1707)**

कई बार शराब पीने की सज़ा

2572. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स शराब पिये तो उसे कोड़े मारो, अगर दोबारा पिये तो उसे कोड़े मारो, फिर पिये तो फिर कोड़े मारो। चौथी बार में फ़र्माया, कि अगर फिर पिये तो उसकी गर्दन मार दो। **(नसाई-5665)**

2573. हज़रत मुआविया (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर लोग शराब पियें तो कोड़े मारो। अगर फिर पियें तो फिर मारो। चौथी बार में फ़र्माया कि अगर उसके बाद भी पियें तो जान से मार डालो। **(अबू दाऊद-4482)**

> **नोट :** ये और इससे पहले की हदीस चारों इमामों और अहले हदीस के नज़दीक मन्सूख़ है (यानी जान से न मारा जाये)

बूढ़े और बीमार आदमी पर हद वाजिब हो जाये तो क्या किया जाये?

2574. हज़रत सईद बिन सअद बिन उबादह (रज़ि.) कहते हैं कि हमारे यहाँ एक कमज़ोर और अपाहिज शख़्स रहा करता था। लोगों को उससे कोई डर न था। अल्बत्ता उस रोज़ तअज्जुब हुआ कि वो घर की बांदियों में से एक बांदी के साथ जिमाअ कर रहा था। यह हाल हज़रत सअद बिन उबादा ने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो बहुत कमज़ोर है। अगर उसके कोड़े मारे जायेंगे तो मर जायेगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! एक दरख्त की डाली लो जिसमें सौ शाखें हों उससे उसको एक दफ़ा मारो। **(अबू दाऊद-4472, मुस्नद अहमद)**

हज़रत सअद बिन उबादह (रज़ि.) की इस रिवायत का भी यही मज़्मून है।

जो किसी मुसलमान पर हथियार उठाये उसका क्या हुक्म है?

2575. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स (मुसलमान) होकर हम पर हथियार उठाये वो हममें दाखिल नहीं। **(मुस्लिम-101)**

2576. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स (मुसलमान होकर) हम पर हथियार उठाये वो हममें दाखिल नहीं। **(मुस्लिम-98)**

2577. हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने (मुसलमान होकर) हम पर हथियार उठाये वो हममें दाखिल नहीं। **(बुख़ारी-7071, मुस्लिम-99)**

बग़ावत और फ़साद फैलाने की सज़ा

2578. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि उरैना के लोग आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में मदीना में हाज़िर हुए उनको मदीना की हवा नामुवाफ़िक आई। हुज़ूर (ﷺ) से फ़र्माया कि अगर तुम लोग हमारे सदक़े के ऊँटों के दूध और पेशाब पियो (तो तन्दरुस्त हो जाओगे) अल्ग़र्ज उन्होंने ऐसा ही किया। जब तन्दरुस्त हो गये तो उन्होंने (क्या किया कि) हुज़ूर (ﷺ) के ऊँटों के चरवाहों को पकड़कर मार डाला और ऊँटों को लूटकर ले चले। आपने उनके पकड़ने के लिये लोगों को रवाना फ़र्माया और लोग उनको पकड़कर हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में लाये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके हाथ पैर काटकर आँखों में सिलाईयाँ फेरी और उनको ज़मीने हर्रा में जो सख़्त गर्म होती थी डाल दिया। वहीं पड़े पड़े मर गये। ये लोग इस्लाम से भी फिर गये थे। **(नसाई-4033, मुस्लिम-1671)**

2579. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि कुछ लोगों ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) के दूध वाले ऊँट ले लिये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको पकड़वाकर हाथ पैर काटकर आँखों में सिलाईयाँ फिरवा दीं। **(नसाई-4043)**

जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाज़त में मारा जाये वो शहीद है

2580. हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अम्र इब्ने नुफ़ैल (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने माल की हिफ़ाजत में क़त्ल हो जाये वो शहीद है। **(नसाई-4095)**

2581. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी का माल (लूट लेने के लिये) उसके पास आये और वो उसकी हिफ़ाजत में लड़कर क़त्ल हो तो शहीद होगा। **(इब्ने अदी)**

2582. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका माल ज़ुल्म से लेने का इरादा किया जाये और ये शख़्स उसकी हिफ़ाजत में मारा जाये तो वो शहीद होगा। **(मुस्नद अहमद)**

चोरी की हद का बयान

2583. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला चोर पर लअनत करे कि अण्डा चुराये तो हाथ काटा जाये और रस्सी चुराये तो हाथ काटा जाये। **(मुस्लिम-1687)**

2584. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने एक ढ़ाल (की चोरी) की वजह से (चोर का)

हाथ काटा। उस (ढाल) की क़ीमत तीन दिरहम थी। **(मुस्लिम-1686)**

2585. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़र्माया, हाथ सिर्फ़ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा (की चोरी) की वजह से काटा जायेगा। **(बुख़ारी-6789)**

2586. हज़रत आमिर बिन सअद (रह.) अपने वालिद (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास) की रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक ढ़ाल की क़ीमत में चोर का हाथ काटा जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

चोर के हाथ काटकर गर्दन में लटका देना

2587. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुहैरीज़ (रह.) कहते हैं, मैंने फ़ज़ाला बिन उबैद (रज़ि.) से पूछा कि गर्दन में हाथ लटकाना कैसा है? उन्होंने कहा कि सुन्नत है। हुज़ूर (ﷺ) एक शख़्स का हाथ काटकर (जिसने चोरी की थी) उसकी गर्दन में लटका दिया था। **(अबू दाऊद-4411)**

चोर के इक़रार का बयान

2588. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन सअल्बा अंसारी (रह.) अपने वालिद (हज़रत सअल्बा बिन अम्र बिन उबैद रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि अम्र बिन समुरह बिन हबीब इब्ने अब्दे शम्स (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह! मैंने फ़लाँ लोगों का एक ऊँट चुराया था। आप मुझको पाक कर दीजिए। हुज़ूर (ﷺ) ने उन लोगों के पास एक शख़्स को रवाना किया (ताकि उनसे पूछे) उन्होंने कहा, हाँ! हमारा एक ऊँट गुम हो गया है। तब हुज़ूर (ﷺ) ने हुक्म दिया तो अम्र इब्ने समुरह (रज़ि.) का हाथ काटा गया। सअल्बा ने कहा कि जिस वक़्त उनका हाथ काटा गया तो मैं उस वक़्त देख रहा था जब उनका हाथ कटकर गिरा तो उन्होंने हाथ की तरफ़ मुख़ातिब होकर कहा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझको तुझसे जुदा कर दिया। तू चाहता था कि मेरा पूरा बदन दोज़ख़ में ले जाये।

ग़ुलाम अगर चोरी करे तो उसका क्या हुक्म है?

2589. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर ग़ुलाम चोरी करे तो उसको फ़रोख़्त कर देना चाहिए ख़्वाह आधा औक़िया (बीस दिरहम) ही में क्यूँ न फ़रोख़्त हो। **(अबू दाऊद-4412)**

2590. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, एक ग़ुलाम जो ख़ुमुस के माल में दाख़िल था (ख़ुमुस माले ग़नीमत का वो हिस्सा है जो बैतुलमाल के लिये लिया जाता है) उसने ख़ुमुस ही के माल में से चोरी की। ये वाक़िया हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो अल्लाह का माल है और उसने चोरी भी अल्लाह के माल में से की है। (उसका हाथ नहीं काटा) **(बैहक़ी)**

ख़यानत करने वाले, लूटमार करने वाले और जेबकतरे का बयान

2591. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बय. . है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, खाइन और लूटने वाला और झपट्टा मारने वाले (जेबकतरे) का हाथ न काटा जाये। **(अबू दाऊद-3491, 4393)**

2592. हज़रत इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़ (रज़ि.) से रिवायत है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, झपट्टा मारने वाले का हाथ न काटा जाये।

फल या खजूर का गूदा चुराने पर हाथ नहीं काटा जायेगा

2593. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, फल और खजूर के गूदे चुराने पर हाथ नहीं काटा जायेगा। **(नसाई-4969)**

2594. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, फल चुराने या खजूर का गूदा चुराने पर हाथ नहीं काटा जायेगा।

निगहबानी होते हुए चोरी करना

2595. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सफ़्वान (रज़ि.) अपने वालिद (हज़रत सफ़्वान बिन उमैया रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि वो मस्जिद में अपनी चादर सर के नीचे रखकर सो गये। एक शख़्स ने उनके सर के नीचे से चादर निकाली तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में लाये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके हाथ के काटने का हुक्म दिया। सफ़्वान ने कहा कि या रसूलल्लाह! मेरा इरादा ये नहीं था (कि इसके हाथ कटवा दूँ) मेरी चादर इसके लिये सदक़ा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तूने मेरे पास लाने से पहले क्यों (ये सदक़ा) न किया?

2596. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत हैं कि क़बील-ए-मुज़ैना के एक शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से फलों (की चोरी) के बारे में पूछा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, फल दरख़्त पर से तोड़कर ले जाये उससे उनकी दोगुनी क़ीमत ली जायेगी और जो फल सुखाने के मैदान में से ले जाये और अगर ढाल की क़ीमत तक उसकी क़ीमत होगी तो हाथ काटा जायेगा और अगर फलों में से कोई शख़्स खा ले। लेकिन साथ न ले जाये तो उस पर कोई जुर्माना (हद के साथ) नहीं। उस शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई बकरी (रात को) बाड़े से बाहर रह जाये (और उसको कोई चुरा ले तो?) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी दोगुनी क़ीमत अदा करनी होगी और सज़ा भी दी जायेगी और जो शख़्स बाड़े में से बकरी चुराये तो उसका हाथ काटा जायेगा बशर्ते कि उसकी क़ीमत एक ढाल की क़ीमत के बराबर हो। **(अबू दाऊद-1711)**

चोर को (जुर्म से इंकार करने की) तल्क़ीन करना

2597. हज़रत अबू उमय्या (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक चोर पकड़कर लाया गया। उसने चोरी का इक़रार किया लेकिन चोरी की कोई चीज़ उसके पास बरामद नहीं हुई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा ख़याल है तूने चोरी नहीं की है। उसने अर्ज़ किया कि की है तब (मजबूरन) हुज़ूर (ﷺ) ने उसके हाथ काटने का हुक्म सादिर फ़र्माया। और फ़र्माया कि कहो, मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ और मग़्फ़िरत तलब करता हूँ। उसने (आपकी तअलीम के मुताबिक़) कहा, मैं तौबा करता हूँ और मग़्फ़िरत चाहता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला इसको माफ़ करे। **(अबू दाऊद-4380)**

उस शख़्स का बयान जिससे कोई काम जबरन करवाया जाये

2598. हज़रत अब्दुल जब्बार बिन वाइल अपने वालिद (हज़रत वाइल बिन हुज्र रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि रसूले अक़्दस (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक शख़्स ने किसी औरत से जबरन ज़िना किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उस

औरत को हद नहीं लगाई बल्कि मर्द पर हद जारी की। इस हदीस में ये नहीं बयान किया कि उस औरत को महर भी दिलवाया या नहीं। **(तिर्मिज़ी-1453)**

मस्जिद में हद क़ायम करना मना है

2599. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मस्जिद में हद न क़ायम की जाये। **(तिर्मिज़ी-1401)**

2600. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मस्जिद मे हद लगाने से मना किया है।

सज़ा का बयान

2601. हज़रत अबू बुर्दा इब्ने नियार (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स पर अल्लाह की हद के अलावा दस कोड़े से ज़्यादा न मारा जाये। **(बुख़ारी-6848, मुस्लिम-1708)**

2602. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया (किसी जुर्म की सज़ा में) दस कोड़ों से ज़्यादा मत मारो।

हद लगाना गुनाह का कफ़्फ़ारा है

2603. हज़रत उबादह बिन सामित (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कोई काम हद के क़ाबिल करे और उस पर हद जारी कर दी जाये तो वो हद उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा होगी। वरना अल्लाह तआला को उसका इख़्तियार है (ख्वाह माफ़ करे या दोज़ख में अज़ाब दे) **(मुस्लिम-1709)**

2604. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुनिया में गुनाह करे और फिर उसको उसकी सज़ा दुनिया ही में मिल जाये तो अल्लाह तआला उसको दोबारा सज़ा देने से बेनियाज़ है और जो शख़्स दुनिया में गुनाह करे फिर अल्लाह तआला उसका गुनाह पोशिदा कर दे तो जिसको वो एक बार माफ़ कर दे तो उसका करम दोबारा सज़ा देने से ज़्यादा है। **(तिर्मिज़ी-2626)**

मर्द अपनी औरत के पास अजनबी मर्द को देखे तो क्या करे?

2605. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत सअद इब्ने उबादा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई शख़्स अपनी औरत के पास किसी ग़ैर मर्द को देखे तो उसको क़त्ल कर दे या नहीं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! सअद (रज़ि.) ने अर्ज किया, क्यूँ नहीं! उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ (और सच्चे दीन) के साथ मब्ऊस फ़र्माया है। हुज़ूर (ﷺ) ने (अंसार से) मुख़ातिब होकर फ़र्माया, देखो! तुम्हारा सरदार क्या कह रहा है। **(मुस्लिम-1498)**

2606. हज़रत सलमा बिन मुहब्बक़ (रज़ि.) कहते हैं कि जब हुदूद की आयतें नाज़िल हो चुकीं तो हज़रत अबू साबित सअद इब्ने उबादा (रज़ि.) से किसी ने कहा कि अब अगर तुम अपनी औरत के साथ किसी ग़ैर को देखो तो क्या

करोगे? क्योंकि हज़रत सअ़द निहायत ग़ैरतमंद आदमी थे, उन्होंने कहा कि तलवार लेकर दोनों को क़त्ल कर दूँगा। मैं ये कैसे कर सकूँगा कि चार गवाह की तलाश में जाऊँ (ताकि उस बुरे काम करने वाले का बुरा काम देखें और) उसके पास आयें (क्योंकि जब तक मैं ये करूँगा) उस वक़्त तक वो अपना काम करके चलता बनेगा। और अगर मैं तुम्हारे पास आकर कहूँ कि फ़लाँ शख़्स को मैंने अपनी बीवी के साथ ये काम करते देखा है और तुम मुझ पर (बोहतान लगाने की) हद जारी कर दोगे और आइन्दा कभी मेरी गवाही क़ुबूल नहीं करोगे। (क्योंकि जिस शख़्स पर हदे कज़्फ़ जारी हो चुकी हो उसकी गवाही नामक़्बूल होती है) उसके बाद हज़रत सअ़द (रज़ि.) का ये क़ौल आँहज़रत (ﷺ) से बयान किया गया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तलवार की गवाही काफ़ी है (यानी जब औरत मर्द बुरे काम में मशग़ूल हों तो उनको तलवार से क़त्ल कर देना मर्द के गवाहों से ज़्यादा उम्दा सबूत होगा) लेकिन फिर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि नहीं! क़त्ल की इजाज़त नहीं) मुझे डर है कि ग़ैरतमंद के अलावा नशे में रहने वाले वग़ैरह भी ये काम न करने लगें। हज़रत अबू अब्दुल्लाह इब्ने माजह (रह.) का बयान है कि मैंने इमाम अबू ज़रआ से सुना, वो कह रहे थे कि ये अ़ली बिन तनाफ़सी की हदीस है और मुझ से इसका कुछ हिस्सा ज़ाए हो गया है। (यानी भूल गया हूँ) **(अबू दाऊद-4417)**

बाप की वफ़ात के बाद सौतेली माँ से निकाह करने वाले की सज़ा

2607. हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) का बयान है कि (एक बार) मेरे सामने मेरे एक मामूँ (हज़रत हारिस इब्ने उमर रज़ि.) का गुज़रना हुआ तो उनके हाथ मे एक झण्डा था जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनको अ़ता फ़र्माया था। मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? फ़र्माने लगे कि मुझे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़लाँ शख़्स के पास रवाना किया है। उसने अपने बाप की बीवी के साथ उनके मरने के बाद निकाह कर लिया है। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको ये हुक्म दिया है कि मैं जाकर उसकी गर्दन मार दूँ। **(अबू दाऊद-4457)**

2608. हज़रत मुआविया इब्ने क़ुर्रह (रज़ि.) अपनी रिवायत में बयान करते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने मुझको एक शख़्स के पास जिसने अपने वालिद की मौत के बाद अपनी सौतेली माँ से निकाह कर लिया था (मुझे हुक्म दिया) कि मैं उसे क़त्ल कर दूँ और उसका माल ज़ब्त कर लूँ। **(तब्रानी)**

अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ़ निस्बत करना या अपने आज़ाद करने वाले के अलावा किसी और को मौला क़रार देना

2609. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने बाप के अ़लावा किसी और की तरफ़ निस्बत करे या जो (ग़ुलाम और लौण्डी) अपने मौला (आज़ाद कराने वाले) के अ़लावा दूसरे को मौला क़रार दे, उस पर अल्लाह और फ़रिश्तों की और इंसानों की लअ़नत है। **(बुख़ारी-1870)**

2610. हज़रत सअ़द (रज़ि.) और **अबूबक्र (रज़ि.)** का बयान है कि हमारे कानों ने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के इस इर्शाद को सुना और हमारे दिल ने उसको याद रखा है कि जो शख़्स जानबूझ कर अपने बाप के अ़लावा दूसरे की तरफ़ अपनी निस्बत करता है, उस पर जन्नत हराम है। **(बुख़ारी-4327, मुस्लिम-63)**

2611. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़रम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने बाप के अ़लावा किसी दूसरे की तरफ़ अपनी निस्बत करता है तो वो जन्नत की ख़ुश्बू नहीं पा सकेगा हालाँकि जन्नत की ख़ुश्बू

पाँच सौ साल के फ़ासले से महसूस होती है। (मुस्नद अहमद)

उस शख़्स का बयान जो किसी को उसके क़बीले से बाहर निकाले

2612. हज़रत अश्अ़स इब्ने क़ैस (रज़ि.) का बयान है, जब क़बील-ए-कुन्दा का वफ़द रसूलल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में आया तो मैं भी हुजूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। ये लोग मुझको अपने में अफ़ज़ल ख़्याल करते थे। हमने आँहज़रत (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप हमारे क़बीला में से नहीं हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हम नज़्र इब्ने किनाना की औलाद में से हैं। हम अपनी माँ पर तोह्मत नहीं लगाते न अपने बाप से अलग होते हैं। रावी कहते हैं, हज़रत अश्अ़स (रज़ि.) कहने लगे कि अगर मेरे पास ऐसा शख़्स आये जो कहे कि कुरैशी नज़्र बिन किनाना की औलाद में से नहीं तो उस पर हदे कज़्फ़ (बोहतान की हद) जारी करूँगा। **(मुस्नद अहमद)**

हिज्ड़ों का बयान

2613. हज़रत सफ़्वान इब्ने उमैया (रज़ि .) कहते हैं कि हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि इतने में (एक हिज्ड़ा) अ़म्र बिन कुर्रह आपकी ख़िदमत में आ गया और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसमें शक नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने मेरे बदबख़्त मुक़द्दर में लिख दिया था, इसलिए मेरे वास्ते सिवाए दफ़ बजाकर कमाने के और कोई रास्ता नहीं। लिहाज़ा आप मुझको ऐसे गाने की इजाज़त दे दीजिये जिसमें बेहयाई न हो। आपने उससे फ़र्माया, न मैं तुझे इजाज़त दूँगा न तुझे इ़ज़्ज़त देता हूँ और न (तेरी दरख़्वास्त क़ुबूल करके) तेरी आँखों को ठण्डा करूँगा। ऐ अल्लाह के दुश्मन! तू झूठ कहता है, अल्लाह तआ़ला ने तेरे लिये हलाल पाकीज़ा रोज़ी पसन्द फ़र्माई लेकिन तूने हलाल रोज़ी के बदले हराम रोज़ी इख़्तियार की। अगर मैंने पहले तुझको मना किया होता और फिर तू मुझसे इजाज़त चाहने आता तो मैं तुझको सज़ा देता और ज़रूर देता। उठ मेरे पास से, दूर हो और अल्लाह से तौबा कर। ख़बरदार! अगर तूने ये काममेरे मना करने के बाद किया होता तो मैं तुझको मार कर तेरा सर मूँडदेता और तेरी शक्ल बिगाड़ देता और तुझको तेरी क़ौम से निकलवा कर मदीना के जवानों को तेरा सामान लूटने की इजाज़त दे देता। ये सुनकर अ़म्र वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और उस वक़्त उसको ऐसी ज़िल्लत हुई कि बस अल्लाह ही जानता है। जब वो चलने लगा तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ये लोग नाफ़र्मान हैं। जो इनमें से बग़ैर तौबा के मर जायेगा तो अल्लाह तआ़ला उसको क़यामत के दिन उसी तरह उठायेगा जिस तरह दुनिया में था, यानी मुख़न्नस और नंगा। उसके पास लोगों से जिस्म छुपाने के लिये एक चिथड़ा भी नहीं होगा। जब भी (चलने के लिये) उठेगा, बेहोश होकर गिर पड़ेगा। **(तब्रानी)**

2614. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उनके यहाँ तशरीफ लाये तो वहाँ एक हिज्ड़े को देखा कि वो अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया (रज़ि.) से कह रहा था कि जब अल्लाह तआ़ला ताइफ़ को फ़तह करा देगा तो मैं तुमको एक ऐसी औरत बतलाऊँगा जो आती है तो चार बल पड़ते हैं और जाती है तो आठ बल पड़ते हैं। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन्हें अपने घरों से निकाल दिया करो।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुद-दियात

दियतों के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2615. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन सबसे पहले ख़ून का हिसाब होगा। **(बुख़ारी-6533, मुस्लिम-1678)**

2616. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो ज़ुल्म से मारा जाता है उसके ख़ून (के गुनाह) का एक हिस्सा हज़रत आदम के पहले बेटे (क़ाबिल) भी होता है, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले क़त्ल का तरीक़ा जारी करने वाला वही था। **(बुख़ारी-6807, मुस्लिम-1677)**

2617. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ सबसे पहले जिसका फ़ैसला किया जायेगा वो ख़ून है। **(नसाई-3996)**

2618. हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुह्नी (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला से इस हाल में मुलाक़ात करता है कि किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक नहीं बनाता और न ही किसी के ख़ूने नाहक़ में मुलव्विस होता है तो वो शख़्स जन्नत में जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2619. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के नज़दीक किसी मोमिन को नाहक़ क़त्ल करने से पूरी दुनिया के फ़ना हो जाने से कमतर है। **(तिर्मिज़ी-1395)**

2620. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मोमिन के क़त्ल (नाहक़) में ज़ुबानी तौर से ही मदद करेगा, वो जब क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला से मुलाक़ात करेगा तो उसकी पेशानी पर लिखा होगा, आयिसु मिन् रहमतिल्लाह (अल्लाह की रहमत से मायूस)। **(बैहक़ी)**

क्या मोमिन के क़ातिल की तौबा क़ुबूल हो सकती है?

2621. हज़रत सालिम बिन अबी जअद (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से पूछा गया जो शख़्स मोमिन को क़त्ल करे और फिर तौबा करे, ईमान लाये नेक अमल करे, हिदायत की राह इख़्तियार करे (तो वो माफ़

होगा या नहीं) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, अफ़सोस! ऐसा शख़्स हिदायत का रास्ता किस तरह इख़्तियार कर सकता है? मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है कि क़यामत के दिन जब (मैदाने) महशर में क़ातिल आयेगा तो मक़्तूल उसके सर से लटका होगा और अर्ज़ करेगा, ऐ रब! इससे पूछ कि इसने मुझको क्यूँ क़त्ल किया? अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआला ने क़त्ल की आयत नाज़िल फ़र्माई और जबसे अपने रसूल (ﷺ) की ज़ुबान पर नाज़िल फ़र्माई उसको मन्सूख नहीं फ़र्माया। (नसाई-4004)

2622. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) का बयान है, एक दिन वो फ़र्माने लगे कि क्या मैं तुमसे वो बात करूँ जो मैंने नबी करीम (ﷺ) से सुनी थी? मेरे कानों ने उसको आँहज़रत (ﷺ) से सुना था। मेरे दिल ने उसको महफ़ूज़ कर लिया था। एक शख़्स ने (अगले ज़माने) में निन्यानवे ख़ून किये। उसके बाद उसको तौबा का ख़्याल आया। उसने लोगों से पूछा कि इस ज़माने में सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने कहा फ़लाँ शख़्स (के पास जाओ) वो इस ज़माने में बहुत बड़ा आलिम है। (ये सुनकर वो चला गया और उनके पास पहुँचकर कहने लगा मैंने निन्यानवे आदमियों का क़त्ल किया है, क्या मेरी तौबा क़ुबूल हो सकती है। उसने कहा अफ़सोस! निन्यानवे क़त्ल करके अब तौबा करता है। उस शख़्स ने (ये सुना) और मायूस होकर उस आलिम का भी तलवार निकालकर सौ क़त्ल पूरे कर दिये। उसके बाद उसको तौबा का ख़्याल आया तो लोगों के पास आकर कहने लगा कि इस ज़माने में सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने बताया कि फ़लाँ शख़्स है। वो उसके पास गया और उससे पूछा। उसने कहा, अफ़सोस है तुझ पर! तौबा को कौन रोक सकता है लेकिन तू इस नापाक बस्ती से निकलकर जिसमें तूने गुनाह किये हैं किसी नेक पाक बस्ती में चला जा और वहाँ अपने रब की इबादत कर। वो शख़्स उस बस्ती को जाने की निय्यत से निकला लेकिन रास्ते में उसकी मौत आ पहुंची। अब रहमत और अज़ाब के फ़रिश्तों में झगड़ा होने लगा। शैतान ने कहा कि मैं इसका ज़्यादा मुस्तहिक़ हूँ क्योंकि इसने एक पल भी मेरी नाफ़र्मानी नहीं की। रहमत के फ़रिश्तों ने कहा, वाह! ये तौबा करके निकला था। हम्माम कहते हैं कि मुझसे हुमैद तवील ने बयान किया कि बक्र इब्ने अब्दुल्लाह ने अबू राफ़ेअ से नक़ल किया कि (जब रहमत और अज़ाब के फ़रिश्तों में झगड़ा होने लगा तो) अल्लाह तआला ने उनमें फ़ैसले के लिये एक और फ़रिश्ता नाज़िल फ़र्माया। उन दोनों जमाअतों ने अपना मामला उसके सामने पेश किया, उसने कहा देखो! ये आदमी कौनसी बस्ती के क़रीब होकर मरा है? ये जिससे क़रीब हो, उन्हीं लोगों में उसका शुमार करो। (हदीस के रावी) हज़रत क़तादा (रह.) कहते हैं कि हसन बसरी (रह.) ने कहा कि जब वो शख़्स मरने लगा तो घिसट-घिसटकर नेकी की बस्ती की तरफ़ चला था और नेकी की बस्ती उससे क़रीब रह गई थी। आख़िरकार नेकी के फ़रिश्तों ने नेक लोगों मे उसका शुमार कर लिया। (बुख़ारी-3470, मुस्लिम-2766)

मक़्तूल के वारिसों को तीन में एक चीज़ इख़्तियार करने का हक़ है

2623. हज़रत अबी शुरैह खुज़ाई (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो ज़ख़्मी कर दिया जाये या किसी को नाहक़ क़त्ल कर दिया जाये तो उसके रिश्तेदारों को इख़्तियार है तीन बातों मे से एक बात को क़ुबूल कर लें। अगर उनके अलावा चौथी बात इख़्तयार करना चाहें तो उनको मना कर दो। तीन बातें ये हैं, या तो क़िसास ले ले (और मक़्तूल के बदले क़ातिल को क़त्ल करा दे) या माफ़ करे दे या दियत ले ले। उसके अलावा अगर कोई चौथी बात करेगा तो उसके लिये दोज़ख की आग (तैयार) रखी है, हमेशा हमेशा उसमें जलता रहेगा। (अबू दाऊद-4496)

2624. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका कोई अज़ीज़ मारा जाये तो उसको दो बातों का **इख़्तियार है या तो क़िसास** ले ले या फ़िद्या ले ले। (बुख़ारी-2434, मुस्लिम-1355)

एक शख़्स अमदन (जानबूझ कर) क़त्ल किया गया और उसके वारिस दियत लेने पर रज़ामन्द हो

2625. हज़रत ज़ियाद बिन सअद ज़ुमैरह (रज़ि.) का बयान है मेरे वालिद और चचा जो आँहज़रत (ﷺ) के साथ जंगे हुनैन में शरीक थे, कहते थे कि आँहज़रत (ﷺ) ज़ुहर की नमाज़ पढ़कर एक दरख़्त के नीचे तशरीफ़ फ़र्मा थे कि आपके पास कबील-ए-ख़न्दफ़ के सरदार हज़रत अक़रअ इब्ने हाबिस (रज़ि.) हाज़िर हुए (उनकी अ़र्ज़ ये थी) कि मुहल्लिम इब्ने जिसामह से क़िसास लिया जाये और उ़येयना बिन हसन खड़े हुए जिनको आमिर बिन अज़्बत के ख़ून का दावा था (जिसको मुहल्लिम ने क़त्ल किया था) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम दियत क़ुबूल करते हो? उन्होंने दियत से इंकार किया। ये सुनकर एक शख़्स बनी लैस में से जिसका नाम मुकील था, खड़ा हुआ और अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस्लाम के ज़माने में ये क़त्ल ऐसा हुआ है कि बकरियाँ पानी पीने के वास्ते आईं और उनके पहले रेवड़ को भगाया तो दूसरा भी उसके साथ भाग गया, जो उनके पीछे था। मतलब ये है कि आप इस मक़्सद का फ़ैसला ना फ़र्माते तो एक दूसरी आग और उठ खड़ी होती, उसके बन्दोबस्त से वो भी बुझ गई। अल्ग़र्ज़ हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, भाई दियत के पचास ऊँट तू हमसे यहीं ले लो और बाक़ी पचास जब हम मदीना पहुँचे तो ले लेना। ये उस पर राज़ी हो गये। **(अबू दाऊद-4503)**

2626. हज़रत अ़म्र बिन शुऐब (रज़ि.) ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) की रिवायत बयान की कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अ़मदन क़त्ल करे उसको मक़्तूल के क़रीबी रिश्तेदारों के हवाले कर दिया जाये। अब उनको इख़्तियार है कि उसको क़त्ल कर दें या उसकी दियत लें। दियत के अंदर तीन बरस की उ़म्र वाली तीस ऊँटनियाँ और चार साल की उ़म्र वाली तीस ऊँटनियाँ और चालीस हामिला ऊँटनियाँ (कुल तादाद सौ) है। ये क़त्ले अ़मद की दियत है अगर किसी मिक़्दार पर सुलह हो जाये तो उन्हें उसका हक़ हासिल है और ये सख़्त दियत है। **(अबू दाऊद-4506)**

क़त्ले शिब्हे अमद में दियत देने की कैफ़ियत

__तशरीह :__ क़त्ल की दो किस्में हैं, क़त्ले अ़मद और क़त्ले ख़ता और कुछ के नज़दीक तीन किस्में हैं, क़त्ले अ़मद, क़त्ले ख़ता व क़त्ले शिब्हे अ़मद लेकिन पहले मजहब वालों के नज़दीक शुब्हा अ़मद, क़त्ले ख़ता में दाख़िल है और क़त्ले अ़मद के ये मअ़नी हैं कि किसी को क़त्ल कर दिया जाये और क़त्ले ख़ता ये है कि इंसान मारना किसी और चीज़ को चाहता था लेकिन कोई और इंसान बीच में आकर मर गया या किसी आदमी को दूर से जानवर समझकर मार डाला।

2627. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि क़त्ले ख़ता का मक़्तूल वो शख़्स है जो कोड़े या लकड़ी जैसी छोटी चीज़ से मर जाये। उसमें दियत के सौ ऊँट देने होंगे। उन सौ ऊँटों में से चालीस ऊँटनियाँ हामिला होनी चाहिए। **(नसाई-7905)**

2628. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि जिस रोज़ मक्का फ़तह हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) ने कअ़बा की सीढ़ी पर रौनक अफ़रोज़ होकर हम्दो-सना के बाद फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि अपने वादे के मुताबिक़ अपने बन्दों की मदद फ़र्माई और काफ़िरों के गिरोहों को तंहा शिकस्त दे[illegible] कर दिया और समझ लो जो

शख़्स कोड़े या छड़ी से (जिससे मरने का अंदेशा नहीं होता) क़त्ल हो जाये वो क़त्ले ख़ता का मक़्तूल होगा। उसकी दियत में सौ ऊँट देने होंगे जिनमें से चालीस हामिला ऊँटनियाँ होंगी जिनके पेट में बच्चे हों। सुनो! दौरे जाहिलिय्यत में जो भी चीज़ें क़ाबिले फ़ख़्र समझी जाती थीं और जाहिलिय्यत में होने वाले ख़ून (वो सब) मेरे इन दोनों क़दमों के नीचे हैं सिवाय कअबा शरीफ़ की ख़िदमत और हाजियों को पानी पिलाने के मन्सब के। मैं उन्हें उन्हीं लोगों में क़ायम रखता हूँ जिसमें पहले से ये मौजूद थे। **(अबू दाऊद-4549)**

क़त्ले ख़ता की दियत का बयान

2629. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दियत के बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर फ़र्माये। **(तिर्मिज़ी-1388)**

2630. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्ने आस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ग़लती से मारा जाये उसकी दियत में तीस एक साला ऊँटनियाँ, तीस पूरे दो साला ऊँटनियाँ और तीस तीन साला ऊँटनियाँ और दस दो साला ऊँट है। हुज़ूर (ﷺ) शहर वालों के लिये इसका अंदाज़ा चार सौ दीनार या इतनी ही क़ीमत की चाँदी मुक़र्रर करते। नक़्द रक़म का ये तअय्युन ऊँटों (के मँहगे या सस्ते होने) के ज़माने के मुताबिक़ होता था। जब ऊँट मँहगे होते तो नबी (ﷺ) उनकी क़ीमत (दियत की नक़्द रक़म) में इज़ाफ़ा कर देते और जब सस्ते होते तो दियत भी कम कर देते। आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में चार सौ दीनार से लेकर आठ सौ दीनार क़ीमत पहुँची थी। हुज़ूर (ﷺ) ने भी उसके मुताबिक़ ये हुक्म दिया कि गाय, बैल वालों में से दियत में दो सौ गायें की जायें और बकरियों वालों से दो हज़ार बकरियाँ ली जाएँ। **(अबू दाऊद-4541)**

2631. हज़रत अब्दुल्लह बिन मसऊद (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़त्ले ख़ता की दियत में तीन बरस की बीस ऊँटनियाँ, चार बरस की बीस ऊँटनियाँ, बीस एक साला ऊँटनियाँ, बीस दो साला ऊँटनियाँ और बीस एक साला ऊँट है। **(अबू दाऊद-4545)**

2632. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने दियत में बारह हज़ार दिरहम मुक़र्रर फ़र्माये। इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं, अल्लाह तआला के इस फ़र्मान का यही मतलब है, (तर्जुमा) **ये (काफ़िर) सिर्फ़ इस बात से नाराज़ हो रहे हैं कि उन्हें अल्लाह तआला ने अपने फ़ज़्ल से और उसके रसूल ने दौलतमन्द कर दिया।** (सूरह तौबा : 84) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, यानी उन्होंने दियत वसूल की (और इस तरह दौलतमन्द हो गये। इसके बाद बजाय शुक्रगुज़ारी का रास्ता इख़्तियार करने के मुसलमानों के ख़िलाफ़ साज़िशें और नबी (ﷺ) की शान में गुस्ताख़ी का रास्ता इख़्तियार कर लिया)

क़ातिल की दियत क़बीले वालों पर है, अगर क़बीला न हो तो बैयतुलमाल पर है

2633. हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने दियत का फ़ैसला क़ातिल की आकिला (क़ातिल का क़बीला) पर किया। **(मुस्लिम-1682)**

2634. हज़रत मिक़्दाम शामी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स का कोई वारिस न हो उसका मैं वारिस हूँ, **मैं उसकी तरफ़ से दियत दूँगा** और उसका तर्का भी मैं ही लूँगा। और जिसका कोई वारिस न हो तो उसका वारिस मामू है वो उसकी दियत भी देगा और तर्का भी लेगा। **(अबू दाऊद-2899)**

जो शख़्स मक़्तूल के वारिसों को क़िसास या दियत न लेने दे उसका गुनाह

2635. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) की मरफ़ूअ हदीस है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने अंधाधुंध लड़ाई में या तअस्सुब की बिना पर पत्थर, कोड़े या छड़ी से क़त्ल कर दिया, उसे क़त्ले ख़ता की दियत अदा करनी पड़ेगी और जो शख़्स अमदन क़त्ल कर दे उस पर क़िसास लिया जायेगा और जो कोई क़िसास लेने में रुकावट बने उस पर अल्लाह की, फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लअनत है। उसका कोई फ़र्ज़ या नफ़्ल अमल क़ुबूल नहीं होगा। **(नसाई-4794)**

उन उमूर का बयान जिनमें दियत वाजिब नहीं

2636. हज़रत नमरान बिन जारिया (रह.) अपने वालिद (हज़रत जारिया बिन ज़फ़र रज़ि.) से बयान करते हैं कि एक शख़्स ने दूसरे शख़्स की कलाई पर तलवार से वार किया उसकी कलाई कट गई लेकिन जोड़े नहीं कटी। उस शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) से फ़रियाद की, हुज़ूर (ﷺ) ने उसकी दियत दिलवाने का हुक्म दे दिया। उसने अर्ज किया कि मैं इसका क़िसास चाहता हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, दियत ले ले, अल्लाह तुझे बरकत अता फ़र्माये। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको क़िसास नहीं दिलवाया। **(तबरानी)**

2637. हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो ज़ख़्म दिमाग़ की झिल्ली तक पहुँचे या पेट तक पहुँचे उसमें क़िसास नहीं लिया जायेगा। **(बैहक़ी)**

अगर ज़ख़्मी करने वाला क़िसास के बजाय फ़िद्या दे दे

2638. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने अबू जहम इब्ने हुज़ैफ़ा (रज़ि.) को सदक़े की वसूलयाबी के लिये मुक़र्रर किया। उनका एक शख़्स से झगड़ा हो गया, उन्होंने उसे मारा तो उससे उसका सर फूट गया। उसके क़बीले वाले हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम इसका क़िसास चाहते हैं। आपने उनसे फ़र्माया, तुम इतना-इतना माल ले लो। लेकिन उन्होंने क़ुबूल नहीं किया। तब हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया कि अच्छा इतना-इतना माल ले लो तब वो राज़ी हुए और कहा, बहुत अच्छा! फिर उनसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं चाहता हूँ कि ख़ुत्बा कहकर तुम लोगों की रज़ामन्दी का इज़्हार कर दूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा ! हुज़ूर (ﷺ) ये फ़र्माकर ख़ुत्बे के लिए खड़े हुए और फ़र्माया, लैस के क़बीले वाले मेरे पास क़िसास लेने के लिये आये थे। मैंने उनको इतने-इतने माल पर राज़ी कर लिया है, क्या तुम लोग राज़ी हो? उस वक़्त उन लोगों ने (इस ख़्याल से कि हुज़ूर (ﷺ) कुछ और ज़्यादा देंगे) कहा, नहीं! हम इस पर राज़ी नहीं। मुहाज़िरीन ने उनको सज़ा देना चाही। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, ठहरो! ठहरो! फिर (कुछ ज़्यादा करके) फ़र्माया, अच्छा! इतना माल ले लो तब ये लोग राज़ी हो गये और कहा कि हम राज़ी हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! मैं लोगों को ख़ुत्बा कहकर तुम्हारी रज़ामन्दी की ख़बर दे दूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, बहुत अच्छा! तो आँहज़रत (ﷺ) ने खड़े होकर ख़ुत्बा पढ़ा और उनसे कहा कि तुम राज़ी हो? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ! । इमाम इब्ने माजह कहते हैं कि मैंने मुहम्मद इब्ने यहया से सुना कि इस हदीस को सिर्फ़ मअमर रावी ने ही रिवायत किया है उनके अलावा और किसी से मरवी नहीं है। **(अबू दाऊद-4534)**

पेट के बच्चे की दियत

2639. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने पेट के (जाए शुदा) बच्चे की दियत मे एक गुलाम

या एक लौण्डी का हुक्म दिया। जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला हुआ था, उसने कहा, क्या हम उसकी दियत दें जिसने न खाया, न पीया, न चीख़ा, न चिल्लाया, इसलिये बच्चे का ख़ून तो न होना चाहिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ये तो शाइरों वाली बातें करता है, इसकी दियत एक गुलाम या एक लौण्डी है। **(तिर्मिज़ी-1410)**

2640. हज़रत मिस्वर इब्ने मख़्रमा (रह.) का बयान है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने सहाबा किराम से मश्विरा किया कि जो बच्चा पेट में से गिराया जाये उसमें क्या दियत है? मुग़ीरह बिन शुअबा कहने लगे कि जब हुज़ूर (ﷺ) ने ऐसे बच्चे के बारे में फ़ैसला दिया तो मैं वहाँ मौजूद था। आपने एक गुलाम या लौण्डी की दियत का हुक्म फ़र्माया था। हज़रत उमर (रज़ि.) ने उनसे फ़र्माया कि (इस हदीस की तस्दीक़ के लिये एक) गवाह तुम और लाओ तो मुहम्मद इब्ने मुस्लिमा (रज़ि.) ने उनकी गवाही दी (कि ये सहीह कहते हैं)। **(मुस्लिम-1683)**

2641. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को इस बात की तलाश हुई कि आँहज़रत (ﷺ) ने पेट के बच्चे के क़त्ल में क्या हुक्म सादिर फ़र्माया है? (हाज़िरीन में से) मालिक इब्ने नाफ़ेअ (रज़ि.) उठकर कहने लगे, मेरी दो बीवियाँ थीं, उनमें से एक ने दूसरे को खेमे की लकड़ी से मारा। जिसकी मार से वो मर गई और उसके पेट का बच्चा भी मर गया। आँहज़रत (ﷺ) ने बच्चे की दियत में एक गुलाम या लौण्डी का हुक्म सादिर फ़र्माया और उस औरत के क़िसास में उस औरत को क़त्ल का हुक्म फ़र्माया। **(अबू दाऊद-4572)**

दियत में विरासत जारी होगी

2642. हज़रत सईद बिन मुसय्यब (रह.) कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माया करते थे कि दियत आदमी के क़बीले वाले लोगों पर होती है और इंसान की बीवी उसकी दियत में से हिस्सा नहीं लेगी। जब हज़रत जह्हाक बिन सुफ़ियान (रज़ि.) को मालूम हुआ तो उन्होंने हज़रत उमर (रज़ि.) को लिखा। आँहज़रत (ﷺ) ने अशीम ज़याबी (रज़ि.) की बीवी को उसकी दियत में से तर्का दिलाया था। **(अबू दाऊद-2927, तिर्मिज़ी-1415)**

2643. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने हमल इब्ने मालिक (रज़ि.) को उसकी बीवी की दियत में से हिस्सा दिलवाया था उसकी एक बीवी ने दूसरी को मार डाला था (उससे दियत ली गई)।

काफ़िर की दियत का बयान

2644. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ये फ़ैसला फ़र्माया था कि यहूदी और नसरानी की दियत मुसलमान की आधी दियत है। **(तिर्मिज़ी-1413)**

क़ातिल वारिस नहीं होता

2645. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ातिल मीरास में से हिस्सा नहीं ले सकता। **(तिर्मिज़ी-2109)**

2646. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) कहते हैं, बनी मुदलिज में एक शख़्स जिसका नाम अबू क़तादा था, उसने अपने बेटे को मार डाला। हज़रत उमर (रज़ि.) ने दियत में उससे सौ ऊँट इस तौर पर लिये कि तीस हिस्सा जिज़्आ और चालीस हामिला ऊँटनियाँ ये सब लेकर फ़र्माया कि मक़्तूल का भाई कहाँ है? (वो हाज़िर हुआ) आपने उसको देकर फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना था कि क़ातिल विरासत में हिस्सेदार नहीं होगा।

औरत की दियत उसके बाप के क़बीले पर वाजिब होगी और मीरास उसकी औलाद को मिलेगी

2647. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र बिन आस (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया जो दियत औरत पर वाजिब हुई हो वो उसके अस्बात (बाप के क़बीले वाले) अदा करें और उसमें से बिल्कुल वारिस न होंगे। अल्बत्ता उसके हिस्से के मालिक होंगे जो औरत के वारिसों से बच जाये और अगर औरत क़त्ल की जाये तो उसकी दियत उसके वारिसों को मिलेगी और वही उसके क़ातिल से क़िसास लेंगे।

2648. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने एक क़ातिला की दियत उसकी क़ौम से दिलवाई। उसकी क़ौम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! (जब दियत हमसे ली गई) तो उसकी मीरास हमको मिलेगी या नहीं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! मीरास उसके शौहर और लड़के को दी जायेगी। **(अबू दाऊद-4559)**

दाँत के क़िसास का बयान

2649. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अनस बिन नज़र (रज़ि.) की फूफी हज़रत रबीअ (रज़ि.) ने एक लड़की का दांत तोड़ डाला। उसके बाद रबीअ के रिश्तेदारों ने लड़की की क़ौम से माफ़ी चाही। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं दी तो रबीअ के लोगों ने दियत देना चाही। उन्होंने दियत लेने से भी इंकार किया और आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने क़िसास का हुक्म दिया। अनस इब्ने नज़र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या रबीअ का दांत तोड़ा जायेगा? या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस ज़ात की क़सम! जिसने आपको हक़ के साथ मब्ऊस फ़र्माया है, ये नहीं हो सकता। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अनस! अल्लाह की किताब क़िसास का हुक्म देती है। जब लड़की की कौम ने ये सुना तो वो दियत पर राज़ी हो गये (अल्लाह तआला ने उनके दिलों में रहम पैदा कर दिया) उस वक़्त आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के ऐसे बन्दे भी हैं जो अल्लाह की क़सम खा लें तो अल्लाह तआला उस क़सम को सच्चा कर देता है। **(बुख़ारी-2703)**

दाँतों की दियत का बयान

2650. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, दांत ख़्वाह सामने के हों या दाढ़ें हों सब बराबर हैं (सबकी दियत एक सी होगी)। **(अबू दाऊद-4559)**

2651. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दांत की दियत में पाँच ऊँटों का फ़ैसला फ़र्माया था।

अंगुलियों की दियत का बयान

2652. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये (यानी सबसे छोटी अंगुली और उसके बराबर की अँगुली और अंगूठा) दियत में सब बराबर हैं। **(बुख़ारी-6895)**

2653. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अँगुलियाँ सब बराबर हैं, हर अँगुली में दस ऊँट देने होंगे (यानी हर अँगुली मे दियत का दसवाँ हिस्सा होगा)। **(बैहक़ी)**

2654. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अँगुली-अँगुली एक सी है। **(अबू दाऊद-4556)**

जिस ज़ख़्म से हड्डी जाहिर हो जाये

2655. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हर उस ज़ख़्म जिससे हड्डी जाहिर हो जाये (दियत के) पाँच-पाँच ऊँट (लाज़िम) होंगे।

अगर एक शख़्स ने दूसरे को दाँत से काटा और उसके हाथ खींचने पर काटने वाले के दाँत उखड़ जाएँ तो क्या हुक्म है?

2656. हज़रत यअ़ला बिन उमैया (रज़ि.) और **हज़रत सलमा बिन उमैया (रज़ि.)** कहते हैं, हम लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ ग़ज़्व-ए-तबूक में रवाना हुए। साथ चलने वालों में से एक शख़्स की दूसरे से लड़ाई हो गई। उनमें से एक ने दूसरे के काटा। हम लोग पीछे थे, जिसके काटा उसने अपना हाथ खींचा तो काटने वाले का दांत निकल पड़ा। वो शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ ताकि अपने दांत की दियत ले। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (वाह! एक तो) ऊँट की तरह आदमी दूसरे को काटे और फिर उसकी दियत मांगे (इसकी कुछ दियत नहीं) लिहाज़ा आपने उसके दांत की दियत लग़्व क़रार दी। **(नसाई-4769)**

2657. हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने दूसरे की कलाई में काटा। उस (बेचारे ने) अपना हाथ (अपनी तरफ़) खींचा, उससे काटने वाले का दांत गिर गया। उसके बाद ये मुक़द्दमा आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया गया। हुज़ूर (ﷺ) उसको लग़्व क़रार देकर फ़र्माया, तुममें ऐसे भी हैं कि नर ऊँट की तरह काटते हैं। **(बुख़ारी-6892, मुस्लिम-1673)**

मुसलमान काफ़िर के बदले में क़त्ल नहीं होगा

2658. हज़रत अबू हुजैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने एक रोज़ हज़रत अ़ली (रज़ि.) से पूछा कि आपको किसी ऐसी बात का भी इल्म है जो दूसरों को न हो (यानी हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने तुमको कोई ऐसा इल्म तअ़लीम फ़र्माया था जो दूसरों को न हो) उन्होंने कहा, नहीं! अल्लाह की क़सम! हमारे पास बस वही इल्म है जो दूसरों के पास है। अल्बत्ता एक सहीफ़ा है उसमें दियतों का बयान है और उसमें ये तहरीर है कि काफ़िर के क़िसास में मुसलमान को न क़त्ल किया जाये। **(बुख़ारी-111)**

2659. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, काफ़िर के क़िसास में मुसलमान नहीं क़त्ल किया जाये। **(मुस्नद अहमद)**

2660. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान काफ़िर के क़िसास में नहीं क़त्ल किया जाये और न अ़हद वाले (ज़िम्मी) काफ़िर को उसके अ़हद में क़त्ल किया जाये। **(अबू दाऊद-4506)**

औलाद के क़िसास में बाप को क़त्ल नहीं किया जायेगा

2661. हजरत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बाप औलाद के

क़िसास में क़त्ल नहीं किया जायेगा। **(तिर्मिज़ी-2599)**

2662. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बाप औलाद के क़िसास में क़त्ल नहीं किया जायेगा। **(तिर्मिज़ी-1400)**

आज़ाद शख़्स किसी गुलाम के क़िसास में क़त्ल किया जायेगा या नहीं

2663. हजरत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने गुलाम को क़त्ल करेगा हम उसको क़त्ल करेंगे और जो उसके नाक या कान काटेगा हम उसके नाक और कान काट लेंगे। **(अबू दाऊद-4515)**

2664. हज़रत अली (रज़ि.) और **अम्र बिन शुऐब (रह.)** अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि एक शख़्स ने क़सदन अपने गुलाम को क़त्ल कर दिया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको सौ कोड़े मारकर ज़िला वतन कर दिया और मुसलमानों के हिस्सों में से भी उसका हिस्सा साकित कर दिया।

जिस तरह क़ातिल ने क़त्ल किया उसी तरह से क़िसास लिया जाये

2665. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक यहूदी ने एक औरत का सर दो पत्थरों के बीच में रखकर कुचल दिया और उसको मार डाला। हुज़ूर (ﷺ) ने भी (उसके क़िसास में) उस यहूदी के सर को दो पत्थरों के बीच में रखकर क़त्ल कर दिया। **(बुख़ारी-2413, मुस्लिम-1672)**

2666. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, एक यहूदी ने (हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में) एक लड़की को उसका ज़ेवर लेने के लिये मार डाला। (चूँकि उसमें कुछ जान बाक़ी थी) आँहज़रत (ﷺ) ने उससे पूछा, तुझे फ़लाँ शख़्स ने मारा? उसने इशारा से कहा, नहीं। फिर आपने दोबारा (किसी और का नाम लेकर) पूछा, उसने तब भी इशारा किया नहीं। आपने तीसरी बार (उस यहूदी का नाम लेकर) पूछा तो उसने सर के इशारे से कहा, जी हाँ! तब हुज़ूर (ﷺ) ने उसके क़िसास में उस यहूदी को दो पत्थरों के बीच में रखकर क़त्ल कर दिया। **(बुख़ारी-5295, मुस्लिम-1672)**

तलवार के अलावा किसी और चीज़ से क़िसास न लिया जाये

2667. हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़िसास तलवार के अलावा और किसी चीज़ से न लिया जाये।

2668. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़िसास तलवार के अलावा और किसी चीज़ से न लिया जाये। **(दारक़ुत्नी)**

कोई किसी के जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं होगा

2669. हज़रत अम्र बिन अहवस (रज़ि.) से रिवायत हैं, वो कहते हैं कि हज्जतुल विदाअ के रोज़ हुज़ूर (ﷺ) को फ़र्माते हुए सुना कि जो शख़्स कोई कसूर करेगा वो अपनी ज़ात ही पर करेगा। न बाप के कसूर में बेटा और न बेटे के कसूर में बाप पकड़ा जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2670. हज़रत तारिक़ मुहारिबी (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दस्ते मुबारक उठाकर और इस क़द्र उठाकर कि आपकी बग़लों की सफेदी भी नज़र आने लगी, फ़र्माया, खूब समझ रखो! माँ के कसूर में बच्चे से और बच्चे के कसूर में माँ से मुवाख़िज़ा न होगा। **(दारक़ुत्नी)**

2671. हज़रत ख़शख़ाश अम्बरी (रज़ि.) कहते हैं, मैं और मेरे साथ मेरा लड़का दोनों रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे मुख़ातब होकर फ़र्माया, तेरे कसूर में तेरा बेटा और तेरे बेटे के कसूर में तू नहीं पकड़ा जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2672. हज़रत उसामा बिन शुरैक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई नफ़्स दूसरे नफ़्स के कसूर में नहीं पकड़ा जायेगा।

जिन चीज़ों में दियत नहीं

2673. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बेज़ुबान जानवर का ज़ख़्मी करना लग़्व है (उसमे कुछ दियत नहीं) और कुएँ में गिरकर मर जाना लग़्व है और कान में कोई मर जाये (उसका ख़ून भी लग़्व है)।

2674. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन औफ़ (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेज़ुबान जानवर का ज़ख़्मी करना लग़्व है और किसी के कान में मर जाने वाले का ख़ून भी लग़्व है। **(तब्रानी)**

2675. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कुएँ में (मरने वाले का, कान में मरने वाले का) बेज़ुबान जानवर का ख़ून लग़्व है (इसमे दियत वग़ैरह कुछ नहीं)।

2676. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आग में (जलने वाले का) कुएँ में (गिरकर मरने वाले का) ख़ून लग़्व है (उसमें दियत नहीं)। **(अबू दाऊद-4594)**

क़सामत का बयान

2677. हज़रत सहल बिन अबी हस्मा (रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने अपनी क़ौम के कई बुज़ुर्गों से सुना है कि जब अब्दुल्लाह इब्ने सहल और मुहैसा दोनों साहब ख़ैबर को चले (और चूँकि ये मुहताज थे तंगदस्त थे उस तक्लीफ़ की वजह से उनको ये सफ़र करना पड़ा, अल्ग़र्ज़ जब ये ख़ैबर पहुँचे) तो हज़रत मुहैसा (एक मुक़ाम पर बैठे हुए थे) कि उनके पास कुछ लोग आये और कहने लगे कि अब्दुल्लाह बिन सहल क़त्ल कर दिये गये हैं और ख़ैबर में उनकी लाश पड़ी हुई है। ये सुनकर हज़रत मुहैसा यहूदियों के पास गये और उनसे कहा, अल्लाह की क़सम! तुम ही लोगों ने उनको क़त्ल किया है। उन्होंने कहा, अल्लाह की क़सम! हमने उनको नहीं मारा है। मुहैसा (रज़ि.) वहाँ से वापिस होकर अपने मकान पर, अपनी क़ौम में आये और उनसे ये वाक़िया बयान किया तो उनके साथ उनके बड़े भाई हुवैसा (रज़ि.) और अब्दुर्रहमान इब्ने सहल (रज़ि.), हुज़ूर अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हज़रत मुहैसा (रज़ि.) ने (जो अब्दुल्लाह इब्ने सहल के साथ खैबर गये थे) सबसे पहले बातचीत करने का इरादा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उनका इरादा देखकर फ़र्माया, बड़े का लिहाज़ करो।(यानी अपने बड़े भाई को कहने दो) आख़िर हुवैसा ने हुज़ूर (ﷺ) से बयान किया। उसके बाद मुहैसा (रज़ि.) ने (अर्ज़ किया) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (अच्छा तो) यहूदी या तो तुम्हारे ख़ून की दियत दें वरना उनसे ऐलाने जंग की जाये। ये वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) ने यहूद को लिखा। वहाँ से जवाब में आया, अल्लाह की क़सम! (या रसूलल्लाह!)

हमने उनको नहीं मारा है। हुज़ूर (ﷺ) ने हुवैसा और मुहैसा और अब्दुर्रहमान को तलब फ़र्माया, उनसे इर्शाद फ़र्माया कि तुम हलफ़ खाओ कि यहूदियों ने तुम्हारे भाई को मारा है उनका ख़ून साबित कर सकते हो ? उन्होंने कहा, नहीं! क्योंकि हमनें अपनी आँखों से मारते हुए नहीं देखा है) आपने फ़र्माया, यहूदी क़सम खायेंगे। ये कहने लगे, (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) वो काफ़िर हैं उनकी क़सम का क्या ऐतबार है, झूठी भी खा लेंगे। आख़िरकार, अब्दुल्लाह बिन सहल की दियत उनके वारिसों को हुज़ूर (ﷺ) ने अपने पास से अदा की और आपने उनके वारिसों को सौ ऊँटनियाँ उनके घर रवाना कीं। सहल (रज़ि.) कहते हैं, उन्हीं में से एक सुर्ख़ ऊँटनी ने मेरे लात मारी थी (मुझको आज भी याद है)। **(बुख़ारी-7192, मुस्लिम-1669)**

2678. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि हुवैसा और मुहैसा मस्ऊद (रज़ि.) के बेटे और अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान सहल के बेटे ख़ैबर में रोज़ी की तलाश में चले। अब्दुर्रहमान पर लोगों ने ज़्यादती की और उनको क़त्ल कर दिया। ये वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) से बयान किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम क़सम खाकर अपने साथी का ख़ून साबित कर सकते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम क़सम कैसे खा सकते हैं, क्योंकि क़त्ल के दिन हम मौजूद नहीं थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तो यहूद क़सम खाकर अपनी बराअत जाहिर करेंगे। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! बस तो हम भी यहूद को मारकर क़सम खाकर अपनी बराअत ज़ाहिर करेंगे। आख़िर हुज़ूर (ﷺ) ने अपने पास से हज़रत अब्दुल्लाह की दियत अदा की।

कोई शख़्स अपने गुलाम के जिस्म का कोई हिस्सा काटेगा वो गुलाम आज़ाद हो जायेगा

2679. हज़रत सलमा बिन रूह इब्ने नज़्बाअ (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि वो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए क्योंकि उन्होंने अपने गुलाम को ख़स्सी करा दिया था। हुज़ूर (ﷺ) ने उस गुलाम को आज़ाद कर दिया। **(तबरानी)**

2680. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में चिल्लाता हुआ आया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्यूँ क्या हुआ। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह(ﷺ)! मैं अपने आक़ा की बांदी का बोसा ले रहा था उसने मुझे देख लिया और मेरा ज़कर (शर्मगाह) कटवा डाला। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके आक़ा को बुला लाओ। लोगों ने उसको तलाश किया लेकिन उसका आक़ा नहीं मिला। हुज़ूर (ﷺ) ने गुलाम से फ़र्माया, जा तू आज़ाद है। उसने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह(ﷺ)! मेरी कौन मदद करेगा (अगर मेरे आक़ा ने मुझे गुलाम बना लिया तो मैं क्या करूँगा) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी मदद हर मुसलमान और हर मोमिन पर लाज़िम है। **(अबू दाऊद-4519)**

सब क़ातिलों में उम्दा लोग वो हैं जो अहले ईमान हैं

तशरीह : क्योंकि अहले ईमान किसी को बेज़ा तौर पर क़त्ल नहीं करते बल्कि वाजिब तौर पर हक़ पर क़त्ल करते हैं।

2681. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, उम्दा और हक़ पर क़त्ल करने वाले ईमान वाले हैं। **(मुस्नद अहमद)**

2682. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हक़ पर क़त्ल करने वाले मोमिन लोग हुआ करते हैं। **(अबू दाऊद-2074)**

मुसलमानों के ख़ून बराबर हैं

2683. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सब मुसलमान एक हाथ की तरह हैं, ख़ून में सब बराबर हैं। उनमें से एक अदना भी अमान दे सकता है और ग़नीमत के माल में दूर से दूर का मुसलमान भी शरीक होगा। **(अबू दाऊद-2660)**

2684. हज़रत मअक़ल इब्ने यसार (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ग़ैर मज़हब वालों के लिये मुसलमान एक हाथ की तरह हैं और ख़ून में सब बराबर हैं। **(इब्ने अदी)**

2685. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि मोमिन अपने अलावा दूसरी क़ौम के लिए एक हाथ की तरह हैं और उनके माल और जान (मर्तबे और क़ाबिले हिफ़ाज़त होने के लिहाज़ से) बराबर हैं। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ (किसी ग़ैर मुस्लिम को) सबसे कम दर्जे का मुसलमान भी पनाह दे सकता है और मुसलमान को वो (मुजाहिद) भी (ग़नीमत) अदा करेगा जो दूर का है।

ज़िम्मी काफ़िर के क़त्ल का गुनाह

2686. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़िम्मी काफ़िर के मारने वाले को जन्नत की बू भी नहीं आयेगी बावजूद ये कि जन्नत की खुश्बू चालीस साल की मसाफ़त से आती है। **(बुख़ारी-3166)**

2687. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ऐसे काफ़िर को क़त्ल करेगा जिसको अल्लाह और रसूल (ﷺ) ने अमान दी है उसको जन्नत की बू भी नहीं आयेगी। बावजूद ये कि जन्नत की खुश्बू सत्तर साल की मसाफ़त से आती है (यानी जन्नत तो दरकिनार उसको जन्नत की बू भी हासिल नहीं हो सकती)। **(तिर्मिज़ी-1403)**

किसी को अमान देकर क़त्ल करने वाले का बयान

2688. हज़रत रिफ़ाआ बिन शद्दाद क़त्बानी (रज़ि.) कहते हैं कि अगर अम्र बिन हुमुक़ ख़ुज़ाई (रज़ि.) की हदीस मैंने न सुनी होती तो मैं मुख़्तार सक़फ़ी के सर और धड़ के बीच में चलता। (यानी उसका सर काट डालता) मैंने हज़रत अम्र (रज़ि.) से सुना है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स किसी काफ़िर को जान की अमान दे फिर उसको क़त्ल कर दे तो क़यामत के दिन फ़रेब का झण्डा देकर उसको उठाया जायेगा। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-8739)**

2689. हज़रत रिफ़ाआ कहते हैं, एक रोज़ मैं मुख़्तार सक़फ़ी के पास उसके महल में गया तो वो मुझसे कहने लगा कि अभी जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) (मेरे पास) थे, अभी उठकर गये हैं। (ये सुनकर) मैंने उसको क़त्ल कर दिया होता लेकिन उस हदीस ने मुझको क़त्ल करने से मना किया। सुलेमान इब्ने सुर्द (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया था, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, तुमसे जब कोई शख़्स जान की अमान मांगे तो अमान देने के बाद उसको क़त्ल न करो। **(मुस्नद अहमद)**

क़ातिल को माफ़ कर देने का बयान

2690. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक शख़्स ने ख़ून कर

दिया। उसका मुक़द्दमा हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में लाया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने क़ातिल को मक़्तूल के वारिसों के हवाले कर दिया। क़ातिल ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! मैंने इसको क़त्ल करने की निय्यत से नहीं मारा था। हुज़ूर (ﷺ) ने उस मक़्तूल के वारिस से कहा कि अगर ये शख़्स सच्चा है तो अगर तू इसको क़त्ल कर देगा तो दोज़ख़ में जायेगा। ये सुनकर उसके वारिस ने उस शख़्स को माफ़ करके छोड़ दिया। वो जिस रस्सी से बंधा हुआ था उसी रस्सी के साथ वहाँ से चल दिया। उस रोज़ से उसका नाम रस्सी वाला हो गया। **(अबू दाऊद-4498, तिर्मिज़ी-1407)**

2691. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स अपने किसी अ़ज़ीज़ के क़ातिल को लेकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने मक़्तूल के वारिस से फ़र्माया, इसको माफ़ कर दे। उसने मंजूर न किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा दियत ले ले। उसने दियत भी लेने से इंकार कर दिया तो आपने फ़र्माया, जा! इसको क़त्ल कर दे लेकिन तू भी इसी की तरह (होगा)। रावी कहते हैं (उसके बाद) एक शख़्स मक़्तूल के वारिस के पास गया और उससे कहने लगा कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया है कि तू इसको मार लेकिन तू भी गुनाह में इसी तरह का होगा। ये सुनकर उस शख़्स ने क़ातिल को फ़ौरन छोड़ दिया। रावी का बयान है कि लोगों ने देखा कि वो जिन रस्सियों से बंधा हुआ था उनको घसीटता हुआ अपने मकान की तरफ़ चला जा रहा था। शायद मक़्तूल के वारिस ने उसको रस्सी से बांध दिया होगा। दूसरी रिवायत में हज़रत क़ासिम से मन्कूल है कि आँहज़रत (ﷺ) के बाद अब किसी के लिये ये जाइज़ नही कि क़ातिल से कहे कि अगर तू इसको क़त्ल करे तो तू भी इसी की तरह है। हज़रत इब्ने माजा कहते हैं कि ये हदीस रम्ला वालों की है, सिर्फ़ उन्होंने रिवायत की। **(नसाई-4734)**

क़िसास की माफ़ी का बयान

2692. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) के पास जब कभी कोई क़िसास का मुक़द्दमा आता तो आप (बतौरे सिफ़ारिश के) माफ़ी का हुक्म दिया करते। **(अबू दाऊद-4497)**

2693. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को कोई सदमा पहुँचाए और ये शख़्स सदमा पहुँचाने वाले को माफ़ कर दे तो अल्लाह तआ़ला उसका एक दर्जा बुलन्द करके उसका एक गुनाह माफ़ करेगा (हुज़ूर (ﷺ) का ये) कलाम मेरे कानों ने सुना है। मेरे दिल ने इसको याद रखा है। **(तिर्मिज़ी-1393)**

हामिला औरत के क़िसास का बयान

2694. हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल और **अबू उ़बैदा बिन जर्राह (रज़ि.)** और **उ़बादा बिन सामित (रज़ि.)** और **शद्दाद बिन औस (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर औरत क़त्ले अ़मद का इर्तिकाब करे और वो हामिला हो तो उसे (क़िसास में) क़त्ल नहीं किया जाये, यहाँ तक कि उसके पेट का बच्चा पैदा हो जाये और यहाँ तक कि वो किसी को अपने बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी सौंप दे। और अगर वो ज़िना करे तो उसे रजम नहीं किया जायेगा, यहाँ तक कि उसके पेट का बच्चा पैदा हो जाये और यहाँ तक कि वो किसी को अपने बच्चे की परवरिश की ज़िम्मेदारी सौंप दे। **(अबू दाऊद-4442)**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल-वसाया

वसिय्यत के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2695. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने न कोई वसिय्यत की न कोई दीनार दिरहम (तर्का) में छोड़ा न कोई ऊँट या बकरी छोड़ी। **(मुस्लिम-1635)**

2696. हज़रत तलहा बिन मुसरिफ़ (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से पूछा, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने किसी चीज़ की वसिय्यत की थी या नहीं? उन्होंने फ़र्माया, नहीं! (कोई वसिय्यत नहीं की थी) मैंने उनसे कहा तो फिर हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों को वसिय्यत का हुक्म कैसे दिया? उन्होंने फ़र्माया कि हुज़ूर (ﷺ) ने (दुनयवी माल में कोई वसिय्यत नहीं की अल्बत्ता किताबुल्लाह (पर अमल करने की) वसिय्यत की थी। हज़रत तलहा (रह.) ने कहा कि हुज़ैल बिन शुरहबील (रह.) कहने लगे, हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के वसी (जो हज़रत अली रज़ि. को क़रार दिया जाता है) को नज़रअंदाज़ करके अमीर (ख़लीफ़ा) बन सकते थे? हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की तो ये हालत थी कि अगर (खिलाफ़त के बारे में) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का कोई हुक्म पाते तो ताबेदार ऊँटनी की तरह अपनी नाक में उसकी नकेल डाल लेते (और उसके हुक्म से कभी इन्हिराफ़ नहीं करते)। **(बुख़ारी-2740, 4460)**

2697. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) की हालते नज़अ में जब आपकी सांस हलक़ों में थी तो (बस) इतनी वसिय्यत की थी कि नमाज़ की हिफ़ाजत करना और गुलाम व लौण्डी का ख्याल रखना। **(मुस्नद अहमद)**

2698. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) का आख़िरी कलाम ये था, नमाज़ और तुम्हारे मातहत गुलाम। **(अबू दाऊद-5156)**

वसिय्यत करने की तग़ीब

2699. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मुसलमान के पास कोई चीज़ वसिय्यत के क़ाबिल हो उसके लिये जाइज़ नहीं कि बग़ैर वसिय्यत नामा तहरीर किये हुए उस पर दो दिन भी गुज़र जायें। **(मुस्लिम-1627)**

2700. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, महरूम वो है जो अपनी वसिय्यत करने से महरूम रहा।

2701. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है ,नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स वसिय्यत करके मरा (समझो कि) वो सीधी राह पर और सुन्नत तरीक़े पर और तक़्वा व परहेज़गारी के साथ मरा (बल्कि) शहीद हुआ, और इस हाल में मरा कि उसकी मग़्फ़िरत हो चुकी थी। **(इब्ने अदी)**

2702. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मुसलमान के पास वसिय्यत का माल मौजूद हो तो उसके लिये ये जाइज़ नहीं कि बग़ैर वसिय्यत नामा की तहरीर किये हुए उस पर दो दिन भी गुज़र जायें। **(बुख़ारी-2699, नसाई-3647)**

वसिय्यत में ज़ुल्म करना कैसा है?

2703. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने वारिस को तर्का देने से भागेगा (ऐसी वसिय्यत करेगा जिससे जाइज़ वारिस को हिस्सा न मिलेगा या उसके असल हिस्से से कम मिले) तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसे उसकी जन्नत की मीरास से महरूम फ़र्मा देगा।

2704. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स सत्तर बरस तक नेक अमल करता है लेकिन वसिय्यत के वक़्त वसिय्यत में ज़ुल्म करता है तो उसका ख़ात्मा बुराई पर होगा और दोज़ख़ में चला जायेगा और एक आदमी सत्तर बरस तक बुरे काम करता है लेकिन मरते वक़्त इंसाफ़ के साथ (वसिय्यत) कर जाता है और जन्नत में दाख़िल हो जाता है। उसके बाद हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने ये फ़र्माया, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो ये आयत पढ़ो, (तर्जुमा) **ये हदें अल्लाह की (मुक़र्रर की हुईं) हैं और जो अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की फ़र्माबरदारी करे, उसे अल्लाह तआला जन्नतों में ले जायेगा, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जिन में वो हमेशा रहेंगे और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो शख़्स अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़र्मानी करे और उसकी (मुक़र्ररकर्दा) हदों से आगे निकले, उसे वो जहन्नम में डाल देगा जिसमें वो हमेशा रहेगा। और उसके लिये रुस्वा कर देने वाला अज़ाब है।** (सूरह निसा : 13-14) **(अबू दाऊद-2867)**

2705. हज़रत मुआविया इब्ने कुर्रह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मरने लगे और मरते वक़्त शरीअत के मुवाफ़िक़ (वसिय्यत) कर जाये तो ये वसिय्यत उसकी ज़कात का बदला हो जायेगी जो उसने अपनी ज़िन्दगी में अदा नहीं की थी। **(दारक़ुत्नी)**

ज़िन्दगी में बुख़्ल और मरते वक़्त फ़िज़ूलख़र्ची करने की मुमानिअत

2706. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको बतलाईये कि लोगों में से किसकी सुहबत का हक़ मुझ पर ज़्यादा है? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! तेरे बाप के (रब) की क़सम! तुझको बतलाता हूँ ,तेरी माँ का। वो अर्ज़ करने लगा कि उसके बाद किसका? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी माँ का। उसने फिर अर्ज़ किया, और किसका? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरी माँ का। उसने कहा, फिर किसका ? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरे बाप का। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको बतलाईये कि मैं अपने माल में से सदक़ा किस तरीक़े पर दूँ। फ़र्माया, हाँ! अल्लाह की क़सम! मैं उसकी

भी तुझको तअ़लीम दूँगा। (फ़र्माने लगे) कि जब तू तन्दुरुस्त हो और माल की तुझको चाहत हो, ज़िन्दगी की तवक्कोअ़ (उम्मीद) रखता हो, मुह्ताजी से तुझको डर आता हो। ऐसे वक़्त में सदक़ा दे और ऐसा न कर कि जब तू मरने लगे और तेरी रूह (हलक़) में आ जाये तो तू कहे कि ये माल फ़लाँ के लिय है और ये फ़लाँ के लिये है। उस वक़्त ये सब माल वारिसों का होगा। ख्वाह तुझको कितना ही बुरा मालूम हो। **(बुख़ारी-5971)**

2707. हज़रत बुस्र इब्ने जह्हाश क़ुरशी (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपनी हथैली मुबारक पर थूका और उस पर शहादत की उँगली रखकर फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, आदम के बेटे! तू मुझको कैसे आजिज़ कर सकता है हालाँकि मैंने तुझको ऐसी चीज़ से पैदा किया है (यानी मनी से जो थूक की तरह होती है)। जब तेरी सांस यहाँ (हलक़) में आती है तो उस वक़्त कहता है, ये चीज़ सदक़े में देता हूँ और ये सदक़ा करता हूँ। हालाँकि वो सदके का वक़्त नहीं रहता। **(मुस्नद अहमद)**

तिहाई माल में वसिय्यत करना

2708. हज़रत आमिर इब्ने सअ़द (रह.) अपने वालिद (हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि जिस साल मक्का फ़तह हुआ तो ये सख़्त बीमार थे, यहाँ तक कि क़रीबुल मर्ग़ (मरने के क़रीब) हो गये। आँहज़रत (ﷺ) उनकी इ़यादत के लिये तशरीफ़ लाये। मैंने हुज़ूर अकरम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास माल बहुत है और मेरी एक बेटी के अ़लावा मेरा कोई वारिस नहीं। अगर आप फ़र्माएँ तो मैं तिहाई माल की वसिय्यत कर दूँ। आपने फ़र्माया, नहीं। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अच्छा आधा कर दूँ। आपने फ़र्माया, आधा भी नहीं। मैंने अ़र्ज़ किया, एक तिहाई। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! एक तिहाई की वसिय्यत कर दो अगरचे ये भी बहुत है क्योंकि तुम्हारा अपने वारिसों को मालदार छोड़ जाना इससे बेहतर है कि तुम उनको मुह्ताज और भीख मांगता छोड़ जाओ और वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। **(बुख़ारी-6733, मुस्लिम-1628)**

2709. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे फ़ौत होने के वक़्त तुम्हारे तिहाई माल का सदक़ा कर दिया है (तुम तिहाई में वसिय्यत कर सकते हो) ताकि तुम्हारे आ़माल ज़्यादा हों। **(बैहक़ी)**

2710. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया (अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है) ऐ इब्ने आदम! मैंनें तुझको दो चीज़ें ऐसी दीं जिनमें तुम्हारा कोई हक़ नहीं था। मैंने मेरे माल मे से एक हिस्सा उस वक़्त मुक़र्रर किया है कि जब तेरी सांस को मैं लूँ ताकि उसके ज़रिये से तू पाक व साफ़ हो जाये। दूसरे मेरे बन्दे जब तुझ पर नमाज़ पढ़ें तेरे मरने के बाद तो उसका सवाब भी तुझको दिया। (ये भी हो सकता है कि नमाज़ से मुराद दुआ हो, यानी जो लोग तेरे मरने के बाद तेरे लिये दुआ मांगें उसका सवाब भी तुझको दिया) **(दारक़ुत्नी)**

2711. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैं पसंद करता हूँ कि लोग वसिय्यत में तिहाई माल से भी कम करके चौथे हिस्से की वसिय्यत करें। क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया है, तीसरा हिस्सा एक बड़ी मिक़्दार है। या फ़र्माया, तीसरा हिस्सा ज़्यादा है। **(बुख़ारी-2743, मुस्लिम-1629)**

वारिस के लिये वसिय्यत जाइज़ है

2712. हज़रत अ़म्र बिन ख़ारिजा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी ऊँटनी पर खुत्बा फ़र्माया और

हुज़ूर (ﷺ) की ऊँटनी जुगाली कर रही थी। वो जुगाली मेरे दोनों कंधों के बीच जारी थी, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह जल्ले शानुहू ने हर वारिस का हिस्सा उसके लिये मुक़र्रर कर दिया है। लिहाज़ा अब किसी वारिस के लिये वसिय्यत जाइज़ नहीं और बच्चा उस शख़्स को मिलेगा जिसकी मिल्कियत में बच्चे की माँ हो और ज़ानी के लिये पत्थर हैं (जिससे उसे संगसार किया जायेगा) और जो शख़्स अपने बाप के अलावा किसी दूसरे का बेटा बना या गुलाम ने दूसरे के आक़ा को अपना आक़ा होना जाहिर किया उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की और तमाम इंसानों की लअ़नत है। न उसके नवाफ़िल कबूल न उसके फ़राइज़ या फ़र्माया, न उसके फ़राइज़ कबूल होंगे न नवाफ़िल। **(तिर्मिज़ी-2121)**

2713. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को हज्जतुल विदाअ़ के साल खुत्बे में इर्शाद फ़र्माते सुना कि अल्लाह तआ़ला ने हर हक़ वाले का उसका हक़ दिलवा दिया है। लिहाज़ा अब वारिस के लिये कोई वसिय्यत नहीं है। **(अबू दाऊद-2870)**

2714. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ऊँटनी के नीचे खड़ा हुआ था और उसका लुआब मेरे ऊपर बह रहा था। आपने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने हर वारिस का हक़ उसको दिलवा दिया है। लिहाज़ा अब वारिस के लिये वसिय्यत जाइज़ नहीं। **(दारक़ुत्नी)**

2715. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने कर्ज़ को वसिय्यत पर मुक़द्दम किया है लेकिन क़ुर्आन में तुम इस तरह पढ़ते हो, (तर्जुमा) **इस वसिय्यत के बाद जो वो वसिय्यत करे या क़र्ज़ के बाद** (सूरह निसा : 11) (लिहाज़ा क़ुर्आन में सबसे पहले वसिय्यत का ज़िक्र है और कर्ज़ का बाद में। लेकिन हदीस में और क़ुर्आन में कोई मुख़ालिफ़त नहीं कि उसका हुक्म भी पहले हो) जो औलाद माँ और बाप दोनों से हो वो वारिस होगी और अ़ल्लाती (सौतेली) औलाद को विरासत नहीं मिलेगी। **(तिर्मिज़ी-2094)**

जो शख़्स मर जाये और वसिय्यत न करे तो उसकी तरफ़ से सदक़ा देना कैसा है?

2716. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद का इंतिक़ाल हो गया, उनका माल बाक़ी है लेकिन उन्होंने उसमे कोई वसिय्यत नहीं की। अगर मैं उसमें से कोई सदक़ा दूँ तो उनके गुनाहों की माफ़ी होगी या नहीं? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! (ज़रूर होगी)। **(मुस्लिम-1630)**

2717. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक शख़्स आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमते बाबरकत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा का अचानक इंतिक़ाल हो गया और कुछ वसिय्यत न कर सकीं। मेरा ख़्याल है कि अगर बात कर सकतीं तो सदक़ा करने को कहतीं। अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या मुझको और उनको सवाब होगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! होगा। **(दारक़ुत्नी)**

अल्लाह तआ़ला के इस फ़र्मान का बयान "और जो मुहताज हो जाये वो जाइज़ हद तक खा ले"

2718. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन अ़ास (रज़ि.) से रिवायत है, एक शख़्स रसूले मक़्बूल (ﷺ) की

ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! मैं (बिल्कुल मुह्ताज हूँ) मेरे पास माल नहीं है। अल्बत्ता मेरी ज़ेरे परवरिश एक यतीम है, जिसका माल मौजूद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके माल में से खा लेकिन न उसमें इसराफ़ करना न अपने लिये जोड़कर रखता। हदीस के रावी कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आँहज़रत (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया कि यतीम के माल को अपने माल का बचाव न बनाना। **(अबू दाऊद-2872)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल-फ़राइज़

विरासत के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2719. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू हुरैरह (रज़ि.)! इल्मे फ़राइज हासिल करो। क्योंकि ये इल्म का आधा हिस्सा है। ये वो इल्म है जो भुला दिया जाता है, मेरी उम्मत से सबसे पहले यही इल्म उठाया जायेगा। **(बैहक़ी)**

औलाद के हिस्सों का बयान

2720. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि सअ़द बिन रबीअ़ की बीवी अपनी दो लड़कियों को लेकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये दोनों लड़कियाँ हज़रत सअ़द ही की हैं जो जंगे उहुद में आपके साथ थे और शहीद हो गये थे। (उनके शहीद होने के बाद) जितना माल था वो सब इन (लड़कियों के) चचा ने ले लिया और लड़कियों का निकाह जब ही होता है कि उनके पास माल मौजूद हो। ये सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) खामोश रहे कि इतने में मीरास की आयत नाज़िल हुई। आपने सअ़द बिन रबीअ़ के भाई को तलब फ़र्माकर इर्शाद फ़र्माया कि सअ़द (रज़ि.) की दोनों बेटियों को दो तिहाई माल दे दो और आठवाँ हिस्सा सअ़द की बीवी को दे दो बाक़ी जो रहे वो तुम ले लो। **(अबू दाऊद-2872)**

2721. हज़रत हुज़ैल इब्ने शुरहबील (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) और सुलेमान इब्ने रबीआ (रज़ि.) के पास आया और उन दोनों से पूछा कि अगर एक शख़्स फ़ौत हो जाये और अपने वारिसों में एक बेटी और एक पोती और एक सगी बहन छोड़े तो मीरास किस तौर पर बांटी जायेगी। उन दोनों ने फ़र्माया कि आधा माल बेटी को मिलेगा और बाक़ी बहन को लेकिन तुम इतना और करो कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) के पास जाओ और उनसे भी पूछ लो। ताकि वो भी हमारे इस मसले में शरीक हो जायें। वो शख़्स ये सुनकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊ़द (रज़ि.) के पास आया और अबू मूसा (रज़ि.) व सलमान (रज़ि.) ने जो जवाब दिया था वो भी बयान किया। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) ने कहा कि अगर मैं उनकी तरह जवाब दूँगा तो गुमराह हो जाऊँगा और राहे मुस्तक़ीम हासिल करने वालों में से नहीं रहूँगा बल्कि मैं वो हुक्म दूँगा जो आँहज़रत (ﷺ) ने दिया था। बेटी को तो आधा

माल मिलेगा और पोती को दो तिहाई पूरे करने के लिये छठा हिस्सा मिलेगा। एक तिहाई जो बाक़ी रहा वो मय्यत की बहन को मिलेगा। **(बुख़ारी-6736)**

दादा के हिस्से का बयान

2722. हज़रत मअक़ल इब्ने यसार मुज़नी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) के पास विरासत का एक मुक़द्दमा आया जिसमें दादा भी मौजूद था, आपने दादा को तीसरा हिस्सा या छठा हिस्सा दिया। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-6333)**

2723. हज़रत मअक़ल इब्ने यसार (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ)! ने हमारे लिये ये हुक्म दिया है कि दादा को छठा हिस्सा दिया जायेगा। **(नसाई फिल्कुब्रा-6334)**

दादी और नानी का बयान

2724. हज़रत क़ुबैसा इब्ने ज़ुवैब (रज़ि.) कहते हैं कि उनकी नानी हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास अपना तर्का लेने के लिये आईं। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब में तो तेरा कोई हिस्सा मज़्कूर नहीं और न रसूले पाक की हदीस में भी तेरा कोई हिस्सा मेरे इल्म में है। तू वापिस चली जा, मैं लोगों से इसके बारे मे पूछ लूँ (तू फिर आना)। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने लोगों से पूछा, मुग़ीरह बिन शुअबा कहने लगे कि मैं उस वक़्त मौजूद था कि हुज़ूर (ﷺ) ने उसको छठा हिस्सा दिलवाया है। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने फ़र्माया, तेरे साथ कोई और भी गवाह है? तब हज़रत मुहम्मद इब्ने मुस्लिमा अंसारी (रज़ि.) उठ खड़े हुए और उन्होंने भी हज़रत मुग़ीरह (रज़ि.) की तरह बयान किया। तब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसके लिये छठे हिस्से का हुक्म सादिर फ़र्माया (फिर हज़रत उमर रज़ि. की खिलाफ़त में) एक मय्यित की दादी हज़रत उमर (रज़ि.) के पास अपनी मीरास का हिस्सा लेने लिये हाज़िर हुई तो उन्होंने फ़र्माया, किताबुल्लाह में तेरा कोई हिस्सा मुक़र्रर नहीं है और जो फ़ैसला इससे पहले मुक़र्रर हो चुका है वो नानी के हक़ में हुआ है तेरे लिए नहीं हुआ। मैं अपनी तरफ़ से फ़राइज़ में कुछ बढ़ा नहीं सकता। लेकिन वही छठा हिस्सा है, अगर किसी मय्यित की नानी और दादी दोनों हों तो उसी छठे हिस्से को आपस में बांट लें और अगर उन दोनों में से एक हो तो छठा हिस्सा पूरा ले ले। **(अबू दाऊद-2894)**

2725. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने दादी (या नानी) को विरासत में से छठा हिस्सा दिलवाया है। **(बैहक़ी)**

कलाला का बयान

तशरीह : कलाला से मुराद वो मय्यित है, जिसके माँ-बाप भी न हों और औलाद भी न हों। उसकी विरासत उसके भाई-बहनों में तक़्सीम होगी।

2726. हज़रत सअदान इब्ने तलहा (रज़ि.) कहते हैं कि जुम्आ के दिन हज़रत उमर (रज़ि.) लोगों को ख़ुत्बा सुनाने के लिये खड़े हुए और हम्दो सना के बाद फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! मैं अपने बाद कलाला से ज़्यादा मुश्किल मसला छोड़कर नहीं जाऊँगा। मैंने उसके बारे में हुज़ूर (ﷺ) से भी पूछा था तो आपने उस पर मुझको सख़्त जवाब दिया था कि इतनी सख़्ती कभी आपने मुझ पर न फ़र्माई थी। आपने मेरी पसली या सीने में अपनी उँगली से ठोंका मारकर फ़र्माया था,

कि उमर (रज़ि.) क्या तुमको (कलाला के बारे) वो आयत काफ़ी नहीं जो सूरह निसा के आख़िर में मौजूद है और गर्मी के ज़माने में नाज़िल हुई है।

2727. हज़रत मुर्रह बिन शुरहबील (रज़ि.) का बयान है, हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मुझसे तीन बातें (मज़ीद तफ़्सील के साथ) बयान करते तो ये मुझको दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उन सबसे ज़्यादा महबूब होती। एक कलाला का मसला, दूसरा सूद का मसला, तीसरा ख़िलाफ़त का।
(बुख़ारी-5588, मुस्लिम-3032)

2728. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि एक बार मैं बीमार हुआ। हज़ूरे अक्दस (ﷺ) हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को साथ लिये हुए मेरी अयादत के लिये पैदल चलकर तशरीफ़ लाये। लेकिन मैं उस वक़्त बेहोश था। हुज़ूर (ﷺ) ने वुज़ू किया और वुज़ू का बचा हुआ पानी मेरे ऊपर डाला (मुझको उससे होश आ गया) मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं क्या करूँ? मैं अपने माल का क्या फ़ैसला करूँ? तो उसके बारे में एक आयत नाज़िल हुई, जो सूरह निसा के आख़िर में है।

मुसलमान मुश्रिकों के वारिस नहीं

2729. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान काफ़िर का वारिस नहीं और काफ़िर मुसलमान का वारिस नहीं। **(बुख़ारी-6764, मुस्लिम-1614)**

2730. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, उन्होंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप मक्का तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो अपने मकान मे भी तशरीफ़ रखेंगे? आपने फ़र्माया, भला अक़ील ने हमारे लिये भी कोई घर छोड़ा है? अबू तालिब की विरासत अक़ील और तालिब को मिली थी। हज़रत जाफ़र (रज़ि.) और हज़रत अली (रज़ि.) इन दोनों को मुसलमान होने की वजह से कोई हिस्सा नहीं मिला था, अक़ील और तालिब काफ़िर थे। यही वजह थी कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मोमिन काफ़िर का वारिस न होगा और उसामा (रज़ि.) ने कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान काफ़िर का वारिस न होगा और काफ़िर मुसलमान का वारिस न होगा। **(बुख़ारी-1588)**

2731. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो मुख़्तलिफ़ मिल्लतों के लोग आपस में एक-दूसरे के वारिस न होंगे। **(अबू दाऊद-2911)**

विलाअ की मीरास का बयान

2732. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) का बयान है कि उनके दादा कहते हैं कि रबाब इब्ने हुज़ैफ़ा इब्ने सईद इब्ने सहम ने उम्मे वाइल बिन्ते मअमर जम्हिया से निकाह किया। उनसे तीन औलादें पैदा हुईं। उसके बाद उन बच्चों की वालिदा का इंतिक़ाल हो गया तो उनके बेटे उनकी ज़मीन और ग़ुलामों की विलाअ के वारिस हुए। उसके बाद अम्र बिन आस (रज़ि.) उनको मुल्के शाम ले गये। वहाँ जाकर उन सबका ताऊन की बीमारी से इंतिक़ाल हो गया तो अम्र बिन आस (रज़ि.) उनके वारिस हुए क्यों कि ये उनके अस्बा थे। जब हज़रत अम्र बिन आस (रज़ि.) मुल्के शाम से वापस आये तो मअमर के बेटे उनसे झगड़ा करने लगे और अपनी बहन (उम्मे वाइल) की विलाअ हासिल करने के लिये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की अदालत में मुक़द्दमा पेश कर दिया। उन्होंने (उमर ने) फ़र्माया, मैं तुम्हारा फ़ैसला इस तरह पर करूँगा जिस तरह मैंने रसूले अकरम (ﷺ) से सुना था। आप फ़र्माया करते, जो विलाअ औलाद या बाप से हासिल

हो उसके उ़स्बों को मिलेगी, चाहे कोई हो। अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं कि इसीलिए हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने विलाअ का फ़ैसला हमारे लिये कर दिया और एक रजिस्टर में अ़ब्दुर्रहमान इब्ने औ़फ़ और ज़ैद इब्ने साबित और किसी और शख़्स की गवाही तहरीर कर दी। जब अ़ब्दुल मलिक इब्ने मरवान का ज़माना आया तो उम्मे वाइल का एक आज़ाद किया हुआ गुलाम फ़ौत हो गया। उसने दो हज़ार दीनार छोड़े। मुझको खबर पहुँची कि जो फ़ैसला हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने दिया था उसको बदल दिया गया तो हम लोग उस मुक़द्दमे को हिशाम इब्ने इस्माईल के पास ले गये। उन्होंने हमको अ़ब्दुल मलिक के पास रवाना कर दिया। हम अ़ब्दुल मलिक के पास हज़रत उ़मर (रज़ि.) की वो तहरीर लेकर आये और उसको दिखाई। वो कहने लगे, मुझको नहीं मालूम था कि ऐसे (साफ़ मसले) में भी लोग झगड़ा करेंगे और मदीना वालों की ये हालत हो गई है कि ऐसे मसले में शक करते हैं और इख़्तिलाफ़ करते हैं। अल्ग़र्ज़ उन्होंने हमारे मुवाफ़िक फ़ैसला दिया उसके बाद हमेशा हम उस मीरास पर काबिज़ रहे। **(अबू दाऊद-2917)**

2733. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का एक आज़ादशुदा गुलाम खजूर के दरख़्त से गिरकर मर गया। उसने कुछ माल छोड़ा था, लेकिन उसकी कोई औलाद और रिश्तेदार नहीं थे। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके गांव वालों में से किसी को इसकी मीरास दे दो। **(अबू दाऊद-2902)**

2734. हज़रत हम्ज़ा की बेटी (हज़रत उमामा या अम्तुल्लाह रज़ि.) जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन शद्दाद (रज़ि.) की माँ शरीक बहन थीं, उनसे रिवायत है, उन्होंने कहा, मेरा एक आज़ादशुदा गुलाम मर गया है और उसकी एक बेटी बाक़ी रही है, तो हुज़ूर (ﷺ) ने उस माल में से आधा मुझको और आधा उसकी बेटी को दिलाया। **(बैहक़ी)**

क़ातिल की मीरास का बयान

2735. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ातिल वारिस नहीं होगा।

2736. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, जिस रोज़ मक्का फ़तह हुआ। उस रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ख़ुत्बा फ़र्माने के लिये खड़े हुए और उस ख़ुत्बे में आपने फ़र्माया, औ़रत अपने शौहर की दियत और माल में वारिस होगी, इसी तरह शौहर अपनी औ़रत की दियत में और माल में वारिस होगा। बशर्ते कि ये खुद आपस में क़त्ल न करें। अगर उनमें से एक ने दूसरे को अ़मदन (जानबूझ कर) क़त्ल किया हो तो उस सूरत में न वो उसकी दियत से विरासत पायेगा और न माल से और अगर क़त्ले खता होगा तो माल की विरासत तो मिलेगी लेकिन दियत का वारिस न होगा। **(दारक़ुत्नी)**

ज़विल अरहाम का बयान

2737. हज़रत अबू उमामा इब्ने सहल इब्ने हनीफ़ (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने दूसरे को तीर मारा। जिससे वो मर गया। उस शख़्स का सिवाए एक मामूँ के और कोई वारिस न था। उस मामले में हज़रत अबू उ़बैदा इब्ने जर्राह (रज़ि.) ने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) को तहरीर फ़र्माया, जिसमें आपने लिखा कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका कोई मौला न हो उसका मौला अल्लाह तआ़ला और उसका रसूल है और जिसका कोई वारिस न हो उसका वारिस उसका मामूँ है। **(तिर्मिज़ी-2103)**

2738. हज़रत मिक़्दाम बिन अबी करीमा (रज़ि.) (आप शामी सहाबा में से हैं) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स माल छोड़ेगा वो उसके वारिसों को मिलेगा। और जो शख़्स कर्ज़दार मरेगा या (बेवसीले) अहलो अ़याल छोड़ जायेगा वो हमारे ज़िम्मे है। दूसरी रिवायत में है कि वो अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) के

ज़िम्मे है और जिस शख़्स का कोई वारिस नहीं हो मैं ही उसकी तरफ़ से दियत दूँगा और मैं ही उसकी मीरास भी लूँगा और जिस शख़्स का कोई वारिस न हो ऐसे शख़्स का वारिस मामूँ हुआ करता है। वो अपने भांजे की तरफ़ से दियत भी अदा करेगा और उसके माल का वारिस भी होगा।

अस्बात की मीरास का बयान

2739. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हक़ीक़ी भाई वारिस होंगे और सौतेले वारिस नहीं होंगे। आदमी अपने सगे भाई का वारिस हो सकता है सौतेले भाई का वारिस नहीं हो सकता

2740. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अहले फ़राइज़ में अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ मीरास तक़्सीम कर दो। मुक़र्ररह हिस्से देने के बाद फिर जो उनके हिस्सों से बाक़ी रहेगा। उन लोगों का होगा जो मय्यित से क़रीबी रिश्तेदार हों। **(बुख़ारी-6732, मुस्लिम-1615)**

जिसका कोई वारिस न हो

2741. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में फ़ौत हुआ। उसका सिवाए एक आज़ादशुदा ग़ुलाम के कोई वारिस न था। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसकी मीरास उस ग़ुलाम ही को दिलवा दी। **(अबू दाऊद-2906)**

औरत तीन शख़्सों का तर्का ले सकती है

2742. हज़रत वासला इब्ने अस्क़अ (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन मय्यतों का तर्का औरत (ज़रूर लेगी) एक अपने आज़ाद किये हुए ग़ुलाम या लौण्डी का, दूसरा उस बच्चा का जिसको रास्ते में (लावारिश) पाकर परवरिश किया गया हो और तीसरा अपने उस बच्चे का जिस पर उसने लिआन किया हो। इमाम इब्ने माजा (रह.) ने कहा कि इस हदीस को हिशाम के अलावा किसी ने रिवायत नहीं किया है। **(अबू दाऊद-2906)**

उस शख़्स का बयान जो इंकार करे कि ये मेरा बच्चा नहीं है

2743. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जब लिआन की आयत नाज़िल हो चुकी तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो औरत ग़ैर के बच्चे को अपने शौहर के साथ मिलाये तो अल्लाह तआला से उसका कोई तअल्लुक़ नहीं है और अल्लाह तआला उसको हर्गिज अपनी जन्नत में दाखिल न करेगा और जो शख़्स जानता हो कि ये बच्चा मेरा है, फिर भी अपने बच्चे का इंकार करेगा तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उससे पर्दे में रहेगा (अपने दीदार से महरूम रखेगा) और तमाम लोगों में उसको बहुत रुस्वा करेगा। **(हाकिम, अबू दाऊद-2263)**

2744. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) से रिवायत है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन्सान का ये काम भी कुफ़्र है कि वो उस नसब का दावा करे या इन्कार करे जिसके बारे में उसे यक़ीनी इल्म नहीं हो, भले ही (ये दावा या इन्कार) सराहत से न हो। **(तब्रानी फ़िस्सग़ीर)**

बच्चे का दावा करना

2745. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स किसी आज़ाद या लौण्डी से ज़िना कर ले और फिर उससे बच्चा पैदा हो तो वो मर्द उस बच्चे का वारिस न होगा। क्योंकि वो वलदुज़्ज़िना है न बच्चा उस शख़्स का वारिस होगा। **(तिर्मिज़ी-2113)**

2746. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो बच्चा उसके बाप के मरने के बाद उसकी तरफ़ निस्बत किया जाये मस्लन मय्यित के वरसा कहें (कि ये बच्चा हमारे मूरिस का है) तो उसका फ़ैसला ये है कि अगर ये बच्चा ऐसी बांदी के पेट से है कि जिस रोज़ से मालिक ने उससे सुहबत की थी उस रोज़ से वो उसकी मिल्कियत में थी तो ऐसा बच्चा अल्बत्ता अपने वालिद से लाहक़ होकर मीरासे इस्लामी का मस्तहिक़ होगा। रही वो मीरास जो ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में लोगों ने तक़्सीम कर ली है उसमें उसका कोई हक़ नहीं रहेगा। हाँ! अगर वो मीरास भी अभी तक बाक़ी हो और तक़्सीम न की गई हो तो उस सूरत में उसमें भी हिस्सेदार होगा। और अगर बाप ने उस सूरत में उसका इंकार किया हो (कि ये मेरा बच्चा नहीं है) तो उस वक़्त वारिसों के दावे से कुछ नहीं होगा और अगर वो बच्चा ऐसी बांदी से है कि उसकी मिल्क में न थी या किसी आज़ाद औरत का हो जिसने ऐसे शख़्स से ज़िना किया था तो उसका नसब भी उस मय्यित से हर्गिज़ साबित न होगा। न वो बच्चा उस मर्द का वारिस होगा ख़्वाह उस मर्द ने भी अपनी ज़िंदगी में ये दावा किया हो कि बच्चा मेरा है तब भी वो वलदुज़्ज़िना ही होगा और औरत के रिश्तेदारों में रहेगा चाहे वो औरत बांदी हो या आज़ाद हो। **(अबू दाऊद-2265)**

हक़्क़े विलाअ के बेचने और हिबा करने की मुमानिअत का बयान

2747. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलल्लाह (ﷺ) ने विलाअ की फ़रोख़्त करने और हिबा करने से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-2535, मुस्लिम-1506)**

2748. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने विला के फ़रोख़्त करने या हिबा करने से मना फ़र्माया है। **(तिर्मिज़ी-1236)**

तर्कों का बाँटना

2749. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मीरास जाहिलिय्यत के ज़माने में तक़्सीम हो चुकी वो उसी हालत में रहेगी और जो मीरास अब तक तक़्सीम न हुई है बल्कि वैसे ही बाक़ी है तो वो इस्लामी कायदों के मुवाफ़िक तक़्सीम की जायेगी। **(इब्ने अदी)**

जब बच्चा पैदा होकर आवाज़ करे तो उसकी मीरास तक़्सीम की जायेगी जो उसके वारिस लेंगे

2750. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब बच्चा पैदा होकर आवाज़ दे (फिर मर जाये) तो उसकी विरासत तक़्सीम होगी और उसकी जनाज़ की नमाज़ पढ़ी जायेगी।

(तिर्मिज़ी-1032)

2751. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) और **मिस्वर बिन मख़रमा (रज़ि.)** कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बच्चा वारिस नहीं होगा यहाँ तक कि आवाज़ के साथ चीखें। रावी कहते हैं, आवाज़ निकालने से मुराद यह है कि वो रोये या चीखे या छींक मारे। **(तब्रानी फ़िल्औसत-4596)**

एक शख़्स दूसरे के हाथ पर मुसलमान हो, उसकी कैफ़ियत

2752. हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई अहले किताब (यहूदी या ईसाई) किसी मुसलमान के हाथ पर ईमान लाया हो तो उसका क्या हुक्म है? आपने फ़र्माया, ये मुसलमान उसकी मौत और हयात में उसका ज़्यादा मुस्तहिक़ होगा। **(अबू दाऊद-2918)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल-जिहाद

जिहाद के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

2753. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाकर सवाब की निय्यत से जिहाद के लिये जायेगा वो अल्लाह की ज़मानत में है, यानी अल्लाह तआला उसके जन्नत में दाख़िले का या घर को वापस आने पर माले ग़नीमत का ज़ामिन (ज़मानतदार) है। उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, अगर जिहाद में मेरा जाना मुसलमानों को नागवार न मालूम होता तो मैं हर छोटे- बड़े लश्कर के साथ जिहाद के लिये हमेशा जाता लेकिन मेरे जाने पर सब लोग जाने के लिये तैयार होते हैं और मुझमें इतनी ताक़त नहीं कि सबके लिये सवारियाँ मुहय्या करूँ। न सब लोगों में इतनी गुंजाइश है कि हर मर्तबा वो मेरे साथ जायें। अगर मैं उनको अपने साथ न ले जाऊँ तो उनको नाखुशी हासिल होगी (इसलिए मजबूर हूँ)। उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मुहम्म(ﷺ) की जान है। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करूँ और मारा जाऊँ, फिर जिहाद करूँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर जिहाद करूँ और फिर शहीद हो जाऊँ। **(बुख़ारी-36, मुस्लिम-1876)**

2754. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करता हो, उसका ज़ामिन अल्लाह तआला है। या तो उसको (शहादत की मौत देकर) अपनी मग़्फ़िरत और रहमत में ले लेगा या उसको घर की तरफ़ सवाब और माले ग़नीमत के साथ वापस लौटा देगा और अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद करने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे दिन को रोज़ा रखने वाला और पूरी रात (नमाज़ में) खड़ा होने वाला, जो बिल्कुल न थके। लिहाज़ा मुजाहिद को वापस होने तक उतना ही सवाब मिलता रहेगा। **(मुस्लिम-1878)**

अल्लाह के रास्ते में सुबह व शाम सफ़र करने का बयान

2755. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (जिहाद) फ़ी सबीलिल्लाह के लिये सुबह व शाम सफ़र करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उनसे बेहतर है। **(तिर्मिज़ी-1649)**

2756. हज़रत सहल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, (जिहाद) फ़ी

सबीलिल्लाह में सुबह व शाम सफ़र करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उनसे बेहतर है।

(बुख़ारी-2794, मुस्लिम-1881)

2757. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में सुबह व शाम सफ़र करना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उनसे बेहतर है। **(बुख़ारी-2792, मुस्लिम-1880)**

मुजाहिद को सामाने जिहाद मुहैया कराना

2758. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुजाहिद को (नफ़्ली) जिहाद में जाने के लिये इतना सामान मुहैया कर दे कि उसे (जिहाद के सिलसिले में) किसी चीज़ की (मज़ीद) ज़रूरत न रही, तो उसको उतना ही सवाब मिलेगा, जितना मुजाहिद को शहादत या वापसी तक मिलेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2759. हज़रत ज़ैद इब्ने ख़ालिद जुह्नी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुजाहिद के लिये सामान मुहैया कर देगा तो उसको मुजाहिद के बराबर सवाब मिलेगा और मुजाहिद का सवाब कम न होगा।

(तिर्मिज़ी-1630)

अल्लाह की राह में ख़र्च करने की फ़ज़ीलत

2760. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतर दीनार वो दीनार है जो आदमी अपने अहलो-अयाल (घरवालों) पर ख़र्च करे या (जिहाद के) घोड़े पर ख़र्च करे या अपने मुजाहिदीन साथियों पर ख़र्च करे।

(मुस्लिम-994)

2761. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.), हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.), हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.), हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) और **इमरान बिन हुसैन (रज़ि.)** ये सब हज़रात बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह के रास्ते में (यानी मुजाहिदीन के लिये) ख़र्च भेजता है और ये ख़ुद अपने घर बैठा रहता है, तो उसको हर दिरहम के बदले में सात सौ दिरहम का सवाब मिलेगा और जो शख़्स ख़ुद अल्लाह की राह में जिहाद करता है और जिहाद करने वालों पर ख़र्च भी करता है, तो एक दिरहम के बदले में उसको सात लाख दिरहम का सवाब मिलेगा। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, (तर्जुमा) **और अल्लाह तआला जिसके लिये चाहता है, सवाब दुगुना कर देता है.** (सूरह बक़रह : 261)।

जिहाद छोड़ने की बुराई

2762. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स न ख़ुद जिहाद करे, न मुजाहिद के लिये सामान की तैयारी करे, न उसके पीछे उम्दा तौर पर उसकी निगहबानी करे। तो अल्लाह तआला उसको क़यामत से पहले ही किसी आफ़त मे मुब्तला कर देगा। **(अबू दाऊद-2503)**

2763. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला से इस हाल में मिलेगा कि उसका अल्लाह की राह (जिहाद) में कोई हिस्सा नहीं, तो वो अल्लाह तआला से ऐबदार होकर मिलेगा।

(तिर्मिज़ी-1666)

जो शख़्स उ़ज़्र की वजह से जिहाद में शरीक न हो सके

2764. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जब आँहज़रत (ﷺ) तबूक के जिहाद से वापस मदीना पहुँचे तो आपने फ़र्माया, मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिस रास्ते से तुम चले और जिस घाटी या जंगल में से तुम गुज़रे वो भी तुम्हारे साथ थे। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मदीना में रहकर वो हमारे साथ थे (ये कैसे हो सकता है)? आपने फ़र्माया, ये (इसलिए कि वो लोग उ़ज़्र की वजह से जिहाद को न जा सके थे) उ़ज़्र ने उनको रोक लिया।

(बुख़ारी-2838, 2839)

2765. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना में कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुम्हारे साथ सवाब में शरीक थे। जब तुम किसी वादी में गुज़रे या किसी राह पर चले वो उ़ज़्र की वजह से रुक गये थे। हज़रत इब्ने माजा कहते हैं, अहमद इब्ने सिनान ने मुझसे बयान किया तो मैंने लिख लिया था। **(मुस्लिम-1911)**

जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में मोर्चाबन्दी करने की फ़ज़ीलत

2766. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) ने ख़ुत्बा कहते हुए फ़र्माया कि (मैं तुमको एक हदीस सुनाता हूँ) जो मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुनी थी जो तुमसे सिर्फ़ इसलिये बयान नहीं की थी कि मैं तुम्हें अपने साथ रखने का ख़्वाहिशमंद था। अब हर शख़्स को इख़्तियार है, चाहे इस पर अ़मल करे या न करे। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते थे कि जो शख़्स एक रात महाज़ पर मोर्चाबन्दी में रहता है, तो अल्लाह तआ़ला उसको एक हज़ार रात के क़याम (नमाज़) और रोज़ों का सवाब देता है। **(हाकिम)**

2767. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स एक रात फ़ी सबीलिल्लाह महाज़ में रहकर मर गया तो उसने जो नेक अ़मल दुनिया में किया है उसका हमेशा उसको सवाब मिलता रहेगा और जन्नत में उसका रिज़्क़ मुक़र्रर कर दिया जायेगा, क़ब्र के फ़ित्ने से महफ़ूज़ रहेगा और क़यामत के रोज़ हर तरह के डर और घबराहट से महफ़ूज़ रहेगा। **(मुस्लिम-1911)**

2768. हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान के अ़लावा किसी और महीने में मुसलमानों की सरहद पर, ख़तरे की जगह पर, सवाब की निय्यत से अल्लाह की राह में ठहरना, अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सौ साल की इ़बादत रोज़ा-नमाज़ से अच्छी है और रमज़ान के महीने में एक दिन सवाब की निय्यत से मोर्चाबन्दी में रहना, अल्लाह तआ़ला के नज़दीक हज़ार बरस के रोज़े और नमाज़ से ज़्यादा सवाब वाला और अफ़ज़ल है। पस अगर अल्लाह तआ़ला उसको ज़िन्दा वापस कर दे तो हज़ार बरस तक उसकी बुराईयाँ न लिखी जायेंगी बल्कि नेकियाँ तहरीर होंगी और उसे क़यामत तक सरहद पर रहने का सवाब मिलता रहेगा।

अल्लाह की राह में पहरेदारी और तक्बीर की फ़ज़ीलत

2769. हज़रत उ़क़्बा इब्ने आ़मिर जुह्नी (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला मुहाफ़िज़ों (मुसलमानों की दिफ़ाअ़ करने वाले मुजाहिदीन) का पहरा देने वाले पर रहम फ़र्माये। **(दारमी)**

2770. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला की राह में एक रात पहरा देना घर में एक हज़ार साल तक रोज़े रखने और क़याम करने से अफ़ज़ल है। जबकि हर साल तीन सौ साठ

दिन का हो और हर दिन हज़ार साल के बराबर हो।

2771. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स से रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुझे हर बुलन्दी पर तक्बीर कहने की और अल्लाह से डरते रहने की वसिय्यत करता हूँ। **(तिर्मिज़ी-3445)**

जब कूच का हुक्म हो उस वक़्त निकलना चाहिये

2772. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) आँहज़रत (ﷺ) का ज़िक्र आया तो (उन्होंने) यानी हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत थे और सबसे ज़्यादा सख़ी थे और सबसे ज़्यादा बहादुर (एक रात का वाक़िया है कि) मदीना वालों को (दुश्मन के हमले का) डर महसूस हुआ। चुनाँचे वो उस आवाज़ की तहक़ीक़ के लिये गये, रास्ते में देखा तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) वापस तशरीफ़ ला रहे थे क्योंकि आप सबसे पहले उस आवाज़ की तहक़ीक़ में तशरीफ ले गये थे। उस वक़्त आप (ﷺ) हज़रत तलहा (रज़ि.) के घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे, जिस पर ज़ीन वग़ैरह कुछ न था और आपके गले में तलवार लटक रही थी। आपने फ़र्माया, लोगों! वापस चले जाओ, कोई डर की बात नहीं है। अल्ग़र्ज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) लोगों को वापस कर रहे थे, फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने घोड़े के बारे में फ़र्माया, ये घोड़ा तो दरिया है (बहुत तेज़ चलने वाला है)। हदीस के रावी हम्माद कहते हैं, मुझसे साबित ने या किसी दूसरे शख़्स ने बयान किया कि वो घोड़ा अबू तलहा (रज़ि.) का था जो चलने में बड़ा सस्त रफ़्तार था। उस दिन के बाद कोई घोड़ा उससे आगे नहीं गुज़र सका। **(बुख़ारी-2820, मुस्लिम-2307)**

2773. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुमसे जिहाद में चलने को कहा जाये तो फ़ौरन निकलो उसमें सुस्ती न करो। **(तब्रानी-10844)**

2774. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी शख़्स के पेट में जिहाद का गुबार और दोज़ख़ का धुआँ दोनों जमा नहीं होंगे (यानी जो जिहाद में गुबार आलूदा रहा होगा वो ज़रूर दोज़ख़ से महफ़ूज़ रहेगा)। **(तिर्मिज़ी-1633)**

2775. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स (जिहाद) फ़ी सबीलिल्लाह में ज़रा भी चला होगा तो उस रास्ते में जितना गुबार उस पर पड़ा होगा। क़यामत के दिन उस पर उतनी ही मुश्क डाली जायेगी।

दरिया के जिहाद की फ़ज़ीलत

2776. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि उनकी ख़ाला उम्मे हराम बिन्ते मलहान (रज़ि.) कहती हैं कि एक दिन हुज़ूर (ﷺ) मेरे यहाँ सोये। जब आप बेदार हुए तो मुस्कुराते हुए उठे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप मुस्कुराते हुए क्यूँ उठे? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझको (ख़्वाब) में ये दिखाया गया है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग (जिहाद के लिये दरिया के सफ़र में) सवार हो रहे हैं जिस तरह बादशाह तख़्तों पर सवार होता है। उम्मे हराम ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप दुआ कीजिये कि अल्लाह तआला मुझको भी उन लोगों में दाख़िल करे। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके लिये दुआ फ़र्माई और फिर दोबारा सो गये। आप (ﷺ) फिर बेदार हुए तो मुस्कुराते हुए उठे। उम्मे हराम ने फिर आपसे हंसने की वजह पूछी। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फिर वही फ़र्माया। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे लिये दुआ फ़र्माइये कि मैं भी उन लोगों में दाख़िल हो जाऊँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम पहले लोगों में

से हो चुकीं। अल्ग़र्ज़ हज़रत मुआविया (रज़ि.) इब्ने अबी सुफ़ियान के साथ जब बहरी जिहाद में लोग जाने लगे तो ये भी अपने शौहर उबादा बिन सामित (रज़ि.) के साथ रवाना हुईं। जब मुसलमान जिहाद से वापस हुए तो शाम में उतरे वहाँ उम्मे हराम की सवारी के लिये एक जानवर लाया गया (चूँकि वो शरीर था) उसने उनको अपनी पीठ पर से गिरा दिया और उनका इंतिक़ाल हो गया। **(बुख़ारी-2799, मुस्लिम-1912)**

2777. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दरिया का एक जिहाद ख़ुश्की के दस जिहादों के बराबर है और दरिया में किसी के सर का घूमना ऐसा है जिस तरह वो अपने ख़ून में तड़प रहा हो।

2778. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दरिया के जिहाद का एक शहीद ख़ुश्की के दो शहीदों के बराबर है, उसमें वो शख़्स जिसका सर घूम रहा हो ख़ून में तड़पने वाले की तरह है और एक मौज से दूसरी मौज तक जाने वाला ऐसा है जैसा अल्लाह की राह में दुनिया का सफ़र करने वाला। अल्लाह तआला ने हज़रत इज़्राईल को जानों के क़ब्ज़ करने पर मुतअय्यन किया है। मगर जो शख़्स दरिया में शहीद हुआ हो उसकी जान अल्लाह तआला ख़ुद अपने दस्ते क़ुदरत से निकालता है। ख़ुश्की के शहीद के क़र्ज़ के अलावा तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन दरिया के शहीद के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और क़र्ज़ भी माफ़ हो जाता है। **(तब्रानी-7716)**

मुक़ामे दैलम और कज़्वीन का बयान

2779. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर दुनिया (सब गुज़र जाये और उसकी उम्र) का एक दिन बाक़ी रह जाये तब भी अल्लाह तआला उसको लम्बा कर देगा। यहाँ तक कि मेरे घरवालों (अहले बैत) में से एक आदमी (इमाम महदी) बादशाह बनेगा और वो दैलम के पहाड़ और क़ुस्तुन्तुनिया पर क़ब्ज़ा करेगा।

2780. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि .) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, वो ज़माना भी क़रीब है कि जब तुम बहुत से शहर फ़तह करोगे। उनमें से एक शहर का नाम कज़्वीन है। जो शख़्स चालीस रात या चालीस दिन तक वहाँ मोर्चाबन्दी किये रहा तो क़यामत के दिन जन्नत में उसको एक सतून सोने का मिलेगा। जिस पर सब्ज़ ज़मरद जड़ा होगा औ उस पर सुर्ख़ याक़ूत का एक ख़ेमा होगा। जिसमें सत्तर हज़ार सोने के दरवाज़े लगे होंगे और हर दरवाज़े पर ख़ूबसूरत आँखों वाली हूरों में से उस (जन्नती) की एक बीवी मौजूद होगी। **(मुस्नद अहमद)**

माँ-बाप के ज़िन्दा होते हुए जिहाद करना

2781. हज़रत मुआविया इब्ने जाहिमा सुलमी (रज़ि.) का बयान है कि मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं हुज़ूर (ﷺ) के साथ जिहाद करना चाहता हूँ ताकि उससे अल्लाह की रज़ामन्दी और आख़िरत की बेहतरी हासिल हो। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़सोस! क्या तेरी माँ ज़िन्दा है? मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! जी ज़िन्दा हैं। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तू वापस चला जा और अपनी माँ की ख़िदमत कर। मैं फिर दूसरी तरफ़ से आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर (ﷺ) के साथ जिहाद करके अल्लाह की रज़ामन्दी और आख़िरत का सवाब हासिल करूँ। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़सोस! क्या तेरी माँ ज़िन्दा है ? मैंने अर्ज़ किया, जी ज़िन्दा है । आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ! वापस जाओ! और उनकी ख़िदमत करो। मैं फिर हुज़ूर (ﷺ) के सामने आकर खड़ा हुआ और आपसे अर्ज़ किया, या

रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जिहाद करूँ ताकि अल्लाह तआला की रज़ामन्दी और आख़िरत का सवाब मुझको हासिल हो। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़सोस! क्या तेरी माँ ज़िन्दा है? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! ज़िन्दा हैं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कि बस तू उसके क़दमों में पड़ा रह, तेरी जन्नत वहीं है। **(मुस्नद अहमद)**

हज़रत मुआविया इब्ने जाहिमा सुलमी (रज़ि.) का बयान है कि उनके वालिद हज़रत जाहिमा (रज़ि.) ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर (ऊपर बयान किये हालत) अर्ज़ की थी। अब्दुल्लाह इब्ने माजह (रह.) का बयान है कि जाहिमा (रज़ि.) उन्हीं अब्बास इब्ने मिरदास सुलमी (रज़ि.) के बेटे हैं, जिन्होंने आँहज़रत (ﷺ) पर हुनैन के मौक़े पर हुज़ूर (ﷺ) से शिकवा किया था।

2782. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स रसूले मक़बूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह! मैं चाहता हूँ कि आपके साथ जिहाद करूँ ताकि उससे अल्लाह की रज़ामन्दी और अज्र मिले। जिस वक़्त मैं इस इरादे से निकल कर आया हूँ तो मेरे वालदेन (मेरे लिये) रो रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा! तो तुम वापस जाओ। जिस तरह तुमने उनको रुलाया है उसी तरह उनको हंसाओ। **(अबू दाऊद-2528)**

लड़ाई की निय्यत का बयान

2783. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़दस (ﷺ) से पूछा गया कि एक शख़्स बहादुरी के इज़्हार के लिये लड़ता है और एक शख़्स क़बीले की हिमायत में लड़ता है और एक शख़्स वो है जो दिखावे के लिये लड़ता है। (क्या उन्हें भी फ़ी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाले शुमार किये जा सकते है?) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इसलिए लड़े कि अल्लाह तआला का कलिमा बुलंद हो, बस वही शख़्स मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह होगा।

(बुख़ारी-7458, मुस्लिम-1904)

2784. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने उक़्बा (रज़ि.) का बयान है (आप अहले फ़ारस के आज़ादशुदा गुलाम हैं), मैं जंगे उहुद में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ था। मैंने एक मुश्रिक पर वार करते हुए कहा कि ये ले मेरी ज़र्ब ! मैं फ़ारसी गुलाम हूँ। हुज़ूर (ﷺ) को जब ये ख़बर पहुँची तो आपने फ़र्माया कि तुमने ये क्यूँ नहीं कहा कि मैं अंसारी गुलाम हूँ।

(अबू दाऊद-5123)

2785. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले करीम (ﷺ) को ये फ़र्माते हुए सुना जो लश्कर का छोटा हिस्सा जिहाद करके ग़नीमत भी हासिल करे तो उसको सवाब के तीन हिस्सों में से दो हिस्से दुनिया ही में मिल जायेंगे और एक हिस्सा आख़िरत में और जिसको ग़नीमत हासिल नहीं हुई तो उसको पूरा सवाब आख़िरत में मिलेगा।

(मुस्लिम-1906)

अल्लाह की राह में घोड़े पालने का सवाब

2786. हज़रत उर्वा बारिक़ी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़ों की पेशानियों में क़यामत तक ख़ैरो बरकत बन्द रहेगी।

2787. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़े की पेशानी में क़यामत तक के लिये ख़ैर बंधी हुई है। **(मुस्लिम-1871)**

2788. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़ों की पेशानी में ख़ैर है या फ़र्माया, घोड़ो की पेशानी में ख़ैर बंधी है। हदीस के रावी सुहैल (रह.) कहते हैं कि उसमें मुझे शक है कि क़यामत तक के लिये कहा या नहीं। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़ा तीन तरह के हैं। कुछ के लिये सवाब का ज़रिया है, कुछ के लिये माफ़ी और कुछ के लिये अ़ज़ाब की वजह है। जिनके लिये सवाब की वजह हैं, ये वो शख़्स है जो उनको जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये पालता है और जिहाद के लिये तैयार करता है। लिहाज़ा ये शख़्स जो कुछ उनको खिलायेगा वो उसके लिये सवाब है और जो कुछ उनके पेट में जायेगा उसके लिये सवाब लिखा जायेगा। जिस चरागाह में उनको चरायेगा तो जितना वो चरेंगे उसके लिये सवाब लिखा जायेगा और जिस नहर से उनको पानी पिलायेगा उसके हर कतरे के बदले में उसको सवाब अ़ता किया जायेगा और अगर एक या दो मील तक दौड़े तो हर क़दम पर एक अज्र लिखा जायेगा और जिसके लिये माफ़ी का सबब है, ये वो शख़्स है जो इ़ज़्ज़त और ज़ीनत के लिये घोड़े पाले लेकिन उनकी सवारी का हक़ फ़रामोश न करे न उनके पेट का हक फ़रामोश करे चाहे सख़्ती हो या आसानी हो। और जिसके लिये अ़ज़ाब का सबब है, ये वो शख़्स है कि नुमाइश और लोगों को दिखलाने के लिये पाले और फ़ख्र रखे लिहाज़ा ऐसे शख़्स के लिये घोड़े अ़ज़ाब का सबब होंगे। **(मुस्लिम-987)**

2789. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, घोड़ों में वो घोड़ा मुबारक होता है जिसका रंग मुश्की हो। पेशानी और हाथ पैर उसके सफ़ेद हों। ऊपर के लब पर भी सफ़ेदी हो और नाक पर भी और दाहिना अगला पैर बाक़ी जिस्म की तरह हो और अगर मुश्की न हो तो कमीत होना चाहिए लेकिन उसमें भी यही सिफ़ात हों। **(तिर्मिज़ी-1654, 1657)**

2790. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) घोड़ों में शिकाल घोड़े को बुरा ख़्याल फ़र्माया करते (शिकाल वो घोड़ा होता है कि जिसके तीन पैर सफ़ेद हों और एक बाक़ी जिस्म की तरह हो।) **(मुस्लिम-1875)**

2791. हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिये घोड़ा पालकर उसको चारा और दाना ख़ुद खिलाया तो हर दाने के बदले उसको एक नेकी मिलेगी। **(मुस्नद अहमद)**

जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का सवाब

2792. हज़रत मुआज बिन जबल (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मोमिन होकर अल्लाह की राह में जिहाद में उतनी देर लड़ा जितनी देर में ऊँटनी का दूध दूहा जाता है तो उसके लिये जन्नत लाज़िम हो जाती है। **(तिर्मिज़ी-1654,1657)**

2793. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैं एक जंग में था। मैंने अ़ब्दुल्लाह बिन रवाहा को ये कहते सुना कि ऐ नफ़्स! मैं देखता हूँ कि तू जन्नत में जाना पसंद नहीं करता लेकिन तुझको जन्नत में जाना ज़रूर होगा। ख़्वाह ख़ुशी के साथ जाये या बग़ैर ख़ुशी के। **(इब्ने सअ़द फ़ित्तब्क़ात)**

2794. हज़रत अ़म्र बिन अ़ब्सा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं रसूले अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा जिहाद अफ़ज़ल है? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस आदमी का ख़ून भी बहे और घोड़ा भी ज़ख़्मी हो। **(अबू दाऊद-1449)**

2795. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह की राह में ज़ख़्मी

होता है और यह बात अल्लाह ही जानता है कि उसकी राह में कौन ज़ख़्मी होता है, तो वो शख़्स जब क़यामत के दिन उठाया जायेगा। उसके ज़ख़्म ऐसे ही ताज़ा होंगे जैसे ज़ख़्मी होने के दिन थे और उनकी रंगत बिल्कुल ख़ून की होगी और उनकी ख़ुश्बू मुश्क की सी होगी। **(मुस्नद अहमद)**

2796. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) का बयान है, जब काफ़िरों के लश्कर के लिये रसूले मक़्बूल (ﷺ) बद दुआ फ़र्माते तो इस तरह फ़र्माते, **अल्लाहुम्म मुन्ज़िलल किताबि, सरीअल हिसाबि इह्ज़िमिल अह्ज़ाब अल्लाहुम्म इह्ज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम.** (ऐ अल्लाह! किताब के नाज़िल करने वाले, ऐ जल्दी हिसाब लेने वाले! इन लश्कर को शिकस्त दे। ऐ अल्लाह! इनके क़दम हिला दे, इनको शिकस्त दे)।

(बुख़ारी-2933, 6392, मुस्लिम-1742)

2797. हज़रत कहल इब्ने अबी उमामा (रज़ि.) का बयान है कि उनके दादा की हदीस है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स सच्चे दिल से शहादत का तालिब होगा तो अगर वो अपने बिस्तर पर भी मरेगा तो अल्लाह तआला उसको शहीदों का दर्जा इनायत फ़र्मायेगा। **(मुस्लिम-1909)**

अल्लाह की राह में शहीद होने की फ़ज़ीलत

2798. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ आँहज़रत (ﷺ) के सामने कुछ शहीदों का ज़िक्र आया तो आपने फ़र्माया, शहीदों का ख़ून ज़मीन ख़ुश्क करने नहीं पाती है कि उसकी दो बीवियाँ आकर उसको इस तरह उठाती है गोया वो दोनों बच्चों की दाईयाँ हैं जिन्होंने अपने दूध पीते बच्चे को जंगल में गुम कर दिया हो। उनके हाथ में एक ऐसा कपड़े का जोड़ा होता है जो तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उससे बेहतर होता है। **(मुस्नद अहमद)**

2799. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी कर्ब (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के पास शहीदों को छः बातें मिलती हैं। पहली तो ये कि ख़ून बहते ही उसकी मग़्फ़िरत कर दी जाती है और अपना जन्नती मुक़ाम देख लेता है। दूसरी ये कि अज़ाबे क़ब्र से महफ़ूज़ रहता है। तीसरी ये कि क़यामत की घबराहट और डर से महफ़ूज़ हो जाता है। चौथी यह है कि उसको ईमान का जोड़ा पहनाया जाता है। पाँचवी यह कि बड़ी-बड़ी आँखों वाली औरतों से उसका निकाह किया जायेगा। छठी यह कि उसके अज़ीज़ों में सत्तर आदमी उसकी शफ़ाअत से बख़्शे जाएँगे।

(तिर्मिज़ी-3010)

2800. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि जब उहुद की जंग में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन हराम (रज़ि.) शहीद हुए तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जाबिर मैं तुझको बतलाऊँ जो अल्लाह तआला ने तुम्हारे बाप अब्दुल्लाह (रज़ि.) से बातें की हैं। मैंने अर्ज किया, जी या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़र्माईये। आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने आज तक सबसे पर्दे मे बातें कीं है लेकिन तेरे बाप से बेपर्दा होकर कलाम फ़र्माया और इर्शाद हुआ बन्दे मुझसे कुछ फ़र्माइश कर, जो मैं तुझको अता करूँ। तेरे वालिद ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब! तू मुझको फिर ज़िन्दा कर दे ताकि मैं तेरी राह में फिर लड़कर मारा जाऊँ। अल्लाह तआला ने फ़र्माया कि ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि उनकी दोबारा दुनिया में वापसी न होगी। तब तेरे वालिद ने अर्ज़ किया कि अच्छा! ऐ मेरे रब! जो लोग मुझ से दुनिया में अलग होकर रह गये हैं, उनको मेरी हालत की ख़बर पहुँचा दे। तब अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, (तर्जुमा) **जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल (शहीद) कर दिये जाएँ, उन्हें मुर्दा न समझो।** (सूरह आले इमरान-169) **(तिर्मिज़ी-3010)**

2801. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) इस आयत, (तर्जुमा) **जो लोग अल्लाह की राह में क़त्ल**

(शहीद) कर दिये जाएँ, उन्हें मुर्दा न समझो। (सूरह आले इमरान- 169) की तफ़्सीर में फ़र्माते हैं कि हमने इसका मतलब आँहज़रत (ﷺ) से पूछा तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि शहीदों की रूहें सब्ज़ चिड़ियों के पोटों में जन्नत के अन्दर जहाँ चाहती हैं, चरती-फिरती हैं। उसके बाद उन क़िन्दीलों में आराम करती हैं जो अर्श से लटके हुए हैं। एक बार रूहें उसी हालत में थीं कि अल्लाह तआला ने उनकी तरफ़ देखकर फ़र्माया, जो तुम्हारी ख़्वाहिश हो मुझसे तलब करो। उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह ! अब हम तुझसे क्या मांगे। क्योंकि हम जन्नत में जहाँ चाहते हैं फिरते हैं लेकिन फिर उनको ये मालूम होगा कि बग़ैर तलब किये हम न छोड़े जायेंगे तो अर्ज़ करेंगे कि ऐ अल्लाह! हमारी रूहों को फिर हमारे जिस्मों में वापस भेज दे ताकि हम फिर तेरे रास्ते में शहीद होकर मारे जायें (चूँकि ये उनकी ख़्वाहिश अल्लाह के वादे के मुताबिक़ पूरी नहीं हो सकती) इसलिये उनको उसी हालत में छोड़ दिया जायेगा। **(मुस्लिम-1887)**

2802. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, शहीद को सिर्फ़ क़त्ल होने का इतना सदमा होता है, जितना तुमसे किसी को चींटी के काटने का सदमा होता है। **(तिर्मिज़ी-1668)**

कौन-कौन सी मौत से शहादत का दर्जा मिलने की उम्मीद है

2803. हज़रत जाबिर बिन अतीक (रज़ि.) से रिवायत है कि वो बीमार हुए। उनकी अयादत के लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये। घरवालों में से किसी ने कहा कि हमें तो ये ख़्याल था कि ये शहीद होकर मरेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के शहीद बहुत हैं, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह में क़त्ल होना शहादत है, ताऊन से मरना शहादत है, औरतों का ज़चगी में मरना शहादत है, जो पानी में डूबकर मरे वो भी शहीद है, जो आग में जलकर मरे वो भी शहीद है जो पसली के मर्ज़ से मरे वो भी शहीद है। **(अबू दाऊद-3111, हाकिम)**

2804. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग शहीद किसको समझते हो? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो अल्लाह की राह में क़त्ल हो वो शहीद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि इस ऐतबार से शहीद मेरी उम्मत में बहुत कम हो जायेंगे। जो शख़्स फ़ी सबीलिल्लाह में क़त्ल हो वो शहीद है, जो अल्लाह की राह में मरे वो शहीद है और जो पेट के बीमारी से मरे वो शहीद है, और जो ताऊन से मरे वो शहीद है। हज़रत सुहैल (रह.) कहते हैं, जब मुझसे उबैदुल्लाह बिन मुक़ैसम ने ये हदीस बयान की तो उसमें इतना ज़्यादा बयान किया कि जो शख़्स पानी में डूबकर मरे वो भी शहीद है। **(मुस्लिम-1915)**

हथियार बाँधने का बयान

2805. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, फ़त्हे मक्का के रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) जब मक्का में तशरीफ़ ले गये तो उस वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सर पर खूद था। **(बुख़ारी-1846, 3044, मुस्लिम-1357)**

2806. हज़रत साइब इब्ने यजीद (रज़ि.) का बयान है, जंगे उहुद के रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने दो ज़िरहें ऊपर नीचे पहनीं। **(अबू दाऊद-2590)**

2807. हज़रत सुलेमान इब्ने हबीब (रह.) का बयान है कि उन्होंने कहा, हम लोग अबू उमामा (रज़ि.) की ख़िदमत में गये। उन्होंने हमारी तलवारों पर सोने-चाँदी का काम देखकर नाराज़गी ज़ाहिर की और फ़र्माने लगे कि तुम से पहले लोगों को बड़ी-बड़ी फ़ुतूहात हासिल हुईं, उनकी तलवारों पर न सोने का काम था, न चाँदी का बल्कि रांग और लोहा और ऊँट का छड़ा होता था। **(बुख़ारी-2590)**

2808. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, बद्र के रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपनी तलवार जुल्फ़िक़ार को माले ग़नीमत में से लिया था। **(तिर्मिज़ी-1561)**

2809. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, हज़रत मुग़ीरह बिन शुअबा (रज़ि.) जब नबी करीम (ﷺ) के साथ जिहाद में तशरीफ़ ले जाते तो अपने साथ नेज़ा भी उठाकर ले जाते। जब वापस होते तो नेज़ा वहीं फेंक देते, इस ख़्याल से कि कोई उठाकर ले आयेगा। हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) को बताऊँगा। नबी (ﷺ) ने (हज़रत मुग़ीरह रज़ि.) से फ़र्माया, ऐसा न किया करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो वाक़ई में गुमशुदा चीज़ भी कोई नहीं उठायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

2810. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ आँहज़रत (ﷺ) के मुबारक हाथ में अरबी कमान थी। आपने एक शख़्स के हाथ में फ़ारसी कमान देखकर फ़र्माया, इसको फेंक दे और दूसरी कमान रख और नेज़ा भी रख क्योंकि अल्लाह तआला इस कमान और नेज़े के ज़रिये से तुम्हारे दीन की मदद करेगा और तुम इनके ज़रिये से मुल्क फ़तह करोगे।

अल्लाह तआला के रास्ते में मदद करने की कैफ़ियत

2811. हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुह्नी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, एक तीर के ज़रिये से अल्लाह तआला जन्नत में तीन शख़्सों को दाख़िल फ़र्मायेगा। एक तो उस शख़्स को जो सवाब समझकर उसको अल्लाह के लिये बनाये। दूसरा वो शख़्स जो उसको चलाये और तीसरा जो उसको उठाकर दे और मदद करे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तीर चलाओ, तीर मारना (सीखो) लेकिन मेरे नज़दीक नेज़ा मारने से तीर चलाना बेहतर है। मुसलमानों के तमाम खेल अलावा तीर अंदाजी (और नेज़ाबाजी) के बेहूदा और लग़्व हैं। इसी तरह घोड़े की तअलीम और अपनी बीवी से खेलना सहीह है (बाक़ी तमाम उमूर बेहूदा हैं)। **(तिर्मिज़ी-1637)**

2812. हज़रत अम्र बिन अब्सा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुश्मन की तरफ़ तीर चलाये तो उसको एक ग़ुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। बशर्ते कि तीर दुश्मन की तरफ़ पहुँचाये चाहे उसको लगे या न लगे। **(बैहक़ी)**

2813. हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुह्नी (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को मिम्बर पर ये फ़र्माते सुना कि जहाँ तक हो सके दुश्मन (से मुक़ाबले) के लिये क़ुव्वत पैदा करो और क़ुव्वत पैदा करने के ये मअनी हैं कि तीरअंदाजी सीखा करो। ये इर्शाद आँहज़रत (ﷺ) का तीन मर्तबा हुआ (यानी काफ़िरों के मुक़ाबले के लिये हमेशा अपनी ताक़त को बढ़ाते रहो और जंग के लिये मुस्तैद रहो चाहे जंग हो या न हो)। **(मुस्लिम-1913)**

2814. हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुह्नी (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तीर अंदाजी सीखकर फिर उसको छोड़ देगा गोया उसने मेरी नाफ़र्मानी की। **(मुस्लिम-1919)**

2815. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले अक़्दस (ﷺ) का कुछ तीरअंदाजों के पास से गुज़र हुआ जो तीरअंदाजी कर रहे थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, औलादे इस्माईल! तुम तीरअंदाजी किया करो। क्योंकि तुम्हारे बाप भी तीरअंदाज़ थे। **(मुस्नद अहमद)**

झण्डों का बयान

2816. हज़रत हारिस बिन हस्सान (रज़ि.) का बयान है कि जब मैं मदीना आया तो हुज़ूर (ﷺ) को मिम्बर पर तशरीफ़ फ़र्मा देखा और बिलाल आपके सामने खड़े हुए थे उनके गले में तलवार पड़ी हुई थी और एक शख़्स स्याह रंग का झण्डा लिये मौजूद था। मैंने किसी से पूछा कि ये कौन शख़्स हैं? लोगों ने कहा, ये अम्र बिन आस (रज़ि.) हैं। अभी एक जंग से वापस होकर आये हैं। **(मुस्नद अहमद)**

2817. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि फ़त्हे मक्का के रोज़ जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल हुए तो उस रोज़ आपका अलम (झण्डा) सफ़ेद था। **(अबू दाऊद-2592)**

2818. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के लश्कर का बड़ा झण्डा स्याह रंग का था और छोटा झण्डा सफ़ेद था। **(तिर्मिज़ी-1681)**

जंग में हरीर और दीबाज़ रेशमी कपड़ों का पहनना कैसा है?

2819. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) ने एक जुब्बा निकालकर दिखाया जिसमें रेशमी बूटें लगे हुए थे और फ़र्माने लगीं, रसूलल्लाह (ﷺ) इस जुब्बे को उस वक़्त पहनते थे, जब आपका दुश्मन से मुक़ाबला होता था। **(मुस्लिम-2069)**

2820. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने रेशम के इस्तेमाल से (मर्दों को) मना फ़र्माया है अल्बत्ता चार अंगुल बराबर हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। (चार अंगूल का अंदाज़ा बयान करते वक़्त आपने पहले एक उँगली से इशारा किया फिर दूसरी से फिर तीसरी से फिर चौथी से) और ये भी फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) इससे मना फ़र्माया करते थे। **(बुख़ारी-5829, मुस्लिम-2069)**

लड़ाई में अमामा बाँधने का बयान

2821. हज़रत जअफ़र बिन अम्र बिन हरीस (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने कहा कि गोया इस वक़्त मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को देख रहा हूँ कि आपके सरे मुबारक पर स्याह अमामा बँधा हुआ है और उसके दोनों शमला दोनों मूँढ़ों के बीच में लटके हुए हैं।

2822. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि जब आँहज़रत (ﷺ) मक्का शरीफ में दाखिल हुए तो आपके सरे मुबारक पर स्याह अमामा बँधा हुआ था। **(अबू दाऊद-4076, तिर्मिज़ी-1735)**

नोट : *शैख़ अब्दुल हक़ साहब ने अमामा बाँधना सुन्नत क़रार दिया है और इसकी फ़ज़ीलत बहुत सी अहादीस से साबित है। नीज़ काला अमामा बाँधना जाइज़ है।*

जिहाद में ख़रीद व फ़रोख़्त करने का बयान

2823. हज़रत ख़ारिजा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, मेरे वालिद (रज़ि.) से एक शख़्स ने पूछा कि एक शख़्स जिहाद के लिये जाये और वो वहाँ खरीद व फ़रोख्त करे (तो उसका क्या हुक्म है?)। उन्होंने फ़र्माया कि हम आँहज़रत (ﷺ)

के साथ जंगे तबूक में खरीद व फ़रोख्त करते और आप (ﷺ) हमको देखते लेकिन कभी हुज़ूर (ﷺ) ने हमको इससे मना नहीं फ़र्माया। **(तब्रानी)**

मुजाहिदीन को रुख़सत करने के लिये उनके साथ जाना

2824. हज़रत मुआज़ इब्ने अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी मुजाहिद को सवार करने के लिये जाना और फिर उसको ज़ीन पर सवार कराना मुझको दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उससे बेहतर मालूम होता है। **(मुस्नद अहमद)**

2825. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि मुझको रुख़्सत करते वक़्त आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको उस अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ जिसकी अमानतें ज़ाए (बर्बाद) नहीं होती हैं। **(मुस्नद अहमद)**

2826. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, जब नबी करीम (ﷺ) फ़ौजों को रवाना करते तो उनके साथ जाने वालों के लिये फ़र्माया करते, **अस्तौदिउल्लाह दीन-क व अमानत-क व ख़वाती-म अम्लि-क** (मैं तेरा दीन, तेरी अमानत और तेरे अंजाम को अल्लाह की हिफ़ाज़त में देता हूँ) **(तिर्मिज़ी-3442)**

छोटे लश्करों की कैफ़ियत

2827. हज़रत अनस बिन मालिक(रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज़रत अक्सम बिन जून खुज़ाई (रज़ि.) से फ़र्माया, ऐ अक्सम! तुम अपनी क़ौम के अलावा दूसरी क़ौम के साथ जिहाद किया करो क्योंकि उससे तुम्हारे अख़्लाक़ उम्दा होंगे और तेरे साथियों की नज़र में तेरी इज़्ज़त होगी। ऐ अक्सम! चार साथी बेहतर होते हैं, वो पलटन (फौजी टुकड़ी) बहुत अच्छी है जिसमें चार सौ आदमी की तादाद हो और फ़ौजों में वो फ़ौज बेहतर है जिसमें चार हज़ार आदमी हों और उससे बड़ा लश्कर वो है जिसमें बारह हज़ार आदमी हों। बारह हज़ार आदमी कभी मग़लूब न होंगे। अगरचे तादाद में कम मालूम होते हैं। **(हाकिम)**

2828. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) का बयान है कि हम आपस में ये बातें किया करते थे कि बद्र के रोज़ हुज़ूर (ﷺ) के साथ 310 से कुछ ज़ाइद आदमी थे और उतने ही आदमी हज़रत तालूत के साथ (जंग के लिये) दरिया के पार उतरे थे। हज़रत तालूत (अलैहिस्सलाम) के साथ वही शख़्स पार हुआ था जो (पुख़्ता मोमिन था)। **(बुख़ारी-3959)**

2829. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग ऐसे लश्कर से अलग रहो जो दुश्मन के मुक़ाबिल होते भाग खड़ा हो और माले ग़नीमत में ख़यानत करे।

मुश्रिकों के बर्तन में खाना कैसा है?

2830. हज़रत क़ुबैसा इब्ने हुल्ब (रह.) का बयान है कि उनके वालिद (हज़रत हुल्ब ताई रज़ि.) ने बयान किया, मैंने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से नसारा के खाने के बारे में पूछा। आपने फ़र्माया कि उनके खानों से तुम्हारे दिल में वस्वसा न आना चाहिए। वरना तुम भी नसारा की तरह हो जाओगे। **(अबू दाऊद-3784)**

2831. हज़रत अबू सअलबा (रज़ि.) का बयान है, मैं आँहज़रत (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग मुश्रिकीन की हाँडियों में खाना पका सकते हैं? तो आपने फ़र्माया, मत पकाओ

क्योंकि उनके नजिश (नापाक) होने का अंदेशा है। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर ज़रूरत हो और (बग़ैर उसके काम ही न चले तो) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! अगर ऐसी ज़रूरत दरपेश हो जाये तो कोई मुज़ायक़ा नहीं मगर उनको धोकर साफ़ कर डालो फिर उनमें खाओ पीयो।

जंग में मुश्रिकों से मदद लेना कैसा है?

2832. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हमको मुश्रिकों से मदद लेने की ज़रूरत नहीं। **(मुस्लिम-1817)**

लड़ाई में धोखा देना दुरुस्त है

2833. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जंग धोखा है। **(बैहक़ी)**

2834. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लड़ाई का नाम ही मक्र व फरेब है (या जंग धोखा देने वाली है)। **(तब्रानी)**

(जंग के शुरू में) इंफ़िरादी मुक़ाबला और मक़्तूल का ज़ाती सामान

2835. हज़रत क़ैस इब्ने उबादा (रज़ि.) से रिवायत है, मैंने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) को क़सम खाकर कहते हुए सुना कि ये आयत, **हाज़ा इन ख़स्मानिख्तसमू फ़ी रब्बिहिम** उन शख़्सों के बारे नाज़िल हुई है जो जंगे बद्र में लड़ रहे थे (मुसलमानों की तरफ़ से तो) हज़रत हम्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अली इब्ने अबी तालिब और उबैदा बिन हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थे (और काफ़िरों की तरफ़ से) उत्बा इब्ने रबीआ, शैबा इब्ने रबीआ, वलीद बिन उत्बा वग़ैरह थे। लिहाज़ा उन लोगों की बद्र के दिन आपस में मुठभेड़ हुई थी। **(बुख़ारी-3968, मुस्लिम-3033)**

2836. हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, मैंने (जिहाद) में एक शख़्स को क़त्ल किया तो हुज़ूर (ﷺ) ने उसका सामान मुझे इनायत कर दिया। **(मुस्नद अहमद)**

2837. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, उन्होंने जंगे हुनैन के रोज़ एक शख़्स को क़त्ल किया। आँहज़रत (ﷺ) ने उस शख़्स का माल उन्हीं को इनायत फ़र्माया। **(बुख़ारी-2100, मुस्लिम-1751)**

2838. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स (जंग में किसी काफ़िर को)क़त्ल करे मक़्तूल का सामान उसी शख़्स का होगा। **(मुस्नद अहमद)**

शबख़ून और औरतों व बच्चों को क़त्ल करने का बयान

2839. हज़रत सअब इब्ने जसामा (रज़ि.) का बयान है कि किसी ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से बीवी-बच्चों वाले मुश्रिकों पर शब ख़ून मारने (छापामार हमले) के बारे मे पूछा और अर्ज़ किया कि उसमें औरतें और बच्चे भी क़त्ल होंगे। आपने फ़र्माया, वो भी मुशरिकों ही में दाखिल हैं (अगर क़त्ल हो तो कोई मुजायक़ा नहीं)।

(बुख़ारी-3012, मुस्लिम-1745)

2840. हज़रत सलमा बिन अकूअ (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) के अहदे मुबारक में हमने बनू

हवाज़िन का जिहाद किया। हमारे साथ हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) थे। रात के आख़िरी हिस्से में हम बनू फ़ुज़ारा के पानी के चश्मे पहुँचे तो वहीं हमने क़याम कर लिया। जब सुबह क़रीब हुई तो हमने उन पर हमला कर दिया और जो लोग पानी के क़रीब थे उन पर भी हमला किया। तक़रीबन 9 या 7 घर वालों को क़त्ल किया गया। **(अबू दाऊद-2596)**

2841. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने रास्ते मे एक औरत को मक़्तूल देखकर औरतों के क़त्ल करने से मना फ़र्मा दिया था। **(मुस्नद अहमद)**

2842. हज़रत हंज़ला कातिब (रज़ि.) कहते हैं, हमने रसूले अकरम (ﷺ) के साथ जिहाद किया (एक रोज़) हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ जा रहे थे कि रास्ते में लोगों का हुजूम देखा, जो जंग में क़त्ल हुई एक औरत की लाश के आसपास इकट्ठा होकर खड़े थे। (हुज़ूरे अकरम (ﷺ) भी उस मुक़ाम पर तशरीफ़ लाये) लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) के लिये जगह खोल दी। आपने उसको देखकर फ़र्माया, लड़ने वालों में ये लड़ती न थी (फिर इसको) क़त्ल करने की क्या ज़रूरत थी। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स को ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) की ख़िदमत में ये कहकर भेजा कि उनसे कहना, तुमको अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) का ये हुक्म है कि औरतों और बच्चों और मज़दूरों को न क़त्ल करें। **(मुस्नद अहमद)**

दुश्मन के मुल्क में आग लगाने का बयान

2843. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, मुझको हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उब्ना गांव मे आग लगाने के लिए रवाना फ़र्माया और इर्शाद फ़र्माया कि सुबह को जाकर उब्ना में आग लगा देना। **(अबू दाऊद-2616)**

2844. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (यहूद के क़बीले) बनू नज़ीर के खजूरों के दरख़्तों को जला दिया और काट दिया। ये मुक़ामे बुवैरह कहलाता है। तब अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, (तर्जुमा) **तुमने खजूरों के दरख़्त काट डाले या जिन्हें तुमने उनकी जड़ों पर बाक़ी रहने दिया (ये सब अल्लाह के फ़र्मान से था और इसलिये भी कि अल्लाह फ़ासिक़ों को रुस्वा करे)**। (सूरह हश्र : 5)
(बुख़ारी-4031, मुस्लिम-1746)

2845. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने जो बनू नज़ीर के कुछ दरख़्त जलाये और कुछ काटे थे उनके बारे में मुसलमानों का शायर कहता है,

फ़हान अला सराति बनी लुअय्यि **हरीक़ुन बिल्बुवैरति मुस्ततीरु**

(यानी बनू लुअय्यि (क़ुरैश) के सरदारों के लिये आसान हो गया कि बुवैरह में हर तरफ़ फैलती हुई आग लगी हो)
(मुस्लिम-1746)

नोट : *ये शेअर हज़रत हस्सान बिन साबित (रज़ि.) का है।*

क़ैदियों को फ़िद्या के तौर पर देना

2846. हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूले अकरम (ﷺ) के अहदे मुबारक में हमने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की क़यादत में क़बीला बनू हवाज़िन का जिहाद किया (और फ़तह पाई)। उन्होंने मुझको बनू फ़ुज़ारा की एक लड़की इनायत फ़र्माई जो उस वक़्त लड़कियों में सबसे ज़्यादा हसीन थी। (जिस वक़्त वो दी गई, उस

वक़्त वह) एक पोस्तीन पहने हुए थी। मैंने मदीना आने तक उसका कपड़ा तक भी नहीं खोला। जब मैं मदीना पहुँचा तो नबी करीम (ﷺ) मुझको रास्ते में मिल गये। आपने फ़र्माया, तेरा बाप निहायत अच्छा आदमी था (कि तुझ जैसा बेटा उससे पैदा हुआ) उस लड़की को मुझे दे दे। मैंने वो आपकी ख़िदमत में पेश कर दी। आँहज़रत (ﷺ) उसको फ़िद्या में देकर चंद मुसलमान क़ैदियों को रिहा करा लिया। ये क़ैदी मक्का में क़ैद थे। **(मुस्लिम-1755)**

काफ़िरों के क़ब्ज़े में कोई चीज़ पहुँचे फिर उस पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा हो जाये तो क्या हुक्म है?

2847. हज़रत इब्ने उमर रज़ि. कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में मेरा एक घोड़ा भाग गया। उसको काफ़िरों ने पकड़ लिया। जब मुसलमानों का उस मुक़ाम पर क़ब्ज़ा हुआ तो आँहज़रत (ﷺ) ने वो घोड़ा मुझको वापस कर दिया। इसी तरह आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद मेरा एक गुलाम भागकर नसारा के क़ब्ज़े में चला गया। जब मुसलमान उन पर ग़ालिब हुए और वो गुलाम भी हाथ आया तो हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने वो गुलाम मुझे वापस कर दिया। **(बुख़ारी-3067)**

ग़नीमत में चोरी का बयान

2848. हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (रज़ि.) का बयान है कि ख़ैबर में क़बील-ए-अश्जअ का एक शख़्स मर गया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सहाबा से फ़र्माया कि उस अपने साथी की नमाज़ ख़ुद ही पढ़ लो। ये सुनकर लोगों के चेहरे का रंग बदल हो गया और उनको ये बात बुरी मालूम हुई (तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनकी आगाही के लिये फ़र्माया) तुम्हारे इस साथी ने चोरी की थी (इस वजह से मैं इस पर नमाज़ नहीं पढ़ सकता) फिर जो लोगों ने उसके सामान की तलाशी ली तो उसमें चंद यहूदी नगीने निकले जो शायद दो दिरहम के भी न होंगे। **(अबू दाऊद-2710)**

2849. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के सामान की देखभाल पर एक करकरा नामी शख़्स मुक़र्रर था। जब उसका इंतिकाल हो गया तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ)ने फ़र्माया कि वो दोज़ख़ में है (ये सुनकर) लोग (उसके सबब की तहक़ीक़ में गये) देखा तो उसके यहाँ एक चादर या कमली निकली जो उसने चुराई थी। **(बुख़ारी-3074)**

2850. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) कहते हैं कि जंगे हुनैन के रोज़ आँहज़रत (ﷺ) ने ग़नीमत के ऊँट के पहलू (की आड़ में) नमाज़ पढ़ाई उसके बाद ऊँट का एक बाल (उसके जिस्म में से) अपनी दोनों उँगलियों के बीच रखकर फ़र्माया, ऐ लोगों! ये भी तुम्हारी ग़नीमत में से है। सुई धागा या उससे कमतर चीज़ भी अदा करो। (ग़नीमत) में ख़यानत, क़यामत के दिन ख़यानत करने वाले पर आर, ऐब और आग बन जायेगी। **(अबू दाऊद-2694)**

(तक़्सीम के बाद) अतिया के तौर पर देने का बयान

2851. हज़रत हबीब इब्ने मुस्लिमा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ख़ुमुस के बाद तिहाई हिस्सा बतौर इन्आम दिया। **(अबू दाऊद-2748)**

2852. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) कहते हैं, जब इब्तिदाई लड़ाई के लिये जाता तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ)

ग़नीमत के चौथाई हिस्से का इन्आम के तौर पर देने का वादा करते और वापसी के वक़्त तो तिहाई माल इन्आम में तक़्सीम कर दिया करते थे। (क्योंकि वापसी के वक़्त लड़ाई करना बहुत गिराँ गुज़रता है) **(तिर्मिज़ी-1561)**

2853. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं, आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात के बाद नफ़्ल के तौर पर देने का तरीक़ा नहीं बल्कि कवी मुसलमान ज़ईफ़ को माले ग़नीमत वापस कर देगा। हज़रत रजाअ राविये हदीस कहते हैं सुलेमान इब्ने मूसा (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया कि मक्हूल (रज़ि.) ने हबीब इब्ने मुस्लिमा (रज़ि.) के ज़ रिये हदीस इस तरह नक़ल की कि आँहज़रत (ﷺ) ने जंग को जाते वक़ त चौथाई ग़ नीमत बतौरे इन्आम के बांट दिया और वापसी के वक़ त अगर फिर जंग की ज़रूरत हुई तो तिहाई हिस्सा भी तक़्सीम कर दिया है। अम्र ये सुनकर कहने लगे कि मैं अपने दादा की हदीस बयान करता हूँ और तुम मक्हूल की हदीस बयान करते हो।

ग़नीमत की तक़्सीम का बयान

2854. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने ख़ैबर के दिन सवार को तीन हिस्से अता किये, दो हिस्से घोड़े के और एक हिस्सा आदमी का।

2855. हज़रत उमैर बिन अबी लहम के आज़ादशुदा ग़ुलाम कहते हैं कि हज़रत वकीअ ने फ़र्माया, अबी लहम गोश्त नहीं खाया करते थे इसी वजह से लोगों ने उनका नाम अबी लहम रख दिया था। अल्ग़र्ज़ उनके ग़ुलाम का बयान है कि मैंने अपने मालिक के साथ जिहाद किया। चूँकि मैं ग़ुलाम था इस वजह से मुझको ग़नीमत का हिस्सा नहीं मिला बल्कि मामूली सामान में से एक तलवार मिली। जिसको मैं कमर में लगाया करता तो वो ज़मीन में घिसटती थी। **(अबू दाऊद-2730)**

2856. हज़रत उम्मे अतिया अंसारिया (रज़ि.) कहती हैं, मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ सात जिहादों में शरीक हुई। जब लोग जिहाद के लिये चले जाते तो मैं ख़ेमों में रहा करती और उनके लिये खाना पकाती, ज़ख़्मियों का इलाज किया करती, मरीजों की तीमारदारी करती। **(मुस्लिम-1812)**

इमाम (ख़लीफ़ा) का (फ़ौज को रवाना करते वक़्त) वसिय्यत करना

2857. हज़रत सफ़्वान इब्ने असाल (रज़ि.) कहते हैं, हमको रसूलल्लाह (ﷺ) ने एक छोटे से लश्कर में रवाना कर दिया। (चलते वक़्त ये नसीहत) फ़र्माई कि अल्लाह का नाम लेकर चलो और जो काफ़िर अल्लाह के साथ कुफ़्र करते हैं उनसे लड़ो लेकिन मुसला मत करो (यानी नाक कान वग़ैरह काटकर न छोड़ना) अहद करके अहद शिकनी न करना। ग़नीमत के माल में चोरी न करना और बच्चे को क़त्ल न करना। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-8837)**

2858. हज़रत सलमान इब्ने बुरैदा (रह.) अपने वालिद (हज़रत बुरैदा बिन हसीब अस्लमी रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) किसी शख़्स को लश्कर का अमीर मुक़र्रर करते तो उसकी ज़ात के लिये अल्लाह से डरने की नसीहत करते और अपने मातहत फ़ौजियों के हक़ में ये नसीहत होती कि उनके साथ नेक सुलूक करे (जिहाद के उमूर में ये फ़र्माते) कि जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के लिये उससे जंग करो (और जो किसी से अहद कर लो) फिर अहद शिकनी मत करो, न (मक़्तूलीन को) मुसला बनाओ (यानी उनके नाक कान मत काटो)। ग़नीमत में चोरी और बच्चों के क़त्ल से परहेज़ करो और दुश्मन से मुक़ाबले के वक़्त तीन बातें पेश की जायें। अगर वो उनको मंजूर कर लें तो अपने हाथों को उनके मालों और जानों से रोक लो। पहले उन पर इस्लाम पेश करो अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो अपने हाथों को रोक लो और उनसे कहो कि वहाँ से हिज्रत करके मुसलमानों की आबादी में चले आयें। जो हुक़ूक़

मुसलमान मुहाजिर के लिये होंगे वही तमाम हुक़ूक़ उनको इनायत होंगे। अगर वो हिज्रत से इंकार करें तो उनसे कह दो कि गांव वालों की तरह शुमार किये जायेंगे और जो हुक्म गांव वालों के लिये अल्लाह तआला ने दिया है उसमें शामिल होकर रहेंगे। मुसलमानों के माले ग़नीमत और इन्आमात में उनका कोई हिस्सा न होगा। अल्बत्ता अगर जिहाद में शिर्कत करेंगे तो हिस्से के भी मुस्तहिक़ होओगे और अगर वो ईमान लाने से इंकार करें तो उनके सामने जिज़्या पेश करो। अगर जिज़्या देना कबूल करें तो उनसे दस्त बरदार हो जाओ उनके मालों से हाथ उठा लो क्योंकि वो ज़िम्मी होकर महफ़ूज़ हो गये और अगर वो लोग जिज़्या से भी इंकार करें तो अल्लाह तआला से मदद मांगकर उनसे जंग करो और (ये भी ख़्याल रखो कि) जब तुम लोग किसी किले का मुहासिरा (घेराबंदी) करो और वहाँ के लोग अल्लाह और रसूल (ﷺ) की ज़िम्मेदारी पर तुमसे अमन तलब करें तो अल्लाह और रसूल (ﷺ) की ज़िम्मेदारी पर उनको अमन न दो। बल्कि अपने बाप या साथी की ज़िम्मेदारी पर अमन दो क्योंकि बाप या साथी के ज़िम्मे का अल्लाह के ज़िम्मे से तोड़ना आसान है। ऐसे ही जब किसी किले का मुहासिरा करो और किले वाले ख़्वाहिश करें कि अल्लाह के ज़िम्मे पर किले से बाहर आ जायें तो उस ज़िम्मे पर उनको इजाज़त न दो। बल्कि अपनी ज़ात पर उनको बाहर निकलने का हुक्म दो क्योंकि तुमको अल्लाह का हुक्म नहीं मालूम हो सकता कि उनके बारे में क्या है। हज़रत अल्क़मा (रह.) का बयान है कि मैंने यह हदीस मुक़ातिल इब्ने हय्यान से बयान की तो उन्होंने फ़र्माया, मुस्लिम इब्ने हकीम ने बरिवायत नोअमान बिन मुक़रिन आँहज़रत (ﷺ) की ये हदीस मुझसे भी नक़ल की है। **(मुस्लिम-1731)**

इमाम की इताअत का बयान

2859. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह तआला की इताअत की और जिसने मेरी नाफ़र्मानी की उसने अल्लाह की नाफ़र्मानी की। जिसने इमाम की इताअत की, उसने मेरी इताअत की और जिसने इमाम की नाफ़र्मानी की उसने मेरी नाफ़र्मानी की।

2860. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारा इमाम एक हब्शी गुलाम अंगूर की तरह सर वाला भी बनाया जाये तो उसकी सुनो और इताअत करो। **(बुख़ारी-693)**

2861. हज़रत उम्मुल हुसैन (रज़ि.) कहती हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारे ऊपर हब्शी गुलाम भी हाकिम बनाया जाये। जिसके नाक-कान कटे हों तो जब तक वो अल्लाह की किताब पर अमल करे उस वक़्त तक उसकी इताअत करो। **(मुस्लिम-1838)**

2862. हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) का बयान है कि जब ये मुक़ामे-रब्ज़ा में पहुँचे तो नमाज़ की इक़ामत हो रही थी। वहाँ लोगों की इमामत एक गुलाम किया करता था। लोगों ने उससे कहा कि ये हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) मौजूद हैं। ये सुनकर वो पीछे हटने लगा (ताकि वो अबू ज़र (रज़ि.) नमाज़ पढ़ा दें)। तो हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा कि मेरे ख़लील (ﷺ) ने मुझे वसिय्यत की है कि मैं सुनूँ और मानूँ अगरचे (हाकिम) नाक-कान कटा हब्शी गुलाम ही हो।

अल्लाह तआला की नाफ़र्मानी में इताअत नहीं करनी चाहिये

2863. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक लश्कर पर अल्क़मा मुहज़्ज़िज़ (रज़ि.) को सरदार मुक़र्रर किया। उस लश्कर में मैं भी मौजूद था। जब वो अपने जिहाद के मुक़ाम पर पहुँचे या रास्ते में थे तो उनसे फ़ौज के एक दस्ते ने (दुश्मन पर हमला करने में पहल करने के लिये आगे जाने की) इजाज़त तलब की। उन्होंने

इजाज़त दे दी। उस फ़ौजी टुकड़ी का सरदार अ़ब्दुल्लाह बिन हुजाफ़ा (रज़ि.) थे। मैं भी उसी टुकड़ी में दाख़िल था। एक मुक़ाम पर चंद लोगों ने आग जलाई। अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) (बतौरे मज़ाक़) के कहने लगे, तुम लोगों पर मेरी इताअ़त वाजिब है या नहीं? सबने कहा कि ज़रूर है। तो उन्होंने फ़र्माया, तो मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इस आग में कूद पड़ो। उनमें से कुछ लोग आग में दाख़िल होने के लिये तैयार हो गये। जब अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने देखा कि ये लोग आग में जाने को भी तैयार हैं। तो उनसे कहने लगे, नहीं! मैं तुम्हारे साथ मज़ाक़ कर रहा था। अपनी जानों को मत हलाक करो। अल्ग़र्ज़ जब वापस मदीना पहुँचे तो ये वाक़िया हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में बयान किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुमको कोई शख़्स अल्लाह की नाफ़र्मानी का हुक्म दे तो उसको मत मानो। उसमें इताअ़त वाजिब नहीं है।

(मुस्नद अहमद)

2864. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर मुसलमान आदमी पर इताअ़त फ़र्ज़ है चाहे उस काम को मकरूह समझकर करना हो या उसको अच्छा जानता हो। अल्बत्ता अगर किसी गुनाह की बात का हुक्म दिया जाये तो ऐसी बात को न मानो और न सुनो। **(मुस्लिम-1839)**

2865. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे बाद तुम लोगों में ऐसे हाकिम पैदा होंगे जो सुन्नत पर चलना छोड़ देंगे और बिदअ़त पर अ़मल करेंगे और उसी तरह नमाज़ के वक़्तों में ताख़ीर करेंगे। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मुझको ऐसे हाकिमों की मुलाक़ात हो तो मैं क्या करूँ? आपने फ़र्माया, ऐ उम्मे अ़ब्द के बेटे! अल्लाह की नाफ़र्मानी में किसी शख़्स की इताअ़त न करनी चाहिए। **(मुस्नद अहमद)**

बैअ़त का बयान

2866. हज़रत उ़बादा बिन सामित (रज़ि.) का बयान है (हमने) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की बैअ़त की तो उसमें (ये अ़हद किया था) कि सख़्ती और आसानी दोनों हालतों में इताअ़त करें। चाहे इस हालत में दूसरे लोग हम पर मुक़द्दम कर दिये जायें (और उसमें ये अ़हद भी किया जाये) जो शख़्स हम पर हुकूमत करे उसकी हुकूमत मे बग़ावत न करें। अल्लाह की रज़ामन्दी के उमूर में जो हक़ बात हो उसमें किसी का डर न करें न किसी की मलामत से डरें।

(बुख़ारी-7199, मुस्लिम-1709)

2867. हज़रत औ़फ़ बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में आठ या नौ आदमी हाज़िर थे। आपने उनसे फ़र्माया, तुम लोग बैअ़त नहीं करते। ये सुनकर हमने बैअ़त के लिये हाथ आगे कर दिये। हाज़िरीन में से एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक मर्तबा तो हम आपकी बैअ़त कर चुके हैं? अब किस अम्र की बैअ़त करें। आपने फ़र्माया, इस बात पर (बैअ़त करो) कि अल्लाह के साथ शरीक न करेंगे। पाँचों नमाज़ें (वक़्त पर) पढ़ेंगे, (अपने हाकिम की) इताअ़त और फ़र्माबरदारी करेंगे और एक बात आहिस्ता से ये फ़र्माई कि किसी से किसी चीज़ का सवाल नहीं करेंगे। उसके बाद से (रावी कहते हैं) कि कुछ लोगों को मैंने देखा कि अगर उनके हाथ से कोड़ा गिर जाता तो दूसरे से उसको उठाने के लिये न कहते (बल्कि ख़ुद उतरकर उठा लेते) **(मुस्लिम-1043)**

2868. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि हमने (एक बार) रसूले मक़्बूल (ﷺ) की इस अम्र की बैअ़त की कि (हाकिम की) इताअ़त और फ़र्माबरदारी करेंगे लेकिन उसमें आँहज़रत (ﷺ) ने ख़ुद इतना ज़ाइद कर दिया कि जहाँ तक हममें इसकी कुव्वत होगी। **(मुस्नद अहमद)**

2869. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और उसने

आपसे बैअत की। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को ये मालूम न था कि ये गुलाम है। उसके बाद उसका मालिक उसको तलाश करता हुआ आया। आपने उससे फ़र्माया, इस गुलाम को मेरे हाथ फ़रोख्त कर डालो। लिहाज़ा आपने दो हब्शी गुलाम देकर उसको ख़रीद लिया। लेकिन उसके बाद से जब तक उससे पूछ न लेते कि तू गुलाम है या (आज़ाद है) उस वक़्त तक बैअत न लेते। **(मुस्लिम-1602)**

बैअत का पूरा करना ज़रूरी है

2870. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन तीन शख़्सों से अल्लाह तआला कलाम नहीं फ़र्मायेगा न उनकी तरफ़ नज़रे रहमत फ़र्मायेगा बल्कि उनके लिये तक्लीफ़देह अज़ाब होगा। एक तो वो शख़्स, जो अस्र की नमाज़ के बाद कोई चीज़ फ़रोख्त करे और ख़रीदार से क़सम खाकर कहे कि मैंने ये चीज़ इतने में खरीदी है, हालाँकि वो उस बात में झूठा हो और ख़रीदार उसको सच्चा ख़याल करे। दूसरा वो शख़्स, जो एक सूनसान जंगल में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पानी रखता है और मुसाफ़िरों को नहीं देता। तीसरा वो शख़्स, जो दुनियावी माल वग़ैरह की लालच में इमाम की बैअत कर ले। अगर उसको अपना मत्लूब मिले तो बैअत को पूरा करने पर तैयार हो जाये वरना बैअत को तोड़ दे।

2871. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल में लोगों की हुकूमत पैग़म्बर किया करते थे। जब एक नबी वफ़ात पा जाता तो दूसरा उसके क़ायम मुक़ाम कर दिया जाता। लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं पैदा होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ! तो फिर (दीन की हिफ़ाजत कौन करेगा) आपने फ़र्माया, खलीफा होंगे और बहुत होंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! तो फिर हम क्या सूरत इख़्तियार करें। आपने फ़र्माया कि तुम जो अव्वल खलीफ़ा हो उससे बैअत कर लो। (और उसकी वफ़ात के बाद) फिर जो अव्वल खलीफ़ा होने का (दावा करे) उससे बैअत करो। (यानी पहले दावेदार के बाद) अगर दूसरा दावा करे तो उसकी बैअत न करो और जो हुक़ूक़ तुम पर हों उनको पूरा करते रहो। उन पर जो तुम्हारे हुक़ूक़ हैं (अगर वो उनको पूरा करेंगे तो ठीक) वरना अल्लाह तआला उनका हिसाब उनसे लेगा। **(बुख़ारी-3455, मुस्लिम-1842)**

2872. हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन एक दग़ाबाज़ के हाथ में एक झण्डा दिया जायेगा और आवाज़ दी जायेगी कि ये फ़लाँ शख़्स की दग़ाबाज़ी का झण्डा है।

(बुख़ारी-3186, मुस्लिम-1736)

2873. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ हर दग़ाबाज की दग़ाबाजी के मुताबिक़ झण्डा बुलंद किया जायेगा। **(तिर्मिज़ी-2191)**

औरतों की बैअत का बयान

2874. हज़रत उमैमा बिन्ते रक़ीक़ा (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में चंद औरतें बैअत करने के लिये हाज़िर हुईं। आपने बैअत लेते वक़्त उनसे फ़र्माया, जिस अम्र का अहद करो (उसमें ये कह दो) कि जहाँ तक हममें ताक़त होगी (उसको बजा लायेंगे) और मैं औरतों से मुसाफ़ा नहीं किया करता हूँ। **(तिर्मिज़ी-1597)**

2875. हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आइशा (रज़ि.) ने बयान किया जब औरतें हिज्रत करके हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होतीं तो आप इस आयत के मुताबिक़ उनसे क़रार लेते। **(या**

अय्युहन्नबिय्यु इज़ा जाअकल्मुअमिनातु युबायिअ-क) जो औरतें उनमें से इस आयत के मुताबिक़ इक़रार कर लेती कि (चोरी, ज़िना न करेगी) औलाद को क़त्ल न करेगी। किसी पर बोहतान न बाँधेगी तो वो इम्तिहान में पूरी निकलती। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) उससे फ़र्माते कि जाओ मैंने तुमसे बैअ़त ले ली। अल्लाह की क़सम! हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का दस्ते मुबारक कभी किसी औरत के हाथ को नही लगा बल्कि आप उनसे ज़ुबानी बैअ़त लिया करते थे।

(बुख़ारी-5288, मुस्लिम-1866)

हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! रसूलुल्लाह (ﷺ) ने औरतों से सिर्फ़ वहीं अ़हद लिया जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया था। आपकी हथेली कभी किसी (ग़ैर महरम) औरत की हथेली से नहीं छुई थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) जब औरतों से अ़हद लेते तो उन्हें ज़बान से फ़र्माते, मैंने तुमसे बैअ़त ले ली।

घुड़दौड़ का बयान

2876. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने दो घोड़ों के बीच एक घोड़ा दौड़ाया लेकिन उसको जीतने का यक़ीन न हो तो ये जुआ नहीं और अगर उसने घोड़ा दौड़ाया और उसको अपने घोड़े के जीतने का यक़ीन है तो बेशक ये जुआ हो जायेगा। **(अबू दाऊद-2579)**

2877. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने (कुछ) घोड़ों को मेहनती बना लिया था। उसके बाद आपने उनकी दौड़ मुक़ामे हफ़िया से मुक़ामे सनिय्यतुल वदाअ़ तक मुक़र्रर फ़र्माई और जो बेमेहनती घोड़े थे उनकी सनिय्यतुल वदाअ़ से बनी ज़ुरैक़ की मस्जिद तक। **(मुस्लिम-1870)**

2878. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि आगे निकल जाने की बाज़ी बदना घोड़े और ऊँट के अ़लावा नाजाइज़ है। **(नसाई-3619)**

दुश्मन के मुल्क में क़ुर्आन साथ ले जाने की मुमानिअ़त

2879. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने दुश्मन (काफ़िर) के मुल्क में क़ुर्आन मजीद ले जाने की मुमानिअ़त फ़र्माई है क्योंकि इस बात का अंदेशा है कि उस पर दुश्मन का क़ब्ज़ा हो (और वो उसकी बेहुर्मती करे)। **(बुख़ारी-2990, मुस्लिम-1869)**

2880. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) का इर्शाद है कि दुश्मन के मुल्क में क़ुर्आन मजीद नहीं ले जाना चाहिए। मुम्किन है कि दुश्मन का उस पर क़ब्ज़ा हो जाये। **(मुस्लिम-1869)**

ख़ुमुस की तक़्सीम का बयान

2881. हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब (रह.) कहते हैं कि हज़रत ज़ुबैर बिन मुतइम (रज़ि.) ने बयान किया कि वो और हज़रत उ़स्मान (रज़ि.) रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में ख़ैबर के माल में बातचीत करने के लिये हाज़िर हुए जो आँहज़रत (ﷺ) ने बनू हाशिम और बनी मुत्तलिब में तक़्सीम किया था। उन्होंने अ़र्ज किया, या रसूलल्लाह! आपने हमारे भाईयों बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को माल तक़्सीम किया और हमको ऐसे ही छोड़ दिया। हालाँकि हम और बनू मुत्तलिब क़राबत में बराबर का दर्जा रखते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब को एक समझता हूँ। **(बुख़ारी-4229)**

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुल मनासिक

हज्ज व उमरह के अहकामो-मसाइल

2882. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़र भी अज़ाब का एक हिस्सा है जो इंसान के खाने और पीने और सोने वग़ैरह से रोक देता है और तुममें से जब कोई सफ़र में अपना काम कर ले तो वापस घर लौट आये। **(बुख़ारी-1804, 3001)**

हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) की इस हदीस का मज़्मून भी ऊपर वाली हदीस की तरह है। जिसे इमाम इब्ने माजह ने दूसरे रावी से बयान किया है।

2883. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) या **हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रज़ि.)** बयान करते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स हज्ज का इरादा करे तो उसको बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि मुम्किन है कि इंसान बीमार हो जाये या उसकी सवारी गुम हो जाये या कोई ज़रूरत पेश आ जाये। **(मुस्नद अहमद)**

हज्ज की फ़र्जियत का बयान

2884. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई, (तर्जुमा) **अल्लाह तआला ने लोगों पर जो उसकी तरफ़ राह पा सकते हों, इस घर का हज्ज फ़र्ज़ कर दिया है।** (सूरह आले इमरान : 97) तो लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हर साल हज्ज करना फ़र्ज़ है? लेकिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ख़ामोश रहे। उन लोगों ने फिर अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! अगर मैं हाँ कह दूँ तो हर साल हज्ज फ़र्ज हो जायेगा। उसके बाद ही ये आयत नाज़िल हुई, (तर्जुमा) **ऐ ईमान वालो! ऐसी बातें मत पूछो कि अगर वो तुम पर ज़ाहिर कर दी जायें तो तुम्हें नागवार हों।** (सूरह माइदा : 101) **(तिर्मिज़ी-814, 3055)**

2885. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, लोगों ने अर्ज़ किया या, रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हज्ज हर साल फ़र्ज़ है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि अगर मैं हाँ कह दूँ तो हर साल के लिये फ़र्ज़ हो जाये और जब हर साल फ़र्ज़ हो जायेगा तो तुम हर साल न कर सकोगे तो तुम पर अज़ाब होगा।

2886. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अक़रअ इब्ने हाबिस (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़

किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज्ज उम्र में एक बार फ़र्ज़ होता है या हर साल। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उम्र में एक बार। उसके बाद जितनी मर्तबा करेगा वो नफ़्ल होगा। **(अबू दाऊद- 1721)**

हज्ज व उमरह की फ़ज़ीलत

2887. हज़रत उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हज्ज और उमरा बार-बार किया करो। क्योंकि उन दोनों का बार-बार करना मुफ़्लिसी और गुनाहों को इस तरह दूर करता है जिस तरह लौहार की भट्टी लौहे के मैल-कुचैल को दूर कर देती है। **(हुमैदी- 17)**

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की इस हदीस का भी यही मज़्मून है।

2888. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक उमरह से दूसरे उमरह तक जितने भी गुनाह होते हैं। उमरह उनके लिये कफ़्फ़ारा बन जाता है और हज्जे मबरूर की ज़ज़ा तो सिवाए जन्नत के और कोई चीज़ नहीं। **(बुख़ारी- 1773, मुस्लिम- 1349)**

2889. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स इस (बैतुल्लाह) का हज्ज इस तरह करेगा कि इसमें जिमाअ और बेहूदगी से बचा रहे तो हज्ज से वापसी के वक़्त गुनाहों से ऐसा साफ़ हो जायेगा जैसे उसी रोज़ उसकी माँ ने उसको जना है। **(बुख़ारी- 1820, मुस्लिम- 1350)**

कजावे पर सवार होकर हज्ज करना

2890. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक घोड़े पर हज्ज फ़र्माया, जिसकी ज़ीन पुरानी थी और चादर जो आपके ओढ़े हुई थी वो तक़रीबन चार दिरहम की होगी या इतने की भी नहीं होगी और उस (हज्ज) में फ़र्माया, ऐ अल्लाह! ये वो हज्ज करता हूँ जिसमें न रियाकारी है न किसी का दिखावा है (इसी को हज्जे मबरूर कहते हैं)। **(इब्ने अबी शैबा)**

2891. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ सफर में थे, जब हम मक्का और मदीना के बीच एक वादी में पहुँचे तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये कौनसी वादी है? लोगों ने अर्ज़ किया इसको अज़रक़ कहते हैं। ये सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि गोया मैं हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को देख रहा हूँ। फिर हुज़ूर (ﷺ) ने उनके बालों की लम्बाई का ज़िक्र किया जिसे हदीस के रावी को याद नहीं रहा। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कि हज़रत मूसा कानों में उँगलियाँ देते हुवे ज़ोर-ज़ोर से तल्बिया कहते हुए गुज़रे थे तो (इसी जंगल में से गुज़र हुआ था) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) फ़र्माते हैं कि फिर हम वहाँ से आगे बढ़े ते एक टीले पर पहुँचे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, इस टीले का क्या नाम है? लोगों ने अर्ज़ किया इसको हरशा या लुफ़्त कहते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस वक़्त मुझको ऐसा मालूम होता है, गोया यूनुस (अलैहिस्सलाम) सुर्ख़ ऊँटनी पर जिसकी नकेल खजूर की रस्सी है या किसी सख़्त पतली रस्सी की तरह है, एक जुब्बा पहने हुए तल्बिया कहते हुए गुज़र रहे हैं। **(मुस्लिम- 166)**

हाजी की दुआ की फ़ज़ीलत

2892. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हज्ज और उमरह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अगर वो अल्लाह तआला से दुआ मांगे तो अल्लाह तआला उनकी दुआ क़ुबूल फ़र्मायेगा

और अगर उससे बख़्शिश चाहें तो उनकी बख़्शिश फ़र्मायेगा। **(बैहक़ी)**

2893. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह और हज्ज और उमरह करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अगर ये अल्लाह तआला से दुआ मांगे तो अल्लाह तआला उनकी दुआ क़ुबूल करेगा और अगर उससे तलब करें तो अल्लाह तआला उनको अता फ़र्मायेगा। **(तबरानी-13556)**

2894. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है कि उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से उमरह करने की इजाज़त चाही तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने आपको इजाज़त देते हुए फ़र्माया, भाई! हमको दुआ के वक़्त न भूलना और उसमें शरीक रखना। **(तिर्मिज़ी-3562)**

2895. हज़रत सफ़्वान इब्ने अब्दुल्लाह बिन सफ़्वान (रज़ि.) जिनके निकाह में हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) की बेटी थीं। अपने ससुर के यहाँ एक बार गये तो उन्होंने अपनी सास उम्मे दर्दा (रज़ि.) को मौजूद पाया लेकिन हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) मौजूद न थे। उम्मे दर्दा (रज़ि.) कहने लगीं कि क्या तुम इस साल हज्ज को जाना चाहते हो। उन्होंने कहा, हाँ (ज़रूर जाऊँगा)। उन्होंने कहा। तब तुम हमारे लिये दुआ करना क्योंकि रसूले अकरम (ﷺ) का इर्शाद है कि जो शख़्स अपने भाई के पीठ पीछे उसके लिये दुआ मांगता है तो अल्लाह तआला उसकी दुआ ज़रूर क़ुबूल करता है और दुआ के वक़्त उसके साथ एक फ़रिश्ता होता है जो आमीन कहता जाता है और कहता है कि तेरे लिये भी ऐसा ही होगा (जिस तरह तू अपने भाई के लिये तालिबे ख़ैर है उसी तरह तुझको भी मिलेगी) सफ़्वान (रज़ि.) ने कहा कि ये हदीस सुनकर मैं बाज़ार की तरफ़ चल दिया। जब बाज़ार में पहुँचा तो हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) से मुलाक़ात हुई। उन्होंने भी यही हदीस बयान की। **(मुस्लिम-2733)**

हज्ज कब फ़र्ज़ होता है?

2896. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज्ज कब फ़र्ज होता है। आपने फ़र्माया, जब सफ़र का ख़र्च हो और खाना साथ हो। उसने पूछा, हाजी किसे कहते हैं ? आपने फ़र्माया, जिसके सर के बाल खुले हों खुश्बू न लगी हो। एक शख़्स और खड़ा हुआ और उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज्ज क्या चीज़ है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, लब्बैक कहना और क़ुर्बानी करना। **(तिर्मिज़ी-813)**

2897. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़ुर्आन मजीद की आयत) **मनिस्तताअ इलैहि सबीला** (जिसको बैयतुल्लाह तक रास्ता तय करने की ताक़त हो) से मुराद सफ़र का खर्च और सवारी है।

बग़ैर महरम के औरत का हज्ज

2898. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि .) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, औरत अगर तीन रात का सफ़र करे तो उसके साथ महरम का होना चाहिए मसलन बाप, बेटा, शौहर और भाई वग़ैरह। **(मुस्लिम-1340)**

2899. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो औरत अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाई है उसको चाहिए कि बग़ैर महरम के दो दिन का भी सफ़र न करे। **(मुस्नद अहमद)**

2900. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा फ़लाँ जंग में नाम लिख दिया गया है और मेरी बीवी इस साल हज्ज को जाने

का इरादा करती है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लौट जाओ उसके साथ हज्ज को जाओ। **(बुख़ारी-3061)**

औरतों का जिहाद हज्ज करना है

2901. हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या औरतों पर भी जिहाद फ़र्ज़ है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! उनका जिहाद हज्ज और उमरह करना है ये अमल उनका जिहाद नहीं।
(बुख़ारी-1520)

2902. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ईफ़ (कमज़ोर) का जिहाद हज्ज करना है। **(मुस्नद अहमद)**

मय्यित की तरफ़ से हज्ज करने का बयान

2903. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज्ज के दौरान ये कहते सुना कि मै शुब्रमा की तरफ़ से हज्ज करने को हाज़िर हूँ। (यानी वो तल्बिया में ये अल्फ़ाज़ कह रहा था) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शुब्रमा कौन था? उसने अर्ज़ किया मेरा एक रिश्तेदार था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तूने कभी हज्ज किया है? उसने अर्ज़ किया, नहीं! हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले अपनी तरफ़ से हज्ज करो। उसके बाद शुब्रमा की तरफ़ से हज्ज करना। **(अबू दाऊद-1811)**

2904. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने वालिद की तरफ़ से हज्ज कर सकता हूँ? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! करो और अगर तुम उसकी नेकियाँ नहीं बढ़ा सकते हो तो उसके लिये बुराई भी न करोगे।
(तब्रानी फ़िल्कबीर-13009)

2905. हज़रत अबू ग़ौस इब्ने हुसैन (रज़ि.) जो क़बीला फ़रअ में से हैं, कहते हैं कि (उन्होंने) आँहज़रत (ﷺ) से अपने वालिद पर जो हज्ज था, उसके बारे में पूछा कि मैं उनकी तरफ़ से हज्ज कर सकता हूँ। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तुम अपने बाप की तरफ़ से हज्ज करो और जो नज़्र माने हुए रोज़े हैं उनको भी उनकी तरफ़ से क़ज़ा करो।
(बैहक़ी)

ज़िन्दा आदमी की तरफ़ से हज्जे बदल करना जब उसे ख़ुद (हज्ज करने की ताक़त) न हो

2906. हज़रत अबू रज़ीन उक़ैली (रज़ि.) का बयान है कि ये आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद निहायत ही बूढ़े हैं। उनमें न हज्ज करने की ताक़त है, न उमरह करने की ताक़त और न सवारी की ताक़त है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने बाप की तरफ़ से ख़ुद हज्ज और उमरह करो।
(तिर्मिज़ी-930)

2907. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, क़बील-ए-ख़स्अम की एक औरत हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हो गये हैं। उनके ज़िम्मे अल्लाह

के घर का हज्ज फ़र्ज़ है। लेकिन उनमें हज्ज करने की ताक़त नहीं है तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज्ज कर सकती हूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! कर सकती हो। **(तबरानी-10748)**

2908. हज़रत हुसैन बिन औफ़ (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद पर हज्ज फ़र्ज़ है और वो हज्ज कर नहीं सकते (क्योंकि उनको बग़ैर) लकड़ी पकड़े हुए चलने की ताक़त नहीं। ये सुनकर आँहज़रत (ﷺ) ने पहले कुछ देर तक ख़ामोशी फ़र्माई। उसके बाद इर्शाद फ़र्माया कि तुम अपने वालिद की तरफ़ से हज्ज कर लो। **(तबरानी-3549)**

2909. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) अपने भाई फ़ज़ल इब्ने अब्बास (रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि यौमुन्नहर (क़ुर्बानी के दिन) ये हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के ऊँट पर सवार थे। कबील-ए-खस्अम की एक औरत हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह(ﷺ)! अल्लाह तआला का हज्ज लोगों पर ऐसे वक़्त फ़र्ज़ हुआ कि मेरा बाप बिल्कुल कमज़ोर है। उसमें सवार होने की भी ताक़त नहीं। लिहाज़ा अगर आप फ़र्माएँ तो मैं उसकी तरफ़ से हज्ज करूँ। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तुम अदा करो। अगर उस पर कर्ज़ होता तो तुम अदा करतीं या नहीं। (बस ये भी अल्लाह का कर्ज़ है इसको अदा करो)। **(बुख़ारी-1853, 1854)**

बच्चे के हज्ज करने का बयान

2910. हज़रत इब्ने जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि हज्ज में एक औरत ने अपने बच्चे को उठाकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के (सामने पेश करके) अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या इसका हज्ज भी कुबूल होगा। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ, होगा और उसका सवाब तुझको मिलेगा। **(तिर्मिज़ी-924)**

निफ़ास और हैज़ वाली औरत का एहरामे हज्ज

2911. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मुकामे शजरह में हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) को निफ़ास शुरू हो गया। आँहज़रत (ﷺ) ने हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया कि अस्मा (रज़ि.) से कहो कि ग़ुस्ल करके हज्ज का एहराम बाँध ले। **(मुस्लिम-1209)**

2912. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) कहते हैं कि आप हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ हज्ज के लिये चले। उनके साथ उनकी बीवी हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) भी थीं। मुकामे शजरह में उनके मुहम्मद इब्ने अबीबक्र (रज़ि.) पैदा हो गये। हज़रत अबीबक्र (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, उनसे कहो कि ग़ुस्ल करके हज्ज का एहराम बाँध लें और जिस तरह और लोग हज्ज करें वो भी करें। बस बैयतुल्लाह का तवाफ़ न करें। **(नसाई-2665)**

2913. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) के हज़रत मुहम्मद बिन अबीबक्र (रज़ि.) के पैदा होने से रास्ते में निफ़ास जारी हो गया। आँहज़रत (ﷺ) ने उनसे कहला भेजा कि ग़ुस्ल करके एक कपड़े का लंगोट बाँध लें और एहराम बाँध लें। **(मुस्लिम-1210)**

आफ़ाक़ी लोगों के मीक़ात

2914. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मदीना वाले (हज्ज के लिये) ज़ुल हुलैफ़ह

से एहराम बाँधें और शाम वाले जुह्फ़ा से और नज्द के रहने वाले कर्न से बाँधें। हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि ये तीनों मुकाम तो मैंने खुद आँहज़रत (ﷺ) से सुने लेकिन एक मुकाम की दूसरों से मुझको खबर मिली कि हुज़ूर (ﷺ) ने ये भी फ़र्माया कि यमन वाले यलमलम से एहराम बाँधे। **(बुख़ारी-1525, मुस्लिम-1182)**

2915. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने खुत्बे में फ़र्माया, मदीना वालों का एहराम बाँधने का मुक़ाम ज़ुल हुलैफ़ह है और शाम वालों का जुह्फ़ा है और यमन वालों का यलमलम है और नज्द वालों का कर्न है और मश्रिक़ वालो का ज़ाते अरक। इसके बाद आपने अपना चेहराआसमान की तरफ़ करके फ़र्माया, ऐ अल्लाह! इनका दिल आसमान की तरफ़ माइल कर दे। **(मुस्नद अहमद)**

एहराम का बयान

2916. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ज़ुल हुलैफ़ह में ऊँटनी पर सवार होते तो लब्बैक फ़र्माते हुए सवार होते और ऊँटनी सीधी खड़ी हो जाती। **(बुख़ारी-2865, मुस्लिम-1187)**

2917. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि हज्जतुल विदाअ के रोज़ मैं आँहज़रत (ﷺ) की ऊँटनी के पैर के क़रीब था। जब हुज़ूर (ﷺ) उस पर सवार हुए तो आपने फ़र्माया लब्बैक उमरतन व हज्जतन (यानी हज्ज और उमरह दोनों के लिये हाज़िर हुआ हूँ)। **(मुस्नद अहमद)**

लब्बैक कहने की कैफ़ियत

2918. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से तल्बिया सीखा है। आप कह रहे थे, **लब्बैक अल्लाहुम्म ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक.** (हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ! मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। तारीफ़ें और नेअमतें तेरी हैं और बादशाही भी, तेरा कोई शरीक नहीं) और हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि **लब्बैक, लब्बैक व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक लब्बैक वर्रग़बाऊ इलैक वल्अमल.** (हाज़िर हूँ, हाज़िर हूँ! तेरी इताअत की सआदत से बहरहवर हूँ, और हर क़िस्म की ख़ैर तेरे हाथों में हैं, मैं हाज़िर हूँ (दिल में) तेरी ही लगन है और (और तेरे ही लिये) अमल)। **(मुस्लिम-1184)**

2919. हज़रत जअफ़र बिन मुहम्मद (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) इस तरह तल्बिया फ़र्माया करते, **लब्बैक अल्लाहुम्म ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक.** (हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ! मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। तारीफ़ें और नेअमतें तेरी हैं और बादशाही भी, तेरा कोई शरीक नहीं) **(अबू दाऊद-1813)**

2920. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने तल्बिया इस तरह फ़र्माया, **लब्बैक! इलाहल हक़्क़ि लब्बैक.** (हाज़िर हूँ! ऐ सच्चे मअबूद, हाजिर हूँ) **(नसाई-2753)**

2921. हज़रत सहल बिन सअद साएदी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो भी तल्बिया कहने वाला लब्बैक कहता है तो ज़मीन की इंतिहा तक जितने भी दायें और बायें शजर और हजर (पेड़ और पत्थर) होते हैं, वो सब तल्बिया (लब्बैक) पुकारते हैं। **(तिर्मिज़ी-828)**

बुलन्द आवाज़ से तल्बिया कहने का बयान

2922. हज़रत खल्लाद इब्ने साइब (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे पास जिब्रईल (अलैहिस्सलमा) आये थे और ये कह गये कि मैं अपने सहाबा को बुलन्द आवाज़ से तल्बिया कहने का हुक्म दूँ। **(नसाई-829)**

2923. हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुह्नी (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे पास जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) तशरीफ़ लाये और फ़र्माने लगे, या मुहम्मद (ﷺ)! आप अपने सहाबा को बुलन्द आवाज़ से तल्बिया कहने का हुक्म दीजिये। क्योंकि यह हज्ज के अरकान में दाख़िल है। **(मुस्नद अहमद)**

2924. हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) से किसी ने पूछा कि कौनसा अमल अफ़ज़ल है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बुलन्द आवाज़ से लब्बैक पुकारना और क़ुर्बानी करना। **(तिर्मिज़ी-827)**

सुबह से शाम तक तल्बिया ज़ुबान पर जारी रखना

2925. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, जो शख़्स अल्लाह की रज़ा के लिये सुबह से लेकर सूरज डूबने तक तल्बिया (लब्बैक) कहता रहता है तो सूरज उसके तमाम गुनाह लेकर डूब जाता है और ये शख़्स ऐसा साफ़ और पाक हो जाता है जैसे उसी दिन माँ के पेट से पैदा हुआ हो।

एहराम बाँधते वक़्त ख़ुश्बू लगाना

2926. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हज़रत (ﷺ) को आप के एहराम बाँधने के वक़्त, एहराम बाँधने से पहले ख़ुश्बू लगाई और एहराम खोलने के वक़्त तवाफ़े इफ़ाज़ा करने से पहले भी। **(बुख़ारी-1754)**

2927. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि गोया मैं रसूले मक़्बूल (ﷺ) की मांग में ख़ुश्बू का असर देख रही हूँ और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) लब्बैक पुकार रहे हैं। **(मुस्लिम-1190)**

2928. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, गोया मैं रसूले मक़्बूल (ﷺ) की मांग में खुश्बू का असर देख रही हूँ और आपको एहराम बाँधे तीन दिन हो चुके हैं। **(नसाई-2704)**

2929. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है, किसी शख़्स ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! एहराम की हालत में कौनसे कपड़े पहनना चाहिए? आपने फ़र्माया कि क़मीज़, अमामा, पायजामा, टोपी और मोज़ा वग़ैरह का इस्तेमाल न करे। अल्बत्ता अगर जूता मयस्सर न हो तो मोज़े पहन सकता है लेकिन मोज़ों को टख़ने के क़रीब से काट डाले और जाफ़रान और विर्स से रंगा हुआ कपड़ा न पहने। **(बुख़ारी-1542)**

2930. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एहराम वाला विर्स और ज़ाफ़रान के रंगे हुए कपड़े न पहने। **(बुख़ारी-5852, मुस्लिम-1177)**

मुहरिम को तहबन्द या जूती न मिले तो पायजामा और मौज़े पहन सकता है

2931. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को ख़ुत्बे में मिम्बर पर फ़र्माते सुना, जिस

शख़्स को तहबन्द न मिले पायजामा पहन ले और जिसको जूता न मिले वो मौज़ा पहन ले। हिशाम की हदीस में भी यही है कि अगर तहबन्द न मिले तो पायजामा पहन ले। **(बुख़ारी-5853, मुस्लिम-1178)**

2932. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को जूता न मयस्सर हो उसको मौज़े पहन लेना चाहिए लेकिन टख्नों के क़रीब से उनको काट डाले। **(हदीस नं. 2929 में देखें)**

हालते एहराम में कौनसी बातों से परहेज़ करना चाहिये

2933. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) का बयान है कि हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ (हज्ज के लिये) रवाना हुए। जब मुक़ामे अर्ज पर पहुँचे तो रसूलल्लाह (ﷺ) (वहाँ ठहरे) और आप (ﷺ) के क़रीब हज़रत आइशा (रज़ि.) बैठी हुई थीं। मैं हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के पास बैठी हुई थी। हमारा एक गुलाम था, जिसकी हिफ़ाजत में ऊँट था (जिस पर मैं और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और वो गुलाम सवार होकर सफ़र कर रहे थे) इतने में गुलाम आया। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उसके पास ऊँट न देखकर फ़र्माया, ऊँट कहाँ है? उसने अर्ज़ किया कि रात को मेरे हाथ से गुम हो गया। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने उससे कहा कि हमारे पास सिर्फ़ एक ही ऊँट था और वो भी तूने गुम कर दिया। ये कहकर उसको मारना शुरू किया। आँहज़रत (ﷺ) ने ये मामला देखकर फ़र्माया, इसको देखो! ये एहराम की हालत में है, ये क्या कर रहा है? **(अबू दाऊद-1818)**

मुहरिम एहराम की हालत में अपना सर धो सकता है

2934. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हुनैन (रज़ि.) बयान करते हैं (मुक़ामे) अब्वा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) और मिस्वर बिन मख़्रमा का (एक मसला में) इख़्तिलाफ़ हो गया। हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया कि मुहरिम सर धो सकता है। मिस्वर बिन मख़्रमा (रज़ि.) ने कहा, नहीं धो सकता। आख़िर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने मुझको हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) की ख़िदमत में उसकी तहक़ीक़ के लिये रवाना किया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) दो लकड़ियों पर पर्दा लटकाये हुए उसकी आड़ में गुस्ल कर रहे थे। मैंने आपको सलाम किया, आपने पूछा, कौन है? मैंने कहा, अब्दुल्लाह बिन हुनैन हूँ। मुझको हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने आपके पास इसलिये भेजा है ताकि मालूम करूँ कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एहराम की हालत में सर किस तरह धोया करते थे। ये सुनकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) ने उस कपड़े को हाथ से इतना नीचा किया कि आपका सर दिखाई देने लगा और एक शख़्स से फ़र्माया, मेरे सर पर पानी डाल। उसने पानी डाला। आपने अपने सर को हाथों से मला और फिर अपने हाथ आगे से पीछे को ले गये और पीछे से आगे लाये। उसके बाद फ़र्माने लगे कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को इसी तरह करते देखा है। **(बुख़ारी-1840, मुस्लिम-1205)**

एहराम वाली औरत चेहरे पर कपड़ा लटका सकती है या नहीं?

2935. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हम आँहज़रत (ﷺ) के साथ एहराम की हालत मे होते जब हमारे क़रीब से कोई सवार गुज़रता तो हम अपने चेहरों पर नकाब डाल लिया करतीं। जब वो शख़्स गुज़र जाता तो हम फिर चेहरा खोल लेतीं। **(अबू दाऊद-1833)**

हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस हदीस का भी यही मज़्मून है।

हज्ज में शर्त लगाना जाइज़ है

2936. हज़रत अबूबक्र बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) इब्ने ज़ुबैर अपनी दादी या नानी की रिवायत बयान करते हैं (एक रोज़) आँहज़रत (ﷺ) अपनी फूफी ज़बाआ बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ तशरीफ ले गये। उनसे फ़र्माया कि फूफी साहिबा आप हज्ज क्यूँ नही करतीं। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हूँ। मुझे डर है कि कहीं हज्ज को जाऊँ और बीमारी की वजह से रह जाऊँ। आपने फ़र्माया कि तुम हज्ज का एहराम बाँध लो और शर्त कर लो कि अगर मैं बीमारी की वजह से रह गई तो एहराम खोल डालूँगी। **(तबरानी)**

2937. हज़रत ज़बाआ (रज़ि.) कहती हैं (एक बार) नबी-ए-अकरम (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैं बीमार थी। आपने फ़र्माया, तुम एहराम बाँध लो और निय्यत में यह कह लो कि जहाँ (ऐ अल्लाह!) तू मुझको रोक देगा। मैं वहीं एहराम खोल डालूँगी। **(तबरानी)**

2938. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत ज़बाआ बिन्ते ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मै बीमार हूँ और मेरा इरादा हज्ज करने का है लिहाज़ा मै एहराम किस तरह बाँधू? हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एहराम बाँधकर ये शर्त कर लो कि ऐ अल्लाह! तूने मुझको हज्ज से रोका तो वहीं मैं एहराम खोल दूँगी। **(मुस्लिम-1208)**

हरम शरीफ़ में दाख़िल होने का बयान

2939. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, अम्बिया (अलैहिमुस्सलाम) चलते हुए (सवारी के बग़ैर) और नंगे पैर कअ़बा शरीफ में दाख़िल हुआ करते थे। बैतुल्लाह का तवाफ़ और हज्ज के तमाम अरकान नंगे पाँव पूरे फ़र्माते।

2940. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) जब मक्का में दाख़िल होते तो बुलन्द मुक़ाम की तरफ़ से तशरीफ़ लाते और जब मक्का से बाहर तशरीफ लाते तो पस्त ज़मीन की तरफ़ से कूच फ़र्माते। **(मुस्नद अहमद)**

2941. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) दिन के वक़्त मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल हुए थे। **(तिर्मिज़ी-584)**

2942. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब आप मक्का पहुँचेंगे तो किस मुक़ाम पर उतरेंगे। आपने फ़र्माया, हमारे लिये अकील ने कोई मुकाम छोड़ा है जहाँ हम क़याम करें। उसके बाद फ़र्माया, कल हम बनू किनाना के ख़ैफ़ (वादी-ए-मुहस्सब) में उतरेंगे। (उस मुक़ाम पर) क़ुरैश ने कुफ़्र पर क़सम खाई थी। यानी बनू किनाना ने क़ुरैश से ये क़सम खाई थी कि बनी हाशिम से ये लोग न तो ब्याह शादी करें, न उनसे खरीद फ़रोख्त का सिलसिला क़ायम रखें। हज़रत ज़ुहरी (रज़ि.) कहते हैं (कि हदीस में कि जो लफ़्ज ख़ैफ़ है, उसके मअ़नी मैदान के हैं)।

हज्रे अस्वद को बोसा देने का बयान

2943. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़ि.) का बयान है कि मैंने कम बालों वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब

(रज़ि.) को देखा कि वो हज्रे अस्वद को बोसा देते जाते और फ़र्माते जाते कि मैं तुझको चूम रहा हूँ, हालाँकि मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, न किसी को नुक़्सान पहुँचा सकता है, न नफ़ा दे सकता है। अगर मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को तुझे चूमते न देखा होता तो तुझे न चूमता। **(मुस्लिम-1270)**

2944. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ हज्रे अस्वद जब हाज़िर होगा तो उस वक़्त उसकी दो आँखें होंगी, उनसे देखेगा और ज़ुबान होगी, उससे उन लोगों की शफ़ाअत करेगा जिसने हक़ के साथ उसको बोसा दिया होगा। **(तिर्मिज़ी-961)**

2945. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने हज्रे अस्वद की तरफ़ चेहरा करके लब मुबारक उस पर रख दिये और बहुत देर तक रोते रहे उसके बाद जब आपने चेहरा उठाकर देखा तो हज़रत उमर (रज़ि.) खड़े हुए रो रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि उमर (रज़ि.) इस मुक़ाम पर आंसू बहाना चाहिए। **(हाकिम)**

2946. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) बैतुल्लाह शरीफ़ के कोनों में से सिर्फ़ हज्रे अस्वद का और बनू जमह के घरों की तरफ़ वाक़ेअ हज्रे अस्वद से लगे रुक्ने यमानी का इस्तलाम करते थे। **(मुस्लिम-1227)**

छड़ी के साथ हज्रे अस्वद का इस्तलाम करना

2947. हज़रत सफ़िया बिन्ते शैबा (रज़ि.) कहती हैं, जिस साल मक्का फ़तह हो चुका तो हुज़ूर (ﷺ) ने लोगों के हुजूम की वजह से ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। एक लकड़ी आपके दस्ते मुबारक में थी। उससे आप हज्रे अस्वद का इस्तेलाम करत थे। उसके बाद आप कअ़बा में तशरीफ़ ले गये। वहाँ लकड़ी का एक कबूतर बना हुआ रखा था। आपने उसको उखेड़कर तोड़ डाला और बाहर निकलकर उसको फेंक दिया। मैं ये वाक़िया देख रही थी। **(अबू दाऊद-1878)**

2948. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हज्जतुल विदाअ में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। एक लकड़ी जो आपके दस्ते मुबारक में थी, उससे आप हज्रे अस्वद को इस्तलाम करते थे। **(बुख़ारी-1607, मुस्लिम-1272)**

2949. हज़रत अबी तुफ़ैल आमिर बिन वासला (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को देखा कि आप सवारी पर बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे। आप छड़ी के साथ हज्रे अस्वद का इस्तेलाम करते और छड़ी को बोसा देते। **(मुस्लिम-1275)**

तवाफ़ में रमल करने का बयान

2950. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) खान-ए-कअ़बा का पहला तवाफ़ (क़ुदूम) फ़र्माते तो उसमें तीन मर्तबा अकड़कर चलते और बाक़ी चार मर्तबा दरम्यानी तरीक़े से चलते। हज्रे अस्वद ही से शुरू करते और हज्रे अस्वद ही पर ख़त्म कर देते। (रावी ने कहा) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का भी यही तरीक़ा था। **(बुख़ारी-1617, 1644, मुस्लिम-1261)**

2951. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने तवाफ़ में तीन मर्तबा रमल किया (यानी

अकड़कर चले) और चार मर्तबा मामूली तौर पर हज्रे अस्वद से तवाफ़ शुरू किया और हज्रे अस्वद के पास तवाफ़ मुकम्मलम फ़र्माया। **(मुस्लिम-1263)**

2952. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं कि अब दो मुक़ामों पर यानी तवाफ़ और सई में रमल करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं क्योंकि अल्लाह तआला ने इस्लाम को ग़ालिब कर दिया और कुफ़्र को दूर फ़र्मा दिया है। लेकिन अल्लाह की क़सम! हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का तरीक़ा (ख़्याल करते हुए) इसको कभी न छोड़ेंगे। (यानी अगरचे रमल को जो इल्लत है, वो बाक़ी नहीं रही। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) की सुन्नत का ख़्याल करते हुए हम इसको तर्क नहीं कर सकते।) **(अबू दाऊद-1887)**

2953. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि सुलह हुदैबिया के दूसरे साल जब उमरह के मौक़े पर आँहज़रत (ﷺ) मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल होने लगे तो आपने अपने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया कि कल तुम लोगों को तुम्हारी क़ौम के लोग देखेंगे। लिहाज़ा ज़रूरी है कि तुम उन्हें मज़बूत नज़र आओ। चुनाँचे जब हरम में दाख़िल हुए तो हज्रे अस्वद को बोसा दिया और तवाफ़ में खूब अकड़कर चले और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) भी उन लोगों के साथ थे। जब रुक्ने यमानी के पास पहुँचते तो मामूल चाल पर हो जाते। इसी तौर पर आपने तीन मर्तबा किया और चार बार मामूल के मुताबिक़ आपने तवाफ़ फ़र्माया (यानी चार बार में रमल नहीं किया)। **(अबू दाऊद-1890)**

दायाँ कंधा नंगा रखकर एहराम की चादर ओढ़ना

2954. हज़रत यअ़ला बिन उमैया (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने चादर ओढ़कर इज़्तिबाअ़ की हालत में तवाफ़ किया। (हदीस के रावी) क़ुबैसा ने कहा, आपने एक चादर ओढ़ी थी। **(तिर्मिज़ी-859)**

हतीम का तवाफ़

2955. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने नबी करीम (ﷺ) से हतीम के बारे में पूछा तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि वो कअ़बा में दाख़िल है। मैंने अर्ज़ किया, तो फिर लोगों ने उसको दाखिल क्यूँ नहीं किया? बाहर क्यूँ छोड़ दिया। आपने फ़र्माया, उनके पास ख़र्च करने के लिये रक़म नहीं रही थी। फिर मैंने अर्ज़ किया, कअ़बा का दरवाज़ा इतना बुलन्द क्यूँ रखा गया कि सीढ़ियों की ज़रूरत महसूस हुई। आपने फ़र्माया कि ये भी तुम्हारी क़ौम की हरकत है। ये उन्होंने इसलिए किया कि जिसको चाहें अंदर दाखिल होने दें और जिसको चाहें रोक दें। चूँकि ज़मान-ए-जाहिलियत क़रीब गुज़र चुका है अगर मैं कअ़बा को तोड़कर इस कमी को पूरा करूँगा तो मेरा ख़्याल है कि तेरी क़ौम के दिल इसको गवारा नहीं करेंगे वरना तू देखती कि मैं इसको तोड़कर कैसा बना देता और जो इसमें कमी है उसको पूरा करके दरवाज़े को ज़मीन दोज़ कर देता (ताकि हर शख़्स बाआसानी जा सके)। **(बुख़ारी-1584, 7243, मुस्लिम-1333)**

तवाफ़ की फ़ज़ीलत का बयान

2956. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स खान-ए-कअ़बा का तवाफ़ करने के बाद दो रकअ़त नमाज़ अदा करेगा उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब अता किया जायेगा। **(इब्ने ख़ुज़ैमा)**

2957. हज़रत हिशाम (रह.) ने हज़रत अता बिन अबी रिबाह (रह.) से बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए रुक्ने यमानी

के बारे में पूछा। उन्होंने फ़र्माया कि मुझसे अबू हुरैरह (रज़ि.) ने बयान किया कि आँहज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया रुक्ने यमानी पर सत्तर फ़रिश्ते मुअय्यन हैं जो शख़्स (इस मुक़ाम) पर ये पढ़ता है, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दुनिया वल आख़िरति रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतव्वंफ़िल आख़िरति हसनतवंवक़िन अज़ाबन्नार** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे दुनिया और आख़िरत में माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करता हूँ, ऐ हमारे मालिक! हमें दुनिया में भी भलाई अता फ़र्मा और आख़िरत में भी भलाई अता फ़र्मा और हमें आग के अज़ाब से बचा) तो वो फ़रिश्ते आमीन कहते जाते हैं। जब हज़रत अता तवाफ़ करते हुए हज्रे अस्वद के क़रीब पहुँचे तो हिशाम (रज़ि.) ने कहा कि अबू मुहम्मद से हज्रे अस्वद के बारे में भी तुमको कोई हदीस पहुँची है। उन्होंने कहा कि (हाँ!) अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते थे, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने हज्रे अस्वद को छुआ उसने गोया अल्लाह तआला के हाथ को छुआ! (यानी उसके छूने में बड़ी अज़्मत है) इब्ने हिशाम कहने लगे कि अबू मुहम्मद तवाफ़ के बारे में तुमको कुछ इल्म हुआ है। उन्होंने कहा, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तवाफ़ करते वक़्त सिवाए इन लफ़्ज़ो के **सुब्हानल्लाहि वल हम्दुलिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह** (अल्लाह पाक है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं, अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और अल्लाह सबसे बडा है, अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर कोई बचाव और ताक़त नहीं) और कोई बात न करे उसकी दस बुराईयाँ मिटा दी जायेंगी और दस नेकियाँ लिखी जायेंगी और दस दर्जे उसके बुलंद कर दिये जायेंगे और जिस शख़्स ने इससे तवाफ़ की हालत में बात की वो रहमत में ऐसा घुसने वाला होगा जिस तरह कोई शख़्स पानी में अपने पैर डुबोये। **(इब्ने अदी)**

तवाफ़े कअबा के बाद दो रकअत नमाज़ अदा करना

2958. हज़रत मुत्तलिब बिन अबू वदाअ सहमी (रज़ि.) का बयान है कि जब सात चक्करों से फ़ारिग़ हुए तो मैंने आँहज़रत (ﷺ) को देखा कि आपने रुक्ने यमानी के क़रीब आकर दो रकअतें अदा की और आपके और तवाफ़ करने वालो के बीच में कोई आड़ न थी। हज़रत इब्ने माजा (रज़ि.) कहते हैं कि ये सिर्फ़ हरम शरीफ़ की खुसूसियत है कि (बग़ैर सुतरे के नमाज़ पढ़ना जाइज़ हुई)। **(नसाई-2962)**

2959. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो आपने सात मर्तबा तवाफ़ करने के बाद दो रकअतें अदा कीं। हज़रत वकीअ (रज़ि.) की रिवायत में है कि मुक़ामे इब्राहीम के क़रीब आप (ﷺ) ने दो रकअतें अदा फमाईं उसके बाद कोहे सफ़ा की तरफ़ चले। **(बुख़ारी-1627, मुस्लिम-1234)**

2960. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, जब आँहज़रत (ﷺ) तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर मुक़ामे इब्राहीम पर तशरीफ़ लाये तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये वो मुक़ाम हमारे बाप इब्राहीम (अलैहि.) का है, जिसके बारे में अल्लाह तआला फ़र्माता है **वत्तख़िज़ू मिम् मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला** (इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज़ की जगह बनाओ) हज़रत वलीद बिन मुस्लिम (रह.) इस हदीस के रावी कहते हैं कि मैनें हज़रत इमाम मालिक (रह.) से कहा कि क्या (आपके उस्ताज़ हज़रत जाफ़र बिन मुहम्मद रह. ने) इस आयत वत्तख़िज़ू के कसरा के साथ पढ़ा गया है? आपने फ़र्माया हाँ!

मरीज़ सवारी पर सवार होकर तवाफ़ कर सकता है

2961. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि ये बीमार हो गईं तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनको लोगों के पीछे

सवार होकर तवाफ़ करने का हुक्म दिया। उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को कअ़बा की तरफ़ नमाज़ अदा करते देखा। आप उसमें ये आयत तिलावत फ़र्मा रहे थे, **वत्तूर व किताबिम् मस्तूर** (क़सम है तूर की और लिखी हुई किताब की)। इमाम इब्ने माजा कहते हैं, ये हदीस हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) की है।

(बुख़ारी-1619, मुस्लिम-1276)

मुल्तज़िम का बयान

नोट : *मुल्तज़िम उस मुक़ाम को कहते हैं जो कअ़बा और हज्रे अस्वद के बीच में है। लोग इससे चिमट कर दुआ मांगते हैं।*

2962. हज़रत अम्र बिन शुऐब (रज़ि.) अपने दादा (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) के साथ तवाफ़ किया। जब हम सात चक्करों से फ़ारिग़ हो गये तो कअ़बा के पीछे की तरफ़ हमने दो रकअ़त नमाज़ अदा की। मैंने अ़ब्दुल्लाह से कहा, तुम दोज़ख़ से पनाह नहीं मांगते? उन्होंने ये सुनकर कहा, अऊज़ुबिल्लाहि मिनन्नार उसके बाद हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने वहाँ से आकर हज्रे अस्वद को बोसा लिया और कअ़बा व हज्रे अस्वद के बीच में खड़े होकर उससे अपना सीना, हाथ और रुख़सार कअ़बा से लगा दिये और कहने लगे मैंने आँहज़रत (ﷺ) को भी इसी तरह करते देखा है। **(अबू दाऊद-1899)**

हाइज़ा औरत तवाफ़ के अलावा हज्ज के तमाम अरकान अदा कर सकती है

2963. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ हज्ज के इरादे से रवाना हुए। जब हम मुक़ामे सरिफ़ में पहुँचे या मुक़ामे सरिफ़ के क़रीब पहुँचे तो मुझको हैज़ आना शुरू हो गया। जब आँहज़रत (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैं रो रही थी। आपने फ़र्माया, क्यूँ क्या हुआ? क्या तुमको हैज़ आना शुरू हो गया। मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये तो ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तआ़ला ने आदम (अ़लैहिस्सलाम) की बेटियों पर लिख दिया है, तुम तवाफ़ के अ़लावा हज्ज के तमाम अरकान पूरे करो। हज़रत आइशा (रज़ि.) (ये भी) बयान करती हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से एक गाय की क़ुर्बानी अदा फ़र्माई थी। **(बुख़ारी-294, मुस्लिम-1211)**

हज्जे मुफ़रद अदा करना

तशरीह : *हज्ज की तीन किस्में हैं, हज्जे इफ़राद, हज्जे क़िरान और हज्जे तमत्तोअ। अगर सिर्फ़ हज्ज की निय्यत से एहराम बाँधा जाये तो वो हज्जे इफ़राद है। और अगर हज्ज और उ़मरह दोनों की निय्यत से एहराम बाँधा जाये तो वो हज्जे क़िरान है और हज्जे तमत्तोअ ये है कि मीक़ात के क़रीब से सिर्फ़ उ़मरह की निय्यत करके एहराम बाँधे और बैतुल्लाह में दाख़िल होकर उ़मरह करके एहराम खोल डाले। फिर आठवीं तारीख से हज्ज का एहराम बाँध ले। इस सूरत मे सहूलत होती है।*

2964. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हज्जे इफ़राद अदा किया। **(मुस्लिम-1211)**

2965. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज्जे मुफ़रद अदा किया।

(बुख़ारी-1562, मुस्लिम-1211)

2966. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज्जे इफ़राद किया। **(मुस्लिम-1218)**

2967. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत उस्मान (रज़ि.) सबने हज्जे मुफ़रद किया।

हज्ज और उमरह को मिलाकर (एक एहराम के साथ) अदा करना

2968. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हम हुज़ूरे करीम (ﷺ) के साथ हज्ज के लिये रवाना हुए। मैंने आप (ﷺ) को तल्बिया में ये फ़र्माते हुए सुना, **लब्बैक उमरतन व हज्जतन** (ऐ अल्लाह! मैं उमरह और हज्ज दोनों के लिये हाज़िर हूँ) **(मुस्लिम-1251)**

2969. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, **लब्बैक उमरतन व हज्जतन** (ऐ अल्लाह! मैं उमरह और हज्ज दोनों के लिये हाज़िर हूँ) **(मुस्नद अहमद)**

2970. हज़रत सुबय्य इब्ने मअबद(रह.) कहते हैं कि पहले मैं नसरानी (ईसाई) था। जब मुसलमान हुआ तो मैंने हज्ज और उमरह दोनों (की निय्यत करके) दोनों का एहराम बाँधा। ये वाक़िया हज़रत सलमान इब्ने रबीआ (रह.) और ज़ैद बिन सूहान (रह.) को मालूम हुआ। उस वक़्त मैं क़ादसिया में दोनों का तल्बिया कह रहा था। ये दोनों हज़रात कहने लगे कि ये शख़्स अपने ऊँट से भी ज़्यादा बेवक़ूफ़ है। मैंने ये बात सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि गोया मेरे ऊपर एक पहाड़ गिरा दिया। चुनाँचे मैं हज़रत उमर (रज़ि.) के पास हाज़िर हुआ और उनसे ये वाक़िया बयान किया। उन्होंने दोनों हजरात की तरफ़ मुतवज्जह होकर उनको मलामत की और मुझसे फ़र्माया कि (भाई) तुमने तो सुन्नत तरीक़े पर अमल किया है। शक़ीक़ (रह.) कहते हैं मैं और मसरूक़ इब्ने मअबद (रह.) के पास कई मर्तबा इस हदीस के सुनने के लिये गये। **(अबू दाऊद-1798)**

हज़रत सुबय्य इब्ने मअबद (रह.) कहते हैं, मुझे नसरानी हुए थोड़ा सा ज़माना गुज़रा था कि मैं मुसलमान हो गया उसके बाद फ़ौरन ही मैंने इबादते हज्ज बजा लाने का इरादा किया और हज्ज और उमरह दोनों का एक ही एहराम बाँधा.....(उसके बाद ऊपर बयान की गई हदीस बयान की)। (ये अल्फ़ाज़ दूसरी रिवायत के हैं)

2971. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि अबू तलहा (रज़ि.) ने मुझसे बयान किया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज्ज और उमरह दोनों को मिलाकर एहराम बाँधा था। **(मुस्नद अहमद)**

हज्जे क़िरान वाले के तवाफ़ करने का बयान

2972. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, इब्ने उमर (रज़ि.) और **हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.)** कहते हैं, जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) और आपके सहाबा किराम (रज़ि.) मक्का तशरीफ लाये तो आपने हज्ज और उमरह दोनों को मिलाकर सिर्फ़ एक ही तवाफ़ किया। **(मुस्लिम-1215)**

2973. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हज्ज और उमरह के लिये एक ही तवाफ़ किया। **(मुस्लिम-1213, 1215)**

2974. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि वो हज्जे क़िरान की निय्यत से दोनों का एक ही एहराम बाँधे हुए मक्का तशरीफ़ लाये तो बैतुल्लाह का सात बार तवाफ़ किया। सफ़ा और मरवा के बीच सई की और फ़र्माया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने भी इसी तरह किया था।

2975. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हज्ज और उमरह दोनों का एहराम बाँधे उसके लिये एक ही तवाफ़ काफ़ी होगा। अल्बत्ता जब तक हज्ज पूरा न करे उस वक़्त तक एहराम नहीं खोल सकता। जब हज्ज के अरकान पूरे कर लेगा तो दोनों का इकट्ठा एहराम खोले। **(तिर्मिज़ी-948)**

हज्जे तमत्तोअ का बयान

2976. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) वादी-ए-अक़ीक़ में थे तो आपने फ़र्माया, मेरे रब के पास से आने वाला कह गया है कि इस मुबारक मैदान में नमाज़ पढ़ी जाये और कह दीजिये कि हज्ज में उमरह भी करना चाहिए। इस रिवायत के अल्फ़ाज अबू दुहैम (रह.) के अल्फ़ाज हैं। **(बुख़ारी-1534)**

2977. हज़रत सुराक़ा बिन जअशम (रज़ि.) कहते हैं, इस वादी में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने खुत्बा फ़र्माते हुए इर्शाद फ़र्माया, याद रखो कि क़यामत तक के लिये हज्ज में उमरह दाखिल है। **(नसाई-2808)**

2978. हज़रत मुतरिफ़ बिन अब्दुल्लाह इब्ने शुख़ैर (रह.) का बयान है, इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे एक रिवायत बयान करता हूँ, शायद आज के बाद अल्लाह तआला उसके ज़रिये से तुमको फ़ायदा पहुँचाये। खूब सुन लो कि आँहज़रत (ﷺ) के घर वालों ने उमरह ज़िल्हिज्ज के पहले अशरे में किया। आँहज़रत (ﷺ) ने इससे मना नहीं किया और न इसके मन्सूख होने का हुक्म नाज़िल हुआ। अल्बत्ता इसके बाद एक शख़्स ने अपनी राय से जो चाहा कह दिया। **(मुस्लिम-1226)**

2979. हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) का बयान है कि आप हज्जे तमत्तोअ के जवाज़ में फ़तवा दिया करते थे एक शख़्स ने उनसे कहा तुमको चाहिए कि अपने कुछ फ़त्वे या तो छोड़ दो या रोके रखो। तुमको नहीं मालूम कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने तुम्हारे बाद हज्ज के बारे में क्या फ़र्माया है। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ने फ़र्माया, उसके बाद मैंने हज़रत उमर (रज़ि.) से मुलाक़ात की और उनसे पूछा तो उन्होंने फ़र्माया कि मुझको मालूम है कि आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में लोगों ने हज्जे तमत्तोअ किया (और उसका करना जाइज़ है) लेकिन मुझको ये अच्छा मालूम नहीं हुआ कि लोग दरख़्तों के नीचे अपनी औरतों से सुहबत करें और फिर हज्ज के लिये रवाना हो जाएँ जबकि उनके सरों से (गुस्ल करने की वजह से पानी के) क़तरे टपकते हों। **(मुस्लिम-1222)**

हज्ज की निय्यत तोड़कर (उमरह की निय्यत करना)

2980. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के साथ सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधा, उमरह उसमें शामिल न था। अल्ग़र्ज़ हम मक्का में पहुँचे। जब माहे ज़िल्हिज्ज की चार रातें गुजर चुकी तो हमने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और सफ़ा मरवा के बीच सई की। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने हमसे फ़र्माया, उमरह का ख़्याल करके एहराम खोल डालो और हलाल होकर अपनी औरतों से सुहबत करो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अरफ़ा के सिर्फ़ पाँच रोज़ रह गये हैं, तो क्या हम ऐसे हाल में अरफ़ात जायेंगे कि हमारे ज़करों से मनी टपक रही होगी। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! मैं आप हजरात से ज़्यादा नेक और सच्चा हूँ (आप ऐसी बातों का ख़याल न करें) अगर मेरे पास भी हदिया (कुर्बानी का जानवर) न होता तो मैं भी हलाल हो जाता। सुराक़ा बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तमत्तोअ सिर्फ़ इस साल के लिये है। आपने फ़र्माया, नहीं! हमेशा के लिये है। **(बुख़ारी-2505, मुस्लिम-1216)**

2981. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब ज़ी क़अदह के पांच रोज़ बाक़ी थे। तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हज्ज की निय्यत से रवाना हुए। जब आप मक्का पहुँचे तो आपने हुक्म दिया कि जिन लोगों के पास हदिया (क़ुर्बानी का जानवर) नहीं है, वो अपना एहराम खोल डालें और जिनके पास हदिया हो वो न खोलें। उन सबने अपने एहराम खोल डाले और जिनके पास हदिया था उन्होंने अपना एहराम बाक़ी रखा। जब क़ुर्बानी का दिन हुआ तो आप हमारे यहाँ दस्ते मुबारक मे गाय का गोश्त लिये हुए तशरीफ़ लाये। लोगों की ज़ुबानी हमको मालूम हुआ कि ये गाय आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी बीवियों की तरफ़ से क़ुर्बानी की थी। **(बुख़ारी- 1709, मुस्लिम- 1211)**

2982. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज का एहराम बाँधकर चले। जब आप मक्का पहुँचे तो आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग अपने एहराम को उमरह का एहराम क़रार दे दो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमने तो हज्ज का एहराम बाँधा था। अब उसको उमरह का किस तरह बनायें? आपने फ़र्माया, देखो! मैं जिस बात का हुक्म देता हूँ तो तुम उसको बजा लाओ लेकिन लोगों ने फिर भी यही अर्ज़ किया कि हम हज्ज के एहराम को उमरह का एहराम किस तरह क़रार दें। ये सुनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को गुस्सा आ गया। आप उसी हालत में हज़रत आइशा (रज़ि.) के मुक़ाम पर तशरीफ़ लाये। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आपके चेहरा मुबारक पर गुस्से के आसार देखकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या बात है? अल्लाह उसको गुस्से में डाले जिसने आपको गुस्से में डाला। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको गुस्सा क्यूँ न आये, मैं लोगों को एक बात का हुक्म देता हूँ लेकिन वो मेरा कहना बिल्कुल नहीं सुनते। **(मुस्नद अहमद)**

2983. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) कहती हैं, हम लोग हज्ज के लिये एहराम बाँधकर रवाना हुए (जब मक्का पहुँचे तो) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, जिसके पास हदिया (क़ुर्बानी का जानवर) न हो तो वो अपना एहराम खोल डाले और जिसके पास हदिया हो वो न खोले। चूँकि मेरे पास हदिया नहीं था, मैंने अपना एहराम खोल डाला और मेरे शौहर हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) के पास हदिया मौजूद था, उन्होंने नहीं खोला। मैं एहराम खोलकर और अपने कपड़े पहनकर उनके पास गई तो मुझसे कहने लगे कि तू मेरे पास से चली जा (क्योंकि आपको डर हुआ कि कहीं ऐसा न हो कि शह्वत की वजह से सुहबत कर बैठें)। हज़रत अस्मा (रज़ि) कहती हैं, ये सुनकर मैंने उनसे कहा, क्या आपको इस बात का ख़तरा है कि मैं आप पर कूद पड़ूँगी? **(मुस्लिम- 1236)**

क्या हज्ज की निय्यत तोड़ने का हुक्म सिर्फ़ सहाबा के लिये था?

2984. हज़रत हिलाल बिन हारिस (रज़ि.) से रिवायत है, मैंने (आँहज़रत (ﷺ) से) अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज्ज का एहराम उमरह के लिये कर देना हम ही लोगों के लिये ख़ास है या हर शख़्स के लिये यही हुक्म है? आपने फ़र्माया नहीं! हर शख़्स के लिये ये हुक्म नहीं है, सिर्फ़ तुम्हारे लिये ख़ास है। **(अबू दाऊद- 1808)**

2985. हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी (रज़ि.) का बयान है कि हज्ज का तमत्तोअ कर देना हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सहाबा के लिये ही खास था। **(मुस्लिम- 1236)**

सफ़ा और मरवा में दौड़ने का बयान

2986. हज़रत उर्वा (रह.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से कहा, मैं यह ख़्याल करता हूँ अगर सफ़ा व मरवा की सई न करूँ तो कोई गुनाह नहीं। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि अल्लाह तआला तो ये

फ़र्माता है, **इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन् शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैत अविअतमर फ़ला जुनाह अलैहि अंय्यत्तव्वफ़ बिहिमा** (सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं, इसलिये जो शख़्स हज्ज करे या उमरह करे तो उस पर सफ़ा और मरवा में दौड़ने से कोई हर्ज न होगा) लेकिन तुम्हारा ख़्याल सही होता तो इस तरह अल्लाह इर्शाद फ़र्माता, **फ़ला जुनाह अलैहि अंय्यत्तव्वफ़ बिहिमा** (यानी सफ़ा और मरवा की दौड़ न करने से उन पर कोई हर्ज नहीं)। ये आयत उन चंद अंसारी लोगों के बारे में नाज़िल हुई है कि जब वो तल्बिया कहा करते थे तो मनात के नाम से पुकारा करते थे। फिर (उनके ख़्याल से) सफ़ा व मरवा की सई करना उनके लिये जाइज़ नहीं होता था। जब वो नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्ज के लिये आये तो उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से अर्ज़ की, तब अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई। मेरी उम्र की क़सम! अल्लाह तआला उस शख़्स का हज्ज मुकम्मल नहीं मानता जो सफ़ा व मरवा के दरम्यान सई न करे। **(मुस्लिम-1277)**

तशरीह : *मनात अरब का मशहूर बुत है जिसकी ज़माना कुफ़्र में परस्तिश की जाती थी तो उनके लिये सफ़ा व मरवा में दौड़ना जाइज़ न होता। जब ये लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज के लिये हाज़िर हुए तो आपसे अर्ज़ किया। तब ये आयत नाज़िल हुई कि सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियाँ हैं, उनके बीच में दौड़ने से कोई हर्ज नहीं है (जिस तरह तुम इस्लाम से पहले उसमें हर्ज ख़्याल करते थे) फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे उम्र देने वाले की क़सम! जो शख़्स सफ़ा और मरवा की सई छोड़ देगा गोया उसने अल्लाह तआला का फ़र्ज किया हुआ हज्ज मुकम्मल नहीं किया।*

2987. हज़रत सफ़िया बिन्ते शैबा (रज़ि.) ने हज़रत उस्मान बिन शैबा (रज़ि.) की उम्मे वलद (रज़ि.) की रिवायत बयान की कि उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को सफ़ा व मरवा के बीच में दौड़ते और ये फ़र्माते हुए सुना कि मुक़ामे अब्तह की ज़मीन सिर्फ़ दौड़ कर ही तै की जाये। **(मुस्नद अहमद)**

2988. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, अगर मैं सफ़ा और मरवा के बीच में दौड़ूँ तो भी कोई हर्ज नहीं क्योंकि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को दौड़ते हुए देखा और अगर मामूल चाल से चलूँ तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं क्योंकि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को भी इस तरह करते देखा है चूँकि अब मैं निहायत बूढ़ा हूँ, इस वजह से दौड़ नहीं सकता। **(अबू दाऊद-1904, तिर्मिज़ी-864)**

उमरह का बयान

2989. हज़रत तलहा इब्ने उबेदुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) फ़र्माया करते कि हज्ज करना जिहाद है और उमरह करना नफ़्ल है। **(तबरानी फ़िल्औसत-6719)**

2990. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि आँहज़रत (ﷺ) ने उमरह किया तो हमने भी आपके साथ उमरह किया। जब आपने नमाज़ अदा की तो हमने भी नमाज़ अदा की। लेकिन हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को घेरे रहते ताकि मुश्रिकीन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को ईज़ा न पहुँचाये। **(बुख़ारी-4188)**

माहे रमज़ान में उमरह की फ़ज़ीलत

2991. हज़रत वुहैब बिन ख़न्बश (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान में एक उम्रह एक हज्ज के बराबर है। **(मुस्नद अहमद)**

2992. हज़रत हरम इब्ने ख़न्बश (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि रमजान में उमरह करना एक हज्ज के बराबर है। **(मुस्नद अहमद)**

2993. हज़रत अबू मअक़ल (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान में एक उमरह एक हज्ज के बराबर है। **(तिर्मिज़ी-939)**

2994. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान में उमरह करना हज्ज के बराबर है। **(तब्रानी-11299)**

2995. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, रमज़ान में उमरह करना हज्ज के बराबर है। **(मुस्नद अहमद)**

ज़ी क़अदह के महीने में उमरह करने का बयान

2996. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ज़ीक़अदह के सिवा (किसी और महीने) में उमरह अदा नहीं फ़र्माया।

2997. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने ज़ीक़अदह के सिवा (किसी और महीने) में उमरह अदा नहीं फ़र्माया। **(मुस्नद अहमद)**

रजब के महीने में उमरह करने का बयान

2998. हज़रत उर्वा (रह.) कहते हैं, हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा गया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कौनसे महीने में उमरह किया? तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, रजब के महीने में। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने रजब में कभी भी उमरह नहीं किया, हालाँकि इब्ने उमर (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) के साथ थे। जब हुज़ूर (ﷺ) उमरह के लिये तशरीफ़ ले गये थे (मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) महीने का नाम भूल गये)। **(तिर्मिज़ी-936)**

तन्ईम से उमरह का एहराम बाँधने का बयान

2999. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि .) से रिवायत है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनको ये हुक्म दिया था कि हज़रत आइशा (रजि.) को अपने साथ ले जाएँ और मुक़ामे तन्ईम से उमरह का एहराम बाँधा जाये (चूँकि ये मुकाम बनिस्बत दूसरे मुकामो के क़रीब है इसलिए हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हज़रत आइशा (रज़ि .) को तन्ईम से एहराम बाँधने का हुक्म दिया)। **(बुख़ारी-1784)**

3000. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हम लोग हज्जतुल विदाअ के मौक़े पर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ (मदीना से) रवाना हुए और ज़िल्हिज्जह का चाँद निकलने ही वाला था। आपने सहाबा किराम (रज़ि.) से फ़र्माया, तुममें से जिसकी तबीअत चाहे उमरह का तल्बिया कहें। अगर मेरे पास हदिया (कुर्बानी का जानवर) न होता तो मैं भी उमरह ही करता। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि हममें से कुछ लोगों ने उमरह का एहराम बाँधा और कुछ ने हज्ज का। मैं भी उन लोगों में से थी जिन्होंने उमरह का एहराम बाँधा था। अल्ग़र्ज़ जब हम मक्का पहुँचे तो ऐसा इत्तिफ़ाक हो गया कि अरफ़ा का दिन आ गया और मैं हैज़ की हालत में थी और उमरह का एहराम भी न खोला था। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो मैंने आपसे

शिकायत की कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा हज्ज फ़ौत हुआ जाता है, मैं क्या करूँ? आपने फ़र्माया कि तू उमरह का एहराम खोलकर हज्ज का एहराम बाँध ले। सर खोलकर कँघी वग़ैरह कर ले। हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब मुहस्सब की रात आई और अल्लाह तआला ने हमारा हज्ज पूरा कर दिया तो आपने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबीबक्र (रज़ि.) को हुक्म दिया कि मुझको अपने साथ ऊँट पर पीछे सवार कराके मक़ामे तन्ईम में ले जायें (और वहाँ से उमरह का एहराम बँधवाया जाये) उन्होंने मुझको अपने पीछे बिठा लिया और मुकामे तन्ईम में पहुँचकर मैंने उमरह का एहराम बाँधा और पहले उमरह को क़ज़ा किया। ग़र्ज़ कि अल्लाह तआला ने हमारा हज्ज भी अदा करा दिया और उमरह भी करा दिया न उसमें हमको सदक़ा देना पड़ा। न हम पर हदिया लाज़िम हुआ न रोज़े रखने पड़े। **(बुख़ारी-1783, मुस्लिम-1211)**

उस शख़्स का बयान जो बैतुल मक़्दिस से उमरह का एहराम बाँधे

3001. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बैतुल मक़्दिस से उमरह का एहराम बाँधेगा उसके तमाम गुनाह बख़्श दिये जायेंगे। **(इब्ने हिब्बान (मवारिद)-1021)**

3002. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया कि जो शख़्स बैतुल मक़्दिस से उमरह का एहराम बाँधेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि (इस फ़र्मान के मुताबिक़) मैंने भी बैतुल मक़्दिस से उमरह का इरादा किया। **(अबू दाऊद-1741)**

हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कितने उमरह किये?

3003. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने चार उमरह किये। पहला उमरह हुदैबिया, दूसरा उमरतुल क़ज़ा, तीसरा उमरह जिअराना, चौथा उमरह हज्जतुल विदाअ के साथ। **(अबू दाऊद-1993)**

मिना जाने का बयान

3004. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने ज़िल्हिज्ज की आठवीं तारीख मुक़ामे मिना में (पाँचों वक़्त की नमाज़ें अदा कीं) ज़ुहर, असर, मग़िब, इशा और फज्र। उसके बाद सुबह होते ही अरफ़ात की तरफ़ तशरीफ़ ले चले। **(तिर्मिज़ी-879)**

3005. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) पाँचों नमाज़ें मिना में अदा फ़र्माया करते और लोगों से फ़र्माते कि आँहज़रत (ﷺ) का भी यही तरीक़ा था (आप पाँचों नमाज़ें यहाँ अदा करके अरफ़ात को तशरीफ़ ले जाते)।

मिना में क़याम करने का बयान

3006. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर (आपका इर्शाद हो तो) मिना में आपके लिये एक मकान तैयार कर दें। आपने फ़र्माया कि, नहीं! जो शख़्स पहले यहाँ पहुँचे मिना उसके इक़ामत की जगह है। **(बुख़ारी-2019)**

3007. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मिना में छाँव के लिये आपके लिए कोई मकान तैयार कर दिया जाये (तो बेहतर हो) आपने फ़र्माया, जो इस मुक़ाम पर पहले पहुँचे उसी की इक़ामत की जगह है (मिन हाजियों के लिये वक़्फ़ है)। **(हाकिम)**

सुबह होते ही मिना से अरफ़ात जाने का बयान

3008. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, नवीं तारीख़ की सुबह होते ही हम लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ मिना से अरफ़ात की तरफ़ रवाना हुए। हममेंसे कोई शख़्स तक्बीर कहता जाता और कोई शख़्स तहलील (ला इलाह इल्लल्लाह) तक्बीर कहने वाले तहलील कहने वालों को ऐब न लगाते थे और न तहलील कहने वाले तक्बीर कहने वालों पर (क्योंकि अल्लाह तआला के ज़िक्र की ज़रूरत है ख़्वाह किसी तरह से हो)। **(बुख़ारी- 1659, मुस्लिम- 1285)**

अरफ़ात में ठहरने की जगह

3009. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अरफ़ात में पहुँचे तो आप वादिये-नमरह में ठहरे। जब हज्जाज इब्ने यूसुफ़ ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) को शहीद किया तो हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से ये पूछवाया गया था कि आँहज़रत (ﷺ) आज के दिन किस वक़्त निकले थे। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहलाया कि जब वो वक़्त आयेगा तो हम खुद चलेंगे। ये सुनकर हज्जाज ने एक शख़्स को इसलिये मुक़र्रर कर दिया था कि जब अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) चलें तो वो वक़्त मालूम करे। जब हज़रत उमर (रज़ि.) ने रवाना होने का इरादा किया तो पूछा कि सूरज ढल गया? लोगों ने अर्ज़ किया, अभी नहीं। ये सुनकर आप बैठ गये। थोड़ी देर बाद फिर पूछा सूरज ढल गया या नहीं? लोगों ने कहा, अभी नहीं! आप फिर बैठ गये। फिर आपने पूछा, क्या सूरज ढल गया? लोगों ने अर्ज़ किया, अभी नहीं। आप फिर बैठ गये। कुछ देर बाद फिर कहा, सूरज ढल गया या नहीं? लोगों ने कहा, जी हाँ। जब उन्होंने कहा, हाँ ढल गया है। तब हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) वहाँ से रवाना हुए। **(अबू दाऊद- 1914)**

3010. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) अरफ़ात में ठहरे तो फ़र्माया, ये ठहरने की जगह है। पूरा अरफ़ात ठहरने की जगह है। **(अबू दाऊद- 1935, तिर्मिज़ी-885)**

3011. हज़रत ज़ैद बिन शैबान (रज़ि.) कहते हैं कि हम अरफ़ात में एक जगह ठहरे हुए थे लेकिन हमारे ख़्याल में वो जगह ठहरने की जगह से दूर थी। इतने में इब्ने मिरबअ (रज़ि.) हमारे पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि मैं रसूले मक़्बूल (ﷺ) का पैग़ाम लेकर आया हूँ। आपने फ़र्माया कि तुम लोग जहाँ-जहाँ ठहरे हुए हो वहीं रहो। क्योंकि आज तुम हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के वारिस हो। **(अबू दाऊद- 1919)**

3012. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पूरा अरफ़ात ठहरने की जगह है। अल्बत्ता उर्ना के निचले हिस्से से ऊपर ठहरो। इसी तरह पूरा मुज़दलिफ़ा ठहरने की जगह है, लेकिन वादी-ए-मुहस्सिर के निचले हिस्से से ऊपर रहो, मिना पूरा कुर्बानी की जगह है सिवाय उसके जो घाटी के पीछे है। **(मुस्लिम- 1218)**

अरफ़ात में दुआ करने का बयान

3013. हज़रत अब्बास बिन मिरदास सुलमी (रज़ि.) से रिवायत है, अरफ़ा के दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने (क़याम के दौरान) अपनी उम्मत की बख़्शिश के लिये दुआ फ़र्माई। अल्लाह तआला की तरफ़ से आपको फ़र्मान हुआ कि हमने तुम्हारी उम्मत को बख़्श दिया। लेकिन ज़ालिम शख़्स से मैं मज़्लूम का बदला ज़रूर लूँगा। उसको नहीं छोडूँगा। आपने अर्ज़ किया, ऐ रब! अगर तू चाहे तो ये भी हो सकता है कि ज़ालिम को बख़्श दे और मज़्लूम को इस बात पर आमादा करे कि वो ज़ालिम को माफ़ कर दे और मज़्लूम को जन्नत अता फ़र्माये। लेकिन आँहज़रत (ﷺ) को इस बात

का जवाब उस वक़्त कुछ न मिला। फिर मुज़दलिफ़ा में सुबह के वक़्त आपने अल्लाह तआला से यही दुआ की तो अल्लाह तआला ने आपकी दुआ को क़ुबूल कर लिया जिसकी वजह से आप हंसे या तबस्सुम फ़र्माया। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) और हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये देखकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह आपको हंसाता ही रखे, हमारे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान! इस मक़ाम पर हमने कभी आपको तबस्सुम फ़र्माते न देखा, आज क्या मामला है कि आपने तबस्सुम फ़र्माया? आपने फ़र्माया, मुझको इब्लीस पर हंसी आ गई जब उसने देखा कि अल्लाह तआला ने मेरी दुआ क़ुबूल करके मेरी उम्मत को बख़्श दिया तो इब्लीस ने मिट्टी उठाकर अपने सर पर डाली और चिल्लाने लगा। उसको देखकर मुझको हंसी आ गई। **(अबू दाऊद-5234)**

3014. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जितने आदमी आज (अरफ़ा) के दिन अल्लाह तआला दोज़ख़ से आज़ाद करता है, उतने किसी दिन आज़ाद नह करते और अल्लाह तआला आज के दिन (अपने) बन्दों की वजह से अपने बन्दों पर फ़ख़्र करता है और फ़र्माता है कि ये लोग क्या चाहते हैं (जो मैं इनको इनायत करूँ)। **(मुस्लिम-1348)**

जो शख़्स अरफ़ात में दस तारीख़ की सुबह से पहले आये

3015. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यअमर दैलमी (रज़ि.) कहते हैं, जब आँहज़रत (ﷺ) अरफ़ात में ठहरे हुए थे तो मैं भी आपकी ख़िदमत में हाज़िर था। आपकी ख़िदमत में नज्द के कुछ लोग हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हज्ज किसको कहते हैं? आपने फ़र्माया, अरफ़ात में ठहरे रहने का नाम हज्ज है, जो शख़्स मुज़दलिफ़ा की रात म सुबह की नमाज़ से पहले अरफ़ात में आ जाये उसका हज्ज पूरा हो जायेगा। मिना में आदमी को तीन दिन रहना चाहिए। (11–12–13) लेकिन अगर कोई शख़्स दो दिन के बाद ही वहाँ से चला जाये तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं, और जो वहाँ ठहरा रहा तब भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने अपने पीछे एक आदमी को सवार कर लिया, जिसने इन मसाइल का ऐलान करना शुरू कर दिया। **(नसाई-3019)**

इमाम इब्ने माजह ने मुहम्मद बिन यह्या के तरीक़ से भी ये रिवायत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यअमर दैलमी (रज़ि.) से ऊपर दर्ज हदीस की तरह ही नक़ल की है, लेकिन कुछ अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ है (मफ़्हूम दोनों का एक ही है)। हदीस के रावी मुहम्मद बिन यह्या ने कहा, मेरे नज़दीक सुफ़ियान सौरी की इससे बेहतर कोई हदीस नहीं।

3016. हज़रत उर्वा बिन मुज़र्रस ताई (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में हज्ज किया। जब ये पहुँचे तो लोग उस वक़्त मुज़दलिफ़ा में थे। उर्वा (रज़ि.) कहते हैं, मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपनी ऊँटनी को (लम्बा सफ़र करके) दुबला कर दिया। अपनी जान पर तक्लीफ़ उठाई। अल्लाह की क़सम! मैंने कोई टीला नहीं छोड़ा, जिस पर से मैं न गुज़रा हूँ। लिहाज़ा मेरा हज्ज पूरा होगा या नहीं? आपने फ़र्माया, जो शख़्स हमारे साथ नमाज़ में शरीक हो और रात या दिन में अरफ़ात में ठहरकर वापस हो उसका मेल-कुचैल दूर होकर उसका हज्ज पूरा हो जाता है। **(अबू दाऊद-1950, तिर्मिज़ी-891)**

अरफ़ात से वापसी का बयान

3017. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने उनसे पूछा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अरफ़ात से वापस होते वक़्त किस तरह चलते थे? उन्होंने कहा कि आप (ﷺ) दरम्यानी चाल से तशरीफ़ ले जाते और जब रास्ता साफ़

मिलता तो रफ़्तार थोड़ी तेज़ कर देते। हज़रत वकीअ (रह.) ने कहा, यानी आप दरम्यानी चाल से थोड़ा सा तेज़ चलते।
(बुख़ारी-1666, 2999, मुस्लिम-1286)

3018. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि क़ुरैश कहते थे कि हम तो मक्का ही के रहने वाले हैं (इस वजह से अरफ़ात में जाने की क्या ज़रूरत है? लिहाज़ा वो लोग अरफ़ात नहीं जाते और दूसरे लोग बाकायदा अरफ़ात में वक़ूफ़ किया करते तब ये आयत नाज़िल हुई। (तर्जुमा) **फिर वहाँ से वापस आओ जहाँ से और लोग वापस हुआ करते हैं।** (सूरह बक़रह : 199) **(तिर्मिज़ी-884)**

जिसको ज़रूरत पेश आये, वो अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के बीच रुक सकता है

3019. हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) कहते हैं, मैं आँहज़रत (ﷺ) के साथ अरफ़ात से वापस हुआ, जब उस घाटी के क़रीब पहुँचे जहाँ अमीर लोग क़याम करते थे। तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने पेशाब करके वुज़ू किया। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) !नमाज़ भी अदा कर लीजिए। आपने फ़र्माया, नमाज़ आगे पढ़ेंगे। जब आप मुज़दलिफ़ा में पहुँचे तो अज़ान और इक़ामत के बाद मग़रिब कीनमाज़ अदा फ़र्माई। लोगों ने (बाद फ़राग़त) के अपने ऊँटों से सामान भी नहीं उतारा था कि हुज़ूर (ﷺ) इशा की नमाज़ के लिये खड़े हो गये। **(मुस्लिम-1280)**

दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ने का बयान

3020. हज़रत अय्यूब अंसारी (रज़ि.) कहते हैं कि हमने मुज़दलिफ़ा में आँहज़रत (ﷺ) के साथ मग़रिब और इशा की दोनों नमाज़ें जमा करके पढ़ीं। **(बुख़ारी-1674, मुस्लिम-1287)**

3021. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) ने मुज़दलिफ़ा में मग़रिब की नमाज़ अदा की। जब हमने अपने ऊँट बिठाये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, नमाज़ इक़ामत के साथ होती है।

मुज़दलिफ़ा में ठहरने का बयान

3022. हज़रत अम्र बिन मैमून (रज़ि.) कहते हैं, हमने नबी करीम (ﷺ) के साथ हज्ज किया। जब हम लोग मुज़दलिफ़ा में वापस होने लगे तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने फ़र्माया, मुश्रिकीन का ये क़ायदा था कि जब मुज़दलिफ़ा से लौटते तो कहते, ऐ सबीर पहाड़! रोशन हो जा ताकि हम वापस हो जायें। वो उस वक़्त तक वापस नहीं लौटते जब तक सूरज नहीं उग जाता। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके ख़िलाफ़ अमल किया कि सूरज निकलने से पहले ही वहाँ से वापस चल दिये। **(बुख़ारी-1684, 3838)**

3023. हज़रत जाबिर (रज़ि.) से रिवायत है, हज्जतुल विदाअ में जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मुज़दलिफ़ा से वापस हुए तो आप इत्मिनान के साथ वहाँ से चले और लोगों को भी इत्मिनान से चलने का हुक्म दिया। जब मिना में पहुँचे तो लोगों को ऐसी कंकरियाँ मारने का हुक्म दिया जो दो उंगलियों के बीच में आ जायें (यानी छोटी-छोटी) फिर जब आप वादी-ए-मुहस्सर में पहुँचे तो वहाँ से सवारियों को बहुत तेज़ी से दौड़ाया और फ़र्माने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्मत के लोग हज्ज के तरीक़े सीख ले। मुझे मालूम नहीं शायद मैं इस साल के बाद उनसे (हज्ज में) मुलाक़ात कर सकूँ।
(अबू दाऊद-1944, मुस्लिम-1299)

3024. हज़रत बिलाल बिन रबाह (रज़ि.) कहते हैं, मुज़दलिफ़ा की सुबह हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उन्हें हुक्म

दिया कि लोगों को ख़ामोश कर दो। फिर फ़र्माया कि अल्लाह तआला ने इस मुज़दलिफ़ा में तुम पर बहुत बड़ा फ़ज़्ल किया कि तुम सबको बख़्श दिया। जो गुनाहगार थे उनको नेकोकारों के तुफ़ैल में बख्शा और नेकोकारों ने जो दुआ मांगी अल्लाह तआला ने उसको कुबूल फ़र्मा लिया। अब अल्लाह का नाम लेकर यहाँ से चल दो।

जम्रात की रमी के लिये लोगों से पहले मुज़दलिफ़ा से मिना चले आना

3025. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हमको यानी अब्दुल मुत्तलिब की औलाद को छोटी-छोटी कंकरियाँ देकर आगे रवाना कर दिया और हमारी रानों पर हाथ रखकर फ़र्माया कि बच्चो! सूरज निकलने से पहले जम्रात को कंकरियाँ न मारना। हज़रत सुफ़ियान (रज़ि.) अपनी रिवायत में इतना और ज़्यादा बयान करते हैं कि मैंने किसी को नहीं देखा कि सूरज निकलने से पहले जम्रात की रमी करता हो। **(अबू दाऊद-1940)**

3026. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मैं उन लोगों मे से था जिनको ज़ईफ़ समझकर मुज़दलिफ़ा के रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने पहले रवाना कर दिया था। **(मुस्लिम-1293)**

3027. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि उम्मु मोमिनीन हज़रत सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.) भारी जिस्म की औरत थीं। इस वजह से उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से ये इजाज़त मांगी कि वो मुज़दलिफ़ा से लोगों के जाने से पहले चली जायें। लिहाज़ा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनको इजाजत अता कर दी थी। **(बुख़ारी-1680, मुस्लिम-1290)**

जम्रात पर कितनी बड़ी कंकरियाँ मारनी चाहिये

3028. हज़रत सुलेमान इब्ने उमर इब्ने अह्वस (रह.) अपनी वालिदा (हज़रत उम्मे जुन्दुब अज़्दिया रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को यौमुन्नहर के दिन जम्रात पर कंकरियाँ मारते देखा और आप फ़र्मा रहे थे कि लोगों इतनी बड़ी कंकरियाँ मारा करो जो तुम्हारी दोनों उँगलियों के बीच में आ जायें (यानी छोटी छोटी हों)। **(अबू दाऊद-1966)**

3029. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जम्र-ए-उक़्बा करने के दिन सुबह के वक़्त हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अपनी ऊँटनी पर सवार थे। मुझसे आपने फ़र्माया, मेरे लिये कंकरियाँ जमा कर दो। मैंने आपके लिये छोटी-छोटी कंकरियाँ जमा कर दीं। आपने उनको दस्ते मुबारक में रखकर फ़र्माया, बस इतनी बड़ी कंकरियाँ मारो और लोगों! याद रखो! दीन में गुलू (हद से आगे बढ़ने) से परहेज़ करो। क्योंकि तुमसे पहले लोगों को दीन में गुलू ही ने तबाह व बर्बाद किया था। **(नसाई-3059)**

जम्र-ए-उक़्बा पर कंकरियाँ कहाँ खड़े होकर मारनी चाहये?

3030. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने यज़ीद (रह.) कहते हैं, जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) जम्र-ए-उक़्बा पर कंकरियाँ मारने के लिये गये तो उस मुक़ाम के निचले हिस्से में जाकर कअबा की तरफ़ चेहरा किया और जम्रा को अपनी दायीं अबरू (भौंहों) के बराबर रखा और सात कंकरियाँ इस तरह पर मारीं कि हर एक कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर कहते गये। फिर फ़र्माने लगे उस मअबूद की क़सम! जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं। इसी जगह पर खड़े होकर कंकरियाँ मारी थीं उस मुक़द्दस हस्ती ने, जिस पर सूरह बक़रह नाज़िल हुई थी (यानी रसूलल्लाह (ﷺ) ने इसी मुक़ाम पर खड़े होकर कंकरियाँ मारी थीं)। **(बुख़ारी-1747, मुस्लिम-1296)**

3031. हज़रत सुलेमान इब्ने अम्र इब्ने अहवस (रह.) अपनी वालिदा की रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने यौमुन्नहर के दिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को देखा कि आप जम्र-ए-उक़्बा के पास वादी के निचले हिस्से में तशरीफ़ ले गये और सात कंकरियों से जम्रा को मारा। हर कंकरी के साथ तक्बीर बुलंद फ़र्माई फिर वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आये।

जम्र-ए-उक़्बा को कंकरियाँ मारकर वहाँ नहीं ठहरना चाहिये

3032. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) जमर-ए-उक़्बा को मारकर वहाँ से अलग हो गये और फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) भी यही किया करते थे। **(बुख़ारी-1751)**

3033. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) जमर-ए-उक़्बा को कंकरियाँ मारकर फिर उसके पास नहीं ठहरते थे, फ़ौरन वहाँ से तशरीफ़ ले जाते।

3034. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि) कहते है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने जम्रा को ऊँटनी पर सवार होकर मारा था। **(तिर्मिज़ी-899)**

3035. हज़रत इब्ने कुदामा बिन अब्दुल्लाह आमिरी (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को यौमुन्नहर के रोज़ देखा कि आपने एक ऊँटनी पर जो सुर्ख व सफ़ेद थी, सवार होकर जमर-ए-उक़्बा को मारा। उस वक़्त न किसी मारा को जाता था, न दूर हटाया जाता था और न हटो-बचो की आवाज़ें थीं। (यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) दुनिया के बादशाहों की तरह नहीं थे कि जिनके दरबारी अवाम को क़रीब नहीं आने देते) **(नसाई-3063)**

3036. हज़रत अबू बदाह अदी बिन आसिम (रह.) अपने वालिद (हज़रत आसिम बिन अदी रज़ि.) से रिवायत करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने चरवाहों को इजाज़त दी कि वो एक दिन रमी करें और एक दिन छोड़ दें। **(तिर्मिज़ी-954)**

उज़्र की वजह से कंकरियाँ मारने में देर हो जाना

3037. हज़रत अबू बदाह अदी बिन आसिम (रह.) अपने वालिद (हज़रत आसिम बिन अदी रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़र्माया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऊँटों के चरवाहों को रात गुज़ारने के बारे में रियायत दी कि वो कुर्बानी के दिन रमी करें, फिर कुर्बानी के बाद दो दिन की रमी एक साथ किसी दिन (11 या 12 तारीख़ को) कर लें। इमाम मालिक ने फ़र्माया, मेरा ख़्याल है कि रावी ने ये कहा था, दोनों में से पहले दिन (11 ज़िल्हिज्जह) को रमी कर लें। इसके बाद वापसी के दिन (13 ज़िलिहज्जह को) रमी कर लें। **(तिर्मिज़ी-955)**

बच्चों की तरफ़ से कंकरियाँ मारने का बयान

3038. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हमने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ हज्ज किया और उसमें हमारे साथ औरतें और बच्चे भी थे। लिहाज़ा बच्चों की तरफ़ से हमने ही कंकरियाँ मारीं और हमने ही लब्बैक पुकारी। **(तिर्मिज़ी-927)**

हाजी लब्बैक पुकारना कब बन्द करे?

3039. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) जमर-ए-उक़्बा पर कंकरियाँ मारने तक लब्बैक फ़माते रहे (उसके बाद मौकूफ़ कर दिया)। **(मुस्लिम-1281)**

3040. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि फ़ज़्ल इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा कि मैं (हज्ज के दिन) आँहज़रत (ﷺ) के पीछे सवार था। जमर-ए-उक़्बा को रमी करने तक आपने लब्बैक फ़र्माई उसके बाद बन्द कर दी। **(नसाई-3082)**

जम्र-ए-उक़्बा की रमी के बाद आदमी के लिये क्या हलाल हो जाता है ?

3041. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब जमर-ए-उक़्बा को रमी कर चुको तो तुम्हारे लिये सिवाय औरतों की सुहबत के तमाम चीज़ें हलाल हो जाती हैं। एक शख़्स ने अर्ज़ किया कि अबुल आस खुश्बू लगाना भी दुरुस्त हो जाता है? आपने फ़र्माया, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को मुश्क का इस्तेमाल करते देखा था (अब तुम खुद समझ लो) उसमें खुश्बू होती है या नहीं। **(नसाई-3086)**

3042. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने आँहज़रत (ﷺ) के एहराम बाँधते वक़्त और एहराम खोलते वक़्त खुश्बू लगाई है। **(मुस्लिम-1189)**

सर मुँडवाने का बयान

3043. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सर मुँडवाने वालों को अल्लाह तआला बख़्श दे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बाल कटवाने वालों को भी? आपने फ़र्माया, सर मुँडाने वालों को अल्लाह तआला बख़्श दे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बाल कटवाने वालों को भी? आपने फ़र्माया, सर मुँडाने वालों को अल्लाह तआला बख़्श दे। अल्ग़र्ज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने तीन मर्तबा यही फ़र्माया। जब लोगों ने (हर मर्तबा) कहा, बाल कटवाने वालों को भी? (आपने एक बार) फ़र्माया कि बाल कटवाने वालों को भी। **(बुख़ारी-1728, मुस्लिम-1302)**

3044. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सर मुँडाने वालों के लिये ये दुआ फ़र्माई कि अल्लाह तआला उन पर रहम फ़र्माए। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! और बाल कतरवाने वालों पर? आपने फ़र्माया, सर मुँडाने वालों पर अल्लाह तआला रहम फ़र्माये। लोगों ने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! बाल कतरवाने वालों पर? तब आपने फ़र्माया, अच्छा बाल कतरवाने वालों पर भी रहम करे। **(मुस्लिम-1301)**

3045. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने बाल मुँडाने वालों के लिये तीन मर्तबा दुआ की और बाल कतरवाने वालों के लिये एक बार। इसकी क्या वजह है? आपने फ़र्माया, इसकी वजह ये है कि सर मुँडाने वालों ने किसी क़िस्म का शक नहीं किया और अल्लाह तआला के फ़र्मान की मुकम्मल इत्तिबाअ की। **(इब्ने अबी शैबा)**

3046. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) ने बयान किया कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोगों ने तो अपने-अपने एहराम खोल डाले। लकिन आपने अभी तक एहराम नहीं खोला। आपने फ़र्माया, मैंने अपने सर के बालों को जमाया था और हदिया (कुर्बानी के जानवरों) की गर्दन में पट्टा डाल दिया था। जब तक कुर्बानी न कर लूँगा उस वक़्त तक एहराम नहीं खोल सकता हूँ। **(बुख़ारी-1566)**

3047. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैं ने रसूले अकरम (ﷺ) को सर के बालों को

जमाये हुए तल्बिया (लब्बैक) पुकारते हुए सुना है। **(बुख़ारी-1540)**

क़ुर्बानी के जानवर ज़िब्ह करना

3048. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पूरा मिना क़ुर्बानी की जगह है और मक्का का हर रास्ता (यहाँ आने की) राह भी है और क़ुर्बानी की जगह भी और पूरा अरफ़ात ठहरने की जगह है और पूरा मुज़दलिफ़ा ठहरने की जगह है। **(अबू दाऊद-1937)**

हज्ज के अरकान भूलकर आगे-पीछे अदा हो जाये तो?

3049. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि किसी ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से पूछा कि अगर एक रुक्न दूसरे रुक्न से पहले अदा हो जाये तो क्या करना चाहिए? तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हाथों के इशारे से यही जवाब दिया कि कोई हर्ज नहीं। **(बुख़ारी-84)**

3050. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, मिना के दिन लोग आँहज़रत (ﷺ) से सवालात किये जाते तो आप फ़र्माते थे, कोई हर्ज नहीं! कोई हर्ज नहीं। एक शख़्स आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, मैंनें ज़िब्ह करने से पहले सर मुँडवा लिया। आपने फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं। दूसरा कहने लगा, मैंने कंकरियाँ शाम को मारीं। आपने फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं। **(बुख़ारी-1735)**

3051. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) से पूछा गया कि अगर कोई शख़्स क़ुर्बानी सर मुँडाने से पहले कर ले या क़ुर्बानी से पहले सर मुँडाये तो उसके लिये क्या हुक्म है? आपने फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं। **(बुख़ारी-83, मुस्लिम-1306)**

3052. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, क़ुर्बानी के दिन मक़ामे मिना में हुज़ूर (ﷺ) लोगों को (हज्ज के अरकान की) तअलीम देने के लिये तशरीफ़ फ़र्मा हुए। एक शख़्स आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ, उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने क़ुर्बानी से पहले सर मुँडा लया। आपने फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं। दूसरे ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने कंकरियाँ मारने से पहले क़ुर्बानी कर ली। आपने फ़र्माया, इसमें भी कोई हर्ज नहीं। अल्ग़र्ज़ जिस रुक्न को आगे या पीछे की करने के बारे में आपसे सवाल किया गया। आपने यही फ़र्माया, कोई हर्ज नहीं।

अय्यामे तशरीक़ में जम्रात को रमी करना

3053. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को जम्र-ए-उक़्बा पर चाश्त के वक़्त (धूप चढ़ने के बाद) कंकरियाँ मारते देखा। उसके बाद यानी 11, 12, 13 को ज़वाल (सूरज ढलने) के बाद कंकरियाँ मारी। **(मुस्लिम-1299)**

3054. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) सूरज ढलने के बाद कंकरियाँ मारा करते यहाँ तक कि कंकरियाँ मारने के बाद ज़ुह्र की नमाज़ का वक़्त हो जाता था। **(तिर्मिज़ी-898)**

हज्जतुल विदाअ के ख़ुत्बे का बयान

3055. हज़रत अम्र बिन अहवस (रज़ि.) से रिवायत है कि हज्जतुल विदाअ में मैंने आँहज़रत (ﷺ) को फ़र्माते

हुए सुना, आपने तीन बार फ़र्माया, लोगों कौनसा दिन ज़्यादा हुर्मत वाला है? लोगों ने अ़र्ज़ किया, हज्जे अकबर का दिन। आपने फ़र्माया, तो अब सुन लो कि जिस तरह ये शहर और महीना और ये दिन हराम हैं इसी तरह तुम्हारी जान और माल और इज़्ज़त सब एक दूसरे पर हराम हैं। सुनों! जब कोई क़सूर करेगा उसका मुवाख़िज़ा उसी से होगा। बाप के क़सूर का मुवाख़िज़ा बेटे से न होगा और बेटे के क़सूर का मुवाख़िज़ा बाप से न होगा। सुनों! शैतान अब इस बात से बिल्कुल मायूस हो चुका है कि तुम्हारे इस शहर में कभी उसकी इबादत की जाये। लेकिन कुछ कामों में जिनको तुम मामूली समझते हो, उसमें उसकी इताअ़त होती रहेगी और वो उसी से खुश हो जायेगा। सुनों! ज़मान-ए-जाहिलिय्यत के जितने ख़ून हैं, वो सब बातिल कर दिये गये और सबसे पहला ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का ख़ून जो मैं माफ़ करता हूँ वो हारिस बिन अ़ब्दुल मुत्तलिब का ख़ून है जो बनी लैस में दूध पिया करते थे। जिनको हुज़ैल के लोगों ने क़त्ल कर दिया था। सुनों! ज़मान-ए-जाहिलिय्यत का हर एक सूद माफ़ है तुम अपना असल माल ले लो। न किसी पर ज़ुल्म करो न तुम पर कोई ज़ुल्म करेगा। सुनों! मेरी उम्मत! क्या मैंने अल्लाह तआ़ला का हुक्म तुमको पहुँचा दिया? लोगों ने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! बेशक आपने पहुँचा दिया। ये सुनकर आपने तीन बार फ़र्माया, ऐ अल्लाह! तू गवाह रहना।

(अबू दाऊद-3334)

3056. हज़रत जुबैर बिन मुत्ईम (रज़ि.) का बयान है, मिना में मस्जिदे खैफ़ के अंदर खड़े होकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर रहम करे जो मेरी बात सुने और फिर उसको दूसरों तक पहुँचाये। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ़िक़्ह की बात सुनते हैं लेकिन खुद फ़क़ीह नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं कि फ़िक़्ह की बात सुनकर उन लोगों को पहुँचाते हैं जो उनसे ज़्यादा फ़क़ीह होते हैं। तीन बातें ऐसी होती हैं जिनमें मोमिन ख़यानत नहीं किया करता है। पहली खास अल्लाह के लिये अ़मल करने में दूसरी मुसलमान हाकिमों की ख़ैर ख्वाही करने में और तीसरी मुसलमानों की जमाअ़त के साथ मिले रहने में। क्योंकि मुसलमानों की दुआ़ उसको घेरे रहती है।

3057. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़ि.) कहते हैं, अरफ़ात में आँहज़रत (ﷺ) अपनी कनकटी ऊँटनी पर तशरीफ़ फ़र्मा थे। आपने फ़र्माया, तुमको मालूम है ये कौनसा दिन, कौनसा महीना है? कौनसा शहर है? लोगों ने अ़र्ज़ किया, ये हुर्मत वाला शहर, हुर्मत वाला महीना और हुर्मत वाला दिन है। आपने फ़र्माया, सुनों! हक़ीक़त ये है कि तुम्हारे माल और तुम्हारे ख़ून तुम्हारे लिये (एक दूसरे के लिये) इसी तरह क़ाबिले एहतराम है, जिस तरह तुम्हारे इस शहर में, तुम्हारे इस दिन में तुम्हारा महीना क़ाबिले एहतराम है। सुनों! मैं हौज़े-कौसर पर तुम्हारा पेशवा हूँगा और तुम्हारी तादाद की ज़्यादती की वजह से मैं दूसरी क़ौमों पर फ़ख़्र करूँगा। तो मुझे (क़यामत के दिन) रुस्वा न कर देना। सुनों! मैं कुछ लोगों को जहन्नम से छुड़ाऊँगा और कुछ लोग मुझसे छीन लिये जायेंगे (और जहन्नम में फेंक दिये जायेंगे) मैं कहूँगा, मेरे रब! मेरे साथी? तो अल्लाह तआ़ला फ़र्मायेगा, आपको नहीं मालूम, उन्होंने आपके बाद क्या नये काम किये।

(नसाई फ़िल्कुब्रा-4099)

3058. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हज्जतुल विदाअ़ में क़ुर्बानी के दिन आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ये कौनसा महीना है? लोगो ने अ़र्ज़ किया, हुर्मत वाला महीना। आपने फ़र्माया, ये कौनसा शहर है। लोगों ने अ़र्ज़ किया, हुर्मत वाला शहर। आपने फ़र्माया, जिस तरह ये दिन और ये महीना और शहर क़ाबिले-एहतराम हैं। उसी तरह तुम्हारे ख़ून और तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तें भी एक दूसरे पर भी क़ाबिले एहतराम हैं। उसके बाद आपने फ़र्माया, क्या मैंने (अल्लाह का दीन) पहुँचा दिया? लोगों ने अ़र्ज़ किया, जी हाँ। तब आपने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! तू इसका गवाह रहना (कि ये लोग मेरी तब्लीग़ की तस्दीक़ कर रहे हैं)। फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों को रुख़सत

कर दिया। आपस में लोगों ने चर्चा किया कि ये हज्जतुल विदाअ यानी विदाई हज्ज है। **(अबू दाऊद- 1945)**

तवाफ़े ज़ियारत का बयान

3059. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने तवाफ़े ज़ियारत के लिये रात तक ताख़ीर की है। **(मुस्लिम- 1218)**

3060. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि .) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने तवाफ़े ज़ियारत के चक्करों में रमल नहीं किया। (यानी अकड़कर नहीं चले) हज़रत अता ने कहा कि तवाफ़े ज़ियारत में रमल की ज़रूरत नहीं है। **(अबू दाऊद-2001)**

ज़मज़म का पानी पीने का बयान

3061. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबीबक्र (रज़ि.) कहते हैं, मैं हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि इतने में एक शख़्स आया। आपने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया है? उसने अर्ज़ किया, ज़मज़म के पास से। आपने उससे पूछा, तूने ज़मज़म का पानी जिस तरह से पीना चाहिये, उस तरह से पिया है? उसने अर्ज़ किया, किस तरह से पीना चाहिए? आपने फ़र्माया, जब पानी पियो तो कअबा की तरफ़ चेहरा करके बिस्मिल्लाह करो और खूब पेट भरकर पानी पियो। जब फ़ारिग़ हो जाओ तो अल्लाह तआला का शुक्र करो। क्योंकि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हमारे और मुनाफ़िक़ीन के बीच में बस एक ही फ़र्क है कि वो लोग ज़मज़म का पानी पेट भरकर नहीं पीते हैं।

3062. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़मज़म का पानी उस मक़सद के लिये है, जिस मक़सद के लिये पीया जाता है। **(मुस्नद अहमद)**

कअबा के अन्दर जाने का बयान

3063. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, फ़तहे मक्का के दिन आँहज़रत (ﷺ) हज़रत बिलाल (रज़ि.) को साथ लिये हुए कअबा के अंदर तशरीफ़ ले गये। उस वक़्त आपके साथ उस्मान बिन शैबा (रज़ि.) भी थे (अंदर जाने के बाद) उन हज़रात ने दरवाज़ा बन्द कर लिया। जब ये बाहर निकले तो मैंने हज़रत बिलाल (रज़ि.) से पूछा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने किस तरफ़ नमाज़ अदा की? उन्होंने कहा कि दाहिनी जानिब के दो सतूनों के बीच में (कअबा की सीध मे) लेकिन फिर मैंने अपने आपको मलामत की कि मैंने बिलाल (रज़ि.) से ये क्यूँ न पूछा कि कितनी रकअतें पढ़ीं। **(बुख़ारी-468, मुस्लिम- 1329)**

3064. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, (एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मेरे यहाँ से निहायत ख़ुशी और इत्मीनान के साथ तशरीफ़ ले गये। लेकिन जब आप वापस तशरीफ़ लाये तो आपके चेहरे से ग़म के आसार मालूम हो रहे थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसकी क्या वजह है कि जब आप मेरे पास से तशरीफ़ ले गये तो निहायत खुशी-खुशी लेकिन वापस आये तो आप ग़मज़दा हैं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं कअबा में चला गया। जब अंदर चला गया तो मुझको ख्याल हुआ कि काश! मैं यहाँ न आता। क्योंकि मुझको डर है कि मेरे बाद मेरी उम्मत को किसी क़िस्म की तक्लीफ़ न हो। **(अबू दाऊद-2029, तिर्मिज़ी-873)**

मिना की रातों में मक्का के अंदर रहने का बयान

3065. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब (रज़ि.) ने मिना के दिनों में आँहज़रत (ﷺ) से मक्का में रहने की इजाज़त मांगी। क्योंकि ज़मज़म का पानी पिलाने की ख़िदमत उनके सुपुर्द थी। आँहज़रत (ﷺ) ने उनको इजाज़त दे दी। **(बुख़ारी-1745, मुस्लिम-1315)**

3066. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मिना की रातों में सिवाए उनके और किसी को हुज़ूर (ﷺ) ने मक्का में रात गुज़ारने की इजाज़त नहीं दी। (उनको भी इस वजह से) दी थी कि ज़मज़म के पानी पिलाने का काम उनके सुपुर्द था।

वादी-ए-मुहस्सब में ठहरना

3067. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि (मिना से वापस होते वक़्त) मुक़ामे बत्हा में उतरना सुन्नत नहीं है। आँहज़रत (ﷺ) वहाँ इसलिए उतरे थे, क्योंकि आपको मदीना जाने में सहूलत हो। **(मुस्लिम-1311)**

3068. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) वापसी की रात को बत्हा की तरफ़ से रात के आख़िरी हिस्से में रवाना हुए थे। **(मुस्नद अहमद)**

3069. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ), अबूबक्र (रज़ि.), उमर (रज़ि.) और हज़रत उस्मान (रज़ि.) बत्हा के मुक़ाम पर क़याम फ़र्माते थे। **(तिर्मिज़ी-921)**

तवाफ़े विदाअ (रुख़सत होते वक़्त आख़िरी तवाफ़)

3070. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कूच करते वक़्त आख़िरी काम ये हो कि बैतुल्लाह का तवाफ़ हो। **(मुस्लिम-1327)**

3071. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बग़ैर तवाफ़ किये हुए रुख़सत होने से मना फ़र्माया है। **(तब्रानी-1521)**

हैज़ वाली औरत तवाफ़े विदाअ से पहले जा सकती है

3072. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, तवाफ़े इफ़ाजा करने के बाद हज़रत सफ़िया बिन्ते हुय्य को हैज़ शुरू हो गया। मैंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, क्या इसकी वजह से हमको ठहरना पड़ेगा। मैंने अर्ज़ किया, वो फ़र्ज तवाफ़ तो कर चुकी हैं। आपने फ़र्माया कि बस तो फिर रवाना होना चाहिए। **(बुख़ारी-4401)**

3073. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हमसे हज़रत सफ़िया (रज़ि.) के बारे में पूछा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनको हैज़ आना शुरू हो गया। ये सुनकर आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उस सरमुँडी औरत ने हमको सफ़र से रोक रखा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! तवाफ़े ज़ियारत तो वो कर चुकी हैं। आपने फ़र्माया, तो फिर हमको ठहरने की जरूरत नहीं है उनसे कहो कि चलने की ज़रूरी तैयारी करें।

(बुख़ारी-1771, मुस्लिम-1211)

हुज़ूरे अकरम के हज्ज का बयान

3074. हज़रत जअफ़र सादिक़ (रह.) अपने वालिद (मुहम्मद बाक़िर रह.) की रिवायत बयान करते हैं कि हम जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह अंसारी (रज़ि.) के पास (मुलाक़ात के लिये गये) उन्होंने पूछा, ये कौन हज़रात हैं? मैंने कहा कि मैं मुहम्मद इब्ने अ़ली इब्ने हुसैन (रज़ि.) हूँ। ये सुनकर उन्होंने मेरे सीने पर हाथ रखा और मेरी कमीस का ऊपर वाला बटन खोल कर मेरी छातियों के बीच में हाथ रखकर फ़र्माया, मरहबा! ख़ुश आमदीद! तुम जो चाहो हमसे पूछो। चुनाँचे मैंने उनसे कुछ सवालात पूछे। लेकिन इतने में नमाज़ का वक़्त आ पहुँचा। आप उस वक़्त तक नाबीना (अंधे) हो चुके थे। आप एक बुनी हुई चादर जिसको लपेटे बैठे थे, ओढ़कर खड़े हो गये। उनकी चादर इतनी छोटी थी कि जब उसको काँधों पर डालते तो उसके किनारे फिर गिरने लगते और उनकी बड़ी चादर एक मचान पर रखी हुई थी। आपने हमें नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग़ हो गये तो मैंने उनसे अ़र्ज़ किया कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के हज्ज का कुछ ज़िक्र सुनाईये। ये सुनकर उन्होंने अपने हाथ से नौ का अ़दद बनाकर बयान करना शुरू किया कि इतने ज़माने तक (यानी नौ बरस) तक हुज़ूर (ﷺ) मदीना में रहे। उस वक़्त तक आपने हज्ज नहीं किया। जब दसवाँ साल शुरू हुआ तो आपने ऐलान कराया कि इस साल आप हज्ज करेंगे। ये सुनकर बहुत से लोग आपके साथ जाने के लिये मदीना के आसपास से जमा हो गये। ताकि तमाम अरकान में आपकी पैरवी करें। जो आप करते जायें, वही ये लोग भी करें। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) रवाना हुए और हम भी आपके साथ रवाना हो गये। जब हम लोग ज़ुलहुलैफ़ह में पहुँचे तो हज़रत अस्मा बिन्ते उ़मैस (रज़ि.) के मुहम्मद बिन अबीबक्र (रज़ि.) पैदा हुए। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से पूछवाया कि अब मुझको क्या करना चाहिए? आपने फ़र्माया, एक कपड़े का लंगोट बाँधकर ग़ुस्ल कर लें और उसके बाद एहराम बाँध लें। फिर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ज़ुलहुलैफ़ह की मस्जिद में नमाज़ अदा फ़र्माई और अपनी ऊँटनी, जिसका नाम क़स्वा था, पर सवार होकर वहाँ से (कूच कर दिया)। जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि जहाँ तक मेरी नज़र पहुँचती वहाँ तक आपके आगे-पीछे, दायें-बायें, हर तरफ़ सवार व पैदल चले जा रहे थे। आँहज़रत (ﷺ) लोगों के बीच में थे (इस बीच में) आप पर क़ुर्आन नाज़िल होता आप उसके मतालिब समझते जाते और जो काम आप करते जाते हम भी आपकी पैरवी मे वही करते। यहाँ तक कि आपने तल्बिया (लब्बैक पुकाराना) शुरू किया, **लब्बैक अल्लाहुम्म ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअ़मत लक वल मुल्क ला शरीक लक.** (हाज़िर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ! मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। तारीफ़ें और नेअ़मतें तेरी हैं और बादशाही भी, तेरा कोई शरीक नहीं)। लोगों ने भी हुज़ूर (ﷺ) के साथ लब्बैक कहा। लेकिन हुज़ूर (ﷺ) ने उन अल्फ़ाज से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हमारी निय्यत उस वक़्त हज्ज की थी। क्योंकि उ़मरह का कभी हमने नाम भी न सुना था। उसको जानते भी न थे। अल्ग़र्ज़ जब हम आपके साथ ख़ान-ए-कअ़बा पहुँचे तो आपने वहाँ आकर हज्रे अस्वद को बोसा दिया और सात मर्तबा तवाफ़ किया। पहली तीन मर्तबा में आप अकड़कर चले और चार मर्तबा मामूली तौर पर उसके बाद मुक़ामे इब्राहीम में तशरीफ़ ले गये और ये आयत **वत्तख़िज़ू मिम मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला** तिलावत करके दो रकअ़त नमाज़ अदा फ़र्माई। इमाम जअ़फ़र सादिक़ कहते हैं कि मेरे वालिद (रह.) ने बयान किया था और मेरा ख्याल है कि आँहज़रत (ﷺ) से ही बयान किया होगा कि अल्लाह के हबीब हुज़ूर (ﷺ) ने तवाफ़ की दो रकअ़तों में से पहली रकअ़त में **क़ुल या अय्युहल काफ़िरून** पढ़ी और दूसरी में **क़ुल हुवल्लाहु अहद**। फिर दोबारा हज्रे अस्वद के क़रीब तशरीफ़ लाये और उसको बोसा देकर सफ़ा की तरफ़ चल दिये। जब सफ़ा के क़रीब पहुँचे तो आपने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **इन्नस्सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाहि** (सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियों में से है) फिर फ़र्माया, हम उसी से शुरू करेंगे, जिसका नाम अल्लाह तआ़ला ने

पहले लिया है। चुनाँचे ये फ़र्माकर आप सफ़ा पहाड़ पर चढ़ गये और जब ऊपर पहुँच गये। यहाँ तक कि बैयतुल्लाह शरीफ़ साफ़ नजर आने लगा। वहाँ पहुँचकर ये फ़र्माया, **अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दु लिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदुहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क वलहुल हम्द युहयि व युमीतु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर. ला इलाह इल्लल्लाहु वह्दहु ला शरीक लहु. अन्जज़ वअदहु, व नसर अब्दहु, व हज़मल अह्जाब वह्दहु.** (अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी की तारीफ़ें हैं, वही ज़िन्दा करता है, वही मौत देता है, वो हर चीज़ पर क़ादिर है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बन्दे की मदद की और उसी एक (मअबूदे हक़ीक़ी) ने (दुश्मनों की सब) जमाअतों को शिकस्त दी)। दुआ फ़र्माकर तीन मर्तबा इन कलिमात को फ़र्माया। फिर यहाँ से उतरकर मरवा की तरफ़ तशरीफ़ ले चले। जब आपके पाये मुबारक मैदान के नशीब में पहुँचे तो वहाँ आपने रमल किया (यानी अकड़कर चले) जब वहाँ से ऊपर पहुँचे तो फिर मामूली चाल से चलने लगे. यहाँ तक कि आप मरवा पर पहुँच गये और सफ़ा की तरह आपने वहाँ भी किया। जब आपका सातवाँ चक्कर मरवा पर ख़त्म हो गया तो आपने फ़र्माया, जो बात मुझको इस वक़्त मालूम हुई है अगर पहले से मालूम होती तो मैं अपने साथ हदिय (क़ुर्बानी का जानवर) न लाता। बल्कि इस हज्ज को उमरह कर देता। लिहाज़ा तुममें से जिस शख़्स के पास क़ुर्बानी न हो वो अपना हज्ज का एहराम खोल डाले और उसे उमरह बना दे। ये सुनकर जिन लोगों के पास हदिय न थे उन्होने अपने एहराम खोल डाले , बाल मुँडवा दिये और जिन लोगों के पास हदिय थे, उन्होंने और आँहज़रत (ﷺ) ने अपने एहराम बाक़ी रखे। उसके बाद सुराक़ा बिन जअशम खड़े होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये सिर्फ़ इसी साल के लिये हैं या हमेशा के लिये यही सूरत है? (ये सुनकर) आपने अपने एक हाथ की उँगलियों को दूसरे हाथ की उँगलियों में डालकर फ़र्माया, उमरह हज्ज में इस तरह दाखिल हो गया। जिस तरह मेरी उँगलियाँ दाख़िल हैं और ये हुक्म हमेशा के लिये है। आपका ये फ़र्मान दो मर्तबा हुआ (उसी वक़्त में) हज़रत अली कर्रमल्लहा वज्हहू यमन से क़ुर्बानी के ऊँट लिये हुए आ गये। उन्होंने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) को रंगीन लिबास पहने और सुर्मा लगाये बग़ैर एहराम के देखा तो उनको हैरत हुई और मकरूह मालूम हुआ। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने कहा कि मेरे वालिद रसूले करीम (ﷺ) ने मुझको यही हुक्म दिया है। हज़रत अली (रज़ि.) इराक में (ये वाक़िया बयान करत हुए) फ़र्माया करते, मैं हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) की इस हरकत से ग़ुस्से में भरा हुआ रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने उन तमाम कामों के बारे में जो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने किये थे, आपसे अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, हाँ! फ़ातिमा (रज़ि.) ने सच कहा। फ़ातिमा (रज़ि.) बिल्कुल सहीह कहती है। लेकिन तुम ये बतलाओ कि जब तुम यमन से चले थे तो तुमने क्या निय्यत की थी? उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि जो निय्यत हुज़ूर (ﷺ) ने की है वही निय्यत मेरी है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि तुम एहराम न खोलना। क्योंकि मैं अपने साथ हदिय लाया था (लिहाज़ा तुम भी मेरी ही तरह रहोगे)। हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) के यमन से लाये हुए ऊँट और हुज़ूर (ﷺ) के साथ सब कुल सौ ऊँट थे। फिर आँहज़रत (ﷺ) और उन लोगों के जिनके पास हदिय थे, के सिवा सबने अपना एहराम उतार दिया। जब तरविय्या (आठ ज़िल्हिज्जह का) दिन हुआ तो सब लोग मिना जाने की तैयारी करने लगे और लोगों ने हज्ज का एहराम बाँधा और आँहज़रत (ﷺ) के साथ मिना को चल दिये। वहाँ पहुँचकर ज़ुहर, अस्र मग़िब, इशा और फ़ज्र की नमाज़ें अदा की और (नौ ज़िल्हिज्जह) की फज्र की नमाज़ के बाद थोड़ी देर तक ठहरे। जब सूरज निकल आया तो आपने हुक्म दिया कि मुक़ामे नमरह में बालों का खेमा लगा दिया जाये और आप वहाँ चल दिये। सब क़ुरैश का यह ख़्याल था कि आप मश्अरे हराम या मुज़दलिफ़ा में क़ियाम करेंगे। जिस तरह

क़ुरैश ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में किया करते थे। लेकिन आप मुज़्दलिफ़ा से गुज़र कर अरफ़ात में आये और वहाँ मुक़ामे नमरह में खेमा लगा हुआ देखकर वहीं मुक़ीम हो गये। जब सूरज ढल गया तो आपने सवारी की तैयारी का हुक्म दिया। उस पर काठी रख दी गई। वहाँ से आप सवार होकर मैदान के नशीब में तशरीफ़ लाये। वहाँ आपने ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माया, जिस तरह ये दिन हराम है इस महीने और इस शहर में, उसी तरह तुम्हारे जान और माल एक दूसरे पर हराम हैं। और जाहिलिय्यत की हर एक बात मेरे पैर के नीचे बातिल और बेकार है और जाहिलिय्यत के ज़माने में जो ख़ून हुए हैं वो भी लग़्व और फ़िज़ूल हैं। सबसे पहले ख़ून जो मैं माफ़ करता हूँ वो हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब का ख़ून है ये बच्चा बनी सअद में दूध पीता था और क़बील-ए-हुज़ैल ने उनको क़त्ल किया था। और जाहिलिय्यत के तमाम सूद माफ़ हैं, सबसे पहले मैं जो सूद माफ़ करता हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है, वो बिल्कुल माफ़ कर दिया गया। और औरतों के बारे में तुमको अल्लाह का डर होना चाहिए क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की ज़िम्मेदारी पर हासिल किया और अल्लाह का नाम लेकर उनकी शर्मगाहों को अपने लिये हलाल किया। अब तुम्हारा हक़ उन पर ये है कि तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे आदमी को न बैठने दें जो तुम्हें नापसन्द हैं। अगर वो ऐसा करें तुमको मारने की इजाज़त है। लेकिन ऐसी मार न हो कि जिससे उनकी हड्डी-पसली टूट जाये और उनका हक़ तुम पर ये है कि दस्तूर के मुवाफ़िक़ रोटी, कपड़ा उनको इनायत करो। और मैं तुम्हारे लिये अल्लाह तआला की किताब जैसी चीज़ छोड़े जाता हूँ। जब तक तुम इसको पकड़े रहोगे गुमराह न होओगे अगर क़यामत के दिन तुमसे मेरा हाल पूछा जायेगा तो तुम क्या कहोगे? लोगों ने अर्ज़ किया कि हम कहेंगे कि आपने अल्लाह तआला का हुक्म हमको पहुँचा दिया और दिल से हमको नसीहत फ़र्माई। ये सुनकर आपने अपने कलिमे की उँगली से आसमान की तरफ़ इशारा करके तीन बार फ़र्माया, ऐ अल्लाह! तू इसका गवाह रहना। हर मर्तबा आप अपनी अंगुश्ते मुबारक को लोगों की तरफ़ झुकाई। उसके बाद बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान कही और इक़ामत कहकर हुज़ूर (ﷺ) ने ज़ुहर की नमाज़ अदा की। उसके बाद दूसरी तक्बीर से अस्र की नमाज़ अदा फ़र्माई। इन दोनों नमाज़ों के बीच में आपने कुछ नहीं पढ़ा। फिर वहाँ से सवार होकर अरफ़ात में उस मुक़ाम पर तशरीफ़ लाये जहाँ पर वक़ूफ़ किया जाता है और जबले मशात को अपने चेहरे की तरफ़ करके ऊँटनी को सखरात की तरफ़ मुतवज्जह करके और कअ़बा की तरफ़ चेहरा किये हुए सूरज डूबने तक वहीं खड़े रहे (ज़िक्र और दुआ में मश्ग़ूल रहे)। जब सूरज डूब गया और उसकी ज़र्दी भी जाती रही तब आपने उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.) को अपने पीछे ऊँटनी पर सवार करके वहाँ से वापस हुए और अपनी ऊँटनी की नकेल इस ज़ोर से आप खींचे हुवे थे कि उसका सर ज़ीन की पिछली लकड़ी के पास था और लोगों को फ़र्माते जाते कि निहायत इत्मिनान के साथ चलो। जब किसी रेत के टीले के क़रीब पहुँचते तो उसकी नकेल ढीली कर देते ताकि आसानी से चढ़ जाये। उसके बाद फिर खींच लेते। इससे मक़्सूद था कि क़स्वा दौड़े नहीं ताकि लोगों को तक्लीफ़ न पहुँचे। जब आप मुज़दलिफ़ा में तशरीफ़ लाये तो वहाँ मग़्रिब और इशा की नमाज़ एक अज़ान और दो इक़ामतों से अदा फ़र्माई। उनके बीच और कोई नमाज़ (सुन्नत वग़ैरह नहीं अदा फ़र्माई)। उसके बाद आपने सुबह तक आराम किया और बाद उसके नमाज़े फज्र के लिए क़स्वा पर मशअ़रे हराम तशरीफ़ लाये और वहाँ खड़े होकर **अल्हम्दु लिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाह इल्लल्लाह** फ़र्माया और खूब रोशनी तक वहीं ठहरे रहे और सूरज निकलने से पहले फ़ज़्ल इब्ने अब्बास (रज़ि.) को अपने पीछे सवार करके वापस तशरीफ़ लाये। हज़रत फ़ज़्ल इब्ने अब्बास (रज़ि.) चूँकि निहायत खूबसूरत और हसीन नौजवान थे, जब हुज़ूर (ﷺ) के साथ जा रहे थे। औरतें भी सवारियों पर गुज़रना शुरू हुईं। फ़ज़्ल इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने उनकी तरफ़ देखना शुरू किया। आँहज़रत (ﷺ) ने उनके चेहरे पर एक तरफ़ से हाथ रख लिया तो उन्होंने दूसरी तरफ़ से चेहरा फेरकर देखना शुरू किया। जब आप वादी-ए-मुहस्सर में पहुँचे। वहाँ आपने ऊँटनी को थोड़ा सा तेज़ कर दिया और जो दरम्यानी रास्ता जमर-ए-उक़्बा की तरफ़ जा रहा था, उसको आपने इख़्तियार कर लिया

यहाँ तक कि आप उस जम्रह पर जा पहुँचे जो, दरख़्त के क़रीब है। वहाँ आकर आपने उस पर सात कंकरियाँ मारीं और हर कंकरी के साथ अल्लाहु अकबर फ़र्माते रहे। कंकरियाँ मारते वक़्त आप मैदान के नशीब में थे। उसके बाद आप क़ुर्बानी के मुक़ाम पर तशरीफ़ लाये और 63 ऊँटों को अपने दस्ते मुबारक से ज़िब्ह किया। बाक़ी ऊँट आपने हज़रत अ़ली (रज़ि.) को इनायत कर दिये। उन्होंने उनकी क़ुर्बानी कर दी। उस सूरत से हुज़ूर (ﷺ) ने उनको भी अपने हदिय में शरीक कर लिया। उसके बाद आपने हर एक ऊँट में से एक गोश्त की बोटी लाने का हुक्म दिया। वो गोश्त हाज़िर किया गया और हाँडियों में रखकर उसको पकाया गया। जब पककर तैयार हो गया तो आँहज़रत (ﷺ) और हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने उसमें से कुछ खाया और कुछ शोरबा पिया और वहाँ से वापस आकर ज़ुहर की नमाज़ मक्का में अदा की और अ़ब्दुल मुत्तलिब की औलाद के पास तशरीफ़ लाये। ये लोगों को पानी पिला रहे थे। आपने फ़र्माया, औलादे मुत्तलिब पानी पिलाओ। अगर लोगों के हुजूम का डर न होता तो मैं भी तुम्हारे साथ पानी पिलाता। ये सुनकर उन लोगों ने आपको एक डोल भरकर दिया, आपने उसमें से पानी पिया। **(मुस्लिम-1218)**

3075. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जब हम लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ तीन क़िस्म के हज्ज की निय्यत से रवाना हुए। कुछ लोगों ने तो हज्ज और उमरह दोनों का एहराम बाँधा और कुछ ने सिर्फ़ उमरह का और कुछ ने हज्ज का तो जिस शख़्स ने हज्ज और उमरह दोनों का एहराम बाँधा था, उन्होंने तो अपना एहराम नहीं खोला और हज्ज के तमाम अरकान पूरे किये और जिसने सिर्फ़ हज्ज का एहराम बाँधा था उसका भी यही हाल हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ़ उमरह का एहराम बाँधा था, उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ और सफ़ा और मरवा की दौड़ लगाने के बाद अपना-अपना एहराम खोल डाला और फिर नये सिरे से हज्ज का एहराम बाँधा। **(मुस्नद अहमद)**

3076. हज़रत सुफ़ियान सौरी (रह.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने अपनी पूरी उम्र में तीन हज्ज किये हैं। दो हज्ज हिज्रत से पहले और एक हिज्रत के बाद। जिसको हज्जतुल विदाअ़ कहते हैं। इस हज्ज में हुज़ूर (ﷺ) ने हज्ज और उमरह दोनों को मिला लिया था और इसमें जितनी क़ुर्बानियाँ जमा हुई थीं, हज़रत अ़ली (रज़ि.) की लाई हुई क़ुर्बानियों समेत कुल 200 क़ुर्बानियाँ थीं। उन्हीं ऊँटों में अबू जहल का ऊँट भी था जिसकी नाक में चाँदी का छल्ला पड़ा था। 63 ऊँटों को तो आँहज़रत (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से ज़िब्ह किया था और बाक़ी 37 ऊँटों को हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने ज़िब्ह किया। लोगों ने हज़रत सुफ़ियान सौरी से पूछा कि ये हदीस आपसे किसने बयान की? उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम जअ़फ़र सादिक़ (रज़ि.) ने अपने वालिद से और उनके वालिद (रज़ि.) ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से और हकम (रज़ि.) ने मिक़्सम (रज़ि.) और उन्होंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) से मन्क़ूल की है। **(तिर्मिज़ी-815)**

जो किसी उज़्र की वजह से हज्ज से रह जाये वो क्या करे?

3077. हज़रत हज्जाज इब्ने उमर (रज़ि.) अंसारी कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, (एहराम के बाद) जिसकी हड्डी टूट जाये या लंगड़ा हो जाये तो समझ लो कि वो हलाल हो गया। अब उसके बाद दूसरा हज्ज करे। इक्रिमा (रह.) कहते हैं, मैंने यह हदीस इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) और अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान की। उन दोनों सहाबियों ने हज्जाज की तस्दीक़ की। **(अबू दाऊद-1862, तिर्मिज़ी-940)**

3078. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन राफ़ेअ़ (रज़ि.), उम्मे सलमा (रज़ि.) के आज़ादशुदा ग़ुलाम कहते हैं, मैंने हज्जाज इब्ने उमर (रज़ि.) से पूछा, अगर कोई एहराम वाला शख़्स किसी वजह से रह जाये तो उसको क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, रसूले करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि जिस शख़्स की हड्डी टूट जाये या और कोई उज़्र वाकेअ़ हो

जाये तो वो उसके बदले में आइन्दा साल हज्ज करे। हज़रत इक्रिमा (रह.) कहते हैं, मैंने ये हदीस हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) और अबू हुरैरह (रज़ि.) से बयान की तो उन्होंने भी कहा कि हज्जाज का क़ौल सही है। अब्दुर्रज़्ज़ाक (रह.) कहते हैं कि मैं इस हदीस को हिशाम दस्तवाई की किताब में देखकर मअमर के पास आया तो उन्होंने मुझको यह हदीस पढ़कर सुनाई और मैंने उनको पढ़कर सुनाई। **(अबू दाऊद-1863)**

हज्ज से रह जाने वाले का फ़िद्या

3079. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मअक़ल (रज़ि.) कहते हैं, मैं मस्जिद मे कअब इब्ने उज्रह (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था। मैंने उनसे इस आयत का मतलब पूछा, (तर्जुमा) **तो फ़िद्या है, रोज़ों से, सदक़े से या क़ुर्बानी से** (सूरह बक़रह: 196)। उन्होंने कहा, ये आयत मेरे बारे में नाज़िल हुई है। मेरे सर में बीमारी पैदा हो गई थी। मुझको हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में लाया गया। उस वक़्त जूएँ मेरे तमाम चेहरा पर फैली हुई थीं। आपने मुझको देखकर फ़र्माया, मुझको ये न मालूम था कि तुझको इतनी तक्लीफ़ होगी। क्या तुझको एक बकरी मयस्सर आ सकती है? मैंने अर्ज़ किया, जी नहीं। तब ये आयत नाज़िल हुई, (तर्जुमा) **तो फ़िद्या है, रोज़ों से, सदक़े से या क़ुर्बानी से** (सूरह बक़रह: 196)। सहाबी ने फ़र्माया, रोज़े तीन दिन तक रखने चाहिये और सदक़ा छः मिस्कीनों को देना चाहिये, हर मिस्कीन को आधा साअ अनाज देना चाहिए और क़ुर्बानी (का फ़िदया देना हो तो) एक बकरी क़ुर्बानी करनी चाहिए।

(बुख़ारी-1816, मुस्लिम-1201)

3080. हज़रत कअब इब्ने उज्रह (रज़ि.) कहते हैं, (हज्ज में) जब मुझको जूओं ने ज़्यादा तक्लीफ़ पहुँचाई तो आँहज़रत (ﷺ) ने मुझको इजाज़त दी कि सर मुँडा दूँ और उसके फ़िद्ये में या तो तीन रोज़े रखूँ या छः मिस्कीनों को खिलाऊँ और क़ुर्बानी का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि आपको मालूम था कि मेरे पास क़ुर्बानी नहीं है। **(तबरानी)**

एहराम की हालत में पछने लगवाना जाइज़ है

3081. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एहराम और रोज़ों की हालत में होते हुए पछने लगवाये हैं।

3082. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक दर्द की वजह से जो आपकी हड्डी मे उठा था, एहराम की हालत में पछने लगवाये हैं।

एहराम वाला कौनसा तेल लगा सकता है?

3083. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एहराम की हालत में बग़ैर ख़ुश्बू वाला ज़ैतून का तैल इस्तेमाल करते। **(तिर्मिज़ी-962)**

एहराम वाला फ़ौत हो जाये तो?

3084. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक शख़्स की गर्दन उसकी ऊँटनी ने तोड़ डाली (और वो मर गया) जबकि वो आदमी एहराम की हालत में था। आपने हुक्म दिया कि उसको पानी में बैरी के पत्ते डालकर ग़ुस्ल दिया जाये और उसी (एहराम के) दोनों कपड़ों में उसको कफ़न दिया जाये। लेकिन सर और चेहरा

को न छुपाया जाये। क्योंकि क़यामत के दिन ये शख़्स लब्बैक कहता हुआ उठेगा। (बुख़ारी-1268, मुस्लिम-1206)

एहराम की हालत में शिकार करने का कफ़्फ़ारा

3085. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, अगर एहराम वाला बिज्जू का शिकार कर बैठे तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसके कफ़्फ़ारे में एक मेंढ़ा मुक़र्रर किया और बिज्जू को शिकार में दाख़िल किया। **(अबू दाऊद-3801)**

3086. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर एहराम वाले से शुतुरमुर्ग का अंडा टूट जाये तो उसको उसकी क़ीमत देना लाज़िम होगी। **(दारकुत्नी)**

एहराम वाले को कौन से जानवर क़त्ल करने की इजाज़त है

3087. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच जानवरों को जो ख़तरनाक और नापाक हैं उनको हरम के अन्दर और हरम के बाहर हर जगह मारना जाइज़ है। साँप, चितकबरा कौआ, चूहा, काटने वाला कुत्ता और चील। **(मुस्लिम-1198)**

3088. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच जानवरों के मारने मे कोई गुनाह नहीं है या जो शख़्स उनको मारे उन पर कोई वबाल नहीं। ख़्वाह वो एहराम ही की हालत में क्यूँ न हो। बिच्छू, कौआ, चील, चूहा और काटने वाला कुत्ता। (उलेमा ने इसी क़यास पर जो दीगर मूज़ी (नुक़सानदेह) जानवर हों, उनका भी यही हुक्म दिया है कि उनको मारना जाइज़ है)। **(मुस्लिम-1199)**

3089. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एहराम वाले के लिये साँप और बिच्छू मार डालना जाइज़ है। इसी तरह हमला करने वाले दरिन्दे और काटने वाले कुत्ते और फ़ासिक़ चूहे को भी। लोगों ने हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से पूछा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने चूहे का नाम फ़ासिक़ क्यूँ रखा। आपने कहा कि एक रोज़ नबी करीम (ﷺ) जाग रहे थे कि इतने में चूहा आया और उसने चिराग़ की बत्ती ले जाना चाही (अगर वो ले जाता तो) घर में आग लगा देता। **(अबू दाऊद-1848)**

एहराम वाले को कौनसा शिकार करना मना है?

3090. हज़रत सअब बिन जसामा (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ मैं मुक़ामे अब्वा या मुक़ामे वद्दान में था। मेरे पास से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का गुज़रना हुआ। मैंने आपके सामने गोरखर (का गोश्त) तोहफ़े के तौर पेश किया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको वापस कर दिया लेकिन जब आपने मेरे चेहरे पर कुछ नाराजगी के आसार देखे तो फ़र्माने लगे कि मैंने किसी और वजह से नहीं वापस किया बल्कि इस वजह से वापस कर दिया कि हम लोग एहराम में हैं। **(बुख़ारी-1825)**

3091. हज़रत अली इब्ने अबू तालिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) एहराम की हालत में थे। आपके लिये शिकार का गोश्त हाज़िर किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके खाने से इंकार फ़र्मा दिया और नहीं खाया।

मुहरिम शिकार का गोश्त तब खा सकता है जब उसके लिये शिकार न किया गया हो

3092. हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल ﷺ) ने उनको एक गोरखर अपने साथियों में बांटने के लिये दिया। हालाँकि ये सब लोग एहराम की हालत में थे।

3093. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबी क़तादा (रह.) अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि हुदैबिया के साल में आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज के लिये रवाना हुआ। आपने और सहाबा ने तो एहराम बाँध लिये थे। मगर मैंने एहराम नहीं बाँधा था। मैंने रास्ते में एक गोरखर देखा। उस पर हमला करके मैंने उसका शिकार कर लिया। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मैंने एहराम नहीं बाँधा था। आपके लिये एक गोरखर शिकार कर लिया है। आपने अपने अस्हाब को खाने का हुक्म दे दिया लेकिन खुद न खाया क्योंकि मैंने आपसे ये कह दिया था कि मैंने आपके लिये शिकार किया है। **(बुख़ारी-1821, 1822, मुस्लिम-1196)**

क़ुर्बानी के जानवरों को क़लादे पहनाना

3094. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) जो हदिय (क़ुर्बानी के जानवर) मदीना से रवाना फ़र्माया करते मैं उनके गलों के क़लादे (पट्टे) अपने हाथ से बटकर पहनाती थीं। उसके बाद जिन चीज़ों से एहराम वाला परहेज़ किया करता है, परहेज़ न फ़र्माया करते। **(बुख़ारी-1698, मुस्लिम-1321)**

3095. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, मैं अपने हाथ से हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के हदियों (क़ुर्बानी के जानवरों) के क़लादे बटा करती। जब वो क़लादे पहना दिये जाते तो उनको रवाना कर दिया जाता। लेकिन खुद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मदीना में मुक़ीम रहते और जिन कामों से मुहरिज़ परहेज़ करते हैं, किसी बात से आप परहेज़ नहीं करते। **(बुख़ारी-1702, मुस्लिम-1321)**

बकरियों की गर्दनों में पट्टे डालने का बयान

3096. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, एक बार रसूले अकरम (ﷺ) ने हदिय के तौर पर कुछ बकरियाँ बैयतुल्लाह भेजी तो उन्हें क़लादे पहनाये। **(बुख़ारी-1701, मुस्लिम-1331)**

ऊँटों के शआर करने का बयान

तश्रीह : शआर के ये मआनी हैं कि ऊँट का एक तरफ़ का कोहान बरछे से चीरकर ख़ून निकाल दिया जाये।

3097. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ऊँट के दाहिनी तरफ़ के कोहान का ख़ून निकालकर ऊँट का शआर कर दिया और वो ख़ून कपड़े से साफ़ कर डाला। हदीस के रावी अली बिन मुहम्मद (रह.) अपनी हदीस में बयान करते हैं कि ज़ुलहुलैफ़ह पहुँचकर हुज़ूर (ﷺ) ने उनके (जानवर के) गलों में दो जूतियाँ डालीं। **(मुस्लिम-1243)**

3098. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने हदियों का शआर करके और उनके गलों में पट्टे डालकर (मक्का को) रवाना फ़र्माया और आप मदीना में रहे। मुहरिम को जिन बातों से परहेज़ करना चाहिए था आपने उनमें से किसी बात से परहेज़ नहीं किया। **(बुख़ारी-1696, मुस्लिम-1321)**

क़ुर्बानी के ऊँटों पर झोल डालना

3099. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझको ये हुक्म दिया कि आपकी क़ुर्बानी वाले जानवरों की हिफ़ाजत करूँ और क़ुर्बानी के बाद उनकी झोलों और खालों को फ़ुक़रा और मसाकीन को बांट दूँ और ये भी फ़र्मा दिया था कि क़स्साब की मज़दूरी उन झोलों या खालों को फ़रोख़्त करके न अदा करूँ। **(बुख़ारी-1717, मुस्लिम-1317)**

कुर्बानी का जानवर नर या मादा (दोनों) जाइज़ है

3100. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने अपने हदियों में एक अबू जहल का ऊँट भी रवाना कर दिया था। जिसकी नाक में चाँदी का छल्ला पड़ा हुआ था। **(अबू दाऊद-1749)**

3101. हज़रत अयास बिन सलमा (रह.) अपने वालिद (हज़रत सलमा बिन अक्वा रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) की कुर्बानियों में एक नर ऊँट था।

हदी का जानवर मीक़ात के क़रीबतर मुक़ाम से लेकर जाना

3102. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने अपने हदिय के जानवरों को मुक़ामे कदीद से खरीद कर रवाना कर दिया। **(तिर्मिज़ी-907)**

हदी के जानवर पर सवारी करना

3103. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स को रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हदिय ले जाते देखा। आपने उससे फ़र्माया, इस पर सवार क्यूँ नहीं हो जाता। उसने अर्ज़ किया ये हदिय है। आपने फ़र्माया, सवार भी हो जा। तेरा बुरा न हो। **(बुख़ारी-1689, मुस्लिम-1322)**

3104. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के सामने से एक हदी का ऊँट गुज़रा (आपने ले जाने वाले से फ़र्माया) इस पर सवार हो जा। उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये हदिय का ऊँट है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सवार हो जा। हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने उसको आँहज़रत (ﷺ) के साथ सवार हुए जाते देखा। उसके ऊँट की गर्दन में जूतियों का हार पड़ा हुआ था। **(बुख़ारी-1690)**

अगर कुर्बानी का जानवर थक जाये (और हरम तक सफ़र के क़ाबिल न रहे)

3105. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत ज़ुवैब खुज़ाई (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हदिय के ऊँट उनके साथ रवाना फ़र्माया करते थे और फ़र्मा दिया करते कि अगर उनमें से किसी के मर जाने का डर हो तो फ़ौरन उसको ज़िब्ह कर देना। मुरदार न होने देना और उसके गले की जूती उसके ख़ून में तर करके उसके कोहान पर मार देना लेकिन उसका गोश्त तुम खुद न खाना और तेरे साथियों में से भी कोई न खाये। **(मुस्लिम-1326)**

3106. हज़रत नाजिया (कअ़ब बिन जुन्दुब) खुज़ाई (रज़ि.) जो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के हदिय के ऊँट ले जाया करते थे, उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर किसी ऊँट को मरता देखूँ तो क्या करूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको फ़ौरन ज़िब्ह कर डालो और उसके गले की जूती ख़ून में डुबोकर उसके पहलू पर मारकर छोड़ो ताकि लोगों के खाने के काम आये। **(अबू दाऊद-1762)**

मक्का मुअज़्ज़मा के मकान किराये पर देना

3107. हज़रत अल्क़मा इब्ने फ़ुजाला (रह.) से रिवायत है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) की वफ़ात तक और उसके बाद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.), हज़रत उमर (रज़ि.) और हज़रत उस्मान (रज़ि.) मक्का के मकानों को वक़्फ़ कहा करते थे,

जिसको ज़रूरत होती, उनमें ठहरता और जिसको ज़रूरत न होती किसी और को ठहरा देता।

मक्का मुकर्रमा की फ़ज़ीलत

3108. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अदी इब्ने हमरा (रज़ि.) कहते हैं, मैंने मुक़ामे जुज़ूरा में रसूले अकरम (ﷺ) को ऊँटनी पर सवार फ़र्माते हुए सुना कि अल्लाह की क़सम! (ऐ मक्का!) तू अल्लाह तआला की सारी ज़मीन से बेहतर और अफ़ज़ल है और तू अल्लाह तआला की तमाम ज़मीन से ज़्यादा पसंदीदा है और अगर मुझको तुझसे न निकाला जाता तो मैं यहाँ से हर्गिज़ न जाता। **(तिर्मिज़ी-3925)**

3109. हज़रत सफ़िया बिन्ते शैबा (रज़ि.) कहती हैं, मैंने हज्जतुल विदाअ में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को फ़र्माते सुना, हाज़िरीन! अल्लाह तआला ने जबसे मक्का को पैदा किया है उस वक़्त से ये हराम है और क़यामत तक ये हराम रहेगा। न यहाँ का दरख़्त काटा जाये। यहाँ तक कि कांटा तक भी न तोड़ा जाये। यहाँ शिकार न सताया जाये। यहाँ की गिरी हुई चीज़ न उठाई जाये। लेकिन जो शख़्स लोगों को उसकी अलामत बता दे वो उसको उठा सकता है। लेकिन उसका खर्च करना और सदक़ा देना जाइज़ नहीं। ये सुनकर हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूँकि इज़्ख़िर घास क़ब्रों के काम में आती है। इस वजह से उसके काटने की इजाज़त फ़र्माइये। आपने उसकी इजाज़त दे दी। **(बुख़ारी-1349)**

3110. हज़रत अयाश इब्ने अबी रबीआ मख़्ज़ुमी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तक ये उम्मत कअबा की बाकायदा हुर्मत और तअज़ीम करती रहेगी। उस वक़्त तक ख़ैरियत से रहेगी लेकिन जब उसके हक़ को ज़ाया कर देंगे तो हलाक हो जायेंगे। **(मुस्नद अहमद)**

मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ीलत

3111. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ईमान मदीना में ऐसा सिमटकर दाख़िल होगा। जिस तरह साँप अपने बिल मे सिमट सिमटाकर दाख़िल हो जाता है (इस तरह आख़िरी ज़माने में इस्लाम सिर्फ़ मदीना ही में रहेगा)। **(बुख़ारी-1876, मुस्लिम-147)**

3112. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जो शख़्स ये कर सके कि मदीना में मरे तो ज़रूर करे। जो शख़्स मदीना में फ़ौत होगा, मैं उसके हक़ में गवाही दूँगा। **(तिर्मिज़ी-3917)**

3113. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ये दुआ फ़र्माई थी, ऐ अल्लाह! इब्राहीम (अलैहिस्सलाम.) तेरे दोस्त और तेरे नबी थे और तूने उनकी दुआ की बरकत से मक्का को हरम बनाया और ऐ अल्लाह! मैं भी तेरा बन्दा हूँ और नबी हूँ लिहाज़ा मैं भी मदीना को इन दोनों काली पथरीली ज़मीनों के बीच हराम क़रार देता हूँ। **(मुस्लिम-1374)**

3114. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) का इर्शाद है कि जो शख़्स अहले मदीना के साथ बुराई का इरादा करेगा तो अल्लाह तआला उसको ऐसा गला देगा जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है। **(मुस्लिम-1387)**

3115. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उहुद पहाड़ को मैं दोस्त रखता हूँ और ये मुझको दोस्त रखता है और वो जन्नत के एक टीले पर है, और ईर पहाड़ जहन्नम के एक टीले पर है। **(बुख़ारी-4083)**

कअबा के माल का बयान

3116. हज़रत शक़ीक़ (रह.) कहते हैं, एक शख़्स ने मेरे साथ तोहफ़े के तौर पर कुछ रुपया बैतुल्लाह की तरफ़ रवाना किया। मैं कअबा में पहुँचा तो हज़रत शैबा (रज़ि.) कुर्सी पर बैठे हुए थे। वो रुपया मैंने उनको दे दिये। उन्होंने कहा ये रुपये किसके हैं, तेरे हैं? मैंने कहा अगर मेरे होते तो तुम्हारे पास लेकर क्यूँ आता। (बल्कि मिस्कीनों वग़ैरह को दे देता) शैबा(रज़ि.) ने कहा कि तुम्हारी इस बात से मुझको एक और बात याद आ गई। तुम्हारे कहने पर मैं तुमको सुनाता हूँ। एक बार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) इसी मुक़ाम पर, जहाँ तुम बैठे हो आकर बैठ गये और फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! आज मैं ये कअबा का ख़ज़ाना सब फ़ुक़रा को बांट करके जाऊँगा। मैंने उनसे कहा, नहीं! आप ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने फ़र्माया, क्यूँ? मैंने कहा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को भी मालूम था और हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को भी मालूम था। आपसे ज़्यादा उनको तक़्सीम की जरूरत थी लेकिन उन्होंने इसको अपनी जगह से हिलाया तक भी नहीं (तो आप उसके ख़िलाफ़ कैसे कर सकते हैं)। ये सुनकर हज़रत उमर (रज़ि.) वहाँ से फ़ौरन उठकर तशरीफ़ ले गये और कअबा का माल वैसे ही गड़ा रहने दिया। **(बुख़ारी- 1594)**

मक्का मुकर्रमा में रमज़ान के रोज़े रखना

3117. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रमज़ान का महीना मक्का मुअज्ज़मा मे पा ले और उसके रोज़े रखे। रात को जितनी भी हो सके, इबादत करे तो अल्लाह तआला उसके लिये दूसरे शहरों से एक लाख रमज़ान का सवाब तहरीर करेगा। हर एक रोज़े के बदले में एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब और हर रात के बदले में भी एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब और हर एक दिन के बदले उस घोड़े का सवाब दिया जायेगा जो जिहाद के लिये किसी को दिया जाये। हर दिन और हर रात को एक एक नेकी तहरीर की जायेगी।

बारिश में तवाफ़ करना

3118. हज़रत दाऊद इब्ने अज्लान (रह.) कहते हैं, हमने इब्ने अक़्क़ाल के साथ बारिश के दिन तवाफ़ किया। जब हम तवाफ़ से फ़ारिग़ हो गये तो हम मुक़ामे इब्राहीम के पीछे आये। जब वहाँ पहुँचे तो अक़्क़ाल कहने लगे कि एक बार मैंने बारिश ही में हज़रत अनस (रज़ि.) के साथ तवाफ़ किया। जब फ़ारिग होन के बाद मुक़ामे इब्राहीम पर आये और यहाँ दो रकअतें अदा कर चुके तो हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़र्माया, अब अपने अमलों का हिसाब नये सिरे से शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे पिछले सब गुनाह माफ़ कर दिये गये। यही मुझसे हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया था। जब मैं आपके साथ बारिश में तवाफ़ करके इस मुक़ाम पर आया था। **(इब्ने अदी)**

पैदल चल कर हज्ज करना

3119. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) और आपके सहाबा (रज़ि) ने मदीना से मक्का तक का पैदल चलकर हज्ज किया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने सबसे फ़र्माया था कि अपने अपने कमर बन्दों से अपनी कमरें बाँध लो। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ऐसी चाल से चल रहे थे कि न दौड़ थी न आहिस्ता। बल्कि दोनों से मिली हुई थी। **(हाकिम)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल-अज़ाही

क़ुर्बानी से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3120. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) दो मेंढों की क़ुर्बानी फ़र्माया करते जिनमें दो रंग मिले होते, काला और सफ़ेद। लेकिन ये मेंढे सींगदार होते। आप (ﷺ) उनके पुट्ठे पर पाँव मुबारक रखकर **बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर** कहते और उनको ज़िब्ह कर देते। **(बुख़ारी-5558, मुस्लिम-1966)**

3121. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) फ़र्माते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ईद के दिन दो मेंढे क़ुर्बानी किये और ज़िब्ह करने के लिए जब उनका मुँह कअबा की तरफ़ किया तो और ये दुआ पढ़ी, **इन्नी वज्जहतु वज्हिय लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़उँ वमा अना मिनल मुश्रिकीन इन्नस्सलाति व नुसुकि व मह्याय व ममाति लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन. अल्लाहुम्म मिन्क व लक अन मुहम्मदिनव उम्मतिन.** (मैंने यकसू होकर अपना चेहरा उस अल्लाह की तरफ़ कर लिया, जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज़, मेरी क़ुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिये है, जो तमाम जहानों का पालनहार है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं सबसे पहला मुस्लिम हूँ। ऐ अल्लाह ये जानवर तुझी से मिला है और तेरे ही लिये क़ुर्बान किया। मुहम्मद (ﷺ) और उनकी उम्मत की तरफ़ से (क़ुबूल फ़र्मा)। **(अबू दाऊद-2795)**

3122. हज़रत आइशा (रज़ि.) और **अबू हुरैरह (रज़ि.)** कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) क़ुर्बानी का इरादा करते तो दो मोटे ताज़े ख़स्सी मेंढे बड़े-बड़े सींग काले और सफ़ेद रंग के खरीदते। एक मेंढा तो आले मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से क़ुर्बानी करते और एक मेंढा अपनी उम्मत की तरफ़ से, जो लोग अल्लाह की तौहीद के क़ाइल हैं और हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की रिसालत का इक़रार करते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

क़ुर्बानी करना वाजिब है या नहीं?

3123. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स में क़ुर्बानी की ताक़त हो और फिर क़ुर्बानी न करे तो हमारी ईदगाह के क़रीब भी न आये। **(मुस्नद अहमद)**

3124. हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन (रह.) कहते हैं, मैंने हजरत इब्ने उ़मर (रज़ि.) से पूछा, क्या क़ुर्बानी वाजिब है? उन्होंने कहा, आँहज़रत (ﷺ) ने कुर्बानी की और आपके बाद मुसलमान बराबर कुर्बानी करते रहे और ये सुन्नत जारी हो गई।

हज़रत जबला इब्ने सहीम (रह.) से रिवायत है, उन्होंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से यही सवाल किया और उन्होंने यही जवाब दिया।

3125. हज़रत मिख़्नफ़ इब्ने सुलैम (रज़ि.) कहते हैं, हम अ़रफ़ा में रसूले करीम (ﷺ) के क़रीब खड़े थे कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों की तरफ़ मुखातिब होकर फ़र्माया, लोगों! हर घरवालों पर हर साल क़ुर्बानी और अ़तीरा करना ज़रूरी है। तुमको मालूम है कि अ़तीरा क्या चीज़ है? अ़तीरा वो है जिसको लोग जबीहा कहकर पुकारते हैं।

(अबू दाऊद--2788, तिर्मिज़ी-1518)

कुर्बानी का सवाब

3126. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, यौमुन्नह्र (कुर्बानी) के दिन अल्लाह तआ़ला के नज़दीक उसके बन्दे का कोई भी अ़मल ख़ून बहाने (जानवर की कुर्बानी करने) से ज़्यादा महबूब नहीं है। क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर बिल्कुल सही और सालिम होकर आयेगा। जिसके खुर और बाल और सींग वग़ैरह सब दुरुस्त होंगे और क़ुर्बानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह तआ़ला के यहाँ एक दर्जा हासिल कर लेता है। तुमको अपनी क़ुर्बानी से खुश होना चाहिए।

(तिर्मिज़ी-1493)

3127. हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) के सहाबा ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इन क़ुर्बानियों से क्या फ़ायदा है? आपने फ़र्माया, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) की सुन्नत है। उन्होंने अ़र्ज़ किया, फिर हमको इस सुन्नत की पैरवी से क्या मिलेगा। आपने फ़र्माया, बकरी केजिस्म पर जितने बाल होंगे हर एक बाल के बदले में एक एक नेकी मिलेगी। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मेंढा हो तो? आपने फ़र्माया, उसके भी हर बाल के बदले में एक नेकी मिलेगी। **(बैहक़ी)**

कौनसे जानवर की कुर्बानी मुस्तहब है?

3128. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने एक लम्बे सींग वाले मेंढे की कुर्बानी की जिसके पैर और मुँह और आँखें काली थीं और बाक़ी जिस्म सफ़ेद था। **(अबू दाऊद-2796, तिर्मिज़ी-1496)**

3129. हज़रत यूनुस इब्ने मैसरह (रह.) कहते हैं कि मैं हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) के साथ कुर्बानियाँ खरीदने के लिये चला। अबू सईद (रज़ि.) ने एक मेंढे की तरफ़ इशारा किया। जिसकी ठोडी और पुट्ठे पर सफ़ेदी थी और बाक़ी जिस्म काला था। आपने मुझसे फ़र्माया, ये मेंढा मेरे लिये खरीद ले। ये शायद उन्होंने इस वजह से कहा कि उनके ख्याल में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के मेंढे के मुशाबेह (मिलता-जुलता) था जिसको हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कुर्बानी की थी।

3130. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बेहतरीन कफ़न वो है जो एक ही रंग की दो चादरें हों और बेहतरीन क़ुर्बानी सींगों वाला मेंढा है। **(तिर्मिज़ी-1517)**

ऊँट और गाय कितने आदमियों की तरफ़ से काफ़ी हो सकते हैं?

3131. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हम रसूले अकरम (ﷺ) के साथ सफ़र में थे कि ईदुल अज़्हा आ गई, चुनाँचे हमने हिस्से वाली क़ुर्बानी में शिर्कत की, एक ऊँट में दस आदमी शरीक हुए और गाय में सात आदमी। **(तिर्मिज़ी-905)**

3132. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, हुदैबिया में हम लोगों ने हुज़ूर (ﷺ) के साथ ऊँट और गाय दोनों को सात-सात आदमियों की तरफ़ से क़ुर्बानी किया था। **(मुस्लिम-1318)**

3133. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हज्जतुल विदाअ में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की जिन-जिन बीवियों ने आपके साथ उमरह किया था उन सबकी तरफ़ से क़ुर्बानी में एक गाय (ज़िब्ह की) थी। **(अबू दाऊद-1751)**

3134. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में एक बार ऊँटों की क़िल्लत हो गई तो आपने एक ऊँट को सात शख़्सों की तरफ़ से ज़िब्ह करने का हुक्म सादिर फ़र्माया।

3135. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हज्जतुल विदाअ में आँहज़रत (ﷺ) ने आले मुहम्मद (ﷺ) की तरफ़ से एक गाय क़ुर्बानी की थी। **(अबू दाऊद-1750)**

एक ऊँट कितनी बकरियों के बराबर होता है?

3136. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे ज़िम्मे एक ऊँट है (मैंने ऊँट ज़िब्ह करने की नज़्र मानी थी) मुझको ऊँट के खरीदने की ताक़त भी है लेकिन मुझको ऊँट नहीं मिल रहा ताकि मै उसको खरीदूँ। आपने फ़र्माया, एक ऊँट के बदले में सात बकरियाँ खरीद के ज़िब्ह कर ले। **(मुस्नद अहमद)**

3137. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं, मुल्के तहामा में हम लोग मुक़ामे जुलहुलैफ़ा में आँहज़रत (ﷺ) के साथ थे। हमको माले-ग़नीमत में ऊँट और बकरियाँ हासिल हुईं। लेकिन लोगों ने उसका गोश्त तक़्सीम करने में जल्दी की और उनको काट काटकर हाँडियों मे पकने के लिये रख दिया। इतने में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपके हुक्म से वो हाँडियाँ उलट दी गईं और गोश्त फेंक दिया गया। क्योंकि तक़्सीम से पहले ग़नीमत का माल इस्तेमाल करना नाजाइज़ है और फिर एक ऊँट दस बकरियों के बराबर क़रार दिया गया। **(बुख़ारी-2507, 5506)**

तशरीह : ग़ैर हाजी जो ईदुल अज़्हा को अपने-अपने घर क़ुर्बानियाँ करते हैं उनके लिये यही हुक्म है कि ऊँट और गाय में सात आदमी शरीक हो सकते हैं और भेड़ बकरी और दुम्बा में सिर्फ़ एक।

किस उम्र के जानवर की क़ुर्बानी दुरुस्त है?

3138. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने उनको क़ुर्बानी की बकरियाँ इनायत की, उन्होंने सब बकरियाँ (आप (ﷺ) के हुक्म से) अपने साथियों में बांट दीं। सिर्फ़ एक साला बच्चा रह गया। उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, तुम वही क़ुर्बानी कर दो। **(बुख़ारी-2300, मुस्लिम-1965)**

3139. हज़रत उम्मे बिलाल बिन्ते हिलाल (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करती हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, भेड़ों में से जुज़्अ की कुर्बानी करना जाइज़ है। **(मुस्नद अहमद)**

3140. हज़रत आसिम बिन कुलैब (रह.) अपने वालिद (हज़रत कुलैब बिन शिहाब रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के एक सहाबी मुजाशेअ के साथ थे। ये सहाबी बनू सुलैम में से थे। उस वक़्त बकरियों की क़िल्लत हो गई थी। उन्होंने मुनादी का हुक्म दिया कि ये ऐलान कर दो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माया करते थे, बेशक एक साल का जानवर दो दाँते की जगह काफ़ी हो जाता है। **(अबू दाऊद-2799)**

3141. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दो दाँते के सिवा कोई जानवर (कुर्बानी में) ज़िब्ह न करो, सिवाय इसके कि तुम्हारे लिये (दो दाँता जानवर तलाश करना) मुश्किल हो जाये, तो भेड़ का जिज़्आ ज़िब्ह कर लो। **(मुस्लिम-1963)**

तश्रीह : *राजेह मसलक यही है कि कुर्बानी के जानवरों में भेड़ के अलावा गाय, बकरी और ऊँट में दो दाँत का जानवर होना शर्त है, इनमें एक साल का जानवर कुर्बानी करना जाइज़ नहीं है।*

किस जानवर की कुर्बानी मकरूह है?

3142. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा जानवर कुर्बानी न किया करो जिसका कान आगे से या पीछे से कटा हुआ हो या उसका कान फटा हुआ हो या उसका कोई हिस्सा कटा या सब हिस्से कटे हों। **(अबू दाऊद-2804, तिर्मिज़ी-1497)**

3143. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो जानवर कुर्बानी के लिये खरीदा करो उसकी आँखें और कान अच्छी तरह देख लिया करो। **(तिर्मिज़ी-1503)**

3144. हज़रत उबैद बिन फ़ीरोज (रह.) कहते हैं, मैंने बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से कहा कि आँहज़रत (ﷺ) ने जिन कुर्बानियों को बुरा फ़र्माया है या अच्छा फ़र्माया है वो मेरे सामने बयान कर दीजिए। हज़रत बराअ (रज़ि.) कहने लगे, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से इशारा करके फ़र्माया, कुर्बानी में चार जानवर नहीं लेने चाहिए। एक वो जिसका कानापन जाहिर हो दूसरा वो जो बीमार हो और उसकी बीमारी खुली हुई हो, तीसरा वो लंगड़ा जिसका लंगड़ापन जाहिर हो। चौथा इतना कमज़ोर, जिस की हड्डियों पर गोश्त बिल्कुल नजर न आये। उबैद (रह.) कहने लगे, मुझे तो वो भी नापसन्द है जिसके कान में ऐब हो। हज़रत बराअ (रज़ि.) ने फ़र्माया, अगर वो तुम्हारे नज़दीक बुरा है तो तुम उसको छोड़ दो लेकिन उसे दूसरों पर हराम मत करो। **(अबू दाऊद-2802, तिर्मिज़ी-1497)**

3145. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने टूटे हुए सींग और कनकटे जानवर की कुर्बानी से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-2805)**

कुर्बानी के जानवर में ख़रीदने के बाद ऐब पैदा हो जाये तो?

3146. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हमने कुर्बानी के लिये एक मेंढा खरीदा था। (इत्तिफ़ाकन) भेड़िया उसके कूल्हों और कान से कुछ हिस्सा काट कर ले गया। हमने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी कुर्बानी कर दो। **(मुस्नद अहमद)**

तमाम घरवालों की तरफ़ से एक बकरी की क़ुर्बानी काफ़ी है

3147. हज़रत अता बिन यसार (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से पूछा कि आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में तुम लोगों में किस तरीक़े से क़ुर्बानी होती थी? उन्होंने फ़र्माया, आपके ज़माने में एक शख़्स अपने तमाम घर वालों की तरफ़ से एक बकरी किया करता था और उसमें से सब लोग खाते-पीते लेकिन आज तुम खुद देख लो जो हाल है कि लोग एक-दूसरे पर फ़ख़्र करने लगे हैं। **(तिर्मिज़ी-1505)**

3148. हज़रत अबी सुरैहा (रज़ि.) कहते हैं, पहले हम लोग तमाम घरवालों की तरफ़ से एक या दो बकरियाँ ज़िब्ह करके सुन्नत पर अमल किया करते थे, लेकिन अब हमारे घरवालों ने खिलाफ़े सुन्नत काम करना शुरू किया है। क्योंकि अब लोग हमको ऐसा करने पर बख़ील (कन्जूस) कहते हैं। **(बैहक़ी)**

जो क़ुर्बानी का इरादा रखता हो उसे (ज़िल्हिज्जह के पहले) दस दिनों में बाल और नाख़ुन नहीं काटने चाहिये

3149. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहता हो अगर उसको ज़िल्हिज्जह का चाँद दिख जाये तो दस तारीख़ तक बाल वग़ैरह को न काटे। **(मुस्लिम-1977)**

3150. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़ुर्बानी करना चाहे अगर वो ईदुल अज़्हा का चाँद देख ले तो अपने नाखुनों को दस तारीख तक न काटे। **(मुस्लिम-1977)**

नमाज़े ईद से पहले क़ुर्बानी करना मना है

3151. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, बकरा ईद के रोज़ एक शख़्स ने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी कर दी। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसको दोबारा क़ुर्बानी करने का हुक्म दिया। **(बुख़ारी-954, 5546, मुस्लिम-1962)**

3152. हज़रत जुन्दुब (रज़ि.) कहते हैं कि ईदुल अज़्हा के दिन हम हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ थे। चंद लोगों ने नमाज़ से पहले क़ुर्बानियाँ कर लीं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, जिसने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की है वो दोबारा क़ुर्बानी करे और जिसने अभी नहीं की है वो अल्लाह तआला का नाम लेकर शुरू कर दे।

(बुख़ारी-5562, मुस्लिम-1960)

3153. हज़रत उवैमिर बिन अश्कर (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नमाज़ से पहले क़ुर्बानी कर दी। उसके बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से मैंने अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, क़ुर्बानी फिर करो। **(मुस्नद अहमद)**

3154. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) कहते हैं, (एक बार) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का गुज़र किसी अंसारी के क़रीब से हुआ। वहाँ गोश्त भूनने की ख़ुश्बू मालूम हुई। आपने फ़र्माया, ये ज़बीहा किसने किया। हम लोगों में से एक शख़्स बाहर निकलकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने हमसायों को खिलाने के लिये नमाज़ से पहले ही ज़िब्ह कर दिया। आपने फ़र्माया, नहीं! तुम फिर से ज़िब्ह करो। उसने अर्ज़ किया, अल्लाह की क़सम या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास तो इतना नहीं है कि अब मैं कुछ ज़िब्ह करूँ सिवाए एक मेंढ़े के बच्चे के। आपने फ़र्माया, वही ज़िब्ह कर दो लेकिन ये सिर्फ़ तुम्हारे ही लिये जाइज़ है। वरना आइन्दा कोई इतने बच्चे की क़ुर्बानी न करे। **(मुस्नद अहमद)**

कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िब्ह करना बेहतर है

3155. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैंने आँहज़रत (ﷺ) को अपने हाथ से अपनी कुर्बानी का जानवर उसके पुट्ठे पर पैर रखकर ज़िब्ह करते देखा है।

3156. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन सअ़द इब्ने अ़म्मार (रह.) रसूले अकरम (ﷺ) के मुअज़्ज़िन अपने दादा की रिवायत बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बनी ज़ुरैक के कूचे में गली के सिरे पर एक छुरी से अपनी कुर्बानी अपने हाथ से ज़िब्ह की।

कुर्बानी की खालों का बयान

3157. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने कुर्बानी की हर चीज़ के तक़्सीम करने का मुझको हुक्म दिया था ख्वाह गोश्त हो या खाल। या उनकी झोलें तक़्सीम कर दी जायें।

कुर्बानियों के गोश्त में से खाने का बयान

3158. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने जिनते ऊँट ज़िब्ह किये थे, सब में से गोश्त का एक एक टुकड़ा मंगाया और फिर उनको पकाने का हुक्म दिया। वो हाँडियों में रखकर पका दिये गये। तैयारी के बाद उसका गोश्त और शोरबा खूब खाया पिया। **(मुस्नद अहमद)**

कुर्बानी का गोश्त जमा करने का बयान

3159. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, जिस ज़माने में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों को ये हुक्म दिया था कि तीन दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त न रखा जाये, वो ऐसा ज़माना था जिसमें लोग निहायत तंगदस्त थे। उसके बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इसकी इजाज़त दी थी। **(बुख़ारी-5423, मुस्लिम-2790)**

3160. हज़रत नुबैशा (रज़ि.) कहती हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले मैंने कुर्बानी का गोश्त तीन दिन से ज़्यादा रखने के लिये मना किया था, लेकिन अब तुम खाओ भी और जमा भी करो।

(अबू दाऊद-2813, मुस्लिम-1141)

ईदगाह में जानवर ज़िब्ह करना

3161. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ईदगाह में कुर्बानी की थी।

(अबू दाऊद-2811)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुज़्ज़बाइह

ज़िब्ह से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

अक़ीक़ा का बयान

3162. हज़रत उम्मे कर्ज़ (रज़ि.) कहती हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लड़के के अक़ीक़े में दो बकरियाँ बराबर की होनी चाहिए और लड़की की तरफ से एक बकरी। **(अबू दाऊद-2835)**

3163. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लड़के की तरफ़ से दो बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी अक़ीक़ा के तौर पर ज़िब्ह की जाये। **(तिर्मिज़ी-1513)**

3164. हज़रत सलमान इब्ने आमिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बच्चे के साथ अक़ीक़ा है, चुनाँचे उसकी तरफ़ से ख़ून बहाओ और उसका मैल-कुचैल दूर करो। **(अबू दाऊद-2835)**

3165. हज़रत समुरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर लड़का अपने अक़ीक़े के बदले गिरवी है। सातवें दिन उसकी तरफ़ से (अक़ीक़े का जानवर) ज़िब्ह किया जाये और उसके सर के बाल उतारे जायें और उसका नाम रखा जाये। **(अबू दाऊद-2838, तिर्मिज़ी-1522)**

3166. हज़रत यज़ीद बिन अब्द मुज़्नी कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, बच्चे का अक़ीक़ा किया जाये लेकिन अक़ीक़े के जानवर का ख़ून बच्चे के सर पर न लगाया जाये। **(इब्ने हिब्बान-1057)**

फ़रआ और अतीरा का बयान

3167. हज़रत नुबैशा (रज़ि.) कहती हैं, एक बार एक शख़्स ने नबी करीम (ﷺ) को आवाज़ देकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में, रजब के महीने में अतीरा ज़िब्ह किया करते थे। लिहाज़ा अब आपका हमको इसके बारे में क्या हुक्म है? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के लिये जिस महीने में जो चाहो ज़िब्ह करो और अल्लाह (की रज़ा) के लिये नेकी करो और लोगों को खाना खिलाओ। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़मान-ए-जाहिलिय्यत में हम ज़बीहा किया करते जिसका नाम फ़रआ था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर जानवर में फ़रआ हुआ करता है। जब तेरा जानवर बच्चा जने और वो जवान हो जाये तो तू मुसाफ़िरों पर उसके गोश्त का सदक़ा कर दे तो

बेहतर है। **(अबू दाऊद-2830)**

3168. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़रआ और अतीरा (लग्व चीज़ है) कोई (क़ाबिले एअतिमाद) चीज़ नहीं। हिशाम (रह.) कहते हैं, जानवर के पहले बच्चे को फ़रआ कहते हैं और रजब में जो ज़बीहा किया जाता था, उसको अतीरा कहते हैं। इससे आपने इसलिए मना किया कि ये ज़मान-ए-जाहिलिय्यत की रस्म थी। **(बुख़ारी-5474, मुस्लिम-1976)**

3169. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अतीरा और फ़रआ कोई चीज़ नहीं है। इब्ने माजा (रज़ि.) कहते हैं, ये हदीस मुहम्मद इब्ने उमर अदनी की नादिर हदीसों में से है।

जब ज़िब्ह करे तो अच्छे अंदाज़ से ज़िब्ह करे

3170. हज़रत शद्दाद बिन औस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने हर चीज़ पर एहसान करना फ़र्ज़ किया है। लिहाज़ा जब तुम किसी को (क़िसास में) क़त्ल करो तो अच्छी तरह और जानवर को ज़िब्ह करो तो भी अच्छी तरह। जिस छुरी से ज़िब्ह करने का इरादा हो, उसको खूब तेज़ कर लो ताकि तुम्हारे ज़बीहा को उससे आराम पहुँचे। **(मुस्लिम-1955)**

3171. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक शख़्स के पास से गुज़रे। वो शख़्स बकरी का कान पकड़कर खींच रहा था। आपने फ़र्माया, उसका कान छोड़कर गर्दन पकड़ ले ताकि उसको तक्लीफ़ न पहुँचे।

3172. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने ये फ़र्मा दिया था कि छुरियों को खूब तेज़ किया जाये और ज़बीहों के सामने छुरी तेज़ न की जाये बल्कि उसको पोशिदा रखा जाये। जब ज़िब्ह करने का वक़्त हो तो बहुत जल्दी से ज़िब्ह कर दिया जाये।

3173. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते है कि उन्होंने ये आयते शरीफ़ा पढ़ी, **इन्नश्शैतान लयूहून इला औलियाइहिम** (सूरह अन्आम : 121)(तर्जुमा : बेशक शैतान अपने दोस्तों की तरफ़ इल्हाम करते हैं)(फिर इसकी वज़ाहत करते हुए) फ़र्माया, (मुश्रिक) लोग कहते हैं, जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाये उसको मत खाओ और जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया जाये उसको खूब खाओ। तब अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्मा दी, **वला तअ्कुलू मिम्मा लम् युज़्किरस्मल्लाहि अलैहि** (तर्जुमा : जिस पर अल्लाह तआला का नाम न लिया जाये उसमें से कुछ मत खाओ)। **(अबू दाऊद-2818)**

3174. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, कुछ लोगों ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे यहाँ कुछ नौ मुस्लिम लोग गोश्त फ़रोख्त करने के लिये लाते हैं। हमको ये मालूम नहीं कि उसके ज़िब्ह करते वक़्त अल्लाह का नाम लिया जाता है या नहीं। लिहाज़ा हम ऐसा गोश्त खरीद सकते हैं? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तुम लोग खाते वक़्त बिस्मिल्लाह कह लिया करो। **(दारमी)**

किस-किस चीज़ से ज़िब्ह करना जाइज़ है

3175. हज़रत मुहम्मद बिन सैफ़ी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने एक सफ़ेद धारदार पत्थर से एक खरगोश ज़िब्ह किया

और उसे लेकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने मुझको खाने की इजाज़त फ़र्माई।
(अबू दाऊद-2822)

3176. हज़रत ज़ैद बिन साबित (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा भेड़िये ने बकरी पर दांत मार दिये। लोगो ने जल्दी से उस बकरी को ज़िब्ह कर दिया। फिर आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। आपने उसका गोश्त खाने की इजाज़त दे दी। **(नसाई-4405, 4412)**

3177. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कभी-कभी शिकार करते वक़्त हमारे पास छुरी नहीं होती अल्बत्ता धारदार पत्थर का टुकड़ा या धारदार खपच्ची मिल जाती है। आपने फ़र्माया, बिस्मिल्लाह कहकर ख़ून बहा दो ख्वाह किसी चीज़ से हो। **(अबू दाऊद-2824)**

3178. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं, हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ सफ़र में थे। मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग अक्सर लड़ाई में होते हैं और हमारे पास छुरी वग़ैरह कुछ नहीं होती। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मतलब ख़ून बहाने से है, जो चीज़ ख़ून बहा दे। बिस्मिल्लाह पढ़कर उससे ज़िब्ह करके खाओ। अल्बत्ता दो चीज़ें न हों, नाख़ून और दांत। क्योंकि दांत हड्डी है और नाख़ून हब्शियों की छूरी है।

खाल उतारना

3179. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) का गुज़र एक लड़के के क़रीब से हुआ जो खाल निकाल रहा था। आपने उससे फ़र्माया, ऐ लड़के हट जा, मैं तुझको बतलाता हूँ। वो अलग हो गया और आपने उसकी खाल को पकड़कर उसमें हाथ डाल दिया। यहाँ तक कि कोहनी तक घुस गया और फ़र्माया, ऐ लड़के इस तरह खाल निकाला करते हैं। फिर वहाँ से तशरीफ़ ले चले और जाकर बग़ैर वुज़ू किये आपने नमाज़ पढ़ाई।
(अबू दाऊद-158)

दूध वाले जानवर ज़िब्ह करने की मुमानिअत

3180. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक अंसारी के यहाँ तशरीफ लाये वो आपकी (मेहमानी के लिये) छुरी लेकर जानवर ज़िब्ह करने के लिये चला। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि दूध वाला जानवर न काटना। **(मुस्लिम-2038)**

3181. हज़रत अबूबक्र इब्ने अबी कहाफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, (एक बार रात को) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझसे और उमर (रज़ि.) से फ़र्माया, चलो! वाकिफ़ी के यहाँ हो आएँ। अल्ग़र्ज़ हम तीनों साहब चाँदनी रात में उनके बाग़ में पहुँचे (उसने हमको देखकर) कहा, आईये, आईये! तशरीफ़ लाईये! आप ही का मकान है। उसके बाद वो छुरी लेकर बकरी ज़िब्ह करने के लिये चला। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दूध वाली बकरी ज़िब्ह न करना।

औरत का ज़बीहा खाने में कोई हर्ज नहीं

3182. हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, एक बांदी ने बकरी को मरते देखकर एक पत्थर के टुकड़े से ज़िब्ह कर दिया। उसका ज़िक्र हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके खाने की इजाज़त इनायत फ़र्माई। **(बुख़ारी-5504)**

भाग निकलने वाले जानवर को ज़िब्ह करने का तरीक़ा

3183. हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं, एक बार हम लोग नबी करीम (ﷺ) के साथ सफ़र में जा रहे थे। रास्ते में एक ऊँट बिगड़ गया और निकलकर भागा। एक शख़्स ने उसको तीर मारा। ये देखकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन मवेशियों में कुछ भाग निकलने वाले होते हैं, जिस तरह जंगली जानवर (इंसान से दूर) भागते हैं, लिहाज़ा उनमें से जो तुम पर ग़ालिब आ जाये (क़ाबू न आये) उसके साथ इसी तरह करो।

3184. हज़रत अबुल अशराअ (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ज़िब्ह सिर्फ़ हलक़ और गर्दन से ही होता है। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तेरी मर्जी हो तो सिर्फ़ उसकी रान ही में एक नेज़ा मार दे। तुझको काफ़ी होगा। **(अबू दाऊद-2825)**

जानवर को बाँधकर क़त्ल करने और उनकी शक्ल बिगाड़ने की मुमानिअत का बयान

3185. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने जानवर को मुसला करने (शक्ल बिगाड़ने) से मना फ़र्माया है।

3186. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने जानवर को बाँधकर निशाना लगाने से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-5513, मुस्लिम-1956)**

3187. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो जानदार चीज़ हो उसको (मश्क़ के लिये तीर वग़ैरह से) निशाना न बनाओ। **(तिर्मिज़ी-1470)**

3188. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने चौपाये में से किसी चौपाये को बाँधकर क़त्ल करने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1959)**

गन्दगी खाने वाले जानवर का गोश्त खाने की मुमानिअत का बयान

3189. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने गन्दगी खाने वाले जानवर के गोश्त और दूध इस्तेमाल करने से मना किया है। **(अबू दाऊद-3785)**

घोड़ों के गोश्त का बयान

3190. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) कहती हैं, हम लोगों ने आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में घोड़े को ज़िब्ह करके उसका गोश्त खाया। **(बुख़ारी-5510, 5512, मुस्लिम-1942)**

3191. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, खैबर के ज़माने में हम लोगों ने गोरखरों और घोड़ों का गोश्त इस्तेमाल किया था। **(मुस्लिम-1941)**

शहरी गधों का गोश्त खाना कैसा है?

3192. हज़रत अबी इस्हाक शैबानी (रह.) कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से शहरी गधों के

बारे में पूछा, हलाल हैं या नहीं? वो कहने लगे कि जंगे खैबर के रोज़ हम लोगों को भूख ने घेरा था। चूँकि ग़नीमत में हमारे हाथ शहरी गधे आ गये। उन्हीं को हमने ज़िब्ह करके हाँडियों में चढ़ा दिया। हमारी हाँडियों में खूब जोश आ रहा था कि इतने में एक ढिंढोरे वाले की आवाज़ हमारे कान में आई कि हाँडियों को उल्टा कर दो और उनमें से कुछ न खाओ (ये सुनकर) हमने उन सबको फेंक दिया। अबू इस्हाक (रह.) कहते हैं, मैंने अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा (रज़ि.) से कहा कि, क्या हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने गधे का गोश्त बिल्कुल हराम कर दिया था? उन्होंने फ़र्माया, हम लोग (सहाबा किराम) ये बातें करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें क़तई तौर पर हराम कर दिया क्योंकि वो गन्दगी खाता है।

(बुख़ारी-3155, मुस्लिम-1937)

3193. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी क़र्ब कुन्दी (रज़ि.) कहते हैं, जिन चीज़ों को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने हराम क़रार दिया है, उनमें शहरी गधे भी शामिल हैं। **(मुस्नद अहमद)**

3194. हज़रत बराअ बिन आ़ज़िब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने हमको शहरी गधों के गोश्त फेंक देने का हुक्म दिया था। चाहे कच्चा हो या पका हुआ। लेकिन फिर उसके खाने के बारे में हमको कोई हुक्म न दिया।

(बुख़ारी-4226, मुस्लिम-1938)

3195. हज़रत सलमा बिन अक़्वा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) की क़यादत में जंगे ख़ैबर लड़ी। शाम को लोगों ने (जगह-जगह) आग जला दी। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम किस चीज़ को पकाने के लिये आग जला रहे हो? सहाबा ने अ़र्ज़ किया, पालतू गधों के गोश्त के लिये। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इन (बर्तनों) में जो कुछ है, गिरा दो और इन (बर्तनों) को तोड़ दो। एक आदमी ने अ़र्ज़ किया, या (आप इजाज़त दें तो) हम इनके अन्दर जो कुछ है, गिरा दें और इन बर्तनों को धो लें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, या ऐसे कर लो।

(बुख़ारी-5797, मुस्लिम-1802)

3196. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) के मुनादी ने ये ऐलान किया कि अल्लाह तआला ने तुम लोगों पर शहरी गधों का गोश्त हराम कर दिया है। **(बुख़ारी-2991)**

खच्चर के गोश्त का बयान

3197. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग घोड़ों का गोश्त खाया करते थे। (हदीस के रावी अता रह. कहते हैं) मैंने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से कहा, खच्चरों का (क्या हुक्म है?)। उन्होंने फ़र्माया, नहीं (हम उनका गोश्त नहीं खाते थे)। **(नसाई-4338)**

3198. हज़रत खालिद बिन वलीद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने घोड़ों, खच्चरों और गधों के गोश्त से मना किया है। **(अबू दाऊद-3790)**

पेट के बच्चे का ज़िब्ह होना उसकी माँ का ज़िब्ह होना है

3199. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) से उस बच्चे के बारे में पूछा गया जो ज़िब्ह किये हुए जानवर के पेट से निकलता है। आपने फ़र्माया, तुम्हारा दिल चाहे तो खा लो क्यों कि उसकी माँ का ज़बीहा खुद उसका ज़बीहा है। **(अबू दाऊद-2827, तिर्मिज़ी-1476)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुस्सैद

शिकार से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3200. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को कुत्तों से क्या ग़र्ज़ है? भला कुत्ते भी पालने की चीज़ हैं ? उनको मार डाला करो। लेकिन उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने शिकारी कुत्ते पालने की इजाज़त दे दी।

3201. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को कुत्तों से क्या ग़र्ज़ है? उनको क़त्ल कर देना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने शिकारी और खेती की हिफ़ाज़त करने वाले कुत्तों की इजाज़त दे दी।

3202. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म दिया।
(बुख़ारी-3323, मुस्लिम-1570)

3203. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को बुलन्द आवाज़ के साथ कुत्तों को क़त्ल करने का हुक्म देते हुए सुना। चुनाँचे मवेशियों की हिफ़ाज़त करने वाले शिकारी कुत्तों के अलावा तमाम कुत्ते क़त्ल कर दिये गये। **(नसाई-4283)**

खेत या मवेशियों की हिफ़ाज़त करने वाले शिकारी कुत्तों के अलावा दूसरे कुत्ते रखना मना है

3204. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कुत्ता पालेगा, उसके नेक अमल में से हर रोज़ एक क़ीरात नेकी कम होगी। लेकिन शिकारी और खेत की हिफ़ाज़त करने वाले कुत्तों को पाल सकता है। **(मुस्लिम-1575)**

3205. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कुत्ते भी अल्लाह तआला की उम्मतों में से उम्मत न होते तो मैं इनको मार डालने का हुक्म देता। लेकिन अब जो बिल्कुल स्याह

कुत्ता हो उसको मार डालो और जो क़ौम शिकारी और मुहाफ़िज़ कुत्तों के अलावा और कुत्ते पालेगी। उसके नेक अमल में से हर रोज़ दो क़ीरात कम होंगे। **(अबू दाऊद-2745, तिर्मिज़ी-2745)**

3206. हज़रत सुफ़ियान इब्ने ज़ुहैर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कुत्ता पालता हो और वो कुत्ता उसके खेत वग़ैरह की हिफ़ाजत के लिए या शिकार करने के लिए न हो (बल्कि शौकिया पाले) तो हर रोज़ उसके नेक अमलों में से एक क़ीरात कम होता रहेगा। लोगों ने हज़रत सुफ़ियान से कहा कि ये हदीस तुमने ख़ुद हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने कहा हाँ! मस्जिद के रब की क़सम! मैंने आपसे सुना है।

(बुख़ारी-5488, 5487, मुस्लिम-1929)

कुत्ते का किया हुआ शिकार

3207. हज़रत अबू सअल्बा ख़ुशनी (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम अहले किताब के मुल्कों में रहते हैं। क्या हमारे लिये उनके बर्तनों में खाना जाइज़ है? उसके अलावा उस मुक़ाम पर शिकार बहुत ज़्यादा होता है तो मैं कभी अपनी कमान से शिकार करता हूँ और कभी सिखाए हुए शिकारी और बग़ैर सिखाए हुए शिकारी कुत्तों के ज़रिये से, तो किससे जाइज़ है?। हुज़ूर (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, ये जो तुमने बयान किया कि हम अहले किताब के मुल्क में रहते हैं, क्या उनके बर्तनों में खायें? लिहाज़ा ज़रूरत नहीं हो तो मत खाओ। हाँ! अगर बग़ैर उसके काम न चले तो खा सकते हो और कुत्तों का जो तुमने ज़िक्र किया है, लिहाज़ा जो शिकार तुमने कमान से किया हो और तीर मारते वक़्त बिस्मिल्लाह कही हो तो उसको खाओ या शिकारी कुत्ते से जो शिकार तुमने किया हो और कुत्ते को शिकार पर छोड़ते वक़्त बिस्मिल्लाह कह ली हो तो उसको भी खा लो और जो शिकार बग़ैर सिखाये हुए कुत्ते से तुमने किया। लेकिन उसको ज़िन्दा पाकर तुमने ज़िब्ह कर लिया हो तो खा लो (वरना न खाओ)। **(बुख़ारी-5488, मुस्लिम-1576)**

3208. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सवाल किया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम कुत्तों से शिकार किया करते हैं। आपने फ़र्माया, जो कुत्ता तुम्हारा सिखाया हुआ हो और बिस्मिल्लाह कहकर उसको तुमने शिकार पर छोड़ा हो तो अगर कुत्ते ने शिकार को ज़ख़्मी करके छोड़ दिया हो तो तुम उसमें से खा सकते हो और कुछ हिस्सा खा लिया हो तो उसको मत खाओ। क्योंकि उस सूरत में मुझे डर है कि कहीं उस कुत्ते ने अपने लिये शिकार न किया हो (इसी तरह) अगर सिखलाये हुए कुत्ते के साथ दूसरा कुत्ता शरीक हो जाये तो उसको भी मत खाओ। **(बुख़ारी-2483, 5487, मुस्लिम-1929)**

मजूसी के कुत्ते का किया हुआ शिकार और बिल्कुल काले कुत्ते का हुक्म

3209. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हमको मजूसी (आग की पूजा करने वाले) के कुत्ते या परिन्दे के शिकार किये हुए से मना किया गया है। **(तिर्मिज़ी-1466)**

3210. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बिल्कुल स्याह (काले) कुत्ते के बारे में पूछा। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये कुत्ता शैतान है।

तीर व कमान से शिकार करना

3211. हज़रत अबू सअल्बा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शिकार तेरी तीर व कमान ने

किया हो उस को खा लो। (अबू दाऊद-2856, 2857)

3212. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं, हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग तीर और कमान से शिकार किया करते हैं। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तू तीर मारे वो तीर शिकार मे घुस जाये। यानी उसको फाड़ डाले तो तुम खा सकते हो। **(मुस्लिम-1929)**

अगर शिकार एक रात के बाद मिले तो क्या हुक्म है?

3213. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने नबी करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम शिकार को तीर मारते हैं (और कभी-कभी) ऐसा होता है कि एक रात वो शिकार ग़ायब रहता है। दूसरे दिन मिलता है (तो अब हमको क्या करना चाहिए?) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम्हारा तीर उसमें घुसा हुआ है और उसके अलावा उसमें और कोई ज़ख़्म नहीं हो तो उसको तुम खा लो (वरना नहीं)। **(बुख़ारी-5484, मुस्लिम-1929)**

मिअराज़ (चौड़ाई) से शिकार करना

तशरीह : मेअराज़ लकड़ी के एक नोकदार टुकड़े को कहते थे, जो तीर नुमा होता था, लेकिन उसमें लोहे का फल वग़ैरह नहीं होता था।

3214. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से मिअराज़ से किये हुए शिकार के बारे में दरयाफ़्त किया, तो रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माया, जो नोक से मरे वो खा सकते हो और जो उसकी चौड़ाई से मर जाये उसको न खाओ, क्योंकि वो चोट से मरा हुआ जानवर है। **(बुख़ारी-2475, मुस्लिम-1929)**

3215. हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले अकरम (ﷺ) से मेअराज के बारे में पूछा तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, न खाओ सिवा उसके कि वो फाड़ दे। **(बुख़ारी-5477, 7397, मुस्लिम-1929)**

ज़िन्दा जानवर के जिस्म से काटे हुए गोश्त का हुक्म

3216. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर जानवर से कुछ काट लिया जाये जबकि वो ज़िन्दा हो तो जो कुछ उससे काटा गया, वो मुर्दार है। **(हाकिम)**

3217. हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, आख़िरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़िन्दा ऊँटों के कोहान और बकरियों की दुमें काट लिया करेंगे लिहाज़ा तुम खूब याद रखो कि ज़िन्दा जानवर के गोश्त का कटा हुआ टुकड़ा मुर्दार है।

मछली और टिड्डी के शिकार का बयान

3218. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हमारे लिये दो मुर्दे हलाल हैं एक मछली, दूसरी टिड्डी (उनके ज़िब्ह करने की जरूरत नहीं)। **(मुस्नद अहमद)**

3219. हज़रत सलमान (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) से टिड्डी के बारे में पूछा गया। आपने फ़र्माया, अल्लाह का बहुत बड़ा लश्कर है न मैं उसको हराम करता हूँ न मैं उसको खाता हूँ। **(अबू दाऊद-3814)**

3220. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) की अज़्वाजे मुतह्हरात (रज़ि.) एक-दूसरे को टिड्डियों को तश्तरियों में रखकर बतौरे तौह्फ़ा भेजा करती थीं। **(बैहक़ी)**

3221. हज़रत जाबिर (रज़ि.) और **अनस बिन मालिक (रज़ि.)** कहते हैं कि जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) टिड्डियों के लिये बद दुआ करते तो फ़र्माया करते, ऐ बारी तआला! इन छोटी-बड़ी हर किस्म की टिड्डियों को हलाक कर दे। इनको फ़ना कर दे। इनके अण्डे गंदे कर दे ताकि बच्चे न पैदा हों। हमारी रोज़ियों (के खाने की तरफ़) इनके मुँह बन्द कर दे और हमको रिज़्क़ इनायत कर। तू हमारी दुआ का सुनने वाला है। एक शख़्स ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप अल्लाह के एक बड़े लश्कर के लिये कैसे बद दुआ करते हैं? आपने फ़र्माया, ये दरियाई मछली की छींक से पैदा होती हैं। (हदीस के रावी) हाशिम कहते हैं, मुझसे ज़ियाद बिन अब्दुल्लाह (रह.) कहने लगे कि मुझसे एक शख़्स बयान करता था कि मैंने मछली को टिड्डियाँ छींकते देखा। **(तिर्मिज़ी-1823)**

3222. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ हज्ज या उमरह करने के लिये चले, रास्ते में टिड्डियों का एक दल नज़र आया। हम लोगों ने अपने कोड़ों और जूतों से मारना शुरू किया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इसे खाओ! ये भी समन्दर के शिकार में शामिल है। **(तिर्मिज़ी-850)**

कौनसे जानवरों का मारना मना है?

3223. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने मेंढक, चींटी और ममूला के क़त्ल करने से मना किया है।

3224. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने चार जानवरों के क़त्ल करने से मना किया है, चींटी, शहद की मक्खी, हुदहुद और ममूला। **(अबू दाऊद-5267)**

3225. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माने लगे कि अगले नबियों में से किसी नबी को चींटी ने काट लिया। उन्होंने (गुस्से में) आकर चींटियों का तमाम छत्ता जला देने का हुक्म दिया। जब वो जला दिया गया तो उनकी तरफ़ वह्य नाज़िल हुई कि तुम्हें एक चींटी ने काटा तो तुमने एक उम्मत की उम्मत को जला दिया, जो हमारी तस्बीह किया करती थी। **(बुख़ारी-6220, मुस्लिम-2237)**

कंकरियाँ फेंकने की मुमानिअत

3226. हज़रत सईद बिन जुबैर (रज़ि.) कहते हैं, अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल के किसी क़रीबी ने कंकरियाँ मारीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने उससे कहा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कंकरबाजी से मना फ़र्माया है, क्योंकि न इससे दुश्मन को कुछ नुक़्सान पहुँचता है न इससे शिकार हो सकता है। बल्कि या तो आँख फोड़ देता है या किसी का दांत तोड़ देता है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल ने उसे फिर से कंकरियाँ मारते हुए देखा, तो आपने उससे कहा कि मैंने तुझसे हुज़ूर अकरम (ﷺ) की हदीस बयान की थी लेकिन तू फिर भी कंकरियाँ चला रहा है। अब मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। **(मुस्लिम-1954)**

3227. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने कंकरियाँ मारने से मना किया ह कि न उससे दुश्मन मरता है न शिकार होता है बल्कि या तो किसी की आँख फूट जाती है या किसी का दांत टूट जाता है। **(बुख़ारी-6220, मुस्लिम-1954)**

गिरगिट के क़त्ल करने का बयान

3228. हजरत उम्मे शुरैक (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने छिपकलियों को मारने का हुक्म दिया है। **(बुख़ारी-3307, मुस्लिम-2237)**

3229. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स छिपकली (या गिरगिट) को पहली चोट में मार डालेगा उसका इतनी नेकियाँ मिलेंगी और जो दूसरी चोट में मारेगा उसको इतनी-इतनी (पहली से कम) नेकियाँ मिलेंगी और जो तीसरी चोट में मारेगा उसको दूसरी मर्तबा वाले से कम नेकियाँ मिलेंगी। **(मुस्लिम-2240)**

3230. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने छिपकली (या गिरगिट) को फ़ासिक़ कहा है। **(बुख़ारी-3306, मुस्लिम-2239)**

3231. हज़रत साइबा फ़ाका इब्ने मुग़ीरह की आज़ादशुदा लौण्डी कहती हैं कि मैं एक रोज़ हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ गई। मैंने उनके यहाँ एक बरछी रखी देखी। मैंने उनसे पूछा कि ऐ उम्मुल मोमिनीन! आप इस बरछी का क्या करती हैं? उन्होंने फ़र्माया कि हम इससे छिपकलियों (गिरगिटों) को मारते हैं, क्योंकि आँहज़रत (ﷺ) बयान फ़र्माया करते थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो तमाम दुनिया के जानवर उसको बुझाने में मशग़ूल थे लेकिन गिरगिट उसमें और फूँक मार मारकर उसको जलाता था। चुनाँचे हुज़ूर (ﷺ) ने इसे क़त्ल करने का हुक्म दिया। **(मुस्नद अहमद)**

फाड़ने वाले दरिन्दे का खाना मना है

3232. हजरत अबू सअल्बा (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने हर दरिन्दे के गोश्त खाने से मना फ़र्माया है। इमाम जुह्री (रह.) कहते हैं कि जब मैं मुल्के शाम में गया तो वहाँ मैंने ये हदीस सुनी है। **(बुख़ारी-5780, मुस्लिम-1932)**

3233. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर कैचुली वाले दरिन्दे का खाना हराम है। **(मुस्लिम-1933)**

3234. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने जंगे ख़ैबर के मौक़े पर हर कैचुली वाले दरिन्दे और हर नाख़ुनदार पंजे (से शिकार करने) वाले परिन्दे को खाने से मना फ़र्मा दिया। **(अबू दाऊद-3805)**

भेड़िये और लौमड़ी का बयान

3235. हजरत खुज़ैमा इब्ने जुज़अ (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपसे जमीनी जानवरों के बारे में पूछने के लिये हाज़िर हुआ हूँ। लिहाज़ा लोमड़ी के बारे में आपका क्या हुक्म है? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई ऐसा शख़्स भी है जो लोमड़ी खाता है? मैंने अर्ज़ किया, भेड़िये के बारे में क्या इर्शाद है? आपने फ़र्माया, क्या भेड़िये को कोई ऐसा शख़्स खा सकता है, जिसमें भलाई मौजूद हो? **(तिर्मिज़ी-1792)**

लगड़भगे का बयान

3236. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू अम्मार (रह.) कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से पूछा कि क्या लगड़भगा शिकार में दाखिल है? उन्होंने फ़र्माया, हाँ है। मैंने कहा, क्या मैं उसको खा सकता हूँ। उन्होंने कहा, हाँ खा भी सकते हो। मैंने अर्ज़ किया, क्या तुमने ये हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुना है। आपने कहा, हाँ! (मैंने आप ही से सुना है)।

3237. हज़रत खुज़ैमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूले अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप लगड़भगे के बारे में क्या फ़र्माते हैं ? आपने फ़र्माया, कोई शख़्स लगड़भगा भी खाया करता है?

साण्डे का बयान

3238. हज़रत साबित इब्ने यज़ीद अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) रसूले मक़्बूल (ﷺ) लोगों के साथ जा रहे थे। लोगों ने साण्डे पकड़े और उनको भून कर खाना शुरू किया। मैंने भी एक साण्डा पकड़ा और भूनकर हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में लाया। आपने लकड़ी से उसकी उंगलियाँ शुमार कीं और फ़र्माया, बनी इस्राईल का एक गिरोह गायब होकर ज़मीनी जानवरों की सूरत में हो गया था। कहीं ये वही न हों। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर (ﷺ) लोग तो भूनकर खा भी गये। लिहाज़ा आपने उसको नहीं खाया और न उससे मना फ़र्माया। **(अबू दाऊद-3795)**

3239. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने साण्डे को हराम नहीं किया बल्कि आपने उसको इसलिये नहीं खाया कि आपके यहाँ उसके खाने का रिवाज न था बल्कि ये तमाम गांव वालों का खाना है। अल्लाह तआला उसके ज़रिये से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है। अगर मेरे पास होता तो मैं भी खा लेता। **(मुस्नद अहमद)**

हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) की एक रिवायत का भी यही मज़्मून है।

3240. हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि जब नबी करीम (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर वापिस हुए तो सुफ़्फ़ा वालों में से एक शख़्स ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को पुकार कर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे यहाँ साण्डे बहुत ज़्यादा होते हैं। उनके बारे में आपका क्या हुक्म है? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको मालूम हुआ है कि पहले ज़माने के कुछ लोग मस्ख़ हो गये थे। लेकिन हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसकी न सराहतन मुमानिअत की, न उसके खाने का हुक्म दिया। **(मुस्लिम-1951)**

3241. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में भुना हुआ साण्डा पेश किया गया और (खाना खाते वक़्त) नबी (ﷺ) के सामने रखा गया। आपने खाने के लिये उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाया तो हाज़िरीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये साण्डे का गोश्त है। चुनाँचे आपने फ़र्माया, नहीं! ये मेरे इलाक़े में नहीं होता, इसलिये मैं इससे कराहत महसूस करता हूँ। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने साण्डे की तरफ़ हाथ बढ़ाकर उसमें से कुछ खा लिया और रसूलुल्लाह (ﷺ) उन्हें देख रहे थे।
(बुख़ारी-5391, मुस्लिम-1953)

3242. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, साण्डे के बारे में न मैं खाने का हुक्म देता हूँ और न उससे मना करता हूँ। **(मुस्नद अहमद)**

खरगोश का बयान

3243. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि मुक़ामे मर्रूज़्ज़ुहान में से हम लोगों का गुज़रना हुआ। वहाँ पहुँचकर हम लोगों ने एक खरगोश को (उसकी पनाहगाह में से) निकाला। लोग उसके पीछे भागे लेकिन किसी को न मिला। मैंने भागदौड़ करके उसको पकड़ लिया। मैं उसको लेकर अबू तलहा (रज़ि.) के पास आया। उन्होंने ज़िब्ह करके उसका एक शाना आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में रवाना किया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसको मंजूर कर लिया।
(बुख़ारी-2572, मुस्लिम-1953)

3244. हज़रत मुहम्मद बिन सफ़्वान (रज़ि .) कहते हैं कि वो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के पास से गुज़रे, उनके हाथ में दो खरगोश लटके हुए थे। उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इनको पकड़ते वक़्त मुझको कोई चीज़ ज़िब्ह करने की मयस्सर नहीं हुई, इसलिये मैंने एक सफ़ेद पत्थर के टुकड़े से इन दोनो को ज़िब्ह कर लिया। क्या मैं इन दोनों को खा सकता हूँ। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ खा सकते हो।

3245. हज़रत ख़ुज़ैमा (रज़ि.) कहते है, मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं कुछ ज़मीनी जानवरों के बारे में पूछने के लिये हाज़िर हुआ हूँ। आप साण्डे के बारे में क्या फ़र्माते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, न मैं उसको खाता हूँ और न उससे मना करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, जिस चीज़ को आपने हराम नहीं किया है मैं तो उसको खाऊँगा लेकिन या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप साण्डे को क्यूँ नहीं नोश फ़र्माते? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक कौम मस्ख हो गई थी। मुझको इसमें उस क़ौम की मुशाबिहत देखकर उस क़ौम का आभास होता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! खरगोश के बारे में क्या फ़र्माते हैं। आपने फ़र्माया, न मैं इसको खाता हूँ और न हराम करता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, आपने जिस चीज़ को हराम नहीं किया है मैं तो उसको खाऊँगा लेकिन या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप क्यूँ नहीं खाते हैं? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुझको खबर दी गई है कि उसको हैज़ आता है।

समन्दर का शिकार मरकर पानी पर तैर आये तो क्या हुक्म है?

3246. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दरिया का पानी पाक है और उसका मुर्दा हलाल है। अबू अब्दुल जव्वाद (रह.) कहते थे कि ये हदीस आधा इल्म है, क्योंकि दुनिया ख़ुश्की और समन्दर पर मुश्तमिल है। इस हदीस के ज़रिये हुज़ूर (ﷺ) ने समन्दर के बारे में फ़तवा दे दिया, बाक़ी ख़ुश्की रह गई (कि ख़ुश्की के कौनसे जानवर हलाल है और कौन से हराम)।

3247. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस जानवर को दरिया खुद बाहर फेंक दे या पानी के ख़ुश्क होने की वजह से रह जाये उसको खा लो और जो दरिया में मरकर (ऊपर) तैर आये उसको न खाओ। **(अबू दाऊद-3815)**

कौओ का बयान

3248. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, कोई शख़्स ऐसा भी है जो कौआ खाये। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उसको फ़ासिक़ फ़र्माया है। अल्लाह की क़सम! ये पाक जानवरों में से नहीं है। **(बैहक़ी)**

3249. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सांप और बिच्छू, कौआ और चूहा

ये सब फ़ासिक हैं। (हदीस के रावी) क़ासिम (रह.) से किसी ने पूछा कि क्या इनका खाना जाइज़ है? उन्होंने कहा कि जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इनको फ़ासिक़ मुक़र्रर किया है तो फिर इनको कौन खा सकता है। **(मुस्नद अहमद)**

बिल्ली का बयान

3250. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने बिल्ली को और उसकी क़ीमत को खाने से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-3480, 3807)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुत्तआम

खानों से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3251. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो लोग आपके इस्तक़बाल के लिये ये कहते हुए दौड़े, अल्लाह के रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये। अल्लाह के रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये। अल्लाह के रसूल (ﷺ) तशरीफ़ लाये। मैं भी उन लोगों के साथ आपको देखने के लिये गया। जब मैंने आप (ﷺ) के चेहर-ए-मुबारक को देखा तो मैंने अपने दिल में कहा कि ये चेहरा तो झूठे शख़्स का नहीं है (बल्कि हक़ीक़तन) आप अल्लाह तआला के सच्चे रसूल हैं। नबी (ﷺ) का जो इर्शाद मैंने सबसे पहले सुना, वो ये था कि लोगों! आपस में सलाम आम करो, लोगों को खाना खिलाया करो, सिलह रहमी किया करो और जब रात को लोग सो रहे हों तो तुम लोग नमाज़ पढ़ा करो। सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे।

3252. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, सलाम को आम करो, खाना खिलाओ और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ आपस में भाई-भाई बनकर रहो। **(मुस्नद अहमद)**

3253. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा इस्लाम बेहतर है। आपने फ़र्माया, लोगों को खाना खिलाना और हर जान-पहचान वाले को और ग़ैर जान-पहचान वालों को सलाम करना। **(बुख़ारी-12, 28, मुस्लिम-39)**

एक शख़्स का खाना दो के लिये काफ़ी हो जाता है

3254. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स का खाना दो को काफ़ी होता है और दो का चार के लिये और चार का आठ के लिये काफ़ी हो जाता है। **(मुस्लिम-2059)**

3255. हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स का खाना दो के लिये काफ़ी होता है और दो आदमियों का खाना तीन को बल्कि चार शख़्सों को। चार का पाँच को बल्कि छः शख्शों के लिये काफ़ी होता है।

मोमिन एक आँत में और काफ़िर सात आँतों में खाता है

3256. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफ़िर सात आंतों में खाता है। **(बुख़ारी-5397)**

3257. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, काफ़िर सात आंतों में खाता है और मोमिन एक आंत में। **(मुस्लिम-2060)**

3258. हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन एक आंत में खाता है और काफ़िर सात आंतों में। **(मुस्लिम-2092)**

खाने में ऐब निकालना मना है

3259. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने कभी खाने पर ऐब नहीं निकाला। अगर अच्छा लगता तो खा लेते वरना छोड़ देते। **(बुख़ारी-5409, 3563, मुस्लिम-2064)**

खाना खाते वक़्त वुज़ू करना

3260. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद मुबारक है, जिस शख़्स की ये तमन्ना हो कि अल्लाह तआला उसके यहाँ ज़्यादा बरकत दे तो उसे चाहिये कि जब खाना पेश किया जाये और जब खाना खाकर फ़ारिग़ हो जाये तो वुज़ू करे। (नोट : इस हदीस में वुज़ू से मुराद हाथ मुँह धोना है।)

3261. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक बार रसूले अकरम (ﷺ) पाखाना से बाहर तशरीफ़ लाए। आपके सामने खाना रखा गया। एक शख़्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं आपकी ख़िदमत में वुज़ू के लिए पानी लाऊँ? आपने फ़र्माया, मैं नमाज़ का इरादा थोड़ी कर रहा हूँ (जो वुज़ू की जरूरत हो)। **(मुस्लिम-374)**

तकिया लगाकर खाना खाने की मुमानिअत

3262. हजरत अबी जुहैफ़ (वुहैब बिन अब्दुल्लाह रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तकिया लगाकर नहीं खाया करता हूँ। **(बुख़ारी-5398)**

3263. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र (रज़ि.) कहते हैं, एक बार हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में बकरी पेश की गई। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) उकड़ू बैठे हुए नोश फ़र्मा रहे थे। एक गंवार शख़्स इस तरह बैठे देखकर कहने लगा, ये बैठने का कैसा तरीक़ा है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मुझको शुक्र करने वाला बन्दा बनाया है और सरकश व मुतकब्बिरीन (घमण्ड करने वाले) लोगों में से नहीं बनाया है। **(अबू दाऊद-3773)**

खाना खाते वक़्त बिस्मिल्लाह कहने का बयान

3264. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि(एक दिन) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) अपने छः सहाबियों के साथ खाना नोश फ़र्मा रहे थे। इतने में एक गंवार (भी) आकर शरीक हो गया और दो लुक़्मों में तमाम खाना चट कर गया। आँहज़रत (ﷺ) ने सहाबा से फ़र्माया, अगर ये शख़्स **बिस्मिल्लाह** पढ़ लेता तो ये खाना तुम सबको काफ़ी होता। तुममे से जो

शख़्स खाना खाये तो **बिस्मिल्लाह** पढ़ लिया करे। अगर शुरूआत में **बिस्मिल्लाह** पढ़ना भूल जाये तो इस तरह बिस्मिल्लाह कहा करे, **बिस्मिल्लाह फ़ी अव्वलिही व आख़िरीही.** (दारमी)

3265. हज़रत अम्र बिन अबी सलमा (रज़ि.) कहते हैं, मैं खाना खा रहा था तो मुझसे रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, **बिस्मिल्लाह** कहकर खाना। **(तिर्मिज़ी-1857)**

दाहिने हाथ से खाना खाना चाहिये

3266. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर शख़्स को दाहिने हाथ से खाना चाहिए और दाहिने से पीना और दाहिने से लेना और दाहिने से ही देना। क्योंकि बाएँ हाथ से खाने-पीने और लेने देने का काम शैतान का है। (शैतान तमाम काम बाएँ हाथ से करता है) **(मुस्लिम-2020)**

3267. हज़रत अम्र बिन अबू सलमा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की परवरिश पाने वाला बच्चा था।जब मैं खाना खाया करता था तो मेरा हाथ बर्तन के चारों तरफ़ घूमता था। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, लड़के! बिस्मिल्लाह कहकर खाया करो, अपने दाहिने हाथ से खाया करो और अपने सामने से खाया करो।
(बुख़ारी-5376, मुस्लिम-2022)

3268. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बाएँ हाथ से न खाया करो क्योंकि बाएँ हाथ से खाना शैतान का काम है। **(मुस्लिम-2019)**

खाना खाने के बाद अगुंलियाँ चाटने का बयान

3269. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोगों में से कोई शख़्स खाना खा चुके तो उसको चाहिए कि अपनी उँगलियाँ कपड़े वग़ैरह से साफ़ न करे। जब तक उनको खुद न चाट ले या किसी से चटवाये। **(बुख़ारी-5456, मुस्लिम-2031)**

3270. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई शख़्स उस वक़्त तक अपने हाथ कपड़े से साफ़ न करे जब तक उनको चाट न ले। क्योंकि इंसान को नहीं मालूम हो सकता कि खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। **(मुस्लिम-2033)**

खाना खाकर बर्तन को साफ़ करना

3271. हज़रत उम्मे आसिम (रह.) कहती हैं कि हम लोग एक प्याले में खाना खा रहे थे। इतने में रसूले मक़्बूल (ﷺ) के गुलाम नुबैशा आ गये। उन्होंने कहा कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) का इर्शाद है, जो शख़्स खाने के बाद प्याले को चाट कर साफ़ कर देगा तो वो प्याला अल्लाह तआला से उसके लिये मग़्फ़िरत की दुआ करेगा। **(तिर्मिज़ी-1804)**

3272. हज़रत उम्मे आसिम (रह.) कहती हैं, क़बील-ए-हुज़ैल के एक शख़्स कहते हैं, एक दिन हम बैठे हुए एक बड़े प्याले में खाना खा रहे थे कि हमारे पास आँहज़रत (ﷺ) के गुलाम हज़रत नुबैशा आये और कहने लगे कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स प्याले में खाना खाकर प्याला को चाट लिया करेगा तो वो प्याला उसके लिये मग़्फ़िरत की दुआ करेगा।

खाना अपने सामने से खाना चाहिये

3273. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दस्तरख़्वान बिछा दिया जाये और उस पर खाना खाओ तो अपने सामने से खाओ। दूसरे के सामने हाथ न डालो। **(बैहक़ी)**

3274. हज़रत इक्राश बिन ज़ुवैब (रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) रसूले मक़्बूल (ﷺ) की ख़िदमत में एक प्याला सरीद और रोग़न (चिकनाई) का भरा हुआ लाया गया (सरीद शोरबादार गोश्त में चूरी हुई रोटी के खाने को कहते हैं)। हम लोगो ने उसमें से खाना शुरू किया लेकिन मैं प्याला में चारों तरफ़ हाथ घुमा रहा था। आपने फ़र्माया, इक्राश! अपनी तरफ़ से खाओ। सब खाना एक ही क़िस्म का है। जब हम लोग खाने से फ़ारिग़ हुए तो एक प्लेट में कुछ तर खजूरें लाई गईं तो उस प्लेट में आँहज़रत (ﷺ) का हाथ घूमने लगा और मुझसे फ़र्माया, इक्राश! अब जहाँ से तुम्हारी तबीअत चाहे खा सकते हो, क्योंकि इसमें कई क़िस्म की खजूरें हैं। **(तिर्मिज़ी-1848)**

सरीद के ऊपर (दरम्यान) से खाना मना है

3275. हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने सरीद का प्याला रखा गया। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने लोगों से फ़र्माया, इसके किनारों में से खाओ और बीच का हिस्सा रहने दो क्योंकि उसमें बरकत होती है। **(अबू दाऊद-3773)**

3276. हज़रत वासिला बिन अस्क़अ लैसी (रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के (सामने सरीद से भरा हुआ प्याला रखा था) आपने अपना हाथ उस खाने की चोटी यानी दरम्यान की ऊँची जगह रखकर फ़र्माया, तुम लोग बिस्मिल्लाह कहकर इसके किनारों से खाओ और उसकी चोटी को बाक़ी रहने दो क्योंकि इसी मुक़ाम पर बरकत नाज़िल होती है। **(मुस्नद अहमद)**

3277. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब बीच में खाना रखा जाये तो उसके किनारों में से खाया करो और बीच का हिस्सा छोड़ दिया करो। क्योंकि वहाँ से बरकत नाज़िल होती है। **(अबू दाऊद-3772)**

अगर निवाला हाथ से गिर जाये तो क्या करें?

3278. हज़रत मअक़िल इब्ने यसार (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ हम बैठे हुए खाना खा रहे थे। उनके हाथ से निवाला गिर गया। आपने उठाकर जो कुछ गर्दो-ग़ुबार (धूल वग़ैरह) उसमें लग गया था, साफ़ किया और उसको खा लिया। ये देखकर अज्मी किसान (जो वहाँ मौजूद थे) आपस में इशारा करने लगे (कि देखो इतना अमीर आदमी होकर गिरा हुआ निवाला उठाकर खाता है) लोगों ने कहा, अल्लाह तआला मअक़िल अमीर का भला करे। ये किसान लोग आप पर तन्ज़िया इशारा कर रहे थे कि इतना कसरत से खाना सामने रखा है और फिर ये निवाला उठाकर खा रहे हैं। हज़रत मअक़िल बिन यसार (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं वो बात उन अज्मियों की वजह से हर्गिज़ नहीं छोड़ सकता जिसको मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को करते देखा। **(दारमी-2035)**

3279. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के हाथ से लुक़्मा (निवाला) गिर जाये तो उसके गर्दो-ग़ुबार (धूल वग़ैरह) को दूर करके खा लेना चाहिए। **(मुस्लिम-2033)**

सरीद की फ़ज़ीलत का बयान

3280. हज़रत अबू मूसा अशअ़री (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मर्दों में तो बहुत मर्द कामिल हुए, लेकिन औरतों में सिर्फ हज़रत मरयम बिन्ते इमरान (अलैहस्सलाम) और फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया (अलैहस्सलाम) कामिल हुई और आइशा (रज़ि.) की फ़ज़ीलत दूसरी औरतों पर ऐसी है जैसे सरीद की फ़ज़ीलत तमाम खानों पर है। **(बुख़ारी-3411, 3433)**

3281. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों पर आइशा (रज़ि.) की फ़ज़ीलत ऐसी ही है, जैसे दूसरे खानों पर सरीद की फ़ज़ीलत। **(बुख़ारी-3770, मुस्लिम-2446)**

खाना खाने के बाद हाथ साफ़ करना

3282. हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में अव्वल तो खाना ही मुयस्सर नहीं आता था और अगर आ जाता तो उस वक़्त हमारे पास रूमाल वग़ैरह नहीं थे। सिवाय हाथों, कलाइयों और पाँवो के, उन्हीं से हम हाथो को साफ़ कर लिया करते थे (हाथ को लगी चिकनाई वग़ैरह इसी तरह इधर-उधर मल लेते थे)। उसके बाद (नये) वुज़ू की ज़रूरत न होती। वैसे ही नमाज़ पढ़ लिया करते। **(बुख़ारी-5457)**

जब खाना खाकर फ़ारिग़ हो जाये तो क्या पढ़ें?

3283. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) खाने से फ़ारिग़ हो जाते तो ये दुआ फ़र्माया करते, **अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना वसक़ाना व जअ़लना मिनल मुस्लिमीन** (अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि उसने हमको खिलाया, पिलाया और मुसलमानों में से बनाया)। **(तिर्मिज़ी-3457)**

3284. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के सामने से खाना उठा लिया जाता या सामने ही होता लेकिन आप फ़ारिग़ हो जाते तो ये दुआ पढ़ते, **अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन ग़ैर मक्फ़ी वला मुवद्दइन वला मुस्तग़नन अ़न्हू रब्बना** (तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, ऐसी तारीफ़ें जो बहुत ज़्यादा हो, पाकीज़ा हो और उसमें बरकत दी गई हो न किफ़ायत किया गया हो (कि मज़ीद की ज़रूरत न रहे) न ये आख़िरी खाना है और न इससे बेनियाज़ी हो सकती है, ऐ हमारे रब। **(बुख़ारी-5458)**

3285. हज़रत मुआ़ज़ इब्ने अनस जुह्नी (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ा करेगा, **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अम्नी हाज़ा व रज़क़नीहि मिन ग़ैरि हौलिम् मिन्नी वला क़ुव्वत.** (तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं, जिसने ये खाना मुझे खिलाया और मुझे ये खाना अ़ता किया बग़ैर मेरी किसी ताक़त के और बग़ैर मेरी किसी क़ुव्वत के) तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। **(अबू दाऊद-4023)**

एक साथ बैठकर खाना खाने का बयान

3286. हज़रत वहशी बिन हर्ब (रज़ि.) कहते हैं कि लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोग खाते तो हैं लेकिन हमारा पेट नहीं भरता है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, शायद तुम लोग अलग अलग खाते होंगे। उन्होंने

फ़र्माया, जी हाँ। आपने फ़र्माया, बस तो तुम लोग जमा होकर **बिस्मिल्लाह** कहकर खाया करो, खाने में बरकत होगी।

(अबू दाऊद-3764)

3287. हज़रत उमर बिन खत्ताब (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग जमा होकर खाया करो और अलग अलग न खाया करो। क्योंकि अलग-अलग खाने में बरकत नहीं होती है बल्कि बरकत जमाअत के साथ खाने में हुआ करती है।

खाने में फूँकने का बयान

3288. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) खाने और पानी में कभी न फूँकते और न कभी बर्तन में सांस लेते। **(अबू दाऊद-3728, तिर्मिज़ी-1888)**

जब ख़ादिम खाना पकाकर लाये तो उसमें से थोड़ा उसको भी दे देना चाहिये

3289. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी का ख़ादिम खाना तैयार करके लाये तो उसको भी अपने साथ खाने में शरीक कर ले और अगर ऐसा नहीं कर सकता तो उसमें से कुछ उसको भी दे दे। **(तिर्मिज़ी-1853)**

3290. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी का गुलाम उसे खाना पेश करे, जिसकी (तैयारी की) मशक़्क़त और (उसके लिये आग की) हरारत उसने बर्दाश्त की है तो उसे बुलाकर अपने साथ खिलाये। अगर ये न कर सके तो एक लुक़्मा लेकर उसके हाथ में रख दे। **(मुस्नद अहमद)**

3291. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी का ख़ादिम खाना पकाकर लाये तो आक़ा को चाहिए कि उसके खाने में उसको भी शरीक कर ले। वरना कुछ थोड़ा सा उसको दे दे क्योंकि उस खाने के पकाने में उसने तपिश और धूएँ की तक्लीफ़ उठाई है। **(मुस्नद अहमद)**

मेज या दस्तरख़्वान पर खाना खाने का बयान

3292. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि कभी रसूले अनवर (ﷺ) ने मेज़ पर रख कर खाना नहीं खाया और न तश्तरी और थाली में। क़तादा (रह.) ने कहा कि फिर हुज़ूर (ﷺ) किस चीज़ पर खाया करते। उन्होंने कहा कि दस्तरख़्वान पर खाया करते थे। **(बुख़ारी-5386)**

3293. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) को मैंने आपकी वफ़ात तक कभी भी आपको मेज़ पर रख कर खाना खाते हुए नहीं देखा। **(बुख़ारी-6450)**

खाना उठाये जाने से पहले उठना और लोगों के फ़ारिग़ होने से पहले हाथ रोक लेने की मुमानिअत का बयान

3294. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले अक़दस (ﷺ) ने लोगों के फ़ारिग़ होने से पहले और दस्तरख़्वान उठाये जाने से पहले उठने से मना फ़र्माया है।

3295. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दस्तरख़्वान बिछा दिया जाये तो कोई शख़्स खड़ा न हो जब तक दस्तरख़्वान न उठा लिया जाये और अगर इंसान ख़ुद सैर होकर खा चुके तो जब तक सब लोग फ़ारिग़ न हों उस वक़्त तक दस्तरख़्वान से न उठे और अगर ऐसी ही ज़रूरत है तो कुछ उज़्र बयान कर दे कि (मुझको इतनी ही ख़्वाहिश थी या सैर हो गया हूँ) इसकी वजह ये है कि इंसान अपने साथी के उठ जाने से शर्मिन्दा होता है और वो भी (शर्म की वजह से) हाथ रोक लेता है। मुम्किन है उसे अभी खाने की (मज़ीद) ज़रूरत हो।

हाथ में (खाने की) चिकनाई की बू हो तो (बग़ैर हाथ धोये) सो जाना मना है

3296. हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स बग़ैर हाथ साफ़ किये हुए रात को सोये और उसको किसी क़िस्म की तक्लीफ़ पहुँचे तो उसको अपने नफ़्स को मलामत करना चाहिये क्योंकि (ये उसकी ग़फ़लत का नतीजा है)।

3297. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर कोई शख़्स इस हाल में सो गया कि उसके हाथ में चिकनाई की बू आ रही थी और उसने हाथ नहीं धोया था, फिर उसे कोई तक्लीफ़ पहुँच गई तो वो अपने सिवा किसी को मलामत न करे। **(अबू दाऊद-3852)**

खाना खाने की पेशकश करना

3298. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) कहती हैं कि आँहज़रत (ﷺ) के सामने खाना हाज़िर किया गया। हम भी बैठेहुए थे, आपने हम से फ़र्माया, आओ खाना खा लो। मैंने अर्ज़ किया, आप खाइये! हमको भूख नहीं है। हुज़ूर ने फ़र्माया, दो चीज़ों झूठ और भूख को न जमा किया करो। **(मुस्नद अहमद)**

3299. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, (ये वो मशहूर अनस नहीं हैं बल्कि बनी अब्दे शहल में से है) कि मैं आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त आप सुबह का खाना खा रहे थे। आपने मुझसे फ़र्माया, बैठ जाओ! तुम भी खा लो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मेरा रोज़ा है। लेकिन अब मुझको अफ़सोस होता है कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) के खाने में से क्यों न खाया।

मस्जिद में खाना खाने का बयान

3300. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जज़अ अज़्ज़ुबैदी (रज़ि.) कहते हैं कि हम आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में मस्जिद में बैठ कर गोश्त और रोटी खाया करते थे।

खड़े होकर खाने का बयान

3301. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में चलते-चलते खा लेते थे और खड़े होकर पानी पी लिया करते थे।

कद्दू का बयान

3302. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) कद्दू पसंद फ़र्माया करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

3303. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि मेरी वालिदा उम्मे सुलैम (रज़ि.) ने मेरे साथ आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में ताज़ा खुजूरों का टोकरा भिजवाया। मैं जब आपके घर पर पहुँचा तो मालूम हुआ कि आप नहीं हैं। आपके एक आज़ादशुदा गुलाम ने आपकी दावत की थी, वहाँ तशरीफ़ ले गये हैं। मैं भी वहाँ पहुँचा। आपने मुझको भी अपने साथ खाने के लिये बुला लिया। अनस (रज़ि.) कहते हैं कि उस गुलाम ने कद्दू और गोश्त का सरीद हुज़ूर के लिये तैयार किया था। मैंने देखा कि हुज़ूर को कद्दू अच्छा लगता है तो मैं उसके टुकड़े इकठ्ठे करके आपके सामने रखने लगा। खाना खाने के बाद जब हुज़ूर घर तशरीफ़ लाये तो मैंने वो खुजूरों का टोकरा पेश किया। हुज़ूर ने उसमें से खाना भी शुरू किया और बाँटना भी शुरू किया। यहाँ तक कि सब ख़त्म हो गया। **(मुस्नद अहमद)**

3304. हज़रत हकीम इब्ने जाबिर (रह.) अपने वालिद (हज़रत जाबिर बिन तारिक़ अहमसी रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़र्माया, एक दिन मैं हुज़ूर (ﷺ) के यहाँ गया। मैंने आपके यहाँ कद्दू देखा। मैंने कहा, ये क्या चीज़ है? आपने फ़र्माया, ये कद्दू है। हम इसके साथ अपने खाने में इज़ाफ़ा करते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

गोश्त का बयान

3305. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अहले दुनिया और अहले जन्नत दोनों के खानों का सरदार गोश्त है।

3306. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि जब भी कभी रसूले मक़्बूल (ﷺ) को गोश्त की दावत दी गई, आप ज़रूर तशरीफ़ ले गये और जब भी आपकी ख़िदमत में गोश्त बतौरे हदिया पेश किया गया तो आपने उसको ज़रूर क़ुबूल फ़र्माया।

सबसे उम्दा गोश्त

3307. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) के सामने एक मर्तबा गोश्त लाया गया। उसमें से शाना (दस्त का गोश्त) आपको पेश किया गया, जो आपको बहुत पसन्द था। आपने उसको निहायत शौक़ से खाया।
(बुख़ारी-3712, मुस्लिम-194)

3308. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तय्यार (रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) को यह हदीस सुनाई, जबकि उस वक़्त उनके लिये ऊँट ज़िब्ह किया गया था। आप फ़र्माने लगे कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से उस वक़्त ये इर्शादे मुबारक सुना जब सहाबा किराम (रज़ि.) रसूलुल्लाह (ﷺ) को गोश्त पेश कर रहे थे। (खाना खाते वक़्त हर सहाबी उम्दा-उम्दा गोश्त नबी (ﷺ) को पेश कर रहा था कि ये ज़्यादा अच्छा है) आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे अच्छा गोश्त पुश्त का गोश्त होता है। **(मुस्नद अहमद)**

3309. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कभी हुज़ूर (ﷺ) ने पूरी भुनी हुई बकरी भी देखी हो, यहाँ तक कि आप अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के पास चले गये। **(बुख़ारी-6457)**

3310. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) के सामने से बचा हुआ भुना हुआ गोश्त कभी उठाया गया और न कभी आपके साथ बिछाने के लिये क़ालीन या ग़लीचा ले जाया गया।

3311. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस बिन जज़अ ज़ुबैदी (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ हमने हुज़ूरे अक़दस

(ﷺ) के साथ मस्जिद में बैठकर भुना हुआ गोश्त खाया और खाने से फ़ारिग़ होने के बाद हम लोगों ने कंकरियों से हाथ साफ़ कर लिये फिर हुज़ूर नमाज़ के लिये खड़े हो गये और (नया) वुज़ू नहीं किया। **(मुस्नद अहमद)**

सुखाये हुए गोश्त का बयान

3312. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे बातचीत की लेकिन वो निहायत ख़ौफ़ की वजह से काँप रहा था। हुज़ूर (ﷺ) ने उसकी ये हाल देखकर फ़र्माया, तुम ख़ौफ़ न खाओ! मैं कोई बादशाह नहीं हूँ बल्कि एक ऐसी (आम और ग़रीब) औरत का बेटा हूँ जो सुखा हुआ गोश्त खाया करती थी। **(हाकिम)**

3313. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने रसूले मक़बूल (ﷺ) के लिये पाये उठाकर रख दिये थे। जो हुज़ूर ने क़ुर्बानी से पन्द्रह दिन बाद नोश फ़र्माये।

कलेजी और तिल्ली खाने का बयान

3314. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया हमारे लिये दो मुर्दे और दो ख़ून हलाल हैं। दो मुर्दे टिड्डी और मछली है और दो ख़ून तिल्ली और कलेजी है।

नमक का बयान

3315. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया तुम्हारे सालनों का सरदार नमक है। **(इब्ने अदी)**

सिरके से रोटी खाना

3316. उम्मुल मोमिनीन सय्यिदा आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सिरका अच्छा सालन है। **(मुस्लिम-2051)**

3317. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तमाम सालनों से उम्दा सालन सिरका है। **(अबू दाऊद-3820, तिर्मिज़ी-1842)**

3318. हज़रत उम्मे सअद (रज़ि.) कहती हैं, एक रोज़ मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ बैठी हुई थी कि इतने में हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और फ़र्माने लगे, खाने के लिये कुछ है? हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, जी हुज़ूर! हमारे यहाँ (इस वक़्त) रोटी, खजूर और सिरका मौजूद है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सिरका तो निहायत उम्दा सालन है। ऐ अल्लाह ! सिरके में बरकत इनायत फ़र्मा। क्योंकि यही खाना मुझसे पहले अम्बिया का था और जिस घर में सिरका हो वो ग़रीब नहीं। **(मुस्लिम-2052)**

ज़ैतून का तेल

3319. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) कहते हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ैतून का तेल एक निहायत मुबारक दरख़्त से निकलता है इसी से रोटी खाया करो और इसको सर और बदन में लगाया करो। **(तिर्मिज़ी-1851)**

3320. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ैतून का तेल खाया भी करो, और (सर व बदन पर) लगाया भी करो। क्योंकि ये निहायत मुबारक दरख़्त से पैदा होता है। **(हाकिम)**

दूध का बयान

3321. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं कि जब रसूले करीम (ﷺ) के सामने दूध लाया जाता तो आप फ़र्माते, इसमें एक बरकत है। या फ़र्माते, दो बरकतें हैं। **(मुस्नद अहमद)**

3332. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया जिस शख़्स को अल्लाह तआला खाना खिलाये उसको ये दुआ करना चाहिये, **अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहि वरज़ुक़ना ख़ैरम्मिनहु** (ऐ अल्लाह! हमें इसमें बरकत दे और इससे बेहतर रिज़्क़ अता फ़र्मा) और जिस शख़्स को अल्लाह तआला दूध इनायत करे वो ये दुआ पढ़े, **अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीहि वज़िदना मिन्हु** (ऐ अल्लाह! इसमें हमें बरकत दे और ये ज़्यादा दे)। क्योंकि मुझको दूध के अलावा कोई चीज़ ऐसी मालूम नहीं होती जो खाने का भी काम दे और पीने का भी। **(अबू दाऊद-3730)**

मीठी चीज़ का बयान

3323. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिठाई और शहद पसन्द था।
(बुख़ारी-5431, मुस्लिम-1474)

ककड़ी और ताज़ा खजूर मिलाकर खाना

3324. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, मेरी वालिदा (रज़ि.) मुझे (हज़ार तरह) मोटा करने की तरकीब करतीं ताकि ज़रा मोटी हो जायेगी तो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर की जायेगी और आपकी नज़र में अच्छी मालूम होगी, लेकिन आपकी कोई तदबीर कारगर न होती। आख़िर में मुझको खजूर के साथ ककड़ी खिलाई गई। जिससे मैं अच्छी ख़ासी मोटी हो गई। **(अबू दाऊद-3903)**

3325. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) को खजूर के साथ ककड़ी खाते हुए देखा है। **(बुख़ारी-5440, मुस्लिम-2043)**

3326. हज़रत सहल इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ख़रबूज़े के साथ ताज़ा खजूर नोश फ़र्माया करते थे।

खजूर का बयान

3327. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस घर में खजूर न हों, उस घर वाले भूखे हैं। **(मुस्लिम-2046)**

3328. हज़रत सलमा (रज़ि.) कहतीं हैं कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मकान में खजूर न हो, वो उस घर की तरह है, जिसमें कोई खाना न हो। **(मुस्लिम-2046)**

फ़सल के पहले फल का बयान

3329. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में फ़सल का पहला मेवा (फल) लाया जाता तो आप ये दुआ फ़र्माया करते, **अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना व फ़ी सिमारिना व फ़ी मुद्दिना व फ़ी साइना बरकत मअ बरकतिन** (ऐ अल्लाह! बरकत कर हमारे लिये हमारे शहर हमारे फल हमारे पैमानों मुद्द और साअ में) उसके बाद उन बच्चों को अता फ़र्मा देते जो उस वक़्त आपके पास मौजूद होते। **(मुस्लिम-1373)**

ताज़ा पकी हुई खजूर सूखी खजूर के साथ खाना

3330. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, गदर खजूर के साथ ख़ुश्क खजूर को मिलाकर और नई के साथ पुरानी मिलाकर खाया करो। क्योंकि इससे शैतान ख़फ़ा होता है और कहता है, इब्ने आदम ज़िंदा रहेगा उसने नई के साथ पुरानी को मिलाकर खा लिया।

साथियों की मौजूदगी में दो खजूरें मिलाकर खाना मना है

3331. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस बात से मना फ़र्माया है कि आदमी अपने साथियों से इजाज़त लिये बग़ैर दो खजूरें मिलाकर खाये। **(बुख़ारी-2489, मुस्लिम-2045)**

3332. हज़रत सअद (रज़ि.) जो हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम थे और नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत किया करते थे, कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी को एक साथ दो-दो खजूरें मिलाकर न खाना चाहिये। अलबत्ता जो लोग उसके साथ खा रहे हों उनसे इजाज़त ले ले। **(मुस्नद अहमद)**

खजूरें तलाश करके खाना

3333. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में पुरानी खजूरें लाई गईं तो आपने उसमें से उम्दा खजूरें छांटी। **(अबू दाऊद-3832)**

मक्खन के साथ खजूरें खाना

3334. हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र सुलमी (रज़ि.) और **हज़रत अतैबा बिन बुस्र सुलमी (रज़ि.)** से रिवायत है कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हमने पानी से एक चादर ठण्डी करके हुज़ूर (ﷺ) के लिये बिछा दी। वहीं आप पर वह्य नाज़िल हो गई। हमने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में मक्खन और खजूरें पेश कीं क्योंकि हुज़ूर उनको बहुत ख़ुशी से नोश फ़र्माया करते थे। **(अबू दाऊद-3837)**

मैदे का बयान

3335. हज़रत अब्दुल अज़ीज़ इब्ने अबी हाज़िम (रह.) कहते हैं, मैंने सह्ल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) से कहा, क्या आपने मैदे की रोटी देखी है? उन्होंने फ़र्माया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की वफ़ात तक मैदे की रोटी नहीं देखी थी। मैंने पूछा, क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में लोगों के पास छलनियाँ होती थीं? उन्होंने फ़र्माया, मैंने हुज़ूर (ﷺ) की

वफ़ात तक छलनी नहीं देखी थी। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग जौ (का आटा) बग़ैर छाने हुए कैसे खा लिया करते थे? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! हम उनको पीसकर फूंक मारकर उड़ा देते। जो उड़ने वाला होता उड़ जाता और जो बाक़ी रहता उसको हम लोग खा लिया करते। **(बुख़ारी-5413)**

3336. हज़रत उम्मे ऐमन (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा मैंने रसूले करीम (ﷺ) के लिये आटा छान कर रोटी पकाई (और आपकी ख़िदमत में पेश की) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये क्या है? मैंने अर्ज़ किया या, रसूलल्लाह (ﷺ)! ये हमारे मुल्क का खाना है तो मेरा ख़्याल हुआ कि हुज़ूर की ख़िदमत में पेश करूं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, भूसी उसी आटे में डाल कर गूंधा करो।

3337. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने अपनी वफ़ात के वक़्त तक मैदे की रोटी अपनी आँख से न देखी।

पतली चपातियों का बयान

3338. हज़रत अ़ता (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) अपनी क़ौम के लोगों से मुलाक़ात के लिये तशरीफ़ ले गये। उनकी क़ौम ने आपके सामने पतली-पतली ताज़ी चपातियाँ पेश कीं। अबू हुरैरह (रज़ि.) उनको देखकर रोने लगे और फ़र्माया कि आँहज़रत (ﷺ) ने अपनी वफ़ात तक ये रोटियाँ कभी नहीं देखीं।

3339. हज़रत क़तादा (रह.) कहते हैं, जब हम हज़रत अनस (रज़ि.) की ख़िदमत में आते तो उस वक़्त उनका नान बाई खड़ा होता। हज़रत दारमी की रिवायत में है कि दस्तरख़्वान सामने रखा होता। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि खाओ! मुझे मालूम नहीं कि कभी हुज़ूर (ﷺ) ने बारीक रोटी या पूरी भुनी हुई बकरी को अपनी वफ़ात तक देखा हो।

फ़ालूदा का बयान

3340. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, पहले-पहल जो फ़ालूदे का नाम हमने सुना है तो वो इस तरह कि आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हज़रत जिब्रईल (अ़लैहिस्सलाम) हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया कि आपकी उम्मत बहुत कसरत से मुल्कों को फ़तह करेगी और फ़ालूदा खाया करेगी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़ालूदा क्या चीज़ है? जिब्रईल (अ़लैहि.) ने अ़र्ज़ किया, घी और शहद से बनाया जाता है।

पराठों का बयान

3341. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ नबी (ﷺ) फ़र्माने लगे, हमारा दिल चाहता है कि गेहूँ की रोटी घी में चिपड़ी हुई और दूध में डाल कर उसको खाते। एक अन्सारी शख़्स आपकी ये तमन्ना सुन रहा था वो फ़ौरन हुज़ूर के लिये वैसी ही रोटी तैयार करके लाया। आपने फ़र्माया, ये घी किस चीज़ में था। उसने अ़र्ज़ किया, गोह (साण्डे) की खाल से बनी हुई कुप्पी में। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके खाने से इंकार फ़र्मा दिया। **(अबू दाऊद-3818)**

3342. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने हुज़ूर (ﷺ) के लिये रोटी में घी डाल कर तैयार किया और मुझसे फ़र्माया कि तुम जाकर रसूले करीम (ﷺ) को बुला लाओ। मैं गया और आपसे अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा आपको बुलाती हैं। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने जितने हाज़िरीन उस वक़्त मौजूद थे; उनसे फ़र्माया, चलो! (तुम लोग भी चलो)। अनस (रज़ि.) कहते हैं, ये देखकर मैं आपसे पहले अपनी वालिदा के

पास दौड़ा आया। क्योंकि उन्होंने तो थोड़ा सा खाना सिर्फ़ हुज़ूर (ﷺ) के लिये तैयार किया था। मैंने आकर तमाम हाल अपनी वालिदा से अ़र्ज़ किया। इतने में हुज़ूर (ﷺ) अपने सहाबा के साथ तशरीफ़ ले आए। आपने फ़र्माया, उम्मे सुलैम! लाओ तुमने क्या तैयार किया है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, मैंने सिर्फ़ आपके लिये तैयार किया था। आपने फ़र्माया, तुम लाओ तो सही। फिर मुझसे फ़र्माया, अनस उन आदमियों में से जो (आपके साथ आये थे और बाहर खड़े हुए थे) दस-दस आदमियों को बुला-बुलाकर लाओ। मैं बराबर दस-दस आदमियों को बुलाता और आपके पास लाता। यहाँ तक कि सबने पेट भरकर खाया और वो कुल अस्सी आदमी थे। **(मुस्लिम-2040)**

गेंहू की रोटी

3343. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, आँहज़रत (ﷺ) ने कभी तीन दिन लगातार गेंहू की रोटी पेट भरकर नहीं खाई, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो गई। **(मुस्लिम-2976)**

3344. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के घरवालों ने (हिज्रत करके) मदीना आने से लेकर आप (ﷺ) की वफ़ात तक कभी लगातार तीन रातें गेंहू की रोटी पेट भरकर नहीं खाई। **(बुख़ारी-5416)**

जौ की रोटी

3345. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) का इंतेक़ाल हुआ तो उस वक़्त सिवाय थोड़े से जौ के जो मेरे यहाँ मचान पर रखे थे और कुछ न था। जिनको मैं बहुत अ़र्से तक खाती रही। एक दिन मैंने उनको नापा तो उसी दिन वो ख़त्म हो गये। **(बुख़ारी-3097, मुस्लिम-2973)**

3346. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के घरवालों ने कभी जौ की रोटी पेट भरकर नहीं खाई यहाँ तक कि आप (ﷺ) की वफ़ात हो गई। **(मुस्लिम-2970)**

3347. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) कई-कई रातें फ़ाक़ा से (खाली पेट) रहते और आपके घर वालों को रात का खाना मुयस्सर न आता। जबकि उस वक़्त लोगों की आम ख़ुराक़ जौ की रोटी हुआ करती थी। **(तिर्मिज़ी-2360)**

3348. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ऊन का लिबास और पैबन्द लगा हुआ जूता पहन लेते थे। आपने मोटा खाया और मोटा पहना। (हदीस के रावी) हज़रत हसन (रह.) से पूछा गया, मोटा खाने से क्या मुराद है? उन्होंने फ़र्माया, जौ की मोटी रोटी जो पानी के घूंट के बग़ैर हलक़ से नीचे नहीं उतरती थी।

खाने में ऐतदाल करना और पेट भरकर खाना खाने की मुमानिअ़त का बयान

3349. हज़रत मिक़्दाम बिन मअ़दी कर्ब (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान का किसी बरतन को भरना इतना बुरा नहीं है जितना पेट का भरना बुरा है। बस आदमी को इतने लुक़्मे काफ़ी हैं जिससे उसकी कमर सीधी रहे। लिहाज़ा (अगर आदमी सब्र न कर सके तो) पेट की एक तिहाई खाने के लिये, एक तिहाई पीने के लिये और एक तिहाई साँस लेने के लिये बाक़ी रखना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-2380)**

3350. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) के सामने एक शख़्स ने डकार ली। हुज़ूर

(ﷺ) ने फ़र्माया, हमारे सामने डकार न लिया करो। क्योंकि जो लोग दुनिया में ख़ूब सैर होकर खाते हैं वो क़यामत के दिन भूखे होंगे। **(तिर्मिज़ी-2478)**

3351. हज़रत सलमान (रज़ि.) से रिवायत है, उनसे खाना खाने की फ़र्माइश जबरन की गई। तो उन्होंने फ़र्माया, बस मुझे (थोड़ा ही) काफ़ी है, क्योंकि मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स दुनिया में सैर होकर खायेगा, क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा भूखा होगा।

नफ़्स जिस चीज़ की ख़्वाहिश करे उस चीज़ का खाना भी फ़िज़ूलख़र्ची है

3352. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर उस चीज़ को खाना जिसकी ख़्वाहिश हो इसराफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची) है।

खाना फेंकने की मुमानिअत

3353. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं है, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) उनके यहाँ तशरीफ़ लाये तो रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाकर साफ़ किया और खा लिया। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त किया करो। क्योंकि अल्लाह तआला जब किसी क़ौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो फिर वापस नहीं आता।

भूख से पनाह माँगना

3354. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) फ़र्माया करते, ऐ अल्लाह! मैं भूख से तेरी पनाह मांगता हूँ क्योंकि ये बिस्तर की बहुत बुरी साथी है और ख़्यानत से तेरी पनाह माँगता हूँ, क्योंकि वो बुरी हमराज़ है। **(अबू दाऊद-1547)**

रात का खाना तर्क करना

3355. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, शाम का खाना हर्गिज़ न छोड़ो। अगर एक मुट्ठी खजूरें ही मिलें तो वही खा लो। क्योंकि उसके छोड़ने से इंसान बूढ़ा हो जाता है। **(तिर्मिज़ी-1856)**

मेहमान नवाज़ी का बयान

3356. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस घर में मेहमान होता है, उस उस घर में ख़ैर व बरकत उससे भी ज़्यादा जल्दी आती है, जितनी जल्दी छुरी ऊँट के कोहान पर चलती है।

3357. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया कि जिस घर में मेहमान खाना खाते हैं, उस घर में ख़ैर इतनी तेज़ी से आता है जितनी कि छुरी ऊँट की कोहान पर चलती है।

3358. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया ये भी सुन्नत है कि आदमी मेहमान के साथ (उसे रुख़सत करते वक़्त) घर के दरवाज़े तक आये।

जब मेहमान मेजबान के यहाँ कोई ख़िलाफ़े शरअ काम देखे तो (खाना खाये बग़ैर) वापस लौट जाये

3359. हज़रत अ़ली (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूल (ﷺ) को खाना खाने की दावत दी। आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये तो मेरे मकान में तस्वीरें नज़र आईं। चुनाँचे आप (ﷺ) वापस तशरीफ़ ले गये। **(नसाई-5353)**

3360. हज़रत अबू अ़ब्दुर्रहमान सफ़ीना (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत अ़ली (रज़ि.) के लिये एक शख़्स ने खाना तैयार किया और आपकी दावत की। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) फ़र्माने लगीं, अफ़सोस! अगर हमारे साथ हुज़ूरे करीम (ﷺ) भी होते आप भी खाना खाते।(लिहाज़ा हुज़ूर को बुलाया गया) जब हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ले गये तो आप दरवाज़े की चोखट पर हाथ रखकर खड़े हुए, अंदर एक जानिब निहायत बारीक पर्दे लटके हुए थे, आप उनको देखकर फ़ौरन वापस लौट गये। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने ये देखकर हज़रत अ़ली (रज़ि.) से फ़र्माया, जाओ! दौड़ो और हुज़ूर से दरयाफ़्त करो। हज़रत अ़ली (रज़ि.) बहुत तेज़ी के साथ हुज़ूर (ﷺ) के क़रीब पहुँचे और अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप वापस तशरीफ़ क्यों ले आये? आपने फ़र्माया, ऐसे आरास्ता (मुज़य्यन) घर में जाना मेरी शान के लायक़ नहीं है। **(अबू दाऊद-3755)**

गोश्त और घी मिलाकर खाना

3361. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ ये दस्तरख़्वान पर बैठे हुये थे कि इतने में आपके वालिद हज़रत उ़मर (रज़ि.) तशरीफ़ लाये। आपने अपने वालिद को मज्लिस के एहतराम वाले मक़ाम पर जगह दी। आप वहाँ बैठ गये और खाना शुरू करते हुए फ़र्माया, बिस्मिल्लाह। एक दो लुक़्मे खाने के बाद फ़र्माया, इस खाने में मुझको एक ऐसी चिकनाई नज़र आ रही है जो गोश्त की चिकनाई के मज़े से बिल्कुल अलग है। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन! मैं बाज़ार को मोटे गोश्त की तलाश में गया था। लेकिन उसका भाव ज़्यादा था तो (मजबूरन) दुबला गोश्त एक दिरहम का ख़रीद लिया और उसमें एक दिरहम का घी डाल दिया। मैंने ये ख़्याल किया कि कम से क़म सब घर वालों को एक-एक हड्डी तो पहुँच जाये। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, आँहज़रत (ﷺ) के पास तो जब कभी गोश्त और घी दोनों मौजूद होते तो उसमें से एक नोश फ़र्मा लिया करते और एक का सदक़ा कर दिया करते। इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन! अभी तो खा लीजिये। आईन्दा में ऐसा ही करूंगा। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं नहीं खाऊँगा।

जब कोई गोश्त पकाये तो शोरबा ज़्यादा करे

3362. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम गोश्त पकाया करो तो उसमें शोरबा ज़्यादा कर दिया करो और उसमें से कुछ अपने पड़ौसी को तक़सीम कर दिया करो। **(मुस्लिम-2625)**

प्याज़, लहसुन वग़ैरह खाने का बयान

3363. हज़रत मअ़दान बिन अबू तलहा यअ़मरी (रह.) कहते हैं, एक रोज़ हज़रत उ़मर (रज़ि.) इब्ने ख़त्ताब ख़ुत्बा फ़र्माने के लिये खड़े हुए। हम्द व सना के बाद फ़र्माया कि हज़रात मैं आपको लहसुन, प्याज़ खाते हुए देखता हूँ लेकिन मेरे नज़दीक इनसे ज़्यादा बुरी और ख़बीस कोई चीज़ नहीं। मैंने हज़रत रसूले करीम (ﷺ) को देखा कि आप जिस

शख़्स के मुँह से इसकी बू पाते उसका हाथ पकड़ कर बक़ीअ की तरफ़ निकाल देते।

3364. हज़रत उम्मे अय्यूब अन्सारिया (रज़ि.) कहतीं हैं, मैंने नबी करीम (ﷺ) के लिये खाना तैयार किया और उसमें सब्ज़ तरकारी भी डाली (यानी प्याज़ या लहसुन वग़ैरह उसमें पड़ी हुई थी) आपने फ़र्माया, इनको खाकर मैं अपने साथी को तक्लीफ़ पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। **(तिर्मिज़ी-1810)**

3365. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, कुछ लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए। उनके मुँह से गुंदने की बू आ रही थी हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तुमको इसके खाने से मना नहीं किया था? जिन चीज़ों से इंसानों को तक्लीफ़ होती है उससे फ़रिश्तों को भी ईज़ा पहुँचती है। **(मुस्नद अहमद)**

3366. हज़रत उक़्बा इब्ने आमिर जुहनी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग प्याज़ न खाया करो। लेकिन उस वक़्त तक खाओ जब कि उसको पका लिया जाये।

पनीर और घी खाने का बयान

3367. हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) से पनीर, घी और गोरखर के बारे में दरयाफ़्त किया गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला की किताब में जो हलाल है वो हलाल है और जो उसमें हराम है वो हराम है जिसका उसमें ज़िक्र नहीं वो माफ़ है। **(तिर्मिज़ी-1726)**

फल खाने का बयान

3368. हज़रत नोमान इब्ने बशीर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवैर (ﷺ) के लिये ताइफ़ के अंगूर तौहफ़े में लाये गये आपने मुझको तलब फ़र्माकर एक ख़ौशा इनायत फ़र्माया और फ़र्माया कि ये ले जाकर अपनी वालिदा को दे दो। मैंने (क्या किया कि) उनके देने से पहले ही ख़ुद खा लिये। कई रोज़ के बाद हुज़ूर ने मुझसे फ़र्माया, क्या वो ख़ौशा तुमने अपनी वालिदा को दे दिया था? मैंने अर्ज़ किया, नहीं। इसी वजह से आपने मेरा नाम दग़ाबाज़ रख दिया।
(अत्तब्रानी फ़िलऔसत-1920)

3369. हज़रत तलहा (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ मैं हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में गया तो आपके दस्ते मुबारक में अमरूद था। आपने मुझसे फ़र्माया, तलहा लो। ये दिल के लिये निहायत राहत देने वाली चीज़ है।

लेटकर खाने की मुमानिअत का बयान

3370. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इस बात से मना फ़र्माया कि आदमी चेहरे के बल लेटकर खाना खाये। **(अबू दाऊद-3774)**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुल अशिरबह

मश्रूबात से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

शराब हर बुराई की जड़ है

3371. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुझको ये वसिय्यत की थी कि शराब न पीना। क्योंकि शराब हर बुराई की कुँजी (चाबी) है। **(बुख़ारी-18)**

3372. हज़रत ख़ब्बाब इब्ने अरत (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, शराब से परहेज़ करते रहो। उसका गुनाह सब गुनाहों को घेर लेता है। जिस तरह अंगूर का दरख़्त और दरख़्तों को घेर लेता है।

जो शख़्स दुनिया में शराब पीयेगा वो आख़िरत में (जन्नत की) शराब न पी सकेगा

3373. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुनिया में शराब पीयेगा, वो आख़िरत में नहीं पी सकेगा, सिवा इसके कि वो (शराब पीने से) तौबा कर ले। **(मुस्लिम-2003)**

3374. हज़रत अबी हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुनिया में शराब पियेगा उसको आख़िरत में नहीं मिलेगी। **(हाकिम)**

हमेशा शराब पीने वाला

3375. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हमेशा शराब पीने वाला शख़्स बुतपरस्त की तरह है। **(इब्ने अदी फ़िल्कामिल)**

3376. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हमेशा शराब पीने वाला शख़्स जन्नत में नहीं जायेगा। **(इब्ने हिब्बान (मवारिद)-1381)**

शराबी की नमाज़ नहीं होती

3377. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हमेशा शराब पीता है और उस पर उसका नशा सवार होता है तो चालीस रोज़ तक उसकी नमाज़ कुबूल नहीं होती है और अगर (इस हालत में) इंतेक़ाल हो जाये तो दोज़ख़ में दाख़िल होगा। अगर तौबा कर लेगा तो अल्लाह तआला माफ़ कर देगा। दूसरी मर्तबा पियेगा तो चालीस रोज़ तक उसकी नमाज़ क़ुबूल न होगी और अगर इस हालत में मरेगा तो दोज़ख़ी होगा। हाँ अगर तौबा करे तो अल्लाह तआला माफ़ फ़र्मा देगा। फिर तीसरी मर्तबा शराब पियेगा तो अल्लाह तआला के लिये ज़रूरी है कि उसको क़यामत के दिन **रदग़तुल-ख़बाल** पिलाये। लोगों ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (ﷺ)! रदग़तुल-ख़बाल क्या चीज़ है? आपने फ़र्माया, दोज़ख़ियों के ख़ून और पीप को रदग़तिल-ख़बाल कहते हैं। **(नसाई-5673)**

शराब किस चीज से बनती है?

3378. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने अंगूर और खजूर के दरख़्तों की तरफ़ इशारा फ़र्माते हुये इर्शाद फ़र्माया कि आज-कल शराब इन दो चीज़ों की बनती है। **(मुस्लिम-1985)**

3379. हज़रत नोमान इब्ने बशीर (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, गेहूँ, जौ, अंगूर, खजूर और शहद से शराब बनती है। **(अबू दाऊद-3676)**

शराब में दस तरह पर लअनत है

3380. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, शराब में दस लानतें हैं, पीने वाले पर, शराब पर, उसके निचोड़ने वाले पर, निचोड़वाने वाले पर, बेचने वाले पर, ख़रीदने वाले पर, ले जाने वाले पर, जिसके लिये ली गई हो उस पर, उसकी क़ीमत खाने वाले पर और उसके पिलाने वाले पर। **(अबू दाऊद-3674)**

3381. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने शराब के निचोड़ने वाले, और निचोड़वाने वाले और जिसके लिये निकाली जाये और उठाने वाले पर और जिसके लिये उठाई जाये और जिसके लिये फ़रोख़्त की जाये और पिलाने वाले वग़ैरह पर लानत फ़र्माई पूरे दस आदमी आपने शुमार किये। **(तिर्मिज़ी-1295)**

शराब की तिजारत का बयान

3382. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, जब सूद के बारे में सूरह बक़रह की आख़री आयतें नाज़िल हुई तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) बाहर तशरीफ़ ले गये और शराब की तिजारत हराम होने का ऐलान फ़र्मा दिया।

(बुख़ारी-459, मुस्लिम-1580)

3383. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) को मालूम हुआ कि हज़रत समुरह (रज़ि.) ने शराब फ़रोख़्त कर डाली तो फ़र्माने लगे, अल्लाह समुरह को तबाह करे। क्या उसको ये मालूम नहीं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद इस वजह से तबाह हुये कि उन पर चर्बी हराम थी तो उन्होंने उसको पिघलाकर बेच दिया। **(बुख़ारी-2223, मुस्लिम-1582)**

आख़िरी ज़माने में शराब का दूसरा नाम रख लिया जायेगा

3384. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत क़रीब ज़माना आने वाला है कि मेरी उम्मत के लोग शराब का नाम बदलकर उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे।

3385. हज़रत उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जो शराब का दूसरा नाम रखकर पियेंगे। **(मुस्नद अहमद)**

हर नशे वाली चीज़ हराम है

3386. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हर वो चीज़ जो नशा लाये वो हराम है। **(बुख़ारी-242, मुस्लिम-2001)**

3387. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-13212)**

3388. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशे वाली चीज़ हराम है। इमाम इब्ने माजह (रह.) फ़र्माते हैं, यह हदीस मिस्र वालों की है।

3389. हज़रत मुआविया (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है हर मोमिन पर। इमाम इब्ने माजह (रह.) फ़र्माते हैं, यह हदीस रक़्क़ा वालों की है।

3390. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशा लाने वाली चीज़ शराब है और हर शराब हराम है। **(तिर्मिज़ी-1864)**

3391. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशे वाली चीज़ हराम है। **(बुख़ारी-4344, मुस्लिम-1733)**

जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार से नशा आये, उसकी थोड़ी मिक़्दार भी हराम है

3392. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर नशा लाने वाली चीज़ हराम और जिसका ज़्यादा हिस्सा नशा लाये उसका थोड़ा हिस्सा भी हराम है। **(मुस्नद अहमद)**

3393. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका कसीर (ज़्यादा) हिस्सा नशा दे उसका क़लील (थोड़ा) हिस्सा भी हराम है। **(अबू दाऊद-3681)**

3394. हज़रत अ़म्र बिन शुऐब (रह.) अपने दादा (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका कसीर हिस्सा नशा दे उसका क़लील भी हराम है। **(नसाई-5610)**

दो चीज़ें मिलाकर बनाई हुई नबीज़ की मुमानिअ़त

3395. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने अंगूर और खजूर दोनों को मिलाकर नबीज़ बनाने की मुमानिअ़त फ़र्माई है और कच्ची खजूर और ताज़ा पकी हुई खजूरें मिलाकर नबीज़ बनाने से

मना फ़र्माया है। इमाम इब्ने माजह (रह.) ने ये रिवायत एक दूसरे तरीक़ से भी बयान की है। **(मुस्लिम-1986)**

3396. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़ुश्क खजूरों और कच्ची खजूरों को मिलाकर नबीज़ न बनाया जाये बल्कि हर एक की अलग-अलग नबीज़ बना लिया करो। **(मुस्लिम-1985)**

3397. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, कच्ची और पक्की और इसी तरह खजूर और अंगूर को मिलाकर (नबीज़ न बनाओ) बल्कि हर एक का अलग-अलग नबीज़ बनाओ।

(बुख़ारी-5602, मुस्लिम-1988)

नबीज़ बनाने और पीने की कैफ़ियत

3398. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हम हुज़ूर (ﷺ) के लिये एक मुश्क में नबीज़ तैयार किया करते थे, इस तरह कि उसमें एक मुट्ठी खजूर या एक मुट्ठी अंगूर डाल कर ऊपर से पानी डाल देते। अगर सुबह भिगोई जाती तो आप शाम को पी लिया करते और शाम को भिगोई जाती तो सुबह को नोश फ़र्मा लिया करते। हज़रत मुआविया (रज़ि.) की रिवायत में (सुबह व शाम के बजाय) लफ़्ज़ दिन और रात मज़कूर है। **(मुस्नद अहमद)**

3399. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) के लिये नबीज़ भिगोया जाता तो आप या तो उसी रोज़ उसको पी लेते या दूसरे दिन। उसके बाद फेंक दिया जाता। **(मुस्लिम-2004)**

3400. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के लिये एक पत्थर के प्याले में नबीज़ बनाया जाता। **(मुस्लिम-1999)**

शराब के बर्तनों में नबीज़ बनाने की मुमानिअत का बयान

3401. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने लकड़ी के बर्तन में, तारकोल लगे बर्तन में, कद्दू के बने बर्तन (तूम्बे) में और सब्ज़ रंग के चीनी वाले बर्तन में नबीज़ रखने से मना फ़र्माया और फ़र्माया, हर नशा आवर चीज़ हराम है। **(नसाई-5592)**

3402. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने तूम्बे और तारकोल लगे बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1997)**

3403. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने सब्ज़ चीनी के बर्तन, लकड़ी के बर्तन, कद्दू के बर्तन (तूम्बे) में नबीज़ बनाने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-1996)**

3404. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यअमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने कद्दू के बर्तन (तूम्बे) और सब्ज़ चीनी के बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़र्माया है। **(तिर्मिज़ी-761, नसाई-5631)**

इन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त

3405. हज़रत बुरैदह बिन हसीब अस्लमी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तुमको चंद बर्तनों से मना किया था कि उनमें नबीज़ मत बनाना लेकिन अब तुमको इजाज़त है। लेकिन हर नशे वाली चीज़ से परहेज़ करना। **(मुस्लिम-977)**

3406. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तुमको बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना किया था। लेकिन अब तुम याद रखो कि बर्तन से कोई चीज़ हराम नहीं होती बल्कि हर नशा लाने वाली चीज़ हराम है।

मटके में बनी हुई नबीज़

3407. हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, क्या तुम औरतों में से कोई औरत ये नहीं कर सकती कि अपनी क़ुर्बानी की खालों में से हर साल एक खाल की नई मुश्क बनाये? उसके बाद कहने लगीं कि आँहज़रत (ﷺ) ने मिट्टी के बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़र्माया है और फ़लाँ-फ़लाँ बर्तन में भी। अलबत्ता उनमें सिरका तैयार किया जा सकता है।

3408. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मटकों में नबीज़ बनाने की मुमानिअत फ़र्माई है। **(नसाई-5638)**

3409. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के लिये नबीज़ का मटका लाया गया, जिसमें नबीज़ उबाल मार रहा था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसको दीवार पर मार दो। इसको वही शख़्स खायेगा जो ईमान नहीं रखता हो। **(अबू दाऊद-3716)**

बर्तन को ढक कर रखना चाहिये

3410. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (सोते वक़्त) बर्तन को ढक देना चाहिये और चिराग़ को बुझाकर दरवाज़े बंद कर दिया जाये इसी तरह मश्क के मुँह में डाट लगा दी जाये क्योंकि शैतान ढके हुए बर्तन, बंद किये हुए मश्क और दरवाज़े को नहीं खोल सकता। अगर किसी शख़्स को कोई चीज़ छिपाने के लिये न मिले तो अपने बर्तन पर बिस्मिल्लाह कह कर एक लकड़ी रख दे। (और चिराग़ बुझा दिया करो) इसलिये कि नन्हा शरारती चूहा घर को आग लगाकर जला देता है। **(मुस्लिम-2012)**

3411. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने हमको ये हुक्म दिया था कि बर्तन ढका रहे और मश्क में डाट लगी रहना चाहिये या ये कि बर्तन को उलटकर रखा जाये। **(मुस्नद अहमद)**

3412. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के लिये तीन बर्तन रखे और तीनों ढक कर रखे, एक बर्तन आपके इस्तिंजे के लिये, एक वुज़ू के लिये, और एक आपके पीने के लिये।

चाँदी के बर्तन में पीने का बयान

3413. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया जो शख़्स चाँदी के बर्तन में पीता है गोया वो दोज़ख़ की आग गट-गट करके अपने पेट में पीता है। **(बुख़ारी-5434, मुस्लिम-2067)**

3414. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सोने चाँदी के बर्तनों में खाने-पीने से मना फ़र्माया है और इर्शाद हुआ कि ये उन काफ़िरों के लिये इस दुनिया में हैं और तुम्हारे लिये आख़िरत में हैं।

(बुख़ारी-5426, मुस्लिम-2065)

3415. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने चाँदी के बर्तन में पिया उसने दोज़ख़ की आग गट-गट करके अपने पेट में उतार ली। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-6876)**

तीन साँस में पानी पीना

3416. हज़रत अनस (रज़ि.) तीन साँसों में पानी पिया करते थे और फ़र्माया करते थे कि नबी करीम (ﷺ) भी इसी तरह नोश फ़र्माया करते। **(बुख़ारी-5631, मुस्लिम-2028)**

3417. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दो साँसों में पानी नोश फ़र्माया। **(तिर्मिज़ी-1886)**

मश्कों का मुँह उलट कर पानी पीना

3418. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मश्क को ऊपर की तरफ़ मोड़कर उसके मुँह से पानी पीने से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-5626, मुस्लिम-2023)**

3419. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मश्क के मुँह को उलटा करके पानी पीने से मना फ़र्माया है। एक शख़्स ने हुज़ूर के मना फ़र्माने के बाद भी मश्क को मुँह लगाकर पानी पीना चाहा तो मश्क के मुँह से साँप निकला। **(हाकिम)**

मश्क से मुँह लगाकर पानी पीने का बयान

3420. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मश्क को मुँह लगाकर पानी पीने से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-5627)**

3421. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने मश्क को मुँह लगाकर पानी पीने से मना फ़र्मा दिया है। **(बुख़ारी-5629)**

खड़े होकर पानी पीने का बयान

3422. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, जब मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को ज़मज़म का पानी पिलाया तो हुज़ूर (ﷺ) ने खड़े होकर पीया। (हदीस के रावी) हज़रत शअबी (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत इक्रमा (रज़ि.) से बयान किया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की क़सम! हुज़ूर (ﷺ) ने कभी भी ऐसा नहीं किया। **(बुख़ारी-1637, मुस्लिम-2027)**

3423. हज़रत कब्शा अन्सारिया (रज़ि.) कहतीं हैं, एक मर्तबा मेरे यहाँ हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ लाये और एक मश्क जो लटक रही थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे मुँह लगाकर, खड़े-खड़े ही पानी पिया। मैंने उस मश्क का मुँह तबर्रुक के तौर पर काट कर रख लिया। क्योंकि उसको हुज़ूरे अनवर (ﷺ) का मुँह मुबारक लगा था। **(तिर्मिज़ी-1892)**

3424. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने खड़े होकर पानी पीने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-2024)**

पानी (या कोई और चीज़) पी कर अपने दायीं तरफ़ वाले को दे

3425. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में दूध की लस्सी हाज़िर की गई। उस वक़्त मजलिस में आपकी बाईं तरफ़ हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और आपकी दाईं तरफ़ एक अअराबी (देहाती) सहाबी बैठे थे। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने लस्सी पी कर देहाती सहाबी को अता की और फ़र्माया, अपनी दाहिनी तरफ़ वाले को देना चाहिये। **(बुख़ारी-5619, मुस्लिम-2029)**

3426. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, (एक मर्तबा) हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में दूध हाज़िर किया गया। उस वक़्त आपकी बाईं तरफ़ हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) थे और दाहिनी तरफ़ हज़रत अब्बास (रज़ि.) थे। आपने हज़रत अब्बास (रज़ि.) से फ़र्माया, अब्बास! अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो ख़ालिद इब्ने वलीद (रज़ि.) को पिला दिया जाये। हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! मैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) का झूठा अपने से पहले किसी को देना नहीं चाहता हूँ। लिहाज़ा हुज़ूर (ﷺ) से हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने लेकर पहले पिया। उसके बाद ख़ालिद इब्ने वलीद (रज़ि.) ने पिया। **(मुस्लिम-2030)**

पानी के बर्तन में साँस लेने का बयान

3427. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, पानी पीते वक़्त बर्तन में साँस नहीं लेना चाहिये। अगर साँस लेना हो तो पहले बर्तन को मुँह से अलग कर दे और उसके बाद साँस ले ले फिर जितना चाहे तू पी ले। **(हाकिम)**

3428. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने बर्तन में साँस लेने से मना फ़र्माया है।

पानी में फूँकने का बयान

3429. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने पीने की चीज़ में फूंक मारने से मना फ़र्माया है।

3430. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) पीने की चीज़ में फूंक नहीं मारते थे।

चुल्लू से पीना और मुँह लगाकर पीना

3431. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुँह के बल लेट कर पानी पीने से मना फ़र्माया है (यानी जानवरों की तरह पानी पीने से)। इसी तरह एक हाथ के चुल्लू से मना किया और फ़र्माया, कोई शख़्स इस तरह ज़बान निकाल कर पानी न पीये, जिस तरह कुत्ता ज़बान से पानी पीता है और न एक हाथ से पानी पीये जिस तरह वो लोग पीते हैं जिन पर अल्लाह नाराज़ है और न रात को खुले हुये बर्तन का पानी पीये। अलबत्ता अगर ढका हुआ हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं और जो शख़्स आजिज़ी और इन्कसारी की निय्यत से अपने हाथ से (चुल्लू भरकर) पीयेगा, हालाँकि उसे बर्तन मिल सकता है तो अल्लाह तआला उसकी हर अंगुली के ऐवज़ उसको एक-एक नेकी अता फ़र्मायेगा। क्योंकि हाथों की लप (चुल्लू) हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) के पानी पीने का बर्तन था। जब हज़रत ईसा (अलैहिस्सलाम) ने ये कहकर पानी पीने का प्याला फेंक दिया था, उफ़! ये भी दुनिया का सामान है।

3432. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) एक अन्सारी के यहाँ तशरीफ़ ले गये और वो अपने बाग़ में पानी दे रहे थे। आपने उनसे कहा कि तुम्हारे पास पानी रखा हुआ हो तो हमको पिलाओ वरना हम (बहते हुए पानी को) मुँह लगाकर पी लेंगे। उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास रात का पानी मश्क में रखा है। ये कहकर वो अन्सारी अपने झोंपड़े की तरफ़ चले। हम भी उनके साथ गये। उन्होंने एक बकरी का दूध दूह कर उस मश्कीज़े के पानी में मिलाया और हुज़ूरे अनवर (ﷺ) और हम लोगों की ख़िदमत में हाज़िर किया। **(बुख़ारी-5613)**

3433. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हम लोगों का एक हौज़ पर से गुज़रना हुआ। मैंने उससे मुँह लगाकर पानी पीना चाहा। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुँह लगाकर न पीयो। बल्कि हाथ धोकर चुल्लू से पीया करो क्योंकि पानी पीने के लिये हाथ से ज़्यादा अच्छा कोई बर्तन नहीं। **(इब्ने अबी शैबा)**

जो शख़्स दूसरों को पिलाये उसको ख़ुद सबसे आख़िर में पीना चाहिये

3434. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया लोगों को पिलाने वाला सबसे आख़िर में पीया करता है। **(तिर्मिज़ी-1894)**

गिलास में पीने का बयान

3435. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) के पास एक शीशे का प्याला था जिसमें हुज़ूरे अनवर (ﷺ) पानी वग़ैरह पिया करते थे। **(इब्ने सअ़द)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुत्-तिब्ब

इलाज के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3436. हज़रत उसामा इब्ने शरीक (रज़ि.) का बयान है कि जिस वक़्त गंवार लोग हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से (तरह-तरह) के सवाल कर रहे थे, उस वक़्त मैं भी वहाँ मौजूद था। वो दरयाफ़्त करते जाते कि इसमें हम पर क्या गुनाह होगा उसमें क्या गुनाह होगा। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के बन्दों! गुनाह किसी चीज़ में भी नहीं बस इस चीज़ में गुनाह है कि जिससे अपने भाई की बेइज़्ज़ती हो। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह! अगर हम इलाज करना छोड़ दें तो कोई नुक़्सान है ? आपने फ़र्माया, अल्लाह के बन्दों! इलाज ज़रूर करो क्योंकि अल्लाह तआला ने जो बीमारी पैदा की है उसके लिये दवा भी ज़रूर पैदा की है। अलबत्ता एक बीमारी है जिसकी दवा नहीं (यानी) बुढ़ापा (बस सिर्फ़ इस बीमारी की दवा नहीं है)। फिर लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो चीज़ बन्दे को दी जाती है उन सब में बेहतर चीज़ (बन्दे के हक़ में) कौनसी है ? आपने फ़र्माया, अच्छी आदत (जिसको ख़ुशख़ल्क़ी) कहते हैं। **(अबू दाऊद-3855)**

3437. हज़रत अबू ख़ुज़ामा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) से किसी शख़्स ने दरयाफ़्त किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम दवाओं के ज़रिये से इलाज करते हैं, दुआओं से दम करते हैं और दिफ़ाई चीज़ों से अपना बचाव करते हैं। क्या ये चीज़ें अल्लाह तआला की तक़्दीर को फेर सकती है? आपने फ़र्माया, ये ख़ुद भी तो अल्लाह की तक़्दीर में हैं।

(तिर्मिज़ी-1864)

3438. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने हर एक बीमारी की दवा पैदा की है। **(मुस्नद अहमद)**

3439. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फ़र्माया, अल्लाह ने जो बीमारी नाज़िल की है, उसकी शिफ़ा (दवा) भी नाज़िल की है। **(बुख़ारी-5678)**

अगर बीमार किसी चीज़ की ख़्वाहिश करे

3440. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) एक बीमार की इयादत के लिये गये। हालचाल पूछने के बाद आँहज़रत (ﷺ) ने उससे दरयाफ़्त किया, तुम्हें किस चीज़ की

ख़्वाहिश है? उसने अ़र्ज़ किया, गेहूँ की रोटी खाने को जी चाहता है। आपने फ़र्माया, लोगों तुममें से जिसके यहाँ गेहूँ की रोटी हो वो अपने भाई के लिये लाये और याद रखो जब कोई बीमार किसी चीज़ की ख़्वाहिश ज़ाहिर करे तो उसको ज़रूर खिला दिया करो।

3441. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) एक बीमार की इयादत के लिये तशरीफ़ ले गये। उससे पूछा, क्या तुम्हारी तबीयत किसी चीज़ वग़ैरह को चाहती है? उसने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! केक वग़ैरह को चाहती है। लिहाज़ा उसके लिये केक मंगवाया गया।

परहेज़ का बयान

3442. हज़रत उम्मे मुन्ज़िर बिन्ते क़ैस अन्सारिया (रज़ि.) कहतीं हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) और हज़रत अ़ली (रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हमारे पास ताज़ा खजूरों के कुछ ख़ौशे रखे हुये थे। वो हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किये गये। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने उसमें से खाना शुरू किया। हज़रत अ़ली (रज़ि.) बीमारी से उठे थे। निहायत कमज़ोर थे। उन्होंने भी खाने का इरादा किया। आपने हज़रत अ़ली (रज़ि.) से फ़र्माया, ठहरो। तुम अभी नातवाँ हो (इसके हज़म करने की ताक़त तुममें नहीं, इसलिये तुम मत खाओ)। फिर मैंने आँहज़रत (ﷺ) के लिये जौ की रोटी और शलग़म पकाये। वो आपने हज़रत अ़ली (रज़ि.) के (सामने) रखकर फ़र्माया, अ़ली! ये खाओ, ये तुम्हारे लिये फ़ायदेमन्द होंगे। **(तिर्मिज़ी-2037)**

3443. हज़रत सुहैब (रज़ि.) कहते हैं, मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपके सामने गेहूँ की रोटी और खजूरें रखी हुई थीं। आपने मुझसे फ़र्माया, आओ बैठो! खजूरें खाओ। मैंने अ़र्ज़ किया, जी हाँ। ये कहकर मैंने भी खानी शुरू कर दीं। आपने फ़र्माया, तेरी आँख दुख रही है और तू खजूर खा रहा है? मैंने (बतौरे मज़ाक़) अ़र्ज़ किया, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! जो आँख दुख रही है उस आँख से नहीं खा रहा हूँ। **(बैहक़ी)**

बीमार को खाना खाने पर मजबूर न करें

3444. हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने मरीज़ों पर खाने के लिये जबरदस्ती न किया करो क्योंकि उनको अल्लाह तआ़ला खिलाता-पिलाता है। **(तिर्मिज़ी-2040)**

तल्बीना का बयान

3445. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के घर में जब किसी को बुख़ार होता तो आप तल्बीना तैयार करने का हुक्म देते और नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया करते, इससे ग़मज़दा इंसान के दिन को सहारा मिलता है और बीमार के दिल से रंज को इस तरह दूर करता जिस तरह कोई औरत पानी के ज़रिये अपने चेहरे से मैल दूर करती है। **(तिर्मिज़ी-2039)**

3446. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नापसन्दीदा मुफ़ीद चीज़ तल्बीना को अपनाओ। उम्मुल मोमिनीन ने फ़र्माया, जब आप (ﷺ) के घराने में कोई बीमार होता तो हरीरा की हाण्डी हर वक़्त हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के यहाँ चढ़ी रहती। यहाँ तक कि उसका मामला किसी एक तरफ़ लग जाता, या तो वो बीमार अच्छा हो जाता या फ़ौत हो जाता। **(मुस्नद अहमद)**

काला दाना (कलौंजी)

3447. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, काले दाने में साम के सिवा हर मर्ज़ की शिफ़ा है। साम का मतलब मौत है और काला दाना कलौंजी है। **(बुख़ारी-5688)**

3448. हज़रत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, कलौंजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करो। क्योंकि ये तुम्हारे लिये बहुत मुफ़ीद है। इसमें मौत के सिवा हर एक बीमारी की शिफ़ा है।

3449. हज़रत ख़ालिद इब्ने सअ़द (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग सफ़र में थे। हमारे साथ हज़रत ग़ालिब इब्ने अब्जर (रज़ि.) भी थे। रास्ते में ग़ालिब (रज़ि.) बीमार हो गये, जब हम मदीना शरीफ़ वापस लौट कर आये तो उस वक़्त भी वो बीमार थे। हज़रत इब्ने अबी अ़तीक़ (रह.) उनकी इयादत के लिये तशरीफ़ लाये और कहने लगे, तुम ये काला दाना (कलौंजी) इस्तेमाल करो । इसके पाँच-सात दाने लेकर पीस लो, फिर ज़ैतून के तेल में मिलाकर इनकी नाक में चन्द क़तरे इस तरफ़ और चन्द क़तरे उस तरफ़ दोनों नुथनों में डालो। क्योंकि हज़रत आइशा (रज़ि.) से मैंने सुना है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, काला दाना मौत के अलावा हर एक बीमारी के लिये मुफ़ीद है। **(बुख़ारी-5687)**

शहद का बयान

3450. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स महीने में तीन दिन सुबह के वक़्त शहद चाट ले, उसे कोई बड़ी आफ़त (बीमारी) नहीं आयेगी।

3451. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में शहद का हदिया पेश किया गया। आपने हमारे दरम्यान एक-एक चम्मच शहद तक़्सीम फ़र्माया। मैंने अपना हिस्सा ले लिया, फिर अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक चम्मच और ले लूँ? फ़र्माया, हाँ (ले लो)।

3452. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दो शिफ़ा वाली चीज़ें इख़्तियार करो, शहद और क़ुर्आन।

खुम्बी और अज्वा खजूर

3453. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) और **हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.)** कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, खुम्बी (मशरूम) मन्न की क़िस्म में से है। इसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है। अ़ज्वा खजूर जन्नत से है और ये जिन्न के असर (या जिन्नों) से शिफ़ा देती है। **(मुस्नद अहमद)**

3454. हज़रत सईद बिन ज़ैद बिन अ़म्र बिन नुफ़ैल(रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, खुम्बी (मशरूम) उस मन्न से जो अल्लाह तआ़ला ने बनी इस्राईल पर नाज़िल किया था और इसका पानी आँखों के लिये शिफ़ा है। **(बुख़ारी-4478, मुस्लिम-2049)**

3455. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हम लोग रसूलुल्लाह (ﷺ) की मज्लिस में बातचीत कर रहे थे कि खुम्बी (मशरूम) का ज़िक्र आ गया। कुछ लोगों ने कहा, ये तो ज़मीन की चमक है। ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से अ़र्ज़ की गई तो आपने फ़र्माया, खुम्बी (मशरूम) मन्न (की क़िस्म) में से (एक क़िस्म) है और अ़ज्वा खजूर जन्नत से है और वो ज़हर से शिफ़ा है। **(तिर्मिज़ी-2068)**

3456. हज़रत राफ़ेअ बिन अम्र मुज़नी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से ये इर्शाद सुना, अज्वा और सख़रा जन्नत से (आये) हैं। **(मुस्नद अहमद)**

सोनामुखी और सन्नूत

3457. हज़रत अबू उबई बिन अब्दुल्लाह बिन उम्मे हराम (रज़ि.) कहते हैं कि उन्होंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की इक़्तिदा में दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ी है। उन्होंने बयान किया, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, आपने फ़र्माया, सोनामुखी और सन्नूत अपनाओ, इनमें साम के अलावा हर बीमारी से शिफ़ा है। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! साम क्या है? आपने फ़र्माया, मौत। **(हाकिम)**

नमाज़ शिफ़ा है

3458. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, दोपहर के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) मस्जिद की तरफ़ तशरीफ़ ले गये, मैं भी उनके साथ चला गया। मैं (नफ़्ल) नमाज़ पढ़कर बैठ गया। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे मुख़ातिब होकर फ़र्माया, तुम्हारे पेट में दर्द है। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ ! या रसूलुल्लाह। आपने फ़र्माया, उठो नमाज़ पढ़ो। नमाज़ में भी शिफ़ा है। **(मुस्नद अहमद)**

नापाक और ख़बीस दवाओं से इलाज करने का बयान

3459. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने ख़बीस दवा से इलाज करने से मना फ़र्माया है, जैसे ज़हर वग़ैरह से। **(अबू दाऊद-3870, तिर्मिज़ी-2045)**

3460. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया जिसने दुनिया में ज़हर खाकर अपनी जान को हलाक किया वो जहन्नम में हमेशा-हमेश ज़हर पीता रहेगा। **(मुस्लिम-109)**

क़ब्ज़ तोड़ने वाली दवा का इस्तेमाल जाइज़ है

3461. हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) कहतीं हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने मुझसे दरयाफ़्त किया कि तुम किस चीज़ का जुलाब लेती हो? उन्होंने कहा शुब्रुम का। आपने फ़र्माया, वो तो बहुत गर्म है। फिर मैंने सोनामुखी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो आपने फ़र्माया, अगर कोई चीज़ मौत से बचा सकती तो वो सोनामुखी होती और सोनामुखी मौत से शिफ़ा है। **(मुस्नद अहमद)**

गला पड़ने का इलाज और (अंगुली से) दबाने की मुमानिअत

3462. हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मुहसिन (रज़ि.) का बयान है कि मैं अपने बच्चे को लिये हुए हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई। उसका गला पड़ गया था, मैंने उसका गला अंगुली से दबा दी। हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, बच्चों का गला दबा-दबाकर तक्लीफ़ दिया करती हो। बल्कि क़ूदे हिन्दी को अपने ऊपर लाज़िम कर लो। अगर गला पड़ गया हो तो उसको नाक में डालो और अगर ज़ातुलजम्ब की बीमारी हो तो उसके मुँह के अंदर लगाया जाये। **(बुख़ारी-5692, मुस्लिम-2214)**

अरकुन्निसा का इलाज

3463. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अरकुन्निसा का इलाज है कि जंगली भेड़ (या जंगली दुम्बे) की चकती काट कर उसके तीन हिस्से किये जाये। उनमें से एक सुबह नहार मुँह गलाकर पी लिया जाये। **(हाकिम)**

तशरीह : *अरकुन्निसा एक दर्द है जो कुल्हों के जोड़ से शुरू होकर रान की पिछली तरफ़ नीचे की तरफ़ आता है और कई बार ये दर्द टखनों तक भी पहुँच जाता है।*

ज़ख़्म का बयान

3464. हज़रत सह्ल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) कहते हैं, जंग-ए-उहुद के रोज़ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ज़ख़्मी हो गये। आपके सामने के दाँतों में से एक दाँत टूट गया और उस जंग में ख़ूद (एक क़िस्म का हथियार) आप के सर में घुस गया। तो हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने ख़ून धोना शुरू किया और हज़रत अली ने पानी डालना। लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने देखा कि पानी डालने से ख़ून और ज़्यादा होता है तो उन्होंने चटाई का एक टुकड़ा लेकर जलाया और उसको हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के ज़ख़्म में भर दिया। जिससे आपका ख़ून बंद हो गया। **(बुख़ारी-2911, मुस्लिम-1890)**

3465. हज़रत सह्ल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि जिस शख़्स ने उहुद के दिन आँहज़रत (ﷺ) का चेहर-ए-मुबारक ज़ख़्मी किया, मैं उसको ख़ूब पहचानता हूँ। इसी तरह ज़ख़्म धोने वाले और आपकी दवा करने वाले और आपके लिये पानी लाने वाले और जिस चीज़ से आपकी दवा की गई यहाँ तक कि आपका ख़ून बंद हो गया (सबको पहचानता हूँ)। ढाल में पानी लाने वाले हज़रत अली थे और इलाज करने वाली हज़रत फ़ातिमा थीं लेकिन जब हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने देखा कि हुज़ूर (ﷺ) का ख़ून नहीं रुक रहा है तो एक चटाई का टुकड़ा जलाकर उसकी राख आपके ज़ख़्म में भर दी जिससे फ़ौरन खून बंद हो गया। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-5811)**

जो शख़्स इलाज करना न जानता हो और वो किसी का इलाज करे?

3466. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रह.) अपने दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने किसी का इलाज किया, हालाँकि वो इलाज करना नहीं जानता हो (और उसको नुक़सान पहुँचता हो) तो वो ही उसका ज़िम्मेदार होगा। **(अबू दाऊद-4576)**

ज़ातिल जनब का इलाज

3467. हज़रत ज़ैद इब्ने अरक़म (रज़ि.) कहते हैं, ज़ातुल जम्ब (पसली के दर्द) के लिये रसूले अकरम (ﷺ) ने इस नुस्ख़े की तारीफ़ की है, विर्स, क़ुदहिन्दी और ज़ैतून के तेल का लेप किया जाये। **(तिर्मिज़ी-2072)**

3468. हज़रत उम्मे क़ैस बिन्ते मुह्सिन (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुदहिन्दी को अपने ऊपर लाज़िम कर लो क्योंकि इसमें सात बीमारियों की दवा मौजूद है। जिनमें से एक ज़ातुल जम्ब (पसली का दर्द) भी है। इब्ने समआन की रिवायत में मज़्कूर है कि क़ुदे हिन्द में सात बीमारियों की शिफ़ा है जिसमें से एक ज़ातुल जम्ब की भी है। **(बुख़ारी-5692, 5713, 5715, 5718, मुस्लिम-2214)**

बुख़ार का बयान

3469. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर अकरम (ﷺ) के सामने बुख़ार का ज़िक्र होने लगा। हाज़िरीन में से एक शख़्स ने बुख़ार को निहायत बुरे अल्फ़ाज़ में याद किया। आपने फ़र्माया, बुख़ार को बुरा न कहो क्योंकि ये गुनाहों को ऐसे दूर कर देता है जिस तरह आग लौहे के मेल को। **(इब्ने अबी शैबा)**

3470. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक शख़्स को बुख़ार आता था। आँहज़रत (ﷺ) उसकी इयादत के लिये तशरीफ़ ले गये। मैं भी हुज़ूर के साथ था। जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) उसके क़रीब पहुँचे तो फ़र्माया, ख़ुश रहो क्योंकि अल्लाह तआला का फ़र्मान है, बुख़ार मेरी आग है। मैं इसको ईमानवाले बन्दे पर मुक़र्रर फ़र्माता हूँ ताकि आख़िरत में जहन्नम के अज़ाब के बदले उसका हिस्सा इस (बुख़ार) को क़रार दिया जाये। **(तिर्मिज़ी-2088)**

बुख़ार जहन्नम की भाप है, उसको पानी से ठण्डा किया करो

3471. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, बुख़ार की तेज़ी जहन्नम की भाप है उसको पानी के ज़रिए से ठण्डा किया करो। **(मुस्लिम-2210)**

3472. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, बुख़ार जहन्नम की भाप है इसको पानी से ठण्डा किया करो। **(मुस्लिम-2209)**

3473. हज़रत राफ़ेअ इब्ने ख़दीज (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि बुख़ार जहन्नम की भाप है उसको पानी से ठण्डा किया करो। आप (ﷺ) अम्मार (रज़ि.) के एक बेटे की इयादत के लिये तशरीफ़ ले गये तो आपने वहाँ ये दुआ तिलावत फ़र्माई, **इक्शिफ़िल बअ्स रब्बन्नासि इलाहन्नास.** (तक्लीफ़ दूर करदे ऐ लोगों के मालिक! ऐ लोगों के रब!) **(बुख़ारी-5826, मुस्लिम-2212)**

3474. हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र (रज़ि.) कहतीं हैं कि जिस औरत को बुख़ार आता तो वो उनकी ख़िदमत में हाज़िर की जाती। आप पानी तलब करके उसके गिरेबान में डालतीं और फ़र्मातीं कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया है कि बुख़ार जहन्नम की भाप है उसको पानी के ज़रिए से दूर किया करो। **(बुख़ारी-5824, मुस्लिम-2211)**

3475. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बुख़ार जहन्नम की भट्टियों में से एक भट्टी है उसको पानी के ज़रिए अपने आपसे दूर करो।

पछना लगाने का बयान

3476. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माया करते थे, अगर तुम्हारे इलाजों में से किसी इलाज में बेहतरी है तो वो पछने लगवाना है।

3477. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस रात मुझे मेअराज करवाई गई, मैं फ़रिश्तों की जिस जमाअत के पास से गुज़रा, वो सब मुझे यही कहते रहे, हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पछना लगवाया करें।

3478. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, पछने लगवाने वाला आदमी

निहायत अच्छा है, क्योंकि पछने से ख़ून निकल जाता है, कमर को हल्का कर देता है और बीनाई को तेज़ कर देता है।

3479. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेअराज की रात में फ़रिश्तों की जिस जमाअत के क़रीब से गुज़रता तो उनकी यही गुज़ारिश होती, ऐ मुहम्मद (ﷺ)! आप अपनी उम्मत को पछने लगवाने का हुक्म दीजिये।

3480. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहती हैं कि उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से पछने लगवाने की इजाज़त तलब की तो आँहज़रत (ﷺ) ने अबू तय्यब को उनके पछने लगाने का हुक्म दिया। जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि मेरे ख़याल में अबू तय्यब या तो हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के रज़ाई भाई थे या नाबालिग़ लड़के थे।

जिस्म के किस हिस्से पर पछने लगवाने चाहिये

3481. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मालिक बिन बुहैना (रज़ि.) कहते हैं, लह्य जमल मक़ाम में आँहज़रत (ﷺ) ने एहराम की हालत में अपने सर मुबारक में पछने लगवाये थे।

3482. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत जिब्रईल (अलै.) ने नाज़िल होकर हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) को ये हुक्म दिया कि दोनों मूढों और गर्दन की रगों के दरम्यान में पछने लगाये जायें।

3483. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दोनों कंधों के दरम्यान गर्दन की सीध में पछने लगवाये।

3484. हज़रत अबू कब्शा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) हाथ, सर और दोनों मूढों के दरम्यान पछने लगवाया करते थे और फ़र्माया करते थे, जो शख़्स इन दोनों मक़ामों पर पछने लगवायेगा, वो अगर किसी बीमारी को कोई और इलाज न करे तो कोई नुक़्सान नहीं।

3485. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) घोड़े पर से खजूर की एक शाख़ पर गिर पड़े, आपके पाँव मुबारक में मोच आ गई। वकीअ (रज़ि.) कहते हैं कि इस हदीस का ये मतलब है कि आँहज़रत (ﷺ) ने सिर्फ़ दर्द की वजह से भी पछने लगवाये हैं।

कौनसे दिनों में पछने लगवाने चाहिये

3486. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब आदमी पछने लगवाना चाहे तो (चाँद की) सतरह, उन्नीस या इक्कीस तारीख़ को लगवाने की कोशिश करे। ऐसा न हो कि दौराने ख़ून में ख़लल पैदा हो जाये और वफ़ात हो जाये।

3487. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने अपने (आज़ादशुदा गुलाम से) एक रोज़ फ़र्माया, नाफ़ेअ मेरे ख़ून में जोश पैदा हो गया तुम पछने लगवाने वाले नर्म मिज़ाज वाले शख़्स को बुला लाओ। लेकिन (ये ख़्याल रहे कि) न तो बिल्कुल बूढ़ा फूस हो न नाबालिग़ बच्चा हो, बल्कि बीच की उम्र का अदमी हो। क्योंकि मैंने हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से सुना है कि पछने नहार मुँह लगवाना निहायत शिफ़ा बख़्श और बेहतर है और उसमें बरकत होती है। इंसान की अक़्ल बढ़ती और ज़हन तेज़ होता है लिहाज़ा (अगर पछने लगवाना हो) तो जुमेरात, पीर या मंगल के रोज़ लगवाओ और बुध, जुम्आ और सनीचर के रोज़ पछना न लगवाओ। अगर ज़रूरत से ऐसा इत्तिफ़ाक़ हो जाये तो कोई मुज़ायक़ा नहीं और मंगल का

दिन, निहायत मुबारक दिन है क्योंकि मंगल का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह तआला ने हज़रत अय्यूब (अलै.) को सेहत अता फ़र्माई और बुध के रोज़ उन पर बीमारी आई थी। (ये क़ाईदा है कि) कोढ़ या बर्स ज़ाहिर होता है तो बुध के दिन में या बुध की रात को ज़ाहिर होता है।

3488. हज़रत नाफ़ेअ (रह.) कहते हैं कि एक रोज़ हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) ने मुझसे फ़र्माया, नाफ़ेअ! किसी पछने लगाने वाले को बुला लाओ। मेरे ख़ून में जोश पैदा हो गया है लेकिन नौजवान शख़्स को लाना, बूढ़ा और नाबालिग़ न हो, नाफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं कि उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) फ़र्माने लगे, रसूले अनवर (ﷺ) फ़र्माया करते, नहार मुँह पछने लगवाने वाले की अक़्ल तेज़ होती है और हाफ़िज़ा तेज़ होता है। लिहाज़ा जिस शख़्स को पछने लगवाने की ज़रूरत हो तो मंगल के रोज़ लगवाये। जुम्आ, सनीचर और इतवार के दिन पछने न लगवाओ अलबत्ता मंगल और पीर के रोज़ लगवा सकते हैं।

दाग़ने का बयान

3489. हज़रत अक़्क़ार इब्ने मुग़ीरा (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने दाग़ लगाया या दम करवाया, वो तवक्कुल से महरूम हो गया।

3490. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दाग़ लगाने से मना फ़र्माया है लेकिन मैंने दाग़ लगाकर देखा तो उससे न तो बीमारी गई, न उससे आराम हासिल हुआ।

3491. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन चीज़ों में कामिल शिफ़ा है, एक तो शहद के घूंट में, दो पछने लगाने में और तीसरे आग से दाग़ने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग़ देने से मना करता हूँ।

जो लोग दाग़ देना जाइज़ समझते हैं, उनकी दलील

3492. हज़रत मुहम्मद इब्ने अब्दुर्रहमान बिन सअद बिन ज़रारा अन्सारी (रह.) अपने चचा यह्या बिन सअद बिन ज़ुरारा से रिवायत बयान करते हैं कि मुहम्मद (रह.) के नाना हज़रत सअद इब्ने ज़ुरारा (रज़ि.) को एक मर्तबा हलक़ में दर्द उठा जिसको ज़ुब्ह कहते हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया कि मैं अबू उमामा (सअद बिन ज़ुरारा रज़ि.) के इलाज की पूरी कोशिश करूंगा ये अलग बात है कि मामला मेरे बस से बाहर हो जाये। हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने उनको अपने हाथ से दाग़ दिया। लेकिन उस पर भी वो ज़िन्दा न रहे और उनका इंतेक़ाल हो गया। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद को बुरी मौत नसीब हो। वो कहते हैं कि कैसा नबी है? अपने साथी शख़्स को भी न बचा सका हालांकि मैं किसी की मौत व हयात का मालिक नहीं और न अपनी जान का मालिक हूँ।

3493. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हज़रत उबई इब्ने कअब (रज़ि.) बीमार हुये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनके इलाज के लिये एक तबीब (हकीम) को रवाना किया। उन्होंने हज़रत उबई इब्ने कअब (रज़ि.) की एक रग पर दाग़ लगाये।

3494. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने हज़रत सअद इब्ने मुआज़ की इकहल रग पर दो मर्तबा दाग़ दिया था।

इस्मिद सुरमे का इस्तेमाल

3495. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्मिद का सुरमा लगाना अपने ऊपर लाज़िम कर लो। इससे नज़र तेज़ होती है और बाल लम्बे होते हैं।

3496. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, सोते वक़्त आँखों में इस्मिद का सुरमा लगाया करो क्योंकि इससे आँखों की रोशनी तेज़ होती है और बाल लम्बे होते हैं।

3497. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया तुम्हारे तमाम सुरमों से इस्मिद का सुरमा बेहतर है क्योंकि इससे नज़र तेज़ होती है और बाल लम्बे होते हैं।

ताक़ अदद में सुरमा लगाने का बयान

3498. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सुरमा लगाये तो उसको चाहिये कि ताक़ अदद में (तीन या पाँच मर्तबा) लगाये। अगर ऐसा करेगा तो बेहतर होगा वरना कोई मुज़ायक़ा नहीं।

3499. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) हर आँख में सुरमे की तीन सलाइयाँ लगाया करते थे।

शराब से इलाज करने की मुमानिअत

3500. हज़रत तारिक़ इब्ने सुवैद हज़रमी (रज़ि.) कहते हैं, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे मुल्क में अंगूर होते हैं हम उनको निचोड़ कर शरबत पीते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये मत पिया करो। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम इससे बीमारी की दवा किया करते हैं। आपने फ़र्माया, ये तो ख़ुद मर्ज़ है इससे दवा करना बिल्कुल नाजायज़ है।

कुर्आन से इलाज करने का बयान

3501. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे बेहतरीन दवा कुर्आन है।

मेहन्दी का बयान

3502. हज़रत उम्मे राफ़ेअ सुलमा (रज़ि.) जो रसूले मक़्बूल (ﷺ) की आज़ादशुदा बान्दी थीं, बयान करतीं हैं कि जब कभी आँहज़रत (ﷺ) के कहीं दर्द होता या काँटा चुभता तो उस मक़ाम पर हुज़ूरे अनवर मेहन्दी लगाया करते।

ऊँट के पेशाब का बयान

3503. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, क़बील-ए-उरैना के कुछ लोग हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये (और मदीना में रहने लगे लेकिन) उनको मदीना की हवा नामुवाफ़िक़ हुई जिसकी वजह से वो लोग बीमार हो गये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग हमारे ऊँटों के रेवड़ में चले जाओ और उनका दूध और पेशाब पीयो (तो तन्दुरुस्त हो जाओगे)। चुनाँचे उन्होंने ऐसे ही किया।

अगर बर्तन में मक्खी गिर पड़े तो क्या हुक्म है?

3504. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब खाने में मक्खी गिर जाये तो उसको डुबोकर फेंक दिया करो क्योंकि मक्खी के एक पर में ज़हर है और दूसरे में उसकी शिफ़ा है जब ये गिरती है तो ज़हरीला पर आगे कर देती है और शिफ़ा वाला पर पीछे किये रहती है।

3505. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब किसी शख़्स के पानी में मक्खी गिर जाये तो उसको डुबोकर निकाल डाले और फेंक दे क्योंकि मक्खी के एक पर में बीमारी होती है और दूसरे में उसकी शिफ़ा है।

नज़र का बयान

3506. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने आमिर इब्ने रबीआ (रह.) कहते हैं, उनके वालिद (हज़रत आमिर बिन रबीआ रज़ि.) ने बयान किया, रसूले अनवर (ﷺ) का इर्शाद है कि नज़र (लगना) हक़ीक़त है।

3507. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, नज़र लग जाना हक़ीक़त है।

3508. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (नज़र) से अल्लाह की पनाह मांगों, नज़र लगना हक़ीक़त है।

3509. हज़रत अबू उमामा (अस्अद) इब्ने सहल इब्ने हनीफ़ (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा मेरे वालिद सहल इब्ने हनीफ़ (रज़ि.) गुस्ल कर रहे थे। उधर से आमिर इब्ने रबीआ (रज़ि.) का गुज़रना हुआ। उनकी नज़र मेरे वालिद पर पड़ी तो कहने लगे, ऐसा ख़ूबसूरत आदमी तो मैंने कभी नहीं देखा बल्कि पर्दे वाली औरत को भी (इतना ख़ूबसूरत नहीं देखा)। कुछ थोड़ी ही देर गुज़री होगी कि हज़रत सहल (बेहोश होकर) गिर पड़े। लोग उनको आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में लाये और आपसे तमाम वाक़िया बयान किया। आपने फ़र्माया, तुम लोगों का किसके बारे में ख़्याल है (कि उसकी) नज़र लगी होगी। लोगों ने कहा, आमिर (रज़ि.) की तरफ़। ये सुनकर हुज़ूर ने फ़र्माया, तुम लोगों की ये क्या हरकत है कि नज़र लगाकर अपने भाइयों को मारना चाहते हो? अगर किसी शख़्स को अपने भाई की कोई चीज़ पसंद आ जाये तो उसके लिये बकरत की दुआ करे। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने हज़रत आमिर (रज़ि.) को हुक्म दिया कि वो वुज़ू करें और तहबंद के अंदर का बदन धोये। उसके बाद जब ये वुज़ू (कर चुके) तो हुज़ूर (ﷺ) ने उस पानी के छींटे सहल पर डालने का हुक्म दिया। वो पानी हज़रत सहल के पीछे से उन पर डाल दिया गया।

नज़र का दम कराना

3510. हज़रत उबैद इब्ने रिफ़ाआ ज़ुरक़ी (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! हज़रत जाफ़र के बच्चे को नज़र हो जाया करती है। अगर आप की इजाज़त हो तो मैं उन पर दम कर दिया करूँ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! क्या मुज़ायक़ा है? नज़र हक़ीक़त है अगर अल्लाह के हुक्म से कोई चीज़ तक़्दीर से आगे बढ़ने वाली हो तो वो नज़र होती।

3511. हज़रत सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, पहले हुज़ूर (ﷺ) जिन्नों और इंसान की नज़र से पनाह मांगते थे लेकिन जब मुअव्वज़तैन (सूरह फ़लक़ और सूरह नास) नाज़िल हुई तो हुज़ूर ने तमाम दुआओं को छोड़कर इनको पढ़ना शुरू कर दिया।

3512. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मुझको नज़र का दम सीखने के लिये हुक्म फ़र्माया था।

जो दम जाइज़ हैं

3513. हज़रत बरीरा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, दम तो सिर्फ़ नज़र से या डंक मारने वाली चीज़ (बिच्छू या साँप के डंक की वजह) से होता है।

3514. हज़रत अबूबक्र इब्ने मुहम्मद (रह.) कहते हैं, ख़ालिदा बिन्ते अनस उम्मे बनी हज़म सअदिया (रज़ि.) नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और आपके सामने कुछ दम पढ़कर सुनाये। (और दरयाफ़्त किया कि ये जाइज़ हैं या नहीं?) नबी करीम (ﷺ) ने उन्हें उनके साथ दम करने का हुक्म दिया।

3515. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, अन्सार में एक ख़ानदान था जो कि अम्र इब्ने हज़म (रज़ि.) का ख़ानदान कहलाता था। ये लोग (बिच्छू वग़ैरह के) डंक का दम करते थे। वो लोग हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह (ﷺ)! आपने दम के पढ़ने से मना फ़र्मा दिया है और हम लोग डंक का दम पढ़ा करते हैं। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने मंतर मुझको सुनाओ। उन लोगों ने पढ़कर सुनाया तो हुज़ूर (ﷺ) ने सुनकर फ़र्माया कि इनमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, इनको पढ़ा करो। दूसरी रिवायत में आया है कि जो शख़्स अपने भाई को जो फ़ायदा पहुँचा सके वो पहुँचाये।

3516. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने तीन चीज़ों में दम की इजाज़त अता फ़र्माई है, नज़रे बद में, नमला में और डंक में।

साँप और बिच्छू का दम

3517. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने साँप और बिच्छू के दम की इजाज़त दी है।

3518. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स को बिच्छू ने काट लिया। उस बेचारे को उसकी तक्लीफ़ की वजह से सुबह तक नींद नहीं आई। ये वाक़िया आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया गया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस वक़्त उसको बिच्छू ने काटा अगर वो ये दुआ पढ़ लेता तो बिच्छू का काटा उस पर कुछ असर नहीं करता, **अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़** (मैं अल्लाह के कामिल कलिमात के ज़रिये से (अल्लाह की) पनाह माँगता हूँ, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है)।

3519. हज़रत अम्र इब्ने हज़म (रज़ि.) कहते हैं, मैंने आँहज़रत (ﷺ) को साँप के काटने का दम पढ़कर सुनाया। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने मुझको इसके पढ़ने की इजाज़त दी।

नबी करीम (ﷺ) ने जो दम किया और जो दम आप को किया गया

3520. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) किसी बीमार की इयादत के लिये तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ फ़र्माया करते, **अज़्हिबिल बअस् रब्बन्नासि वशफ़ि अन्तश्शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़्मा.** (बीमारी दूर कर दे, ऐ लोगों के रब! और शिफ़ा अता फ़र्मा, तू ही शिफ़ा

देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा दे कि बीमारी को बिल्कुल न रहने दे)।

3521. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) बीमार के लिये उंगली पर लुआबे दहन मुबारक (थूक) लगाकर ये दुआ करते, **बिस्मिल्लाहि तुरबतु अरज़िना बिरीक़ति बअज़िना लियुश्फ़ा सक़ीमुना बिइज़्नि रब्बिना.** (अल्लाह के नाम से, हमारी ज़मीन की मिट्टी हम में से बाज़ के लुआबे दहन से मिलकर, हमारे रब के हुक्म से, हमारे मरीज़ की शिफ़ा का ज़रिया होगी)।

3522. हज़रत उस्मान इब्ने अबुल आस सक़फ़ी (रज़ि.) का बयान है कि मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उस वक़्त मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा था कि मैं मरा जा रहा था। हुज़ूर (ﷺ) ने (मेरी हालत देखकर) फ़र्माया, अपना दाहिना हाथ दर्द की जगह पर रखकर सात मर्तबा ये पढ़ो, **बिस्मिल्लाहि अऊज़ूबिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरू.** (अल्लाह के नाम से, मैं अल्लाह की अज़्मत व क़ुदरत की पनाह में आता हूँ उस बुराई से जो मैं पाता हूँ और जिससे डरता हूँ)। हज़रत उस्मान (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) के फ़र्मान के मुताबिक़ यही किया। अल्लाह तआला ने मुझे शिफ़ा इनायत फ़र्माई।

3523. हज़रत सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की हालते मर्ज़ में हज़रत जिब्राईल (अलैहि.) (आपकी इयादत के लिये तशरीफ़ लाये) और आपसे अर्ज़ किया, क्या आप बीमार हैं? हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, किया, हाँ। तो जिब्राईल (अलैहि.) ने आप पर ये दुआ पढ़कर फूंकी, **बिस्मिल्लाहि अरक़ी-क मिन कुल्लि शैइन युअज़ी-क मिन शर्रि कुल्लि नफ़्सिन अवऐनि अवहासिदिन अल्लाहु यशफ़ी-क बिस्मिल्लाहि अरक़ी-क.** (मैं आपको अल्लाह के नाम से दम करता हूँ, आपको तक्लीफ़ देने वाली हर चीज़ से, हर जान या आँख या हसद करने वाले के शर से, अल्लाह आपको शिफ़ा दे, मैं आपको अल्लाह के नाम से दम करता हूँ)।

3524. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, (एक मर्तबा) नबी करीम (ﷺ) मेरी इयादत के लिये तशरीफ़ लाये और मुझसे फ़र्माया, क्या मैं तुझे वो दम न करूँ जो मेरे पास जिब्राईल (अलैहि.) लाये हैं? मैंने कहा, क्यों नहीं! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान हो। आपने तीन बार फ़र्माया, **बिस्मिल्लाहि अरक़ी-क वल्लाहु यश्फ़ी-क मिन कुल्लि दाइन फ़ी-क मिन शर्रिन्नफ़्फ़ासाति फ़िल्उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद.** (अल्लाह के नाम से तुझे दम करता हूँ, और अल्लाह तुझे शिफ़ा देगा, तुझमें मौजूद हर बीमारी से, गिरहों में फूंक मारने वालियों के शर से और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे)।

3525. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) जब हज़रत हसन (रज़ि.) और हज़रत हुसैन (रज़ि.) को दम करते तो यूँ फ़र्माया करते, **अऊज़ूबिकलिमातिल्लाहित्ताम्माति मिन कुल्लि शैतानिवँ व हाम्माति मिन कुल्लि ऐनिन् लाम्मह** (मैं अल्लाह तआला के कामिल कलिमात की पनाह में आता हूँ, हर शैतान और कीड़े-मकोड़े से और हर दीवाना करने वाली आँख से)। नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हमारे जद्दे-अमजद हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ये दुआ पढ़कर इस्माईल (अलैहि.) और इस्हाक़ (अलैहि.) को दम किया करते थे।

बुख़ार का दम

3526. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) बुख़ार और हर क़िस्म के दर्द से (शिफ़ा के लिये) ये दुआ सिखाया करते थे, **बिस्मिल्लाहिल कबीरि अऊज़ूबिल्लाहिल् अज़ीमि मिन शर्रि इरक़िन् नअआरिन् व मिन शर्रि हर्रिन् नारि.** (क़िब्रयाई वाले अल्लाह के नाम से, मैं अज़्मत वाले अल्लाह की पनाह

में आता हूँ, जोश मारती रग से शर से और आग की गर्मी से)।

3527. हज़रत इ़बादा बिन सामित (रज़ि.) से रिवायत है, (एक मर्तबा) नबी करीम (ﷺ) को बुख़ार था। हज़रत जिब्राईल (अ़लैहिस्सलाम) तशरीफ़ लाये और फ़र्माया, **बिस्मिल्लाहि अरक़ी-क व मिन् कुल्लि शैइन् युअज़ी-क मिन हसदि हासिदिन् व मिन कुल्लि अ़ैनिन् अल्लाहु यश्फ़ी-क** (मैं आपको अल्लाह के नाम से दम करता हूँ, हर उस चीज़ से जो आपको तक्लीफ़ देती है, हसद करने वाले के हसद से और हर आँख से, अल्लाह आपको शिफ़ा दे।

दुआ पढ़कर फूंक मारना

3528. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) दुआ पढ़कर फूँक मारते थे।

3529. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब रसूलुल्लाह (ﷺ) बीमार हुए तो आप कुल अऊज़ुबिरब्बिल फ़लक़ और कुल अऊज़ुबिरब्बिन्नास पढ़कर फूंका करते थे। लेकिन जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की बीमारी बहुत सख़्त हो गई तो (आपके बजाय) मैं आप पर पढ़कर फूंका करती और आपका दस्ते मुबारक ही आपके जिस्म पर फेरा करती ताकि उससे बरकत हासिल हो।

तावीज़ लटकाना कैसा है?

3530. हज़रत ज़ैनब बिन्ते मुआविया सक़फ़िय्या (रज़ि.) कहतीं हैं, मेरे यहाँ एक बुढ़िया आया करती थी जिसको सुर्ख़बाद का दम पढ़ना आता था। मेरे यहाँ एक लम्बे पाँव वाली चारपाई थी। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) (हज़रत ज़ैनब रज़ि. के शौहर) का ये क़ाइदा था कि जब आप घर में तशरीफ़ लाया करते तो वो पहले खाँसते फिर आवाज़ देकर घर में आते। एक दिन वो तशरीफ़ लाये। जब उस (बुढ़िया) ने आपकी आवाज़ सुनी तो पर्दा कर लिया। वो आकर मेरे पहलू में बैठ गये, जब उन्होंने मुझे हाथ लगाया तो उनको एक तावीज़ दिखाई दिया (जो मेरे गले में पड़ा हुआ था)। उन्होंने मुझसे फ़र्माया कि ये क्या है? मैंने उनसे अ़र्ज़ किया, इसने मुझे ये सुर्ख़ बाद का दम करके दिया है। ये सुनकर उन्होंने मेरे गले में से तावीज़ तोड़कर फेंक दिया और कहने लगे कि आले अ़ब्दुल्लाह को शिर्क की ज़रूरत नहीं। मैंने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से सुना कि दम-झाड़, तावीज़, और हुब्ब का अ़मल सब शिर्क हैं। मैंने उनसे कहा कि एक रोज़ मैं बाहर जा रही थी एक शख़्स ने मुझे देख लिया। मेरी आँख जो उस पर पड़ी तो उससे आँसू जारी हो गये लिहाज़ा जब मैं उसका दम पढ़ लेती तो मेरी आँख से पानी बहना बंद हो जाता और जब छोड़ देती तो फिर जारी हो जाता। (इससे मालूम हुआ कि) दम को भी असर करने में कुछ दख़ल है। ये सुनकर हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) ने फ़र्माया, ये शैतानी हरकत थी जब तू (दम पढ़कर उसकी) ताबेदारी करती थी तो वो तुझको छोड़ देता था ताकि दम पर तेरा अ़क़ीदा ख़ूब पुख़्ता हो जाये और जब तू दम का पढ़ना छोड़ देती तो वो तेरी आँख में उंगली मारता (जिससे तेरे आँसू बहते) अगर तू हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के फ़र्मान के मुताबिक़ करती तो तेरे लिये निहायत बेहतर होता और ग़ालिबन तुझको शिफ़ा हो जाती तू अपनी आँख में पानी छिड़ककर ये दुआ पढ़ती, **अज़्हिबिल बअ़स् रब्बन्नासि वशफ़ि अन्तश्शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउक शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा.** (बीमारी दूर कर दे, ऐ लोगों के रब! और शिफ़ा अ़ता फ़र्मा, तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी शिफ़ा के सिवा कोई शिफ़ा नहीं, ऐसी शिफ़ा दे कि बीमारी को बिल्कुल न रहने दे)।

3531. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने एक शख़्स के हाथ में पीतल का छल्ला या कड़ा देखकर फ़र्माया, ये छल्ला (कड़ा) कैसा है? उसने अ़र्ज़ किया, ये वाहिना बीमारी (जो हाथ की किसी रग में होती

है) के लिये है। आपने उससे फ़र्माया इसको उतार कर फेंक दे इससे तेरी कमज़ोरी में इज़ाफ़ा ही होगा।

आसेब (और जिन्न) के असर का इलाज

3532. हज़रत उम्मे जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने क़ुर्बानी के दिन वादी के निचले हिस्से में खड़े होकर जमर-ए-अक़्बा पर कंकरियाँ मारी और वहाँ से वापस हुये तो क़बील-ए-ख़श्अम की एक औरत आपके पीछे-पीछे चल पड़ी। उसकी गोद में एक बच्चा था, जिसे आसेब की शिकायत थी। उस औरत ने आपसे अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह (ﷺ)! मेरे घराने में सिर्फ़ एक ही बच्चा बाक़ी रह गया है इस पर भी कुछ आसेब का असर है, जिसकी वजह से ये बातचीत नहीं करता। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, थोड़ा सा पानी लाओ। लोगों ने आपके सामने पानी लाकर हाज़िर किया। आपने अपने दोनों हाथों को धोया और मुँह में पानी लेकर कुल्ली की और उस औरत से फ़र्माया कि ये पानी इस बच्चे को पिला दिया करो और इसके बदन पर भी डाल दिया करो। पानी डालते वक़्त अपने बच्चे की सेहत के लिये अल्लाह तआला से दुआ भी मांगा करो। उम्मे जुन्दुब (रज़ि.) कहतीं हैं कि उस बच्चे की माँ से मुलाक़ात करके मैंने कहा कि थोड़ा सा पानी इसमें से हमको भी दे दो। उसने कहा कि बच्चे की सेहत के लिये है इस वजह से मैं मजबूर हूँ (नहीं दे सकती)। अलग़र्ज़ उम्मे जुन्दुब (रज़ि.) कहतीं हैं कि दूसरे साल उस औरत से फिर मैंने मुलाक़ात की और उसके बच्चे की हालत दरयाफ़्त किया, उसने कहा कि वो बच्चा निहायत तन्दरुस्त है और बहुत ज़हीन और अक़्लमंद हो गया है।

क़ुर्आन मजीद से शिफ़ा हासिल करना

3533. हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे बेहतरीन दवा क़ुर्आन है।

दो धारी वाला साँप मार डालना चाहिये

3534. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने दो धारी वाले साँप को मार डालने का हुक्म दिया है। क्योंकि ये साँप बहुत ख़बीस साँप होता है आदमी को अंधा कर देता है और हामिला औरत का हमल गिरा देता है।

3535. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, साँपों को मार डाला करो, ख़ुसूसन दो धारी वाले साँप और दुम कटे साँप को तो मार ही डाला करो क्योंकि ये आँख की तलाश में रहता है और हमल गिरा देता है।

नेक फ़ाल लेना अच्छा है और बदफ़ाली लेने की मुमानिअत है

3536. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) नेक फ़ाल (अच्छे शगुन) से निहायत ख़ुश हुआ करते और बदफ़ाली (बदशगुनी) को निहायत बुरा जानते।

3537. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बदशगूनी और बीमारी का उड़कर लग जाना कोई चीज़ नहीं। हाँ! नेक फ़ाल से मैं ख़ुश होता हूँ।

3538. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बदशगूनी शिर्क है और हममें से किसी न किसी को वहम हो ही जाता है, लेकिन अल्लाह तआला तवक्कल की वजह से उसे दूर कर देता है।

3539. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, छूत की कोई हक़ीक़त

नहीं, बदशगुनी की कोई हक़ीक़त नहीं, खोपड़ी के उल्लू की कोई हक़ीक़त नहीं और सफ़र की कोई हक़ीक़त नहीं।

3540. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, न बीमारी का उड़कर लग जाने की कोई हक़ीक़त है, न बदशगूनी कोई चीज़ है औन न उल्लू की कोई हक़ीक़त है। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! खुजली वाला ऊँट जब तन्दरुस्त ऊँटों में घुस जाता है तो वो तो उनको भी खुजली हो जाती है (जिससे बीमारी उड़कर लग जाती है)। आपने फ़र्माया ये तमाम अल्लाह तआ़ला की मुक़द्दर की हुई हैं, पहले ऊँट को खुजली कैसे हुई थी?

3541. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़दस (ﷺ) ने फ़र्माया, बीमार ऊँटों वाला तन्दुरुस्त ऊँटों वाले के साथ (अपने ऊँटों को) पानी न पिलाये।

कोढ़ का मर्ज़

3542. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) ने एक कोढ़ी का हाथ पकड़कर अपने साथ खाने में शरीक करके फ़र्माया, आओ! हमारे साथ खा लो। अल्लाह पर हमारा भरोसा और तवक्कल है।

3543. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने कोढ़ के मरीज़ों की तरफ़ टकटकी बाँधकर देखने से मना फ़र्माया है।

3544. हज़रत अ़म्र (रह.) अपने वालिद हज़रत शरीद सक़फ़ी (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़र्माया, क़बील-ए-सक़ीफ़ के वफ़्द में एक कोढ़ का मरीज़ भी था। नबी करीम (ﷺ) ने उसे पैग़ाम भेजा कि वापस चले जाओ! हमने तेरी बैअ़त ले ली।

जादू का बयान

3545. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं कि एक मर्तबा बनी ज़ुरैक़ के यहूदियों में से एक यहूदी लुबैद इब्ने आ़सिम ने आँहज़रत (ﷺ) पर जादू कर दिया। उससे आपकी एक दिन और एक रात तक ये हालत रही कि किसी काम को करते लेकिन ख़्याल होता कि नहीं किया (या नहीं करते लेकिन ख़्याल होता कि कर लिया है) तब हुज़ूर (ﷺ) ने अल्लाह तआ़ला से अपने लिये तीन मर्तबा दुआ़ मांगी। फिर मुझसे कहा, आ़इशा! अल्लाह तआ़ला से मैंने जिस बात की ख़्वाहिश की थी अल्लाह तआ़ला ने वो मुझको बतला दी। रात को मेरे पास दो फ़रिश्ते आये एक मेरे सर के पास बैठ गया और एक मेरे पैरों के क़रीब। सर वाले ने पैर वाले से कहा या पैर वाले ने सर वाले से दरयाफ़्त किया, इस शख़्स को क्या बीमारी है? दूसरा कहने लगा, इन पर जादू किया गया है। पहले ने कहा, किसने जादू किया ? दूसरे ने कहा कि लुबैद बिन आ़सिम यहूदी ने। पहले ने कहा, किस चीज़ में जादू किया गया है ? उसने कहा कि कंघी और बालों में जो कंघी करते वक़्त गिरा करते हैं और उसको ताज़ा खजूरों के ग़िलाफ़ में रख दिया गया है। पहले ने कहा कि वो ग़िलाफ़ किस मक़ाम पर है ? उसने कहा कि, ज़ी अरवान के कुएँ में है। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) और आपके साथ कुछ लोग कुएँ में पहुँचे और कुएँ से वो सब चीज़ें निकलवाई तो वहाँ ग़िलाफ़ निकला जिसमें कंघी के साथ बालों की गिरहें दी गई थी। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको फिर कहीं दफ़न कर दिया। जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाये तो आपने मुझसे फ़र्माया, आइशा! अल्लाह की क़सम! उस कुएँ का पानी मेहन्दी की तरह (रंगीन) था और वहाँ के खजूरों के दरख़्त तो शैतान के सरों की तरह मालूम होते हैं। मैंने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने वो चीज़ें जला क्यों न दी। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! मुझे अल्लाह तआ़ला ने शिफ़ा दे दी है और मैं नहीं चाहता कि लोगों में इसकी वजह से शर फैलाऊँ।

3546. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ करने लगीं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपको हर साल उस ज़हरीली बकरी का असर हुआ करता है (जो आपने एक यहूदी औरत की दावत में खाई थी)। उसकी वजह से आप बीमार हुआ करते हैं। नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको सिवाय इसके कुछ नहीं हुआ जो कि अल्लाह तआला ने मेरी तक़दीर में आदम (अलैही.) का पुतला बनाने से पहले मुक़द्दर कर दिया था।

घबराहट और नींद के उचाट होने का बयान और उसकी दुआ

3547. हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (रज़ि.) कहतीं हैं कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो कोई शख़्स किसी मक़ाम पर मुक़ीम हो और ये दुआ पढ़ ले, **अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्ताम्मति मिन शर्रि मा ख़लक़.** (मैं अल्लाह के कामिल कलिमात के ज़रिये से (अल्लाह की) पनाह माँगता हूँ, हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की है) तो उसको उस मक़ाम की कोई चीज़ वापस रवाना होने तक कोई नुक़्सान नहीं पहुँचायेगी।

3548. हज़रत उस्मान इब्ने अबुल आस (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझको यमन का आमिल बनाया तो मेरे दिल में उस वक़्त ऐसे ख़्यालात आने लगे जिनसे मुझको नमाज़ में यह मालूम नहीं होता कि मैंने कितनी रकअते पढ़ी? जब मैंने अपनी ये हालत देखी तो सफ़र का इरादा किया और हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ आपने मुझको देखकर (तअज्जुब से) फ़र्माया, क्या तुम ही अबुल आस के बेटे हो? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ही हूँ। आपने फ़र्माया, तुम क्यों आये हो ? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! नमाज़ में मुझको इतने ख़्यालात आने लगे हैं कि मुझको ये याद नहीं रहता कि मैंने कितनी रकअतें पढ़ीं हैं। ये सुनकर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शैतान की तरफ़ से (शरारत) है, मेरे क़रीब आओ। मैं आपके क़रीब आया और अदब के साथ पंजों के बल बैठ गया। आँहज़रत (ﷺ) ने मेरे सीने पर मुबारक हाथ रखा और अपना लुआबे-दहन (थूक) मुबारक मेरे मुँह में डाला और तीन मर्तबा फ़र्माया, ऐ अल्लाह के दुश्मन निकल जा। उसकेबाद मुझसे फ़र्माया, उस्मान! अब अपने काम पर जाओ। उस्मान (रज़ि.) कहते हैं, अल्लाह की क़सम! उस रोज़ से फिर कभी शैतान ने ऐसे वस्वसे मेरे दिल में डालकर ख़लत-मलत नहीं किया।

3549. हज़रत अबू लैला अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर था कि इतने में एक गांव का शख़्स आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा भाई बीमार हो गया है। हुज़ूर सरवरे आलम (ﷺ) ने उससे दरयाफ़्त किया कि क्या बीमारी है? उसने अर्ज़ किया, उसको आसेब है। आपने फ़र्माया, जा उसको ले आ। वो गया और अपने भाई को लेकर हाज़िर हुआ। आपने उसको अपने सामने बिठाकर ये आयतें पढ़ीं (और दम किया), सूरह फ़ातिहा, सूरह बक़रह की पहली चार आयतें, सूरह बक़रह के दरम्यान की दो आयतें (**इलाहुकुम इलाहुव्ववाहिदुन...** आयत : 163), आयतुल-कुर्सी (आयत : 255), तीन आयतें सूरह बक़रह के आख़िर की (आयत : 284-286), एक आयत सूरह आले इमरान की, मेरे ख़्याल में वो आयत ये होगी (**शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुव..** आयत : 18), सूरह आराफ़ की ये आयत (**इन्न रब्बकुमुल्लाह...** आयत : 54), सूरह मोमिनीन की ये आयतें (**वमय्यदऊ मअल्लाहि इलाहन आख़रा ला बुरहाना लहु बिहि....** आयत : 117), सूरह जिन्न की ये आयत (**वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना....** आख़िर तक आयत : 3), सूरह साफ़्फ़ात के शुरू की दस आयतें, सूरह हश्र के आख़िर की तीन आयतें, **कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़** और **कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास** उस पर फूंक दीं तो वो गांव वाला ऐसा खड़ा हो गया जैसे उसको कोई बीमारी ही न थी।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुल-लिबास

लिबास के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3550. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं कि एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने एक धारीदार चादर ओढ़ कर नमाज़ अदा की। उसके बाद फ़र्माने लगे कि इस चादर ने नमाज़ में ख़लल डाल दिया, लिहाज़ा ये चादर अबू जहम (रज़ि.) को देकर उनसे एक स्याह रंग की चादर लाकर दे दो। **(बुख़ारी-752, मुस्लिम-556)**

3551. हज़रत अबी बुर्दा (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ मैं हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ गया तो उन्होंने एक मोटा तहबन्द दिखाया जो यमन में बनाया जाता था और एक चादर दिखाई जिसको अ़रब में मुलब्बदा कहते हैं। फिर फ़र्माया कि अल्लाह की क़सम! आँहज़रत (ﷺ) की वफ़ात इन दो कपड़ों में हुई है। **(बुख़ारी-3108, मुस्लिम-2080)**

3552. हज़रत उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने सिर्फ़ एक चादर ओढ़कर नमाज़ अदा की थी, जिसमें गाँठ लगी थी।

3553. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के साथ था तो उस रोज़ आप मोटे किनारों वाली नज्रानी चादर ओढ़े हुये थे। **(बुख़ारी-3139, मुस्लिम-1057)**

3554. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, मैंने कभी हुज़ूरे अनवर (ﷺ) को किसी शख़्स को गाली देते न सुना और न आपके लिये कपड़ा लपेट कर रखा जाता था (एक ही जोड़ा होता था)।

3555. हज़रत सह्ल इब्ने सअ़द साएदी (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ एक औरत आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आपसे अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने आपके लिये अपने हाथ से ये चादर बुनी है। आपने उसको क़ुबूल कर लिया क्योंकि उस वक़्त आपको उसकी ज़रूरत थी। उसके बाद जब हुज़ूर (ﷺ) (एक रोज़) बाहर तशरीफ़ लाये तो आप उसी चादर का तहंबद बांधे हुए थे। इतने में फ़लाँ शख़्स का फ़लाँ बेटा आया और उस चादर को देखकर अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये कैसी ख़ूबसूरत चादर है। ये तो मैं पहनता तो अच्छा था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ तुम पहनो। ये फ़र्माकर अंदर तशरीफ़ ले गये और वहाँ से वो चादर उस शख़्स के पास रवाना कर दी। ये देखकर लोगों ने उससे कहा कि तू ने निहायत बुरा किया जो आँहज़रत (ﷺ) से ये चादर तलब कर ली। क्योंकि हुज़ूरे

अक़्दस (ﷺ) को इसकी ज़रूरत थी। उस शख़्स ने कहा कि ये चादर मैंने इसलिये नहीं मांगी है कि मैं इसको पहनूं बल्कि अपने कफ़न के लिये इसको मांगा है। लिहाज़ा उस शख़्स को उसी चादर में कफ़न दिया गया। **(बुख़ारी-1277)**

3556. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ऊनी कपड़ा पहना करते थे और टूटी हुई जूती सी लिया करते थे (बल्कि) सख़्त से सख़्त कपड़ा आपने पहना है।

जब कोई नया लिबास पहने तो क्या कहे?

3557. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) कहते हैं, हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) ने जब नया कपड़ा पहना तो आपने ये दुआ पढ़ी, **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिहि औरती व अतजम्मलु बिहि फ़ी हयाती** (अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वो कपड़ा पहनाया जिससे मैं अपना सतर छुपाता हूँ और ज़िन्दगी में इससे ज़ीनत हासिल करता हूँ) उसके बाद फ़र्माने लगे कि आँहज़रत (ﷺ) को मैंने फ़र्माते सुना था कि जो शख़्स नया कपड़ा पहनते वक़्त ये दुआ पढ़ेगा और पुराना होने पर उस कपड़े को सदक़ा कर देगा तो मरते वक़्त तक और जब तक ज़िंदा रहेगा अल्लाह तआला की हिफ़ाज़त में रहेगा। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने ये तीन मर्तबा फ़र्माया। **(तिर्मिज़ी-3560)**

3558. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूर अक़्दस (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) को सफ़ेद कुर्ता पहने देखा। आपने उनसे फ़र्माया ये कुर्ता धुला हुआ है या नया है? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! धुला हुआ है। आपने फ़र्माया, तुम्हें नया लिबास, क़ाबिले तारीफ़ ज़िन्दगी और शहादत की मौत नसीब हो। **(मुस्नद अहमद)**

जो लिबास (शरअन) मना है

3559. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने दो तरह के लिबास पहनने से मना फ़र्माया है। एक तो चादर को इस तरह से लपेटना कि हाथ और बाज़ूओं को हिलाना मुश्किल हो जाये और दूसरा एक कपड़े में इस तरह बैठना कि शर्मगाह ज़ाहिर हो जाये।

3560. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने दो तरीक़े से कपड़े पहनने को मना फ़र्माया। एक तो चादर को इस तरह से लपेटना कि हाथ और बाज़ूओं को हिलाना मुश्किल हो जाये और दूसरा एक कपड़े में इस तरह बैठना कि शर्मगाह ज़ाहिर हो जाये।

3561. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने दो तर्ज़ पर कपड़ा पहनने से मना फ़र्माया है। एक तो चादर को इस तरह से लपेटना कि हाथ और बाज़ूओं को हिलाना मुश्किल हो जाये और दूसरा एक कपड़े में इस तरह बैठना कि शर्मगाह ज़ाहिर हो जाये।

ऊन का लिबास पहनना

3562. हज़रत अबू बुर्दा (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं कि उनके वालिद (हज़रत अबू मूसा अश्अरी रज़ि.) ने फ़र्माया, बेटा अगर तू हमको आँहज़रत के अहदे मुबारक में देखता तो तुझको मालूम होता कि जब हमारे जिस्मों पर पानी पड़ता तो भेड़ की सी बू आती। **(अबू दाऊद-4033)**

3563. हज़रत उबादा इब्ने सामित (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) बाहर से तशरीफ़ लाए तो

रोम का बना हुआ एक ऊनी जुब्बा आपने पहना हुआ था, जिसकी आस्तीनें तंग थीं। आपने सिर्फ़ वही पहने-पहने हमको नमाज़ पढ़ाई उसके अलावा आप और कोई चीज़ न पहने थे।

3564. हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ नबी करीम (ﷺ) ने वुज़ू करके बालों के जुब्बे से उलटकर मुँह साफ़ किया जो आपने पहना हुआ था।

3565. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) को एक कम्बल का तहबंद बांधे हुए बकरियों के कानों पर दाग़ लगाते हुए देखा। **(बुख़ारी-5542, मुस्लिम-2119)**

सफ़ेद कपड़ों का बयान

3566. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूल करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे तमाम कपड़ों से सफ़ेद कपड़े बेहतर हैं उन्हीं को पहनो और उन्हीं में अपनी मय्यितों को कफ़न दो।

3567. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, सफ़ेद कपड़े पहना करो क्यों कि वो निहायत उम्दा (अच्छा) और पाकीज़ा होते हैं। **(तिर्मिज़ी-2810)**

3568. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला की मुलाक़ात के लिये मस्जिदों में और क़ब्रों में तुम्हारे लिये सबसे बेहतर सफ़ेद लिबास है।

तकब्बुर की वजह से कपड़े लटकाना

3569. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ग़ुरूर के साथ कपड़ा लटकाकर चलेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला उसकी तरफ़ (रहमत की) नज़र नहीं फ़र्मायेगा। **(मुस्लिम-2085)**

3570. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाकर चलेगा, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ न देखेगा। हज़रत अतिया जो इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि मेरी मुलाक़ात मक़ामे बलात में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से हुई। मैंने आपसे अबू सईद (रज़ि.) की ये हदीस बयान की उन्होंने अपने कानों पर हाथ रखकर इशारे से फ़र्माया कि मेरे कानों ने भी इस हदीस को सुना है और मेरे दिल ने इसको महफ़ूज़ किया है। **(मुस्नद अहमद)**

3571. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ एक क़ुरैशी लड़का अपना तहबंद घसीटता हुआ उनके सामने से निकला। आपने उससे कहा, भतीजे सुनो! मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स फ़ख़्र और तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाकर चलेगा क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ़ नहीं देखेगा। **(मुस्नद अहमद)**

पाजामा कहाँ तक होना चाहिये

3572. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने मेरी पिण्डली का नीचे का पट्ठा पकड़कर फ़र्माया कि पाजामा यहाँ तक होना चाहिये और अगर इतना भी न हो सके तो उससे नीचे रखो। अगर इतना भी न कर सको तो टख़्ने तक रखो। **(तिर्मिज़ी-1783)**

3573. हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यअ़क़ूब जुहनी हर्क़ी (रह.) रिवायत बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि आपने आँहज़रत (ﷺ) से तहबंद (या पाजामा के) बारे में सुना है? उन्होंने कहा, हाँ ,सुना है! आप फ़र्माया करते कि मोमिन की इज़ार टख़्नों से ऊँची हुआ करती है। अगर टख़्नों तक हो तब भी उस पर कोई गुनाह नहीं और अगर टख़्नों से नीची होगी तो उतनी दोज़ख़ में होगी (आपने ये तीन मर्तबा फ़र्माया) और फ़र्माया, क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला उस शख़्स की तरफ़ न देखेगा जो शख़्स तकब्बुर से अपना तहबंद लटकाये। **(अबू दाऊद-4093)**

3574. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शौबा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ सुफ़ियान इब्ने सह्ल के लड़के! अपने तहबंद को टख़्नों से नीचे न रखा करो। अल्लाह तआला ऐसे शख़्स को दोस्त नहीं रखता है। **(नसाई फिल्कुब्रा-9704)**

क़मीस पहनने का बयान

3575. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को क़मीस (कुर्ते) से ज़्यादा कोई कपड़ा पसंद न था। **(अबू दाऊद-4025)**

क़मीस कितनी लम्बी होनी चाहिये

3576. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, (जाइज़ हद से ज़्यादा) लटकाना तहबंद में भी होता है, क़मीस में भी और अ़मामा में भी। जो शख़्स इन तीनों को तकब्बुर से लटकायेगा क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला उसको नहीं देखेगा। (इमाम इब्ने माजह के उस्ताद) हज़रत अबू बक्र इब्ने शैबा (रह.) कहते हैं, देखो ये हदीस कितनी ग़रीब है। **(अबू दाऊद-4094)**

क़मीस की आस्तीन कितनी लम्बी होनी चाहिये

3577. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) का कुर्ता तो तवील होता और आपकी आस्तीनें छोटी होतीं। **(इब्ने सअ़द, तिर्मिज़ी- 1765)**

क़मीस के बटन खुले रखना

3578. हज़रत क़ुर्रह बिन अयास मुज़नी (रज़ि.) का बयान है, मैं जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे बैअ़त की तो उस वक़्त आपकी क़मीस का बटन खुला हुआ था। हज़रत उ़र्वा बिन अ़ब्दुल्लाह (इस हदीस के रावी) फ़र्माते हैं, मैंने हज़रत क़ुर्रह बिन अयास मुज़नी के बेटे मुआ़विया (रह.) और उनके बेटे को सर्दियों और गर्मियों में जब भी देखा, उनके बटन खुले हुए देखे।

पाजामा पहनने का बयान

3579. हज़रत सुवैद इब्ने क़ैस (रज़ि.) कहते हैं, (एक रोज़) नबी अनवर (ﷺ) ने हमारे पास तशरीफ़ लाकर पाजामे का सौदा किया।

औरतों का दामन कितना लम्बा होना चाहिये

3580. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) कहतीं हैं, किसी ने आँहज़रत (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि औरत का दामन कितना लम्बा होना चाहिये? आपने फ़र्माया (घुटने से) एक बालिश्त नीचा। मैंने अर्ज़ किया, इतने से तो पांव खलने का अंदेशा है आपने फ़र्माया, एक हाथ रख ले उससे ज़ायद रखने की इजाज़त नहीं। **(अबू दाऊद-4118)**

3581. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) की अज़वाजे मुतह्हरात को दामन एक हाथ नीचा रखने की इजाज़त थी। जब वो हमारे पास तशरीफ़ लातीं तो हम एक हाथ से नाप कर रखते थे। **(अबू दाऊद-4119)**

3582. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से या हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) से फ़र्माया था कि तुम्हारा दामन एक हाथ होना चाहिये। **(मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़)**

3583. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, औरतों के दामन के बारे में आँहज़रत (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि एक बालिश्त लटका रहे। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस सूरत में तो उनकी पिण्डलियाँ खुली रह जायेंगी आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, एक हाथ सही।

काले अमामे का बयान

3584. हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) से रिवायत है कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) को मिम्बर पर स्याह (काला) अमामा बांधे हुए ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्माते हुए देखा था।

3585. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, मक्का में दाख़िल होने के दिन हुज़ूर (ﷺ) स्याह अमामा बांधे हुए थे।

3586. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, जब फ़तहे मक्का के दिन हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) (मक्का शरीफ़) में दाख़िल हुए तो उस रोज़ आप स्याह अमामा बांधे हुए थे।

अमामे का शम्ला दोनों कंधों के दरम्यान पीठ पर होना चाहिये

3587. हज़रत अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) कहते हैं, गोया मैं नबी करीम (ﷺ) को देख रहा हूँ जबकि आपके सर पर स्याह अमामा है और आपने उसके दोनों सिरे अपने कंधों के दरम्यान निकाले हुए हैं।

रेशमी कपड़े पहनने की मुमानिअत का बयान

3588. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने दुनिया में रेशमी कपड़े पहने उसको आख़िरत में नहीं मिलेंगे। **(मुस्लिम-2073)**

3589. हज़रत बराअ (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने रेशमी कपड़े से, आम रेशम से और मोटे रेशम से मना फ़र्माया है।

3590. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने रेशम और सोना पहनने से मना फ़र्माया और इर्शाद फ़र्माया कि दुनिया में ये दोनों काफ़िरों के लिये हैं और आख़िरत में मोमिनीन के लिये।

3591. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं (एक मर्तबा) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रेशमी कपड़े का जोड़ा (बाज़ार में) फ़रोख़्त होता देखा। हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप इस जोड़े को जुम्आ की नमाज़ और बाहर के वुफ़ूद के इस्तक़बाल के लिये ख़रीद लें तो निहायत मुनासिब होगा। आपने फ़र्माया, ये जोड़ा वो शख़्स पहनेगा जिसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं। **(मुस्लिम-2028)**

किस शख़्स को रेशम पहनने की इजाज़त है

3592. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम (रज़ि.) और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) को खुजली की तक्लीफ़ की वजह से रेशम पहनने की इजाज़त दी।
(बुख़ारी-2919, मुस्लिम-2076)

अगर रेशम की गोट हो लगी तो इजाज़त है

3593. हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) बारीक और मोटे रेशम (के कपड़े) पहनने से मना फ़र्माया करते थे और एक दो तीन और चार उंगलियों से इशारा करके फ़र्माते कि इतना जायज़ है। इसके अलावा हुज़ूर (ﷺ) ने हमको रेशम के इस्तेमाल से मना फ़र्माया है।

3594. हज़रत अबू उमर अब्दुल्लाह बिन कैसान तमीमी (रह.) जो हज़रत अस्मा (रज़ि.) के आज़ादशुदा ग़ुलाम थे, बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर को देखा कि आपने रेशमी अमामा ख़रीदा, जिसके किनारे-किनारे रेशम की गोट लगी हुई था। उसके बाद उन्होंने कैंची लेकर उस गोट को कुतर डाला। मैंने आकर हज़रत अस्मा (रज़ि.) से अर्ज़ किया। उन्होंने कहा, तअज्जुब है, अब्दुल्लाह पर! (उन्होंने ये हरकत क्या की)। (फिर अपनी ख़ादिमा को आवाज़ दी) ऐ लड़की! हुज़ूरे अनवर (ﷺ) का जुब्बा मुबारक तो निकालकर ला। वो एक जुब्बा लेकर आई जिसकी आस्तीनों और सामने की कलियों और जैबों पर रेशम की गोट लगी हुई थी।

औरतों को सोना और रेशम पहनने की इजाज़त है

3595. हज़रत अली बिन अबी तालिब (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने दाहिने हाथ में सोना और बायें हाथ में रेशम लेकर फ़र्माया दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं और औरतों के लिये हलाल हैं। **(अबू दाऊद-4057)**

3596. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, कहीं से हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के पास एक कपड़ा बतौरे तोहफ़ा आया, जिसका ताना या बाना रेशम का था। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने वो कपड़ा मुझे इनायत फ़र्माया, मैंने आकर आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इसको क्या करूं? क्या इसको पहन लूँ? आपने फ़र्माया, नहीं इसको फाड़कर तीनों फ़ातिमा की ओढ़नियाँ बना दो। (एक फ़ातिमा बिन्ते असद (रज़ि.) जो हज़रत अली (रज़ि.) की वालिदा थीं, और एक फ़ातिमा बिन्ते अमीर हम्ज़ा (रज़ि.) की और एक फ़ातिमा ज़ौहरा (रज़ि.) की)। **(मुस्नद अहमद)**

3597. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) के एक हाथ में रेशम था और दूसरे हाथ में सोना था। आपने फ़र्माया, ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों के लिये हलाल नहीं और औरतों के लिये हलाल हैं। **(मुस्नद अहमद)**

3598. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, मैंने हज़रत ज़ैनब बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) को धारीदार रेशमी क़मीस पहने देखा है। **(नसाई-2560)**

मर्दों के लिये सुर्ख़ लिबास पहनना जाइज़ है

3599. हज़रत बराअ (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) से ज़्यादा ख़ूबसूरत मैंने किसी को नहीं देखा जबकि आप बालों में कंघी की की हुई होती और सुर्ख़ जोड़ा पहने होते। **(मुस्लिम-2337)**

3600. हज़रत बुरैदा बिन हसीब अस्लमी (रज़ि.) से रिवायत है कि एक रोज़ मैंने देखा कि आँहज़रत (ﷺ) मिम्बर पर ख़ुत्बा इर्शाद फ़र्मा रहे थे। इतने में इमाम हसन (रज़ि.) और इमाम हुसैन (रज़ि.) सुर्ख़ कुर्ते पहने हुए, गिरते पड़ते तशरीफ़ लाये। आँहज़रत (ﷺ) ने उनको देखकर ख़ुत्बा छोड़ा और फ़ौरन मिम्बर से उतरे और उनको गोद में उठा लिया और फ़र्माया, अल्लाह तआला ने सच फ़र्माया है, **इन्नमा अमवालुकुम व अवलादुकुम फ़ितना** (तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिये आज़माइश है)। वाक़ई जब मैंने इन दोनों को देखा तो मुझसे सब्र न हो सका और इन दोनों को मैंने गोद में उठा लिया। उसके बाद हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने ख़ुत्बा शुरू किया। **(अबू दाऊद-1109, तिर्मिज़ी-3774)**

मर्दों के लिये कुसुम से रंगा कपड़ा पहनना मकरूह है

3601. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने मुफ़द्दम पहनने से मना फ़र्माया है। हदीस के रावी यज़ीद इब्ने ज़ियाद (रह.) कहते हैं, मैंने (इब्ने उमर रज़ि. के शागिर्द) हज़रत हसन इब्ने सहल (रह.) से दरयाफ़्त किया मुफ़द्दम क्या चीज़ है ? उन्होंने कहा कि बहुत सुर्ख़ रंग के रंगे हुये कपड़े को मुफ़द्दम कहते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

3602. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, जनाब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझको कुसुम का रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना फ़र्माया है। तुम लोगों के बारे में नहीं कह सकता कि मना फ़र्माया है या नहीं। **(मुस्लिम-480)**

3603. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रह.) अपने दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) के साथ मक़ामे अज़ख़र की घाटी में से हमारा गुज़रना हुआ। इतने में हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं एक बारीक तहबंद बांधे हुए था, जो कुसुम के रंग में रंगा हुआ था। आपने उसको देखकर फ़र्माया, ये क्या है? आपके इस दरयाफ़्त करने से मैं फ़ौरन समझ गया कि हुज़ूर (ﷺ) ने इसको बुरी नज़र से देखा है। लिहाज़ा मैं वहाँ से घर पहुँचा और पहुँचते ही जलते हुऐ चूल्हे की आग में मैंने उसको डाल दिया। वो जल कर राख हो गया। दूसरे दिन मैं फिर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझसे दरयाफ़्त किया तुम्हारी वो चादर कहाँ गई? मैंने तमाम वाक़िया अर्ज़ किया। आपने फ़र्माया, तुमने अपने घर की किसी औरत को दे दिया होता क्योंकि औरतों के लिये तो कुसुम का रंगा कपड़ा पहनना जायज़ है। **(अबू दाऊद-4066)**

मर्दों के लिये ज़र्द रंग कैसा है?

3604. हज़रत क़ैस इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये। हमने आपके ग़ुस्ल के लिये पानी हाज़िर किया तो आपने ग़ुस्ल फ़र्माया। फ़िर मैंने आपकी ख़िदमत में ज़र्द चादर हाज़िर की जो आपने बांध ली यहाँ तक कि उसकी ज़र्दी मुझको आपकी पुश्त मुबारक पर नज़र आई।

हर वो लिबास पहन सकते हैं जिसमें फ़िज़ूलख़र्ची और तकब्बुर न हो

3605. हज़रत अम्र इब्ने शुऐब (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया,

अगर तकब्बुर और फ़िज़ूलख़र्ची न हो तो मज़े से खाओ-पीओ, सदक़ा करो और पहनो। **(नसाई-2560)**

शोहरत व नामवरी के लिये कपड़े पहनना

3606. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुनिया में शौहरत और दिखलाने के लिये कपड़े पहनेगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह तआ़ला उसको ज़िल्लत के कपड़े पहनायेगा। **(अबू दाऊद-4029)**

3607. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुनिया में शौहरत का लिबास पहनेगा, क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको ज़िल्लत के कपड़े पहनाकर आग लगा देगा।

3608. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दुनिया में शौहरत का लिबास पहनेगा, क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला उसको ज़िल्लत का लिबास पहनाकर जहाँ चाहे रखेगा (यानी दोज़ख़ में)।

मरे हुए जानवर की रंगी हुई खाल पहनना

3609. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब खाल पका ली जाये तो वो पाक हो जाती है। **(मुस्लिम-366)**

3610. हज़रत मैमूना (रज़ि.) का बयान है कि उनकी एक आज़ादशुदा बान्दी की बकरी मर गई। वो मरी हुई पड़ी थी कि उधर से हुज़ूरे अनवर (ﷺ) का गुज़र हुआ। आपने उस बकरी को देखकर फ़र्माया, इसकी खाल क्यों न अलग करके काम में ली गई? लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये मुरदार है। आपने फ़र्माया, मुरदार खाना हराम है उसकी खाल वग़ैरह से फ़ायदा उठाना मना नहीं है। **(मुस्लिम-363)**

3611. हज़रत सलमान (रज़ि.) कहते हैं, हज़राते उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.) में से किसी की बकरी मर गई (वो मरी हुई पड़ी हुई थी कि उधर से) हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) का गुज़र हुआ। आपने उसको देखकर फ़र्माया कि अगर इस बकरी के मालिक इसकी खाल से फ़ायदा उठाते तो कोई नुक़्सान उनको न पहुँचता।

3612. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर मुर्दार की खाल पका ली जाये तो उसकी खाल से फ़ायदा उठाना जाइज़ है। **(अबू दाऊद-4124)**

उन लोगों की दलील जो मुर्दार की खाल और पुट्ठे से फ़ायदा उठाने से मना करते हैं

3613. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उकैम (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) की तहरीर हमारे पास पहुँची थी कि मुर्दार की खाल और पुट्ठे से फ़ायदा न उठाया जाये। **(अबू दाऊद-4127, तिर्मिज़ी-1729)**

हुज़ूर (ﷺ) के नअलैन मुबारक

3614. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) की नअ़लैन मुबारक (जूते मुबारक) के आगे के तस्मे दोहरे हुआ करते (यानी आप चप्पल) इस्तेमाल फ़र्माया करते थे। **(इब्ने अबी शैबा)**

3615. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) की नअलैन मुबारक के आगे के तस्मे दोहरे थे। **(बुख़ारी-5857)**

जूते पहनने और उतारने का बयान

3616. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जब कोई शख़्स जूता पहने तो पहले दाहिना पांव डाले और जब उतारे तो पहले बाँया पांव निकाले। **(मुस्लिम-2097)**

एक पाँव में जूता पहनकर चलने का बयान

3617. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से किसी शख़्स को एक जूता पहन कर या एक मोज़ा पहन कर न चलना चाहिये। या तो दोनों को पहन ले या दोनों को उतार दे।

खड़े होकर जूता पहनना

3618. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फ़र्माया है।

3619. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने खड़े होकर जूता पहनने से मना फ़र्माया है। **(तिर्मिज़ी-1776)**

काले मोज़े पहनना कैसा है?

3620. हज़रत बुरैदा बिन हसीब (रज़ि.) कहते हैं, बादशाहे हब्श नज्जाशी ने आँहज़रत (ﷺ) के लिये दो स्याह रंग के मोज़े रवाना किये थे, आपने दोनों का इस्तेमाल फ़र्माया था।

मेहन्दी का ख़िज़ाब करना कैसा है?

3621. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद और नसारा बालों को नहीं रंगते लिहाज़ा तुम लोग उनकी मुख़ालफ़त किया करो। **(बुख़ारी-5899, मुस्लिम-2103)**

3622. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे लिये बुढ़ापे का रंग बदलने के लिये मेहन्दी और वस्मा बहुत उम्दा चीज़ है। **(अबू दाऊद-4205)**

3623. हज़रत उस्मान इब्ने मौहिब (रह.) कहते हैं, मैं एक रोज़ हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) की ख़िदमत में गया, उन्होंने मुझको आँहज़रत का बाल मुबारक निकाल कर दिखलाया जो मेहन्दी और वस्मा से रंगे हुए मालूम होते थे। **(बुख़ारी-5897)**

काले रंग का ख़िज़ाब करने की कैफ़ियत

3624. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, फ़तहे मक्का के रोज़ हज़रत अबू क़हाफ़ा (हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ि. के वालिद को) हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर किया गया तो उनके तमाम बाल फूंस की तरह सफ़ेद थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इनके घर की औरतों से कहो कि वो (मेहंदी वग़ैरह से) इनके बालों का रंग तब्दील कर दें और इन्हें काले

रंग के ख़िज़ाब से बचाना। **(मुस्नद अहमद)**

3625. हज़रत सुहैब रूमी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, इसमें शक नहीं कि स्याह ख़िज़ाब निहायत अच्छा है क्योंकि इसमें तुम्हारी तरफ़ औरतों को रग़बत और जिहाद में काफ़िरों को हैबत होती है (और ज़ाहिर में तुम जवान मालूम होते हो)।

__नोट :__ इस हदीस (3625) में काले रंग का ख़िज़ाब लगाना जाइज़ होने की तरफ़ इशारा है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ़ है। इससे पहले वाली हदीस (3624), जो कि सहीह दर्जे की है, उसमें काले रंग का ख़िज़ाब लगाने की मुमानिअत है। इसलिये ख़ालिस काले रंग का ख़िज़ाब लगाने से परहेज़ करना चाहिये।

ज़र्द रंग का ख़िज़ाब करने का बयान

3626. हज़रत उबैद बिन जरीह (रह.) का बयान है, उन्होंने अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से एक दिन कहा कि ये क्या बात है कि तुम अपनी दाढ़ी ज़र्द कर लिया करते हो? उन्होंने फ़र्माया, मैं विर्स घास से अपनी दाढ़ी इसलिये ज़र्द करता हूँ कि मैंने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) को ज़र्द करते देखा है। **(बुख़ारी-166, मुस्लिम-1187)**

3627. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) का गुज़र एक ऐसे शख़्स के क़रीब से हुआ जिसको आपने मेहन्दी का ख़िज़ाब लगाये हुए देखा। आपने फ़र्माया, क्या अच्छा रंग है। फिर आपका गुज़र एक शख़्स के पास से हुआ जिसको मेहन्दी और वस्मा दोनों लगे हुए थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसका पहले से भी अच्छा है। फिर हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र एक और शख़्स के पास से हुआ तो उसके ज़र्द रंग का ख़िज़ाब था। आपने उसको देखकर फ़र्माया, ये उन सबसे अच्छा है और हज़रत ताऊस (हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. के शागिर्द ज़र्द रंग का ख़िज़ाब इस्तेमाल फ़र्माया करते)। **(अबू दाऊद-4211)**

ख़िज़ाब तर्क करना (जाइज़ है)

3628. हज़रत अबू जुहैफ़ा वुहैब बिन अब्दुल्लाह सवाई (रज़ि.) का बयान है कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) की ठोढ़ी पर होंट के नीचे और ठोढ़ी के ऊपर जो थोड़े से बाल होते हैं वो सफ़ेद देखे थे। **(बुख़ारी-3545, मुस्लिम-2342)**

3629. हज़रत हुमैद (रह.) कहते हैं, हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) से किसी ने दरयाफ़्त किया कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ख़िज़ाब का इस्तेमाल फ़र्माया करते थे? उन्होंने कहा कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की बाल मुबारक पर सिर्फ़ सत्रह या बीस बाल सफ़ेद थे (इतनी सफ़ेदी ही नहीं थी कि ख़िज़ाब की ज़रूरत हुई)। **(मुस्नद अहमद)**

3630. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) का बुढ़ापा सिर्फ़ बीस बालों की सफ़ेदी का था। **(तिर्मिज़ी-40)**

लम्बे बाल रखना और चोटियाँ बनाना

3631. हज़रत मुजाहिद (रह.) कहते हैं, हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) ने बयान किया कि जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल हुए तो आपके बालों की तीन लड़ें थीं। **(अबू दाऊद-4191)**

3632. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, अहले किताब तो बाल अपनी पेशानी पर लटकाया करते थे और

मुश्रिकीन अपनी मांग पेशानी पर निकाला करते थे। आँहज़रत (ﷺ) को जब तक सरीह हुक्म न मिला उस वक़्त तक अहले किताब की मुवाफ़िक़त को अच्छा ख़्याल करते। इस लिहाज़ से हुज़ूर (ﷺ) ने भी इब्तिदा में अपनी पेशानी पर बाल रखना शुरू किये लेकिन उसके बाद मांग निकालना शुरू कर दी। **(बुख़ारी-5905, मुस्लिम-2336)**

3633. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, मैं हुज़ूर (ﷺ) के तालू के पीछे मांग निकाला करती थी और सामने के बाल वैसे ही छोड़ दिया करती थी। **(अबू दाऊद-4189)**

3634. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) के बाल न बिल्कुल सीधे थे (न ज़्यादा घूँघराले) दोनों कानों और मूण्ढों के बीच में रहते थे। **(बुख़ारी-5905, मुस्लिम-2338)**

3635. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) के बाल मूण्ढों से ऊँचे और कानों से नीचे थे। **(अबू दाऊद-4187)**

ज़्यादा लम्बे बाल रखना मकरूह है

3636. हज़रत वाइल इब्ने हुज्र (रज़ि.) का बयान है कि मेरे बाल कंधों से नीचे थे। एक रोज़ मुझको हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने देखा और फ़र्माया, नामुबारक! नामुबारक। मैं ये सुनकर चला गया और अपने बालों को कम करा दिया। फिर जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने फ़र्माया मैंने तुमको नहीं कहा था, लेकिन इतने बाल रखना पहले से अच्छा है। **(अबू दाऊद-4190)**

क़ज़अ की मुमानिअत का बयान

3637. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़र्माया है। किसी शख़्स ने कहा क़ज़अ क्या चीज़ है? इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, क़ज़अ उसको कहते हैं कि बच्चे के कुछ बाल मुण्डवा दिये जायें और कुछ छोड़ दिये जायें। **(बुख़ारी-5920, मुस्लिम-2120)**

3638. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़र्माया है। **(बुख़ारी-5921)**

अंगूठी का नक़्श

3639. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनाकर उस पर **मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह** खुदावाया और फ़र्माया कि इस तरह कोई और न खुदवाये। **(मुस्लिम-2091)**

3640. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है कि ज आप (ﷺ) ने अंगूठी तैयार करा ली तो आपने सहाबा (रज़ि.) से फ़र्माया कि हम ने एक अंगूठी तैयार करा ली है अब इस तरह की कोई तैयार न कराये। **(मुस्लिम-2092)**

3641. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक चाँदी की अंगूठी बनवाई थी जिस पर हब्शी अक़ीक़ का नग था उस पर **मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह** खुदवाया हुआ था। **(बुख़ारी-5868, मुस्लिम-2094)**

सोने कीं अंगूठी की मुमानिअत

3642. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना किया है।

3643. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना किया है।

3644. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, बादशाहे हब्श नज्जाशी ने आपको एक सोने की अंगूठी हदिये के तौर पर भेजी उसमें हब्शी नगीना जड़ा हुआ था। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने उसमें दिलचस्पी न लेते हुए उसको अपनी छड़ी से छुआ और उसको अपनी नवासी उमामा बिन्ते अबुल आस (रज़ि.) को बुलाकर फ़र्माया, बेटी! ये ज़ेवर पहन लो। **(अबू दाऊद-4235)**

पहनने के वक़्त अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ रखना

3645. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) अपनी अंगूठी का नगीना हथेली की तरफ़ रखते थे। **(मुस्लिम-2091)**

3646. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी पहनी जिसमें हब्शी नग लगा था और वो नग आप अपनी हथेली की तरफ़ रखते थे।

दाहिने हाथ में अंगूठी पहनना

3647. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र बिन अबू तालिब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) दाहिने हाथ में अंगूठी पहना करते थे। **(अबू दाऊद-4226)**

अंगूठे में अंगूठी पहनना

3648. हज़रत अली (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुझको इसमें और इसमें (छोटी अंगुली और अंगूठे) में अंगूठी पहनने से मना फ़र्माया है। **(मुस्लिम-2078)**

घर में तस्वीर लगाना

3649. हज़रत अबू तल्हा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस घर में कुत्ता और तस्वीरें होती हैं, उसमें फ़रिश्ते नहीं आते हैं। **(बुख़ारी-3322, मुस्लिम-2106)**

3650. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिन मकानों में कुत्ता और तस्वीरें होती हैं, उनमें फ़रिश्ते नहीं आते हैं। **(अबू दाऊद-227)**

3651. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हज़रत जिब्राईल (अलै.) ने आँहज़रत से आने का वादा किया। लेकिन उनको आने में कुछ देर हुई तो हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) बाहर तशरीफ़ लाये तो आपने जिब्राईल (अलै.) को दरवाज़े पर खड़ा पाया। फ़र्माया, अंदर क्यों न आये? उन्होंने अर्ज़ किया, मकान के अंदर कुत्ता था और जिस मकान में कुत्ता होता है, हम उस मकान में नहीं जाते हैं और उस मकान में भी नहीं जाते जिसमें तस्वीर हो। **(मुस्नद अहमद)**

3652. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ एक औरत हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत

में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा शौहर फ़लाँ जिहाद में गया है अगर आप इजाज़त दें तो एक खजूर के दरख़्त की तस्वीर बना लू। आपने उसको तस्वीर बनाने से मना फ़र्मा दिया।

पाँवों के नीचे आने वाले कपड़े में तस्वीरें हो तो क्या हुक्म है?

3653. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मैंने एक रोशनदान पर तस्वीर वाला पर्दा लटका दिया था। जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) एक जिहाद से तशरीफ़ लाये तो आपने उस पर्दे को अलग कर दिया। मैंने उसके तकियों के ग़िलाफ़ बना लिये। हुज़ूर उसमें से एक तकिये के साथ सहारा लगाया करते थे। **(बुख़ारी-5954, मुस्लिम-2107)**

सुर्ख़ ज़ीनपोश

3654. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने सोने की अंगूठी और सुर्ख़ रेशमी ज़ीन पोशों से मना फ़र्माया है। **(अबू दाऊद-4051, तिर्मिज़ी-2808)**

चीते की खाल पर सवार होना

3655. हज़रत अबू रैहाना शम्ऊन बिन ज़ैद अज़्दी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) चीतों की खाल पर सवारी करने से मना करते थे। **(अबू दाऊद-4049)**

3656. हज़रत मुआविया (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) चीतों की खाल पर सवारी करने से मना फ़र्माया करते थे। **(अबू दाऊद-4129)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल अदब

अख़्लाक़ और आदाब के मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3657. हज़रत अबू सलामा सुलामी (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं (हर) आदमी को उसकी माँ के साथ अच्छा सुलूक करने की वसियत करता हूँ। ये इर्शाद आपने तीन मर्तबा फ़र्माया और चौथी मर्तबा में फ़र्माया कि इसी तरह वालिद के साथ भी अच्छा सुलूक करने की वसिय्यत करता हूँ। मैं तुमको तुम्हारे क़रीबी रिश्तेदार से भी अच्छा सुलूक करने की वसिय्यत करता हूँ, अगरचे उसकी तरफ़ से तक्लीफ़ का सामना हो। **(मुस्नद अहमद)**

3658. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम किससे नेक सुलूक करें? आपने फ़र्माया, अपनी माँ से। उन्होंने अ़र्ज़ किया, फिर किससे ? आपने फ़र्माया, अपनी माँ से। उन्होंने तीसरी बार फिर अ़र्ज़ किया, फिर किससे? आपने फ़र्माया, अपनी माँ से। उन्होंने चौथी मर्तबा अ़र्ज़ किया, फिर किससे? इस मर्तबा आपने फ़र्माया, अपने बाप से, उसके बाद जो तेरा क़रीबी रिश्तेदार हो, उसके बाद जो और क़रीबी रिश्तेदार हो।

3659. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, बेटा अपने बाप का हक़ अदा नहीं कर सकता मगर सिर्फ़ इस सूरत में (अदा कर सकता है) कि उसे गुलाम पाये तो उसे ख़रीदकर आज़ाद कर दे। **(मुस्लिम- 1510)**

3660. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया कि एक क़िन्तार (जिसका ज़िक्र क़ुर्आन में है) बारह हज़ार औक़िया की होती है और एक औक़िया आसमान और ज़मीन के बीच की चीज़ों से बेहतर होता है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी का दर्जा जन्नत में बुलंद कर दिया जायेगा और वो उसको देखकर कहता है ,ये दर्जा किस तरह बुलंद कर दिया गया ? इर्शाद होता है, तेरी औलाद के तेरे लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करने की वजह से। **(मुस्नद अहमद)**

3661. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी कर्ब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला तुमको माँ के साथ, बाप के साथ और उसके बाद क़रीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म देता है। **(मुस्नद अहमद)**

3662. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स ने रसूले मक़्बूल (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वालिदैन का अपनी औलाद पर क्या हक़ है? आपने फ़र्माया, यही दोनों तेरी जन्नत और दोज़ख़ है।

3663. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, वालिद जन्नत के दरम्यानी का दरवाज़ा

है, तुझको इख़्तियार है कि उसकी हिफ़ाज़त करे या उसको ज़ाए कर दे।

वालदैन के क़राबतदारों से सिलह रहमी का बयान

3664. हज़रत अबू उसैद इब्ने मालिक इब्ने रबीआ (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हम हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि इतने में क़बील-ए-बनू सलमा का एक शख़्स हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद का इंतक़ाल हो गया अब उनके साथ कुछ नेकी करने की सूरत है या नहीं? आपने फ़र्माया, हाँ! उनके लिये दुआ-ए-मग़्फ़िरत करना और जिनके साथ वो सुलूक करते थे उनके साथ सुलूक करना, उनके पैदा किये हुए रिश्ते को जोड़े रखना। **(अबू दाऊद-5142)**

वालदैन का औलाद से भलाई करने का बयान

3665. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ गांव के कुछ लोग नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे अर्ज़ करने लगे कि क्या आप लोग अपने बच्चों को भी प्यार करते हो? लोगों ने कहा, हाँ। तो वो कहने लगे, हम लोग तो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इसका क्या इलाज कर सकता हूँ कि अल्लाह तआला ने तुम्हारे दिल में रहम नहीं पैदा किया है। **(मुस्लिम-2317)**

3666. हज़रत यअला आमिरी (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन (रज़ि.) नबी अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए आपने उन दोनों को गोद में लेकर फ़र्माया कि बच्चा इंसान को बख़ील और बुजदिल कर देता है। **(मुस्नद अहमद)**

3667. हज़रत सुराक़ा इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुझको निहायत बेहतर सदक़ा बतलाता हूँ वो ये कि तेरी बेटी जो (बेवा या तलाक़ होकर) तेरे पास वापस आ गई है उस पर सदक़ा कर (क्योंकि अब तेरे सिवा उसका कोई कमाने वाला नहीं)। **(मुस्नद अहमद)**

3668. हज़रत अहनफ़ बिन क़ैस बिन मुआविया (रज़ि.) के चाचा का बयान है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ एक औरत अपनी दो बेटियों को लिये हुए आई। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने उसको तीन खजूरें दीं। उस औरत ने एक-एक खजूर अपनी दोनों लड़कियों को दे दी और बाक़ी एक को आधी-आधी करके वो भी उन दोनों को तक़्सीम कर दी। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने ये वाक़िया हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम इस काम पर तअज्जुब क्या करती हो? वो औरत इसी काम से जन्नती हो गई। **(मुस्लिम-2630)**

3669. हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि जिस शख़्स की तीन बेटियाँ हों और वो उनके वजूद पर सब्र करके उनको खिलाये-पिलाये और अपनी ताक़त के मुवाफ़िक़ उनको कपड़ा पहनाये तो क़यामत के रोज़ तीनों दोज़ख़ से उसके लिये आड़ बन जायेगी। **(मुस्नद अहमद)**

3670. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स की दो बेटियाँ हों और वो उस वक़्त तक उनके साथ अच्छा सुलूक करता है, जब तक वो उसके साथ रहें या वो उनके साथ रहे तो वो जन्नत में उसको ले जायेंगी। **(इब्ने हिब्बान-2043, मुस्नद अहमद)**

3671. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी औलाद के

साथ एहसान करो और उनकी अच्छी तालीम व तर्बियत करो।

पड़ौसी का हक़

3672. हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) फ़र्माया करते थे, जो शख़्स अल्लाह और आख़िरत पर ईमान रखता हो उसको चाहिये कि अपने पड़ौसी के साथ नेक सुलूक करे और जो शख़्स अल्लाह और क़यामत को बरहक़ समझता हो उसको अपने मेहमान की इज़्ज़त और तौक़ीर करना चाहिये। जो शख़्स अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाया हो उसको चाहिये कि जब बात करे तो अच्छी करे वरना ख़ामोश हो जाना चाहिये। **(मुस्लिम-48)**

3673. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत जिब्रईल (अलैहि.) हमेशा से मुझको पड़ौसी से अच्छा सुलूक करने की वसिय्यत करते चले आये, उनकी इतनी कोशिश से मुझको ये ख़ौफ़ हो गया कि कहीं उसको वारिस न बना दें। **(बुख़ारी-6014, मुस्लिम-2624)**

3674. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माया करते , जिब्रईल (अलैहि.) मुझको हमेशा पड़ौसी के साथ हुस्ने सुलूक करने की वसिय्यत करते रहे यहाँ तक कि मुझको ये ख़ौफ़ हो गया कि कहीं उसको वारिस न बना दें। **(मुस्नद अहमद)**

मेहमान का हक़

3675. हज़रत अबू शुरैह ख़ुज़ाई (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला और क़यामत पर ईमान रखता हो उसको अपने मेहमान की ख़ातिरदारी करना चाहिये और मेहमानदारी का क़ायदा एक दिन और एक रात का है। मेहमान के लिये ये जायज़ नहीं कि अपने मेज़बान के यहाँ इतने अर्से तक रहे जिससे उसको तक्लीफ़ पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा (सुन्नत तरीक़ा तीन दिन की मेहमानी का है) उसके बाद जो कुछ मेहमान पर सर्फ़ किया जायेगा वो सदक़ा होगा।

3676. हज़रत उक़्बा इब्ने आमिर (रज़ि.) कहते हैं, हमने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप हम लोगों को किसी क़ौम के पास रवाना करते हैं, लेकिन वो लोग हमारी मेहमानदारी बिल्कुल नहीं करते। इस सूरत में आपका हमारे बारे में क्या हुक्म है? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम किसी क़ौम के पास जाओ और वो लोग मेहमानदारी की चीज़ें तुमको दे दें तो ले लो और अगर न दें तो अपनी मेहमानदारी का हक़ उनसे वसूल कर लो। **(बुख़ारी-2461)**

3677. हज़रत अबू करीमा मिक़्दार बिन मअदी क़रब(रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर किसी शख़्स के यहाँ मेहमान शाम के वक़्त आये तो उसके लिये लाज़मी है कि उसकी मेहमानदारी करे अगर उसने न की और वो मेहमान तमाम रात उसके रहा तो उसको उससे अपनी मेहमानदारी के वसूल करने का हक़ हासिल होगा। **(अबू दाऊद-3750)**

यतीम का हक़

3678. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! मैं दो ज़ईफ़ों का हक़ हराम करता हूँ एक यतीम का और दूसरा औरत का। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-9149)**

3679. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमानों के घरों में वो घर बेहतर है जिसमें यतीम परवरिश पाता हो और उसके साथ नेकी की जाती हो और सबसे बदतर वो घर है जिस घर में यतीम के साथ अच्छा सुलूक न किया जाता हो।

3680. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो तीन यतीमों की परवरिश करेगा उसको ऐसा सवाब मिलेगा कि गोया उसने रात भर नमाज़ पढ़ी, दिन भर रोज़ा रखा और सुबह व शाम तलवार लेकर अल्लाह की राह में जिहाद किया। फिर शहादत और बीच की उंगली को मिलाकर फ़र्माया कि क़यामत के दिन वो और मैं इस तरह साथ होंगे।

रास्ते से तक्लीफ़देह चीज़ को हटाना

3681. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई ऐसा अमल बतला दीजिये जिससे कुछ फ़ायदा हासिल हो। आपने फ़र्माया, रास्ते से तक्लीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ों को दूर कर दिया करो। **(मुस्लिम-2618)**

3682. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ रसूले मक़्बूल (ﷺ) फ़र्माने लगे कि रास्ते में एक दरख़्त ऐसा था जिसकी शाख़ें लोगों को तक्लीफ़ पहुँचाया करती। एक शख़्स ने उनको दूर कर दिया इस अमल से वो शख़्स जन्नत में दाख़िल हो गया। **(मुस्नद अहमद)**

3683. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के अमल एक दिन मेरे सामने पेश किये गये। मैंने उनमें अच्छे अमल भी देखे और अच्छों में एक अमल ये भी था कि रास्ते में से तक्लीफ़ पहुँचाने वाली चीज़ को दूर कर देना और बुरे आमाल में से एक ये था कि मस्जिद में नाक साफ़ करे या थूके लेकिन उसको मिट्टी में दफ़न न करे। **(मुस्नद अहमद)**

पानी के सदक़े की फ़ज़ीलत

3684. हज़रत सअद इब्ने उबादा (रज़ि.) का बयान है, मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा सदक़ा बेहतर है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पानी पिलाना। **(अबू दाऊद-1679)**

3685. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ लोगों की सफ़बंदी होगी। और इब्ने नुमैर की रिवायत में है कि जन्नत वालों की सफ़ बंदी होगी और एक दोज़ख़ी शख़्स का उधर से गुज़रना होगा ये उन लोगों में से एक शख़्स को (पहचान कर) उससे कहेगा, तुझको याद है या नहीं कि मैंने तुझको एक बार ज़रूरत के वक़्त एक घूंट पानी पिलाया था? वो कहेगा, हाँ तू सच्चा है। फिर वो शख़्स उसकी शफ़ाअत करेगा। उसके बाद एक दोज़ख़ी शख़्स का उधर से गुज़रना होगा वो भी उनमें से एक शख़्स को (पहचानकर) उससे कहेगा कि तुझको याद है या नहीं कि मैंने तुझको वुज़ू के लिये पानी दिया था? वो कहेगा, हाँ याद है। फिर उसके लिये शफ़ाअत करेगा। इब्ने नुमैर कहते हैं, एक शख़्स कहेगा, ऐ फ़लाँ तुझको ये याद नहीं कि तूने मुझको फ़लाँ ज़रूरत के लिये रवाना किया था और मैंने उसको पूरा किया था वो कहेगा, हाँ याद है। फिर वो उस शख़्स की शफ़ाअत करेगा।

3686. हज़रत सुराक़ा इब्ने जअ़सम (रज़ि.) का बयान है कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने ऊँटों का पानी पिलाने के लिये हौज़ तैयार रखता हूँ उसमें और लोगों के ऊँट भी पानी पिया करते हैं तो क्या

उस पानी पिलाने में मुझको भी कुछ सवाब मिलेगा। आपने फ़र्माया, हाँ! हरारत महसूस करने और जिगर रखने वाले हर जानवर (को पानी पिलाने) में सवाब है। **(मुस्नद अहमद)**

नर्मी करने का बयान

3687. हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह बजली (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स नर्मी से महरूम है वो तमाम भलाइयों से महरूम है। **(मुस्लिम-2592)**

3688. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला नर्मी करने वाला है, नर्मी को पसन्द करता है और नर्मी पर वो कुछ अता फ़र्माता है जो सख़्ती पर अता नहीं फ़र्माता। **(इब्ने हिब्बान-1914)**

3689. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला मेहरबान है। मेहरबानी और नर्मी को हर हाल में पसंद फ़र्माता है।

लौण्डी गुलामों के साथ एहसान करने वाला

3690. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, लौण्डी गुलाम तुम्हारे भाई हैं लेकिन अल्लाह तआला ने इनको तुम्हारे हाथ के नीचे कर दिया। लिहाज़ा तुमको चाहिये कि जो तुम खाओ, उनको भी खिलाओ और जो तुम पहनो, वही उनको भी पहनाओ। उनके ज़िम्मे ऐसा काम सुपुर्द न करो जो उनकी ताक़त से बाहर हो और अगर ऐसा भी इत्तिफ़ाक़ हो भी जाये कि वो कोई काम न कर सकें तो उस काम में उनके साथ ख़ुद भी शरीक हो जाओ।
(बुख़ारी-6050, मुस्लिम-1661)

3691. हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बद अख़्लाक़ शख़्स जन्नत में नहीं जायेगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपने हम से नहीं फ़र्माया था कि इस उम्मत में गुलाम और यतीम दूसरी क़ौमों से ज़्यादा होंगे। आपने फ़र्माया, हाँ (होंगे), लिहाज़ा उनसे उसी तरह इज़्ज़त का रवैया रखो जिस तरह अपनी औलाद से इज़्ज़त का रवैया रखते हो और उन्हें वही खिलाओ जो ख़ुद खाते हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, दुनिया में क्या चीज़ हमें फ़ायदा दे सकती है? आपने फ़र्माया, वो घोड़ा जिसे तू अल्लाह की राह में जंग करने के लिये बाँध रखे, तेरा गुलाम जो तेरे काम आये। अगर वो नमाज़ी हो तो वो तेरा (मुसलमान) भाई है। (लिहाज़ा उसका ख़्याल रखना ज़रूरी है)। **(तिर्मिज़ी-1946)**

सलाम को आम करने का हुक्म

3692. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है। जब तक तुम ईमान न लाओगे उस वक़्त तक जन्नत में न जाओगे और ईमानवाले उसी वक़्त होगे कि जब आपस में एक-दूसरे से मुहब्बत करोगे। देखो! मैं तुमको ऐसा अमल बतलाता हूँ कि जब तुम उसको करोगे तो आपस में मुहब्बत रखने लगोगे। वो ये है कि आपस में सलाम को आम करो।

3693. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने हमको सलाम को आम करने का हुक्म दिया। **(तब्रानी-7525)**

3694. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला की इबादत करो और सलाम को आम करो। **(तिर्मिज़ी-1855)**

सलाम का जवाब देना

3695. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) मस्जिद के एक कोने में तशरीफ़ फ़र्मा थे, एक शख़्स आया और उसने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़कर आप के पास हाज़िर हुआ आपको सलाम किया। आपने उसको सलाम का जवाब इस तरह दिया, **वअलयकस्सलाम** (तुझ पर भी सलामती हो)।

3696. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, आइशा! जिब्रईल (अलैहि.) तुमको सलाम कहते हैं। मैंने जवाब में कहा, **वअलैहिस्सलामु व रहमतुल्लाहि** (उन पर भी सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो)। **(बुख़ारी-6253, मुस्लिम-2447)**

ज़िम्मी काफ़िरों के सलाम का जवाब

3697. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब यहूद व नसारा में से कोई शख़्स तुमको सलाम करे तो तुम लोग जवाब में सिर्फ़ **वअलयकुम** (तुम पर भी) कह दो। इससे ज़्यादा कुछ न कहा करो। **(मुस्लिम-2163)**

3698. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ रसूले अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में कुछ यहूदी हाज़िर हुए उन्होंने आपको सलाम किया, आपने उनको जवाब में सिर्फ़ **वअलयकुम** फ़र्मा दिया। **(मुस्लिम-2165)**

3699. हज़रत अबी अब्दुर्रहमान जुहनी (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ रसूले अक़्दस (ﷺ) फ़र्माने लगे कि कल मैं यहूद के पास जाऊंगा। तुम लोग पहले उनको सलाम न करना बल्कि जब वो तुमको सलाम करें तो तुम लोग सिर्फ़ उनके जवाब में **वअलयकुम** कह देना। **(मुस्नद अहमद)**

बच्चों और औरतों को सलाम करने का बयान

3700. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, जब मैं बच्चा था तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये और मुझसे मुख़ातिब होकर आपने सलाम किया। **(बुख़ारी-6247)**

3701. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) का हम औरतों के पास से गुज़र हुआ। हुज़ूर (ﷺ) ने हमें सलाम किया। **(अबू दाऊद-6247)**

मुसाफ़ा करने का बयान

3702. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हमने रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम मुलाक़ात के वक़्त एक-दूसरे से झुक कर मिलें? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं। हमने अर्ज़ किया, अच्छा मुआनक़ा करें (गले मिलें)? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! मुसाफ़ा कर लिया करो। **(तिर्मिज़ी-2728)**

3703. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब भी दो मुसलमान

मिलते वक़्त मुसाफ़ा करते हैं तो उनके गुनाह अलग होने से पहले माफ़ कर दिये जाते हैं। (अबू दाऊद-5212)

एक आदमी का दूसरे आदमी के हाथ को बोसा देने का बयान

3704. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हमने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के हाथ को बोसा दिया। **(अबू दाऊद-2647)**

3705. हज़रत सफ़वान इब्ने अस्साल (रज़ि.) का बयान है कि यहूद की एक क़ौम आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो उसने आपके हाथ और दोनों क़दमों को बोसा दिया। **(तिर्मिज़ी-2733)**

अन्दर जाने से पहले इजाज़त माँगना

3706. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ ये हज़रत उमर (रज़ि.) के यहाँ हाज़िर हुए और तीन मर्तबा अन्दर आने की इजाज़त माँगी। लेकिन अन्दर से कोई आवाज़ नहीं आई। चुनाँचे वो वहाँ से वापस हो चले। उनके पीछे फ़ौरन ही हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक आदमी रवाना किया ताकि आपको वापस बुलाकर लाये। जब आप वापस आये तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम वापस क्यों चले गये थे? तो उन्होंने फ़र्माया हमसे जिस तरह हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया था कि तीन मर्तबा अन्दर जाने की इजाज़त तलब किया करो। अगर मिल जाये तो ठीक, वरना वापस चले जाया करो। यही हम हुज़ूर (ﷺ) के अहदे मुबारक में किया करते थे। हज़रत उमर (रज़ि.) ने ये सुनकर फ़र्माया, तुम्हारी इस हदीस पर कोई और भी गवाह है या नहीं। वरना मैं इस पर तुमको सज़ा दूंगा। हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) ये सुनकर अपनी क़ौम में गये और उनसे ये बयान किया तो उनकी क़ौम ने उनके साथ इस हदीस की गवाही दी। **(मुस्नद अहमद)**

3707. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) का बयान है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमको सलाम का तरीक़ा तो मालूम हो गया है लेकिन इजाज़त माँगने का क्या मतलब है? हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी कोई बात कहे, सुब्हानल्लाह कह दे, अल्लाहु अकबर कह दे, अलहम्दुलिल्लाह कह दे या खाँस दे। (मक़सद ये है कि) घरवालों को मालूम करा दे (कि मैं अन्दर आना चाहता हूँ)। **(तब्रानी फ़िल्कबीर-4065)**

3708. हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होने के मेरे दो अवक़ात थे। एक रात में और एक दिन में। जब मैं ऐसे वक़्त हाज़िर होता कि नबी करीम (ﷺ) नमाज़ पढ़ रहे होते तो आप खाँस देते। (जिसका मतलब ये होता कि मुझे तुम्हारे आने का इल्म हो गया है और तुम अन्दर आ सकते हो)। **(नसाई-1213)**

3709. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के मकान पर गया। मैंने आपसे अंदर आने की इजाज़त तलब की यानी दरवाज़ा खटखटाया। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने अंदर से आवाज़ दी, कौन है? मैंने अर्ज़ किया, मैं हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं मैं क्या बला है नाम लेकर कहो कि फ़लाँ शख़्स हूँ। **(बुख़ारी-6250)**

आदमी का मिज़ाजपुर्सी का बयान

3710. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि मैं एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! सुबह ख़ैरियत से हुई? आपने फ़र्माया, हाँ! ख़ैरियत से हुई। लेकिन ऐसे शख़्स से हुई जिसने न रोज़ा रखा न किसी बीमार की इयादत की। **(अबू यअला-1937)**

3711. हज़रत मालिक इब्ने रबीआ (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) एक रोज़ हज़रत अब्बास (रज़ि.) के यहाँ तशरीफ़ ले गये और फ़र्माया, **अस्सलामु अलैकुम**। उन्होंने जवाब दिया, **व अलैकस्सलामु व रह्मतुल्लाहि व बरकातुहू**। आपने फ़र्माया, तुम्हारी सुबह कैसी हुई? (क्या हाल है?) उन्होंने कहा, ख़ैरियत से हुई, हम अल्लाह तआला का शुक्र करते हैं। आपकी सुबह कैसी हुई? ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! हमारे माँ-बाप आप पर कुर्बान हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी सुबह भी ख़ैरियत से हुई, मैं भी अल्लाह की हम्द करता हूँ। **(तब्रानी-584)**

जब तुम्हारे पास किसी क़ौम का इज़्ज़तदार आदमी आये तो उसकी इज़्ज़्त करो

3712. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम्हारे पास किसी क़ौम का इज़्ज़तदार आदमी आ जाये तो उसकी इज़्ज़त करो। **(हाकिम, बैहक़ी)**

जिसे छींक आये, उसे दुआ देना

3713. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सामने दो शख़्स छींके। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने उनमें से एक को तो जवाब दिया और दूसरे को जवाब नहीं दिया यानी **यरहमुकल्लाह** नहीं फ़र्माया। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके सामने दो शख़्स छींके, आपने उनमें से सिर्फ़ एक को जवाब दिया और दूसरे को नहीं दिया। आपने फ़र्माया, जिसने छींक के बाद **अल्हम्दुलिल्लाह** कहा था उसको मैंने जवाब दे दिया और जिसने **अल्हम्दुलिल्लाह** नहीं कहा उसको जवाब देने की ज़रूरत नहीं।

(बुख़ारी-6221, 6225, मुस्लिम-2991)

3714. हज़रत सलमा बिन अक्वा (रज़ि.) रिवायत करते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, छींकने वाले को तीन छींकों तक (**यरहमुकल्लाह** कह कर) जवाब देना चाहिये उसके बाद कह दे (तू ज़ुकाम वाला है)। **(मुस्लिम-2993)**

3715. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से किसी शख़्स को छींक आये तो **अल्हम्दुलिल्लाह** कहे और जो लोग बैठे हों वो **यरहमुकल्लाह** कहें। फिर छींकने वाला **यहदीकुमुल्लाहु व युसलिहु बालकुम** कहे। **(तिर्मिज़ी-2741)**

हम मज्लिस की इज़्ज़त करना

3716. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जब नबी-ए-अनवर (ﷺ) की किसी से मुलाक़ात होती तो आप उस वक़्त तक उसकी तरफ़ से मुँह न फेरते जब तक वो ख़ुद न फेरता। अगर किसी से मुसाफ़ा फ़र्माते तो जब तक वो ख़ुद न छुड़ाता उस वक़्त तक आप अपना हाथ न छुड़ाते और आपने कभी अपने मुलाक़ाती के सामने पांव नहीं फैलाये।

(तिर्मिज़ी-2490)

मज्लिस से उठकर जाने वाला वापस आकर उसी जगह पर बैठने का ज़्यादा हक़ रखता है

3717. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई शख़्स अपने मुक़ाम से उठकर फिर वापस आये तो उस जगह का वो ख़ुद दूसरे से ज़्यादा हक़दार है। **(सही इब्ने ख़ुज़ैमा-1821)**

मुअज़रत करने का बयान

3718. हज़रत जौदान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपने किसी भाई (की किसी ग़लती पर) उज़्र क़ुबूल न करेगा, उसको वो गुनाह होगा जो एक (नाजाइज़) टैक्स वसूल करने वाले को हुआ करता है। **(अबू दाऊद फ़िल्मरासिल-521)**

मज़ाक़ का बयान

3719. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में आपकी वफ़ात से एक साल पहले (का वाक़िआ है), हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.), हज़रत नोअमान (रज़ि.) और हज़रत सुवैबत (रज़ि.) ने बसरा का सफ़र किया। नोमान (रज़ि.) और सुवैबत (रज़ि.) दोनों साहबी जंगे बद्र में शरीक हो चुके हैं। हज़रत नोअमान रास्ते में खाने-पीने के सामान के ज़िम्मेदार थे। हज़रत सुवैबत (रज़ि.) बहुत मज़ाक़ करने वाले शख़्स थे। वो नोअमान (रज़ि.) से कहने लगे कि मुझको खाना खिलाओ। उन्होंने कहा, हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को आ जाने दो (तो सब साथ खायेंगे)। सुवैबत (रज़ि.) ने ये सुनकर कहा, अच्छा मैं तुमको परेशान करूंगा (तुमने खाना नहीं दिया)। अल्ग़र्ज़ (सफ़र करते हुए) ये लोग एक क़ौम के पास गुज़रे उस क़ौम के आदमियों से सुवैबत (रज़ि.) कहने लगे, तुम मुझसे मेरा एक ग़ुलाम ख़रीदोगे? उन्होंने कहा, हाँ! हमको ज़रूरत तो है। सुवैबत (रज़ि.) कहने लगे, अच्छा तो इतना जान लो कि मेरा ग़ुलाम बहुत बातूनी है, जब तुम लोग उसको ख़रीद लोगे तो बातें मिलाकर अपने आपको आज़ाद ज़ाहिर करेगा। लिहाज़ा अगर तुमने उसकी बातों में आकर उसको छोड़ दिया तो मेरा ग़ुलाम ख़राब हो जायेगा। उन्होंने कहा, हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे और न उसकी कोई बात सुनेंगे। चुनाँचे उन लोगों ने सुवैबत (रज़ि.) से नोअमान (रज़ि.) को दस ऊँटों की ऐवज़ में ख़रीद लिया और उनको बांध कर ले चले। नोमान (रज़ि.) कहने लगे, भाई इस शख़्स ने तुमसे मज़ाक़ किया है। मैं आज़ाद हूँ, ग़ुलाम नहीं। वो कहने लगे कि हम से तुम्हारे आक़ा ने पहले ही सब कुछ बयान कर दिया है। उन लोगों ने उनकी एक न सुनी और उनको लेकर चले गये। जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) को मालूम हुआ तो आप उनके पास गये और दस ऊँट वापस करके उनको वहाँ से ले आये। जब ये लोग मदीना वापस आये तो हुज़ूर (ﷺ) से ये वाक़िया अर्ज़ किया, चुनाँचे नबी करीम (ﷺ) और सहाबा किराम एक साल तक इस वाक़िये को याद करके हँसते रहे। **(तबरानी फ़िल्कबीर-609)**

3720. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) हम लोगों से बेतक़ल्लुफ़ी का इज़्हार फ़र्माया करते थे, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से फ़र्माया करते, ऐ अबू उमैर! तुम्हारा नुग़ैर क्या हुआ? (नुग़ैर एक जानवर था जिससे हज़रत अनस (रज़ि.) के भाई खेला करते थे)। **(बुख़ारी-6129, मुस्लिम-659)**

सफ़ेद बाल उखाड़ना कैसा है?

3721. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने सफ़ेद बाल उखाड़ने से मना फ़र्माया है और इर्शाद फ़र्माया है कि वो मोमिन का नूर है। **(तिर्मिज़ी-2821)**

कुछ साये और कुछ धूप में बैठने का बयान

3722. हज़रत बुरैदा बिन हसीब (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने कुछ धूप और कुछ छाँव में बैठने से मना फ़र्माया है।

मुँह के बल लेटने की मुमानिअत का बयान

3723. हज़रत तिह्फ़ह बिन क़ैस ग़िफ़ारी (रज़ि.) बयान करते हैं कि एक मर्तबा मुझको हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने मस्जिद में मुँह के बल (उल्टा) सोते हुए देखा तो अपने पांव से मुझको बेदार करके फ़र्माया, तू किस तरह सोता है? सोने का ये अन्दाज़ अल्लाह तआला को पसन्द नहीं है।

3724. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा मैं मुँह के बल सो रहा था इतने में हुज़ूर (ﷺ) का गुज़रना हुआ। आपने अपने क़दम मुबारक से ठोकर देकर फ़र्माया, ये दोज़ख़ियों के सोने का अन्दाज़ है।

3725. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी के पास से गुज़रे जो मस्जिद में मुँह के बल सो रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे क़दम मुबारक से ठोकर मारी और फ़र्माया, उठकर बैठ! ये जहन्नमियों के अन्दाज़ की नींद है। **(बुख़ारी-1188)**

इल्मे नुजूम सीखना कैसा है?

3726. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने नुजूम का कुछ हिस्सा हासिल किया (तो समझ लो कि) उसने जादू की एक शाख़ हासिल की अब जितना चाहे उसको हासिल करे।

(अबू दाऊद-3905)

हवा को बुरा कहने की मुमानिअत

3727. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हवा को बुरा न कहो क्योंकि वो अल्लाह की रहमत भी है और अज़ाब भी है। अल्लाह तआला से हवा में जो भलाई हो वो तलब करो और उसकी बुराई से पनाह मांगो। **(अबू दाऊद-5097)**

अल्लाह तआला को कौनसे नाम पसन्द है?

3728. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है ,नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के नज़दीक तमाम नामों से ज़्यादा महबूब या पसंदीदा नाम अब्दुल्लाह या अब्दुर्रहमान है। **(मुस्लिम-2132)**

कौनसे नाम रखना मकरूह है?

3729. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है (एक रोज़) हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) फ़र्माने लगे कि अगर मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह इन नामों को रखने से मना कर दूँगा, **रबाह** (नफ़ा), **नजीम** (कामयाब), **अफ़लह** (कामयाब), **नाफ़ेअ** (नफ़ा देने वाला) और **यसार** (आसानी)। **(तिर्मिज़ी-2835)**

3730. हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, हम को रसूले अक़्दस (ﷺ) ने अपने गुलामों के चार नाम रखने से मना फ़र्माया, अफ़लह, नाफ़ेअ, रबाह, यसार। **(मुस्लिम-2136)**

3731. हज़रत मस्रूक़ बिन अज्दअ (रह.) का बयान है कि एक रोज़ मैं हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िदमत में (मुलाक़ात के लिये गया) आपने फ़र्माया, तुम कौन हो? मैंने कहा, मस्रूक़ इब्ने अजदअ हूँ। आप फ़र्माने

लगे कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना था कि अज्दअ एक शैतान का नाम है। **(अबू दाऊद-4957)**

नाम तब्दील करना

3732. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) का नाम बर्रा (नेक ख़ातून) था। लोगों ने इस पर ऐतराज़ किया कि ये अपनी तारीफ़ आप करती है तो हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने उनका बदलकर ज़ैनब रख दिया। **(बुख़ारी-6192, मुस्लिम-2141)**

3733. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) की एक साहबज़ादी का नाम आसिया (नाफ़र्मान) था तो हुज़ूर अनवर ने (ﷺ) उसको बदलकर उसका नाम जमीला रखा था। **(मुस्लिम-2139)**

3734. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने सलाम (रज़ि.) कहते हैं, जिस वक़्त मैं नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उस वक़्त मेरा नाम अब्दुल्लाह इब्ने सलाम न था बल्कि ये नाम मेरा आँहज़रत (ﷺ) ही ने रखा था। **(मुस्नद अहमद)**

हुज़ूर (ﷺ) का नाम और कुन्नियत दोनों रखना

3735. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न मुक़र्रर करो (यानी अबुल क़ासिम न रखो)। **(बुख़ारी-3539, मुस्लिम-2134)**

3736. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) का इर्शाद है कि मेरे नाम पर नाम तो रखो लेकिन मेरी कुन्नियत पर कुन्नियत न रखो। **(मुस्नद अहमद)**

3737. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) जन्नतुल बक़ीअ में थे, एक शख़्स ने दूसरे को अबुल क़ासिम कहकर पुकारा। हुज़ूर (ﷺ) उस शख़्स की तरफ़ देखने लगे। उस शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने आपको नहीं बुलाया (बल्कि उस दूसरे शख़्स को पुकारा था)। आपने फ़र्माया, मेरे नाम पर नाम तो रख लो लेकिन मेरी कुन्नियत न इख़्तियार करो। **(बुख़ारी-2120, 2121, मुस्लिम-2131)**

औलाद होने से पहले कुन्नियत रखना

3738. हज़रत हम्ज़ा इब्ने सुहैब (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हज़रत उमर (रज़ि.) ने हज़रत सुहैब (रज़ि.) से फ़र्माया, सुहैब! तुम्हारा कोई बच्चा तो है नहीं फिर तुम्हारी कुन्नियत अबू यहया क्यों है? मैंने अर्ज़ किया, मेरी ये कुन्नियत हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने मुक़र्रर की है। **(मुस्नद अहमद)**

3739. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी तमाम बीवियों की कुन्नियत रख दी थी। सिर्फ़ मैं ही बाक़ी रह गई थी तो हुज़ूर (ﷺ) ने मेरी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्लाह मुक़र्रर कर दी थी। **(मुस्नद अहमद)**

3740. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है कि मेरा भाई बच्चा था जब हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो उसको अबू उमैर फ़र्माया करते।

बुरे नाम रखना

3741. हज़रत अबी जुबैर बिन जह्हाक (रह.) कहते हैं, ये आयत हम अन्सारी लोगों के बारे में नाज़िल हुई, **एक**

दूसरे के बुरे नाम न रखो। (सूरह हुजुरात : 11) इसका वाक़िया ये है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) मदीना तशरीफ़ लाये तो उस वक़्त हर एक शख़्स के दो-दो तीन-तीन नाम थे। हुज़ूर (ﷺ) उनमें से किसी का नाम लेकर पुकारते तो लोग कहते, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये शख़्स उससे नाराज़ होता है, तब ये आयत नाज़िल हुई। **(अबू दाऊद-4962)**

ख़ुशामद करने का बयान

3742. हज़रत मिक़्दाद बिन अम्र (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने फ़र्माया, अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने हमें हुक्म दिया कि हम (ख़ुशामद के तौर पर) तारीफ़ करने वालों के चेहरे पर ख़ाक डालें। **(मुस्लिम-3002)**

3743. हज़रत मुआविया (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) फ़र्माया करते थे कि तुम लोग आपस में एक दूसरे की (ख़ुशामद के तौर पर) तारीफ़ न किया करो क्योंकि ये ज़िब्ह करना है। **(मुस्नद अहमद)**

3744. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं, एक रोज़ किसी शख़्स ने हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के सामने किसी की तारीफ़ की। आपने फ़र्माया, अफ़सोस तूने उसकी गर्दन काट दी, तुम में से जब किसी को किसी की तारीफ़ करना मक़सूद हो तो इस तरह कहे कि फ़लाँ शख़्स ऐसा-ऐसा है, लेकिन अल्लाह तआला के नज़दीक नहीं मालूम कैसा है? मैं अल्लाह के नज़दीक किसी को पाक नहीं कर सकता। **(बुख़ारी-6061, मुस्लिम-3000)**

जिससे मश्वरा लिया जाये वो शख़्स अमानतदारी से काम ले

3745. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स से मश्वरा किया जाये तो अमानतदार रहे (उसको अमानतदारी से मश्वरा देना चाहिये)। **(अबू दाऊद-5128)**

3746. हज़रत अबू मस्ऊद उक़्बा बिन अम्र अन्सारी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स से मश्वरा लिया जाये तो वो अमानत सम्भालने वाला है (उसमें बेईमानी से ख़यानत न करना चाहिये)। **(मुस्नद अहमद)**

3747. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई अपने किसी भाई से मश्वरा माँगे तो उसे चाहिये कि उसे मश्वरा दे दे।

हम्माम में जाने का बयान

3748. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोग अजम के मुल्क फ़तह करोगे तो वहाँ तुमको कुछ मकान नज़र आयेंगे जिनको लोग हम्माम कहेंगे, उनमें मर्दों को बग़ैर तहबंद के न जाना चाहिये और औरतों को तो बिल्कुल ही न जाना चाहिये। अलबत्ता अगर बीमार हो या निफ़ास वाली हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। **(अबू दाऊद-4011)**

3749. हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बयान किया, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने मर्द और औरतों दोनों को हम्माम में जाने से मना फ़र्मा दिया था लेकिन उसके बाद मर्दों को तहबंद बांध कर जाने की इजाज़त दे दी और औरतों को इजाज़त नहीं दी। **(अबू दाऊद-4009, तिर्मिज़ी-2802)**

3750. हज़रत अबू मलीह हज़्ली (रज़ि.) कहते हैं, हिम्स की रहने वाली कुछ औरतें हज़रत आइशा (रज़ि.) से

मुलाक़ात के लिये हाज़िर हुईं। उन्होंने फ़र्माया, शायद तुम भी उन औरतों में से हो जो हम्माम में जाती हैं। मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना है, जिस औरत ने अपने ख़ाविन्द के घर के अलावा (किसी जगह) अपने कपड़े उतारे, उसने अपने और अल्लाह के दरम्यान (हया का) पर्दा चाक कर दिया। **(अबू दाऊद-4010, तिर्मिज़ी-2803)**

बाल सफ़ा पाउडर लगाना

3751. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, जब नबी करीम (ﷺ) बाल सफ़ा पाउडर लगाते तो सबसे पहले सतर पर लगाते उसके बाद आपकी अहलिया बाक़ी जिस्म पर लगा देतीं।

3752. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) बाल सफ़ा पाउडर लगाते तो सतर पर ख़ुद अपने हाथ से लगाते।

वअ़ज़ के तौर पर वाक़िआत बयान करना

3753. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आ़स (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को वअ़ज़ हाकिम करता है या हाकिम की तरफ़ से जिस शख़्स को हुक्म दिया गया हो या रियाकार करता है। **(मुस्नद अहमद)**

3754. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ), हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) और हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) ज़माने में क़िस्सा गोइयाँ नहीं थीं।

शेअ़रो-शायरी का बयान

3755. हज़रत उबइ इब्ने कअ़ब (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ शेअ़रों में हिक्मत की बातें भी होती हैं। **(बुख़ारी-6145)**

3756. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, कुछ शेअ़रों में हिक्मत की बातें भी होती हैं। **(अबू दाऊद-5011)**

3757. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तमाम शेअ़रों में सच्चा शेअ़र वो है जो लुबैद ने कहा, **अला कुल्लु शैइन मा ख़ललल्लाहु बातिल** (अल्लाह तआ़ला के सिवा हर चीज़ बातिल है) और उमिय्या इब्ने अबू सल्त भी मुसलमान होने के क़रीब था। **(बुख़ारी-3841)**

3758. हज़रत शुरैद सक़फ़ी (रह.) बयान करते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) को उमैया बिन अबू सल्त के सौ शेअ़र सुनाये, आप हर शेअ़र के बाद फ़र्माते, (और शेअ़र) सुनाओ। और फ़र्माया, क़रीब था कि वो मुसलमान हो जाये। **(मुस्लिम-2255)**

ख़िलाफ़े शरअ़ अश्आ़र का बयान

3759. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी का पेट (बुरे और गन्दे) शेअ़रों से भरा होने से बेहतर ये है कि वो पीप से भरा हुआ हो, जिससे वो बीमार हो जाये। **(बुख़ारी-6155)**

3760. हज़रत सअ़द इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी का

पेट (बुरे और गन्दे) शेअ़रों से भरा होने से बेहतर ये है कि वो पीप से भरा हुआ हो, जिससे वो बीमार हो जाये। **(मुस्लिम-2258)**

3761. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, सबसे बड़ा बोहतान लगाने वाला वो शख़्स है जो किसी की हिजू करे और उस एक की वजह से उसकी तमाम क़ौम की हिजू करे और अपने बाप के अलावा दूसरे को बाप बनाये और अपनी माँ को बदकार क़रार दे। **(बैहक़ी, इब्ने हिब्बान-2014)**

चौसर खेलने का बयान

3762. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, चौसर खेलने वाला अल्लाह और उसके रसूल का नाफ़र्मान है। **(अबू दाऊद-4938)**

3763. हज़रत बुरैदा बिन हसीब (रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने शतरंज खेली उसने गोया अपने हाथ सूअर के ख़ून और गोश्त में डूबो दिये। **(मुस्लिम-2260)**

कबूतरबाज़ी का बयान

3764. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने एक शख़्स को एक परिन्दे की ताक़ में उसका पीछा करते हुए देखा तो फ़र्माया, एक शैतान दूसरे शैतान के पीछे लगा हुआ है।

3765. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक शख़्स को कबूतर उड़ाते देखा तो फ़र्माया, एक शैतान दूसरे शैतान के पीछे लगा हुआ। **(अबू दाऊद-4940)**

3766. हज़रत उ़स्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक शख़्स को कबूतर के पीछे लगा देखा तो फ़र्माया, एक शैतान दूसरे शैतान का पीछा कर रहा है।

3767. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को कबूतर के पीछे लगे हुए देखा तो फ़र्माया, शैतान, शैतान के पीछे लगा हुआ है।

तन्हाई की मज़म्मत

3768. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तन्हाई की तुम को बुराई मालूम होती तो कभी रात में सफ़र पर नहीं जाते।

सोते वक़्त आग बुझा देना चाहिये

3769. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, रात को सोते वक़्त आग बुझा दिया करो। **(बुख़ारी-6293, मुस्लिम-2015)**

3770. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) कहते हैं कि एक मर्तबा मदीना में एक मकान जल गया। ये वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) के सामने बयान किया गया तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये आग तुम्हारी निहायत सख़्त दुश्मन है, सोते वक़्त इसको बुझा दिया करो। **(बुख़ारी-6294, मुस्लिम-2016)**

3771. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हमको बहुत सी बातों की तालीम दी उनमें से एक ये भी फ़र्माया कि सोते वक़्त चिराग़ बुझा दिया करो।

रास्ते पर पड़ाव डालने की मुमानिअत

3772. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, रास्ते के बीच में क़याम न किया करो और न बीच रास्ते में पाख़ाना करो। **(अबू दाऊद-2570)**

जानवर पर तीन आदमियों का सवार होना

3773. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र तय्यार (रज़ि.) कहते हैं, जब हुज़ूर (ﷺ) किसी सफ़र से वापस आते तो हम लोग आप (ﷺ) के इस्तक़बाल के लिये जाते। एक मर्तबा जब हुज़ूर (ﷺ) वापस तशरीफ़ लाये तो मैं और इमाम हसन या इमाम हुसैन (रज़ि.) आपके इस्तक़बाल के लिये चले आपने हमको देखकर एक को अपने पीछे बिठा लिया और एक को अपने सामने और इसी तरह से बिठाये हुए मदीना तक तशरीफ़ लाये। **(मुस्लिम-2428)**

ख़त लिखकर उस पर मिट्टी डालना

3774. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़त लिखने के बाद उस पर मिट्टी डाल दिया करो, ये कामयाबी का सबब होगा। मिट्टी बरकत वाली चीज़ है।

दो आदमी तीसरे को छोड़कर आपस में कानाफूसी न करें

3775. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम तीन शख़्स हो तो तुम में से दो शख़्स आपस में चुपके-चुपके बातें न करें क्योंकि उससे दूसरे को ग़म होगा। **(मुस्लिम-2184)**

3776. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है नबी (ﷺ) ने एक आदमी को छोड़कर दो आदमियों को आपस में सरगोशी करने से मना फ़र्माया है। **(मुस्नद अहमद)**

जिसके पास तीर हो उसे चाहिये कि उसका फल पकड़कर रखे

3777. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मस्जिद में से एक शख़्स तीर लिये हुए आँहज़रत के सामने से गुज़रा। आप (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, इसकी नोक पकड़ ले। उसने अर्ज़ किया, जी! हाँ।
(बुख़ारी-451, मुस्लिम-2614)

3778. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम में से जब कोई शख़्स बाज़ार या मस्जिद में से गुज़रे और उसके हाथ में तीर हो तो उसको उसके पीकान (नोक) पकड़ लेना चाहिये ताकि किसी मुसलमान के न लग जाये।

क़ुर्आन मजीद पढ़ने का बयान

3779. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स क़ुर्आन का माहिर होगा उसको

उम्दा रवानी के साथ पढ़ेगा वो निहायत बुज़ुर्ग और नेक फ़रिश्तों में शामिल होगा और जो शख़्स ज़रा मेहनत उठाकर पढ़ेगा और अपनी ज़बान की लुकनत (अटकने) से मजबूर होगा तो उसको दोहरा सवाब दिया जायेगा।
(बुख़ारी-4937, मुस्लिम-798)

3780. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ क़ुर्आन की तिलावत करने वाले को हुक्म होगा कि एक-एक आयत तिलावत करता जा और दर्जों पर तरक़्क़ी करता जा। लिहाज़ा वो एक-एक आयत करके पढ़ता जायेगा और तरक़्क़ी करता जायेगा यहाँ तक कि उसे जो आख़िरी आयत याद है, वह भी पढ़ लेगा। **(मुस्नद अहमद)**

3781. हज़रत इब्ने बुरैदा (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ क़ुर्आन एक थके मान्दे शख़्स की सूरत में आयेगा और हाफ़िज़े क़ुर्आन से फ़र्मायेगा मैंने ही तुझको रातों को जगाया और दिन को प्यासा रखा। **(मुस्नद अहमद)**

3782. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माने लगे कि, क्या तुम में से कोई शख़्स इसको अच्छा ख़्याल करता है कि जब वो घर को वापस लौट कर जाये तो उसके यहाँ तीन मोटी ताज़ी ऊँटनियाँ बंधी हों? लोगों ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलल्लाह! ये हर शख़्स को पसंद है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो तुम जो तीन आयतें पढ़ा करते हो वो उन तीन मोटी और ताज़ी ऊँटनियों से ज़्यादा अच्छी हैं। **(मुस्लिम-802)**

3783. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन की मिसाल उस ऊँट की सी है जिसका घुटना रस्सी से बंधा हो। जब तक उसका मालिक बांधे रहे तो उस वक़्त तक वो ऊँट क़ब्ज़े में रहे और अगर खोल दिया जाये तो हाथ से भाग जाये। **(मुस्लिम-789)**

3784. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद है कि मैंने नमाज़ को मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान आधी-आधी तक़सीम कर ली है। आधी मेरे लिये और आधी मेरे बन्दे के लिये है। मेरा बन्दा जो माँगता है मैं वही उसको दूंगा। फिर हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माने लगे, सुनो जब बन्दा कहता है, **अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की जो मांगे उसको मिलेगा। जब बन्दा कहता है, **अर्रहमानिर्रहीम** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरे बन्दे ने मेरी सना बयान की, मेरा बन्दा जो मांगेगा मिलेगा। फिर जब बन्दा कहता है, **मालिकि यौमिद्दीन** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरे बन्दे ने मेरी अज़्मत बयान की। ये सब तारीफ़ें मेरे लिये हैं और ये आयत मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान आधी-आधी है। यानी जब बन्दा कहता है, **इय्या-क नअबुदु व इय्या-क नस्तईन** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ये आयत है जो मेरे और मेरे बन्दे के दरम्यान आधी-आधी है और मेरा बन्दा मुझसे जो कुछ मांगेगा उसको मिलेगा। फिर जब बन्दा कहता है **इहदिनस्सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैयहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलयहिम वलज़्ज़ॉल्लीन** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ये आख़िरी आयतें मेरे बन्दे के लिये हैं मेरा बन्दा जो कुछ तलब करेगा उसको मिलेगा। **(मुस्लिम-395)**

3785. हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मस्जिद में हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको मस्जिद से निकलने से पहले मैं क़ुर्आन की सबसे बड़ी सूरत सिखाऊँगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर। जब आप मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने आपको वो बात याद दिलाई। आपने फ़र्माया, **अल्हम्दुलिल्लाहि**

रब्बिल आलमीन बस यही सूरत है सबअ मसानी और क़ुर्आने अज़ीम है जो मुझको इनायत किया गया है।
(बुख़ारी-4703)

3786. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़ुर्आन की एक सूरत तीस आयतों की है जो अपने पढ़ने वाले की सिफ़ारिश करेगी यहाँ तक कि उसको बख़्श दिया जायेगा और वो सूरत सूरह मुल्क है।
(अबू दाऊद-1400, तिर्मिज़ी-2891)

3787. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरह इख़्लास (कुल हुवल्लाहु अहद) तिहाई क़ुर्आन के बराबर है। **(तिर्मिज़ी-2899)**

3788. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरह इख़्लास (कुल हुवल्लाहु अहद) क़ुर्आन की एक तिहाई के बराबर है।

3789. हज़रत अबू मस्ऊद अन्सारी (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सूरह इख़्लास (कुल हुवल्लाहु अहद) तिहाई क़ुर्आन की बराबर है। **(मुस्नद अहमद)**

अल्लाह के ज़िक्र की फ़ज़ीलत

3790. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं तुमको ऐसा अमल ना बतलाऊं जो तुम्हारे सब आमाल से बेहतर हो, तुम्हारे मालिक के नज़दीक ज़्यादा पसंद हो, तुम्हारे दर्जात को सबसे ज़्यादा बुलन्द करने वाला हो और तुम्हारे लिये सोना-चाँदी के सदक़ा करने से भी बेहतर हो, और इस बात से भी बेहतर हो कि तुम काफ़िरों से जिहाद करो कि वो तुम्हारी गर्दनें मारें और तुम उनकी गर्दनें मारो? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर फ़र्माइये वो कौनसा अमल है? आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला का ज़िक्र। अल्लाह तआला के अज़ाब से बचाने वाली चीज़ सिवाय ज़िक्रे इलाही के और कोई नहीं। **(तिर्मिज़ी-3377)**

3791. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और **हज़रत अबू सईद (रज़ि.)** का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई क़ौम अल्लाह तआला का ज़िक्र करती है तो अल्लाह तआला की रहमत के फ़रिश्ते उसको छिपा लेते हैं और उन पर सकीना (यानी इत्मिनाने क़ल्ब) नाज़िल होता है और जिस तरह ये लोग आपस में मिलकर अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उसी तरह अल्लाह तआला ने अपने पास के फ़रिश्तों में उनका ज़िक्र फ़र्माता है। **(मुस्लिम-2700)**

3792. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला फ़र्माता है जब तक बन्दा मेरा ज़िक्र करता रहता है और उसके होंट हरकत में होते हैं मैं उसके क़रीब होता हूँ। **(मुस्नद अहमद)**

3793. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र (रज़ि.) का बयान है एक देहाती सहाबी नबी (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस्लाम में नेक आमाल का तरीक़ा बहुत कसरत से हो गया है। लिहाज़ा मेरे लिये एक ऐसा अमल बता दीजिये जिसको मैं हर वक़्त (उठते, बैठते, लेटते) करता रहूँ। आपने फ़र्माया, तेरी ज़बान हमेशा अल्लाह तआला के ज़िक्र से तर रहे। **(तिर्मिज़ी-3430)**

ला इलाह इल्लल्लाह की फ़ज़ीलत

3794. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) और **हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)** कहते हैं कि रसूले अकरम (ﷺ) ने

फ़र्माया, जब बन्दा **ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर** कहता है तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मेरा बन्दा बिल्कुल सच्चा है मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं ही सबसे बड़ा हूँ। फिर कोई बन्दा जब कहता है, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि मेरा बन्दा सादिक़ है मैं ही वो माबूद हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं और मैं वाहिद (अकेला) हूँ। और जब बन्दा कहता है, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु** तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़र्माता है, मेरे बन्दे ने सच कहा मैं ही वह माबूद हूँ जिसका कोई शरीक नहीं और जब बन्दा ये कहता है, **ला इलाहा इल्लल्लाहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्द** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरा बन्दा सादिक़ है मैं ही माबूद हूँ। मुल्क और तमाम तारीफ़ मेरे ही लिये है और जब बन्दा कहता है, **ला इलाहा इल्लल्लाहु वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह** तो अल्लाह तआला फ़र्माता है, मेरे बन्दे ने सहीह कहा है मेरे सिवा कोई माबूद नहीं हौल और कुव्वत मेरे ही पास है (यानी बन्दों को गुनाहों से महफ़ूज़ रखना और नेकी करने की ताक़त देना मेरे ही इख़्तियार में है)। अबू इस्हाक़ कहते हैं कि इतना बयान करने के बाद आपने कुछ और कहा जो मेरी समझ में न आया। मैंने हज़रत अबू जाफ़र से दरयाफ़्त किया, उन्होंने फ़र्माया, ये कहा था कि जिस शख़्स को अल्लाह तआला ने तौफ़ीक़ दी और उसने ये कलिमात कहे तो उस पर दोज़ख़ की आग हराम है। **(तिर्मिज़ी-3430)**

3795. हज़रत यह्या बिन तल्हा (रह.) ने अपनी वालिदा हज़रत उम्मे सुअदा मुज़निया (रज़ि.) से रिवायत किया है कि हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात के बाद (एक दफ़ा) हज़रत उमर (रज़ि.) हज़रत तल्हा (रज़ि.) के पास से गुज़रे तो फ़र्माया, मैं तुमको रंजीदा देखता हूँ इसकी क्या वजह है? क्या तुमको अपने चचाज़ाद भाई की (हज़रत अबूबक्र रज़ि.) ख़िलाफ़त नागवार मालूम हुई है? अबू तल्हा (रज़ि.) ने कहा, नहीं! बल्कि हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे एक मर्तबा ये फ़र्माया था कि मुझको एक ऐसा कलिमा याद है अगर आदमी मरते वक़्त कहेगा तो उसके नामाए आमाल का नूर होगा और उसके बदन व रूह के लिये बाइसे राहत है। लेकिन मैं ये कलिमा हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त करना भूल गया यहाँ तक कि हुज़ूर (ﷺ) की वफ़ात हो गई। हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा, वो कलिमा मुझको मालूम है ये वही कलिमा है जो हुज़ूर (ﷺ) ने अपने चाचा अबू तालिब को पढ़ने के लिये फ़र्माया था। अगर हुज़ूर (ﷺ) को इल्म होता कि कोई और कलिमा उसके लिये नजात का ज़्यादा सबब बन सकता है तो आप उसे वही कलिमा पढ़ने का हुक्म देते। **(मुस्नद अहमद)**

3796. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मरते वक़्त इस बात की गवाही देगा कि अल्लाह तआला के सिवा कोई मअबूद नहीं और मैं (मुहम्मद ﷺ) अल्लाह तआला का रसूल हूँ और ये गवाही सच्चे दिल से दे रहा हो तो अल्लाह तआला उसको ज़रूर बख़्श देगा। **(नसाई फ़िल्कुब्रा-1095)**

3797. हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, कलिमा ला इलाह इल्लल्लाह से बढ़कर कोई कलिमा नहीं है, इससे कोई गुनाह बाक़ी नहीं रहता है।

3798. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स दिन में सौ मर्तबा ये कलिमा पढ़ेगा **ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर** (नहीं है कोई मअबूद सिवाय अल्लाह के वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और तारीफ़ भी उसी के लिये है, वो तमाम चीज़ों पर क़ादिर है), उसको दस गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और उसके दस गुनाह मिटाकर सौ नेकियाँ लिखी जायेंगी और उस दिन शाम तक शैतान से महफ़ूज़ रहेगा और उसके अमल से किसी का अमल अफ़ज़ल न होगा। अलबत्ता उसी शख़्स का जो इस कलिमे को उससे ज़्यादा कहे।

(बुख़ारी-3293, मुस्लिम-2691)

3799. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने इस कलिमे को सुबह की नमाज़ के बाद पढ़ा, **ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु बियदिहिल ख़ैर व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर** (नहीं है कोई मअ़बूद सिवाय अल्लाह के वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और तारीफ़ भी उसी के लिये है, उसी के हाथ में भलाई है और वो तमाम चीज़ों पर क़ादिर है) तो उसको ऐसा सवाब मिलेगा जैसे इस्माईल (अलै.) की औलाद में से एक ग़ुलाम आज़ाद किया।

अल्लाह की तारीफ़ करने वालों की फ़ज़ीलत

3800. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) फ़र्माया करते, अफ़ज़ल ज़िक्र **ला इलाह इल्लल्लाह** है और अफ़ज़ल दुआ **अल्हम्दुलिल्लाह** है। **(तिर्मिज़ी-3383)**

3801. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, एक शख़्स ने अल्लाह की तारीफ़ में ये कलिमा कहा, **या रब्बि लकल हम्दु कमा यम्बग़ी लिजलालि वजहिक वलिअ़ज़ीमि सल्तनतिक** (ऐ मेरे रब! मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ जैसी तेरी ज़ात की जलालते शान और तेरी अ़ज़ीम सल्तनत के लायक़ है), तो जो फ़रिश्ते लिखने पर मुक़र्रर हैं, इस कलिमे को लिखना निहायत मुश्किल हुआ और जब मजबूर हुए और न लिख सके तो उसको दरयाफ़्त करने के लिये आसमान की तरफ़ चढ़े और अ़र्ज़ किया, या रब तेरे बन्दे ने एक कलिमा कहा है, हम उसको किस तरह तहरीर करें? इर्शादे इलाही हुआ, हांलाकि अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानता है कि बन्दे ने क्या कहा था, मेरे बन्दे ने क्या कहा? फ़रिश्तों ने अ़र्ज़ किया, या रब! उसने कहा **या रब्बि लकल हम्दु कमा यम्बग़ी लिजलालि वजहिक वलिअ़ज़ीमि सल्तनतिक** (ऐ मेरे रब! मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ जैसी तेरी ज़ात की जलालते शान और तेरी अ़ज़ीम सल्तनत के लायक़ है)। फ़र्मान हुआ, तुम इस कलिमे को उन्हीं लफ़्ज़ों में लिख लो। जब मेरा बन्दा मुझसे मुलाक़ात करेगा तो देखेगा मैं उसको उसकी जज़ा दूंगा। **(तब्रानी-13297)**

3802. हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा मैं हुज़ूर (ﷺ) की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ रहा था (नमाज़ के दौरान एक शख़्स ने **समिअ़ल्लाहु लिमन हमिदह** के बाद) इतने कलिमे और ज़्यादा पढ़े, **अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह** (सब तारीफ़ें अल्लाह के लिये है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें जो पाक और बरकतों वाली है)। जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुए तो फ़र्माया, ये कलिमा किसने पढ़ा? एक शख़्स अ़र्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने सिर्फ़ सवाब की निय्यत से ये कलिमा पढ़ दिया था। हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस कलिमे के लिये आसमान के दरवाज़े खोल दिये गये और ये कलिमा आसमान की तरफ़ चढ़ा और सीधा अ़र्श पर जा कर रुका। **(नसाई)**

3803. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) जब कोई अच्छी चीज़ (अच्छी सूरते हाल) देखते तो फ़र्माते, **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअ़मतिहि तुतिम्मुस्सालिहाति** (सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिये है जिसके फ़ज़्ल और इन्आ़म से नेक काम और मक़सद पूरे होते हैं) और जब कोई ऐसी बुरी चीज़ (बुरी सूरते हाल) नज़र आती तो फ़र्माते, **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अ़ला कुल्लि हाल** (हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ और शुक्र है)। **(हाकिम)**

3804. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ये फ़र्माया करते, **अल्हम्दुलिल्लाहि अ़ला कुल्लि हालिन अऊज़ुबिका मिन हालि अहलिन्नार** (हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, ऐ अल्लाह! अहले जहन्नम के हाल से तेरी पनाह चाहता हूँ।

3805. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआला किसी बन्दे पर कोई नेअ़मत नाज़िल करता है और वो बन्दा उसके बदले में अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो अल्लाह के नज़दीक उसका ये कहना उसके देने से अफ़ज़ल होता है।

सुब्हानल्लाह कहने की फ़ज़ीलत

3806. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दो कलिमे ऐसे है जो ज़बान पर तो हल्के हैं और तराज़ू में भारी है, रहमान को प्यारे हैं, **सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अ़ज़ीम** (मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ, पाक है अल्लाह अ़ज़्मतों वाला)। **(बुख़ारी-6406, 6682)**

3807. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ ये दरख़्त लगा रहे थे उधर से हुज़ूर (ﷺ) का गुज़रना हुआ। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू हुरैरह! क्या कर रहे हो? उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दरख़्त लगा रहा हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको इससे भी अच्छा दरख़्त लगाना बतलाता हूँ, **सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर.** हर कलिमे के बदले तुम्हारे लिये एक दरख़्त जन्नत में लगाया जायेगा। **(हाकिम)**

3808. हज़रत जुवैरिया (रज़ि.) कहतीं हैं कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) का सुबह की नमाज़ के बाद उनकी तरफ़ से गुज़रना हुआ तो आपने उनको इबादत करते देखा। फिर उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) का गुज़रना दोपहर के वक़्त उधर से हुआ तो आपने जुवैरिया (रज़ि.) को फिर भी ज़िक्र करते देखा। आपने फ़र्माया, तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने चार कलिमात तीन-तीन बार कहे हैं, जो तुम्हारे किये हुए ज़िक्र से (सवाब में) ज़्यादा (या फ़र्माया) वज़न में ज़्यादा हैं, **सुब्हानल्लाहि अ़दद ख़ल्क़िहि सुब्हानल्लाहि रिज़ा नफ़्सिहि सुब्हानल्लाहि ज़ीनत अ़रशिहि सुब्हानल्लाहि बियदि वकलिमातिहि** (मैं अल्लाह की तस्बीहात करता हूँ उसकी मख़्लूक़ की तादाद के बराबर, मैं अल्लाह की तस्बीहात करता हूँ उसकी ज़ात की ख़ुश्नूदी के मुताबिक़, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके अ़र्श के वज़न के बराबर और मैं अल्लाह की तक़्दीस करता हूँ उसकी (तारीफ़) के कलिमात की स्याही के बराबर)।

(मुस्लिम-2726)

3809. हज़रत नोमान इब्ने बशीर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के जलाल का जो तुम लोग ज़िक्र करते हो तो वो तस्बीह, तम्हीद और तहलील है। ये अ़र्श के आस-पास घूमते रहते हैं उनमें शहद की मक्खियों जैसी आवाज़ निकलती है जिससे अपने कहने वाले का ज़िक्र मालिक के सामने करते रहते हैं। अब तुममें से कोई ऐसा शख़्स नहीं है जिसको एक ऐसे शख़्स की ज़रूरत हो जो मालिक के सामने हर वक़्त तुम्हारा ज़िक्र करता रहे। **(हाकिम)**

3810. हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चूंकि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ (और ज़्यादा मेहनत नहीं हो सकती।) मुझको कोई अ़मल बतलाइये (जो मेरे लिये आसान हो और फ़ायदेमंद भी हो)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम सौ बार अल्लाहु अकबर, सौ बार अल्हम्दुलिल्लाह और सौ बार सुब्हानअल्लाह पढ़ा करो ये तुम्हारे लिये सौ गुलाम आज़ाद करने और सौ घोड़े ज़ीन और लग़ाम के साथ अल्लाह की राह में देने और सौ ऊँट देने से ज़्यादा बेहतर है। **(हाकिम)**

3811. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, चार कलिमे तमाम कलामों से बेहतर हैं। अगर उनमें से कोई आगे या पीछे हो जाये तो कोई मुज़ायक़ा नहीं। वो चार कलिमे ये हैं, **सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर।** **(मुस्नद अहमद)**

3812. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सौ मर्तबा सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिहि कहेगा अगर उसके गुनाह दरिया के झागों के बराबर होंगे तो भी बख़्श दिये जायेंगे। **(तिर्मिज़ी-3466)**

3813. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अपने लिये सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह लाज़िम करो। क्योंकि ये गुनाहों को ऐसा झाड़ देते हैं जैसे दरख़्त अपने पुराने पत्ते गिरा देता है।

इस्तिग़फ़ार करना

3814. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी (ﷺ) (किसी मजलिस में तशरीफ़ फ़र्मा होते) और आप वहाँ फ़र्माया करते, **रब्बिग़फ़िरली वतुब अलय्या इन्नका अनतत्तव्वाबुर्रहीम** (ऐ मेरे रब! मुझे बख़्श दे और मेरी तौबा कुबूल फ़र्मा, बेशक तू बहुत तौबा कुबूल करने वाला, निहायत मेहरबान है)। हम लोग उसका शुमार किया करते तो हुज़ूर (ﷺ) उसको सौ मर्तबा फ़र्माते। **(अबू दाऊद-3434)**

3815. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं अल्लाह तआला से हर रोज़ दिन में सौ मर्तबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। **(मुस्नद अहमद)**

3816. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं एक दिन में सत्तर मर्तबा अल्लाह तआला से मग़्फ़िरत (माफ़ी) माँगता हूँ और तौबा करता हूँ। **(मुस्नद अहमद)**

3817. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है कि मैं (गुस्से में) अक्सर ज़बान दराज़ी कर जाया करता लेकिन ये अपने घर वालों में ही हुआ करती। दूसरों से ऐसा रवैया नहीं होता था। ये वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया तो आपने फ़र्माया, तुम हर रोज़ दिन में सौ मर्तबा इस्तग़फ़ार किया करो। **(हाकिम)**

3818. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, वो शख़्स बड़ा ख़ुशनसीब होगा जिसके नामा-ए-आमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार होगा। **(नसाई फ़िल्कुबरा-10289)**

3819. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर लेगा, अल्लाह तआला उसको हर ग़म से और तक्लीफ़ से नजात देगा और उसको ऐसे मक़ाम से रिज़्क़ अता फ़र्मायेगा, जहाँ से उसको गुमान भी न होगा। **(अबू दाऊद-1518)**

3820. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूल (ﷺ) फ़र्माया करते, ऐ अल्लाह! मुझको उन लोगों में से बना जो नेक काम करके ख़ुश होते हैं और बुरे काम करने पर इस्तग़फ़ार करते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

नेक अमल की फ़ज़ीलत

3821. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद है, जो शख़्स एक नेकी करता है उसको उस जैसी दस नेकियों का सवाब अता किया जाता है बल्कि उससे ज़्यादा और जो कोई एक गुनाह करेगा उसके ज़िम्मे एक ही गुनाह लिखा जायेगा या मैं उसको बख़्श दूंगा। जो मुझसे एक बालिश्त क़रीब होगा मैं उससे एक हाथ क़रीब हो जाऊँगा और जो शख़्स मुझसे एक हाथ क़रीबा होगा, मैं उससे दो हाथ क़रीब हो जाऊँगा। जो शख़्स मेरे पास आहिस्ता चलता हुआ आयेगा, मैं उसके पास दौड़ता हुआ जाऊँगा और जो शख़्स मुझसे ज़मीन भर गुनाह करके मिले

लेकिन मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक न करता हो, मैं उससे उतनी ही मग़फ़िरत लेकर मिलूँगा। **(मुस्लिम-2687)**

3822. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद है कि बन्दा मेरे साथ जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही हो जाता हूँ और जब बन्दा मेरा ज़िक्र करता है तो मैं उसके साथ रहता हूँ अगर वो मेरा ज़िक्र अपने दिल में करता है तो मैं भी उसका ज़िक्र अपने दिल में करता हूँ। **(मुस्लिम-2675)**

3823. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हर आदमी का नेक अमल दो गुना किया जाता है बल्कि सात सौ गुना तक सवाब दिया जाता है। अल्लाह फ़र्माता है, लेकिन रोज़ा मेरे लिये है मैं ख़ुद ही रोज़े का बदला दूंगा।

ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की फ़ज़ीलत

3824. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने मुझको **ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह** कहते सुना तो आपने फ़र्माया, अबू मूसा! मैं तुमको जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना दिखलाऊं? मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, या रसूलल्लाह! ज़रूर दिखलाइये। आपने फ़र्माया, **ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह**।
(बुख़ारी-2992, मुस्लिम-2704)

3825. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं नबी कीरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं तुमको जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना बतलाऊं? मैंने अर्ज़ किया, फ़र्माइये या रसूलल्लाह! आपने फ़र्माया, **ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह**।
(मुस्नद अहमद)

3826. हज़रत हाज़िम इब्ने हरमला (रज़ि.) का बयान है कि मैं एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) के सामने से गुज़रा। आपने फ़र्माया, इब्ने हरमला! **ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह** कसरत से कहा करो। क्योंकि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। **(तब्रानी फिल्कबीर-3565)**

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

किताबुद्दुआ

दुआ से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3827. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह से दुआ नहीं करता, अल्लाह तआला उससे बहुत ख़फ़ा होता है। **(तिर्मिज़ी-3373)**

3828. हज़रत नोमान इब्ने बशीर (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दुआ भी इबादत है फिर हुज़ूर ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **वक़ाल रब्बुकुमुदऊनी अस्तजिब लकुम.** (और तुम्हारे रब ने फ़र्माया, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ क़ुबूल करूंगा-सूरह ग़ाफ़िर : 60) **(अबू दाऊद- 1479)**

3829. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह सुब्हान व तआला को दुआ से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद नहीं। **(तिर्मिज़ी-3370)**

रसूलुल्लाह (ﷺ) की दुआओं का बयान

3830. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) इस तरह दुआ फ़र्माया करते, **रब्बि अइन्नी वला तुइन अलय्या वन्सुरनी वला तन्सुर अलय्या वम्कुरली वला तम्कुर अलय्या वह्दिनी वयस्सिरिल हुदा ली वन्सुरनी अला मन् बग़ा अलय्या. रब्बिजअल्नी लक शक्कारन लक ज़क्कारन लक रह्हाबन लक मुतीअन् इलैक मुख़्बितन् इलैक अव्वाहन् मुबीनन्. रब्बि! तक़ब्बल तौबती वग़्सिल् हौबती व अजिब् दअवति वह्दि क़ल्बी वसद्दिद लिसानी व सब्बित् हुज्जत वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी.** (ऐ मेरे रब! मेरी मदद फ़र्मा, और मेरे ख़िलाफ़ (दुश्मन की) मदद न फ़र्मा। और मेरी ताईद फ़र्मा और मेरे ख़िलाफ़ (दुश्मन की) मदद न फ़र्मा और मेरे हक़ में तदबीर फ़र्मा और मेरे ख़िलाफ़ तदबीर न फ़र्मा। और मुझे हिदायत दे और हिदायत को मेरे लिये आसान कर दे। और जो मुझ पर ज़्यादती करे उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद फ़र्मा। ऐ मेरे रब! मुझे ऐसा (बन्दा) बना जो तेरा बहुत शुक्र करने वाला हो, तेरा बहुत ज़िक्र करने वाला हो, तुझसे बहुत डरने वाला हो, तेरी इताअत करने वाला हो, तेरे सामने आजिज़ी करने वाला हो, तेरी तरफ़ ही रो-रो कर रुजूअ करने वाला हो (और तौबा करने वाला हो) ऐ मेरे रब! मेरी तौबा क़ुबूल फ़र्मा, मेरे गुनाह धो डाल, मेरी दुआ क़ुबूल कर, मेरे दिल को हिदायत दे, मेरी ज़बान सीधी रख, मेरी दलील को

(पुख़्ता और) क़ायम रख और मेरे दिल से कीना (कपट) निकाल दे। हज़रत अबुल हसन तनाफ़सी (रह.) ने कहा, मैंने हज़रत वकीअ (रह.) से दरयाफ़्त किया, मैं वित्रों में ये दुआ माँग लिया करूँ? उन्होंने फ़र्माया, हाँ।

(अबू दाऊद-1510, 1511, तिर्मिज़ी-3551)

3831. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा ज़ौहरा (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में गुलाम मांगने के लिये हाज़िर हुईं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे पास गुलाम तो है नहीं जो तुमको दूं। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) वापस चली आईं। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) आपके यहाँ तशरीफ़ लाये और हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) से इर्शाद फ़र्माया, तुम जो चीज़ मेरे पास मांगने गई थीं वही तुमको पसंद है या मैं तुमको उससे भी ज़्यादा उम्दा चीज़ बतला दूं? ये सुनकर हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़ातिमा (रज़ि.) से चुपके से कहा, ये कहना कि गुलाम से जो चीज़ अच्छी है वो हमको पसंद है। हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) ने यही अर्ज़ किया, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ पढ़ो, **अल्लाहुम्म रब्बिस्समावाति व रब्बिल अर्शिल अज़ीम. रब्बना व रब्ब कुल्लि शैइन मुन्ज़िलत्तौराति वल्इन्जीलि वल्कुर्आनिल अज़ीम. अन्तल् अव्वलु फ़लैस क़ब्ल-क शैउन व अन्तल आख़िरु फ़लैस बअद-क शैउन. व अन्तज़्ज़ाहिरु फ़लैस फ़ौक़-क शैउन. व अन्तल् बातिनु फ़लैस दून-क शैउन. इक़्ज़ि अन्नद्दैन वग़्निना मिनल् फ़क़्रि.** (ऐ अल्लाह! ऐ सातों आसमानों के मालिक! ऐ अर्शे-अज़ीम के मालिक! ऐ हमारे रब और हर चीज़ के रब! ऐ तौरात, इन्जील और कुर्आने अज़ीम के नाज़िल करने वाले! तू अव्वल है, तुझसे पहले कुछ नहीं था। तू आख़िर है, तेरे बाद कुछ नहीं। तू ज़ाहिर है, तुझसे ऊपर कुछ नहीं। तू बातिन (पोशीदा) है, तुझसे पोशीदातर कुछ नहीं। हमारा क़र्ज़ अदा फ़र्मा और फ़क़्र से (नजात देकर) हमें ग़नी कर दे। **(मुस्लिम-2713)**

3832. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ पढ़ा करते थे, **अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वलअफ़ाफ वलग़िना** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे हिदायत, तक़्वा, पाकदामनी और इस्तग़ना का सवाल करता हूँ)। **(मुस्लिम-2321)**

3833. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है नबी (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते थे, **अल्लाहुम्मन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लम्नी मा यन्फ़ऊनी व ज़िद्नी इल्मन वल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हालिन् व अऊज़ुबिल्लाहि मिन् अज़ाबिन्नार.** (ऐ अल्लाह! तूने मुझे जो इल्म दिया है, उससे मुझे फ़ायदा दे और मुझे वो इल्म अता फ़र्मा जो मुझे फ़ायदा दे और मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फ़र्मा। हर हाल में अल्लाह की तारीफ़ है और मैं आग के अज़ाब से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ)।

3834. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है रसूले मक़्बूल (ﷺ) ये दुआ बहुत फ़र्माया करते अल्लाहुम्मा सब्बित क़लबी अला दीनिका एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! आप (जो ये दुआ फ़र्माते हैं कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर क़ायम रखना) तो क्या आप को ये ख़्याल है कि हम फिर गुमराह हो जायेंगे। हालांकि हम आपकी तसदीक़ और आपके लाये हुए दीन की तसदीक़ कर चुके हैं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि, मख़्लूक़ के दिल अल्लाह तआला की दो उंगलियों के दरम्यान में हैं उनको जिस तरफ़ चाहता है फैर देता है आमश (रज़ि.) ने अपनी उंगलियों से इशारा करके दिखाया।

3835. हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) कहते हैं मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई ऐसी दुआ तालीम फ़र्माइये जिसको मैं नमाज़ में पढ़ा करूं हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ पढ़ो करो, **अल्लाहुम्म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मल कसीरवँ वला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़्फ़िरली मग़्फ़िरतम् मिन इन्दि-क व**

रहम्नि इन्नक अन्तल् ग़फ़ूरुर्रहीम. (ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किया है और तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं करता। अपने पास से मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा और मुझ पर रहमत फ़र्मा, बिलाशुबा तू ही बहुत बख़्शने वाला और निहायत रहम करने वाला है) **(बुख़ारी-834, मुस्लिम-2705)**

3836. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) एक लकड़ी पर सहारा लगाये हुए बाहर तशरीफ़ लाये। हम लोग आपको देखकर ताज़ीमन उठ खड़े हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग अजमियों की तरह ताज़ीमन न उठा करो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे लिये दुआ फ़र्माइये। हुज़ूर (ﷺ) ने उस वक़्त ये दुआ फ़र्माई, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरलना व रहमना वर्ज़ा अन्ना व तक़ब्बल मिन्ना व अदख़िल्नल् जन्न-त व नज्जना मिनन्नारि व अस्लिह लना शअनना कुल्लहु.** (ऐ अल्लाह! हमारी मग़्फ़िरत फ़र्मा, हम पर रहमत फ़र्मा, हमसे राज़ी हो जा, हमारी दुआएँ क़ुबूल फ़र्मा, हमें जन्नत में दाख़िल फ़र्मा, हमें जहन्नम से नजात दे और हमारे सारे काम सवाँर दे)। रावी कहते हैं (ये दुआ सुनकर हमको ये तमन्ना हुई कि) आप कुछ और ज़ायद दुआ फ़र्मा दें। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने तुम्हारे लिये बिल्कुल जामेअ दुआ कर दी। **(अबू दाऊद-5230)**

3837. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिनल अरबइ मिन इल्मिन यन्फ़अ़ू व मिन् क़ल्बिन ला यख़्शअ़ू व मिन नफ़्सिन ला यश्बअ़ू व मिन दुआइन ला यस्मअ़ू.** (ऐ अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह चाहता हूँ, उस इल्म से जो फ़ायदा न दे, उस दिल से जिसमें आजिज़ी न हो, उस नफ़्स से जो सैर न हो और उस दुआ से जो सुनी न जाये)। **(अबू दाऊद-1548, हाकिम)**

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिन चीज़ों से पनाह माँगी

3838. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन फ़ित्नतिन्नारि व अज़ाबिन्नारि व मिन् फ़ित्नतिल् क़ब्रि व अज़ाबिल् क़ब्रि व मिन् शर्रि फ़ित्नतिल ग़िना व मिन शर्रि फ़ित्नतिल फ़क़्रि व मिन् शर्रि फ़ित्नतिल मसीहिद्दज्जालि. अल्लाहुम्मग़्सिल ख़तायाया बिमाइस्सल्जि वलबर्दि वनक़्क़ि क़ल्बी मिनल ख़तायाया कमा नक़्क़यतस्सौबल अब्यज़ मिनद्दनस व बाअिद बैयनी व बैय-न ख़तायाया कमा बाअद्-त बैयनल मश्रिक़ि वलमग़्रिबि. अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिनल कसलि वल्हरमि वल्मअसमि वल्मग़रमि.** (ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ (जहन्नम की) आग की आज़माइश और (जहन्नम की) आग के अज़ाब से, क़ब्र की आज़माइश और क़ब्र के अज़ाब से, दौलत की आज़माइश के शर से और मुफ़्लिसी की आज़माइश के शर से और मसीह दज्जाल की आज़माइश के शर से। ऐ अल्लाह! मेरी ग़लतियों को बर्फ़ और ओलों के पानी से धो डाल और मेरे दिल को गुनाहों से उसी तरह पाक कर दे जिस तरह तू सफ़ेद कपड़े को मैल-कुचैल से साफ़ कर देता है। मेरे और मेरे गुनाहों के दरम्यान उसी तरह दूरी कर दे जिस तरह तूने मश्रिक़ और मग़्रिब को एक दूसरे से दूर कर दिया है। या अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ सुस्ती से, इन्तिहाई बुढ़ापे से, गुनाह और तावान से)। **(बुख़ारी-6375, मुस्लिम-589)**

3839. हज़रत फ़र्वह बिन नोफ़िल अश्जई (रह.) का बयान है, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया कि हुज़ूर (ﷺ) क्या दुआ फ़र्माया करते थे? उन्होंने कहा, हुज़ूर (ﷺ) ये दुआ फ़र्माया करते थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन शर्रि मा अमिल्तु व मिन शर्रि मा लम अअ़्मल.** (ऐ अल्लाह! मैं उस अमल के शर से तेरी

पनाह में आता हूँ जो मैंने किया और उस अमल के शर से भी जो मैंने नहीं किया)। **(मुस्लिम-2716)**

3840. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) हमको ये दुआ इस तरह सिखलाया करते थे जिस तरह क़ुर्आन की सूरत तालीम फ़र्माया करते, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ुबि-क मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ुबि-क मिन फ़ित्नतिल मसीहिद्दज्जालि व अऊज़ुबि-क मिन फ़ित्नतिल मह्या व ममाति.** (ऐ अल्लाह! मैं जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह माँगता हूँ, और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह का तालिब हूँ, और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ, और तुझसे ज़िंदगी और मौत के फ़ित्ने से पनाह माँगता हूँ)। **(बुख़ारी-694)**

3841. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, एक रोज़ मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) को रात के वक़्त मकान में न पाया (और घबरा कर ढूंढने लगी)। अंधेरे में मस्जिद के अंदर मेरा हाथ आपके पाँव मुबारक पर पड़ा जो (इस तरह) खड़े थे जिस तरह सज्दे में खड़े होते हैं और हुज़ूर (ﷺ) ये दुआ फ़र्मा रहे थे, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबिरिज़ा-क मिन सख़ति-क व बिमुआफ़ाति-क अन अुक़ूबति-क व अऊज़ुबि-क मिन्क ला उहसी सनाअन् अलै-क अन्त कमा अस्नय-त अला नफ़्सि-क.** (ऐ अल्लाह! मैं तेरी नाराज़ी से तेरी ख़ुश्नूदी की पनाह में आता हूँ। तेरी सज़ा से तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ और तुझसे तेरी पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पूरी तरह तारीफ़ नहीं कर सकता। तू वैसे ही है जैसे तूने अपनी तारीफ़ ख़ुद फ़र्माई)। **(मुस्लिम-486)**

3842. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, **तअव्वज़ू बिल्लाहि मिनल फ़क़्रि वलक़िल्लति वज़्ज़िल्लति व अन तज़्लिम और तुज़्लम.** (मुहताजी और कमी और ज़िल्लत और ज़ुल्म करने से या ज़ुल्म किये जाने से अल्लाह की पनाह मांगा करो)। **(नसाई-5463, 5465)**

3843. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, **सलुल्ला-ह इल्मन् नाफ़िअन् व तअव्वज़ू बिल्लाहि मिन इल्मिन् ला यन्फ़अु.** (अल्लाह तआला से उस इल्म से पनाह मांगो जो फ़ायदा न दे और उस इल्म को तलब करो जो फ़ायदा दे)। **(इब्ने अबी शैबा)**

3844. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माया करते, **यतअव्वज़ू मिनल जुब्नि वल्बुख़िल व अर्ज़लिल अुमुरि व अज़ाबिल क़ब्रि व फ़ित्नतिस्सदरि.** (बुज़दिली, बुख़्ल, इन्तिहाई बुढ़ापे और लाचारी की उम्र, अज़ाबे क़ब्र और सीने के फ़ित्ने से पनाह माँगा करते)। इमाम हज़रत वकीअ (रज़ि.) कहते हैं, दिल का फ़ित्ना ये है कि इंसान एक बुरे ऐतक़ाद पर मर जाये और मरते वक़्त उससे तौबा न करे। **(अबू दाऊद-1539)**

जामेअ दुआओं का बयान

3845. हज़रत अबू मालिक सअद बिन तारिक़ (रह.) कहते हैं, उनके वालिद (हज़रत तारिक़ रज़ि.) ने बयान किया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब मैं अपने मालिक से दुआ करूं तो किस तरह करूं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस तरह किया करो, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरली वर्हमनी व आफ़िनी वर्ज़ुक़्नी** (या अल्लाह! मुझे बख़्श दे, मुझ पर रहम कर, मुझे आफ़ियत दे और मुझे रिज़्क़ दे।) फिर हुज़ूर (ﷺ) ने अपने अंगूठे के अलावा बाक़ी उंगलियों को मिलाकर फ़र्माया, ये कलिमात तेरे दीन और दुनिया दोनों को सम्भाल लेंगे। **(मुस्लिम-2677)**

3846. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने हमको ये दुआ तालीम फ़र्माई थी, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलु-क मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिह व आजिलिहि मा अलिम्त मिन्हु व मा लम अअ्लम् व अअूज़ुबि-क मिनश्शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिम्तु मिन्हु व मा लम अअ्लम् . अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलु-क मिन ख़ैरि मा सअल-क अब्दु-क व नबिय्यु-क व अअुज़ूबि-क मिन शर्रि मा आज़ा बिहि अब्दु-क व नबिय्यु-क अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलु-कल जन्न-त व मा क़र्र-ब इलैहा मिन क़ौलिन् अव अमलिन् व अअूज़ुबि-क मिनन्नारि व मा क़र्र-ब इलैहा मिन क़ौलिन अव अमलिन् व अस्अलु-क अन तज्अ-ल कुल्ल क़ज़ाइन् क़ज़यतहु ली ख़ैरा.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे हर क़िस्म की ख़ैर माँगता हूँ, जल्दी मिलने वाली और देर से मिलने वाली (या दुनिया की और आख़िरत की), वो भी जिसका मुझे इल्म है और वो भी जिसका मुझे इल्म नहीं। ऐ अल्लाह! मैं हर क़िस्म के शर से तेरी पनाह में आता हूँ, जल्दी आने वाले से भी, और देर से आने वाले से भी (या दुनिया व आख़िरत के शर से), जिसका मुझे इल्म है, उससे भी और जिसका मुझे इल्म नहीं, उससे भी। या अल्लाह! मैं तुझसे से वो ख़ैर माँगता हूँ जो तुझसे तेरे बन्दे और तेरे नबी (मुहम्मद ﷺ) ने माँगी है। और मैं उस शर से तेरी पनाह में आता हूँ जिसके शर से तेरे बन्दे और तेरे नबी (मुहम्मद ﷺ) ने पनाह माँगी है। या अल्लाह! मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और हर उस क़ौल व अमल (की तौफ़ीक़) का सवाल करता हूँ जो उससे क़रीब करे। और मैं (जहन्नम की) आग से तेरी पनाह में आता हूँ और हर उस क़ौल व अमल से पनाह माँगता हूँ जो उस (जहन्नम) से क़रीब करे और मैं ये सवाल करता हूँ कि तू जो भी फ़ैसला करे उसे मेरे लिये बेहतर (या ख़ैर का बाइस) बना दे)। **(मुस्नद अहमद)**

3847. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक शख़्स से दरयाफ़्त किया कि तू नमाज़ में कौनसी दुआ पढ़ता है ? उसने कहा, तशह्हुद के बाद अल्लाह तआला से जन्नत का तलबगार होता हूँ और दोज़ख़ से पनाह मांगता हूँ लेकिन अल्लाह की क़सम आपकी और हज़रत मुआज़ की गुनगुनाहट मेरी समझ में कुछ नहीं आती। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, हम भी इस तरह उनके मानिन्द गुनगुनाते है।

माफ़ी और आफ़ियत की दुआ

3848. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसी दुआ करना इंसान के लिये बेहतर फ़ायदेमंद है? आपने फ़र्माया, अल्लाह से तन्दुरुस्ती और अफ़ू का दुनिया और आख़िरत दोनों में तलबगार रहना। फिर वो शख़्स दूसरे रोज़ हाज़िर हुआ और उसने वही अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसी दुआ मांगना अफ़ज़ल है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तन्दुरुस्ती और आफ़ियत का तलबगार रहना दुनिया व आख़िरत दोनों में। फिर ये शख़्स तीसरे रोज़ हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसी दुआ मांगना अफ़ज़ल है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया और आख़िरत दोनों की तन्दुरुस्ती और आफ़ियत तलब कर। अगर तू उन दोनों में सहीह व सालिम रहा तो तूने छुटकारा पा लिया। **(तिर्मिज़ी-3512)**

3849. हज़रत औसत बिन इस्माईल बजली (रह.) का बयान है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) की वफ़ात हो चुकी तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के बाद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने खड़े होकर बयान किया और रोकर फ़र्माया, इससे पहले साल इस मेरी जगह पर हुज़ूरे अक़दस (ﷺ) तशरीफ़ फ़र्मा थे। उसके बाद कहने लगे कि तुम सच्चाई को अपने लिये लाज़िम कर लो क्योंकि इसके साथ नेकी भी है और फिर ये दोनों (सच्चाई और नेकी) जन्नत में हैं और झूठ से परहेज़ करो क्योंकि ये बुराई के साथ है फिर (ये दोनों, झूठ और बुराई मिलकर) दोज़ख़ में हैं। अल्लाह तआला से तन्दुरुस्ती और आफ़ियत तलब किया करो क्योंकि बाद ईमान के तन्दुरुस्ती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, आपस में एक-दूसरे से हसद

और बुग़्ज़ मत करो और क़तअ रहमी और क़तअ मुलाक़ात से बचो और एक दूसरे से मुँह मोड़कर पीठ मत फेरो बल्कि अल्लाह के बन्दों आपस में भाई-भाई होकर रहो। **(मुस्नद अहमद)**

3850. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, मैंने रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मुझको शबे क़द्र मिल जाये तो मुझको क्या करना चाहिये। आपने फ़र्माया, ये दुआ करना, **अल्लाहुम्म इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़वा फ़अफ़ु अन्नी.** (ऐ अल्लाह! तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसन्द करता है, पस तू मुझे माफ़ कर दे)। **(तिर्मिज़ी-3513)**

3851. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बन्दा जो दुआ किया करता है, उन सब दुआओं से बेहतर ये दुआ है, **अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल मुआफ़ात फ़ीद्दुनया वल आख़िरह.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे दुनिया और आख़िरत में आफ़ियत का सवाल करता हूँ)।

दुआ माँगते वक़्त पहले अपने लिये दुआ करे

3852. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने (दुआ फ़र्माते हुए) फ़र्माया, अल्लाह हम पर और आद के भाई (हूद) पर रहम फ़र्माये।

बन्दे की दुआ क़ुबूल होती है जब जल्दबाजी न करे

3853. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें लोगों की दुआ क़ुबूल होती है लेकिन शर्त ये है कि जल्दबाजी न करे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जल्दबाजी से क्या मतलब है? आपने फ़र्माया, जैसे यूँ कहे कि मैंने दुआ तो मांगी लेकिन क़ुबूल न हुई। **(बुख़ारी-6340, मुस्लिम-2735)**

ये कहना जाइज़ नहीं कि ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे बख़्श दे

3854. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई शख़्स दुआ मांगे तो ये न कहे कि ऐ अल्लाह! अगर तू चाहे तो मुझे बख़्श दे बल्कि यक़ीनी तौर पर सवाल करे क्योंकि अल्लाह तआला पर जबर करने वाला कोई नहीं है। **(मालिक-6339)**

अल्लाह तआला के अज़ीम तरीन नाम (इस्मे आज़म) का बयान

3855. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इस्मे आज़म इन दो आयतों में है, **व इलाहुकुम इलाहुव्वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर्रहमानुर्रहीम** (तुम्हारा मअबूद एक ही मअबूद है, उसके सिवा कोई मअबूद नहीं जो निहायत मेहरबान और बेहद रहम करने वाला है-सूरह बक़रह : 163) और सूरह आले इमरान के शुरू में **अलिफ़ लाम मीम. अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम.** (अलिफ़ लाम मीम. अल्लाह, जिसके सिवा कोई मअबूद नहीं, वो ज़िन्दा व जावेद है)। **(अबू दाऊद-1496)**

3856. हज़रत क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान दमिश्क़ी (रह.) कहते हैं, अल्लाह तआला का वो नाम जिसके ज़रिए से हर दुआ क़ुबूल होती है वो तीन सूरतों में हैं, सूरह बक़रह, सूरह आले इमरान और सूरह ताहा।

(तबरानी फ़िल्कबीर-7758)

हज़रत क़ासिम बिन अब्दुर्रहमान दमिश्क़ी (रह.), हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) की रिवायत में भी यही मज़्मून नक़ल करते हैं।

3857. हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा (रह.) के वालिद (हज़रत बुरैदा रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक शख़्स को इस तरह दुआ करते सुना, **अल्लाहुम्म इन्नी असअलु-क बिअन्न-क अनतल्लाहुल अहदुस्समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लहु कुफ़ुवन अहद** (ऐ अल्लाह! मैं तुझ से सवाल करता हूँ, इसलिये कि तू अल्लाह है, अकेला है, बेनियाज़ है, जिसने किसी को जनम नहीं दिया न उसका कोई हमसर है)। तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसने अल्लाह के उस इस्मे आज़म के वसीले से तलब किया है जिसके वसीले से तलब किया जाये तो मिलता है और दुआ करने वाले की दुआ रद्द नहीं की जाती। **(अबू दाऊद-1493, तिर्मिज़ी-3475)**

3858. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ रसूले करीम (ﷺ) ने एक शख़्स को ये पढ़ते सुना, **अल्लाहुम्म इन्नी असअलुक बिअन्न लकल हम्दु ला इलाह इल्ला अन्त वहद-क ला शरीक लकल मन्नानु बदीउस्समावाति वल अरज़ि ज़ुल जलालि वल इकराम** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे इस वसीले से सवाल करता हूँ कि तारीफ़ सिर्फ़ तेरे लिये है, तुझ अकेले के सिवा कोई मअबूद नहीं, तेरा कोई शरीक नहीं। तू एहसान करने वाला है, आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। जलाल व अज़्मत वाला है)। तो आपने फ़र्माया, उसने उस इस्मे आज़म के ज़रिए से सवाल किया है कि जब उसके ज़रिए से सवाल किया जाता है तो मिलता है और जब दुआ करता है तो क़ुबूल होती है। **(मुस्नद अहमद)**

3859. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि मैं हुज़ूर अकरम (ﷺ) को ये पढ़ते सुना करती थी, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुक बिस्मिकत्ताहिरित्तय्यिबिल्मुबारकिल अहब्ब इलैक अल्लज़ी इज़ा दुईत बिहि अजब्त व इज़ा सुइल्त बिकि अअतैत व इज़स्स्तुर्हिम्त बिहि रहिम्त व इज़स्तुफ़्रिज्त बिहि फ़र्रजत.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझसे उस ताहिर, तय्यिब व बरकत वाले और तुझे सबसे प्यारे नाम के वास्ते से सवाल करता हूँ, जिसमें वसीले से जब तुझसे कुछ माँगा जाये तो तू अता फ़र्माता है और जब तुझसे इसके वास्ते से रहमत तलब की जाये तो तू रहमत फ़र्माता है और जब तुझसे इसके वास्ते से परेशानी दूर करने की दरख़्वास्त की जाये तो तू परेशानी दूर करता (और मुश्किलकुशाई फ़र्माता) है)। (बाद में) एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) फ़र्माने लगे, आइशा! तुमको मालूम है कि अल्लाह तआला ने मुझको वो नाम बतला दिया है जिसके ज़रिए से सवाल किया जाये तो अता होता है और दुआ की जाये तो क़ुबूल होती है। मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान वो नाम आप मुझको बतला दीजिये। आपने फ़र्माया, आइशा! वो तुम्हें बतलाने का नहीं है, इसमें मसलिहत नहीं कि तुमको बतलाया जाये। मैं ये सुनकर अलग हो गई और कुछ देर ख़ामोश बैठी रही और फिर उठकर मैंने आपके सर मुबारक को चूमा और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको बतला दीजिये वो कौनसा नाम है? हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा! वो नाम तुम्हारे बतलाने के क़ाबिल नहीं है। ये सुनकर मैं उठी और मैंने वुज़ू करके इस तरह दुआ की, **अल्लाहुम्म इन्नी अदऊ-कल बर्रि-रहीम व अदऊ-क बिअस्माइल हुस्ना कुल्लहा मा अलिम्तु मिन्हा वमा लम अअलम् अन्तग़्फ़िली वतर्हम्नि.** (ऐ अल्लाह! मैं तुझे अल्लाह कहती हूँ, मैं तुझे रहमान के नाम से पुकारती हूँ, मैं तुझे बर्रुरहीम पुकारती हूँ, मैं तुझे तेरे तमाम बेहतरीन नामों का वास्ता देती हूँ जो नाम मुझे मालूम है और जो मालूम नहीं (उन सब नामों का वास्ता देकर दुआ करती हूँ) कि मेरी मग़्फ़िरत फ़र्मा दे और मुझ पर रहमत फ़र्मा दे) ये दुआ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) सुनकर हँसे और फ़र्माया, जो दुआ तुमने की है उसमें इस्मे आज़म भी मौजूद है।

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के नामों का बयान

3860. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के एक निन्यानवे यानी एक कम सौ (99) नाम हैं, जो कोई उन नामों को याद कर लेगा वो जन्नत में दाख़िल होगा। **(मुस्नद अहमद)**

3861. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह के एक कम सौ (99) नाम हैं, जो शख़्स इनको याद कर लेगा वो जन्नत में दाख़िल होगा। चूंकि अल्लाह तआला अकेला है और वो ताक़ अदद को महबूब रखता है। वो नाम ये है, **अल्लाह** (मअबूद), **अल्वाहिद** (एक), **अस्समदु** (बेनियाज़), **अल्अव्वलु** (सबसे पहले मौजूद), **अल्आख़िरु** (सबके बाद रहने वाला), **अज़्ज़ाहिरु** (अपनी कुदरतों के लिहाज़ से ज़ाहिर), **अल्बातिनु** (अपनी हक़ीक़त के लिहाज़ से पोशीदा), **अल्ख़ालिक़ु** (पैदा करने वाला), **अल्बारिय** (बनाने वाला), **अल्मुसव्विरु** (सूरतें बनाने वाला), **अल्मालिकु** (बादशाह), **अल्हक़्क़ु** (सच्चा), **अस्सलाम** (सलामती वाला), **अल्मुअमिनु** (अमन देने वाला), **अल्मुहैमिनु** (निगहबान), **अल्अज़ीज़ु** (ग़ालिब), **अल्जब्बारु** (ज़बरदस्त या कमी पूरी करने वाला), **अल्मुतकब्बिरु** (अपनी अज़्मत का इज़्हार करने वाला), **अर्-रह्मानु** (इन्तिहाई रहम करने वाला), **अर्-रहीम** (हमेशा रहम करने वाला), **अल्लतीफ़ु** (बारीकबीन), **अल्ख़बीरु** (हमेशा बाख़बर), **अस्समीउ** (ख़ूब सुनने वाला), **अल्बसीरु** (ख़ूब देखने वाला), **अल्अलीम** (ख़ूब जानने वाला), **अल्अज़ीमु** (ख़ूब अज़्मत वाला), **अल्बार्रु** (एहसान करने वाला), **अल्मुतआलि** (बुलन्द), **अल्जलीलु** (जाहो-जलाल वाला), **अल्जमीलु** (साहिबे जमाल), **अल्हय्य** (ज़िन्दा), **अल्क़य्यूमु** (क़ायम रहने और क़ायम रखने वाला), **अल्क़ादिरु** (सबकुछ कर सकने वाला), **अल्क़ाहिरु** (ग़ालिब), **अल्अलिय्यु** (बहुत बुलन्द), **अल्हकीम** (ख़ूब हिक्मतों वाला), **अल्क़रीबु** (इल्म व कुदरत के लिहाज़ से मख़्लूक़ के इन्तिहाई क़रीब), **अल्मुजीब** (कुबूल करने वाला), **अल्ग़नीय्यु** (बेपरवाह जो किसी का मुहताज नहीं), **अल्वह्हाबु** (बहुत कुछ देने वाला), **अल्वदूदु** (बहुत ज़्यादा मुहब्बत रखने वाला, महबूब), **अश्शकूरु** (निहायत क़द्रदान), **अल्माजिदु** (बुज़ुर्गी वाला), **अल्वाजिदु** (ऐसा ग़नी जो कभी मुफ़्लिस व मुहताज न हो), **अल्वालियु** (मालिक व मुख़्तार), **अर्-राशिदु** (हिदायत देने वाला), **अल्अफ़ुव्वु** (बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला), **अल्ग़फ़ूरु** (बहुत ज़्यादा बख़्शने वाला), **अल्हलीमु** (हमेशा दरगुज़र करने वाला), **अल्करीमु** (बेइन्तहा सख़ी, हर क़िस्म की सिफ़ाते कमाल से मुत्तसिफ़), **अत्तव्वाबु** (बहुत ज़्यादा तौबा कुबूल करने वाला), **अर्-रब्बु** (पालने वाला), **अल्मजीदु** (दाइम बुज़ुर्गी वाला), **अल्वलिय्यु** (मददगार), **अश्शहीदु** (गवाही देने वाला), **अल्मुबीनु** (वाज़ेह करने वाला), **अल्बुरहानु** (दलील), **अर्-रऊफ़ु** (बहुत शफ़क़त करने वाला), **अर्-रहीमु** (हमेशा रहम करने वाला), **अल्मुब्दिउ** (पहली बार पैदा करने वाला), **अल्मुओदु** (दोबारा पैदा करने वाला), **अल्बाइसु** (क़ब्रों से उठाने वाला), **अल्वारिसु** (वारिस, बाक़ी रहने वाला), **अल्क़विय्यु** (बहुत ज़्यादा कुव्वत वाला), **अश्शदीदु** (सख़्ती करने वाला), **अज़्ज़ार्रु** (नुक़्सान का इख़्तियार रखने वाला), **अन्नाफ़िउ** (नफ़ा पहुँचाने वाला), **अल्बाक़ी** (हमेशा बाक़ी रहने वाला), **अल्वाक़ी** (बचाने वाला, महफ़ूज़ रखने वाला), **अल्ख़ाफ़िज़ु** (पस्त करने वाला), **अर्-राफ़िउ** (बुलन्द करने वाला), **अल्क़ाबिज़ु** (तंगी देने वाला), **अल्बासितु** (फ़राख़ी देने वाला), **अल्मुइज़्ज़ु** (इज़्ज़त देने वाला), **अल्मुज़िल्लु** (ज़िल्लत देने वाला), **अल्मुक़्सितु** (इन्साफ़ करने वाला), **अर्- रज़्ज़ाक़ु** (रिज़्क़ देने वाला), **ज़ुल्कुव्वति** (कुव्वत वाला), **अल्मतीनु** (निहायत मज़्बूत), **अल्क़ाइमु** (हमेशा रहने वाला), **अद्-दाइमु** (हमेशगी वाला), **अल्हाफ़िज़ु** (हिफ़ाज़त करने वाला),

अल्वकीलु (कारसाज़), **अल्फ़ातिरु** (पैदा करने वाला), **अस्सामिअ़ु** (सुनने वाला), **अल्मुअ़ति** (देने वाला), **अल्मुह्यियि** (ज़िन्दगी देने वाला), **अल्मुमीतु** (मौत देने वाला), **अल्मानिअ़ु** (रोकने वाला), **अल्जामिअ़ु** (जमा करने वाला), **अल्हादियु** (हिदायत देने वाला, रहनुमाई करने वाला), **अल्काफ़ियु** (किफ़ायत करने वाला), **अल्अब्दु** (हमेशगी वाला), **अल्आलिमु** (जानने वाला), **अस्सादिक़ु** (सच्चा), **अन्नूरु** (रोशन), **अल्मुनीरु** (रोशनी करने वाला), **अत्ताम्मु** (मुकम्मल), **अल्क़दीमु** (क़दीम), **अल्वित्रु** (एक), **अल्अहदु** (अकेला), **अस्समदु** (बेनियाज़), **अल्लज़ी लम् यलिद वलम् यूलद वलम् यकुल्लहु कुफ़ुवन् अहद** (जिसने न किसी को जन्म दिया, न उसे किसी ने जन्म दिया, न उसका कोई हमसर है)। ज़ुहैर बिन तमीमी (रह.) कहते हैं कि मुझसे कई आलिमों ने कहा कि अस्मा-उल-हुस्ना शुरू करते वक़्त पहले ये कहना चाहिये, **ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु बियदिहिल ख़ैर व हुव अला कुल्लि शैइन क़दीर. ला इलाह इल्लल्लाहु लहुल असमाउल हुस्ना.** (अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है और तारीफ़ें भी उसी के लिये हैं, उसके हाथ में सारी भलाई है और हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है, अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, उसी के बेहतरीन नाम हैं)। **(तिर्मिज़ी-3507)**

माँ-बाप और मज़्लूम की दुआ का बयान

3862. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तीन शख़्सों की दुआ ज़रूर क़ुबूल होती हैं, उनकी क़ुबूलियत में कोई शक नहीं। मज़लूम की दुआ, मुसाफ़िर की दुआ और वालिदैन की अपनी औलाद के हक़ में दुआ। **(अबू दाऊद-1536, तिर्मिज़ी-3448)**

3863. हज़रत उम्मे हकीम बिन्ते वदाअ ख़ुज़ाईय्या (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, वालिदैन की दुआ अल्लाह तआला के ख़ास हिजाब तक जाती है (क़ुबूल होती है)। **(तब्रानी-394)**

दुआ में तकल्लुफ़ नहीं करना चाहिये

3864. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (रज़ि.) ने अपने लड़के को ये दुआ करते हुए सुना, **अल्लाहुम्म इन्नी असअलुकल क़सरल अबयज़ अन यमीनिल जन्नत इज़ा दख़ल्तुहा** (ऐ अल्लाह! जब मैं जन्नत में दाख़िल होऊँ तो मुझे जन्नत की दाहिनी तरफ़ सफ़ेद महल देना) आपने ये सुनकर फ़र्माया, बेटे अल्लाह तआला से जन्नत तलब करो और दोज़ख़ से पनाह मांगों बस इतना ही काफ़ी है (और ज़ायद तक़ल्लुफ़ात की ज़रूरत नहीं) क्योंकि मैंने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से सुना है कि ऐसी क़ौम भी होने वाली है कि दुआ में तक़ल्लुफ़ात से काम लेगी। **(अबू दाऊद-96)**

दुआ के लिये हाथ उठाना

3865. हज़रत सलमान फ़ारसी (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला निहायत शर्म और करम करने वाला है जब तुममें से कोई उसके सामने (दुआ के लिये) हाथ उठाता है तो उसको ख़ाली या नाउम्मीद करते हुए शर्म आती है। **(अबू दाऊद-1488, तिर्मिज़ी-3556)**

3866. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दुआ में अल्लाह तआला के सामने हाथ उठाया करो तो अपनी हथेलियाँ आसमान की तरफ़ उठाया करो और हाथों की पुश्त के साथ दुआ न किया

करो। दुआ करने के बाद उन हाथों को अपने मुँह पर फेर लिया करो।

सुबह-शाम आदमी को क्या दुआ करनी चाहिये

3867. हज़रत अबी अय्याश ज़रक़ी (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सुबह के वक़्त ये दुआ पढ़े, **ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर.** (अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तारीफ़ भी उसी की है और वो हर चीज़ पर ख़ूब क़ादिर है) तो उस शख़्स को इतना सवाब होगा जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गुलाम आज़ाद कर दिया और उसकी दस नेकियाँ तहरीर होकर दस दर्जे (जन्नत में) बुलंद कर दिये जायेंगे और शाम तक शैतान से महफ़ूज़ रहेगा। फिर शाम होने पर (यही कलिमात) कहेगा तो सुबह तक शैतान से महफ़ूज़ रहेगा। (हदीस के रावी कहते हैं) एक शख़्स ने ख़्वाब में आँहज़रत (ﷺ) को देखा तो आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अबू अय्याश आपसे ये हदीस नक़ल करता है। आपने फ़र्माया, अबू अय्याश बिल्कुल सच्चा है। **(अबू दाऊद-5077)**

3868. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान को सुबह उठकर ये दुआ पढ़नी चाहिये, **अल्लाहुम्म बिक अम्सैना व बिक अस्बह्ना व बिक नह्या व बिक नमूतु व इलैकल् मसीर.** (ऐ अल्लाह! हमने तेरी इनायत से शाम की और तेरी तौफ़ीक़ से सुबह की और तेरी क़ुदरत से हम ज़िन्दा हैं और तेरी क़ुदरत से ही मरेंगे और तेरी ही तरफ़ वापस जाना है)। **(तिर्मिज़ी-3391)**

3869. हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सुबह को तीन मर्तबा ये दुआ पढ़ लेगा, **बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इसमिहि शयउन फ़ील अरज़ि वला फ़ीस्समाइ वहुवस्समीउल अलीम.** (अल्लाह के नाम के ज़रिये से (पनाह माँगता हूँ) जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ नुक़्सान नहीं पहुँचा सकती और वो ख़ूब सुनने वाला और ख़ूब जानने वाला है) तो वो शाम तक तमाम आफ़तों से महफ़ूज़ रहेगा। हदीस के रावी कहते हैं कि हज़रत अबान (रह.) को फ़ालिज की बीमारी हो गई थी। एक शख़्स उनकी तरफ़ (इस हदीस को सुनकर) तअज्जुब से देखने लगा। उन्होंने कहा, तू मेरी तरफ़ क्या देखता है जिस रोज़ मुझ पर फ़ालिज गिरा, उस रोज़ मैंने ये दुआ नहीं पढ़ी थी। इस तरह अल्लाह की तक़्दीर जारी हो गई। **(तिर्मिज़ी-3388)**

3870. हज़रत अबी सलाम (रज़ि.) से रिवायत है, जो नबी करीम (ﷺ) के ख़ादिम थे, फ़र्माते हैं कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मुसलमान या जो शख़्स या जो बन्दा सुबह व शाम ये दुआ पढ़ेगा, **रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन् व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या** (मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद (ﷺ) के नबी होने पर राज़ी हूँ) तो अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसको ज़रूर राज़ी फ़र्मायेगा। **(तब्रानी-621, अबू दाऊद-5072)**

3871. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) (हमेशा इन दुआओं को सुबह व शाम पढ़ा करते थे) कभी इनका पढ़ना न छोड़ते, **अल्लाहुम्म इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल्आफ़िय-त फ़िदुनिया वल्आख़िरत. अल्लाहुम्म अन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल्आफ़ियत फ़ी दीनी व दुनिया. व अह्ली व माली. अल्लाहुम्मस्तुर औराती व आमिन रौआती वह्फ़ज़्नी मिन् बैनि यदैय्य व मिन् ख़ल्फ़ी व अन् यमीनी व अन**

शिमाली व मिन् फ़ौक़ी व अऊज़ुबि-क अन् उग़ताल मिन् तह्ती. (ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे दुनिया व आख़िरत में माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह! बेशक मैं तुझसे माफ़ी का और दीन व दुनिया में अहलो अयाल व माल-अस्बाब में आफ़ियत का सवाल करता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे ऐबों पर पर्दा डाल दे और मेरी परेशानियों से मुझे अमन दे और मेरी हिफ़ाज़त फ़र्मा मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरी दाईं तरफ़ से, मेरी बाईं तरफ़ से और मेरे ऊपर से और मैं इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे नीचे से अचानक पकड़ लिया जाये)। इमाम वकीअ (रह.) ने कहा, इससे मुराद ज़मीन में धँस जाना है। **(अबू दाऊद-5074, हाकिम)**

3872. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुरैदा (रह.) अपने वालिद (हज़रत बुरैदा रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने दिन या रात को सोते वक़्त या बिस्तर पर लेटते वक़्त ये दुआ पढ़ी, **अल्लाहुम्म अन्त रब्बी ला इलाह इल्ला अन्त ख़लक़तनी व अना अब्दु-क व अना अला अह्दि-क व वअदि-क मस्ततअतु अऊज़ुबि-क मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ बिनिअमति-क व अबूउ बिज़म्बी फग़्फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनू-ब इल्ला अन्त.** (ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है, तेरे सिवा कोई मअबूद नहीं। तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरा बन्दा हूँ और अपनी ताक़त के मुताबिक़ अपने अहद और वादे पर क़ायम हूँ। मैं अपने आमाल के शर से तेरी पनाह में आता हूँ, मैं तेरी नेअमत का इक़रार करता हूँ (जो मुझ पर है) और अपने गुनाह का भी ऐतराफ़ करता हूँ, लिहाज़ा मुझे बख़्श दे। हक़ीक़त ये है कि तेरे सिवा कोई भी गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता)। हदीस के रावी कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने दिन या रात के वक़्त ये दुआ पढ़ी, फिर उसी दिन या रात फ़ौत हो गया तो वो इंशाअल्लाह जन्नत में जायेगा। **(अबू दाऊद-5070)**

बिस्तर पर (सोने के लिये) जाते वक़्त की दुआ

3873. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो ये दुआ पढ़ते, **अल्लाहुम्म रब्बस्समावाति व रब्बलअर्ज़ि व रब्ब कुल्लि शैइन फ़ालिक़ल्हब्ब वन्नवा मुन्ज़िलत्तौराति वल्इन्जीलि वल्क़ुर्आनिल अज़ीम. अऊज़ुबि-क मिन् कुल्लि शैइन दाब्बतिन् अन्त आख़िज़ुन् बिनासियतिहा अन्त अव्वलु फ़लैस क़ब्लक शैउन. व अन्तज़्ज़ाहिरु फ़लैस फ़ौक़-क शैउन व अन्तलबातिनु फ़लैस दून-क शैउन. इक़्ज़ि अन्निद्दैनि व अग़्निनी मिनल् फ़क़्रि.** (ऐ अल्लाह! ऐ आसमानों और ज़मीन के मालिक! और हर चीज़ के मालिक! ऐ दाने और गुठली को फाड़ने वाले! ऐ तौरात, इन्जील और क़ुर्आने अज़ीम को नाज़िल करने वाले! मैं हर उस जानदार से तेरी पनाह में आता हूँ, जिसकी पेशानी तेरे क़ब्ज़े में है। तू ही अव्वल है, तुझसे पहले कुछ नहीं। तू ही आख़िर है, तेरे बाद कुछ नहीं। तू ज़ाहिर है, तुझसे ऊपर कुछ नहीं। तू ही बातिन है, तुझसे पोशीदा कोई चीज़ नहीं। मुझसे मेरा क़र्ज़ अदा कर दे और मुझे फ़क़ीरी से (नजात देकर) ग़नी कर दे)। **(मुस्लिम-2713)**

3874. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम में से कोई शख़्स बिस्तर पर लेटना चाहे तो उसे चाहिये कि वो अपने तहबन्द का किनारा खोलकर उसको झाड़ ले क्योंकि उसे मालूम नहीं कि उसकी ग़ैर मौजूदगी में उस (बिस्तर) पर क्या चीज़ आई? फिर अपने दाहिने पहलू पर लेटकर यूँ कहे, **रब्बि! बि-क वज़अतु जम्बी व बि-क अरफ़अुहु फ़इन् अम्सक्त नफ़्सी फ़रहम्हा व इन् अरसल्तहा फ़ह्फ़ज़्हा बिमा हफ़िज़्त बिहि इबादकस्सालिहीन.** (ऐ मेरे रब! तेरी ही क़ुव्वत से मैंने अपना पहलू (बिस्तर पर) रखा है और तेरी ही तौफ़ीक़ से इसे उठाऊँगा। अगर तूने मेरी रूह (इस दौरान में) क़ब्ज़ कर ली तो इस पर रहम फ़र्माना और अगर तू इसे छोड़ दे (और क़ब्ज़ न करे) तो इसकी इस तरीक़े से हिफ़ाज़त फ़र्माना जैसे तू अपने नेक बन्दों की हिफ़ाज़त फ़र्माता है)। **(बुख़ारी-6320)**

3875. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) जब बिस्तर पर आरामफ़र्मा होते तो मुअव्वज़तैन (सूरह फ़लक़ और सूरह नास) पढ़कर अपने हाथों पर फूँक मारते और फिर दोनों हाथ जिस्मे मुबारक पर फेर लेते। **(बुख़ारी-5117)**

3876. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने एक आदमी से फ़र्माया, जब तू सोने लगे, या फ़र्माया, जब तू अपने बिस्तर पर जाये तो ये कहा कर, **अल्लाहुम्म अस्लम्तु वज्ही इलैक. वअल्जअतु ज़ह्री इलैक. व फ़व्वज़्तु अम्री इलैक. रग़बतन् व रह्बतन् इलैक. ला मल्जआ व मन्जा मिन्क इल्ला इलैक. आमन्तु बिकिताबिक़ल्लज़ी अन्ज़ल्त व नबिय्यिक़ल्लज़ी अरसल्त.** (ऐ अल्लाह! मैंने अपना चेहरा तेरे ताबेअ कर दिया और अपनी पुश्त तेरी तरफ़ झुकाई और अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, सवाब में रग़बत करते हुए और तेरे अज़ाब से डरते हुए, तेरी बारगाह के सिवा कोई ठिकाना और जाए पनाह नहीं। मैं तेरी उस किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की और तेरे नबी पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा)। फिर अगर तू उस रात में फ़ौत हो गया तो तेरी मौत फ़ितरत (दीने इस्लाम) पर होगी, और अगर तुझे (ख़ैरियत से) सुबह हो गई, तो तेरी ये सुबह इस हाल में होगी कि तू बहुत भलाई हासिल कर चुका होगा। **(मुस्नद अहमद)**

3877. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से रिवायत है, नबी (ﷺ) जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते तो अपना दायाँ हाथ अपने रुख़्सारे मुबारक के नीचे रखकर यूँ फ़र्माते, **अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाब-क यौम तब्असु इबादक** या फ़र्माते, **यौम तज्मअु इबाद-क** (ऐ अल्लाह! मुझे (उस दिन) अपने अज़ाब से महफ़ूज़ रखना जिस दिन तू अपने बन्दों को उठायेगा या अपने बन्दों को जमा करेगा)। **(मुस्नद अहमद)**

रात को आँख खुले तो क्या दुआ पढ़े

3878. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब रात को किसी शख़्स की आँख खुले और उसने जागकर यूँ कहा, **ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर. सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम.** (अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं। बादशाही उसी की है और तारीफ़ें भी उसी के लिये है और वो हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है। अल्लाह पाक है और सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिये हैं और अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। और बुलन्दियों और अज़्मतों वाले अल्लाह की मदद के बग़ैर न बुराई से बचाव मुम्किन है और न नेकी की ताक़त) फिर उसके बाद उसने ये दुआ की, **रब्बिग़फ़िर्ली** (ऐ मेरे रब! मुझको बख़्श दे) तो अल्लाह तआला उसकी बख़्शिश फ़र्मायेगा। (हदीस के रावी) हज़रत वलीद बिन मुस्लिम (रह.) बयान करते हैं कि या आप (ﷺ) ने यूँ फ़र्माया, अगर दुआ करेगा तो दुआ कुबूल होगी और अगर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ेगा तो उसकी नमाज़ कुबूल होगी। **(बुख़ारी-1154)**

3879. हज़रत रबिआ इब्ने कअब असलमी (रज़ि.) का बयान है, ये रात को हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के क़रीब रहा करते और रात को कान लगाकर सुना करते। हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माते, **सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन** (तमाम जहानों का मालिक अल्लाह पाक है) उसके बाद फ़र्माते, **सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि** (पाक है अल्लाह अपनी ख़ूबियों और तारीफ़ों समेत)। **(अबू दाऊद-1320, तिर्मिज़ी-3416)**

3880. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है, जब रसूले मक़्बूल (ﷺ) रात को जागते तो ये दुआ फ़र्माया करते, **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअ़द मा अमातना व इलैहिन्नुशूर.** (अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िन्दगी बख़्श दी और उसी की तरफ़ उठकर जाना है)। **(बुख़ारी-6312)**

3881. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स वुज़ू करके सोये और रात को किसी वक़्त बेदार होकर अल्लाह तआ़ला से दुनिया और आख़िरत के मामले में किसी चीज़ की दुआ मांगे तो अल्लाह तआ़ला उसे वो चीज़ दे देता है। **(अबू दाऊद-5042)**

सख़्ती और तक्लीफ़ के वक़्त की दुआ

3882. हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने परेशानी के मौक़े पर पढ़ने के लिये मुझे ये अल्फ़ाज़ सिखलाये, **अल्लाहु, अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिहि शैआ** (अल्लाह, सिर्फ़ अल्लाह मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करती)। **(अबू दाऊद-1525)**

3883. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी करीम (ﷺ) परेशानी के वक़्त ये दुआ पढ़ा करते, **ला इलाह इल्लल्लाहुल हलीमुल करीमु सुब्हानल्लाहि रब्बिल अ़रशिल अ़ज़ीम. सुब्हानल्लाहि रब्बिस्समावातिस्सब्अ व रब्बिल अ़रशिल करीम.** (अल्लाह के सिवा कोई मअ़बूद नहीं, जो निहायत बुर्दबार और बहुत ज़्यादा सख़ी है, अल्लाह पाक है जो अ़र्शे-अ़ज़ीम का मालिक है और अल्लाह पाक है जो आसमानों का मालिक और अ़र्शे-अ़ज़ीम का मालिक है)। (हदीस के रावी) वकीअ़ ने एक मर्तबा (आख़िरी दो जुम्लों में) **सुब्हानल्लाह** की बजाय **ला इलाह इल्लल्लाह** के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। जैसा कि पहले जुम्ले में हैं यानी उन्होंने हर जुम्ले के साथ **ला इलाह इल्लल्लाह** के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। **(बुख़ारी-6345, 6346, मुस्लिम-2730)**

घर से निकलते वक़्त पढ़ने की दुआ

3884. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) मकान से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो ये फ़र्माते, **अल्लाहुम्मा इन्नी अउज़ुबिक अन अज़िल्ल अव अज़िल्ल अव अज़लिम अव उज़लम अव अजहल अव युजहल अ़लय्या.** (ऐ अल्लाह! (इस बात से) मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं गुमराह हो जाऊँ या मैं लग़्ज़िश का शिकार हो जाऊँ या मैं किसी पर ज़ुल्म करूँ या कोई मुझ पर ज़ुल्म करे या मैं किसी से बदतमीज़ी करूँ या कोई मुझसे बदतमीज़ी से पेश आये)। **(अबू दाऊद-5094, तिर्मिज़ी-3427)**

3885. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो फ़र्माते, **बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहित्तुक्लानु अ़लल्लाहि.** (अल्लाह के नाम के साथ (मैं इस घर से निकल रहा हूँ) अल्लाह की तौफ़ीक़ के बग़ैर न बुराई से बचाव मुम्किन है न नेकी की ताक़त, अल्लाह ही पर भरोसा है)। **(बुख़ारी-1197)**

3886. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जब इंसान घर में से या कोठरी में से बाहर निकलता है तो उसके साथ दो फ़रिश्ते मुतअ़य्यन होते हैं, अगर वो **बिस्मिल्लाह** कहता है तो फ़रिश्ते कहते हैं, तूने सीधा रास्ता इख़्तियार किया। जब वो **ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह** कहता है तो वो कहते हैं, अब तू हर एक आफ़त से महफ़ूज़ हो गया फिर जब वो कहता है, **तवक्कलतु अ़लल्लाह** तब वो फ़रिश्ते कहते हैं कि अब

तुझको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एक शख़्स के दो शैतान जो उस पर मुसल्लत होते हैं उन फ़रिश्तों से मुलाक़ात करते हैं कि अब तुम उनके साथ क्या करना चाहते क्योंकि उसने हिदायत का रास्ता हासिल कर लिया तमाम आफ़ात से महफ़ूज़ हो गया अल्लाह की मदद के अलावा दूसरे की मदद से बेपरवाह हो गया। **(अबू दाऊद-5095)**

घर में जाते वक़्त क्या दुआ पढ़ें

3887. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने नबी करीम (ﷺ) से सुना, जब आदमी अपने घर में दाख़िल होता है और दाख़िल होते वक़्त और खाना खाते वक़्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है, तुम्हारे लिये यहाँ न रात गुज़ारने की जगह है और न रात का खाना है। और जब वो घर में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह का नाम नहीं लेता तो शैतान (अपने साथियों से) कहता है, तुम्हें रात गुज़ारने की जगह मिल गई। और जब खाना खाते वक़्त भी अल्लाह का नाम नहीं लेता तो वो कहता है, तुम्हें रात गुज़ारने को ठिकाना भी मिल गया और रात का खाना भी मिल गया। **(मुस्लिम-2018)**

3888. हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) सफ़र फ़र्माते तो कहते और (हदीस के रावी) अब्दुर्रहीम ने कहा, (इन अल्फ़ाज़ के ज़रिये से) पनाह माँगते, **अल्लाहुम्म इन्नी अऊज़ुबि-क मिन् वअसाइस्सफ़रि व कआबतिल्मुन्क़लबि वल्हौरि बअदल्कौरि व दअवतिल्मज़्लूमि व सूइल्मन्ज़रि फ़िल्अहलि वल्मालि.** (ऐ अल्लाह! मैं सफ़र की मशक्कत से, परेशानकुन वापसी से, कमाल के बाद तनज़्ज़ुल से, मज़्लूम की बद्दुआ से और अहलो-अयाल व माल में बुरी सूरते हाल नज़र आने से तेरी पनाह में आता हूँ)। (हदीस के रावी) अबू मुआविया (रह.) ये इज़ाफ़ा भी बयान करते हैं, वापसी के वक़्त भी हुज़ूर (ﷺ) यही दुआ फ़र्माया करते। **(मुस्लिम-1343)**

बादल और बारिश देखकर कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये

3889. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) आसमान के किसी किनारे से बादल उठता देखते तो फ़र्माते, **अल्लाहुम्मा इन्ना नउज़ूबिका मिन शर्रिमा उरसिल** (ऐ अल्लाह! हम उस चीज़ के शर से तेरी पनाह में आते हैं, जो कुछ देकर ये (बादल) भेजा गया है)। अगर बारिश शुरू हो जाती तो आप फ़र्माते, **अल्लाहुम्म सय्यिबन नाफ़िआ** (या अल्लाह! इस बारिश को फ़ायदेमन्द बना दे) आप ये कलिमात दो या तीन मर्तबा फ़र्माते और अगर उसमें से पानी न बरसता तो आप अल्लाह का शुक्र फ़र्माते। **(अबू दाऊद-5099)**

3890. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब नबी (ﷺ) बारिश को देखते तो फ़र्माते, **अल्लाहुम्मज्अलहु सय्यिबन हनीआ.** (ऐ अल्लाह! इस बारिश को नफ़ाबख़्श और ख़ुशगवार बना दे)। **(बुख़ारी-1032)**

3891. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अकरम (ﷺ) बादल देखते तो आपके चेहर-ए-मुबारक का रंग बदल जाता। आप कभी अंदर तशरीफ़ ले जाते, तो कभी बाहर तशरीफ़ ले आते। कभी (एक तरफ़) आते, तो कभी (दूसरी तरफ़) जाते। फिर जब बारिश होने लगती तो नबी करीम (ﷺ) की परेशानी दूर हो जाती। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) की जो कैफ़ियत महसूस की थी, वो आपकी ख़िदमत में अर्ज़ की (कि आपकी ये कैफ़ियत क्यों होती है?) तो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको क्या मालूम? शायद ये वैसा ही बादल हो जैसा हूद अलैहिस्सलाम की क़ौम ने (एक बादल देखकर) कहा था। (और अल्लाह तआला ने क़ुर्आन मजीद में उनका तज़्किरा

करते हुए फ़र्माया), **जब उन्होंने उस अज़ाब को बादल की सूरत में अपनी वादियों की तरफ़ आते हुए देखा तो बोले, ये बादल हम पर बारिश बरसाने वाला है। (हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं!) बल्कि ये तो वो अज़ाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे।** (सूरह अहक़ाफ़ : 24) **(मुस्लिम-899)**

किसी मुसीबतज़दा शख़्स को देखकर कौनसी दुआ पढ़नी चाहिये

3892. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसको अचानक कोई मुसीबतज़दा मिल जाये और वो (देखने वाला) ये दुआ पढ़ ले, **अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाक बिहि व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन् मिम्मन् ख़लक़ तफ़्ज़ीलन् ऊफ़िय मिन् ज़ालिकल्बलाइ काइनन् मा कान.** (हर क़िस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिये है जिसने मुझे इस मुसीबत से आफ़ियत में रखा, जिसमें तुझे मुब्तिला किया है और अपने पैदा किये हुए बहुत से बन्दों पर उसने मुझे फ़ज़ीलत अता फ़र्माई) तो वो उस मुसीबत से महफ़ूज़ रहेगा, चाहे कैसी भी मुसीबत हो। **(तिर्मिज़ी-3432)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुत्तअबीर

ख़्वाबों की तअबीर का बयान

3893. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, नेक शख़्स का नेक ख़्वाब नुबुव्वत का छियालिसवाँ (46) हिस्सा है। **(बुख़ारी-6983)**

3894. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन का उम्दा ख़्वाब नुबुव्वत के छियालीसवाँ हिस्सा है। **(मुस्लिम-2263)**

3895. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मुसलमान आदमी का नेक ख़्वाब नुबुव्वत के सत्तर हिस्सों में से एक हिस्सा है।

3896. हज़रत उम्मे कुर्ज़काबिया (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माया करते, नुबुव्वत तो ख़त्म हो चुकी अब ख़ुशख़बरियाँ बाक़ी रह गई हैं यानी सच्चे ख़्वाब बाक़ी हैं। **(मुस्नद अहमद)**

3897. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन का ख़्वाब नुबुव्वत के सत्तर हिस्सों में से एक है। **(मुस्लिम-2265)**

3898. हज़रत उबादा बिन सामित (रज़ि.) का बयान है, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से इस आयत का मतलब दरयाफ़्त किया, **लहुमुल बुशरा फ़ील हयातिदुनया वफ़ील आख़िरह** (उनके लिये दुनिया की ज़िन्दगी में भी ख़ुशख़बरी है और आख़िरत में भी) तो आपने फ़र्माया कि बुशरा से वो नेक ख़्वाब मुराद है जो मुसलमान आदमी को नज़र आया करता है या दूसरा उसके लिये देखा करता है। **(तिर्मिज़ी-2275)**

3899. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि मर्ज़े-वफ़ात में एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने अपने हुज्रे मुबारक के दरवाज़े का पर्दा उठाया। उस वक़्त लोग हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के पीछे नमाज़ की सफ़ बन्दी किये हुए खड़े थे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों! अब नुबुव्वत की ख़ुशख़बरी तो ख़त्म हो चुकी सिर्फ़ वो ख़्वाब रह गये जो मोमिन ख़ुद देखे या किसी और को उसके बारे में दिखाया जाये। **(मुस्लिम-479)**

ख़्वाब में नबी करीम (ﷺ) को देखना

3900. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मुझको ख़्वाब में देखा तो उसने (गोया) मुझे बेदारी में देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।
(तिर्मिज़ी-2276)

3901. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मुझको ख़्वाब में देखा उसने मुझही को देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता। **(बुख़ारी-6993)**

3902. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स ने मुझको ख़्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता। **(मुस्लिम-2268)**

3903. हज़रत अबू सईद (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स मुझको ख़्वाब में देखे तो (समझ ले कि) उसने मुझको ही ख़्वाब में देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।

3904. हज़रत अबू हुजैफ़ा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, जिस शख़्स ने मुझको ख़्वाब में देखा गोया उसने मुझको जागते में देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता।
(बुख़ारी फ़ित्तारीख़िल कबीर, तब्रानी-279)

3905. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने मुझे ख़्वाब में देखा, उसने मुझे ही देखा क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख़्तियार नहीं कर सकता। **(मुस्नद अहमद)**

ख़्वाब तीन तरह का होता है

3906. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़दस (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़्वाब की तीन क़िस्में हैं, एक अल्लाह की तरफ़ से, दूसरा अपने नफ़्स की तरफ़ से, तीसरा शैतान का डरावा होता है। जब तुममें से कोई शख़्स उम्दा ख़्वाब देखे तो उसकी ख़ुशी है चाहे लोगों से बयान करे या न करे और अगर बुरा ख़्वाब देखे तो किसी से बयान न करे बल्कि चुप रहे और नमाज़ पढ़े। **(बुख़ारी-7017, मुस्लिम-2263)**

3907. हज़रत औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़्वाब तीन क़िस्म के हैं, एक तो शैतानी होते हैं जिनसे शैतान का ये मक़सद होता है कि इंसान को ख़ौफ़ज़दा कर दे। दूसरे वो होते हैं कि जिधर का ख़्याल होता है वही सामने आ जाते हैं और एक वो ख़्वाब होता है जो नुबुव्वत के छियालीस हिस्सों में एक हिस्सा होता है। रावी कहते हैं, मैंने औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया, क्या ये हदीस तुमने आँहज़रत (ﷺ) से सुनी है ? उन्होंने कहा, हाँ! मैंने सुनी है, हाँ! मैंने सुनी है। **(तब्रानी-118)**

जो शख़्स बुरा ख़्वाब देखे

3908. हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब कोई शख़्स बुरा ख़्वाब देखे तो फ़ौरन उठकर अपनी बायें तरफ़ तीन मर्तबा थूके और **अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम** पढ़े और उसके बाद दूसरी करवट बदल डाले। **(मुस्लिम-2262)**

3909. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अच्छा ख़्वाब अल्लाह तआला

की तरफ़ से है और बुरा ख़्वाब शैतान की तरफ़ से अगर तुमसे कोई शख़्स बुरा ख़्वाब देखे तो अपनी बायें तरफ़ तीन मर्तबा थूककर **अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम** पढ़े और जिस करवट पर सो रहा हो उसको बदल डाले।

(बुख़ारी-5747)

3910. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुममें से कोई शख़्स बुरा ख़्वाब देखे तो अपनी बायें तरफ़ तीन मर्तबा थूके और उस ख़्वाब की बुराई से पनाह मांगे और उसकी अच्छाई तलब करे।

शैतान जिससे ख़्वाब में शरारत करे उसे चाहिये कि वो ख़्वाब लोगों को न बताए

3911. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मैंने ख़्वाब देखा ह कि मेरा सर कट कर लुढ़कता जा रहा है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोगों के पास ख़्वाब में शैतान आकर तुम लोगों को डराता है और फिर तुम उसको बयान भी करते हो। **(मुस्नद अहमद)**

3912. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ख़ुत्बा फ़र्मा रहे थे कि एक शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़्वाब में देखा कि मेरी गर्दन कट गई है और लुढ़कती जा रही है, मैं उसके पीछे हूँ और मैंने उसको पकड़ कर उठाकर रख लिया है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको शैतान ख़्वाब में डराता है तुम उसको बयान भी करते हो। ऐसे ख़्वाब को लोगों के सामने बयान नहीं करना चाहिये।

(मुस्लिम-2268)

3913. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से जो कोई शख़्स शैतानी ख़्वाब देखे तो उसको किसी से बयान न करे कि शैतान ने उसको क्या करिश्मे दिखाये। **(मुस्लिम-2268)**

ख़्वाब की जैसी ताबीर की जाये वो वाक़ेअ हो जाती है

3914. हज़रत अबू रज़ीन (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़्वाब एक परिन्दे के ऊपर है लेकिन उस वक़्त तक जब तक उसकी ताबीर न दी जाये। जब उसकी ताबीर दे दी जाये तो वो गिर जाता है। फिर हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, नेक ख़्वाब नुबुव्वत के छियालीस हिस्सों में से एक हिस्सा है और फ़र्माया, ख़्वाब उससे बयान करे जिससे मुहब्बत हो या जो साहिबे अक़्ल हो। **(अबू दाऊद-5020, तिर्मिज़ी-2278, हाकिम)**

ख़्वाब की ताबीर किस तरह देनी चाहिये

3915. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़्वाब की ताबीर उसके नाम और कुन्नियत को देखकर कर देना चाहिये और ख़्वाब अव्वल ताबीर देने वाले की हुआ करती है।

(इब्ने अबी शैबा-10544)

झूठे ख़्वाब का बयान

3916. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया कि, जो शख़्स झूठा ख़्वाब बयान करेगा तो क़यामत के रोज़ अल्लाह तआला उसको दो बालों के दरम्यान में गाँठ लगाने का हुक्म देगा (लेकिन उससे न लगाई जायेगी) इस वजह से अज़ाब दिया जायेगा। **(बुख़ारी-7042)**

आदमी जितना सच्चा होगा, उसका ख़्वाब भी उतना ही सच्चा होगा

3917. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के क़रीब मोमिन के ख़्वाब बहुत सहीह होंगे और उस शख़्स का ख़्वाब ज़्यादा सच्चा होगा जो बात में ज़्यादा सच्चा होगा।

(बुख़ारी-7017, मुस्लिम-2263)

ख़्वाबों की तअबीर

3918. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं कि जब हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) जंगे उहुद से वापस आये तो एक शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़्वाब में एक (बादल) का सायबान देखा जिससे घी और शहद बरस रहा था और लोग उससे अपने हाथों को भर रहे थे, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। उस सायबान में से एक रस्सी नीचे लटक रही थी जो आसमान तक चली गई है। पहले आपने उसको पकड़ा और ऊपर चले गये फिर उसके बाद और शख़्स ने पकड़ा और वो भी ऊपर चले गये फिर उसके बाद एक और शख़्स ने पकड़ा और वो ऊपर चले गये फिर उसके बाद एक और शख़्स ने पकड़ा तो वो रस्सी टूट गई। लेकिन वो जोड़ दी गई और वो ऊपर चढ़ गये। ये सुनकर जल्दी से हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसकी ताबीर तो आप मुझको देने दीजिये। आपने फ़र्माया, अच्छा तुम ही दे दो। ये कहने लगे कि वो ऊपर का टुकड़ा दीने इस्लाम है और उसमें से जो शहद और घी टपक रहा था उससे कुर्आन की नर्मी और शीरनी मुराद है और जो लोग शहद और घी हाथों से ले रहे हैं उससे ये मतलब है कि कोई कुर्आन थोड़ा हासिल कर रहा है और कोई बहुत और वो रस्सी जो आसमान तक लटक रही है उससे हक़्क़े विलायत मुराद है जिसको आपने लिया और ऊपर चढ़ गये और फिर दूसरे ने लिया वो भी ठीक तौर पर चढ़ गया। फिर तीसरे ने लिया वो चढ़ गया उसके बाद चौथे ने लिया तो वो हक़ कमज़ोर होकर टूट गया लेकिन उसके बाद फिर उसको मज़्बूती से पकड़ लेगा और चढ़ जायेगा। ये ताबीर हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने सुनकर फ़र्माया कि, तुमने कुछ ताबीर सहीह कर दी और कुछ ताबीर ग़लत की। हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह की क़सम! आप फ़र्मा दीजिये कि मैंने क्या ग़लती की। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू बक्र (रज़ि.) अल्लाह की क़सम देने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) सो गये (और कोई ग़लती बयान न फ़र्माई)। **(बुख़ारी-7046, मुस्लिम-2269)**

हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि एक शख़्स हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह(ﷺ)! मैंने एक बादल देखा जिससे घी और शहद टपक रहा था। उसके बाद वही क़िस्सा बयान किया जो ऊपर वाली हदीस में मज़कूर है।

3919. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि मैं चूंकि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के अहदे मुबारक में जवान बच्चा था। हम लोग मस्जिद में सोया करते थे और जो कुछ ख़्वाब में नज़र आता उसकी ताबीर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से तलब फ़र्माया करते थे। एक रोज़ मैंने दिल में अर्ज़ किया, ऐ बारी तआला! अगर मैं तेरे नज़दीक अच्छा हूँ तो मुझको भी एक ख़्वाब नज़र आ जाये जिसकी ताबीर मुझको हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) दें। अल्ग़र्ज़ जब मैं रात को सोया तो मेरे पास दो फ़रिश्ते आये और मुझको उठाकर ले चले। रास्ते में एक और तीसरा फ़रिश्ता मिला जिसने कहा कि ख़ौफ़ मत खाना। अल्क़िस्सा वो फ़रिश्ते मुझको दोज़ख़ पर लेकर पहुँचे। मैंने उसको एक कुएँ की तरह घिरा देखा और मैंने उसमें नीचे ऊपर बहुत से दर्जे देखे। उसमें मुझको कुछ लोग भी नज़र आये जिनको मैंने शिनाख़्त भी किया। उसके बाद वो मुझको वहाँ से अपनी दाहिनी तरफ़ ले चले थे (कि इतने में मेरी आँख खुल गई) मैंने ये ख़्वाब अपनी बहन उम्मुल मोमिनीन हज़रत

हफ़्सा (रज़ि.) से बयान की। उन्होंने ये ख़्वाब आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) अगर रात को नमाज़ पढ़ा करते तो बहुत अच्छा आदमी होता। उसी वक़्त से हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) ने रात को कसरत से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। **(अबू दाऊद-3268, 4632, तिर्मिज़ी-2293)**

3920. हज़रत ख़रशा (रह.) का बयान है कि जब मैं मदीना मुनव्वरा में आया और मस्जिदे नबवी में चंद लोगों के पास आकर बैठ गया। इतने में एक बूढ़े शख़्स लाठी पर सहारा लगाये हुए आये। लोगों ने एक-दूसरे से कहा कि जिस आदमी को जन्नती शख़्स देखना हो तो उस शख़्स को देख ले। लेकिन बूढ़े शख़्स एक सुतून के पास आये और वहाँ उन्होंने दो रकअतें अदा कीं (जब वो पढ़ चुके) तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा कि, ये लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह! जन्नत अल्लाह की मिल्कियत है जिसको चाहे उसमें दाख़िल फ़र्माये। मैंने आँहज़रत (ﷺ) के ज़माना-ए-मुबारक में एक ख़्वाब देखा था (शायद उसकी वजह से ये लोग मुझको जन्नती कहते होंगे) मैंने ख़्वाब में देखा कि एक शख़्स मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, मेरे साथ चल। मैं उसके साथ हो गया वो मुझे बड़े रास्ते पर लेकर चल दिया कुछ दूर पर मेरे बायें जानिब एक रास्ता आया। मैंने उस तरफ़ जाना चाहा। वो शख़्स मुझसे कहने लगा वो रास्ता तुम्हारे लिये नहीं है उसके बाद एक रास्ता मेरी दाहिनी तरफ़ आया मैं उस शख़्स के साथ उस रास्ते की तरफ़ चल दिया यहाँ तक कि मैं एक फलाँ पहाड़ के क़रीब पहुँचा। उस शख़्स ने मुझको सहारा दिया जिसके ज़रिए से मैं पहाड़ की चोटी पर पहुँच गया लेकिन वहाँ पर मैं ठहर न सका न तो वहाँ मुझको कोई ऐसी चीज़ मिली जिसको मैं पकड़ लेता लेकिन मैंने एक तरफ़ नज़र डाली तो मुझको एक लौहे का सुतून नज़र आया। उस पर एक सोने का कड़ा लगा हुआ था उस शख़्स ने मुझसे कहा कि, क्या कड़े को पकड़ लिया, मैंने कहा हाँ। उसने उस सुतून को पांव से मारा मैं उस छल्ले को पकड़े रहा उसके बाद वो शख़्स कहने लगे कि मैंने ये ख़्वाब हुज़ूर (ﷺ) से बयान किया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने ख़्वाब तो अच्छा देखा वो बड़ा मैदान जो तुमको दिखाई दिया वो मैदाने हश्र था और बायें तरफ़ वाला रास्ता दोज़ख़ियों का था लिहाज़ा तुम दोज़ख़ियों में से नहीं हो। और जो रास्ता तुमको दाहिनी तरफ़ नज़र आया। वो जन्नत वालों का रास्ता है और जो फलाँ पहाड़ तुमने देखा वो शहीदों का मर्तबा है और वो छल्ला इस्लाम है। अगर तू उस कड़े को मज़्बूत पकड़े रहा मरते वक़्त तक तो तू जन्नती होगा। ख़रशा कहते हैं कि मैंने फिर उनका नाम दरयाफ़्त किया तो मालूम हुआ कि वो अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम हैं। **(मुस्लिम-2484)**

3921. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) फ़र्माने लगे कि मैंने ख़्वाब में देखा कि मक्का से ऐसे मक़ामात की तरफ़ हिजरत कर रहा हूँ जहाँ खजूरों के दरख़्त बहुत ज़्यादा हैं। मेरा ख़्याल हिज्र और यमामा की तरफ़ गया लेकिन वो मदीना निकला जिसको लोग यस्रिब भी कहते हैं। फिर मैंने उसी ख़्वाब में देखा कि मैंने एक तलवार हिलाई जिसका सर टूट गया उसका नतीजा जंगे उहुद के रोज़ मुसलमानों पर ज़ुल्म हुआ। उसके बाद मैंने देखा कि फिर मैंने उस तलवार को हिलाया तो वो सालिम हो गई उसका नतीजा ये हुआ कि सब मुसलमानों को फ़तह हो गई और आपस में मिलकर एक हो गए। फिर मैंने एक गाय को ज़िब्ह होते देखा जिसकी ताबीर ये हुई कि उहुद के रोज़ मुसलमान शहीद हुए। गोया उसके गाय से उनके शहीद होने की तरफ़ इशारा था उस गाय के ज़िब्ह होते वक़्त मुझको ये आवाज़ आई वल्लाह ख़ैर जिससे वो बेहतरी मुराद थी जो अल्लाह तआ़ला ने जंगे उहुद के बाद ज़ाहिर की और जंगे बद्र में ज़ाहिर हुई और वहाँ हमको जो कुछ मिला। **(बुख़ारी-3622, मुस्लिम-2272)**

3922. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मैंने एक ख़्वाब देखा जिसमें मैंने देखा कि मेरे हाथों में दो कंगन थे। मैंने उनमें फूंक मारी तो वो उड़ गये जिसकी मैं ने गे ताबीर ली कि ये मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अ़न्सी हैं। **(मुस्नद अहमद)**

3923. हज़रत क़ाबूस (रह.) का बयान है कि हज़रत उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) ने हुज़ूरे अक्दस (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने ख़्वाब में देखा है कि आपके जिस्म मुबारक का एक टुकड़ा मेरे मकान में आ गया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने निहायत अच्छा ख़्वाब देखा है हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के लड़का पैदा होगा जिसको तुम दूध पिलाओगी। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा (रज़ि.) के हसन (रज़ि.) या हुसैन (रज़ि.) पैदा हुए तो हज़रत उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) ने उनको दूध पिलाया। हज़रत उम्मे फ़ज़ल (रज़ि.) एक रोज़ उस बच्चे को लेकर हुज़ूर अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और आपकी गोद में उनको बिठा दिया। उन्होंने हुज़ूर अनवर (ﷺ) की गोद में बैठकर पेशाब कर दिया। उम्मे फ़ज़ल ने इस हरकत पर उनके कांधे पर थप्पड़ मारा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने मेरे बच्चे को निहायत ईज़ा पहुँचाई अल्लाह तआला तुझ पर रहम फ़र्माये।

3924. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ रसूले करीम (ﷺ) ने ख़्वाब में देखा कि मदीने से एक काली कलूटी और बिखरे बाल वाली औरत निकल कर और मक़ामे जुहफ़ा में चली गई। हुज़ूर (ﷺ) ने उसकी ये ताबीर दी कि मदीना की वबा टलकर शाम की तरफ़ चली गई। **(बुख़ारी-7038)**

3925. हज़रत तल्हा इब्ने उबैदुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि किसी दूर-दराज़ जगह से दो शख़्स हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और ये दोनों एक साथ ही ईमान लाये। उनमें एक निहायत इबादत गुज़ार और इबादत में बहुत ज़्यादा मश्गूल रहने वाला और दूसरा उससे कम। वो पहला शख़्स एक जिहाद में शहीद हो गया दूसरा शख़्स उसके बाद एक साल तक ज़िंदा रहा। तल्हा (रज़ि.) कहते हैं कि मैंने एक दिन ख़्वाब में देखा कि मैं जन्नत के दरवाज़े पर खड़ा हूँ और उन दोनों में से पहले वो शख़्स (जन्नत में दाख़िल होने के लिये आया जो शहीद हो गया था तो जन्नत में से निकल कर किसी ने उसको रोक दिया। उसके बाद दूसरा शख़्स आया जो कम इबादत किया करता था (एक साल तक शहीद के बाद ज़िंदा रहा था) उसने जाना चाहा तो उस शख़्स ने उसको इजाज़त दे दी। उसके बाद मेरी तरफ़ मुतवज्जह होकर कहने लगा कि तुम वापस चले जाओ अभी तुम्हारा वक़्त नहीं आया है। मुझको उस ख़्वाब के वाक़िये से निहायत तअज्जुब हुआ और मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ये वाक़िया बयान किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तो तुमको इस ख़्वाब में कौनसी बात का ताज्जुब है? मैंने अर्ज़ किया, मुझको इस बात का ताज्जुब है कि जो शख़्स ज़्यादा इबादत गुज़ार और शहीद था वो जन्नत में बाद में दाख़िल हुआ और जो शख़्स उससे कम मर्तबे का था वो पहले। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शख़्स शहीद के बाद एक साल तक ज़िंदा रहा या नहीं? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ! आपने फ़र्माया, बस तो उसने उस साल में नमाज़ पढ़ी, रोज़े रखे और माहे रमज़ान उसको मुयस्सर हुआ। बस इतने अर्से ज़िंदा रहने से उसके दर्जे में ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ हो गया। **(मुस्नद अहमद)**

3926. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, ख़्वाब में गले के अंदर तौक़ और ज़ंजीर देखने को निहायत बुरा ख़्याल करो। अलबत्ता पांव में बेड़ी देखना मुझको बहुत अच्छा मालूम होता है क्योंकि उससे दीन की मज़्बूती की तरफ़ इशारा होगा। **(मुस्लिम-2263)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुल फ़ितन

फ़ित्ना व आज़माइश से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

3927. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको लोगों से उस वक़्त तक लड़ने का हुक्म है जब तक वो **ला इलाह इल्लल्लाह** न कह लें। लेकिन जब वो **ला इलाह इल्लल्लाह** कह लें तो उन्होंने अपनी जान और माल को मुझसे महफ़ूज़ कर लिया मगर किसी शरई हक़ के बारे में (क़िसास होगा) और ऐसे शख़्स का हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है वही (उसका हिसाब लेगा)। **(मुस्लिम-21)**

3928. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का मुझको लोगों से उस वक़्त तक लड़ने का हुक्म है जब तक वो **ला इलाह इल्लल्लाह** न कह लें लेकिन जब वो **ला इलाह इल्लल्लाह** कह लें तो उनकी जान और माल सब मुझसे महफ़ूज़ हो गया। अलबत्ता हक़्क़े शरई में (क़िसास होगा) और ऐसे लोगों का हिसाब अल्लाह पर है। **(मुस्लिम-21)**

3929. हज़रत औस बिन अबू औस हुज़ैफ़ा सक़फ़ी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हम हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे थे और हुज़ूर हम को (पहले अम्बिया की) हिकायात सुनाकर नसीहत फ़र्मा रहे थे कि इतने में एक शख़्स आया और हुज़ूर से कान में आहिस्ता-आहिस्ता कुछ बातें कीं। हुज़ूर (ﷺ) ने उससे फ़र्माया, जाओ उस शख़्स को जाकर मार डालो। ये सुनकर वो शख़्स जाने लगा तो हुज़ूर (ﷺ) ने फिर उसको वापस बुलाया और फ़र्माया, क्या वो कलिमा तय्यिबा पढ़ता है? उस शख़्स ने अर्ज़ किया, जी हाँ। तो आपने फ़र्माया, बस तो उसको छोड़ दो। क्योंकि मुझको लोगों से उस वक़्त तक जंग करने का हुक्म है कि जब तक वो **ला इलाह इल्लल्लाह** न कहें। लेकिन जब वो ये कह लें तो उनकी जान व माल सब मुझसे महफ़ूज़ हो जाता है। **(तब्रानी-564)**

3930. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ उनके साथ नाफ़ेअ इब्ने अज़रक़ उनके पास आये और कहने लगे, इमरान तुम तबाह व बर्बाद हो गये। मैंने कहा, क्यों तबाह व बर्बाद हो गया? उन्होंने कहा, बस तुम तबाह हो गये। मैंने उनसे कहा, आख़िर इसकी कोई वजह भी बतलाओगे कि मैं क्यों तबाह हुआ? (या यही कहे जाओगे तुम तबाह हो गये?) उन्होंने कहा, अल्लाह तआला का इर्शाद है, **वक़ातिलू हुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुव्वयकूनद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह** (यानी कुफ़्फ़ार से इस क़द्र लड़ो कि कोई काफ़िर बाक़ी न रहे और अल्लाह

का दीन ग़ालिब हो जाये)। हज़रत इमरान कहने लगे कि हम तो काफ़िरों से ऐसे ही लड़े कि अल्लाह का दीन ग़ालिब हो गया और दुनिया से उनको दूर कर दिया अगर तुम्हारी ख़्वाहिश है तो मैं तुमसे हुज़ूर अनवर (ﷺ) की एक हदीस बयान करूं? नाफ़ेअ ने कहा कि वो हदीस तुमने ख़ुद हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने कहा, हाँ! एक मर्तबा मैं आँहज़रत (ﷺ) के साथ था। हुज़ूर अनवर (ﷺ) ने एक मुसलमानों का लश्कर काफ़िरों के मुक़ाबले के लिये रवाना फ़र्माया जब दोनों फ़ौजें मिल गईं तो काफ़िर भाग निकले और उन्होंने अपने मूंढे हमारी तरफ़ कर दिये। मेरे अज़ीज़ों में से एक शख़्स ने काफ़िरों का पीछा करके उस पर बरछी से हमला किया। जब उस काफ़िर ने (अपने आपको ख़तरे में देखा) तो कहने लगा, **ला इलाह इल्लल्लाह** मैं मुसलमान होता हूँ। लेकिन उस शख़्स ने उसका कुछ ख़्याल न करके उसको फिर भी मार डाला। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो मर गया। आपने उससे एक या दो मर्तबा फ़र्माया, क्यों तू क्यों हलाक हो गया, क्या हुआ? उसने तमाम वाक़िया हुज़ूर (ﷺ) से बयान किया। आपने फ़र्माया, (जाहिरी अल्फ़ाज़ पर ही यक़ीन होता है, अगर तुझको यक़ीन हुआ था तो तूने) उसका दिल क्यों न चीर कर देखा? उसने अर्ज़ किया, अगर मैं उसका दिल चीर कर देखता तो क्या मुझे उससे कुछ मालूम हो जाता? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तूने इस बात का भी ख़्याल न किया और दिल चीर कर भी न मालूम कर सका। (फिर क़त्ल क्यों कर दिया) इमरान कहते हैं कि उसके बाद हुज़ूरे अनवर (ﷺ) उसकी तरफ़ से बिल्कुल ख़ामेश रहे कुछ अर्से के बाद उस शख़्स का इंतक़ाल हो गया। लोगों ने उसको दफ़न कर दिया। सुबह को जो देखा तो क़ब्र के बाहर पड़ा हुआ था। लोगों ने ख़्याल किया कि किसी दुश्मन ने इसको निकाल कर बाहर डाल दिया होगा। फिर उसको दफ़न करके अपने ग़ुलामों को उसकी हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर किया। लेकिन जब सुबह को देखा गया तो बाहर निकला पड़ा था। लोगों ने फिर भी यही ख़्याल किया कि शायद ग़ुलाम सो गये होंगे तो दुश्मनों ने फिर उसको निकालकर फेंक दिया। उन्होंने फिर उसको दफ़न कर दिया और ख़ुद उसकी हिफ़ाज़त के लिये रहे, सुबह को देखा तो वो फिर क़ब्र के बाहर पड़ा हुआ था। मजबूर होकर उसको एक खाई में फेंक दिया गया। **(मुस्नद अहमद)**

हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने हमको एक छोटे से लश्कर में रवाना किया। वहाँ लड़ाई में एक मुसलमान ने एक काफ़िर पर हमला किया उसके बाद वही क़िस्सा मज़कूर है सिर्फ़ इतना ज़्यादा है कि उस शख़्स को कई मर्तबा ज़मीन ने निकाल-निकाल कर फेंक दिया। ये क़िस्सा हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से बयान किया गया, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़मीन तो उससे बदतर आदमी को भी क़ुबूल कर लेती है यहाँ तक कि मुश्रिक को भी लेकिन अल्लाह तआला को ये दिखाना मक़सूद था कि कलिम-ए-तय्यिबा की इतनी बड़ी ताज़ीम है।

मोमिन की जान व माल की हुर्मत का बयान

3931. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि हज्जतुल विदाअ में रसूले अनवर (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया, तमाम दिनों में से ये दिन हुर्मत वाला है, तमाम महीनों में से ये महीना ज़्यादा हुर्मत वाला है, सब शहरों में से ये शहर ज़्यादा हुर्मत वाला है। जिस तरह ये शहर, ये दिन और ये महीना हराम है उसी तरह तुम्हारी जान व माल और इज़्ज़त सब आपस में तुम पर हराम हैं। फिर लोगों से फ़र्माया, मैंने अल्लाह का हुक्म तुम तक पहुँचा दिया। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ! पहुँचा दिया। ऐ अल्लाह तू भी गवाह रहना। **(मुस्नद अहमद)**

3932. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ख़ान-ए-काबा का तवाफ़ करते जाते और फ़र्माते जाते, तेरी क्या उम्दा ख़ुश्बू है, तू क्या अच्छा है, तेरी कैसी ताज़ीम है और तेरी कैसी हुर्मत है। उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है, अल्लाह तआला के नज़दीक मोमिन की इज़्ज़त, जान और माल सब तुझसे

ज़्यादा हुर्मत और इज़्ज़त वाले हैं। इसलिये हमको मोमिन के साथ अच्छा ही ख़्याल करना चाहिये।

3933. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान पर हर चीज़ हराम है। चाहे उसकी जान हो या माल हो या इज़्ज़त व आबरू हो (सब क़ाबिले हुर्मत हैं)। **(मुस्लिम-2564)**

3934. हज़रत फ़ज़ाला इब्ने उबैद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन वो शख़्स होगा जिससे लोगों को अपनी जानों और मालों के बारे में कोई ख़तरा न हो और मुहाजिर वो है जो तमाम बुराइयों और गुनाहों को छोड़ दे। **(हाकिम)**

लूटने की मुमानिअत का बयान

3935. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स ऐलानिया लूट करेगा वो हममें दाख़िल नहीं होगा।

3936. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ानी, ज़िना करते वक़्त मोमिन नहीं होता। शराबी, शराब पीते वक़्त मोमिन नहीं होता। चोर, चोरी करते वक़्त मोमिन नहीं होता, डाकू, डाका डालते वक़्त मोमिन नहीं रहता। **(बुख़ारी-2475, मुस्लिम-58)**

3937. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स लूट मार करे वो हम में से नहीं है। **(अबू दाऊद-2581)**

3938. हज़रत सअल्बा इब्ने हकम (रज़ि.) कहते हैं कि हमने काफ़िरों की बकरियाँ पकड़ ली और फिर हमने उनको ज़िब्ह करके हाण्डियों में पकाने के लिये रख दिया। इतने में हुज़ूर (ﷺ) को मालूम हुआ। आपने उन हाण्डियों के उलटने का हुक्म सादिर फ़र्माया और फ़र्माया, लूटना दुरुस्त नहीं है। **(तब्रानी फिल्कबीर-1378)**

मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ और क़त्ल करना कुफ़्र है

3939. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उसको क़त्ल करना कुफ़्र है। **(बुख़ारी-48, मुस्लिम-64)**

3940. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उससे लड़ना कुफ़्र है। **(इब्ने अबी शैबा)**

3941. हज़रत सअद (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान को गाली देना फ़िस्क़ है और उसको क़त्ल करना कुफ़्र है। **(मुस्नद अहमद)**

हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया कि मेरे बाद आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारकर काफ़िर न हो जाना

3942. हज़रत जरीर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, हज्जतुल विदाअ के रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया कि लोगों को ख़ामोश कर दो। (जब लोग ख़ामोश हो गये तो) फिर फ़र्माया, लोगो! देखो मेरे बाद तुम लोग

आपस में जंग व जिदाल करके काफ़िर न हो जाना। **(बुख़ारी-121, मुस्लिम-65)**

3943. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारा भला हो! मेरे बाद दोबारा काफ़िर मत हो जाना कि एक-दूसरे की गर्दनें काटने लगो। **(बुख़ारी-4403, मुस्लिम-66)**

3944. हज़रत सुनाबिह बिन अअसर अहमसी (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! बेशक मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेशवा हूँगा और तुम्हारी कसरत की वजह से और उम्मतों पर मुझको फ़ख़्र होगा, लिहाज़ा तुम लोग मेरे बाद आपस में जंग व जिदाल करके काफ़िर मत बन जाना।

मुसलमान अल्लाह की पनाह में है

3945. हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने सुबह की नमाज़ अदा कर ली वो अल्लाह के ज़िम्मे में है। तुमको चाहिये कि अल्लाह के ज़िम्मे को न तोड़ो और जो कोई ऐसे शख़्स को क़त्ल करे जिसने सुबह की नमाज़ अदा कर ली हो तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उस शख़्स को बुलाकर औंधे मुँह दोज़ख़ में डाल देगा। **(मुस्लिम-657)**

3946. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सुबह की नमाज़ पढ़ ले वो अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। **(मुस्नद अहमद)**

3947. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन अल्लाह तआला के नज़दीक कुछ फ़रिश्तों से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग है।

अस्बिय्यत का बयान

3948. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स गुमराही के झण्डे तले लड़े या अस्बिय्यत की तरफ़ लोगों को बुलाये या अस्बिय्यत की वजह से गुस्सा करता हो लिहाज़ा अगर वो ऐसी हालत में मारा जायेगा तो जाहिलिय्यत की मौत से मारा जायेगा। **(मुस्लिम-1848)**

3949. हज़रत फ़ुसैला (रज़ि.) का बयान है कि मेरे वालिद बयान करते थे कि मैंने एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या अपनी क़ौम से मुहब्बत करना तअस्सुब में दाख़िल है। आपने फ़र्माया, नहीं! ये तअस्सुब नहीं बल्कि तअस्सुब ये है कि ज़ुल्म में अपनी क़ौम की मदद करे।

बड़ी जमाअत की इत्तिबाअ करने का बयान

3950. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होगी। अगर तुमको मेरी उम्मत में इख़्तिलाफ़ नज़र आये तो बड़ी जमाअत की पैरवी करना।

मुस्तक़बिल में ज़ाहिर होने वाले फ़ित्नों का बयान

3951. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने हम लोगों को बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ाई। हम ने या लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आज आपने इतनी लम्बी नमाज़ पढ़ी है कि इतनी

लम्बी कभी आपने नहीं पढ़ी थी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! आज मैंने बड़ी रग़बत और ख़ौफ़ के साथ नमाज़ अदा की है, मैंने अल्लाह तआला से अपनी उम्मत के लिये तीन चीज़ें तलब की हैं, एक तो ये कि मेरी उम्मत पर कोई ग़ैर मुसल्लत न हो, दूसरा ये कि मेरी उम्मत पानी के अज़ाब से हलाक न हो और तीसरा ये कि आपस में जंग व जिदाल न करे। अल्लाह तआला ने मेरी पहली दो दुआयें तो क़ुबूल कर ली और आख़िरी दुआ न क़ुबूल फ़र्माई। **(मुस्नद अहमद)**

3952. हज़रत सौबान (रज़ि.) रसूले मक़्बूल (ﷺ) के आज़ादशुदा ग़ुलाम कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (एक मर्तबा) मेरे सामने ज़मीन समेट कर दिखाई गई यहाँ तक कि मैंने उसके मशारिक़ व मग़ारिब को देख लिया फिर उसके दोनों चाँदी और सोने के ख़ज़ाने भी मुझको दिखाये गए (उससे रोम और ईरान के ख़ज़ाने मुराद हैं)। मुझसे अल्लाह तआला ने फ़र्माया, तुम्हारी उम्मत की हुकूमत यहीं तक रहेगी जहाँ तक तुमको ज़मीन दिखाई गई है। मैंने अल्लाह तआला से तीन बातों की ख़्वाहिश की एक तो ये कि मेरी उम्मत को क़हत से हलाक न करे, दूसरा ये कि मेरी उम्मत के इख़्तिलाफ़ की वजह से टुकड़े न हों और तीसरा ये कि आपस में ख़ूनरेज़ी न करे। अल्लाह तआला का इर्शाद हुआ कि मैं जब कोई हुक्म सादिर फ़र्मा देता हूँ तो वो लौटाया नहीं जा सकता। मैं तेरी उम्मत को क़हत से हलाक नहीं करूंगा और मैं ज़मीन के तमाम मुख़ालिफ़ उन पर जमा न करूंगा। जब तक वो ख़ुद आपस में इख़्तिलाफ़ न पैदा करें। लेकिन जब मेरी उम्मत की आपस में तलवार चलेगी तो क़यामत तक वो न रूकेगी। मुझको अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ गुमराह हाकिमों का है (क्योंकि उनकी वजह से आम लोग भी गुमराह होंगे) और अन्क़रीब मेरी उम्मत के कुछ क़बीले बुतों की परस्तिश करेंगे और क़यामत के क़रीब तीस दज्जाल पैदा होंगे उनमें से हर एक का ये दावा होगा कि मैं ख़ुदा का नबी हूँ। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ पर रहेगा और हमेशा उनकी इमदाद होती रहेगी जो उनकी मुख़ालिफ़त करेगा उनको कोई नुक़्सान न पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि क़यामत आ जाये। **(मुस्लिम-2889)**

3953. हज़रत ज़ैनब बिन्ते जहश (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ख़्वाब से बेदार हुए तो उस वक़्त आपका चेहरा सुर्ख़ था। आपने फ़र्माया, ला इलाह इल्लल्लाह , अरब के लिये तबाही है उस फ़ित्ने से जो अन्क़रीब होने वाला है। आज याजूज माजूज की दीवार में इतना सूराख़ (आपने शहादत की उंगली को अंगूठे मिलाकर फ़र्माया) हो गया है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम में नेक लोग मौजूद होंगे तब भी हम हलाक हो जायेंगे? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! जब बुराई ज़्यादा फैल जायेगी तो ऐसा ही होगा।

(बुख़ारी-7059, मुस्लिम-2880)

3954. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्क़रीब ऐसे फ़ित्ने होंगे जिनमें सुबह को आदमी मोमिन होगा और शाम को काफ़िर होगा। मगर जिसको अल्लाह तआला इल्म के ज़रिए से ज़िंदा रखेगा। **(दारमी-345)**

3955. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हम हज़रत उमर (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे। हज़रत उमर (रज़ि.) फ़र्माने लगे कि तुममें से किसी को हुज़ूर (ﷺ) की फ़ित्ने की हदीस भी याद है? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, जी हाँ! मुझे याद है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम बहुत बहादुर शख़्स हो और लोग हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से इसके बारे में न दरयाफ़्त करते लेकिन तुम हुज़ूर (ﷺ) से दरयाफ़्त कर लिया करते। अच्छा बयान कर वो किस तरह है? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने बयान किया, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) फ़र्माया करते कि आदमी को उसके अहलो-अयाल और पड़ौसियों के बारे में जो आज़माइश आती है, उसकी माफ़ी नमाज़, रोज़े, सदक़े, अम्र बिल मअरूफ़ (भलाईयों के हुक्म देने) और नही अनिल मुन्किर (बुराई से मना करने) से हो जाती है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, मेरी मुराद इस फ़ित्ने से नहीं बल्कि

उस फ़ित्ने को दरयाफ़्त करता हूँ जो कि समन्दर की मौज की तरह उठेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, तुमको इस फ़ित्ने से क्या ख़ौफ़ और क्या मतलब है? तुम्हारे और उसके दरम्यान एक बन्द दरवाज़ा है। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, अच्छा वो दरवाज़ा टूट जायेगा या खुल जायेगा? हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने कहा, नहीं बल्कि टूट जायेगा। हज़रत उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, बस तो फिर कभी बंद होने के क़ाबिल नहीं रहेगा। (हदीस के रावी) शक़ीक़ कहते हैं कि हम ने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से कहा, क्या हज़रत उमर (रज़ि.) उस दरवाज़े को जानते थे? उन्होंने कहा, वो उस दरवाज़े को इस तरह जानते थे जिस तरह आज के बाद कल (का यक़ीन होता है)। मैंने उनसे हदीस बयान की थी जो सच्ची थी, झूठी नहीं थी। लेकिन हमको ख़ौफ़ मालूम हुआ कि हम उस दरवाज़े के बारे में कैसे दरयाफ़्त करें? हमने मसरूक़ से कहा, तुम दरयाफ़्त करो। उन्होंने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया तो उन्होंने फ़र्माया, वो हज़रत उमर थे।

(बुख़ारी-525, मुस्लिम-144)

3956. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्दे रब्बुल कअबा (रह.) का बयान है कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र इब्ने आस (रज़ि.) कअबा के साये में बैठे हुए थे और लोग उनके पास जमा थे। मैंने सुना कि वो लोगों के सामने बयान कर रहे थे कि एक मर्तबा हम हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के साथ सफ़र में थे। एक मक़ाम पर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने क़याम किया तो सहाबा में से कुछ ने ख़ैमे लगाना शुरू किये और कुछ ने तीर अंदाज़ी शुरू कर दी, कोई अपने जानवरों को चराने के लिये ले गया। इतने में हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के मुअज़्ज़िन ने नमाज़ के लिये अज़ान दी कि नमाज़ तैयार है, नमाज़ के लिये आओ! हम सब नमाज़ के लिये जमा हो गए। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ख़ुत्बे के लिये खड़े हुए और फ़र्माया, मुझसे पहले जितने नबी गुज़र चुके हैं उन सब पर लाज़िम ये था कि अपनी उम्मत को वो बातें बतलायें जो उनके लिये अच्छी हों और उन बातों से मना करें जो उनके लिये बुरी हों। लेकिन तुम्हारी उम्मत जो है तो उसके अव्वल हिस्से पर सलामती है लेकिन उसके आख़िरी हिस्से पर बड़ी आफ़त आयेगी और ऐसे फ़ित्ने पैदा होंगे जिनको तुम बुरा जानते हो। उसमें ऐसे फ़ित्ने पैदा होंगे कि हर एक फ़ित्ने के बाद दूसरा फ़ित्ना आसान मालूम होगा और मोमिन ये ख़्याल करेगा कि बस इसी फ़ित्ने में मेरी तबाही होगी। लेकिन वो फ़ित्ना मौक़ूफ़ हो जायेगा, दूसरा शुरू होगा तो ये कहेगा कि बस इसी फ़ित्ने में हलाक हो जाऊंगा लेकिन वो फ़ित्ना भी दफ़ा हो जायेगा। लिहाज़ा (ऐसे वक़्त) जिस शख़्स को ये पसंद हो कि वो दोज़ख़ से निकल कर जन्नत में जाये तो उसको अल्लाह पर और क़यामत पर यक़ीन रखते हुए ये करना चाहिये कि लोगों के साथ ऐसे (अच्छा) सुलूक करे जो उसको अपने लिये पसंद हो कि मेरे साथ लोग ये सुलूक करते तो अच्छा था और जो शख़्स किसी इमाम की बैअत करे और अपना दिली अहद उसको दे दे तो जहाँ तक हो सके उसको पूरा करने की कोशिश करे। अगर उसके बाद कोई दूसरा इमामत का दावा करे अपनी बैअत का ख़्वास्तगार हो तो उसकी गर्दन मार दो। अब्दुर्रहमान कहते हैं ये सुनकर में खड़ा हो गया और अर्ज़ किया, आपने ये हदीस हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से सुनी है ? उन्होंने अपने कानों की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, मेरे (इन) कानों ने सुनकर इसको महफ़ूज़ किया और मेरे दिल ने इसको याद रखी है। **(मुस्लिम-1844)**

फ़ित्नों के वक़्त साबित क़दम रहना

3957. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, एक वक़्त ऐसा होगा जिसमें लोग छाने जायेंगे और भूसी की तरह (ख़राब) लोग बाक़ी रहेंगे (नेक और अच्छे लोग दुनिया से उठ जायेंगे)। अहद और अमानतें आपस में मिल जायेंगे, लोग बिल्कुल बिगड़ जायेंगे, अच्छे और बुरे मिलकर सब इस तरह हो जायेंगे, उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ने अपनी उंगलियों को आपस में पंजा डालकर दिखाया, और फ़र्माया, उस वक़्त में तुम लोग क्या करोगे? सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमको क्या करना चाहिये? आपने फ़र्माया, (उस वक़्त

में) जो बात तुमको अच्छी मालूम होती हो उसको करना और जो बुरी मालूम हो उसको छोड़ देना और तुम अपनी फ़िक्र रखना, अवाम का बिल्कुल ख़्याल छोड़ देना। **(अबू दाऊद-4342, हाकिम)**

3958. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबू ज़र उस वक़्त तुम्हारी क्या हालत होगी जिस वक़्त कि लोगों पर मौत तारी होगी और उस वक़्त एक क़ब्र की क़ीमत एक गुलाम के बराबर होगी। मैंने अर्ज़ किया, हुज़ूर (ﷺ) जो पसंद फ़र्मायें। या अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ख़ूब जानता है। आपने फ़र्माया, उस वक़्त सब्र से काम लेना। फिर फ़र्माया, उस वक़्त क्या करोगे जब लोगों पर शदीद क़हत पड़ेगा और भूख का ग़लबा होगा यहाँ तक कि तुम इस मस्जिद में आओगे लेकिन तुमको अपने बिस्तर तक जाने की ताक़त न होगी या अपने बिस्तर तक आने की ताक़त न होगी। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल जो कुछ पसंद फ़र्माये। (मैं वही करूंगा) या अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ख़ूब जानता है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त हराम से बचना अपने ऊपर लाज़िम कर लो (ख़्वाह भूखे ही क्यों न हों)। फिर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त क्या करोगे जिस वक़्त मदीना में लोगों का क़त्ले आम होगा यहाँ तक कि हिजारतुल ज़ैत ख़ून में ग़र्क़ हो जायेगा। मैंने अर्ज़ किया, जो अल्लाह और उसका रसूल पसंद फ़र्माये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम जिन लोगों से हो उन्हीं के साथ मिले रहना यानी मदीना वाले के साथ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तलवार लेकर ऐसे शख़्स के साथ जंग क्यों न करूं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुफ़्सिदीन में शुमार किये जाओगे बल्कि तुम को चाहिये कि ख़ामोश होकर अपने घर में बैठ जाओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर वो मेरे घर में भी घुस आया तो मैं क्या करूं ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुमको तलवार की चमक का डर हो तो अपनी चादर मुँह पर डाल लेना वो क़त्ल करने वाला अपना और तेरा दोनों का गुनाह अपने सर लेगा और दोज़ख़ में जायेगा। **(अबू दाऊद-4261)**

3959. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत से पहले एक ख़ूनरेज़ी होगी। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़ूनरेज़ी तो अब भी होती रहती है और हम मुश्रिकीन को बहुत कसरत से क़त्ल करते हैं। आपने फ़र्माया, नहीं! वो ख़ूनरेज़ी इस क़िस्म की नहीं होगी। बल्कि वो ख़ूनरेज़ी तुम्हारी आपस की होगी कि आदमी अपने पड़ौसी बल्कि अपने चाचाज़ाद भाई को भी क़त्ल करेगा। कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या उन लोगों में अक़्लें न होंगी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! उनमें से अक्सर लोगों की अक़्लें सल्ब हो जायेंगी और सूरज की किरनों में उड़ने वाले ज़र्रों की तरह ज़लील व ख़्वार लोग बाक़ी रह जायेंगे। उसके बाद अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) ने कहा, अल्लाह की क़सम! अगर ऐसा ज़माना तुम पर और मुझ पर आ गया तो उससे निकलना हमको दुश्वार होगा। जिस तरह हुज़ूर (ﷺ) फ़र्मा चुके हैं कि जिस तरह उस ज़माने में जायेगा उस तरह उससे निकल नहीं सकता। **(मुस्नद अहमद)**

3960. हज़रत उदैसा बिन्ते उहबान (रज़ि.) का बयान है कि जब हज़रत अली (रज़ि.) मदीना तशरीफ़ लाये तो मेरे वालिद के पास तशरीफ़ लाकर फ़र्माने लगे, अबू मुस्लिम! उन शामियों के ख़िलाफ़ तुम मेरी मदद नहीं करते? उन्होंने कहा, ज़रूर करूंगा। फिर अपनी एक बांदी से तलवार लाने को फ़र्माया। वो तलवार ले कर आई। उन्होंने उसको थोड़ा सा मियान से निकालकर हज़रत अली (रज़ि.) को दिखलाया तो वो तलवार लकड़ी की थी। अबू मुस्लिम (रज़ि.) ने कहा कि तुम्हारे चचाज़ाद भाई नबी करीम (ﷺ) ने मुझको यही नसीहत फ़र्माई थी कि जब मुसलमानों में क़त्ल हो तो एक लकड़ी की तलवार बनाकर घर में बैठे रहो, लिहाज़ा अगर आपकी ख़ुशी हो तो मैं तलवार लेकर आपके साथ चलूं। ये सुनकर हज़रत अली (रज़ि.) ने फ़र्माया, बस मुझको न आपकी तलवार की ज़रूरत न आपकी ज़रूरत। **(तिर्मिज़ी-2203)**

3961. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के क़रीब अंधेरी रात के हिस्सों की तरह (अंधे) फ़ित्ने पैदा होंगे। उन फ़ित्नों में अगर आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफ़िर होगा और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफ़िर होगा। (यानी ईमान का सलामत रहना निहायत मुश्किल होगा) ऐसे फ़ित्नों में बैठा हुआ खड़े हुए से और खड़ा हुआ चलते हुए से और चलता हुआ दौड़ने वाले से निहायत बेहतर होगा। उन फ़ित्नों में अपनी कमान और उनके चुल्लों को तोड़ डालना और अपनी तलवारों को पत्थर पर मार कर कुंद (भोथरा) कर देना। अगर कोई शख़्स किसी को क़त्ल करने के लिये घुस आये तो ये मक़्तूल उसके साथ वही सुलूक करे जो आदम (अलै.) के नेक बेटे ने (अपने क़ातिल क़ाबिल) के साथ किया था (यानी जब क़ाबील ने हाबील को मारने का इरादा किया तो हाबील ने कहा था कि तू जो चाहे कर मैं तुझ पर हाथ न उठाऊंगा)। **(अबू दाऊद-4259)**

3962. हज़रत अबी बुरैदा (रज़ि.) कहते हैं कि मैं हज़रत मुहम्मद इब्ने मुस्लिमा (रज़ि.) के पास गया, वो बयान करने लगे कि (एक रोज़) हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्क़रीब एक फ़ित्ना मुसलमानों में पैदा होने वाला है। जब वो फ़ित्ना पैदा हो तो तुम अपनी तलवार लेकर कोहे उहुद पर चढ़ जाना और उसको पत्थर पर मारना, यहाँ तक कि वो टूट जाये और फिर अपने घर आकर बैठ जाना यहाँ तक कि कोई बाग़ी तुझको क़त्ल कर दे या ख़ुद तेरी मौत आ जाये। मुहम्मद इब्ने मुस्लिमा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) अनवर के उस फ़र्मान के मुताबिक़ वो फ़ित्ना आ गया और मैंने भी ऐसा ही किया। **(मुस्नद अहमद)**

दो मुसलमानों का तलवार लेकर एक दूसरे के मुक़ाबले में आ जाना

3963. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो मुसलमान तलवारें लेकर आपस में मुक़ाबला करें तो क़ातिल और मक़्तूल दोनों जहन्नमी होंगे।

3964. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो मुसलमान आपस में तलवार लेकर एक दूसरे का मुक़ाबला करें तो दोनों दोज़ख़ी होंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ातिल का दोज़ख़ी होना तो मुवाफ़िक़े अक़्ल है लेकिन मक़्तूल क्यों दोज़ख़ी होगा? आँहज़रत ने फ़र्माया, वो इसलिये कि उसने भी अपने मुक़ाबिल के मारने का इरादा किया था। **(नसाई-4123)**

3965. हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) कहते हैं कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब दो मुसलमानों में से एक अपने भाई पर तलवार निकालता है तो उस वक़्त दोनों जहन्नम के किनारे पर होते हैं। लेकिन अगर उसने क़त्ल किया तो दोनों जहन्नम में दाख़िल होंगे। **(बुख़ारी-7083, मुस्लिम-2888)**

3966. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के रोज़ सब से बुरे दर्जे वाला शख़्स अल्लाह के नज़दीक वो होगा जिसने अपनी आख़िरत दूसरे की दुनिया के सँवारने के लिये ख़राब की हो।

फ़ित्ने में ज़बान बन्द रखना

3967. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अरब में एक फ़ित्ना ऐसा होने वाला है जो तमाम अरब को घेर लेगा। उसमें जो लोग क़त्ल होंगे, दोज़ख़ी होंगे। उस फ़ित्ने में ज़बान से बात कहना तलवार चलाने के बराबर होगा बल्कि उससे भी ज़्यादा सख़्त होगा। **(अबू दाऊद-4265, तिर्मिज़ी-2178)**

3968. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, फ़ित्नों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करो क्योंकि फ़ित्नों में ज़बान हिलाना भी तलवार चलाने से ज़्यादा सख़्त है।

3969. हज़रत अल्क़मा इब्ने अबी वक़्क़ास (रह.) का बयान है कि एक रोज़ उनके सामने एक आदमी गुज़रा जो (मुआशरे में) ऊँचा मक़ाम रखता था। मैंने उससे कहा, मेरा तुझसे क़राबत का ताल्लुक़ है और मुझ पर तेरा हक़ है (इसलिये नसीहत के तौर पर बात कह रहा हूँ), मैं तुमको देखता हूँ कि तुम अमीरों के पास जाकर उनसे (हज़ारों बातें मिलाया करते हो) लेकिन मुझसे हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने ये हदीस बयान की थी कि आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बसा अवक़ात बन्दा अपने मुँह से ऐसी बात निकालता है जो अल्लाह की रज़ामंदी वाली होती हैं लेकिन उस बन्दे को ये नहीं मालूम होता है ये बात असर पैदा करेगी। लेकिन उस बात के दर्जे से अल्लाह तआला हमेशा के लिये अपनी रज़ामंदी उस बन्दे के हक़ में लिख देता है और कभी बन्दा मुँह से ऐसी बात निकालता है जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस होती है और ये बन्दा उसके असर को जानता नहीं कि ये क्या असर पैदा करेगी? लेकिन उससे अल्लाह तआला हमेशा के लिये उसके हक़ में नाराज़गी लिख देता है। अल्क़मा (रह.) ने कहा, बस अब तुम ख़ुद समझ लिया करो कि अपने मुँह से किस क़िस्म की बात करते हो और अल्लाह की क़सम मेरे मुँह पर बहुत सी बातें आती हैं। लेकिन मैं बिलाल (रज़ि.) की हदीस की वजह से ख़ामोश होता हूँ। **(तिर्मिज़ी-2319)**

3970. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, बन्दा ज़बान से ऐसी बात कहता है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है और उसको इस बात की हक़ीक़त नहीं मालूम होती है। लेकिन उसकी वजह से सत्तर बरस तक दोज़ख़ में लुढ़कता चला जायेगा।

3971. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला और क़यामत पर ईमान रखता है उसको चाहिये कि जो बात मुँह से निकाले तो बेहतर निकाले या ख़ामोश रहे।
(बुख़ारी-6018, मुस्लिम-47)

3972. हज़रत सुफ़ियान इब्ने अब्दुल्लाह सक़फ़ी (रजि.) ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई ऐसी बात बतलाइये कि जिसको मैं अपने ऊपर लाज़िम कर लूं। आपने फ़र्माया, अल्लाह को अपना रब कहो और उसी पर जमे रहो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपको मेरे लिये सबसे ज़्यादा ख़ौफ़नाक क्या चीज़ मालूम होती है? आँहज़रत (ﷺ) ने ज़बान को पकड़कर फ़र्माया, इसका ख़ौफ़ सबसे ज़्यादा है। **(मुस्लिम-38)**

3973. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के साथ सफ़र कर रहा था। सुबह का वक़्त था और मैं आँहज़रत के क़रीब चल रहा था। मैंने आपसे अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई ऐसा अमल बतलाइये जो मैं करके जन्नत में दाख़िल हो जाऊँ और दोज़ख़ से बच जाऊँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये बात तुमने बड़ी ज़बरदस्त दरयाफ़्त की है ये अल्लाह तआला जिस पर आसान करे उसके लिये आसान भी है। तुमको चाहिये कि अल्लाह तआला की इबादत करो उसके साथ किसी को शरीक न बनाओ, नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो और बैयतुल्लाह का हज करो। फिर फ़र्माया, मैं तुझको नेकी के दरवाज़े न बतला दूं? रोज़ा ढाल है, सदक़ा गुनाह (की आग) को बुझ देता है जैसे पानी आग को बुझाती है और आदमी का तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना। फिर आपने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **(और) वो अपने रब को ख़ौफ़ और उम्मीद से पुकारते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें रिज़्क़ दिया है उसमें से ख़र्च करते हैं। कोई नफ़्स नहीं जानता कि उनके आमाल के बदले उनके लिये आँखों की ठण्डक की कौन-कौन सी चीज़ें पोशीदा रखी गई हैं।** (सूरह अस्सजदा : 16)। फिर फ़र्माया, क्या मैं तुझको दीन का सर,

उसका सुतून और कोहान की चोटी न बतलाऊँ? वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। फिर फ़र्माया, क्या मैं तुझे वो चीज़ न बताऊँ जिस पर इन सबका मदार है?। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, फ़र्माईये या रसूलल्लाह (ﷺ)! (ये तो ज़रूर फ़र्माइये वरना सब कुछ बेकार है) हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अपनी ज़बान को रोको। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम से हमारी ज़बानों की बातों पर भी मुवाख़िज़ा होगा? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुआज़! तेरी माँ तुझे रोये! इसकी वजह से तो लोग औंधे मुँह दोज़ख़ में डाले जायेंगे। **(तिर्मिज़ी-2616)**

3974. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा बिन्ते अबू सुफ़ियान (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान की हर बात इंसान पर वबाल होगी सिवाय नही अनिल मुंकर (बुराई से मना करने) और अम्र बिल्मारूफ़ (भलाई का हुक्म देने) और ज़िक्रे इलाही के। **(तिर्मिज़ी-2412)**

3975. हज़रत अबू शअशा (रह.) का बयान है कि किसी ने हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से कहा कि हम लोग अमीरों के पास जाते हैं और फिर उनसे एक बात कहते हैं लेकिन जब वहाँ से वापस चले आते हैं तो उसके ख़िलाफ़ कहने लगते ह। हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, आँहज़रत (ﷺ) के अहदे मुबारक में ऐसी बातों को हम निफ़ाक़ कहा करते थे। **(मुस्नद अहमद)**

3976. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान के इस्लाम की उम्दगी में से एक ये बात है कि जो चीज़ काम न आये तो उसको छोड़ दे। **(तिर्मिज़ी-2317)**

3977. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उस आदमी की ज़िंदगी सबसे बेहतर ज़िंदगी है जो जिहाद में अपने घोड़े की पीठ पर सवार और बाग पकड़े हुए दौड़ता हो और जहाँ दुश्मन की आवाज़ हो तो फ़ौरन उसके मुक़ाबले के लिये उसकी तरफ़ रुख़ करता हो अल्ग़र्ज़ शहादत के मौक़े ढूंढता हो। और उस आदमी की ज़िंदगी भी ऐसी ही उम्दा है, जो अपनी बकरियों को लेकर तन्हा किसी पहाड़ की चोटी पर रहता हो या पहाड़ी मैदानों में से किसी मैदान में रहता हो। बाक़ाइदा रोज़ नमाज़ पढ़ता हो, ज़कात के वक़्त पर ज़कात देता हो यहाँ तक कि ऐसी हालत में मौत आ जाये और लोगों का ख़ैरख़्वाह ही रहे। **(मुस्लिम-1889)**

3978. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा शख़्स लोगों से बेहतर और अफ़ज़ल है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो अपनी जान और माल से अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता हो। उसने अर्ज़ किया, उसके बाद। आपने फ़र्माया, वो शख़्स जो किसी घाटी में तन्हा अल्लाह की इबादत करता हो और लोगों को अपने शर से बचाता हो। **(बुख़ारी-6494, मुस्लिम-1888)**

3979. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो जहन्नम की तरफ़ बुलायेंगे। जो शख़्स उनकी तरफ़ गया समझ लो कि उन्होंने उठा लिया और जहन्नम में डाल दिया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उन लोगों का हाल कुछ मुझसे भी बयान फ़र्मा दीजिये (ताकि मैं उनको देखकर पहचान लूं) आपने फ़र्माया, वो लोग हमारी तरह होंगे, हमारी ज़बान बोलेंगे। मैंने अर्ज़ किया, आप मुझको क्या हुक्म देते हैं? मैं क्या करूं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको चाहिये कि मुसलमानों की जमाअत में शामिल रहो और उनके इमाम की पैरवी करते रहो अगर उस वक़्त में इमाम भी न हो बल्कि (उम्मत के बहुत से मुख़्तलिफ़ फ़िरक़े ख़ुद मुख़्तार हों) तो तुम उनसे अलग रहना यहाँ तक कि इसी हालत में मौत आ जाये। **(बुख़ारी-3606, मुस्लिम-1847)**

3980. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अन्क़रीब ऐसा भी ज़माना आने

वाला है कि मुसलमानों का बेहतर माल बकरियाँ होंगी जिनको लेकर वो एक पहाड़ या मैदान में (जहाँ बारिश होती हो और बकरियों के चरने का इंतज़ाम हो) अपना दीन बचाने की ग़र्ज़ से चला जाये। **(बुख़ारी-19)**

3981. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ ऐसे फ़ित्ने पैदा होंगे जिनके दरवाज़ों पर उनकी तरफ़ बुलाने वाले मौजूद होंगे। लिहाज़ा उस वक़्त तेरे लिये ये बेहतर है कि किसी दरख़्त की छाल चबा-चबाकर किसी तन्हाई की जगह में मर जाये। **(अबू दाऊद-4246)**

3982. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन एक सुराख़ से दो मर्तबा नहीं डसा जाता। **(बुख़ारी-6133, मुस्लिम-2998)**

3983. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान एक ही सुराख़ से दो मर्तबा नहीं डसा जाता। **(मुस्नद अहमद)**

शक वाला काम करने से रुक जाना

3984. हज़रत इमाम शअ़बी (रह.) का बयान है कि उन्होंने नोमान इब्ने बशीर (रज़ि.) को मिम्बर पर खड़े होकर अपनी उंगलियों से अपने कानों की तरफ़ इशारा करते हुए फ़र्माते हुए सुना, मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना, आप फ़र्मा रह थे, हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है लेकिन इनके दरम्यान कुछ शक वाली चीज़ें हैं, जिनसे आम लोग वाक़िफ़ नहीं हैं। (न उनका हलाल होना उनको सराहतन मालूम, न उनका हराम होना मालूम) लिहाज़ा ऐसी शक वाली चीज़ों से जो शख़्स बचता रहा उसने अपने दीन को महफ़ूज़ कर लिया और अपनी इज़्ज़त को सम्भाल लिया। और जो उन शक वाली चीज़ों में फँस गया वो हराम में पड़ जायेगा (उसकी मिसाल उस चरवाहे की है) जो बादशाह की चारागाह के इर्द-गिर्द अपनी बकरियाँ चराता हो। लिहाज़ा एक दिन ऐसा भी होगा उसकी बकरियाँ बादशाह की चारागाह में भी घुस कर चरने लगें। ख़बरदार! हर बादशाह की एक चारागाह मुअ़य्यन होती है (जिसमें आम लोगों का जानवर चराना मना होता है)। ख़बरदार! अल्लाह की मुअ़य्यन चारागाह से मुराद अल्लाह की हरामकर्दा चीज़ें (और काम) हैं। लोगों! सुनों, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो बिगड़ जाता है तो तमाम जिस्म बिगड़ जाता है और जब तक वो सही रहता है उस वक़्त तक तमाम जिस्म सही रहता है और वो टुकड़ा दिल है। **(बुख़ारी-52, मुस्लिम-1599)**

3985. हज़रत मुअ़क़िल इब्ने यसार (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब ख़ूनरेज़ी और फ़साद का वक़्त हो तो उस वक़्त में इबादत करने का इतना सवाब है जितना मेरी तरफ़ हिजरत करने का होता है। **(मुस्लिम-2948)**

इस्लाम शुरू में अजनबी था

3986. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्लाम शुरू में अजनबी था और वो दोबारा अजनबी हो जायेगा इसलिये अजनबियों को मुबारक हो। **(मुस्लिम-145)**

3987. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्लाम शुरू में अजनबी था और वो दोबारा अजनबी हो जायेगा इसलिये अजनबियों को मुबारक हो।

3988. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बय हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इस्लाम अजनबी के

तौर पर शुरू हुआ और वो दोबारा अजनबी हो जायेगा, तो अजनबियों को मुबारक हो। **(तिर्मिज़ी-2629)**

किस शख़्स को फ़ित्नों से अलग रहने की उम्मीद है

3989. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) से रिवायत है, एक रोज़ वो हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की मस्जिद की तरफ़ गये तो वहाँ हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) को हुज़ूर (ﷺ) के रोज़-ए-मुबारक पर रोते देखा। उन्होंने उनसे रोने का सबब दरयाफ़्त किया वो फ़र्माने लगे कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से एक हदीस सुनी थी उसको याद करके रो रहा हूँ। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, थोड़ी सी रियाकारी भी शिर्क है। जिस शख़्स ने अल्लाह तआला के एक वली से भी दुश्मनी की गोया वो अल्लाह से जंग करने के लिये निकला। अल्लाह तआला नेक परहेज़गार बन्दों को निहायत दोस्त रखता है। जो लोगों से पोशीदा रहते हैं उनकी कोई तलाश न करे। अगर मौजूद हों तो उनको बुलाया नहीं जाता और न उन्हें पहचाना जाता है। ऐसे लोगों के दिल हिदायत के चिराग़ हैं। ऐसे लोग हर एक गर्द आलूदा फ़ित्ने से निकलकर साफ़ बच जायेंगे और फ़ित्ना उन पर कुछ असर न कर सकेगा। **(हाकिम)**

3990. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माया करते, लोगों की मिसाल उन सौ ऊँटों की तरह है जिसमें से कोई ऊँट भी सवारी के क़ाबिल न हो। **(मुस्नद अहमद)**

उम्मतों का फ़िर्क़ों में तक़सीम हो जाना

3991. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद इकहत्तर (71) फ़िरक़ों में तक़सीम हुए और मेरी उम्मत तिहत्तर (73) फ़िरक़ों में तक़सीम हो जायेगी। **(अबू दाऊद-4596)**

3992. औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, यहूद इकहत्तर (71) फ़िरक़ों में तक़सीम हुए, उनमें से एक जन्नती और सत्तर फ़िर्क़े दोज़ख़ी। नसारा में बहत्तर (72) फ़िर्क़े हुए उनमें एक जन्नती और इकहत्तर दोज़ख़ी होंगे। मेरी उम्मत के तिहत्तर (73) फ़िर्क़े होंगे, उनमें से एक जन्नती और बहत्तर दोज़ख़ी होंगे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो जन्नती फ़िरक़ा कौनसा है ? आपने फ़र्माया, जमाअत। **(तबरानी)**

3993. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बनी इस्राईल के 71 फ़िरक़े हुए और मेरी उम्मत के 72 फ़िरक़े होंगे एक के सिवा सब दोज़ख़ी होंगे, और वो जमाअत है।

3994. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम अगले लोगों के क़दम-बक़दम चलोगे (गज़ भर बल्कि कम यहाँ तक कि एक बालिश्त का भी फ़र्क़ न होगा) अगर वो लोग गोह के सुराख़ में घुसेंगे तो तुम भी उनके साथ जाओगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगले लोगों से यहूद व नसारा मुराद है ? आपने फ़र्माया, उनके अलावा और कौन हो सकता है। **(मुस्नद अहमद)**

माल का फ़ित्ना

3995. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने लोगों से ख़ुत्बे में फ़र्माया, (ऐ लोगों!) अल्लाह की क़सम मुझको तुम्हारे बारे में किसी क़िस्म का ख़ौफ़ नहीं। सिर्फ़ दुनिया की ज़्यादती का ख़ौफ़ है। एक शख़्स अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ख़ैर से भी शर हासिल होता है? हुज़ूर (ﷺ) थोड़ी देर ख़ामोश रहे, फिर फ़र्माया, तुमने क्या कहा था? उसने अर्ज़ किया, मैंने कहा था कि ख़ैर से भी शर हासिल होता है? आपने फ़र्माया,

ख़ैर (हलाल माल) से तो ख़ैर ही हासिल होता है। क्या वो ख़ैर है? (दुनिया का हर माल ख़ैर नहीं होता) बारिश से ज़मीन पर सब्ज़ा उगता है लेकिन वो जानवर को बदहज़्मी से या पेट फुला कर मार डालता है या मरने के क़रीब कर देता है। लेकिन वो चरने वाला जानवर (बच जाता है) जो खाता है, फिर जब उसकी कोखें भर जाती हैं और धूप की तरफ़ मुँह करके जुगाली करता है और गोबर व पेशाब करता है। उसके बाद दोबारा खाने लगता है। जो शख़्स जाइज़ तरीक़े के साथ माल हासिल करता है (माल के लेने में ज़ुल्म नही करता) तो उसके माल में बरकत और ख़ैर होगी और जो कोई माल नाजाइज़ तरीक़े से हासिल करता है तो उसकी मिसाल ऐसी है कि कोई शख़्स खाये और उसका पेट न भरे। **(मुस्लिम-1052)**

3996. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्ने आस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोग रोम और फ़ारस के ख़ज़ानों के मालिक होंगे तो क्या कहोगे? (और कैसे ख़ुश होगे?) अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने कहा, अल्लाह के फ़र्मान के मुताबिक़ कहेंगे। आपने फ़र्माया, या उसके अलावा करोगे कि आपस में एक दूसरे से हसद करोगे। एक दूसरे के माल में रश्क और लोगों से पीठ मोड़ने लगोगे? या इसी क़िस्म का कोई और लफ़्ज़ इर्शाद फ़र्माया, फिर तुम ग़रीब मुहाजिरीन में जाओगे और उन्हें एक दूसरे की गर्दनों पर लादोगे। **(मुस्लिम-2962)**

3997. हज़रत अम्र इब्ने औफ़ (रज़ि.) का बयान है, ये बनी आमिर इब्ने लूई के हलीफ़ थे और जंगे बद्र में हुज़ूर (ﷺ) के साथ थे। आँहज़रत ने अबू उबैदा इब्ने जर्राह (रज़ि.) को बहरीन रवाना किया ताकि वहाँ का महसूल वसूल करके लाये। हुज़ूर (ﷺ) ने बहरीन वालों पर हज़रत अला इब्ने हज़रमी को हाकिम मुक़र्रर किया था और उनसे सुलह कर ली थी। जब हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) बहरीन से माल लेकर वापस आये और तमाम अन्सार को उसकी ख़बर हुई तो फ़ज्र की नमाज़ में सब जमा हो गये और हुज़ूर (ﷺ) से मुलाक़ात की। जब हुज़ूर (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ होकर वापस हुए तो ये लोग हुज़ूर (ﷺ) के सामने आ गये। हुज़ूर (ﷺ) ने उनको देखकर तबस्सुम फ़र्माया और इर्शाद किया कि शायद अबू उबैदा की बहरीन की वापसी की तुमको ख़बर हुई है जो तुम लोग मेरे पास आये हो। उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने सहीह फ़र्माया। आपने फ़र्माया, अच्छा तो तुम लोग ख़ुश हो जाओ। जिस ख़्याल से तुम आये हो वो ख़्याल पूरा होगा। अल्लाह की क़सम! मैं तुम्हारी मुफ़्लिसी से इतना ख़ौफ़ नहीं करता जितना तुम्हारी कुशादगी से मुझको ख़ौफ़ होता है कि कहीं अगले लोगों की तरह कि जब उन पर कुशादगी आई तो उन्होंने आपस में रश्क शुरू कर दिया और हलाक हो गए इसी तरह तुम लोग आपस में रश्क करके उनकी तरह हलाक न हो जाओ।

(बुख़ारी-3158, 4015, मुस्लिम-2961)

औरतों के फ़ित्ने का बयान

3998. हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अपने बाद मर्दों के लिये औरतों से ज़्यादा मुझको कोई और फ़ित्ना नहीं मालूम होता। **(बुख़ारी-2096, मुस्लिम-2740)**

3999. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब सुबह होती है तो दो फ़रिश्ते आवाज़ देते हैं कि औरतों के लिये मर्दों की वजह से तबाही है और मर्दों के लिये औरतों की वजह से तबाही है।

(हाकिम)

4000. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया, दुनिया नज़र में बहुत तरो ताज़ा मालूम होती है अब अन्क़रीब अल्लाह तआला तुमको दुनिया का मालिक बनाने वाला है देखेगा कि तुम इसमें किस तरीक़े से तसर्रुफ़ करते हो। देखो! दुनिया और औरतों से निहायत इज्तिनाब करते रहना। **(तिर्मिज़ी-2873)**

4001. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) मस्जिद में तशरीफ़ फ़र्मा थे कि इतने में मुज़यना (क़बीला) की एक औरत सिंगार किए हुए बड़े अंदाज़ से दाख़िल हुई। आपने लोगों को मुख़ातब करके फ़र्माया, लोगों! अपनी औरतों को मस्जिद में नाज़ के साथ आना बन्द कर दो। क्योंकि बनी इस्राईल पर अल्लाह की लानत उस वक़्त आई थी कि जब उनकी औरतों ने बन संवर कर मस्जिदों (वग़ैरह) में जाना शुरू किया।

4002. हज़रत अबू रुहम (रज़ि.) के आज़ादशुदा ग़ुलाम जिनका नाम उबैद है, कहते हैं कि एक मर्तबा अबू हुरैरह (रज़ि.) ने एक औरत को इत्र लगाये मस्जिद की तरफ़ जाते देखा। आपने उससे फ़र्माया, अल्लाह की बन्दी कहाँ जाती है? उसने अर्ज़ किया, मस्जिद में। आपने कहा, मैंने हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) से सुना था कि जो औरत मस्जिद में इत्र लगाकर जायेगी जब तक उसको धो न डालेगी उस वक़्त तक उसकी नमाज़ क़ुबूल न होगी। **(अबू दाऊद-4174)**

4003. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, औरतों तुमको सदक़ा कसरत से देना चाहिये और इस्तग़फ़ार भी बहुत कसरत से किया करो क्योंकि दोज़ख़ में मैंने औरतों को ज़्यादा देखा है। उनमें से एक औरत अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारा ऐसा कौनसा क़सूर है जिसकी वजह से हम दोज़ख़ में ज़्यादा हैं। हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम बात-बात में लअनत करती हो और अपने शौहरों की नाशुक्री करती हो। मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे नाक़िस दीन व नाक़िसुल अक़्ल होने के बावजूद अक़्लमंद आदमी पर तुमसे ज़्यादा कोई दूसरी चीज़ ग़ालिब आती हो। वो औरत कहने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारी अक़्ल और हमारे दीन में क्या नुक़्सान है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अक़्ल का नुक़्सान तो (इससे ज़ाहिर है) कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के मुक़ाबले में होती है और दीन का नुक़्सान ये है कि ज़मान-ए-हैज़ में तुम नमाज़, रोज़ा कुछ नहीं कर सकतीं। **(मुस्लिम-79)**

नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना

4004. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग भलाई का हुक्म दो और बुराई से मना करो, इससे पहले कि तुम दुआएँ माँगो और दुआएँ क़ुबूल न की जाये। **(बैहक़ी)**

4005. हज़रत क़ैस इब्ने अबू हाज़िम (रज़ि.) कहते हैं, एक (रोज़) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने खड़े होकर फ़र्माया, हज़रात आप ये आयत तो ज़रूर तिलावत करते होंगे, **ऐ ईमान वालों! जब तुम ख़ुद हिदायत याफ़्ता हो गए तो अब तुमको दूसरों से कोई सरोकार नहीं उनकी गुमराही तुम पर कुछ असर न करेगी उनको उनकी हालत पर छोड़ दो.** (सूरह माइदा : 105)। लेकिन हमने हुज़ूरे अनवर (ﷺ) से सुना है कि जो शख़्स कोई नाजायज़ काम देखे और उससे मना न करे तो अल्लाह तआला अज़ाब नाज़िल फ़र्माकर सबको अज़ाब में घेर लेगा। (हदीस के रावी) अबू उसामा (रह.) ने दूसरी मर्तबा रिवायत बयान करते हुए कहा, (हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) ने कहा), मैंने हुज़ूर (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना था। **(अबू दाऊद-4338, तिर्मिज़ी-2168)**

4006. हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब बनी इस्राईल पर आफ़त शुरू हुई तो उस वक़्त उनकी ये हालत थी कि उनमें से कोई अगर किसी को बुरा काम करते देखता तो उस वक़्त तो उसको मना कर देता लेकिन उसके बाद फिर मिलजुल कर उसके साथ खाना-पीना शुरू कर देता (और इस गुनाह की वजह से नफ़रत न करता) लिहाज़ा अल्लाह तआला ने उनके दिलों एक दूसरे से मिला दिये। उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई, **बनी इस्राईल के फ़िरक़ों पर हज़रत दाऊद (अलैहि.) और हज़रत ईसा इब्ने मरयम (अलैहि.) की ज़बानी लअनत की गई, इस वजह से कि वो नाफ़र्मानियाँ करते थे और हद से बढ़ जाते थे और वो जो बुरे काम करते थे, उनसे एक-**

दूसरे को मना नहीं करते थे। वो जो कुछ करते थे यक़ीनन बहुत बुरा था। उनमें से बहुत से लोगों को आप देखेंगे कि काफ़िरों से दोस्ती करते हैं। बहुत बुरा है जो कुछ उन्होंने अपने लिये आगे भेजा है। वो ये कि अल्लाह तआला उनसे नाराज़ हुआ और वो हमेशा अज़ाब में रहेंगे। और वो अल्लाह पर, नबी पर और नबी पर नाज़िल होने वाली शरीअत पर ईमान रखने वाले होते तो उन (काफ़िरों) से दोस्ती न करते लेकिन उनमें से अक्सर फ़ासिक़ हैं. (सूरह माइदा : 78-81)। हज़रत अबू उबैदा (रज़ि.) ने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) टेक लगाये हुए थे, आप सीधे होकर बैठ गये और फ़र्माया, नहीं! (तुम अज़ाब से नहीं बच सकते) यहाँ तक कि ज़ालिम का हाथ पकड़कर (उसे ज़ुल्म से रोक दो) उसे हक़ क़ुबूल करने पर मजबूर करो। **(तिर्मिज़ी-3048, अबू दाऊद-4336)**

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) से भी यही मज़्मून मंक़ूल है।

4007. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया, ख़बरदार! जिस किसी को हक़ मालूम हो उसके कहने में किसी की हैबत उस पर नहीं होना चाहिये। ये कह कर अबू सईद (रज़ि.) रो दिये और फ़र्माया, अफ़सोस! हमने कई काम ख़िलाफ़े शरीअत देखे लेकिन हमको उनके मना करने से हैबत आ गई। **(मुस्नद अहमद)**

4008. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से कोई शख़्स अपने आपको हक़ीर न करे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! भला ऐसा कौन होगा जो ख़ुद अपने आपको हक़ीर करेगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस तरह करेगा कि किसी मामले में अल्लाह तआला का हुक्म उसको मालूम होगा लेकिन वो ख़ौफ़ की वजह से उस मामले को देखकर नहीं कहेगा। क़यामत के दिन अल्लाह तआला उससे फ़र्मायेगा, तुमको फ़लाँ मामले के बारे में इल्म था फिर तुमने लोगों को क्यों न बतलाया? वो कहेगा, लोगों के ख़ौफ़ की वजह से। अल्लाह तआला फ़र्मायेगा, तुझको मुझसे डरना चाहिये था, न कि लोगों से। **(मुस्नद अहमद)**

4009. हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने जरीर (रज़ि.) का बयान है, उनके वालिद ने बयान किया कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जिन लोगों में अल्लाह की नाफ़र्मानी की जाये, जबकि वो (गुनाह करने वालों से) ज़्यादा ताक़तवर और ज़ोरआवर हो, इसके बावजूद (मुजरिमों को गुनाह से) मना नप करें तो अल्लाह तआला उन सब पर अज़ाब नाज़िल कर देता है। **(मुस्नद अहमद)**

4010. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में दरिया का सफ़र करने वाले लोग (जो हब्शा को गये थे) वापस आये तो आँहज़रत (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, तुम लोग हब्शा के वाक़ियात जो तुमने वहाँ देखे हों हमारे सामने नहीं बयान करते? उनमें से कुछ जवान कहने लगे, बहुत ख़ूब, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम बयान करते हैं, एक रोज़ हम वहाँ बैठे हुए थे कि हब्शी राहिबों की एक फ़क़ीरनी हमारे सामने से अपने सर पर मटका रखे हुए गुज़री। एक हब्शी जवान ने पीछे से आकर उसके दोनों मूंढे पकड़ कर आगे को धकेल दिया जिसकी वजह से वो बेचारी घुटनों के बल ज़मीन पर गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। जब वो उठ बैठी तो (उन शरीर लड़कों को देखकर) कहने लगी, ऐ धोख़ेबाज़! तुझे तब पता चलेगा जब अल्लाह तआला (हश्र के मैदान में) कुर्सी रखेगा और तमाम अव्वलीन आख़िरीन जमा किये जायेंगे। (इंसानों के) हाथ और पांव हर एक काम की गवाही देंगे। उस दिन तुझको मेरा और अपना फ़ैसला मालूम होगा। रावी कहते हैं कि हुज़ूर अनवर (ﷺ) (उस बुढ़िया का) कलाम सुनते जाते और फ़र्माते कि उसने सच कहा, उसने सच कहा। अल्लाह तआला ऐसी उम्मत को कैसे पाक करेगा जिनमें ताक़तवर से कमज़ोर को हक़ नहीं दिलवाया जाता? **(बैहक़ी)**

4011. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अफ़ज़ल जिहाद ये है कि ज़ालिम हाकिम के सामने हक़ का कलिमा कहा जाये और उससे बिल्कुल ख़ौफ़ न करे। **(तिर्मिज़ी-2174)**

4012. हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) का बयान है कि जब हुज़ूरे अनवर (ﷺ) जमरह-ए-ऊला के पास थे, एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा जिहाद अफ़ज़ल है? आप ये सुनकर ख़ामोश रहे। जब जमरह-ए-सानिया के पास पहुँचे तो उसने फिर सवाल किया। हुज़ूर (ﷺ) फिर भी ख़ामोश रहे। जब जमरह-ए-अक़बा के पास पहुँचे और संगसारी कर चुके तो हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो साइल कहाँ गया? उसने अ़र्ज़ किया, हाज़िर हूँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ालिम बादशाह या हाकिम के सामने हक़ का कलिमा कहना अफ़ज़ल जिहाद है।
(मुस्नद अहमद)

4013. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा ईद के दिन मरवान ने ईदगाह में ख़ुत्बे के लिये मिम्बर रवाना किया और नमाज़ से पहले ख़ुत्बा पढ़कर नमाज़ पढ़ाई। हाज़िरीन में से एक शख़्स उठकर कहने लगा, मरवान तूने बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ किया है। एक तो तूने ईदगाह में मिम्बर निकाला, हालांकि हुज़ूर (ﷺ) ने इस रोज़ मिम्बर पर ख़ुत्बा नहीं फ़र्माया बल्कि वैसे ही ज़मीन पर खड़े होकर ख़ुत्बा फ़र्माया और दूसरा ये कि तूने नमाज़ से पहले ख़ुत्बा पढ़ा और हुज़ूर (ﷺ) ने नमाज़ के बाद ख़ुत्बा पढ़ा था। ये सुनकर अबू सईद (रज़ि.) ने फ़र्माया, उस शख़्स ने तो अपना हक़ जो उस पर था वो पूरा कर दिया। क्योंकि हुज़ूर अक़दस (ﷺ) फ़र्माया करते कि तुममें जो किसी को ख़िलाफ़े शरअ़ काम करते देखे तो वो उसको हाथ से मना करे और अगर हाथ से मना करने की ताक़त न हो तो ज़बान से मना करे और अगर ज़बान से भी मना नहीं कर सकता तो दिल से उसको बुरा समझे और उससे मेल-मुलाक़ात तर्क कर दे। लेकिन ये निहायत ज़ईफ़ दर्जे ईमान का है।

फ़र्माने इलाही, मोमिनों! अपनी जानें बचाओ! का मतलब

4014. हज़रत अबू उमैया शअ़बानी (रह.) कहते हैं कि मैं हज़रत अबू सअ़ल्बा ख़ुशनी (रज़ि.) के पास गया और उनसे दरयाफ़्त किया कि इस आयत के बारे में आपका क्या ख़्याल है? उन्होंने फ़र्माया, कौनसी आयत के बारे में। मैंने अ़र्ज़ किया, **ऐ ईमान वालों! अपनी फ़िक्र करो। जब तुम राहे रास्त पर चल रहे हो तो जो शख़्स गुमराह है, उससे तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं.** (सूरह माइदा : 105)। अबू सअ़ल्बा ने फ़र्माया, मैंने इसके बारे में उनसे दरयाफ़्त किया था जो क़ुर्आन के सबसे ज़्यादा जानने वाले थे यानी रसूले मक़्बूल (ﷺ) से। आपने फ़र्माया, तुम अम्र बिल्मारूफ़ व नही अ़निल मुंकर करो (यानी लोगों को अच्छी बातों का हुक्म दो और बुरी बातों से मना करो) यहाँ तक कि तुमको ऐसे काम होते नज़र आयें कि उनसे मना करने की तुम में ताक़त न हो तो उस वक़्त में सिर्फ़ अपने नफ़्स की हिफ़ाज़त करो और आम लोगों को छोड़ दो। आईन्दा ऐसे दिन आने वाले हैं कि उनमें सब्र करना निहायत मुश्किल होगा बल्कि उन दिनों में अपने दीन की बातों का इख़्तियार करना और उन पर सब्र करना। ऐसा मुश्किल होगा जिस तरह हाथ में अंगारे को पकड़ना मुश्किल होता है। उस ज़माने में जो कोई नेक अ़मल करेगा तो उसको उस जैसे पचास अ़मलों का सवाब अ़ता किया जायेगा। **(अबू दाऊद-4341)**

4015. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, लोगों ने आँहज़रत (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अम्र बिल्मारूफ़ व नही अ़निल मुंकर को कब तक हम इख़्तियार करें। आपने फ़र्माया, जब तुममें वह काम होने लगें जो पहली उम्मतों में हुए थे। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौनसे काम हैं। आपने फ़र्माया, जब

तुम में ज़लील लोगों को हुकूमत मिले, इज़्ज़तदार लोग फ़िस्क़ व फुजूर में मुब्तला हों, फ़ासिक़ व फ़ाजिर लोग इल्म हासिल करने लगें। **(मुस्नद अहमद)**

4016. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन इंसान को चाहिये कि अपने आपको ज़लील न करे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अपने आपको ज़लील करने का क्या मतलब है? आपने फ़र्माया, जो काम अपनी ताक़त से बाहर हो उसमें हाथ न डाले। **(तिर्मिज़ी-2254)**

4017. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तआला अपने बन्दे से फ़र्मायेगा, तूने फ़लाँ ख़िलाफ़े शरअ बात देखी तो उससे क्यों मना न किया तो उससे कुछ जवाब नहीं आयेगा। तब उसको ख़ुद ही अल्लाह तआला तालीम फ़र्मायेगा तो वो अर्ज़ करेगा कि मेरे रब मुझको तेरी रहमत से उम्मीद थी कि तू उसको माफ़ कर देगा और लोगों से मुझको ख़ौफ़ मालूम हुआ।

सज़ाओं का बयान

4018. हज़रत अबू मूसा (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अव्वल तो अल्लाह तआला ज़ालिम को मोहलत देता रहता है लेकिन जब उसको पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **वक़ज़ालिक अख़्ज़ुरब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिया ज़ालिमह.** (जब अल्लाह तआला किसी ज़ालिम बस्ती को पकड़ता है तो उसकी पकड़ ऐसी होती है बेशक उसका मुवाख़िज़ा निहायत दर्दनाक और सख़्त होता है-सूरह हूद 102)। **(बुख़ारी-4686, मुस्लिम-2583)**

4019. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) फ़र्माने लगे, हज़राते मुहाजिरीन जब तुम पाँच बातों में मुब्तला हो (तो अल्लाह से पनाह मांगना) मैं भी पनाह मांगता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला न हो। पहली बात तो ये है कि जब किसी क़ौम में ऐलानिया फ़िस्क़ व फुजूर होता है तो उनमें ताऊन फैलता है और ऐसी-ऐसी बीमारियाँ रूनुमा होती हैं कि अगले ज़माने में कभी नहीं हुई थी। और जब कोई क़ौम ज़कात देना रोक देती है तो बारिश को अल्लाह तआला रोक देता है यहाँ तक कि अगर ज़मीन पर चौपाये न होते तो कभी बारिश न होती। और जो कोई क़ौम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ती है तो अल्लाह तआला उस पर उस क़ौम के ग़ैरों को मुसल्लत कर देता है कि जो उन पर हुकूमत करते हैं और माल वग़ैरह पर उनका क़ब्ज़ा होता है। और जब मुसलमान हाकिम अल्लाह के हुक्म के अलावा दूसरा क़ानून इख़्तियार करते हैं तो अल्लाह तआला उनके बीच में इख़्तिलाफ़ पैदा कर देता है।

4020. हज़रत अबू मालिक अशअरी (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होने वाले हैं जो शराब का दूसरा नाम रखकर पीया करेंगे और उनके सरों पर बाजे बजेंगे, सामने गाने वाली औरतें नाचेंगी। ऐसे लोगों को अल्लाह तआला ज़मीन में धंसा देगा और उनमें से कुछ को बंदर और सूअर बना देगा। **(अबू दाऊद-3688)**

4021. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने इस आयते शरीफ़ा, **यलअनुहुमुल्लाहु वयलअनहुमल लाइनून.** (उन पर अल्लाह लअनत करता है और उन पर लअनत भेजने वाले लअनत करते हैं-सूरह बक़रह : 159) की तफ़्सीर में फ़र्माया कि लअनत भेजने वालों से मुराद तमाम ज़मीन के चौपाये हैं।

4022. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, नेकी के अलावा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती है और तक़्दीर को सिवाय दुआ के कोई चीज़ नहीं फैर सकती। कभी ऐसा भी होता है कि गुनाह की वजह से आया हुआ रिज़्क़ भी टल जाता है।

मुसीबत पर सब्र करना

4023. हज़रत इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) का बयान है कि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोगों में सबसे ज़्यादा आज़माइश किन लोगों की होती है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अम्बिया किराम की, उसके बाद उनसे कम मर्तबे वालों की, उसके बाद उससे कम मर्तबे वालों की। फिर इंसान अपने दीन के मुवाफ़िक़ जिसका दीन (और ईमान) निहायत मज़बूत होगा उसकी सख़्ती भी बहुत शदीद होगी और अगर उसके दीन में नर्मी होती है तो उस बला में भी नर्मी होती है। इंसान पर आज़माइश (और मुसीबतें) आती रहती हैं यहाँ तक कि वो ज़मीन पर गुनाहों से पाक-साफ़ होकर चलने-फिरने लगता है। **(नसाई फिल्कुब्रा-7481)**

4024. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) को बुख़ार आया। मैं आपकी (इयादत के लिये) हाज़िर हुआ। मैंने चादर के ऊपर से जिस्म मुबारक पर हाथ रखकर देखा तो आपके बुख़ार की गर्मी मेरे जिस्म को महसूस हुई। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इतना सख़्त बुख़ार है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हम पर बला भी सख़्त आती है और सवाब भी उसका दुगना मिलता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौन से लोगों पर मुसीबत सख़्त आया करती है? आपने फ़र्माया, नेक लोगों पर, कुछ नेक लोग ऐसे इफ़लास में मुब्तला कर दिये जाते हैं कि उनके पास सिवाय एक कम्बल के जो ओढ़े होते हैं और कुछ नहीं होता। कुछ मुसीबत से ऐसे ख़ुश होते हैं जिस तरह तुमम से कोई शख़्स माल व दौलत (के मिलने) से ख़ुश होता है। **(बुख़ारी फ़िल्अदबिल मुफ़रद-510)**

4025. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि गोया मैं हुज़ूरे अनवर (ﷺ) को देख रहा हूँ कि आप एक नबी का क़िस्सा बयान करते हुए ये फ़र्मा रहे हैं कि उनको उनकी क़ौम ने जब ख़ून आलूदा कर दिया तो उस नबी ने अपने मुँह से ख़ून साफ़ करते हुए कहा, **रब्बिग़फ़िरलि क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून.** (ऐ अल्लाह मेरी क़ौम को माफ़ कर दे क्योंकि ये मेरी हक़ीक़त से बिल्कुल नावाक़िफ़ हैं)। **(बुख़ारी-3477, 6929, मुस्लिम-1791)**

4026. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, (अगर देखा जाये तो हमारी हालत ऐसी है) कि अगर शक करें तो हज़रत इब्राहीम (अलै.) के ऐतबार से कर सकते हैं (लेकिन जब हम को ही शक न हुआ तो हज़रत इब्राहीम (अलै.) को कैसे शक हो सकता है) जब उन्होंने अर्ज़ किया था, ऐ रब तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा करेगा? तो इर्शाद हुआ था कि क्या तेरा ईमान नहीं है? उन्होंने अर्ज़ किया, ईमान तो है लेकिन इत्मिनाने क़ल्ब (दिल की तसल्ली) के लिये ये सवाल मैंने किया है।(तो ये सवाल इस वजह से नहीं था कि हज़रत इब्राहीम अलै. को मुर्दों को ज़िंदा करने में कुछ शक था बल्कि अैनुल यक़ीन हासिल करने के लिये ये सवाल किया गया था) और अल्लाह तआला हज़रत लूत (अलै.) पर रहम फ़र्माये कि वो अपने मेहमानों के लिये किसी ज़ोर आवर आदमी को तलाश करते थे हालांकि अल्लाह तआला से ज़ोर आवर कोई भी नहीं है अगर मैं इतने दिनों तक क़ैद में रहता जितने दिनों तक हज़रत यूसुफ़ (अलै.) रहे तो आने वाले के साथ फ़ौरन हो जाता (और मुझसे ज़्यादा सब्र न होता)। **(बुख़ारी-4537, मुस्लिम-151)**

4027. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, जंगे उहुद के दिन हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के सामने के चार दाँतों में से एक दाँत टूट गया और आपके चेहर-ए-मुबारक पर ज़ख़्म लगा। जिसकी वजह से आपके चेहर-ए-मुबारक से ख़ून

बहने लगा। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) ने अपने चेहरे से ख़ून पौंछते हुए ये फ़र्माया, अल्लाह तआला ऐसी क़ौम को कब नजात देगा जिसने अपने ऐसे नबी को ज़ख़्मी किया जो उनको अल्लाह की तरफ़ बुला रहा था। तब ये आयत नाज़िल हुई, **ऐ पैग़म्बर! आपके इख़्तियार में कुछ नहीं (अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा क़ुबूल फ़र्मा ले और चाहे तो उनको अ़ज़ाब दे क्योंकि वो लोग ज़ालिम हैं).** (सूरह आले इमरान : 128)। **(तिर्मिज़ी-3002, 3003)**

4028. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ नबी-ए-अक़्दस (ﷺ) ख़ून में रंगे हुए काबा में बैठे थे क्योंकि मक्का वालों ने आपको मारा था कि इतने में हज़रत जिब्रईल (अ़लै.) आपके पास आये और अ़र्ज़ किया, (या रसूलल्लाह (ﷺ)!) कैसा मिज़ाज है? आपने फ़र्माया, मेरी क़ौम ने मेरा ये हाल किया है। उन्होंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपको अल्लाह की क़ुदरत का एक करिश्मा दिखलाऊं। आपने अ़र्ज़ किया, जी हाँ! दिखलाइये। हज़रत जिब्रईल (अ़लै.) ने एक दरख़्त की तरफ़ इशारा करके कहा, इसको बुलाइये। आपने उसको बुलाया तो वो दरख़्त ज़मीन चीरता हुआ हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हो गया। हज़रत जिब्रईल (अ़लै.) ने कहा, अब इसको वापस भेज दीजिये। आपने उसको वापस जाने को कहा वो चला गया। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, बस मुझे इतनी ही निशानी काफ़ी है। **(मुस्नद अहमद)**

4029. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो लोग इस्लाम का कलिमा पढ़ते हैं, उन सबका शुमार करके मुझे बतलाइये। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आपको हम लोगों पर किसी का ख़ौफ़ है? (जो आप मुसलमानों की तादाद दरयाफ़्त फ़र्मा रहे हैं?) हम छह-सात सौ के क़रीब मुसलमान होंगे। आपने फ़र्माया, ऐसा वक़्त भी आने वाला है कि जिसमें तुम आज़माइश में मुब्तला होंगे। हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, फिर हम पर ऐसा वक़्त आया कि अगर हम में से कोई नमाज़ पढ़ता तो पौशीदा तरीक़े से। **(बुख़ारी-3060, मुस्लिम-149)**

4030. हज़रत उबइ इब्ने कअ़ब (रज़ि.) कहते हैं कि नबी-ए-अक़्दस (ﷺ) को मेअ़राज की रात में एक ख़ुश्बू महसूस हुई। आपने जिब्रईल (अ़लै.) से दरयाफ़्त किया, ऐ जिब्रईल! ये कैसी ख़ुश्बू है? उन्होंने अ़र्ज़ किया, ये उस औ़रत की क़ब्र की ख़ुश्बू है जो फ़िरऔन की बेटी के कंघी किया करती थी और उसके दोनों बेटों और शौहर की क़ब्र (भी) हैं क्योंकि ये लोग मुसलमान हो गये थे। उनका इब्तिदाई वाक़िया इस तरह है कि हज़रत ख़िज़्र (अ़लै.) बनी इस्राईल के शरीफ़ घराने में से थे, उनका गुज़र एक राहिब के इबादत ख़ाने के क़रीब होता वो राहिब निकलकर उनको इस्लाम की तालीम दिया करता। जब हज़रत ख़िज़्र (अ़लै.) जवान हुए तो उनके वालिद ने उनका एक औ़रत से निकाह कर दिया। उन्होंने पौशीदा तौर पर, उस औ़रत को भी इस्लाम की तालीम दी और उससे ये इक़रार ले लिया कि उस बात की किसी को ख़बर न हो। और हज़रत ख़िज़्र का (ये क़ाइदा था कि) औ़रतों से सुहबत नहीं किया करते थे। कुछ दिनों के बाद हज़रत ख़िज़्र ने उस औ़रत को तलाक़ दे दी। उनके बाप ने उनका निकाह एक और औ़रत से करा दिया। हज़रत ख़िज़्र (अ़लै.) ने उससे भी अ़हद लेकर उसको भी दीन की तालीम दी। लेकिन उन दोनों में से एक औ़रत ने तो उस राज़ को छिपाया और दूसरी ने ज़ाहिर कर दिया। (फ़िरऔ़न ने उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया, ये सुनकर भागे) और समन्दर के एक जज़ीरा में आकर (पौशीदा हुए)। वहाँ दो शख़्स लकड़ियाँ काटने के लिये आये। उन दोनों ने हज़रत ख़िज़्र (अ़लै.) को उस मक़ाम पर देखा तो उनमें से एक ने तो पौशीदा रखा और दूसरे ने उसको ज़ाहिर कर दिया कि (मैंने ख़िज़्र को फ़लाँ जज़ीरा में देखा)। लोगों ने उससे कहा कि तेरे साथ और किसने देखा। उसने कहा कि फ़लाँ शख़्स ने (जो उसके साथ लकड़ियाँ काटने गया था) उससे दरयाफ़्त किया गया तो उसने इंकार किया और उसको छिपाया हालाँकि फ़िरऔ़न के दीन में झूठ की सज़ा क़त्ल थी। अल्ग़र्ज़ उसने उस औ़रत से निकाह कर लिया जिसने हज़रत ख़िज़्र (अ़लै.) के वाक़िये को पौशीदा

रखा था (अब दोनों शौहर और बीवी एक तबिअत के मिल गये शौहर ने भी उस वाक़िये को पौशीदा रखा और बीवी ने भी)। उस शख़्स की बीवी फ़िरऔन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक रोज़ उसके हाथ से कंघी गिर पड़ी। उसके मुँह से बेइख़्तियार निकल गया कि फ़िरऔन तबाह हुआ। ये कलिमा उसकी बेटी ने सुन लिया और (किसी वक़्त अपने बाप से) उसको बयान किया। फ़िरऔन ने उस औरत को और उसके शौहर को और उसके दो बेटे भी थे उन सबको बुलाया और उनसे अपने दीन में आने की पेशकश की तो उन्होंने उससे इंकार किया। फ़िरऔन ने उनसे कहा, अगर (तुम मेरा कहना न मानोगे तो मैं तुमको क़त्ल कर दूंगा) उस औरत ने और उसके शौहर ने कहा कि कोई मुज़ायक़ा नहीं। लेकिन हमारे ऊपर इतना एहसान करना कि सबको एक ही क़ब्र में दफ़न कर देना। चुनाँचे फ़िरऔन ने ऐसा ही किया। तो शबे मेअ़राज में जो ख़ुश्बू हुज़ूरे अनवर (ﷺ) को आई वो उन्ही लोगों की क़ब्र की थी। **(मुस्नद अहमद)**

4031. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जितनी सख़्त मुसीबत होगी उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा और जो उस आज़माइश से राज़ी रहेगा, अल्लाह तआला भी उससे राज़ी रहेगा और जो उससे नाराज़ रहेगा तो उससे अल्लाह तआला भी नाराज़ रहेगा। **(तिर्मिज़ी-2396)**

4032. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो मोमिन लोगों से मुलाक़ता करता है और उनकी ईज़ा पर सब्र करता है, उस शख़्स से बेहतर है जो न लोगों से मुलाक़ात करता है और न उनकी ईज़ा (तक्लीफ़) पर सब्र करता है। **(तिर्मिज़ी-2507)**

4033. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स में तीन बातें होंगी उसको ईमान की हलावत (मिठास) का मज़ा आयेगा। पहला ये कि अगर किसी से मुहब्बत करे तो सिर्फ़ अल्लाह के लिये। दूसरा ये कि अल्लाह और उसके रसूल को तमाम आलम की चीज़ों से ज़्यादा महबूब रखे। तीसरा ये कि कुफ़्र इख़्तियार करने से उसको आग में डाला जाना अच्छा मालूम हो जबकि अल्लाह तआला ने उसको कुफ़्र से निजात दी है। **(बुख़ारी-21, 6041)**

4034. हज़रत अबू दर्दा (रज़ि.) का बयान है कि मेरे महबूब रसूले अनवर (ﷺ) ने मुझको ये वसिय्यत की थी कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना अगरचे तुमको काट दिया जाये या तुमको जला दिया जाये। और न जानबूझ कर फ़र्ज़ नमाज़ को छोड़ना क्योंकि जो शख़्स जानबूझ कर नमाज़ को छोड़ता है उससे अल्लाह तआला का ज़िम्मा हट जाता है। और न शराब पीना क्योंकि शराब हर बुराई की कुँजी है।

ज़माने की सख़्ती का बयान

4035. हज़रत मुआविया (रज़ि.) का बयान है कि मैंने रसूले मक़्बूल (ﷺ) को फ़र्माते सुना, दुनिया में अब सिवाय फ़ित्ना और फ़साद के कुछ बाक़ी नहीं रहा। **(मुस्नद अहमद)**

4036. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐसा ज़माना भी आने वाला है जिसमें सच्चों को झूठा और झूठों को सच्चा बनाया जायेगा। चोर को ईमानदार और ईमानदार को चोर बनाया जायेगा। और रुवैबिज़ा उस ज़माने में बहुत तक़रीर करने वाला होगा और बादशाहों का वज़ीर और मुशीर बनेगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह! रुवैबिज़ा किसे कहते हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हक़ीर और कमीने आदमी को वो उस ज़माने में लोगों के आम मामलात में दख़ल देगा। **(मुस्नद अहमद)**

4037. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म न होगी जब तक आदमी किसी क़ब्र पर गुज़रकर ये तमन्ना न करेगा कि मैं इस क़ब्र वाले की जगह होता। उसको दीन और ईमान का कोई रंज न होगा बल्कि आफ़ाते दुनियावी की वजह से उसको इस क़िस्म की आरज़ू होगी। **(मुस्लिम-2907)**

4038. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम इस तरह छांटे जाओगे जिस तरह खजूरों में से उम्दा खजूरें छांट ली जाती हैं (यानी) तुममें से अच्छे लोग तो मर जायेंगे और बुरे लोग रह जायेंगे फिर अगर तुम मर सको तो मर जाना। **(हाकिम)**

4039. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, (क़यामत के क़रीब) दिन-ब-दिन सख़्ती ज़्यादा होती जायेगी और दुनिया में बख़ीली बहुत होगी और क़यामत बदतरीन लोगों पर क़ायम होगी और ईसा इब्ने मरयम (अलै.) के अलावा कोई दूसरा शख़्स महदी नहीं है। **(हाकिम फ़िल्मुस्तदरक)**

क़यामत की निशानियों का बयान

4040. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर फ़र्माया, मैं और क़यामत दोनों इस तरह भेजे गये हैं। **(बुख़ारी-6505)**

4041. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हम लोग आपस में क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे इतने में हमको हुज़ूर (ﷺ) ने बालाख़ाना पर से झांका और फ़र्माया, जब तक दस निशानियाँ क़यामत से पहले ज़ाहिर न हों उस वक़्त तक क़यामत न आयेगी। दज्जाल, धुआं और सूरज का मग़रिब से तुलूअ होना। **(मुस्लिम-2901)**

4042. हज़रत औफ़ इब्ने मालिक अशजई (रज़ि.) का बयान है कि जंग-ए-तबूक में आँहज़रत (ﷺ) एक चमड़े के ख़ैमे में रोनक़ अफ़रोज़ थे। मैं भी ख़ैमे के बाहर जाकर बैठ गया। हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे फ़र्माया, औफ़! अंदर आओ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! पूरा आ जाऊं? आपने फ़र्माया, हाँ पूरे आ जाओ। (ये औफ़ का मज़ाक़ था या वो ख़ैमा शायद छोटा होगा और हज़रत औफ़ भारी जिस्म के इंसान होंगे) आपने फ़र्माया, औफ़! याद रखो, क़यामत से पहले छः निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। पहली, मेरी वफ़ात। मैंने इसको सुनकर बहुत रंज का इज़हार किया। फिर फ़र्माया कि दूसरी, बैयतुल मक़्दिस का फ़तह होना। तीसरी, एक बीमारी होगी जिसको अल्लाह तआला पैदा करेगा उससे तुम और तुम्हारी औलाद शहादत पायेगी और तमाम बदआमाल से तुम लोग पाक हो जाओगे। चौथी, माल की इतनी कसरत होगी कि आदमी को सौ दीनार मिलेंगे तो वो उनसे भी ख़फ़ा होगा। पाँचवीं, एक फ़ित्ना पैदा होगा और वो तुम्हारे आपस ही में होगा जिससे कोई घर बाक़ी नहीं रहेगा जिस जगह वो फ़ित्ना न पहुँचा होगा। छठी ये होगी कि तुम लोगों में और रोम वालों से सुलह होगी लेकिन वो लोग फिर तुम से दग़ा करेंगे और तुम्हारे अस्सी झण्डों के साथ तुम्हारे मुक़ाबले आयेंगे और हर झण्डे के नीचे बारह हज़ार की फ़ौज होगी। **(बुख़ारी-3176)**

4243. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त क़ायम होगी जब तुम लोग अपने हाथों से अपने इमाम को शहीद करोगे और अपनी तलवारों से ख़ुद क़त्ल होगे। तुम्हारे हाकिम वो लोग होंगे जो तुममें बदतर होंगे। **(तिर्मिज़ी-2170)**

4044. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अक़दस (ﷺ) लोगों में बाहर बैठे थे इतने में एक

शख़्स आया। हज़रत उमर (रज़ि.) की रिवायत में है कि सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक शख़्स आया जो मुसाफ़िर नहीं मालूम होता था, लेकिन (उसको कोई पहचानता भी नहीं था) और आपके ज़ानू से ज़ानू मिलाकर बैठ गया और अर्ज़ किया, या मुहम्मद (ﷺ)! ईमान की कैफ़ियत बयान फ़र्माइये। आपने बयान किया उसके बाद उसने इस्लाम के मआनी और एहसान के मआनी और रोज़े क़यामत की निशानियाँ दरयाफ़्त कीं और फिर उठकर चला गया। उसने दरयाफ़्त किया था कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़यामत कब होगी। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं उसके बारे में साइल से ज़्यादा जानने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं तुमको उसकी निशानियाँ बतलाये देता हूँ। जब लौण्डी से उसके आक़ा पैदा होने लगे, जब नंगे पाँव वाले, नंगे बदन रहने वाले लोगों पर हुकूमत करें और बकरियाँ चराने वाले बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने लगें तो ये भी उसकी एक अलामत है। और क़यामत का इल्म उन पाँच बातों में है जिनको अल्लाह तआला के अलावा और कोई नहीं जानता है। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाज़िल फ़र्माता है और जो कुछ माँओं के पेटों में हैं उसे जानता है और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या कुछ करेगा, न किसी को ये मालूम है कि वो किस ज़मीन में मरेगा। अल्लाह ही पूरे इल्म वाला, सही ख़बर वाला है.** (सूरह लुक़्मान : 34)।

4045. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं कि मैं तुमसे वो हदीस बयान करता हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुनी थी, क्योंकि मेरे बाद अब वो हदीस तुमसे कोई बयान न करेगा। आपने फ़र्माया, क़यामत की अलामात में से एक अलामत ये भी है कि इल्म उठ जायेगा और जहालत फैल जायेगी, ज़िना और शराबख़ोरी का ज़ोर होगा। मर्द इस कसरत से मरेंगे कि पचास औरतों का मुहाफ़िज़ एक मर्द होगा। **(बुख़ारी-81)**

4046. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त क़यामत आयेगी कि जब दरिया-ए-फरात में से सोने का पहाड़ निकलेगा और इस पर लोगों की आपस में जंग होगी यहाँ तक कि दस आदमियों में से 9 क़त्ल हो जायेंगे और एक बाक़ी रहेगा। **(मुस्नद अहमद)**

4047. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त क़ायम होगी जब माल व दौलत बहने लगेगी और फ़ित्ने बहुत कसरत से ज़ाहिर होंगे और हरज बहुत होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हरज क्या चीज़ है? आपने तीन मर्तबा फ़र्माया, क़त्ल, क़त्ल और क़त्ल। **(मुस्नद अहमद)**

क़ुर्आन व इल्म का उठ जाना

4048. हज़रत ज़ियाद इब्ने लबीद (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) के सामने किसी बात का ज़िक्र आया तो आपने फ़र्माया, ये उस वक़्त होगा जब दुनिया से इल्म उठ जायेगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कैसे उठ जायेगा, हालांकि हम ख़ुद क़ुर्आन पढ़ते हैं और आइन्दा अपने बच्चों को पढ़ाते रहेंगे। वो अपने बच्चों को इसी तरह सिलसिला-ब-सिलसिला पढ़ाते रहेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़ियाद मैं तुमको बहुत होशियार समझता था लेकिन तुम बहुत बेवक़ूफ़ हो। क्या यहूद व नसारा तौरात व इंजील नहीं पढ़ते थे? फिर उसके पढ़ने से उनको क्या फ़ायदा पहुँचा? **(मुस्नद अहमद)**

4049. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने यमान (रज़ि.) का बयान है, एक ज़माना ऐसा आने वाला है कि उसमें इस्लाम ग़ायब हो जायेगा जिस तरह पुराने कपड़े पर बेल-बूटे ग़ायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि उस ज़माने के लोग ये भी न समझेंगे कि नमाज़ क्या है, रोज़ा क्या है, क़ुर्बानी क्या चीज़ है, सदक़ा कैसा होता है और किताबुल्लाह एक ही रात में ग़ायब हो जायेगी

और ज़मीन पर क़ुर्आन की एक आयत भी बाक़ी न रहेगी और मुसलमानों के चंद गिरोह बाक़ी रहेंगे जिनके बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतें ये कहेंगे कि ये कलिमा हमने अपने बाप-दादों को पढ़ते सुना था, ला इलाह इल्लल्लाह लिहाज़ा हम भी यही पढ़ते हैं (बस शरीअत के किसी और अम्र से) वाक़िफ़ न होंगे। हज़रत वासिला इब्ने ज़फ़र (रज़ि.) ने हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) से कहा कि जब उनको रोज़ा, नमाज़, ज़कात, क़ुर्बानी वग़ैरह किसी चीज़ की ख़बर न होगी तो फिर इस कलिमे ला इलाह इल्लल्लाह के कहने से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने उनकी तरफ़ से मुँह फेर लिया। उन्होंने उनसे तीन बार दरयाफ़्त किया, लेकिन उन्होंने हर मर्तबा मुँह फेर लिया। चौथी मर्तबा में हज़रत वासिला इब्ने ज़फ़र की तरफ़ से मुँह फेर कर फ़र्माया, यही कलिमा उन लोगों को दोज़ख़ से नजात का बाइस होगा। **(हाकिम)**

4050. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के क़रीब एक ज़माना ऐसा भी होगा जिसमें इल्म उठ जायेगा, जहालत बहुत बढ़ जायेगी और हरज की बहुत कसरत होगी। हरज से मुराद क़त्लो-ग़ारत है। **(बुख़ारी-7062, 7063)**

4051. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का बायन है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे बाद ऐसा ज़माना भी आने वाला है कि जिस में इल्म दुनिया से उठ जायेगा, जहालत फैल जायेगी और हरज बहुत होगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हरज क्या चीज़ है ? आपने फ़र्माया, क़त्ल।

4052. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़माना क़रीब हो जायेगा, इल्म कम हो जायेगा, हरीसाना बुख़्ल आम हो जायेगा, फ़ित्ने ज़ाहिर होंगे और हरज ज़्यादा हो जायेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हरज क्या है? आपने फ़र्माया, क़त्ल। **(बुख़ारी-7061, मुस्लिम-2672)**

दयानतदारी का ख़त्म हो जाना

4053. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) ने हम से दो हदीसें बयान की थीं जिनमें से एक तो मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ अलबत्ता अभी दूसरी बाक़ी है। आपने फ़र्माया था कि अमानत दिल की जड़ में नाज़िल की गई है। दूसरी रिवायत में है कि दिल के बीच में नाज़िल होती है। जब हम लोगों ने क़ुर्आन सीखा तो उस अमानत में और ज़्यादती पैदा हो गई। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने उस अमानत के उठ जाने का कुछ हाल बयान किया कि एक ज़माना ऐसा आने वाला है जिसमें आदमी एक नींद लेगा तो उसके दिल में अमानत का सिर्फ़ एक नुक़्ता बराबर असर होगा। फिर दूसरी नींद में ऐसा असर रह जायेगा कि जिस तरह अपने पांव पर अंगारे लुढ़काये और उससे तेरे पांव पर छाला पड़ जाये लेकिन अंदर कुछ भी न हो। फिर हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) ने एक मुट्ठी कंकरियाँ लेकिर अपनी पिण्डली पर लुढ़का लीं और फ़र्माने लगे कि फिर लोग एक-दूसरे से लेन-देन करेंगे और कोई भी अमानत अदा नहीं करेगा यानी उसमें से कोई भी ईमानदार न होगा यहाँ तक कि लोग कहेंगे कि फ़लाँ क़बीले में एक दयानतदार आदमी भी है, यहाँ तक कि एक शख़्स के बारे में कहा जायेगा कि वो कितना अक़्लमंद है, कितना बाहिम्मत है, कितना समझदार है। हालांकि उसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान न होगा। एक वो दिन था कि मुझको किसी से लेन-देन करने की ज़रूरत बिल्कुल न थी क्योंकि अगर वो ईमानदार होता तो उसका ईमान उसको बेईमानी करने से मना करता। अगर यहूदी या नसरानी होता तो उसका आमिल (ज़िम्मेदार) भी इंसाफ़ से काम लेता। लेकिन अब एक ज़माना ये है कि इसमें मुझको कोई लेन-देन के क़ाबिल नहीं नज़र आता कि मैं उससे लेन-देन करूं। सिवाय फ़लाँ-फ़लाँ शख़्स के। **(बुख़ारी-6497, 7086)**

4054. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआला किसी बन्दे को

हलाक करना चाहता है तो उसके दिल से हया उठा लेता है। जब हया उसके दिल से उठ जाती है तो अल्लाह तआला के ग़ज़ब में गिरफ़्तार रहता है और अमानत भी उसके दिल से उठ जाती है। और जब अमानत उसके दिल से जाती रहती है तो चोरी और ख़यानत शुरू कर देता है और जब चोरी और ख़यानत शुरू कर दी तो उसके दिल से रहम उठ जाता है। और जब रहम उससे उठ गया तो हमेशा के लिये मर्दूद व मलऊन हो जाता है। जब तुम उसको हमेशा के लिये मर्दूद व मलऊन देखो तो समझ लो कि ईमान की रस्सी उसकी गर्दन से निकल गई।

(क़यामत की बड़ी) निशानियाँ

4055. हज़रत हुज़ैफ़ा इब्ने उसैद ग़िफ़ारी (रज़ि.) कहते हैं कि (एक रोज़) हम लोग आपस में क़यामत का ज़िक्र कर रहे थे कि इतने में बाला ख़ाना पर से आँहज़रत (ﷺ) ने हमारी तरफ़ देखा और फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त क़ायम न होगी जब तक दस अलामतें ज़ाहिर न हों (जिनमें से तीन ये हैं), सूरज का मग़रिब से तुलूअ होना, दज्जाल का निकलना और धूऐं का ज़मीन से निकलना।

4056. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, छः चीज़ों से पहले-पहले नेक अमल कर लो (उसके बाद बेकार हैं)। सूरज के मग़रिब से तुलूअ होना, धुआँ, दाब्बतुल अर्ज़, दज्जाल, आदमी का ज़ाती मसला (मौत) और आम लोगों का मामला (उमुमी फ़ित्ना)। **(मुस्लिम-2947)**

4057. हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अलामात (क़यामत की निशानियाँ) दो सौ बरस के बाद शुरू होगी। **(हाकिम)**

4058. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के पाँच तबक़े होंगे। चालीस बरस तक तो नेक और परहेज़गार लोग होंगे। उसके बाद एक सौ बीस बरस तक सिला रहमी और अपनों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे। फिर उसके बाद एक सौ साठ बरस तक ऐसे लोग होंगे जो रिश्तों को तोड़ेंगे और लोगों की तरफ़ से मुँह मोड़ेंगे उसके बाद फिर क़त्ल ही क़त्ल है।

हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के पाँच तबक़े होंगे। हर तबक़ा चालीस-चालीस साल का होगा। मेरा और मेरे असहाब का तबक़ा तो अहले इल्म और अहले ईमान का तबक़ा है और दूसरा तबक़ा चालीस से लेकर अस्सी तक नेक और मुत्तक़ी लोगों का है उसके बाद रावी ने ऊपर वाली रिवायत की तरह ही बयान किया।

ज़मीन में धँस जाने के वाक़िआत

4059. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत से पहले मस्ख़ और क़ज़्फ़ और ख़स्फ़ होंगे (मस्ख़ सूरतें तब्दील हो जाना), क़ज़्फ़ (आसमान से पत्थरों का बरसना) और ख़स्फ़ ज़मीन का नीचे धंस जाना।

4060. हज़रत सहल इब्ने सअद (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी आख़िर उम्मत में मस्ख़ व क़ज़्फ़ होंगे।

4061. हज़रत नाफ़ेअ (रह.) का बयान है, एक शख़्स ने आकर हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) की ख़िदमत में अर्ज़

किया कि फ़लाँ शख़्स ने आपको सलाम अर्ज़ किया है। आपने उसका नाम सुनकर फ़र्माया, मुझको ख़बर लगी है कि उसने दीन में कोई बात निकाली है। अगर ऐसा है तो उसको मेरी जानिब से जवाब न देना क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) से सुना था कि इस उम्मत में या मेरी उम्मत के क़दरिया फ़िर्के में ख़स्फ़, क़ज़्फ़ और मस्ख़ होगा।

(अबू दाऊद-4613, तिर्मिज़ी-2152)

4062. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में ख़स्फ़, क़ज़्फ़ और मस्ख़ होगा। **(मुस्नद अहमद)**

मक़ामे बैदाअ का लश्कर

4063. उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, इस बैतुल्लाह (ढहाने का) एक लश्कर इरादा करेगा और मक्का वालों से लड़ने के लिये आयेगा लेकिन मक़ामे बैदाअ में आकर वो लश्कर धंस जायेगा और धंसते वक़्त अगले लोग पिछले लोगों को आवाजें देंगे लेकिन आवाज़ देते-देते सबके सब धंस जायेंगे। सिवाय एक क़ासिद के उनमें से कोई बाक़ी न रहेगा। जो लोगों को जाकर ख़बर करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सफ़वान (रज़ि.) ने कहा कि जब हज्जाज बिन यूसुफ़ का लश्कर (मक्का की तरफ़) आया तो हम लोग समझे कि शायद यही लश्कर होगा जिसके बारे में हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया था। ये सुनकर एक शख़्स बोला कि मैं गवाही देता हूँ कि तुमने हज़रत हफ़्सा पर झूठ नहीं बांधा और हफ़्सा (रज़ि.) ने आँहज़रत (ﷺ) पर झूठ नहीं बांधा होगा। **(नसाई-2883)**

4064. उम्मुल मोमिनीन हज़रत सफ़िय्या (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, लोग मक्का पर हमला करने से बाज़ न आयेंगे, आख़िर एक लश्कर मक्का की तरफ़ जंग के लिये रवाना होगा जो मक़ामे बैदाअ में आयेगा तो उनके आगे और पीछे वाले लोग ज़मीन में धंस जायेंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर उसमें कुछ लोग ऐसे हुए जो ज़बरदस्ती शरीक किये गये हों तो उनका क्या हाल होगा? आपने फ़र्माया, (अज़ाब में सब बराबर होंगे) अलबत्ता क़यामत के दिन अल्लाह सबको अपनी-अपनी निय्यत के मुताबिक़ उठायेगा। **(तिर्मिज़ी-2184)**

4065. उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने उनके सामने उस लश्कर का ज़िक्र किया जो ज़मीन में धंस जायेगा। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसमें ऐसे लोग भी होंगे जो जबरन शरीक किये जायेंगे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन हर एक को अपनी-अपनी निय्यत के मुताबिक़ उठाया जायेगा। **(तिर्मिज़ी-2171)**

दाब्बतुल अर्ज़ का बयान

4066. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, दाब्बतुल अर्ज़ ज़ाहिर होगा, उसके पास हज़रत सुलैमान बिन दाऊद (अलै.) की अंगूठी होगी और हज़रत मूसा (अलै.) की लाठी होगी। वो उस लाठी से मोमिन के चेहरे को रोशन कर देगा और उस अंगूठी से काफ़िर की पेशानी पर मुहर लगा देगा। यहाँ तक कि जब मुहल्ले के लोग जमा होंगे तो (एक दूसरे को इस तरह मुख़ातब करेंगे कि) एक कहेगा, ऐ मोमिन! तो दूसरा कहेगा, ऐ काफ़िर।

(तिर्मिज़ी-3187)

4067. हज़रत बुरैदा बिन सुहैब अस्लमी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अनवर (ﷺ) मुझको मक्का के क़रीब एक मैदान में ले गये जिसके चारों तरफ़ रेत थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, इस मक़ाम से दाब्बतुल अर्ज़ का ख़ुरूज

होगा। मैंने उस जगह को देखा जो तक़रीबन एक बालिश्त जगह होगी। इब्ने बुरैदा (रह.) कहते हैं, मैंने कई साल के बाद हज्ज किया तो हज़रत बुरैदा (रज़ि.) ने मुझको अपना असा (लाठी) लेकर बतलाया कि दाब्बतुल अर्ज़ की असा इतनी मोटी और इतनी लम्बी होगी। **(मुस्नद अहमद)**

सूरज का मग़्रिब से तुलूअ होने का बयान

4068. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी सूरज को मग़्रिब से तुलूअ होते देखेंगे तो उस वक़्त तमाम रूए ज़मीन के लोग ईमान लायेंगे लेकिन वो ऐसा वक़्त होगा कि उस वक़्त किसी नफ़्स का ईमान लाना जो पहले ईमान नहीं लाये थे कुछ मुफ़ीद न होगा।

(बुख़ारी-4635, मुस्लिम-157)

4069. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत की निशानियों में से पहली निशानी सूरज का मग़्रिब से तुलूअ होना है। फिर चाश्त के वक़्त दाब्बतुल अर्ज़ का लोगों पर ख़ुरूज। अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, इन दोनों बातों में से जो पहले हो जाये लेकिन दूसरी भी उसके साथ-साथ फ़ौरन होगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि पहले मग़्रिब से सूरज ही तुलूअ होगा। **(मुस्लिम-2941)**

4070. हज़रत सफ़वान इब्ने अस्साल (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मग़्रिब की तरफ़ एक दरवाज़ा खुला हुआ है जो हमेशा खुला रहता है। उसकी चौड़ाई सत्तर साल की राह का है। वो दरवाज़ा तौबा का है जब सूरज मग़्रिब से तुलूअ होगा तो उस वक़्त किसी नफ़्स को जो पहले ईमान नहीं लाया था उसने ईमान की हालत में कोई नेक अमल नहीं किया था (ईमान और तौबा करना) कुछ मुफ़ीद न होगा।

दज्जाल का फ़ित्ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और याजूज व माजूज का ज़ुहूर

4071. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, दज्जाल बाईं आँख से काना है और उसके सर पर बाल बहुत कसरत से होंगे। उसके साथ जन्नत-दोज़ख़ भी होगी लेकिन जो उसकी जन्नत होगी हक़ीक़त में वो दोज़ख़ होगी और जो उसकी दोज़ख़ होगी हक़ीक़त में वो जन्नत होगी। **(मुस्लिम-2934)**

4072. हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया कि दज्जाल मग़्रिब की तरफ़ से ख़ुरूज करेगा, मुल्के ख़ुरासान से उसके साथ गोल मुँह वाले आदमी होंगे जिनके चेहरे ढालों के की तरह होंगे।

(तिर्मिज़ी-2237)

4073. हज़रत मुग़ीरा इब्ने शुअ़बा (रज़ि.) का बयान है कि जितना दज्जाल के बारे में मैंने आँहज़रत (ﷺ) से दरयाफ़्त किया उतना किसी ने नहीं पूछा होगा। एक मर्तबा मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तू उसके बारे में मुझसे क्या दरयाफ़्त करता है? मैंने अर्ज़ किया, लोग कहते हैं कि उसके साथ खाने-पीने का सामान होगा। आपने फ़र्माया, वो अल्लाह तआ़ला की नज़र में इससे ज़्यादा हक़ीर है। **(बुख़ारी-7122, मुस्लिम-2939)**

4074. हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) कहती हैं, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) नमाज़ पढ़कर मिम्बर पर रौनक़ अफ़रोज़ हुए। लोग इस बात को देखकर घबरा गये क्योंकि हुज़ूर (ﷺ) जुम्आ के सिवाय मिम्बर पर कभी नहीं

चढ़ते थे। उस वक़्त कुछ लोग खड़े हुये थे, कुछ बैठे थे। आपने इशारे से फ़र्माया, बैठ जाओ। (फिर फ़र्माया) मैं मिम्बर पर इस वजह से नहीं चढ़ा हूँ कि कोई काम तुम्हारे नुक़्सान का या फ़ायदे का हुआ है जिसकी मैं तुमको ख़बर दूँ। न किसी (कारे ख़ैर में रग़बत) दिलाने के लिये। बल्कि मेरे पास तमीमदारी (रज़ि.) आये और उन्होंने एक ख़बर सुनाई जिसकी वजह से मैं इतना ख़ुश हुआ कि ख़ुशी के मारे मुझे नींद न आई। लिहाज़ा मैंने चाहा कि तुम्हारे नबी (ﷺ) की इस ख़ुशी को तुम पर भी ज़ाहिर कर दूं। सुनो! उनके चचाज़ाद भाई ने बयान किया (एक रिवायत में है, उन्होंने ख़ुद बयान किया कि) वो कुछ आदमियों के साथ जो नहम और जज़ाम क़बीलों के थे, एक जहाज़ में सवार हुए। एक महीने तक (हवा नामुवाफ़िक़ होने से) उनका जहाज़ इधर-उधर फिरा। आख़िरकार उनका जहाज़ एक नामालूम जज़ीरे के किनारे जा लगा। ये लोग छोटी-छोटी कश्तियों में सवार होकर उस जज़ीरे में गये। वहाँ उनको एक स्याह रंग की चीज़ नज़र आई। जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। उन्होंने उससे दरयाफ़्त किया, तू कौन है ? उसने कहा, मैं जस्सासा हूँ। उन्होंने उससे कहा कि फिर तुम हम से कुछ ख़बर बयान कर। उसने कहा कि मैं न तुमको कुछ ख़बर सुनाऊंगी न कोई ख़बर दरयाफ़्त करूंगी अलबत्ता तुम लोग इस मंदिर में जाओ। वहाँ तुमको एक शख़्स मिलेगा जो तुमसे बातें करने का निहायत ही शायक़ है वही तुमको ख़बरें सुनायेगा और ख़ुद सुनेगा। ये सुनकर ये लोग उस मंदिर में गये तो वहाँ एक बूढ़ा शख़्स ज़ंजीरों में बंधा हुआ बड़ी तक्लीफ़ में हाय-हाय कर रहा था। उसने उन लोगों को देखकर दरयाफ़्त किया, तुम लोग कहाँ से आये हो? उन लोगों ने कहा, मुल्के शाम से। कहने लगा, अरब का क्या हाल है? उन लोगों ने कहा, जिन लोगों के बारे में तू दरयाफ़्त कर रहा है, हम लोग वही हैं, उनका अच्छा हाल है। उसने कहा, उस शख़्स का जो वहाँ पैदा हुआ है (यानी नबी-ए-अनवर ﷺ) का क्या हाल है। उन्होंने कहा, वो अच्छी हालत में हैं। इब्तिदा में क़ुरैश ने उनकी मुख़ालिफ़त की। लेकिन अल्लाह तआला ने उनको तमाम अरब पर ग़ल्बा इनायत फ़र्माया और सब अरब एक दीन पर, एक अल्लाह को मानने वाले हैं। उसने कहा, अच्छा ज़ुग़र के चश्मे का क्या हाल है? उन्होंने कहा, वो भी अच्छी हालत पर है, लोग उससे खेती को पानी दे रहे हैं और पीने के लिये भी उससे पानी लिया जाता है। उसने दरयाफ़्त किया, अमान और बैसान की खजूरों का क्या हाल है? उन लोगों ने कहा, हर साल बकसरत खजूरें आती हैं। उसने कहा, अच्छा तिबरिया के तालाब का क्या हाल है? उन्होंने उससे कहा कि उसमें हर वक़्त पानी मौजूद रहता है (और कसरत से है) ये सुनकर उस शख़्स ने तीन चीख़ें मारी और कहने लगा कि अगर मैं इस क़ैद से छूटा तो ज़मीन के चप्पे-चप्पे में गश्त करूंगा और ज़मीन का कोई कोना मुझसे बाक़ी न रहेगा अलावा तैबा के, वहाँ जाने की मुझमें ताक़त न होगी। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, ये बात सुनकर मुझे बहुत ख़ुशी हुई क्योंकि तैबा यही शहर है। उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! मदीना की हर गली-कूचे, हर सड़क, हर मैदान, हर पहाड़, नर्म व सख़्त ज़मीन, ग़र्ज़ हर मक़ाम पर नंगी तलवार लिये एक फ़रिश्ता पहरा देता होगा क़यामत तक। **(अबू दाऊद-4327)**

4075. हज़रत नवास इब्ने समआन केलाबी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ सुबह के वक़्त हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने हमारे सामने दज्जाल का ज़िक्र किया। उस बयान में आपने उसकी तज़लील भी बयान फ़र्माई और उसके फ़ित्ने व फ़साद को भी बड़ा अज़ीमुश्शान बयान फ़र्माया। आप (ﷺ) के इस बयान से हमको ये मालूम होने लगा कि दज्जाल इन्हीं खजूरों के दरख़्तों में पोशीदा है। अल्ग़र्ज़ जब हम लोग दूसरे वक़्त आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने दज्जाल के ख़ौफ़ का असर हमारे चेहरे पर देखकर फ़र्माया, क्यों तुम लोगों का क्या हाल है? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! सुबह जो आपने दज्जाल का ज़िक्र फ़र्माया था, जिसमें उसकी ज़िल्लत और बुलन्दी दोनों आपने बयान फ़र्माई उससे हमको ये मालूम होने लगा कि वो इन दरख़्तों में है। आपने फ़र्माया, दज्जाल के अलावा मुझे तो तुम पर और लोगों का ख़ौफ़ भी है। अगर दज्जाल मेरी ज़िंदगी में निकल आयेगा तो मैं तुम सबकी तरफ़ से उसका मुक़ाबिल हुज्जत करने

वाला हूँगा। अलबत्ता अगर मेरी वफ़ात के बाद उसका ख़ुरूज हुआ तो उस वक़्त में अपने नफ़्स की दिफ़ाअ ख़ुद इंसान आप ही करेगा। मेरी ग़ैर मौजूदगी में अल्लाह तआला हर मुसलमान का मददगार है। देखो! दज्जाल जवान होगा उसके बाल बहुत घुंघराले होंगे, उसकी एक आँख उभरी हुई होगी। मैं उसकी मुशाबिहत अ़ब्दुल उज़्ज़ा इब्ने क़तन के साथ देता हूँ कि (बिल्कुल उसकी तरह होगा) लिहाज़ा तुममें से जिसके ज़माने में पैदा हो उसको चाहिये कि सूरह कहफ़ की शुरू की आयतें उस पर पढ़े। देखो! शाम व इराक़ के दरम्यान एक रास्ते से ज़ाहिर होगा। तमाम ज़मीन में दायें-बायें फ़साद फैलाता फिरेगा। ऐ अल्लाह के बन्दों! देखो ईमान पर साबित क़दम रहना। हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो ज़मीन में कितने अ़र्से तक रहेगा? आपने इर्शाद फ़र्माया, चालीस दिन तक, उनमें से पहला दिन साल भर का होगा। दूसरा एक महीना, तीसरा एक हफ़्ता और बाक़ी इन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उससे पहले दिन में जो (साल भर का होगा) हम को पाँच नमाज़ें काफ़ी होंगी? आपने फ़र्माया, नहीं! हिसाब लगाकर पढ़ लेना। हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! (जब वो सारी दुनिया में चालीस दिन में फिर लेगा तो) उसके चलने की रफ़्तार किस क़द्र तेज़ होगी? आपने फ़र्माया, उसकी रफ़्तार उस हवा की सी होगी जो बादल के साथ होती है और वो हवा उसके साथ होगी। वो एक क़ौम के पास आकर उनको (अपनी) तरफ़ बुलायेगा। वो उस पर ईमान लायेंगे तो वो पानी बरसने का हुक्म देगा। पानी ख़ूब बरसेगा और ज़मीन को सब्ज़ा उगाने का हुक्म देगा तो ज़मीन सब्ज़ा उगायेगी और अनाज पैदा होगा। जब उस क़ौम के जानवर शाम को चर कर वापस आया करेंगे तो उनकी कोखें ख़ूब फूली हुई, कोहान ऊँचे-ऊँचे, मोटे ताज़े होंगे। फिर दूसरी क़ौम के पास जायेगा और उनसे अपने ऊपर ईमान लाने की दावत देगा वो इस बात को न मानेंगे तो ये वहाँ वापस आयेगा। जब उन लोगों को सुबह होगी तो बेचारे क़हत में होंगे और तमाम माल व असबाब से खाली उनके पास कुछ भी न रहेगा। उसके बाद एक ग़ैर आबाद जगह में गुज़रेगा और उससे उसके ख़ज़ाने तलब करेगा। वहाँ की ज़मीन के तमाम ख़ज़ाने बाहर निकलकर उसके साथ हो जायेंगे। फिर एक शख़्स को जो निहायत ख़ूबसूरत और हसीन होगा बुलाकर क़त्ल करेगा और उसके दोनों टुकड़ों को इतने फ़ासले पर फेंक देगा जितनी दूर तीर जाता है और उसको बुलायेगा वो शख़्स ज़िंदा होकर हँसता हुआ चला आयेगा। अल्ग़र्ज़ दज्जाल और लोग इसी कश्मकश में होंगे कि अल्लाह तआ़ला दमिश्क़ के सफ़ेद मीनारे पर से हज़रत ईसा (अ़लै.) को नाज़िल फ़र्मायेगा। आप उस मीनारे से नीचे तशरीफ़ लायेंगे। उस वक़्त उसके जिस्म पर दो ज़र्द रंग के कपड़े होंगे सर से पानी के से क़तरे टपक रहे होंगे। जब सर नीचा करेंगे तो क़तरे टपकेंगे। जब ऊँचा करेंगे तो टपकेंगे। उनकी साँस में ये असर होगा कि जिस काफ़िर को लग जायेगी वो मर जायेगा और आप की साँस वहाँ तक जायेगी जहाँ तक आपकी नज़र जायेगी। और हज़रत ईसा (अ़लै.) दज्जाल को बाबे लूद्द के क़रीब पकड़ लेंगे और क़त्ल करेंगे वो आपको देखकर नमक की तरह पिघल जायेगा। दज्जाल को क़त्ल करने के बाद हज़रत ईसा (अ़लै.) को उन लोगों के पास जो दज्जाल के फ़ित्ने से महफ़ूज़ रहे होंगे तशरीफ़ लाकर उनको तसल्ली व तशफ़्फ़ी देंगे। उनके सामने वो दर्जात बयान करेंगे जो अल्लाह तआ़ला ने जन्नत में उनके लिये तैयार किये होंगे। ये लोग इस कैफ़ियत में होंगे कि हज़रत ईसा (अ़लै.) के पास अल्लाह की तरफ़ से वह्य आयेगी कि मेरे ख़ालिस बन्दों को कोहे तूर पर ले जाओ। क्योंकि मैं अपने ऐसे बन्दों को ज़ाहिर करता हूँ कि जिनसे किसी शख़्स को मुक़ाबले की ताक़त नहीं। उसके बाद याजूज माजूज का ख़ुरूज होगा। जिसके बारे में अल्लाह तआ़ला फ़र्माता, **मिन कुल्लि हदबिय्यनसिलून** (यानी हर ऊँची-नीची घाटी से दौड़ेंगे) अल्ग़र्ज़ उनमें से पहला गिरोह जो टिड्डियों की तरह होगा तिबरिया के तालाब पर से गुज़रेगा और उसका तमाम पानी पी लेगा। जब दूसरा गिरोह उस मक़ाम पर आयेगा तो कहेगा किसी ज़माने में इस मक़ाम पर पानी था और हज़रत ईसा (अ़लै.) उस वक़्त में सबको लिये हुए पहाड़ी पर ही मौजूद होंगे और उनके लिये बकरी की सिरी उस वक़्त सौ अशरफ़ी से बेहतर होगी। (जब उन मुसलमानों की परेशानी ज़ायद होगी) तो हज़रत ईसा

(अलै.) अल्लाह तआला से दुआ फ़र्मायेंगे तो अल्लाह तआला याजूज माजूज गर्दन में एक फोड़ा निकालेगा। जिसकी वजह से सुबह को सब ऐसे मर जायेंगे जैसे एक शख़्स मर जाता है। अब ये सब लोग पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो ज़मीन की कोई जगह उनकी बदबू और ख़ून व पीप से ख़ाली न होगी। तब हज़रत ईसा (अलै.) अल्लाह तआला से फिर दुआ करेंगे। अल्लाह तआला बख़्ती ऊँट की तरह गर्दन वाले जानवर भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर जहाँ अल्लाह का हुक्म होगा वहाँ फेंक देंगे। उसके बाद एक ऐसी बारिश होगी कि कोई पुख़्ता या ग़ैर पुख़्ता मकान उसको न रोक सकेगा और ज़मीन को ऐसा साफ़ कर देगी जैसे आईना या ख़ूबसूरत औरत। उसके बाद अल्लाह तआला का हुक्म ज़मीन को होगा कि अपने फल उगा और अपनी बरकत ज़ाहिर कर। तो उस वक़्त में एक अनार को कई आदमी खायेंगे तब भी सैर हो जायेंगे और उस अनार के छिलकों से साया हासिल करेंगे। और दूध में अल्लाह तआला इतनी बरकत देगा कि एक ऊँटनी लोगों की कई जमाअतों को काफ़ी होगी। इसी हालत में अल्लाह तआला की तरफ़ से पाक साफ़ हवा चलेगी। वो जिस मोमिन के बगल में लगेगी उसकी रूह क़ब्ज़ कर लेगी और ऐसे आदमी बाक़ी रह जायेंगे जो लड़ाकू-झगड़ालू और सरे आम जिमाअ करने वाले होंगे। इन्ही लोगों पर क़यामत क़ायम होगी। **(मुस्लिम-2937)**

4076. हज़रत नवास इब्ने समआन (रज़ि.) कहते हैं रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान याजूज माजूज की तीरों, कमानों और ढालों को सात साल तक ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे।

4077. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूरे अक़दस (ﷺ) ने (खड़े होकर) हमारे सामने ख़ुत्बे में बड़ी तवील तक़रीर फ़र्माई। उसमें हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने हमारे सामने दज्जाल का हाल भी बयान फ़र्माया और फ़र्माया जब से अल्लाह तआला ने औलादे आदम को पैदा किया है उस वक़्त से लेकर कोई फ़ित्ना दज्जाल के फ़ित्ने के बराबर नहीं हुआ। और तमाम अम्बिया अपनी-अपनी उम्मतों को दज्जाल से ख़ौफ़ दिलाते चले आये हैं। और मैं चूंकि तमाम नबियों के आख़िर में हूँ और तुम तमाम उम्मतों के आख़िर में हो इसलिये दज्जाल तुम्हीं लोगों में पैदा होगा। लिहाज़ा अगर वो मेरी ज़िंदगी में निकल आता है तो तुम्हारी तरफ़ से मैं उसके मुक़ाबिल हुज्जत करने वाला होता लेकिन जब वो मेरे बाद निकलेगा तो हर शख़्स अपनी नफ़्स की तरफ़ से उससे हुज्जत ख़ुद करेगा और अल्लाह मेरी तरफ़ से उसका मुहाफ़िज़ होगा। सुनो! दज्जाल शाम व ईराक के दरम्यान एक रास्ते से निकलेगा और अपने दायें-बायें मुल्कों में फ़साद फैलायेगा। ऐ अल्लाह के बन्दों! ईमान पर जमे रहना। मैं तुमको उसकी वो हालत सुनाता हूँ कि उससे पहले किसी ने ये बयान नहीं की है। पहले तो वो कहेगा, मैं नबी हूँ उसके बाद दावे करेगा कि मैं इलाह हूँ (नऊज़ुबिल्लाह)। तुम मरने से पहले इलाह को नहीं देख सकते (लेकिन दज्जाल दुनिया में दिखलाई देगा तो इस तरह होगा) (इसके अलावा एक और बात है) कि वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है और उसकी दोनों आँखों के दरम्यान में **काफ़-फ़ा-रा** लिखा होगा। उसको (बक़ुदरते इलाही) हर पढ़ा हुआ और बेपढ़ा हुआ शख़्स पढ़ेगा। उसका फ़ित्ना ये है कि उसके साथ दोज़ख़ और जन्नत भी होगी। लेकिन हक़ीक़त में जो जन्नत होगी वो दोज़ख़ होगी और जन्नत होगी वो दोज़ख़ होगी। जो शख़्स उसकी दोज़ख़ में डाला जाये तो उसको चाहिये कि सूरह कहफ़ के अव्वल की आयतें पढ़े। बहुक्मे ख़ुदावन्दी वो आग बाग़ में बदल जायेगी, जिस तरह हज़रत इब्राहीम पर हो गई थी। और उसके फ़ित्नों में से एक फ़ित्ना ये भी है कि वो किसी गंवार देहाती के पास आकर कहेगा, अगर मैं तेरे माँ-बाप को ज़िंदा कर दूं तो तू मुझ पर ईमान लायेगा? वो कहेगा, हाँ! तो वो शैतानों को हुक्म देगा कि उसके माँ-बाप की सूरत बनाकर उसके सामने आ जायें और उससे कहें कि बेटा इसकी इताअत कर ये तेरा रब है। और एक फ़ित्ना उसका ये होगा कि एक शख़्स को वो इस तरह मारेगा कि आरे से चीर कर उसके दो टुकड़े कर देगा और अपने मुत्तबिइन से कहेगा कि ये ज़िंदा होने के बाद भी मेरे अलावा दूसरे को रब कहेगा। फिर अल्लाह तआला उसको दज्जाल का फ़ित्ना पूरा करने के लिये ज़िंदा करेगा। दज्जाल उससे कहेगा तेरा रब

कौन है? वो कहेगा, मेरा रब अल्लाह तआला है और तू अल्लाह का दुश्मन दज्जाल है। अल्लाह की क़सम! अब तो मुझको तेरे दज्जाल होने का पूरा यक़ीन हो गया है। अबूल हसन मुहम्मद इब्ने अ़ली तनाफ़िसी (रह.) कहते हैं कि उत्बा ने बरिवायत अबू सईद के बयान किया था कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में मेरी उम्मत से उस शख़्स को बड़ा दर्जा होगा। अबू सईद (रज़ि.) ने ये भी कहा कि अल्लाह की क़सम! हमारा ख़्याल था कि ये शख़्स सिवाय हज़रत उ़मर (रज़ि.) के और कोई न होगा। यहाँ तक कि हज़रत उ़मर (रज़ि.) की वफ़ात हो गई। अबू राफ़ेअ कहते हैं कि अब हम फिर हज़रत अबू उमामा की हदीस जिसको राफ़ेअ ने नक़ल किया है बयान करते हैं। अल्ग़र्ज़ दज्जाल का फ़ित्ना ये भी होगा कि वो आसमान से पानी बरसाने की और ज़मीन से अनाज उगाने का हुक्म देगा तो आसमान से पानी बरसेगा और ज़मीन से अनाज पैदा होगा और उस रोज़ लोगों के जानवर (चारागाहों से) ख़ूब मोटे ताज़े कोखें फूले हुए, उनके थन दूध से भरे हुए वापस आयेंगे। ग़र्ज़ कि सिवाय मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा के ज़मीन का कोई ख़ित्ता बाक़ी नहीं रहेगा, जहाँ दज्जाल न पहुँचा होगा। मदीना और मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल होते वक़्त उसको फ़रिश्ते नंगी तलवारें लिये हुए रोकेंगे और दज्जाल एक छोटी सुर्ख़ पहाड़ी के क़रीब मुक़ीम हो जायेगा। जो खाड़ी ज़मीन के क़रीब है उस वक़्त मदीना में तीन बार ज़लज़ला आयेगा। जिसकी वजह से जितने मर्द और औ़रतें मुनाफ़िक़ होगी सब दज्जाल के पास चले आयेंगे और मदीना पलीदी को इस तरह निकालकर फेंक देगा जिस तरह लौहे के मेल को भट्टी निकालकर फेंक देती है। उस दिन का नाम यौमुल ख़लास होगा। उम्मे शरीक बिन्ते इक्रिमा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस दिन अ़रब लोग जो बहादुरी और शौक़े शहादत की वजह से ज़मीनो-आसमान में मश्हूर हैं, कहाँ होंगे? आपने फ़र्माया, अ़रब के मोमिनीन उस रोज़ बहुत कमी के साथ होंगे और उनसे अ़रब मोमिनीन में से अक्सर लोग बैयतुल मक़्दिस में एक नेक इमाम के मातहत होंगे। एक रोज़ उनका इमाम लोगों को सुबह की नमाज़ पढ़ाने के लिये (मुसल्ले पर खड़ा होगा) कि इतने में हज़रत ईसा (अ़लै.) नुज़ूल फ़र्मायेंगे, वो इमाम आपको देखकर पीछे हटना चाहेगा ताकि आप इमाम बनकर पढ़ायें। हज़रत ईसा (अ़लै.) उसके दोनों कंधों के दरम्यान दस्ते मुबारक रखकर फ़र्मायेंगे ये हक़ तुम्हारा ही है। तुम्हारे लिये नमाज़ क़ायम हुई, तुम ही नमाज़ पढ़ाओ। वो इमाम लोगों को नमाज़ पढ़ायेगा बाद फ़राग़ते नमाज़ हज़रत ईसा (अ़लै.) मुसलमानों से (जो उस वक़्त क़िले में महसूर होंगे) फ़र्मायेंगे कि दरवाज़ा खोलो। उस वक़्त दज्जाल सतरह हज़ार यहूदियों के साथ (शहर के बाहर घेरा डाले हुए होगा) हर यहूदी के पास एक तलवार मअ उसके तमाम सामान के मौजूद होगी। और एक-एक चादर होगी। जब दज्जाल हज़रत ईसा (अ़लै.) को देखेगा तो इस तरह पिघल जायेगा जिस तरह पानी में नमक पिघल जाता है और आपको देखकर भागेगा। हज़रत ईसा (अ़लै.) उससे फ़र्मायेंगे कि तुझको मेरे हाथ से एक ज़र्ब तो खाना ही है तू भाग कर कहाँ जायेगा? आख़िरकार उसको बाबे लुद्द के क़रीब पकड़ेंगे और क़त्ल कर देंगे। फिर अल्लाह तआला यहूदियों को शिकस्त अ़ता फ़र्मायेगा और उस वक़्त में जो चीज़ भी अल्लाह की मख़्लूक़ में है अगर उसकी आड़में कोई यहूदी छुपा होगा तो वो दरख़्त या दीवार या जानवर ग़र्ज़ जो कुछ हो वो कहेगा, ऐ मोमिन! यहूदी मेरी आड़ में छिपा है उसको क़त्ल कर, मार डाल। अलबत्ता एक दरख़्त नहीं बोलेगा जिसका ग़रक़द नाम है (जिसको हमारी ज़बान में शायद थूड़का दरख़्त कहते हैं) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, दज्जाल चालीस बरस तक रहेगा, जिसमें से एक साल छह महीने का होगा, एक साल एक महीने जितना, एक साल एक हफ़्ते जितना और बाक़ी दिन दज्जाल के ऐसे गुज़रेंगे जैसे (हवा में) चिंगारी उड़ जाती है। अगर तुममें से कोई मदीना के एक दरवाज़े पर होगा तो दूसरे दरवाज़े तक पहुँचते-पहुँचते उसको शाम हो जायेगी। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इतने छोटे दिनों में हम लोग नमाज़ किस तरह अदा करेंगे? आपने फ़र्माया, जिस तरह बड़े दिनों में हिसाब करके पढ़ते हो। उस तरह उन दिनों में हिसाब करके पढ़ना। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, हज़रत ईसा (अ़लै.) उस वक़्त में एक हाकिमे आ़दिल और मुंसिफ़

की तरह अहकाम जारी फ़र्मायेंगे और सलीब तोड़ डालेंगे, सूअरों को मार डालेंगे और उनके खाने को नाजायज़ क़रार देंगे और जिज़्या (मालदारी के सबब से) माफ़ कर देंगे, सदक़ा लेना मौक़ूफ़ कर देंगे, ऊँट, बकरी, भेड़ किसी पर ज़कात न ली जायेगी और उस वसूलयाबी पर कोई शख़्स मुक़र्रर न होगा। लोगों में से कीना, हसद, बुग़्ज़ बिल्कुल उठ जायेगा और हर क़िस्म के ज़हरीले जानवर का ज़हर जाता रहेगा यहाँ तक कि बच्चा साँप के मुँह में हाथ देगा तो उसको कोई नुक़्सान न पहुँचेगा और एक छोटी सी बच्ची शेर को भगा देगी। भेड़िया बकरियों में इस तरह रहेगा जैसे बकरियों की हिफ़ाज़त करने वाला कुत्ता बकरियों में रहता है। तमाम ज़मीन सुलह से ऐसी भर जायेगी जैसे बरतन पानी से भरता है। तमाम लोगों का एक कलिमा हो जायेगा, दुनिया से लड़ाई उठ जायेगी। क़ुरैश की सल्तनत जाती रहेगी और ज़मीन एक चाँदी की तश्तरी की तरह होगी और अपने मेवे पहले ज़माने के मुताबिक़ उगायेगी जिस तरह आदम के अहद में उगाया करती थी। अगर अंगूर के एक ख़ौशे पर चंद आदमी जमा हो जाये तो सब सैर हो जायेंगे, एक अनार को बहुत से आदमी पेट भर खा लेंगे। बैल निहायत मँहगा होगा और घोड़े निहायत सस्ते होंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! घोड़ा क्यों सस्ता होगा? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त जंग वग़ैरह होगी नहीं तो घोड़ों को कौन पूछेगा? उन्होंने अर्ज़ किया, बैल मँहगा क्यों होगा? आपने फ़र्माया, तमाम ज़मीन में खेती होगी, कहीं बंजर ज़मीन न होगी। चूंकि दज्जाल के निकलने से तीन साल पहले क़हत हो चुका होगा, लोग फ़ाक़ा उठाते हुए होंगे। पहले साल में अल्लाह तआला ने आसमान को एक तिहाई बारिश रोकने का और ज़मीन को तिहाई पैदावार रोकने का हुक्म दिया होगा। दूसरे साल में आसामान को तिहाई बारिश और ज़मीन को दो तिहाई पैदावार रोकने का हुक्म दिया होगा कि आसमान दो तिहाई पानी न बरसाये और ज़मीन दो तिहाई पैदावार न पैदा करे तीसरे साल सबको ये हुक्म होगा कि आसमान पानी का एक क़तरा न बरसाये और ज़मीन तमाम पैदावार रोक ले। उस साल कोई जानवर बग़ैर मरे न बाक़ी रहेगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर उस साल लोग किस तरह ज़िंदा रहेंगे? आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तस्बीह, तहलील और तक्बीर मोमिनों को उस वक़्त ग़िज़ा का काम देंगे, किसी को खाने की ज़रूरत न होगी। अबू अब्दुल्लाह इब्ने माजा कहते हैं कि (मेरे शैख़) अबूल हसन अली इब्ने तनाफ़सी (रह.) ने फ़र्माया, अब्दुर्रहमान मुहारिबी का क़ौल था कि ये हदीस इस क़ाबिल है कि बच्चों के उस्ताद को दे दिया जायेगा ताकि वो इस हदीस को बच्चों में तालीम दिया करे। **(अबू दाऊद-4322)**

4078. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त तक न आयेगी जब तक ईसा (अलै.) हाकिमे आदिल और मुंसिफ़ होकर नाज़िल न हों और जिज़्या माफ़ न करें। सूअर को क़त्ल करके उसका खाना मौक़ूफ़ न करें, सलीब न तोड़ डालें और माल इस क़द्र न हो जाये कि कोई माल को क़ुबूल करने वाला ही न मिले। **(बुख़ारी-2476, मुस्लिम-155)**

4079. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, याजूज माजूज का ज़ुहूर होगा जिस तरह अल्लाह तआला फ़र्माता है, **वहुम मिन कुल्लि हदबिय्यनसिलून** (वो ज़मीन में फैल जायेंगे) अलबत्ता मुसलमान उनसे महफ़ूज़ रहेंगे। क्योंकि ये सब अपने मवेशियों वग़ैरह को लेकर अपने क़िलों वग़ैरह में महफ़ूज़ होंगे। याजूज माजूज का पहला गिरोह एक पानी के क़रीब से गुज़रेगा और तमाम पानी पी जायेगा, जब दूसरा गिरोह उस मक़ाम पर आयेगा तो कहेगा कि शायद इस मक़ाम पर कभी पानी था। जब ये लोग सब पर ग़ालिब हो जायेंगे कि ज़मीन वालों को तो हम ने क़त्ल कर दिया, अब आसमान वाले बाक़ी रह गये हैं। लिहाज़ा उनमें से एक शख़्स अपना हरबा आसमान की तरफ़ फेंकगा जो ख़ून में रंगीन होकर आयेगा तो कहेंगे कि अब हमने आसमान वालों को भी क़त्ल कर दिया। ये लोग इसी हालत में होंगे कि अल्लाह तआला एक क़िस्म के जानवरों को जो टिड्डी के दल के कीड़े की तरह होंगे उन पर मुसल्लत फ़र्मायेगा जो उनकी गर्दनों में घुस जायेंगे और ये सब के सब फ़ना हो जायेंगे। जब मुसलमान उस रोज़ सुबह को

उठेंगे तो याजूज माजूज की आवाज़ सुनकर कहेंगे कि हममें से कोई ऐसा शख़्स है जो अपनी जान क़ुर्बान करके याजूज माजूज का हाल दरयाफ़्त करके आये। उनमें से एक शख़्स इसका इक़रार करेगा और पहाड़ पर से उनके दरयाफ़्ते हाल के लिये उतरेगा उसको तो ये ख़्याल होगा कि अब में मौत के मुँह में जा रहा हूँ, लेकिन जब वो नीचे उतरकर उनको मरा हुआ पायेगा तो ख़ुश होकर और लोगों को आवाज़ देगा कि वो तो सब लोग मर गये। ये सुनकर सब मुसलमान नीचे उतरेंगे और अपने जानवर चरने के लिये छोड़ देंगे (क्योंकि ये बेचारे मुद्दत से बंद होंगे) और याजूज माजूज के गोश्त के सिवा कोई चीज़ उनको खाने के लिये नहीं मिलेगी। इस दर्जे से वो उनका गोश्त खाकर ख़ूब मोटे ताज़े होंगे जिस तरह कभी (उम्दा घास) खाकर मोटे हुए थे। **(मुस्नद अहमद)**

4080. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, याजूज माजूज हर रोज़ अपनी दीवार को खोदा करते हैं। जब उनकी दीवार में सुराख़ होने के क़रीब होता हे और रोशनी चमक के क़रीब होती है तो उनका सरदार उनसे कहता है कि बस आज रहने दो अब कल आकर इसको खोद डालेंगे। लेकिन जब वो सुबह वापस आते हैं तो उस दीवार को अल्लाह तआला वैसे ही कर देता है। वो उसको फिर खोदना शुरू कर देते हैं, जब अल्लाह तआला को उनका निकालना मंज़ूर होगा तो एक रोज़ जबकि दीवार खोदते रोशनी चमक नमूदार होने के क़रीब होगी और शाम का वक़्त हो जायेगा तो, उनका सरदार लफ़्ज़ इंशाअल्लाह कहकर कहेगा कि अब छोड़ दो इंशाअल्लाह कल फिर आकर इसको खोद डालेंगे। जब सुबह होगी और ये वापस आकर देखेंगे तो दीवार वैसे ही वैसी होगी। ये उसको खोद डालेंगे और बाहर निकल पड़ेंगे और मुसलमान उस वक़्त तमाम अपने क़िलों में महसूर हो जायेंगे। ये लोग ज़मीन में फैल कर आसमान में तीर मारेंगे और कहेंगे कि अब हम ज़मीन वालों और आसमान वालों पर ग़ालिब हो गये क्योंकि उनके तीर बहुक्मे ख़ुदावन्दी आसमान से रंगीन होकर आयेंगे। उसके बाद अल्लाह तआला उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फ़र्मायेगा, जिनसे वो सब मर जायेंगे। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, उस मअबूद की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, लोगों के मवेशी उनकी चरबी और गोश्त खाकर ख़ूब मोटे होंगे। **(तिर्मिज़ी-3153)**

4081. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि जिस रात को हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) को मेअ़राज हुई तो आपकी मुलाक़ात हज़रत इब्राहीम (अलै.), मूसा (अलै.) और ईसा (अलै.) से हुई उन हज़रात के दरम्यान क़यामत का ज़िक्र आया तो उन सब ने हज़रत इब्राहीम को बुज़ुर्ग जानकर उनसे दरयाफ़्त कर लिया, लेकिन उनको कुछ मालूम नहीं था। फिर हज़रत मूसा (अलै.) से दरयाफ़्त किया तो उनको भी कुछ मालूम नहीं था। जब हज़रत ईसा (अलै.) की नौबत आई तो उन्होंने फ़र्माया, मुझसे क़यामत से कुछ पहले नाज़िल होने का वादा किया गया है, लेकिन उसका सहीह वक़्त मुझको नहीं मालूम कि कौनसा है? अल्लाह तआला के सिवा और कोई नहीं जानता। हाँ! इतना ज़रूर मालूम है कि क़यामत से कुछ पहले उतरूंगा और दज्जाल निकलेगा, उसको क़त्ल कर दूंगा और लोग अपने-अपने मुल्कों को वापस होंगे कि इतने में अल्लाह तआला याजूज माजूज को ज़ाहिर फ़र्मायेगा। जो हर एक ऊँचे मक़ाम से (सैलाब की तरह) उमड़ पड़ेंगे। जिस पानी पर से गुज़रेंगे उसको पी लेंगे। दुनिया की हर चीज़ को ख़राब कर देंगे। (उससे आजिज़ आकर) अल्लाह के बन्दे अल्लाह से दुआ करने की मुझसे फ़र्माइश करेंगे। मैं उनके लिये दुआ करूंगा तो याजूज माजूज मर जायेंगे। लेकिन उनके मुर्दों से तमाम ज़मीन बदबूदार हो जायेगी तो लोग फिर मुझसे दुआ करने की दरख़्वास्त करेंगे फिर मैं दुआ करूंगा तो अल्लाह तआला बारिश नाज़िल फ़र्मायेगा। जिसके ज़रिए से उनकी लाशें और बदबू सब दफ़ा होकर समन्दर में चली जायेंगी। उसके बाद पहाड़ ज़र्रे-ज़र्रे करके उड़ा दिये जायेंगे और ज़मीन को इस तरह खींच दिया जायेगा, जिस तरह चमड़े को खींचा जाता है। फिर मुझसे फ़र्माने (इलाही हुआ है कि) उसके बाद क़यामत इतनी क़रीब और नागहाँ तरीक़े से आयेगी कि जिस तरह हामिला औरत के हमल का ज़माना पूरा हो गया हो और लोग उसके इंतज़ार में हों कि कब वक़्त

आयेगा कि उसके औलाद पैदा होगी और सही वक़्त किसी को मालूम न हो। इसकी तस्दीक़ किताबुल्लाह में भी मौजूद है, **हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूजु वमाजूजु वहुम मिन कुल्लि हदबिय्यनसिलून.** (यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जायेगा तो वो हर बुलन्दी से दौड़ते हुए आयेंगे-सूरह अम्बिया : 96)। **(मुस्नद अहमद)**

इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर

4082. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि हम हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि इतने में चंद हाशमी जवान आये। उनको देखकर हुज़ूरे अनवर (ﷺ) की आँखें भर आईं। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम हमेशा आप में ऐसी बात देखते हैं, जिससे हमको तक्लीफ़ होती है। आपने फ़र्माया, हम में वो लोग हैं जिनको अल्लाह तआला ने दुनिया के ऐवज़ में आख़िरत अता की है। अन्क़रीब ऐसा ज़माना आने वाला है कि मेरे बाद मेरे अहले बैयत निहायत तक्लीफ़ और सख़्ती में होंगे और उन पर बड़ी मुसीबतें आयेंगी। यहाँ तक कि मश्रिक़ और मग़रिब से चंद लोग आयेंगे, उनके साथ स्याह निशान होंगे उनका मक़सद दुनिया के ख़ज़ानों को अपने क़ब्ज़े में करना होगा। लेकिन लोग उनको मना करेंगे इसलिये वो लोगों से जंग करेंगे और अल्लाह तआला उनको फ़तह इनायत फ़र्मायेगा और जिसकी वो तलब करते थे उनको इनायत की जायेगी। उस वक़्त लोग अपने लिये इस अमीरी को पसंद नहीं करेंगे बल्कि मेरे अहलियत में से एक शख़्स को अपना सरदार मुक़र्रर करेंगे। वो शख़्स ज़मीन को ऐसा अद्ल से भर देगा जिस तरह लोगों ने इसको ज़ुल्म से भर दिया था। लिहाज़ा तुम में से जो शख़्स उस ज़माने को पाये तो उन लोगों के साथ शरीक होना अगरचे हाथों और घुटनों के बल उसको बर्फ़ पर चलना पड़े लेकिन तब भी शिर्कत न छोड़े। **(इब्ने अबी शैबा-19573)**

4083. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत में इमाम महदी पैदा होंगे। अगर वो दुनिया में बहुत कम रहे तब भी सात बरस तक रहेंगे वरना नौ बरस तक रहेंगे। उनके ज़माने में मेरी उम्मत इस क़द्र ख़ुश होगी कि उससे पहले कभी इस क़द्र ख़ुश न हुई होगी। ज़मीन का उनके ज़माने में क्या हाल होगा कि बस जिस क़द्र फल पैदा करने की (इसमें सलाहियत है) सब पैदा करेंगी, हर तरफ़ फल ही फल होंगे। माल की ये कसरत होगी कि उनके सामने ढेर लगा होगा। लोग उनसे कहेंगे कि महदी हमको दो वो कहेंगे कि ले ले (तेरा जितना जी चाहे)। **(तिर्मिज़ी-2232)**

4084. हज़रत सौबान (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारे एक ख़ज़ाने के नज़दीक तीन सरदार जो ख़लीफ़ा के बेटे होंगे क़त्ल होंगे, लेकिन उनमें से किसी को वो ख़ज़ाना मुयस्सर न होगा। उसके बाद मश्रिक़ की तरफ़ स्याह निशान ज़ाहिर होंगे। वो लोग तुमको ऐसे क़त्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने न क़त्ल किया होगा। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने और कुछ बयान किया जिसको मैं ने नहीं सुना। उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह का ख़लीफ़ा महदी ज़ाहिर होगा। जब तुम उसको ज़ाहिर होते देखो तो घुटनों के बल बर्फ़ पर घिसट कर भी जाना हो तो उसकी बैअत कर लेना क्योंकि वो महदी अल्लाह का ख़लीफ़ा होगा। **(बैहक़ी, हाकिम)**

4085. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मेहदी हम में से होगा। अल्लाह तआला एक रात में ख़िलाफ़त के लिये उनमें सलाहियत पैदा कर देगा। **(मुस्नद अहमद)**

4086. हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब (रह.) का बयान है, हम लोग उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास बैठे हुए थे महदी (अलै.) का ज़िक्र आया। उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया, महदी हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा (रज़ि.) की औलाद में से होंगे। **(अबू दाऊद-4284)**

4087. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से हैं और हम्ज़ा (रज़ि.), अली (रज़ि.), जाफ़र (रज़ि.), हसन (रज़ि.), हुसैन (रज़ि.) और मेहदी (अलै.) अहले जन्नत के सरदार होंगे। **(हाकिम)**

4088. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस इब्ने जज़ा ज़बीदी (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ लोग मश्रिक़ की जानिब से ज़ाहिर होंगे वो महदी के लिये यानी उसकी हुकूमत के लिये ज़मीन हमवार करेंगे।

बड़ी-बड़ी जंगों का बयान

4089. हज़रत ख़ालिद इब्ने मअदान (रह.) का बयान है, उन्होंने कहा कि हज़रत जुबैर बिन नुफ़ैर (रह.) ने मुझसे फ़र्माया, चलो! हज़रत ज़ू मिख़्मर (रज़ि.) के पास चलें। वो हुज़ूर (ﷺ) के सहाबा में से हैं। मैं उनके साथ गया और उनसे सुलह के बारे में दरयाफ़्त किया। उन्होंने कहा, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, वो ज़माना भी अन्क़रीब आने वाला है कि रोम वालों से तुम्हारे साथ होकर एक दुश्मन से लड़ेंगे और उसमें तुम्हारे हाथ ग़नीमत बहुत सी आयेगी और उस मक़ाम से वापस होकर सबके सब एक तरो-ताज़ा मक़ाम पर जहाँ टीले वग़ैरह भी होंगे तुम लोग क़ियाम करोगे। वहाँ नसारा में से एक शख़्स सलीब को बुलंद करके कहेगा कि सलीब की वजह से हमको ग़ल्बा हुआ। मुसलमानों में से एक शख़्स को बहुत गुस्सा आयेगा और वो उस सलीब को तोड़ डालेगा। उस वक़्त तमाम आदमी अपना अहद तोड़कर तुम्हारे मुक़ाबले पर आमादा हो जायेंगे (और तुमसे लड़ाई होगी)। **(अबू दाऊद-2767, 4293)**

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन इब्राहीम दमिश्क़ी (रह.) के वास्ते से मरवी रिवायत में ये इज़ाफ़ा है, वो जंग के लिये जमा हो जायेंगे। तब वो अस्सी झण्डों तले (हमले के लिये मुत्तहिद होकर) आयेंगे। हर झण्डे तले बारह हज़ार (सलीबी फ़ौजी) होंगे।

4090. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ शुरू होंगी तो अजमी लोगों में से एक लश्कर आयेगा। जो घोड़ों की सवारी निहायत उम्दा जानता होगा और हथियार भी उनके पास अरब से अच्छे होंगे अल्लाह तआला उनसे अपने दीन की मदद लेगा। **(हाकिम)**

4091. हज़रत नाफ़ेअ इब्ने उत्बा इब्ने अबी वक़्क़ास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले तुम्हारी लड़ाई जज़ीर-ए-अरब वालों से होगी। अल्लाह तआला तुमको फ़तह इनायत फ़र्मायेगा, उसके बाद दज्जाल से जंग होगी तो उसमें भी तुम को फ़तह होगी। जाबिर (रज़ि.) ने कहा, जब तक रोम फ़तह न होगा उस वक़्त तक दज्जाल का ख़ुरूज न होगा और दज्जाल ज़ाहिर न होगा। **(मुस्लिम-2900)**

4092. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जंगे अज़ीम, कुस्तुनतुनिया का फ़तह होना और दज्जाल का ख़ुरूज सब सात महीने में होगा। **(अबू दाऊद-4295, तिर्मिज़ी-2238)**

4093. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुस्र (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जंगे अज़ीम और फ़तहे कुस्तुनतुनिया के दरम्यान छः बरस का फ़ासला होगा और सातवें बरस में दज्जाल निकलेगा। **(अबू दाऊद-4296)**

4094. हज़रत अम्र बिन औफ़ (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत जब क़ायम होगी कि मुसलमानों का मोर्चा मक़ामे बोलाअ में होगा। फिर फ़र्माया, ऐ अली! ऐ अली! ऐ अली! हज़रत अली (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, (जी! या रसूलल्लाह ﷺ) आप पर मेरे माँ-बाप क़ुर्बान हों। आपने फ़र्माया, अन्क़रीब तुम्हारी लड़ाई बनू

अस्फ़र(रूमियों) से होगी और तुम्हारे बाद जो मुसलमान होंगे। वो भी और जो इस्लाम की रौनक़ होंगे यानी हिजाज़ वाले, वो भी उनसे जंग के लिये निकलेंगे। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह के लिये किसी बुराई करने वाले से नहीं डरेंगे और कुस्तुनतुनिया को फ़तह करेंगे। इसमें उनको इस क़द्र ग़नीमत हासिल होगी कि (उस जैसी ग़नीमत कभी मुयस्सर न हुई होगी। ढालें भर-भरकर माल तक़्सीम करेंगे ये लोग इसी तक़्सीम में होंगे कि एक शख़्स उनको आवाज़ देगा और कहेगा कि तुम्हारे घरों में दज्जाल घुस आया। लेकिन ये ख़बर (तहक़ीक़ के बाद) झूठ साबित होगी तो माल लेने वाला और माल न लेने वाला दोनों शर्मिन्दा होंगे। **(तबरानी-9)**

4095. हज़रत औफ़ इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोगों में और नसारा में (पहले तो सुलह होगी) उसके बाद दग़ा करके वो लोग सुलह को तोड़ डालेंगे और तुमसे लड़ने के लिये अस्सी झण्डे लेकर आयेंगे। हर झण्डे के नीचे बारह हज़ार फ़ौज होगी।

तुर्कों का बयान

4096. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त क़यामत क़ायम होगी जब तुम्हारी जंग ऐसे लोगों से हो चुकी होगी जिनके जूते बालों के होंगे और उनकी आँखें छोटी-छोटी होंगी।
(बुख़ारी-2909, मुस्लिम-2912)

4097. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, उस वक़्त तक क़यामत क़ायम न होगी जब तक तुम ऐसे लोगों से न लड़ो जिनकी छोटी-छोटी आँखें और ढालों की तरह मुँह होंगे। और तुम्हारी जंग ऐसे आदमियों से होगी जिनके जूते बालों के होंगे। **(बुख़ारी-2909, मुस्लिम-2912)**

4098. हज़रत अम्र इब्ने तग़्लिब नम्री (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि तुम्हारी मुलाक़ात ऐसे लोगों से होगी जिनके मुँह ढालों की तरह चौड़े और फैले हुए होंगे और तुम्हारी जंग ऐसे लोगों से होगी जिनके जूते बालों के होंगे। **(बुख़ारी-2927, 3592)**

4099. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत उस वक़्त क़ायम होगी जब तुम्हारी जंग छोटी-छोटी आँखों वाले और चौड़े चेहरे वाले गोया उनके मुँह मोटी-मोटी सी ढालें हैं, बालों के जूते पहनने वाले होंगे और उनके पास ढालें भी होंगी और अपने घोड़ों को दरख़्तों की जड़ों में बांधेंगे। **(मुस्नद अहमद)**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

किताबुज़्ज़ुह्द

ज़ुह्द से मुताल्लिक़ अहकामो-मसाइल

4100. हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया से बेरग़बती के मआनी ये नहीं कि हलाल चीज़ों को अपने ऊपर हराम करे या माल को बर्बाद कर दे। बेरग़बती का मतलब ये तेरे पास मौजूद चीज़ पर अल्लाह के पास मौजूद चीज़ से ज़्यादा ऐतमाद न हो और तुझ पर जो मुसीबत आये तू उसके सवाब की ज़्यादा रग़बत रखता हो कि वो (दुनिया में आने की बजाय आख़िरत में पेश आने के लिये) तेरे लिये बाक़ी रहे। हज़रत अबू इदरीस ख़ौलानी (रह.) कहते हैं, ये हदीस दूसरी हदीसों के मुक़ाबले में ऐसी है जैसे आम सोने के मुक़ाबले में ख़ालिस सोना। **(तिर्मिज़ी-2340)**

4101. हज़रत अबू ख़ल्लाद (अब्दुर्रहमान बिन ज़ुहैर रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम किसी शख़्स को दुनिया से बेरग़बत देखो और कम बोलने वाला भी पाओ तो ऐसे शख़्स की सुहबत में बैठो क्योंकि उस पर (उम्मीद है कि अल्लाह तआला की तरफ़ से) हिक्मत का नुज़ूल हो।

4102. हज़रत सह्ल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक शख़्स हाज़िर होकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई ऐसा काम बताइये जिसके करने से अल्लाह भी मुझको महबूब रखे और लोग भी मुझको पसन्द करे। आपने फ़र्माया, दुनिया की रग़बत न करो तो अल्लाह तुमको महबूब रखेगा और लोगों के माल की तरफ़ तवज्जोह न करो तो लोग भी तुमको दोस्त रखेंगे।

4103. हज़रत समुरह इब्ने सहम (रज़ि.) का बयान है कि मैं अबू हाशिम इब्ने उत्बा (रज़ि.) के पास गया क्योंकि उनके बरछा लग गया था। उनकी इयादत के लिये हज़रत मुआविया (रज़ि.) भी तशरीफ़ लाये तो अबू हाशिम (रज़ि.) रोने लगे। हज़रत मुआविया (रज़ि.) ने कहा, चचाजान आप क्यों रोते हैं, क्या दर्द की तक्लीफ़ है या दुनिया का रंज है? अगर आपको दुनिया का अफ़सोस है तो इसका उम्दा हिस्सा गुज़र चुका है। (अब इसका क्या अफ़सोस है)। उन्होंने फ़र्माया, मुझको इन दोनों बातों में से किसी की परवाह नहीं बल्कि मुझको इस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) की हदीस याद आ गई जो हुज़ूर (ﷺ) ने मुझसे बतौरे नसीहत फ़र्माई थी। आपने फ़र्माया, जब तुम पर ऐसा ज़माना आये कि लोग उसमें माल तक़्सीम करें तो तुम सिर्फ़ एक ग़ुलाम और एक घोड़े की ख़्वाहिश रखना। लेकिन अफ़सोस

मैंने इस ज़माने को पाया लेकिन माल जमा किया। **(नसाई-5387)**

4104. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा हज़रत सलमान (रज़ि.) बीमार हुए तो हज़रत सअ़द इब्ने वक़्क़ास (रज़ि.) आपकी इयादत के लिये गये तो क्या देखा सलमान रो रहे हैं। हज़रत सअ़द ने कहा, भाई सलमान! तुम आँहज़रत के सहाबी होते हुए रो रहे हो? क्या तुममें फ़लाँ-फ़लाँ ख़ूबियाँ मौजूद नहीं? हज़रत सलमान (रज़ि.) ने फ़र्माया, मैं न दुनिया की हिर्स की वजह से रोता हूँ कि बख़ीली करना चाहता हूँ और न मुझको आख़िरत में जाने से घबराहट है अलबत्ता मुझको अफ़सोस इस बात का है कि आँहज़रत (ﷺ) ने मुझको एक वसिय्यत की थी, लेकिन मुझको उसके करने में फ़र्क़ मालूम होता है (यानी मैंने हुज़ूर अनवर (ﷺ) की नसीहत पर पूरा अमल नहीं किया)। आपने फ़र्माया था, सलमान! दुनिया में से सिर्फ़ इतना तलब करना जितना एक सवार की ज़रूरत होती है। लेकिन मैं ख़्याल करता हूँ कि मैंने उससे ज़्यादती कर ली है। लेकिन सअ़द जब तुम हुकूमत करो तो हर काम में ख़ौफ़े इलाही रखना। (हदीस के रावी) हज़रत साबित (रह.) कहते हैं, हज़रत सलमान (रज़ि.) ने बीस दिरहम के अलावा ज़्यादा कुछ न छोड़ा था और वो भी उनके हर साल के ख़र्च में से बाक़ी रह गये थे। **(तब्रानी-6066)**

दुनिया की फ़िक्र करना

4105. हज़रत अबान इब्ने उ़स्मान इब्ने अ़फ़्फ़ान (रह.) अपने वालिद (हज़रत उ़स्मान रज़ि.) की रिवायत बयान करते हैं कि एक रोज़ हज़रत ज़ैद इब्ने साबित (रज़ि.) ठीक दोपहर के वक़्त मरवान के यहाँ से निकले। मैंने अपने दिल में कहा कि मरवान ने हज़रत ज़ैद इब्ने साबित (रज़ि.) को इस वक़्त ज़रूर कुछ दरयाफ़्त करने के लिये बुलाया होगा। मैंने उनसे दरयाफ़्त किया तो उन्होंने कहा, मरवान ने मुझको हुज़ूर अनवर (ﷺ) की कुछ हदीसें सुनने के लिये बुलाया था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो हमेशा दुनिया हासिल करने की फ़िक्र में रहेगा और दीन की कुछ असल न समझेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके तमाम काम बिखेर देगा और उसकी मुफ़्लिसी हमेशा उसके पेशे नज़र रहेगी और दुनिया तो उतनी ही मिलेगी जितनी उसकी तक़्दीर में लिखी होगी। और जिसकी निय्यत असल आख़िरत की तरफ़ होगी तो अल्लाह तआ़ला उसके तमाम काम उसकी दिलजमई के लिये जमा फ़र्मा देगा और उसके दिल में दुनिया की बेपरवाही डाल देगा और दुनिया ख़ुद-ब-ख़ुद उसके पास आ जायेगी। **(मुस्नद अहमद)**

4106. हज़रत असवद इब्ने यज़ीद (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स सिर्फ़ एक चीज़ की फ़िक्र रखेगा यानी आख़िरत की फ़िक्र करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके तमाम दुनियावी काम अपने ज़िम्मे ले लेगा और जो शख़्स दुनिया की तरह-तरह की फ़िक्रों में लगा रहेगा तो अल्लाह तआ़ला को उसकी कुछ परवाह नहीं ख़्वाह वो कहीं मरे।

4107. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, ऐ मेरे बन्दे! तू मेरी इबादत के लिये फ़ारिग़ हो जा, मैं तेरा दिल इस्तग़ना कर दूंगा (मालामाल कर दूँगा) और तेरी फ़क़ीरी दूर कर दूँगा। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे दिल में दुनिया के मशग़ले डाल दूंगा और तेरी फ़क़ीरी कभी दूर नहीं करूँगा।

(तिर्मिज़ी-2466)

दुनिया की मिसाल

4108. हज़रत मुस्तवरिद बिन शद्दाद बिन अ़म्र क़ुरशी फ़िन्री (रज़ि.) से रिवायत है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया की मिसाल आख़िरत के मुक़ाबले में ऐसी है जिस तरह तुममें से कोई शख़्स अपनी उंगली समन्दर में डुबोये

और देखे कि उसकी उंगली पर कितना पानी लगा है (यानी समन्दर का पानी आख़िरत की ज़िन्दगी है और अंगुली पर लगा पानी दुनियवी ज़िन्दगी है)। **(मुस्लिम-2858)**

4109. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) एक बोरी पर रौनक़ अफ़रोज़ थे। आपके जिस्मे मुबारक पर उसके निशान ज़ाहिर हुए, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ-बाप आप पर क़ुर्बान हों! हमको आप हुक्म दें तो हम आपके लिये एक बिस्तर तैयार कर दें ताकि ये तक्लीफ़ आपको न पहुँचे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया में मेरी मिसाल उस शख़्स की सी है जो एक दरख़्त के नीचे साये के लिये ठहरे और फिर कुछ अर्से के बाद वहाँ से कूच कर जाये। **(तिर्मिज़ी-2377)**

4110. हज़रत सह्ल इब्ने सअद (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र ज़ुल हुलैफ़ा में से हुआ तो आपने एक बकरी को देखा कि वो (मरकर फूल गई और) उसकी टांगें ऊपर उठी हुई थी तो आपने लोगों से फ़र्माया, अल्लाह की क़सम! जितनी ये बकरी अपने मालिक के सामने हक़ीर है, दुनिया अल्लाह तआला के सामने इससे भी ज़्यादा हक़ीर है। अगर अल्लाह तआला के नज़दीक दुनिया की कुछ भी वक़अत होती तो काफ़िर को इसमें से पानी का एक क़तरा भी न देता। **(तिर्मिज़ी-2320)**

4111. हज़रत मुस्तवरिद बिन शद्दाद बिन अम्र क़ुरशी फ़िहरी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ चंद सवारों के साथ मैं हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) के साथ था। रास्ते में एक बकरी का मरा हुआ बच्चा किसी ने फेंक दिया था। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये बकरी का बच्चा अपने मालिक के सामने ज़लील है या नहीं? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर ये ज़लील और हक़ीर न होता तो इसको क्यों फेंक दिया जाता। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, जितना ये बच्चा अपने मालिक के सामने ज़लील है दुनिया इससे भी ज़्यादा अल्लाह तआला के सामने ज़लील है। **(तिर्मिज़ी-2321)**

4112. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया और दुनिया की चीज़ें सब अल्लाह तआला के नज़दीक मलऊन हैं, मगर अल्लाह तआला की याद और जो चीज़ें उसको पसंद हैं और सिवा आलिम और इल्म हासिल करने वाला के। **(तिर्मिज़ी-2322)**

4113. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया मोमिन के लिये क़ैद ख़ाना है और काफ़िर के लिये जन्नत है। **(मुस्लिम-2956, तिर्मिज़ी-2324)**

4114. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने मेरा हाथ पकड़ कर फ़र्माया, अब्दुल्लाह! तुम दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफ़िर रहता है या कोई परदेसी रहता है और अपने आपको क़ब्र वालों (मुर्दों) में से ख़्याल करो। **(तिर्मिज़ी-2333)**

जिस शख़्स को अहमिय्यत नहीं दी जाती

4115. हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जन्नत का बादशाह होगा, वो कौन शख़्स है? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़र्माये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स कमज़ोर व नातवाँ हो, लोग उसको ख़्याल में न लायें और फटे-पुराने कपड़े पहने रहता हो। ऐसा शख़्स अगर अल्लाह तआला की क़सम खाये तो अल्लाह तआला उसको पूरी कर देता है। **(मुस्नद अहमद)**

4116. हज़रत हारिसा इब्ने वुहैब ख़ुज़ाई (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या मैं तुमको जन्नती लोगों की अलामत बताऊं? हर नातवाँ-कमज़ोर जिसको लोग ये ख़्याल करके सताये कि अगर हम इसको सतायेंगे तो ये हम से बदला नहीं ले सकता है, जन्नत में जायेगा और हर सख़्त तबीअत, रूपये जोड़-जोड़कर रखने वाला दोज़ख़ में। **(बुख़ारी-4918, मुस्लिम-2853)**

4117. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, रश्क और हसद करने के लायक़ वो मोमिन है जो बिल्कुल सुबुकदोश हो (दुनिया के लेन-देन और झंझटों से दूर रहता हो), नमाज़ में उसको राहत हासिल होती हो, लोगों में उसकी हालत पौशीदा हो और लोग (उसको हक़ीर जानकर उसकी कुछ परवाह न करते हों), उसके गुज़र के मुवाफ़िक़ उसको रोटी मिलती हो और उसी पर सब्र करता हो (ज़्यादा की तलाश में परेशान न होता हो) उस की मौत जल्दी से आ जाये, उसका तर्का थोड़ा हो और उस पर रोने वाले बहुत से लोग न हों।

4118. हज़रत अबू उमामा हारिसी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, सादगी ईमान में से है। हदीस के रावी कहते हैं, सादगी से मुराद मामूली कपड़े वग़ैरह पर बस करना। **(अबू दाऊद-4161)**

4119. हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने एक रोज़ फ़र्माया, क्या मैं तुमको अल्लाह के नेक बन्दों की हालत बतलाऊं? लोगों ने अर्ज़ किया, जी या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपने फ़र्माया, तुम लोगों में से वो शख़्स बेहतर है कि उसको देखकर अल्लाह याद आ जाये। **(तब्रानी-424)**

नादारों के मक़ाम व मर्तबे का बयान

4120. हज़रत सह्ल इब्ने सअद साएदी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) के पास से एक शख़्स गुज़रा। आपने लोगों से फ़र्माया, इस शख़्स के बारे में तुम्हारा क्या ख़्याल है? लोगों ने अर्ज़ किया, हुज़ूर बात तो वही होगी जो आप फ़र्मायेंगे लेकिन हमारे ख़्याल से ये अशरफ़ (अमीर) लोगों में से है। अगर किसी की सिफ़ारिश करे तो लोग उसको कुबूल कर लेंगे। अगर कोई बात करेगा तो लोग उसको बहुत तवज्जोह से सुनेंगे। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ख़ामोश हो गये। इतने में एक और शख़्स उधर से गुज़रा। आपने फ़र्माया, इस शख़्स के बारे में तुम क्या कहते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये तो फ़क़ीर शख़्स है, अगर कहीं शादी का पैग़ाम भेजे तो कोई कुबूल न करे, अगर किसी की सिफ़ारिश करे तो कोई न माने और अगर कोई बात करे तो कोई तवज्जोह न करे। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये शख़्स पहले वाले शख़्स जैसे ज़मीनभर आदममियों से अफ़ज़ल और आला है। **(बुख़ारी-5091)**

4121. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ऐसे मोमिन को दंगदस्त और जो बाल-बच्चेदार होकर भी सवाल से परहेज़ करता है, बहुत महबूब रखता है।

तंगदस्ती की फ़ज़ीलत

4122. हज़रत अबु हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमानों के फ़क़ीर मुसलमानों के अमीरों से आधा दिन पहले जन्नत में जायेंगे और आधा दिन पाँच सौ बरस होगा। **(तिर्मिज़ी-2353, 2354)**

4123. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुसलमान फ़क़ीर या मुहाजिर फ़क़ीर मालदारों से पाँच सौ बरस पहले जन्नत में जायेंगे।

4124. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, मुहाजिर फ़ुक़रा ने हुज़ूरे अकरम (ﷺ) से मुहाजिर मालदारों की ये शिकायत की कि ये हम से अफ़ज़ल हैं क्योंकि ये मालदारी की वजह से सदक़ात देते हैं, सिला रहमी करते हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, लेकिन वो फ़ुक़रा मुहाजिरीन मालदार मुहाजिरीन से पाँच सौ बरस पहले जन्नत में जायेंगे। **(इब्ने अबी शैबा-16234)**

ग़रीबों के साथ बैठना

4125. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हज़रत अबू जाफ़र (रज़ि.) को मिस्कीनों से बहुत मुहब्बत थी आप मिस्कीनों ही में बैठा करते और उन्हीं से बातें किया करते। इस वजह से हुज़ूर (ﷺ) ने उनका लक़ब **अबुल मसाकीन** रख दिया। **(तिर्मिज़ी-2766)**

4126. हजरत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, तुम लोग मसाकीन को महबूब रखा करो। क्योंकि मैंने हुज़ूर (ﷺ) को ये दुआ फ़र्माते सुना, ऐ अल्लाह मुझको मिस्कीनों में ज़िंदा रखना, मिस्कीनों ही में मारना और मसाकीन के जमाअ़त ही में मेरा हश्र करना।

4127. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन आमिर अज़्दी (रह.) ने हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) से रिवायत करते हुए इस आयते शरीफ़ा की तफ़्सीर में ये हदीस बयान फ़र्माई, (इर्शादे बारी तआ़ला है), **वला तत्रुदिल्लज़ी-न यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अ़शिय्यि युरीदून वज्हहु मा अ़लैक मिन हिसाबिहिम् मिन् शैइन् वमा मिन् हिसाबि-क अ़लैहिम मिन् शैइन फ़ततरु दहुम फ़-तकून मिनज़्ज़ालिमीन.** (और उन लोगों को अपने से दूर मत करो जो अपने परवरदिगार को सुबह व शाम पुकारते हैं (और उसकी इबादत करते हैं) वो अपने रब का चेहरा (रज़ामन्दी) चाहते हैं। उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ आप पर नहीं, फिर अगर आप इनको अपने से दूर करेंगे तो आप ज़ालिमों में से हो जायेंगे-सूरह अन्आम : 52)। (हज़रत ख़ब्बाब रज़ि. ने) फ़र्माया, (क़ुबूले इस्लाम से पहले) अक़रअ़ बिन हाबिस तमीमी और उ़येयना इब्ने हसन फ़ुज़ारी (रज़ि) आये तो देखा कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) की ख़िदमत में हज़रत सुहैब, हज़रत बिलाल और हज़रत अ़म्मार (रज़ि.) बैठे हुए थे और उनके अ़लावा और चंद ग़रीब मोमिनीन भी बैठे हुए थे। उन लोगों ने इन ग़रीबों को कुछ हिक़ारत की निगाह से देखा और तन्हाई में आँहज़रत (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, आप हमारे लिये एक ख़ास जगह मुक़र्रर कर दें जिसमें हमारे अ़लावा ऐसे लोग मौजूद न हों ताकि अ़रबों में हमारी इ़ज़्ज़त मालूम हो क्योंकि आपके पास अ़रब के क़ासिद आते हैं तो हमको शर्म आती है कि वो लोग हमको उन ग़ुलामों में बैठा हुआ देखें, लिहाज़ा जब हम लोग आपकी ख़िदमत में हाज़िर हों तो आप उन लोगों को हटा दिया कीजिये। जब हम आपके पास से चले जायें तो आपको इख़्तियार है कि आप इन लोगों के साथ बैठे। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! ये हो सकता है। उन लोगों ने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया, इस मज़्मून की अगर तहरीर लिख दी जाये तो बेहतर है। आँहज़रत (ﷺ) ने इसके तहरीर के लिये काग़ज़ तलब फ़र्माया और हज़रत अ़ली (रज़ि.) को लिखने के लिये हुक्म दिया। ख़ब्बाब (रज़ि.) कहते हैं कि हम लोग एक गोशे में सब्र किये हुए बैठे थे कि इतने में हज़रत जिब्रईल (अ़लै.) तशरीफ़ लाये और ये आयत नाज़िल हुई, **वला तत्रुदिल्लज़ी-न यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अ़शिय्यि युरीदून वज्हहु मा अ़लैक मिन हिसाबिहिम् मिन् शैइन् वमा मिन् हिसाबि-क अ़लैहिम मिन् शैइन फ़ततरु दहुम फ़-तकून मिनज़्ज़ालिमीन.** (और उन लोगों को अपने से दूर मत करो जो अपने परवरदिगार को सुबह व शाम पुकारते हैं (और उसकी इबादत करते हैं) वो अपने रब का चेहरा (रज़ामन्दी) चाहते हैं। उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ आप पर नहीं, फिर अगर आप इनको अपने से दूर करेंगे तो आप ज़ालिमों में से हो जायेंगे-सूरह अन्आम : 52)। उसके बाद

अल्लाह तआला ने अक़रअ बिन हाबिस तमीमी और उयैयना इब्ने हसन फ़ुज़ारी (रज़ि) के लिये (जो उस वक़्त ग़ैर मुस्लिम थे) इस आयत में ये फ़र्माया, **व क़ज़ालि-क फ़तन्ना बअ़ज़ुहुम् बि बअ़ज़िल् लियक़ूलू हाउलाइ मिनल्लाहु अलैहिम् मिन् बैनिना अलैसल्लाहु बिअ़अलम् बिश्शाकिरीन.** (और इस तरह हमने बाज़ को बाज़ के ज़रिये से आज़माइश में डाला है ताकि वो लोग (उन्हें देखकर) कहें, क्या हम में से ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया? क्या अल्लाह अपने शुक्रगुज़ार बन्दों को (उनसे) ज़्यादा नहीं जानता? सूरह अन्आम : 83)। फिर फ़र्माया, **व इज़ा जाअकल्लज़ी-न युअ्मिनू-न बि-आ -यातिना फ़कुल सलामुन् अलैकुम क-त-ब रब्बुकुम् अला नफ़्सिहिर्रह्मत.** (और जब आपके पास वो लोग आयें जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं तो कह दीजिये तुम पर सलाम हो। तुम्हारे रब ने मेहबानी को अपने ज़िम्मे लाज़िम कर लिया है-सूरह अन्आम : 84)। हज़रत ख़ब्बाब कहते हैं, जब ये आयतें नाज़िल हुई तो हम लोग आप (ﷺ) से क़रीब बैठे हुए थे कि आपके ज़ानू से ज़ानू मिल जाता और आँहज़रत (ﷺ) का ये हाल हो गया कि आप हमारे पास बैठे रहते, लेकिन जब आप उठना चाहते तो हमारे उठने का इंतज़ार किये बग़ैर उठकर तशरीफ़ ले जाते तो अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, **वस्बिर नफ़्स-क मअल्लज़ी-न यदअू-न रब्बहुम् बिल्ग़दवाति वल्अशय्यि युरीदू-न वज्हहु वला तद्अू अलैना-क अन्हुम... तुरीदु ज़ीनतल्हयातिद्दुन्या वला तुतिअ मन् अग़फ़ल्ना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना... वत्तबअ हवाहु व का-न अम्रुहु फ़ुरुता.** (और अपने आपको उन लोगों के साथ रोके रखिये जो सुबह व शाम अपने रब को पुकारते हैं। वो उसकी रज़ा के तलबगार हैं। आपकी नज़रें उन्हें छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ़ न जायें (उन सरदारों के साथ न बैठें) कि आप दुनिया की ज़िन्दगी की ज़ीनत चाहने लगें और आप उस शख़्स की बात न मानें, जिसके दिल को हमने अपनी याद से ग़ाफ़िल कर दिया है (उयैयना और अक़रअ वग़ैरह की) और जो अपनी ख़्वाहिश के पीछे चलता है और उसका मामला हद्दे ऐतदाल से हटा हुआ है-सूरह कहफ़ : 28)। सहाबी फ़र्माते हैं, इससे मुराद उयैयना और अक़रअ का मामला है। उसके बाद अल्लाह तआला ने दो आदमियों का वाक़िआ बयान फ़र्माया और उनकी ज़िन्दगी की मिसाल बयान फ़र्माई। हज़रत ख़ब्बाब (रज़ि.) कहते हैं कि फिर तो हम लोगों की ये हालत थी कि हम आपके साथ बैठे रहते, जब हुज़ूर (ﷺ) के (रोज़मर्रा) उठने का वक़्त आता तो हम ख़ुद ही नबी करीम (ﷺ) को छोड़कर उठ जाते ताकि आप भी तशरीफ़ ले जा सकें।

4128. हज़रत सअद (रज़ि.) कहते हैं, ये आयत हम छः शख़्सों के बारे में नाज़िल हुई है, मेरे बारे में, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.), सुहैब (रज़ि.), अम्मार (रज़ि.), बिलाल (रज़ि.) और मिक्दाद (रज़ि.) के बारे में। सअद (रज़ि.) कहते हैं, एक दिन क़ुरैश ने आँहज़रत (ﷺ) से कहा कि हम इन लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, आप अपने पास से इन लोगों को अलग कर दीजिये। सअद (रज़ि.) कहते हैं कि उनके क़ौल से हुज़ूरे अनवर (ﷺ) के दिल में भी ख़्याल पैदा हुआ तब अल्लाह तआला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, उन लोगों को अपने पास से मत हटाइये, जो सुबह व शाम अपने रब को उसकी रज़ा हासिल करने के लिये पुकारते हैं। **(मुस्लिम-2413)**

दौलतमंदों का बयान

4129. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदारों के लिये हलाकत है, मगर जो शख़्स अपने माल को इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च करे। ये फ़र्माते हुए हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने अपने दस्ते मुबारक से दायें, बायें, आगे और पीछे चारों तरफ़ इशारा किया।

4130. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो लोग जितने मालदार होंगे उनका दर्जा क़यामत के रोज़ पस्त होगा लेकिन जो अपना माल इस तरह और इस तरह ख़र्च करे (यानी हक़ के रास्ते में) और जिसकी कमाई पाक (और हलाल तरीक़े) से हुई। **(मुस्लिम-990)**

4131. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़्यादा माल वाले ज़्यादा नीचे होंगे, मगर जिसने इस तरह, इस तरह और इस तरह ख़र्च किया। आपने तीन बार इशारा फ़र्माया। **(मुस्नद अहमद)**

4132. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको ये अच्छा नहीं मालूम होता कि मेरे पास उहुद के बराबर सोना हो और तीन दिन गुज़रने के बाद उसमें से कुछ भी मेरे पास बाक़ी रहे अलबत्ता जो कुछ क़र्ज़ की अदायगी के लिये मेरे पास रहे वो मेरे लिये अच्छा है। **(मुस्नद अहमद)**

4133. हज़रत अम्र इब्ने ग़ैलान (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने एक रोज़ दुआ करते हुए फ़र्माया, ऐ अल्लाह! जो शख़्स मुझ पर ईमान लाये और मेरी तस्दीक़ करे और मेरी लाई हुई शरीअत की तस्दीक़ करे तो उसको माल व औलाद कम अता फ़र्माना और अपनी मुलाक़ात को उसकी नज़र में पसंदीदा कर दे और जो शख़्स मेरी तस्दीक़ न करे और मेरी लाई हुई शरीअत पर ईमान न लाये उसको कसीर औलाद अता फ़र्माकर बहुत माल अता फ़र्माना और तवील उम्र अता करना। **(तबरानी-56)**

4134. हज़रत नुक़ादह (बिन अब्दुल्लाह) असदी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा मुझको रसूले अनवर (ﷺ) ने एक शख़्स के पास ऊँटनी लेने के लिये रवाना फ़र्माया, लेकिन उस शख़्स ने इंकार किया। हुज़ूर (ﷺ) ने दूसरे शख़्स के पास रवाना किया, उसने आपके लिये एक ऊँटनी रवाना की। हुज़ूर (ﷺ) ने उसके लिये दुआ फ़र्माई, ऐ अल्लाह! इस ऊँटनी में बरकत अता फ़र्मा और इसको भेजने वाले को भी बरकत अता फ़र्मा। नुक़ादह ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो लेकर आया है उसके लिये भी दुआ फ़र्माइये कि अल्लाह तआला उसको भी बरकत अता फ़र्माये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसको भी बरकत अता फ़र्मा जो इसको लेकर आया। उसके बाद आँहज़रत (ﷺ) ने दूध दुहने का हुक्म दिया और फ़र्माया, ऐ अल्लाह उस शख़्स को (जिसने ऊँटनी नहीं दी थी) बहुत माल अता फ़र्मा और जिसने ऊँटनी भेजी थी उसके हक़ में फ़र्माया, या अल्लाह! उस शख़्स को रोज़ का रिज़्क़ रोज़ अता फ़र्मा। **(मुस्नद अहमद)**

4135. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, दीनार व दिरहम और चादर व कम्बल का बन्दा हलाक हो जाये। अगर उसे दिया जाये तो ख़ुश रहता है, अगर न दिया जाये तो (बैअत वाला) वादा पूरा नहीं करता। **(बुख़ारी-2886, 6435)**

4136. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दीनार व दिरहम का बन्दा और चादर व कम्बल के बन्दे के लिये तबाह हो जाये और औंधा हो जाये, उसे काँटा लगे तो निकाला न जाये। **(बुख़ारी-2887)**

क़नाअत का बयान

4137. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मालदारी माल से और साज़ो-सामान से नहीं होती बल्कि मालदारी तो दिल की अमीरी है। **(मुस्लिम-1051)**

4138. हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, कामयाब वो है जिसे इस्लाम की हिदायत मिल गई, ज़रूरत के मुताबिक़ रिज़्क़ मिल गया और उसने उस पर

क़नाअत (थोड़े पर सब्र) से काम लिया। **(मुस्लिम-1054)**

4139. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, ऐ अल्लाह! मुहम्मद की आल को ज़रूरत के मुवाफ़िक़ रोज़ी अता फ़र्मा। **(बुख़ारी-6460, मुस्लिम-1055)**

4140. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है हुज़ूर अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया कि, क़यामत के रोज़ हर एक मालदार ये आरज़ू करेगा कि दुनिया में उसको ज़रूरत के मुवाफ़िक़ रोज़ी मिलती।

4141. हज़रत सलमा इब्ने उबैदुल्लाह (रज़ि.) का बयान है कि उनके वालिद ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स को सेहत के साथ सुबह हो जाये और उसके पास उस दिन का खाना भी मौजूद हो तो समझो कि तमाम दुनिया उसके लिये जमा कर दी गई। **(तिर्मिज़ी-2346)**

4142. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फर्माया, दुनिया में अपने से कम नेअ़मत वाले शख़्स पर नज़र डालो (अपने से बड़ी हस्ती वाले को न देखो)। अगर ये करोगे तो अल्लाह तआला की किसी नेअ़मत को हक़ीर न समझोगे। **(मुस्लिम-2963)**

4143. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला (बन्दों की तरह) तुम्हारी सूरतों और मालों को नहीं देखता है बल्कि तुम्हारे अमलों और दिलों की हालत पर नज़र करता है। **(मुस्लिम-2564)**

आले मुहम्मद (ﷺ) की मईशत का बयान

4144. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हम आले मुहम्मद (ﷺ) का एक-एक महीना इस हाल में गुज़र जातता कि मकान में आग नहीं जलाते थे बल्कि (हमारा खाना) खूजरें और पानी पर होता था। **(मुस्लिम-2972)**

4145. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) के मकानों में से (बसा अवक़ात ऐसा होता कि) पूरे-पूरे महीने धुआं निकलता नज़र नहीं आता। रावी कहते हैं, मैंने हज़रत आइशा (रज़ि.) से दरयाफ़्त किया तो फिर हुज़ूर (ﷺ) क्या नोश फ़र्माया करते थे? उन्होंने जवाब दिया, पानी और खजूर। अलबत्ता हमारे कुछ अन्सारी पड़ौसी ऐसे उम्दा लोग थे कि उनके यहाँ बकरियाँ पली हुई थीं तो वो लोग हमारे लिये दूध दूह कर रवाना कर दिया करते थे। हदीस के रावी मुहम्मद बिन अ़म्र कहते हैं, उस वक़्त मैं हुज़ूर (ﷺ) के नौ मकान थे (यानी आपकी अज़्वाजे मुत्तह्हरात नौ थीं)। **(मुस्नद अहमद)**

4146. हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है, मैंने नबी करीम (ﷺ) को भूख की वजह से करवटें बदलते और पेट को दबाते हुए देखा आपको मामूली सी खजूरें भी मुयस्सर न थीं जिससे पेट भर लेते। **(मुस्लिम-2978)**

4147. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, मैंने आँहज़रत (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है। आज आले मुहम्मद के पास एक साअ़ अनाज है न एक साअ़ खजूरें। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) की नौ बीवियाँ थी। **(मुस्नद अहमद)**

4148. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (आज) सुबह मुहम्मद (ﷺ) के घर में सिर्फ़ एक मुद ख़ुराक है। या फ़र्माया, एक मुद ख़ुराक भी नहीं है।

4149. हज़रत सुलैमान इब्ने सुर्द (रज़ि.) का बयान है कि एक मर्तबा नबी करीम (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये तो (हमारी हालत ये थी कि) तीन रोज़ तक हम लोगों को खाना मुयस्सर न आया और आप भूखे रहे। **(तबरानी-6490)**

4150. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ नबी करीम (ﷺ) की ख़िदमत में गर्म खाना आया। हुज़ूर (ﷺ) ने उसको खाने के बाद फ़र्माया, उस अल्लाह का शुक्र है जिसने आज इतने दिनों के बाद गर्म खाना खिलाया। **(बैहक़ी)**

आले मुहम्मद (ﷺ) के घरवालों के बिस्तर

4151. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) का बिस्तर चमड़े का था जिसमें खूजर की छाल भरी होती थी। **(मुस्लिम-2082)**

4152. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाये तो हम एक ऊनी सफ़ेद चादर ओढ़े बैठे थे, जो आँहज़रत (ﷺ) ने उन दोनों को इनायत फ़र्माई थी। हुज़ूर (ﷺ) ने हमको एक ये चादर, एक तकिया जिसमें अज़ख़र घास भरी हुई थी और एक पानी का मश्कीज़ा दिया था। **(नसाई-3386)**

4153. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) के यहाँ हाज़िर हुआ तो हुज़ूर (ﷺ) एक चटाई पर लेटे हुए थे। उस वक़्त हुज़ूर (ﷺ) के जिस्म पर सिर्फ़ तहबंद था और कोई चीज़ नहीं थी। आपके जिस्म पर उस चटाई के निशान पड़ गये थे। एक तरफ़ थोड़े से जौ थे जो ग़ालिबन एक साअ होंगे और बबूल के पत्ते थे। मैं हुज़ूर (ﷺ) की हालत देखकर रोने लगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उमर! तुम क्यों रोते हो? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको क्यों न रोना आये कि आपके जिस्म पर इस चटाई के निशान हो गये हैं और आपके मकान में सिवाय बबूल के थोड़े से पत्तों और इसके (एक साअ जौ) जो में देख रहा हूँ, मुझको कुछ नज़र नहीं आता और बादशाहे ईरान और रूम क़ैसर व किसरा कैसी-कैसी नेअमतों में रहते हैं। हांलाकि आप अल्लाह तआला के नबी और उसके बरगुज़िदा रसूल हैं। लेकिन उस पर आपकी ये हालत है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उमर! तुमको ये पसंद नहीं आता कि इनको दुनिया मिले और हम को आख़िरत मुयस्सर हो। मैंने (ख़ुश होकर) अर्ज़ किया, क्यों नहीं! या रसूलल्लाह (ﷺ)। **(मुस्लिम-1479)**

4154. हज़रत अली (रज़ि.) का बयान है कि जिस रोज़ हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) रुख़्सत होकर मेरे यहाँ आई तो हमारा बिस्तर बकरी की खाल का था।

नबी करीम (ﷺ) के सहाबा की मईशत का बयान

4155. हज़रत अबू मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है कि एक वो ज़माना था कि जब हम में से किसी को सदक़ा देने के लिये फ़र्माया जाता तो वो जाकर मज़दूरी करता और उसकी उज्रत का एक मुद्द (या और जो कुछ हासिल होता) लाकर सदक़े में देता। लेकिन आज एक वो ज़माना है कि हम में से वो लोग एक-एक लाख रूपये की मालियत के मालिक हैं। (हज़रत अबू मस्ऊद के शार्गिद) हज़रत सफ़ीक़ (रह.) कहते हैं, (एक-एक लाख रूपये की मालियत का मालिक) होने से इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) ने अपनी ज़ात को मुराद लिया था। **(बुख़ारी-1415, 1416, मुस्लिम-1018)**

4156. हज़रत ख़ालिद इब्ने उमैर (रह.) का बयान है कि उत्बा इब्ने ग़ज़्वान (रज़ि.) ने मिम्बर पर ख़ुत्बा कहते हुए बयान किया कि मैं वो सातवां शख़्स हूँ कि जिसने हुज़ूर (ﷺ) के साथ सिर्फ़ दरख़्त के पत्ते खाये थे जिसकी वजह से हमारे मसूड़े भी ज़ख़्मी हो गये थे। **(मुस्लिम-2967)**

4157. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) के साथ सात आदमी थे। सबके सब भूखे थे तो हुज़ूर (ﷺ) ने उस वक़्त मुझको सात खजूरें अता फ़र्माई कि एक-एक आदमी को एक-एक खजूर दे दी जाये। **(बुख़ारी-5411)**

4158. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) का बयान है, जब ये आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई, **सुम्म लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन्नईम.** (फिर उस दिन तुमसे नेअमतों के बारे में ज़रूर सवाल होगा) तो उन्होंने आँहज़रत (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमसे कौन सी नेअमतों का सवाल होगा? हमारे पास तो बस एक खजूर और पानी है। आपने फ़र्माया, आगाह रहो! ये (सवाल) ज़रूर होगा। **(तिर्मिज़ी-3356)**

4159. हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा रसूले अकरम (ﷺ) ने हमको तीन सौ आदमियों के क़रीब लोगों को जिहाद के लिये रवाना किया तो हम लोगों का खाना भी हमारी गर्दनों पर लदा हुआ था (यानी बहुत क़लील था) हम उसको खाते रहे, जब ख़त्म हो गया तो ये नौबत आई कि एक-एक आदमी को एक-एक ही खजूर खाने को मिलती। किसी ने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से अर्ज़ किया, एक खजूर में एक-एक आदमी का क्या होता होगा? उन्होंने कहा, जब वो भी न रही तो उस वक़्त हमको हक़ीक़त का एहसास हुआ। लेकिन हम एक दरिया के क़रीब आये तो वहाँ एक मछली पड़ी हुई देखी। जिसको दरिया ने किनारे पर डाल दिया था हम ने उस मछली को अठारह रोज़ तक खाया था। **(बुख़ारी-2983, मुस्लिम-1935)**

इमारतों का बनाना कैसा है?

4160. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र हमारे क़रीब से हुआ तो हम लोग अपनी झौंपड़ी की मरम्मत कर रहे थे। आपने हमसे फ़र्माया, ये क्या हो रहा है? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारा मकान कमज़ोर हो गया है, हम उसकी मरम्मत कर रहे हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मौत इससे भी जल्दी आने वाली है (कि जितनी जल्दी तुम्हारे मकान की मरम्मत हो)। **(अबू दाऊद-5236, तिर्मिज़ी-2335)**

4161. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र एक गोल खम्भे के क़रीब से हुआ, जो एक अन्सारी सहाबी के दरवाज़े पर बनाया हुआ था। आपने फ़र्माया, ये क्या चीज़ है? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये गोल खम्भा है जो फ़लाँ आदमी ने बनाया है। आपने फ़र्माया, जो माल ऐसी चीज़ों में सर्फ़ किया जायेगा वो क़यामत के दिन इंसान के लिये वबाल होगा। जब उस अन्सारी को उसकी ख़बर मालूम हुई तो उसने फ़ौरन उस खम्भे को गिरा दिया। फिर जब आपका गुज़र उधर से हुआ तो आपने उसको न देखकर लोगों से दरयाफ़्त किया, वो खम्भा कहाँ गया? लोगों ने अर्ज़ किया, जब उसअन्सारी को आपका फ़र्मान मालूम हुआ तो उसने उसको गिरा दिया। ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह उस पर रहम फ़र्माये, अल्लाह उस पर रहम फर्माये। **(अबू दाऊद-5237)**

4162. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं कि जब मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ होता था तो मैंने ये कैफ़ियत भी देखी है कि मैंने एक कमरा बनाया जो मुझे बारिश से महफ़ूज़ रख सके और धूप से बचा सके। उसकी तामीर में मेरी किसी शख़्स ने मदद नहीं की। **(बुख़ारी-6302)**

4163. हज़रत हारिसा इब्ने मुज़रिब (रह.) का बयान है, एक रोज़ हम लोग ख़ब्बाब (रज़ि.) की इयादत के लिये गये। उन्होंने कहा कि मेरी बीमारी इतनी तवील हो गई है कि अगर मैंने हुज़ूर (ﷺ) से मौत की तमन्ना करने की मुमानिअत न सुनी होती तो मैं मरने की आरज़ू करता। मैंने हुज़ूर (ﷺ) से ये भी सुना था कि बन्दे को हर ख़र्च में सवाब मिलता है मगर

जो मिट्टी में ख़र्च किया जाये। या फ़र्माया, इमारत बनाने में ख़र्च किया जाये (उसका सवाब नहीं मिलता)। **(तिर्मिज़ी-970)**

तवक्कल और यक़ीन का बयान

4164. हज़रत उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम ऐसा तवक्कल करो जैसा करना चाहिये तो अल्लाह तआला तुमको ऐसा रिज़्क़ दे जैसा कि परिन्दों को अता फ़र्माता है। वो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को उनका पेट भरा होता है। **(तिर्मिज़ी-2344)**

4165. हज़रत हब्बा बिन ख़ालिद (रज़ि.) और हज़रत सवाअ बिन ख़ालिद (रज़ि.) बयान करते हैं, एक रोज़ हम लोग हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में गये। उस वक़्त आप कोई काम कर रहे थे। हमने भी आपकी उस काम में मदद की। आपने हमसे फ़र्माया, तुम लोग रोज़ी की फ़िक्र न करना। क्योंकि बच्चे को उसकी माँ सुर्ख़ रंग का जनती है, जिस पर मज़बूत खाल भी नहीं होती, फिर भी अल्लाह तआला उसको रिज़्क़ अता फ़र्माता है। **(मुस्नद अहमद)**

4166. हज़रत अम्र इब्ने आस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, इन्सान के दिल की एक-एक शाख़ हर वादी में होती है (वो दुनियवी मफ़ाद के लिये हर रास्ते पर चलने को तैयार होता है) जिस शख़्स का दिल हर वादी के पीछे पड़ जाता है (दुनिया के लिये हर मश्ग़ूलियत में गिरफ़्तार हो जाता है) तो अल्लाह को उसकी परवाह नहीं होती कि उसे किस वादी में तबाह कर दे, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है (अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह रखते हुए यक़ीन करता है कि जाइज़ रिज़्क़ उसके लिये काफ़ी होगा), उसे अल्लाह तआला इन्तिशार से बचा लेता है (और वो इत्मिनान की ज़िन्दगी गुज़ारता है)।

4167. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर शख़्स को अल्लाह पर अच्छा यक़ीन रखते हुए फ़ौत होना चाहिये। **(मुस्लिम-2877)**

4168. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला के नज़दीक ताक़तवर मोमिन, कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा महबूब है। और जो भलाई देखो उसके करने में हिर्स करो और आजिज़ न बनो। अगर बावजूद तेरी कोशिश के कोई नेक काम तेरे हाथ से निकल जाये और तू मग़्लूब हो जाये तो ये कह ले कि मेरे लिये अल्लाह ने यही मुक़र्रर कर दिया था और जो चाहा उसने किया और अगर-मगर को बिल्कुल छोड़ दे क्योंकि अगर और मगर शैतान का दरवाज़ा खोल देते हैं। **(मुस्लिम-2664)**

हिक्मत का बयान

4169. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हिक्मत का कलमा मोमिन की गुमशुदा चीज़ है। जहाँ उसको मिले वो उसका ज़्यादा हक़दार है। **(तिर्मिज़ी-2687)**

4170. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दो चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें बहुत से लोग नुक़्सान हासिल कर रहे हैं, एक तन्दुरुस्ती दूसरा फ़राग़त। **(बुख़ारी-6412)**

4171. हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको कोई मुख़्तसर सा अमल बतलाइये जो मैं करूं तो मुझको नजात हासिल हो जाये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब नमाज़ के लिये खड़े हो तो ऐसी नमाज़ पढ़ो कि गोया दुनिया से रुख़्सती की नमाज़ है और जो कलाम

करो तो ऐसा करो कि आइन्दा उससे तुमको मअज़रत (माफ़ी) न चाहनी पड़े और जो माल लोगों के पास है उससे बिल्कुल मायूस हो जाओ। **(मुस्नद अहमद)**

4172. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स हिक्मत की बात सुने लेकिन जब अपने साथी के सामने बयान करे तो बुरी बात के अलावा कुछ न बयान करे और हिक्मत की बात को छुपा कर रखे तो उस शख़्स की मिसाल इस तरह है कि वो एक बकरियाँ चराने वाले के पास आया और उससे कहा कि मुझको एक बकरी ज़िब्ह करने के लिये दे दे। उसने कहा, रेवड़ में जाकर जो बकरी तुमको अच्छी मालूम हो, पकड़ के ले जाओ। वो गया और बजाय बकरी के कुत्ते के कान पकड़ कर ले आया। **(मुस्नद अहमद)**

तकब्बुर छोड़ने और तवाज़ोअ इख़्तियार करने का बयान

4173. हज़रत अब्दुल्लाह (इब्ने मस्ऊद रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के दिल में राई के दाने के बराबर गुरूर होगा वो जन्नत में नहीं जायेगा और जिस शख़्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा वो दोज़ख़ में नहीं जायेगा।

4174. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला फ़र्माता है, बड़ाई मेरी चादर है और अज़्मत मेरा पहनावा है। जो शख़्स इनमें से कोई चीज़ भी मुझसे खींचेगा, मैं उसे जहन्नम में फेंक दूँगा। **(अबू दाऊद-4090)**

4175. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला का इर्शाद है तकब्बुर और गुरूर मेरी चादर हैं और अज़मत मेरी तहबंद है इन दोनों में से जो शख़्स जिसमें झगड़ा करेगा और उसको इख़्तियार करेगा, मैं उसको जहन्नम में डाल दूंगा।

4176. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला की रज़ामंदी के लिये एक दर्जा तवाज़ोअ इख़्तियार करेगा, अल्लाह तआला उसका एक दर्जा जन्नत में बुलंद फ़र्मायेगा और जो एक दर्जा तकब्बुर इख़्तियार करेगा अल्लाह तआला उसका एक दर्जा पस्त कर देगा और पस्त करते-करते उसको **असफ़लुस्साफ़िलीन** (सबसे निचले तबक़े) में पहुँचा देगा।

4177. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, मदीना वालों की कोई लौण्डी भी अल्लाह के रसूल (ﷺ) का हाथ पकड़ लेती तो आप उससे अपना हाथ मुबारक न छुड़ाते बल्कि वो जहाँ चाहती और जिस काम को चाहती आपको ले जाती। **(मुस्नद अहमद)**

4178. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) बीमार की इयादत फ़र्माया करते, जनाज़े के साथ जाते और अगर गुलाम भी हुज़ूर (ﷺ) की दावत कर देता तो आप उसकी दावत को क़ुबूल फ़र्मा लेते। आप गधे पर सवार हुआ करते जिस रोज़ बनू क़ुरैज़ा और बनी नज़ीर का वाक़िया हुआ (और उनको ज़िलावतन किया गया तो उस रोज़ भी) आप गधे पर सवार थे। और जंग-ए-ख़ैबर के रोज़ भी आप गधे पर सवार थे जिसकी लगाम भी खजूर की छाल की थी और ज़ीन भी खजूर की छाल की थी।

4179. हज़रत एयाज़ इब्ने हिमार (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ नबी (ﷺ) ने ख़ुत्बे में फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ ये वह्य रवाना फ़र्माई है कि तवाज़ोअ किया करो यहाँ तक कि कोई किसी पर फ़ख़्र न करे। **(मुस्लिम-2865)**

हया का बयान

4180. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) उस कुंवारी लड़की से भी ज़्यादा शर्म वाले थे जिसकी शादी न हुई हो और आप जिस चीज़ को बुरा जानते तो उसका असर आपके चेहरे मुबारक पर नज़र आ जाता। **(बुख़ारी-3562, मुस्लिम-2320)**

4181. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, हर दीन में कोई न कोई इम्तियाज़ी और अख़्लाक़ी ख़ूबी होती है और इस्लाम की इम्तियाज़ी ख़ूबी हया है।

4182. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर दीन की एक ख़ास और अख़्लाक़ी ख़ूबी होती है और इस्लाम की इम्तियाज़ी ख़ूबी हया है।

4183. हज़रत उक़्बा इब्ने अम्र (रज़ि.) और **अबू मस्ऊद (रज़ि.)** का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों के पास पहले पैग़म्बरों की कुछ यादगार है तो बस इतना जुम्ला है, **इज़ा लम तस्तहि फ़स्नअ मा शिअ-त.** (जब तुझमें शर्म व हया न रही तो फिर तेरा जो जी चाहे कर)। **(बुख़ारी-3483)**

4184. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हया ईमान में दाख़िल है और ईमान जन्नत में (ले जाने वाला) है। और बदकलामी, बदअख़्लाक़ी का हिस्सा है और बदअख़्लाक़ी जहन्नम में (ले जाने वाली) है। **(हाकिम, इब्ने हिब्बान-24)**

4185. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस चीज़ में फ़हश और बेहयाई होगी उसको ऐबदार कर देगी और जिस चीज़ में हया होगी उसको ख़ुशनुमा बना देगी। **(मुस्नद अहमद)**

तहम्मुल का बयान

4186. हज़रत मुआज़ इब्ने अनस जुहनी अन्सारी (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अपना गुस्सा पूरा करने की ताक़त रखता हो अगर वो अपना गुस्सा रोक लेगा तो क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसको तमाम मख़्लूक़ के सामने बुलाकर इख़्तियार देगा जिस हूर को चाहे पसंद कर ले। **(अबू दाऊद-4777)**

4187. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ हम आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे हुए थे कि (यकायक हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया) अब्दे क़ैस के क़ासिद आ रहे हैं। लेकिन हमारे सामने उस वक़्त तक कोई भी न था, कुछ ही देर हुई होगी कि इतने में बनू अब्दे क़ैस के क़ासिद आ पहुँचे। उनमें एक शख़्स अशबह असरी (रज़ि.) भी थे जो सबके बाद आये और अपनी ऊँटनी को एक मक़ाम पर बिठाकर अपने कपड़े एक जानिब रखकर हुज़ूर की ख़िदमत में हाज़िर हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अशबह तुममें दो आदतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह तआला बहुत पसंद फ़र्माता है, एक तो हिल्म (यानी बुर्दबारी) और दूसरा वक़ार व तहम्मुल। अशबह ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये दोनों सिफ़तें मुझमें अभी पैदा हुई हैं या पैदाइशी हैं? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं पैदाइशी हैं।

4188. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने अशबह असरी से फ़र्माया था कि तुझमें दो ख़सलतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह तआला पसंद फ़र्माता है, एक हिल्म (बुर्दबारी) और दूसरी हया। **(मुस्लिम-17, तिर्मिज़ी-2011)**

4189. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, किसी चीज़ के घूंट में इतना सवाब नहीं जितना कि गुस्से का घूंट पीने में है। बशर्तेकि अल्लाह तआला की रज़ामंदी के लिये हो। **(मुस्नद अहमद)**

ग़म और रोने का बयान

4190. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको वो बातें नज़र आती हैं जो तुमको नज़र नहीं आतीं। मुझको वो बातें सुनाई देती हैं जो तुमको सुनाई नहीं देतीं। आसमान चरचरा रहा है क्योंकि उसमें बालिश्त भर जगह भी बाक़ी नहीं जहाँ फ़रिश्ते सज्दे में न हों। अल्लाह की क़सम! जो बातें मुझको मालूम हैं अगर वो बातें तुमको मालूम हों तो तुम लोग बहुत कसरत से रोओ और बहुत थोड़ा हँसो। औरतों से सुहबत के वक़्त तुमको कुछ लुत्फ़ न आये और ज़ोर-ज़ोर से अल्लाह से फ़रियाद करते हुए सहरा को निकल जाओ (अल्लाह की क़सम) मुझे ये आरज़ू होती है कि मैं एक दरख़्त होता जिसको जड़ से काट दिया जाता। **(तिर्मिज़ी-2312)**

4191. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, जो बातें मुझको मालूम हैं अगर तुमको मालूम होती तो तुम लोग बहुत कम हँसते और बहुत ज़्यादा रोते। **(मुस्नद अहमद)**

4192. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं कि मेरे इस्लाम क़ुबूल करने के सिर्फ़ चार साल बाद ये आयते शरीफ़ा नाज़िल हुई जिसमें अल्लाह तआला ने उन्हें तम्बीह फ़र्माई, **और (अहले ईमान) उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्हें पहले किताब दी गई थी, फिर उन पर एक लम्बी मुद्दत गुज़र गई तो उनके दिल सख़्त हो गये और उनमें से अक्सर लोग नाफ़र्मान हैं।** (सूरह हदीद : 16) **(मुस्लिम-3027)**

4193. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत न हँसा करो क्योंकि हँसी की ज़्यादती से दिल सख़्त हो जाया करता है। **(बुख़ारी फ़िल्अदबिल मुफ़रद-253)**

4194. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा मुझसे हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको क़ुर्आन सुनाओ। मैंने आपको सूरह निसा सुनाई जब मैं इस आयत के क़रीब पहुँचा, **उस वक़्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत पर गवाह बनाकर ले आयेंगे।** (सूरह निसा : 41) तो मैंने हुज़ूर (ﷺ) की तरफ़ देखा तो आपकी आँखों से आँसू जारी थे। **(तिर्मिज़ी-3024)**

4195. हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) का बयान है कि एक जनाज़े में हम लोग हुज़ूरे अकरम (ﷺ) के साथ शरीक थे। हुज़ूर (ﷺ) एक क़ब्र के किनारे बैठकर इस क़द्र रोये कि आपके आँसू से क़ब्र की मिट्टी गीली हो गई और फ़र्माया, लोगों! इसकी तैयारी करो। **(मुस्नद अहमद)**

4196. हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, रोया करो, अगर रोना न आये तो रोने की सी सूरत बना लिया करो (ताकि आँसू आ जाये)।

4197. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस मुसलमान की आँख से अल्लाह के ख़ौफ़ से मक्खी के सर बराबर भी आँसू निकल कर चेहरे पर बहेंगे। अल्लाह तआला उसको दोज़ख़ पर हराम कर देगा। **(तबरानी-9799)**

आमाल को (ग़ैर मक़बूल होने से) महफ़ूज़ करना

4198. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इस आयत से कौन लोग मुराद है, **वो लोग जो अल्लाह की राह में जो देना होता है, दे देते हैं और उनके दिल डर रहे होते हैं.** (सूरह मोमिनून : 60)। क्या इससे मुराद वो आदमी है जो ज़िना, चोरी और शराब नोशी करता है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अबूबक्र (रज़ि.) की लड़की! इससे वो लोग मुराद हैं जो रोज़ा-नमाज़ करते हुए सदक़ा देते हों लेकिन फिर उनको डर रहता हो कि शायद (उसका अमल) क़ुबूल न हो। **(तिर्मिज़ी-3175)**

4199. हज़रत मुआविया इब्ने अबी सुफ़यान (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अमल की मिसाल बर्तन की सी है, जो बर्तन नीचे से अच्छा होगा ऊपर से भी अच्छा होगा और जो बर्तन नीचे से बुरा होगा वो ऊपर से भी बुरा होगा।

4200. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स तन्हाई में नमाज़ इत्मीनान के साथ अदा करता है और लोगों के सामने भी वैसी ही पढ़ता है तो अल्लाह तआला फ़र्माता है कि ये मेरा सच्चा बन्दा है।

4201. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अमलों में बीच का तरीक़ा इख़्तियार करो और उस रास्ते को मज़्बूत पकड़े रहो। तुममें से कोई ऐसा नहीं जिसको उसका अमल नजात दिलाये। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपका अमल भी (आपको नजात नहीं दिलायेगा)? आपने फ़र्माया, नहीं! मगर ये कि अल्लाह की रहमत और फ़ज़्ल शामिले हाल हो। **(मुस्लिम-2816)**

दिखावे और शोहरत का बयान

4202. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला इर्शाद फ़र्माता है, मैं हर क़िस्म के शरीक से बेनियाज़ और बेपरवाह हूँ। जो शख़्स मेरे लिये कोई अमल करता है और उसमें मेरे ग़ैर को भी दाख़िल करता है तो मैं उस अमल से बिल्कुल बेज़ार होता हूँ बल्कि वो मेरे ग़ैर ही के लिये होता है। **(मुस्लिम-2985)**

4203. हज़रत अबू सअद इब्ने अबू फ़ज़ाला अन्सारी (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह तआला सब अगले-पिछले लोगों को जमा करेगा तो एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देगा कि जिस शख़्स ने ग़ैरुल्लाह के लिये कोई अमल किया हो उसको चाहिये कि उसका सवाब भी उससे तलब करे क्योंकि अल्लाह तआला तमाम शरीकों से बेनियाज़ है। **(तिर्मिज़ी-3154)**

4204. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हम लोग आपस में दज्जाल का ज़िक्र कर रहे थे इतने में हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ले आये और फ़र्माया, मुझको तुम लोगों पर दज्जाल से भी ज़्यादा जिस चीज़ का ख़ौफ़ है, वो चीज़ बतलाऊं? लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फ़र्माइये। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो शिर्के ख़फ़ी है कि आदमी किसी के सामने नमाज़ पढ़े और दिखाने के लिये उसको ख़ूबसूरत बनाता है। **(मुस्नद अहमद)**

4205. हज़रत शद्दाद इब्ने औस (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझे अपनी उम्मत पर जिस चीज़ का डर है वो शिर्क है। मैं ये नहीं कहता कि वो सूरज, चाँद या बुतों की परस्तिश करना शुरू कर देंगे बल्कि वो ग़ैर के लिये अमल करेंगे (यानी लोगों के दिखलावे और शौहरत के लिये) और दूसरी एक और चीज़ का ख़ौफ़ है, वो पोशीदा ख़्वाहिशें है।

4206. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है , रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स शोहरत के लिये नेकी करता है, अल्लाह तआला उसकी शोहरत कर देता है और जो शख़्स दिखावा करता है तो अल्लाह उसकी हक़ीक़त ज़ाहिर कर देगा। **(तिर्मिज़ी-3381, मुस्नद अहमद)**

4207. हज़रत जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफ़ियान (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स रियाकारी करता है उसके साथ अल्लाह तआला उसकी हक़ीक़त ज़ाहिर कर देता है और जो शख़्स शोहरत के लिये नेकी करता है, अल्लाह उसकी शोहरत कर देता है। **(बुख़ारी-6499, मुस्लिम-2987)**

हसद का बयान

4208. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दो शख़्सों पर हसद करना चाहिये उसके अलावा किसी से जायज़ नहीं। एक तो उस शख़्स पर जिसके पास माल हो और वो उसको नेक काम में ख़र्च करता हो और दूसरा वो शख़्स जो आलिम हो और अपने इल्म पर अमल भी करता हो और दूसरों को भी उससे फ़ैज़याब करता हो। **(बुख़ारी-73, मुस्लिम-816)**

4209. हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, दो शख़्सों के अलावा हसद करना जायज़ नहीं। एक तो हाफ़िज़े क़ुर्आन पर जो दिन-रात क़ुर्आन की तिलावत करता रहता हो। दूसरा मालदार जो अपने माल को दिन-रात नेक काम में सर्फ़ करता हो। **(बुख़ारी-7529)**

4210. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है, जिस तरह आग लकड़ियों को खा जाती है। और सदक़ा गुनाहों (की आग) को इस तर बुझा देता है जिस तरह पानी (दुनिया की) आग को बुझा देता है। नमाज़ मोमिन का ज़ेवर है और जहन्नम से (बचाने वाली) ढाल है।

ज़ुल्म व ज़्यादती का बयान

4211. हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ज़्यादती और क़तअ रह्मी से बढ़कर कोई गुनाह ऐसा नहीं जिसकी सज़ा अल्लाह तआला दुनिया में भी जल्दी दे देता है जबकि उसके साथ उसके लिये आख़िरत का अज़ाब भी सम्भाल कर रखता है। **(अबू दाऊद-4902)**

4212. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दुनिया में बहुत जल्दी जिस नेकी का सवाब दिया जाता है वो सिला रहमी है और सबसे जल्द जिस गुनाह का अज़ाब दिया जाता है वो ज़्यादती और क़तअ रहमी है।

4213. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी को बस इतना गुनाह काफ़ी है कि वो अपने किसी मुसलमान भाई को हक़ीर समझे।

4214. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने मुझको ये वह्य भेजी है कि आपस में एक दूसरे की तवाज़ोअ इख़्तियार करो और कोई किसी पर ज़्यादती न करे। **(बुख़ारी फ़िल्अदबिम मुफ़रद : 426)**

तक़वा और परहेज़गारी का बयान

4215. हज़रत उत्बा सअ़दी (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, बन्दा तक़वा के मक़ाम तक नहीं पहुँच सकता यहाँ तक कि हर्ज वाली चीज़ से बचने के लिये वो चीज़ भी छोड़ दे जिसमें हर्ज नहीं (लेकिन शक हो कि शायद मना हो)। **(तिर्मिज़ी-2451)**

4216. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, किसी ने आँहज़रत (ﷺ) से दरयाफ़्त किया कि सबसे अफ़ज़ल कौन शख़्स है? आपने फ़र्माया, साफ़ दिल और सच्चे क़ौल वाला शख़्स। लोगों ने अ़र्ज़ किया, सच बोलने वाले को तो हम पहचानते हैं लेकिन साफ़ दिल शख़्स कौन होता है? आपने फ़र्माया, वो परहेज़गार, जो बिल्कुल पाक साफ़ हो। उसके दिल में गुनाह, ज़्यादती, बुग़्ज़ और हसद वग़ैरह न हों।

4217. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले करीम (ﷺ) ने (मुझसे) फ़र्माया, अबू हुरैरह परहेज़गारी इख़्तियार करो, तुम सबसे ज़्यादा आ़बिद हो जाओगे। अगर क़नाअ़त पसन्द हो जाओ, तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हो जाओगे। लोगों के लिये वही पसंद करो जो अपने लिये पसंद करते हो तो मोमिन बन जाओगे। पड़ौसी के साथ नेक सुलूक करो तो मुस्लिम बन जाओगे। बहुत ज़्यादा न हँसा करो क्योंकि ज़्यादा हँसना इंसान के दिल को मुर्दा कर देता है।

4218. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तदब्बुर (ग़ौरो-फ़िक्र) के बराबर कोई अ़क़्लमंदी नहीं, हराम से बचने से ज़्यादा कोई परहेज़गारी नहीं और आदमी के अगर अख़्लाक़ अच्छे हों तो उससे ज़्यादा कोई हसब-नसब क़ाबिले फ़ख़्र नहीं।

4219. हज़रत समुरह इब्ने जुन्दुब (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हसब माल है और शर्फ़ तक़वा है। **(तिर्मिज़ी-3271)**

4220. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको एक ऐसा कलिमा मालूम है या एक ऐसी आयत मालूम है कि अगर उस पर तमाम लोग अ़मल करें तो सबको काफ़ी हो। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो कौनसा कलिमा है? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, वो ये है **वमय्यत्तक़िल्लाह यजअ़ल्लहु मख़्रजा** (जो कोई अल्लाह से ख़ौफ़ खाता रहेगा अल्लाह उसके लिये हर मुश्किल से निकलने की राह बना देता है-सूरह तलाक़ : 2)
(नसाई फ़िल्कुब्रा-11603)

लोगों की तारीफ़ करना कैसा है?

4221. हज़रत अबू ज़ुहैर सक़फ़ी (रज़ि.) कहते हैं, मक़ामे नबावह में या मक़ामे बनावह में हुज़ूर (ﷺ) ने ख़ुत्बे म फ़र्माया, अन्क़रीब ऐसा ज़माना आने वाला है कि जिसमें दोज़ख़ियों और जन्नतियों को तुम अलग-अलग पहचान लोगे। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसकी क्या सूरत है? आपने फ़र्माया, इंसान की तारीफ़ और बुराई के ज़रिए से, जिस मुसलमान की तुम लोग आपस में बुराई करोगे वो अल्लाह तआ़ला के नज़दीक भी बुरा होगा और जिसकी तुम अच्छाई करोगे वो अल्लाह तआ़ला के नज़दीक भी अच्छा होगा। **(मुस्नद अहमद)**

4222. हज़रत कुलसुम ख़ुज़ाई (रज़ि.) कहते हैं, एक शख़्स हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे ऐसा तरीक़ा बतलाइये कि जिसके करने से मुझको ये मालूम हो जाया करे कि फ़लाँ काम मैंने नेक किया और फ़लाँ काम मैंने बुरा किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तेरा पड़ौसी तेरे जिस काम को अच्छा समझे और

अच्छा कहे उसको तू अच्छा और नेक ख़्याल कर और जिस काम को वो बुरा कहे उसको तू भी गुनाह ख़्याल कर (कि मैंने गुनाह किया)।

4223. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये फ़र्माइये कि मुझको ये कैसे इल्म हो कि फ़लाँ काम मैंने अच्छा किया और फ़लाँ काम मैंने गुनाह का किया। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसको तुम्हारा पड़ौसी अच्छा कहे और उसको अच्छा कहते सुनो वो काम नेक है और जिस काम के बारे में अपने पड़ौसी को बुरा कहते सुनो वो काम समझ लो कि बुरा और गुनाह है। **(मुस्नद अहमद)**

4224. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिस शख़्स के कान लोगों से अपनी तारीफ़ सुनते-सुनते भर जायें वो जन्नती है और जिस शख़्स के कान लोगों से अपनी बुराई सुनते-सुनते भर जायें वो दोज़ख़ी है। (यानी इंसान को अपनी अच्छाई-बुराई के बारे में इस तौर पर मालूम करना चाहिये कि ग़ायबाना तहक़ीक़ करे कि उसके बारे में लोगों का क्या ख़्याल है जिसके बारे में लोगों का ख़्याल अच्छा है तो अपने आपको अच्छा समझे वरना बुरा ख़्याल करे)। **(तब्रानी-12787)**

4225. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, मैंने एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कुछ लोग सिर्फ़ अल्लाह की रज़ामंदी के लिये कोई अमल करते हैं लेकिन उसकी वजह से लोग उसको महबूब रखने लगते हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये (बात) मोमिन के लिये दुनिया ही में ख़ुशख़बरी होती है। **(मुस्लिम-2642)**

4226. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक शख़्स ने हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक अमल, ख़ास अल्लाह की रज़ामंदी के लिये किया (और उससे मेरी ग़र्ज़ किसी को दिखलाना या शौहरत हासिल करना न थी) लेकिन उस अमल की वजह से लोगों ने मेरी तारीफ़ की जो मैंने सुनी और जो मुझको अच्छी मालूम हुई (तो इसमें कुछ नुक़्सान है या नहीं) आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमको दो अज्र मिलेंगे, एक पौशीदगी का अज्र और दूसरा ऐलानिया का अज्र। **(तिर्मिज़ी-2384)**

निय्यत का बयान

4227. हज़रत उमर इब्ने ख़त्ताब (रज़ि.) का बयान है, मैंने हुज़ूर (ﷺ) को ख़ुत्बे में फ़र्माते सुना कि आमाल का दारोमदार निय्यत पर है। हर आदमी को उसकी निय्यत के मुताबिक़ जज़ा मिलेगी। जो शख़्स अल्लाह और उसके रसूल के लिये निय्यत करके हिजरत करेगा तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिये होगी और जिसकी निय्यत हिजरत से दुनिया कमाने की या किसी औरत के हासिल करने की होगी तो उसकी हिजरत उसी के लिये है जिसकी उसने निय्यत की थी। **(बुख़ारी-1, मुस्लिम-1907)**

4228. हज़रत अबू कब्शा अन्सारी (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, इस उम्मत की मिसाल चार शख़्सों की सी है। एक तो वो शख़्स जिसको अल्लाह ने माल और इल्म दिया। वो अपने माल में इल्म के मुताबिक़ अमल करता है, उसे जाइज़ जगह पर ख़र्च करता है। दूसरा शख़्स वो है जिसको अल्लाह तआला ने इल्म दिया लेकिन माल नहीं दिया। वो कहता है कि अगर मेरे पास भी उस शख़्स की तरह माल होता तो मैं भी ऐसे ही अमल करता जिस तरह पहला अमल कर रहा था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, सवाब में ये दोनों बराबर हैं। तीसरा शख़्स वो है, जिसको अल्लाह तआला ने माल दिया और इल्म नहीं दिया, चुनाँचे वो अपने माल को अंधाधुंध ख़र्च करता है, (यानी) नाजाइज़ जगहों

पर ख़र्च करता है। और चौथा वो शख़्स है, जिसे अल्लाह ने न माल दिया न इल्म दिया। लेकिन उसकी निय्यत ये है कि अगर मेरे पास माल होता तो मैं भी उस तीसरे (बुरे मालदार) शख़्स की तरह अमल करता। ये दोनों शख़्स गुनाह में बराबर हैं। **(मुस्नद अहमद)**

हज़रत अबू कब्शा अन्सारी (रज़ि.) एक और रिवायत बयान करते हैं, इस रिवायत का भी यही मज़्मून है कुछ फ़र्क़ नहीं।

4229. हजरत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन लोगों को उनकी निय्यत के मुताबिक़ उठाया जायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

4230. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों को उनकी निय्यतों के मुताबिक़ (क़ब्रों से) उठाया जायेगा। **(मुस्लिम-2878)**

इंसान की आरज़ू और उम्र का बयान

4231. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने एक चौकोर शक्ल का ख़त खींचा। फिर उसके दरम्यान में एक ख़त कुछ ऊपर को निकलता हुआ खींचा और उसके दरम्यानी ख़त के दोनों पहलुओं में आपने बहुत से ख़त खींचे। इस तरह उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग जानते हो ये क्या चीज़ है। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही इसको ख़ूब जानता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दरम्यानी इंसान है और जो ख़त उसके दोनों तरफ़ (बारीक-बारीक) खींचे हुए हैं, वो इंसान की बीमारियाँ और तकलीफ़ें हैं जो उस पर आती जाती रहती हैं और ये चौकोर शक्ल का ख़त जो इंसान को घेरे हुए है वो उसकी उम्र है और जो इस ख़त से बाहर निकला हुआ है वो इंसान की आरज़ू है। **(बुख़ारी-6417)**

4232. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपनी गुद्दी तक इशारा करके फ़र्माया, ये इब्ने आदम है। फिर कुछ हाथ फैलाकर फ़र्माया, ये उसकी उम्र है। फिर हाथ से तवील इशारा करके फ़र्माया, उसकी आरज़ू है। **(तिर्मिज़ी-2334)**

तश्रीह : हदीस का ये मतलब है कि पहले इशारे में हुज़ूर (ﷺ) ने इशारे से इंसान के क़द को बतलाया, दूसरे से उसकी उम्र को तीसरे से जो तवील था उसकी आरज़ू को। जिससे इशारा हुआ कि इंसान की इतनी उम्र नहीं जितनी बड़ी इंसान की आरज़ू होती है।

4233. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, बूढ़े आदमी का दिल दो चीज़ों के लिये जवान होता है एक माल की आरज़ू में दूसरा उम्र के लम्बी होने में।

4234. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, आदमी तो बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी दो बातें जवान रहती हैं, एक उम्र का लालच और दूसरा माल का लालच। **(मुस्लिम-1047)**

4235. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर इंसान के पास दो जंगल भरा माल हो तब भी उसको तमन्ना रहेगी कि एक और मैदान माल का भरा हुआ मिल जाता। मिट्टी (क़ब्र) के अलावा इंसान के दिल को कोई चीज़ नहीं भर सकती। लेकिन अल्लाह तआला जिसको चाहता है इस लालच से बचा लेता है।

4236. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के ज़्यादातर लोगों की उम्र साठ से लेकर सत्तर तक होंगी और उससे ज़ायद उम्र वाले लोग मेरी उम्मत में बहुत कम होंगे। **(तिर्मिज़ी-3550)**

नेक अमल पर हमेशगी इख़्तियार करने का बयान

4237. हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) का बयान है, उस ज़ात की क़सम। जिसने हुज़ूर (ﷺ) को वफ़ात दी कि आप अपनी वफ़ात के वक़्त तक बैठकर नमाज़ अदा फ़र्माते रहे और आपको वो अ़मल बहुत पसंद था जो हमेशा किया जाये अगरचे वो थोड़ा ही क्यों न हों।

4238. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं कि एक रोज़ मेरे पास एक औरत बैठी हुई थी कि इतने में हुज़ूर (ﷺ) तशरीफ़ ले आये। आपने फ़र्माया, ये कौन है? मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये ऐसी औरत है जो रात को (इबादत की वजह से सोती नहीं)। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ठहरो! अ़मल इतना ही करो जितना तुममें करने की ताक़त हो, अल्लाह की क़सम! तुम लोग अ़मल से थक जाओगे, अल्लाह तआला सवाब देने से नहीं थकता है। हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) को वो अ़मल बहुत पसंद था जा हमेशा किया जाता ख़्वाह वो थोड़ा ही सा क्यों न हो।
(मुस्लिम-785)

4239. हज़रत हन्ज़ला कातिब तमीमी उसैदी (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) ने हमारे सामने जन्नत और दोज़ख़ का ज़िक्र इस तौर से बयान फ़र्माया कि उन दोनों का नक़्शा हमारी आँखों के सामने आ गया। लेकिन जब मैं वहाँ से उठकर घर आया तो बच्चों-बीवी से हँसने बोलने लगा। उसके बाद मुझे अपनी उसी हालत का ख़याल आया जो हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में थी। उसको याद करके फ़ौरन हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और आपसे अ़र्ज़ किया, मैं तो मुनाफ़िक़ हो गया। अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने फ़र्माया, क्यों क्या हुआ ? मैंने अपनी दोनों हालतों को बयान किया। उन्होंने फ़र्माया, मेरी भी यही हालत है। उसके बाद हन्ज़ला (रज़ि.) हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और आपसे अ़र्ज़ किया, आपने फ़र्माया, हन्ज़ला अगर तुम एक ही हालत पर जो मेरे पास होती है, रहो तो तुमसे फ़रिश्ते मुसाफ़ा करने लगें ख़्वाह तुम बिस्तरों पर हो या गलियों और कूचों में चल रहे हो। लेकिन हन्ज़ला वक़्त-वक़्त की बात है। **(मुस्लिम-2750)**

4240. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग इतना अ़मल किया करो जितना तुमसे हो सके क्योंकि वही अ़मल बेहतर होता है जो इंसान हमेशा कर सके अगरचे वो थोड़ा ही सा हो। **(मुस्नद अहमद)**

4241. हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने मक्का की तरफ़ जाते हुए एक शख़्स को देखा जो पत्थर की एक चट्टान पर खड़ा हुआ नमाज़ अदा कर रहा था। थोड़े अ़र्से के बाद हुज़ूर (ﷺ) उधर से वापस तशरीफ़ लाये तो उस वक़्त भी उस शख़्स को वैसे ही नमाज़ पढ़ते देखा। आपने अपने दोनों हाथों को मिलाकर फ़र्माया, लोगों तुम अ़मल करने में बीच का तरीक़ा इख़्तियार करो। क्योंकि अल्लाह तआला सवाब देने से तो हर्गिज़ नहीं घबरायेगा लेकिन तुम अ़मल करते-करते घबरा जाओगे और तुमसे अ़मल न हो सकेंगे।

गुनाहों का बयान

4242. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, हमने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम लोगों से ज़मान-ए-जाहिलियत के गुनाहों के बारे में भी पूछताछ? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसने मुसलमान होकर अच्छे अ़मल

किये उससे ज़मान-ए-जाहिलियत के किसी क़िस्म के गुनाह की पकड़ नहीं होगी और अगर उसने इस्लाम में भी बुरे काम किये हैं तो उससे दोनों ज़मानों के कामों का मुवाख़िज़ा होगा और दोनों में पकड़ा जायेगा।

(बुख़ारी-6921, मुस्लिम-120)

4243. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जिन गुनाहों को तुम हक़ीर और कुछ भी नहीं ख़याल करते उनसे भी परहेज़ करो। **(मुस्नद अहमद)**

4244. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मोमिन कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक काला धब्बा पैदा हो जाता है। अगर वो फिर उस गुनाह को करता है तो वो काला धब्बा बढ़ता रहता है और बढ़ते-बढ़ते उसके तमाम दिल को घेर लेता है, इस का नाम क़ुर्आन मजीद में (रान) रखा गया है। अल्लाह तआला फ़र्माता है, **क़ल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यकसिबून.** (यूँ नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके आमाल की वजह से रंग चढ़ गया है)।

4245. हज़रत सौबान (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो क़यामत के दिन तिहामा पहाड़ के बराबर नेक आमाल लेकर आयेंगे लेकिन अल्लाह तआला उनको ग़ुबार की तरह उड़ा देगा। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम से उन लोगों का कुछ साफ़-साफ़ हाल बयान फ़र्मा दीजिये ताकि हम लोग ऐसे न बन जायें। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, वो लोग तुममें से ही होंगे। तुम्हारी क़ौम के होंगे, रात को ख़ूब इबादत किया करेंगे लेकिन उनमें ये बात भी मौजूद होगी कि तन्हाई में बुरे कामों के मुर्तकिब होंगे और लोगों के सामने शर्माकर उन कामों को नहीं करेंगे।

4246. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) से दरयाफ़्त किया गया, अक्सर लोग जन्नत में कौनसे अमल की वजह से दाख़िल होंगे? आपने फ़र्माया, ख़ौफ़े ख़ुदा और हुस्ने अख़्लाक़ की वजह से। फिर अर्ज़ किया गया, दोज़ख़ में कसरत से जाने की वजह कौनसी है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मुँह और शर्मगाह (ये दोनों चीज़ें) दोज़ख़ का सबब हैं। **(तिर्मिज़ी-2004)**

तौबा का बयान

4247. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला तुम्हारी किसी तौबा से ऐसा ख़ुश होता है जिस तरह तुममें से कोई अपनी गुमशुदा चीज़ के मिलने से ख़ुश हो। **(मुस्लिम-2675)**

4248. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर तुम लोगों से कोई शख़्स इस क़द्र गुनाह करे कि वो आसमान तक पहुँच जायें और फिर वो शख़्स तौबा करे तो अल्लाह तआला उनको माफ़ कर देगा। **(मुस्नद अहमद)**

4249. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला अपने बन्दे की तौबा से इस क़द्र ख़ुश होता है जितना तुममें से वो शख़्स अपने ऊँट के मिलने से ख़ुश हो कि उसका ऊँट एक बियाबान जंगल में गुम हो गया और वो उसकी तलाश करते-करते थककर एक मक़ाम पर आकर चादर ओढ़कर लेट गया। (इस ख़याल से कि अब सिवाय मरने के कोई चारा नहीं क्योंकि खाना पीना उसी ऊँट पर था) लेकिन वो उसी हालत में था कि उसको अपने ऊँट की आवाज़ सुनाई दी और अपने मुँह से चादर अलग करके देखा तो ऊँट उसके सामने खड़ा था। **(मुस्नद अहमद)**

4250. हज़रत अबू उबैदा इब्ने अ़ब्दुल्लाह (रज़ि.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, हुज़ूरे करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, गुनाह करके तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। **(बैहक़ी)**

4251. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, आदम के तमाम बेटे गुनाहगार हैं, लेकिन वो गुनाहगार अच्छे हैं जो तौबा करते रहते हैं। **(तिर्मिज़ी-2499, हाकिम)**

4252. हज़रत इब्ने मअ़क़िल (रह.) का बयान है कि एक रोज़ मैं अपने वालिद के साथ हज़रत अ़ब्दुल्लाह की ख़िदमत में गया तो आप फ़र्मा रहे थे, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (गुनाह से) नदामत (गुनाहों पर शर्मिंदा होना) तौबा है। मेरे वालिद ने अ़ब्दुल्लाह से कहा, क्या आपने ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) से सुना है कि नदामत तौबा है। उन्होंने कहा कि, हाँ! मैंने अपने कानों से सुना था। **(मुस्नद अहमद)**

4253. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला बन्दे की तौबा उस वक़्त तक क़ुबूल फ़र्माता है जब तक कि उसकी रूह हलक़ में नहीं पहुँची है (लेकिन जब साँस हलक़ में आ गया तो तौबा क़ुबूल नहीं होती)। **(तिर्मिज़ी-3537)**

4254. हज़रत इब्ने मस्ऊ़द (रज़ि.) का बयान है, मैं एक मर्तबा हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अजनबी औ़रत का बौसा ले लिया, इसका क्या कफ़्फ़ारा होगा? ये सुनकर हुज़ूर (ﷺ) ख़ामोश हो गये। इतने में अल्लाह तआ़ला ने ये आयत नाज़िल फ़र्माई, **दिन के किनारों में और रात की घड़ियों में नमाज़ क़ायम कीजिये। बेशक नेकियाँ गुनाहों को ख़त्म कर देती है।** उस शख़्स ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये हुक्म मेरे ही लिये ख़ास है या आ़म है। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, ये हुक्म हर शख़्स के लिये है। मेरी उम्मत में से जो शख़्स गुनाह करके और नेकियाँ करेगा सुबह और शाम नमाज़ पढ़ेगा उसके गुनाह मिट जायेंगे।

4255. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, पहले ज़माने में एक शख़्स बहुत गुनाहगार था। जब उसके मरने का वक़्त आया तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, जब मैं मर जाऊँगा तो मुझको जलाना और फिर पीस कर उसकी ख़ाक को समन्दर पर तेज़ हवा में उड़ा देना क्योंकि अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया तो ऐसा अ़ज़ाब देगा कि ऐसा अ़ज़ाब किसी को न दिया होगा। अल्ग़र्ज़ जब वो मर गया तो उसके साथ उसके बेटों ने एसा ही किया। अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन को उसके बदन के हिस्सों को जमा करने का हुक्म दिया (ज़मीन ने हुक्म की तामील की) इस तरह उसको अल्लाह के सामने खड़ा होना पड़ा। फ़र्माने इलाही हुआ कि तूने ये काम क्यों किया? उसने अ़र्ज़ किया, ऐ मेरे रब! तेरे डर की वजह से। चुनाँचे अल्लाह तआ़ला ने उसको बख़्श दिया। **(बुख़ारी-3481, मुस्लिम-2756)**

4256. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, एक औ़रत दोज़ख़ में सिर्फ़ एक बिल्ली की वजह से गई क्योंकि न वो उसको खाना देती न छोड़ती कि वो बेचारी ज़मीन के कीड़े-मकौड़े खा लेती, यहाँ तक कि वो मर गई। हज़रत इमाम ज़ुहरी (रह.) कहते हैं कि इन दोनों हदीसों से ये मतलब है कि किसी शख़्स को अपने अ़मल पर भरोसा न करना चाहिये और अल्लाह की रहमत से भी नाउम्मीद न होना चाहिये।

4257. हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, तुम सबके सब गुनाहगार हो। लेकिन जिसको मैं गुनाह से महफ़ूज़ रखूं तो वो महफ़ूज़ रह सकता है। तुम मुझसे बख़्शिश चाहो मैं तुमको बख़्श दूंगा। जो कोई शख़्स मुझसे ये समझकर बख़्शिश चाहता है कि मुझमें बख़्शने (और माफ़) करने की ताक़त है तो मैं उसको अपनी क़ुदरत से बख़्श देता हूँ। ऐ मेरे बन्दो! तुम सबके सब गुमराह हो लेकिन जिसको मैं हिदायत बख़्श

दूँ। लिहाज़ा तुम हिदायत चाहो मैं तुमको हिदायत अता करूंगा। तुम सब मुहताज हो, लेकिन जिसको मैं मालदार करूं वो मालदार है। तुम मुझसे तलब करो, मैं तुमको रोज़ी इनायत करूंगा। अगर तुम्हारे अगले-पिछले, तरी वाले, ख़ुश्की वाले, सबके सब दुनिया में सबसे बड़े आबिद-ज़ाहिद की तरह हो जायें तो भी मेरी सल्तनत में मच्छर के एक पर की बराबर भी ज़्यादती नहीं हो सकती और अगर तुम्हारे मुर्दे-ज़िंदे, अगले-पिछले, जिन्न व इन्सान, शजर-हजर सबके सब उस शख़्स की तरह बदबख़्त हो जायें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बदबख़्त था तो भी मेरी सल्तनत में मच्छर के पर के बराबर भी कोई कमी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारे मुर्दा-ज़िंदा, जिन्न-इन्सान सब आरज़ू करें जहाँ तक कि उनकी आरज़ू हो सकती है और मैं उन सबको अता करूं। तो मेरे ख़ज़ाने में कुछ भी कमी न होगी और अगर कुछ होगी तो इतनी कि जिस क़द्र तुममें से कोई समन्दर पर गुज़रते हुए अपनी सूई डुबो ये ओर उसमें जितना पानी लगे और उसकी वजह ये है कि मैं बख़्शिश करने वाला हूँ। मुझे बख़्शिश के लिये किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं बस मैंने कह दिया कि हो जा तो वो हो जाती है। **(तिर्मिज़ी-2495)**

मौत की याद और उसके लिये तैयारी

4258. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, लज़्ज़तों को मिटाने वाली चीज़ को बहुत याद करो यानी मौत को। **(तिर्मिज़ी-2307)**

4259. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मैं हुज़ूर (ﷺ) के साथ जा रहा था कि इतने में हुज़ूर (ﷺ) के सामने एक अन्सारी शख़्स आकर अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मोमिनों में कौन शख़्स अफ़ज़ल है? आपने फ़र्माया, जिसके अख़्लाक़ उम्दा हों। फिर उसने अर्ज़ किया, उनमें सबसे ज़्यादा अक़्लमंद कौन है? आपने फ़र्माया, जो मौत को हर वक़्त याद रखता हो और उसके लिये अच्छे तौर पर तैयारी करता हो वही सबसे ज़्यादा अक़्लमंद है। **(हाकिम)**

4260. हज़रत शद्दाद इब्ने औस (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अक़्लमंद वो शख़्स है जो अपने नफ़्स को अपना ताबेदार बना ले और मौत के बाद आने वाली ज़िन्दगी के लिये अमल करे और बेवक़ूफ़ शख़्स वो है जो नफ़्स की ख़्वाहिश पर चले और फिर ये कहे कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है वो बख़्शने वाला है। **(तिर्मिज़ी-2459)**

4261. हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) एक शख़्स की इयादत को तशरीफ़ ले गये जो नज़अ की हालत में था। आपने उससे फ़र्माया, कहो क्या हालत है? उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझको अल्लाह की रहमत से बख़्शिश की उम्मीद है लेकिन मुझे अपने गुनाहों से ख़ौफ़ भी मालूम होता है। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, मरते वक़्त जिस शख़्स से ये दोनों बातें (यानी ख़ौफ़ व उम्मीद) जमा होंगी तो अल्लाह तआला उसको वही अता फ़र्मायेगा जिसकी उसको उम्मीद होगी और उससे महफ़ूज़ रखेगा जिससे उसको ख़ौफ़ होगा। **(तिर्मिज़ी-983)**

4262. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, मय्यित के पास रूह निकलते वक़्त फ़रिश्ते आते हैं। अगर वो मोमिन की रूह है तो उससे कहते हैं, ऐ पाक रूह! पाक जिस्म से निकल। क्योंकि तू नेक है अल्लाह तआला की रहमत से ख़ुश हो जा और (जन्नत) की ख़ुश्बू और अपने रब की रज़ामंदी की (ख़ुशियाँ मना)। फ़रिश्ते उस रूह के निकलने तक यही कहते रहते हैं। जब रूह निकल जाती है तो फ़रिश्ते उसको लेकर आसमान की तरफ़ चढ़ते हैं और जब आसमान के क़रीब पहुँचते हैं तो आसमान के फ़रिश्ते कहते हैं, ये कौन शख़्स है? ये फ़रिश्ते जवाब देते हैं, फ़लाँ शख़्स की रूह है। ये सुनकर वो लोग कहते हैं, मरहबा! ऐ पाक नफ़्स, जो पाक बदन में था। अंदर आने के साथ और तुझको अल्लाह की रज़ामंदी और ख़ुश्बू (जन्नत) से ख़ुश हो जाना चाहिये क्योंकि अब तेरा मालिक तुझ पर ख़फ़ा

नहीं है। हर आसमान पर यही बातचीत होती है यहाँ तक कि रूह अर्श तक पहुँच जाती है। और अगर मरने वाला बुरा आदमी हो तो फ़रिश्ते कहते हैं, ऐ नापाक जिस्म की रूह! बुरी हालत के साथ निकल आना और गर्म पानी और पीप की ख़ुशी हासिल कर। उससे यही गुफ़्तगू होती रहती है तो उसको आसमान की तरफ़ लेकर चढ़ते हैं। लेकिन आसमान का दरवाज़ा उसके लिये नहीं खोला जाता। आसमान के फ़रिश्ते कहते हैं कि ये कौन है? मौत के फ़रिश्ते कहते हैं, ये फ़लाँ शख़्स की रूह है (जो ज़मीन से यहाँ लाई गई है)। आसमान के फ़रिश्ते कहते हैं कि ऐसे नापाक नफ़्स के लिये आसमान के दरवाज़े नहीं खुलते हैं। अल्ग़र्ज़ ये फ़रिश्ते आसमान पर से उस रूह को नीचे छोड़ देते हैं वो अपनी क़ब्र में लौट आती है और वहीं उसको अज़ाब होता रहता है। **(मुस्नद अहमद)**

4263. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, लोगों में से जब किसी शख़्स की मौत किसी ख़ास मक़ाम पर आना मुक़द्दर होती है तो अल्लाह तआला वहाँ उसकी कोई न कोई हाजत पैदा कर देता है। जब वो उस हाजत के लिये उस मक़ाम तक पहुँच जाता है तो वहाँ उसकी रूह क़ब्ज़ कर ली जाती है। क़यामत के रोज़ ज़मीन कहेगी, ऐ मेरे रब! तेरी ये अमानत मेरे पास मौजूद है।

4264. उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह तआला की मुलाक़ात को पसंद करता है, अल्लाह तआला भी उसकी मुलाक़ात को पसंद करता है। और जो शख़्स अल्लाह की मुलाक़ात को बुरा समझता है, अल्लाह तआला भी उसकी मुलाक़ात को बुरा समझता है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला की मुलाक़ात को बुरा समझना तो यूँ होगा कि मौत को बुरा ख़्याल करें। लेकिन मौत को हममें से हर शख़्स बुरा ख़्याल करता है और उससे घबराता है। (लिहाज़ा) इस लिहाज़ से हम सब बुरे हुए। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, (ये मरते वक़्त की कैफ़ियत है) जब बन्दे को मग़्फ़िरत और रहमत की ख़बर दी जाती है तो बन्दा अल्लाह की मुलाक़ात को पसंद करता है और जब उसको अल्लाह तआला के अज़ाब की ख़बर दी जाती है तो वो उसकी मुलाक़ात को बुरा ख़्याल करता है। **(मुस्लिम-2684)**

4265. हज़रत आइशा (रज़ि.) कहतीं हैं, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोगों में से किसी को तक्लीफ़ की वजह से मौत की आरज़ू न करना चाहिये। अगर मौत की ख़्वाहिश किये बग़ैर नहीं रह सकते तो इस तरह कहो, ऐ अल्लाह! अगर मेरी ज़िंदगी बेहतर है तो मुझको ज़िंदा रख और अगर मेरी मौत बेहतर है तो मुझको मार डाल। **(अबू दाऊद-3108)**

क़ब्र और जिस्म के सड़-गल जाने का बयान

4266. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, इंसान की हर चीज़ सिवाय रीढ़ की हड्डी के गल जाती है। **(बुख़ारी-4935, मुस्लिम-2955)**

4267. हज़रत हानी बरबरी (रह.) जो हज़रत उस्मान (रज़ि.) के आज़ादशुदा ग़ुलाम थे, कहते हैं कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) क़ब्र को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोग आप से कहते कि ये क्या बात है कि जन्नत और दोज़ख़ के ज़िक्र से आप इस क़द्र नहीं रोते जिस क़द्र आप क़ब्र को देखकर रोते हैं? हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) फ़र्माने लगे कि मैंने आँहज़रत (ﷺ) से सुना था कि क़ब्र आख़िरत की पहली मंज़िल है जिसने उससे नजात पाई आइन्दा उसके लिये आसानी होगी। और जिसने उस मंज़िल में आसानी न पाई बल्कि सख़्ती रही तो आइन्दा, उसके लिये सख़्ती ही रहेगी। हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने फ़र्माया, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया , मैंने जितनी हौलनाक चीज़ें देखी हैं उन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा हौलनाक चीज़ क़ब्र है। **(तिर्मिज़ी-2308)**

4268. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जब मुर्दा क़ब्र में दाख़िल कर दिया जाता है तो अगर वो मोमिन और नेक है तो उसके पास (दो फ़रिश्ते आकर उससे सवाल करते हैं)। उसे कोई घबराहट और परेशानी नहीं होती है। उससे पूछा जाता है, दुनिया में तू किस दीन पर था ? वो कहता है कि दीने इस्लाम पर। वो कहते हैं, इस शख़्स के बारे में तेरा क्या ख़्याल है? वो कहता है, ये मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह के रसूल है। हमारे पास अल्लाह की तरफ़ से वाज़ेह दलाइल लेकर आये थे, हमने आपकी तस्दीक़ की थी। उसके बाद सवाल होता है कि क्या तूने अल्लाह को देखा है? वो कहता है कि भला अल्लाह को कौन देख सकता है? तब उसके लिये दोज़ख़ की तरफ़ से एक दरीचा खोल दिया जाता है, उस दरीचे से उसको दोज़ख़ नज़र आती है कि उसकी बाज़ आग बाज़ आग को खा रही है। उससे कहा जाता है कि अल्लाह तआला ने तुझको इससे पनाह में रखा (उसका शुक्र कर)। फिर उसके बाद जन्नत की तरफ़ से एक दरीचा खोला जाता है और वो उसकी तरोताज़गी और लताफ़त को देखता है। उससे कहा जाता है कि ये तेरा मक़ाम है। तू दुनिया में भी यक़ीन और ईमान पर था (यहाँ) भी यक़ीन पर है और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी यक़ीन और ईमान पर उठेगा और अगर वो शख़्स बुरा होता है तो निहायत घबराहट और परेशानी की हालत में उठाकर बिठाया जाता है और उससे सवाल होता है कि तू दुनिया में किस दीन पर था? (और तेरा मज़हब क्या था) उसके जवाब में वो कहता है, मुझे नहीं मालूम। फिर सवाल होता है, इस शख़्स के बारे में तू क्या कहता है? वो कहता है, जो और लोगों को मैंने कहते सुना वही मैंने भी कहा। तब उसके लिये जन्नत की तरफ़ से एक दरीचा खोल दिया जाता है और कहा जाता है, तेरा ये मक़ाम था अल्लाह तआला ने तुझको महरूम कर दिया। उसके बाद दोज़ख़ की तरफ़ से खिड़की खोली जाती है, ये उसकी आग को देखता है कि एक हिस्सा दूसरे को खा रहा है उससे कहा जाता है कि ये तेरा मक़ाम है।

4269. हज़रत बराअ इब्ने आज़िब (रज़ि.) का बयान है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये आयते शरीफ़ा क़ब्र के अज़ाब के बारे में नाज़िल हुई है, **ईमान वालों को अल्लाह तआला पक्की बात के साथ मज़बूत रखता है.** (सूरह इब्राहीम : 28)। जब क़ब्र में ईमान वाले से सवाल होता है कि तेरा रब कौन है? तो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह तआला है और मेरे नबी मुहम्मद (ﷺ) हैं। उसके बारे में ये फ़र्मान है, **ईमान वालों को अल्लाह तआला पक्की बात के साथ मज़बूत रखता है, दुनिया की ज़िन्दगी में भी और आख़िरत में भी.** (सूरह इब्राहीम : 28)।

(बुख़ारी-1369, 4699, मुस्लिम-2955)

4270. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब तुम लोगों में से कोई फ़ौत हो जाता है तो क़ब्र में उसको उसका मक़ाम दिखाया जाता है। अगर वो जन्नती है तो जन्नत दिखाई जाती है और अगर दोज़ख़ी है तो दोज़ख़ दिखाई जाती है और कहा जाता है, ये तेरा ठिकाना है जब क़यामत के दिन तू उठेगा। **(तिर्मिज़ी-1072)**

4271. हज़रत अब्दुर्रहमान बिन कअब अन्सारी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन की रूह एक परिन्दे की शक्ल में जन्नत के अंदर चरती रहती है। क़यामत के दिन उसको उसके जिस्म में दाख़िल करके उठाया जायेगा।

4272. हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं, जब मय्यित को क़ब्र में उठाया जाता है तो उसको सूरज डूबता नज़र आता है। वो कहता है, ज़रा ठहरो मुझको नमाज़ पढ़ लेने दो। **(हाकिम)**

हश्र का बयान

4273. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, सूर फूंकने वाले फ़रिश्तों के हाथ में दो नरसींगे (बिगुल) हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि कब उनको सूर फूंकने का हुक्म होता है।

4274. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं कि एक रोज़ बाज़ार में एक यहूदी कह रहा था, उस ज़ात की क़सम! जिसने मूसा को तमाम मख़्लूक़ से अफ़ज़ल बनाया है। एक अन्सारी को ये सुनकर (ग़ुस्सा आया) और उसने उस यहूदी के एक चपत लगाकर कहा, हम में अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी मौजूद हैं और तू ये क्या कह रहा है? इसका ज़िक्र हुज़ूर (ﷺ) के सामने आया। आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला का फ़र्मान है, **और सूर फूंका जायेगा आसमान और ज़मीन वाले सब बेहोश हो जायेंगे मगर जिसे अल्लाह चाहेगा वो बेहोश न होगा। जब दोबारा सूर फूंका जायेगा तो वो एकदम खड़े होकर देखने लगेंगे.** (सूरह ज़ुमर : 68)। (हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया), लोग उठेंगे तो सबसे पहले मैं सर उठाकर देखूंगा तो उस वक़्त हज़रत मूसा (अलै.) अर्श का पाया पकड़े खड़े होंगे। अब मैं नहीं कह सकता कि मूसा (अलै.) मुझसे पहले होश में आयेंगे या उन लोगों में हैं जिनको अल्लाह तआला बेहोश नहीं करेगा। जो शख़्स मुझको यूनुस इब्ने मत्ता (अलै.) पर फ़ज़ीलत दे वो बिल्कुल झूठा है। **(तिर्मिज़ी-3245)**

4275. हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ये फ़र्माते सुना, (क़यामत के दिन) अल्लाह तआला ज़मीन और आसमान को अपनी मुट्ठियों में करेगा। आपने अपनी मुट्ठी बंद कर ली फिर खोली और फ़र्माया, उसके बाद इर्शाद होगा कि मैं बादशाहे जब्बार हूँ। कहाँ हैं बादशाही और जब्बारी का दावा करने वाले मुतकब्बिर? (हुज़ूर ये फ़र्माते जाते और) अपने दायें-बायें घूमते जाते यहाँ तक कि मिम्बर भी हरकत में था जिसकी वजह से मुझे ख़्याल होता था कि कहीं मिम्बर आपको लेकर न गिर पड़े।

4276. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़यामत के दिन लोग किस हालत में उठाये जायेंगे? आपने फ़र्माया, नंगे पाँव, नंगे बदन होंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! औरतें भी ऐसी ही होंगी? आपने फ़र्माया, औरतें भी इसी सूरत में होंगी। मैंने अर्ज़ किया, उस रोज़ लोगों को शर्म नहीं आएगी? आपने फ़र्माया, आइशा! वो दिन ऐसा सख़्त होगा कि किसी को किसी की ख़बर नहीं होगी। सब अपनी-अपनी फ़िक्र में मुब्तला होंगे। **(बुख़ारी-6567, मुस्लिम-2859)**

4277. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन लोग तीन मर्तबा अल्लाह तआला के सामने पेश किये जायेंगे। दो पेशियों में तो बहस-मुबाहिसा और मअज़रतें होंगी। तीसरी पेशी में हर एक की किताब उड़-उड़कर हर एक के हाथ में आ जायेगी। किसी के दाहिने हाथ में और किसी के बायें हाथ में। **(मुस्नद अहमद)**

4278. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने इस आयते करीमा की तिलावत फ़र्माई, **जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे.** (सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन : 6)। और फ़र्माया, आदमी आधे कानों तक पसीने में खड़ा होगा। **(बुख़ारी-6531, मुस्लिम-2862)**

4279. हज़रत आइशा (रज़ि.) का बयान है, मैंने आँहज़रत (ﷺ) से इस आयत की तफ़्सीर दरयाफ़्त की, **जिस दिन ये ज़मीन किसी और ज़मीन से बदल दी जायेगी और आसमान भी.** (सूरह इब्राहीम : 48)। उस वक़्त इन्सान कहाँ होंगे? आपने फ़र्माया, पुल सिरात पर होंगे। **(मुस्लिम-2791)**

4280. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, पुल सिरात जहन्नम के दोनों किनारों पर रखा जायेगा उसमें ऐसे काँटे होंगे जैसे सअदान के टेढ़े काँटे होते हैं। फिर लोग उस पर से गुज़रना शुरू होंगे, कुछ सलामती के साथ गुज़र जायेंगे और कुछ के आज़ा कटकर जहन्नम में गिर जायेंगे, कुछ चल ही न सकेंगे और कुछ

बिल्कुल जहन्नम में गिर जायेंगे और अपने गुनाहों की सज़ा पाकर उससे बाहर निकल आयेंगे। **(मुस्नद अहमद)**

4281. हज़रत हफ़्सा (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने एक रोज़ फ़र्माया, मुझको उम्मीद है इंशाअल्लाह जंगे उहुद और जंगे बद्र में शरीक होने वालों में से कोई शख़्स जहन्नम में नहीं जायेगा। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह तआला तो फ़र्माता है, **तुममें से हर शख़्स ज़रूर उस पर पहुँचेगा.** (सूरह मरयम : 81)। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उसके आगे तुमने नहीं पढ़ा है? अल्लाह तआला फ़र्माता है, **फिर हम सालेहीन को उससे नजात देंगे और ज़ालिमों को उसमें औंधा गिरा हुआ छोड़ देंगे.** (सूरह मरयम : 82)। **(मुस्नद अहमद)**

उम्मते मुहम्मदी की सिफ़ात

4282. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर शख़्स क़यामत के रोज़ मुझसे मुलाक़ात करेगा तो वुज़ू की वजह से तुम्हारे चेहरे और हाथ-पाँव चमकते होंगे। ये मेरी उम्मत की अलामत है जो किसी और उम्मत को हासिल नहीं। **(मुस्लिम-247)**

4283. हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) का बयान है, एक रोज़ हम लोग एक ख़ैमे में हुज़ूरे अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में बैठे हुए थे। आपने फ़र्माया, तुम लोग इससे ख़ुश होंगे या नहीं कि जन्नतियों में से चौथा हिस्सा तुम्हारा होगा? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम बहुत ख़ुश होंगे। तब हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! तुम्हारी तादाद अहले जन्नत में से आधी होगी। क्योंकि जन्नत में वही जायेगा जो मुसलमान होगा और मुश्रिकीन की बनिस्बत तुम्हारी तादाद उतनी है, जैसे स्याह बैल के जिस्म में एक सफ़ेद बाल हो या सुर्ख़ बैल के जिस्म में एक स्याह बाल हो। **(बुख़ारी-6528, मुस्लिम-221)**

4284. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब क़यामत का दिन होगा तो किसी नबी के साथ एक शख़्स मोमिन होगा, किसी के साथ दो ही आदमी होंगे। किसी के साथ तीन, किसी के साथ ज़्यादा किसी के साथ उससे कम। किसी नबी के साथ कोई न होगा। उससे इर्शाद होगा, तूने अपनी क़ौम को तब्लीग़ कर दी थी? वो अर्ज़ करेंगे, जी हाँ! कर दी थी। तब उनकी क़ौम को बुलाया जायेगा और उनसे दरयाफ़्त किया जायेगा। वो क़ौम उससे इंकार करेगी। तब अल्लाह तआला उससे फ़र्मायेगा, तुम्हारा गवाह कौन है? वो नबी अर्ज़ करेंगे, उम्मते मुहम्मदी और मुहम्मद (ﷺ)। उस वक़्त मुहम्मद (ﷺ) की उम्मत को बुलाया जायेगा और उनसे दरयाफ़्त किया, जायेगा कि फ़लाँ नबी ने अपनी उम्मत को तब्लीग़ कर दी थी? ये अर्ज़ करेंगे, जी हाँ! कर दी थी। उनसे सवाल होगा कि तुमको कैसे मालूम हुआ (क्योंकि तुम सब नबियों के बाद थे)? वो अर्ज़ करेंगे, हमसे हमारे नबी ने फ़र्माया था कि तमाम नबियों ने अपनी क़ौमों को तब्लीग़ कर दी थी और हमने अपने पैग़म्बर के लाये हुए की तस्दीक़ कर ली थी। लिहाज़ा इस आयत का यही मतलब है, **वकज़ालि-क जअलनाकुम उम्मतव्वसतम लितकूनू शुहदा अलन्नासि व यकूनुर्रसूलु अलयकुम शहीदा.** (और (जैसे हमने तुम्हें हिदायत दी) इसी तरह हमने तुम्हें अफ़ज़ल उम्मत बनाया ताकि लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल तुम पर गवाह हो)। **(बुख़ारी-3339)**

4285. हज़रत रिफ़ाआ जुहनी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, उस ज़ात की क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मुहम्मद की जान है! जो शख़्स ईमान लाकर ईमान पर क़ायम रहा वो जन्नत में दाख़िल होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो लोग (दूसरे नबियों के उम्मती) उस वक़्त तक दाख़िल नहीं होंगे जब तक कि तुम और तुम्हारी नेक औलादें जन्नत के घरों में न पहुँच जाये। और मेरे रब ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार आदमी

बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा। **(मुस्नद अहमद)**

4286. हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे मालिक ने मुझसे वादा किया है कि मेरी उम्मत के सत्तर हज़ार आदमी बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा न उनसे हिसाब लिया जायेगा और न उनको अ़ज़ाब दिया जायेगा। उसमें से हर हज़ार के साथ सत्तर हज़ार होंगे उनके अलावा मेरे मालिक की तीन मुट्ठियाँ होंगी (जिनको बख़्शा जायेगा)। **(तिर्मिज़ी-2437)**

4287. हज़रत बहज़ इब्ने हकीम (रह.) कहते हैं, उनके दादा ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम लोग सत्तर उम्मतों के ख़त्म करने वाले हो यानी तमाम उम्मतों का तुम पर इत्माम हुआ है। अल्लाह तआ़ला के नज़दीक तुम तमाम उम्मतों से अफ़ज़ल व आ़ला हो। **(तिर्मिज़ी-3001)**

4288. हज़रत बहज़ इब्ने हकीम (रह.) कहते हैं, उनके दादा ने बयान किया, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, तुमने सत्तर उम्मतों की तादादा को पूरा किया है। उनमें से तुम सबसे अफ़ज़ल और अल्लाह के यहाँ मुअ़ज़्ज़ज़ हो।

4289. हज़रत बुरैदा बिन हसीब अस्लमी (रज़ि.) से रिवायत है, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, (मैदाने हश्र में) अहले जन्नत की एक सौ बीस सफ़ें होंगी, उनमें से अस्सी इस उम्मत की होगी और चालीस सफ़ें बाक़ी तमाम उम्मतों की होंगी। **(तिर्मिज़ी-2646)**

4290. हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़ि.) बयान करते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, हम सब उम्मतों के आख़िर में तो हैं, लेकिन हिसाब में सबसे अव्वल होंगे। (क़यामत के दिन) आवाज़ दी जायेगी, कहाँ हैं उम्मी उम्मत और उनके नबी? लिहाज़ा हम बाद में आने वाले (जन्नत में दाख़िले के हिसाब से) सबसे मुक़द्दम हैं। **(मुस्नद अहमद)**

4291. हज़रत अबू मूसा अश्अ़री (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआ़ला क़यामत के रोज़ तमाम मख़्लूक़ को जमा फ़र्मा लेगा तो उम्मते मुहम्मदी को सज्दा करने का हुक्म होगा। ये उम्मत बहुत अ़र्से तक सज्दा करेगी हुक्म होगा कि सज्दे से सर उठाओ, हमने तुम्हारी तादाद के मुताबिक़ जहन्नमियों को तुम्हारा फ़िद्या बना दिया। **(मुस्लिम-2767)**

4292. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, ये उम्मत उम्मते मरहूमा है (इस पर रहमत नाज़िल की गई है)। इस पर अ़ज़ाब ख़ुद इसके हाथों से आयेगा। जब क़यामत का वक़्त होगा तो हर एक मुसलमान को एक काफ़िर देकर कहा जायेगा, ये तेरा दोज़ख़ का फ़िदया है।

क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला की रहमत की उम्मीद

4293. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला ने रहमत के सौ हिस्से किये हैं, उनमें से एक हिस्सा तो अपनी मख़्लूक़ को अ़ता किया जिसकी वजह से जानवर अपने बच्चों पर उल्फ़त और मुहब्बत करते हैं (और इंसान अपने बच्चों पर और दोस्तों वग़ैरह पर करते हैं)। वो 99 हिस्सा अपने पास रखे जो क़यामत के दिन अपने बन्दों पर सर्फ़ करेगा। **(मुस्लिम-2752)**

4294. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब अल्लाह तआ़ला ने आसमान और ज़मीन पैदा किये तो उस रोज़ सौ रहमतें पैदा फ़र्माईं, जिनमें से ज़मीन को एक हिस्सा अ़ता किया गया और 99 हिस्से रहमतें अपने पास रखीं। जब क़यामत का दिन होगा तो अपने बन्दों पर उनको सर्फ़ करेगा। सिर्फ़ इस एक हिस्सा रहमत

का असर है कि चरिन्दे-परिन्दे, दरिन्दे आपस में मुहब्बत और रहमत से पेश आते हैं। **(मुस्नद अहमद)**

4295. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, जब अल्लाह तआला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया तो उस वक़्त अपने लिये ये मुक़र्रर फ़र्माया कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब होगी।

4296. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) का बयान है कि एक रोज़ मैं एक गधे पर सवार था। हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र मेरे पास से हुआ। आपने मुझसे फ़र्माया, तुमको मालूम है अल्लाह का हक़ बन्दों पर क्या है और बन्दों का हक़ अल्लाह पर क्या है। मैंने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह और उसके रसूल ख़ूब जानते हैं। आपने फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला का हक़ बन्दों पर ये है कि उसके अ़लावा दूसरे की इबादत न करें और उसके साथ किसी को शरीक न बनायें और अल्लाह तआ़ला पर बन्दों का हक़ ये है कि जो लोग ऐसा करें तो उनको अ़ज़ाब न दे (उनके साथ रहमत से पेश आये)।
(तबरानी-274, मुस्नद अहमद)

4297. हज़रत इब्ने उ़मर (रज़ि.) का बयान है, एक जिहाद में हम लोग आँहज़रत (ﷺ) के साथ थे। हुज़ूर (ﷺ) का गुज़र कुछ लोगों के क़रीब से हुआ, उनमें एक औ़रत आग सुलगा रही थी। जब तंदूर आग से रोशन हो गया तो उस औ़रत का बच्चा जो क़रीब बैठा हुआ था, औ़रत ने उसे अलग कर दिया और हुज़ूर (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अ़र्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जितनी माँ अपने बच्चे पर रहम करती है अल्लाह तआ़ला उससे ज़्यादा अपने बन्दों पर रहम न करेगा। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! करेगा। उसने अ़र्ज़ किया, माँ तो अपने बच्चे को आग में नहीं डालती है (अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों को दोज़ख़ में कैसे डाल देगा)? हुज़ूर (ﷺ) ये सुनकर रोये और उसके बाद हुज़ूर (ﷺ) ने उसकी तरफ़ देखा और फ़र्माया, हाँ! अल्लाह तआ़ला अपने उन्हीं बन्दों को अ़ज़ाब देगा जिन्होंने उसकी नाफ़र्मानी की होगी और सरकशी पर कमर बांधी होगी और जिन्होंने ला इलाह इल्लल्लाह कहने से इंकार किया होगा।

4298. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ में वही शख़्स जायेगा जो बदनसीब होगा। लोगों ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बदनसीब कौन है? आपने फ़र्माया, जो शख़्स अल्लाह की फ़र्माबरदारी वाला कोई अ़मल नहीं करे और अल्लाह की नाफ़र्मानी वाला कोई अ़मल न छोड़े। **(मुस्नद अहमद)**

4299. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूल (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **वो इसी लायक़ है कि उससे डरें और इस लायक़ भी कि वो बख़्शे.** (सूरह मुद्दस्सिर : 56)। फिर इर्शाद फ़र्माया, अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है कि मैं इस लायक़ हूँ कि मुझसे डरा जाये और मेरे साथ कोई दूसरा मअ़बूद न बनाया जाये। जो शख़्स मेरे साथ दूसरा मअ़बूद बनाने से डर गया तो मैं इस लायक़ हूँ कि उसे बख़्श दूँ। **(तिर्मिज़ी-3328)**

हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने आयत, **वो इसी लायक़ है कि उससे डरें और इस लायक़ भी कि वो बख़्शे.** (सूरह मुद्दस्सिर : 56) की तफ़्सीर में फ़र्माया कि अल्लाह तआ़ला फ़र्माता है, मैं इस लायक़ हूँ कि मुझसे डरा जाये और मेरे साथ कोई दूसरा मअ़बूद न बनाया जाये। जो शख़्स मेरे साथ दूसरा मअ़बूद बनाने से डर गया तो मेरा हक़ बनता है कि मैं उसे बख़्श दूँ।

4300. हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उ़मर (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जब क़यामत का दिन होगा तो मेरी उम्मत के एक शख़्स को सब मख़्लूक़ात के सामने पुकारकर बुलाया जायेगा। उसको निन्यानवे (99) रजिस्टर खोलकर फैलाये जायेंगे। हर एक रजिस्टर इतना बड़ा होगा कि जहाँ तक नज़र पहुँचेगी। उस बन्दे से इर्शाद होगा, इसको पढ़ ले, और फ़र्मान होगा कि उनमें जो तेरे गुनाह लिखे हुए हैं उनमें से किसी का इन्कार करता है? वो अ़र्ज़ करेगा, नहीं!

ऐ रब, मैं किसी का भी गुनाह का इन्कार नहीं करता। फिर फ़र्मान होगा, मेरे किरामन कातिबीन ने तेरे ऊपर कुछ ज़ुल्म तो नहीं किया है? फिर फ़र्माया जायेगा, क्या इनके अलावा तेरी कोई नेकी भी है? वो शख़्स ख़ौफ़ज़दा हो जायेगा और अर्ज़ करेगा, मेरे पास कोई भी नेकी मौजूद नहीं। उससे इर्शाद होगा, क्यों नहीं, हमारे पास तेरी नेकियाँ भी हैं और आज तेरे साथ ज़ुल्म नहीं किया जायेगा, इंसाफ़ होगा। फिर उसके सामने एक पर्चा निकालकर पेश किया जायेगा जिसमें **ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह** लिखा होगा। ये उस पर्चे को देखकर अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब! भला इन रजिस्टरों के सामने इतने से पर्चे की क्या हैसियत है? फ़र्मान होगा, हम ज़ुल्म नहीं करेंगे बल्कि तेरा इंसाफ़ होगा। फिर उस पर्चे को तराज़ू के एक पलड़े में रखा जायेगा और उन रजिस्टरों को दूसरे पलड़े में रखे जायेंगे। वो तमाम रजिस्टर उठ जायेंगे और वो पर्चा उन रजिस्टरों से भारी होगा। **(तिर्मिज़ी-2639)**

हौज़े कौसर का बयान

4301. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा एक हौज़ है जो इतना (बड़ा है) जैसे कअबा से बैयतुल मुक़्दिस (के बीच की दूरी)। उसका पानी दूध की तरह सफ़ेद है, उसके पानी पिलाने के बर्तन आसमान के सितारों के बराबर हैं और क़यामत के दिन मेरे उम्मती तमाम अम्बिया के उम्मतियों से ज़्यादा होंगे। **(मुस्लिम-2292)**

4302. हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) का बयान है, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरा हौज़ मक़ामे ईला से अदन के बीच की दूरी से भी ज़्यादा लम्बा व चौड़ा है। उस ज़ात की क़सम जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है! उसके बर्तन आसमान के तारों की तादाद से भी ज़्यादा हैं। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। मैं उस पर से ग़ैर लोगों को अलग कर दूंगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप अपनी उम्मत के लोगों को वहाँ पहचान लेंगे? हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! तुम्हारे हाथ-पाँव वुज़ू की वजह से क़यामत के दिन चमक रहे होंगे। ये अलामत तुम्हारे सिवा किसी और (उम्मत) की नहीं होगी। **(मुस्लिम-248)**

4303. हज़रत अबू सलाम हब्शी (रह.) कहते हैं, एक मर्तबा मुझको हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने बुलवाया तो मैं (जल्दी की वजह से) डाक के घोड़ों पर बैठकर आया। जब मैं उनकी ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो फ़र्माने लगे, अबू सलाम! मैंने तुमको इस सवारी की मशक़्क़त से बहुत तक्लीफ़ दी। मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ! तक्लीफ़ तो बेशक हुई। आपने फ़र्माया, मैंने तुमको ये तक्लीफ़ सिर्फ़ इसलिये दी है कि तुमसे एक हदीस सुनूँ जो तुम रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ाद शुदा गुलाम हज़रत सौबान (रज़ि.) से रिवायत करते हो। वो हदीस हौज़े कौसर के बारे में है। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत सौबान (रज़ि.) ने मुझसे नक़ल किया, हुज़ूर (ﷺ) एक रोज़ फ़र्माने लगे कि मेरा हौज़े कौसर इतना बड़ा है जैसे मक़ामे अदन से मक़ामे ईला (के बीच की दूरी)। उसके बर्तनों की तादाद आसमान के तारों से भी ज़्यादा हैं। उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा है। जो शख़्स उसमें से एक घूंट भी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी और उस हौज़े पर सबसे पहले पानी वाले फ़क़ीर मुहाजिरीन होंगे, जिनका लिबास भी मैला-कुचैला होगा, अच्छी औरतों से निकाह की ताक़त न रखते होंगे और उनके लिये कोई अपना दरवाज़ा न खोलता होगा। अबू सलाम कहते हैं, उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ इस हदीस को सुनकर इतना रोये की दाढ़ी आँसू से तर हो गई और फ़र्माने लगे, मैंने तो उम्दा औरतों से निकाह भी कर लिया, उम्दा कपड़े भी पहन लिये और मेरे लिये दरवाज़े भी खुले। अब जो मैं कपड़े पहनूँ उनको उस वक़्त तक न धोऊँगा, जब तक वो मैला न हो जायेगा और जब तक मेरे सर के बाल बिखर न जाये, उस वक़्त तक अपने सर में तेल न डालूंगा। **(तिर्मिज़ी-2444)**

4304. हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे हौज़ के दो किनारों के दरम्यान इतना फ़ासला है जितना मुल्के सन्आ और मदीना में या मदीना मुनव्वरा से मुल्के ओमान के दरम्यान में।
(मुस्लिम-2304)

4305. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरे हौज़े कौसर पर चाँदी और सोने के जग आसमान के तारों के बराबर हैं। **(मुस्लिम-2304)**

4306. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, एक मर्तबा हुज़ूर (ﷺ) एक क़ब्रिस्तान में आये तो फ़र्माया, **अस्सलामु अलैयकुम दार क़ौमिम्मूमिनीन वइन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिक़ून.** (ऐ मोमिन लोगों की बस्ती के रहने वालों ! तुम पर सलामती हो। हम भी इंशाअल्लाह तुमसे मिलने वाले हैं)। फिर आपने फ़र्माया, मुझको ये आरज़ू होती है कि मैं काश अपने भाइयों को देख लेता (क्योंकि वो लोग मेरे बाद आने वाले हैं)। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) ! क्या हम आपके भाई नहीं हैं? आपने फ़र्माया, तुम तो मेरे साथी और सहाबी हो, मेरे भाई वो लोग हैं जो मेरी वफ़ात के बाद होंगे। मैं तुम लोगों के लिये हौज़े कौसर पर पेशवा हूँगा। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो लोग आपकी उम्मत में से अभी पैदा नहीं हुए हैं या जिनको आपने नहीं देखा है आप उनको किस तरह पहचान लेंगे? आपने फ़र्माया, ये बताओ किसी के घोड़े की पेशानी और पांव सफ़ेद हों और अगर उसको बिल्कुल काले घोड़ों के साथ मिला दिया जाये तो वो अपने घोड़े को पहचानेगा या नहीं? लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ! ज़रूर पहचान लेगा। आपने फ़र्माया, बस इसी तरह क़यामत के दिन मेरे उम्मतियों के हाथ-पाँव वुज़ू की वजह से चमक रहे होंगे। आपने (फिर) फ़र्माया, मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा पेशवा हूँगा। उसके बाद फ़र्माया कि मेरी उम्मत के चंद लोग मेरे हौज़े कौसर पर अलग कर दिये जायेंगे जिस तरह गुमशुदा ऊँट हाँक दिया जाता है। मैं उनको देखकर कहूंगा, इधर आओ। मुझको जवाब मिलेगा कि तुमको इन लोगों की हालत नहीं मालूम कि इन्होंने तुम्हारे बाद क्या-क्या बातें निकालीं और तुम्हारे बाद दीन से फिर गये थे। उसी वक़्त मैं अफ़सोस से कहूंगा, दूर हो! दूर हो!! **(मुस्लिम-249)**

शफ़ाअत का बयान

4307. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, हर एक नबी की एक दुआ तो ज़रूर क़ुबूल होती है। जितने अम्बिया गुज़र चुके हैं सबने अपनी-अपनी दुआयें दुनिया में पूरी कर दीं, लेकिन मैंने अपनी दुआ आख़िरत के लिये अपनी उम्मत के लिये बचाकर रखी है जिससे मैं अपनी उम्मत की शफ़ाअत करूंगा और मेरी शफ़ाअत हर एक शख़्स के बारे में क़ुबूल होगी। सिवाय उस शख़्स के जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया होगा।
(मुस्लिम-199)

4308. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) का बयान है, रसूले अकरम (ﷺ) ने फर्माया, मैं फ़ख़्र के लिहाज़ से नहीं कहता हूँ (बल्कि इज़्हारे नेअमत है कि) मैं तमाम औलादे आदम का सरदार हूँ और सबसे पहले क़यामत के दिन मैं ही उठूंगा। ये भी फ़ख़्र के लिये नहीं कहता हूँ कि सबसे पहले मेरी शफ़ाअत क़ुबूल होगी और ये भी फ़ख़्र के लिये नहीं कहता हूँ कि हम्द का झण्डा भी मेरे ही हाथ में होगा। **(तिर्मिज़ी-3148)**

4309. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ में जो दोज़ख़ी हमेशा रहने वाले हैं, वो उसमें न मरेंगे न जियेंगे अलबत्ता कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दोज़ख़ की आग जलाकर राख कर देगी। उस वक़्त उनकी शफ़ाअत का हुक्म होगा। वो लोग (दोज़ख़ से निकलकर जन्नत की नहर पर) फैल जायेंगे। जन्नत वालों को

हुक्म होगा, ऐ जन्नतियों इन पर जन्नत का पानी डालो। ये लोग उन पर पानी डालेंगे तो वो इस तरह उगेंगे जिस तरह, पानी बहने वाली जगह पर दाना उगता है। हदीस के रावी कहते हैं कि ये सुनकर हाज़िरीन में से एक शख़्स कहने लगा कि इस हदीस से मालूम हुआ कि हुज़ूर (ﷺ) सहराई मैदानों में रहते रहे हैं। **(मुस्लिम-185)**

4310. हज़रत जाबिर (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत गुनाहे कबीरा करने वालों के लिये (भी) होगी। **(तिर्मिज़ी-2436)**

4311. हज़रत अबू मूसा अश्अरी (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, मुझको दो में से एक चीज़ चुनने का इख़्तियार दिया गया था कि या तो मैं शफ़ाअत करूं या मेरी आधी उम्मत को जन्नत में दाख़िल कर दिया जाये, तो मैंने शफ़ाअत को चुना, क्योंकि वो आम होगी और ज़्यादा मुफ़ीद होगी। तुम समझते हो कि शायद वो हर परहेज़गारों के लिये होगी। (लेकिन ये ख़्याल ग़लत है) बल्कि गनाहगारों, क़सूरवारों और गुनाहों में फँसे हुए लोगों के लिये होगी।

4312. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन तमाम मोमिनीन जमा होंगे। अल्लाह तआला उनके दिल में डालेगा तो आपस में ये मश्विरा करेंगे कि हम किसी से अपने लिये सिफ़ारिश करायें ताकि इस हुज़्न, मलाल और तक्लीफ़ से हमको आराम हासिल हो जाये। अल्ग़र्ज़ ये सब जमा होकर हज़रत आदम (अलै.) के पास जायेंगे और उनसे कहेंगे, आप हमारे बाप हैं और आपको अल्लाह तआला ने अपने हाथ से बनाया, आपको फ़रिश्तों से सज्दा कराया, आप हमारे मालिक से हमारी सिफ़ारिश कीजिये ताकि हमको इस मक़ाम से कहीं आराम की जगह मिल जाये। हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) अपने गुनाहों को याद करके उन लोगों से कहेंगे कि मैं इस क़ाबिल नहीं, मुझको शर्म आती है। अलबत्ता नूह (अलै.) के पास जाओ क्योंकि वो सब से पहले रसूल हैं जिनको अल्लाह तआला ने ज़मीन वालों की तरफ़ भेजा था। ये लोग हज़रत नूह (अलै.) के पास आयेंगे और जो आदम (अलै.) से कहा था, उनसे भी अर्ज़ करेंगे। हज़रत नूह (अलै.) भी अपने उस सवाल को याद करके जो उन्होंने लाइल्मी से किया था, शर्मिन्दा होकर उन लोगों से कहेंगे कि मैं इस क़ाबिल नहीं बल्कि तुम लोग हज़रत इब्राहीम (अलै.) के पास जाओ क्योंकि वो अल्लाह के ख़लील हैं। चुनाँचे तमाम लोग उनकी ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करेंगे। वो भी अपने तीन झूठों को याद करके शर्मिन्दा होंगे और उनसे फ़र्मायेंगे कि मैं शफ़ाअत के क़ाबिल नहीं, तुम लोग हज़रत मूसा (अलै.) के पास जाओ क्योंकि वो अल्लाह तआला के ऐसे बन्दे हैं जिनसे अल्लाह तआला ने कलाम किया था, उनको तौरात अता फ़र्माई थी। ये लोग हज़रत मूसा (अलै.) के पास जायेंगे और आपसे अर्ज़ करेंगे। वो भी अपने क़त्ले नाहक़ को याद करके शर्मिन्दा होंगे और फ़र्मायेंगे मैं शफ़ाअत के क़ाबिल नहीं, तुम ईसा (अलै.) के पास जाओ क्योंकि वो रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। जब ये उनके पास आयेंगे तो वो कहेंगे कि तुम हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के पास जाओ क्योंकि मैं इस क़ाबिल नहीं और अल्लाह तआला ने उनके अगले-पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये हैं। तब ये लोग मेरे पास आयेंगे। आपने फ़र्माया, मैं ये सुनकर (मोमिनीन) की दो सफ़ों के दरम्यान में उनके साथ (शफ़ाअत के लिये) चलूंगा और अल्लाह तआला से इजाज़त तलब करूंगा। मुझको इजाज़त दी जायेगी। मैं हाज़िर हूंगा, जब अल्लाह तआला का जमाल नज़र आयेगा तो फ़ौरन सज्दे में गिर पड़ूंगा और जब तक अल्लाह चाहेगा मैं सज्दे में पड़ा रहा हूंगा। फिर इर्शाद होगा, ऐ मुहम्मद! सर उठाओ और कहो, जो कहोगे हम सुनेंगे और जो मांगोगे हम देंगे, सिफ़ारिश करोगे हम क़ुबूल करेंगे। आपने फ़र्माया, इस इर्शाद को सुनकर मैं सज्दे से सर उठाउंगा और उसकी ऐसी तारीफ़ करूंगा जिसकी तालीम उसने ख़ुद ही मुझको की होगी। उसके बाद मैं शफ़ाअत करूंगा। मेरी सिफ़ारिश की एक हद मुक़र्रर कर दी गई होगी। अल्लाह तआला उन लोगों को जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा। फिर मैं हाज़िर हूंगा और अपने मालिक को देखकर सज्दे में गिर पड़ूँगा, जब तक अल्लाह चाहेगा सज्दे में रखेगा। फिर हुक्म होगा, मुहम्मद सर उठाओ! जो कहोगे सुना जायेगा, जो मांगोगे मिलेगा, शफ़ाअत

करोगे तो क़ुबूल होगी। मैं सज्दे से सर उठाकर उसकी तारीफ़ करूंगा जो उसकी तालीम कर्दा होगी। फिर शफ़ाअत करूंगा, मेरी शफ़ाअत की एक हद मुक़र्रर होगी। अल्लाह तआला उन लोगों को भी जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा। मैं तीसरी बार फिर हाज़िर हूंगा और अपने मालिक को देखकर सज्दे में गिर पड़ूंगा और जब तक अल्लाह चाहेगा सज्दे में रखेगा फिर हुक्म होगा, मुहम्मद! सर उठाओ और कहो, जो कहोगे सुना जायेगा, जो मांगोगे मिलेगा, शफ़ाअत करोगे तो क़ुबूल होगी। मैं सज्दे से सर उठाकर उसकी तारीफ़ करूंगा जो उसकी तालीम कर्दा होगी। फिर शफ़ाअत करूंगा, मेरी शफ़ाअत की एक हद मुक़र्रर होगी। अल्लाह तआला उनको भी जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा। मैं फिर चौथी बार हाज़िर होकर सज्दे में गिर का अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब! अब सब ख़त्म हो गये, बस वही लोग बाक़ी हैं जिन्हें क़ुर्आन ने रोक दिया है। हज़रत क़तादा (रज़ि.) इस हदीस को बयान करके कहते हैं कि हमसे अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) ने कहा, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ से वो शख़्स भी निकाल लिया जायेगा जिसने कलिम-ए-ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ा होगा और जिसके दिल में एक जौ की बराबर ईमान होगा। वो भी निकाल लिया जायेगा और जिसने ला इलाह इल्लल्लाह कहा होगा और उसके दिल में गेहूँ क बराबर ईमान होगा। इस तरह वो भी निकाला जायेगा जिसने ला इलाह इल्लल्लाह कहा होगा और जिसके दिल में रत्तीभर भी ईमान होगा।

(बुख़ारी-4476, मुस्लिम-193)

4313. हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन तीन क़िस्म के अफ़राद शफ़ाअत करेंगे। पहले अम्बिया, फिर उलमा, फिर शुहदा।

4314. हज़रत तुफ़ैल इब्ने अबी कअब (रह.) अपने वालिद की रिवायत बयान करते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, जब क़यामत का दिन होगा तो मैं तमाम अम्बिया का ख़तीब और इमाम हूंगा और उनकी शफ़ाअत करूँगा। ये बात मैं कुछ फ़ख़्र से नहीं कहता (बल्कि अल्लाह की रहमत का इज़हार करता हूँ)। **(तिर्मिज़ी-3613)**

4315. हज़रत इमरान इब्ने हुसैन (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत से कुछ लोग जहन्नम से निकाले जायेंगे जिनका नाम जहन्नमी होगा। **(बुख़ारी-6566)**

4316. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबू जदआअ (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के एक शख़्स की शफ़ाअत से बनू तमीम (की तादाद) से ज़्यादा लोग बख़्शे जायेंगे। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपके अलावा और लोग भी शफ़ाअत करेंगे? आपने फ़र्माया, हाँ! मेरे अलावा (और भी शफ़ाअत करेंगे)। अब्दुल्लाह इब्ने शक़ीक़ (रह.) कहते हैं, मैंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अबू जदआअ (रज़ि.) से कहा, ये हदीस आपने ख़ुद हुज़ूर (ﷺ) से सुनी है? उन्होंने फ़र्माया, हाँ! मैंने ख़ुद सुनी है। **(तिर्मिज़ी-2438)**

4317. हज़रत औफ़ इब्ने मालिक अशजई (रज़ि.) कहते हैं, एक रोज़ हुज़ूर (ﷺ) फ़र्माने लगे, तुमको मालूम है कि आज रात अल्लाह तआला ने मुझको कौनसी दो बातों का इख़्तियार दिया है? हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह और उसका रसूल ही ख़ूब जानता है। आपने फ़र्माया, अल्लाह तआला ने फ़र्माया, या तो मैं तेरी आधी उम्मत को जन्नत में दाख़िल कर दूं या तू शफ़ाअत करे। मैंने शफ़ाअत को पसंद किया। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप अल्लाह तआला से दुआ फ़र्माइये कि हमको आपकी शफ़ाअत नसीब हो। आपने फ़र्माया, वो तो हर मोमिन के लिये आम होगी। **(तबरानी)**

जहन्नम का बयान

4318. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, तुम्हारी दुनियावी आग दोज़ख़

की आग के सत्तर हिस्सों में से एक हिस्सा है। अगर ये दो मर्तबा पानी से न बुझाई जाती तो तुम लोग इससे फ़ायदा न उठा सकते। अब ये (दुनिया की) आग अल्लाह से दुआ करती है कि उसको दोबारा दोज़ख़ में न डाले।

4319. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ ने अपने मालिक से अपनी गर्मी की शिद्दत की वजह से शिकायत करते हुए अर्ज़ किया, ऐ मालिक! मेरे एक हिस्से ने दूसरे हिस्से को खा लिया। अल्लाह तआला ने उसको दो साँस लेने की इजाज़त फ़र्माई। एक सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। सर्दी के मौसम में जो तुमको सख़्त सर्दी मालूम होती है से उसकी शदीद सर्दी की वजह से है और जब तुम्हें सख़्त गर्मी महसूस होती है तो ये उसकी शदीद गर्मी की वजह से है। **(तिर्मिज़ी-2592)**

4320. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ की आग एक हज़ार बरस तक जलाई गई तो सफ़ेद हो गई। फिर हज़ार बरस तक जलाई गई तो वो सुर्ख़ हो गई और फिर हज़ार बरस तक सुलगाई गई तो वो स्याह हो गई, अब वो ऐसी काली है जैसे अंधेरी रात। **(तिर्मिज़ी-2591)**

4321. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, नबी-ए-अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन (पहले) वो काफ़िर लाया जायेगा, जिसकी ज़िन्दगी सबसे ज़्यादा ऐश व इशरत में गुज़री होगी। फ़र्मान होगा, इसको जहन्नम में एक ग़ौत दो। जब ग़ौत देकर निकाला जायेगा, तो इर्शाद होगा, ऐ फ़लाँ! तूने कभी राहत देखी है? वो कहेगा, मैंने राहत (का नाम भी नहीं सुना)। फिर एक मोमिन को जो दुनिया की सख़्त तक्लीफ़ में रहा होगा, लाया जायेगा और हुक्म होगा कि इसको जन्नत में एक ग़ौत दो। जब ग़ौत देकर उसको लाया जायेगा और दरयाफ़्त किया जायेगा, ऐ फ़लाँ! तूने कभी तक्लीफ़ देखी है? वो कहेगा, मैंने कभी तक्लीफ़ नहीं देखी है।

4322. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ी काफ़िर का दाँत इतना बड़ा होगा जितना उहुद पहाड़। फिर उसका जिस्म उसके दाँत से इतना बड़ा होगा जितना तुम्हारा जिस्म तुम्हारे दाँत से बड़ा होता है। **(मुस्नद अहमद)**

4323. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने क़ैस (रज़ि.) कहते हैं कि एक रात मैं अबू हुरैरह (रज़ि.) के पास बैठा हुआ था कि इतने में हारिस इब्ने क़ैस (रज़ि.) आये। उस रात उन्होंने ये हदीस बयान की कि हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मेरी उम्मत के बाज़ आदमी तो ऐसे होंगे जिनकी शफ़ाअत से क़बील-ए-मज़र के लोगों से ज़्यादा लोग बख़्शे जायेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में इतने बड़े हो जायेंगे कि उसका एक कोना बन जायेंगे। **(हाकिम)**

4324. हज़रत अनस (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ियों पर रोना नाज़िल किया जायेगा तो वो इस क़द्र रोयेंगे कि आँसू ख़त्म हो जायेंगे। फिर ख़ून से रोयेंगे और उनके चेहरों पर रोने से नालियाँ बन जायेंगी यहाँ तक कि अगर कश्ती छोड़ें तो वो भी बह जायेगी। **(हाकिम)**

4325. हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) ने ये आयत तिलावत फ़र्माई, **या अय्युहल्लज़ीन आमनूत्तक़ुल्लाह हक़्क तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला वअनतुम मुस्लिमून.** (ऐ ईमान वालों! अल्लाह से डरो, जैसे कि उससे डरने का हक़ है और तुम्हें मौत न आये मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो-सूरह आले इमरान : 102) (और फ़र्माया) अगर ज़क़्क़ूम का एक क़तरा दुनिया के लोगों पर टपक पड़े तो दुनिया वालों की ज़िन्दगी ख़राब हो जाये फिर उन लोगों का क्या हाल होगा जिनका खाना-पीना ही ज़क़्क़ूम है। **(तिर्मिज़ी-7437)**

4326. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, दोज़ख़ की आग इंसान के तमाम जिस्म को खा

जायेगी सिर्फ़ सज्दे का मक़ाम रहेगा। क्योंकि अल्लाह तआला ने इसको आग पर हराम कर दिया है।

(बुख़ारी-7437, मुस्लिम-182)

4327. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, क़यामत के दिन मौत को पुल सिरात पर लाकर खड़ा किया जायेगा। उसके बाद जन्नत वालों को आवाज़ दी जायेगी, ऐ जन्नत वालो! ये लोग ख़ौफ़ से घबराकर ऊपर आकर झांकेगे कि कहीं उनको निकालने का तो हुक्म नहीं आया है? फिर दोज़ख़ वालों को आवाज़ दी जायेगी, वो लोग ख़ुश-ख़ुश मुतवज्जह होंगे इस ख़्याल से कि शायद उनकी नजात का हुक्म हुआ हो। इतने में हुक्म होगा कि तुम इसको जानते हो? वो कहेंगे, हाँ! ये मौत है। तब उसको ज़िब्ह करके कहा जायेगा, तुम जिस चीज़ में हो हमेशा रहोगे, अब किसी को मौत नहीं आयेगी। **(मुस्नद अहमद)**

जन्नत का बयान

4328. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूरे अक़्दस (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला फ़र्माता है, मैंने अपने बन्दों के लिये वो नेअमतें तैयार की है कि न किसी कान ने सुनी होंगी न किसी आँख ने देखी होंगी न किसी दिल पर उसका ख़्याल गुज़रा होगा। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने फ़र्माया, तुम उन नेअमतों को तो छोड़ दो जो अल्लाह तआला ने बयान फ़र्माई हैं बल्कि तुम सिर्फ़ ये आयत पढ़ो, **कोई नफ़्स नहीं जानता कि उनके आमाल के बदले में उनके लिये आँखों की ठण्डक की कौन-कौन सी चीज़ें पोशीदा की गई हैं.** (सूरह अस्सज्दा : 17)।

(बुख़ारी-4779, मुस्लिम-2824)

4329. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत की एक बालिश्त ज़मीन दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उससे बेहतर है।

4330. हज़रत सह्ल इब्ने सअद (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में एक कोड़ा रखने के बराबर ज़मीन भी दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उससे बेहतर है। **(बुख़ारी-2892, 3250)**

4331. हज़रत मुआज़ इब्ने जबल (रज़ि.) कहते हैं, रसूले करीम (ﷺ) फ़र्माते थे कि जन्नत में सौ दर्जे हैं। हर एक दर्जे में इतना फ़ासला है जितना आसमान और ज़मीन में। सबसे बुलंद दर्जा फ़िरदौस है और जन्नत का दरम्यानी (या आला तरीन) मक़ाम भी वही है और अर्श भी फ़िरदौस पर है। अगर तुम अल्लाह तआला से तलब करो तो फ़िरदौस ही तलब करो उसी से जन्नत की नहरें जारी हुई हैं। **(तिर्मिज़ी-2530)**

4332. हज़रत उसामा इब्ने ज़ैद (रज़ि.) का बयान है कि हुज़ूर (ﷺ) ने अपने असहाब से फ़र्माया, क्या कोई है जो जन्नत हासिल करने के लिये कमर कस ले? अल्लाह की क़सम! जन्नत में चमकता हुआ नूर है, झूमते हुए ख़ुश्बूदार फूल है, (मज़्बूत व) बुलंद महल है, बहती नहरें हैं, पुख़्ता मेवे हैं, ख़ूबसूरत और ख़ुश अख़्लाक़ बीवियाँ और कपड़ों के बहुत क़िस्म के जोड़े हैं। वो ऐसा मक़ाम है, जहाँ हमेशा ताज़गी और बहार है, बड़ा बुलंद और रोशन (मक़ाम) है। लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम उसके लिये कमर कसने के लिये तैयार हैं। हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, इंशाअल्लाह कहो। उसके बाद आपने जिहाद की तर्ग़ीब दिलाते हुए उसकी कैफ़ियत बयान फ़र्माई। **(इब्ने हिब्बान : 2620)**

4333. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, जो जमाअत पहले जन्नत में दाख़िल होगी, उनके चेहरे चौदहवीं रात के चाँद की तरह होंगे। उनके बाद वाले लोगों के चेहरे तारों की तरह चमकते होंगे। न वो

जन्नत में पेशाब-पाख़ाना करेंगे, न नाक साफ़ करेंगे, न उसमें थूकेंगे। उनका पसीना मुश्क का होगा, उनकी अंगुठियाँ ऊद की होंगी, उनकी बीवियाँ बड़ी-बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी। उनकी आदतें एक आदमी की आदतों की तरह (एक दूसरे से मिलती-जुलती होंगी) सब अपने बाप आदम (अलै.) की शक्लो-सूरत पर (क़द में) साठ-साठ हाथ के होंगे। **(बुख़ारी-3327, मुस्लिम-2834)**

4334. हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं, आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में एक नहर है, जिसका नाम कौसर है। उसके दोनों किनारे सोने के बने हुऐ हैं और पानी बहने के मक़ाम में याक़ूत और मोती जड़े हुए हैं। उसकी मिट्टी मुश्क से ज़्यादा ख़ुश्बूदार है और उसका पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठण्डा है। **(तिर्मिज़ी-3361)**

4335. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नत में एक दरख़्त इतना बड़ा है कि अगर उसके साये में घोड़े का सवार सौ बरस तक भी चलेगा तब भी उसका साया ख़त्म न होगा और उस दरख़्त का नाम तूबा है। अगर तुम उसकी तस्दीक़ करना चाहे तो ये आयत पढ़ा लो, और लम्बे-लम्बे सायों में। **(मुस्नद अहमद)**

4336. हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब (रह.) कहते हैं कि एक रोज़ वो हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) के पास गये। हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, मैं तो ये दुआ करता हूँ कि मुझको और तुमको अल्लाह तआला जन्नत के बाज़ार में मिलाये। मैंने कहा, क्या जन्नत में भी बाज़ार हैं? उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, जन्नती जब जन्नत में दाख़िल होकर अपने-अपने मक़ामों में अपने आमाल के लिहाज़ से मुक़ीम हो जायेंगे तो एक हफ़्ते का अर्सा गुज़रने तक आराम करेंगे। वहाँ जुम्आ के दिन उनको अल्लाह तआला का दीदार होगा, अल्लाह तआला उनके सामने अर्श ज़ाहिर करेगा और ख़ुद भी जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ में ज़ाहिर होगा। लोगों के लिये नूर के मिम्बर रखे जायेंगे और मोती के मिम्बर, याक़ूत के मिम्बर, ज़मदर के मिम्बर, सोने के मिम्बर और चाँदी के मिम्बर (रखे जायेंगे)। और जन्नत वालों में से जो कम दर्जे के होंगे वो मुश्क और काफ़ूर के टीलों पर बैठेंगे लेकिन ये लोग कुर्सी वालों को अपने से अफ़ज़ल नहीं समझेंगे बल्कि हर एक अपने मर्तबे के मुवाफ़िक़ अपने को अफ़ज़ल ख़्याल करेगा। अबू हुरैरह (रज़ि.) कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम लोग अल्लाह तआला को देख सकेंगे। आपने फ़र्माया, क्या तुम लोग चौधवीं रात के चाँद को देखने में शक होता है? हमने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फ़र्माया, बस इसी तरह तुमको अल्लाह का दीदार होगा। उस वक़्त कोई ऐसा न होगा जिससे अल्लाह तआला ने कलाम न किया होगा बल्कि एक शख़्स से इर्शाद होगा, ऐ फलाँ! तूने दुनिया में फ़लाँ-फ़लाँ गुनाह किये थे या नहीं? वो अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे रब! क्या तूने मेरे गुनाह नहीं बख़्शे हैं? इर्शाद होगा, मैंने बख़्श तो दिये हैं यही वजह है कि तू इस दर्जे तक पहुँचा है वरना न तू कहाँ और ये दर्जा कहाँ? लोग इसी हालत में होंगे कि एक बादल आसमान पर ज़ाहिर होकर उन पर ऐसी ख़ुश्बू बरसायेगा जो कभी उन्होंने न सूंघी होगी और अल्लाह तआला का फ़र्मान होगा, उठो और जो-जो चीज़ें मैंन तुम्हारे लिये तैयार की हैं, उनको लो। अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करने लगे, उस वक़्त हम लोग जन्नत के बाज़ार को चलेंगे। वहाँ हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिनको न किसी आँख ने देखा हो न किसी कान ने सुना होगा न किसी के दिल पर उनका ख़्याल गुज़रा होगा। उसमें हमको जिस चीज़ की ख़्वाहिश होगी, वहाँ मिलेगी, वहाँ ख़रीद व फ़रोख़्त कुछ नहीं होगी। उस बाज़ार में जन्नत वालों की एक दूसरे से मुलाक़ात होंगी और हमसे अगर वो शख़्स मिलेगा जो दर्जे में बड़ा होगा और उसका लिबास वग़ैरह उस कम दर्जे वाले से अच्छा मालूम होगा तो ये उसको तअज्जुब की निगाह से देखेगा। लेकिन उसके देखते ही देखते उसका लिबास उससे अफ़ज़ल हो जायेगा। अबू हुरैरह (रज़ि.) ने कहा, उसके बाद हम लोग बाज़ार से अपने घरों को वापस आयेंगे तो हमारी बीवियाँ हमसे मिलेंगी और कहेंगी कि आज तुम इतने ख़ूबसूरत हो और तुम्हारे पास से ऐसी ख़ुश्बू आ रही है कि हमारे पास से जाते वक़्त न तुम इतने

ख़ूबसूरत थे न ऐसी ख़ुश्बू थी। वो कहेंगे, आज हम अल्लाह के दरबार में होकर आये हैं और अल्लाह के दरबार के लोगों को ऐसे होना चाहिये। **(तिर्मिज़ी-2549)**

4337. हज़रत अबू उमामा बाहिल (रज़ि.) का बयान है, रसूले करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, अल्लाह तआला जिन लोगों को जन्नत में दाख़िल फ़र्मायेगा, उनकी शादी बेहतर बीवियों से कर देगा। दो औरतें जन्नत की हूरों में से होगी और 70 बीवियाँ जहन्नमियों की विरासत में मिलेगी। उन में से हर औरत की शर्मगाह निहायत ख़ूबसूरत होगी और मर्द का ज़कर (शर्मगाह) ऐसा मज़्बूत होगा जो नर्म नहीं होगा। हज़रत हिशाम इब्ने ख़ालिद (रह.) का बयान है कि दोज़ख़ वालों से वो मर्द मुराद हैं जो दोज़ख़ में जायेंगे और उनकी बीवियों के वारिस जन्नती लोग होंगे। जैसे फ़िरऔन की बीवी मोमिना थी उसके वारिस मुसलमान होंगे।

4338. हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) कहते हैं, हुज़ूर (ﷺ) ने फ़र्माया, मोमिन जन्नत में जब बच्चे की ख़्वाहिश करेगा तो उसक ख़्वाहिश के मुताबिक़ एक घड़ी में (फ़ौरन) हमल, विलादत और बच्चे का बड़ा होना (सबकुछ) हो जायेगा। **(तिर्मिज़ी-2563)**

4339. हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मस्ऊद (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मक़्बूल (ﷺ) ने फ़र्माया, मैं उस शख़्स को जानता हूँ जो दोज़ख़ियों में से सबसे आख़िर में निकलकर जन्नत में दाख़िल होगा। एक शख़्स दोज़ख़ से घिसटता हुआ निकलेगा उसको हुक्म होगा कि जा जन्नत में दाख़िल हो जा लेकिन जब वो जन्नत के दरवाज़े पर पहुँचेगा तो उसको जन्नत भरी हुई नज़र आयेगी। वो वापस आकर अर्ज़ करेगा, ऐ रब! जन्नत तो भरी हुई है। हुक्म होगा, जा जन्नत में दाख़िल हो जा। वो फिर आकर देखेगा तो जन्नत भरी हुई नज़र आयेगी। वो वापस आकर अर्ज़ करेगा, ऐ रब! जन्नत तो बिल्कुल भरी हुई है। इर्शाद होगा, जा भी जन्नत में जा।वो फिर आयेगा तो जन्नत को भरा हुआ देखेगा और वापस आकर अर्ज़ करेगा, ऐ रब! वो तो भरी हुई है। इर्शाद होगा, जा! तू जन्नत में जा, तुझको जन्नत में दुनिया के बराबर या दस गुना के बराबर जगह मिलेगी। वो अर्ज़ करेगा, ऐ मालिक! तू मुझसे मज़ाक़ करता है या हँसता है, हालांकि तू बड़ा बादशाह है। रावी ने कहा कि इस जुम्ले को बयान करते वक़्त मैंने देखा कि हुज़ूर (ﷺ) को हँसी आ गई और कहा कि ये सबसे कम मर्तबे वाला शख़्स होगा। **(बुख़ारी-6571, मुस्लिम-186)**

4340. हज़रत अनस इब्ने मालिक (रज़ि.) कहते हैं, रसूले मुकर्रम (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स जन्नत को तीन बार तलब करता है तो जन्नत कहती है, ऐ बारी तआला! तू इसको जन्नत में दाख़िल फ़र्मा। और जो दोज़ख़ से तीन मर्तबा पनाह मांगता है तो दोज़ख़ अर्ज़ करती है, या अल्लाह! इसको दोज़ख़ से बचा। **(तिर्मिज़ी-2572)**

4341. हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) का बयान है, हुज़ूरे अनवर (ﷺ) ने फ़र्माया, तुममें से हर शख़्स के दो मक़ाम हैं एक जन्नत में है और दूसरा दोज़ख़ में है। जब मर कर वो दोज़ख़ में दाख़िल होगा तो जन्नत वाले उसके वारिस होकर जन्नती मक़ाम ले लेंगे। इस आयत का यही मतलब है, **उलाइ-क हुमुल वारिसून.** (यही लोग विरासत पाने वाले हैं)।

मुनाजात (दुआएं)

हकीम मुहम्मद सिद्दीक़ ग़ौरी

रब्बे-आज़म, अर्शे-आज़म पर है तेरा इस्तवा,
तू है आली, तू है आला, तू ही है रब्बुलउला।

हम्द, पाकी किबरियाई मेरे सुब्हानो-हमीद,
सिर्फ़ है तेरे लिये जितनी तू चाहे किबरिया।

लामकां, बेख़ानमां, तू है नहीं हर्गिज़ रफ़ीअ
अर्श पर है तू यक़ीनन, है पता मुझको तेरा।

अर्श पर होक भी तू मेरी रगे-जां से क़रीब,
इतना मेरे पास है मैं कह नहीं सकता ज़रा।

अर्श पर है ज़ात तेरी, इल्मो-क़ुदरत से क़रीब,
तू हमारे पास है ऐ हाज़िरो-नाज़िर ख़ुदा।

अर्श पर है तू यक़ीनन और वह मकतूब भी
तेरी रहमत है फ़ज़ूं तेरे ग़ज़ब से ऐ ख़ुदा।

अरबों ख़रबों रहमतें हों, बरकतें लाखों सलाम,
उन पर उनकी आल पर जो हैं मुहम्मद मुस्तफ़ा।

क़ाबिले-तारीफ़ है तू मेरे रब्बुल आलमीन,
तू है रहमानो-रहीम-मालिके-यौमे-जज़ा।

हम तुझी को पूजते हैं तू ही इक माबूद है,
हम मदद चाहते नहीं हर्गिज़ कभी तेरे सिवा।

तू है ज़ाहिर, तू है बातिन, अव्वलो-आख़िर है तू,
फ़क़्र भी तू देर कर दे, क़र्ज़ भी या रब मेरा।

मैं ज़मीनो-आसमां पर डालता हूं जब नज़र,
कोई भी पाता नहीं हूं मैं ख़ुदा तेरे सिवा।

चाँद-तारे दे रहे हैं अपने सानेअ की ख़बर,
तेरी क़ुदरत से अयां है बिलयक़ीन होना तेरा।

मैं तुझे कुछ जानता हूं, तेरे कुछ औसाफ़ भी,
तू क़यामत में भी होगा जाना-पहचाना मेरा।

तू मेरा ज़ाकिर रहे मैं भी रहूं ज़ाकिर तेरा,
हो ज़मी पर ज़िक्र तेरा आसमां में हो मेरा।

क़ल्बे-मुज़्तर को सुकूं मिल जाये तेरी याद से,
और तेरे ज़िक्र से हो मुत्मईन ये दिल मेरा।

रोज़ो-शब, सुब्ह मसा, आठों पहर, चौसठ घड़ी,
तू ही तू दिल में हरे कोई न हो तेरे सिवा।

मैं हमेशा याद रक्खूं अपनी मजलिस में तुझे,
तू भी मुझको याद रक्खे अपनी मजलिस में सदा।

बन्द तेरी याद से मेरी ज़ुबां या रब न हो,
मरते दम तक, मरते दम भी ज़िक्र हो लब पर तेरा।

ज़िन्दगी दुश्वार हो तेरी मुहब्बत के बग़ैर,
माही-ए-बेआब हो बे-ज़िक्र ये बन्दा तेरा।

मैं दुआ के वक़्त तुझ से इतना हो जाऊं क़रीब,
गोया तहतुल अर्श में हूं तेरे क़दमों में पड़ा।

हालते सद-यास में भी ऐ ख़ुदा तेरी क़सम,
जी न हारूं और मैं करता रहूं तुझसे दुआ।

बह रही हो मेरी आँखें मेरी गर्दन हो झुकी,
नाक नगड़े, पस्त होकर, तुझसे मैं मांगू दुआ।

तेरे आगे आजिज़ाना, दस्त बस्ता, सर नगूं,
मैं रहूं या रब खड़ा भी तेरे क़दमों में पड़ा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो तेरी नेअमत की क़सम,
जैसे कोई तीर हो अपने निशाने पे लगा।

हर मेरी ऐसी दुआ हो जिससे टल जाएं पहाड़,
ग़ार वालों से भी बढ़कर तेरी रहमत से ख़ुदा।

हर मेरी तौबा हो ऐसी जो अगर तक़्सीम हो,
तेरे बन्दों पर तो बख़्शे जाएं लाखों बे-सज़ा।

नेकियों में तू बदल दे और उनको बख़्श दे,
उम्र भर के अगले पिछले सब गुनाहों को ख़ुदा।

हज मेरे मबरूर हो सब कोशिशें मशकूर हों,
दे तिजारत तू भी वह जिमें न हो घाटा ज़रा।

तेरी मर्ज़ी के मुवाफ़िक़ हो मेरी कुल ज़िन्दगी,
खाना-पीना, चलना फिरना, बैठना उठना मेरा।

जो क़सम खाई या खाऊं तुझ पे करके ऐतमाद,
मअ फ़लाहे दोजहां के साथ पूरी हो ख़ुदा।

मैं न छोड़ूं, मैं न छोड़ूं संगे-दर तेरा कभी,
आ गया हूं, आ पड़ा हूं, तेरे दर पर ऐ ख़ुदा।

हर नज़ाई कोई शय हो मैं तेरी तौफ़ीक़ से,
सिर्फ़ चाहूं तुझसे या तेरे नबी से फ़ैसला।

ऊम्र भरे मेरी नज़र इस पर रहे हो जुस्तजू,
तूने या रब क्या कहा? मुस्तफ़ा ने क्या कहा?

आख़िरत में अपनी या रब कितनी ही मख़्लूक़ पर,
मुझ को मेरी आल को तू फ़ौक़ियत करना अता।

उम्र मेरी आख़िरी है दिन है मरने के क़रीब,
मैं रहूं गिरयां के तू ख़न्दां मिले मुझसे ख़ुदा।

फ़ज़्ल फ़र्मा मरते दम तक मैं रहूं इस हाल में,
तुझ से हो उम्मीद बेहद डर भी हो मुझको तेरा।

मैं रहूं बेचैन बेहद तुझसे मिलने के लिये,
जान जब निकले तो तड़पे कब वह हो तन से जुदा।

मौत की ताख़ीर भी हो मौत ही मेरे लिये,
हो दमे-आख़िर मुझे इतना तेरा शौक़े-लिक़ा।

बख़्श दे तू, रहम कर, आला रफ़ीक़ों से मिलूं,
हो मुझे उस वक़्त बेहद शौक़ मिलने का तेरा।

क़ौल साबित पर रहूं साबित ख़ुदाया हो नसीब,
ला इलाहा इल्ला अन्तल्लाह पे मरना मेरा।

आख़री हिचकी मुझे दे तेरी रहमत की ख़बर,
आँख जब बन्द हो तो देखूं तेरी जन्नत की फ़िज़ां।

तेरी रहमत की तरफ़ हो मेरा दुनिया से ख़ुरूज,
जांकनी के वक़्त पाऊं मुज़दा हाए जांफ़िज़ा।

क्या मेरा मस्कन ज़मीनों-आसमां तक रो पड़े,
मेरे मरने पर ख़ुदाया अर्श हिल जाए तेरा।

रब्बे राज़ी की तरफ़ चल हो के राज़ी तू निकल,
रूह से मेरी फ़रिश्ते यह कहे वक़्ते क़ज़ा।

तेरी रहमत के फ़रिश्ते मुझको लेने के लिये,
आएं वह, लेकर चढ़ें, मुझको जहां है तू ख़ुदा।

रूह का आसमां में हो फ़रिश्तों पर वरूद,
हो यही उनकी सदाएं मरहबा सद मरहबा।

क़द्दे मुनी, क़द्दे मुनी ले चलो जल्दी चलो,
जब जनाज़ा ले चलें कहता रहे बन्दा तेरा।

तू मुसल्ली हो मलाइक भी तेरे हों बिलख़ुसूस,
मुझ ग़रीबो-बेनवा का जब जनाज़ा हो पड़ा।

हो मेरा मस्कन वहां, तुझ को जहां भी हो पसन्द,
जो ज़मी हो तुझको पियारी वह बने मदफ़न मेरा।

कर चुके जब दफ़्न मुझको आए मुन्कर नकीर,
रब्बे सब्बित रब्बे सब्बित हो लबं पर ऐ ख़ुदा।

क़ब्र हो मुश्ताक़ मेरी उसका बेहतर हो सुलूक,
पाऊं मैं आग़ोशे मादर की तरह उसको ख़ुदा।

ज़िन्दगी के इस सफ़र में तू मेरा साहिब रहे,
कुल मेरे पसमान्दगां में तू ख़लीफ़ा हो मेरा।

तू सफ़र में भी हज़र में भी क़ब्र में भी हश्र में,
मेहरबां मुझ पर रहे बेहद निगहबां भी मेरा।

जांकनी हो, क़ब्र हो या हश्र हो या पुल-सिरात,
सहल तेरे फ़ज़्ल से हो मरहला इक इक मेरा।

रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम हसबुना नेअ्मुल वकील,
हश्र के कुल मरहालों में हो यही कलमा मेरा।

रोज़े महशर हो तेरे रूए मुबारक पर नज़र,
जब तेरी पिण्डली खुले सज्दे में हो बन्दा तेरा।

अर्श का साया मिले सातों तरह से हश्र में,
मुझको, मेरी आल को जो हो क़यामत तक ख़ुदा।

गो पलक झपके न झपके मुझसे तै हो पुल-सिरात,
इस कठिन मंज़िल में मेरी मेरे मौला काम आ।

जल्द इसको पार कर यह सर्द कर देगा मुझे,
जब जहन्नुम पर से गुज़रूं वह कहे तुझको ख़ुदा।

आएगा बन्दा तेरा इक दिन कफ़न पहने हुए,
तेरे आगे, बख़्श देना आफ़ियत करना अता।

रास्ता सीधा दिखा, इन्आम कर हम पर मदाम,
उम्मते-अहमद में मुझको ख़ास दर्जा कर अता।

उम्र भर की कुल ख़ताएं उनकी ग़ाफ़िर बख़्श दे,
तू मेरे माँ-बाप की कर मग़्फ़िरत बेइन्तिहा।